ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH | UPSC WALLAH

UPSC सम्पूर्ण

भारतीय अर्थव्यवस्था



सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एक समग्र समाधान

ONLYIAS BY PHYSICS WALLAH | UPSC WALLAH

UPSC सम्पूर्ण

सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए एक समग्र समाधान

भारतीय अर्थव्यवस्था

संस्करण : **प्रथम**
ISBN : 978-81-19013-85-2

द्वारा प्रकाशित : Physics Wallah

मोबाइल ऐप: Physics Wallah (प्ले स्टोर पर उपलब्ध)

वेबसाइट: www.pw.live
यूट्यूब चैनल: Physics Wallah - Alakh Pandey
UPSC Wallah
UPSC Wallah - Hindi Medium
PSC Wallah - UP Bihar
MPSC Wallah
ईमेल: support@pw.live

अधिकार
सभी अधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित रहेंगे। लेखक या प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भी हिस्से का किसी भी तरह से उपयोग या इसकी अन्य प्रतिलिपि तैयार नहीं की जा सकती है।

छात्र समुदाय के हित में:
किसी भी सोशल मीडिया चैनल, ईमेल आदि या किसी अन्य चैनल के माध्यम से मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से पीडीएफ या अन्य समकक्ष प्रारूपों में पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी का प्रसार एक प्रकार का अपराध है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी डिवाइस (उपकरणों) पर पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी को प्रसारित, डाउनलोड, संग्रहीत करना कॉपीराइट अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त इस पुस्तक या इसकी किसी भी सामग्री की फोटोकॉपी करना भी अवैध है। ऐसी किसी भी सॉफ्ट कॉपी संबंधी सामग्री के प्राप्त होने की अवस्था में इसे डाउनलोड या फॉरवर्ड न करें।

अस्वीकरण:
विषय की गहरी समझ रखने वाले PW ONLY IAS विशेषज्ञों एवं अध्यापकों की टीम ने पुस्तकों के लिए कड़ी मेहनत की है। जबकि इन पुस्तकों को तैयार करने में कंटेंट बनाने वालों (कंटेंट क्रिएटर्स), सम्पादकों एवं प्रकाशकों द्वारा पूर्ण प्रयत्न किया गया है। यह पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत है तथा लेखक पुस्तक में निहित किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। विषय वस्तु की सटीकता के लिए जाँच की गई है। प्रकाशक द्वारा विषय-वस्तु को सटीक एवं आधिकारिक जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया है।

यह पुस्तक एवं इसमें निहित व्यक्तिगत योगदान प्रकाशक द्वारा कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित हैं।

प्रतिक्रिया के लिए ईमेल करें: support@pw.live

(यह पुस्तक केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी।)

प्रस्तावना

PW ONLY IAS की एक अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ टीम यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है कि छात्रों को यूपीएससी परीक्षा के लिए सर्वोत्तम सामग्री प्राप्त हो।

शुरुआत से ही कंटेंट बनाने वालों (कंटेंट क्रिएटर्स), समीक्षकों, डीटीपी ऑपरेटरों, प्रूफरीडरों एवं अन्य लोगों की पूरी कंटेंट टीम छात्रों के लिए प्रभावशाली सामग्री तैयार करने हेतु अपने सर्वोत्तम ज्ञान तथा अनुभव के अनुसार सामग्री को आकार देने में संलग्न है।

अध्यापकों ने विषय-वस्तु को आसानी से समझने वाली भाषा में प्रस्तुत करने की नई शैली अपनाई है एवं इस अध्ययन सामग्री के निर्माण के दौरान टीम को अपना मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया है।

PW ONLY IAS वैचारिक एवं मनोरंजक शिक्षा में दृढ़ विश्वास रखता है। PW ONLY IAS छात्रों को गुणवत्ता तथा स्पष्टता लाने के लिए उच्च परीक्षा-उन्मुख अध्ययन-सामग्री प्रदान करता है।

यूपीएससी अध्ययन सामग्री बहुतायत के साथ बाजार में उपलब्ध है, परंतु PW ONLY IAS विशेषज्ञ हमारे यूपीएससी छात्रों के लिए सर्वोच्च अध्ययन सामग्री प्रदान करने हेतु निरंतर कार्यरत हैं।

यह अध्ययन सामग्री परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रचुर विविधता के साथ अवधारणाओं को समझने एवं महारत हासिल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है तथा छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के लिए ज्ञान से सुसज्जित करती है।

इस अध्ययन सामग्री का मुख्य उद्देश्य हमारे छात्रों को संक्षिप्त, स्पष्ट, लघु एवं गुणवत्तापूर्ण विषय-वस्तु प्रदान करना है।

पुस्तक की विशेषताएं

- विषयों की समग्र चर्चा, यूपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठयक्रम के पुर्णत: अनुरूप
- विषयवार कवरेज के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन
- त्वरित समझ और पुनरीक्षण के लिए आरेख, फ्लोचार्ट और टाइमलाइन्स
- इस परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य चरणों की एकीकृत तैयारी

विषय-सूची

1. अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएँ.....1–13

- अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच अंतर.....1
- अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों? 1
- अर्थशास्त्र और इसके उपखंड 1
- सकारात्मक अर्थशास्त्र और मानक/नियामक अर्थशास्त्र की अवधारणा.....1
- समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र 2
- अर्थशास्त्र अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण 3
- बीजिंग आम सहमति या राज्य पूंजीवाद या विकास का चीन मॉडल 7
- वाशिंगटन आम सहमति.....7
- सैंटियागो आम सहमति.....8
- वाणिज्यवाद 8
- व्यवहारिक अर्थशास्त्र.....9
- हरित अर्थशास्त्र 9
- स्वास्थ्य अर्थशास्त्र 9
- अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र और प्रकार.....9
- घरेलू अर्थव्यवस्था और इसके क्षेत्र 11
- कुजनेट्स वक्र..... 12
- पर्यावरण कुजनेट वक्र..... 13

2. भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ....14–20

- भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ 14
- औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था..... 15
- 1991 के सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था.... 18

3. राष्ट्रीय आय लेखांकन.....21–40

- आय की अवधारणा 21
- कारक आय और गैर-कारक आय की अवधारणा..... 21
- उत्पादन कारकों की अवधारणा 21
- आय का चक्रीय प्रवाह..... 22
- घरेलू बचत 23
- आर्थिक क्षेत्र (घरेलू) का अर्थ 24
- राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके 24
- किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना.....25
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 25
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रीय संरचना..... 27
- जीडीपी अपस्फीतिकारक/डिफ्लेटर..... 28
- सांकेतिक और वास्तविक जीडीपी..... 28
- हरित जीडीपी की अवधारणा 29
- शुद्ध/निवल घरेलू उत्पाद 30
- सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP).....30
- GDP बनाम GNP 31
- शुद्ध/निवल राष्ट्रीय आय (NNP)/राष्ट्रीय आय (NI).....32
- स्थिर बनाम श्रृंखला आधारित विधि 32
- कारक/साधन लागत (FC) और बाजार मूल्य (MP) की अवधारणा 33
- वर्तमान और स्थिर मूल्य का अर्थ 33
- मूल्य वर्धन की अवधारणा..... 33
- सकल मूल्य वर्धन (GVA).....34
- राष्ट्रीय आय (NI) की गणना में वर्ष 2015 में परिवर्तन किया गया 34
- संशोधित सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला 34
- राष्ट्रीय आय के मापन से संबंधित संस्थान: CSO; NSSO; NSC.....35
- व्यक्तिगत आय (PI) और प्रयोज्य आय (DI) 36
- पूंजी उत्पादन अनुपात (CoR).....36
- अंतरण अदायगी 37
- सीजनेलेटी/मौसमीपन तत्व की अवधारणा 37
- संभावित जीडीपी/जीडीपी की संभावना 37
- प्रति व्यक्ति आय (PCI).....38
- अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र..... 38
- भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन से जुड़े मुद्दे 38
- राष्ट्रीय लेखा से संबंधित मुद्दों का समाधान 40

4. आर्थिक संवृद्धि और विकास.....41–53

- आर्थिक संवृद्धि की अवधारणा..... 41
- आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक....41
- आर्थिक संवृद्धि मापने की आवश्यकता 42
- चक्रीय वृद्धि और संरचनात्मक वृद्धि 43

- संवृद्धि बनाम विकास 43
- आर्थिक संवृद्धि के संकेतक 43
- अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा..... 44
- आर्थिक विकास..... 44
- आर्थिक विकास के संकेतक 45
- रोजगारहीन संवृद्धि 48
- विकसित, विकासशील और सबसे कम विकसित देशों की अवधारणा 49
- नीति आयोग: भारत @75-आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने का उद्देश्य..... 50
- आर्थिक सर्वेक्षण 2021: असमानता और वृद्धि-संघर्ष या सम्मिलन?..... 51
- चक्रीय अर्थव्यवस्था या चक्रीयता..... 53

5. भारत में आर्थिक नियोजन.....54–65

- नियोजन का अर्थ..... 54
- नियोजन के प्रकार..... 54
- बहु स्तरीय योजना 55
- पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य 56
- योजना के उद्देश्य 56
- दुविधा: कृषि बनाम औद्योगीकरण 57
- भारतीय योजना की विफलताएँ और कमियाँ..... 58
- विकास का नेहरू-महालनोबिस मॉडल..... 59
- भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ..... 59
- नीति आयोग..... 63

6. निर्धनता और असमानता.....66–84

- विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा प्रदत्त निर्धनता की परिभाषाएं..... 66
- निर्धनता और असमानता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान..... 66
- सतत विकास का लक्ष्य और निर्धनता..... 67
- निर्धनता के प्रकार 67
- निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण 67
- निर्धनता रेखा की अवधारणा..... 67
- भारत में निर्धनता का आकलन: निर्धनता पर समितियाँ..... 68
- निर्धनता के आकलन का महत्व और उपयोगिता... 71
- निर्धनता का आकलन करने में चुनौतियाँ..... 71
- निर्धनता के प्रभावशाली मापन के लिए समाधान..... 71
- पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) की मुख्य विशेषताएं: गरीबी हटाओ..... 72
- अमर्त्य सेन द्वारा निर्धनता की अवधारणा..... 72
- सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना..... 72
- निर्धनता और असमानता से संबंधित सूचकांक/रिपोर्ट..... 74
- निर्धनता के कारण..... 75
- गरीबी का बहुआयामी प्रभाव 77
- "निर्धनता का स्त्रीकरण" की अवधारणा..... 79
- भारत में सामाजिक क्षेत्र..... 80
- वित्तीय समावेशन और निर्धनता उन्मूलन 81
- निर्धनता उन्मूलन में स्वयं सहायता समूहों (SHG) की भूमिका 81
- निर्धनता उन्मूलन के प्रयास..... 82
- भारत में गरीबी को कम करने की दिशा में नीतियाँ और कार्यक्रम 82
- निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावहीनता के कारण..... 84
- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन की रणनीतियाँ..... 84

7. रोजगार, बेरोजगारी और कौशल विकास...85–100

- रोजगार 85
- प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक 86
- बेरोजगारी..... 87
- भारत में बेरोजगारी की प्रकृति 89
- लाभकारी रोजगार और इसकी आवश्यकता..... 90
- अनौपचारिक रोजगार..... 91
- निश्चित अवधि रोजगार 93
- FTE के लाभ 94
- कौशल विकास..... 96
- गिग वर्कर..... 97
- सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020..... 100

8. समावेशी विकास..... 101–110

- समावेशी विकास की विशेषताएं 101
- समावेशी विकास के तत्व..... 102
- समावेशी विकास : संवैधानिक अधिदेश..... 102
- समावेशी विकास के लिए दृष्टिकोण..... 103
- सतत विकास लक्ष्य और समावेशी विकास..... 104
- समावेशी विकास के आयाम 104
- समावेशी विकास और 12वीं पंचवर्षीय योजना.... 105
- नीति आयोग और समावेशी विकास द्वारा भारत @75..... 105
- समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप..... 106
- पर्यावरण बनाम विकास 106
- समावेशी विकास प्राप्त करने में चुनौतियां 107
- मापन (सूचकांक और रिपोर्ट) समावेशी विकास..... 108

- भारत में समावेशी विकास योजनाओं के संबंध में चिंताएं..... 108
- विश्व आर्थिक मंच और समावेशी विकास..... 109
- निष्कर्ष..... 110

9. धन और मुद्रा प्रणाली..... 111–134

- धन का अर्थ..... 111
- धन का कार्य..... 111
- मुद्रा का विकास..... 111
- आभासी/क्रिप्टोकरेंसी..... 114
- मुद्रा के प्रकार..... 114
- मुद्रा का सृजन..... 114
- मुद्रा की मांग..... 115
- मुद्रा की आपूर्ति – मौद्रिक समुच्चय..... 117
- मुद्रा गुणक..... 119
- मुद्रा संचलन का वेग..... 120
- भारत में क्रेडिट निर्माण..... 120
- मुद्रा के प्रकार..... 120
- भारत में मुद्रा..... 121
- भुगतान के तरीके के आधार पर कार्ड के प्रकार..... 123
- "लीगल टेंडर/ कानूनी रूप से वैध मुद्रा"..... 124
- ब्लॉकचेन और डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी..... 124
- क्रिप्टो करेंसी..... 125
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम..... 126
- डिजिटल भुगतान..... 127
- डिजिटल लेनदेन लोकपाल (2019)..... 130
- भुगतान प्रणाली के लिए नई अंब्रेला इकाई (एनयूई)..... 131
- मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर)..... 131
- कैशलेस या लेस-कैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहल..... 132
- भारत में एटीएम के लेबल..... 132
- विमुद्रीकरण की अवधारणा..... 132
- काला धन..... 133

10. भारत में बैंकिंग प्रणाली..... 135–160

11. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारत में मौद्रिक नीति..... 161–189

- केंद्रीय बैंक का अर्थ..... 161
- भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास..... 161
- आजादी के बाद से आरबीआई का विकासमूलक इतिहास..... 161
- आरबीआई का संस्थागत संगठन..... 162
- भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना..... 163
- आरबीआई के कार्य..... 164
- आरबीआई की सहायक कंपनियाँ..... 166
- आरबीआई के प्रकाशन..... 169
- आरबीआई की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली..... 169
- आरबीआई की आय के स्रोत..... 169
- आरबीआई का व्यय..... 170
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिशेष हस्तांतरण..... 171
- आरबीआई की स्वायत्तता और स्वतंत्रता..... 172
- आरबीआई की नई पहल..... 174
- भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति..... 174
- मौद्रिक नीति की स्थिति..... 176
- भारत की मौद्रिक नीति के उपकरण..... 176
- भारत में मौद्रिक नीति..... 180
- गैर परंपरागत मौद्रिक नीति..... 182
- मौद्रिक प्राधिकरण- नई उभरती चुनौतियाँ..... 184
- मौद्रिक नीति संचरण..... 185
- आरबीआई और डिजिटल मुद्रा..... 186
- भारत की समयरेखा और क्रिप्टोक्यूरेंसी..... 188

12. भारत में वित्तीय संस्थान..... 190–196

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)..... 190
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)..... 191
- एक्जिम बैंक..... 192
- राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)..... 193
- निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)..... 194
- मुद्रा..... 195
- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)..... 195

13. बीमा क्षेत्र..... 197–219

- बीमा की उत्पत्ति..... 197
- जोखिम और विपत्ति..... 197
- संभावित कारण..... 197
- बीमा योग्य जोखिम..... 198
- बीमा की परिभाषा और इसकी बुनियादी विशेषताएँ..... 198
- बीमा के मूल सिद्धांत..... 199
- भारत में बीमा क्षेत्र: डेटा और आंकड़े..... 200
- बीमा क्षेत्र का इतिहास और विकास (राष्ट्रीयकरण सहित)..... 200
- आर्थिक सुधार और बीमा क्षेत्र को फिर से खोलना..... 202
- बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है?..... 203
- बीमा के प्रकार..... 203

PW UPSC WALLAH

- जीवन और सामान्य बीमा के बीच मुख्य अंतर 206
- एलआईसी में एफडीआई सुधार 206
- एलआईसी का विनिवेश 206
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम 207
- डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC):..... 208
- भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) 208
- नियामक संस्थान: पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) 209
- नियामक संस्थान: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) 210
- पुनर्बीमा 211
- माइक्रो-इंश्योरेंस 213
- बीमा प्रवेश और बीमा घनत्व की अवधारणा 214
- खराब बीमा प्रवेश के कारण 214
- बीमा क्षेत्र की आवश्यकता और महत्व 215
- बीमा क्षेत्र के लिए चुनौतियाँ 215
- बीमा क्षेत्र में सुधार 216
- बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत उपाय 218
- बीमा क्षेत्र में सुधार और सुधार के लिए समितियाँ..... 218

14. भारतीय पूंजी बाज़ार 220–250

- पूंजी बाजार की अवधारणा 220
- वित्तीय बाजार की अवधारणा..... 220
- वित्तीय बाजार की भूमिका 221
- वित्तीय बाजार के कार्य 221
- वित्तीय बाजार के प्रकार 221
- मुद्रा बाजार (मनीमार्केट) और पूँजी बाजार (केपिटल मार्किट) 229
- प्राथमिक बनाम द्वितीयक बाजार 231
- पूंजी बाजार के उपकरण..... 231
- ऋण और इक्विटी के बीच अंतर 234
- वायदा अनुबंध की तुलना में भविष्य अनुबंध 234
- राज्य विकास ऋण (एसडीएल) 235
- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF)..... 235
- बाह्य वाणिज्यिक उधार..... 236
- भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार..... 236
- भारत में प्रतिभूति बाजार 237
- भारत में स्टॉक एक्सचेंज..... 239
- अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 241
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) 242
- कमोडिटी एक्सचेंज 243
- कमोडिटी बाजार 243
- रणनीतिक विनिवेश 245
- रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट..... 246
- अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (INVITS) 247
- REIT और INVITS के बीच अंतर..... 248
- डिपॉजिटरी रिसिप्ट (DR)..... 248
- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (COsQ).....249

15. लोक वित्त (बजट और राजकोषीय नीति)... 251–274

- सार्वजनिक वित्त का अर्थ:..... 251
- बजट का अर्थ..... 251
- बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान..... 252
- निधियों के लिए संवैधानिक प्रावधान..... 253
- वोट ऑन अकाउंट..... 254
- अंतरिम बजट..... 254
- सरकारी बजट के उद्देश्य 254
- बजट के प्रकार 255
- बजट तैयार करने के विभिन्न तरीके 255
- बजट का महत्व और महत्ता..... 260
- भारतीय बजट के मुद्दे और चुनौतियाँ..... 261
- सरकारी बजट के घटक 261
- वित्त मंत्रालय और उसके विभाग 264
- घाटे की अवधारणा और इसके विभिन्न प्रकार.... 264
- हीनार्थ प्रबन्धन की अवधारणा 267
- भारत में हीनार्थ प्रबन्धन 268
- मुद्रीकृत घाटा..... 268
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम), 2003ए 2013.... 269
- सार्वजनिक व्यय..... 270
- सार्वजनिक ऋण/राष्ट्रीय ऋण 270
- राजकोषीय नीति..... 273
- राजकोषीय समेकन..... 274

16. भारतीय कराधान प्रणाली.....275–314

- भारतीय कराधान का सामान्य परिदृश्य 275
- भारत में कराधान का विकास..... 275
- कराधान शक्ति का संवैधानिक वितरण..... 276
- कर राजस्व का वितरण 276
- एडम स्मिथ द्वारा कराधान के सिद्धांत..... 277
- करों के प्रकार..... 277
- कराधान की विधियाँ 278
- प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली..... 279
- कर उत्प्लावकता 287
- लाफर वक्र 287

- टोबिन कर 288
- पिगोवियन कर 288
- अधिभार 288
- उपकर 289
- उपकर और अधिभार जारी करना 289
- अप्रत्यक्ष कराधान 290
- वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 294
- कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 299
- इको-सर्वेक्षण 2019: व्यवहारिक अर्थशास्त्र कर अनुपालन में सुधार करता है 300
- कराधान और राजकोषीय क्षमता पर आर्थिक सर्वेक्षण 302
- कर की चोरी 302
- कर वंचना 303
- राउंड ट्रिपिंग 305
- दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) 305
- आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस) 306
- हस्तांतरण मूल्य निर्धारण 307
- प्रभावी प्रबंधन का स्थान (पीओईएम) 308
- सामान्य परिवर्जन रोधी नियम (गार) 309
- कर आतंकवाद और उत्पीड़न 309
- करदाता चार्टर और बजट 2020 311
- भारत में एक स्वतंत्र लोकपाल का मामला- करदाताओं के अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए 312
- वैश्विक न्यूनतम कर (जीएमटी) 312

17. मुद्रास्फीति 315–324

- मुद्रास्फीति की अवधारणा: 315
- अपस्फीति की अवधारणा 315
- तुलना:मुद्रास्फीति बनाम अपस्फीति 315
- मुद्रास्फीति के कारण 317
- मांग जन्य बनाम लागत जन्य मुद्रास्फीति 318
- मुद्रास्फीति के प्रकार 318
- तुलना: हेडलाइन बनाम कोर मुद्रास्फीति 319
- आधार प्रभाव 319
- पिछले वर्ष के प्रश्न (प्रारंभिक) 320
- लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई) 321
- उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) 321
- आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) 321
- जीडीपी डिफ्लेटर 321
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: मुद्रास्फीति की सीमा में उतार-चढ़ाव पर हालिया अपडेट 322
- मुद्रास्फीति के प्रभाव और परिणाम 323
- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय 324
- निष्कर्ष 324

18. बाह्य क्षेत्र 325–341

- खुली अर्थव्यवस्था 325
- बंद अर्थव्यवस्था 326
- भुगतान संतुलन/भुगतान देय 326
- 1991 में भारत का बीओपी संकट 328
- व्यापार संतुलन 330
- सेवाओं का संतुलन 330
- अंतरण का संतुलन 330
- मुद्रा परिवर्तनीयता 330
- विनिमय दरें 332
- सट्टा 333
- ब्याज दरें और विनिमय दरें 333
- आय और विनिमय दरें 333
- अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर प्रबंधन प्रणालियों में परिवर्तन 333
- रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण और इसके लाभ 335
- दुर्लभ और सुलभ मुद्रा की अवधारणा 336
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) 337
- सामान्य परिहार विरोधी नियम (गार) 337
- विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार/परिसंपत्ति 337
- मात्रात्मक सहजता और संघीय टेपरिंग की अवधारणा 338
- धन प्रेषण 338
- सॉवरेन वेल्थ फंड/सॉवरेन इनवेस्टमेंट फंड 339
- द्विपक्षीय निवेश संधि और बीआईपीए 340
- क्षेत्रीय व्यापार समझौते 341

19. विनिमय दर प्रणाली 342–349

- विनिमय दरों की अवधारणा 342
- भारत में विनिमय दर प्रबंधन के उद्देश्य 342
- भारत की विनिमय दर के निर्धारक 342
- भारत में विनिमय दर शासन 342
- प्रभावी विनिमय दरों की अवधारणा 344
- उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली 345
- किसी मुद्रा के अवमूल्यन की अवधारणा 345
- मुद्रा अवमूल्यन का कारण 345
- मुद्रा अवमूल्यन के नुकसान 346
- एक मुद्रा के मूल्यह्रास की अवधारणा 346
- अवमूल्यन बनाम मूल्यह्रास 346
- मुद्रा अधिमूल्यम की अवधारणा 347
- अधिमूल्यन का प्रभाव 347
- मूल्यह्रास बनाम अधिमूल्यन 347

PW UPSC WALLAH

- वैश्विक आरक्षित मुद्रा 347
- आरक्षित मुद्रा का महत्व 347
- डी-डॉलराइजेशन की वर्तमान लहर 347
- मुद्रा युद्ध 348
- आईएमएफ विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 348
- IMF में भारत का कोटा 349
- क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की अवधारणा 349
- क्रय शक्ति समता और सकल घरेलू उत्पाद 349

20. आधारिक संरचना 350–368

- ऊर्जा अवसंरचना 353
- सड़क अवसंरचना 355
- रेलवे अवसंरचना 357
- विमानन अवसंरचना 360
- बंदरगाह और जलमार्ग अवसंरचना 363

21. लॉजिस्टिक्स क्षेत्र 369–375

- लॉजिस्टिक्स: उद्देश्य 369
- लॉजिस्टिक्स: तथ्य एवं आँकड़े 369
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का महत्व 370
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के मुद्दे और चुनौतियां 370
- सरकार द्वारा उठाए गए कदम 372
- प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन 373
- नया राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कानून 373
- असम में बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क 374
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) 2022 375
- एकीकृत लॉजिस्टिक्स अंतरफलक मंच 375

22. निवेश मॉडल 376–388

- निवेश का परिचय और अवधारणा 376
- आजादी के बाद से भारत में निवेश मॉडल का इस्तेमाल 376
- वर्तमान स्थिति 377
- प्रमुख प्रयुक्त निवेश मॉडल 377
- सोलो स्वान मॉडल 377
- फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल 377
- राव-मनमोहन मॉडल 377
- अर्थव्यवस्था में निवेश का महत्व 378
- निवेश को प्रभावित करने वाले कारक 378
- निवेश के स्रोत 378
- निवेश प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले मॉडल 379
- क्षेत्र विशिष्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) 381
- क्लस्टर-आधारित निवेश मॉडल 383
- पीपीपी मॉडल पर पुनर्विचार और पुनरुद्धार पर विजय केलकर समिति की रिपोर्ट 383
- विदेशी निवेश मॉडल 384
- निवेश मॉडल के बाद भारत का स्थान 387
- नीति आयोग: 'नई INDIA @75 के लिए रणनीति' 388

23. भारत में कृषि क्षेत्र 389–458

- कृषि और संबद्ध क्षेत्र के बुनियादी मूलभूत सिद्धांत 389
- यूएन-एसडीजी और कृषि 390
- भारतीय संविधान और कृषि 390
- भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति 390
- भारत के लिए कृषि क्षेत्र का महत्व 391
- भारत में कृषि क्षेत्र के मुद्दे 391
- कृषि संकट के परिणाम 392
- खंडित भूमि जोत 393
- किसानों की आय दोगुनी करना: दलवई समिति और नीति आयोग 394
- कृषि उत्पादों के मूल्य में उतार-चढ़ाव की चुनौतियां 396
- किसान की आत्महत्या 397
- बागवानी क्षेत्र 398
- परिशुद्ध खेती 400
- वर्षा आधारित (शुष्कभूमि) कृषि 401
- शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (जेडबीएनएफ) 403
- एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) 404
- कृषि शिक्षा 405
- कृषि में अनुसंधान और विकास 407
- कृषि विस्तार 407
- कृषि यंत्रीकरण 408
- बीज उद्योग 410
- मूल्य श्रृंखला और ग्रामीण आधारभूत संरचना 411
- कृषि पर कोविड-19 का प्रभाव 411
- पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) 413
- भारत में सिंचाई प्रणाली 413
- सिंचाई प्रणाली के प्रकार 414
- सिंचाई का महत्व और आवश्यकता 415
- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली 415
- भारत में भूजल की कमी 419
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) 421

- फसल प्रणाली में चावल और गेहूं की उपज में गिरावट के कारण 424
- कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन 426
- कृषि उत्पाद का परिवहन 429
- कृषि उत्पाद का विपणन 430
- कृषि विपणन का विनियमन: एपीएमसी 432
- कृषि निर्यात 435
- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) 437
- कृषि ऋण और वित्त 439
- किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता की स्थिति 439
- कृषि वित्त और संबद्ध मुद्दे 440
- फसल बीमा 442
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान से संबंधित मुद्दे 443
- प्रत्यक्ष कृषि अनुदान 444
- अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान 445
- भारतीय अनुदान व्यवस्था 445
- कृषि अनुदान के सकारात्मक प्रभाव 446
- कृषि अनुदान के निहितार्थ 447
- अनुदान ने भारत में विकृतियों का नेतृत्व किया ... 447
- आगे बढ़ने के विकल्प 448
- खाद्य अनुदान: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 448
- प्रत्यक्ष नकद अंतरण/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) 449
- विश्व व्यापार संगठन और अनुदान व्यवस्था 450
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 451
- एमएसपी शासन का महत्व और लाभ 452
- एमएसपी और फसल पैटर्न के बीच सहसंबंध 453
- एमएसपी शासन से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियां 454
- नीति आयोग द्वारा मूल्य कमी भुगतान (पीडीपी) योजना 455
- किसानों पर राष्ट्रीय आयोग: स्वामीनाथन समिति (2004) की सिफारिशें 456
- खाद्य और कृषि नीति पर रमेश चंद्र समिति (2013) 457
- एमएसपी के विकल्प 457
- गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य 457

24. किसानों की सहायता हेतु ई-प्रौद्योगिकी ... 459–464

- कृषि में ई-प्रौद्योगिकी को अपनाने का महत्व 459
- किसानों के लिए ई-प्रौद्योगिकी का उपयोग 460
- कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) 460
- कृषि में ई-प्रौद्योगिकी से संबंधित पहल 461
- किसानों और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी से जुड़ी राज्य-स्तरीय पहल 462
- केस स्टडी और सर्वोत्तम प्रथाएं 463
- कृषि में ई-प्रौद्योगिकी को अपनाने में चुनौतियां और बाधाएं 463

25. हरित क्रांति 465–470

- परिचय और पृष्ठभूमि 465
- हरित क्रांति की आवश्यकता 465
- हरित क्रांति के घटक 465
- हरित क्रांति के चरण 466
- हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव 466
- हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव 467
- मामलों का अध्ययन: पंजाब क्षेत्र 467
- संधारणीय आजीविका के लिए द्वितीय हरित क्रांति 468
- पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई) 469
- चार स्तंभ जो हरित क्रांति 2.0 को सक्षम बनाएंगे 469
- सदाबहार क्रांति 470
- हरित क्रांति(भारत) के अन्तर्गत योजनाएं 470

26. पशुपालन का अर्थशास्त्र 471–480

- पशु/पशुधन पालन का परिचय 471
- पशु पालन का उद्देश्य 471
- भारत में पशु पालन अर्थव्यवस्था की क्षमता 471
- 20वीं पशुधन गणना 472
- पशु पालन का महत्त्व/आवश्यकता 472
- पशुधन विकास में चुनौतियाँ 473
- पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु उपाय 473
- नीति आयोग: इंडिया/75 पशुपालन पर सिफारिशें 474
- बजट घोषणाएँ 2022-23 474
- पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण पहलें 475
- गरीबी उन्मूलन रणनीतियों की कुंजी के रूप में पशुधन क्षेत्र 476
- पशुपालन क्षेत्र-2020 के लिये आत्म निर्भर भारत पैकेज 476
- निष्कर्ष 477
- मत्स्य क्षेत्र: नीली क्रांति 477
- डेयरी क्षेत्र: श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड) 478

27. भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग 481–491

- खाद्य प्रसंस्करण का परिचय 481
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति 481

PW UPSC WALLAH

- खाद्य प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के प्रकार..... 482
- खाद्य प्रसंस्करण का दायरा 482
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का महत्व 482
- खाद्य प्रसंस्करण के प्रमुख खंड..... 483
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं..... 483
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में बाधाएँ/समस्याएं..... 484
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक समाधान/उपाय 485
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल..... 486
- भारत में गुलाबी क्रांति 487
- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति (2021)..... 488
- नीति आयोग: खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर भारत @ 75 NITI AAYOG 489
- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन..... 490

28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली.....492–501

- परिचय 492
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पृष्ठभूमि 492
- पीडीएस के उद्देश्य 492
- पीडीएस का महत्व..... 492
- पीडीएस की कार्यप्रणाली 493
- भारत में पीडीएस से जुड़े मुद्दे..... 493
- पीडीएस के लिए सुधार..... 494
- पीडीएस की दक्षता में सुधार के उपाय..... 495
- खाद्य सुरक्षा..... 495
- वैश्विक भुखमरी सूचकांक..... 496
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013..... 496
- एनएफएसए रैंकिंग 2022..... 498
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय पहल 498
- केस स्टडी: बोल्सा फैमिलिया (ब्राजील)..... 498
- वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 499
- बफर मानदंड..... 499
- सुरक्षित भंडार 501
- निष्कर्ष 501

29. औद्योगिक क्षेत्र 502–530

- उद्योगों का वर्गीकरण..... 502
- औद्योगिक क्षेत्र की संरचना..... 503
- 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित तथ्य और आंकड़े..... 503
- भारत में औद्योगिक नीतियाँ..... 503
- 1991 से पूर्व की अधिकांश नीतियों की प्रमुख विशेषतायें-..... 506
- नवीन औद्योगिक नीति (एनआईपी) 1991..... 507
- 1991 की नई औद्योगिक नीति के अवगुण..... 508
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम..... 509
- विनिवेश..... 511
- वर्तमान विनिवेश नीति (2021-22) 513
- विशेष आर्थिक क्षेत्र..... 514
- आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 516
- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण..... 516
- एमएसएमई क्षेत्र..... 518
- औद्योगिक क्रांति 4-0..... 520
- औद्योगिक गलियारा..... 522
- राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड)..... 523
- स्टील उद्योग..... 524
- एल्यूमीनियम उद्योग..... 524
- परिधान तथा जूते के क्षेत्र..... 525
- व्यापार करने में आसानी 526
- व्यापार करने में आसानी 2-0..... 527
- श्रम कानून सुधार : श्रम संहिता 528
- औद्योगिक क्षेत्र के वर्तमान मुद्दे..... 529
- औद्योगिक क्षेत्र के लिए योजनाएँ तथा पहल 529

30. सेवा क्षेत्र.....531–537

- सेवा क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र..... 531
- सेवा क्षेत्र का महत्व..... 531
- सेवा क्षेत्र की उच्च वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक..... 531
- चैंपियन सेवा क्षेत्र..... 531
- सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन..... 532
- सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन सेवाएं..... 534
- संचार क्षेत्र 534
- उपस्कर क्षेत्र..... 535
- बंदरगाह और शिपिंग सेवाएं..... 535
- सेवा क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियां..... 535
- सरकार की पहलें 536

31. भारत में आर्थिक सुधार.....538–547

- विकास रणनीतियों के विभिन्न प्रकार 538
- आर्थिक सुधार लोकप्रिय हुए..... 539
- भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता..... 539
- सुधारों की प्रकृति..... 540
- क्या सुधार स्वैच्छिक थे या अनिवार्य?..... 540

- उस समय इन सुधारों से संबंधित आशंकाएं क्या थीं? 540
- ये सुधार मूल रूप से दो श्रेणियों के अंतर्गत किये गए थे 540
- आर्थिक सुधारों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव 540
- आर्थिक सुधार के संदर्भ में राज्य की भूमिका को पुन: परिभाषित करना 541
- भारत बनाम चीन: एक तुलनात्मक अध्ययन 541
- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधार 542
- आर्थिक सुधारों की पीढ़ियां 543
- भारत में आर्थिक सुधारों की समीक्षा 545
- आर्थिक सुधारों का अधूरा एजेंडा 545
- परिवर्तनकारी सुधार आर्थिक विकास पर केंद्रित 547

32. भारत में भूमि सुधार 548–556

- परिचय 548
- भारत में भूमि संरचना 548
- भूमि सुधार के उद्देश्य 548
- भूमि सुधारों के चरण 549
- भूमि सुधारों की जरूरत 549
- भारत में भूमि सुधारों की सफलता 549
- भारत में भूमि सुधारों की विफलताओं के कारण 550
- भूमि सुधारों के फायदे 550
- भूमि सुधारों की कमियां 550
- भूमि सुधारों में बाधाएं 551
- महिलाएं और भूमि अधिकार 552
- मॉडल किरायेदारी अधिनियम 2021 553
- नीति आयोग एक्शन एजेंडा: कृषि भूमि नीति-पट्टे और रिकॉर्ड 554
- भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण 554
- भूमि सुधार और कृषि उत्पादकता 555

33. भारत में मानव विकास 557–567

- मानव विकास का अर्थ 557
- मानव विकास के आयाम 557
- मानव विकास हेतु दृष्टिकोण 557
- मानव विकास को मापना 558
- मानव पूंजी बनाम मानव विकास 563
- जनसांख्यिकीय लाभांश 564
- केंद्रीय बजट 2022: सर्व समावेशी कल्याण केन्द्रित 566

34. ब्रेटन वुड्स संस्थान 568–580

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) 568
- विश्व बैंक और विश्व बैंक समूह 574

35. विश्व व्यापार संगठन 581–590

- विश्व व्यापार संगठन के विकास का परिचय और समयरेखा 581
- विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य 581
- विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली 582
- विश्व व्यापार संगठन की शासी संरचना 582
- विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत 583
- विश्व व्यापार संगठन के साथ मुद्दे और चुनौतियाँ 584
- विश्व व्यापार संगठन और अनुदान व्यवस्था 585
- विश्व व्यापार संगठन की अनुदान का वर्गीकरण 585
- कृषि पर समझौता (AOA) 586
- बाजार तक पहुंच 586
- घरेलू अनुदान 586
- निर्यात सब्सिडी 587
- विश्व व्यापार संगठन के तहत पीस क्लॉज़ 587
- मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा 587
- बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS) 588
- भौगोलिक संकेत (GI) 589
- भारत की व्यापार चिंताएं और विश्व व्यापार संगठन 589
- विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि 589
- निष्कर्ष 590

36. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान 591–596

- एशियाई विकास बैंक 591
- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) 592
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 593
- ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) 595

PW UPSC WALLAH

1 अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएँ

अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच अंतर

- जब लोग अर्थव्यवस्था में सामाजिक गतिविधि के रूप में वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक,उत्पादन,व्यापार, वितरण और उपभोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक साथ आते हैं; तो **इसे अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है।** यह संपूर्ण गतिविधि वस्तुओं को खरीदने और बेचने या विनिमय (एक वस्तु या सेवा का दूसरे के बदले आदान-प्रदान) के लिए संपन्न की जाती है।
- दूसरी ओर, अर्थशास्त्र एक शैक्षणिक विषय है जो सामान्य रूप से आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है और दुर्लभता/अभाव होने पर भी इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह **Oikos** (परिवार, घर, संपत्ति) और **Nomos** (कानून या मानदंड) को मिला कर बना है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री लियोनेल **रॉबिन्स** के अनुसार, अर्थशास्त्र **'दुर्लभता का विज्ञान' है।**

अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों?

- अर्थव्यवस्था **अभाव पर आधारित** विषय है। चूँकि संसाधन (भोजन, भूमि, ईंधन, धन आदि) सीमित या दुर्लभ होते है, जबकि जरूरतें अंतहीन या असीमित होती हैं।
- ऐसे में **उपलब्ध संसाधनों के साथ जरूरतों को संतुलित करना महत्वपूर्ण है।** अर्थव्यवस्था हमें तर्कसंगत रूप से दुर्लभ संसाधनों का प्रबंधन करने और प्राथमिकताएं तय करने में सक्षम बनाती है।
- आर्थिक तर्कसंगतता में अब उत्पादन, वितरण और खपत के पारंपरिक अध्ययनों के साथ न्यायसंगतता **(equity)** और धारणीयता **(sustainability)** भी शामिल है।
- अर्थशास्त्र का प्रारंभिक केंद्रबिंदु केवल किसी भी तरह से सम्पत्ति के निर्माण पर था जबकि उस समय मानवीय आयाम अनुपस्थित था।
- इसने विपन्नता और असमानता की स्थिति उत्पन्न की है। अत्यधिक काम और कम वेतन वाली आबादी, काम की अमानवीय स्थितियाँ आदि एक गंभीर मुद्दा थीं।
- कुछ समय बाद, जब समाज समृद्ध हुआ और लोकतंत्र मजबूत हुआ; **अर्थशास्त्र का मुख्य ध्यान कल्याण पर केन्द्रित हो गया।**

अर्थशास्त्र और इसके उपखंड

- **उपभोग:** यह आर्थिक गतिविधि का शुरुआती बिंदु है क्योंकि यह मांग को निर्धारित करता है। अधिशेष और घटती सीमांत उपयोगिता के साथ उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर मांग से निपटा जाता है।
- **उत्पादन:** यह वह प्रक्रिया है जिसमें इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। इसमें उत्पादन के कारक, अर्थात् भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन शामिल हैं। यह इनपुट और आउटपुट के बीच संबंधों को भी संबोधित करता है।
- **विनिमय:** यह विभिन्न बाजारों में मूल्य के निर्धारण से संबंधित है। इसमें व्यापार और वाणिज्य शामिल हैं। उपभोग उत्पाद पर निर्भर करता है जो उपभोक्ता पर जाकर समाप्त होता है।
- **वितरण:** किसी भी प्रकार का उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन का परिणाम है। उत्पादन के ये चार कारक संपत्ति में हिस्सेदारी रखते हैं। इस उप-विभाजन में उत्पादन के कारकों (किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ) और उनकी कीमतों के प्रतिफल का अध्ययन किया जाता है।

सकारात्मक अर्थशास्त्र और मानक/नियामक अर्थशास्त्र की अवधारणा

- **अर्थशास्त्र को कला और विज्ञान दोनों के रूप में माना जाता है।**
- सकारात्मक अर्थशास्त्र तथ्यों का विश्लेषण करता है जैसे वे होते हैं और कारणों की जांच करता है। उदाहरण के लिए, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि क्यों हुई है?
- जबकि, नियामक अर्थशास्त्र प्रकृति में निर्देशात्मक है। यह बताता है कि 'वस्तुओं की कीमतें क्या होनी चाहिए? इसलिए यह व्यक्तिपरक है और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों पर निर्भर करता है।
- इस प्रकार, सकारात्मक अर्थशास्त्र 'कैसे' और 'क्यों' से संबंधित है। जबकि नियामक 'क्या होना चाहिए' से संबंधित है।

सकारात्मक अर्थशास्त्र के उदाहरण	नियामक अर्थशास्त्र के उदाहरण
• एक अर्थव्यवस्था में धन के अंत:क्षेपण से कीमतें बढ़ जाएंगी। • बेहतर सिंचाई और उर्वरक पहुँच से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। • बढ़ती जन्म दर और घटती मृत्यु दर का अर्थ है कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है।	• एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अपस्फीति से बेहतर है। • सरकार को अर्थव्यवस्था में असमानताओं को कम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। • यदि एक कम विकसित अर्थव्यवस्था विलासिता और हानिकारक उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन की तरफ बढ़ रही है; तो यह वांछनीय नहीं है।

समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र

- **महामंदी (1930 के दशक)** ने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया- समष्टि और व्यष्टि।
- सबसे पहले समष्टि जो मुख्यत: बड़े पैमाने पर शामिल मुद्दों से प्रभावित होता था, प्रभाव में आया।
- **जॉन मेनार्ड कीन्स** को समष्टि अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है।
- बेहतर समझ के लिए, यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र जंगल में एक वृक्ष है, तो समष्टि अर्थशास्त्र पूरा जंगल।

व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व:

व्यष्टि अर्थशास्त्र	• यह हमें एक अर्थव्यवस्था के संचालन को समझने में मदद करता है। • यह नीति और निर्णय लेने के लिए उपकरण प्रदान करता है। • यह अर्थव्यवस्था में आर्थिक कल्याण के स्तर को समझने में मदद करता है। • यह संसाधनों के कुशल उपयोग और आवंटन में मदद करता है। • व्यष्टि आर्थिक अध्ययनों के आधार पर भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं।
समष्टि अर्थशास्त्र	• यह **बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था के कामकाज को समझने में मदद करता है।** • यह **अर्थव्यवस्था में बुनियादी समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त रणनीति विकसित करने में** मदद करता है। • इसके द्वारा भविष्य की समस्याओं और जरूरतों को समझ सकते हैं और तदनुसार रणनीति बना सकते हैं। • तुलना और विभिन्न आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण कर सकते हैं। • इसके अध्ययन से भविष्य के संकटों से बचने और भविष्यवाणी करने में मदद मिल सकती है।

व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर:

व्यष्टि अर्थशास्त्र	समष्टि अर्थशास्त्र
• यह पूरी अर्थव्यवस्था के छोटे घटकों को ध्यान में रखता है। • यह व्यक्तिगत एजेंटों के मामलों से संबंधित है। जैसे कि एक उपभोक्ता या निर्माता एक निश्चित निर्णय क्यों लेता है। • अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण। • व्यष्टि अर्थशास्त्र को 'प्राइस योरी' के नाम से भी जाना जाता है। • उदाहरण के लिए यह उपभोक्ता के विकल्पों और उनके निर्णयों को समझने की कोशिश करेगा। • कीमतों को कैसे निर्धारित किया जाता है, के सिद्धांतों से विकसित हुआ। • यहाँ कोई प्रतिस्पर्धी विचारधारा नहीं है।	• समष्टि अर्थशास्त्र समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का अध्ययन है। • अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए टॉप-डाउन दृष्टिकोण। • समष्टि अर्थशास्त्र को 'आय सिद्धांत' के रूप में भी जाना जाता है। • उदाहरण के लिए यह राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, गरीबी, असमानता, निवेश और बचत, पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, विनिमय दर और आर्थिक विकास की गतिशीलता को समझने की कोशिश करेगा। • समष्टि अनुभवजन्य टिप्पणियों पर आधारित है जिनकी केवल सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सकते। • इसमें एक प्रतिस्पर्धी विचारधारा है जैसे- न्यू केनेसियन या क्लासिकल।

- **व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों अन्योन्याश्रित और पूरक हैं क्योंकि इनमें कई अतिव्यापी या परस्पर जुड़े हुए मुद्दे हैं।** उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति में वृद्धि से कच्चे माल में वृद्धि होगी जिससे मूल्य वृद्धि होगी जिसका उपभोक्ताओं को भुगतान करना होगा। इसी प्रकार, कर, उपकर और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति आदि।
- **मेसो-अर्थशास्त्र,** समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के मध्यवर्ती स्तर का अध्ययन करता है। जैसे ऑटो सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि।
- इस व्यस्था में विचार और दृष्टिकोण के कई विभाग हैं। हाल ही में, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र और वहनीयता भी सिद्धांतों के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं।

आर्थिक एजेंट या इकाइयाँ

- ये ऐसे व्यक्ति या संस्थान हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं।
- उपभोक्ता तय करते हैं कि वे किन वस्तुओं और सेवाओं का और कितनी मात्रा में उपभोग करते हैं।
- जबकि, उत्पादक यह तय करते हैं कि वे कौन-सी और कितनी मात्रा में वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं। ये दोनों आर्थिक एजेंट या इकाइयाँ हैं।
- ये सरकारें, निगम, बैंक आदि भी हो सकते हैं जो ब्याज दरें, कराधान, निवेश आदि तय कर सकते हैं।

अर्थशास्त्र अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण

1. राजनीतिक अर्थशास्त्र:

- इस दृष्टिकोण के अनुसार, **राजनीति और अर्थशास्त्र का एक साथ अध्ययन किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि एक विशेष सार्वजनिक नीति एक निश्चित दिशा क्यों लेती है।**
- उदाहरण के लिए, **भूमि सुधार एक राजनीतिक निर्णय हो सकता है; लेकिन इसका प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति,** कृषि, निवेश, आजीविका आदि पर भी पड़ता है।
- यह दृष्टिकोण **हमें यह समझने में मदद करता है कि एक निश्चित निर्णय क्यों लिया गया था और इसके पीछे का संदर्भ क्या था।** उदाहरण के लिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का विकास एक आर्थिक प्रणाली के रूप में यूएसएसआर और साम्यवाद के पतन के आस-पास हुआ।
- **चीन में,** राजनीतिक प्रणाली अर्थव्यवस्था की प्राथमिकताओं और नीतियों को तय करती है। राजनीति मूल्य निर्धारित करती है लेकिन अर्थशास्त्री कीमतें निर्धारित करते हैं।

2. उदार और नव-उदारवादी अर्थशास्त्र:

- **एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था में 'अदृश्य हाथ' (Invisible Hand) के विचार का प्रस्ताव दिया;** अर्थात अपने स्वयं के हित के लिए काम करने वाले लोग अनैच्छिक रूप से सामाजिक लाभ और सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं।
- **आर्थिक तर्कसंगतता:** यह दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि व्यक्ति एक आर्थिक प्रणाली के भीतर तर्कसंगत निर्णय लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्व-हित सभी के लिए एक सामान्य हित बन जाता है।
- **राज्य की भूमिका:** उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर, एडम स्मिथ ने कहा कि राज्य को बुनियादी ढांचे, रक्षा, न्यायपालिका आदि जैसी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए खुद को सीमित करना चाहिए।
- **लेसेज फेयर दृष्टिकोण (Laissez-faire approach):** अर्थव्यवस्था को बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। (फ्रेंच अर्थ- लोगों को अपनी इच्छानुसार करने देना)।
- **20 वीं शताब्दी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका किसी उदार अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है।** जबकि मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन और एलपीजी (उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) सुधारों के बाद भारत नव-उदारवादी अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं:	• **संपत्ति का निजी स्वामित्व और उत्तराधिकार का कानून :** भूमि, पूंजी, मशीन, खान आदि जैसे सभी संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं और वे अपनी इच्छा के अनुसार इनका उपयोग, रखरखाव, बिक्री कर सकते हैं। यह संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित की जा सकती है।
	• **पसंद और उद्यम की स्वतंत्रता :** व्यक्ति अपनी पसंद के स्थान पर किसी भी व्यापार या व्यवसाय को कर सकते हैं। इसी तरह, उपभोक्ता अपनी इच्छा के अनुसार उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।
	• **मुख्य उद्देश्य लाभ:** प्रत्येक निर्माता का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। यह सभी आर्थिक गतिविधियों के पीछे की ताकत है।
	• **निशुल्क प्रतिस्पर्धा :** खरीदारों और विक्रेताओं की पसंद पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह उन्हें बाजार में खरीदने और बेचने से नहीं रोक सकती है। उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है।
	• **मूल्य तंत्र :** बाजार की शक्तियाँ यानी मांग और आपूर्ति कीमतों को निर्धारित करती हैं।

	• **सरकार की भूमिका :** यह केवल रक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करती है और इसकी बहुत सीमित भूमिका होती है।
	• **आय की असमानता :** यह देखा गया है कि अमीर और अमीर हो जाते हैं एवं गरीब और गरीब जिससे आर्थिक असमानताएं बढ़ जाती हैं।
गुण:	• **कम सरकारी हस्तक्षेप:** बाजार की ताकतें प्रभावी होती हैं और व्यक्ति पर नियंत्रण होता है।
	• **उत्पादन के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग:** चूंकि इसका उद्देश्य लाभ होता है, इसलिए नुकसान से बचने के लिए संसाधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाता है।
	• **कड़ी मेहनत को प्रोत्साहित करता है:** अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करने और लाभ को अधिकतम करने के लिए।
	• **आर्थिक प्रगति:** उत्पादन और उत्पादकता बहुत अधिक है और इसलिए पूंजीवादी देशों में उच्च जीवन स्तर है।
	• **उपभोक्ता को महत्व दिया जाता है:** उपभोक्ता संतुष्टि हर निर्माता का अंतिम लक्ष्य होता है।
	• **पूंजी निर्माण की उच्च दरें:** बचत अंततः संसाधनों के उत्पादन के लिए निवेश का कारण बनती है। इस प्रकार, पूंजी उत्पादन तेजी से होता है।
	• **नई तकनीकी का विकास:** बाजार पर प्रभुत्व को बनाए रखने और उत्पादन में सुधार करने के लिए; नई तकनीकी नियमित रूप से विकसित की जाती है।
अवगुण:	• **लाभ अधिकतम:** पर्यावरण या समाज के हितों पर ध्यान दिये बिना लाभ को महत्त्व दिया जाता है द्य
	• **व्यापार चक्र:** बाजार की विफलता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यानी, मुक्त बाजार में नकारात्मक प्रभाव के साथ वस्तुओं और सेवाओं का प्रभावहीन वितरण।
	• **सूचना/जानकारी में असमानता:** सूचना सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध या सुलभ नहीं होती है। इस प्रकार, आर्थिक तर्कसंगतता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होगी।
	• **वस्तुओं की बर्बादी और हानिकारक वस्तुएं :** उत्पादों के दोहराव से संसाधनों की बर्बादी होती है। यहाँ तक कि यदि हानिकारक वस्तुओं की मांग है तो उनका भी उत्पादन किया जाता है।
	• **वर्ग आधारित समाज:** आय के आधार पर समाज का वृहद् स्तरीकरण पूंजीपतियों और श्रमिकों के रूप में किया गया है।

- उपरोक्त सीमाओं ने बड़े पैमाने पर असमानताएं और गरीबी पैदा की है। लेकिन साम्यवादी मॉडल के विफल होने के बाद 20वीं शताब्दी के अंत में उदारवाद के विचारों ने वापसी की जिसे **नव-उदारवाद** कहा गया।
- संक्षिप्त रूप में इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है- **'वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है'।**
- कोविड महामारी के परिणामस्वरूप आर्थिक संकट के बाद; निजीकरण की नव-उदारवादी नीतियों और प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की कम भूमिका पर फिर से प्रश्न उठाए जा रहे हैं।

3. कीनेसियन अर्थशास्त्र:

- यह **उन्हीं सिद्धांतों के आसपास केंद्रित है जो उदारवादी विचारधारा में शामिल हैं, लेकिन आवश्यक होने पर राज्य का हस्तक्षेप** एक **महत्वपूर्ण अंतर** है।
- **पंप प्राइमिंग:** गिरावट या मंदी की अवधि के दौरान राज्य से आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने की आशा की जाती है। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ ($275 बिलियन) के **आत्मनिर्भर भारत पैकेज** की घोषणा की है।
  - सरकार से आर्थिक गतिविधियों के लिए कुछ निश्चित क्षेत्रों पर खर्च करने की आशा की जाती है जो निजी निवेश आकर्षित करेगा, नौकरियाँ पैदा करेगा और मांग एवं व्यापार में वृद्धि करेगा। **उदाहरण के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना या मनरेगा।**
  - ऋण में वृद्धि के लिए केंद्रीय बैंक से ब्याज दरों को कम करने की आशा की जाती है जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है; मांग और आपूर्ति जो कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी।
- यह दृष्टिकोण एक **स्थापित दृष्टिकोण (Time&Tested Approach)** है और **2008 के संकट के बाद विश्व स्तर पर उपयोग में लाया** गया था।

4. समाजवादी और साम्यवादी अर्थशास्त्र:

- **साम्यवादी अर्थशास्त्र:** यहाँ, निजी संपत्ति की अवधारणा मौजूद नहीं होती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सरकार के हाथों में होती है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ, क्यूबा, चीन, लाओस आदि।

- **समाजवादी अर्थशास्त्र:** यह मानता है कि आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सरकार के हाथों में होना चाहिए। इस दृष्टिकोण का मानना है कि उत्पादन के साधन आंशिक रूप से श्रमिकों के नियंत्रण में रहें। उदाहरण के लिए एलपीजी सुधार से पहले भारत, नेपाल आदि।
- **समाजवादी अर्थशास्त्र का एक उदाहरण नेहरूवादी अर्थशास्त्र है।**
  - राज्य के पास बुनियादी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है - बैंकिंग, बुनियादी ढांचा, संचार आदि।
  - इसने सामाजिक-आर्थिक नियोजन को केंद्रीकृत किया है।
  - भारत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पूंजीवादी मॉडल के साथ हमारा अनुभव खराब था और हमारे पास निजी क्षेत्र का अभाव था।
  - इसके अलावा, प्रधानमंत्री नेहरू चाहते थे कि भारत एक कल्याणकारी राज्य बने। सोवियत संघ की 'नियोजित अर्थव्यवस्था' **(Planned Economy)** मॉडल उस समय अच्छी तरह से काम कर रही थी।

समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं:	• **उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व:** उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है।
	• **केंद्रीय योजना:** सभी प्रमुख निर्णय टॉप-डाउन तरीके से और एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लिये जाते हैं, उदाहरण के लिए भारत में योजना आयोग, चीन में पोलित ब्यूरो।
	• **अधिकतम सामाजिक लाभ:** धन का वितरण एक प्रमुख लक्ष्य होता है धन उत्पादन नहीं।
	• **प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व नहीं:** उपभोक्ताओं के पास सीमित विकल्प होता है।
	• **कीमत तंत्र की अनुपस्थिति:** कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, न कि बाजार द्वारा।
	• **आय की समानता:** निजी संपत्ति और उत्तराधिकार का कानून या तो अत्यधिक विनियमित होता है या बिल्कुल मौजूद नहीं।
	• **अवसर की समानता:** मुफ्त स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं समान अवसर सुनिश्चित करती हैं।
	• **वर्गहीन समाज:** राज्य की दृष्टि में आर्थिक स्थिति के मामले में हर व्यक्ति समान है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण:	• **असमानताओं में कमी:** अमीरों द्वारा गरीबों और संसाधनों के शोषण की अनुमति नहीं होती है।
	• **संसाधनों का तर्कसंगत आवंटन:** केंद्रीय प्राधिकरण वितरण की योजना बनाता है जिससे बर्बादी कम होती है।
	• **वर्ग संघर्षों की अनुपस्थिति:** अमीर और गरीब के बीच कोई संघर्ष नहीं है क्योंकि समाज वर्गहीन होता है।
	• **व्यापार चक्रों का अंत:** कम आर्थिक उतार-चढ़ाव क्योंकि आर्थिक विकास की योजना एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाई जाती है।
	• **सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है:** धन/संपत्ति वितरण राज्य द्वारा निष्पक्ष तरीके से किया जाना होता है।
समाजवादी अर्थव्यवस्था के अवगुण:	• **लालफीताशाही:** अक्षमता, भ्रष्टाचार और पक्षपात के कारण देरी होती है।
	• **प्रोत्साहन की अनुपस्थिति:** कड़ी मेहनत करने का बहुत कम लाभ है क्योंकि राज्य प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं देता है और मुनाफे को हतोत्साहित किया जाता है।
	• **चुनने की सीमित स्वतंत्रता:** उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के पास कम विकल्प होता है क्योंकि राज्य मांग और आपूर्ति निर्धारित करता है।
	• **शक्ति का सकेंद्रण :** स्थानीय सशक्तिकरण और प्रतिनिधित्व अनुपस्थित होता है।
	• **सेवा की खराब गुणवत्ता:** धन/संपत्ति का सृजन धीमा और बहुत कम होता है इस प्रकार प्रौद्योगिकी विकास और कुशल शासन प्रभावित होता है।

5. मिश्रित अर्थव्यवस्था:

- **यहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह-अस्तित्व में होते हैं और आर्थिक विकास की दिशा में एक साथ कार्य करते हैं।** यह पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का संयोजन है। यह दोनों की बुराइयों को खत्म करने और पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के सकारात्मक विकल्पों को चुनने की प्रवृत्ति रखता है।
- उदाहरण के लिए भारत, चीन, वियतनाम और यहाँ तक कि पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं जिनके पास कल्याणकारी कार्यक्रम हैं।

मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं:	• **संपत्ति और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व:** सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व। हालांकि निर्णय लेने में राज्य का पलड़ा भारी होता है।
	• **सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह-अस्तित्व में हैं:** निजी क्षेत्र उन उद्योगों से सम्बद्ध है जहाँ उद्देश्य लाभ होता है जबकि सरकार उन क्षेत्रों से सम्बद्ध है जो जन कल्याण सुनिश्चित करते हैं।
	• **आर्थिक नियोजन:** राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए नियोजन।
	• आर्थिक समस्याओं का समाधान: कीमत तंत्र और राज्य हस्तक्षेप इस समस्या को हल करता है कि कितना, क्या और किसके लिए उत्पादन करना है और उसे कैसे वितरित करना है।
	• **स्वतंत्रता और नियंत्रण:** निजी क्षेत्र को कितनी स्वतंत्रता मिलेगी, इस पर राज्य का अंतिम रूप से नियंत्रण होता है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण:	• **तेज आर्थिक विकास:** यह सार्वजनिक और निजी दोनों लक्ष्यों (कल्याण और लाभ) की पूर्ति की अनुमति देता है।
	• **संतुलित आर्थिक विकास:** विभिन्न क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है क्योंकि राज्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह असंबद्ध नहीं है।
	• **संसाधनों का उचित उपयोग:** सरकार नियंत्रित करती है कि निजी क्षेत्र का कितना विस्तार होना चाहिए। इस प्रकार, जब भी आवश्यकता होती है, राज्य उचित निर्णय लेता है।
	• **आर्थिक समानता:** कराधान प्रगतिशील है और धन का वितरण बेहतर है।
	• **अन्य लाभ:** सरकार श्रम कानूनों, कराधान, सब्सिडी आदि के माध्यम से गरीब और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करती है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था के अवगुण:	• **समन्वय का अभाव:** चूंकि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अलग-अलग उद्देश्य हैं; अत: समन्वय कठिन होता है।
	• **प्रतिस्पर्धी रवैया:** सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र सहयोग की तुलना में प्रतिस्पर्धा अधिक करते हैं।
	• **अक्षमता:** सुस्त नौकरशाही, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार व्यवस्था को अक्षम बनाते हैं।
	• **राष्ट्रीयकरण का डर:** निजी भागीदारों को प्रौद्योगिकी उन्नयन और बड़े निवेश करने से हतोत्साहित करता है।
	• **बढ़ती असमानता:** चूंकि संसाधनों के स्वामित्व, उत्तराधिकार कानूनों और निजी संपत्तियों की अनुमति होती है इसलिए असमानताएँ अधिक हैं।

6. गांधीवादी अर्थशास्त्र:

- यह धन के वितरण और आर्थिक प्रबंधन के बारे में महात्मा गांधी के विचारों के **एक सेट/समुच्चय पर आधारित है।**
- यद्यपि यह **आंतरिक रूप से समाजवादी है; लेकिन एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण की सिफारिश नहीं करता है।**
- यह श्रम की समान भागीदारी और कुछ नैतिक सुझावों के आधार पर **विकेंद्रीकृत विकास का समर्थन** करता है।
- यह **स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की सिफारिश करता है जहाँ स्थानीय संसाधन स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हैं** और रोजगार हर जगह समान रूप से उपलब्ध होता है।
- यह **सामान्यत: मशीनों के उपयोग पर आपत्ति नहीं करता है, लेकिन उन प्रौद्योगिकियों के खिलाफ है जो श्रम की जगह लेते हैं।**
- गांधी **टॉल्सटॉय और जॉन रस्किन** से प्रभावित थे जब उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को आय के लिए कुछ श्रम करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने शारीरिक श्रम को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखा।
- **'ट्रस्टीशिप'** गांधी का एक अन्य सिद्धांत है। इसके अनुसार, पर्याप्त व्यक्तिगत आवश्यकताओं या निवेश के लिए बचत के बाद, स्वामित्व/मालिक को गरीब के कल्याण के लिए अधिशेष का ट्रस्ट बनाना चाहिए।

7. विकासात्मक अर्थशास्त्र:

- प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक और प्रसन्नता सूचकांक के आधार पर राष्ट्रों को विकसित, विकासशील और अविकसित समूहों में विभाजित किया गया है।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों को खराब अर्थव्यवस्था और बड़ी आबादी विरासत में मिली जो गरीबी से त्रस्त थी।

- इन देशों के पास निजी क्षेत्र नहीं था और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास कोई मॉडल नहीं था।
- निजी या सार्वजनिक या दोनों के मिश्रण के माध्यम से यह विचारधारा **स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित** थी।
- इसके कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री **अमर्त्य सेन, ज्यां द्रेज, जोसेफ स्टिग्लिट्ज** और **जेफरी सैक्स हैं।**

बीजिंग आम सहमति या राज्य पूंजीवाद या विकास का चीन मॉडल

- यह **1978 के बाद से चीन के डेंग शियाओपिंग (Deng Xiaoping) द्वारा अपनाई गई नीतियों** को संदर्भित करता है जिसे **वाशिंगटन आम सहमति के विकल्प के रूप में** अग्रेषित किया गया था।
- इस आम सहमति का विचार **जोसुआ कूपर रेमो** द्वारा **2004** में प्रचारित किया गया था।
- यहाँ, **अधिनायकवादी राज्य** प्रमुख भागीदार होता है जो पूंजीवाद या बाजार अर्थव्यवस्था की अनुमति देता है और व्यवसायों को नियंत्रित करता है।
- **इस आम सहमति के तीन मुख्य स्तंभ हैं:**
  1. निरंतर प्रयोग और नवाचार।
  2. क्रमिक सुधारों के साथ शांतिपूर्ण, वितरणात्मक विकास।
  3. आत्मनिर्णय और चुनिंदा विदेशी विचारों का समावेश।
- यह ध्यान आकर्षित करता है कि जब पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही थीं तब चीन प्रगति कर रहा था। यह चीनी विशेषताओं के साथ पूंजीवाद है।
- कुछ विशेषज्ञों ने घोषणा की कि 'बाजार की मौत/अंत' **(Death of Market)** हुआ है। लेकिन चीन में आर्थिक विकास धीमा होने के साथ; अर्थशास्त्री इस मॉडल का आँख बंद करके पालन करने में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं।

आलोचना:

- जो आर्थिक मॉडल चीन के लिए सफल रहा जरुरी नहीं कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए काम करे।
- कुछ लोग संरक्षणवाद के उदय और वैश्वीकरण में कमी के लिए उन देशों को दोषी ठहराते हैं जो तेजी से विकास के लिए बीजिंग आम सहमति की ओर झुके थे।

वाशिंगटन आम सहमति

- यह **आईएमएफ, विश्व बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा सुझाया गया एक नीतिगत सुधार था।** इसने तत्काल मदद **के बजाए बाजार की ताकतों की भूमिका बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश** की।
- यह शब्द **पहली बार 1989 में जॉन विलियम्सन नामक एक अमेरिकी अर्थशास्त्री द्वारा गढ़ा** गया था। इसमें उन विकासशील देशों के लिए नीतिगत सुझाव थे जिन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता थी।
- **इसमें 10 सूत्रीय सुधार नीतियाँ थीं:**
  1. राजकोषीय घाटे से बचने के लिए राजकोषीय अनुशासन।
  2. उच्च आर्थिक रिटर्न और आय वितरण में सुधार की क्षमता दोनों की पेशकश करने वाले क्षेत्रों की ओर सार्वजनिक व्यय प्राथमिकताएं। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी ढांचा।
  3. सीमांत दरों को कम करने और कर आधार को व्यापक बनाने के लिए कर सुधार।
  4. बाजार के अनुसार ब्याज दर उदारीकरण।
  5. एक प्रतिस्पर्धी विनिमय दर
  6. व्यापार उदारीकरण
  7. एफडीआई प्रवाह का उदारीकरण
  8. निजीकरण
  9. विनियमन
  10. सुरक्षित संपत्ति अधिकार
- बाद के समय में, इसे **'नव-उदारवाद, बाजार रुढ़िवाद (Market Fundamentalism) और यहाँ तक कि वैश्वीकरण' जैसे शब्दों** से जोड़ा जाने लगा। इसे इस चरम विश्वास के रूप में देखा गया था कि बाजार सब कुछ संभाल सकते हैं।

प्रभाव:

- इसने **उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रक्रिया को** जन्म **दिया।**
- जो देश भुगतान संतुलन संकट के कारण आईएमएफ या विश्व बैंक से मदद मांगने गए थे; आर्थिक मामलों में राज्य की कम भूमिका और निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका के साथ समाप्त हुआ।
- इससे डब्ल्यूटीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के माध्यम से टैरिफ में कमी आई।
- देशों को उन उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए कहा गया जहाँ उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ था।

सीमाएं:

- मुक्त व्यापार केवल देशों के लिए तभी फायदेमंद होता है जब घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होते हैं। अन्यथा, यह हानिकारक है।
- एक ही तरीका सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ देश, राज्य के हस्तक्षेप से तेजी से और बेहतर विकास कर सकते हैं। जैसे चीन और वियतनाम।

- बुनियादी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने से पहले निजीकरण एक राष्ट्र को सीमित/कम उपभोक्ताओं वाला बना सकता और निवेशकों को निवेश से रोक सकता है क्योंकि आय का स्तर कम है। उदाहरण के लिए आईएमएफ के दबाव में बोलिविया ने अपने जल उद्योग का निजीकरण कर दिया और जिसके बाद कई लोग लंबे समय तक पानी का खर्च नहीं उठा पाए।
- बढ़ा हुआ विनियमन अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकता है। 2008 के सब-प्राइम संकट ने उन अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया जिन्होंने आवास बाजार में निवेश किया था।
- 1990 के दक्षिण पूर्व एशियाई आर्थिक संकट ने इन सिद्धांतों को अलोकप्रिय बना दिया क्योंकि इन देशों ने संप्रभु राष्ट्रों के लिए आर्थिक विकास की शर्तों को निर्धारित करने को अमेरिका के दखल के रूप में देखा।

भारत और वाशिंगटन आम सहमति:

- राजकोषीय मामलों में संतुलन बनाए रखना और व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना; भारत ने सूझबूझ और राजकोषीय मजबूती दिखाई है।
- इसे वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के पालन के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया था। (FRBM अधिनियम)
- लेकिन, महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर बहुत दबाव डाला। इसके चलते आईएमएफ और विश्व बैंक ने दुनिया भर की सरकारों को राजकोषीय घाटे के खतरों को दूर रखते हुए अधिक खर्च करने का सुझाव दिया।
- भारत ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करने के उपाय भी किए।
- यह एक विस्तारवादी राजकोषीय नीति है जिससे विकास में वृद्धि होने की आशा है।

नवीनतम रुझान:

- चूंकि महामारी ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अद्वितीय समस्याएं पैदा कीं; आईएमएफ और विश्व बैंक ने राजकोषीय समेकन से विचलन का सुझाव दिया। उन्होंने सरकारी खर्च बढ़ाने की सिफारिश की।
- भारत में ज्यादातर ब्याज दर की तुलना में उच्च विकास दर है। इस प्रकार; यह नीति विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी न कि कम करेगी। यह कर्ज-जीडीपी अनुपात में भी कमी करेगी।
- भारत के बुनियादी संकेतक मजबूत हैं और इस प्रकार अर्थव्यवस्था कम से कम 2030 तक इस तरह के आक्रामक/अधिक खर्च को संभाल सकती है।

सैंटियागो आम सहमति

- इसे **विकासशील देशों के लिए वाशिंगटन सहमति का विकल्प** माना जाता है।
- इसकी सिफारिश विश्व बैंक समूह के **तत्कालीन अध्यक्ष जेम्स वोल्फेंसोन ने की थी।**
- यह आर्थिक के साथ ही सामाजिक समावेश पर ध्यान केंद्रित करता है और इस प्रकार बीजिंग की आम सहमति के करीब है, जिसमें सामाजिक पहलू भी शामिल है।
- विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता के अलावा, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वैश्विक प्रथाओं और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का सुझाव दिया।
- इसने **सरकारों को सामाजिक-आर्थिक विकास और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया।** भारत में भी ऐसा ही देखा जा रहा है।

वाणिज्यवाद

- इस विचारधारा के अनुसार **सरकार के पास ऐसी नीतियाँ होनी चाहिए जो निर्यात को बढ़ावा दें।**
- यह अपेक्षा करता है कि **विदेशी मुद्रा भंडार के निर्माण से अधिक निवेश आएगा, ऋण सस्ता होगा और अन्य लाभ होंगे।**
- **यह 16 वीं और 18 वीं शताब्दी के बीच यूरोप में प्रमुख विचार** था। ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि सबसे ज्यादा स्वर्ण वाले देश पूरी दुनिया में दबदबा बनायेंगे।
- **1980 के दशक के बाद से चीन द्वारा वाणिज्यवाद के एक मॉडल का पालन किया गया था;** इसने विदेशी कंपनियों को निर्यात उद्देश्यों के लिए चीन में निर्माण करने की अनुमति दी थी। इससे चीनी कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे आईं।
- लेकिन चीन ने आयात प्रतिस्थापन नीति का पालन नहीं किया; यानी निर्यात करने के लिए उसे आयात करना पड़ता था।
- एक अन्य मॉडल **ट्रम्प प्रशासन** के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया गया। व्यापार युद्धों का उपयोग बाकी दुनिया के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने के लिए किया गया था। **इसमें शामिल हैं:**
  - व्यापार समझौतों पर फिर से बातचीत।
  - आयात पर उच्च टैरिफ लगाना।
  - अमेरिका निर्मित उत्पादों के लिए बाजार खोलने के लिए राज्य शक्ति का उपयोग करना।
  - विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय निकायों को कमजोर करना।
  - आप्रवासन मानदंडों को कड़ा करना।

व्यवहारिक अर्थशास्त्र

- यह **लोगों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने और उसको प्रभावित करने के तरीकों और सीखने के विभिन्न क्षेत्रों का उपयोग करता है।**
- एडम स्मिथ का अदृश्य हाथ की अवधारणा मानती है कि लोग 'तर्कसंगत' निर्णय लेते हैं; लेकिन व्यवहारिक अर्थशास्त्र एक तथ्य के रूप में इसे अस्वीकार करता है।
- **रिचर्ड थेलर (अर्थशास्त्र का नोबेल, 2017)** का कहना है कि लोगों के व्यवहार में विसंगतियाँ हो सकती हैं जिन्हें मौजूदा तर्कसंगत सिद्धांतों द्वारा समझाया नहीं जा सकता है।
- यह **लोगों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए झटके/हल्के धक्के/ 'नज' (nudges) को बढ़ावा देता है।** ये झटके व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्र पर प्रभाव डाल सकते हैं।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2019** में नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर के व्यवहार अर्थशास्त्र सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिसमें व्यवहार परिवर्तन को एक 'महत्वाकांक्षी एजेंडे' के रूप में वर्णित किया गया है। यह भारत में सामाजिक परिवर्तन लाएगा, और 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद करेगा।
- इसका उपयोग भारत में स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि जैसी योजनाओं में किया गया है।

हरित अर्थशास्त्र

- यह हमें **भूमि, वायु और जल प्रदूषण के मुद्दे पर लागत के बारे में सूचित करता है जो पर्यावरण को ध्यान में रखे बिना आर्थिक विकास के कारण आता है।**
- यह **हमें उस विकास के बारे में चेतावनी देता है जो अस्थिर है और जो उत्पादकता के नुकसान का कारण बनता है।** यह प्रकृति और आर्थिक विकास के बीच सामंजस्य की वकालत करता है।
- यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण **तीनों को एक साथ आगे बढ़ाने को प्रोत्साहन देता** है।
- भारत में विकास टिकाऊ नहीं रहा है - उदाहरण के लिए हरित क्रांति देश के बड़े हिस्सों में भूमि क्षरण और पानी की कमी का कारण बनी है।
- 1798 में थॉमस माल्थस का **'जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध'** सबसे शुरुआती चेतावनियों में से एक है।
- **1972 में रोम क्लब द्वारा विकास की सीमाओं नामक रिपोर्ट** भी असतत विकास के बारे में हमारा ध्यान खींचती है।
- संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय **की 1987 की 'हमारा सामान्य भविष्य'** शीर्षक वाली ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट ने सतत विकास को **'एक ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करता है' के रूप में** परिभाषित किया।
- **विलियम नॉर्डहॉस** (अर्थशास्त्र का नोबेल 2018) ने जलवायु परिवर्तन को दीर्घकालिक समष्टि आर्थिक विश्लेषण में एकीकृत किया।
- हाल ही में, विभिन्न निकायों और सरकारों ने हरित अर्थव्यवस्था को मापने के लिए नए सूचकांकों का प्रयोग किया है। **ग्रीन जीडीपी, सामाजिक प्रगति सूचकांक और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक** इसके कुछ उदाहरण हैं।

स्वास्थ्य अर्थशास्त्र

- अर्थशास्त्र की एक शाखा जो स्वास्थ्य क्षेत्र में दक्षता, मूल्यों और व्यवहार से संबंधित है। इसमें शामिल हैं:
  - स्वास्थ्य संकेतक
  - निवारक और उपचारात्मक उपाय
  - चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा
  - ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, औषधि मूल्य नियंत्रण
  - नवजात शिशु देखभाल, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य
  - स्वास्थ्य आदि के लिए बजटीय आवंटन।
- स्वास्थ्य अर्थशास्त्री स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और उन व्यवहारों का अध्ययन करते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए धूम्रपान, शराब पीना आदि। ये निर्धारित करते हैं कि इस क्षेत्र को लक्षित करने वाले उपायों में सुधार कैसे किया जाए। स्वास्थ्य अर्थशास्त्र में कई प्रकार की लागतों, वित्तीय व्यय और शुल्कों का मूल्यांकन किया जाता है।

अर्थव्यवस्थाओं के क्षेत्र और प्रकार

- **आर्थिक गतिविधि के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित क्षेत्र हैं:**

प्राथमिक क्षेत्र	• इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने वाली आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं। • कृषि गतिविधियाँ, खनन, तेल अन्वेषण आदि सभी उप-क्षेत्र इससे संबंधित हैं। • जब कृषि, राष्ट्रीय आय और आजीविका में न्यूनतम 50% या उससे अधिक का योगदान देती है; अर्थव्यवस्था को 'कृषि अर्थव्यवस्था' कहा जाता है।

द्वितीयक क्षेत्र	• इसमें वे सभी आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से निकाले गए कच्चे माल का प्रसंस्करण शामिल है।
	• विनिर्माण एक उप-क्षेत्र है जो एक बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र रहा है।
	• यदि विनिर्माण का योगदान राष्ट्रीय आय और रोजगार में न्यूनतम 50% है; अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है।
तृतीयक क्षेत्र	• इस क्षेत्र में सेवाओं वाली आर्थिक गतिविधियों का वर्चस्व है; जैसे शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा आदि।
	• किसी अर्थव्यवस्था को 'सेवा अर्थव्यवस्था' कहा जा सकता है जब इसमें सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ प्रभावी होती हैं।
चतुर्थ क्षेत्र	• यह किसी अर्थव्यवस्था में मानव संसाधनों की गुणवत्ता तय करता है। इसे 'ज्ञान क्षेत्र' भी कहा जाता है।
पंचम क्षेत्र	• नौकरशाही और कॉर्पोरेट क्षेत्र; जहाँ सभी उच्च-स्तरीय निर्णय लिए जाते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें शामिल लोग बहुत कम हैं लेकिन अपनी भूमिका के कारण समाज में उच्च स्तर पर होते हैं।

ज्ञान अर्थव्यवस्था

- यहाँ, अनुसंधान और विकास पर आधारित नवाचार को पेटेंट और बौद्धिक संपदा के अन्य रूपों के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
- एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में विज्ञान और अकादमिक छात्रवृत्ति का व्यावसायीकरण होता है।
- यह ज्यादातर उच्च विकसित देशों में मौजूद है और नवाचार के लिए मौजूद कुशल श्रम, संचार नेटवर्क और प्रोत्साहन पर निर्भर करता है।

- **स्वामित्व के आधार पर; अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:**

सार्वजनिक क्षेत्र	• इसमें ऐसे संगठन और निकाय होते हैं जो पूरी तरह से या केंद्र या राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी के साथ स्वामित्व, नियंत्रित और प्रबंधित होते हैं। • मुख्य ध्यान जनता की सेवा और उनके कल्याण पर होता है। • यह कर संग्रह, ड्यूटी, उत्पाद शुल्क आदि से प्राप्त पूंजी के आधार पर चलाया जाता है। • यह क्षेत्र नौकरी की सुरक्षा, आवास, भत्ते और पेंशन एवं अन्य लाभ प्रदान करता है। • यह भारत में नौकरी के लिए एक पसंदीदा क्षेत्र है क्योंकि यह उपर्युक्त लाभ प्रदान करता है और निकाले जाने की संभावना कम है। • सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ प्रमुख क्षेत्र रेलवे, रक्षा, पुलिस, नागरिक प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि हैं।
निजी क्षेत्र	• यहाँ **स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण व्यक्तियों, समूहों या निजी स्वामित्व वाली कंपनियों के पास होता है।** • इस क्षेत्र के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय और संचालन में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। • **मुख्य फोकस लोक कल्याण नहीं बल्कि लाभ होता है।** इसलिए, लागत में कटौती और दक्षता इस क्षेत्र की पहचान है। • निजी क्षेत्र; प्रवर्तकों/मालिकों की पूंजी, ऋण, शेयर, डिबेंचर आदि द्वारा संचालित होता है। • यह क्षेत्र **बेहतर वेतन, योग्यता आधारित पदोन्नति और अच्छे काम की मान्यता प्रदान करता है।** इसमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन होता है। • कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है यदि वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं या कंपनी लागत में कटौती करने का फैसला करती है। इसमें प्रतिस्पर्धी माहौल होता है और कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में बोनस मिलता है। • कुछ प्रमुख निजी क्षेत्र आईटी, वित्त, परामर्श, सेवा आधारित उद्योग, फार्मा उद्योग, आतिथ्य और पर्यटन आदि हैं।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)	• यह एक या कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निकायों के बीच एक साझेदारी है जो आमतौर पर दीर्घकालिक परियोजना विकसित करने के लिए होती है।
	• यह एक निश्चित परियोजना के लिए धन और विशेषज्ञता को आकर्षित करने में मदद करता है जो आमतौर पर आम जनता के लाभ के लिए होता है। जैसे मेट्रो, हवाई अड्डे, दूरसंचार बुनियादी ढांचा आदि।
	• जैसे-जैसे तेज और बेहतर प्रशासन देने की मांग बढ़ती है; जटिलता और स्तर के अनुसार चुनौती बढ़ती है। इस प्रकार, पीपीपी दोनों क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ को संयोजित करने का प्रयास करता है।
	• **इस मॉडल के लाभ इस प्रकार हैं:**
	• **सार्वजनिक क्षेत्र की जवाबदेही और निजी क्षेत्र की दक्षता:** निजी क्षेत्र बेहतर उपभोक्ता संतुष्टि, नई तकनीकी और अभिनव दृष्टिकोण लाता है। सार्वजनिक क्षेत्र पूर्णता का विश्वास, जवाबदेही और कम लालफीताशाही को लाता है।
	• **समय और लागत बद्ध कार्य की समाप्ति:** निजी क्षेत्र तेजी से प्रौद्योगिकी को अपनाता है और यह व्यय और समय के साथ अधिक कुशल होता है।
	• **संसाधनों की उपलब्धता:** सरकार को अकेले संसाधन जुटाने में मुश्किल होती है। इसलिए, निवेशकों (विदेशी और घरेलू) को आमंत्रित करना एक बुद्धिमानी पूर्ण कदम है।
	• विभिन्न प्रकार की पीपीपी परियोजनाएँ स्वास्थ्य , बिजली, रेलवे शहरी बुनियादी ढांचे आदि क्षेत्रों में शुरू की गई हैं।

- **कार्य की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित दो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:**

संगठित क्षेत्र	• इस क्षेत्र में काम करने की स्थिति अच्छी और स्थायी है। कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ (भविष्य निधि, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा आदि) भी मिलते हैं। • इस क्षेत्र में नौकरियाँ सरकार के पास पंजीकृत हैं और उन पर विभिन्न कानून और नियम लागू होते हैं। • कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, काम के निश्चित घंटे और अतिरिक्त वेतन मिलता है • इस क्षेत्र में भारत में नौकरियाँ बहुत कम है।
असंगठित क्षेत्र	• इस क्षेत्र में वे **कामगार शामिल हैं जो स्वरोजगार, गिग इकॉनमी कामगार और दिहाड़ी मजदूर** हैं। • संगठित क्षेत्र के वे श्रमिक जो **'असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम' 2008** में उल्लिखित कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे इस क्षेत्र का हिस्सा हैं। • रोजगार **आकस्मिक और मौसमी** है और इसलिए श्रमिक संगठित नहीं हैं और पूरी तरह से अपनी दैनिक कमाई (ज्यादातर मामलों में) पर निर्भर हैं। • कोई कानूनी या सांगठनिक सुरक्षा नही मिलती है और **स्थिर आय और रोजगार की कमी** है। • अगर सुरक्षा प्रदान की भी गई हो तो इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि श्रमिक बिखरे हुए हैं। • उपर्युक्त का अर्थ यह नहीं है कि यह क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं है। यह राष्ट्रीय आय में लगभग 60% का योगदान देता है।

घरेलू अर्थव्यवस्था और इसके क्षेत्र

- एक अर्थव्यवस्था को घरेलू और बाहरी/शेष विश्व में विभाजित किया जा सकता है। एक घरेलू अर्थव्यवस्था में सभी निवासी आर्थिक इकाइयाँ शामिल होती हैं। ये हैं:
- परिवार: उन लोगों का एक समूह जो आवास साझा करते हैं, सामूहिक रूप से बचत करते हैं, कुछ निश्चित वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं और उत्पादक गतिविधि में संलग्न हो सकते हैं।
- कानूनी संस्थाएं: कानूनी संस्थाएं वे हैं जो अपने अधिकारों के तहत आर्थिक लेनदेन, निर्णय लेने और अनुबंधों को लागू करने में संलग्न हैं। जैसे सरकारें, निगम या उद्यम, गैर-लाभकारी संस्थाएं (कानूनी या सामाजिक संस्थाएं) आदि।

- **घरेलू अर्थव्यवस्था को तीन बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:**

सामान्य सरकारी क्षेत्र:	• इसमें वे सभी विभाग शामिल हैं जो लोगों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में किसी विभाग को उसके उद्देश्यों और कार्यों के आधार पर शामिल किया जाता है, न कि स्वामित्व के आधार पर। • कार्य: ○ करों या अन्य आय के माध्यम से वित्तपोषित निश्चित वस्तुओं और सेवाओं को परिवारों को प्रदान करना। ○ हस्तांतरण के माध्यम से धन का पुनर्वितरण। ○ गैर-बाजार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। ○ उदाहरण रक्षा, शासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि हैं।
वास्तविक क्षेत्र:	• यह एक अर्थव्यवस्था के सभी वास्तविक या गैर-वित्तीय तत्वों को संदर्भित करता है। • **इसमें शामिल हैं:** ○ उद्यम (गैर-वित्तीय निगम) - वे घरेलू इकाइयाँ जो बाजार वस्तुओं (जो बाजार मूल्यों पर बेची जाती हैं) और गैर-वित्तीय सेवाओं के उत्पादन में शामिल हैं। ○ परिवार/घरेलू क्षेत्र **(Households)** ○ परिवारों की सेवा प्रदान करने वाले गैर-लाभकारी संस्थान। ○ यह वह क्षेत्र है जो धन या धन धारण करने वाले क्षेत्र को शामिल करता है।
वित्तीय क्षेत्र:	• **यह अर्थव्यवस्था में पैसा/वित्त जारी करने वाला क्षेत्र है।** इसमें मुख्य रूप से वित्तीय गतिविधियों और मध्यस्थता में शामिल निगम होते हैं। • उदाहरण के लिए एक बैंक, जो उधार लेता और देता है, एक संस्था जो शेयरधारकों से इक्विटी/ शेयरों में निवेश करने के लिए धन आकर्षित करती है, एक निकाय जो पॉलिसीधारकों से प्राप्त धन से प्रतिभूतियों में निवेश करता है। • इसमें उन निगमों को शामिल नहीं किया गया है जो वित्तीय आस्तियों का प्रावधान के लिए अपने खाते पर देयता नहीं रखते हैं। जैसे दलाल, डीलर, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा एक्सचेंज, प्रतिभूति बाजार आदि।

भारत में सेवा आधारित विकास

- **भारत कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया;** इस प्रकार, 1990 के दशक के दौरान औद्योगिक अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया गया।
- यह भारत में 'रोजगारहीन विकास' के चरण के प्रमुख कारणों में से एक है क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार पैदा करता है।
- यहाँ तक कि सेवाओं के अंतर्गत भी; आधुनिक सेवाएँ (संचार, आईटी, वित्तीय, व्यापार आदि) खुदरा और थोक बाजारों जैसी पारंपरिक सेवाओं पर हावी हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन-कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक का निर्माण करते हैं?

1. किसानों का अपनी फसलें काटना।
2. कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में परिवर्तित करना।
3. एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यापारिक कंपनी को धन उधार देना।
4. किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बांड जारी करना।

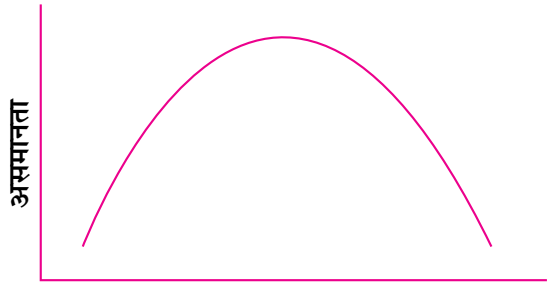
कूट:

(*a*) केवल 1 और 2
(*b*) केवल 2, 3 और 4
(*c*) केवल 1, 2 और 4
(*d*) केवल 1, 2, 3 और 4

कुजनेट्स वक्र

- यह एक काल्पनिक **उलटा यू-वक्र** है जो आर्थिक विकास के दौरान प्रति व्यक्ति आय के सापेक्ष आर्थिक असमानता को दर्शाता है।
- **साइमन कुजनेट्स** अर्थशास्त्री ने इस वक्र को विकसित किया था।
- यह समझने में मदद करता है कि जब अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि से औद्योगिक हो जाती है तो ये दो चर कैसे बदलते हैं।

- यह दर्शाता है कि आय असमानता पहले बढ़ती है और फिर प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ चरम पर पहुँचने के बाद कम हो जाती है।



- इंग्लैंड, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी की तेजी से औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं वक्र का अनुसरण करती दिखाई देती हैं। लेकिन नीदरलैंड और नॉर्वे में ऐसा नहीं हुआ और वे असमानता का एक अलग अनुभव प्रदर्शित करते हैं।

पर्यावरण कुजनेट्स वक्र

- कुजनेट्स वक्र में संशोधन **विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रदूषण स्तर में वृद्धि और बाद में गिरावट को प्रदर्शित करने के** लिए लोकप्रिय हुआ है।
- **यह पहले जीन ग्रॉसमैन और एलन क्रुगर द्वारा विकसित** किया गया और बाद **में विश्व बैंक द्वारा लोकप्रिय हुआ।**
- यह मूल वक्र के समान पैटर्न का पालन करता है।
- संशोधित वक्र के अनुसार, पर्यावरण संकेतक तब तक बिगड़ते हैं जब तक कि अर्थव्यवस्था औद्योगिकीकरण के एक महत्वपूर्ण मोड़ तक नहीं पहुँचती है।
- नई तकनीकी और अधिक धन का उपयोग संकेतक में फिर से सुधार शुरू करता है।
- उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नियमन में वृद्धि के कारण सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर में में कमी आई, जबकि सड़कों पर कारों की संख्या स्थिर रही या अधिक हुई है।

ट्रेड-ऑफ (Trade-offs)

- अर्थशास्त्र की मूल धारणा 'अभाव' है। जिसके कारण ट्रेड-ऑफ की आवश्यकता पड़ती है।
- यह नीतिगत निर्णय से संबंधित होता है जो एक लक्ष्य को प्राथमिकता देता है या दूसरे को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य से समझौता करता है।
- उदाहरण के लिए; आरबीआई मुद्रास्फीति को लक्षित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करेगा, भले ही यह कदम आर्थिक विकास को सीमित करे।
- इसी तरह, सरकार कुछ कृषि खर्चों को सब्सिडी देने के लिए उधार ले सकती है। यह सरकारी ऋण को बढ़ाता है, लेकिन गरीबी पर विचार करता है और स्थिरता सुनिश्चित करता है।

अवसर लागत

- जब भी हम ट्रेड-ऑफ करते हैं यानी एक लक्ष्य को दूसरे पर प्राथमिकता देते हैं तो वहाँ एक छिपी हुई अवसर लागत होती है।
- यह दूसरे विकल्प या दूसरे सबसे अच्छे विकल्प को नहीं चुनने की लागत होती है।

उदाहरण के लिए; पैसा सड़क बनाने या स्कूल बनाने के लिए खर्च किया जा सकता है। अगर हम सड़कें बनाते हैं; फिर स्कूलों का निर्माण न करने के कारण हम जिन लाभों को छोड़ देते हैं, उनके लिए अवसर की कीमत चुकानी पड़ती है।

- इसी तरह, हम अपना पैसा बचत खाते में रख सकते हैं या इसे निवेश कर सकते हैं। अगर हम पैसे का निवेश करते हैं तो फिर हम बचत खाते में पैसा रखने पर ब्याज के संदर्भ में विकल्प लागत वहन करते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. यदि सरकार द्वारा जनता को कोई वस्तु निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, तो: (2018)

(*a*) विकल्प लागत शून्य होती है।

(*b*) विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है।

(*c*) विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है।

(*d*) विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से सरकार को अंतरित कर दिया जाता है।

❖ ❖ ❖

2 भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ

- भारतीय अर्थव्यवस्था एक मध्यम आय वाली विकासशील बाजार अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी के अनुसार यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समता के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। (पीपीपी)

भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ

गुण (STRENGTHS):

- **मिश्रित अर्थव्यवस्था:** भारतीय अर्थव्यवस्था दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था के विकास में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ कैसे कार्य कर सकते हैं। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक संयोजन है। **उदाहरण के लिए:** निजी क्षेत्र का मकसद लाभ और सार्वजनिक क्षेत्र का मकसद कल्याण है। उदारीकरण ने निजी क्षेत्र में शासन की भूमिका को सीमित करने में मदद की।
- **कृषि की प्रधानता:** भारत में कुल कार्यशील जनसँख्या का दो तिहाई, **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि** एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में संलग्न हैं। कृषि क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी लगभग 16.38% (2020-21) रही है। कृषि क्षेत्र कच्चा माल उपलब्ध कराता है तथा कृषि उत्पादन पर निर्भरता राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहायक है। कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों में डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी, पशुपालन आदि शामिल होते हैं।
- **उभरती अर्थव्यवस्था:** भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है एवं मजबूत आर्थिक विकास, व्यापार की मात्रा, बढ़ी हुई तरलता, उच्च प्रति व्यक्ति आय, एफडीआई, ऋण बाजार आदि के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना स्थान प्राप्त किया है। 2030 तक भारत के जापान से आगे निकलने और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।
- **जनसांख्यिकीय/जनांकिकीय लाभांश:** भारत में जनसंख्या संरचना की सहायता से आर्थिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं। विश्व में भारत की कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा (15 से 64 वर्ष की आयु के लोग) गैर-कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग (65 से ऊपर) से अधिक है। भारत को अन्य देशों की तुलना में 28 वर्ष की औसत आयु के साथ युवा राष्ट्र के रूप में जाना जाता है।
- **तीव्र शहरीकरण में वृद्धि:** वृद्धि अपरिहार्य है अत: लोग आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक आदि कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। प्रत्येक देश ने शहरीकरण का अनुभव किया है और अभी भी शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हो रही है। भारतीय जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्र का योगदान 60% से अधिक है। शहरीकरण में तीव्र वृद्धि के कुछ कारण निम्नलिखित हैं:-
  - **तेजी से बढ़ता सेवा क्षेत्र:** यह सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र हैं, जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, बीमा, रियल एस्टेट, पर्यटन आदि जैसे विभिन्न प्रकार के पेशे शामिल हैं। भारत विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है।
  - **पर्यटन क्षेत्र** विदेशी मुद्रा आदि के माध्यम से हमारी आर्थिक वृद्धि में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।
  - **भारतीय आई.टी.** उद्योग देश का शीर्ष निर्यात सेवा प्रदाता है। सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग का तेजी से विस्तार हो रहा है और राजस्व में योगदान कर रहे हैं।
  - **अंतरिक्ष क्षेत्र** तेजी से बढ़ रहे हैं तथा माँग आधारित मॉडल को बदल रहे हैं।
  - **बंदरगाह सेवाएँ,** आयात-निर्यात सेवाओं, कार्गो क्षमताओं में वृद्धि और बंदरगाह आधारित विकास के माध्यम से देश में विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

चुनौतियां/कमजोरियां

- **प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर:** विकसित देशों की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 18.3 प्रतिशत बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो गई। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में पूर्व-कोविड स्तर से नीचे 91,481 रुपये रही।
- **विशाल जनसंख्या:** भारतीय जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में, भारत चीन को पीछे छोड़ कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर ने अर्थव्यवस्था की विकास दर के विपरीत कार्य किया है।

- **आर्थिक विषमता तथा निर्धनता:** भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विषमताएँ चिंताजनक है जहाँ शीर्ष 10% भारतीय जो राष्ट्रीय आय का 57% से अधिक अर्जित करते हैं, समाज में आर्थिक विषमता का कारण बने हैं। **COVID**-19 ने गरीबी के स्तर में वृद्धि की है और अब गरीबी रेखा से नीचे **(BPL)** रहने वाले लोगों का उच्च प्रतिशत है। आय के असमान वितरण के कारण अमीर और अमीर होता जा रहा है तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है जो देश की आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है।
- **पुरानी तकनीक:** नई प्रौद्योगिकियाँ महँगी हैं और उन्हें संचालित करने के लिए कौशल युक्त कार्यबल की आवश्यकता होती है। मानव पूँजी की कमी और कुशल श्रम की अनुपस्थिति अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी के प्रसार में प्रमुख बाधाएँ हैं। गरीब किसान और सूक्ष्म या लघु उद्योग आधुनिक और अधिक उत्पादक तकनीकियों को वहन नहीं कर सकते हैं जो आर्थिक विकास में संकट उत्पन्न करती हैं।
- **अपर्याप्त रोजगार सृजन:** बढ़ती आबादी के साथ बेरोजगार युवाओं का प्रतिशत भी बढ़ रहा है।साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि की तुलना में रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, इसे **रोजगार रहित वृद्धि (Jobless Growth)** के रूप में परिभाषित किया जाता है। लगभग आधी कामकाजी आबादी कृषि में लगी हुई है और बेरोजगार कार्यशील जनसँख्या अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियाँ उत्पन्न करती है।
- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** दिखाता है कि 2019-20 में 4.8% की तुलना में 2020-21 में बेरोजगारी दर गिरकर 4.2% हो गई।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में 3.3% और शहरी क्षेत्रों में 6.7% की बेरोजगारी दर दर्ज की गई।
  - सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी **(CMIE)** के डेटा के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर अक्टूबर 2022 में 7.77% पर पहुँच गई है।
- **पूँजी निर्माण की निम्न दर:** आय का निचला स्तर, पूँजी निर्माण की निम्न दर के कारण है और जीवन स्तर में सुधार का एकमात्र तरीका सकल पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि करना है। भारत को हमेशा पूँजी की समस्या का सामना करना पड़ा और मूल्यह्रास को संतुलित करने के लिए 15 प्रतिशत से अधिक की सकल पूँजी निर्माण की आवश्यकता थी। हालाँकि, वास्तविक सकल नियत पूँजी निर्माण **(GFCF)** दर **GDP** के प्रतिशत के रूप में जून 2022 के तिमाही में 29.2 प्रतिशत रहा है
- **अधोसंरचना सुविधाओं का अभाव:** परिवहन, संचार, बिजली उत्पादन, बैंकिंग और ऋण सुविधाएँ, स्वास्थ्य, शैक्षणिक संस्थान आदि शामिल हैं। भारत के प्राकृतिक संसाधनों का न्यून उपयोग भारत में आर्थिक वृद्धि में बाधक है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत की लगभग 7 प्रतिशत आबादी ग्रामीण और स्लम क्षेत्रों में रहती है। **NFHS** के अनुसार भारत में लगभग 83% घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, तथा लगभग 50% घरों तक ही स्वच्छ नल जल की उपलब्धता है इस प्रकार न्यून अधोसंरचनाओं का अभाव भारतीय श्रमिकों की दक्षता कम कर देती है।

औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था

- भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्र थी और विशेष रूप से अपने हस्तशिल्प उद्योगों के लिए जानी जाती थी। हमारी अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरुप की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन की लंबी अवधि में हुई है। औपनिवेशिक **शासन का उद्देश्य भारत के संसाधनों का दोहन करना** और ब्रिटेन के बढ़ते औद्योगीकरण के लिए कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में इसका उपयोग करना था। शोषणकारी प्रकृति ने यह समझने में मदद की कि भारत को किस प्रकार के विकास और अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए।
  - **ब्रिटिश शासन से पूर्व अधिकांश लोगों की मुख्य आजीविका कृषि थी।** भारतीय हस्तकला उद्योग सूती और रेशमी वस्त्रों, कीमती पत्थरों, मसालों, धातु के काम, चीनी आदि की उत्तम गुणवत्ता के लिए दुनिया भर के बाजारों में ख्यातिप्राप्त था। उदाहरण के लिए, तंजेब (मलमल) बंगाल और ढाका के आस-पास के स्थानों में प्रसिद्ध एक प्रकार का कपास था जिसने लोकप्रियता हासिल की और मलमल कहलाया।
- **औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास ने भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को केवल कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में बदल दिया** और ब्रिटेन में निर्मित उत्पादों का केवल उपभोक्ता बन कर रह गया। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली आर्थिक नीतियाँ ग्रेट ब्रिटेन के आर्थिक हितों की रक्षा और प्रचार कर रही थीं।
- **औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियाँ ब्रिटिश शासन के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन हेतु अधिक थीं।** उन्होंने कभी भी भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का गंभीर प्रयास नहीं किया। भारतीय अर्थशास्त्री अनुमानकर्ताओं जिन्होंने भारत की आर्थिक निकासी(धन बहिर्गमन) के पीछे के कारण को उजागर करने की कोशिश की, जिनमें **दादाभाई नौरोजी** (Poverty and Un-British Rule in India), **वी.के. आर.वी. राव और आर.सी. देसाई** प्रमुख थे।

कृषि क्षेत्रक (Agricultural Sector)	• देश की अधिकतम जनसंख्या कृषि प्रधान थी और 80% लोग गाँवों में रहते थे और कृषि से जीविकोपार्जन करते थे। बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र में शामिल थी लेकिन फिर भी गतिहीनता और निम्न उत्पादकता का सामना कर रही थी। यह गिरावट विभिन्न भू-राजस्व बंदोबस्तों के कारण हुई थी। • तत्कालीन बंगाल और पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में जमींदारी व्यवस्था लागू की गई और कृषि से होने वाला लाभ काश्तकारों के बजाय जमींदारों को जाता था। केवल औपनिवेशिक सरकार ने ही नहीं बल्कि जमींदारों ने भी कृषि की स्थिति में सुधार के लिए कुछ भी नहीं किया। उनकी मुख्य रुचि कृषि भूमि के सुधार पर ध्यान दिए बिना लगान वसूल करना था। • भूमि जोत छोटी और बिखरी हुई थी, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया था। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का स्तर भी कम था। • कृषि अच्छे उत्पादन के लिए वर्षा पर अत्यधिक निर्भर थी लेकिन कम वर्षा का अर्थ है अल्प उत्पादन। • कृषि का व्यावसायीकरण, नकदी फसलों की उत्पादकता की मांग, सिंचाई सुविधाओं की कमी, उर्वरकों का अपर्याप्त उपयोग आदि सभी कृषि उत्पादकता और किसानों की दुर्दशा की निराशाजनक स्थिति को और गंभीरता से प्रदर्शित कर रहे थे । • विभाजन के कारण कृषि उत्पादन को झटका लगा, जिसके कारण अत्यधिक सिंचित और उपजाऊ भूमि पाकिस्तान में अवस्थित होने के कारण भारत के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जूट उत्पादन में इसी तरह के दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा जब अधिकतम जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश (तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान) का हिस्सा बन गया जहाँ कभी भारत का एकाधिकार हुआ करता था और अब उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा।
औद्योगिक क्षेत्रक (Industrial Sector)	• **औपनिवेशिक काल में भारतीय हस्तकला उद्योग** विश्वव्यापी लोकप्रियता और वस्त्रों की मांग प्राप्त करने के बाद भी **अपने औद्योगिक आधार का विस्तार नहीं कर सका।** गैर-औद्योगिकीकरण की औपनिवेशिक सरकार की नीति के कारण हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ और इसे बदलने के लिए कोई अन्य उद्योग नहीं लगाए गए। विऔद्योगीकरण के पीछे औपनिवेशिक सरकार के उद्देश्य थे: • ब्रिटेन में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए सस्ते दर पर कच्चे माल के निर्यातक के रूप में भारत का उपयोग करना और ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजार में उच्च दर पर बेचना। • उन उद्योगों के तैयार उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को डंपिंग ग्राउंड के रूप में उपयोग करना और अपने देश की मदद के लिए उनका विस्तार जारी रखना। • भारत में **हस्तशिल्प उद्योगों में गिरावट के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी देखी गई।** इससे भारतीय बाजार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई जिसे ब्रिटेन से सस्ते निर्मित माल के आयात से पूरा किया गया। • औद्योगीकरण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए **कुछ ही पूँजीगत विनिर्माण उद्योग मौजूद थे।** कुछ भारतीयों द्वारा स्थापित कुछ कपास और जूट कपड़ा मिलें ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में पश्चिमी तट पर मौजूद थीं, लेकिन इसने पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को प्रतिस्थापित करने में मदद नहीं की। • **सकल घरेलू उत्पाद में नए औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर का योगदान बहुत कम था और सार्वजनिक क्षेत्रक की सहायता के लिए भी बहुत सीमित था।** औपनिवेशिक सरकार द्वारा किए गए कुछ कार्य, जिन्हें उन्होंने अपने लाभ के लिए विकसित किया, बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित हुए, वे थे रेलवे, बिजली उत्पादन, संचार, बंदरगाह, डाक प्रणाली आदि। • **ब्रिटिश शासन का उद्देश्य कभी भी ऐसे उद्योग का विकास करना नहीं था जो ब्रिटिश उद्योग का मुकाबला कर सके।** यह हमेशा पूँजीगत वस्तुओं के लिए भारतीय उद्योग को ब्रिटिश उद्योग के अधीन बनाना चाहता था।

विदेशी व्यापार (Foreign Trade)	• दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान विदेशी व्यापार कहलाता है। **भारत प्राचीन काल से राष्ट्रों के साथ व्यापार कर रहा है, लेकिन प्रतिबंधात्मक नीतियों, व्यापार और निर्यात पर लगाए गए शुल्कों के कारण यह सब बदल गया,** जिसने भारत के विदेशी व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। भारत कच्चे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, जूट, मसालों आदि का निर्यातक था, लेकिन तैयार माल जैसे सूती, रेशमी और ऊनी कपड़ों का आयातक बन गया। • **भारत के निर्यात पर ब्रिटेन का नियंत्रण था** और अधिकांश व्यापार को चीन, सीलोन (श्रीलंका) और ईरान (फारस) जैसे कुछ पड़ोसी देशों तक सीमित कर दिया गया। • **व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निर्यात अधिशेष था और इसने भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया।** निर्यात अधिशेष के परिणामस्वरूप सोने या चाँदी का प्रवाह नहीं हुआ; बल्कि इसका उपयोग ब्रिटेन में स्थापित कार्यालयों द्वारा किए गए खर्चों के भुगतान के लिए किया जाता था। भारत के अंदर और बाहर औपनिवेशिक सरकारों द्वारा लड़े गए युद्ध पर खर्च और अदृश्य वस्तुओं के आयात से धन की निकासी हुई। • **भेदभावपूर्ण टैरिफ/प्रशुल्क और व्यापार** नीतियाँ विदेशी व्यापार में बाधक रही हैं। स्वेज नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटेन का नियंत्रण मजबूत करने में मदद मिली।
जनसांख्यिकीय/ जनांकिकीय स्थितियाँ (Demographic Conditions)	• **भारत की जनसंख्या की जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी** और भारत की जनसंख्या वृद्धि के अंतर को दिखाया गया था। • **समग्र साक्षरता स्तर 16% से कम था** जो 2011 में बढ़कर 74% हो गया। • भारत के विभिन्न भूभाग अकाल से गंभीर रूप से प्रभावित थे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बुनियादी जरूरतों पर आय का भाग खर्च किया गया था। • **उच्च जन्म और मृत्यु दर** (यह एक वर्ष में प्रति हजार जन्म लेने वाले और मरने वाले बच्चों की संख्या को संदर्भित करता है)। • **सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचे** एवं सुविधाओं का अभाव, तथा व्यापक बीमारियाँ। • **उच्च मृत्यु दर** (यह प्रति हजार जीवित जन्मों पर एक वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मरने वाले शिशुओं की संख्या को संदर्भित करता है)। • **औपनिवेशिक काल के दौरान व्यापक गरीबी** ने उनके शासन के तहत भारत की आबादी की सबसे खराब स्थिति को प्रदर्शित किया।
व्यावसायिक संरचना (Occupational Structure)	• **व्यवसाय में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि अधिकतम जनसंख्या कृषि (70-75 प्रतिशत) पर आश्रित थी।** विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 10-15 फीसदी रही। • उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब के कृषि में कार्यबल की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई।
आधारिक सँरचना (Infrastructural Sector)	• **मूलभूत अवसंरचना सुविधाएँ** जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, बंदरगाह आदि को लोगों ध्यान में रखकर विकसित नहीं किया गया , बल्कि वास्तविक उद्देश्य पहुँच का विस्तार करना और औपनिवेशिक हितों को पूरा करना था। • **औपनिवेशिक काल के दौरान सड़कों का निर्माण** भारत के भीतर सेना को जुटाने और कच्चे माल को ग्रामीण इलाकों से निकटतम रेलवे स्टेशन तक पहुँचाने तथा उन्हें इंग्लैंड और अन्य विदेशी भूमि में निर्यात करने के लिए किया गया था। • **भारत में रेलवे का आरम्भ 1854 में हुआ** जो अंग्रेजों द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था। लेकिन रेलवे द्वारा प्राप्त सामाजिक सांस्कृतिक लाभ आर्थिक हानि से अधिक थे और निर्यात का लाभ भारतीय लोगों तक कभी नहीं पहुँचा। • इसने लोगों को **लंबी दूरी की यात्रा करने में मदद की** और सांस्कृतिक और भौगोलिक बाधाओं को तोड़ दिया। • इसने भारतीय **कृषि के व्यावसायीकरण** में भी मदद की किन्तु इससे ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को विपरीत रूप से प्रभावित किया। • पानी और समुद्र के अंतर्देशीय व्यापार मार्ग का विकास अपर्याप्त था और सरकारी खजाने से भारी लागत पर बनाया गया था।

- स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रभाव स्पष्ट था। कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रम और बेहद कम उत्पादकता देखी गई, और औद्योगिक क्षेत्र आधुनिकीकरण, विविधीकरण और निवेश से बहुत दूर था। लोगों के कल्याण के लिए गरीबी और बेरोजगारी के लिए सार्वजनिक नीतियों की आवश्यकता थी। संक्षेप में, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों पर काबू पाना बहुत कठिन था।

1991 के सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था

- **भारत बाजार अर्थव्यवस्था और नियोजित अर्थव्यवस्था प्रणाली दोनों की विशेषताओं को जोड़कर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का अनुसरण करता रहा है।**
- 1991 में, भारत को बाहरी ऋण में वृद्धि से संबंधित आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा अर्थात सरकार विदेशों के अपने ऋणों के भुगतान में असमर्थ थी।
- विदेशी मुद्रा भंडार जिसे केंद्रीय बैंक **(RBI)** व्यापार संतुलन को नियंत्रण में रखने और पेट्रोल और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए बनाए रखता है, 15 दिनों के लिए भी अपर्याप्त स्तर तक गिर गया।
- संकट के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई और सरकार को विकासात्मक रणनीतियों को बदलने में मदद करने के लिए नए नीति नियमों को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

1990 से पूर्व की सुधार अवधि

सफलता (Gains)	• योजना के पहले तीन दशकों के दौरान विकास दर में कमी और औसत विकास दर 3.5-4 प्रतिशत थी।
	• कृषि प्रधान समाज की वजह से कृषि क्षेत्र की वृद्धि अधिक देखी गई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं जैसे बांधों का निर्माण, हरित क्रांति आदि की संभावनाओं ने लगभग 23-25 प्रतिशत की वृद्धि दर में मदद की।
	• भारी पूँजीगत विनिर्माण उद्योग, सिंचाई परियोजनाओं, ताप विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का विकास और सार्वजनिक परिवहन में वृद्धि हुई ।
विफलता (Failures)	• रोजगार सृजन के अवसर कम थे। भारत अल्परोजगार और बेरोजगारी की समस्याओं का सामना कर रहा था।
	• 75 प्रतिशत से अधिक आबादी गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रह रही थी और योजनाओं के दशक गरीबी उन्मूलन और सभी के लिए विकास में सहायता कर पाने में असमर्थ रहे ।
	• कृषि क्षेत्र में उत्पादकता निराशाजनक और भूमि सुधार कार्यक्रम विफल रहा ।
	• कमजोर, अप्रतिस्पर्धी औद्योगिक आधार, पूँजीगत वस्तुओं के उद्योगों को बढ़ावा देनें में सक्षम नहीं था।

1980 के दशक का आर्थिक संकट

- **सार्वजनिक व्यय** अपने राजस्व की तुलना में अधिक था जो सरकार ने बैंकों के माध्यम से घाटे को पूरा करने के लिए उधार लिया था।
- देश के भीतर लोगों से और **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया गया।**
- आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि।
- निर्यात के स्तर में वृद्धि के बिना आयात में वृद्धि हुई।
- **विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट,** जो पेट्रोलियम, विलासिता की वस्तुओं आदि के आयात को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
- अंतरराष्ट्रीय उधारदाताओं को पुनर्भुगतान तथा ब्याज भुगतान हेतु **पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं थी।**
- सरकार के **विकास कार्यक्रमों** पर खर्च करने से अतिरिक्त राजस्व सृजन नहीं हुआ।
- **संकट को कम करने के लिए, भारत ने पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD),** लोकप्रिय रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है और **आईएमएफ** (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) से संपर्क किया और संकट का प्रबंधन करने के लिए ऋण के रूप में $7 बिलियन प्राप्त किया। ऋण प्राप्त करने के लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ देश की आर्थिक नीति के निर्णयों में कुछ परिवर्तन करना चाहती थीं।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए बदली शर्तें :**
  - **नई आर्थिक नीति की घोषणा** जिसमें अर्थव्यवस्था में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल शामिल था।
  - फर्मों के लिए **प्रवेश और निकास बाधाओं को दूर** करना।
  - पर्याप्त **विदेशी मुद्रा भंडार** बनाए रखना और बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में रखना।
- विभिन्न क्षेत्रों से कठोरता को हटाकर अर्थव्यवस्था की दक्षता में सुधार करना और इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।
  - **आयात शुल्क दर में कमी।**
  - राजस्व में कमी को दूर करने के लिए उत्पाद शुल्क में वृद्धि।
  - **सरकारी खर्च में** 10 प्रतिशत तक की कटौती करना।

आर्थिक सुधारों के कारण

- **मंहगाई में वृद्धि** 6.7% से 16.7% के कारण मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हुई।
- गैर-विकास व्यय में वृद्धि और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के कारण **राजकोषीय घाटे में वृद्धि।**
- आयात में वृद्धि के कारण **भुगतान संतुलन (BoP)** पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- **पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी जो** ईरान-कुवैत युद्ध (1991) के कारण थी।
- पीएसयू सरकारी निधि पर बोझ बन गए और सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे।
- **विदेशी मुद्रा भंडार में कमी जो कि** आयात बिलों का भुगतान करने के लिए कम और अपर्याप्त था।

एलपीजी की रूपरेखा

उदारीकरण (Liberalization)	• निजी क्षेत्र के उद्योगों और व्यवसायों को व्यापार करने की अधिक स्वतंत्रता। उस पर सरकारी नियंत्रण में कमी। • नियमों और प्रतिबंधों को कम करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोलने की अनुमति देना। • औद्योगिक लाइसेंसिंग और पंजीकरण को हटाना। • आयात और आयात शुल्क पर प्रतिबंध के स्तर को कम करना। • व्यक्तिगत और निगम करों में कमी। • एफडीआई और एफपीआई के लिए उदार नियम। • निजी प्रतिभागियों को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देना जैसे कि बिजली, ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन आदि।
निजीकरण (Privatization)	• जब राज्य के स्वामित्व वाली संपत्तियों के शेयरों (51% और अधिक) की बिक्री यानी स्वामित्व को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसे निजीकरण कहा जाता है। दूसरा तरीका सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग।राज्य का अविनियमन और बाजारों और सार्वजनिक सेवाओं में सुधारों की शुरूआत। • राज्य की संपत्तियों को निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। • निजी क्षेत्र को विनिवेश और स्वामित्व का हस्तांतरण। • वित्तीय प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण को अपनाने के लिए संपत्तियों का विनिवेश। • पीएसयू के प्रदर्शन में सुधार के लिए निजी पूँजी को शामिल करना और प्रबंधकीय क्षमताओं का उपयोग करना। • देश में एफडीआई प्रवाह को आकर्षित करने के लिए प्रयास। • प्रबंधन स्तर पर सरकारी हस्तक्षेप के बिना प्रबंधकीय निर्णय लेने में पीएसयू को स्वायत्तता।
भूमंडलीकरण/ वैश्वीकरण (Globalization)	• राष्ट्रों के बीच आर्थिक एकीकरण और परस्पर निर्भरता में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से वस्तु और सेवाओं, पूँजी और श्रम की अप्रतिबंधित आवाजाही। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था और समाज को इस तरह से जोड़ता है कि पृथ्वी के एक कोने में होने वाली घटना का प्रभाव दुनिया के दूसरे हिस्से में हो सकता है, जिससे एक सीमामुक्त विश्व की रचना का प्रयास किया जाता है। (संस्कृत में वसुधैव कुटुम्बकम)। • आयात पर सीमा शुल्क कम करके विदेशी उत्पादों के प्रवाह के लिए घरेलू बाजारों को खोलना। • व्यापार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति और टैरिफ/प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त करना। अर्थव्यवस्था के खुलने से एफआईआई, एफडीआई और विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि हुई। • **GOI** ने विभिन्न परियोजनाओं में इक्विटी के माध्यम से विदेशी पूँजी के प्रवाह की अनुमति दी। • **WTO** के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जैसे **TRIPS** (व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार), **TRIMs** (व्यापार संबंधी निवेश उपाय) आदि।

अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव

सकारात्मक	नकारात्मक
• विदेशी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि। • एफडीआई और एफआईआई के माध्यम से विदेशी निवेश में वृद्धि। • विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि (2022 में 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक)। • विदेशी कंपनियों के आगमन के कारण तकनीकी विकास जिसने आधुनिक बेहतर प्रौद्योगिकी के प्रवाह को संभव बनाया। उदाहरण के लिए- मारुति सुजुकी, हीरो होंडा आदि। • गुणवत्ता में सुधार, उत्पाद मूल्य और विपणन ने ब्रांड विकास में मदद की। • विदेशी कंपनियों ने रोजगार के मुद्दे को सुलझाने में मदद की। उदाहरण के लिए- एमएनसी, बीपीओ आदि। • ब्रेन-ड्रेन (शिक्षित व्यक्तियों का भारत के बजाय विदेशों में नियोजित होना) के प्रतिशत में कमी।	• घरेलू उद्योगों को नुकसान और घरेलू प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। • श्रम गहन प्रौद्योगिकी के कारण श्रम का शोषण। • दीर्घ कार्यावधि के कारण असंगठित श्रम क्षेत्र का शोषण। • संस्कृति और भारतीय मूल्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव। • अन्तर्राष्ट्रीय उद्योगों के प्रवेश से घरेलू उद्योगों पर दबाव में वृद्धि।

- उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों की मदद से वैश्वीकरण, के नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम हैं। नवोन्मेष और उन्नति को विकास के रूप में देखा जाना चाहिए, इसकी तुलना पिछले काल से की जानी चाहिए, जहां से हमने शुरुआत की थी और जहां हम पहुंचे हैं। एलपीजी सुधारों ने भारत के साथ-साथ अन्य देशों को भी असीमित अवसरों, उच्च प्रौद्योगिकी के द्वारा विकासशील देशों को भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने में मदद की है ।

नोट : 1991 के सुधारों को 'भारत में आर्थिक सुधार' अध्याय में विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 1991 में भारत की आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या हुआ/हो चुका है? (2017)

1. सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा बहुत बढ़ गया।
2. विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का हिस्सा बढ़ा।
3. एफडीआई प्रवाह बढ़ा।
4. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1 और 4
(*b*) केवल 2, 3 और 4
(*c*) 2 और 3 केवल
(*d*) 1, 2, 3 और 4

2. 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2020)

1. श्रमिक उत्पादकता (2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक) शहरी क्षेत्रों में बढ़ी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह घट गई।
2. कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत आयु का हिस्सा लगातार बढ़ा।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई।
4. ग्रामीण रोजगार के विकास दर में कमी आई है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) 1 और 2 केवल
(*b*) केवल 3 और 4
(*c*) केवल 3
(*d*) केवल 1, 2 और 4

❖ ❖ ❖

3 राष्ट्रीय आय लेखांकन

आय की अवधारणा

- एक व्यक्ति या संस्था अपने श्रम या उत्पाद के लिए जो धन प्राप्त करती है उसे आय कहा जाता है।
- संदर्भ के आधार पर इसे विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है : मजदूरी, वेतन, निवेश पर रिटर्न, किराया, रॉयल्टी, ब्याज, लाभ, उपहार और दान।
- व्यक्तियों के लिए; सकल आय का अर्थ है बिना किसी बहिर्वाह की गणना किए बिना, उनके वेतन/भुगतान का कुल मूल्य।
- कर उद्देश्यों के लिए; आय से मतलब, कर योग्य सभी राजस्व हैं।

कारक आय और गैर-कारक आय की अवधारणा

कारक आय: (Factor Income)	• **यहाँ 'कारक' शब्द का अर्थ है 'उत्पादन के कारक'।** उत्पादन के चार कारक हैं; अर्थात्: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। • उपरोक्त में से प्रत्येक कारक किराया, मजदूरी, ब्याज और मुनाफे के रूप में अपने मालिकों हेतु आय का सृजन करता है। इसे **'कारक आय' कहा जाता है।** जबकि निर्माता द्वारा वहन की जाने वाली कीमत **'कारक लागत' है।** • इस प्रकार, कारक आय को कुछ सेवाओं के बदले **'उत्पादन के कारकों'** के मालिक की आय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
गैर-कारक आय/हस्तांतरण आय: (Non&Factor Income@Transfer Incomes)	• जिन आय **के लिए मालिकों को बदले में कोई सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें** गैर-कारक आय कहा जाता है। जैसे चंदा, उपहार, दान, जुर्माना आदि। • चूंकि इन आय **में बिना कोई सेवा प्रदान किये केवल धन का हस्तांतरण शामिल होता है; अत:** उन्हें हस्तांतरण आय भी कहा जाता है। • **किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते समय;** इन्हें **शामिल नहीं किया जाता हैं।** इसमें केवल कारक आय शामिल की जाती है।

उत्पादन कारकों की अवधारणा

- **उत्पादन के चार कारक हैं; अर्थात्:** भूमि, श्रम, उद्यम और पूंजी
- भूमि में न केवल उत्पादन स्थल बल्कि मिट्टी के ऊपर या नीचे के प्राकृतिक संसाधन भी शामिल हैं।
- पूँजी के कई रूप हो सकते हैं; जैसे भौतिक, तकनीकी, मानवीय, सामाजिक आदि।

भूमि:	• इसे आर्थिक दृष्टि से 'प्राकृतिक संसाधन' के रूप में भी जाना जाता है; इसमें पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे सभी प्राकृतिक भेंट शामिल हैं। • भूमि की ऊपरी सतह के उपयोग में शामिल हो सकते हैं- कृषि, औद्योगिक, आवासीय, बांध, पुल, सूरज, चाँद, हवा, बारिश आदि। • भूमि की सतह के नीचे हम खनिज संसाधन, खनन, पानी आदि प्राप्त कर सकते हैं। • भूमि के मालिक को होने वाली आय को, राष्ट्रीय आय लेखांकन में 'किराया' **(Rent)** कहा जाता है।

श्रम:	• वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाली सभी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को श्रम कहा जाता है। • एक कर्मचारी को उसके श्रम के बदले में- 'मजदूरी और वेतन' कारक आय के रूप में प्राप्त होते हैं। • इसे राष्ट्रीय आय लेखांकन में 'मुआवजा/प्रतिफल' **(Compensation)** कहा जाता है।
पूंजी:	• इसमें वे सभी मानव-निर्मित परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिनका उपयोग एक निश्चित वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसे मशीन, वाहन, उपकरण आदि। • यद्यपि भूमि एक प्राकृतिक उपहार है; जबकि पूंजी का उत्पादन मनुष्य द्वारा किया जाता है और इसका उत्पादन पुन:किया जा सकता है। • पूंजी के मालिक को राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में कारक आय के रूप में 'ब्याज' प्राप्त होता है।
उद्यमिता:	• जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक व्यवसाय शुरू और व्यवस्थित करता है और इससे जुड़े सभी जोखिमों को स्वीकार करता है; तब उस पहल को उद्यमिता कहा जाता है। • इस मामले में कारक आय राष्ट्रीय आय लेखांकन के तहत 'लाभ' है। लेकिन उद्यमी घाटे में भी जा सकता है। • एक उद्यमी भूमि, श्रम और पूंजी के उत्पादन कारकों का उपयोग केवल लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए करता है। • ऐसा करने में; वे रोजगार और संपत्ति का सृजन करते हैं।

राष्ट्रीय आय का अर्थ

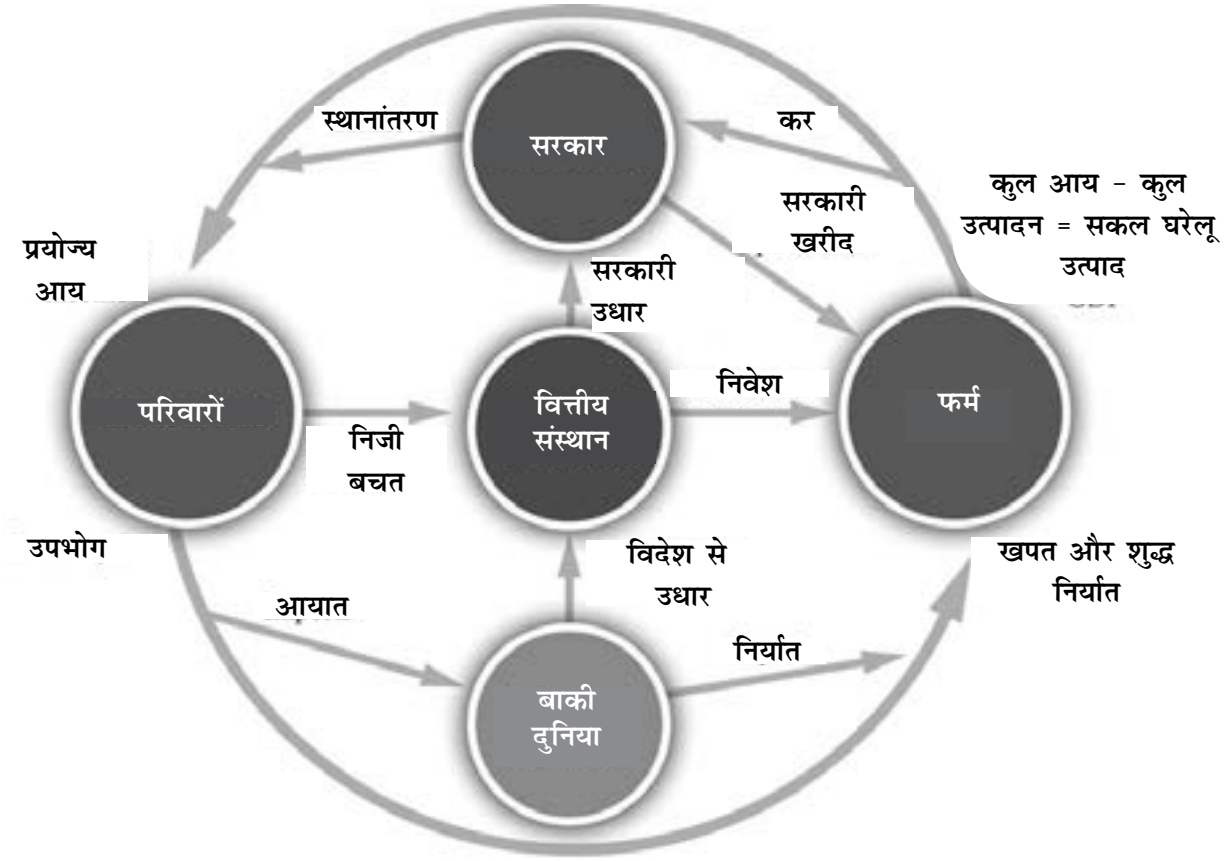
- आम तौर पर, **राष्ट्रीय आय का अर्थ है एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल आर्थिक मूल्य।** यह अवधारणा नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स द्वारा दी गई थी और समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।
- **यह एक राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है** और हमें देश की क्रय शक्ति के बारे में बताता है।
- यह हमें उस दर को मापकर किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में बताता है जिस पर उसकी वास्तविक राष्ट्रीय आय समय के साथ बढ़ती है।
- इस प्रकार राष्ट्रीय आय आर्थिक नियोजन **के एक साधन के रूप में कार्य करती है।**

ऐतिहासिक विकास:

1867-68	• **दादाभाई नौरोजी** की पुस्तक- **'पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया'** औपनिवेशिक शासन की आर्थिक आलोचना और राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान प्रस्तुत करती है।
1931-32	• **प्रोफेसर वी.के.आर.वी. राव** द्वारा राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक आकलन।
1948-49	• वाणिज्य मंत्रालय द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया।
1949	• **पी.सी. महालनोबिस** ने एक राष्ट्रीय आय समिति का नेतृत्व किया।

आय का चक्रीय प्रवाह

- यह एक **व्यापक आर्थिक मॉडल** है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंधों को दर्शाता है।
- यह फर्मों, परिवारों, सरकार और राष्ट्रों जैसे आर्थिक कारकों के बीच आय, वस्तुओं व सेवाओं तथा उत्पादन के कारकों (भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता) के प्रवाह को दर्शाता है।
- चक्रीय प्रवाह विश्लेषण राष्ट्रीय खातों और समष्टि अर्थशास्त्र का आधार है।



तीन प्रमुख मॉडल इस प्रकार हैं:

1. दो सेक्टर मॉडल:

- केवल परिवारों और फर्मों के साथ एक साधारण अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
- यहाँ, परिवार वस्तुओं और सेवाओं के एकमात्र खरीदार और उत्पादन के कारकों के एकमात्र आपूर्तिकर्ता हैं। यह फर्मों को उत्पादन के कारक प्रदान करके आय अर्जित करता है।
- फर्म, परिवारों को संपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर राजस्व उत्पन्न करती है। यह परिवारों से उत्पादन कारकों को प्राप्त करता है।

2. तीन सेक्टर मॉडल:

- परिवारों, फर्मों और सरकारों के साथ मिश्रित और बंद अर्थव्यवस्थाओं के लिए।
- यहाँ, सरकार परिवारों और फर्मों पर कर लगाती है। यह अपनी वस्तुओं और सेवाओं को फर्मों से प्राप्त करता है। जबकि इसे अपने उत्पादन के कारक (साधन) परिवारों से प्राप्त होते हैं।
- सरकार, परिवारों को पेंशन, सब्सिडी आदि हस्तांतरित करती है।
- सरकार, फर्मों से उनकी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए भी भुगतान करती है।

3. चार सेक्टर मॉडल

- परिवारों, फर्मों, सरकारों और बाहरी क्षेत्र का साथ एक खुली अर्थव्यवस्था। वास्तविक जीवन में, केवल चार सेक्टर अर्थव्यवस्थाएँ ही मौजूद हैं।
- बाह्य क्षेत्र में निर्यात और आयात शामिल हैं।
- संपूर्ण अर्थव्यवस्था व्यय में घरेलू व्यय (खपत + सरकारी व्यय + निवेश) + शुद्ध निर्यात (अर्थात् कुल निर्यात-कुल आयात) शामिल हैं।

- हालांकि, उपरोक्त में से कोई भी मॉडल वास्तविकता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उदाहरण के लिए; हम उपरोक्त मॉडलों में यह मानते हैं कि परिवार बचत नहीं करते हैं। यह केवल एक अर्थव्यवस्था की आवश्यक विशेषताओं पर प्रकाश डालता है।

घरेलू बचत

- **ये हमारी अर्थव्यवस्था बचत का बड़ा हिस्सा हैं और इन्हें निम्न रूप में संपन्न किया जा सकता है:**
  - मुद्रा और बैंक जमा
  - ऋण प्रतिभूतियाँ, म्युचुअल फंड, पेंशन फंड
  - लघु बचत योजना आदि में बीमा और निवेश

- जब हम उपरोक्त सभी बचतों को **जोड़ते** हैं; हमें **सकल घरेलू वित्तीय बचत** प्राप्त होती है।
- जब हम सकल घरेलू वित्तीय बचत से **देनदारियों (ऋण)** को **घटाते** हैं; हमें **शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत** मिलती है।
- **महत्व:**
  - यह निवेश सुरक्षित करने में मदद करता है। बैंक हमारे द्वारा जमा किए गए धन को उत्पादक उद्देश्यों (शिक्षा, व्यवसाय आदि) के लिए उधार देते हैं।
  - यह पूंजी निर्माण में मदद करता है और इस प्रकार बड़े पैमाने पर उत्पादन, नवाचार और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में मदद करता है।
  - यह आर्थिक बदहाली के समय-बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबी, भुगतान संतुलन संकट आदि में मदद कर सकता है।
- व्यक्तियों और परिवारों की बचत उनकी क्षमता, इच्छा और बचत करने के अवसर पर निर्भर करती है।
- किसी देश की उच्च प्रति व्यक्ति आय, कम कराधान, उच्च व्यक्तिगत आय और उच्च ब्याज दरें अधिक बचत में सहायता करती हैं।
- शांति और सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता लोगों को अधिक बचत करने की अनुमति देती है। साथ ही भविष्य निधि जैसी सरकारी पहल लोगों में एक बचत व्यवहार पैदा करती है जो जरूरत के समय उनकी मदद कर सकती है।
- यह **आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक है। हैरोड-डोमर मॉडल** के अनुसार, बचत निवेश की अनुमति देती है; जो उच्च पूंजी विकास की ओर ले जाता है; जो फिर से उच्च आर्थिक विकास की ओर ले जाता है जो बदले में उच्च बचत की ओर ले जाता है।
- **बचत की हालिया प्रवृति:**
  - महामारी के शुरुआती दिनों में; लोगों ने नौकरी छूटने और अचानक स्वास्थ्य व्यय से खुद को बचाने के लिए अपनी कमाई बचाई।
  - लेकिन जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था खुली; वे **'रिवेंज स्पेंडिंग'** की ओर चले गए और अपनी बचत समाप्त कर दी। मार्च 2022 तक बचत पिछले 5 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर आ गई।
  - यह वांछनीय होती लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं जब नौकरियाँ पैदा नहीं हो रही हों और आय का स्तर उतना नहीं बढ़ा हो।
  - अधिक उधार लिए बिना निवेश को बढ़ाना और इस प्रकार राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हुए; सरकार को बचत में वृद्धि की उम्मीद करनी चाहिए।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. घरेलू वित्तीय बचत का एक हिस्सा सरकारी उधारी में चला जाता है।
2. नीलामी में बाजार से संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1 (*b*) केवल 2
(*c*) दोनों 1 और 2 (*d*) न तो 1 और न ही 2

आर्थिक क्षेत्र (घरेलू) का अर्थ

- यह **एक ऐसा क्षेत्र है जिसे एक सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है जहाँ पूंजी, वस्तु और लोग स्वतंत्र रूप से परिसंचरित होते हैं।**
- यह उस क्षेत्र के राजनीतिक अर्थ से अलग है जिसे सीमाओं द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए; विदेशों में भारतीय दूतावास को भारतीय आर्थिक क्षेत्र (और इसके विपरीत) माना जाता है।
- **किसी देश के घरेलू क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - उस देश की भौगोलिक सीमा, हवाई क्षेत्र और प्रादेशिक जल (तट से 12 समुद्री मील)।
  - उस देश द्वारा संचालित जहाज, मछली पकड़ने वाली नौकाएँ और विमान; भले ही वे विदेश में हों। उदाहरण के लिए टोक्यो में एयर इंडिया का विमान या पेरिस और टोक्यो जैसे दो विदेशी शहरों के बीच उड़ान।
  - तेल सामग्री या जहाज, और विदेशी भूमि में अन्य तैरते हुए प्लेटफार्मों को घरेलू आर्थिक क्षेत्र माना जाता है।
  - विदेशों में दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैन्य ठिकाने।
- निजी संपत्तियों या विदेशी भूमि में काम करने वाली कंपनियों को घरेलू क्षेत्र **नहीं माना जाता है।**
- किसी देश के घरेलू/आर्थिक क्षेत्र में उत्पादित सभी कारक आय का योग हमें **घरेलू आय** देता है। यहाँ हम यह नहीं देखते कि कमाने वाला व्यक्ति निवासी है या अनिवासी। हम केवल उस घरेलू क्षेत्र को देखते हैं जहाँ वह कमाता है।

राष्ट्रीय आय की गणना के तरीके

- **संयुक्त राज्य अमेरिका के अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने 1934 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना के विचार का प्रस्ताव रखा था।** यह विधि घरेलू और राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की आय की गणना करने का प्रयास करती है।
- सकल और शुद्ध आय दोनों की गणना जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी और जीएनपी के रूप में की जाती है।

किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना

- किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए तीन अलग-अलग तरीके हैं:

1.	**व्यय विधि :** यहाँ किए गए सभी व्ययों की गणना की जाती है। हमने इस विधि के बारे में ऊपर **C+I+G+N** के रूप में पढ़ा है।
2.	**आय पद्धति :** सकल घरेलू उत्पाद की गणना निम्नलिखित सभी को जोड़कर की जाती है: • मजदूरी और वेतन • किराए और रॉयल्टी • उद्यमियों के लाभ • लिए गए उत्पादक ऋणों से अर्जित ब्याज • खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों, नाई आदि की मिश्रित आय
3.	**उत्पाद विधि/मूल्य वर्धित विधि :** (उत्पादन का कुल मूल्य - मध्यवर्ती खपत) • (ज्यादातर)एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है। • एक फर्म द्वारा किए गए शुद्ध योगदान को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाले शब्द को इसका **मूल्य वर्धित (ValueAdded) कहा** जाता है। **(वीए = उत्पादन का मूल्य-मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य)** • मध्यवर्ती **माल** वे कच्चे माल होते हैं जिनका उत्पाद बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से उपभोग किया जाता है। जैसे बेकर द्वारा ब्रेड सेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आटा, चाय की दुकान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चाय की पत्ती, कार में इस्तेमाल होने वाला टायर। • जब तक अंतिम वस्तु के लिए इसका उपभोग किया जा रहा है, दोहरी गिनती से बचने के लिए एक मध्यवर्ती वस्तु को कुल उत्पादन से घटाया जाता है।

- **आदर्श रूप से, तीनों विधियों के परिणाम समान होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि:**
  - माल जो उत्पादित और संग्रहीत है लेकिन अभी तक बेचा नहीं गया है।
  - हो सकता है कि वेतन, किराए आदि के लिए भुगतान लंबित हो।
- जीडीपी गणना में केवल नए उत्पादित माल की गणना की जाती है और मौजूदा माल की पुनर्विक्रय की गणना नहीं की जाती है। यानी सेकेंड हैंड सामान को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वे पहले ही एक बार गणना में शामिल किये जा चुके हैं।
- हालांकि, पुनर्विक्रय वाले माल के लिए; वह कमीशन जो एजेंट अपनी सेवाओं के लिए चार्ज करते हैं, का हिसाब रखा जाता है।
- सभी घरों को सरकार द्वारा किराए पर लेना माना जाता है। जैसा कि यह जानने का कोई सटीक तरीका नहीं है कि किस घर को और कितने समय के लिए किराए पर लिया जा रहा है। (इस प्रक्रिया को **आरोपण/Imputation** कहा जाता है)

सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

- किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद एक सीमित समय अवधि में एक देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी **अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जो आमतौर पर एक वर्ष होता है।**
- **केस:** अगर अग्रवाल मिठाई (भारतीय) भारत में मिठाई का उत्पादन कर रही है और नेस्ले (स्विस) भारत में चॉकलेट का उत्पादन कर रही है; दोनों को भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल किया जाएगा क्योंकि उत्पादन भारतीय क्षेत्र के भीतर हो रहा है।
- **'अंतिम'** का अर्थ है कि इस बिंदु के बाद उत्पाद या सेवा में किसी मूल्यवर्धन की कोई संभावना नहीं है।
- इसकी गणना **व्यय, आय और मूल्य वर्धित दृष्टिकोण** द्वारा की जाती है ।
- **व्यय पद्धति से, हम C+I+G+N** को जोड़कर बाजार मूल्य पर **GDP** की गणना करते हैं
  - राष्ट्रीय निजी खपत **(C)**
  - सकल निवेश **(I)**
  - सरकारी खर्च **(G)**
  - शुद्ध निर्यात यानी निर्यात - आयात **(N)**

- **जीडीपी की अवधारणा के कई उपयोग हैं:**
  - इसमें प्रतिवर्ष होने वाला परिवर्तन हमें अर्थव्यवस्था की विकास दर बताता है। उदाहरण के लिए; यदि भारत की जीडीपी 2021 में 105 रुपये (मान लें) है और 2020 में यह 100 रुपये थी; तो विकास दर 5% है।
  - प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का किसी समयावधि में किसी देश में लोगों के जीवन स्तर के साथ सकारात्मक संबंध होता है।
  - यह हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या सिकुड़ रही है और हमें कार्यवाही करने में सक्षम बनाता है।
  - यह लोगों को मौद्रिक और राजकोषीय नीति, कराधान नीति, आर्थिक झटके आदि के प्रभाव का विश्लेषण करने की अनुमति देता है।
- **आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग करने की हानियाँ:**
  - **भूमिगत/समानांतरअर्थव्यवस्था:** यह भूमिगत या अवैध अर्थव्यवस्था के प्रभाव की गणना नहीं करता है जो कुछ देशों में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें नकद या वस्तु विनिमय लेनदेन भी शामिल हैं जिनकी आधिकारिक तौर पर गणना नहीं की जाती है।
  - **कल्याण की गणना नहीं करता है:** एकमात्र फोकस आर्थिक उत्पादन पर है और इस प्रकार पर्यावरणीय गिरावट और असमानता के कारण इस गणना में शामिल या समायोजित नहीं किया गया है।
  - **मात्रात्मक किंतु गुणात्मक नहीं:** बढ़ी हुई उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए अगले साल समान कीमत में एक बेहतर स्मार्टफोन मिल सकता है।
  - **भौगोलिक सीमाएँ:** विदेशों में उत्पादन करने वाले नागरिक और कंपनियाँ और भारत में ऐसा करने वाले गैर-नागरिक और विदेशी कंपनियाँ इस गणना में शामिल नहीं हैं। (जीएनपी द्वारा गणना)। एक वैश्वीकृत दुनिया में; ये आंकड़े बड़े पैमाने पर हैं।
- **पीपीपी (क्रय शक्ति समता)** के आधार पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद को आईएमएफ **द्वारा** (अमेरिका और चीन के बाद) **तीसरा स्थान दिया गया है।** जबकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये की प्रचलित विनिमय दर कम है; भारत की जीडीपी **दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी है।**

क्रय शक्ति समता (पीपीपी)

- **गुस्ताव कैसल;** एक स्वीडिश अर्थशास्त्री ने इस अवधारणा को विकसित किया।
- यह **एक मुद्रा के सही/वास्तविक मूल्य की गणना करने की एक विधि है जो किसी मुद्रा की बाजार विनिमय दर के समान नहीं हो सकती है।**
- यह एक सामान्य मुद्रा (जैसे **USD**) का उपयोग करके **विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन में मदद करती है।**
- यह **हमें विभिन्न देशों के जीवन स्तर को समझने में मदद** कर सकता है। इस पद्धति को **आईएमएफ और डब्ल्यूबी द्वारा 1990 के दशक में पेश किया गया था।**
- यह विधि मानती है कि एक ही मुद्रा (एक मूल्य का कानून) में मापे जाने पर विभिन्न बाजारों में एक वस्तु (जैसे टेनिस बॉल) की कीमत समान होती है। अगर नहीं; तब हम मानते हैं कि दो मुद्राओं की क्रय शक्ति भिन्न होती है।
- **उदाहरण के लिए;** अगर अमेरिका में 1 किलो चीनी की कीमत 1 डॉलर है और भारत में 20 रुपये है; हम कहते हैं कि पीपीपी पर 1 अमरीकी डालर = 20 रुपये।
- इस अवधारणा ने यूके की **'द इकोनॉमिस्ट'** पत्रिका को **'द बिग मैक इंडेक्स' पेश करने में मदद की।** यह विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मैकडॉनल्ड्स बिग मैक की कीमतों की तुलना करता है।
- **सीमाएँ:** मुद्रा के पीपीपी की गणना के लिए; सामान की एक सामान्य टोकरी समान मात्रा और गुणवत्ता का चयन करना है जो बहुत कठिन है। **'एक मूल्य के कानून' में खामियाँ हैं।** परिवहन लागत, स्थानीय कर, उत्पादन स्तर आदि का हिसाब यहाँ नहीं दिया जाता है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रीय संरचना

प्राथमिक क्षेत्र	• इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन और उत्खनन शामिल हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग किया जाता है। • मौजूदा कीमतों पर इसका योगदान जीवीए का 21.85% होने का अनुमान लगाया गया है। • **कृषि में वृद्धि की हालिया प्रवृति (आर्थिक सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2022-23):** ○ 2019-20: 4.3% ○ 2020-21: 3.6% ○ 2021-22: 3.9% • **कृषि में निवेश:** ○ 2011-12: **GVA** का 18.9% ○ 2019-20: **GVA** का 15.9% • **अनाज उत्पादन:** ○ 2020-21: 308 **MMT** (million metric tonne) ○ 2021-22: 311 **MMT** (अनुमानित) • औसत भूमि के आकार में लगातार कमी आई है और छोटे और औसत किसानों की संख्या चिंता का विषय है।
द्वितीयक क्षेत्र	• इसमें विनिर्माण, और औद्योगिक क्षेत्र, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं। • कुल जीवीए (2021-22) में उद्योग की 28.3% हिस्सेदारी है। • औद्योगिक उत्पादन में लगातार > 5% की वृद्धि हुई है। • कुल जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 15.3% (2021-22) है।
तृतीयक क्षेत्र	• इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। • **2021-2022 में जीवीए में इसका योगदान 53.90%** रहने का अनुमान लगाया गया है। 2019-20 के बीच पहले के **55%** से कम। 33 में से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सेवा क्षेत्र में 50% से अधिक की हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में और सबसे कम सिक्किम में है। • **उप क्षेत्रों में कुल हिस्सेदारी के संबंध में एफडीआई रुझान:** ○ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर- 42.5% ○ वित्त, व्यापार आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर- 19% ○ शिक्षा- 13% ○ ट्रेडिंग- 12% • **वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी** 1991 में < 0.5% से बढ़कर 2021 तक 4.2% हो गई। • **2021-22 में हमने 250 बिलियन डॉलर मूल्य की सेवाओं का निर्यात** किया था। वितरण इस प्रकार है: ○ सॉफ्टवेयर निर्यात- 42% ○ व्यापार निर्यात- 19% ○ पर्यटन और यात्रा- 12% ○ परिवहन- 11%

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- यह एक सूचकांक है जो एक निश्चित समय अवधि में **एक अर्थव्यवस्था के भीतर विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है।**
- **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के** तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा) द्वारा वार्षिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- आईआईपी के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। यह उद्योगों के व्यापक और उपयोग आधारित समूहों की विकास दर को मापता है। जैसे खनन, बिजली, पूंजीगत सामान आदि।
- भारत में 8 प्रमुख उद्योग हैं जो आईआईपी में शामिल **मदों के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं।**
- आईआईपी में उनके वेटेज के अनुसार; ये 8 प्रमुख क्षेत्र हैं: **रिफाइनरी उत्पाद** > बिजली > स्टील > कोयला > कच्चा तेल > प्राकृतिक गैस > सीमेंट > **उर्वरक।**
- यह **एकमात्र सूचकांक है जो उत्पादन की भौतिक मात्रा को प्रकट करता है।**
- इसका **उपयोग सरकार, आरबीआई और विभिन्न निकायों** द्वारा नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- यह **तिमाही और उन्नत जीडीपी गणना** के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

समायोजित सकल राजस्व (AGR) और संबंधित विवाद

- दूरसंचार विभाग दूरसंचार ऑपरेटरों से एक उपयोग और लाइसेंस शुल्क लेता है। **यह 'उपयोग शुल्क'** और **'लाइसेंसिंग शुल्क' के** बीच विभाजित है। इसे एजीआर कहा जाता है।
- दूरसंचार विभाग का दावा है कि शुल्क की गणना दूरसंचार कंपनियों द्वारा अर्जित सभी राजस्व के आधार पर की जाती है। जिसमें गैर-दूरसंचार से संबंधित स्रोत जैसे- संपत्ति की बिक्री, संपत्ति का किराया, जमा ब्याज आदि शामिल हैं।
- दूरसंचार कंपनियाँ एजीआर की गणना में गैर-दूरसंचार स्रोतों को शामिल करने के खिलाफ थीं।
- मामला उच्चतम न्यायालय के पास गया और परिणामस्वरूप सरकार ने अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ राजस्व बंटवारे में भी बदलाव किए।

जीडीपी अपस्फीतिकारक/डिफ्लेटर

- यह एक **मूल्य सूचकांक है जो हमें कुल उत्पादन के मूल्य से मुद्रास्फीति को बाहर निकालने में मदद करता है।**
- यह **हमें वास्तविक जीडीपी तक पहुंचने में मदद करता है।**
- यह दो तुलनीय अवधियों के राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के निष्कर्ष से प्राप्त किया जाता है।



- जब यह **ऋणात्मक होता है, तो इसका मतलब है कि नॉमिनल जीडीपी वास्तविक जीडीपी से कम है।** इसका मतलब है कि देश में अपस्फीति (नकारात्मक मुद्रास्फीति) है।
- यह एक मूल्य सूचकांक है जो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के विपरीत पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करता है जो वस्तुओं और सेवाओं की निश्चित टोकरी तक ही सीमित हैं।
- इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि इसकी उपलब्धता में एक लंबा अंतराल है और इसलिए नीति निर्माण के लिए इसका सीमित उपयोग है।

सांकेतिक और वास्तविक जीडीपी

सांकेतिक जीडीपी	• **सांकेतिक जीडीपी एक ऐसी जीडीपी है जिसे मुद्रास्फीति के साथ समायोजित नहीं किया गया है।** उदाहरण के लिए भले ही इस वर्ष उत्पादन की मात्रा पिछले वर्ष के समान ही हो; वर्तमान वर्ष में मुद्रास्फीति और अपस्फीति के आधार पर जीडीपी के आंकड़े बढ़ या घट सकते हैं। • सांकेतिक जीडीपी का उपयोग तब किया जाता है जब हम अपने सकल घरेलू उत्पाद की तुलना किसी अन्य कारक से करते हैं, जो मुद्रास्फीति के साथ समायोजित नहीं होता है। • **उदाहरण के लिए** ऋण हमेशा मौजूदा कीमतों में मापा जाता है; इस प्रकार, सकल घरेलू उत्पाद पर राष्ट्रों के ऋण की तुलना, सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग करेगी।

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद	• **वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद एक ऐसी सकल घरेलू उत्पाद है जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है।** जब हम इस वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों पर करते हैं; यह हमें वास्तविक जीडीपी देता है। • वास्तविक जीडीपी को आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करने का एक बेहतर तरीका माना जाता है। नीचे दिए गए एक मामले से कारण स्पष्ट हो जाता है: ○ वर्ष 2010 में किसी देश की नॉमिनल जीडीपी 100 बिलियन डॉलर मान लें। 2020 तक, सांकेतिक जीडीपी का मूल्य 150 बिलियन डॉलर था। लेकिन उसी दशक में महंगाई ने डॉलर के मूल्य में 50% की कमी कर दी। इस प्रकार, 10 वर्षों में सांकेतिक जीडीपी मूल्य में 50 बिलियन की वृद्धि वास्तव में वास्तविक जीडीपी में 25 बिलियन की कमी प्रतीत होती है। • सकारात्मक मुद्रास्फीति के वर्षों में; वास्तविक जीडीपी हमेशा नॉमिनल जीडीपी से कम होगी। • अपस्फीति (नकारात्मक मुद्रास्फीति) के वर्षों में इसका विपरीत घटित होगा। • किसी देश में निवेश करने से पहले निवेशकों द्वारा वास्तविक जीडीपी का समर्थन किया जाता है क्योंकि यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति ने जीडीपी को किस स्थिति में ला दिया है। • **वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद = सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीतिकारक द्वारा विभाजित सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद**

हरित जीडीपी की अवधारणा

- हरित सकल घरेलू उत्पाद या हरित जीडीपी **एक देश के आर्थिक विकास का एक मापन है जहाँ आर्थिक मानकों के साथ; पर्यावरणीय कारक पर भी विचार किया जाता है।**
- यह एक **पारंपरिक जीडीपी मापक है जो आर्थिक गतिविधियों की पर्यावरणीय लागतों का हिसाब रखता है।**
- **इस विचार को पहली बार 1972 में विलियम नॉर्डहॉस और जेम्स टोबिन ने पेश किया था।**
- **2004 में, चीन ने घोषणा की कि हरित जीडीपी** सरकार और पार्टी के अधिकारियों के उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन के माप के रूप में **चीनी जीडीपी सूचकांक की जगह लेगी।**
- 2007 में चीन द्वारा इसे छोड़ दिया गया था जब यह स्पष्ट हो गया था कि नए माप के कारण विकास दर कम हो गई।

हरित सकल घरेलू उत्पाद की आवश्यकता:

- मौजूदा जीडीपी गणना के तरीके जैव विविधता के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं या केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के कारण, सतत विकास की धारणा को नजरअंदाज करना।
- पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ और संसाधन जैसे खनिज भंडार, मिट्टी आदि ऐसी संपत्तियाँ हैं जो परंपरागत रूप से राष्ट्रीय लेखांकन में शामिल नहीं हैं।
- वनों का विनाश, अत्यधिक मछली पकड़ने आदि को प्राकृतिक संपत्ति में गिरावट दर्ज किए बिना, पारंपरिक गणनाओं द्वारा 'आर्थिक विकास' के रूप में दिखाया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- भारत का वित्तीय वर्ष या वित्तीय वर्ष **1 अप्रैल से 31 मार्च तक** होता है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2022 **(FY22)** का अर्थ है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच की समयावधि।
- जब 12 महीने के वित्तीय वर्ष को तीन महीने के 4 भागों में बांटा जाता है; इसे **तिमाही** कहा जाता है ।
- **शुद्ध निर्यात (N)** में; हम निर्यात को आयात से घटाते हैं क्योंकि इससे हम वह घटाते हैं जो हम आयात पर खर्च करते हैं (देश में उत्पादित नहीं) और वह जोड़ते हैं जो हम देश में निर्यात (उत्पादित लेकिन उपभोग नहीं) पर खर्च करते हैं।
- **'सकल'** का अर्थ कुल है।
- **'घरेलू'** का अर्थ देश की सीमा के भीतर और हमारी अपनी पूंजी के साथ सभी आर्थिक गतिविधियों से है।
- **'उत्पाद'** का अर्थ है माल और सेवाएँ दोनों।

ग्रीन जीडीपी के निहितार्थ:

- जैव विविधता के नुकसान का मुद्रीकरण किया जा सकता है।
- यह जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार हो सकता है।

- संसाधन की कमी और पर्यावरणीय गिरावट को पारंपरिक जीडीपी आंकड़ों से घटाया जा सकता है।
- यह अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों दोनों की देखभाल करने में मदद करेगा।

सकल घरेलू उत्पाद की सीमाएँ:

- **समानांतर अर्थव्यवस्था :** कर चोरी और अवैध आय स्रोतों (तस्करी, अवैध व्यापार आदि) के कारण काला धन प्रचलन में है, जिसका हिसाब नहीं है। उदाहरण के लिए,अचल संपत्ति में काले धन के प्रचलन के कारण प्रमुख अमेरिकी शहरों की तुलना में मुंबई में फ्लैटों की कीमत एक बिंदु पर अधिक है।
- **वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था :** ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत से छोटे लेनदेन वस्तु विनिमय के रूप में होते हैं जो कवर नहीं होते हैं।
- **अनौपचारिक क्षेत्र :** भारत की अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र का वर्चस्व है जो भारत के कार्यबल का 86 प्रतिशत है (छोटे और सीमांत किसान, सब्जी विक्रेता, भूमिहीन मजदूर, घरेलू नौकरानी आदि)। जीडीपी/जीएनपी इस क्षेत्र के लिए जिम्मेदार नहीं है।
- **देखभाल अर्थव्यवस्था :** महिलाओं की एक बड़ी संख्या गृह निर्माता और गृहिणी के रूप में लगी हुई है। जीडीपी में इसका हिसाब नहीं है।
- **सामाजिक सेवाएँ :** सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय धर्मार्थ कार्यों का हिसाब नहीं दिया जाता है क्योंकि वे अवैतनिक कार्य हैं।
- **डेटा की गुणवत्ता :** पर्यावरणीय लागत, गरीबी, असमानता और स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति को जीडीपी के आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता है।
- जीडीपी **केवल 'संवृद्धि' का पैमाना है न कि 'प्रगति' या 'विकास' का।** लेकिन संवृद्धि कल्याण के लिए एक पूर्व शर्त है।

शुद्ध/निवल घरेलू उत्पाद

- **NDP** 'मूल्यह्रास' **(depreciation)** के लिए समायोजित करने के बाद गणना की गई **GDP** का मूल्य है।

NDP = GDP - Depreciation

- **मूल्यह्रास प्राकृतिक टूट-फूट (क्षति)** है जो किसी भी उत्पाद में उस समय अवधि में होता है जब उनका उपयोग किया जाता है। सरकारें उस दर को तय करती हैं जिस पर संपत्ति का मूल्यह्रास होता है। भारत में यह **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।**
- **बाह्य क्षेत्र में;** मूल्यह्रास तब होता है जब एक घरेलू मुद्रा (जैसे रुपया) के मूल्य में अमरीकी डालर की तुलना में गिरावट आती है।
- **NDP** का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है:
  - मूल्यह्रास के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को समझना।
  - विभिन्न क्षेत्रों पर मूल्यह्रास के प्रभाव का विश्लेषण करना।
  - यह हमें पूंजीगत उपभोग भत्ता यानी हमारी अर्थव्यवस्था के वर्तमान उत्पादकता स्तरों को बनाए रखने के लिए एक समय अवधि में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों के बारे में बताता है।
  - एनडीपीएक अर्थव्यवस्था में शुद्ध निवेश को कवर करता है और इसलिए आर्थिक स्वास्थ्य में बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यदि शुद्ध निवेश सकारात्मक है,तो अर्थव्यवस्था बढ़ती है और नकारात्मक होने पर इसके विपरीत भी होता है।
  - अगर जीडीपी और एनडीपी के बीच का अंतर बढ़ रहा है; यह हमें बताता है कि पूंजीगत स्टॉक मूल्य बिगड़ रहा है और यह आर्थिक ठहराव का संकेत देता है।
- एनडीपी का **उपयोग विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए नहीं किया जाता है।** ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग-अलग सरकारें मूल्यह्रास की अलग-अलग दरें निर्धारित करती हैं।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP)

- जब हम किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में **'विदेश से प्राप्त आय' (Income from abroad) को जोड़ते हैं;** हमें जीएनपी मिलता है।
- यह **नागरिक केंद्रित** है अर्थात यह किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित हर चीज की गणना करता है; चाहे घरेलू क्षेत्र में हो या विदेश में।

GNP = GDP + विदेश से होने वाली आय

- **'विदेश से आय' में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - **निजी प्रेषण (Private remittances):** (विदेश में काम कर रहे भारतीयों द्वारा भारत में स्थानांतरण) - (भारत में काम करने वाले विदेशियों द्वारा अपने देशों में स्थानांतरण)। 1990 के दशक से भारत यहाँ लाभ में रहा है। भारतीय ज्यादातर मध्य पूर्व, अमेरिका और यूरोप से पैसा भेजते हैं।
  - **बाह्य ऋणों पर ब्याज :** यह ब्याज भुगतानों का शुद्ध परिणाम है अर्थात (बाहरी ऋणों पर प्राप्त ब्याज को भारत ने बाहरी संस्थाओं से भारत द्वारा लिए गए ऋणों पर दिए गए ब्याज को **घटा दिया है**)। हमारे मामले में यह हमेशा नकारात्मक रहा है क्योंकि हम **'नेट बॉरोअर'** हैं।
  - **बाहरी अनुदान :** शुद्ध बाह्य अनुदान अर्थात भारत को अनुदान - भारत से प्राप्त अनुदान। हमें संयुक्त राष्ट्र निकायों, अन्य देशों और अन्य निकायों से अनुदान मिलता है। जैसे-जैसे हमारी राजनयिक पहुंच बढ़ेगी, भारत से अनुदानों का बहिर्वाह बढ़ेगा, उदाहरण के लिए अफ्रीकी और छोटे द्वीपीय देशों को।

'विदेश से आय' के उपरोक्त तीन कारक किसी देश के लिए सकारात्मक हो भी सकते हैं और नहीं भी। **भारत के मामले में निम्न कारणों से यह ज्यादातर नकारात्मक रहा है:**

  - **व्यापार घाटे के कारण विदेशी मुद्रा का भारी बहिर्वाह** अर्थात हम निर्यात से अधिक आयात करते हैं।
  - हमारे द्वारा लिए गए बाह्य ऋणों पर **ब्याज** का भुगतान करते हैं।

- इस प्रकार जीएनपी प्राप्त करने के लिए भारत के मामले में **'विदेश से आय' को जीडीपी से घटाया जाता है।** यानी **जीएनपी = जीडीपी + (- विदेश से आय);** जिसे हल करने पर (जीडीपी - विदेश से आय) हो जाता है।
- इसलिए हमारे मामले में, **GNP ज्यादातर सकल घरेलू उत्पाद से कम रहा है।**

- **एक अर्थव्यवस्था के लिए GNP के विभिन्न उपयोग हैं:**
  - यह **हमें अर्थव्यवस्था की आंतरिक और बाहरी ताकत के बारे में बताता है।** यह न केवल मात्रात्मक है, बल्कि गुणात्मक भी है।
  - यह हमें व्यापार संतुलन के मामले में **किसी देश की आंतरिक और बाहरी उत्पादों पर निर्भरता के बारे में बताता है।**
  - यह **हमें अन्य देशों की तुलना में हमारे मानव संसाधन के कौशल और मानक के बारे में बताता है;** प्रेषण अंतर्वाहों और बहिर्वाहों के माध्यम से।
  - यह संभव है कि **निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि शेष आबादी को गरीबी और बेरोजगारी में छोड़कर** केवल समाज के एक छोटे से हिस्से की आर्थिक वृद्धि को दर्शाए ।
  - यह **हमें उस वित्तीय सहायता के बारे में भी सूचित करता है जो हम** बाहरी उधार और उधार पर प्राप्त/भुगतान किए गए ब्याज के माध्यम से प्राप्त करते हैं और दुनिया को देते हैं।
  - किसी राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का **अंतर जितना अधिक होगा;** वह **विश्व स्तर पर अधिक एकीकृत** होता है।
  - यदि **GNP** किसी देश के **GDP** से अधिक है; यह सकारात्मक शुद्ध अंतर्वाह या विदेश से शुद्ध आय का संकेत देता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति जीएनपी में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर का संकेत नहीं देती है, यदि____ (2018)

(*a*) औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहता है।

(*b*) कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है।

(*c*) गरीबी और बेरोजगारी में वृद्धि।

(*d*) निर्यात की तुलना में आयात तेजी से बढ़ता है।

GDP बनाम GNP

मापदंड	GDP	GNP
अर्थ	• सकल घरेलू उत्पाद, या जीडीपी, उन उत्पादों और सेवाओं की संपूर्ण संख्या को दर्शाता है जो एक राष्ट्र एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित करता है।	• सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में जाना जाता है और एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

मापन	• यह केवल घरेलू उत्पादन को मापता है।	• यह केवल राष्ट्रीय उत्पादन को मापता है।
महत्त्व	• यह घरेलू स्तर पर प्राप्त होने वाले उत्पादन पर जोर देता है।	• यह उस उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है जो विभिन्न देशों में रहने वाले नागरिकों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
प्रदर्शन	• यह देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती पर प्रकाश डालता है।	• यह अर्थव्यवस्था के विकास में निवासियों के योगदान पर प्रकाश डालता है।
स्तर	• स्थानीय स्तर	• अंतर्राष्ट्रीय स्तर
अपवर्जन/अपवाद	• अर्थव्यवस्था के बाहर उत्पादित की जा रही वस्तुओं और सेवाओं को बाहर रखा गया है।	• देश में रहने वाले विदेशियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बाहर रखा गया है।

शुद्ध/निवल राष्ट्रीय आय (NNP)/ राष्ट्रीय आय (NI)

- जीएनपी से मूल्यह्रास घटाकर किसी अर्थव्यवस्था का एनएनपी **(NNP)** प्राप्त किया जा सकता है।

NNP = GNP – मूल्यह्रास
or
GDP + विदेशों से आय-मूल्यह्रास

- यह हमारी अर्थव्यवस्था की 'राष्ट्रीय आय' है। यद्यपि जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी को 'राष्ट्रीय आय' लेखांकन का तरीका माना जाता है; केवल **NNP** को कैपिटल इनिशियल्स **(NI)** के साथ लिखा जाता है।
- **NNP** को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर हम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकते हैं। (यह किसी देश द्व ारा तय की गई मूल्यह्रास दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी उच्च मूल्यह्रास का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय कम होना।)
- वर्ष 2015 में राष्ट्रीय खातों की गणना की पद्धति के साथ 'आधार वर्ष' को संशोधित किया गया था।

क्या आप जानते हैं?

- उपरोक्त चर्चा से, कोई भी देख सकता है कि हमने जहाँ कहीं भी **'सकल'** शब्द का प्रयोग किया है; कुछ **जोड़ा जा रहा है।**
- जबकि, जब भी हम 'निवल' शब्द का प्रयोग करते हैं; कुछ **घटाया** जाता है।

जानिए आधार वर्ष के बारे में

- वह वर्ष जिसे सूचकांकों, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी आदि की कुछ गणना करने के लिए **बेंचमार्क के रूप में चुना जाता है। 2015 में सरकार ने इसे 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया।**
- युद्ध, महामारी, मंदी आदि के कारण एक आधार वर्ष **'असाधारण वर्ष' नहीं होना चाहिए।**
- इस पर भी **बल दिया जाता है कि यह वर्तमान वर्ष के जितना संभव हो** उतना करीब हो। आधार वर्ष के **आंकड़े विश्वसनीय रूप से उपलब्ध होने चाहिए।**

स्थिर बनाम श्रृंखला आधारित विधि

- सरकार वर्तमान स्थिर आधार पद्धति से श्रृंखला आधार पद्धति पर स्विच करने पर विचार कर रही है।
- **स्थिर आधार विधि** वह है जहाँ सरकार जीडीपी अनुमानों की तुलना करने के लिए किसी विशेष वर्ष का उपयोग करती है।
  - इसे हर **5 साल में संशोधित किया जाता है ।**
  - स्थिर आधार पद्धति में, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर भी निर्धारित भारांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
  - यह कीमतों और मांग में परिवर्तन का कारक नहीं है।

- **श्रृंखला आधारित पद्धति** वह है जहाँ हम इस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों की तुलना पिछले वर्ष से करते हैं। यहाँ अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन अधिक व्यापक और तेजी से दर्ज किये जाते हैं।
- यह **मौजूदा सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय अभ्यास है** और इस प्रकार **यह अर्थव्यवस्थाओं की तुलना को आसान बना देगा।**

कारक/साधन लागत (FC) और बाजार मूल्य (MP) की अवधारणा

- एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित उत्पादों के कुल मूल्य की गणना या तो साधन लागत या बाजार लागत पर की जा सकती है।
- उत्पादन की प्रक्रिया में; एक उत्पादक को कुछ लागत (कच्चे माल पर, लिए गए ऋण पर ब्याज, श्रम, बिजली, किराया आदि) वहन करना पड़ता है। इन सभी को **कारक लागत** कहा जाता है और इसे **इनपुट लागत, उत्पादन लागत और फैक्टरी मूल्य भी कहा जाता है।**
- उत्पादकी बाजार लागत/बाजार मूल्य की गणना अप्रत्यक्ष करों की गणना के बाद की जाती है। यानी वह कीमत जिस पर वह बाजार में पहुंचता है।
- पहले, हम साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना करते थे; **2015 से, सीएसओ (CSO) ने बाजार मूल्य पर स्विच किया है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पैमाना है।**

बाजार मूल्य पर GDP = कारक लागत पर GDP + निवल अप्रत्यक्ष कर

- **वर्तमान बनाम स्थिर मूल्य:** दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि वर्तमान कीमतों में हम वर्तमान समय की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हैं; जबकि स्थिर मूल्य में हम आधार वर्ष की मुद्रास्फीति का उपयोग करते हैं।
- वर्तमान मूल्य मूल रूप से हमें उत्पाद का एमआरपी **(MRP)** बताता है।

MP = FC + (अप्रत्यक्ष कर-सब्सिडी)

वर्तमान और स्थिर मूल्य का अर्थ

- आय की गणना दो कीमतों पर की जा सकती है: स्थिर **और वर्तमान।** दोनों के बीच का अंतर केवल **मुद्रास्फीति के प्रभाव से है।**
- स्थिर कीमतों की गणना में **मुद्रास्फीति को आधार वर्ष** (जिसे अतीत वर्ष भी कहा जाता है) पर स्थिर के रूप में लिया जाता है। (अर्थात आधार वर्ष की मुद्रास्फीति का उपयोग किया जाएगा)।
- **मौजूदा कीमतों की गणना में; वर्तमान मुद्रास्फीति जोड़ा जायगा।** यह मूल रूप से बाजार में हम जो सामान खरीदते हैं उस पर छपा एमआरपी होता है।
- इस प्रकार, **स्थिर कीमतें हमें उत्पादन में वास्तविक परिवर्तन का एहसास कराने में मदद करती हैं,** न कि केवल मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण।
- **उदाहरण:** यदि आपका वेतन 40,000 रुपये से बढ़कर 70,000 / माह हो गया है; यह जीवन स्तर में बहुत अच्छा सुधार प्रतीत होगा। लेकिन अगर इस दौरान मुद्रास्फीति सालाना 50% थी; उस वृद्धि की क्रय शक्ति काफी हद तक कम हो जाएगी। यहाँ स्थिर कीमतें सुधार की स्पष्ट तस्वीर पेश करेंगी।

मूल्य वर्धन की अवधारणा

- **मूल्य वर्धन किसी वस्तु या सेवा की कीमतों और उसके उत्पादन की लागत के बीच का अंतर है।** कीमतों की गणना उपभोक्ता की धारणा और भुगतान करने की उनकी इच्छा के आधार पर की जाती है।
- यह वह अतिरिक्त मूल्य है जो किसी उत्पाद या सेवा को उपभोक्ता के मिलने से पहले जोड़ा जाता है।
- इससे राजस्व और लाभ बढ़ाने में मदद मिलती है। यह एक ब्रांड नाम या किसी अन्य अभिनव तरीके से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक बीएमडब्ल्यू कार की कीमत इसकी प्रतिष्ठा और उपभोक्ता द्वारा इसकी कीमत के लिए भुगतान करने को तैयार होने के कारण अधिक है।
- अर्थव्यवस्था के लिए इसका मतलब है कि कुल सकल घरेलू उत्पाद में निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र द्वारा किया गया योगदान एक उद्योग का मूल्य वर्धन है।
- **उदाहरण :** एक अर्थव्यवस्था में केवल दो प्रकार के उत्पादक हैं- किसान और बेकर। किसान को श्रम के अलावा किसी इनपुट की आवश्यकता नहीं है (मान लिया)। वे गेहूं का एक हिस्सा बेकरों को बेचते हैं जिन्हें रोटी बनाने के लिए गेहूं के अलावा किसी अन्य कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। किसान एक साल में 100 रुपये मूल्य के गेहूं का उत्पादन करते हैं। वे बेकर को 50 रुपये मूल्य का गेहूं बेचते हैं। बेकरी इस गेहूं का उपयोग 200 रुपये मूल्य की रोटी बनाने के लिए करते हैं।
  - **अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का मूल्य क्या है?**
  - 300 यदि हम केवल विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यों को जोड़ते हैं।
  - लेकिन इससे 50 रुपये का गेहूँ दो बार गिना जाएगा।
  - **इसलिए मूल्य वर्धन = किसान का शुद्ध योगदान + बेकर का शुद्ध योगदान।**
  - **मूल्य वर्धन** = 100+(200-50) =250

सकल मूल्य वर्धन (GVA)

- जीवीए, सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए आपूर्ति पक्ष का एक **तरीका है।** यहाँ,अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, विनिर्माण, आदि) द्वारा किए गए मूल्य वर्धन को सकल मूल्य वर्धित करने के लिए जोड़ा जाता है।
- **जीवीए की गणना का सूत्र इस प्रकार है:**

GVA = GDP + (अप्रत्यक्ष कर सहायिकी/सब्सिडी)
अथवा
GVA = GDP + शुद्ध अप्रत्यक्ष कर

- **इस पद्धति के उपयोग इस प्रकार हैं:**
  - यह हमें एक अर्थव्यवस्था के भीतर विभिन्न क्षेत्रों की तुलना करने में मदद करता है।
  - यह तिमाही वृद्धि के आंकड़ों की बेहतर तस्वीर पेश करता है।
  - यह एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की मूल कीमतों का योग है। **(आधार मूल्य = बाजार मूल्य - अप्रत्यक्ष कर)**
  - यह हमें **GDP** और कराधान के बीच की कड़ी को समझने में मदद करता है।
  - अगर जीवीएऔर जीडीपी विकास दर असमान हैं; **इसका अर्थ है कि कराधान उछाल/उत्प्लावाकता** में विसंगति है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि या तो गैर-कर वाले क्षेत्र बढ़ रहे हैं या कर चोरी हो रही है।

कराधान उछाल

- यह सरकार की कर आय में बदलाव और जीडीपी में संभावना के बीच का संबंध है। इसका संबंध जीडीपी में बदलाव के लिए कर राजस्व वृद्धि की संवेदनशीलता से है।

राष्ट्रीय आय (NI) की गणना में वर्ष 2015 में परिवर्तन किया गया

- **राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)** की सिफारिश के अनुसार **आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया।**
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय **(CSO) ने कारक लागत (FC) पर जीडीपी की गणना से बाजार मूल्य (MP) पर जीडीपी की गणना पर स्विच किया।**
- **जीडीपी का मतलब** कारक लागत पर जीडीपी के बजाय स्थिर बाजार कीमतों पर जीडीपी होगा।
- **सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की गणना अब आधार कीमतों पर की जाएगी,** न कि कारक लागत पर।
- **एमसीए 21 (MCA21) डेटाबेस;** कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की एक ई-गॉव पहल का उपयोग उन गतिविधियों के लिए किया जाएगा जो कंपनियाँ विनिर्माण के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए करती हैं। यह विनिर्माण और सेवाओं दोनों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है।
- स्टॉक ब्रोकरों, स्टॉक एक्सचेंजों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए के खातों की जानकारी का उपयोग वित्तीय क्षेत्र के पूर्ण कवरेज के लिए किया जाएगा। स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थानों की गतिविधियों का भी लेखांकन किया जाएगा।

संशोधित सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला

- 2015 के बाद से नई जीडीपी श्रृंखला का **आधार वर्ष 2011-12 है।**
- इस श्रंखला के आधार पर यह पता चला कि 2004-05 के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े औद्योगिक विकास को कम आंक रहे थे।
- **नई जीडीपी श्रृंखला में 2004-05 में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गई:**
  - विनिर्माण पहले के 11.8% से 15.8% हो गया।
  - कृषि16.8% से 17.2%।
- वर्ष 2018-19 में भारत की प्रति व्यक्ति आय में 10% की अनुमानित वृद्धि देखी गई।
- 2012-13 के जीडीपी डेटा को 2015 से नई पद्धति के आधार पर पुनर्गणना किया गया था। इसे **'बैक सीरीज डेटा'** कहा जाता है। यह तिमाही और वार्षिक दोनों आंकड़ों के लिए था।
- **इस कदम के पीछे कारण हैं:**
  - वैश्विक प्रथाओं की तुलना।
  - भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिक प्रतिनिधित्व।
  - रियल एस्टेट क्षेत्र का अधिक प्रदर्शन।
- **बैक सीरीज डेटा के खिलाफ बहस:**
  - पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, अरविंद सुब्रमण्यन द्वारा किए गए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि 2011-17 के बीच आर्थिक विकास का अनुमान अधिक लगाया गया है।
  - सरकार का दावा है कि भारत लगभग 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा है जबकि **CEA** की राय है कि यह केवल लगभग 4.5% की दर से बढ़ा है।
  - उनका विश्लेषण 17 प्रमुख आर्थिक संकेतकों पर आधारित है।

- जब भी राष्ट्रीय आय की एक नई श्रृंखला शुरू की जाती है; इसका उपयोग नए आधार वर्ष के आधार पर पिछले वर्षों के आउटपुट को देखने के लिए भी किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था, आकार, विकास दर आदि को समझने में मदद करती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. दी गई अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर है (2013)

(*a*) नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य।

(*b*) कुल निवेश और उपभोग व्यय का योग।

(*c*) सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय का योग।

(*d*) उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. वर्ष 2015 से पहले और वर्ष 2015 के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद की गणना पद्धति के बीच अंतर स्पष्ट करें। (2021)

राष्ट्रीय आय के मापन से संबंधित संस्थान: CSO; NSSO; NSC

भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सांख्यिकी

- **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी** के लिए डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है ।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद **(GSDP)** और अन्य आंकड़े विभिन्न राज्यों के लिए राज्य स्तर पर अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा एकत्र किए जाते हैं।
- सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी, एनडीपी, खपत, बचत, पूंजी निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र के लेनदेन, प्रति व्यक्ति आय आदि जैसे विभिन्न व्यापक आर्थिक संकेतकों के लिए वर्तमान और स्थिर कीमतों दोनों के लिए आंकड़े जारी किए जाते हैं।
- **सीएसओ तिमाही और साथ ही वार्षिक आंकड़े जारी करता है।** 2015 से जीवीए डेटा भी जारी किया जाता है।
- चालू वित्त वर्ष के लिए वृद्धि के बारे में डेटा जनवरी में जारी किया जाता है (वित्त वर्ष मार्च में समाप्त होने से पहले) और इसे राष्ट्रीय आय का **'अग्रिम अनुमान (AE)' कहा जाता है।** यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों में सहायता करता है।
- वर्षों बाद अंतिम अनुमान जारी होने तक डेटा **को कई बार संशोधित किया जाता है।**

भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का विलय

- एनएसएसओ **(NSSO)** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक संस्था थी। इसकी स्थापना 1950 में भारत में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने के लिए की गई थी; ज्यादातर सामाजिक-आर्थिक।
- इसके कर्मचारी मुख्य रूप से **'भारतीय सांख्यिकी सेवा'** (यूपीएससी द्वारा परीक्षा) और अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएससी परीक्षा) के रूप में थे।
- मई 2019 में, **NSSO** और **CSO** को मिलाकर **NSO** या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया।
- **एनएसएसओ के उत्तरदायित्व इस प्रकार थे:**
  - सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग
  - फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन
  - डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन
  - समन्वय और प्रकाशन प्रभाग
- एनएसएसओ योजना, डिजाइन और सर्वेक्षण और उसके परिणामों की विश्लेषण करता था।
- **सीएसओ** भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता था और सांख्यिकीय मानकों को बनाए रखता था और विकसित करता था। इसकी अध्यक्षता एक महानिदेशक रैंक के अधिकारी द्वारा की जाती थी।
- **इसकी जिम्मेदारियाँ थीं:**
  - राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
  - उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना और इसके अनुवर्ती सर्वेक्षण। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संकलन।
  - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी गैर-मैनुअल कर्मचारी)।
  - मानव विकास सांख्यिकी
  - लिंग सांख्यिकी
  - आधिकारिक सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना
  - उद्योग, ऊर्जा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सांख्यिकीय जानकारी प्रकाशित करना।
- एमसीए 21 (**MCA** 21) डेटा के बारे में एनएसएसओ के निष्कर्षों के संबंध में विवाद थे। इसने जीडीपी में निजी क्षेत्र के योगदान पर सवाल उठाए।
- आलोचकों के अनुसार; विलय का संस्था की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि नव निर्मित **NSO** का नेतृत्व **MoSPI** के सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)



- 2019 **में, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय** और **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय** को **MoSPI** द्वारा **'NSO'** बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। यह डेटा संग्रह की पूरी प्रक्रिया के लिए और अधिक तालमेल प्रदान करने की उम्मीद है।
- **NSO** का **नेतृत्व भारत के मुख्य सांख्यिकीविद करते हैं।**
- सीएसओ विभिन्न व्यापक आर्थिक संकेतकों से संबंधित डेटा प्रकाशित करता है जबकि एनएसएसओ स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के बारे में व्यापक सर्वेक्षण करता है।
- **रंगराजन आयोग की सिफारिशों पर; 2006 में एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग** की स्थापना की गई थी।
  - इसमें 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है।
  - उपरोक्तमें से प्रत्येक को सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव होता है।
  - इसका काम सांख्यिकीय मामलों में नीतियों, प्राथमिकताओं और मानकों को विकसित करना है।

व्यक्तिगत आय (PI) और प्रयोज्य आय (DI)

व्यक्तिगत आय **(Personal Income)**	• व्यक्तिगत आय को एक वर्ष में प्रत्यक्ष करों के भुगतान से पहले सभी स्रोतों से किसी देश के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त कुल आय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। • **पीआई कभी भी राष्ट्रीय आय के बराबर नहीं होता है** क्योंकि **पीआई** में हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं। • **PI** = राष्ट्रीय आय - (सामाजिक सुरक्षा योगदान और अविभाजित कॉर्पोरेट लाभ) + स्थानांतरण भुगतान।
प्रयोज्य आय **(Disposable Income)**	• डिस्पोजेबल आय आयकर के भुगतान के बाद व्यक्तियों की खपत और बचत का योग है। • इसे 'व्यय करने योग्य व्यक्तिगत आय' भी कहा जाता है। • प्रयोज्य आय = व्यक्तिगत आय-प्रत्यक्ष कर • इसके अलावा, **प्रयोज्य आय** = उपभोग + बचत (चूंकि संपूर्ण आय का उपभोग नहीं किया जाता है और इसका कुछ हिस्सा परिवारों द्वारा बचाया जाता है)

पूंजी उत्पादन अनुपात (CoR)

- यह अवधारणा एक अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश और उत्पादन के परिणामी मूल्य या सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के बीच संबंध की व्याख्या करती है।
- यह उत्पादन की एक इकाईके लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा है।
- उदाहरण के लिए; यदि किसी अर्थव्यवस्था में 100 रुपये का निवेश होता है और उत्पादन 10 रुपये का होता है; तो पूंजी उत्पादन अनुपात 10% है। यह कम लग सकता है लेकिन याद रखें कि 100 रुपये का निवेश अगले 10-12 वर्षों तक रहेगा और प्रति वर्ष कई इकाइयों का उत्पादन करेगा।
- इस **अवधारणा का महत्व :**
  - यह **हमें आवश्यक निवेश की मात्रा को समझने में मदद करता है।** उदाहरण के लिए; अगर सरकार 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखती है; और यह जानती है कि पूंजी उत्पादन अनुपात 10 है; तो यह समझा जा सकता है कि निवेश को 100% (10 × 10) यानी दोगुना बढ़ाने की जरूरत है।
  - यह निवेश स्तर और परिणामी आर्थिक विकास के बीच के संबंध को दर्शाता है।
  - **G = S/V;** जहाँ **G** संवृद्धि है, **S** जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बचत है और ट पूंजी उत्पादन अनुपात है।
  - निम्न पूंजी उत्पादन अनुपात दर्शाता है कि पूंजी उत्पादक है और तकनीकी प्रगति हो रही है। यह वांछनीय है क्योंकि निम्न स्तर का निवेश वांछनीय संवृद्धिकर रहा है।
  - पूंजी उत्पादन अनुपात को कम करने में प्रौद्योगिकी प्रमुख भूमिका निभा सकती है। क्योंकि बेहतर तकनीकी के कारण उत्पादकता बढ़ेगी।

- **वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात (ICOR):** यह अवधारणा का एक स्वरूप है और उत्पादन के एक अतिरिक्त स्तर का उत्पादन करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त निवेश को दर्शाता है।निवेश में वृद्धि के साथ; मूल पूंजी उत्पादन अनुपात स्वयं बदल जाता है और इसलिए त्रुटिपूर्ण हो जाता है। यहाँ आईसीओआर उपयोगी है।

अंतरण अदायगी

- ये **एक तरफा भुगतान हैं जिसके बदले में कोई वस्तु या सेवा नहीं मांगी जाती है।**
- इनका उपयोग सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे- वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा आदि के तहत **आय पुनर्वितरण के लिए किया जाता है।**
- वे **व्यक्तिगत आय का हिस्सा हैं** और **उन्हें सब्सिडी नहीं माना जाता** है।
- सब्सिडी, कमोडिटी लेनदेन (खाद्य, उर्वरक आदि) से जुड़ी हुई है।
- स्थानांतरण भुगतान **सशर्त** (इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की तरह) **और बिना शर्त** हो सकता है ।
- **सब्सिडी और सार्वभौमिक मूल आय की गणना हस्तांतरण भुगतान के रूप में नहीं की जाती है।**

सीजनेलेटी/मौसमीपन तत्व की अवधारणा

- इसका सीधा सा **मतलब है कि तुलनीय समय अवधि की तुलना की जानी चाहिए** यानी 2021 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के आंकड़ों की तुलना 2022 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही से की जाएगी।
- यह सुनिश्चित करता है कि सही आंकड़े प्रदर्शित हों क्योंकि मुद्रास्फीति, निवेश, रोजगार आदि जैसी विशेषताएँ समान तिमाहियों में समान होने की संभावना होती है। **उदाहरण के लिए-**
  - अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में दशहरा, दीवाली और क्रिसमस आदि जैसे कई महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन और खरीदारी होती है।
  - यह हमें ऐसा डेटा देता है जिस पर कार्यवाही की जा सकती है। यदि निजी खपत इस वर्ष की इस तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में कम रही; तो कारणों का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

संभावित जीडीपी/जीडीपी की संभावना

- सकल घरेलू उत्पाद के जो आंकड़े ज्यादातर हमारे लिए उपलब्ध हैं, वे वास्तविक **सकल घरेलू उत्पाद है।**
- संभावित सकल घरेलू उत्पाद वह सकल घरेलू उत्पाद है जिसे **मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटे आदि जैसे प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों को अस्थिर किए बिना प्राप्त किया जा सकता है।**
- यह अनुकूलतम उत्पादन है जो एक देश दीर्घावधि में कर सकता है।
- **जीडीपी गैप या आउटपुट गैप = संभावित - वास्तविक जीडीपी**
- यह हमें बताता है कि अनुकूलतम तक पहुंचने के लिए **हमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में तेजी लाने या कमी करने की आवश्यकता है या नहीं।**
- यह **आम तौर पर अल्पकालिक उपायों से हासिल नहीं होता है** और इसके लिए विकास के एक टिकाऊ तरीके की आवश्यकता होती है।
- **सकारात्मक अंतर :** जब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संभावित सकल घरेलू उत्पाद से अधिक हो।
  - यह स्फीतिकारी है क्योंकि मांग आपूर्ति से अधिक है।
  - उत्पादकता बढ़ती है और रोजगार 100% तक पहुंच जाता है (सैद्धांतिक रूप से, हर कोई जो काम चाहता है उसे मिलेगा)।
  - आदर्श रूप से यह वांछनीय स्थिति **नहीं है क्योंकि यह मुद्रास्फीतिकारी है।**
  - मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ इससे बचने के लिए काम करती हैं।
- **नकारात्मक अंतराल:** जब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद संभावित सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है।
  - मुद्रास्फीति नीचे आती है लेकिन बेरोजगारी बढ़ती है।
- **संभावित उत्पादन के लिए प्रमुख कारक:**
  - मानव पूंजी और कौशल।
  - बुनियादी ढांचा।
  - संभावित श्रम शक्ति।
  - तकनीकी विकास।
  - श्रम उत्पादकता।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. संभावित सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें और इसके निर्धारकों की व्याख्या करें। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभावित सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने से रोक रहे हैं? **(2020)**

प्रति व्यक्ति आय (PCI)

- यह एक भौगोलिक क्षेत्र या एक राष्ट्र में एक औसत व्यक्ति द्वारा अर्जित धन की राशि हैद्य
- यह हमें किसी देश/क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता व देश की समृद्धि के बारे में बता सकता है।
- **पीसीआई = जीडीपी या जीएनपी को मध्य-वर्ष** की जनसंख्या (इसी वर्ष की) से विभाजित किया जाता है।
- **नकारात्मक पक्ष:**
  - किसी देश में असमानता के बारे में हमें जानकारी नहीं देता है।
  - मुद्रास्फीति, गरीबी, बचत या धन वितरण के लिए जिम्मेदार नहीं है।
  - इसमें नवजात और बच्चे भी शामिल हैं जो आमतौर पर कुछ भी नहीं कमाते हैं।

अर्थव्यवस्था के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र

औपचारिक क्षेत्र	अनौपचारिक क्षेत्र
• ये सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं। • उन पर कई कानून लागू होते हैं, उदाहरण के लिए, श्रम संहिता, मजदूरी संहिता आदि। • बिजली सहित कम से कम 10 कर्मचारियों वाली या बिना बिजली के 20 कर्मचारियों वाली फैक्ट्रियाँ औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। • बड़ी फर्मों को भी संगठित क्षेत्र के रूप में गिना जाता है। • वहाँ कर्मचारी चिकित्सा अवकाश, ओवरटाइम भुगतान, बीमा आदि जैसे कुछ लाभ प्राप्त करते हैं।	• सरकार के साथ अपंजीकृत। • इसमें छोटे किसान, रेहड़ी-पटरी बेचने वाले घरेलू नौकर आदि शामिल हैं। • वे कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं और कम भुगतान, लंबे समय तक काम करने आदि जैसे शोषण की चपेट में हैं। • यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अत्यधिक योगदान देता है और सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा बनाता है। • सभी असंगठित क्षेत्र इस श्रेणी में आते हैं। • इनको कोई सामाजिक लाभ नहीं प्राप्त होता है और वे पेट भरने के लिए पूरी तरह से शारीरिक श्रम कौशल पर निर्भर हैं।

क्या आप स्प्लिसिंग (Splicing) जानते हैं?

- यह वह **तरीका है जिसके द्वारा कुछ वस्तुओं के सूचकांक से नई वस्तुओं को जोड़ा जाता है या पुरानी वस्तुओं को हटा दिया जाता है।**
- ये वे समायोजन हैं जो बेहतर तुलना के लिए किए जाते हैं।
- **उदाहरण के लिए,** सीपीआई या डब्ल्यूपीआई की गणना में शामिल मदों में परिवर्तन।

भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन से जुड़े मुद्दे

आय पद्धति के साथ चुनौतियाँ	• **स्वामी अपने घर में रहते हैं :** यदि। अपना घर ठ को किराए पर देता है; तब। एक निश्चित राशि का किराया अर्जित करता है। लेकिन अगर। घर का मालिक और रहने वाला है, तो क्या घर की सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा? उन्हें उस किराए का अनुमान लगाकर शामिल किया जाता है जो मकान को किराए पर दिए जाने पर मालिक कमाता हो। • **स्व-रोजगार:** अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले निवेशों की गणना करना बहुत कठिन है। हो सकता है कि वे अपने काम में अपनी जमीन, श्रम, पूंजी और उद्यमिता प्रदान कर रहे हों। यह भी राष्ट्रीय आय में शामिल है। • **स्व-उपभोग के लिए वस्तु:** एक किसान सब कुछ बेचने और फिर बाजार मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने के बजाय कुछ उपज अपने उपभोग के लिए रख सकता है। इसे राष्ट्रीय आय में भी शामिल किया जाता है क्योंकि बिना बिके उत्पाद का मौद्रिक मूल्य होता है। • **वेतन और वेतन का भुगतान माल के रूप में :** मुफ्त भोजन और आवास और अन्य सुविधाएँ भी राष्ट्रीय आय में शामिल हैं क्योंकि अगर नियोक्ता ने इन चीजों के लिए पैसा दिया होता है; कर्मचारियों ने वैसे भी इन मदों पर खर्च किया होगा।

उत्पाद पद्धति के साथ चुनौतियाँ	• गृहिणियों द्वारा दी जाने वाली **सेवाएँ असंख्य हैं लेकिन ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं।** मौद्रिक संदर्भ में किए गए सभी कार्यों के मूल्य की सटीक गणना करना बहुत कठिन है। इसी प्रकार अपने बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक, चित्रकार, नर्तकी आदि भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। • **मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु** का अनुमान लगाना मुश्किल होता है और कभी-कभी सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद; दोहरी गिनती हो सकती है जिससे मुद्रा का अधिक अनुमान लगाया जा सकता है। ध्यान दें कि राष्ट्रीय लेखांकन में केवल अंतिम माल को ही शामिल किया जाना है। • पुराने सामान, बॉन्ड, शेयर और स्टॉक की **बिक्री और खरीद** को राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वे पहले से ही उत्पादन किए गए वर्ष में दर्ज किए गए थे। लेकिन दलाली के लिए कमीशन और शुल्क राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल हैं। • **अवैध गतिविधियों** जैसे जुआ, अवैध शराब बनाना आदि को राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल नहीं किया जाता है, भले ही उनका मौद्रिक मूल्य हो और लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो।
	• **उपभोक्ता की सेवा** जैसे डॉक्टरों, अभिनेताओं, शिक्षकों आदि से जो किसी भी मूर्त वस्तु का उत्पादन नहीं करते हैं। लेकिन उन्हें राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल किया जाता है क्योंकि उन्हें अंतिम वस्तुएं माना जाता है।
	• **पूंजीगत लाभ** तब होता है जब एक संपत्ति, घर, स्टॉक, शेयर आदि को उस कीमत से अधिक कीमत पर बेचा जाता है, जिस पर इसे शुरू में बेचा गया था। वे राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल नहीं हैं और न ही पूंजीगत नुकसान हैं क्योंकि वे वर्तमान आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न नहीं हुए हैं।
	• **वस्तु सूची परिवर्तन (और कुल सूची नहीं)** राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल है। ये परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं।
	• **मूल्यह्रास** एक समस्या पैदा करता है क्योंकि एक मशीन के वर्तमान मूल्य का अनुमान लगाना मुश्किल है जिसका अपेक्षित जीवन 30 वर्ष था। फर्म मूल लागत पर मूल्यह्रास मूल्य की गणना करते हैं। लेकिन हर साल कीमतें बदलती रहती हैं। यह अभी भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल है।
	• **मूल्य परिवर्तन** अक्सर होते रहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से की जाती है। मूल्य वृद्धि और इसके विपरीत राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है लेकिन राष्ट्रीय उत्पादन गिर सकता है। इस प्रकार, हम स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं।
व्यय पद्धति के साथ चुनौतियाँ	• **सरकारी सेवाएँ** असंख्य हैं। जैसे पुलिस, रक्षा, प्रशासन आदि। इस बात पर बहस होती है कि उन्हें अंतिम माल माना जाए या मध्यवर्ती माल जो अंतिम माल के उत्पादन की अनुमति देते हैं। वास्तव में यह तय करना संभव नहीं है कि वे कब अंतिम हैं और कब वे मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं। इस प्रकार सभी सरकारी सेवाओं का लेखा राष्ट्रीय आय लेखांकन में किया जाता है।
	• खाद्य और उर्वरक सब्सिडी, बेरोजगारी भत्ते आदि जैसे **हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल नहीं हैं क्योंकि वे इस प्रक्रिया में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं।**
	• **उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ** टीवी, स्कूटर, बाइक आदि ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें एक वर्ष में खरीदा जाता है लेकिन कई वर्षों तक उपयोग किया जाता है। यह एक भ्रम है कि क्या उन्हें निवेश व्यय या उपभोग व्यय के रूप में माना जाना चाहिए। पिछले वर्ष के लिए उनके उपयोग किए गए मूल्य को मापना संभव नहीं है और इसलिए उन्हें अंतिम उपभोग व्यय के रूप में लिया जाता है। अपवाद एक घर है जिसे निवेश व्यय के रूप में लिया जाता है।
	• **सार्वजनिक व्यय** सैन्य, पुलिस, सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर खर्च है। समस्या यह पता लगाने में है कि कौन सा व्यय निवेश व्यय है और कौन सा उपभोग व्यय है। लेकिन ये सभी राष्ट्रीय आय में शामिल हैं; जिसमें सशस्त्र कर्मियों का वेतन भी शामिल है।

राष्ट्रीय लेखा से संबंधित मुद्दों का समाधान

- **प्रासंगिक आँकड़ों की उपलब्धता :** ऐसी कई सेवाएँ हैं जो आँकड़ों की कमी के कारण राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए एक प्लम्बर काम कर रहा है और अपने खाली समय में कमाई कर रहा है, इसे डेटा सेट में शामिल करना कठिन है। इस प्रकार सभी प्रासंगिक आँकड़े होना महत्वपूर्ण है।
- **डबल काउंटिंग को खत्म करना:** सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हमेशा डबल काउंटिंग का जोखिम होता है जो आर्थिक विकास के लिए गलत डेटा प्रदान कर सकता है।
- **गैर-विपणन क्षेत्रों को शामिल करना:** जैसे गृहिणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ। ये ऐसी सेवाएँ हैं जिनके बिना अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं कर सकती है लेकिन वे अभी तक शामिल नहीं हैं क्योंकि वे अवैतनिक हैं।
- **मूल्यह्रास की सटीक गणना:** मूल्यह्रास, मरम्मत और प्रतिस्थापन आदि के कारण भत्तों के लिए की गई कटौती मुश्किल है। लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं और इन्हें सही तरीके से किया जाना चाहिए।
- **पहचानना और शामिल करना:** राष्ट्रीय आय लेखांकन में गैर-मुद्रीकृत और असंगठित सेवाएँ।
- **मूल्य स्तर में परिवर्तन:** वास्तविक उत्पादन या उत्पादन में किसी भी बदलाव के बिना राष्ट्रीय आय को बदल सकते हैं। ऐसे में इसे ठीक करने की जरूरत है।
- **व्यवस्थित खातों का रखरखाव** राष्ट्रीय आय की गणना में मदद करता है। की गई बिक्री का विवरण न रखने से यह कार्य कठिन हो सकता है।
- **स्पष्ट व्यावसायिक वर्गीकरण :** कुछ लोग कारपेंटर, क्लीनर, पेंटर आदि जैसी कई भूमिकाओं में काम करते हैं। इस प्रकार उन्हें वर्गीकृत करना और उन्हें राष्ट्रीय आय लेखांकन में शामिल करना मुश्किल हो जाता है।

❖ ❖ ❖

4 आर्थिक संवृद्धि और विकास

प्रारंभ में अर्थशास्त्र में, ''**प्रगति**'' शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर ''**संवृद्धि**'' और ''**विकास**'' जैसे शब्दों का इस्तेमाल अक्सर और एक-दूसरे के स्थान पर किया जाने लगा। 1960 और 70 के दशक तक आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास के अर्थ अलग नहीं थे।

आर्थिक संवृद्धि की अवधारणा

- समय के साथ, अर्थव्यवस्था के संकेतकों में होने वाली वृद्धि, आर्थिक संवृद्धि है। यहाँ किसी देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, समय के साथ बढ़ती जाती है।
- इसका अर्थ है कुल भौतिक या वास्तविक उत्पादन में वृद्धि, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन है। उदाहरण के लिए एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित कारों की संख्या साल दर साल बढ़ती चली गई।
- संवृद्धि एक ऐसी चीज है जिसे मापा जा सकता है यानी इसे पूर्ण संख्याओं में मापा जा सकता है।
- हालांकि, संवृद्धि **सकारात्मक और नकारात्मक** दोनों हो सकती है लेकिन हम इसका इस्तेमाल सकारात्मक अर्थों में करते हैं।
- यह एक समय अवधि से दूसरी समय अवधि में, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाला बदलाव है,
- यह एक मात्रात्मक बदलाव है और इसे आमतौर पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद **(GNP)** या सकल घरेलू उत्पाद **(GDP)** की परिभाषा में मापा जाता है।
  - **यह आमतौर पर 4 तरीकों से होती है:**
    1. भौतिक पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि।
    2. तकनीकी सुधार
    3. श्रम शक्ति में वृद्धि
    4. मानव पूंजी में वृद्धि

आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक

- यह एक बेहद जटिल गतिविधि है और इसलिए यह कई कारकों से प्रभावित होती है:

आर्थिक कारक

- **प्राकृतिक संसाधन:** यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है।
  - इनमें भूमि प्रदेश और मिट्टी की गुणवत्ता, वन संपदा, नदियों की अच्छी व्यवस्था, खनिज और तेल संसाधन, अच्छी जलवायु आदि शामिल हैं।
  - आर्थिक संवृद्धि के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है।
  - कम आय वाले देश जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं; उनका पर्याप्त उपयोग नहीं करते, कम उपयोग करते हैं, या उनका दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीकी देश।
  - वैकल्पिक रूप से, सिंगापुर और जापान में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता नहीं है, लेकिन ये अत्यधिक विकसित हैं। ये अत्यधिक कुशल देश हैं।
- किसी अर्थव्यवस्था के विकास में **पूंजी निर्माण** एक और महत्वपूर्ण कारक है।
  - यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की बचत को पूंजीगत वस्तुओं जैसे संयंत्रों, उपकरणों और मशीनरी में निवेश किया जाता है।
  - बदले में ये एक राष्ट्र की उत्पादन क्षमता और कर्मचारी दक्षता में वृद्धि करते हैं और इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का एक बड़ा प्रवाह सुनिश्चित करते हैं।
  - सम्पूर्ण आय को उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता, बल्कि इसमें से कुछ को बचाया जाता है और पूंजी निर्माण के लिए निवेश किया जाता है।
- आर्थिक संवृद्धि की दर निर्धारित करने में **तकनीकी प्रगति** भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है।
  - यह एक शोध है जो उत्पादन के नए और बेहतर तरीकों के उपयोग या पुराने तरीकों में सुधार करने के लिए है।
  - कभी-कभी तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता होती है। लेकिन आम तौर पर, इससे उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है।

- तकनीकी प्रगति, प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से उपयोग करने की क्षमता में सुधार करती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कृषि उपकरणों की मदद से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- इससे पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है।

- निवेश के नए अवसरों का पता लगाने, जोखिम उठाने और नई एवं बढ़ती व्यावसायिक इकाइयों में निवेश करने की क्षमता को उद्यमिता कहते हैं।
  - दुनिया के ज़्यादातर अल्पविकसित देश पूंजी, बुनियादी ढांचे, कुशल श्रम और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण गरीब नहीं हैं बल्कि वे उद्यमिता की कमी के कारण गरीब हैं।
- शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के माध्यम से मानव पूंजी के निर्माण में निवेश के रूप में मानव संसाधन विकसित करना आर्थिक संवृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। यह आबादी के ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है।
- **जनसंख्या वृद्धि:** यह श्रम आपूर्ति में सहायक है और यह वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बड़ा बाजार प्रदान करता है।
  - इस प्रकार, अधिक श्रम बहुत अधिक उत्पादन करता है जिसे एक व्यापक बाजार उपयोग करता है।
  - इस प्रक्रिया में, उत्पादन, आय और रोजगार बढ़ता जाता है और आर्थिक संवृद्धि में सुधार होता है।
  - हालांकि, यह सामान्य रूप से होना चाहिए और ऐसा अचानक नहीं होना चाहिए अन्यथा यह आर्थिक संवृद्धि में रूकावट बन जाएगा।
  - सामाजिक प्रमुखों जैसे स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों आदि ने स्वस्थ और जिम्मेदार जनसंख्या का सृजन किया है जो देश को आर्थिक रूप से आगे ले जा सकती है।

गैर-आर्थिक कारक

- आर्थिक संवृद्धि के लिए **राजनीतिक कारक** आवश्यक हैं। एक स्थिर, मजबूत और दक्ष सरकार, पारदर्शी नीतियों के साथ ईमानदार प्रशासन और कुशल परिपालन से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और यह घरेलू और विदेशी पूंजी को भी आकर्षित करता है जिससे तेजी से आर्थिक संवृद्धि होती है।
- **सामाजिक और मनोवैज्ञानिक** कारकों में सामाजिक रवैया, सामाजिक मूल्य और सामाजिक संस्थान शामिल हैं। शिक्षा के विस्तार और संस्कृति में बदलाव के साथ, ये भी बदलते हैं। आधुनिक विचारधारा, मूल्य और दृष्टिकोण, नई खोज और नवाचारों के साथ नए उद्यमियों को लाते हैं।
- **शिक्षा:** यह विकास का मुख्य साधन है। जिन देशों में शिक्षा का प्रसार हुआ है उन्होंने अधिक प्रगति हासिल की है। यह मानव संसाधन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, श्रम दक्षता में सुधार करती है और नए विचारों के रास्ते में आने वाली मानसिक रुकावट को हटाती है और इस प्रकार आर्थिक विकास में योगदान देती है।
- **भौतिक बेहतरी की कामना:** यह आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। आत्मसंतोष, आत्मत्याग, भाग्य में विश्वास आदि पर ज़्यादा ध्यान देने वाले समाज, जोखिम और उद्यम को सीमित करते हैं और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को पिछड़ा बनाए रखते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. एक देश **X** में आर्थिक संवृद्धि अनिवार्य रूप से होगी अगर: (2013)

(*a*) विश्व की अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो रही है।
(*b*) **X** में जनसंख्या वृद्धि होती है।
(*c*) X में पूंजी निर्माण होता है।
(*d*) विश्व की अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है।

आर्थिक संवृद्धि मापने की आवश्यकता

- अर्थव्यवस्था के कई महत्वपूर्ण पहलू जैसे कर जमा करना, ब्याज दरें, मुद्रा स्फीति, विदेशी व्यापार आदि इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम आर्थिक संवृद्धि का कितनी अच्छी तरह से आकलन करते हैं।
- **वृद्धि को मापना महत्वपूर्ण है क्योंकि:**
  - लक्ष्य निर्धारित करने, समीक्षा करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
  - अगर हम इस पर नजर नहीं रखते हैं तो वृद्धि की दर अस्थिर हो सकती है।
  - वृद्धि को मापने से हमें काफी हद तक मुद्रास्फीति और अवस्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
  - हमारी अर्थव्यवस्था के स्वरूप को बदलना संभव है; कृषि से विपणन और विपणन सेवा आधारित बनाने तक।
  - हम गरीबी को हटाने और रोजगार पैदा करने जैसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का उद्देश्य रख सकते हैं।
  - यह कर राजस्व की भविष्यवाणी करने और अनुमान लगाने तथा बजट के आवंटन को संभव बनाता है।
  - निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाशित आंकड़ों से निवेश के संकेत प्राप्त करता है।
- 1930 के दशक में, साइमन कुजनेट्स ने एक देश में सभी आर्थिक उत्पादन की गणना करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (ळक्च्) की अवधारणा दी। डेटा उपलब्ध होने के बाद ही; 1930 के दशक का महामंदी समाप्त हुई थी।

चक्रीय वृद्धि और संरचनात्मक वृद्धि

चक्रीय वृद्धि	संरचनात्मक वृद्धि
• सब्सिडी, कम वैश्विक कीमतें, बेहतर मानसून, कम मुद्रास्फीति आदि जैसे अल्पकालिक कारकों से प्रेरित है। • अगर उपरोक्त कारक प्रतिकूल हैं, तो चक्रीय गिरावट हो सकती है।	• बढ़ती उम्र वाली आबादी, खराब सूक्ष्म-आर्थिक संकेतक, उच्च बेरोजगारी आदि जैसे प्रतिकूल कारकों के कारण संरचनात्मक गिरावट या नकारात्मक वृद्धि भी हो सकती है। • जनसांख्यिकीय लाभांश, बेहतर सूक्ष्म आर्थिक नीतियों, रोजगार उत्पादन आदि जैसे दीर्घकालिक कारकों द्वारा संचालित है।

संवृद्धि बनाम विकास

तुलना का आधार	संवृद्धि	विकास
अवधारणा	एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक उत्पादन में एक समय अवधि से दूसरी समय अवधि में आने वाला सकारात्मक परिवर्तन।	यह एक अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से एक सकारात्मक परिवर्तन है।
प्रभाव	मात्रात्मक: यह राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि को दर्शाता है।	मात्रात्मक और गुणात्मक: यह नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार से संबंधित सकारात्मक बदलावों को दर्शाता है।
कारक	वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद **(GDP)** या प्रति व्यक्ति आय या उपभोग, निर्यात, निवेश आदि जैसे घटकों में वृद्धि को मापना खुशहाली जैसे गुणात्मक मापदंडों पर विचार नहीं करता है।	गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी में कमी, मानव विकास सूचकांक **(HDI)** की माप, खुशी का मापदंड, वृद्धि और अपशिष्ट में कटौती आदि।
समय सीमा	यह अल्पकालिक अवधि के लिए उपयुक्त है और इसे एक समय सीमा में मापा जाता है।	यह एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है और इसे एक स्थिर समय अवधि में नहीं मापा जाता है।
सरकार की भूमिका	यह एक स्वचालित प्रक्रिया है जो सरकारी नीति या हस्तक्षेप का परिणाम हो सकती है और नहीं भी।	इसके लिए अक्सर लक्षित नीतियाँ और सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
जो बदलाव ये लाता है	वृद्धि के संकेतकों में बढ़ोत्तरी का अर्थ है कि सकल घरेलू उत्पाद, निवेश, उपभोग आदि में वृद्धि हो रही है।	यहाँ प्रगति का अर्थ है कि लोगों के जीवन की सामान्य गुणवत्ता में प्रगति हुई है।
प्रासंगिकता	विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अधिक उपयुक्त है क्योंकि वहाँ बुनियादी विकास (स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) पहले ही हो चुका है।	विकासशील देशों में जीवन की गुणवत्ता और प्रगति को मापने के लिए अधिक उपयुक्त है।

आर्थिक संवृद्धि के संकेतक

- सकल घरेलू उत्पाद, सकल मूल्य वर्धित और सकल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सबसे लोकप्रिय हैं क्योंकि इनका उपयोग विश्व स्तर पर किया जाता है और इनका उपयोग अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन उनकी कई सीमाएँ भी हैं। बदलते समय के साथ ये अपर्याप्त साबित हुए हैं और गलत तस्वीर भी दिखा सकते हैं। कई विकल्प न केवल मात्रात्मक बल्कि प्रगति की गुणात्मक तस्वीर दिखाने का दावा करते हैं।
- **टिप्पणी':** आर्थिक संवृद्धि के संकेतक जैसे सकल घरेलू उत्पाद **(GDP)**, सकल राष्ट्रीय उत्पाद **(GNP)**, सकल राष्ट्रीय उत्पाद **(NNP)**, सकल मूल्य वर्धित **(GVA)** आदि को अलग अध्यायों में स्पष्ट किया गया है।
- आर्थिक संवृद्धि के कुछ संकेतक इस प्रकार हैं:

प्रतिव्यक्ति आय:

- आर्थिक विकास का एक पारंपरिक और व्यापक रूप से उपयोग किये जाने वाला मापदंड समय की अवधि में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है।
- यह हमें, किसी देश में आर्थिक आकार में आर्थिक गतिविधियों के स्तर के बारे में बताता है। साथ ही यह प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन को बी प्रदर्शित करता है।
- वास्तविक प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें किसी देश की आबादी में होने वाली वृद्धि दर की तुलना में तेजी से अपने उत्पादन का विस्तार करने की क्षमता बताता है।

विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति जीएनआई के आधार पर राष्ट्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया है:

समूह	प्रति व्यक्ति आय (2020)
कम आय	< 1036 युएसडी
निचला मध्यम आय	1036-4045 युएसडी
उच्च मध्यम आय	4046-12535 युएसडी
उच्च आय	>12535 युएसडी

ग्रीन जीडीपी (GDP):

- यह विकास की पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में रखता है।
- पारिस्थितिक अवक्रमण की लागत को एक प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य से घटाया जाता है।
- चीनी सरकार ने 2004 में सकल घरेलू उत्पाद **(GDP)** को ग्रीन जीडीपी **(GDP)** से बदलने की घोषणा की; लेकिन जल्द ही इस विचार को त्याग दिया गया।

प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन:

- जैव विविधता, मिट्टी, पानी और हवा जैसी सभी प्राकृतिक पूंजी को आमतौर पर लेखांकन में मानव निर्मित पूंजी के समान महत्व प्राप्त नहीं होता है।
- प्राकृतिक पूंजी का हिसाब रखकर, हम प्राकृतिक पूंजी का बुधिमत्तापूर्ण उपयोग करके निरंतर आय प्राप्त कर सकते हैं।
- भारत ने 2008 में ष्राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजनाष् प्रकाशित की, जिसमें जैव विविधता द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर प्रकाश डाला गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लेखांकन में इन मूल्यों को शामिल करना था।

बिग मैक इंडेक्स:

- इसे क्रय शक्ति समानता **(PPP)** के सिद्धांत पर आधारित लंदन की इकोनॉमिस्ट पत्रिका द्वारा विकसित किया गया है।
- बिग मैक मैकडॉनल्ड्स द्वारा बेचा जाने वाला एक विशेष तरह का बर्गर है। इसका उपयोग बिग मैक के संबंध में दो अलग-अलग मुद्राओं में उनकी क्रय शक्ति के अनुसार तुलना करने के लिए किया जाता है। (यूएसए **(USA)** में 5 डॉलर और भारत में 350 आईएनआर **(INR)** मान लीजिये).
- पीपीपी **(PPP)** तुलना के साथ लाभ यह है कि यह मुद्रा के जमीनी स्तर के मूल्य के बराबर है और विनिमय दर प्रणाली के समान अस्थिर नहीं है।

अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

क्षेत्र	उप क्षेत्र	मौजूदा कीमत पर हिस्सा (लगभग आंकड़े)
प्राथमिक	कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना, खनन और उत्खनन'	22%
द्वितीयक	उत्पादन, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं, निर्माण	26%
तृतीयक	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण, वित्तीय, अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	54%

* **टिप्पणी:** खनन और उत्खनन को कभी-कभी द्वितीयक क्षेत्र में भी शामिल किया जाता है।

आर्थिक विकास

- बहुत समय तक, अर्थशास्त्र केवल किसी देश के उत्पादन और आय की मात्रा बढ़ाने पर केंद्रित था। यह मान लिया गया था कि केवल उत्पादन की मात्रा को बढ़ाकर, एक राष्ट्र अपनी आय बढ़ा सकता है और इस प्रकार अपने नागरिकों के जीवन के स्तर में सुधार लाया जा सकता है।
- इसलिए, **1950 के दशक तक 'वृद्धि' और षविकासष के बीच कोई अंतर नहीं था।**
- आर्थिक विकास लोगों के जीवन में **मात्रात्मक और गुणात्मक बदलाव** है जो उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार के साथ आता है। इसके सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू होते हैं।
- राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अलावा, इसमें बदलाव भी शामिल हैं - सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और साथ ही आर्थिक जो भौतिक प्रगति में योगदान देते हैं।
- **उदाहरण के लिए;** आर्थिक विकास भारत में उच्च वेतन, परिवारों और व्यक्तियों द्वारा बचत में वृद्धि, बुनियादी ढांचे और शासन की उच्च गुणवत्ता और जनता के दृष्टिकोण में बदलाव की उमंग लाया है।
- यह **समाज के भौतिक कल्याण में लगातार सुधार है।** यह आर्थिक संवृद्धि की तुलना में एक **व्यापक अवधारणा है।**
- **यह संभव है कि किसी देश में आर्थिक संवृद्धि तो हो लेकिन आर्थिक विकास न हो। उदाहरण के लिए,** मध्य पूर्वी देशों में, उच्च आय वृद्धि की तुलना उच्च विकास से नहीं की जा सकती।
- अब जैसे **'कल्याणकारी राज्य'** की अवधारणा लोकप्रिय हो रही है; आर्थिक विकास दुनिया भर की सरकारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है।

कल्याणकारी राज्य

- यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहाँ राज्य या प्राधिकरण अपने नागरिकों के लिए बुनियादी आर्थिक और सामाजिक प्रतिभूतियाँ प्रदान करता है।
- सरकार नागरिकों के व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य समान अवसर और धन का एक समान वितरण करना है।
- आधुनिक राज्य एक कल्याणकारी राज्य है जो आंतरिक और बाहरी, दोनों तरह से स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार बनाता है; यह सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण करता है।
- आधुनिक राज्य, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करने के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, बीमा, परिवहन और संचार आदि जैसे सामाजिक दायित्वों को भी संभालते हैं।
- भारतीय संविधान में ष्मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतष् के प्रावधान हैं जो संविधान के अनुसार कल्याण को प्राथमिकता देते हैं।
- गांधी के विचारों ने आधुनिक कल्याणकारी राज्य को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए, गांधी का तिलिस्म या मंत्र, ट्रस्टीशिप सिद्धांत आदि की अवधारणाओं ने भारतीय संविधान को प्रभावित किया है।
- भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेदों में प्रावधान, कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए भी हैं।

आर्थिक विकास के संकेतक

सकल राष्ट्रीय खुशहाली	• भूटान के पूर्व राजा जिग्मे सिंगये वांगचुक द्वारा 1970 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद **(GDP)** के विकल्प के रूप में दिया गया एक शब्द। • यह केवल अंतिम लक्ष्य के रूप में आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसके निम्नलिखित चार आयाम हैं: ○ लगातार सामाजिक-आर्थिक विकास ○ सांस्कृतिक संरक्षण ○ पर्यावरण संरक्षण ○ सुशासन • यह 33 संकेतकों में मापा गया है, नौ कार्यक्षेत्र (मनोवैज्ञानिक कल्याण, समय का उपयोग आदि) से बना है। इस प्रकार, यह एक बहुआयामी सूचकांक है। • इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आर्थिक संवृद्धि से ज्यादा कल्याण पर केंद्रित है। हानि यह है कि; खुशी एक व्यक्तिपरक मुद्दा है और एक लंबे सर्वेक्षण में बहुत अधिक समय लगता है।
खुशहाली सूचकांक	• **संयुक्त राष्ट्र लगातार विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सकल खुशीहाली रिपोर्ट के तहत प्रकाशित; इसका उद्देश्य राष्ट्रों को अपने नागरिकों की खुशी के लिए नीतियाँ बनाने में सहायता करना है।** • यह **भूटान के सकल खुशहाली सूचकांक से प्रेरित है और पहली बार 2012 में जारी किया गया था।** • यह ज्यादातर व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। • **कल्याण का आकलन करने के लिए इसके छह चर हैं:** 1. आय 2. स्वस्थ जीवन प्रत्याशा 3. सामाजिक सहयोग 4. स्वतंत्रता 5. विश्वास 6. उदारता

	• **विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022**
	  ○ फिनलैंड एक बार फिर लगातार पांचवीं बार सबसे खुशहाल देश है।
	  ○ दूसरे और तीसरे स्थान पर डेनमार्क और आइसलैंड है।
	  ○ पहले तीन स्थानों पर स्कैंडिनेवियाई देशों का कब्जा है। भारत की रैंकिंग 136 है।
	  ○ सबसे ज्यादा दुखी देश अफगानिस्तान है।
	• दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 2018 में खुशहाली पाठ्यक्रम जारी किया गया था। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:
	  ○ आत्म जागरूकता
	  ○ सचेतनता
	  ○ आलोचनात्मक सोच और पूछताछ के कौशल को विकसित करना
	  ○ प्रभावी संवाद करना
	  ○ तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए जीवन कौशल
	• दिल्ली से प्रेरणा लेते हुए; एमपी **(MP)**, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों और यूएई **(UAE)** जैसे देशों ने इसी तरह की पहल शुरू करने की योजना बनाई है।
	• दिल्ली के स्कूलों के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पाठ्यक्रम का छात्रों की परिपक्वता और भावनात्मक कल्याण पर लाभदायक प्रभाव पड़ रहा था।

वास्तविक प्रगति संकेतक	• यह राष्ट्रीय प्रगति का आकलन करने के लिए 'रीडिफाइनिंग प्रोग्रेस' नामक एक यूएस **(US)**-आधारित थिंक टैंक द्वारा प्रकाशित किया गया है। • यह किसी राष्ट्र की कल्याण की गणना के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों को ध्यान में लेता है। • यह पर्यावरणीय हानि, संसाधन की कमी, बढ़ती अपराध दर आदि की लागत में कटौती करता है। • इसमें सकल घरेलू उत्पाद **(GPI)** जैसी सामाजिक और पर्यावरणीय लागतें भी शामिल हैं; लेकिन उनका महत्व अलग है।
सामाजिक प्रगति सूचकांक:	• इसे सोशल प्रोग्रेस इंपीरेटिव नमक एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह अमर्त्य सेन और जोसेफ स्टिग्लिट्ज के लेखन पर आधारित है। • **यह तीन कारकों पर ध्यान देता है:** 1. बुनियादी मानवीय जरूरतें। 2. कल्याण की नींव। 3. अवसर।
ओईसीडी का बेहतर जीवन सूचकांक:	• आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने इसे 2011 में प्रकाशित किया था। • यह ध्यान में रखता है, कल्याण के ग्यारह सर्वोत्तम मानदंड: आवास, आय, नौकरी, समुदाय, शिक्षा, पर्यावरण, शासन, स्वास्थ्य, जीवन संतुष्टि, सुरक्षा, काम और जीवन के बीच का संतुलन।
जीवन का गुणवत्ता सूचकांक	• आर्थिक विकास के आय-आधारित संकेतकों में कई कमियाँ थीं। जीवन के गुणवत्ता सूचकांक **(QOLI)** एक देश के अधिकांश लोगों की कई जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करता है। • यह विभिन्न कारकों पर आधारित है जैसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता जैसे भोजन, आश्रय, वस्त्र, धन वितरण में समानता, स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य देखभाल, साक्षरता, राजनीतिक और नागरिक अधिकार आदि।
जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक	• 1970 के दशक में **डी.मॉरिस** द्वारा विकसित; यह जीवन की गुणवत्ता मापने के लिए एक प्रमुख सूचकांक बन गया है। • यह सूचक, जीवन के गुणवत्ता सूचकांक **(QOLI)** के अनुसार तीन बार संकेतकों को ध्यान में रखता है।

	• **जीवन प्रत्याशा :** यह उन वर्षों की संख्या है जो एक नवजात शिशु के जीने की उम्मीद की जाती है। इसे बेहतर प्रसव पूर्व और प्रसव विपरीत देखभाल, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे, स्वच्छता और पोषण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ○ उच्च जीवन उम्मीद आर्थिक विकास का परिणाम है और बदले में उच्च आर्थिक विकास में योगदान देता है। ○ इसे वर्षों में मापा जाता है और यह जितना अधिक हो उतना अच्छा है। • **शिशु मृत्यु - दर:** यह जन्म और 1 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की मृत्यु है। यह वांछनीय है कि यह कम रहे। इसे महीनों में मापा जाता है। • **साक्षरता:** यह पढ़ने और लिखने की क्षमता को दर्शाता है। बेहतर साक्षरता दर का मतलब है; लोगों के पास उतने ही अधिक अवसर होंगे। इसे प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। • **जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता (PQLI) = (जीवन उम्मीद संकेतक + शिशु मृत्यु दर संकेतक + मूलभूत साक्षरता संकेतक)/3** • शून्य से एक के पैमाने पर जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता **(PQLI)** की गणना करने के लिए 3 संकेतकों के मूल्यों को सामान्यीकृत किया जाता है।
मानव विकास सूचकांक (मानव विकास सूचकांक)	• **UN** मानव विकास सूचकांक **(HDI)** को एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री- महबूब उल हक ने 1990 में नोबेल विजेता भारतीय अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन की सहायता से विकसित किया था। • इसका उपयोग 1993 से संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक विकास रिपोर्ट में किया जा रहा है। • यह सूचकांक मानव विकास के तीन मूलभूत क्षेत्रों में किसी देश की औसत उपलब्धियों को मापता है: ○ **स्वास्थ्य:** जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। ○ **ज्ञान:** वयस्क साक्षरता दर और कुल उपस्थिति अनुपात में मापा जाता है। ○ **जीवन स्तर:** अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति ळक्च में मापा जाता है। • **मानव विकास सूचकांक (HDI) के घटक:** ○ **स्वास्थ्य :** एक लंबा और स्वस्थ जीवन ○ **ज्ञान:** दो चरों के संयोजन से मापा जाता है: 1. स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष 2. स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष ○ **उचित जीवन स्तर:** एक देश सकल राष्ट्रीय आय **(GNI)** द्वारा मापा जाता है जिसे क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित किया जाता है। • **मानव विकास सूचकांक (HDI)** = तीसरा रूट ओवर (स्वास्थ्य सूचकांक + साक्षरता सूचकांक + आय सूचकांक) • यह 1993 से हर साल जारी किया जाता है और तीन क्षेत्रों में राष्ट्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार सूचीबद्ध करता है। • **2010 में, पहली बार, 'असमानता समायोजित (Inequality adjusted)' मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी।** यह तीनों क्षेत्रों - शिक्षा, जीवन स्तर और स्वास्थ्य में असमानताओं को दर्शाता है। • **मानव विकास रिपोर्ट (HDR)** 2021 **में भारत का प्रदर्शन:** ○ मानव विकास रिपोर्ट **(HDR)** में भारत की रैंक 2020 में 131/189 से गिरकर 2021 में 132/191 देशों पर आ गई है। यह लगातार दो साल से कम हुआ है। रैंक में कमी को जीवन प्रत्याशा में कमी के कारण होना बताया गया था। ○ भारत की जीवन उम्मीद 67.2 (2020 में 69.7) थी। विश्व स्तर पर भी, जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है। ○ भारत में विद्यालयी शिक्षा का अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष था।

- विद्यालयी शिक्षा का औसत वर्ष 6.7 वर्ष था।
- भारत, दुनिया की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच मानव विकास की दूरी को तेजी से कम कर रहा है।
- भारत का मानव विकास सूचकांक **(HDI)** मूल्य दक्षिण पूर्व एशिया के मानव विकास से बेहतर बना हुआ है।
- पिछले एक दशक में, भारत ने 271 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है।

- विश्व स्तर पर; उदासी, गुस्सा और चिंता पिछले एक दशक से बढ़ती जा रही है।
- औसतन, देश अपने सकल घरेलू उत्पाद **(GDP)** का 2% से भी कम मानसिक स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं।
- **2021 की रिपोर्ट में 3 पे पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की गई है:**
  1. **इन्वेस्टमेंट (निवेश) - नवीकरणीय ऊर्जा पर**
  2. **इनश्योरेंस (बीमा) - सामाजिक सुरक्षा**
  3. **इनोवेशन (नवाचार) - तकनीकी, आर्थिक, सांस्कृतिक**
- भारत इन तीनों '**I**' पर प्रमुख तरीके से निवेश कर रहा है।

रोजगारहीन संवृद्धि

- यह अर्थव्यवस्था का वह चरण है जहाँ **अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने पर भी बेरोजगारी लगातार बनी रहती है।**
- **रोजगार का उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के साथ तालमेल नहीं खाता है।** विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में; रोजगार उत्पन्न करने की संभावना तक नहीं पहुंच पाते हैं।
- सकल घरेलू उत्पाद में 10% की वृद्धि भारत में नौकरियों में केवल 1% की वृद्धि पैदा करती है।

भारत में बेरोजगारी में वृद्धि के कारण:

- **कोविड का प्रभाव:** बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है और इसकी रिकवरी, बेरोजगार, अल्प-रोजगार और जिन्होंने अभी-अभी नौकरी की तलाश शुरू की है उन लोगों को काम दिलाने में विफल रही है।
- **कर्मचारी बल की भागीदारी** दर, कानूनी कामकाजी उम्र के 900 मिलियन भारतीयों में से केवल 40% तक गिर गई।
- **सेवाओं आधारित वृद्धि:** ज्ञान आधारित सेवाएं अर्थव्यवस्था पर हावी है; जो स्वभाव से कम काम देने वाले क्षेत्र है।
- **विभिन्न क्षेत्रों पर सुधार लाने का अभाव:** बुनियादी ढांचे की अड़चनें, जटिल और अलग-अलग कर्मचारी कानून और नियम, व्यापार करने की छिपी लागत आदि इन सबको देखने की जरूरत है।
- **आयात पर निर्भरता:** भारत ने आयात प्रतिस्थापन नीतियों को इस से पहले नहीं देखा था। यह आयात पर निर्भर था और इस प्रकार घरेलू उद्योगों का विकास नहीं हुआ।
- **कर्मचारी कानून:** भारत के कर्मचारी कानून, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं। कई राज्यों में कर्मचारी संख्या को घटाना/काम से निकालने से पहले 100 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों को सरकारी अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। ये अनुमति शायद ही कभी दी जाती है।
- विश्व बैंक के एक अध्ययन का दावा है कि **औद्योगिक विवाद अधिनियम;** उत्पादन क्षेत्र के रोजगार में 25 फीसदी की कमी आई है।
- **मध्यम और छोटे उद्योगों के प्रति खराब व्यवहार और कम ध्यान देना,** जो श्रम प्रधान हैं लेकिन ऋण तक पहुंच की कमी है।
- **निवेश के लिए सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि** निवेश की गई राशि से संबंधित है न कि रोजगार के सृजन से।

भारत में बेरोजगारी में वृद्धि का प्रभाव:

- इस समस्या ने हाल ही में अपने लक्षण दिखाए जब **अग्निपथ योजना** के परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसात्मक विरोध हुआ।
- विश्व बैंक के अनुसार, 2010-2020 के बीच **कामकाजी महिलाओं की संख्या** 26% से गिरकर 19% हो गई है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र **(CMIE)** ने कहा कि महिला कर्मचारी शक्ति भागीदारी दर 2022 तक 9% तक गिर गई।
- **कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या** लगातार गिर रही थी जब तक कि कोविड ने इस प्रवृत्ति को पलट दिया।

- कर्मचारी ज़्यादा होने के बावजूद भारत में कौशल की कमी है। उदाहरण के लिए, ट्रक रुके हुए हैं क्योंकि चलाने वाले ड्राइवर कुछ ही हैं।

समाधान:

- औद्योगिक विवाद अधिनियम, औद्योगिक रोजगार अधिनियम और ट्रेड यूनियन अधिनियम पर ध्यान देने के साथ **केंद्रीय और राज्य स्तर पर बेहतर श्रम कानून।**
- **रोजगार उत्पाद करने की पहल को देश के नियोजित विकास से जोड़ना चाहिए।** उदाहरण के लिए, बड़े बुनियादी ढांचे वाली परियोजनाओं के लिए मनरेगा कर्मचारियों का उपयोग करना और अमरुत **(AMRUT)** को रोजगार योजनाओं से जोड़ना।
- ख मध्यवर्ती और कॉलेज स्तर पर कौशल आधारित/व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ **शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना।**
- ख खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण आदि जैसे **अधिक श्रम वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देना।**
- कार्यबल का ज़्यादा कौशल के साथ **संरचनात्मक परिवर्तन** होना चाहिए; या तो सरकार द्वारा सीधे या स्वयं उद्योगों द्वारा प्रशिक्षण प्रायोजित करके। उदाहरण के लिए, ट्रक रुके हुए हैं क्योंकि कुशल ड्राइवरों की कमी है।

उठाए गए कदम:

- विभिन्न राज्यों ने सरकार की अनुमति के बिना लिए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 300 कर दिया है (राजस्थान, आंध्र, महाराष्ट्र आदि)।
- **कौशल भारत कार्यक्रम:** उद्योग की मांगों और कौशल हासिल करने के बीच की दूरी को हटाने के लिए विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 2015 में घोषित किया गया है।
- **प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम:** इसकी घोषणा 2008 में खादी और ग्रामोद्योग के साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी।
- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-मनरेगा (MGNREGA):** ग्रामीण परिवारों को आश्वस्त रूप से एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का काम, जिसका वयस्क सदस्य कुशल शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है।
- **मेक इन इंडिया योजना:** भारत में निवेश और उत्पादन के लिए विभिन्न उद्योगों को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन देना।
- **एमएसएमई (MSME) सेक्टर पर ध्यान:** इस क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोविड महामारी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र, रैंप **(RAMP)** योजना और वित्तीय पैकेजों को फिर से परिभाषित करना।
- **आत्म निर्भर भारत अभियान:** उत्पादन, आपूर्ति और मांग में सुधार पर ध्यान देने के लिए।
- **पीएम मुद्रा योजना:** यह 10 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त ऋण प्रदान करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति को बेरोजगार की वृद्धि के रूप में वर्णित किया गया है। क्या आप इस से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। (2015)

ओकुन का नियम

- **1960 में येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर्थर ओकुन द्वारा दावा किया गया; यह आर्थिक विकास और रोजगार के बीच संबंधों की जांच के सबसे सरल और सुविधाजनक तरीकों में से एक है।**
- तर्क यह है कि उत्पादन निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है, इसलिए **उत्पादन और रोजगार के बीच एक सकारात्मक संबंध है** और उत्पादन और बेरोजगारी के बीच एक नकारात्मक संबंध है।
- सकारात्मक संबंध का मतलब है कि यदि **X** बढ़ता है तो **Y** के भी अधिक बढ़ने की संभावना है और नकारात्मक संबंध के लिए इसके विपरीत।
- **कुल बेरोजगारी = श्रम शक्ति - बेरोजगार।**
- यह देश की बेरोजगारी और आर्थिक संवृद्धि दर के बीच सांख्यिकीय संबंधों को देखता है।
- इसमें कहा गया है कि बेरोजगारी में 1% की कमी हासिल करने के लिए किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद को एक साल में 4% की दर से बढ़ना चाहिए।

विकसित, विकासशील और सबसे कम विकसित देशों की अवधारणा

- सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगीकरण, मानव विकास सूचकांक, बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर जैसे मानदंडों का उपयोग देशों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है।
- **विकसित देशों** में अत्यधिक विकसित सेवा क्षेत्र है और यह अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देता है। ये औद्योगिक युग के बाद के अर्थव्यवस्थाएं हैं अर्थात ये उद्योग आधारित विकास युग से आगे निकल चुकी हैं। (इसलिए भारत एक विकसित देश नहीं है)
- एक अविकसित या विकासशील देश का कम मानव विकास सूचकांक **(HDI)**, स्वरूप में बहुत कम विकास, कम बुनियादी ढांचे, कम जीवन स्तर, उच्च जनसांख्यिकीय लाभांश, सस्ते श्रम आदि का गवाह है।

- 1990 के दशक में उदारीकरण होने वाले देश बहुत तेजी से शहरीकरण और विकास कि ओर जा रहे हैं और उन्हें नव औद्योगीकृत देश कहा जाता है। जैसे भारत और चीन।
- वे विकसित और अविकसित देशों के बीच में आते हैं और वे निवेश करने के लिए अत्यंत अनुकूल देश हैं।

- **सबसे कम विकसित देश** वे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 3 विशिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं:
  1. गरीबी: प्रति व्यक्ति आय 1035 अमेरिकी डॉलर से कम है।
  2. कमजोर मानव संसाधन
  3. आर्थिक भेद्यता
- एलडीसी **(LDC)** मानदंड की हर तीन साल में समीक्षा की जाती है। अधिकांश अफ्रीकी देश इस श्रेणी में आते हैं।

विश्व बैंक वर्गीकरण (2022)	
श्रेणी	**कैपिटा (यूएसडी में)**
कम आय	**> 1085**
निचला मध्यम आय	**1086-4255**
उच्च मध्यम आय	**4255-13]205**
उच्च आय	**< 13,205**

- ऐसे देश हो सकते हैं जिन्हें उच्च आय के अंदर वर्गीकृत किया गया है लेकिन उन्हें विकासशील माना जाता है।
- इसका कारण यह है कि उनके पास तेल और गैस (खाड़ी सहयोग परिषद देशों) पर आधारित निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन बाकी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है।

अल्प विकसित देशों के सामान्य लक्षण:

- कम प्रति व्यक्ति आय
- जीवन स्तर इतना नीचे है कि बुनियादी जरूरतें भी उपलब्ध नहीं हैं।
- अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि दर, ज्यादा उपभोग व्यय और कम बचत एवं कम निवेश की ओर ले जाती है।
- अत्यधिक असमान आय वितरण
- उच्च असमानता और कम प्रति व्यक्ति आय के कारण बड़े पैमाने पर गरीबी।
- उत्पादकता का निचला स्तर अर्थात प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत कम है क्योंकि:
  - अक्षम और पिछड़े कार्यबल
  - काम की खराब संस्कृति
  - मशीनरी में पूंजी का कम उपयोग
- ख पूंजी निर्माण की दर और बचत दर बहुत कम है।
- कम आय स्तर और प्रौद्योगिकी में निवेश करने में असमर्थता के कारण तकनीकी पिछड़ापन।
- पूंजी की कमी और विकास के कम स्तर के कारण ज्यादा बेरोजगारी।
- विकास के सामाजिक संकेतक में कमी जैसे कम साक्षरता दर, उच्च शिशु मृत्यु दर, कम जीवन प्रत्याशा आदि।

नीति आयोग: भारत @75- आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने का उद्देश्य

वर्तमान स्थिति	• भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उत्पादन का हिस्सा निम्न और मध्यम आय वाले देशों के औसत की तुलना में कम है। • ऑटोमोबाइल और फार्मा जैसे पूंजी घनिष्ठ क्षेत्रों में उच्चतम वृद्धि देखी गई है। • भारत, बड़े पैमाने पर श्रम प्रधान उत्पादन क्षेत्र को विकसित करने के लिए श्रम और कौशल लागत लाभों को लेने में संघर्ष कर रहा है।
उद्देश्य	• 2018 से 2023 के दौरान 8% विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर में नियमित वृद्धि। • निवेश दर को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 29 फीसदी से बढ़ाकर 36 फीसदी करना। • संयुक्त रूप से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को 2022-23 तक 478 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 800 बिलियन अमरीकी डॉलर किया जाना चाहिए।

आगे की राह	• **निवेश दरें बढ़ाने के लिए:**
	  ○ 2022-23 तक कर- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) अनुपात को 22% तक बढ़ाने का लक्ष्य।
	  ○ कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर दोनों के लिए सीधे करों को सिद्ध करना। कर अनुपालन बोझ को कम करना।
	  ○ अचल पूंजी निर्माण में सरकार के योगदान को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के कम से कम 7% तक बढ़ाना।
	• आवास और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करना।

- निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए गैर-रणनीतिक सीपीएसई(**CPSE**) से बाहर निकलना।
- केलकर समिति द्वारा सुझाए गए पीपीपी (**PPP**) मॉडल के आधार पर बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- **मैक्रो/समष्टि आर्थिक स्थिरता:**
  - सरकार के कर्ज/ सकल घरेलू उत्पाद (**GDP**) अनुपात को धीरे-धीरे कम करना।
  - प्रभावी राजस्व घाटे को जल्द से जल्द कम करना।
  - वित्तीय घाटे के लिए लक्ष्य, मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए जिसमें सीमा से बचने का विकल्प हो।
  - मुद्रास्फीति को 2% से 6% के बीच सीमित करना।
- **दक्ष वित्तीय मध्यस्थता:**
  - वित्तीय बाजारों को मजबूत करें, पूंजी को आसानी से उपलब्ध कराएं, बचत को करने के लिए वित्तीय बाजारों का उपयोग करें और जोखिम मूल्यांकन ढांचे में सुधार करें।
  - वाणिज्य की दृष्टि से संचालित और स्वतंत्र बैंक बोर्ड स्थापित करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन में सुधार करना।
  - वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट सिटी का लाभ उठाया जाना चाहिए।
  - बांड बाजारों को मजबूत करके और राजकोष को मजबूत बनाकर दीर्घकालिक निवेश आवश्यकताओं के लिए वैकल्पिक साधन बनाना।
- **निर्यात और उत्पादन पर ध्यान:**
  - लॉजिस्टिक क्षेत्र को अधिक कुशल बनाना।
  - भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए बिजली प्रशुल्क संरचनाओं को युक्ति संगत बनाना।
  - डीएमआईसी (**DMIC**) और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी पहले से चल रही परियोजनाओं को पूरा करके संयोजकता में सुधार करें।
  - सभी क्षेत्रों में कर्मचारी प्रावधानों को सुविधाशील बनाना और राज्यों को सभी क्षेत्रों में निश्चित अवधि के रोजगार को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - आईटी (**IT**), आईटीईएस (**ITES**), चिकित्सा, यात्रा, और दृश्य-श्रव्य सेवाओं, पर्यटन सहित 12 उत्तम दर्जे की सेवा क्षेत्रों को बढ़ावा देना।
  - निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के शासन और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत बनाना।
  - उभरते दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ना।
- **रोजगार का उत्पादन:**
  - श्रम बल में नए प्रवेशकों और कृषि क्षेत्र से बाहर पलायन करने वालों के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करना।
  - उत्पादन, निर्माण और सेवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं।
  - स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल परिणामों में सुधार के माध्यम से रोजगार दिलाने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021: असमानता और वृद्धि - संघर्ष या सम्मिलन?

- आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ असमानता का सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ **समान संबंध** है।
- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के विपरीत, **भारत में दोनों सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर उनके प्रभावों के संदर्भ में सम्मिलन करते हैं।**
- आर्थिक संवृद्धि का असमानता की तुलना में गरीबी निवारण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

- असमानता को कम करने के लिए धन का दोबारा वितरण तभी सार्थक होता है जब बांटे जाने वाले फल का आकार बड़ा हो। इसलिए आर्थिक संवृद्धि प्राथमिकता होनी चाहिए।
- कुछ आंकड़ों से हमें यह संकेत मिलता है कि अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय संकट के बाद; असमानता एक दुर्घटना नहीं बल्कि पूंजीवाद का एक लक्षण है।

असमानता और सामाजिक-आर्थिक संकेतक:

- **स्वास्थ्य परिणामों के सूचकांक** का भारतीय राज्यों में आय असमानता और प्रति व्यक्ति आय के साथ सकारात्मक संबंध है। (यानी जब स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होता है; असमानता की स्थिति में सुधार होता है और प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार होता है)
- जब हम शिक्षा, जीवन उम्मीद, शिशु मृत्यु दर और अपराध के सूचकांक का उपयोग करते हैं तो परिणाम समान होते हैं।
- भारतीय राज्यों में न तो असमानता और न ही प्रति व्यक्ति आय, नशीली दवाओं के उपयोग के साथ मजबूत संबंध रखता है। (यानी नशीली दवाओं के उपयोग में वृद्धि का मतलब असमानता या प्रति व्यक्ति आय के स्तर में सुधार नहीं है)
- **असमानता और प्रति व्यक्ति आय में सुधार के साथ जन्म दर और प्रजनन दर में गिरावट आती है;** जबकि मृत्यु दर दोनों में से किसी के साथ बिल्कुल भी संबंधित नहीं है।
- संपत्ति के स्वामित्व में असमानता और भ्रष्टाचार में असमानता के **बीच एक कमजोर सकारात्मक संबंध है।** (दोनों को गिनी गुणांक द्वारा मापा जाता है)। इसका तात्पर्य यह है कि उच्च उपभोग असमानता वाले राज्यों में संपत्ति के स्वामित्व की असमानता अधिक है।
- **भारतीय राज्यों में; संपत्ति असमानता उपभोग असमानता की तुलना में बहुत अधिक है।**
- **स्थायी आय परिकल्पना** कहती है कि व्यक्ति और परिवार समय के साथ बचत या उधार के साथ अपने उपभोग को सुविधाजनक बना लेते हैं।

क्या पूर्ण समानता को अनुकूल बना सकते हैं?

- अब जब हमने यह साबित कर दिया है कि भारत में सामाजिक-आर्थिक परिणामों के संबंध में प्रति व्यक्ति आय और असमानता उनके संबंधों में भिन्न नहीं है; हमें ऊपर दिए गए प्रश्न को पूछना चाहिए।
- **ज्यादातर मामलों में अवसर की असमानता अधिक आपत्तिजनक होती है अवसर की असमानता से।**
- यदि **हम परिणाम में पूर्ण समानता लाते हैं;** यह काम, नवाचार और धन उत्पादन के लिए प्रोत्साहन को कम कर सकता है।
- इस प्रकार भारत जैसे देश के लिए जहाँ धन नामक फल का आकार दोबारा बांटने के लिए बहुत छोटा है; यह **वांछनीय है कि हमें फल का आकार बढ़ाकर गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने पर ध्यान देना चाहिए।**

असमानता और गरीबी के बीच संबंध:

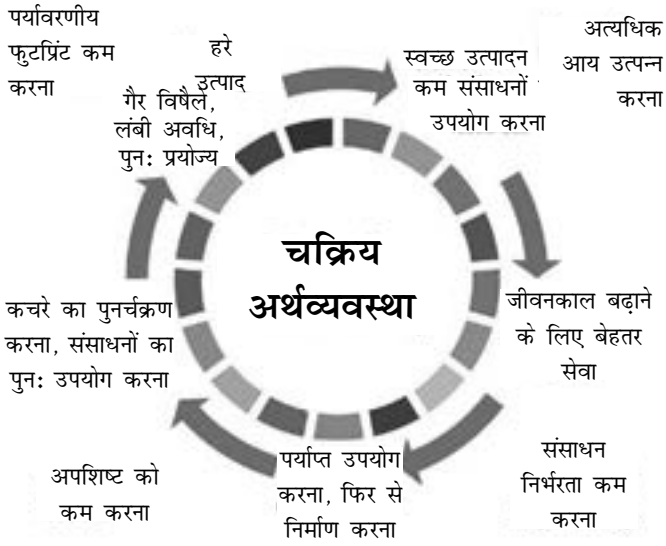
- **असमानता** का अर्थ है संपत्ति, आय या उपभोग के वितरण में अंतर की मात्रा।
- **गरीबी** का अर्थ है आय विभाजन के निचले भाग में रहने वालों की परिसंपत्ति, आय या उपभोग।
  - **गरीबी पूर्ण और सापेक्षिक दोनों हो सकती है।** लोग महसूस कर सकते हैं कि वे गरीब हैं यदि उनके पास उनके आसपास के अधिकांश लोगों की तुलना में उनके पास कम है।
  - **इस विषय में; गरीबी सापेक्ष अवधारणा है।** यहाँ यह असमानता को मापने का एक पैमाना भी है और इसलिए इसे असमानता से अलग करने की जरूरत नहीं है।
  - **पूर्ण शब्दों में;** वितरण के निचले स्तर पर उन लोगों की परिसंपत्ति, आय या उपभोग के पूर्ण स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ, असमानता में वृद्धि गरीबी में कमी के साथ हो सकती है।

भारत के आर्थिक संवृद्धि पर गरीबी और असमानता का सापेक्ष प्रभाव:

- **सांख्यिकीय डेटा** से पता चलता है कि एमपीआई (MPI) बहुआयामी गरीबी सूचकांक और गरीबी के बीच का सकारात्मक संबंध है।
- यह सूचित करता है कि गरीबी का निवारण भी कई आयामों के साथ मापी गई गरीबी में सुधार करता है और इसके विपरीत भी सत्य है।
- **औसत उपभोग की वृद्धि में बढ़ावा, गरीबी में संचयी गिरावट के लगभग 87 प्रतिशत** के लिए जिम्मेदार था, जबकि पुनर्वितरण ने केवल 13 प्रतिशत का योगदान दिया।
- **1957-2012 के डेटा** से पता चलता है कि वृद्धि ने गरीबी को कम किया है और एलपीजी **(LPG)** सुधारों के बाद उनके बीच की कड़ी मजबूत हुई है।
- **शहरी क्षेत्रों में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ रही है।** आज; हर 3 में से 1 गरीब शहरी क्षेत्र में रहता है जो 1950 के दशक में 8 में से 1 गरीब हुआ करता था।
- उदारीकरण के बाद, शहरी वृद्धि और गैर-कृषि विकास ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी सहित राष्ट्रीय गरीबी में कमी के प्रमुख साधन रहे हैं।

चक्रीय अर्थव्यवस्था या चक्रीयता

- यह एक आर्थिक दृष्टिकोण है जो उत्पादों और प्रक्रियाओं का एक व्यापक दृष्टिकोण लेता है और इसका उद्देश्य अपव्यय को खतम करना और संसाधनों का पुनः उपयोग करना है।
- यह एक ऐसी संरचना है जो बनावट में पुनर्स्थापनात्मक या पुनर्योजी है।
- यह 'टेक, मेक, वेस्ट' प्रक्रिया को समाप्त करके जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, अपशिष्ट आदि जैसी **चुनौतियों से निपटने में हमारी सहायता कर सकता है।**
- अधिकांश व्यापारी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इसे उत्पाद में बदलने के लिए करते हैं और आखिर में वे कचरे के रूप में समाप्त होते हैं। यह इसके रचना और शामिल प्रक्रिया के प्रकार के कारण होता है।
- **एक वृत्ताकार अर्थव्यवस्था में शामिल हैं 3R's** - रिड्यूस (कम करना), रीयूस (पुनः उपयोग) रीसायकल (पुनरावृत्ति करना)। इस प्रकार संसाधनों के कुशल उपयोग के संदर्भ में उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।



- **भारत में उत्पादित कुल कचरे में से;** केवल 10-15% ही रीसाइक्लिंग प्रक्रिया में जाता है।
- **डिजिटल इंडिया और वाहन स्क्रैप नीति** सही दिशा में एक कदम है।
- **यह 4 बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है:**
  1. कचरे और प्रदूषण को कम से कम करना।
  2. उत्पादों और सामग्रियों के जीवनकाल का विस्तार करना।
  3. प्राकृतिक प्रणालियों का पुनर्जनन।
  4. ''कंस्यूमर'' को ''यूजर'' के साथ बदल देना।

- **महत्त्व:**
  - उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति को कम करता है।
  - इनपुट लागत को कम करता है।
  - गुणवत्ता, लागत, वितरण और लचीलापन **(QCDF)** और उद्योगों के स्थिरता के स्तर में सुधार करता है।
- **उपयोग:**
  - **निर्माण क्षेत्र:** एक बार भवन गिराने के बाद रिक्त स्थान का बहुभागी उपयोग, भवन निर्माण सामग्री का फिर से उपयोग।
  - **आहार और कृषि:** ज्ञान और संपत्ति का डिजिटल साझाकरण, शहरी खेती और पोषक तत्वों को कृषि व्यवस्था में वापस लाना।
  - **परिवहन और गतिशीलता:** अत्यधिक टिकाऊ इलेक्ट्रिक वाहन, सामग्रियों और भागों का फिर से उपयोग, बड़े पैमाने पर पारगमन व्यवस्था और अंतिम मील तक से संपर्क बनाना।
  - **रोजगार पैदा करना और उत्पादकता बढ़ाना:** कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए और सतत विकास सुनिश्चित करना।
- **लाभ:**
  - यह उत्पादन प्रक्रिया को अधिक लाभदार और कुशल बनाता है जबकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अधिक स्थायी रूप से प्राप्त की जाती है।
  - अपशिष्ट निपटान, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, वायु, जल और भूमि प्रदूषण की समस्या को हल करता है।
  - व्यक्तियों के लिए कम लागत, बढ़ती दक्षता, कम नकारात्मक बाहरी कारक (प्रदूषण, धुंध-कोहरा आदि)।
- **सीमाएं:**
  - पुनर्प्राप्ति और **रीसाइक्लिंग प्रक्रिया स्वयं ऊर्जा का उपयोग करती है** और प्रदूषण का कारण बनती है जो कि रीसायकल की जाने वाली सामग्री के बढ़ने पर बढ़ेगा।
  - **अपशिष्ट को अलग करना एक बड़ी समस्या है** और यह तय करना मुश्किल है कि इसे कौन करेगा। उपभोक्ताओं के पास इसके लिए समय, कौशल या प्रशिक्षण नहीं है।
  - यह एक **यूटोपियन अवधारणा** बन सकती है।
  - **व्यवस्था में कई चर** हैं। कार्यवाही के आर्थिक विचारों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है।
- **आगे बढ़ने का रास्ता:**
  - प्रशासनिक और व्यापारिक स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान वृत्तीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखें।
  - नए उत्पादों और व्यापार मॉडल का **नवाचार करें।**
  - व्यापारों और मूल्य श्रृंखलाओं में **सहयोग को बढ़ावा दें।**

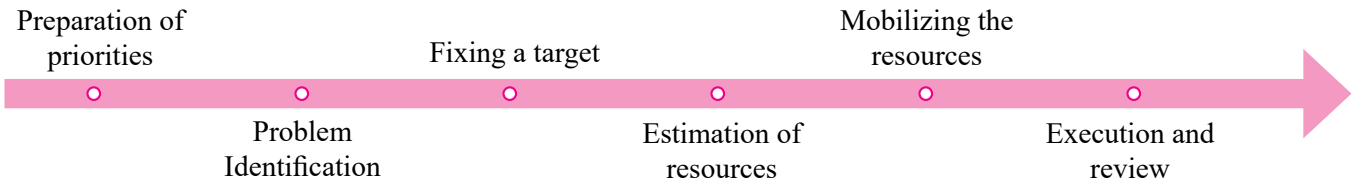
❖ ❖ ❖

5 भारत में आर्थिक नियोजन

1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तो आजादी के अलावा गर्व करने या खुश होने की कोई बात नहीं थी। भारत सरकार के सामने जहाँ कई बड़ी समस्याएँ पांव पसारे पड़ी थीं, वहीं बड़े पैमाने पर गरीबी के अलावा भोजन की कमी और महंगाई की भी समस्या किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी। अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी आदि के आलावा भी देश को अन्य गंभीर समस्याओं का सामना करना था। एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में आर्थिक विकास के लिए 'नियोजन' में ही इन समस्याओं का समाधान छिपा हुआ था।

नियोजन का अर्थ

- नियोजन यह **तय करता रहा है कि भविष्य के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए और** उन्हें प्राप्त करने के लिए संसाधनों का कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आजादी के समय, यह योजना बनानी जरूरी थी कि राष्ट्र के संसाधनों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इसमें वे विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य शामिल थे जिन्हें वक्त के साथ हासिल किया जाएगा।



- **एम. विश्वेश्वरैया को** भारत में आर्थिक नियोजन का अग्रणी माना जाता है। 1934 में प्रकाशित उनकी पुस्तक **'प्लांड इकोनॉमी फॉर इंडिया' ने** रुपये के परिव्यय को लेकर 1000 करोड़ पर आधारित एक **दस वर्षीय योजना का सुझाव दिया था।**
- 1948 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद प्रकाशित **औद्योगिक नीति वक्तव्य ने योजना आयोग की स्थापना और मिश्रित आर्थिक मॉडल का पालन करने की सिफारिश की।**
- **1950 में योजना आयोग की स्थापना और पांच वर्षीय योजनाओं (जिन्हें सोवियत संघ से ग्रहण किया गया था) के गठन के** साथ नियोजन की शुरूआत हुई।

नियोजन के प्रकार

- **दिशात्मक नियोजन (Directional planning):** इसको समाजवाद के आदर्शों का पालन करने वाले देशों द्वारा चुना जाता है। समाजवाद के तहत संसाधनों को बराबर-बराबर बांटा जाता है और जो चीजें राज्य के नियंत्रण में होती है, उनमें वित्तीय संस्थान, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन और मूल संरचना आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए सोवियत संघ को लिया जा सकता है।
- **परिप्रेक्ष्य नियोजन (Perspective planning):** 20 से 25 वर्षों की अवधि पर आधारित एक दीर्घकालिक योजना है। यह विकास की प्रक्रिया को लंबा समय देता है ताकि लक्ष्यों को चरणबद्ध ढंग से हासिल किया जा सके। परिप्रेक्ष्य नियोजन दो प्रकार के होते हैं: 5 वर्ष पर आधारित अल्पकालिक नियोजन और 20-25 वर्षों के लिए दीर्घकालिक नियोजन।
- **सांकेतिक नियोजन (Indicative Planning):** लक्षित नियोजन की प्राप्ति के लिए विकेन्द्रीकृत सिद्धांतों पर काम करता है। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लक्ष्य का निर्धारण अनिवार्य हैं जबकि निजी क्षेत्र के लिए वे केवल सांकेतिक होती हैं। उदाहरण के लिए, इस योजना का इस्तेमाल फ्रांस और जापान जैसे विकसित देशों में किया जाता है।
- **आदेशात्मक नियोजन:** तब लागू होता हैं, जब सरकार देश की सभी आर्थिक गतिविधियों और संसाधनों को नियंत्रित करती है। इस योजना का उद्देश्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को अच्छे से इस्तेमाल करना है। सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया और नीति-निर्माण प्रक्रियाएँ झंझट वाली होती हैं लेकिन दूसरे विकल्पों की मौजूदगी के बिना ही बाजार के व्यवसायियों को इनका पालन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए: रूस और चीन।
- **केंद्रीकृत नियोजन:** केंद्रीय प्राधिकरण योजना बनाते और नियोजन से संबंधित गतिविधियों को तैयार करते हैं। प्राधिकरण विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के लिए भी योजनाएँ तय करता है।

योजना के केंद्रीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों पर गौर करते हुए प्रमुख निवेश निर्णय लिए जाते हैं।

- **विकेंद्रीकृत नियोजन:** जब योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा जाता है और वह एक निम्न से उच्चस्तरीय क्रम में आगे बढ़ती हैं। केंद्रीय अधिकारियों द्वारा योजनाएँ तैयार की जाती हैं और फिर उन योजनाओं को राज्य या जिला के स्तर पर प्रसारित किया जाता है। उद्योगों के लिए यह योजनाएँ औद्योगिक क्षेत्रों के हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के बाद तैयार की जाती हैं।

बहु स्तरीय योजना

- **1960 के दशक के मध्य** तक, केंद्र द्वारा राज्यों को योजना बनाने की शक्ति दी गई थी जिसमें यह सलाह भी शामिल रही कि वे प्रशासनिक स्तर के निम्न स्तरों पर नियोजन को बढ़ावा देते रहें।
- **1980 के दशक** की शुरुआत तक, भारत बहु-स्तरीय नियोजन (MLP) का देश बन चुका था, जिसकी योजना की संरचना और स्तर कुछ इस प्रकार थे:

पहला स्तर: केंद्र-स्तरीय योजना	केंद्र स्तर की योजना में, तीन प्रकार की केंद्रीय योजनाएँ पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई हैं - पंचवर्षीय योजनाएँ, बीस सूत्रीय कार्यक्रम और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAOsQ)
दूसरा स्तर: राज्य स्तरीय योजना	1960 के दशक तक, राज्य अपने संबंधित नियोजन निकायों, (राज्य योजना समिति) के साथ राज्य स्तर पर योजना बना रहे थे, जिसमें संबंधित मुख्यमंत्रीगण उनके अध्यक्ष थे। राज्यों की योजनाएँ पांच साल की अवधि के लिए थीं और केंद्र की संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं के बराबर थी।
तीसरा स्तर: जिला स्तरीय योजना	1960 के दशक के अंत तक राज्यों के सभी जिले अपने-अपने जिला योजना समितियों के साथ, जिसमें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष के रूप शामिल रहा करते थे, अपनी योजनाएँ बना रहे थे।
चौथा स्तर: ब्लॉक-स्तरीय योजना	जिला-स्तरीय योजना के एक हिस्से के रूप में ब्लॉक स्तर की योजना बनाई गई, जिसमें जिला योजना बोर्ड उनके नोडल निकाय के रूप में थे।
पांचवां स्तर: स्थानीय स्तर की योजना	1980 के दशक की शुरुआत, ब्लॉकों के जरिये स्थानीय स्तर पर योजनाओं को लागू किया जा रहा था और इन योजनाओं में नोडल एजेंसी के रूप में जिला योजना बोर्ड (DPB) थे।

लोकतांत्रिक समाजवाद

- नेहरू सोवियत योजना की उपलब्धियों से बहुत प्रभावित थे; इसके पीछे की मूल मंशा और उद्देश्य न केवल निजी क्षेत्र की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के विकास की जांच करना था बल्कि निजी क्षेत्र को आजादी भी दिलाना था ताकि आर्थिक लाभ के बजाय सामाजिक लाभ को देर से ही सही, पर प्राप्त किया जा सके।

स्वतंत्रता के पहले और बाद में भारतीय आर्थिक नियोजन

स्वतंत्रता से पहले के आर्थिक नियोजन:

- **एम. विश्वेश्वरैया ने 1934 में अपनी पुस्तक 'प्लांड इकोनॉमी इन इंडिया' में** 10 साल में भारत में होने वाले विकास का मसौदा तैयार किया। योजना के पीछे का उद्देश्य श्रम को कृषि-क्षेत्र से निकाल कर उद्योग-क्षेत्र में ले जाना था कि अगले 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना किया जा सके। नियोजन की दिशा में काम करने वाली यह पहली असरदार मौजूदा योजना थी।
- **राष्ट्रीय योजना समिति (1938)** - यह भारत के लिए एक राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास था। समिति का गठन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था।
- **बॉम्बे प्लान (1944):** बॉम्बे के जाने-माने उद्योगपति श्री जहाँगीर रतनजी दादाभाई (श्रत्क) टाटा, घनश्याम दास (ळक) बिड़ला, पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई, जॉन मथाई आदि ने मिलकर काम किया और 'भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना' तैयार की, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता था। योजना का उद्देश्य अगले 15 वर्षों में हर व्यक्ति की आय को दोगुना करना और इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था।
- **एम एन रॉय की जन योजना मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी।** योजना की समय-अवधि 10 वर्ष थी जिसका लक्ष्य कृषि उत्पादन और समस्त कृषि का राष्ट्रीयकरण करने की प्राथमिकता पर केंद्रित रहा।
- **गांधीवादी योजना (1944):** श्री श्रीमान नारायण द्वारा प्रस्तावित कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण विकास पर

मूल रूप से ध्यान देने के साथ ही आर्थिक विकेंद्रीकरण पर भी जोर दिया गया।

- सर्वोदय योजना (1950): इस योजना को गांधीवादी योजना और विनोबा भावे के सर्वोदय विचार से प्रेरित होकर जयप्रकाश नारायण द्वारा तैयार किया गया था। योजना में कपास के छोटे उद्योगों और कृषि के विकास पर जोर दिया गया। उक्त योजना में भूमि-सुधार और विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना पर भी जोर दिया गया है।

स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक नियोजन:

- **1948 में आर्थिक कार्यक्रम समिति (EPC):** यह योजना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा निजी व सार्वजनिक व्यवसायियों और शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की साझेदारी को संतुलित करने के उद्देश्य से गठित की गई थी।
- **1950 में भारत सरकार ने** संसाधनों के मूल्यांकन और वृद्धि की जिम्मेदारी के साथ योजना आयोग की स्थापना करने की घोषणा की। योजना आयोग का मूल उद्देश्य आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर संतुलित रूप से संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए योजनाएँ तैयार करना था।

पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य

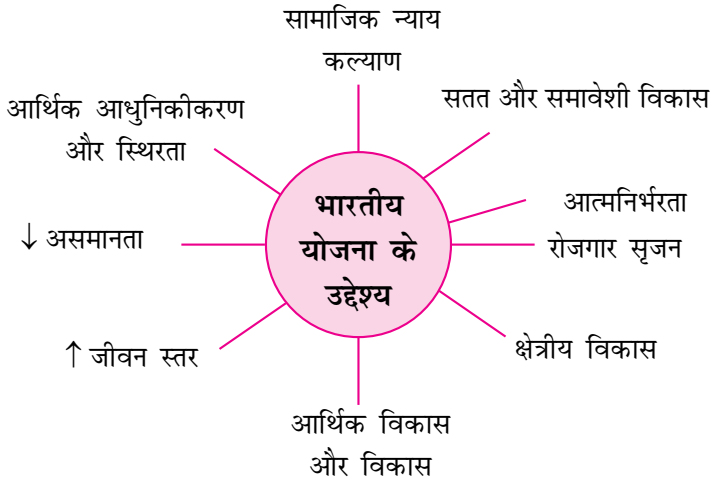
वृद्धि	• वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में बढ़ोत्तरी करना। • आर्थिक विकास और सकल घरेलू उत्पाद (ळक्च्) में बढ़ोत्तरी करना।
आधुनिकीकरण	• नई प्रौद्योगिकियों के जरिये औद्योगिक उत्पादनों में बढ़ोत्तरी और उद्योगों को स्थापित करना जिनकी स्थापना के संबंध में स्वीकृति मिल चुकी हो। • महिलाओं की भागीदारी को लेकर मामूली स्तर पर वृद्धि दर सुनिश्चित करना।
आत्म-निर्भरता	• 5-वर्षीय योजना का उद्देश्य देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए आयात पर निर्भरता को कम करके देश की जनता को कार्य-कुशल बनाना है। • पंचवर्षीय योजनाएँ विदेशों से आयात के बजाय अपने देसी संसाधनों का इस्तेमाल करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्वास के माहौल और संरक्षणवादी विचारधारा की पोषक है।
हिस्सेदारी	• आर्थिक समृद्धि को विस्तार देने के लिए समाज के प्रत्येक अल्पविकसित वर्ग को समान लाभ दिलाना। • असमानता को कम करने के लिए भोजन, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, पानी आदि की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

योजना में आवश्यक है

- **लक्ष्य और दृष्टिकोण:** पूर्व-निर्देशित लक्ष्यों को प्राप्त करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए गतिविधियाँ करना।
- **साधन और तरीके:** योजनालक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करने की एक तकनीकी है।
- **संसाधन जुटाना:** अधिकारियों द्वारा विकसित कार्यक्रमों के संचालन और प्रगति को जारी रखने के लिए संसाधन जुटाना।
- **समझदारी से किए गए खर्चे:** नियोजन की प्रक्रिया के दौरान खर्चों को कम आंकना ताकि संसाधनों की बरबादी के साथ ही उनकी कम कीमत से बचा जा सके और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की बदौलत समय रहते लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

योजना के उद्देश्य

- **नियोजन:** कल्याणकारी स्थिति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक और सामाजिक नियोजन।
- **विकास:** सभी क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास हासिल करने के लिए।
- **गरीबी:** गरीबी का निवारण और इसमें कमी।
- **अवसर:** रोजगार के मौके बढ़ना।
- **विस्तार:** आजीविका और रोजगार के अवसरों के साथ ही कृषि क्षेत्र में विस्तार के माध्यम से अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना।
- **आर्थिक समानता सुनिश्चित करना:** आत्मनिर्भरता के सहारे और संविधान में उल्लिखित राज्य के निति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) के सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर आर्थिक समानता को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- **संसाधन:** रोजगार के अवसर सृजित करके मानव संसाधनों को काम में लाना।
- **आत्मनिर्भरता:** योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और निर्यात को बढ़ावा देना था।
- **अवसर:** प्रगतिशील कराधान और रोजगार के अवसरों को सृजित करके आर्थिक असमानताओं में कमी लाना।



- **गरीबी:** योजना के माध्यम से रोजगार प्रदान करके गरीबी रेखा में मौजूद प्रदूषण को दूर करना और जन मानस को सामाजिक समानता उपलब्ध कराना।
- **तकनीकी: भारतीय अर्थव्यवस्था के दुख का प्रमुख कारण** कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, औद्योगिक विकास और आधुनिक तकनीकी की कमी थी।

दुविधा: कृषि बनाम औद्योगीकरण

तत्कालीन सरकार **ने उद्योग** को भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख गतिशील शक्ति के रूप में चुना था। उपलब्ध संसाधनों के आधार को मद्देनजर रखते हुए यह एक बिना मतलब का निर्णय लगता है क्योंकि भारत में पहले की उन सभी शर्तों का अभाव था जो उद्योग को उसके प्रमुख प्रेरक के रूप में घोषित करने का सुझाव दे सकती थीं:

- **उद्योग:** उस समय की सरकार ने उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख गतिशील शक्ति के रूप में चुना।
- **संसाधन:** उपलब्ध संसाधन के आधार को मद्देनजर रखते हुए यह एक बिना मतलब का निर्णय लगता है क्योंकि भारत में पहले की उन सभी शर्तों का अभाव था जो उद्योग को उसके प्रमुख प्रेरक के रूप में घोषित करने का सुझाव दे सकती थीं –
- **अवसंरचना:** आधारभूत संरचनाओं की कमी।
- **विकास:** लोहा और इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, तेल शोधन और बिजली जैसे उद्योगों की धीमी विकास दर।
- **निवेश:** सरकार या फिर निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश के अवसरों में कमी।
- **तकनीकी:** औद्योगीकरण की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए आवश्यक तकनीकी का अभाव और अनुसंधान एवं विकास की कमी।
- **मानव संसाधन:** कुशल और अर्ध-कुशल श्रम-शक्ति की कमी।
- **रोजगार:** लोगों में उद्योग करने की भावना का अभाव।
- **बाजार:** औद्योगिक वस्तुओं की खरीदारी अथवा उपयोग के लिए बाजारों तक कम पहुंच।

अर्थव्यवस्था के प्रमुख गतिशील बल (PMF) के रूप में कृषि-क्षेत्र प्रमुख पसंद बना क्योंकि:

- **संसाधन: खेती के लिए** उपयुक्त मानी जाने वाली उपजाऊ जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपलब्ध होना
- **पूंजी:** मानव पूंजी को किसी भी प्रकार के उच्च प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी।
- **विकास:** भूमि के स्वामित्व, सिंचाई और कृषि के अन्य इनपुट के साथ, भारत विकास की बेहतर संभावनाओं को वास्तविक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ सकता था।
- **गरीबी:** कृषि से होने वाली पारिश्रमिक आय के माध्यम से यदि एक बार क्रय क्षमता का स्तर बढ़ गया होता तो यह अपने आप ही उद्योगों के विस्तार का कारण बन जाता।
- **अर्थव्यवस्था:** घटनाक्रम औद्योगीकरण के पक्ष में थे – अर्थव्यवस्था का औद्योगीकरण करने के लिए औद्योगिक विकास का विकल्प आवश्यक था।

भारतीय नियोजन की उपलब्धियाँ और सफलताएँ

- **राष्ट्रीय आय और हर व्यक्ति की आय में बढ़ोत्तरी:** योजना की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई है। राष्ट्रीय आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर 1901 से 1947 तक 1.2 प्रतिशत दर्ज की गई थी। 2018-19 के दौरान मौजूदा कीमतों पर हर व्यक्ति की आय ₹ 1,26,406 (₹ 10,533.83 मासिक) के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है।
- **आर्थिक विकास:** राष्ट्रीय आय में अच्छी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जिसके चलते भारत एशिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं

में से एक बन गया। भारत 2022 में यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

- **रोजगार पैदा करना:** बड़े रोजगार के अवसरों के सृजन जैसे लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया था, इसी तरह तकनीकी शिक्षा का प्रसार, स्वरोजगार योजनाओं का विकास, बड़े उद्योगों का निर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्रों में सुधार पर भी बल दिया गया था।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास:** नियोजन के युग में भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है।
- क्रय शक्ति समानता (PPP) के मामले में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना करने पर **भारत तीसरे स्थान पर है।**
- **सुधार:** सामाजिक संकेतकों में – शिशु मृत्यु दर (IMR), मातृ मृत्यु दर (MMR), साक्षरता, रोजगार, प्रेषण आदि।
- **मूल्य स्थिरता:** योजना की सम्पूर्ण अवधि के दौरान आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने को आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक माना गया है।
- **औद्योगिक विकास:** सुदृढ़ औद्योगिक विकास और उसके अन्य मुख्य क्षेत्र जैसे सीमेंट, खाद, स्टील, फार्मा आदि को भी विकसित करना।
- **कृषि विकास:** चावल, गेहूं, चीनी आदि के उत्पादन और निर्यात बढ़ाकर कृषि का विकासद्य
- **वैश्विक-नेतृत्व:** सेवा क्षेत्रों में भारत विश्व स्तर पर नेतृत्व करता हैं, उदाहरण के लिए- पर्यटन व प्ज क्षेत्र आदि।
- **अवसर:** गरीबी के स्तर में कमी और जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी।
- **परिवहन एवं संचार का विकास:** योजना काल में परिवहन एवं संचार के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **समाज कल्याण:** पंचवर्षीय योजनाओं ने यह तय करने में मदद की है कि क्यों शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम कल्याण और पिछड़े वर्गों से जुड़ी उत्थान योजनाओं पर पिछले कुछ वर्षों में थोड़े ही निवेश से क्यों विकास पर मिश्रित प्रभाव पड़ गया होता?
- **पूंजी निर्माण:** भारत में कृषि, उद्योग और रक्षा के विकास के चलते पूंजी निर्माण की दर भी बढ़ गई है।

भारतीय योजना की विफलताएँ और कमियाँ

- **कीमतों में बढ़ोत्तरी:** मूल्य स्थिरता भारत में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में एक मुख्या उद्देश्य रहा है। लेकिन लगभग सभी योजनाओं में मूल्य के स्तर में काफी हद तक बढ़ोत्तरी देखी गई।
- **कीमतों का स्तर:** पहली योजना में कीमतों का स्तर नीचे आया था। जबकि अन्य सभी योजनाओं में कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी देखी गई।
- **बेरोजगारी का बढ़ना:** पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में बेरोजगारी पांव पसारती चली गई। पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 53 लाख लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे।
- **कृषि की उपेक्षा:** अगर पहली पंचवर्षीय योजना को छोड़ दिया जाए तो प्राय: पंचवर्षीय योजनाएँ कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने में नाकाम साबित हुई हैं।
- **कृषि:** 1950-51 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत से घटते हुए 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 21% प्रतिशत हो गया।
- **उत्पादन क्षेत्र में धीमी वृद्धि-दर:** शहरी क्षेत्रों के पूंजी प्रधान उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों के लघु उद्योगों पर वरीयता दे दी गई। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति विशेष रूप से गेहूं और चावल की फसलों तक ही सीमित है।
- **आय और धन के वितरण में असमानता:** पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आय और धन के वितरण में असमानता को कम करना रहा है। इस योजना में न केवल औद्योगिक क्षेत्र बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी असमानता में बढ़ोत्तरी गई।
- **व्यापक गरीबी:** बेरोजगारी की समस्या के समाधान पर कम ध्यान देने के कारण देश में व्यापक स्तर पर गरीबी फैली हुई है।
- **प्रथम चार वर्षीय योजनाओं की कमियाँ:** गरीबी की समस्या का समाधान करने में विफलता इन योजनाओं की सबसे पहली कमी है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभिन्न गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का आयोजन करके सीधे तौर पर गरीबी से निपटने के उपाय किए गए।
- **अकुशल प्रशासन:** योजनाएँ काफी विचार-विमर्श और विवेचना के बाद तैयार की गई थीं, लेकिन अकुशल प्रशासन, बेईमानी, स्वार्थ-सिद्धि की भावना और लालफीताशाही आदि के कारण उनके लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके.
- **मजबूत आधार का अभाव:** इस तथ्य के बावजूद कि अभी तक बारह पंचवर्षीय योजनाएँ गुजर चुकी हैं, आर्थिक आधार मजबूत होने से अब भी बहुत दूर है। इसके बाद भी हुम बढ़िया फसल के लिए मौसम पर ही निर्भर रहते हैं।
- **राजनीतिक अस्थिरता:** राजनीतिक अस्थिरता और अयोग्य प्रशासन योजनाओं के ठीक से लागू होने में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं।
- **ज्यादा महत्वाकांक्षाएँ:** भारतीय योजनाओं की इस आधार पर आलोचना की गई कि उनके लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी थे। इसकी आलोचनाओं के लिए ये दो कारक जिम्मेदार थे:
  - संसाधनों की कमी।
  - योजनाओं का गलत तरीके से लागू होना।

- **जीवन स्तर में कोई** बढ़ोत्तरी **नहीं:** भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है और स्थिति यह है कि बुनियादी सुविधाएँ या जरूरतें भी अभी तक लोगों को प्रदान नहीं की जा सकी हैं।
- **जनसंख्या:** एक सामान्य सेहतमंद व्यक्ति (पुरुष) को औसतन 2500-2700 कैलोरी प्रति दिन की जरूरत होती है, लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता 2200-2400 कैलोरी है।
- **अनुसंधान:** एशिया के विकासशील देशों और विश्व स्तर पर (सकल घरेलू उत्पाद के 1% से कम) की तुलना में अनुसंधान एवं विकास (R & D) कम है।

विकास का नेहरू-महालनोबिस मॉडल

- भारतीय नियोजन का **निर्णायक मोड़ दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) से देखा गया।** मॉडल योजना को नेहरू-महलनोबिस के रूप में जाना जाता था, जो पूंजीगत वस्तुओं में निवेश और इन वस्तुओं को आगे इस्तेमाल करने के लिए उनकी वृद्धि पर आधारित थी।
- योजना हेतु अपनाए गए मॉडल को **विकास की नेहरू-महलनोबिस रणनीति के रूप में जाना जाता है** क्योंकि इसे **जवाहर लाल नेहरू** के **दृष्टिकोण से व्यक्त किया गया था और पी. सी. महलनोबिस इसके मुख्य वास्तुकार थे।**
- **मॉडल के घटक:**
  - **निवेश:** यह उस प्रतिज्ञा पर कायम था जो निवेश और उच्च विकास दर से संबंधित लक्ष्यों को आकर्षित करेगा।
  - **उद्योग:** रोजगार सृजन के लिए लघु उद्योगों का विकास ताकि गरीबी में कमी, निर्यात में वृद्धि आदि को बढ़ावा मिल सके।
  - **नीतियाँ:** आयात प्रतिस्थापन नीतियाँ जैसे कि विदेशी उत्पादों के आयात के खिलाफ सुरक्षात्मक बचाव। प्रतिस्पर्धा में कमी भारतीय कंपनियों को आयात होने वाली वस्तुओं के सिलसिले में घरेलू स्तर पर निर्मित विकल्प को विकसित करने में सक्षम बनाएगी।
  - **उत्पादन:** वस्तुओं के उत्पादन के लिए लघु उद्योगों का विकास ताकि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग पूरी की जा सके, इसी के साथ ही उद्योगों के विकास और वृद्धि को समान महत्व भी दिया जा सके।

विकास का राव-मनमोहन सिंह मॉडल

- 1991 से आर्थिक सुधार राव-मनमोहन मॉडल (नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री (PM) और मनमोहन सिंह - वित्त मंत्री) पर आधारित हैं। यह मॉडल - नियंत्रणों और परमिटों के चयनात्मक विघटन, सामाजिक और ढांचागत विकास, बाहरी क्षेत्र के उदारीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSE) के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करने, विदेशी मुद्रा भंडार के संचय, आदि पर जोर देता है।

भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ

पहली पंच-वर्षीय योजना (1951-56)	• हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित • इसका मुख्य ध्यान सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के साथ ही देश के कृषि-विकास पर केन्द्रित था। • लक्षित विकास दर - 2.1 प्रतिशत • 3.6% की विकास दर हासिल की (अपने लक्ष्य से अधिक) • योजना परिव्यय का लगभग 44.6 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के पक्ष में चला गया। • सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ (2 अक्टूबर 1952) • इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील (गोरवाला समिति की संस्तुतियों के आधार पर)
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956 से 1961)	• भारी उद्योगों और पूंजीगत वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तीव्र गति से औद्योगीकरण • लक्षित विकास दर - 7.5 प्रतिशत • प्राप्त विकास दर 4.1% • यह प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित था • द्वितीय औद्योगिक नीति, 1955 ने उद्योगों को तीन अनुसूचियों में विभाजित किया। • आर्थिक नीतियों में 'समाज का समाजवादी स्वरूप' हासिल करने का लक्ष्य - प्राप्त करने में विफल रहा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961 से 1966)	• इसे 'गाडगिल योजना' भी कहा जाता है • इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और आगे बढ़ने की स्व-सक्रिय स्थिति तक पहुंचाना था। • पहली बार इसे संतुलित, क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य माना गया। • 1965 में भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना की • प्रमुख घटनाएँ: 1. दो युद्ध: एक 1961-62 में चीन के साथ और दूसरा 1965-66 में गुजरात सीमा पर पाकिस्तान के साथ 2. 1965-66 में भयंकर सूखे के कारण अकाल का सामना करना पड़ा।
तीन वार्षिक योजनाएँ (योजना अवकाश) (1966 से 1969)	• आत्मनिर्भरता के लक्ष्य पर था। • इस योजना के दौरान, वार्षिक योजनाएँ बनाई गई और कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों के साथ ही उद्योग क्षेत्र को भी समान प्राथमिकता दी गई। • इस काल में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। (1966-67)
चौथी पंचवर्षीय योजना (1969 से 1974)	• स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। • लक्षित विकास दर - 5.7 प्रतिशत • 3.3% की विकास दर हासिल की (लक्षित विकास दर हासिल करने में योजना विफल रही) • चौथी योजना (1969-74) ने पहले के रूझान के लिए एक आवश्यक सुधार प्रदान किया जिसने विशेष रूप से कृषि के साथ ही उद्योग में भी मजबूत वर्गों को अपने उत्पादन के आधार को बढ़ाने और उनमें विविधता लाने में तेजी से सक्षम बनाने में मदद की। • इसी योजना के तहत इंदिरा गांधी द्वारा 1971 के चुनाव के दौरान 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया गया था। • प्रमुख घटनाएँ: ○ सूखा और 1971-72 का भारत-पाक युद्ध (बांग्लादेश मुक्ति युद्ध) ○ 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974 से 1979)	• गरीबी हटाने और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देती हैं • लक्षित विकास दर - 4.4 प्रतिशत • 4.8% की विकास दर प्राप्त किया (योजना सफल रही) • यह योजना 1978 में समाप्त कर दी गई थी। • लॉन्च किया गया: • भारत की पहली जनसंख्या नीति 1976 में घोषित की गई • ट्वेंटी-पॉइंट प्रोग्राम (1975) • एकीकृत बाल विकास योजना (ICOsQ) 1975-76 में शुरू की गई **नोट:** योजना अवधि कठोर आपातकाल और केंद्र में सरकार के परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हुई थी।
रोलिंग योजना (1978 से 1980)	• पांचवीं योजना की निरंतरता के रूप में • 'रोलिंग प्लान' की अवधारणा की परिकल्पना की गई थी और प्रो. गुन्नार म्यर्डल द्वारा 'व्यापक सेटिंग में भारतीय आर्थिक योजना' बनाई गई थी। • काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। • अंत्योदय योजना • पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को नया जीवन (यानी, पंचयाती राज के पुनरुद्धार का दूसरा चरण);

छठवीं पंचवर्षीय योजना (1980 से 1985)	• लक्षित विकास दर – 5.2 प्रतिशत • 5.7% की विकास दर हासिल की (योजना सफल रही) • उद्देश्य: गरीबी कम करना और रोजगार के अवसर पैदा करना। • प्रसिद्ध नारा: 'गरीबी हटाओ' • **लॉन्च किया गया:** ○ 2 अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)। ○ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) • 1980 में छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण (राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर) • शिवरामन समिति की सिफारिशों पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985 से 1990)	• उद्देश्य: तेजी से खाद्यान्न उत्पादन, रोजगार सृजन में वृद्धि और सामान्य रूप से उत्पादकता पर जोर दिया गया। • लक्षित विकास दर – 5 प्रतिशत • 6% की विकास दर हासिल की (योजना सफल रही) • विज्ञान और तकनीकी के लिए सांकेतिक योजना शुरू हुई। • 1989 में लॉन्च जवाहर रोजगार योजना (JRY) – पहली विकेंद्रीकृत योजना • पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर प्राथमिकता मिली। • योजना को एक मजबूत वित्तीय रणनीति के साथ नहीं लाया गया था, जिसने अर्थव्यवस्था को भुगतान के अस्थिर संतुलन और राजकोषीय घाटे के संकट में डाल दिया।
दो वार्षिक योजनाएँ 1990-91 और 1991-92	• आठवीं योजना (1990-95) देश की राजनीतिक स्थिति, राजकोषीय असंतुलन और भुगतान संतुलन (BOP) संकट के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। • अनियंत्रित राजकोषीय घाटा
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992 से 1997)	• लक्षित विकास दर – 5.6 प्रतिशत • 6.8% की विकास दर हासिल की (योजना सफल रही) • उद्देश्य: मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य। • सांकेतिक योजना को समग्र रूप से अपनाना • नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीतियों का शुभारंभ किया • राव-मनमोहन मॉडल- LPG (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) • 1996 में विनिवेश आयोग का गठन • मिड डे मील योजना, MPLAOsQ, राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम का शुभारंभ • 1992 में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। • 1992 में SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) को वैधानिक दर्जा
नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997 से 2002)	• उद्देश्य: 'न्याय और समानता के साथ विकास'। • लक्षित विकास दर – 7 प्रतिशत। 5.6% की विकास दर हासिल की • इसे भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। • 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या कोष और जनसंख्या स्थिरीकरण कोष की शुरुआत की गई। • स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) की शुरूआत की गई।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997 से 2002)	• सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया। • **प्रमुख घटनाएँ:** ○ दक्षिण पूर्व एशियाई वित्तीय संकट (1996-97) के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था में चौतरफा 'मंदी'। ○ भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002 से 2007)	• उद्देश्य: अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। • लक्षित विकास दर - 8 प्रतिशत • पहली बार योजना में केंद्र और राज्यों के विकास के ग्यारह चुनिंदा संकेतकों के लिए शनिगरानी योग्य लक्ष्यश निर्धारित किए गए। • 'शासन' को विकास का कारक माना जाता था • पंचायती राज संस्थाओं की ज्यादा भागीदारी के साथ योजना तैयार करने में राज्यों की भूमिका भी बढ़ाई जाएगी • प्रत्येक क्षेत्र में नीतिगत और संस्थागत सुधार – सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (PSU) में सुधार, कानूनी सुधार, प्रशासनिक सुधार, श्रम सुधार आदि। • 2002 में कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की प्रमुख गतिशील शक्ति (PMF) के रूप में घोषित किया गया था। • सामाजिक क्षेत्र पर ज्यादा जोर - कुल परिव्यय का लगभग 27%।
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007 से 2012)	• उद्देश्य - 'शीघ्र और समावेशी विकास' • इसे चक्रवर्ती रंगराजन ने तैयार किया था। • लक्षित विकास दर - 8.1 प्रतिशत • 7.9% की विकास दर हासिल की • 9-10 फीसदी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास का सुनियोजित लक्ष्य।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017)	• उद्देश्य: 'तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास' • विकास दर का लक्ष्य 9% • 12वीं पंच वर्षीय योजना के व्यापक उद्देश्य: • गरीबी कम करना • राज्यों में और राज्यों के भीतर क्षेत्रीय समानता में सुधार करना • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के लिए रहने की स्थिति में सुधार करना • भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के आकर्षक अवसर पैदा करना। • लैंगिक असमानता को खत्म करना • बारहवीं (पंचवर्षीय योजना) एफवाईपी (FYP) के अंत तक 90 प्रतिशत भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। • बारहवीं एफवाईपी (FYP) के अंत तक पिछले अनुमानों की तुलना में खपत गरीबी का हेड-काउंट अनुपात 10 प्रतिशत अंक कम किया जाना है। • बारहवीं एफवाईपी (FYP) के दौरान हर साल एक मिलियन हेक्टेयर हरित आवरण (सैटेलाइट इमेजरी द्वारा मापा गया) बढ़ाएँ। • बारहवीं एफवाईपी (FYP) के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ाकर 9% तक पहुंचाना

निष्कर्ष: भारत की पंचवर्षीय योजनाओं ने जो कुछ करना सुनिश्चित किया था, उसके संदर्भ में वे बहुत कुछ कर पाने में असफल सिद्ध हुई हैं। अब तक हमने जिस आर्थिक प्रगति या विकास को देखा है, वह कुल मिलाकर 1991 के भुगतान संतुलन संकट (BoP) के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के खोले जाने के बाद का नतीजा है। आज निजी क्षेत्र ने सार्वजनिक क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़त बना ली है। इसके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पहलू हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (2019)

1. दूसरी पंचवर्षीय योजना से, बुनियादी और पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में दृढ़ विश्वास था।
2. चौथी पंचवर्षीय योजना ने धन और आर्थिक शक्ति की बढ़ती सघनता की पूर्व की प्रवृत्ति को दुरूस्त करने के उद्देश्य को अपनाया।
3. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया था।

नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनें।

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

2. 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ..... है (2014)

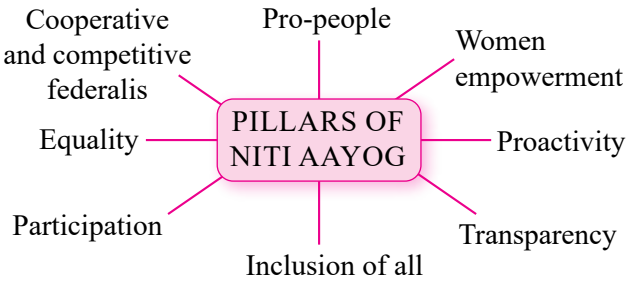
(a) समावेशी विकास और गरीबी में कमी।
(b) समावेशी और सतत विकास
(c) बेरोजगारी को कम करने के लिए सतत और समावेशी विकास
(d) तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास।

नीति आयोग

- **नीति आयोग** ने योजना आयोग का स्थान ग्रहण किया जो देश की आर्थिक आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी था। नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जिसका गठन 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। NITI आयोग के शासी परिषद की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण के साथ विधान मंडल के सदस्य और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं।
- यह अब **नीति-निर्माण करने वाली एक संस्था** है जिससे आर्थिक विकास का पूर्वानुमान करने और एक ऐसी गतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण करने में मदद मिलती है जिसकी बदौलत इस आधुनिक दुनिया में प्रतिस्पर्धी रहा जा सके।

नीति आयोग के कार्य

- राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को महत्व देकर और राज्यों के राष्ट्रहित से जुड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हुए उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ **राष्ट्रीय विकास का दृष्टिकोण** रखता है।



- **सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद** को अनेकों पहल के माध्यम से बढ़ावा देना और एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के निर्माण में राज्यों का समर्थन करना।
- **आर्थिक नीतियों** को एकीकृत करना जो राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को भी पूरा करती हों।
- तृतीय श्रेणी के जमीनी **स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं** का विकास और इन योजनाओं को सरकार के उच्च स्तरों के साथ एकीकृत करना।
- **समाज पर काम: समाज** के हाशिए पर खड़े वर्गों पर विशेष ध्यान देना, जिन्हें नियोजन प्रक्रिया की अवधि के दौरान लाभ से वंचित रह जाने का खतरा हो सकता है।

नीति आयोग की पहल

- इंडिया इनोवेशन इंडेक्स
- अटल इनोवेशन मिशन
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
- ई-अमृत पोर्टल
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम
- स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
- एसडीजी इंडिया इंडेक्स
- जिला अस्पताल सूचकांक
- वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड
- स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75
- सुशासन सूचकांक
- महिला उद्यमिता कार्यक्रम (डब्ल्यूईपी)

- **रणनीतिक नीतियों** को डिजाइन और तैयार करना और उनके प्रभाव की निगरानी करते रहना।
- **राष्ट्रीय विकास से** संबंधित **लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए** एजेंडा और योजना को धरातल पर लागू करना।
- यह इन विकास एजेंडों के संचालन में तेजी लाने के लिए **अंतर-क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान** के लिए एक मंच प्रदान करती है।
- दक्षता बढ़ाने और संबंधित कार्यक्रमों के समय पर आयोजन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की आवश्यकताओं की सक्रियता के साथ **निगरानी करना**।
- एक अति आधुनिक संसाधन केंद्र को बनाए रखने के लिए यह एक **शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थान है जो सुशासन** के **अनुसंधान का संग्रह है।** यह सतत और समान विकास के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों की जांच करता है।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रमुख हितधारकों के बीच **भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए** एक सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- यह **राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य भागीदारों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से एक सुशिक्षित, अभिनव और उद्यमशील सहायता प्रणाली प्रदान करता है।**
- यह अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन की निगरानी और मूल्यांकन करता है। उदाहरण के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) बिजनेस इत्यादि।

नीति आयोग बनाम योजना आयोग

विशेषताएँ	नीति आयोग	योजना आयोग
कार्य	यह विशेषज्ञों का एक प्रबुद्ध दल और एक सलाहकार तंत्र है जो राज्यों पर अपनी नीतियाँ नहीं थोपता है।	इसे राज्यों और आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर नीतियाँ लागू करने की शक्ति थी।
निधि आवंटन	इसके पास वित्त मंत्रालय के तहत धन के आवंटन की शक्ति है।	इसके पास कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों को धन आवंटित करने की शक्ति थी।
राज्यों की भूमिकाएँ	राज्य सरकारें सक्रिय रूप से शामिल हैं।	राज्य सरकार ने केवल कार्यक्रमों के संचालन में भूमिका निभाई।
शासी निकाय	राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर।	आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट किया जिसमें मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल थे।
नियुक्ति	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है जो परिषद का अध्यक्ष होता है।	इसी प्रक्रिया द्वारा सचिवों की नियुक्ति की जाती थी।
श्रेणी	यह एक कार्यकारी निकाय है और संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है।	यह भी एक कार्यकारी निकाय था।
लक्ष्य	इसे राष्ट्र के विकास के लिए बनाया गया है।	इसे राष्ट्र के विकास के लिए बनाया गया है।
बैठक	चर्चा के लिए हर साल इकट्ठा होना और योजना तैयार करना।	चर्चा के लिए हर साल इकट्ठा होना और योजना तैयार करना।

समानताएँ

- **प्राथमिक उद्देश्य:** लोगों के इन दोनों बोर्डों का मुख्य उद्देश्य इस राष्ट्र का विकास और निर्माण करना है।
- **संवैधानिक अधिदेश:** योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक गैर-संवैधानिक निकाय है जो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
- **योजना कार्यकाल:** ये दोनों बोर्ड 5-7 साल की लंबी अवधि के लिए योजना बनाते हैं।
- **बैठक की समय अवधि:** दोनों बोर्ड चर्चा करने और योजनाओं को तैयार करने के लिए हर साल इकट्ठा होते हैं।

नीति आयोग की आलोचना

- **परिवर्तन की सीमाएँ:** नीति आयोग एक बेहद असमान समाज को एक ऐसी आधुनिक अर्थव्यवस्था में नहीं बदल सकता जो अपने सभी नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करे, भले ही उनकी सामाजिक पहचान कुछ भी हो।
- **नीति-निर्माण में सीमित भूमिका या प्रभाव:** सार्वजनिक या निजी निवेश को प्रभावित करने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसा लगता है कि दीर्घकालिक परिणामों के लिए नीति निर्माण में इसका कोई प्रभाव नहीं है। उदाहरण के लिए, विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर।

- **नीति आयोग अभी प्रारंभिक अवस्था में है:** यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इसकी भूमिका क्या होनी चाहिए क्योंकि एक विचार मंच की भूमिका आसान नहीं है।
- **गैर-महत्वपूर्ण निकाय:** अगर यह एक विचार मंच है, तो इसे वर्तमान सरकार से सम्मानजनक बौद्धिक दूरी बनाए रखनी होगी। इसके बजाय, हम सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों की पक्ष में प्रशंसा देखते हैं।
- **सीमित जवाबदेही:** यह विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है, जैसे 90% असंगठित क्षेत्र में क्यों काम कर रहे हैं? और इसके अलावा, आज की तारीख में, संगठित क्षेत्र में अधिक से अधिक अनौपचारिकीकरण हो रहा है।
- **महिलाओं के उत्थान के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया:** जब बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में सुधार देखा जा रहा है, ऐसी स्थिति में भी महिलाओं की श्रम-शक्ति भागीदारी दर में गिरावट आ रही है।

सफलता के मार्ग

- **समर्पित समय अवधि** जांच और संतुलन को बनाए रखकर समय पर काम करने में मदद करती है।
- नौकरशाही की निष्क्रियता या कर्तव्यहीनता काम के प्रवाह में बाधाएँ उत्पन्न करती है जिसे **जवाबदेही तय करके सुधारने की जरूरत है।**
- नीति आयोग **प्रशासन को बेहतर बनाने** और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर वितरण के लिए नए तरीकों को लागू करने में योगदान दे सकता है।
- नीति आयोग को स्वयं को नियंत्रित करने का प्रयास न करने की दिशा में केंद्र को राजी करने के लिए **एक सलाह-आधारित निकाय के रूप में काम करना चाहिए।** इसका काम राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान को बढ़ावा देने का ही होना चाहिए।
- **विकेंद्रीकरण** से हमारे विविध और लोकतांत्रिक देश को मदद मिलेगी। इस प्रकार, नियोजन के दौरान राज्य सरकार के साथ ही शहर और जिला प्रशासन के तीसरे स्तर तक को भी शामिल होना चाहिए।
- **सिस्टम के हितधारकों में 'संगठनात्मक शिक्षा' को तीव्र रूप देने के लिए नए तरीकों की** जरूरत होती है, जिन्हें एक साथ योजनाएँ बनानी चाहिए और इसी तरह उन्हें एक साथ लागू भी करना चाहिए। इस प्रकार, पास में कोई योजना होना काफी नहीं है, बल्कि इसके सहकारी संचालन के लिए एक रणनीति भी होनी चाहिए।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. नीति आयोग द्वारा अपनाए गए सिद्धांत भारत में पहले के योजना आयोग द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों से किस प्रकार अलग हैं? (2018)

❖ ❖ ❖

6 निर्धनता और असमानता

- निर्धनता की परिभाषा एक ऐसी स्थिति या दशा के रूप में दी जाती है, **जिस स्थिति या दशा में एक व्यक्ति या समुदाय अपने जीवन के आधारभूत स्तर पर आवश्यक मौद्रिक संसाधनों और आधारभूत आवश्यक वस्तुओं से वंचित होता है।**
- निर्धनता एक **बहुआयामी परिदृश्य** होता है, जिसमें कोई व्यक्ति या समुदाय सबसे निचले स्तर के जीवन के लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों और जरूरी चीजों से वंचित होता है।

विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा प्रदत्त निर्धनता की परिभाषाएं

- **विश्व बैंक:** निर्धनता बेहतर जीवनयापन के लिए एक बहुत ही गंभीर अभाव है जिसकी अनेक दिशाएँ हैं। इसमें कम आय और सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी आधारभूत वस्तुओं और सेवाओं को हासिल करने में सक्षम न होना शामिल होता है। निर्धनता में स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी, उपयुक्त स्वच्छ पेय जल और साफ-सफाई न प्राप्त होना, शारीरिक सुरक्षा प्राप्त न होना, किसी के द्वारा उनकी बातें न सुनी जाना और अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता और उपयुक्त अवसरों की कमी आदि आती हैं।



- **संयुक्त राष्ट्र संगठन (UN):** गरीबी में स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों और आय की कमी शामिल है। यह भूख और कुपोषण, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यकताओं तक सीमित पहुंच, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव, और निर्णय लेने में भागीदारी की कमी को प्रदर्शित करता है।
- **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)** की निर्धनता की परिभाषा के अनुसार, "यह मानव की एक ऐसी स्थिति है जिसकी विशेषता एक पर्याप्त मानकीकृत जीवन एवं अन्य नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के लिए टिकाऊ संसाधनों, क्षमताओं, रुचियों, सुरक्षा और शक्ति की लगातार कमी होना होता है"।
- **2011 में,** भारत की 21.9% जनसंख्या राष्ट्रीय निर्धनता रेखा से नीचे थी।

कुछ तात्कालिक पूर्वानुमानों के अनुसार, 2020 में वैश्विक निर्धनता दर कोविड-19 महामारी के कारण बढ़कर 9.2% हो गई, जो 2019 में 8.3% थी। 1998 के बाद से पहली बार निर्धनता में इतनी अधिक बढ़ोत्तरी हुई है और यह 1990 के बाद की सबसे ज्यादा होने वाली बढ़ोत्तरी है और इस कारण से निर्धनता घटाने के लिए तय किए गए लक्ष्य के लिए लगभग तीन वर्षों की क्षति हुई है।

निर्धनता और असमानता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

मौलिक अधिकार	• **अनुच्छेद 16(1):** राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। • **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता का उन्मूलन - एक समान सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के साथ, अनुच्छेद 17 का उद्देश्य एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाना है। • **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण - अनुच्छेद 21 गरीबी न्यायशास्त्र से भरा हुआ है। इसमें गरीबों के बुनियादी जरूरतों के अधिकार के साथ-साथ उनके कल्याण और विकास को शामिल किया गया है। • **अनुच्छेद 24: शोषण के विरुद्ध अधिकार** - अनुच्छेद 24 के प्रावधान सभी (राज्य और निजी व्यक्ति दोनों) पर लागू होते हैं। संविधान के मूल निर्माताओं ने 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया (मुफ्त शिक्षा प्राप्त करें और खुद को उपयोगी और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करें)।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत	• ये निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय के ढांचे को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं और वे शिक्षा, पर्यावरण, न्याय को बढ़ावा देना, नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, अनिवार्य रूप से वेतन मिलना, नीचे तबके के लोगों की सुरक्षा, वन सम्पदा एवं वन्य जीवन की सुरक्षा आदि के क्षेत्र में सार्वजनिक समाज कल्याण के लिए कई प्रावधानों की अपेक्षा करते हैं। • **अनुच्छेद 39 (A):** न्याय को बढ़ावा देना, समान अवसर और नि:शुल्क कानूनी सहायता; • **अनुच्छेद 39 (a):** राज्य अपनी नीति को आजीविका के पर्याप्त साधन हासिल करने की दिशा में निर्देशित करेगा; • **अनुच्छेद 41:** काम की सुरक्षा, शिक्षा और कई मामलों में सार्वजनिक सहायता; • **अनुच्छेद 42:** काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों की सुरक्षा; • **अनुच्छेद 45:** राज्य के हर एक बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा आदि।

सतत विकास का लक्ष्य और निर्धनता

- **सतत विकास लक्ष्य 1 (SDG 1):** सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा में इसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक के रूप में वर्ष 2030 तक दुनिया भर में सभी लोगों के लिए अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन शामिल है।
- 2015 में गरीबी की दर 10.1% से घटकर 2018 में 8.6% हो गई, जो 2015 और 2018 के बीच की अवधि के लिए एक ऐतिहासिक निम्न स्तर है।

निर्धनता के प्रकार

चरम निर्धनता	• यह एक ऐसी स्थिति होती है, जहां परिवार की आय बुनियादी जीवन स्तर (भोजन, आश्रय, आवास) को बनाए रखने के लिए जितनी जरूरत होती है, उससे कम होती है। इसी स्थिति से देशों और समय के बीच तुलना की जा सकती है। • 1990 में लागू की गई "एक डॉलर प्रतिदिन" निर्धनता रेखा, मानकों द्वारा दुनिया के सर्वाधिक निर्धन देशों की पूर्ण निर्धनता का मापन करती है। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2015 में **इसे बढ़ाकर 1.90 डॉलर प्रति दिन कर दिया था।**
सापेक्ष निर्धनता	• सामाजिक दृष्टि से, इसे आसपास की आबादी के आर्थिक स्तर की तुलना में जीवन स्तर के निम्न स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह आय असमानता के एक उपाय के रूप में कार्य करती है। • आमतौर पर, सापेक्ष निर्धनता को औसत आय के एक निश्चित अनुपात से कम आय वाली जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण

- **पुरातन दृष्टिकोण:** पारंपरिक दृष्टिकोण यह मानता है कि निर्धनता एक व्यक्ति के कार्यों और उसके भाग्य दोनों का परिणाम होती है।
- **आधुनिक दृष्टिकोण:** आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, निर्धनता के लिए सबसे पहला योगदान सामाजिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली का होता है, जो किसी एक व्यक्ति के वश के बाहर की चीज होती है।

निर्धनता रेखा की अवधारणा

- निर्धनता को निर्धारित करने का पारंपरिक तरीका **आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की एक श्रृंखला की पूर्ति के लिए आवश्यक आय (या व्यय) की न्यूनतम राशि निर्धारित करना है। निर्धनता रेखा व्यय का यह न्यूनतम स्तर होता है।**
- **निर्धनता अनुपात या हेड काउंट अनुपात (HCR):** निर्धनता में रहने वाली जनसंख्या का अनुपात, जिसे हेड काउंट अनुपात (HCR) के रूप में भी जाना जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा (IPL):** 2017 के संशोधनों के अनुसार, विश्व बैंक उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा निर्धन मानता है जिसकी रोज की आय 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम है।
- **सामाजिक निर्धनता रेखा (SPL):** निर्धनता से जुड़े पक्ष को ध्यान में रखते हुए, 2018 में विश्व बैंक ने सामाजिक निर्धनता रेखा (SPL) को लागू किया था। सामाजिक निर्धनता रेखा (SPL) एक मिश्रित रेखा होती है जो 1.90 अमरीकी डालर प्रति दिन की पूर्ण निर्धनता रेखा को एक संबंधित घटक के साथ जोड़ती है जो अर्थव्यवस्था की औसत आय या व्यय के साथ-साथ बढ़ती है।
- **एशियाई विकास बैंक** द्वारा निर्धारित निर्धनता रेखा वर्तमान में **प्रति व्यक्ति 1.51 डॉलर प्रति दिन है।**

- निर्धनता के विभिन्न पक्षों का एक संकेतक **से मापन करना असंभव है।**

भारत में निर्धनता का आकलन: निर्धनता पर समितियाँ

- भारत में, **निर्धनता का एक सामान्य संकेतक आय या उपभोग का स्तर है;** यदि किसी परिवार का संकेतक पूर्व निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे आता है, तो उस परिवार को निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) माना जाता है।
- **निर्धनता रेखा की गणना:** वर्तमान में, नीति आयोग की कार्य समिति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के अधीन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा एकत्रित जानकारी का इस्तेमाल करके भारत में निर्धनता रेखा की गणना करती है।
- **उपभोग बनाम आय का स्तर:** भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने के लिए आय के स्तरों के बजाय उपभोग के खर्चों का इस्तेमाल निम्नलिखित कारणों से किया जाता है:
  - **आय में भिन्नता:** उपभोग का स्वरूप आम तौर पर स्थिर होते हैं, लेकिन स्व-नियोजित और मजदूरी कमाने वालों की आय समय और स्थान के अनुसार बहुत भिन्न होती है।
  - **अतिरिक्त आय:** हर माह वेतन प्राप्त करने वाले लोगों के पास प्राय: पूरक अतिरिक्त आय होती है जिसका हिसाब रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
  - **आंकड़ों का संग्रह:** उपभोग-आधारित निर्धनता रेखा के इस्तेमाल के समय, नमूना-आधारित सर्वेक्षणों में परिवारों से एक संदर्भ अवधि (उदाहरणार्थ, पिछले 30 दिन) के दौरान उनकी उपभोग के बारे में पूछा जाता है, जिसका इस्तेमाल तब समग्र उपभोग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।
  - **आय की प्रवृत्ति:** मुख्य आय प्रवृत्ति का निर्धारण करना असंभव है।

संदर्भ अंतराल

- जिस समय के अंतराल में सर्वेक्षण किया जाता है और विशेष रूप से घरों में पूछताछ की जाती है, उसे संदर्भ अंतराल कहा जाता है।

निर्धनता के आकलन के लिए आंकड़ों को एकत्र करने की विधियाँ:

समरूप संसाधन अंतराल (URP)	• 1993-1994 तक निर्धनता रेखा का आकलन समरूप संसाधन अंतराल (URP) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता था, जिसमें उत्तर देने वालों से उनके पिछले 30 दिनों के खर्चों व उपभोग का आंकड़ा पूछा जाता था। जिससे आंकड़े पिछले 30 दिनों में उपभोग खर्चों के स्मरण पर आधारित होते थे।
मिश्रित संदर्भ अंतराल (MRP)	• राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) ने 1999-2000 में एक मिश्रित संदर्भ अंतराल (MRP) तकनीकी का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें बीते साल में पांच कम बार खरीदी जाने वाली वस्तुओं (कपड़े, जूते, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा और संस्थागत स्वास्थ्य व्यय) पर खर्च के साथ-साथ पिछले 30 दिनों में अन्य सभी सामानों पर किए गए खर्च की जांच की जाती है।

स्वतंत्रता से पूर्व निर्धनता का आकलन:

दादाभाई नौरोजी	• दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक **"पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया"** में निर्धनता रेखा (प्रति वर्ष के बीच 16 से 35 प्रति व्यक्ति) की गणना की थी। • उन्होंने भरण-पोषण या बुनियादी भोजन (चावल या आटा, दाल, मटन, सब्जियाँ, घी, वनस्पति तेल और नमक) की कीमत के आधार पर निर्धनता के मानक का निर्धारण किया था।
राष्ट्रीय योजना समिति	• राष्ट्रीय योजना समिति की निर्धनता की परिभाषा के अनुसार, निर्धनता प्रति व्यक्ति का आधार पर प्रति माह 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक थी और जो आधारभूत जीवन स्तर पर आधारित थी, इसमें आहार संबंधी सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था।

राष्ट्रीय योजना समिति	• राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में **सुभाष चंद्र बोस ने की** थी और इसकी अध्यक्षता का भार जवाहरलाल नेहरू नेहरू जी के कंधे पर था। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी आर्थिक रणनीति स्थापित करना था जो लोगों को पर्याप्त जीवन स्तर का वादा कर सके।
बंबई योजना (1944)	• बंबई योजना (1944) के समर्थकों ने प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति ₹ 75 की गरीबी सीमा का सुझाव दिया। बंबई में बड़े-बड़े व्यवसायियों के एक छोटे से समूह ने भारत की स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए "बंबई योजना" के रूप में जाने वाले प्रस्तावों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की थी।

स्वतन्त्रता के उपरांत निर्धनता का आकलन:

वीएम दांडेकर और एन रथ	• **वीएम दांडेकर और एन रथ** ने 1971 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल करके निर्धनता का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत किया। • वीएम दांडेकर और एन रथ ने प्रस्ताव दिया कि निर्धनता रेखा का मानदंड उस खर्च के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रति दिन 2250 केलोरी मिलती हो, यह पहले के अनुमानों के विपरीत था जो भरण-पोषण या केवल आवश्यक वस्तुओं पर केंद्रित थे।
अलघ समिति (1979)	• योजना आयोग द्वारा **वाई के अलघ** के नेतृत्व में स्थापित कार्य समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए आहार से जुड़ी आवश्यकताओं और संबंधित उपभोग खर्चों के आधार पर एक निर्धनता रेखा तैयार की थी। महंगाई के दिए गए मूल्य स्तरों को ध्यान में रखते हुए अनुमानों को बाद के वर्षों में संशोधित किया जाना था।
लकड़वाला समिति (1993)	• लकड़वाला समिति के निष्कर्ष इस परिकल्पना पर आधारित थे कि निर्धनों के उपभोग के स्वरूप **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (CPI&IW) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक (CPI&AL) बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टोकरियों में प्रतिबिम्बित होते हैं।** • **"अनुपात और निर्धनों की संख्या का अनुमान"** के लिए गठित एक विशेषज्ञ समूह का नेतृत्व प्रो डीटी लकड़वाला (योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष) ने किया था। • लकड़वाला समिति ने 1993 में निम्नांकित सुझावों की एक रिपोर्ट प्रकाशित की: ○ **निर्धनता रेखा का दृष्टिकोण,** जो केलोरी ग्रहण पर आधारित है और जो सतत (निश्चित उपभोग टोकरी) भी है ○ शहरी क्षेत्रों में CPI&IW का और ग्रामीण क्षेत्रों में CPI&AL का इस्तेमाल करके राज्य-वार विशिष्ट निर्धनता रेखाएं स्थापित की जानी चाहिए और इन्हें शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (CPI&IW) का और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक (CPI&AL) का इस्तेमाल करके अद्यतन किया जाना चाहिए। ○ केवल राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों का इस्तेमाल करके निर्धनों का आकलन नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञ समूह ने केवल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के आंकड़ों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। • 1997 में लकड़ावाला समिति के सुझावों में बदलाव करके भारत सरकार ने उसे स्वीकृति दे दी।
तेंदुलकर समिति (2009)	• सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए। ○ केलोरी ग्रहण का इस्तेमाल करके निर्धनता का आकलन बंद किया जाए ○ भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा बास्केट (PLB) समान हो।

तेंदुलकर समिति (2009)	○ भौगोलिक और अस्थायी मूल्य समायोजन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए, मूल्य समायोजन तकनीकी में सुधार किया जाए। ○ निर्धनता का निर्धारण करते समय निजी स्वास्थ्य और शिक्षा पर किए गए खर्च पर विचार किया जाए। ○ समितियों द्वारा पूर्व में इस्तेमाल की जाने वाली मिश्रित संदर्भ अवधि के स्थान पर सार्वभौमिक संदर्भ अवधि का उपयोग किया जाए। ○ इन मानकों के अनुसार, समिति ने निर्धारित किया कि 2004-2005 में शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धनता रेखा ₹ 578.80 प्रति व्यक्ति प्रति माह थी, जबकि यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह ₹ 446.68 प्रति व्यक्ति प्रति माह थी। ○ 2009-2010 में, यह शहरी क्षेत्रों के लिए ₹ 859.6 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹ 672.8 थी। 2010-2011 में यह शहरी क्षेत्रों के लिए ₹ 1000 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ₹ 816 थी।
सी रंगराजन समिति (2012)	• निर्धनता रेखा की गणना के लिए योजना आयोग द्वारा एक नया समूह स्थापित किया गया। • यह निर्धनता के स्तर की गणना के लिए एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करना। • राष्ट्रीय खातों और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के उपभोग संबंधी आंकड़ों के समुच्चय के बीच भिन्नता पर नजर डालना। • विश्व भर में निर्धनता की गणना के लिए विभिन्न तरीकों की जांच करना। • भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में इन रणनीतियों और भागीदारी के बीच संबंध का सुझाव देना। • पैनल की अंतिम रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में तेंदुलकर समिति द्वारा प्रस्तुत भारत में निर्धनता के स्तर के आकलन की आलोचना की गई थी। • 2011-2012 में दस में से तीन भारतीय कथित रूप से निर्धनता में जी रहे थे, जबकि निर्धनता दर जनसंख्या की दर से 29.5% ज्यादा थी।
अरविंद पनगढ़िया कार्य समिति (2015)	• कार्य समिति ने "निर्धनता रेखा से नीचे (BPL)" के लोगों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन करने का सुझाव दिया, इसने राज्यों की भागीदारी रखने का भी सुझाव दिया। रिपोर्ट में निर्धनों की खोज करने के लिए चार विकल्पों पर विचार करने की बात की: ○ सबसे पहले, तेंदुलकर की गरीबी रेखा को जारी रखा जाए। ○ दूसरा, रंगराजन या अन्य उच्च ग्रामीण और शहरी निर्धनता रेखा के लिए बदलाव करें। ○ तीसरा, समय के साथ, 30% से नीचे के निर्धनों का पता लगाएं। ○ चौथा, विशिष्ट घटकों, जैसे आवास, स्वच्छता, बिजली, पोषण सेवन आदि पर 30% से नीचे के निर्धनों का पता लगाएं।
नीति आयोग कार्य समिति	• नीति आयोग ने तेंदुलकर रेखा (21.9%) का समर्थन किया • पात्रता निर्धारित करने के लिए सक्सेना और हाशिम समिति द्वारा सुझाए गए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। • **डॉ. एनसी सक्सेना समिति का गठन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा** निर्धनता के नीचे की रेखा (BPL) जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति पर सुझाव देने के लिए किया गया था न कि निर्धनता का आकलन करने के लिए किया गया था। • योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत पद्धति की सिफारिश करने के लिए प्रोफेसर एसआर हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया।

निर्धनता के आकलन का महत्व और उपयोगिता

- **कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रभाव:** विभिन्न सरकारी नीतियों, जिनमें विशेष रूप से जो निर्धनता को कम करने के साथ-साथ शिक्षा संबंधी जरूरतों के लिए लक्षित सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम शामिल हैं, उनकी प्रभावशीलता पर नजर रखने के लिए निर्धनता के आकलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह निर्धारित करने के लिए कि कौन से घर निर्धन हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय (सरकार के साथ सहयोग से) बीपीएल जनगणना करता है।
- **निर्धनता उन्मूलन योजना:** गरीब-केंद्रित गरीबी उन्मूलन योजनाओं को बनाने के लिए गरीबी रेखा के रूप में गरीबी के अनुमानों का उपयोग किया जाता है।
- **संवैधानिक आवश्यकता:** निर्धनता का आकलन निर्धनता उन्मूलन के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, जो इसके बदले में एक उचित और न्यायसंगत समाज के लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है।
- **लक्षित सेवा वितरण:** अपवर्जन के दौरान की गई त्रुटियाँ पात्र परिवारों को लाभों से वंचित कर सकती हैं।
- **नीतियों की सफलता का मूल्यांकन:** आंकड़ों का संकलन करने से सभी नीतियों का यह मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है कि वे अधिकांश लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या नहीं। इससे साफ-साफ मूल्यांकन में तभी सहायता मिलेगी, जब निर्धनों की संख्या ज्ञात और स्थापित हो।
- **बढ़ती हुई असमानता का मापन करने के लिए:** भारतीयों को यह सवाल करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए कि क्या बढ़ती हुई असमानता के पीछे धनिकों की संख्या में भारी वृद्धि का कोई संबंध है या इसके पीछे लाखों गरीबों के कष्ट हैं।

निर्धनता का आकलन करने में चुनौतियाँ

- **निर्धनता रेखा बास्केट (PLB) के घटक:** चूंकि बास्केट के घटकों के मूल्य भिन्न-भिन्न राज्यों और भिन्न-भिन्न समय-समय पर भिन्न-भिन्न होते हैं, इसलिए निर्धनता रेखा बास्केट (PLB) के घटकों का निर्धारण गरीबी रेखा का अनुमान लगाने में आने वाली कठिनाइयों में से एक है।
- **जनसांख्यिकी और आर्थिक गतिशीलता:** व्यापक आर्थिक और जनसांख्यिकीय गतिशीलता के कारण उपभोग के स्वरूप, आहार संबंधी आवश्यकताएं और घटक की कीमतें लगातार परिवर्तन होता रहता है।
- तेंदुलकर और रंगराजन समिति की रिपोर्ट के संबंध में राज्यों के **बीच आम सहमति का अभाव:**
  - जबकि दिल्ली, झारखंड, मिजोरम और पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों ने रंगराजन रिपोर्ट का समर्थन किया, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेंदुलकर गरीबी रेखा सहित अन्य ने ऐसा नहीं किया।
  - निर्धनता के वर्तमान आधिकारिक मापन का आधार तेंदुलकर गरीबी रेखा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 27.2 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 33.3 रुपये के प्रति व्यक्ति दैनिक खर्च निर्धारित करती है।
  - अधिकांश सरकारों ने समिति और पैनल की रिपोर्ट को रोक दिया दिया है क्योंकि ऐसे मुद्दे राजनीतिक निहितार्थ के साथ-साथ वित्तीय मुद्दे भी होते हैं।
- **सीमा निर्धारण की समस्या:** निम्न निर्धनता सीमा सरकार की वित्तीय स्थिरता के लिए नुकसानदायक होगी, जबकि उच्च निर्धनता सीमा कई जरूरतमन्द लोगों को बाहर कर सकती है।

निर्धनता के प्रभावशाली मापन के लिए समाधान

- **निर्धनता रेखा को फिर से निर्धारित करना:** गरीबी रेखा की पुनर्गणना आय, उपभोग के स्वरूप और कीमतों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।
- **व्यावहारिक निर्धनता रेखा:** इससे निर्धनता रेखा को एक ऐसे स्तर पर निर्धारित करने का औचित्य प्रदान करता है, जो किसी परिवार को इतना समर्थ बनाता हो कि वे अन्य आवश्यक जरूरतों के साथ-साथ प्रति दिन दो बार भोजन भी प्राप्त कर सके।
- **पूर्ण और सापेक्ष निर्धनता के मापन का मिश्रण:** यह विधि वैश्विक स्तर पर पूर्ण निर्धनता और अलग-अलग राष्ट्रों के भीतर सापेक्ष निर्धनता दोनों के दृष्टिकोण से निर्धनता का मापन करेगी। एक मिश्रित स्वरूप के रूप में निर्धनता रेखा उस राशि के बराबर होगी जो एक कल्याण की विशेष स्थिति, जिसमें न्यूनतम पोषण और सामाजिक समावेश शामिल हो, तक पहुंचने के लिए आवश्यक होगा।
- **राजनीतिक-आर्थिक संतुलन:** भारत की राजनीतिक, नीतिगत और प्रशासनिक व्यवस्था देश के मध्यम आय वर्ग की स्थिति की ओर बढ़ने से उत्पन्न होने वाली नई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें अब निर्धनता रेखा को भुखमरी की कगार पर होने की स्थिति के बजाय एक फलती-फूलती अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त करने में असमर्थता के रूप में परिभाषित किया जाए। सरकारी खर्च का मुख्य लक्ष्य सब्सिडी के बजाय सार्वजनिक वस्तुओं पर खर्च करना होना चाहिए।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) की मुख्य विशेषताएं: गरीबी हटाओ

- इस योजना के पहले वर्ष में न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP) को डीपी धर ने तैयार किया था।**
- **1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन** के परिणामस्वरूप, अब राज्य सरकारें बिजली के उत्पादन और वितरण करने में सक्षम हैं।
- वांछित विकास दर 4.4% थी, लेकिन इसे वास्तव में 4.8% प्राप्त किया गया था।
- 1978 में, नवनिर्वाचित तत्कालीन मोरारजी देसाई प्रशासन ने इस योजना को रद्द कर दिया।

अमर्त्य सेन द्वारा निर्धनता की अवधारणा

- अमर्त्य सेन के अनुसार, विकास एक प्रक्रिया है जो लोगों की वास्तविक स्वतंत्रता को बढ़ाकर उनकी क्षमताओं को बढ़ाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो केवल माल की उपलब्धता में वृद्धि करती है।
- **अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार,** निर्धनता एक ऐसी अवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति के पास एक सम्मान भरा जीवन जीने के लिए मौलिक क्षमताओं की कमी होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, निर्धनता, निर्धनों को एक दायरे में रह कर जीवन जीने को विवश करती है। ज्यादा परेशानी पड़ने के परिणामस्वरूप व्यक्ति की क्षमताएं कम हो जाती हैं, जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है।
- **प्रगति और विकास पर हाल में ही हुई चर्चाओं पर** अमर्त्य सेन के क्षमता सिद्धांत ने एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।
- **सेन का क्षमता दृष्टिकोण,** उत्पादों (अंतिम परिणाम) और संसाधनों (इनपुट) के बजाय **लोगों और उनकी क्षमताओं पर जोर देता है।**
- इसके अतिरिक्त, **यह उन समस्याओं जैसे गरीबी, असमानता, लैंगिक पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्कार पर एक वैकल्पिक और अधिक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करता** है, जिन्हें आर्थिक परिप्रेक्ष्य मुश्किल से स्पर्श करते हैं।
- उन्होंने अपने अभूतपूर्व लेख **"इक्वेलिटी फॉर व्हाट"** में क्षमता के दृष्टिकोण को इस रूप में परिभाषित किया है, जो अर्थशास्त्र में विशिष्ट, नकारात्मक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण के बजाय **किसी व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता या कुछ होने या करने की वास्तविक क्षमता पर जोर देता है।**
- सेन का दृष्टिकोण **लोगों पर आधारित, व्यापक और उनके लिए सुविधाजनक है।** लोग अब केवल रोबोट के समान केवल निर्माता और उपभोक्ता नहीं हैं।
- यदि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विकास मॉडल उनकी शक्ति को कम करता है, तो क्षमता दृष्टिकोण उनकी शक्ति को मुख्य चिंता का विषय बनाता है।
- **क्षमता दृष्टिकोण**, लोगों के बीच कुछ काल्पनिक समानता या उन्हें संख्या के संदर्भ के रूप में देखने के बजाय **व्यक्तियों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है।**
- यह यह भी **स्वीकार करता है कि लोगों की क्षमता वाह्य शक्तियों से प्रभावित होती है**, इन शक्तियों में दूसरों के साथ बातचीत, सामाजिक संरचनाएं, आधारभूत ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच, पूर्वाग्रह और भेदभाव, लोगों को सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के अवसर मिलने की सीमा, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने की क्षमता आदि शामिल हैं।

सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना

- सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) का संचालन राज्य सरकारों, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था।
- विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्थितियों वाले परिवारों के बीच अंतर दर्शाने के लिए, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) आवास, शिक्षा, भूमि का स्वामित्व, दिव्यांगों, व्यवसायों, संपत्ति का स्वामित्व, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों, आय और अन्य कारकों पर आंकड़े उपलब्ध कराता है।
- इसका इस्तेमाल आवास, शिक्षा, कौशल विकास, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य उद्देश्यों के लिए करने के अतिरिक्त, सरकार ने अपने सभी कार्यक्रमों में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है।
- **सुमित बोस समिति** ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना-2011 (SECC-2011) के आंकड़ों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है।

सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) की विशेषताएं	• सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना-2011 (SECC 2011) **भारत की पहली पेपरलेस जनगणना है।** • अस्थायी पहचान संख्या और घरेलू जानकारी **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से ली गई थी।** • हर स्तर पर उदारता और शिकायत निवारण के अवसर उपलब्ध थे। • उपभोग का प्रयोग करने के बजाय, सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) पद्धति निर्धनता को परिभाषित करने के लिए वंचितीकरण का प्रयोग करती है। • 1931 के बाद पहली बार सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में जाति को ध्यान में रखा गया है। • इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य 1931 के बाद पहली बार सभी से उनकी विशिष्ट जाति का नाम पूछने का था, जिससे सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने में मदद मिल सके, कि कौन से जाति समूह को आर्थिक रूप से सबसे अधिक लाभ हुआ है और किसे सबसे कम हुआ है।
सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के उद्देश्य	• परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकारें निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकती हैं। • देश की जनसंख्या के जातिगत संरचना पर सटीक आंकड़े एकत्र करना। • जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षिक उपलब्धियों और जाति/वर्गीय संरचना पर सटीक आंकड़े एकत्र करना।
सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) में इस्तेमाल की जाने वाली पद्धतियाँ	• **एनसी सक्सेना समिति (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)** ने घरों के त्रि-स्तरीय वर्गीकरण का सुझाव दिया और एक नए निर्धन रेखा के नीचे (BPL) जनगणना के डिजाइन का प्रस्ताव दिया। • **गैर सम्मिलित:** यह स्तर घरों की एक विशिष्ट श्रृंखला को स्वत: बाहर करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है। इसके लिए कुछ आवश्यकताएं जिसमें एक कार, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, दोपहिया वाहन और चार या अधिक कमरों वाला पक्का घर होना जरूरी है। • **स्वत: सम्मिलित:** कुछ आवासीय, सामाजिक, या व्यावसायिक कमजोरियों वाले लोग, जैसे कि जो बेघर हैं या अनौपचारिक आवास में रहते हैं; ऐसे परिवार जिनमें कोई वयस्क नहीं है या विकलांग व्यक्ति है; या भिखारी, कूड़ा उठाने वाले, या सफाई कर्मचारी जैसे समूह शामिल हैं। • **अन्य:** शेष घरों को रैंक करने के लिए **सात अभाव आधारित संकेतकों का इस्तेमाल किया जाएगा।** (अभाव आधारित संकेतकों के तहत इंगित) • **एसआर हाशिम समिति (शहरी क्षेत्रों के लिए):** शहरी स्थापनाओं में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) का संचालन करने का सर्वोत्तम तरीका निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा हाशिम समिति विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की गई थी। • व्यवसाय, शिक्षा, दिव्यांगता, धर्म, अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) की स्थिति, जाति/जनजाति का नाम, रोजगार, आय और आय का स्रोत, संपत्ति, आवास, टिकाऊ और गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, और भूमि कुछ ऐसे विवरण हैं जो व्यक्तिगत और घरेलू स्तर पर एकत्र किए जाते हैं।

निर्धनता और असमानता से संबंधित सूचकांक/रिपोर्ट

वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MDP)	• 107 विकासशील देशों के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MDP) को **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UDN) द्वारा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (OPHI) के सहयोग** से निर्धनता रेखा से संबन्धित मामलों से निपटने के लिए विकसित किया गया था। • वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MDP) जनसंख्या के मध्य निर्धनता की व्यापकता और गंभीरता का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित संकेतकों का प्रयोग करता है। • **आयाम (संकेतक):** ○ स्वास्थ्य (बाल मृत्यु दर, पोषण) ○ शिक्षा (स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल उपस्थिति) ○ जीवन स्तर (खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास संपत्ति)
वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI)	• **कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ** द्वारा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में, संयुक्त रूप से सूचकांक जारी किया जाता है। • वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) भूख के **तीन आयामों का मापन करता है:** भोजन की उपलब्धता की कमी, बच्चों की पोषण स्थिति में कमी और बाल मृत्यु दर (जो एक बड़ी सीमा तक, अल्पपोषण के कारण है)। • **इस प्रकार सूचकांक में तीन समान रूप से भारित संकेतक शामिल किए जाते हैं:** ○ उन लोगों का प्रतिशत जिनके पास खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा निर्धारित पर्याप्त खाद्य ऊर्जा की कमी है; ○ विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संकलित पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम वजन की व्यापकता; ○ यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर।
विश्व विकास सूचकांक (WDI)	• **विश्व बैंक** द्वारा विकसित • असमानता का मापन निर्धनता की तरह ही कई तरह किया जा सकता है। विश्व विकास संकेतक (WDI) के आंकड़े असमानता संकेतकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें **गिनी इंडेक्स** और प्रत्येक समृद्ध का उपभोग या आय का अनुपात शामिल है। • विश्व बैंक साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति पर नजर रखने के लिए नीचे के 40% (प्रत्येक देश में सबसे गरीब 40% जनसंख्या) लोगों के उपभोग या आय में वृद्धि पर नजर रखता है। • एसडीजी लक्ष्य 10.1 में इसी तरह के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो 2030 तक राष्ट्रीय औसत से नीचे की 40 प्रतिशत जनसंख्या की आय को तेजी से बढ़ाने की मांग करता है। • प्रगति के मापन के लिए नीचे की 40 प्रतिशत जनसंख्या के उपभोग या आय में वृद्धि और कुल जनसंख्या का औसत उपभोग या आय में वृद्धि के बीच अंतर का इस्तेमाल किया जाता है।
विश्व असमानता रिपोर्ट (WIR)	• रिपोर्ट पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक शोध केंद्र **वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा जारी की गई है।** • **विश्व असमानता रिपोर्ट** (WIR) **विभिन्न प्रकार के वित्तीय आंकड़ों की जांच करता है,** जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि देश और दुनिया भर में आय और धन का वितरण किस प्रकार किया जाता है।

भारत में असमानता की स्थिति की रिपोर्ट	• **प्रधानमंत्री** की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC & PM) द्वारा जारी। • रिपोर्ट घरेलू विशेषताओं, श्रम बाजार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में **असमानताओं पर आंकड़े संकलित करती है।** • अध्ययन, जिसे **आर्थिक पहलू और सामाजिक-आर्थिक अभिव्यक्ति** नामक दो भागों में विभाजित किया गया है, पाँच प्रमुख कारकों की जाँच करता है जो असमानता की प्रकृति और अनुभव को प्रभावित करते हैं। • **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस), और शिक्षा प्लस के लिए संयुक्त सूचना प्रणाली** इस रिपोर्ट में उपयोग किए गए डेटा के स्रोत हैं।

निर्धनता के कारण

- **आर्थिक कारक:**
  - **कमजोर आर्थिक संवृद्धि और विकास:** धीमी आर्थिक संवृद्धि वाले देशों में निर्धनता सरकारी नीतियों के कारण फैलती है। धीमी गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था निर्धनता में योगदान देने वाला एक अन्य कारक है।
  - **बढ़ती बेरोजगारी:** बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, गरीबी का एक प्रमुख कारण, एक असंतुलित जनसंख्या-से-नौकरी अनुपात द्वारा लिया जा सकता है। किसी भी देश में बेरोजगारी के कारण गरीबी के लिए सबसे बड़ा खतरा एक बढ़ती हुई और अनियंत्रित आबादी है।
  - **कृषि उत्पादन में कमी:** कृषि उत्पादन में कमी के लिए मौसम के अप्रत्याशित स्वरूप को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कृषि उत्पादन में कमी आने से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ जाता है। कोई भी राष्ट्र मजबूत कृषि के आधार के बिना आर्थिक संतुलन नहीं बना सकता। एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि से बनता है, गरीबी से निपटने के लिए इसे अधिक मात्रा में होना चाहिए।
  - **अपर्याप्त आधारभूत ढांचा:** किसी भी क्षेत्र की कमजोर स्थिति आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले उसके अपर्याप्त आधारभूत ढांचे से निर्धारित होती है।
  - **कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त औद्योगीकरण:** उद्योग स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए रोजगार का सृजन करते हैं। जबकि एक राज्य या स्थान में उद्योगों की सघनता वहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि करती है, औद्योगीकरण से वंचित क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धनता का अनुभव होता है। औद्योगीकरण की कमी वहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर अधिक न होने से उन्हें निर्धन बनाती है। उद्योग अंशकालिक नौकरियों की तुलना में अधिक वेतन के अवसर भी प्रदान करते हैं।
  - **आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त उत्पादन:** जब आधारभूत आवश्यकता की वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता है तो पूरे देश में गरीबी फैल जाती है। गरीबी को रोकने के लिए आवश्यक खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं का उत्पादन हमेशा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए।
  - **धन और संसाधन का असमान वितरण:** एक समान वितरण वाले राष्ट्र की तुलना में असमान धन और संसाधन वितरण वाले देश के गरीब होने की संभावना अधिक होती है। एक चरम स्थिति जहां हर कोई नव-अमीर या गरीब है, असमान जनसंख्या का परिणाम है।
  - **अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन:** अपनी पूर्ण आर्थिक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रत्येक स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से पता लगाना और उनका उपयोग करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं भी प्राकृतिक संसाधनों के कम उपयोग के कारण किसी को गरीबी का अनुभव न हो, यह एक सरकारी पहल होनी चाहिए।
  - **संसाधनों की कमी:** गरीबी प्राकृतिक संसाधनों के अभाव, थोपे गए अभाव या स्थितिजन्य अभाव के कारण हो सकती है। अपने आदर्श जीवन और रोजगार के अवसरों तक पहुंच से वंचित होने के परिणामस्वरूप लोग गरीबी में मजबूर हो जाते हैं।
  - **मुद्रास्फीति का अर्थशास्त्र:** मुद्रास्फीति का अर्थशास्त्र न केवल निर्धनों को प्रभावित करता है बल्कि समाज में मध्यम वर्ग को भी प्रभावित करता है। यह इस बात का संकेतक है कि अधिकांश लोग किसी तरह से गरीबी की कगार पर जीवन यापन कर रहे हैं। आर्थिक मुद्रास्फीति से जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग प्रभावित होते हैं, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। आर्थिक मुद्रास्फीति से उबरने में किसी देश की अर्थव्यवस्था को वर्षों लग सकते हैं।

- **सामाजिक परिस्थिति:**
  - **अस्पृश्यता:** अस्पृश्यता एक अनुचित सामाजिक प्रथा है जो देश के कुछ सर्वाधिक अविकसित क्षेत्रों के निचली जातियों के सदस्यों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करती है। वे गरीब होते हैं और समाज द्वारा खारिज कर दिए जाते हैं। उन्हें कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने की करना पड़ता है है और उन्हें अन्य प्रकार के रोजगार की तलाश करने की अनुमति नहीं मिलती है।
  - **अधिकार का अनैतिक दुरुपयोग:** जब शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, तो इसका दृष्टिकोण विषम होता है और यह कभी भी वंचितों की सहायता नहीं करता है। एक भ्रष्ट सरकार जनता पर अधिक से अधिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए लगातार यथास्थिति बनाए रखने की दिशा में काम करेगी। यह भ्रष्ट देशों में गरीबी का एक और महत्वपूर्ण कारण है।
  - **निरक्षरता और अज्ञानता की व्यापकता है:** निर्धनता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक निरक्षरता है। जिन लोगों को शिक्षा कम मिलती है, वे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी धन अर्जित करने क्षमता सीमित रह जाती है। वे निर्धन केवल इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति में अपने समकक्ष शिक्षित लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं।
  - **घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र:** घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और रोजगार के घटते हुए अवसरों के कारण, किसी भी घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में गरीबी विकसित हो जाती है।
  - **जाति-आधारित वर्गीकरण:** जाति व्यवस्था द्वारा लोगों को उनके कार्यक्षेत्र के आधार पर विभाजित किया जाता है, जो उन्हें अपनी जाति के बाहर रोजगार की तलाश करने से भी रोकता है। उदाहरण के लिए, निम्न जाति के सदस्य को व्यवसायी या डीलर के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। इस व्यवस्था के कारण, धनी अधिक धनी होते जाते हैं और निर्धन अधिक निर्धन होते जाते हैं।
  - **तलाक की उच्च दर और गरीबी का स्त्रीकरण:** समाज में महिलाओं को समान रोजगार के अवसर प्रदान करके तलाक की उच्च दर और गरीबी के स्त्रीकरण को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, लैंगिक असमानता के कारण, जो महिलाएं खुद को सहारा दे पाने में असमर्थ होती हैं, वे तलाक की उच्च दर के कारण निर्धनता का अनुभव करती हैं।
  - **अवसरों की सुलभता:** ऐसे कई अन्य मार्ग भी हैं जिनके माध्यम से सामाजिक असमानता निर्धनता में बदल सकती है। किसी भी समाज में, सभी के पास सभी विकल्पों तक पहुंच होनी चाहिए। असमानता के कारण समाज के कमजोर सदस्यों को समान अवसरों से वंचित किया जाता है।
- **राजनीतिक कारक:**
  - **दो क्षेत्रीय दलों के बीच सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष** होने के कारण रियायतें देने और निर्धनता उन्मूलन की प्रक्रिया को बाधा पहुँचती है।
  - **ग्रामीण सुधार प्राय: या तो पूर्णत: विफल हो जाते हैं या स्थायी रूप से रुक जाते हैं।** बल्कि जब उपायों को लागू किया जाता है, उनमें से ज्यादातर केवल अल्पकालिक समाधान और आधे-अधूरे उपाय होते हैं, जो भारत के निर्धनता को कम करने के दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए अप्रभावी साबित होते हैं।
  - भारत में गरीबी के लिए **वोट बैंक की राजनीति** को भी दोषी ठहराया जाता है, जहां विभिन्न राजनीतिक नेताओं को चुनाव जीतने के बाद गरीबी जनगणना से आबादी के एक बड़े हिस्से को छोड़ना सुविधाजनक लगता है। आदिवासी समूहों, दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों को अक्सर प्राप्तकर्ताओं की सूची से बाहर कर दिया जाता है।
  - भारत की गरीबी के बारे में चिंता का मुख्य कारण यह है कि **विभिन्न विकास योजनाएं राजनीतिक हितों द्वारा संचालित की जा रही हैं।** इसका परिणाम यह होता है कि बेरोजगारी और निर्धनता से निपटने के प्रयास सफल नहीं होते हैं।
- **ऐतिहासिक कारक:**
  - **औपनिवेशिक शोषण:** भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग ब्रिटिश उपनिवेश द्वारा नष्ट कर दिए गए और उन्होने लगभग दो शताब्दियों तक देश पर शासन किया, जिसके कारण देश का गैर-औद्योगीकरण हुआ। औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत यूरोपीय उद्योगों के लिए मात्र कच्चे माल का उत्पादक देश बन कर रह गया था।
- **भौगोलिक कारक:**
  - **जनसंख्या घनत्व:** किसी क्षेत्र का जनसंख्या का घनत्व उस क्षेत्र की निर्धनता के ग्राफ को भी प्रभावित करता है। जब निर्धनता की बात आती है तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र चमकीले लाल रंग से प्रदर्शित किए जाते हैं।
  - **चयनात्मक मृदा उर्वरता:** मिट्टी की उर्वरता का स्तर जगह-जगह पर भिन्न होता है और यह पूरे देश में एक

समान नहीं होता है। भूमि का बंजर होना भी निर्धनता का एक कारक सिद्ध होता है, जबकि उपजाऊ क्षेत्रों में कृषि उपज की प्रचुर मात्रा में होती है।

- **उपजाऊ भूमि का असमान वितरण:** उपजाऊ भूमि का वैश्विक स्तर पर वितरण का उन क्षेत्रों में, जो स्वाभाविक रूप से उपजाऊ नहीं हैं, निर्धनता के प्रति एक प्रमुख योगदान होता है। उपजाऊ भूमि से स्थानीय लोग लाभ प्राप्त करते हैं क्योंकि वे कृषि संबंधी काम कर सकते हैं और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जगह-जगह नौकरी ढूंढते हैं। परंतु जहां की भूमि उपजाऊ नहीं होती है, वहां के आस-पास के लोग कृषि के कार्य से वंचित रह जाते हैं और यह अशिक्षित ग्रामीणों के बीच रोजगार के इस लोकप्रिय स्रोत को समाप्त कर देती है।
- **कृषि उत्पादन में भिन्नता:** कृषि उत्पादन प्रति वर्ष और विभिन्न मौसमों में भिन्न भिन्न होता है। एक अच्छी वर्षा वाले वर्ष में बहुत सारे फल पैदा होंगे, लेकिन सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं वाले वर्ष में फसल में कमी आ सकती है। जब समय कठिन होता है तो यह भिन्नता कठिन समय में निर्धनता में वृद्धि करती है।
- **ग्रामीण और शहरी निर्धनता के बीच अंतर:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता कई तरह से भिन्न-भिन्न होती है। निर्धनता के आधार पर, ग्रामीण और शहरी जीवन शैली के बीच अंतर होने से कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। जैसे शहरी निर्धनता की स्थिति में, आवासीय लागत उच्च होने के कारण शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है।

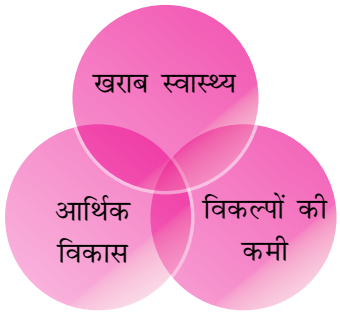
- **पर्यावरण और जलवायु कारक:**
  - **बाढ़ क्षेत्र:** विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में से एक बाढ़ है जो खेतों को पूरी तरह से नष्ट कर देती है और कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके परिणामस्वरूप अवांछित निर्धनता उत्पन्न होती है जिसका सामना सरकारें लगभग कभी नहीं कर पाएंगी।
  - **सूखा:** निर्धनता का कारण एक और जलवायु आपदा सूखा है। लंबे समय तक चलने वाले सूखे का खेतों और कृषि उत्पादकता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अधिकांश देशों में, सूखा निर्धनता का एक आवर्ती कारण माना जाता है।
  - **अपर्याप्त मौसमी वर्षा:** मौसमी वर्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता निर्धनता पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अपेक्षित वर्षा की कमी के कारण कृषि उत्पादन बाधित होता है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है और निर्धनता बढ़ती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. समालोचनात्मक परीक्षण करें कि क्या निर्धनता का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है या भारत में निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। (2016)

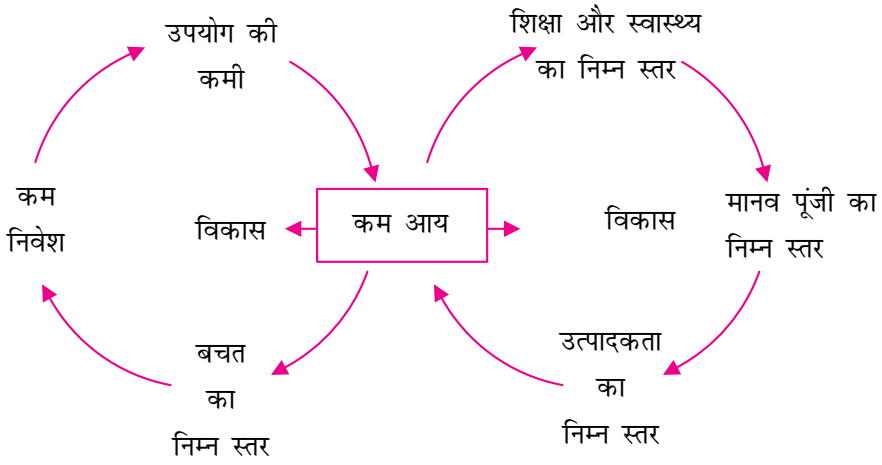
गरीबी का बहुआयामी प्रभाव

- **निर्धनता के सामाजिक प्रभाव:**
  - **परिवार और निर्धनता:** निर्धन व्यक्तियों की जिंदगी में अपने आर्थिक बोझ और चिंताओं के कारण, तनाव अधिक होता है, जो उनके निजी जीवन को भी प्रभावित कर सकता है और विभिन्न पारिवारिक समस्याओं की संभावना में वृद्धि कर सकता है। निर्धन परिवारों में घरेलू हिंसा का होना एक सामान्य बात है।



  - **सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन और निर्धनता:** उपभोग करने के आय की कमी के कारण, निर्धन परिवार और व्यक्ति सामाजिक रूप से कम सक्रिय जीवन जीते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ कम समय बिता पाते हैं।
  - **निर्धनता और निर्णय लेना:** जब लोगों का कोई समूह निर्धन होता है, तो समुदाय में उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है और उन्हें अपने अधिकारों और हितों को व्यक्त करने के लिए अन्य, अधिक शक्तिशाली समूहों या व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह स्थिति समाज में मानवाधिकारों के लिए खतरा उत्पन्न करती है और यह एक घटिया राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाती है जिसका सामाजिक उन्नति और शांति पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
  - **अपराध और अत्याचार और गरीबी:** लूट, हत्या और चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों का चलन निर्धनों में अधिक देखा जाता है। इसके बावजूद, उनके सड़क पर होने वाले अपराध का शिकार बनने की संभावना अधिक होती है।

- **निर्धनता में लोगों का शोषण:** निर्धनों की जिंदगी काफी दुख भरी होती है और इन लोगों के परिवार के कुछ सदस्यों को अकाल या भूख, गुलामी या वेश्यावृत्ति का शिकार होने के कारण जल्द ही मौत का सामना करना पड़ता है।



- **आतंकवाद और निर्धनता:** यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश आतंकवादी बेरोजगारी की चरम सीमा वाले निर्धन क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं, और यह कि आतंकवादी संगठन अक्सर किसी भी अन्य रोजगार के अवसरों, यदि कोई उपलब्ध हो, की तुलना में बहुत अधिक वेतन देते हैं।

- **स्वास्थ्य पर निर्धनता के प्रभाव:**
  - गरीब लोगों को हमेशा **विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होने की संभावना** होती है, जैसे कि शिशु मृत्यु दर, 20 वर्ष की आयु में मृत्यु दर और मानसिक बीमारी। उन्हें उप-चिकित्सीय ध्यान, पूर्वाग्रह और अनुचित व्यवहार का अनुभव होने की भी अधिक संभावना है।।
  - **सतत विकास के लक्ष्य 3 (SDG 3): सुनिश्चित करता है** कि सभी लोग स्वस्थ जीवन जीते हैं और हर उम्र में अपने स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं।
  - **71वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS)** का अनुमान है कि 2014 में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निजी अस्पतालों की कुल हिस्सेदारी क्रमशः 58% और 68% थी।
  - **हेल्थ प्रोफाइल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार**, निजी अस्पतालों में जाने वाले 75% रोगी अपने चिकित्सा बिलों का भुगतान या तो जेब से (अपने पैसे से) करते हैं या जीवन भर की बचत से करते हैं, जबकि अन्य 18% निजी स्रोतों से ऋण लेते हैं, जिससे उनकी निर्धनता का स्तर और बढ़ जाता है।
  - भारत **कुपोषण की उच्चतम दर वाला देश है**, जिसमें 61 मिलियन बच्चों सहित 200 मिलियन से अधिक लोग कुपोषण के शिकार हैं।

- **बच्चों पर निर्धनता के प्रभाव:**
  - **निर्धनता और बाल शिक्षा:** चूंकि निर्धन बच्चों को अक्सर सर्वोत्तम शैक्षिक सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है, इसलिए निर्धन बच्चे प्रायः आर्थिक रूप से अपने से अधिक सक्षम साथियों की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। ज्यादातर तो निर्धन बच्चे स्वास्थ्य समस्याओं के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं।
  - **निर्धनता और बाल विकास:** निर्धनता में पले-बढ़े बच्चे अपनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं में अविकसित हो सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि पौष्टिक, उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की कमी से बच्चे का विकास रुक सकता है और उनमें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है।
  - **निर्धनता और बाल विवाह:** कानून द्वारा अवैध होने के बावजूद, कई भारतीय समुदाय अभी भी बाल विवाह करते हैं। ये युवा महिलाएं कम उम्र में ही मां बन जाती हैं। परिणामस्वरूप उनमें से अधिकतर महिलाएं वयस्क होने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं।
  - **निर्धनता और बाल मजदूरी:** सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यह सच्चाई जानते हुए कि 14 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए बाल श्रम अवैध है, भारत में 5 से 14 वर्ष के बीच के 12.5 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी में लगे हुए हैं।

- **निर्धनता के आर्थिक प्रभाव:**
  - **निर्धनता और सामाजिक गतिशीलता की कमी:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रभावशाली संपर्कों और नौकरी के अवसरों तक उनकी पहुंच की कमी के कारण कम आय वाले परिवारों के लोगों की कम वेतन वाली नौकरियों में काम करने की संभावना अधिक होती है और निर्धनता लोगों को अपना भविष्य या सामाजिक सम्मान में आगे बढ़ना मुश्किल बना देती है।
  - **आवास और आवासहीनता और निर्धनता:** निर्धनों के आवासहीन होने या खराब परिस्थितियों में रहने की

संभावना अधिक होती है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आवास की लागत में निर्धन परिवारों की आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है।

- **अलगाव और निर्धनता:** निर्धन परिवार अक्सर अविकसित माहौल में रहते हैं, जहां रोजगार के अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थान और मनोरंजन के अवसर थोड़े से ही होते हैं, जो असुरक्षित होते हैं।
- **कमजोर क्रय शक्ति:** एक ऐसा देश जहां एक निर्धन गांव या परिवार की हर व्यक्ति आय और क्रय शक्ति एक विशेष न्यूनतम मानक से नीचे होती है। वहां पर कुछ ही चिकित्सा सुविधाएं और देखभाल प्रदाता होते हैं। वहां पर उत्पादकता कम और निरक्षरता अधिक होती है।
- **जरूरत का अभाव:** जरूरत में कमी होने से आर्थिक विकास में भी निरंतर कमी होती है।
- **जनसांख्यिकी "बम":** देश की लगातार बढ़ती निर्धनता को देखते हुए भारत का बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश एक जनसांख्यिकीय दायित्व बन सकता है।

- **निर्धनता के नैतिक प्रभाव:**
  - **अविभाज्यता:** अविभाज्यता यह अवधारणा है कि समस्त नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों सहित सभी मानव अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं और मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। अविभाज्यता के सिद्धांत के अनुसार, गरीबी से निपटने के प्रयास बहुआयामी होने चाहिए और इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उपाय शामिल होने चाहिए।
  - **समानता और भेदभाव न होना:** भेदभाव और असमानता लोगों की आर्थिक विस्तार को रोक देती है, यह सरकारी एजेंसियों की प्रभावशीलता को कम कर सकती है और निर्धनता से निपटने के प्रयासों को कमजोर कर सकती है।
- **निर्धनता के पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - यह एक स्थापित तथ्य है कि **विकासशील-विश्व ऋण** और निर्धनता ऋणों को बनाए रखने या इसको निपटाने के **लिए संसाधनों की चोरी का कारण बनती है।**
  - स्थानीय आबादी, कृषि व्यवसाय और लकड़ी का काम करने वाली कंपनियों द्वारा वन संसाधनों के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया में जंगलों पर दबाव बढ़ा दिया है।

"निर्धनता का स्त्रीकरण" की अवधारणा

- **"निर्धनता का स्त्रीकरण"** शब्द एक अवधारणा है जो 1970 के दशक में प्रकाश में आई थी, लेकिन इसने 1990 के दशक में शुरू होने वाले कुछ **संयुक्त राष्ट्र दस्तावेजों में लोकप्रियता हासिल की।**
- डायने पियर्स के एक अध्ययन के बाद इस विचार ने ध्यान आकर्षित किया, जिसने 1950 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक संयुक्त राज्य अमेरिका में गरीबी दर में परिवर्तन में लिंग-विशिष्ट प्रवृत्तियों की जांच की।
- मूल रूप से, इस अध्ययन का इस्तेमाल "निर्धनों में महिलाओं की वृद्धि" और "निर्धन परिवारों में महिलाओं के नेतृत्व वाले घरों में वृद्धि" के संदर्भ में किया गया था।
- इस दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया क्योंकि इसके आधार पर निर्धनता के स्त्रीकरण का मापन जनसंख्या के जनसांख्यिकीय स्वरूप में परिवर्तन के लिए अतिसंवेदनशील होता है।
- जैसे, महिला प्रमुख वाले परिवारों की निर्धनता का सामना करने के लिए जनसंख्या में महिला प्रमुख वाले परिवारों के अनुपात में गिरावट लाई जा सकती है।
- इस वजह से, बाद के अध्ययनों ने एक अलग दृष्टिकोण लिया गया और तुलना की गई कि प्रत्येक लिंग समूह के भीतर निर्धनता के स्तर में कैसे बदलाव हुआ।
- आय संबंधी निर्धनता के स्त्रीकरण की प्रक्रिया के विपरीत, किसी भी समय कमजोर आय के बीच महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व एक अधिक सामान्य घटना प्रतीत होती है।
- यह दावा कि कम आय के कारण निर्धनता का दुनिया भर में व्यवस्थित रूप से स्त्रीकरण किया जा रहा है, उस दावे का समर्थन करने के लिए, इसके आसपास की गहन राजनीतिक बहस के बावजूद, बहुत कम प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
- 1960 के दशक के अंत और 1980 के मध्य के बीच ग्रेट ब्रिटेन (UK) से मिले आंकड़ों के अनुसार, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला था कि महिलाओं में गरीबी अधिक प्रचलित हो रही थी।
- ऑक्सफैम के एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक कार्यों की चौंका देने वाली राशि सालाना 10 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ऐप्पल (Apple) के वार्षिक राजस्व का 43 गुना है।
- सकल घरेलू उत्पाद के अवैतनिक श्रम का 3.1% प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के साथ, भारत में असमानता का एक 'महिला पक्ष' भी है।
- अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, महिलाएं शहरी क्षेत्रों में प्रति दिन 312 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन 291 मिनट दूसरों की अवैतनिक देखभाल प्रदान करती हैं। इसके विपरीत, पुरुष शहरी क्षेत्रों में केवल 29 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 32 मिनट अवैतनिक देखभाल के लिए खर्च करते हैं।
- हालांकि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने वाले कई कानून बने हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज की दृढ़ता के कारण, उनका प्रभाव में आना अभी भी मुश्किल है।

निर्धनता के स्त्रीकरण के कारण

- **पारिवारिक संगठन:** घरेलू संसाधनों पर नियंत्रण और लिंगों के बीच श्रम और उपभोग के विभाजन को विनियमित करने वाली लैंगिक भूमिकाएँ।
- पारिवारिक संरचना: उच्च पुरुष मृत्यु दर, वैवाहिक संघों का टूटना, इन संघों के बिना परिवारों का गठन।
- गुणवत्ता में असमानता या सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच: लड़कियों की शिक्षा में बाधाएं, लिंग आधारित शैक्षिक भेदभाव, और महिलाओं के स्वास्थ्य पर कम ध्यान देना।
- **सामाजिक सुरक्षा में असमानता:** लक्षित नीतियों में छूट का लाभ या लाभ मूल्यों में असमानता, महिलाओं के लिए सामाजिक सहायता और पेंशन तक कम पहुंच, और अंशदायी पेंशन प्रणाली जो श्रम बाजार पूर्व असमानताओं को पुन: उत्पन्न करती हैं।
- श्रम बाजार असमानताएं: व्यावसायिक अलगाव, इंट्रा-केरियर गतिशीलता, भुगतान वाले कार्य में रोजगार के असमान स्तर, वेतन संबंधी भेदभाव और शिफ्ट की लंबाई।
- **सार्वजनिक जीवन पर सांस्कृतिक, कानूनी और पैरालीगल बाधाएं:** संपत्ति के अधिकार, न्यायिक भेदभाव, समुदाय और राजनीतिक जीवन पर सीमाएं आदि।

आवश्यक उपाय

- **सामाजिक**
  - **स्वास्थ्य:** महिलाओं के स्वास्थ्य मेट्रिक्स में सुधार होने से परिवार और नवजात शिशुओं के समग्र स्वास्थ्य पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करके घरेलू खर्चों में उल्लेखनीय कमी हासिल की जा सकती है, क्योंकि वंचित लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चिकित्सा देखभाल पर खर्च करते हैं।
  - **शिक्षा:** गरीबी उन्मूलन का प्रमुख साधन शिक्षा है। अधिक शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर अधिक चिंतित रहती हैं और उनके विकास में अधिक योगदान देती हैं।
- **आर्थिक**
  - **समान वेतन:** पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में अंतर होने के कारण गरीबी काफी प्रभावित होती है। महिलाओं के लिए समान वेतन उच्च घरेलू आय और परिवार के समग्र स्वास्थ्य और पोषण पर उत्पादक खर्च की गारंटी देगा।
  - **कौशल विकास:** घरेलू उद्योगों और लघु वन्य उत्पादों के संग्रह में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। अपने कौशल में सुधार करके, महिलाएं वित्तीय सहायता के लिए अपने पति पर निर्भरता को सीधे कम कर सकती हैं, जिससे उन्हें अपने परिवारों और व्यवसायों पर खर्च करने की अधिक स्वायत्तता मिल सकती है।
- **राजनीतिक**
  - वे समाज जहां महिलाओं की आवाज मांगी जाती है और सुनी जाती है और जहां हिस्सेदारी (निष्पक्षता) और समानता (अवसर) के सह-अस्तित्व के आदर्श स्वरूप शक्तिशाली और अधिक प्रभावी होते हैं।
  - स्थानीय स्तर पर लिए जाने वाले निर्णयों में भाग लेने वाली महिलाओं के अनुपात को बढ़ाकर गरीबी को कम करने के सरकारी कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित किया जा सकता है।

भारत में सामाजिक क्षेत्र

हम कितनी अच्छी तरह और कितने समय तक जीवित रहते हैं, यह आय, शिक्षा, रोजगार, सामुदायिक सुरक्षा और सामाजिक समर्थन सहित सामाजिक और आर्थिक कारकों से काफी प्रभावित हो सकता है। इन तत्वों का स्वस्थ निर्णय लेने, आवास और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान करने, तनाव से निपटने आदि की हमारी क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान क्यों दें?

- भारत 2030 तक एसडीजी हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा करने के लिए सामाजिक क्षेत्र का विकास होना अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
- कोई भी देश अपने सामाजिक क्षेत्र में निवेश किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है।
- इस क्षेत्र की उन्नति के अपने आंतरिक मूल्य होते हैं और ये मूल्य बेहतर विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
- 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए भी यह आवश्यक है।

भारत का सामाजिक क्षेत्र में खर्च

- शिक्षा: 2014-15 से 2019-20 तक, शिक्षा का सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2.83-3% पर स्थिर रहा।
- स्वास्थ्य पर खर्च 1.2% से बढ़कर 1.5% हो गया। यह जीडीपी के लिए आवश्यक 2-3% से कम है। स्वास्थ्य खर्च में जीडीपी के 2.1% की वृद्धि का उल्लेख 15 वें वित्त आयोग द्वारा भी किया गया है। राज्य और संघीय सरकारों दोनों के पास "सामाजिक क्षेत्र के लिए पांच साल का दृष्टिकोण होना चाहिए।"

सामाजिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे

- **अल्प-पोषण की समस्या:** एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019-20 के बीच कुछ राज्यों में कुपोषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है जबकि कुछ अन्य राज्यों में यह बढ़ गया है। जिस समाज में 35% बच्चे कम वजन के होते हैं, वह समाज टिकाऊ नहीं होता है।
- **सामाजिक सुरक्षा कवच:** यह सर्वविदित है कि प्रवासी श्रमिक, जिनके पास सामाजिक सुरक्षा कवच की कमी होती है, महामारी के समय से नकारात्मक रूप से सर्वाधिक प्रभावित समूह थे। घर वापसी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए।
- **वंचित वर्ग के लिए कार्यक्रमों को जारी रखने की आवश्यकता है:** सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान और आवास, वित्तीय समावेशन, और स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करने जैसे कार्यक्रमों को शुरू करके एक अच्छा काम किया है। उज्जवला योजना के माध्यम से रसोई गैस प्रदान की जाती है और सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली प्रदान की जाती है।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** महामारी ने शैक्षिक असमानता को रेखांकित किया है और व्यापक डिजिटल विभाजन को उजागर किया है। मानव विकास को आगे बढ़ाने का रहस्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच में छिपा हुआ है। कई समितियों के अनुसार, सरकार को शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करना चाहिए।

वित्तीय समावेशन और निर्धनता उन्मूलन

- वित्तीय समावेशन का अर्थ व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों के लिए लाभकारी और सस्ते वित्तीय उत्पादों और सेवाएं उपलब्धता कराना है जो एक उत्तरदायित्वपूर्ण और स्थायी माध्यम से प्रदान किए जाते हैं और जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वित्तीय सेवाओं तक पहुँच होने की क्षमता को वित्तीय समावेशन कहा जाता है, और इसे प्राप्त करने के लिए सभी के पर समान अवसर उपलब्ध होते हैं।
- इसका उद्देश्य उन लोगों की वित्तीय सेवा तक पहुंच होने में सुधार करना है जिनके पास बैंक संबंधी सेवाएँ कम हैं या बिलकुल नहीं हैं। वित्तीय समावेशन का प्राथमिक लक्ष्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना है जो बिना किसी भेदभाव के समस्त प्रयोगकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

निर्धनता उन्मूलन में वित्तीय समावेशन की भूमिका

- जरूरत के समय साहूकारों जैसे अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता में कमी लाना। ब्याज की उच्च दरें लागू होने के कारण, निर्धन कर्ज के चक्र में फँसने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
- श्रम कार्यों के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना, जो वित्तीय सहायता, राजस्व बढ़ाने के लिए उपभोग और निवेश में वृद्धि, और बचावकारी स्वास्थ्य देखभाल जैसे अन्य सामाजिक कारकों पर खर्च बढ़ाए बिना असंभव है।
- बचत करने की आदतों को प्रोत्साहित करता है, जो अंततः पूंजी निवेश में सहायता करता है।
- वित्तीय समावेशन निर्धनों में मुख्यधारा की स्वीकृति की भावना प्रदान करता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जोखिम उठाने की क्षमता भी बढ़ती है। कुल मिलाकर इससे उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है।

वित्तीय समावेशन में चुनौतियाँ

- वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की आवश्यकता
- औपचारिक पहचान अभिलेखों की कमी
- उपभोक्ताओं का संरक्षण
- लैंगिक असमानता और ग्रामीण निर्धनता
- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों और एटीएम की कमी कमजोर आधारभूत ढांचे का एक उदाहरण है।

वित्तीय समावेशन बढ़ाने के तरीके

- वित्तीय साक्षरता आधारित नवाचार।
- वंचितों के साथ बातचीत करते समय बैंक कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना।
- बैंकिंग संवाददाता मॉडल (banking correspondent model) की प्रभावशीलता बढ़ाना।
- बाहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों और एटीएम सहित आधारभूत ढांचे का विकास करना।
- सूक्ष्म पेंशन जैसी चीजों का निर्माण करना जो विशेष रूप से गरीबों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

निर्धनता उन्मूलन में स्वयं सहायता समूहों (SHG) की भूमिका

- वित्तीय समावेशन से **निर्धनों के लिए ऋण सुविधा में वृद्धि हुई है।** यह उन्हें साहूकारों से भी बचाता है।
- सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल सदस्यों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता में सुधार होता है।
- नौकरियों के अवसर बढ़ने के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई है जिससे उनकी भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और जीवन स्तर में समग्र रूप से वृद्धि हुई है।

- महिलाओं की अधिक भागीदारी और उनकी स्थिति में बढ़ोत्तरी होने से पोषण, गरीबी और कम साक्षरता दर जैसे मुद्दों का समाधान हुआ है
- यह भी देखा गया है कि जिन राज्यों में स्वयं सहायता समूहों (SHG) की संख्या अधिक है, वहां निर्धनता रेखा के नीचे (BPL) जनसंख्या का प्रतिशत कम हुआ है।

निर्धनता उन्मूलन के प्रयास

- **मूल आय कार्यक्रम:**
  - लक्षित आय हस्तांतरण को निर्धनता घटाने के लिए बनाई गई नई रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।
  - एक लक्षित आधारभूत आय कार्यक्रम, जो एक टॉप-अप कार्यक्रम है, के हिस्से के रूप में सरकार निर्धनता अंतर (अर्थात, एक परिवार की प्रति व्यक्ति उपभोग और निर्धनता रेखा के बीच का अंतर) को निर्धनों के बैंक खातों में स्थानांतरित करती है।
  - निर्धनता घटाने के लिए चल रहे कार्यक्रमों की लीकेज मुख्य और महत्वपूर्ण आलोचनाओं में से एक है। आधारभूत मूल आय (UBI) को अधिक प्रभावी विकल्प माना जाता है।
  - आधारभूत मूल आय (UBI) द्वारा व्यक्तिगत आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत किया जाता है। इससे व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुत्पादक कार्य करने के लिए मजबूर होने के बजाय, उस प्रकार का कार्य चुनने में सक्षम होगा जो वह करना चाहता है।
  - आधारभूत मूल आय (UBI) सामाजिक सुरक्षा के रूप में निर्धनता उन्मूलन और असमानता को कम करने में सहायता करेगा। इस प्रकार, यह सभी लोगों को सुरक्षा और गरिमा की गारंटी देता है।
  - आधारभूत मूल आय (UBI) अधिक उत्पादकता को प्रोत्साहित कर सकता है। उदाहरण के लिए, कृषि मजदूर जो पहले कम वेतन पर दूसरे लोगों के खेतों में काम करते थे, लेकिन अब उनके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, वे अब स्वयं कृषि कार्य शुरू कर सकते हैं। लंबी अवधि में, यह अप्रयुक्त भूमि के अनुपात को कम करेगा और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देगा।
  - 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए, विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के विकल्प के रूप में आधारभूत मूल आय (UBI) के विचार का समर्थन किया गया है।
  - इस सर्वेक्षण के अनुसार, "सबसे बड़ी जरूरत वाले जिले ठीक वही होते हैं जहां राज्य की क्षमता सबसे कमजोर होती है, और इस प्रकार निर्धनों की मदद करने का एक अधिक प्रभावी तरीका आधारभूत मूल आय (UBI) के माध्यम से उन्हें सीधे संसाधन उपलब्ध कराना होगा।[8] आधारभूत मूल आय (UBI) की अवधारणा पर इस संदर्भ में चर्चा की जानी चाहिए।
- **कर सुधार:**
  - सरकार को अधिक से अधिक लोगों को उच्च आयकर वर्ग में लाने के कार्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
  - हमारी सलाह है कि इसे पूरा करने के लिए उच्चतम व्यक्तिगत आयकर दर और कॉर्पोरेट आयकर दर प्रत्येक को 25% की एक सपाट दर से कम किया जाए।
  - इसलिए, सरकार को प्रत्यक्ष करों से राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए कर की दर के उच्चतम स्लैब को कम करके इनके अनुपालन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **निवेश सुधार:**
  - भारतीय अर्थव्यवस्था को सड़क, रेलमार्ग और पानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश करना चाहिए।
  - संसाधनों का फिर से वितरित करने के लिए, सरकारों को खर्च और कर दरों को कारगर बनाना चाहिए।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. गरीबी को कम करने के लिए एक आवश्यक शर्त निर्धनों को हर तरह की सुविधाओं से परिपूर्ण करना है। उपयुक्त उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। (2016)

भारत में गरीबी को कम करने की दिशा में नीतियाँ और कार्यक्रम

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)	• यह 1978-79 में शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर, 1980 को सार्वभौमिक बन गया, जिसका उद्देश्य आगामी योजना अवधियों के दौरान उत्पादक रोजगार के अवसरों के लिए सब्सिडी और बैंक ऋण के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों को सहायता प्रदान करना था।

जवाहर रोजगार योजना (JRY) / जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY)	• जवाहर रोजगार योजना (JRY) को आर्थिक आधारभूत ढांचे के साथ-साथ सामुदायिक और सामाजिक संपत्तियों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों और अल्प-रोजगारों के लिए सार्थक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया था।
ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना (LAY)	• इंदिरा आवास योजना (LAY) कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को मुफ्त आवास प्रदान करना है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
काम के बदले अनाज कार्यक्रम:	• इसका उद्देश्य मजदूरी संबंधी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों को खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है; हालांकि, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदामों से इसकी आपूर्ति धीमी गति से रही है।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS)	• यह पेंशन केंद्र सरकार देती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों और नगर पालिकाओं को प्रदान की गई है।
अन्नपूर्णा योजना	• सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 1999-2000 में उन वरिष्ठ नागरिकों को भोजन देने के लिए की गई थी जो खुद की देख-रेख नहीं कर पाते हैं। इस योजना का लाभ राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (NOAPS) के अंतर्गत जितने भी बुजुर्ग वंचित रह गए हैं और जिनका देखभाल करने वाला उनके गांव में कोई नहीं है, ऐसे बुजुर्ग उठा सकते हैं।
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)	• इस योजना का मुख्य उद्देश्य मजदूरी से जुड़े रोजगार का सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत आर्थिक आधारभूत ढांचे का विकास और निर्धनों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा का प्रबंध करना है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005:	• इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 100 दिनों तक रोजगार प्रदान किया जाता है। इस योजना में दिए जाने वाले रोजगार का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं को दिया जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना का प्रावधान। इसी तरह, राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पूरा करने के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष का प्रावधान।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: आजीविका (2011)	• यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों की आवश्यकताओं में विविधता लाने और उन्हें हर महीने आय प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत, जरूरतमंदों की सहायता के लिए ग्राम स्तर पर स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)	• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) शहरी क्षेत्र के निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करने, बाजार से जुड़े रोजगार के लिए खुद के कौशल विकास के अवसर प्रदान करने और ऋण की आसान पहुंच प्रदान करके स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने में उनकी सहायता करने पर जोर देता है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	• यह योजना श्रम बाजार में आने वाले नए लोग जैसे विशेष रूप से दसवीं और बारहवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने वालों लोगों के लिए ही लागू हुई है।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना	• इस योजना का उद्देश्य सब्सिडी, पेंशन और बीमा आदि का सीधा लाभ गरीबों तक पहुंचाना था और इस योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का लक्ष्य पूरा किया गया है। इस योजना का लक्ष्य उन निर्धनों को बैंक की सुविधाएं प्रदान करना है, जो इनसे वंचित हैं।

निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावहीनता के कारण

- इस बात को बिना कुछ कहे समझा जाता है कि धन की उपलब्धता के अनुसार लक्ष्यों को कम किया जाएगा और यह भी समझा जाता है कि गरीबी को रोकने के लिए जो कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, उनके लिए निर्धारित किए गए संसाधन बहुत कम होते हैं। जैसे, कई राज्य मनरेगा के तहत 100 दिनों के काम की गारंटी नहीं देते हैं।
- पढे लिखे न होने और जानकारी न होने के कारण आम जनता के बीच इन कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता की कमी होती है।
- अच्छे से जान-पड़ताल की प्रक्रिया के बाद, इसे गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रभाव में लाया जा सकता है।
- नुकसान को रोकने और वितरण को बढ़ाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए इन कार्यक्रमों का निष्पक्ष 'सामाजिक ऑडिट' करना आवश्यक है।
- ऐसी योजनाओं की प्रभावशीलता या उनके परिणामों को निर्धारित करने के लिए देख-रेख की एक प्रणाली की कमी है।
- निर्धन लोगों की पहचान करने, उनकी आवश्यकताओं को निर्धारित करने, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठने के लिए आवश्यक साधन देने के लिए कोई संगठित प्रयास नहीं किए जा रहे है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. भारत में सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के बावजूद निर्धनता अभी भी विद्यमान है। कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। (2018)

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन की रणनीतियाँ

- **कृषि विकास को बढ़ावा देना:** लंबे समय से कृषि विकास को गरीबी कम करने का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता रहा है, लेकिन यह इस रणनीति का केवल एक ही पहलू है।
- **ग्रामीण क्षेत्र की निर्धनता में वृद्धि को कम करना:** भारत के ग्रामीण क्षेत्र, हालांकि ज्यादातर कृषि क्षेत्र, छोटे शहरी क्षेत्रों के साथ कई आर्थिक विशेषताएं साझा करते हैं।
- **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क का लाभ उठाना:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के बीच बढ़ते हुए संपर्क का इस्तेमाल करने की रणनीति पहले भी सफल साबित हुई है।
- **अधिक और बेहतर रोजगार पैदा करना:** भविष्य में बेहतर कदम उठाने के लिए अधिक उत्पादक उद्योगों में रोजगार पैदा करने में सुधार पर ध्यान देना चाहिए, जो अब तक धीमा रहा है और स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने वाले कुछ वेतनभोगी पदों का सृजन अधिक किया गया है।
- **महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करना:** अनुसूचित जनजातियों का धीमा विकास और श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी ही चिंता के दो सबसे बड़े मुद्दे हैं।
- **मानव विकास के परिणामों में वृद्धि:** बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा से न केवल लाखों लोगों की उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए एक उपयुक्त साधन भी मिलेगा और देश को आर्थिक विकास के नए स्रोत मिलेंगे।

❖ ❖ ❖

7 रोजगार, बेरोजगारी और कौशल विकास

इतिहास के मुताबिक कई देशों ने अतीत में आर्थिक समस्याओं का अनुभव किया है। बेरोजगारी समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। क्लासिकल और केनेसियन दोनों अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि रोजगार और आय कैसे परस्पर संबंधित हैं।

रोजगार

- शब्द "पूर्ण रोजगार" एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो काम करने में सक्षम और इच्छुक है, को प्रचलित मजदूरी दर पर नियोजित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जो काम करने में सक्षम और इच्छुक है, उसके पास नौकरी होनी चाहिए।
- जॉन मेनार्ड कीन्स पूर्ण रोजगार को अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं।
- कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रम की अधिकतम मात्रा जो किसी अर्थव्यवस्था में किसी भी समय नियोजित की जा सकती है, पूर्ण रोजगार है।
- रोजगार अर्थव्यवस्था की सामान्य वृद्धि को बढ़ाता है, कम आय वाले परिवारों को आय प्रदान करता है, और वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू मांग को पुनर्जीवित करता है।

रोजगार से संबंधित शब्दावली

- रोजगार दर: नियोजित व्यक्ति का जनसंख्या से अनुपात (15 से 59 वर्ष)
- रोजगार लोच: सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन से प्रेरित रोजगार में प्रतिशत परिवर्तन, जो श्रम बाजार की जवाबदेही को दर्शाता है।
- रोजगार सघनता: विकास किस स्तर तक रोजगार सृजित करता है।

जे. बी. से का बाजार का नियम

- जे.बी. से (1776 - 1832) एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और उद्योगपति थे। रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत 'से' के बाजार नियम पर आधारित है।
- जे.बी. से द्वारा यह विचार रखा गया है कि "आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है।" नतीजतन, न तो अतिउत्पादन और न ही अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी संभव है।

जे एम कीन्स का रोजगार और आय का सिद्धांत

- 1936 में प्रकाशित कीन्स की पुस्तक, "द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी" एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है जिसने आधुनिक आर्थिक सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया।
- खक्लासिकल अर्थशास्त्रियों का विचार है कि एक पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार की ताकतें संतुलन तक पहुंचने के लिए स्व-समायोजित होती हैं, जिसे कीन्स के सिद्धांत द्वारा चुनौती दी गई थी।

प्रभावी मांग की अवधारणा

- प्रभावी मांग कीन्स के रोजगार और आय सिद्धांत का अंतर्निहित सिद्धांत है। प्रभावी मांग से तात्पर्य उस राशि से है जो उपभोक्ता वास्तव में औद्योगिक वस्तुओं पर खर्च करते हैं।
- उद्यमियों को जो पैसा मिलता है उसका भुगतान किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में किया जाता है। इसलिए, प्रभावी मांग राष्ट्रीय आय के बराबर होती है।
- कुल प्रभावी मांग में वृद्धि से रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी। अगर कुल प्रभावी मांग कम हो जाती है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। नतीजतन, किसी देश की कुल मांग का उपयोग उसके कुल रोजगार की गणना के लिए किया जा सकता है।

समग्र मांग फलन की अवधारणा (ADF)

कीनेसियन मॉडल में कुल मांग उत्पादन के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। नियोजित श्रमिकों को बेचे गए सामान के बदले उद्यमी जितना पैसा प्राप्त करने का अनुमान लगाते हैं, उसे कुल मांग के रूप में जाना जाता है।

कुल मांग में निम्नलिखित चार घटक होते हैं:

1. खपत की मांग
2. निवेश की मांग
3. सरकारी व्यय और
4. शुद्ध निर्यात (निर्यात-आयात)

कुल सप्लाई फंक्शन की अवधारणा

- जैसे-जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता है, समग्र सप्लाई फंक्शन बढ़ता है। एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पन्न सभी उत्पादों और सेवाओं के मूल्य को कुल आपूर्ति कहा जाता है।
- दूसरे शब्दों में, कुल आपूर्ति राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य के बराबर होती है। यानी, राष्ट्रीय आय।
- कुल आपूर्ति मूल्य वह समग्र राशि है जो किसी अर्थव्यवस्था में सभी उद्यमी एक विशिष्ट कार्यबल द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त करने की आशा करते हैं।

कुल आपूर्ति के घटक हैं

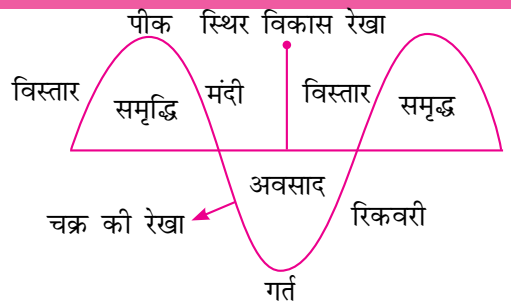
- सकल (वांछित) उपभोग व्यय (**C**)
- कुल (वांछित) निजी बचत (**S**)
- शुद्ध कर भुगतान (T) (सरकार द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कुल कर भुगतान से अंतरण भुगतान, सब्सिडी और सरकार द्वारा किए जाने वाले ब्याज भुगतान घटाने पर)
- विदेशियों को व्यक्तिगत अंतरण भुगतान (उदाहरण के लिए अंतरराष्ट्रीय राहत प्रयासों के लिए दान)

प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक

श्रम बल	• काम करने वाले और काम करने के इच्छुक लोगों की संख्या को श्रम शक्ति या श्रम आपूर्ति कहा जाता है। चूँकि पूरी आबादी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होने में असमर्थ है, बच्चों और बुजुर्गों जैसे आश्रितों को श्रमिक नहीं माना जाता है। • श्रम शक्ति उन लोगों को भी बाहर कर देती है जो सक्षम होने के बावजूद काम करने के इच्छुक नहीं हैं।
कार्य बल	• "कार्यबल" शब्द 15 -59 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों का वर्णन करता है जो सक्रिय रूप से आर्थिक उत्पादक गतिविधियों में लगे हुए हैं। • कार्यबल और श्रम बल के बीच का अंतर बेरोजगारी है, यानी बेरोजगारी = श्रम बल - कार्य बल।
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)	• श्रम बल भागीदारी दरों की गणना श्रम शक्ति को कुल कामकाजी उम्र की आबादी से भाग देकर की जाती है। कामकाजी आयु की आबादी 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों को संदर्भित करती है। यह सूचक आयु समूह द्वारा विभाजित है और इसे प्रत्येक आयु समूह के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। • उदाहरण के लिए, यदि जनसंख्या 1000 है, और वास्तव में 500 लोग काम कर रहे हैं जबकि 100 लोग काम करने के इच्छुक हैं; तब एलएफपीआर 600 होगा। एलबीपीआर को प्रतिशत में भी दिखाया जा सकता है, जिससे उपरोक्त आंकड़ा 60% हो जाएगा।
श्रमिक जनसंख्या अनुपात	• प्रति हजार लोगों पर नियोजित लोगों के अनुपात को श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) के रूप में जाना जाता है। • यह देश की रोजगार स्थिति को प्रकट करता है। एक उच्च अनुपात इंगित करता है कि जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत देश के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।
बेरोजगारी दर	• ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत जो काम करने की उम्र (15 वर्ष और अधिक) में हैं और रोजगार की तलाश में हैं लेकिन रोजगार पाने में असमर्थ हैं, उन्हें बेरोजगारी दर के रूप में जाना जाता है। • दूसरे शब्दों में, बेरोजगारी दर को श्रम शक्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, न कि कुल जनसंख्या के रूप में।
गतिविधि की स्थिति:	• निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित।
सामान्य स्थिति:	• जब गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है, तो इसे व्यक्ति की सामान्य गतिविधि स्थिति के रूप में जाना जाता है.

गतिविधि की स्थिति - वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):	• सर्वेक्षण की तारीख से पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि की स्थिति को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के रूप में जाना जाता है।

बेरोजगारी



व्यापार चक्र के चरणों का प्रतिनिधित्व

- ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के अनुसार, बेरोजगारी, एक निर्दिष्ट आयु (आमतौर पर 15) से ऊपर के लोग यदि भुगतान रोजगार या स्वरोजगार में नहीं हैं, लेकिन वर्तमान संदर्भ अवधि में काम के लिए उपलब्ध हैं।
- श्रम शक्ति के प्रतिशत के रूप में बेरोजगार लोगों की संख्या बेरोजगारी के लिए एक माप के रूप में कार्य करती है, जिसे बेरोजगारी दर के रूप में व्यक्त किया जाता है।

बेरोजगारी के कई स्रोत हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- नई प्रौद्योगिकियां और आविष्कार
- अर्थव्यवस्था की स्थिति, जो मंदी से प्रभावित हो सकती है
- वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्रतिस्पर्धा
- सरकार की नीतियां
- विनियमन और बाजार सुधार
- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO)**
  एनएसएसओ किसी व्यक्ति की निम्नलिखित गतिविधि स्थितियों पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करता है:
  - कार्यरत (एक आर्थिक गतिविधि में संलग्न) अर्थात, 'नियोजित'।
  - काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध यानी 'बेरोजगार'।
  - न तो काम की तलाश है और न ही काम के लिए उपलब्ध है।
- पहले दो श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम शक्ति का प्रतिशत है जो बिना काम के है।
- बेरोजगारी दर = (बेरोजगार श्रमिक / कुल श्रम शक्ति) × 100

भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े और तथ्य

- **आर्थिक सर्वेक्षण (2021-22):** शहरी क्षेत्र में स्थ्च् और ॅच् में भी पहली तिमाही (क्रमशः 36.4% और 43.7%) के दौरान काफी गिरावट आई, लेकिन बाद की तिमाहियों (क्रमशः 47.5% और 43%) में तेजी से सुधार हुआ।
- **बेरोजगारी दर:** यह दर्शाता है कि बेरोजगारी दर 2019-20 में 4.8% से घटकर 2020-21 में 4.2% हो गई। शहरी क्षेत्रों में 6.7% बेरोजगारी दर थी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 3.3% बेरोजगारी दर थी।
- **श्रम बल भागीदारी दर** (एलएफपीआर): श्रम बल में जनसंख्या की भागीदारी- जो कार्यरत हैं, सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे हैं, या अन्यथा रोजगार के लिए उपलब्ध हैं- 2019-20 में 40.1% से बढ़कर 2020-21 में 41.6% हो गई।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात** (डब्ल्यूपीआर): यह पिछले वर्ष की तुलना में 38.2% से बढ़कर 39.8% हो गया।

बेरोजगारी के प्रकार

- बेरोजगारी की प्रकृति भारत जैसे विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच भिन्न होती है।
- विकसित देशों में, बेरोजगारी केवल अस्थायी, चक्रीय या घर्षणात्मक होती है। हालांकि, संरचनात्मक बेरोजगारी, जो पूंजी संचय की कम दर से उत्पन्न होती है, विकासशील देशों में प्रबल होती है।
- बेरोजगारी के निम्न प्रकार हैं:

चक्रीय बेरोजगारी:	• यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र के मंदी के चरण के कारण उत्पन्न होती है। • मंदी और अवसाद की अवधि के दौरान एक व्यापार चक्र में, आय और उत्पादन में गिरावट व्यापक बेरोजगारी की ओर ले जाती है। • यह प्रभावी मांग की कमी के कारण होता है। सार्वजनिक निवेश या विस्तारवादी मौद्रिक नीति द्वारा चक्रीय बेरोजगारी को संबोधित किया करता है। • कई मैक्रोइकोनॉमिक सिद्धांत पूर्ण रोजगार को एक ऐसे लक्ष्य के रूप में वर्णित करते हैं, जो अगर चिन्हित किया जाता है, तो अक्सर चक्रीय बेरोजगारी के संदर्भ में एक मुद्रास्फीति चरण की ओर जाता है।

मौसमी बेरोजगारी:	• इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान होती है। • कृषि और कृषि आधारित उद्योगों जैसे चीनी में उत्पादन गतिविधियां केवल कुछ मौसमों में ही की जाती हैं। ये उद्योग वर्ष में केवल उसी मौसम में रोजगार प्रदान करते हैं। • इसलिए, ऑफ सीजन के दौरान लोग बेरोजगार रह सकते हैं।
घर्षण बेरोजगारी (अस्थायी बेरोजगारी):	• घर्षण बेरोजगारी श्रम की आपूर्ति और श्रम की मांग के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। • यह श्रम की गतिहीनता, आवश्यक कौशल की कमी, मशीनरी की खराबी, कच्चे माल की कमी आदि के कारण है। • वे व्यक्ति जो नौकरी खो देते हैं और नौकरी की तलाश में रहते हैं, घर्षण ात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं।
शिक्षित बेरोजगारी:	• कभी-कभी शिक्षित लोग अल्प-रोजगार या बेरोजगार हो जाते हैं जब योग्यता नौकरी से मेल नहीं खाती। • भारत में शिक्षित बेरोजगारी के लिए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, रोजगार योग्य कौशल की कमी, बड़े पैमाने पर छात्रों की उपस्थिति और सफेदपोश नौकरियों के लिए वरीयता अत्यधिक जिम्मेदार हैं।
तकनीकी बेरोजगारी:	• आधुनिक तकनीक पूंजी गहन होने के कारण कम मजदूरों की आवश्यकता होती है और तकनीकी बेरोजगारी में योगदान करती है। • आजकल, आविष्कार और नवाचार नई तकनीकों को अपनाने की ओर ले जाते हैं जहां मौजूदा श्रमिकों की छंटनी की जाती है। श्रम बचाने वाले उपकरण तकनीकी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं।
संरचनात्मक बेरोजगारी:	• संरचनात्मक बेरोजगारी समाज की संरचना में भारी परिवर्तन के कारण है। • उत्पाद की मांग में कमी या अन्य उत्पादों की मांग में बदलाव इस प्रकार की बेरोजगारी का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन की मांग में वृद्धि ने कैमरों, टेप रिकार्डर आदि की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। • इस प्रकार की बेरोजगारी आर्थिक संरचना में बड़े पैमाने पर और गहरी जड़ों वाले परिवर्तनों का परिणाम है।
प्रच्छन्न बेरोजगारी:	• प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं। • अगर कुछ श्रमिकों को वापस ले लिया जाता है, तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। • एक व्यक्ति को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहा जाता है यदि उत्पादन में उसका योगदान उससे कम है जो वह प्रतिदिन सामान्य घंटों के लिए काम करके पैदा कर सकता है। इस स्थिति में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य या उससे कम या ऋणात्मक होती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. प्रच्छन्न बेरोजगारी का आम तौर पर मतलब है? (2013)

(*a*) बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं

(*b*) वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है

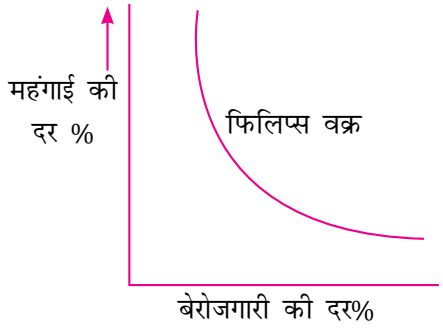
(*c*) श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है

(*d*) श्रमिकों की उत्पादकता कम है

फिलिप्स कर्व:

- W फिलिप्स ने फिलिप्स कर्व प्रस्तुत किया, यह एक आर्थिक सिद्धांत है जो दावा करता है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच एक स्थिर, विपरीत संबंध मौजूद होता है।
- मुद्रास्फीति आर्थिक विकास का अनुसरण करती है और इसके परिणामस्वरूप अधिक नौकरियां और कम बेरोजगारी होनी चाहिए।

- हालांकि, 1970 के दशक में मंदी की घटना, जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों के उच्च स्तर थे, ने सिद्धांत के मूल आधार को कुछ सीमा तक अनुभवजन्य रूप से खारिज कर दिया है।



भारत के संबंध में बेरोजगारी

- भारत में बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान करने के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है।
- भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अल्परोजगार और बेरोजगारी दोनों का अनुभव करती है।
- भारत के शहरी क्षेत्रों में खुली, संरचनात्मक और घर्षण वाली बेरोजगारी का अनुभव होता है। शहरीकरण के परिणामस्वरूप बहुत से लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों पलायन करते हैं।
- शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन के परिणामस्वरूप बढ़ती है, जो श्रम बल की पहले से ही उच्च बेरोजगारी दर में वृद्धि करते है।

भारत के निम्न LFPR का कारण

- महिला एलएफपीआर का निम्न स्तर भारत के निम्न एलएफपीआर के मुख्य कारणों में से एक है। सीएमआईई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर 2021 तक, पुरुष एलएफपीआर 67.4% था, और महिला एलएफपीआर 9.4% जितनी कम थी।
- महिला **LFPR** का कारण या कम महिला स्थ्च्द विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की स्थिति है, जैसे कानून और व्यवस्था, कुशल सार्वजनिक परिवहन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, सामाजिक मानदंड, आदि। साथ ही, जो महिलाएं काम से दूर हैं, वे रोजगार पाने में बेहतर स्थिति में नहीं हैं।
- इसके अलावा, भारत में कई महिलाएँ विशेष रूप से अपने घरों (अपने परिवार की देखभाल) के लिए काम करती हैं।

भारत में बेरोजगारी की प्रकृति

- भारत में मौजूदा बेरोजगारी के मुद्दे ज्यादातर संरचनात्मक प्रकृति के हैं।
- भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की उच्च दर देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों आम हैं।

शहरी बेरोजगारी के दो पहलू

1. **औद्योगिक बेरोजगारी:**
   - काम की तलाश में लोग बड़ी संख्या में ग्रामीण से शहरी औद्योगिक जिलों में चले गए हैं।
   - राष्ट्र में औद्योगीकरण की सुस्त दर के कारण इन बढ़ती शहरी आबादी को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं दिए जा सके। इसने राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक बेरोजगारी दर का कारण बना है।
2. **शिक्षित या मध्यवर्गीय बेरोजगारी:**
   - देश के लगभग सभी शहरी क्षेत्र इस विशेष प्रकार की बेरोजगारी का अनुभव करते हैं, जो दूसरों से अद्वितीय है।
   - तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षिक सुविधाओं के विलंबित विस्तार के परिणामस्वरूप कर्मियों की एक महत्वपूर्ण मात्रा को सामान्य शिक्षा में अनावश्यक रूप से निर्देशित किया जाता है।

बेरोजगारी के कारण

- **कृषि पर अत्यधिक निर्भरता:** भारत का कृषि क्षेत्र अविकसित है। यह मौसमी रोजगार प्रदान करता है। जनसंख्या कृषि पर अत्यधिक निर्भर है। हालांकि, मौसमी कृषि होने के कारण कुछ महीनों का रोजगार है।
- **अवसंरचनात्मक बाधा:** विनिर्माण क्षेत्र में कम निवेश और अपर्याप्त अवसंरचनात्मक विस्तार से द्वितीयक उद्योग की नौकरियां सृजित करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- **प्रतिगामी श्रम कानून:** कड़े रोजगार संरक्षण कानूनों ने नियोक्ताओं को माल और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए मौजूदा श्रम लागत और पूंजी अनुपात को देखते हुए आवश्यकता से अधिक पूंजी का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है।
- **पुराना पाठ्यक्रम:** स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली शैक्षणिक सामग्री बाजार की जरूरतों को प्रतिबिंबित नहीं करती है। यह संरचनात्मक बेरोजगारी का प्राथमिक कारण है।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का प्रसार:** अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले एक बड़े कार्यबल के कारण, क्योंकि उनके पास आवश्यक शिक्षा या कौशल की कमी है, यह किसी भी रोजगार डेटा में परिलक्षित नहीं होता है।

- **सामाजिक मुद्दे:** प्रतिगामी सामाजिक मानक जो महिलाओं को नौकरी शुरू करने या रखने से रोकते हैं। अन्य कारकों में नौकरी में जातीयता, जाति, आयु आदि शामिल हैं।
- **खराब शासन:** कम बुनियादी ढांचा, वित्तीय और बाजार लिंक, अपर्याप्त सरकारी समर्थन, और कानूनी जटिलताएं सभी छोटी फर्मों, कुटीर उद्योगों और अन्य संबंधित उद्यमों की अव्यवहार्यता में योगदान करती हैं।
- **उच्च कराधान:** आय, धन, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य कर सभी सरकार द्वारा भारी मात्रा में लगाए जाते हैं। उच्च करों के कारण, नागरिक भी अपनी निजी फर्म बनाने में असमर्थ हैं, और निर्माता केवल कुछ ही श्रमिकों को रोजगार देते हैं।

लाभकारी रोजगार और इसकी आवश्यकता

लाभकारी रोजगार, रोजगार की एक ऐसी स्थिति है जहां कर्मचारी नियोक्ता से लगातार काम और भुगतान प्राप्त करता है।

लाभकारी रोजगार की आवश्यकता

- **सतत विकास और समावेशी विकास:** समान विकास की गारंटी देने और औपचारिक अर्थव्यवस्था में बड़ी संख्या में रोजगार जोड़कर एक मजबूत आर्थिक प्रक्षेपवक्र की गति को बनाए रखने के लिए।
- **सभ्य जीवन स्तर:** जीवन की एक सभ्य गुणवत्ता प्राप्त करने से लाभकारी कार्य सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, संकेतक के कुल मूल्य में वृद्धि होती है।
- **डी-रेडिकलाइजेशन:** युवा रेडिकलाइजेशन को बेरोजगारी से जोड़ा गया है, खासकर अल्पसंख्यक आबादी में। एक अच्छा रोजगार सृजन इसे कम कर सकता है और डी-रेडिकलाइजेशन में मदद करता है।
- **आंतरिक सुरक्षा:** भारत में वामपंथी उग्रवाद के कारणों में से एक अर्थव्यवस्था का खराब रोजगार सृजन और असमान विकास है।
- **सामाजिक ताने-बाने को बनाए रखना:** जब तक युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां नहीं दी जातीं, तब तक सामाजिक स्थिरता को बिगाड़ने की उच्च संभावना होगी जो सांप्रदायिक भी हो सकती है।
- **गरीबी और असमानता:** बहुआयामी गरीबी और असमानता को समाप्त करने का मुख्य चालक रोजगार सृजन होगा, क्योंकि रोजगार के अभाव में इस निम्न स्थिति से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. "जब हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रदर्शन करते हैं, तो हम रोजगार की गिरती दरों की उपेक्षा करते हैं।" ऐसा करते समय हम क्या खो रहे हैं? भारत को जिन नौकरियों की सख्त जरूरत है, वे कहां से आएंगी? व्याख्या कीजिये। (2014)

रोजगार के अवसर सृजित करने की चुनौतियाँ

- **उद्यमिता क्षमता:** स्थिर रोजगार के लिए उच्च आकांक्षाएं और युवा पीढ़ी के बीच उद्यमिता कौशल की कमी।
- **विश्वसनीय डेटा का अभाव:** असंगठित क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नए क्षेत्रों में नौकरियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है जैसे ओला ड्राइवर, अमेजॅन डिलीवरी कर्मी आदि।
- **संरचनात्मक चुनौतियाँ:** भारत के 90% से अधिक श्रम बल में औपचारिक शिक्षा का अभाव है। कारण यह है कि निर्माण के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और सेवा उद्योग को सक्षम श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
- **विदेशों से प्रतिस्पर्धा:** 1991 की नई आर्थिक नीति और भारत में जारी आर्थिक उदारीकरण के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा पूंजी गहन उद्योग, बांग्लादेश जैसा श्रम गहन उद्योग।
- **श्रम कानून:** भारतीय श्रम कानून असंगठित, छोटे और खंडित व्यवसायों को प्रोत्साहित करते हैं।
- **खराब कौशल स्तर:** औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा की कमी, अपर्याप्त कौशल प्रशिक्षण क्षमता, कौशल के प्रति नकारात्मक धारणा, और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी उद्योग के लिए तैयार कौशल की कमी भारत के कार्यबल के खराब कौशल स्तर का प्रमुख कारण है।
- **कम क्रय शक्ति:** भारतीय घरेलू बाजार बड़ा होने के बावजूद कम क्रय शक्ति के कारण विनिर्माण क्षेत्र के लिए टिकाऊ नहीं है।
- **कर्मचारी-नियोक्ता संबंध:** कर्मचारी और नियोक्ता के बीच संबंध की कमी पूरे भारत में श्रम की आपूर्ति और मांग में बेमेल का कारण बनती है।
- **अस्थिर वैश्विक बाजार:** भारत की श्रम शक्ति धनी देशों में समय-समय पर होने वाले बूम-बस्ट चक्र से प्रभावित होती है। इस अस्थिरता घटक को कोविड-19 ने और भी बदतर बना दिया गया था।

अनौपचारिक रोजगार

- "अनौपचारिक अर्थव्यवस्था" शब्द अपंजीकृत व्यवसायों को संदर्भित करता है जहां नियोक्ता कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।

औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के बीच अंतर

औपचारिक अर्थव्यवस्था	अनौपचारिक अर्थव्यवस्था
• इसका नियोक्ता के साथ एक औपचारिक अनुबंध है। • यह एक पूर्व-निर्धारित कार्य परिस्थितियाँ और कार्य उत्तरदायित्व प्रदान करता है।, • अनुलाभों और प्रोत्साहनों के साथ सुनिश्चित और अच्छा नियत वेतन। • काम के समय की निश्चित अवधि। • स्वास्थ्य और जीवन के जोखिमों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। • यह समान गतिविधियों में लगे व्यक्तियों की एक सुव्यवस्थित टीम का हिस्सा है और अपने अधि कारों के प्रति सामाजिक और कानूनी रूप से जागरूक है।	• इसका नियोक्ता के साथ कोई औपचारिक अनुबंध नहीं है। • कोई व्यवस्थित या निश्चित कार्य परिस्थितियाँ नहीं। • अनियमित और असमान भुगतान। • अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए कोई मंच नहीं। • काम के कोई निश्चित घंटे नहीं हैं और ज्यादातर हाथ से कमाई करते हैं। • सामाजिक सुरक्षा कवरेज के किसी भी रूप का अभाव है और किसी के सामाजिक और वित्तीय कल्याण की रक्षा के मूल्य की थोड़ी समझ है।

भारत के लिए अनौपचारिक रोजगार का महत्व

- **विकासशील अर्थव्यवस्था में रोजगार का प्रमुख स्रोत:** कई विकासशील देशों में, अनौपचारिक क्षेत्र आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यम उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और रोजगार और आय की संभावनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- **अधिकांश कार्यबल:** भारत में अनुमानित 450 मिलियन अनौपचारिक श्रमिक हैं जो इसके कार्यबल का 90% हिस्सा बनाते हैं। सालाना अनुमानित 5-10 मिलियन कर्मचारी रोजगार प्राप्त करते हैं।
- **रोजगार सृजन:** न्यू इंडिया के लिए नीति आयोग की 75 साल की रणनीति के अनुसार, भारत का अनौपचारिक क्षेत्र लगभग 85% श्रमिकों को रोजगार देता है। साथ ही, श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, 90 प्रतिशत से अधिक भारतीय श्रमिक अनौपचारिक श्रमिक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या शहरी क्षेत्रों के श्रमिकों की तुलना में अधिक है।
- **समग्र रोजगार में वृद्धि हिस्सेदारी:** 2017-18 में असंगठित क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत 3.6% बढ़ा। हालांकि, इसी अवधि के दौरान औपचारिक रोजगार का प्रतिशत केवल 0.9% बढ़ा।
- **योगदान पर व्यापक हिस्सेदारी:** हालांकि अनौपचारिक क्षेत्र राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सकता है, रोजगार में इसका प्रभुत्व कुछ समय तक रहने की उम्मीद है।
- **इंटर-लिंकेज:** भारत में, अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक के साथ अधिक एकीकृत हो रहा है, आपूर्ति श्रृंखला में अंतराल को प्राप्त कर रहा है और अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है।
- **ग्रामीण विकास:** अनौपचारिक क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का 75% हिस्सा है और इसमें निम्न-अंत सेवाएं और कृषि शामिल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के कारक

- **शिक्षा और कौशल अंतर:** वह देश जो हर साल अपने कार्यबल में 12 मिलियन लोगों को जोड़ता है, हालांकि, 4% से भी कम लोगों ने कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। भारत की कार्यबल तत्परता दुनिया में सबसे कम में से एक है। विश्व आर्थिक मंच की 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट के अनुसार, 2022 तक रोजगार योग्य होने के लिए, आधे से अधिक भारतीय श्रमिकों को कौशल विकास की आवश्यकता होगी।
- **"मिसिंग मिडल सिंड्रोम":** बड़े और छोटे व्यवसायों के प्रभुत्व वाले बाजार में परिणामों का विस्तार करने के लिए छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन। मध्यम आकार के व्यवसायों के असामान्य रूप से कम अनुपात के कारण, अर्थव्यवस्था ने "मिसिंग मिडल" स्थिति का अनुभव किया।
- **विनियमन से प्रोत्साहन:** अधिकांश राज्य और केंद्रीय श्रम कानून बड़े उद्यमों पर लागू होते थे। अनौपचारिक उद्यमों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए औपचारिक उद्यम अधिक प्रौद्योगिकी-गहन बन गए। यह अनौपचारिक व्यवसायों को औपचारिक क्षेत्र में जाने से भी हतोत्साहित करता है।
- **आर्थिक असमानता:** आर्थिक असमानता और बेरोजगारी इस मुद्दे के दीर्घकालिक प्रभाव हैं, जो बेरोजगार आर्थिक विकास के भविष्य का समर्थन करते हैं।

- **खराब प्रोत्साहन संरचना:** छोटे व्यवसायों को बढ़ने से हतोत्साहित किया जाता है, जो औपचारिक कार्यबल को बढ़ने से रोकता है।
- **स्वतंत्रता के बाद की नीतियां:** भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद राज्य के नेतृत्व वाली औद्योगीकरण रणनीति को चुना। हालाँकि यह दृष्टिकोण देश की विशाल श्रम शक्ति को समायोजित करने में असमर्थ था।

अनौपचारिक श्रमिकों के समक्ष मुद्दे

- **औपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव:** एसबीआई इकोरैप के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों के दौरान कम से कम 13 लाख करोड़ रुपये औपचारिक अर्थव्यवस्था में विभिन्न चौनलों के माध्यम से प्रवेश किया है, जिसमें सबसे हालिया ई-श्रम वेबसाइट भी शामिल है।
- **गिग अर्थव्यवस्थाओं का उदय:** 2016 के बाद से, कई उपायों ने अन्य देशों की तुलना में बहुत तेज गति से उच्च वैधीकरण दरों की सुविधा प्रदान की है।
- **महिलाओं पर प्रभाव:** पुरुषों की तुलना में, महिलाएं अनौपचारिकता के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और प्राय: खुद को अनिश्चित परिस्थितियों में पाती हैं।
- अवैध कारोबार: औपचारिक अर्थव्यवस्था के विपरीत, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था अक्सर किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान नहीं करती है। इस प्रकार, अनौपचारिक क्षेत्र को श्रम में एक अवैध कारोबार के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
- **विश्वसनीय डेटा का अभाव:** सरकार के लिए विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र और सामान्य रूप से पूरी अर्थव्यवस्था को शामिल करते हुए ऐसी नीतियां बनाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो अर्थव्यवस्था की स्थिति को सटीक रूप से दर्शाते हों।
- **श्रम संबंधी चुनौतियाँ:** इस तथ्य के बावजूद कि कार्यबल का एक बड़ा वर्ग ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है, शहरों में अनौपचारिक श्रम शक्ति को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **कम उत्पादकता:** अनौपचारिक क्षेत्र छोटे व्यवसायों और छोटे एमएसएमई से बना है। ये व्यवसाय रिलायंस जैसी कंपनियों जितने बड़े नहीं हैं। कंपनी अपने लाभ के लिए बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं है।
- **कर राजस्व बढ़ाने में असमर्थता:** चूंकि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की कंपनियों को सीधे विनियमित नहीं किया जाता है, वे आमतौर पर कानूनी प्रणाली से अपने राजस्व और व्यय को छुपाकर एक या अधिक करों से बचते हैं। सरकार को दुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अभी भी करमुक्त है।
- **मानव संसाधनों का कम उपयोग:** इस तथ्य के बावजूद कि बड़ी संख्या में भारतीय आबादी अनौपचारिक क्षेत्र में लगी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बहुत कम मूल्य जोड़ा जाता है। इसके परिप्रेक्ष्य में, हमारे मानव संसाधन की एक महत्वपूर्ण राशि का कम उपयोग किया जा रहा है।
- **प्रवासन संकट:** अर्थव्यवस्था, प्रवासी समस्या और बढ़ती बेरोजगारी दर दोनों से सीधे प्रभावित होती है।
- **महामारी के कारण नौकरी का नुकसान:** ऑक्सफैम की सबसे हालिया विश्वव्यापी रिपोर्ट का अनुमान है कि 2020 में गंवाई गई 122 मिलियन नौकरियों में से 75% अनौपचारिक क्षेत्र में थीं।

बेरोजगारी से निपटने के लिए नीतिगत उपाय

- **ई-श्रम पोर्टल:** असंगठित श्रमिकों की रोजगार क्षमता को अधिकतम करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लाभ प्रदान करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों (NDUW) का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए मैप्ड पोर्टल विकसित किया है।
- **श्रम सुधार:** औद्योगिक संबंध, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, और सामाजिक सुरक्षा पर तीन श्रम संहिताओं को देश के पुराने श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित करने और श्रमिकों के अधिकारों से समझौता किए बिना आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसद द्वारा पारित किया गया था।
- **प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन:** यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी देखरेख श्रम और रोजगार मंत्रालय करता है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम और सामुदायिक सेवा केंद्र (CSCs) द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सहायता करना है।
- **मनरेगा:** यह दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है और इसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है।
- **उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय आयोग:** अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों और कठिनाइयों की जांच करने के लिए; भारत संभवत: 2004 में असंगठित क्षेत्र (NCEUS) में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने वाला पहला देश है।
- **पीएम स्वनिधि:** प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ता ऋण देने का कार्यक्रम, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय

(एमओएचयूए) द्वारा शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में विक्रेताओं, फेरीवालों और अन्य व्यक्तियों की मदद करेगा जो कपड़ा उद्योग, कपड़े, कलात्मक सामान, नाई की दुकान, कपड़े धोने की सेवाओं आदि से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं का सौदा करते हैं।

- **स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु):** स्वरोजगार की भावना को बढ़ाने और प्रतिभा में निहित क्षमता का उपयोग करने के लिए,2015 में नीति आयोग के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था।
- **औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव):** इसका उद्देश्य दीर्घकालिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ-साथ संस्थागत सुधारों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करना है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** 2022 तक, भारत में विभिन्न विषयों में 40 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की उम्मीद है। यह भारतीय युवाओं को बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक सम्मान के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करने का प्रयास करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. यह श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रमुख योजना है।
2. यह अन्य बातों के साथ-साथ सॉफ्ट स्किल्स, उद्यमशीलता, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
3. इसका उद्देश्य देश के अनियमित कार्यबल की दक्षताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे में सरेखित करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1 और 3
(*b*) केवल 2
(*c*) केवल 2 और 3
(*d*) 1, 2 और 3

पूर्व प्रशिक्षण की मान्यता (RPL)

यह पहली बार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के एक भाग के रूप में पेश किया गया था और ज्यादातर औपचारिक, गैर-औपचारिक, या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त व्यक्ति के वर्तमान कौशल, ज्ञान और अनुभव के लिए एक मूल्यांकन प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

उद्देश्य

- देश के अनियमित कार्यबल के कौशल को एक समान राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप बनाना।
- किसी व्यक्तिके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना और उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना।

विगत वर्षों के प्रश्न (परीक्षा प्रारंभिक)

1. 'पूर्व शिक्षण योजना की मान्यता' का उल्लेख कभी-कभी समाचारों में _____ के संदर्भ में किया जाता है। (2017)

(*a*) पारंपरिक चौनलों के माध्यम से निर्माण श्रमिकों द्वारा अर्जित कौशल को प्रमाणित करना।
(*b*) दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों का नामांकन।
(*c*) कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए कुछ कुशल नौकरियों को आरक्षित करना।
(*d*) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं द्वारा अर्जित कौशल को प्रमाणित करना।

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

- यह केंद्र सरकार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने के लिए जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा, और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए किसी भी मुद्दों पर उपयुक्त कल्याण कार्यक्रम बनाने का अधिकार देता है।

निश्चित अवधि रोजगार

- एक निश्चित अवधि के रोजगार अनुबंध में, नियोक्ता एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए एक कर्मचारी को नियुक्त करता है। ज्यादातर मामलों में, यह एक वर्ष के लिए होता है, लेकिन परिस्थिति के आधार पर, इसे बढ़ाया जा सकता है।
- कुछ परियोजनाओं, कार्यों, या आदेशों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने की योजना बना रही कंपनियों के लिए इसे आसान बनाने के लिए, सरकार ने सभी क्षेत्रों में निश्चित अवधि के रोजगार पर श्रमिकों को काम पर रखने के विकल्प का विस्तार किया है।
- पीएलएफएस 2018-19 पर आधारित अनुमान के अनुसार, वेतनभोगी नौकरियों वाले सामान्य वेतन समूह के 24% श्रमिकों में से केवल 2.2% के पास सभी सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच है।

FTE के लाभ

- कर्मचारी **FTE** के तहत स्थायी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के पात्र होंगे।
- यदि **FTE** कर्मचारियों में परिवर्तित किया जाता है, तो अनुबंधित श्रमिकों को वैधानिक लाभों का लाभ मिलेगा।
- उन्हें मुख्य नियोक्ता से जवाबदेही की गारंटी दी जा सकती है।
- औद्योगिक केंद्रों में अनुबंधित मजदूरों के बीच काम करने की खराब स्थिति असंतोष का प्रमुख कारण रही है। इसलिए, काम करने की स्थिति में सुधार करना उद्योग के सर्वोत्तम हित में है।
- पूंजी की लागत इतनी सस्ती बनी हुई है कि श्रम के उपयोग को हतोत्साहित करती है।
- उद्योगों को लाभ होगा यदि कार्यबल की एफटीई श्रेणी उन्हें बहुप्रतीक्षित लचीलापन प्रदान करती है।
- एफटीई विशेष परियोजनाओं को पूरा करते समय विशेष रूप से सहायक होते हैं, जैसे कि इन्फ्रा सेक्टर में। वे परिधान, जूते और कई मीडिया आउटलेट्स में भी आम हैं।

प्रावधान के प्रमुख बिंदु

- **निश्चित अवधि के कर्मचारी की नई परिभाषा:** एक कर्मचारी जिसे एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जाता है, उसे एक निश्चित अवधि के रोजगार के रूप में संदर्भित किया जाता है। नियोक्ता और संबंधित कर्मचारी के बीच अनुबंध का नवीनीकरण नहीं होने के परिणामस्वरूप, कामगार की सेवाएं स्वत: समाप्त हो जाएंगी।
- **कार्यकाल और पारिश्रमिक:** निश्चित अवधि के रोजगार का विचार नौकरी की अवधि के साथ-साथ किसी भी अतिरिक्त सेवा आवश्यकताओं और मुआवजे को स्थापित करता है जो नियमित कर्मचारी विभिन्न श्रम नियमों के तहत पात्र हैं।
- **स्थायी कामगार के साथ समानता:** निश्चित अवधि के कर्मचारी वेतन, काम के घंटे, भत्ते और अन्य वैधानिक लाभों सहित स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ के पात्र होंगे।
- **नौकरी देने और नौकरी से निकालने में आसानी:** आदेश के संशोधन के अनुसार, अस्थायी और बदली कर्मचारियों को रोजगार समाप्ति की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।
- **काम के लिए बेहतर स्थिति:** ठेका श्रमिकों की तुलना में, जिन्हें थोड़े समय के लिए काम पर रखा गया है, उनके काम करने और सेवा देने की स्थिति बेहतर होगी।

FTE के प्रभाव

- समय के साथ, FTE से स्थायी रोजगार में संक्रमण दर में कमी आई है।
- वैश्विक उदाहरण: थ्ज्म् अनुबंधों की समयसीमा कम हो रही है; स्पेन में, 25% नए अनुबंध एक सप्ताह से कम समय के लिए हैं और 40% एक महीने से कम समय के लिए हैं।
- **FTE** के कारण, श्रम बाजार में अब कम संक्रमण दर और व्यापक वेतन अंतर (**FTE** और स्थायी श्रमिकों के बीच) है।
- एफटीई भर्ती में अधिकतर कम वेतन वाले कर्मचारी होते हैं जो सबसे कम आय वर्ग में आते हैं।
- **FTE** नौकरी की सुरक्षा को कम करता है और वेतन की अस्थिरता को बढ़ाता है.

FTE पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला

- सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की दो अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया, जिसमें सभी कारखानों को ओवरटाइम वेतन और कार्य मानकों का पालन करने से छूट दी गई थी
- सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने अपने तर्क में अनुच्छेद 21 का हवाला दिया कि मानवीय कामकाजी परिस्थितियों और कानून द्वारा अनिवार्य ओवरटाइम वेतन से इनकार करना "कर्मचारियों के जीवन के अधिकार का हनन है जो अनुच्छेद 21 और 23 द्वारा प्रदान किया गया है।"

स्व:रोजगार

- एक स्व-नियोजित व्यक्ति वह होता है जो किसी विशेष नियोक्ता के लिए काम करने के बजाय किसी व्यवसाय के साथ अनुबंध करके अपनी आय अर्जित करता है। सरल शब्दों में, यह एक नियोक्ता के बजाय एक स्वतंत्र या व्यवसाय के स्वामी के रूप में स्वयं के लिए काम करने की स्थिति है।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2020-21 के अनुसार, भारत के 55.6% श्रमिक स्व-नियोजित थे।

स्वरोजगार की विशेषताएं

- स्वरोजगार में अपनी आजीविका कमाने के लिए स्वयं कुछ करना शामिल होता है।
- इसमें किसी व्यक्ति द्वारा गतिविधियों का स्वामित्व और प्रबंधन शामिल है, हालांकि वह अपनी सहायता के लिए एक या दो व्यक्तियों की मदद ले सकता है। इस प्रकार, स्वरोजगार अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान कर सकता है।
- स्व-रोजगार से आय निश्चित नहीं होती है। यह उस आय पर निर्भर करता है जो किसी कीमत पर वस्तुओं के उत्पादन या खरीद और बिक्री या दूसरों को सेवाएं प्रदान करके अर्जित की जा सकती है।
- स्व-रोजगार में, अकेले मालिक को ही लाभ लेना होता है और हानि का जोखिम भी उठाना पड़ता है। इसलिए, हम स्वरोजगार में प्रयास और प्रतिफल के बीच सीधा संबंध पाते हैं।

- इसमें कुछ पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, हालांकि यह छोटा हो सकता है।
- स्वरोजगार में, एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को लाभप्रद रूप से चलाने के संबंध में निर्णय लेने और अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए आने वाले किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है।
- यह अपनी इच्छा के अनुसार और प्रचलित कानूनों के मापदंडों के भीतर काम करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है।

स्वरोजगार का महत्व

- **उद्यमशीलता की भावना का विकास:** स्व-रोजगार में या तो कोई जोखिम नहीं होता है या बहुत कम जोखिम होता है। लेकिन, जैसे ही स्व-नियोजित व्यक्ति नवोन्मेषी बनना शुरू करता है और अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए कदम उठाता है, वह एक उद्यमी बन जाता है।
- **छोटे व्यवसाय का लाभ:** बड़े व्यवसायों की तुलना में छोटे व्यवसायों के लिए अनेक लाभ हैं। आरंभ करना सरल है और इसमें अधिक पूंजी नहीं लगती है। छोटे पैमाने पर स्वरोजगार बड़े पैमाने के उद्यम का एक अच्छा विकल्प है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण, मलिन बस्तियों की वृद्धि, श्रम शोषण आदि जैसे कई नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।
- **विनिर्माण का स्वदेशीकरण:** यह अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी और विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाली विनिर्माण गतिविधियों के स्वदेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **वेतन रोजगार पर वरीयता:** मजदूरी रोजगार के विपरीत, स्वरोजगार के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। जब व्यक्ति अपने लिए काम करते हैं तो वे अपनी प्रतिभा का उपयोग स्वयं के लिए कर सकते है। चुनाव आसानी से और तेजी से किया जा सकता है। ये सभी स्वरोजगार बनाम वेतन कार्य चुनने के लिए शक्तिशाली प्रेरक के रूप में काम करते हैं।
- **रचनात्मकता की गुंजाइश:** यह लोगों को उनकी रचनात्मक और कलात्मक क्षमताओं को विकसित करने का मौका देता है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए,हम हस्तशिल्प, यूआई और यूएक्स, विज्ञापन, हथकरघा उत्पादों आदि में परिलक्षित रचनात्मक विचारों को देख सकते हैं।
- **महिला सशक्तिकरण:** यह महिला सशक्तिकरण में मदद करता है, क्योंकि महिला लिंग समूह स्वरोजगार का एक प्रमुख हिस्सा है।
- **गुणक प्रभाव:** यह भारतीय अर्थव्यवस्था में सॉफ्टवेयर उद्योग से लेकर कृषि क्षेत्र तक विभिन्न रोजगार सृजित करके रोजगार सृजन में एक रणनीतिक गुणक प्रभाव के रूप में कार्य करता है।

भारत में स्वरोजगार से संबंधित मुद्दे

- **निम्न रोजगार सृजन:** आंकड़ों के अनुसार, वास्तव में भारत के केवल 4% स्वरोजगार बाहर से लोगों को भर्ती करते हैं। यह इंगित करता है कि बहुत कम प्रतिशत रोजगार सृजित करता है।
- **कम कमाई:** पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार, स्व-नियोजित लोगों की औसत मासिक आय लगभग 8,000 प्रति माह रही है, जो नियमित कर्मचारियों की औसत मासिक आय से काफी कम है।
- **कृषि क्षेत्र में उच्च भागीदारी:** लगभग 60% स्वरोजगार वाले लोग कृषि उद्योग में काम करते हैं, जो कम उत्पादकता से ग्रस्त है।
- **गैर-औपचारिकता की व्यापकता:** अधिकांश स्व-नियोजित को केवल "औपचारिक" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे सरकारी एजेंसी के साथ पंजीकृत हैं और/या करों का भुगतान करते हैं।
- **लिंग भुगतान अंतर:** स्व-नियोजित लोगों के समूह में पुरुष श्रमिकों की औसत आय महिला श्रमिकों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।
- **एनएसएसओ रिपोर्ट:** एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 63 मिलियन अपंजीकृत उद्यम हैं, जिनमें से 96% व्यक्तियों द्वारा संचालित हैं। इनमें से अधिकांश व्यवसाय जीएसटी का भुगतान नहीं करते हैं क्योंकि उनकी वार्षिक बिक्री 20 लाख रुपये से कम है।

आगे की राह

- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** शिक्षा का स्तर उस समय बाजार की मांगों के अनुरूप होना चाहिए। कार्यस्थल की मांगों का भावी पीढ़ियों द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- **उदारीकरण के प्रभाव:** क्षेत्रीय औद्योगिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों पर डंपिंग रोधी और प्रतिसंतुलनकारी कर।
- **अल्पकालिक आर्थिक सुधार:** जीएसटी, विमुद्रीकरण, ईपीएफ सुधार, कौशल भारत पहल, निश्चित अवधि अनुबंध सुधार, कर कानून युक्तिकरण, और मातृत्व लाभ सुधार सहित औपचारिकता को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को मजबूत करना।
- **रोजगार डेटा संग्रह में सुधार:** आवधिक डेटा संग्रह और प्रसार। प्रशासनिक डेटा का उपयोग बढ़ाएँ अर्थात। ईपीएफओ, ईएसआईसी और एनपीएस कार्यबल की औपचारिकता के लिए समायोजन करते हुए रोजगार की स्थिति को नियमित रूप से ट्रैक किया जाना चाहिए।

- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज:** संपूर्ण व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिनियम लागू करें, और लक्षित कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण के माध्यम से अनौपचारिक क्षेत्र में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) में सुधार करें।
- **कौशल विकास:** प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी सरकारी योजनाओं का उपयोग करके, भारत आधुनिक विनिर्माण उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने युवाओं के कौशल में सुधार कर सकता है।
- अंत में, हाल के दिनों में बेरोजगारी दर में वृद्धि कोविड-19 महामारी के कारण हुई है। इससे देशभर में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई हैं। भारत को अपने कौशल में सुधार और श्रम शक्ति के पुनर्कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है ताकि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और जनसांख्यिकीय लाभांश एक दायित्व बन जाए, वह अपने जनसांख्यिकीय लाभांश से लाभान्वित हो सके।

कौशल विकास

- कौशल विकास अनुभव के माध्यम से प्राप्त या विकसित की गई विशेषज्ञता है। यह लोगों की बदलती उपभोक्ता जरूरतों को समायोजित करने और नवीन और उद्यमशीलता के प्रयासों से लाभ प्राप्त करने की क्षमता में सुधार करता है।

वर्तमान स्थिति

- **बेरोजगारी दर:** 2019-20 में बेरोजगारी दर गिरकर 4.8% हो गई। 2018-19 में यह 5.8% और 2017-18 में 6.1% थी।
- **श्रमिक जनसंख्या दर:** यह 2018-19 में 35.3% और 2017-18 में 34.7% की तुलना में 2019-20 में 38.2% हो गई।
- **श्रम बल भागीदारी अनुपात:** यह पिछले दो वर्षों में क्रमश: 37.5% और 36.9% से बढ़कर 2019-20 में 40.1% हो गया। एलएफपीआर जितना अधिक होगा, उतना अच्छा होगा।
- **लिंग आधारित बेरोजगारी दर:** आंकड़ों से पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बेरोजगारी दर 2019-20 में क्रमश: 5.1% और 4.2% तक गिर गई, जो 2018-19 में 6% और 5.2% थी।
- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2020-21:** बेरोजगारी दर में 0.6% की कमी देखी गई और 2020-21 में 4.2% तक गिर गई, जबकि 2019-20 में यह 4.8% थी।

कौशल विकास की आवश्यकता

- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** 2025 तक भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्यबल होने का अनुमान है। यदि हम जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरी तरह से लाभ उठाना चाहते हैं, तो समग्र रणनीति में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था:** चूंकि भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है, इसलिए श्रम बल के भीतर नवाचार के स्तर को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्रशिक्षित मानव पूंजी महत्वपूर्ण है।
- **बेरोजगारी दर:** कम मजदूरी और उच्च बेरोजगारी दर सीधे संबंधित हैं, इसलिए बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कौशल विकास को भी संबोधित किया जाना चाहिए।
- **समावेशी आर्थिक विकास:** भारत के पास दूसरी सबसे बड़ी श्रम शक्ति है और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कुल आबादी में महिलाएं 49% हैं, इसलिए देश की आर्थिक सफलता के लिए महिलाओं का कौशल विकास महत्वपूर्ण है।
- **स्वचालन:** प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण और स्वचालन की प्रगति के परिणामस्वरूप कम-कुशल, कम-वेतन वाली नौकरियों में काम करने वाले व्यक्तियों को भी अपनी नौकरी खोने की संभावना है। इसलिए, औद्योगिक परिदृश्य में भविष्य में होने वाले बदलावों के लिए उन्हें तैयार करने के लिए आवश्यक क्षमताओं को विकसित करना महत्वपूर्ण है।
- **क्षेत्रीय संघटन:** जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा, कृषि में कम लोगों को काम करने की आवश्यकता होगी। परिणामस्वरूप, कृषि से द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों की ओर बढ़ते हुए, सभी क्षेत्रों में श्रम जुटाया जाएगा।

भारत में कौशल विकास के मुद्दे

- **बुनियादी शिक्षा की कमी:** एनएसओ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार, स्कूल या कॉलेज में नामांकित आठ छात्रों में से एक छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने से पहले ड्रॉप आउट हो जाता है, उनमें से 63% स्कूल के स्तर पर हैं।
- **अपस्किलिंग/रीस्किलिंग पर फोकस की कमी:** पीएलएफएस 2019-20 के अनुसार, 15 से 59 वर्ष की आयु के 86.1% लोगों ने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है: विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक चौनलों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों में से केवल 13.9%।
- **अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं:** एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में रसद, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण, आतिथ्य और ऑटोमोबाइल जैसे 20 उच्च विकास उद्योगों में प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी है।
- **कोविड-19 महामारी:** इसने अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बंद कर दिया है, जिससे लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं।

भारत कौशल रिपोर्ट 2022

- **रोजगारपरकता:** भारत में कुल मिलाकर युवाओं की रोजगार क्षमता पिछले साल की तुलना में बढ़कर 48.7% हो गई है।
- **पुरुष-महिला रोजगार:** रोजगार योग्य युवा आबादी में, 51.44% महिलाओं को अत्यधिक रोजगार योग्य पाया गया जबकि 45.97% पुरुषों को अत्यधिक रोजगार योग्य पाया गया।
- **राज्यवार रोजगार:** महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों के युवाओं को जनसांख्यिकीय प्रतिभा उपलब्धता के मामले में सबसे अधिक रोजगार योग्य माना गया।

सरकार द्वारा नीतिगत पहलें

- **दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना:** यह एक कुशल पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि को संबोधित करने के उद्देश्य से एक पहल है जो ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए स्थायी नियोजन सुनिश्चित करते हुए उद्योग भागीदारों की जरूरतों को पूरा करती है।
- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना:** आईटीआई के माध्यम से और शिक्षुता योजना के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण, कौशल प्रदान करने के लिए 2015 में प्रमुख योजना शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 2015 से लगभग 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित किया है।
- **कौशल के लिए तेजस पहल:** हाल ही में, दुबई एक्सपो 2020 में तेजस (ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स) की शुरुआत हुई, जो विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है।
- **कौशल में अनिवार्य सीएसआर व्यय:** 2013 के कंपनी अधिनियम के बाद से सीएसआर व्यय को अनिवार्य किया गया है, भारतीय फर्मों ने कई सामाजिक कारणों से 100,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया है।
- **आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (ASEEM):** यह एक ऐसा मंच है जिसे 2020 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (**MSDE**) द्वारा स्थायी आजीविका के अवसरों का पता लगाने में कुशल व्यक्तियों की सहायता करने के लिए शुरू किया गया था।
- उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन): पारंपरिक कला/शिल्प का संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता का निर्माण करना।

आगे की राह

- **अभिगम्यता:** मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आईटीआई का और विस्तार किया जाना चाहिए, और विशेष रूप से महिलाओं के लिए पहुंच बढ़ाने के लिए लिंग-विशिष्ट बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए।
- **निजी क्षेत्र की भूमिका:** देश के कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र को भी उत्तरदायी बनाएं। पाठ्यक्रम के निर्माण, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के वितरण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूल्यांकन और मान्यता में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर।
- **सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर करना:** उन पूर्वाग्रहों को मिटाने के लिए जो वर्तमान में देश में महिलाएं काम की तलाश में अनुभव करती हैं, मौलिक और सूक्ष्म सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को पहचानने और संशोधित करने के प्रयास करना महत्वपूर्ण है।
- **रोजगार के अवसर:** देश में काम की तलाश में महिलाओं को अभी भी जिन पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है, उन्हें खत्म करने के लिए, मौलिक और सूक्ष्म सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण को पहचानने और बदलने के लिए काम करना महत्वपूर्ण है।
- कौशल ऑन व्हील जैसी पहलों का उपयोग परिवहन और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए किया जा सकता है। ब्राजील में, अनुकरणीय कौशल ट्रक हैं जो देश के दूरस्थ, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल निर्देश प्रदान करते हैं।
- वर्टिकल मोबिलिटी: सर्टिफिकेट से डिप्लोमा से डिग्री तक व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों के लिए वर्टिकल मोबिलिटी सिस्टम की स्थापना। स्कूल स्तर से पीजी तक की संभावनाओं की पेशकश।
- **पूर्व शिक्षा की मान्यता:** अनौपचारिक प्रशिक्षण को पुनर्गठित करना महत्वपूर्ण है ताकि यह उन श्रमिकों के कौशल स्तर को प्रमाणित करे जिन्होंने अपने पूर्वजों से कौशल प्राप्त किया है। इससे उन्हें नौकरी पाने, वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्षत: शिक्षा की सहायता से स्वतंत्रता का जीवन संभव है, लेकिन समृद्धि केवल अपनी क्षमताओं के उपयोग से ही संभव है। अगले दस वर्षों में भारत के जनसंख्या पिरामिड के 15-59 आयु सीमा से अधिक होने का अनुमान है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह जनसांख्यिकीय लाभ केवल 2040 तक मौजूद रहेगा। भारत के पास अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने और अपनी प्रतिभा की कमी को दूर करने के लिए बहुत सीमित समय है। इसलिए, इसकी आबादी को कुशल बनाने और भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए ठोस प्रयास करना आवश्यक है।

गिग वर्कर

हाल ही में, नीति आयोग के शोध, "इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी" के अनुसार, वित्त वर्ष 30 तक भारत में 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स हो सकते हैं।



गिग वर्कर के बारे में

- एक गिग इकॉनमी मुक्त बाजार का एक रूप है जहां व्यवसाय अस्थायी आधार पर स्वतंत्र श्रमिकों को नियुक्त करते हैं और इसमें अस्थायी पद आम हैं।
- कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के अनुसार गिग वर्कर वह व्यक्ति है जो श्रम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से कमाता है।
- गिग इकॉनमी में श्रमिकों को प्लेटफॉर्म और गैर-प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
    1. **प्लेटफॉर्म वर्कर:** ये कर्मचारी वे हैं जिनकी नौकरियां डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप पर निर्भर करती हैं, जैसे फूड एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म **Zomato, Swiggy, Ola** और अन्य।
    2. **गैर-प्लेटफॉर्म कर्मचारी:** ये कर्मचारी आम तौर पर नियमित उद्योगों में अंशकालिक या पूर्णकालिक काम करते हैं, आकस्मिक वेतन पाते हैं और अपने स्वयं के खातों का उपयोग करते हैं।
    3. **इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन 2019:** फ्लेक्सी-स्टाफिंग के मामले में भारत, अमेरिका, चीन, ब्राजील और जापान के बाद दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश है।

'इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी' रिपोर्ट (नीति आयोग):

- **कार्यबल:** भारत के गिग कार्यबल के 2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़ होने की उम्मीद है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि गिग इकॉनमी ने 2020-21 में 77 लाख (7.7 मिलियन) कर्मचारियों को रोजगार दिया। वे भारत के कुल कार्यबल का 1.5% या गैर-कृषि कार्यबल का 2.6% हैं।
- **कार्य का प्लेटफार्मीकरण:** जैसे-जैसे गैर-गिग कार्य का प्लेटफॉर्मीकरण गिग कार्य में होता है, गिग श्रमिकों की उच्च रोजगार लोच उनकी बढ़ती मांग को प्रदर्शित करती है। 75% से अधिक व्यवसाय वर्तमान में 10% से कम गिग श्रमिकों का उपयोग करते हैं, लेकिन यह संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां लचीली रोजगार प्रथाओं का उपयोग करती हैं।
- **गिग श्रमिकों के लिए उच्च क्षमता वाले उद्योग:** निर्माण, निर्माण, खुदरा और परिवहन और रसद
- **गिग कार्यबल का कौशल स्तर:** वर्तमान में, मध्यम कुशल व्यवसायों में गिग कार्य का लगभग 47%, उच्च कुशल नौकरियों में लगभग 22% और कम कुशल नौकरियों में लगभग 31% का योगदान है।
- **कौशल ध्रुवीकरण:** रिपोर्ट कौशल के ध्रुवीकरण पर जोर देती है क्योंकि प्रवृत्ति मध्यम कौशल वाले श्रमिकों के अनुपात में धीरे-धीरे गिरावट दिखाती है जबकि कम कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों का अनुपात बढ़ रहा है।

गिग क्षेत्र के प्रमुख ड्राइवर

- **स्टार्ट-अप संस्कृति का उदय:** भारत का स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विस्तार कर रहा है और स्टार्ट-अप व्यवसायों के लिए पूर्णकालिक कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी उच्च निश्चित लागतों के कारण गैर-मुख्य कार्यों के लिए संविदात्मक फ्रीलांसरों का उपयोग किया जाता है।
- **बिजनेस मॉडल:** कई गिग कर्मचारी विभिन्न प्रकार के मुआवजे के मॉडल पर काम करते हैं, जिसमें निश्चित शुल्क, समय और प्रयास, और काम की वास्तविक इकाई और परिणाम की गुणवत्ता शामिल है। निश्चित शुल्क मॉडल सबसे लोकप्रिय है, लेकिन समय और प्रयास मॉडल इसके करीब है।
- **रिमोट वर्क फ्लेक्सिबिलिटी:** डिजिटल युग में, कर्मचारियों को अब एक निश्चित स्थान से काम करने की आवश्यकता नहीं है; इसके बजाय, वे अपने कार्यों को किसी भी स्थान से पूरा कर सकते हैं, जिससे व्यवसायों को स्थान की परवाह किए बिना सर्वश्रेष्ठ कर्मियों को चुनने की अनुमति मिलती है।
- **बदलती कार्य संस्कृति:** ऐसा लगता है कि सहस्राब्दी पीढ़ी एक बहुत ही अलग मानसिकता के साथ करियर के प्रति दृष्टिकोण रखती है। उन व्यवसायों का पीछा करने के बजाय जो उनकी आंतरिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, वे उस काम को करने की कोशिश करते हैं जो वे करना चाहते हैं।

- **तकनीकी प्रगति:** तकनीकी प्रगति के कारण, अनुबंध करना बहुत आसान हो गया है, जिससे लोगों को रोजगार और व्यवसाय दोनों को उन लोगों के साथ अधिक घनिष्ठता से बातचीत करने में सक्षम बनाया जा सकता है जो कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र निविदाकार हैं।
- **संविदात्मक कार्य की मांग:** महामारी के मद्देनजर परिचालन लागत बचाने के प्रयास में, अनुबंध श्रमिकों की मांग में वृद्धि ने विशेष रूप से विशेष परियोजनाओं के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) को नम्य भर्ती प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया है ।

मुद्दे और चुनौतियाँ

- **अभिगम्यता:** इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच एक सीमित कारक हो सकता है, भले ही गिग इकॉनमी हर किसी के लिए खुली है जो इस तरह के रोजगार के अवसरों की विस्तृत शृंखला के कारण इस तरह के रोजगार में संलग्न होने के लिए तैयार है।
- **नौकरी और आय की असुरक्षा:** गिग वर्कर्स वेतन, घंटे, काम करने की स्थिति और सामूहिक सौदेबाजी में शामिल होने की क्षमता को नियंत्रित करने वाले श्रम कानूनों के दायरे में नहीं आते हैं।
- **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं:** जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, विशेष रूप से महिलाएं जो ऐप के माध्यम से डिलीवरी और टैक्सी सेवाओं में काम करती हैं, वे कई व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों के अधीन हैं।
- **कौशल का सुमेल नहीं:** ऑनलाइन वेब-आधारित प्लेटफार्मों में अलग-अलग डिग्री के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कौशल बेमेल देखे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, अधिक शैक्षिक उपलब्धियों वाले श्रमिकों को हमेशा उनकी प्रतिभा के अनुरूप रोजगार नहीं मिल सकता है।
- **अनुबंध की शर्तों के कारण सामने आने वाली चुनौतियाँ:** सेवा समझौते की शर्तें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने की स्थिति के अधिकांश पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। वे अक्सर कर्मचारी और प्लेटफॉर्म के मालिक के बीच संविदात्मक व्यवस्था को रोजगार के अलावा कुछ और के रूप में वर्णित करते हैं।

नीति आयोग की सिफारिशें

- **गिग वर्कर्स का उचित अनुमान:** गिग इकॉनमी के पैमाने और गिग वर्कर्स की विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए, स्वतंत्र गणना प्रक्रियाओं का संचालन करें।
- **उत्प्रेरित प्लेटफॉर्माइजेशन:** प्लेटफॉर्म इंडिया पहल (स्टार्ट-अप इंडिया की तर्ज पर) का प्रारंभ , सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट और प्रोत्साहन, कौशल विकास और सामाजिक वित्तीय समावेशन द्वारा त्वरित प्लेटफॉर्माइजेशन के स्तंभों पर बनाया गया है।
- **वित्तीय समावेशन में तेजी लाना:** केवल प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं और अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की इच्छा रखने वालों के लिए बनाए गए वित्तीय समाधानों की पेशकश करके संस्थागत वित्तपोषण तक पहुंच में सुधार करना।
- **प्लेटफॉर्म जॉब्स के लिए कौशल विकास:** युवाओं और कर्मचारियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, प्लेटफॉर्म-आधारित, परिणाम-आधारित कौशल और नौकरी सृजन रणनीतियों का अनुसरण करें।
- **सामाजिक समावेश में वृद्धि:** लैंगिक संवेदनशीलता और पहुंच की जागरूकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को लागू करके आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक समावेश को बढ़ाएं।
- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज:** सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 की तर्ज पर साझेदारी मोड में सामाजिक सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के वैश्विक उदाहरणों और सुझावों से सीखें, जिसमें गिग श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए अस्वस्थता की स्थिति में वैतनिक छुट्टी, व्यावसायिक बीमारी और कार्य दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति/पेंशन योजना और अन्य आकस्मिकता लाभ शामिल हैं।

आगे की राह

- **सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करना:** प्लेटफॉर्म अपने कार्यस्थल या कार्य सहभागिता नीतियों के भाग के रूप में उन सभी कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अस्वस्थता अवकाश, स्वास्थ्य पहुंच और बीमा के उपायों को अपना सकते हैं, जो वे साल भर काम करते हैं, उसी तरह से जैसे फर्मों को विकसित किया गया है। कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित मुद्दों का समाधान करें। इन फर्मों द्वारा लगे प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवर की यह पेशकश सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगी।
- **व्यावसायिक रोग और कार्य दुर्घटना बीमा:** भारत में, डिलीवरी और ड्राइवर भागीदारों के साथ-साथ अन्य प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए रणनीतियाँ अपना सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की के अनुसार, इन्हें निजी क्षेत्र या सरकार के सहयोग से प्रदान किया जा सकता है।

- **सेवानिवृत्ति/पेंशन योजनाएं और अन्य लाभ:** सेवानिवृत्ति और वृद्धावस्था लाभ प्रदान करने वाली नीतियों को अपनाने के साथ-साथ कार्यस्थल की चोटों जैसी स्थितियों के लिए अन्य बीमा सुरक्षा, जिसके परिणामस्वरूप आय और रोजगार की हानि हो सकती है, को अपनाना आवश्यक है।
- **कॉर्पस फंड से आकस्मिकता कवर:** एक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ने 20 करोड़ रुपये का कॉर्पस लॉन्च किया। ऑटो-रिक्शा, कैब और टैक्सी चालकों की सहायता करने और उनकी आय पर लॉकडाउन के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए "ड्राइव द ड्राइवर फंड" नाम दिया। ये उपाय आकस्मिकता के मामले में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स और सेक्टर से जुड़े अन्य स्व-नियोजित व्यक्तियों का समर्थन कर सकते हैं।
- **निष्कर्षत:** एक गिग इकॉनमी में, श्रमिकों को फ्रीलांसिंग और अनुबंध कार्य के माध्यम से नियोजित किया जाता है। इस तरह, एक बड़े केंद्रीकृत कार्यबल की कोई आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में सक्रिय होना और इसे बढ़ने में मदद करना महत्वपूर्ण है। हमें ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है जो इस क्षेत्र के लिए कार्य करना आसान बनाएं।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में श्गिग इकॉनमीश की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (2021)

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता2020 सामाजिक सुरक्षा, सेवानिवृत्ति और कर्मचारी लाभ से संबंधित नौ विनियमों को समाहित करता है।

प्रमुख प्रावधान

- **विस्तारित कवरेज:** असंगठित क्षेत्र, निश्चित अवधि के कर्मचारी, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक आदि अब संहिता के विस्तृत दायरे में शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण:** इन सभी श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लक्ष्य के साथ स्व-प्रमाणन के आधार पर एक सीधी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए एक इंटरनेट पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा।
- **समान परिभाषाएँ:** सामाजिक सुरक्षा लाभ उद्देश्यों के लिए, वेतन की गणना लगातार की जाती है। इसने मजदूरी की व्यापक परिभाषा भी दी है।
- **परामर्शी दृष्टिकोण:** इसने अधिकारियों की ओर से एक सुविधाजनक दृष्टिकोण का नेतृत्व किया। इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर की यह नई भूमिका नियोक्ताओं को अनुपालन में सुधार के लिए मदद और सलाह लेने की अनुमति देगी।
- **सामाजिक सुरक्षा कोष:** इसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय सुविधा फंड के रूप में बनाया जाएगा।
- **कैरियर केंद्र:** मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने और रोजगार डेटा पर नजर रखने में मदद के लिए कैरियर केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- **कड़े दंड:** कर्मचारी अंशदान जमा करने में कोई भी विफलता 1,00,000 रुपयेका जुर्माना और साथ ही एक से तीन साल की जेल की सजाके अधीन है। बार-बार होने वाले अपराधों के लिए छुट की अनुमति नहीं है, बल्कि सख्त जुर्माने व सजा का प्रावधान है।

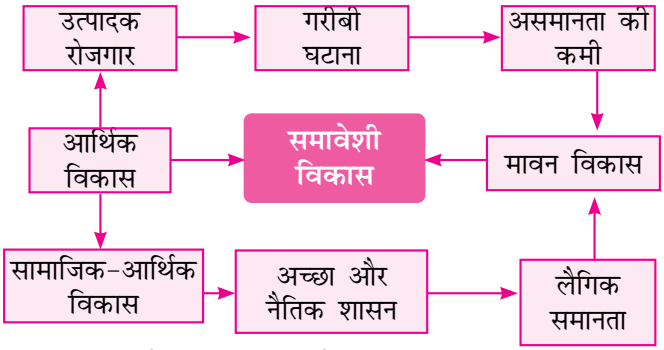
क्या आप जानते है?

- **ब्लू-कॉलर वर्कर:** एक व्यक्ति जो श्रमिक वर्ग में काम करता है और उसके श्रम के लिए प्रति घंटा भुगतान किया जाता है।
- **व्हाइट-कॉलर वर्कर:** एक वेतनभोगी पेशेवर, आमतौर पर सामान्य कार्यालय कर्मचारियों और प्रबंधन को संदर्भित करता है।
- **ग्रे-कॉलर वर्कर:** भले ही "ग्रे-कॉलर" शब्द का प्रयोग अक्सर उन लोगों के लिए किया जाता है जो सेवानिवृत्ति की आयु पार कर चुके हैं। यह श्रमिकों के शेष समूह को भी संदर्भित करता है जिन्हें व्हाइट या ब्लू-कॉलर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
- **गोल्ड-कॉलर वर्कर:** अत्यधिक कुशल, मेधा युक्त लोग, जो कंपनी के लिए अत्यधिक मूल्यवान हैं।
- **ग्रीन-कॉलर वर्कर:** एक कार्यकर्ता जो अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय क्षेत्रों में कार्यरत है।
- **पिंक-कॉलर वर्कर:** एक ऐसा काम जिसे परंपरागत रूप से महिलाओं का काम माना जाता है।
- **रेड-कॉलर वर्कर:** सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी।
- **ओपन-कॉलर वर्कर:** एक कार्यकर्ता जो घर से काम करता है, विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से।



8 समावेशी विकास

- **परिभाषा:** समावेशी विकास का अर्थ संसाधनों के उचित वितरण से है जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है। हालांकि, संसाधनों का यह वितरण समाज के अल्प और दीर्घकालिक वांछित लाभों पर केंद्रित होना चाहिए, जैसे कि उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता, रोजगार, जीवन की गुणवत्ता आदि।



योजनाबद्ध: समावेशी विकास चक्र

- **विश्व बैंक** - "समावेशी विकास, विकास की उस गति और पैटर्न को संदर्भित करता है, जो परस्पर अंतर्संबंधित हैं और संयुक्त रूप से संबोधित किए जाने चाहिए।"
- **UNDP** - यह, समावेशी विकास को "उस प्रक्रिया और परिणाम के रूप में परिभाषित करता है जिसमें सभी वर्ग विकास में भागीदारी करते हैं एवं इससे समान रूप से लाभान्वित होते हैं।"
- **OECD –** ऐसा आर्थिक विकास जो सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ावा देता है और मौद्रिक व गैर-भौतिक दोनों तरह की समृद्धि के लाभों को समान रूप से वितरित करता है, समावेशी विकास के रूप में जाना जाता है।
- **11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)** - पहली बार समावेशी विकास पर विशेष बल दिया गया था। बाद में इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा आगे बढ़ाया गया।
- **12वीं पंचवर्षीय योजना:** तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास पर केंद्रित थी।

समावेशी विकास की विशेषताएं

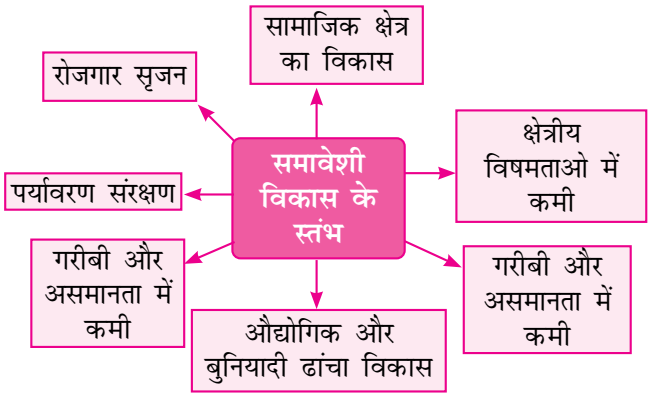
- बहिष्कृत और हाशिए पर रहने वाले लोगों को शामिल करना ।
- समाज के सभी वर्गों की भागीदारी।
- विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति आय में अंतर को कम करना।
- प्रकृति में भेदभाव रहित।
- गरीबी कम करने की अधिक क्षमता।
- लोगों की बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं तथा सेवाओं तक पहुंच की सुनिश्चितता।
- बुनियादी सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को शामिल करना।
- गरीब, कमजोर सामाजिक-आर्थिक समूहों और पिछड़े क्षेत्रों को शामिल करना।

समावेशी विकास की आवश्यकता

- **आर्थिक समृद्धि:** तीव्र और स्थायी रूप से गरीबी में कमी लाने के लिये समावेशी विकास आवश्यक है जो प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि में योगदान देने और उससे लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **सतत विकास:** समावेशी विकास के लिये गरीबी को खत्म करना आवश्यक है, लेकिन विकास दीर्घकालिक एवं स्थायी हो। इसके लिए, यह व्यापक रूप से उद्योगों पर आधारित होना चाहिए तथा इसमें देश की श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा संलग्न होना चाहिए।
- **विकास का पैटर्न:** कई शिक्षाविद समावेशी विकास को, विकास की दर और पैटर्न के रूप में वर्णित करते हैं, जिन्हें परस्पर अंतर्संबंधित माना जाता है और इसलिए इसे संयुक्त रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।
- **महिला सशक्तिकरण:** देश में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सभी जगह समान नहीं है। महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता है और वे अपने परिवारों पर पूरी तरह निर्भर होती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिये समावेशी विकास एक कुंजी है।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** यह अंतर-राज्य और अंतरा-राज्यीय प्रवास में वृद्धि का मूल कारण है। प्रवासन आवास, सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी चुनौतियों को बढ़ाता है।
- **आर्थिक संक्रमण:** अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था में बदलने की कुंजी वित्तीय समावेशन है।

- **दीर्घकालिक विकास:** दीर्घकालिक विकास के लिए समावेशी विकास के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।
- **रोजगार:** समावेशी विकास ऐसे आर्थिक विकास को संदर्भित करता है जो रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है और गरीबी को कम करने में सहायक होता है।
- **स्वास्थ्य और शिक्षा:** यह वंचितों के लिये बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। यह सभी के लिये समान अवसर सुनिश्चित करके, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर जोर देता है।
- **पर्यावरण स्थिरता:** यह ऐसी विकास प्रक्रिया को शामिल करता है जो पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ, सुशासन से युक्त और लैंगिक रूप से जागरूक समाज के निर्माण में सहायक होती है।

समावेशी विकास के तत्व



- **कौशल विकास:**
  - जनसांख्यिकीय लाभांश की उपयोगिता कामकाजी आबादी की रोजगार क्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल पर निर्भर करती है।
- **वित्तीय समावेशन:**
  - वित्तीय समावेशन, वंचित लोगों को सस्ती कीमतों पर वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने की प्रक्रिया है।
- समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह बचत की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो आर्थिक प्रगति का चक्र शुरू करता है।
- **तकनीकी प्रगति:**
  - दुनिया औद्योगिक क्रांति 4.0 युग की ओर बढ़ रही है।
  - तकनीकी अनुप्रयोग के तरीकों में असमानता को कम करने या बढ़ाने की क्षमता होती है।
- **आर्थिक विकास:**
  - भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में चक्रीय और संरचनात्मक मुद्दों के कारण मंद हो रही है।
  - हालांकि, 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य भारत में असमानता को कम करने, सामाजिक खर्च में सुधार करने और सभी के लिए रोजगार पैदा करने में मदद कर सकता है।
- **सामाजिक विकास:**
  - इसके अंतर्गत आबादी के सभी हाशिए वाले समूहों जैसे एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाता है।
  - अस्पतालों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी देखभाल हेतु, स्कूलों और विश्वविद्यालयों जैसे सामाजिक संस्थानों को अपग्रेड/उन्नयन करके सशक्तिकरण प्राप्त किया जा सकता है।
  - सामाजिक संरचनाओं में निवेश न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा (राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से), बल्कि भविष्य के लिए एक स्वस्थ और सक्षम कार्यबल का भी निर्माण करेगा।

समावेशी विकास : संवैधानिक अधिदेश

अनुच्छेद-38 (1)	• राज्य ऐसी **सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय** राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके **लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।**
अनुच्छेद-38 (2)	• राज्य, विशिष्टतया, **आय की असमानताओं को कम करने** का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की **असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।**

अनुच्छेद-39	**राज्य अपनी नीति का,विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से-** (क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को **समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन** प्राप्त करने का अधिकार हो; (ख) समुदाय के **भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण** इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप प्राप्त हो; (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे **धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संक्रेंद्रण न हो;** (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का **समान कार्य के लिए समान वेतन हो;**
अनुच्छेद-39 क	• राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि **विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो** और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।
अनुच्छेद-41	• राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, **काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं** में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
अनुच्छेद-42	• राज्य काम की **न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध** करेगा।
अनुच्छेद-46	• **राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों** के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा।
अनुच्छेद-47	• राज्य, **अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार** को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, **औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।**
अनुच्छेद-48	• राज्य, देश के **पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन** का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

समावेशी विकास के लिए दृष्टिकोण

1. **ट्रिकल डाउन दृष्टिकोण:** इस दृष्टिकोण के अनुसार विकास का लाभ जो धनी लोगों द्वारा उठाया जाता है स्वत: जनसँख्या के निचले हिस्से तक पहुंच जाते हैं। इसके अंतर्गत कंपनियों और धनी वर्ग के लिए कर में छूट और लाभ नीचे के स्तरों तक पहुंचेंगे।
2. **कल्याणकारी दृष्टिकोण:** कल्याणकारी दृष्टिकोण इस बात पर केंद्रित है संसाधनों और वस्तुओं का इष्टतम आवंटन हो और यह आवंटन समग्र सामाजिक कल्याण को किस प्रकार से प्रभावित करता है।
3. **बॉटम अप अप्रोच:** यह टॉप-डाउन पॉलिसी यानि ट्रिकल डाउनश दृष्टिकोण के विपरीत होता है। यह लोगों को विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
4. **जनसंपर्क दृष्टिकोण:** यह जनता को विकास प्रक्रिया में खुद को संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में है। इस समावेशी विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारकों का उपयोग शामिल है।

5. **समन्वित दृष्टिकोण:** कई समावेशी विकास परियोजनाओं को उनकी अवधारणा, वित्त पोषण और निष्पादन के लिए एक समन्वित रणनीति की आवश्यकता होती है। यहाँ कठिनाई यह सुनिश्चित करने में होती है कि प्राथमिकताओं और भूमिकाओं को विशेष रूप से सरकार के विभिन्न स्तर पर किस प्रकार व्यवस्थित किया जाये।

6. **रणनीतिक दृष्टिकोण:** समावेशी विकास के रणनीतिक दृष्टिकोण में समावेश को बढ़ावा देने के लिए केवल ष्एकष् या ष्सर्वश्रेष्ठष् तरीका मौजूद नहीं होता है। ऐसा कार्यक्रम जो श्रमिकों को श्रम बल में एकीकृत करता है, लैंगिक पूर्वाग्रह से निपटता है, सामाजिक नवाचार को बढ़ावा देता है, कम आय वाले परिवारों का समर्थन करता है और ग्रामीण तथा दूर के क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करता है, सभी समावेशी विकास में योगदान कर सकते हैं।



सतत विकास लक्ष्य और समावेशी विकास

- वर्तमान और भविष्य में लोगों एवं पृथ्वी की शांति और समृद्धि हेतु , सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा प्रदान किया गया है, जिसे 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा स्वीकार किया गया था। 17 सतत विकास लक्ष्य ,जो वैश्विक साझेदारी में विकसित और विकासशील सभी देशों के लिए तत्काल कार्यवाही का आह्वान हैं, इसके केंद्र में हैं।
- 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, लोगों और पृथ्वी हेतु वर्तमान और भविष्य में शांति एवं समृद्धि के लिए एक साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को शामिल करता है और सभी विकसित और विकासशील देशों द्वारा वैश्विक रूप से साझे कार्रवाई का आह्वान करता है।
- **सतत विकास लक्ष्य 8: आर्थिक विकास**

समावेशी विकास के आयाम

- **समानता:**
  - **समानता:** समानता का लक्ष्य सभी को संसाधनों, बाजारों और एक निष्पक्ष नियामक वातावरण तक समान पहुंच प्रदान करना है।
  - **प्रकार:** सामाजिक-आर्थिक असमानता, ग्रामीण-शहरी विभाजन, भौगोलिक असमानता, डिजिटल विभाजन आदि सहित कई अलग-अलग प्रकार की असमानताएं होती हैं।
  - **समावेशी विकास:** सबसे आदर्श रूप में समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए समानता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। समानता और समावेशी विकास के पारस्परिक प्रभाव होते हैं।
- **एक अच्छी सरकार:**
  - **अच्छी सरकार (Good Government):** प्रभावी और कुशल सरकार सार्वजनिक जुड़ाव, आम सहमति और समानता को बढ़ावा देते हुए न्याय, कानून के शासन और जवाबदेही का समर्थन करती है।
  - **प्रशासन और जवाबदेही:** समावेशी विकास में लोक प्रशासन और जवाबदेही सभी को सुशासन के माध्यम से शामिल किया जाता है; उदाहरण के लिए, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं वाले मुद्दे समावेशी विकास में बाधा डाल सकते हैं जो सामान्यत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के खराब शासन से जुड़े होते हैं।
- **विकेन्द्रीकरण:**
  - **स्व-शासन:** समावेशी विकास को बढ़ावा देने की विधियों में से एक स्व-शासन के स्थानीय संस्थानों को मजबूत करना है।
  - **संशोधन:** 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राजनीति में नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है।
  - **शक्ति:** पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी विकास का सूत्रधार बनाने के लिए संघीय और राज्य सरकारों को उन्हें अधिक शक्ति देनी चाहिए।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही**
  - **जवाबदेही:** यह सेवाओं के वितरण की प्रभावशीलता के लिए उपयोगी होता है। यह किये गए कार्यों के प्रभाव और परिणामों के संदर्भ में जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  - **सीमाएं:** जवाबदेही के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों सीमाएं होती हैं।
  - **जांच और संतुलन:** पहला एक सरकारी संस्थान के विभागीय पदानुक्रम को संदर्भित करता है और दूसरा स्वतंत्र एजेंसियों को संदर्भित करता है जो सरकारी कार्यों को नियंत्रित एवं संतुलित रखते हैं जैसे कैग, पीएमओ और अन्य संस्थाएं।

- **स्थिरता:**
  - **पर्यावरण:** समावेशी विकास के लिए भारतीय आर्थिक योजना के दीर्घकालिक परिणाम पर्यावरणीय लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं।
  - **जीवन स्तर:** भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास के बावजूद गरीबों के जीवन स्तर में गिरावट आई है।
  - **एलपीजी:** समावेशी विकास की चुनौतियों के अंतर्गत यह समझा गया है कि उदारीकरण, निजीकरण, और वैश्वीकरण (एलपीजी) ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को चौड़ा किया है।
  - **समावेशी विकास:** स्थिरता और समावेशी विकास को अलग-अलग पूरा करना असंभव है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं।

समावेशी विकास और 12वीं पंचवर्षीय योजना

- **पंचवर्षीय योजना:** भारत सरकार की 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक लागू की गई थी।
- **विकास दर:** बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 9% की वृद्धि दर प्राप्त करने की उम्मीद थी, हालांकि 27 दिसंबर, 2012 को, राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने बारहवीं योजना के लिए 8% की विकास दर को स्वीकार किया था।
- **योजना दस्तावेज में समावेशिता के निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा की गई है:**
  - **गरीबी में कमी के रूप में समावेशिता:** 11वीं योजना की तुलना में गरीबी दर में 10% की कमी आएगी।
  - **वर्ग समानता के रूप में समावेशिता:**
    - वास्तविक जीडीपी में 8% की वार्षिक वृद्धि दर।
    - कृषि में 4% की वृद्धि दर।
    - विनिर्माण में 10% की वृद्धि दर।
- **क्षेत्रीय संतुलन के रूप में समावेशिता:**
  - इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश सकल घरेलू उत्पाद (सकल सिंचित क्षेत्र) का 9% है। 103 मिलियन हेक्टेयर भूमि (90 मिलियन हेक्टेयर से)।
  - सभी के पास बिजली की उपलब्धता और कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान 20% तक कम होना।
  - सभी मौसम में गाँवों को जोड़े रखने वाली सड़कें,
  - कम से कम दो लेन वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग।
- **सशक्तिकरण के रूप में समावेशिता:**
  - स्कूल में बिताए गए वर्षों की औसत संख्या बढ़कर 7 वर्ष होना।
  - उच्च शिक्षा में, प्रत्येक आयु वर्ग के लिए 20 लाख सीटें उपलब्ध कराना।
  - शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25 और मातृ मृत्यु दर को 1 तक करके बाल लिंग अनुपात को 950 तक बढ़ाना।
  - कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को घटाकर 2.1 करना।
  - 0-3 आयु सीमा में बाल कुपोषण को एनएफएचएस-3 स्तर के आधे तक कम करना।

नीति आयोग और समावेशी विकास द्वारा भारत @75

- **न्यू इंडिया के लिए रणनीति @75:**
  - **नया भारत:** नीति आयोग की 'नए भारत के लिए रणनीति @75' नीति निर्माण और निष्पादन हेतु नवाचार, प्रौद्योगिकी, उद्यम और प्रभावी प्रबंधन को एकीकृत करने का एक प्रयास है।
  - **नीति पाठ्यक्रम:** यह चर्चा को बढ़ावा देगा और नीतिगत मुद्दों को सुलझाने के लिए मंच उपलब्ध कराएगा।
  - **जन आंदोलन:** इसके अनुसार लोगों की भागीदारी के बिना, आर्थिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए विकास के मुद्दे को एक जन आंदोलन के रूप में अपनाना चाहिए।
- **न्यू इंडिया @75 विजन के समावेशी विकास लक्ष्य इस प्रकार हैं:**
  - एक त्वरित, स्वच्छ, सुसंगत, व्यवस्थित विकास जो समावेशी हो, तथा जो 2022-2023 तक 9-10% तक हो।
  - 2022-2033 तक, समावेशी, टिकाऊ और भागीदारी युक्त विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
  - शहरी गरीब और झुग्गी निवासी, विशेष रूप से नए प्रवासी लोगों तक समावेशी शहरी विकास के माध्यम से शहरी सेवाओं की उपलब्धता।
  - स्कूलों को अधिक समावेशी बनाने के लिए भौतिक वातावरण (जैसे सुलभ टॉयलेट), प्रवेश प्रक्रियाओं और पाठ्यक्रम डिजाइन संबंधी बाधाओं को दूर करना।
  - सर्वाधिक भेद्य समुदायों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना।
  - लोगों के समीप नैदानिक, उपचारात्मक, पुनर्वास और देखभाल के लिए उच्च स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
  - नागरिकों को मूल में रखते हुए एक व्यापक-आधार वाला नीतिगत ढांचा विकसित करना।

समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप

ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित विकास	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 • मिशन अंत्योदय • मिशन अंत्योदय • राष्ट्रीय रूर्बन मिशन • प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण • प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (**PMAGY**) • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
सतत और समावेशी कृषि विकास	• पीएम किसान संपदा योजना • पीएम फसल बीमा योजना • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना • राष्ट्रीय कृषि बाजार • परम्परागत कृषि विकास योजना • राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)
भारत में गरीबी का मुकाबला करने के लिए समग्र दृष्टिकोण	• एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (**IRDP**) • जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना • काम के बदले अनाज कार्यक्रम • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) • अन्नपूर्णा योजना • सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन • राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
सामाजिक क्षेत्र का विकास	• मैला ढोने वालों के पुनर्वास की योजना (एसआरएमएस) • प्रधानमंत्री जन धन योजना • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) • प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)
	• आयुष्मान भारत योजना • मिशन इंद्रधनुष • प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (**PMSSY**) • मध्याह्न भोजन योजना
सार्वजनिक और निजी भागीदारी की भूमिका	• स्वच्छता उद्यमी योजना • सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास • सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इको-पर्यटन सुविधाएं • भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेल और शिक्षाविदों के लिए एकीकृत स्कूलों की स्थापना • सामाजिक क्षेत्र के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण में वृद्धि • भारतनेट की पीपीपी मोड संरचना
संतुलित क्षेत्रीय विकास	• 'आकांक्षी जिला' पहल प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना • एक जिला एक उत्पाद योजना • पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) • पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी 2007)

पर्यावरण बनाम विकास

- **पर्यावरणीय महत्व:**
  - आर्थिक महत्व: पर्यावरण द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी सेवाओं की विविधता पर्यावरण के आर्थिक महत्व को दर्शाती है। प्रोविजनिंग/प्रावधान सेवाएँ जैसे भोजन, सिंचाई, पीने का पानी इत्यादि।
  - पारिस्थितिक सेवा: पारिस्थितिक सेवाओं का उपयोग लाखों परिवारों और विकासात्मक पहलों द्वारा उत्पादन और उपभोग में किया जाता है।
  - पर्यावरण के लिए कोई लागत नहीं है: प्राकृतिक संसाधन तक पहुँच बिना किसी बंधन के सभी के लिये उपलब्ध हैं और कोई भी उपयोगकर्ता पर्यावरणीय गिरावट जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का दुरुपयोग होता है की सम्पूर्ण लागत से अकेले पीड़ित नहीं होता है।

- **विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - **अपरिहार्य:** यदि आर्थिक विकास के वांछित स्तर को प्राप्त करना है तो तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण अपरिहार्य होता है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिए भी इसे आवश्यक माना जाता है।
  - **पर्यावरण:** विशेष रूप से, बड़े पैमाने पर रोजगार और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय मानकों का त्याग किया जा रहा है।
  - **आय स्तर:** ऐसा भी माना जाता है कि पर्यावरणीय क्षरण को आय स्तर में वृद्धि तथा वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं में उन्नति के द्वारा पुन: बहाल किया जा सकता है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता और विकासात्मक कारक:**
- **पर्यावरणीय अनुपालन:** पर्यावरण मानकों का पालन करने में विफलता एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु दर अधिक होती है। किसी स्थान पर प्राकृतिक आपदाओं के खतरे का निष्पक्ष आकलन करने के लिए कोई भी गतिविधि शायद ही कभी गंभीरता से की जाती है।
- **सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव:**
  - **सब्सिडी:** सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए सब्सिडी प्रदान की है।
  - **पर्यावरण:** दूसरी ओर, ऊर्जा और बिजली जैसी सेवाओं पर रियायत इनके दुरुपयोग को बढ़ावा देता है और पर्यावरणीय स्थिरता को कमजोर करता है।
  - **विरोधाभास:** सब्सिडी, आय आधार को कम करके उभरती हुई तकनीकी में निवेश करने की सरकार की क्षमता को कम कर सकती है।
- **जनसंख्या गतिशीलता की जटिलता:**
  - **जनसंख्या:** बढ़ती आबादी, विकास और पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में अधिक चुनौतियाँ पैदा करती है।
  - **प्रोत्साहन:** इसके अलावा, गरीबी बड़े परिवारों को प्रवास हेतु प्रोत्साहित करती है, जिससे महानगरीय क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से अस्थिर हो सकते हैं।
  - **तनाव:** अधिक जनसंख्या एवं प्रवास ने संसाधनों पर अधिक दबाव डाला, पर्यावरण की गुणवत्ता को खराब और उत्पादकता को कम किया है जबकि गरीबी को और बढ़ाया है ।

अमर्त्य सेन - विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव:

- **सहसंबंध:** अमर्त्य सेन के अनुसार, आर्थिक समृद्धि की जांच सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा सहायता, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं की व्यापकता, शिक्षा की गुणवत्ता, अपराध और पर्यावरणीय गुणवत्ता जैसी अन्य विशेषताओं के आधार पर की जानी चाहिए।
- **पूरक:** आर्थिक संवृद्धि के मापन को जन कल्याण के इन अन्य घटकों के साथ पूरित करना महत्वपूर्ण है।
- **एकीकरण:** पर्यावरण और विकास नीतियों को एकीकृत और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

समावेशी विकास प्राप्त करने में चुनौतियां

- **गरीबी:**
  - **बहुआयामी गरीबी सूचकांक:** बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 2018 के अनुसार, भारत ने 2005-06 और 2015-16 के बीच 271 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, जिससे सबसे गरीब क्षेत्रों, समूहों और बच्चों को अधिक लाभ हुआ।
  - **अभाव:** अनेक उपलब्धियों के बावजूद, 373 मिलियन भारतीय अत्यधिक अभावों का सामना करते हैं। इसके अलावा, 8.8% आबादी गंभीर बहुआयामी गरीबी में जबकि 19.3% बहुआयामी गरीबी के प्रति अतिसंवेदनशील हैं।
- **बेरोजगारी:**
- **श्रम बल सर्वेक्षण:** एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, शहरी बेरोजगारी दर 7.8% थी, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 5.3% थी, जिससे समग्र बेरोजगारी दर 6.1% हो गई।
- **कारण:** निरक्षरता और कृषि पर अति-निर्भरता के कारण, भारत में रोजगार, कम संख्या में होने के साथ ही खराब गुणवत्ता वाले हैं।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था:** 80% से अधिक व्यक्ति अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के कार्य करते हैं।
- **कृषि प्रतिगमन (Agriculture Regression):**
- **रोजगार:** कृषि 44% से अधिक भारतीयों को रोजगार उपलब्ध कराती है, लेकिन यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 16.5% का योगदान देती है, परिणामस्वरूप यह गरीबी में भूमिका निभाती है।

- **कृषि मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता में कमी
  - रोजगार भागीदारी में धीरे-धीरे कमी
  - श्रम उत्पादकता में कमी आदि।
- **सामाजिक विकास के मुद्दे:**
  - **सामाजिक विकास:** समावेशी विकास के प्राथमिक विचारों में से एक सामाजिक विकास है। हालांकि, इसमें कई मुद्दे शामिल हैं, जैसे:
    - क्षेत्रीय, सामाजिक-आर्थिक और लैंगिक मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।
    - सार्वजनिक खर्च विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा में कम है।
    - उपलब्ध सेवाओं की खराब गुणवत्ता।
    - ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम सामाजिक सूचकांक में काफी पिछड़े हुए हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:**
  - चुनौती: भारत में क्षेत्रीय असमानता चिंता का एक प्रमुख कारण हैं। जाति व्यवस्था, संपत्ति का स्वामित्व आदि जैसे कारक क्षेत्रीय असमानताओं में योगदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक ऐसा समाज बनता है जिसमें कुछ समूहों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होते हैं।
- **उदाहरण:** भौगोलिक असमानताओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:
- **केरल** 93.1% की साक्षरता दर के साथ सबसे साक्षर राज्य है, जबकि बिहार में साक्षरता दर केवल 63.82% है।
- 2018 में, गोवा की प्रति व्यक्ति आय 4,67,998 रुपये थी, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 43,822 रुपये थी।

मापन (सूचकांक और रिपोर्ट) समावेशी विकास

समावेशी विकास सूचकांक	• **सबसे कम समावेशी:** विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के समावेशी विकास सूचकांक (आईडीआई) में, भारत ने 74 उभरते देशों में से 62 वां स्थान हासिल किया है। यह, जी 20 समूह में सबसे कम समावेशी देशों में से एक है। • **पैरामीटर:** समावेशी विकास सूचकांक की स्थापना इस आधार पर की गई है कि अधिकांश व्यक्ति जीडीपी के बजाय अपने जीवन स्तर के आधार पर अपने देश का विकास मापते हैं। • **कारक:** यह वृद्धि, विकास और गरीबी के आधार पर असमानता की गणना करता है।

सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआई)	• यह सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों का एक समग्र सूचकांक है जिसमें शामिल हैं:
	  ○ मानव आवश्यकता
	  ○ प्रसन्नता
	  ○ अवसर
	• **सूचकांक की सीमाएँ:**
	  ○ गैर-बाजार गतिविधियों को जीडीपी में शामिल नहीं किया गया है।
	  ○ पर्यावरण, समानता, आदि जैसे कारक शामिल नहीं हैं।
	  ○ केवल आय असमानताओं पर विचार किया जाता है; सामाजिक असमानता, अवसर की असमानता और इसी तरह की अन्य असमानताओं को बाहर रखा गया है।

वैश्विक दासता सूचकांक:	• **प्रकाशक:** द वॉक फ्री फाउंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इसे जारी किया है। • **परिभाषा:** आधुनिक दासता एक परिदृश्य को संदर्भित करती है जिसमें एक व्यक्ति ने दूसरे के शरीर को नियंत्रित और शोषण करने के लिए उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया है।

भारत में समावेशी विकास योजनाओं के संबंध में चिंताएं

- **खाद्य सुरक्षा:** तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद, भारत के खाद्य सुरक्षा से संबंधित आंकड़े चिंताजनक हैं।
- **कुपोषण:** यूनिसेफ के एक हालिया अनुमान के अनुसार, भारत में कुपोषण से संबंधित बीमारियों के परिणामस्वरूप पांच साल से कम उम्र के कम से कम दस लाख बच्चे मर जाते हैं।
- **सर्वाधिक प्रभावित:** कुपोषण के मामले में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियां और ग्रामीण आबादी सबसे अधिक प्रभावित है।
- **राज्य:** मध्य प्रदेश और राजस्थान सर्वाधिक गंभीर कुपोषण प्रभावित राज्य हैं।
- **सामाजिक उद्यम:** यह भारत के समावेशी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, गरीबी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद, इन्हें आधिकारिक या कानूनी रूप से भारत में एक क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

- **भूमि सुधार:** भूमि सुधार की असफलता समावेशी विकास और न्याय प्राप्त करने में भारत की विफलता के प्राथमिक कारणों में से एक है।
- **सामुदायिक विकास:** गांव के समग्र विकास पर लक्षित एक सुनियोजित सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अभाव।
- **रोजगार:** बढ़ती आबादी को उचित वेतन पर उचित कार्य के अवसर प्रदान करने में असमर्थता।
- **शिक्षा:** स्कूली शिक्षा की उपेक्षा और वंचित बच्चों की अच्छी शिक्षा हेतु विशेष प्रयासों का अभाव।
- **कृषि:** लगभग 60% कार्यबल द्वारा रोजगार और निर्वाह के लिए कम उत्पादकता वाली कृषि और अन्य क्षेत्रों पर निर्भरता।

आगे की राह

- **शिक्षा:**
  - **अनुसंधान:** औद्योगिक देशों में विकास के कारकों जैसे भौतिक पूंजी और श्रम, शिक्षा आदि के बारे में कई अनुभवजन्य महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हैं।
  - **शिक्षा:** अनुसंधान के अनुसार, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा और भौतिक पूंजी आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
  - **संस्थान:** कौशल और मानव संसाधन के विकास के लिये प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जाना चाहिए।
  - **निजी संस्थान:** निजी संस्थान इन अवधारणाओं को अपने साथ एकीकृत कर सकते हैं।
- **असमानताओं का उन्मूलन:**
  - **वितरण:** धन के असमान वितरण के कारण, समाज में विभिन्न वर्गों के बीच एक महत्वपूर्ण सामाजिक अंतर विद्यमान है।
  - **लिंकेज:** वास्तव में, आर्थिक प्रगति और सामाजिक असमानताएं अटूट रूप से संबद्ध हैं। ऐसे में सरकार की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
  - **कारण:** सरकार को उन कारणों की खोज करनी चाहिए जिससे ऐसी असमानताओं के कारण और इसके संभावित परिणामों का पता चल सके। यह उचित कार्यवाही करने में सरकार की सहायता कर सकता है।
- **संस्थागत ढांचा:**
  - **दृष्टिकोण:** लोगों के सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण को बदलना होगा।
  - **संरचना:** संस्थागत ढांचा अल्प विकसित देशों के विकास के लिए बेहतर है।
  - **उन्नति:** एक देश के लोगों के अन्दर उन्नति करने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, साथ ही इसके सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक संस्थानों को इसके अनुकूल होना चाहिए; लेकिन एक अल्प विकसित देश में इनकी कमी होती है। ऐसे में एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की जरूरत होती है।
  - **आकार:** इसमें व्यवसायों के आकार को बढ़ाने और श्रम बाजार का समन्वय करने पर जोर दिया जाता है। सरकार को परिवहन, संचार एवं बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए।
- **परिवार नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य:**
  - **स्वास्थ्य:** एक स्वस्थ आबादी एक कुशल कार्यबल के रूप में राज्य की शक्ति होती है।
  - **कर्तव्य:** सरकार को अपने प्रमुख कर्तव्य के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना और संरक्षण करना चाहिए।
  - **मुख्य कदम:** स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ाना, रुके हुए और दूषित जल को हटाना, सीवेज निपटान में सुधार करना और संक्रामक बीमारी के प्रसार को सीमित करने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना शामिल है।
- **कृषि विकास:**
  - **कृषि:** यह भारत में 34 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। यह वह क्षेत्र है जिस पर अधिकांश अन्य क्षेत्र निर्भर करते हैं, क्योंकि कई व्यवसाय कच्चे माल के लिए इस पर निर्भर होते हैं।
  - **जीडीपी:** यह क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 25% हिस्सा और देश में आजीविका का प्राथमिक स्रोत है।
  - **कृषि विकास:** सरकार को कृषि विकास में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

विश्व आर्थिक मंच और समावेशी विकास

- **रणनीतियाँ:** विश्व आर्थिक मंच ने सामाजिक समावेश और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ाने के लिए तीन व्यावहारिक रणनीतियों का प्रस्ताव दिया है:
  1. **सार्वजनिक और निजी:** राष्ट्रों को अपने नागरिकों की क्षमता निर्माण में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह दीर्घकालिक रूप से उनकी उत्पादकता दर को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है।

2. **श्रम:** सरकारों को नियोक्ताओं और श्रमिकों के समूहों के सहयोग से राष्ट्रीय श्रम कानूनों और संस्थानों में सुधार करना चाहिए। इन सभी का रोजगार, वेतन, क्रय शक्ति और अर्थव्यवस्था में कुल मांग पर प्रभाव पड़ता है।
3. **निवेश:** सरकार को सम्पूर्ण समाज को लाभान्वित करने वाले श्रम-गहन आर्थिक क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। इन क्षेत्रों में जल, ऊर्जा, डिजिटल व परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचा, देखभाल क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षण और प्रशिक्षण इत्यादि शामिल हैं।

निष्कर्ष

- भारतीयों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को गरीबी को खत्म करने और सतत विकास प्राप्त करने के लिये मिलकर कार्य करना चाहिए। एक समावेशी और न्यायसंगत विकास को अंतरराष्ट्रीय संगठन, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रों के साथ रचनात्मक सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य _____ है। (2014)

(*a*) समावेशी विकास और गरीबी में कमी
(*b*) समावेशी और सतत विकास
(*c*) बेरोजगारी को कम करने के लिए सतत और समावेशी विकास
(*d*) तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास

2. निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से 'समावेशी शासन' का हिस्सा कहा जा सकता है? (2012)

1. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति देना।
2. सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियों की स्थापना करना।
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ाना।
4. मध्याह्न भोजन योजना का सुदृढ़ीकरण।

नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1 और 2
(*b*) केवल 3 और 4
(*c*) केवल 2, 3 और 4
(*d*) 1, 2, 3 और 4

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में, समानता के इंट्रा पीढ़ीगत एवं इंटर पीढ़ीगत विषयों की व्याख्या कीजिए। (2020)

2. समावेशी संवृद्धि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या भारत इस तरह की संवृद्धि प्रक्रम का अनुभव करता रहा है? विश्लेषण कीजिए और समावेशी संवृद्धि के लिये उपाय सुझाएं। (2017)

3. भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों जिसमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय सुझाईये। (2016)

4. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) बैंक रहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिये तर्क दीजिये। (2016)

5. पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व समृद्धि तक निर्देशित किया है। फिर भी यह अक्सर अदूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है तथा धनवान और निर्धन के बीच विस्तृत असमानताओं को बढ़ाता है। इसके प्रकाश में, भारत में समावेशी संवृद्धि को लाने के लिये क्या पूंजीवाद में विश्वास करना और उसको अपना लेना सही होगा? चर्चा कीजिए। (2014)

❖ ❖ ❖

9 धन और मुद्रा प्रणाली

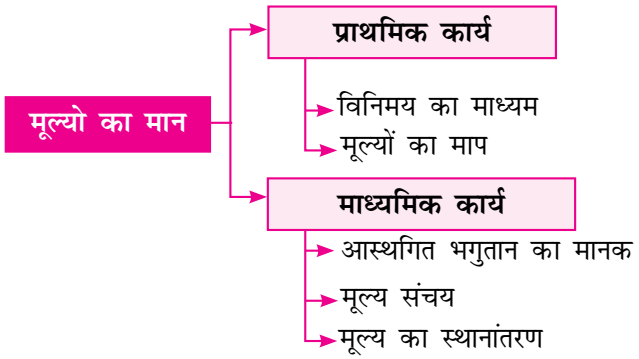
धन का अर्थ

- वस्तु और सेवाओं के भुगतान या ऋणों के निपटान के रूप में मुद्रा, विनिमय का सामान्य रूप से स्वीकृत माध्यम है।
- पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं है, यह विनिमय का माध्यम, माप की एक इकाई और मूल्य के भंडार के रूप में अपना मूल्य प्राप्त करता है।
- पैसा किसी परिसंपत्ति का सबसे तरल रूप है, जिसे बाजार में आसानी से बेचा जा सकता है और इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

धन का कार्य

प्राथमिक कार्य

- विनिमय का माध्यम – यह वस्तुओं या लेन-देन के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। इसके निम्नलिखित गुण हैं:



  - वैधानिक निविदा के रूप में सार्वभौमिक स्वीकृति।
  - दीर्घ काल तक टिकाऊ है।
  - शक्ति और लोगों की पहचान।
  - नकल करना मुश्किल।
- **मूल्य का माप** – जिसे खाते की इकाई के रूप में भी माना जाता है, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के सामान्य माप का आदान-प्रदान किया जाता है। धन की विभाज्यता और वैकल्पिकता के कारण वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बीच सापेक्ष तुलना संभव है।
- **विभाज्य** – यहाँ तक कि अगर छोटी वृद्धि में विभाजित किया जाता है, तो यह आइटम मूल्य से अधिक सटीक रूप से मेल खा सकता है। उदाहरण के लिए, सौ के 5 नोट और 500 के 1 नोट की राशि समान यानी 500 रुपये है।
- **प्रतिमोच्य** – एक ही प्रकार की संपत्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ एक परिसंपत्ति की अदला-बदली करने की क्षमता। उदाहरण के लिए, 100 रुपये के 2 नोट समान मात्रा में सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं।

द्वितीयक कार्य

- **आस्थगित भुगतानों का मानक:** ऋणों के भुगतान का अस्थायी स्थगन जिसका भुगतान भविष्य की तारीख में धन का उपयोग करके किया जा सकता है।
- **मूल्यों का हस्तांतरण:** धन का मूल्य पूरे देश में समान रहता है और यह हस्तांतरणीय होता है। उदाहरण के लिए, रु 500 रुपये की नकदी देश के किसी भी कोने में जमा और स्थानांतरित की जा सकती है, जबकि उनका मूल्य समान रहता है।
- **मूल्य संचय (Store of Value):** धन को भविष्य में उपयोग के लिए बचत और निवेश के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बैंकों और डाकघरों में बचत खाते या निवेश के रूप में कोई संपत्ति खरीदना।

मुद्रा का विकास

वस्तू विनिमय प्रणाली → वस्तु मुद्रा → धात्विक मुद्रा → कागज मुद्रा → बैक मुद्रा → आभासी मुद्रा

वस्तु विनिमय प्रणाली

- मुद्रा की मध्यस्थता के बिना वस्तुओं के एक सेट का दूसरे सेट के लिए विनिमय। उदाहरण के लिए, एक किलो गेहूं के आटे को एक किलो चावल के साथ बदल देना।

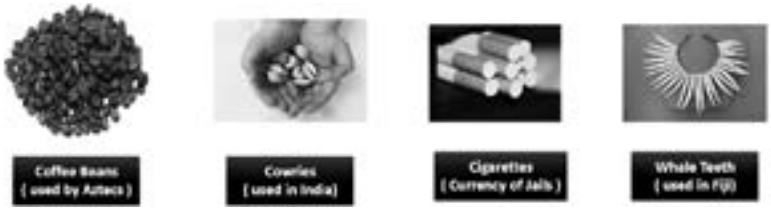
लाभ	नुकसान:
• विनिमय का सबसे सरल रूप। • कोई धन संकेन्द्रण नहीं। • विदेशी मुद्रा व्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं।	• 'इच्छाओं के दोहरे संयोग' से ग्रस्त है, जहाँ बदले में दोनों पक्षों के पास एक दूसरे के उत्पाद या अधिशेष की पूरक मांगें हैं। उदाहरण के लिए, गेहूँ का किसान रोटी खरीदना चाहता है और एक बेकर जिसे गेहूँ चाहिए, यहाँ दोनों अपनी आवश्यक आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं • विनिमय के सामान्य माध्यम के अभाव में वस्तुओं के सीधे क्रय का कोई प्रावधान नहीं है। • कोई पूंजी बचत नहीं। • नाशवान वस्तुओं का आदान-प्रदान, कई बार अपव्यय का कारण बनता है। • विभाज्यता की असंभवता।

मुद्रा बनाम वस्तु विनिमय प्रणाली

मापदंडों	वस्तु विनिमय प्रणाली	मुद्रा
नाशवान	हाँ, सब्जियों और फलों जैसी वस्तुओं के लिए।	नहीं, यह लंबे समय तक बना रह सकता है। उदाहरण के लिए, कागजी मुद्रा तथा सिक्के।
इच्छाओं का दोहरा संयोग	आवश्यक शर्त।	आवश्यक नहीं।
विभाज्यता	कठिन	उच्च विभाज्यता
भंडारण की लागत	उच्च, वस्तुओं की नाशवान प्रकृति को देखते हुए	तुलनात्मक रूप से कम।
सार्वभौमिक स्वीकार्यता	नहीं	हाँ
आस्थगित भुगतान	संभव नहीं	भुगतान के संभावित अस्थायी स्थगन
चलनिधि	कम	उच्च
वैकल्पिकता	कम	उच्च

वस्तु मुद्रा

- पैसे का मूल्य अंतर्निहित वस्तु से प्राप्त होता है।
- उनका आंतरिक मूल्य हो सकता है, स्वयं में उपयोग या सामान खरीदने में मूल्य हो सकता है।
- उदाहरण के लिए, कॉफी बीन्स, कौड़ी, व्हेल के दांत आदि।



- **हानि:**
  - स्टोर करने और स्थानांतरित करने में समस्या।
  - अंकित मूल्य क्षेत्रों के अनुसार भिन्न हो सकता है।
  - द्रव्य मुद्रा के लिए विभाज्यता और वैकल्पिकता कठिन हैं।
  - आम तौर पर, वे प्रकृति में नाशवान होते हैं।

धातु मुद्रा

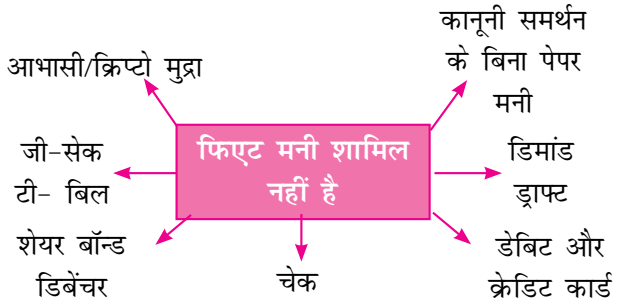
- यह सोने और चांदी जैसी शुद्ध और उच्च मूल्य की धातुओं से बना है।
- अंकित मूल्य की तुलना में इसका आंतरिक मूल्य अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, 10 पैसे के धातु के चांदी के सिक्कों को पिघलाने पर उच्च आंतरिक मूल्य हो सकता है।
- सोने के सिक्के सबसे पहले इंडो यूनानियों और कुषाणों द्वारा जारी किए गए थे, हालांकि गुप्त सोने के सिक्के शानदार थे – वीणा बजाते हुए राजा की आकृति।
- **लाभ:**
  - उच्च आंतरिक मूल्य।
  - अक्षय
  - कुछ हद तक विभाज्यता और वैकल्पिकता संभव है।
- **नुकसान:**
  - ले जाने के लिए भारी।
  - उच्च भंडारण और परिवहन लागत।
  - वास्तविक मूल्य के लिए तस्करी।

क्या आप जानते हैं?

- **अंकित मूल्य:** मुद्रा की अन्य इकाइयों के सापेक्ष सिक्के का कानूनी रूप से परिभाषित मूल्य। इसे घटक धातु को बेचने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 10 रुपये की कागजी मुद्रा का अंकित मूल्य 10 है।
- **आंतरिक मूल्य:** एक सिक्के के भीतर घटक धातु का बाजार मूल्य जो स्वयं घटक धातु की बिक्री से प्राप्त किया जा सकता है।

कागजी मुद्रा:

- कागजी मुद्रा जो किसी भी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं है, लेकिन इसका मूल्य सरकार के आदेश से प्राप्त होता है।
- कागजी मुद्रा को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है इसलिए इसे अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी ऋणों और भुगतानों को निपटाने के लिए कानूनी निविदा माना जाता है।
- कागजी मुद्रा का आंतरिक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम है।
- **प्रतिनिधि धन** – जब कानूनी मुद्रा सोने या चांदी के मानकों द्वारा समर्थित हो।
- **शून्य ब्याज के साथ बेनामी बियरर बॉन्ड** – जब केंद्रीय बैंक द्वारा कागजी मुद्रा का समर्थन किया जाता है और यह 'धारक को इतने रुपये की राशि का भुगतान करने' का वादा करता है ।
- उदाहरण के लिए, भारतीय रुपया, यूरो, पाउंड, यूएस डॉलर, आदि।
- भारत में कागजी मुद्रा दो संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है:
  - सिक्के और रु. 1 नोट – **सिक्का अधिनियम,** 1906 के तहत भारत सरकार द्वारा।
  - बैंक नोट – भारतीय रिजर्व बैंक **अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा।**
- RBI अधिनियम, 1934 केंद्रीय बैंक को संचलन से किसी भी नोट को वापस लेने के लिए भारत सरकार को सिफारिशें करने का अधिकार देता है। चलन से नोटों को वापस लेने की प्रक्रिया को विमुद्रीकरण के रूप में जाना जाता है ।
- आजादी के बाद, भारत ने अब तक तीन बार नोटबंदी की कवायद की है।
- कागजी मुद्रा के साथ समस्या:
  - मुद्रा के मूल्य में कमी के कारण मुद्रा की अधिक छपाई के परिणामस्वरूप अति मुद्रास्फीति हो सकती है।
  - स्टोर और परिवहन के लिए भारी।
  - नकली होने का खतरा है, इसलिए नकली नोटों के प्रचलन का मुद्दा
  - आसानी से छोटी-छोटी वृद्धियों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिससे समस्याओं का पूर्णांकन हो जाता है। उदाहरण के लिए, किराना बिल में बदलाव की समस्या के कारण 60 पैसे के बदले ग्राहकों को वापस नहीं किया जाता है।
- कागजी मुद्रा में **शामिल नहीं है:**



बैंक मुद्रा

- देश के केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित धन को बैंक धन कहा जाता है।
- बैंक धन में शामिल हैं – चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी और आरटीजीएस।
- लाभ:
  - त्वरित और आसान लेनदेन निपटान।
  - आस्थगित भुगतान का विकल्प।

- नकल करना मुश्किल।
- परिवर्तन का कोई मुद्दा नहीं, सटीक राशि का भुगतान किया जा सकता है।
- कार्ड खो जाने पर फ्रीज किया जा सकता है।
- उच्च मूल्य भुगतान के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त।

आभासी/क्रिप्टोकरेंसी

- एक प्रकार की अनियमित डिजिटल मुद्रा जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है।
- यह एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के भीतर कार्यान्वित होता है जिसे केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है।
- इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर, मोबाइल या कंप्यूटर एप्लिकेशन के माध्यम से ही संग्रहीत और संचालित किया जा सकता है।
- सभी आभासी मुद्राएँ डिजिटल मुद्राएँ हैं, लेकिन इसके विपरीत नहीं, क्योंकि डिजिटल मुद्रा एक बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की जाने वाली एक साधारण मुद्रा है।
- उदाहरण के लिए, बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन आदि

मुद्रा के प्रकार

- **कानूनी निविदा** – केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण या सरकार द्वारा जारी किया गया मुद्रा जिसे किसी के द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- **विश्वास्य मुद्रा** – वह मुद्रा जो प्राप्तकर्ता और भुगतानकर्ता के बीच भरोसे द्वारा समर्थित होता है। इसलिए इसे कानूनी निविदा के रूप में घोषित नहीं किया गया है; लोगों को इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास्य धन जारी करने वाला वादा करता है कि यदि वाहक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो वह कमोडिटी या फिएट मुद्रा के साथ इसका आदान-प्रदान करेगा। उदाहरण- चेक।
- **वाणिज्यिक बैंक मुद्रा** – वित्तीय संस्थानों के विरुद्ध दावे जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है। यह आंशिक रिजर्व बैंकिंग के माध्यम से बनाया गया है।
  - **फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग** – वह प्रक्रिया जिसमें एक वाणिज्यिक बैंक किसी व्यक्ति की वास्तविक मुद्रा के मूल्य से अधिक मूल्य का ऋण देता है।
  - यह वाणिज्यिक बैंक द्वारा उत्पन्न ऋण है जो वास्तविक धन या वस्तुओं या सेवाओं के लिए विनिमय किया जाता है।
- क्रेडिट धन – जिसमें मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से अधिक है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा के अर्थ का सही वर्णन करता है? (2018)

(*a*) वह पैसा जो कानूनी मामलों की फीस चुकाने के लिए अदालत में दिया जाता है।

(*b*) वह धन जो एक लेनदार अपने दावे के निपटान में स्वीकार करने के लिए मजबूर है।

(*c*) चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज आदि के रूप में बैंक का पैसा।

(*d*) किसी देश में संचलन में धातु का पैसा।

मुद्रा का सृजन

- **मुद्रा की आपूर्ति** – किसी देश की अर्थव्यवस्था में मापी गई तिथि पर लोगों के पास मुद्रा की कुल राशि और बैंकों में जमा राशि।
  - उपभोक्ता इकाई (CU) और डिमांड ड्राफ्ट (DD) या सावधि जमा के मूल्यों में परिवर्तन के साथ मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन होता है।
  - मुद्रा आपूर्ति (M1) = CU + DD
- आरबीआई (मौद्रिक प्राधिकरण) और वाणिज्यिक बैंकों की विभिन्न कार्रवाइयाँ, यहाँ तक कि बैंकों में नकदी और जमा रखने की सार्वजनिक प्राथमिकता भी मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करती है।
- **मुद्रा आपूर्ति पर पड़ने वाले इन प्रभावों को निम्नलिखित प्रमुख अनुपातों से समझा जा सकता है**
- करेंसी डिपॉजिट रेशियो (CDR) – जनता के पास मौजूद करेंसी का उनकी बैंक डिपॉजिट से अनुपात। यह विशुद्ध रूप से एक व्यवहार पैरामीटर है जो लोगों की तरलता या नकदी के लिए वरीयता को दर्शाता है। ब्क्त बढ़ जाता है, उदाहरण के लिए, अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए त्योहारी सीजन के दौरान।
- रिजर्व डिपॉजिट रेशियो (RDR) – कुल जमा का अनुपात जो वाणिज्यिक बैंक रिजर्व के रूप में रखते हैं।
- रिजर्व धन को या तो बैंक में वॉल्ट कैश के रूप में रखा जा सकता है या आरबीआई के पास जमा किया जा सकता है।
- बैंक में किसी व्यक्ति की जमा राशि का एक हिस्सा आरक्षित रखा जाता है और शेष विभिन्न निवेश परियोजनाओं के लिए ऋण दिया जाता है। इस रिजर्व का उपयोग खाताधारकों द्वारा नकदी की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है।
- आरबीआई द्वारा स्वस्थ आरडीआर के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण, जैसे:

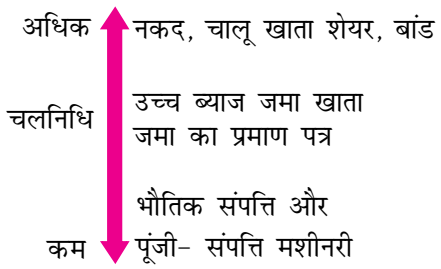
- **नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio (CRR))**- जमा का एक अंश जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना चाहिए।
- **वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio (SLR))** मांग जमा और सावधि जमा का एक अंश जिसे बैंकों को निर्दिष्ट तरल संपत्ति - नकदी, सोना, आदि में अपने पास रखना चाहिए।
- **बैंक दर** - RDR के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग की जाने वाली ब्याज दर, जब एक वाणिज्यिक बैंक भंडार से कम चलता है, तो वह बैंक दर पर आरबीआई से पैसा उधार ले सकता है।
- **वाणिज्यिक बैंक** - वे लोगों से जमा स्वीकार करते हैं और इस धन को उधारकर्ता को ब्याज दर पर उधार देते हैं।
- **उधार दर** - बैंकों द्वारा जमा धारकों को दी जाने वाली ब्याज की दर।
- **उधार दर** - ऋण के लिए निवेशकों को बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज की दर।
- **स्प्रेड** - उधार दर और उधार दर के बीच के अंतर को स्प्रेड के रूप में जाना जाता है, जिसे बैंकों द्वारा उनके लाभ के रूप में विनियोजित किया जाता है।
- **माँग दो प्रकार की होती है** -
  - **डिमांड डिपॉजिट** - जो खाताधारक की मांग पर बैंकों द्वारा देय होता है। उदाहरण: बचत और चालू खाते।
  - **जमा** - ऐसी जमाएँ जिनकी परिपक्वता अवधि निश्चित होती है। उदाहरण: सावधि जमा।

मुद्रा निर्माण

- वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बैंक अतिरिक्त भंडार उधार देकर चेक करने योग्य जमा (पैसा) बनाते हैं। बैंकों द्वारा सृजित धन की कुल राशि उपलब्ध अतिरिक्त भंडार की राशि और केंद्रीय बैंक द्वारा निर्दिष्ट जमा राशि के बैकअप के लिए निर्दिष्ट आरक्षित आवश्यकता अनुपात पर निर्भर करती है।

- **तरलता** (Liquidity) - यह उस आसानी को संदर्भित करता है जिस पर किसी संपत्ति को उसके बाजार मूल्य को प्रभावित किए बिना तैयार नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। मुद्रा सभी संपत्तियों में सबसे अधिक तरल है।

  तरलता का क्रम: धन/मुद्रा > मांग जमा > बचत जमा > सावधि जमा।



विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित तरल संपत्तियों पर विचार करें: (2013)

1. बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट।
2. बैंकों के साथ सावधि जमा।
3. बैंकों के पास बचत जमा।
4. मुद्रा

तरलता के घटते क्रम में इन संपत्तियों का वर्तमान क्रम है:

(*a*) 1-4-3-2

(*b*) 4-3-2-1

(*c*) 2-3-1-4

(*d*) 4-1-3-2

मुद्रा की अहमियत

- मुद्रा के मूल्य को मुद्रा की क्रय शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि मुद्रा की एक इकाई के साथ खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है।
- मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शक्ति सामान्य कीमत स्तर के विपरीत होती है। अर्थात, जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, तो सामान्य मूल्य स्तर गिरता है, और विपरीत होने पर इसका उलटा होता है।
- उदाहरण के लिए , एक निश्चित समय पर, 10 रुपये में 2 कैडबरी चॉकलेट खरीदी जा सकती थी, लेकिन सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि के साथ, अब रु। 10 केवल एक कैडबरी खरीद सकते हैं। यह मुद्रा की क्रय शक्ति के क्षरण के कारण है।

मुद्रा की मांग

- पैसा सभी संपत्तियों में सबसे अधिक तरल है, जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है, और किसी भी वस्तु के लिए इसका आदान-प्रदान किया जा सकता है।

- हालांकि, इसकी नकद में आयोजित होने की अवसर लागत है। अगर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाया जाता है, तो उस पर ब्याज कमाया जा सकता है।
- मुद्रा **बैलेंस की मांग , जिसे तरलता वरीयता के रूप में** भी जाना जाता है, लेनदेन की मांग और सट्टा मांग से बना है।
- मांगे गए पैसे की मात्रा लेनदेन की मात्रा पर आधारित होती है, जो बदले में किसी व्यक्ति की आय पर निर्भर करती है।
- **आय में वृद्धि → मुद्रा की माँग में वृद्धि**
- **उच्च ब्याज दर → मुद्रा की माँग घट जाती है**
- **लोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए मुद्रा शेष रखना चाहते हैं:**
  - **लेन-देन का मकसद** - पैसा रखने का प्राथमिक मकसद दिन-प्रतिदिन के लेन-देन को अंजाम देना है। उदाहरण के लिए, पैसा किराने का सामान, बर्तन, बस या ट्रेन टिकट, सब्जी या फल आदि खरीदने के लिए रखा जाता है।
    - अर्थव्यवस्था में मुद्रा की लेन-देन की मांग **को कंपनियों और व्यक्तियों के वर्तमान लेनदेन के लिए आवश्यक मुद्रा की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।**
    - कीन्स के अनुसार, **आय स्तर मुद्रा की लेन-देन की माँग को निर्धारित करता है।** आय का स्तर जितना अधिक होगा, लेन-देन के लिए धन का आकार उतना ही बड़ा होगा।
    - आय के अलावा, मुद्रा के लिए लेन-देन की मांग निर्भर करती है:
    - **ब्याज दर** - इसका विपरीत संबंध है।
    - **ब्याज दर में वृद्धि → मुद्रा रखने की लागत बढ़ जाती है → लोगों की धारित राशि घट जाती है।**
    - **ब्याज दर में कमी → मुद्रा रखने की लागत कम हो जाती है → लोगों के पास पैसे का उच्च स्तर होता है।**
    - **मूल्य स्तर - सीधा संबंध।**
    - मूल्य में वृद्धि → भुगतान लेनदेन को पूरा करने के लिए अधिक मुद्रा धारण करना।
    - मूल्य में कमी → कम धनराशि रखी जाती है।
- एक अर्थव्यवस्था में वार्षिक लेन-देन के कुल मूल्य में सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं में लेन-देन शामिल हैं जो सांकेतिक जीडीपी से अधिक है।
- सांकेतिक जीडीपी में वृद्धि का तात्पर्य लेनदेन के कुल मूल्य में वृद्धि से है।

क्या आप जानते हैं?

- स्टॉक : यह किसी विशिष्ट समय पर मौजूद मात्रा की माप है जो अतीत में जमा हो सकती है। उदाहरण के लिए, पैसे का स्टॉक लोगों के पास एक निश्चित समय पर होता है।
- प्रवाह : इसे समय के अंतराल पर मापा जाता है, इकाई समय के अनुसार मापा जाता है। उदाहरण के लिए, लेन-देन का मूल्य एक व्यक्ति एक निश्चित समय - महीने, तिमाही या वर्ष में कर सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. मुद्रा की आपूर्ति समान रहती है जब मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है, तो _____ होगी (2013)

(*a*) कीमतों के स्तरों में गिरावट।

(*b*) ब्याज दर में वृद्धि

(*c*) ब्याज दर में कमी

(*d*) आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि

- **सट्टा मकसद** - जब लोग शेयर, बॉन्ड या किसी जोखिम भरे निवेश में निवेश करने के बजाय पैसा रखना पसंद करते हैं।
  - बाजार के उतार-चढ़ाव की अलग-अलग व्याख्याओं के आधार पर लोग भविष्य के रिटर्न का अनुमान लगाते हैं।
  - कीन्स के अनुसार, **ब्याज की दर जितनी अधिक होगी, मुद्रा की सट्टा माँग उतनी ही कम होगी।**
  - जब ब्याज दर बढ़ती है, तो लोग निकट भविष्य में ब्याज दर में कमी की उम्मीद करते हैं। ब्याज दर में कमी के साथ, बॉन्ड की कीमतें बढ़ेंगी, इसलिए निवेशक तब तक बॉन्ड रखेंगे जब तक कि ब्याज दर का एहसास नहीं हो जाता।
  - इसी तरह, जब **ब्याज दरें गिरती हैं,** तो लोग उनसे निकट भविष्य में बढ़ने की उम्मीद करते हैं। **ब्याज दर में वृद्धि के साथ**, बांड की कीमत गिर जाएगी, इसलिए **निवेशक तब तक पैसा रोके रखेंगे** जब तक कि बांड की कीमत में गिरावट का एहसास नहीं हो जाता।

सट्टा मांग और तरलता जाल

- **तरलता जाल** - अर्थव्यवस्था में बहुत कम ब्याज दर की स्थिति जहाँ लोग भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने और बाद में बांड की कीमत में गिरावट की उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके बजाय, यह पूंजीगत हानि का कारण बनता है। इसलिए, कम ब्याज दरों के कारण लोग निवेश करने के बजाय पैसा रखना पसंद करते हैं।
- **बांड** - एक निर्दिष्ट अवधि में भविष्य के मौद्रिक रिटर्न के लिए वादा करने वाला एक पेपर।

- **एहतियाती मकसद** – जब लोग अप्रत्याशित परिस्थितियों या आकस्मिकता की स्थितियों में उपयोग के लिए पैसा रखते हैं।
  - कीन्स के अनुसार, एहतियाती मांग को पूरा करने के लिए, लोग बचत खाते, साथ ही कुछ स्टॉक और कमोडिटीज भी रखते हैं।
  - आकस्मिकता की स्थिति से होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए लोग एहतियाती संतुलन रखते हैं।
  - यह आय के आकार, ऋण की उपलब्धता और ब्याज दर पर निर्भर करता है।

मुद्रा की मांग के निर्धारक

- **प्रचलित मूल्य स्तर** – उच्च मूल्य स्तर या ब्याज दर मुद्रा की मांग में कमी (और इसके विपरीत)।
- **मुद्रास्फीति का स्तर** – उच्च मुद्रास्फीति के स्तर से मुद्रा की मांग में कमी आई; क्योंकि लोग खर्च के बजाय बचत करना पसंद करते हैं।
- **प्रयोज्य आय** – उच्च प्रयोज्य आय उच्च खर्च करने की प्रवृत्ति मुद्रा की उच्च मांग।
- एक अर्थव्यवस्था में **नवाचार स्तर।**

अवसर लागत

- **अवसर लागत** को एक लाभ के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे एक निर्णय किए जाने पर एक व्यक्ति छोड़ देता है; एक लाभ जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता था, लेकिन कार्यवाही के दूसरे तरीके से छोड़ दिया।
- **आर्थिक लागत** के रूप में भी संदर्भित किया जाता है , यह सबसे आकर्षक विकल्प और चुने गए विकल्प के रिटर्न के बीच का अंतर है।
- हवा और पानी जैसी **मुफ्त वस्तुओं की अवसर लागत शून्य है।**
- **सार्वजनिक वस्तुओं की अवसर लागत शून्य नहीं है।** सार्वजनिक वस्तुओं के मामले में अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ता से करदाता को हस्तांतरित की जाती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. यदि कोई वस्तु सरकार द्वारा जनता को निःशुल्क प्रदान की जाती है, तो: (2018)

(*a*) अवसर लागत शून्य है।

(*b*) अवसर लागत पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(*c*) अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से करदाता जनता को हस्तांतरित की जाती है।

(*d*) अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से सरकार को हस्तांतरित की जाती है।

मुद्रा की आपूर्ति – मौद्रिक समुच्चय

- **मुद्रा आपूर्ति, जिसे मौद्रिक सकल** के रूप में भी जाना जाता है, एक विशेष समय पर संचलन में धन का कुल भंडार है।
- मुद्रा की आपूर्ति को 'मुद्रा **स्टॉक**', 'मुद्रा का स्टॉक', 'मुद्रा **सप्लाई**' और 'मुद्रा **की मात्रा' के रूप में भी जाना जाता है।**
- मुद्रा आपूर्ति का वर्गीकरण, जैसा कि त्ठप् द्वारा प्रकाशित किया गया है, अर्थात M0 के साथ M1, M2, M3 और M4 है।
- मुद्रा सप्लाई, मुद्रा मल्टीप्लायर (एम) और रिजर्व मुद्रा का उत्पाद है।

आरक्षित मुद्रा (M0)

- **रिजर्व मुद्रा (M0)** अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार है जिसमें चलन में मुद्रा, RBI के पास बैंकर की जमा राशि और RBI के पास अन्य जमा शामिल हैं।
- इसे हाई-पावर मुद्रा , मौद्रिक आधार, बेस मुद्रा आदि के रूप में भी जाना जाता है।
- आरबीआई के साथ 'अन्य' जमाराशियों में शामिल हैं:
  - अर्ध-न्यायिक और वित्तीय संस्थानों की जमा राशि।
  - विदेशी केंद्रीय बैंकों और सरकार के खाते में शेष राशि।
  - IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के खातों में शेष राशि।

रिजर्व मुद्रा = प्रचलन में मुद्रा + आरबीआई के पास बैंकरों की जमा राशि + आरबीआई के पास 'अन्य' जमा।

संकीर्ण/नैरो मुद्रा (एम1 और एम2)

- M1 और M2 को नैरो मुद्रा के रूप में माना जाता है, इसमें करेंसी नोट, सिक्के और वाणिज्यिक बैंकों में जनता द्वारा रखी गई डिमांड डिपॉजिट शामिल हैं।
- अत्यधिक तरल मुद्रा और बैंक इस मुद्रा से अपने उधार कार्यक्रम नहीं चला सकते।
- **M1 = जनता के पास करेंसी + बैंकिंग सिस्टम के पास डिमांड डिपॉजिट + आरबीआई के पास 'अन्य' डिपॉजिट।**
- **M2 = M1 + डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा।**

ब्रॉड मुद्रा (M3 और M4)

- M3 और M4 को ब्रॉड मुद्रा माना जाता है।
- **M3 = M1 + बैंकिंग सिस्टम के साथ नेट टाइम डिपॉजिट।**

- **M3 को कुल मौद्रिक संसाधन** के रूप में भी जाना जाता है, यह डाकघर बचत बैंकों के सावधि जमा के बिना व्यापक मुद्रा है और आमतौर पर मुद्रा आपूर्ति के उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है।
- 'नेट' का तात्पर्य है कि बैंक द्वारा धारित जनता के जमा को ही मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया जाना है, अंतरबैंक जमा को मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा नहीं माना जाता है।
- **M4 = M3 + डाकघर बचत बैंकों में सभी जमा (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों को छोड़कर)।**

तरलता:

M1 > M2 > M3 > M4

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित पर विचार करें:

1. जनता के पास मुद्रा
2. बैंकों के पास मांग जमा
3. बैंकों के साथ सावधि जमा

इनमें से कौन ब्रॉड मुद्रा (M3) में शामिल हैं?

(*a*) 1 और 2
(*b*) 1 और 3
(*c*) 2 और 3
(*d*) 1, 2 और 3

2. भारत में मुद्रा आपूर्ति के कुछ घटक निम्नलिखित हैं:

1. जनता के पास मुद्रा
2. बैंकों के पास सकल मांग जमा
3. बैंकों के पास कुल सावधि जमा
4. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 'अन्य' जमा

उपरोक्त में से कौन भारत में नैरो मुद्रा (M1) के घटक हैं?

(*a*) 1, 2 और 3
(*b*) केवल 2 और 4
(*c*) 1, 2 और 4
(*d*) केवल 1 और 4

उच्च शक्ति मुद्रा

- हाई पावर मुद्रा देश के मौद्रिक प्राधिकरण, आरबीआई की कुल देनदारी है।
- आरबीआई की देनदारियाँ:
  - जनता के बीच चलन में नोट और सिक्के।
  - आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों की तिजोरी नकद।
  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित भारत सरकार और वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि।
- आरबीआई को किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित मुद्रा का उत्पादन करने पर नोट पर छपे आंकड़े के बराबर मूल्य का भुगतान करना होगा। इसी तरह, जमा धारकों की मांग पर आरबीआई द्वारा जमा राशि वापस की जाती है।
- आरबीआई की इन देनदारियों को सोने और विदेशी भंडार वाली संपत्तियों द्वारा समर्थित होना चाहिए।
- इस प्रकार,

  मुद्रा की आपूर्ति = मुद्रा + जमा

  $M = CU + DD = (1 + cdr)\ DD$

  Where,

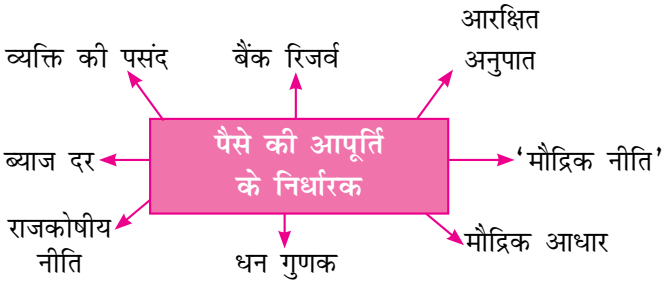
  CU = मुद्रा

  DD = नेट डिमांड डिपॉजिट

  $cdr = CU/DD$
- केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा को श्हाई पावर धनश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह आम तौर पर 'भंडार' का समर्थन करती है और इसके मूल्य की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है।
- भारत में हाई पावर मुद्रा के स्रोत हैं:
- आरबीआई - 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के मूल्यवर्ग के साथ मुद्राएं जारी करता है, जिसे आरबीआई 'रिजर्व धन' कहता है।
- भारत सरकार - सभी मूल्यवर्ग के सिक्के और एक रुपये का नोट।

मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक

- **मौद्रिक आधार** - संचलन में मुद्रा की कुल राशि और केंद्रीय बैंक में वाणिज्यिक बैंक जमा के रूप में। सिस्टम में जितनी अधिक आरक्षित मुद्रा होगी, मुद्रा की आपूर्ति उतनी ही अधिक होगी।



- **मौद्रिक नीति** - महंगी (कठोर) मौद्रिक नीति ने बाजार में मुद्रा आपूर्ति को कम कर दिया, जबकि सस्ती मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा देती है।
- **व्यक्ति की वरीयता** - उनकी आय का हिस्सा जितना अधिक बैंक में जमा होता है, धन की आपूर्ति उतनी ही कम होती है।

- **राजकोषीय नीति** – कराधान और व्यय ओवरहेड परिवर्तन से मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन होता है।
  - उच्च कराधान मुद्रा आपूर्ति को **कम करता है।**
  - घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रा आपूर्ति को **बढ़ाती है।**
  - जी-सेक की बिक्री में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में **कमी आएगी।**
- **व्यापार – चक्र** – बूम चक्र में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जबकि मंदी के चक्र में, धन की आपूर्ति कम हो जाती है।
- **धन मल्टीप्लायर:** क्रेडिट क्रिएशन के रूप में अर्थव्यवस्था में पैसा बनाना, जो आंशिक रिजर्व बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है।
- **ब्याज दर** – उच्च ब्याज दर, कम धन की आपूर्ति क्योंकि यह लोगों द्वारा उधार लेने को हतोत्साहित करती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से किस उपाय के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? (2012)

1. सेंट्रल बैंक द्वारा जनता से जी-सेक की खरीद।
2. जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करना।
3. सेंट्रल बैंक से सरकार द्वारा उधार।
4. सेंट्रल बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री।

सही कूट का चयन करें:

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2 और 4

(*c*) 1 और 3

(*d*) 2, 3 और 4

मुद्रा गुणक

- **मुद्रा** गुणक को व्यापक मुद्रा की अधिकतम राशि के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आधार मुद्रा और आरक्षित अनुपात की निश्चित राशि के लिए बनाया जा सकता है।
- मौद्रिक गुणक के रूप में भी संदर्भित किया जाता है , जमा की राशि में किसी भी परिवर्तन से धन आपूर्ति प्रभावित होने की अधिकतम सीमा होती है।
- यह उच्च-शक्ति वाले मुद्रा के स्टॉक की कुल मुद्रा आपूर्ति का अनुपात है।
- मुद्रा गुणक = मुद्रा आपूर्ति ÷ मौद्रिक आधार

$$\text{Money Multiplier} = \frac{M}{H} = \frac{1+cdr}{cdr+rdr} > 1$$

M – मुद्रा का भंडार; H – उच्च-शक्ति वाले मुद्रा का भंडार
CDR – करेंसी डिपॉजिट रेशियो; RDR – रिजर्व डिपॉजिट रेशियो

- मुद्रा गुणक 1 से अधिक है।
- एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा रखे गए कुल जमा का सीडीआर-सी/डीडी अनुपात, और आरडीआर मुद्रा गुणक के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं।
- मुद्रा गुणक प्रभाव साख निर्माण की परिघटना के कारण होता है, जो इस प्रकार है:
- जब किसी बैंक को । राशि की जमा राशि प्राप्त होती है, तो उसका कुल आरक्षित भंडार बढ़ जाता है।
- जमा धारकों की निकासी मांगों को पूरा करने के लिए बैंक को हाथ में $r \times A$ के बराबर राशि रखने की आवश्यकता होती है। (r = आवश्यक आरक्षित अनुपात (required reserve ratio))।
- इसे A – (r × A) के बराबर ऋण के रूप में अतिरिक्त भंडार का विस्तार करने की अनुमति है।
- जब उधारकर्ता बैंक में पूरी ऋण राशि रखता है (मान लिया जाता है), तो वह अपने कुल रिजर्व को A – (r × A) के बराबर राशि से बढ़ा देता है।
- फिर से, इस रिजर्व से, बैंक को इस दूसरे दौर की जमा राशि का एक अंश केंद्रीय बैंक के पास रखना आवश्यक है, और बाकी को ऋण के रूप में बढ़ाया जा सकता है।
- यह चक्र चलता रहता है और अंततः जमाओं में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। इसके विपरीत, जमा में कमी के साथ मुद्रा आपूर्ति घट जाती है।
- इस प्रकार, **धन गुणक = 1/ आवश्यक आरक्षित अनुपात (R)** आवश्यक आरक्षित अनुपात (**R**) जमा राशि का वह अंश है जिसे बैंक को अपने पास रखने की आवश्यकता होती है।
- **उच्च आवश्यक रिजर्व अनुपात • कम अतिरिक्त रिजर्व • बैंक ऋण के रूप में कम उधार दे सकता है • कम धन गुणक**

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ता है? (2019)

(*a*) नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि

(*b*) जनसंख्या की बैंकिंग आदत में वृद्धि

(*c*) वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि

(*d*) देश की जनसंख्या में वृद्धि

मुद्रा संचलन का वेग

- **मुद्रा संचलन का वेग** – यह एक निश्चित अवधि के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की औसत इकाई परिचालित होने की संख्या का एक उपाय है।
- किसी निश्चित समयावधि में धन के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने की औसत संख्या।
- उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी दुकानदार से 10 रुपये का पेन खरीदा है, तो वह उसी 10 रुपये के नोट का उपयोग चॉकलेट खरीदने के लिए करता है, तो उसी करेंसी नोट ने 20 रुपये का कार्य किया।
- **मुद्रा के वेग को प्रभावित करने वाले कारक:**
- **आय वितरण:** गरीब लोग अपने मुद्रा का तुरंत उपयोग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इस प्रकार उनके हाथों में मुद्रा का वेग बहुत अधिक होता है।
- **व्यापार चक्र:** व्यापार चक्र के तेजी के चरण में, जिसकी उच्च मांग और आपूर्ति होती है जो उच्च आर्थिक लेनदेन की ओर ले जाती है। इस प्रकार, बूम चरण में मुद्रा संचलन का उच्च वेग होता है।
- **ईएमआई वरीयता:** खरीदारी के लिए ईएमआई ऋणों के उपयोग से मुद्रा का वेग अधिक होगा।
- **विकसित देश:** उच्च व्यय पैटर्न और सरकार की सामाजिक सुरक्षा में विश्वास के परिणामस्वरूप विकसित देशों में मुद्रा परिसंचरण का उच्च वेग होता है।

भारत में क्रेडिट निर्माण

- एक बैंक या तो ऋण देकर या प्रतिभूतियों को खरीदकर क्रेडिट बना सकता है।
- बैंक जमा का कुछ हिस्सा तरल नकदी के रूप में रखते हैं, जिसे कैश रिजर्व कहा जाता है। यह आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता में है।
- अतिरिक्त या अधिशेष को बैंकों द्वारा ऋण और अग्रिम के रूप में दिया जा सकता है।
- **द्वितीयक या व्युत्पन्न जमा** – बैंक ऋण लेने वाले के नाम पर एक जमा खाता खोलता है, जब वे ऋण का विस्तार करते हैं, इस जमा को द्वितीयक या व्युत्पन्न जमा के रूप में जाना जाता है।
- ऋण देने के बाद जमा की गई राशि को क्रेडिट मल्टीप्लायर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार, द्वितीयक जमा से क्रेडिट बनाया जाता है।
- क्रेडिट गुणक इंगित करता है कि प्राथमिक जमा कितनी बार गुणा होता है और सीआरआर का व्युत्क्रम होता है।
- **क्रेडिट की आवश्यकता से आता है:**
  - **मांग पक्ष** – उपभोक्ताओं को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे सरल संपत्ति हासिल करने के लिए क्रेडिट की आवश्यकता होती है।
  - **आपूर्ति पक्ष** – लंबी अवधि के निवेश के लिए कॉर्पोरेट्स से ऋण की मांग।
- **ऋण के प्रकार:**
  - **वाणिज्यिक ऋण** – आपूर्ति पक्ष को अचल संपत्तियों को प्राप्त करने और व्यवसाय को बनाए रखने जैसे उद्देश्यों के लिए दिया जाता है।
  - **व्यक्तिगत ऋण** – मांग पक्ष को दिया जाता है, आम तौर पर उपभोग और टिकाऊ वस्तुएं प्राप्त करने के लिए।
  - **किश्त क्रेडिट** – क्रेडिट राशि अग्रिम रूप से तय की जाती है और या तो चरणों में या एक बार में वितरित की जाती है। लेकिन इसे किस्तों में चुकाया जाता है।
  - **ऑपरेटिंग क्रेडिट** – संचालन के लिए दैनिक क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाता है। बैंक क्रेडिट सीमा तय करते हैं और एक चालू खाता प्रदान करते हैं जहाँ से पैसा निकाला जा सकता है।
  - **प्राप्य वित्त** – वित्त के बिल के रूप में दिया गया।

मुद्रा के प्रकार

बाजार में मुद्रा की प्रकृति को इंगित करने के लिए विभिन्न शब्दावली का उपयोग किया जाता है।

दुर्लभ मुद्रा	• अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जिसमें सबसे ज्यादा आस्था दिखाई जाती है और इसकी जरूरत हर अर्थव्यवस्था को होती है। • दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी उच्च स्तर की तरलता है। • यह हमेशा दुर्लभ होता है। • उच्चतम और विविध निर्यात वाली अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के लिए बाध्यकारी आयात करती है, इसकी मुद्रा की उच्च मांग पैदा करती है और यह कठिन मुद्रा बन जाती है। • उदाहरण: यूएस डॉलर (यूएसडी), यूरो, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, आदि।

सुलभ मुद्रा	• मुद्रा जो किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध है। • उदाहरण के लिए, भारतीय रुपया भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में एक सुलभ मुद्रा है।
उष्ण मुद्रा	• यह किसी भी दुर्लभ मुद्रा का अस्थायी नाम है। • यदि कोई कठोर मुद्रा किसी अर्थव्यवस्था से कुछ समय के लिए तीव्र गति से बाहर निकल रही है, तो उसे ऊष्ण मुद्रा कहा जाता है। • उदाहरण के लिए, दक्षिण पूर्व एशियाई संकट के दौरान अमेरिकी डॉलर ऊष्ण हो गया था।
उष्मित मुद्रा	• घरेलू मुद्रा जो मूल्यह्रास के पर्याप्त दबाव (गर्मी) में है क्योंकि एक दुर्लभ मुद्रा की अर्थव्यवस्था से बाहर निकलने की उच्च प्रवृत्ति है। • इसे 'मुद्रा अंडर हीट' या 'अंडर हैमरिंग' के रूप में भी जाना जाता है।
सस्ती मुद्रा	• अर्थशास्त्री कीन्स द्वारा कहा जाता है, अगर कोई सरकार अपनी परिपक्वता से पहले अपने बॉन्ड को फिर से खरीदना शुरू कर देती है, तो जो पैसा अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होता है, उसे सस्ती मुद्रा या सस्ता पैसा कहा जाता है। • इसे बैंकिंग उद्योग में तुलनात्मक रूप से कम/नरम ब्याज दरों की अवधि के रूप में माना जाता है।
महंगी मुद्रा	• सस्ती मुद्रा के विपरीत, जब कोई सरकार बॉन्ड जारी करती है, तो वह धन जो जनता से सरकार को या अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से प्रवाहित होता है, उसे महंगी मुद्रा या महंगा धन कहा जाता है। • इसे बैंकिंग उद्योग में तुलनात्मक रूप से उच्च/महंगी ब्याज दरों की अवधि के रूप में माना जाता है।
हेलीकाप्टर पैसा	• मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा प्रस्तुत एक काल्पनिक अवधारणा । • इसमें देश के केंद्रीय बैंक को करेंसी नोट छापने और लोगों को मुफ्त में वितरित करने का काम शामिल है। • इसका उद्देश्य मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देना है।

भारत में मुद्रा

- **ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी** के शासन के दौरान भारत में पहली बार कागजी मुद्रा जारी की गई थी।
- जारी की गई पहली कागजी मुद्रा **1 रुपये का नोट था।**
- 18वीं शताब्दी के अंत में, पहले कागजी नोट निजी **बैंकों जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान** और प्रेसीडेंसी बैंकों द्वारा जारी किए गए थे।

मुद्रा मंडल

1861 के अधिनियम के बाद, भारत सरकार के पास भारत में कागजी नोट जारी करने का एकाधिकार था। गतिशीलता की कमी, विकास की कमी और शिक्षा की कमी के कारण इन नोटों को भुनाने में एक बड़ी समस्या आई। इस प्रकार, भारत सरकार के ये कागजी नोट कुछ प्रमुख शहरों और आस-पास के क्षेत्रों में वैध मुद्रा थे। इन क्षेत्रों को 'मुद्रा मंडल' कहा जाता था।

भारत में मुद्रा नियंत्रक

- **RBI** अधिनियम 1934 की धारा 22 के अनुसार, ट्ठप् के पास सभी मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है।
- 1 अप्रैल 1935 से, मुद्रा कार्य मुद्रा नियंत्रक से भारतीय रिजर्व बैंक में चला गया।
- वर्तमान में रिजर्व बैंक स्वच्छ और वास्तविक नोटों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ देश की मुद्रा के डिजाइन, उत्पादन और समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

सिक्के का दशमलवकरण

- स्वतंत्रता के समय, भारतीय मुद्रा की मूल इकाई 1 रुपया थी जिसे 16 आने या 64 पैसे में विभाजित किया जा सकता था।
- यह 16 अन्ना या 64 पैसे की संरचना 1957 तक बनी रही जब सिक्के का दशमलवकरण किया गया था।
- 1957 में सिक्के के दशमलवीकरण के साथ, "पाइस" की वर्तनी को "पैसा" में बदल दिया गया और 1 रुपये को 100 पैसे में विभाजित कर दिया गया।
- रुपये के 100वें हिस्से को नया पैसा कहा जाता था। 1964 में ष्नयाष् शब्द हटा दिया गया था।

करेंसी चेस्ट

- जिन भण्डारों में रिजर्व बैंक की ओर से नोटों और रुपये के सिक्कों का स्टॉक किया जाता है, उन्हें करेंसी चेस्ट कहा जाता है।
- भारतीय स्टेट बैंक, छह सहयोगी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, एक विदेशी बैंक, एक राज्य सहकारी बैंक और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ करेंसी चेस्ट की स्थापना की गई है।
- मुद्रा तिजोरी में जमा को आरबीआई के पास भंडार माना जाता है और सीआरआर में शामिल किया जाता है।

करेंसी नोट पर भाषाएं और हस्ताक्षर

मुद्रा नोट पर भाषाएँ	• एक करेंसी नोट की राशि उस पर 17 भाषाओं में, बैकसाइड पैनल पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ 15 भाषाओं में लिखी होती है। • बैकसाइड पैनल में शामिल 15 भाषाओं में असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं।
करेंसी नोट पर हस्ताक्षर	• एक रुपए के नोट को छोड़कर सभी करेंसी नोटों पर सिग्नेचर आरबीआई के मौजूदा गवर्नर के होते हैं। • जबकि, एक रुपये के नोट को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।

सिक्कों के सन्दर्भ में RBI की भूमिका

- सिक्के भारत सरकार द्वारा ढाले जाते हैं और उनका वितरण आरबीआई द्वारा सरकार के एजेंट के रूप में किया जाता है।
- आरबीआई भारत में कानूनी निविदा का एकमात्र स्रोत है क्योंकि पूरे देश में एक रुपये के नोट और सिक्कों और छोटे सिक्कों का वितरण रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के एजेंट के रूप में किया जाता है।

प्रचलन में कागजी मुद्रा

- वर्तमान में, भारत में कागजी मुद्रा नोट 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2,000 रुपये के मूल्यवर्ग में जारी किए जाते हैं।
- हालांकि 2011 के सिक्का अधिनियम के अनुसार 1 रुपये और 2 रुपये के नोट चलन में हैं, लेकिन इसकी छपाई बंद कर दी गई है।
- RBI अधिनियम के अनुसार, RBI किसी भी मूल्यवर्ग का कोई भी नोट जारी कर सकता है, लेकिन 10,000 रुपये से अधिक नहीं।
- नोटों के मूल्यवर्ग को सरकार और आरबीआई अधिनियम द्वारा तदनुसार अधिसूचित किया जाता है।

आरबीआई के निर्गम और मुद्रा विभाग

- निर्गम विभाग एक अलग विभाग है जिसकी संपत्ति और देनदारियों को बैंकिंग विभाग से अलग रखा जाता है।
- मुद्रा प्रबंधन विभाग, मुद्रा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठप का एक अलग विभाग केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में स्थित है।
- भारत में 19 निर्गम कार्यालय हैं।
- आरबीआई मुद्रा चेस्ट और सिक्का जमा स्थापित करने के लिए चयनित बैंक शाखाओं को अधिकृत करता है।

आनुपातिक रिजर्व प्रणाली

- प्रारंभ में, निर्गम विभाग की संपत्ति सोने या स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के 2/5 से कम नहीं होनी चाहिए, बशर्ते सोना रुपये से कम न हो। मूल्य में 40 करोड़ और संपत्ति का शेष 3/5 रुपये के सिक्के हो सकते हैं।
- इसे "आनुपातिक रिजर्व सिस्टम" कहा जाता था जिसे 1956 में बदल दिया गया था।
- वर्तमान में, आरबीआई को 200 करोड़ रुपये का सोना और विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसमें से कम से कम 115 करोड़ रुपये सोने में होना चाहिए।
- न्यूनतम रिजर्व सिस्टम के तहत, 1957 से, आरबीआई को न्यूनतम रिजर्व के खिलाफ किसी भी हद तक मुद्रा जारी करने का अधिकार है।

न्यूनतम रिजर्व

- न्यूनतम रिजर्व वह संपत्ति है जिसे आरबीआई को अपनी देनदारियों को वापस रखने के लिए रखना होता है।
- आरबीआई को सोने और विदेशी मुद्रा में 200 करोड़ रुपये के बराबर रिजर्व बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपये सोने में होना चाहिए।
- 1957 से इस प्रणाली का पालन किया जाता है, और आरबीआई को इस न्यूनतम रिजर्व के खिलाफ किसी भी हद तक मुद्रा जारी करने का अधिकार है।

मुद्रणालय

- भारत में बैंकनोटों के लिए पहला प्रिंटिंग प्रेस 1928 में नोट प्रेस (**CNP**), नासिक (महाराष्ट्र) में स्थापित किया गया था।

No of press	Four printing presses print and supply banknotes
Location	• Dewas in Madhya Pradesh, • Nasik in Maharashtra, • Mysore in Karnataka, and • Salboni in West Bengal
Owned by Govt	The presses in Madhya Pradesh and Maharashtra are owned by the Security Printing and Minting Corporation of India (SPMCIL), a wholly owned company of the Government of India. SPMCIL is the only PSU under the Department of Economic Affairs (MoF)
Owned by RBI	The presses in Karnataka and West Bengal are owned by the Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited (BRBNMPL), a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank.
Coins	The Government of India is the issuing authority of coins and supplies coins to the Reserve Bank on demand. The Reserve Bank puts the coins into circulation on behalf of the Central Government.

प्लास्टिक धन

- प्लास्टिक धन का मतलब हार्ड प्लास्टिक कार्ड से है, जिसका उपयोग दैनिक लेन-देन करने के लिए वास्तविक बैंक नोटों के स्थान पर किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड और एटीएम कार्ड।

भुगतान के तरीके के आधार पर कार्ड के प्रकार

क्रेडिट कार्ड	• क्रेडिट कार्ड धारक को क्रेडिट (ऋण) पर खरीदारी करने की अनुमति देता है, भले ही खरीद के समय उसके/उसके बैंक खाते में पर्याप्त शेष राशि न हो। • बैंक संबंधित राशि को बैंक के अपने कोष से एक व्यापारी को हस्तांतरित करता है और बाद में बैंक ग्राहक से उसी राशि की वसूली करता है। • ग्राहकों के पास एक बार में पूरी देय राशि का भुगतान करने या इसे समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में बदलने का विकल्प है। • बिलिंग चक्र, रियायती अवधि और अन्य नियमों और शर्तों के आधार पर ब्याज दरें ली जाती हैं। • क्रेडिट कार्ड का उपयोग एटीएम से पैसा निकालने के लिए किया जा सकता है, तो यह एक प्रकार का 'उधार' है, इसलिए बैंक ब्याज दरें वसूलते हैं।
डेबिट कार्ड	• डेबिट कार्ड से, एक कार्डधारक अपने बैंक खाते में पड़ी राशि तक की खरीदारी कर सकता है। डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए जाने पर बैंक संबंधित राशि को ग्राहक के अपने बैंक खाते से स्थानांतरित करता है। • यदि धारक के पास अपर्याप्त शेष राशि है तो वह खरीदारी करने में सक्षम नहीं है। • ई-कॉमर्स साइटों ने आजकल डेबिट-कार्ड आधारित ईएमआई की अनुमति दे दी है। • डेबिट कार्ड का उपयोग करके एटीएम से पैसा निकालना उधार नहीं माना जाता है क्योंकि इसे अपने बैंक खाते से निकाला जाता है।
हाइब्रिड कार्ड/	• डुओ कार्ड एक एकल प्लास्टिक कार्ड में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए दो चिप्स होती हैं। उदाहरण: इंडस बैंक हाइब्रिड कार्ड।
प्रीपेड कार्ड	• यह डेबिट कार्ड का एक उप प्रकार है, कोई व्यक्ति दिए गए बैंक में खाता न होने पर भी प्री-पेड कार्ड खरीद सकता है; डेबिट कार्ड के विपरीत जिसके लिए बैंक खाते की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, आईआरसीटीसी का यूबीआई प्रीपेड कार्ड जिसका उपयोग रेल टिकट, भोजन आदि खरीदने के लिए किया जा सकता है।

"लीगल टेंडर/ कानूनी रूप से वैध मुद्रा"

- लेन-देन और ऋणों के भुगतान के लिए उस स्थान के कानून द्वारा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त धन को 'वैध मुद्रा' कहा जाता है।
- इसे वैध मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है जिसे मुद्रा ऋण के विनिमय और भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
- जबकि आम तौर पर परिसंचारी पेपर मुद्रा के सभी मूल्य वैध मुद्राएँ हैं, वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार्य सिक्कों में मूल्यवर्ग और राशि अलग-अलग देशों में भिन्न होती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार, सेंट्रल बैंक के पास बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, इसमें कहा गया है कि 'प्रत्येक बैंक नोट भारत में किसी भी स्थान पर उसमें व्यक्त राशि के भुगतान के लिए वैध मुद्रा होगी'।
- पेपर मुद्रा सरकार की मान्यता से अपना मूल्य प्राप्त करती है; इस प्रकार, वैध मुद्रा की स्थिति की मान्यता या रद्दीकरण।
- दो प्रकार के कानूनी रूप से 'वैध मुद्रा':

सीमित वैध मुद्रा धन	असीमित वैध मुद्रा धन
• जिसका भुगतान एक निश्चित सीमा तक और इस सीमा से परे ऋण के भुगतान के लिए किया जा सकता है।	• यह किसी भी राशि के ऋण के भुगतान के लिए भुगतान किया जा सकता है।
• कोई व्यक्ति भुगतान स्वीकार करने से इंकार कर सकता है और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।	• इस पैसे को लेने से इंकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
• उदाहरण के लिए, सिक्के भारत में सीमित वैध मुद्रा हैं	• उदाहरण के लिए, कागज के नोट भारत में असीमित वैध मुद्रा हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा के अर्थ का सही वर्णन करता है? (2018)

(*a*) वह पैसा जो कानूनी मामलों की फीस चुकाने के लिए अदालतों में दिया जाता है।

(*b*) वह धन जो एक लेनदार अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है।

(*c*) चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज आदि के रूप में बैंक का पैसा।

(*d*) किसी देश में संचलन में धातु का पैसा।

ब्लॉकचेन और डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी

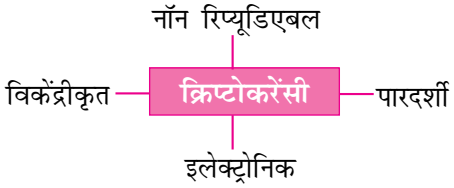
- **ब्लॉकचेन,** जिसे **डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (डीएलटी) भी कहा जाता है,** जो विकेंद्रीकरण और क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग का उपयोग करता है और किसी भी डिजिटल संपत्ति के इतिहास को अपरिवर्तनीय और पारदर्शी बनाता है।
- **ब्लॉकचौन टेक्नोलॉजी** का आविष्कार **सतोशी नाकामोटो द्वारा** 2008 में किया गया था, क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन के लिए एक सार्वजनिक लेनदेन बहीखाता के रूप में।
- ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत है जो उपयोगकर्ताओं को अपने स्वयं के धन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है ताकि कोई तीसरा पक्ष, यहाँ तक कि सरकार भी, इसे एक्सेस या मॉनिटर करने में सक्षम न हो।
- ब्लॉकचेन में तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएँ शामिल हैं:
- **ब्लॉक** - फाइलें, जहाँ बिटकॉइन नेटवर्क से संबंधित डेटा स्थायी रूप से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ब्लॉक कहलाते हैं। एक ब्लॉक एक बहीखाता या रिकॉर्ड बुक के एक पृष्ठ के अनुरूप होता है।
- **नोड्स** - किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो ब्लॉकचेन की प्रतियों को बनाए रखता है और नेटवर्क को कार्यशील रखता है।
- **खनिक** - खनन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से श्रृंखला पर नए ब्लॉक बनाते हैं।

फायदे

- **डिजिटल रिकॉर्ड:** ब्लॉकचेन परिसंपत्तियों के लेन-देन को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करता है और उनका विवरण एक ही समय में कई स्थानों पर दर्ज किया जाता है।
- **प्रकृति में विकेंद्रीकृत:** उनके पास कोई केंद्रीय डेटा स्टोर या प्रशासन की कार्यक्षमता नहीं है।
- **डुप्लीकेशन कम करें:** हालांकि समिति ने क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, इसने कम लागत वाली केवाईसी प्रणाली के निर्माण के लिए ब्लॉकचैन-आधारित सिस्टम की सिफारिश की है जो व्यक्तियों के लिए केवाईसी आवश्यकताओं के दोहराव की आवश्यकता को कम करता है।
- **वित्त क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाएँ:** डीएलटी-आधारित प्रणाली का उपयोग बैंकों और अन्य वित्तीय फर्मों द्वारा ऋण ट्रैकिंग, संपार्श्विक प्रबंधन, धोखाधड़ी का पता लगाने, बीमा में दावा प्रबंधन आदि के लिए किया जा सकता है।
- **रख-रखाव:** भूमि अभिलेखों का रख-रखाव कर भूमि बाजारों में होने वाली त्रुटियों एवं धोखाधड़ी को दूर करने में लाभकारी।

क्रिप्टो करेंसी

- क्रिप्टोकरंसी ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित एक्सचेंज का एक इंटरनेट आधारित माध्यम है जो वित्तीय लेनदेन करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक कार्यों का उपयोग करता है।



- यह सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप के पुराने तरीकों के विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता और अपरिवर्तनीयता हासिल करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का लाभ उठाता है।
- क्रिप्टोकरेंसी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित नहीं होती है।
- **क्रिप्टोकरेंसी का विकास:**
  - बिटकॉइन, पहला विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी 2009 में संभवत: छद्म नाम के डेवलपर सातोशी नाकामोटो द्वारा बनाया गया था।
  - अमेरिका में डॉलर की मात्रात्मक सहजता, पोस्ट-सबप्राइम संकट और 2008-09 में मंदी, जिससे डॉलर की आपूर्ति में वृद्धि हुई और क्रय शक्ति डॉलर का क्षरण हुआ।
  - बैंकों ने ऑनलाइन ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड और एटीएम पर शुल्क लगाया।
- **बिटकॉइन:**
  - यह एक इलेक्ट्रॉनिक विकेन्द्रीकृत मुद्रा है जो पीयर-टू-पीयर आधार पर काम करती है, जिसे सातोशी नाकामोटो द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
  - बिटकॉइन को डिजिटल रूप से किसी को भी भेजा जा सकता है जिसके पास दुनिया में कहीं भी बिटकॉइन का पता है।
  - एक व्यक्ति के अलग-अलग उद्देश्यों के लिए कई पते हो सकते हैं - व्यक्तिगत, व्यावसायिक और अन्य।
  - बिटकॉइन मुद्रित मुद्रा नहीं है, लेकिन गैर-प्रतिष्ठित है क्योंकि इसके द्वारा किए गए प्रत्येक लेनदेन का रिकॉर्ड है। यह सब एक विशाल बहीखाता का एक हिस्सा है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है।
  - यह हर लेन-देन के रिकॉर्ड की एक फुलप्रूफ प्रणाली को बनाए रखता है और साथ ही दूसरे पक्ष की पहचान जाने बिना भेजे गए मुद्रा को जारी करने पर नजर रखता है।
  - वितरित नेटवर्क में कंप्यूटिंग शक्ति द्वारा उनको खोजा जाता है।
- **लिब्रा:**
  - क्रिप्टोकरेंसी जिसे फेसबुक द्वारा 2020 में वैश्विक मुद्रा बनाने के उद्देश्य से रोल किया गया था जिसका उपयोग बिना किसी लेनदेन शुल्क के दुनिया में कहीं भी धन हस्तांतरित करने के लिए किया जा सकता है।
  - एसेट-समर्थित क्रिप्टोकरेंसी, लिब्रा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय धन में क्रांति लाना है।
  - एसेट-समर्थित क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टो सिक्के हैं जो आर्थिक मूल्य के साथ किसी वस्तु से जुड़े होते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. कभी-कभी समाचारों में देखे जाने वाले 'बिटकॉइन' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2019)

(1) बिटकॉइन को देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा ट्रैक किया जाता है।

(2) बिटकॉइन पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन पते वाले किसी अन्य व्यक्ति से बिटकॉइन भेज और प्राप्त कर सकता है।

(3) किसी भी पक्ष की पहचान जाने बिना ऑनलाइन भुगतान भेजा जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(*a*) 1 और 2 केवल (*b*) केवल 3

(*c*) 2 और 3 केवल (*d*) 1, 2 और 3

क्रिप्टो-मुद्राएं बनाम डिजिटल मुद्राएं

क्रिप्टो-मुद्राएं	डिजिटल मुद्राएं
• विकेन्द्रीकृत	• केंद्रीकृत
• नेटवर्क के भीतर विनियम समुदाय बहुमत द्वारा शासित होते हैं।	• नेटवर्क के भीतर लेन-देन एक केंद्रीकृत संस्था, जैसे बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
• पारदर्शी	• गैर पारदर्शी
• कोई भी और हर कोई किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा किए गए और प्राप्त किए गए लेनदेन को देख सकता है, क्योंकि सभी राजस्व धाराएँ ब्लॉकचेन में रखी गई हैं	• लेन-देन और वॉलेट पते के बारे में जानकारी को गोपनीय और निजी रखा जाता है।
• डिजिटल मुद्रा का एन्क्रिप्टेड रूप।	• एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक कैश फॉर्म।

क्रिप्टोकरेंसी की चिंताएँ

- अत्यधिक सट्टा
- ड्रग डीलर और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे अवैध ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा दें।
- उपभोक्ताओं को ठगा गया है।
- काले धन के लिए सुरक्षित ठिकाना

क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड

- **RBI** ने 2018 में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया। त्ठप् के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी है:
  - मूल्य में लगातार और उच्च उतार-चढ़ाव के कारण खराब लेखा इकाई।
  - धन लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, यूजर्स के लिए ऑपरेशनल रिस्क, हैकिंग, फिशिंग आदि जैसे कई जोखिम पैदा करता है।
  - जानकारी की कमी।
  - वाणिज्यिक बैंकों के व्यापार मॉडल को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है।
  - कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर को खारिज कर दिया है, जिसने वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरंसी में सौदों को सक्षम करने से प्रतिबंधित कर दिया था।
  - इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएमएआई) ने प्रतिबंध के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है, क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन और व्यापार एक वैध व्यावसायिक गतिविधि थी और आरबीआई के पास इस पर अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि इन परिसंपत्तियों को मुद्रा के बजाय वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया:
  - निषेध अपरिमित है क्योंकि यह वैध व्यापार की जीवन रेखा को काट देता है।
  - एक पूर्ण प्रतिबंध सरकार द्वारा एक असंगत उपाय होगा क्योंकि कई कम दखल देने वाले उपाय उपलब्ध हैं।
  - प्रतिबंध असंवैधानिक है क्योंकि यह अनुच्छेद 19(1)(ह) - व्यापार करने की स्वतंत्रता के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

सुभाष चंद्र गर्ग समिति

- सुभाष चंद्र गर्ग समिति की स्थापना क्रिप्टोकरंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वैधता को देखने के लिए की गई थी। इसने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:
- निजी क्रिप्टोकरेंसी, राज्य द्वारा जारी किसी भी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर, भारत में प्रतिबंधित की जानी चाहिए।
- भारत में एक आधिकारिक, सरकार समर्थित क्रिप्टोकरेंसी की शुरुआत के संबंध में ष्खुला दिमाग रखनेष् की सलाह दी जाती है।
- इसने एक कानून का मसौदा तैयार किया है जो अपराधों के लिए जुर्माना और 10 साल तक की कैद का प्रावधान करता है, जिसमें माइनिंग, होल्डिंग, बिक्री, जारी करना, व्यवहार करना, क्रिप्टोकरेंसी को स्थानांतरित करना शामिल है।

आगे की राह

- बजाय , निवेशकों को विशिष्ट जोखिमों के प्रति सचेत करने और धोखाधड़ी और घोटालों के लिए ट्रेडों की निगरानी करने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जाने चाहिए।
- आरबीआई को एक्सचेंजों जैसे आभासी मुद्रा मध्यस्थों को लाइसेंस देने के लिए एक विस्तृत नियामक ढांचा तैयार करना चाहिए और उन्हें स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपनाए जाने वाले केवाईसी मानदंडों का पालन करना चाहिए।
- एक जीवंत ब्लॉकचेन तकनीकी भारत के वित्तीय क्षेत्र और शासन में मूल्य जोड़ सकती है। इसलिए, वित्तीय क्षेत्र में बढ़ते तकनीकी नवाचार के सामने, सहायक नियामक ढांचे को तैयार करना और मजबूत करना महत्वपूर्ण है जो एक साधन की प्रकृति की परवाह किए बिना संचालित होता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. क्रिप्टोकरेंसी क्या है? यह वैश्विक समाज को कैसे प्रभावित करता है? क्या यह भारतीय समाज को भी प्रभावित कर रहा है? (2022)

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की एक पहल, एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छतरी संगठन है।
- कंपनी अधिनियम 1956 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) की धारा 25 के प्रावधानों के तहत, इसे गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है ।

- नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) , भारत में साझा स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
- दस कोर प्रमोटर बैंक हैं - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी।
- नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) का उद्देश्य इंटरबैंक उच्च मात्रा, कम मूल्य के डेबिट/क्रेडिट लेनदेन की सुविधा प्रदान करना है, जो दोहरावदार और इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति के हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन भारत में सभी एटीएम को जोड़ता है? (2018)

(*a*) भारतीय बैंक संघ

(*b*) नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

(*c*) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम

(*d*) भारतीय रिजर्व बैंक

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में मदद करता है।
2. एनपीसीआई ने कार्ड भुगतान योजना लच्छ लॉन्च की है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2

(*c*) 1 और 2 दोनों

(*d*) न तो 1 और न ही 2

डिजिटल भुगतान

- डिजिटल वित्तपोषण या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार और आरबीआई व्यावहारिक कदम उठा रहे हैं।
- आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम:
  - इसने एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान के लिए शुल्क हटा दिया है और बैंकों से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को लाभ देने के लिए कहा है।
  - **RuPay** और **UPI** के माध्यम से भुगतान पर लागू मर्चेंट डिस्काउंट रेट (**MDR**) शुल्क हटा दिया गया है।
  - 50 करोड़ या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली सभी व्यावसायिक कंपनियों को ग्राहकों को **RuPay** और **UPI** भुगतान के तरीकों की पेशकश करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- **RuPay** और **UPI** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (**NPCI**) के उत्पाद हैं।
- **RuPay** भारत का अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है।
- **RuPay** कार्ड का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों में लेनदेन के लिए भी किया जा सकता है - **सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब ।**
- **एक व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार:**
- भारत में डिजिटल भुगतान ने 2021 में 38% से 2022 में अपनी दर को 53% तक बढ़ा दिया है क्योंकि उपभोक्ता मांग बढ़ने के कारण व्यापारी अपने डिजिटल भुगतान विकल्पों का विस्तार करना चाहते हैं।
- 31% उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड की तुलना में बीएनपीएल (अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें) को एक व्यवहार्य विकल्प मानते हैं।
- 2025 तक, विश्व स्तर पर अद्वितीय डिजिटल वॉलेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 4.4 बिलियन से अधिक हो जाएगी।
- डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में भारी वृद्धि देखी गई है, जो 30 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रही है। वर्ष 2026 तक, भारत में डिजिटल भुगतान +3 ट्रिलियन के वर्तमान मूल्य से +10 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने के लिए तैयार है।

भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: आरबीआई द्वारा विजन-2018

- इसका उद्देश्य कैशलेस भारत के लिए सर्वोत्तम भुगतान और निपटान प्रणाली का निर्माण करना था। इसका विजन 5सी के आसपास घूमता है - कवरेज, सुविधा, आत्मविश्वास, अभिसरण और लागत। इन दृष्टिकोणों को प्राप्त करने के लिए, यह चार रणनीतिक पहलों पर ध्यान केंद्रित करता है - उत्तरदायी विनियमन, मजबूत आधारभूत संरचना, प्रभावी पर्यवेक्षण और ग्राहक केन्द्रीयता।

भुगतान निपटान के डिजिटल मोड

विशेषताएँ	एनईएफटी	आरटीजीएस	आईएमपीएस
इनके द्वारा पेश किया गया	भारतीय रिजर्व बैंक	भारतीय रिजर्व बैंक	एनपीसीआई
बंदोबस्त प्रकार	आधे घंटे का बैच	वन ऑन वन सेटलमेंट	वन ऑन वन सेटलमेंट

न्यूनतम अंतरण सीमा	–	रु. 2 लारु. 1	रु. 1
अधिकतम अंतरण सीमा	कोई सीमा नहीं (रु. 50,000 प्रति लेनदेन)	कोई सीमा नहीं	रु. 2 लाख
निधि अंतरण की गति	2 घंटे	तुरंत	तुरंत
सेवा समय	24/7	निर्धारित समय अवधि (शाम 6 बजे तक) के बीच सप्ताह के कुछ दिनों में उपलब्ध	24/7
माध्यम	ऑनलाइन ऑफलाइन	ऑनलाइन ऑफलाइन	ऑनलाइन

भारत में डिजिटल भुगतान पर समितियाँ

- रतन वाटल समिति 2016 में भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश हेतु ।
- नंदन नीलेकणि समिति 2019 में डिजिटल भुगतान को और गहन करने और फिनटेक के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु।

डिजिटल भुगतान के लिए प्लेटफार्म

यूपीआई और यूपीआई 2.0	• UPI एक भुगतान प्रणाली है जो स्मार्टफोन का उपयोग करके किसी भी दो बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरण की अनुमति देती है। • एनपीसीआई द्वारा अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया। • यह ग्राहक को क्रेडिट कार्ड विवरण, IFSC कोड, या नेट बैंकिंग/वॉलेट पासवर्ड टाइप करने की परेशानी के बिना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बैंक खाते से सीधे भुगतान करने की अनुमति देता है। • यह 'पीयर टू पीयर' (पी2पी) संग्रह अनुरोध की सुविधा देता है जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित और भुगतान किया जा सकता है। • यूपीआई 2.0: ○ यूपीआई को बचत और चालू खातों के साथ-साथ ओवरड्राफ्ट खाते से जोड़ा जा सकता है। ○ लेन-देन को पूर्व-अधिकृत करने की अनुमति दें और बाद की तारीख में भुगतान करें। ○ उपयोगकर्ताओं को अधिसूचना के माध्यम से व्यापारी क्यूआर कोड का प्रमाणीकरण जोड़ा गया। ○ लेन-देन की सीमा बढ़ाकर 2 लाख/दिन
भीम और भीम 2.0	• **भीम - भारत इंटरफेस फॉर धन** यूपीआई पर आधारित एक मोबाइल भुगतान एप्लिकेशन है। • इसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया था और 2016 में लॉन्च किया गया था। • **BHIM 2.0** को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। इसने सत्यापित व्यापारियों से मौजूदा 20,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया है। • यह लेन-देन का आसान और सुरक्षित तरीका प्रदान करता है।
भारत क्यूआर	• भारत क्यूआर पर्सन टू मर्चेंट (पी2एम) मोबाइल भुगतान समाधान है। • एनपीसीआई, वीजा और मास्टरकार्ड भुगतान नेटवर्क द्वारा पारस्परिक रूप से व्युत्पन्न। • एक बार मर्चेंट स्थानों पर बीक्यूआर कोड तैनात किए जाने के बाद, उपयोगकर्ता बीक्यूआर सक्षम मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करके उपयोगिता बिलों का भुगतान बिना किसी उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स को साझा किए कर सकता है। • भारत क्यूआर लेनदेन पीओएस लेनदेन से अलग हैं। पीओएस लेनदेन में, पीओएस टर्मिनल की आवश्यकता होती है जबकि भारत क्यूआर लेनदेन में क्यूआर कोड की आवश्यकता होती है।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS)	• एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यापार संवाददाता के माध्यम से बिक्री के बिंदु पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल लेनदेन की अनुमति देता है। • यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है।
ईएमवी कार्ड	• EMV का मतलब यूरोपे - मास्टरकार्ड और वीजा है। • यह एक डेबिट कार्ड सुरक्षा मानक है जिसमें कार्ड में माइक्रोप्रोसेसर चिप लगी होती है। • यह कार्ड स्किमिंग और क्लोनिंग को रोकता है जो पहले मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड में संभव था।
मोबाइल धन पहचानकर्ता (एमएमआईडी)	• यह बैंक द्वारा बैंक खाते के विरुद्ध जारी किया गया 7-अंकीय नंबर है जो फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है। • प्रत्येक बैंक खाते में केवल एक MMID होता है। • अलग-अलग एमएमआईडी को एक ही मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है। • मोबाइल नंबर और एमएमआईडी का संयोजन विशिष्ट रूप से एक खाता संख्या से जुड़ा हुआ है और लाभार्थी के विवरण की पहचान करने में मदद करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन सा 'एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई)' को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम है? (2017)

(a) ऑनलाइन पेमेंट के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी।

(b) डिजिटल मुद्रा लगभग दो दशकों में भौतिक मुद्रा को पूरी तरह से बदल देगी।

(c) एफडीआई प्रवाह में भारी वृद्धि होगी।

(d) गरीब लोगों को सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण बहुत प्रभावी हो जाएगा।

डिजिटल भुगतान के मुद्दे और चुनौतियाँ

- **समय लगता है:** आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान से जुड़ी लागतों ने भी बाधा उत्पन्न की है और अधिक समय लगता है।
- **संरचनात्मक चुनौतियाँ:** भारत एक मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बनाने से बहुत दूर है क्योंकि डिजिटल वित्तीय निरक्षरता, साइबर-सुरक्षा आदि जैसी संरचनात्मक बाधाएँ हैं।
- **खराब डिजिटल पैठ:** अभी भी ग्रामीण हिस्से डिजिटल तकनीकी के लाभों से दूर हैं। डिजिटल भुगतान अभी भी देश के कुछ हिस्सों में एक दूर का सपना बना हुआ है।
- **डिजिटल असमानता:** हाशिए पर रहने वाले वर्ग जैसे कि महिलाएं, और बुजुर्ग भुगतान के डिजिटल मोड तक पहुंच से वंचित हैं।
- **धोखाधड़ी और सुरक्षा:** सुरक्षा उल्लंघन और डेटा सुरक्षा के लिए जोखिम उपभोक्ताओं के बीच सबसे बड़ी चिंता है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली धोखाधड़ी तकनीकें हैं - फिशिंग, विशिंग, रिमोट एक्सेस और अकाउंट टेकओवर
- **जागरूकता और अपनाना:** भारत एक नकदी-प्रधान समाज है। भले ही डिजिटल भुगतान के तरीकों में तेजी से वृद्धि हुई है, फिर भी लोगों में सुरक्षा, डेटा गोपनीयता आदि के प्रति जागरूकता की कमी है।
- **व्यापारी समर्थन:** कई व्यापारी अभी भी ईएमवी मानकों के उन्नयन और इसकी जटिल प्रकृति और बैंकों द्वारा लगाए गए शुल्कों के कारण संपर्क रहित भुगतान का विरोध कर रहे हैं।
- **संगतता:** मोबाइल वॉलेट को सभी मोबाइल मॉडलों और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ संगत होना चाहिए।
- **यूपीआई का उदय:** एनपीसीआई द्वारा विकसित मोबाइल वॉलेट के लिए सबसे बड़ा प्रतियोगी माना जा सकता है।
- एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भीम-यूपीआई पर किए गए लेनदेन की कुल संख्या अक्टूबर 2020 में एक महीने में 2 बिलियन लेनदेन की संख्या को पार कर गई

समाधान और आगे की राह

- **डिजिटल साक्षरता में सुधार:** यह डिजिटल लेनदेन के साथ-साथ सुरक्षा कारक के गुणांक को बढ़ाने में मदद करेगा। इससे वर्तमान में होने वाली बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।
- **साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना:** हैकिंग और बैंकिंग चोरी की घटनाओं को कम करने के लिए भारत में साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।
- **मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें:** अधिकांश डिजिटल भुगतान अब मोबाइल उपकरणों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, इसलिए डिजिटल भुगतान में विश्वास बढ़ाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और ।दकतवपक संस्करणों को संगत बनाया जाना चाहिए।

- **डिजिटल विभाजन को पाटना:** शहरी और अधिक महत्वपूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और समाज के हाशिए के वर्गों के बीच लोगों को प्रोत्साहित करके जनता के बीच।
- **आसान निपटान प्रक्रिया:** जटिलताओं को कम करें और व्यापारियों के लिए दिन के अंत में निपटान प्रक्रिया को सक्षम करें।
- **डिजिटल भुगतान पर लेन-देन शुल्क कम करें:** डिजिटल भुगतान पर लेन-देन शुल्क और नकद संचालन लागत चार्ज करके नकद लेनदेन को हतोत्साहित करें।
- **एकीकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली:** मौजूदा चुनौतियों को कम करने और गुणवत्ता परिणामों का समर्थन करने के लिए डिजिटल भुगतान की एक एकीकृत प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अधिक कड़े कानून आदि सुनिश्चित करके।

डिजिटल बैंक यूनिट

- नीति आयोग द्वारा 'डिजिटल बैंक: ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजीम फॉर इंडिया' नामक चर्चा पत्र में डिजिटल बैंक इकाइयों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- आरबीआई के मुताबिक, डीबीयू डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को स्वयं सेवा और सहायक मोड दोनों में डिजिटल रूप से सेवा देने के लिए एक विशेष निश्चित बिंदु व्यापार इकाई/हब आवास है।
- 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने हमारे देश की आजादी के 75 साल (आजादी का अमृत महोत्सव) मनाने के लिए 75 जिलों में 75 डीबीयू स्थापित करने की घोषणा की।
- वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों और पिछले डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर, टियर I से टियर VI केंद्रों में DBU खोलने की अनुमति है, जब तक कि वे विशेष रूप से प्रतिबंधित न हों, प्रत्येक मामले में RBI से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

डिजिटल भुगतान से संबंधित कोष और सूचकांक

- **डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई):** आरबीआई द्वारा प्रकाशित। RBI ने आधार वर्ष के रूप में मार्च 2018 के साथ डिजिटलीकरण की सीमा को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए समग्र DPI के निर्माण की घोषणा की है।
  - मार्च 2022 का सूचकांक सितंबर 2021 के 304.06 के मुकाबले 349.30 पर है।
  - इसने देश भर में डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने और गहरा करने का प्रतिनिधित्व करते हुए महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रदर्शन किया है।
- **डिजिटल प्रतिस्पर्धी सूचकांक: आईएमडी - विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र** द्वारा जारी किया गया ।
- यह 2017 में शुरू किया गया था और व्यापार, सरकार और व्यापक समाज में आर्थिक परिवर्तन के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और तलाशने के लिए 63 अर्थव्यवस्थाओं की क्षमता और तैयारी को मापता है।
- यह 3 कारकों के आधार पर अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करता है:
  - **ज्ञान** - नई तकनीकों को समझने और सीखने की क्षमता;
  - नए डिजिटल नवाचारों को विकसित करने के लिए **प्रौद्योगिकी क्षमता;**
  - **भविष्य की तैयारी** - आने वाले घटनाक्रमों के लिए तैयारी।
- 2021 तक, अमेरिका 100 के स्कोर के साथ दुनिया में सबसे डिजिटल रूप से प्रतिस्पर्धी देश के रूप में स्थान पर रहा। जबकि, भारत ने 55.13 स्कोर किया।
- **स्वीकृति विकास कोष:** डिजिटल रूप से लेनदेन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम मील भुगतान नेटवर्क में सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित। टीयर ण्ण् और टीयर ण्ट केंद्र में भुगतान बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक बैंक प्रायोजित विकास निधि के रूप में परिचालन किया गया।
- **पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF):** डिजिटल भुगतान को गहरा करने पर नंदन नीलेकणि समिति की सिफारिश पर, RBI ने 500 करोड़ PIDF बनाया है।

डिजिटल लेनदेन लोकपाल (2019)

- आरबीआई ने पूरे भारत में 21 स्थानों पर वरिष्ठ आरबीआई अधिकारियों को डिजिटल लेनदेन लोकपाल (डीटीओ) के रूप में नामित किया है।
- वे प्रीपेड भुगतान उपकरणों, मोबाइल वॉलेट, ऐप्स, एनईएफटी/आरटीजीएस और अन्य डिजिटल लेनदेन के खिलाफ 20 लाख रुपये तक की ग्राहक शिकायतें सुन सकते हैं।
- वे कंपनी/बैंक को लेन-देन वापस करने/निपटान करने का आदेश दे सकते हैं और ग्राहक की मानसिक पीड़ा के लिए अतिरिक्त 1 लाख तक का भुगतान कर सकते हैं।
- उच्च अपील आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के पास होती है।
- 20 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए, उस मामले में पीड़ित को मामले के मामले के आधार पर सामान्य अदालतों/उपभोक्ता अदालतों में जाना पड़ता है।

नंदन नीलेकणि समिति की सिफारिशें

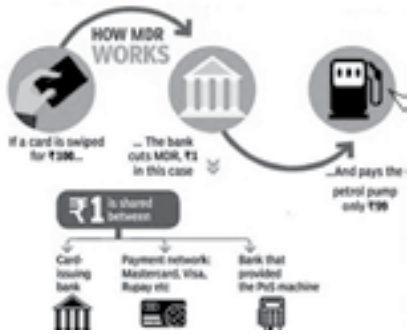
- **डिजिटल वित्तीय समावेशन सूचकांक:** आरबीआई को प्रगति की निगरानी करने और उपचारात्मक कदम उठाने के लिए क्षेत्रवार श्डिजिटल वित्तीय समावेशन सूचकांकश तैयार करना चाहिए।
- **बैंकों तक पहुंच में सुधार** सुनिश्चित करें कि कोई भी उपयोगकर्ता बैंकिंग पहुंच बिंदु से 5 किमी से अधिक दूर न हो।
- **बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट:** स्थानीय वेंडर को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) बनाया जाए।
- **स्वीकृति विकास निधि (ADF):** खराब सेवा वाले क्षेत्रों (जैसे PoS उपकरणों पर सब्सिडी) में डिजिटल भुगतान अवसंरचना का विकास करना। आरबीआई और बैंकों को इस कोष में राजकोषीय राशि का सह-योगदान करना चाहिए।
- **एमडीआर/कार्ड भुगतान शुल्क कम करें:** ग्राहक को बिना किसी शुल्क के प्रति माह ष्एनष संख्या तक डिजिटल भुगतान लेनदेन की करने की अनुमति दें।
- **एनईएफटी के संबंध में:** आरबीआई को एनईएफटी को 24/7 उपलब्ध कराना चाहिए और इसके उपयोग पर शुल्क की समीक्षा करनी चाहिए। (जून 2019: RBI ने NEFT और RTGS दोनों पर से शुल्क हटा दिया और बैंकों से ग्राहकों को लाभ देने के लिए कहा।)
- **अंतर्राष्ट्रीय कवरेज को बढ़ावा दें:** एनपीसीआई को भारत में प्रेषण की सुविधा के लिए अन्य देशों में रूपे और भीम यूपीआई की पेशकश करनी चाहिए।
- **स्थानीय भाषा का प्रयोग:** डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय भाषा के ऐप/सॉफ्टवेयर को प्रोत्साहित करें।

भुगतान प्रणाली के लिए नई अंब्रेला इकाई (एनयूई)

- नई अंब्रेला संस्थाएं एनपीसीआई द्वारा अभी प्रदान की जा रही सेवाओं की तर्ज पर विभिन्न भुगतान सेवाएं प्रदान करेंगी।
- **एनयूई की आवश्यकता:**
  - **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना:** लेन-देन की लागत को कम करने के लिए और साथ ही यह भुगतान प्रणाली में विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करेगा।
  - **नई भुगतान प्रणाली का प्रबंधन करें:** वॉलेट लेनदेन, आधार-आधारित भुगतान, प्रेषण सेवाओं, यूपीआई लेनदेन, एटीएम, व्हाइट-लेबल पीओएस, आदि सहित नई भुगतान प्रणाली का प्रबंधन किया जा सकता है।
  - **एनपीसीआई के एकाधिकार को प्रतिबंधित करें:** वर्तमान में, एनपीसीआई भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन करने वाली एकमात्र संस्था है। इस प्रकार, NUE प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और खुदरा डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में सेवा वितरण में सुधार करेगा।
  - **डिजिटल लेन-देन की संख्या में वृद्धि** देश में खुदरा अंतरण में अत्यधिक विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए, अकेले 2020-21 में 27 बिलियन लेनदेन में 165 लाख करोड़ रुपये का पैसा ट्रांसफर किया गया। इस प्रकार लेनदेन की निगरानी करने और उचित सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक की आवश्यकता होती है।
- **आरबीआई ढांचा:**
  - **पूंजी आवश्यकताएं:** पैन-इंडिया एनयूई 500 करोड़ रुपये की न्यूनतम चुकता पूंजी के साथ खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि, आरबीआई किसी एक प्रवर्तक या समूह को एनयूई में 40% से अधिक निवेश करने की अनुमति नहीं देगा। साथ ही, एनयूई को हर समय न्यूनतम 300 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति बनाए रखनी चाहिए।
  - **स्वामित्व:** NUE के प्रमोटर या प्रमोटर समूह को भुगतान के पारिस्थितिकी तंत्र में 3 साल के अनुभव के साथ श्स्वामित्व और निवासियों द्वारा नियंत्रितश होना चाहिए।
  - **शासन:** संस्था को आरबीआई द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों का पालन करना होगा। आरबीआई के पास निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी देने और एनयूई के बोर्ड में एक सदस्य को नामित करने का अधिकार होगा।
  - विदेशी निवेश : जब तक एनयूई अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है तब तक विदेशी निवेश की अनुमति है।

मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर)

- **मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर),** जिसे **ट्रांजेक्शन डिस्काउंट रेट (टीडीआर)** के रूप में भी जाना जाता है, एक व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंक को भुगतान की जाने वाली लागत है, जो आमतौर पर ग्राहक से वसूल की जाती है।



- एमडीआर कार्ड-आधारित या डिजिटल लेनदेन की सुविधा के लिए व्यापारियों से बैंकों द्वारा लेनदेन राशि के प्रतिशत के रूप में लिया जाने वाला उपयोगकर्ता-शुल्क है।
- हाल ही में सरकार ने भीम यूपीआई, यूपीआई-क्यूआर कोड, आधार पे आदि जैसे कम लागत वाले डिजिटल भुगतानों को अपनाने का रास्ता साफ करते हुए बड़े खुदरा विक्रेताओं के लिए एमडीआर को पूरी तरह से हटा दिया है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले "मर्चेंट डिस्काउंट रेट" शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? (2019)

   (*a*) किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक से संबंधित डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन।

   (*b*) बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को भुगतान की गई राशि जब वे सामान या सेवाओं की खरीद के लिए वित्तीय लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं।

   (*c*) बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने के लिए एक बैंक द्वारा एक व्यापारी से शुल्क।

   (*d*) प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने ग्राहकों द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है।

कैशलेस या लेस-कैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहल

- **रतन वातल** की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए समिति की स्थापना की गई थी।
- भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए **चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्रियों की समिति।**
- **वित्तीय साक्षरता अभियान,** जिसमें कॉलेज के छात्र लोगों को डिजिटल लेनदेन के बारे में समझाते हैं।
- **नीति आयोग और एनपीसीआई की संयुक्त पहल:** ग्राहकों **(लकी ग्राहक)** और व्यापारियों **(डिजी धन व्यापार)** के लिए लॉटरी/कैश बैक योजनाएं। UPI-BHIM का उपयोग करने के लिए सरकार ने खुद और रेफरल बोनस, कैशबैक योजनाएं शुरू की हैं।
- डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डमपजल) द्वारा **डिजिधन मिशन (2017)।**
- **DIGIDHAN डैशबोर्ड:** भारत में डिजिटल लेनदेन की निगरानी के लिए MeitY द्वारा लॉन्च किया गया वेब पोर्टल।
- **बजट-2018:** डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकचेन तकनीकी का अन्वेषण करें।
- **Budget-2019:** एकल उपयोगकर्ता खाते से ₹1 करोड़ या उससे अधिक की निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) लगाया गया।
- **डिजिटल भुगतान अभियान (2019 - सितंबर):** ळववहसम इंडिया और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI, NASSCOM द्वारा एक गैर-लाभकारी संगठन) के साथ MEITY द्वारा लॉन्च किया गया।

भारत में एटीएम के लेबल

लेबल	विशेषताएँ
बैंक का अपना एटीएम	• संबंधित बैंक द्वारा स्वामित्व और संचालित और इसमें बैंक का 'लोगो' होता है। वे बैंक के ग्राहकों को ऐसी सेवा प्रदान करने का सबसे महंगा तरीका है।
ब्राउन लेबल एटीएम	• एक गैर-बैंकिंग फर्म, तीसरे पक्ष द्वारा 'स्वामित्व' और 'संचालित'। • संबंधित बैंक केवल उस प्रक्रिया का हिस्सा संभालते हैं जो 'कैश हैंडलिंग' और 'बैकएंड सर्वर' कनेक्टिविटी है।
व्हाइट लेबल एटीएम	• गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा स्थापित, स्वामित्व और संचालित स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) को "व्हाइट लेबल एटीएम" (डब्ल्यूएलए) कहा जाता है। इस एटीएम मशीन पर बैंक की कोई ब्रांडिंग नहीं होती। • वे देश में पूरे एटीएम नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। • टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस - **इंडिकैश,** सफेद लेबल वाले एटीएम की स्थापना के लिए आरबीआई की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला"।

विमुद्रीकरण की अवधारणा

- विमुद्रीकरण मुद्रा की वैध मुद्रा की स्थिति को छीनने का कार्य है।
- यह एक मुद्रा को स्थिर करने और मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि को और अधिक पारदर्शिता और काले और ग्रे बाजारों से दूर करने के लिए।

- 1946 में पहला विमुद्रीकरण किया गया था, RBI ने 1,000 रुपये और 10,000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया था।
- दूसरा विमुद्रीकरण 1978 में मोराजी देसाई सरकार द्वारा किया गया था।
- तीसरा विमुद्रीकरण एनडीए सरकार ने 2016 में लागू किया था, 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था।

विमुद्रीकरण के सकारात्मक प्रभाव

- कर संग्रह में वृद्धि: पंजीकृत आयकर रिटर्न (आईटीआर) की संख्या में 24.7% की वृद्धि हुई है।
- **काले धन पर काबू पाया:** उदाहरण के लिए, सरकार 37000 से अधिक शेल कंपनियों की पहचान करने में सक्षम थी जो काला धन और हवाला लेनदेन को छिपाने में लगी हुई थी।
- **संगठित अपराधों पर लगाम:** नोटबंदी के कारण आतंकवाद और नक्सलियों का वित्तपोषण लगभग पूरी तरह बंद हो गया है। साथ ही, इससे सेक्स ट्रैफिकिंग में भारी गिरावट आई थी।
- **जाली नोटों के चलन की जांच की:** विमुद्रीकरण के बाद से, खुफिया अभियानों द्वारा कोई भी उच्च गुणवत्ता वाले जाली नोट नहीं पाए गए/जब्त किए गए।
- डिजिटल लेनदेन में वृद्धि नोटबंदी के बाद से डिजिटल लेनदेन में लगभग 50-55% की वृद्धि हुई है। आरबीआई को कम नोट छापने पड़ते हैं जिससे सरकार की छपाई की लागत बचती है।

विमुद्रीकरण का नकारात्मक प्रभाव

- **खराब योजना:** उच्च मूल्य के नोट मुद्रा मूल्य का 87.5% हैं, नोटबंदी के अचानक रोल आउट ने आम आदमी के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है।
- **आर्थिक मंदी:** जैसे-जैसे लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, वे भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी आती है और अनौपचारिक क्षेत्र की आपूर्ति-श्रृंखला प्रभावित होती है।
- **जीडीपी में गिरावट:** देश की विकास दर, जो सितंबर 2016 में 7.5% थी, जून 2017 में घटकर 5.7% हो गई
- भ्रष्टाचार कायम : यह अभी भी स्पष्ट है कि नोटबंदी के बाद से भ्रष्टाचार अभी तक कम नहीं हुआ है।
- **कैश होल्डिंग पुनर्जीवित:** कैश-जीडीपी अनुपात विमुद्रीकरण से पहले की अवधि के समान स्तर पर पहुंच गया है।
- **कृषि क्षेत्र को असमान रूप से नुकसान हुआ:** कृषि क्षेत्र में तनाव दिखाई देने लगा है क्योंकि विमुद्रीकरण कृषि क्षेत्र में लेन-देन के प्रमुख साधन के रूप में नकदी से संबंधित है।
- **बैंकिंग प्रणाली का बिगड़ना:** चूंकि बैंक उधार देने में काफी वृद्धि करने की स्थिति में नहीं थे; उनकी शुद्ध ब्याज आय में कमी आई है। उनकी पूंजी की स्थिति बिगड़ती जा रही है और उनकी एनपीए की स्थिति और भी खराब होती जा रही है।

काला धन

- एक आय जो किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र में व्यक्तियों के समूह द्वारा घोषित नहीं की जाती है, जिसे कर घोषणा के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, उसे काला धन कहा जाता है।
- काले धन की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। आम आदमी की शर्तों में, वह पैसा जो नाजायज तरीकों से हासिल किया गया हो या ऐसा पैसा जिसका हिसाब न हो, यानी जिसके लिए सरकार को टैक्स नहीं दिया जाता है, जो सरकारी अधिकारियों से छिपा हुआ है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय में परिलक्षित नहीं होता है 'काला धन' कहा जाता है ।
- **सफेद धन,** काले धन के खिलाफ, वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब लगाया जाता है, जिसके लिए आय या अन्य कर का भुगतान किया जाता है।
- **काले धन का सृजन:**
  - अवैध गतिविधियाँ - भ्रष्टाचार, धन लॉन्ड्रिंग, तस्करी, आदि।
  - कारपोरेट द्वारा कर चोरी।
  - सिस्टम में मौजूदा खामियों का फायदा उठाकर कर से बचाव, हालांकि यह अवैध नहीं है।
  - वास्तविक आय को छिपाने के लिए सोने-चांदी या आभूषणों और अचल संपत्ति में निवेश।
  - टैक्स हेवन में कंपनियों की स्थापना।
  - अपने मुनाफे और कर देनदारियों को पुनर्निर्देशित करने के लिए शेल कंपनियों की स्थापना करना।
  - पी-नोट्स जैसे व्युत्पन्न साधनों के माध्यम से निवेश।
- **काले धन का प्रभाव:**
  - यह देश **के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है।**
  - **उच्च मुद्रास्फीति:** केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। इससे मुद्रा के मूल्य में गिरावट आएगी।
  - **देश की साख का क्षरण:** काला धन किसी देश की साख को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

- **अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देना:** चूंकि इसका उपयोग अक्सर अवैध गतिविधियों जैसे ड्रग्स और नशीले पदार्थों के कारोबार, आतंकवाद आदि के लिए किया जाता है।
- **सरकार को कर का नुकसान:** काले धन के कारण सरकार को करों के रूप में बड़ा नुकसान होता है।
- **समानांतर अर्थव्यवस्था** काला धन देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाता है, जो पूरी तरह से भूमिगत है।

- काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार की पहल:
  - कर सुधार जैसे स्रोत पर ही कर कटौती को शामिल करना।
  - रुपये का विमुद्रीकरण। 500 और 1000 के नोट।
  - कैशलेस और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना और बढ़ावा देना।
  - चुनावी बांड के कार्यान्वयन जैसे चुनावी सुधार।
  - विधायी सुधार:
    - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
    - बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988
    - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002
    - अघोषित विदेशी आय और संपत्ति (कर लगाना) विधेयक, 2015
    - लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में काले धन के निर्माण के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार के लिए चिंता का मुख्य कारण रहा है? (2021)

(*a*) अचल संपत्ति की खरीद और लक्जरी आवास में निवेश के लिए संसाधनों का प्रयोग

(*b*) अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और कीमती रत्नों, आभूषणों, सोने आदि की खरीद।

(*c*) राजनीतिक दलों को बड़ा दान और क्षेत्रवाद का विकास

(*d*) कर अपवंचन के कारण राजकोष को राजस्व की हानि

❖ ❖ ❖

10 भारत में बैंकिंग प्रणाली

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस एस मुंद्रा ने कहा था कि ष्बैंक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं और ये आर्थिक विकास को सक्रिय करने और उन्हें बनाए रखने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। विकासशील देशों में इनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

भारत में बैंकिंग का इतिहास और विकास

- बैंकिंग प्रणाली को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।
- यह देश की वित्तीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि देश के 70% से अधिक धन का प्रवाह इसके माध्यम से ही होता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था एक विविध अर्थव्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है।
- वर्तमान में भारत में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं जिनमें भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख है।ये सभी बैंक अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास को 3 अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  1. स्वतंत्रता-पूर्व चरण, यानी 1947 से पूर्व
  2. दूसरा चरण -1947 से 1991 तक
  3. तीसरा चरण- 1991 और उसके बाद

बैंकिंग का विकास

बैंकिंग का स्वतंत्रता-पूर्व चरण यानी 1947 से पहले	• भारत की बैंकिंग प्रणाली कुछ बैंकों की स्थापना के साथ शुरू हुई, जैसे कि 1770 में कलकत्ता (अब कोलकाता) में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी जो 1832 में बंद हो गया। • उसके बाद, अन्य बैंकों ने बाजार में प्रवेश किया, लेकिन विफल रहे, जिनमें जनरल बैंक ऑफ इंडिया (1786-1791) और अवध कमर्शियल बैंक (1881-1958) शामिल है जो देश का पहला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक था । • 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय एक एकल बैंक में किया गया था जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। • बाद में 1955 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। • हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी।
1947 से 1991 तक दूसरा चरण: (स्वतंत्रता के बाद का चरण)	• सामान्य तौर पर, बैंक का राष्ट्रीयकरण इस चरण की प्रमुख विशिष्ट विशेषता है। • राष्ट्रीयकरण को आर्थिक नियोजन के दृष्टिकोण से एक प्रभावी उपाय के रूप में देखा गया था। • **राष्ट्रीयकरण के कारण:** ○ बड़े उद्योगों और बड़े व्यापारिक घरानों को मुख्य रूप से बैंकों द्वारा सेवा प्रदान की गई थी। ○ कृषि, लघु उद्योग और निर्यात क्षेत्र पिछड़ गए थे । ○ साहूकार गरीब लोगों का शोषण करते थे । • इसके बाद, 1 जनवरी, 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। • 19 जुलाई, 1969 को चौदह वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। • अप्रैल 1980 में छह अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। • नरसिम्हन समिति की सिफारिशों की प्रतिक्रिया में 2 अक्टूबर, 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी।

बैंकिंग का तीसरा चरण 1991: एलपीजी युग	• 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया। • 1991 में नरसिम्हन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निजी निवेशकों को सरकार द्वारा भारत में निवेश करने के लिए स्वागत किया गया था। • भारतीय रिजर्व बैंक ने दस निजी बैंकों को मंजूरी दी। • इस विनियमन से लाभान्वित होने वाले कई प्रसिद्ध बैंक आज भी मौजूद हैं, जिनमें एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, डीसीबी और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। • नरसिम्हाम समिति ने एक बार फिर 1998 में अधिक निजी उद्यमियों की भागीदारी की वकालत की। • आरबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों की दो नई श्रेणियों, अर्थात् भुगतान बैंक और छोटे बैंकों की स्थापना का भी सुझाव दिया।

क्या आपको मालूम है?

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत, आरबीआई ने बैंक को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और भारतीय भुगतान बैंक के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन

- भले ही उपभोक्ता अपना खाता कहाँ खोलते हैं और रखते हैं, यह उपभोक्ताओं को अपने खातों का प्रबंधन करने और सीबीएस नेटवर्क पर किसी भी बैंक शाखा से बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है।
- कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (Core Banking Solution) बैंक शाखाओं का एक नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को कई बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने और दुनिया में कहीं से भी अपने खातों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।
- यह एक केंद्रीकृत बैक-एंड सिस्टम है जो कई बैंक स्थानों पर बैंकिंग लेनदेन को सफलतापूर्वक संभालता है।
- कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (Core Banking Solution) तेजी से बैंकिंग लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बढ़ाता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (Core Banking Solution)' शब्द कभी-कभी खबरों में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? (2016)

1. यह एक बैंक की शाखाओं का एक नेटवर्क है जो ग्राहकों को बैंक के नेटवर्क पर किसी भी शाखा से अपने खातों को संचालित करने में सक्षम बनाता है, चाहे उनका खाता किसी भी बैंक में हो ।
2. यह कंप्यूटरीकरण के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों पर आरबीआई के नियंत्रण को बढ़ाने का एक प्रयास है।
3. यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों वाले बैंक का किसी अन्य बैंक द्वारा अधिग्रहण किया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वे बैंक हैं जो आरबीआई अधि नियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं और बैंकिंग के व्यवसाय को पूरा करते हैं जैसे कि ऋण देना , जमा स्वीकार करना या अन्य बैंकिंग सेवाएँ ।
- अनुसूचित बैंक बैंक दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण के लिए पात्र हैं।
- अनुसूचित बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास सीआरआर जमा करना आवश्यक है।
- राष्ट्रीयकृत, अंतर्राष्ट्रीय, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत आते हैं।
- कोई भी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का बैंक जिसके पास कम से कम 5 लाख रुपये की प्रदत्त पूँजी और आरक्षित राशि है और वह जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध कारोबार नहीं कर रहा है।
- इन बैंकों के कुछ विशेषाधिकार और लाभ हैं:
  - केंद्रीय बैंक से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त करने की क्षमता।
  - मुद्रा भंडारण सुविधाओं तक पहुंच।
  - क्लियरिंगहाउस में सदस्यता स्वत:मिल जाती है ।
- अनुसूचित बैंकों में विभाजित हैं: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक

- भारत में, वाणिज्यिक बैंकों का कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सा है।
- वाणिज्यिक बैंक लगभग 60% क्रेडिट वितरित करते हैं, इसके बाद सहकारी बैंक लगभग 30% और आरआरबी और अन्य।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण के संवितरण में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है? (2011)

(a) वाणिज्यिक बैंक (b) सहकारी बैंक
(c) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (d) सूक्ष्म वित्त संस्थान

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आगे चार समूहों में विभाजित किया जा सकता है-

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक:

- जिन बैंकों में सरकार के पास 50% से अधिक हिस्सा है, उनमें एसबीआई और उसके सहयोगी, राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में प्रमुखों के चयन की सिफारिश करता है और रणनीतियों और पूँजी जुटाने की योजनाओं को विकसित करने में बैंकों की मदद करता है।
- भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में मौजूदा इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित करते हुए की गई थी, इसके गठन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार में तेजी लाना था
- राष्ट्रीयकृत बैंक: बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 ने भारत में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के फायदे
  - जमा राशि पर उच्च ब्याज प्रदान करना
  - यह व्यापक जनसमूह को निम्न ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराने का काम करता है
  - वे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सेवा प्रदान करते हैं
  - वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकी कई शाखाएं होती हैं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने के लिए हाल के कदम:

- **बढ़ी हुई पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (EASE):** एक अद्वितीय सुधारों पर आधारित सूचकांक सुधार एजेंडा का एक हिस्सा है जो ग्राहक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन और डेटा को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्य प्रणाली में आगे बढ़ाने के लिए है।
- **बैंक बोर्डों का सशक्तिकरण:** अब बाजार से बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी की भर्ती की जाती है।

बैंक बोर्ड ब्यूरो

- आरबीआई द्वारा नियुक्त नायक समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 2016 में इसे एक स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह इंद्रधनुष योजना का हिस्सा था।
- इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के लिए पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्षों के चयन का सुझाव दिया।
- प्रधानमंत्री कार्यालय के सहयोग से वित्त मंत्रालय नियुक्तियों के संबंध में अंतिम निर्णय लेता है।

संयोजन:

- बैंक बोर्ड ब्यूरो में अध्यक्ष, तीन पदेन सदस्य यानी सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और पांच विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं, जिनमें से दो निजी क्षेत्र से हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन _____ द्वारा किया जाता है। (2019)

(a) बैंक बोर्ड ब्यूरो (b) भारतीय रिजर्व बैंक
(c) केंद्रीय वित्त मंत्रालय (d) संबंधित बैंक का प्रबंधन

निजी क्षेत्र के बैंक:

- निजी क्षेत्र के बैंक वे हैं जिनमें अधिकांश शेयर या इक्विटी निजी व्यक्तियों के स्वामित्व और रखरखाव के अधीन हैं।
- भारतीय बैंकिंग उद्योग शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा नियंत्रित किया गया था, लेकिन 1990 के दशक के बाद निजी क्षेत्रों के बैंकों का तेजी से विस्तार होने लगा।
- आधुनिक तकनीकी का उनका उपयोग
- जीई विचारों, नए वित्तीय उपकरणों और प्रौद्योगिकी ने उनके तेजी से विकास में योगदान दिया।
- भारत में, निजी क्षेत्र के बैंकों को दो प्रकारों में विभाजित किया गया है:
  1. पुराने निजी क्षेत्र के बैंक (1968 से पहले उभरे)
  2. नए निजी क्षेत्र के बैंक (1990 के दशक के बाद उभरे)
- निजी क्षेत्र के पुराने बैंक वे हैं जो राष्ट्रीयकरण से पहले परिचालन में थे।

- 1993 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में नए निजी क्षेत्र के बैंकों को खोलने के लिए दिशानिर्देश और नियम प्रकाशित किए।
- बैंक की अधिकांश शेयर पूँजी निजी व्यक्तियों के पास होती है। इन बैंकों को सीमित देयता निगमों के रूप में स्थापित किया गया है।
- वर्तमान में, भारत में 21 निजी क्षेत्र के बैंक हैं।

निजी क्षेत्र के बैंक के लाभ और नुकसान:

लाभ	नुकसान
• निजी क्षेत्र के बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित सेवा प्रदान करते हैं। • इसके अतिरिक्त, कुछ बैंक ग्राहक के वित्त की जरूरतों के आधार पर विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं। • निजी क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन ढांचा कुशल है। • निजी क्षेत्र के बैंक त्वरित और सुचारू वित्तीय निर्णय ले सकते हैं।	• सभी वित्तीय सेवाएं निजी क्षेत्र के बैंकों में अतिरिक्त लागत के अधीन हैं। • ये बैंक ग्रामीण आबादी के लिए दुर्गम हैं क्योंकि वे विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों की सेवा करते हैं। • निजी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों के पास नौकरी की सुरक्षा कम है।

विदेशी बैंक:

- इन बैंकों की शाखाएं हमारे देश में हैं, भले ही उनका मुख्यालय और पंजीकरण किसी अन्य देश में हैं।
- देश के कुल शाखा नेटवर्क का 1% से भी कम हिस्सा विदेशी बैंकों से बना है। हालांकि, कुल संपत्ति में इनका हिस्सा लगभग 7% है और बैंकिंग उद्योग के मुनाफे मेंये 11% का योगदान देते हैं।
- भारत में काम कर रहे विदेशी बैंकों के लिए आरबीआई का दृष्टिकोण दो मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है:
  1. पारस्परिकता: यह इस तथ्य को संदर्भित करता है कि विदेशी बैंकों को भारत में समान दर्जा तभी प्राप्त होता है यदि उनका गृह राष्ट्र भारतीय बैंकों को बिना किसी प्रतिबंध के शाखाएं स्थापित करने की अनुमति देता है।
  2. उपस्थिति का एकल तरीका: आरबीआई उपस्थिति के एकल मोड को परिभाषित करता है क्योंकि भारत में शाखा मोड या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) मोड के रूप में अनुमति दी जा रही है।
- विदेशी बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी अन्य नीतिगत दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - बैंकों को बेसल मानक की अनिवार्य पूँजी पर्याप्तता आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए।
  - उन्हें 500 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूँजी आवश्यकता को पूरा करना होगा।
  - उन्हें सीआरएआर (CRAR) को कम से कम 10% पर रखना चाहिए।
  - भारत में विदेशी बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य 40% हैं।
  - विदेशी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त नियमों का भी पालन करना चाहिए।
- विदेशी बैंक भारत में प्रतिनिधि स्थापित कर सकते हैं। प्रतिनिधि कार्यालयों को शाखाओं या एजेंसियों की तुलना में कम अधिकार होते हैं।
- प्रतिनिधि कार्यालय आमतौर पर विदेशी बैंकों द्वारा राष्ट्र में उपस्थिति स्थापित करने में पहले कदम के रूप में खोले जाते हैं।
- यद्यपि वे अपने दम पर बैंकिंग संचालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे संभावित ग्राहकों के साथ संबंध विकसित कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, विदेशी बैंक शाखाओं को प्रवेश के लिए कम नियामक बाधाओं वाले क्षेत्रों में काम करने की अधिक संभावना है।
- वर्तमान में, 34 विदेशी बैंक प्रतिनिधि कार्यालयों के रूप में काम कर रहे हैं और 45 विदेशी बैंक विदेशी बैंक शाखाओं के रूप में काम कर रहे हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

- 26 सितंबर, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की शर्तों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में बनाए गए थे।
- ये 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत नरसिम्हन समिति द्वारा अनुशंसित है ।
- इन बैंकों की स्थापना 1975 के एक अध्यादेश और 1976 के आरआरबी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व संयुक्त रूप से क्रमश: राज्य सरकार (15%), भारत सरकार (50%) और प्रायोजक बैंक (35%) के पास है ।
- पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर, 1975 को प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से स्थापित किया गया था।
- भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को नियंत्रित करता है, जबकि नाबार्ड उनके पर्यवेक्षण का प्रभारी है।
- नोट: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वाणिज्यिक बैंकों के समान काम करता है लेकिन उनमें से प्रत्येक छोटी भौगोलिक पहुंच के भीतर होता है ।वर्तमान में, भारत में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो देश भर के 525 जिलों में सेवारत हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

- यह एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत की गई थी।
- बी. शिवरामन समिति की सिफारिशों के कारण इसकी स्थापना हुई।
- उद्देश्य: इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और कृषि विकास का समर्थन करना और वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त विकल्प प्रदान करना है।
- यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की देखरेख करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है? (2013)

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
3. भूमि विकास बैंक

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें-

(*a*) केवल 1 और 2
(*b*) केवल 2
(*c*) केवल 1 और 3
(*d*) 1, 2 और 3

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का महत्व

- वे छोटे ग्रामीण उद्योगों के रूप में कृषि-संबद्ध गतिविधियों खुदरा व्यापार के लिए ऋण देते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास 75% का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य है जहाँ ऋण कृषि गतिविधियों और कमजोर क्षेत्रों को जाता है।
- समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका।
- सबसे हाशिए वाले वर्ग की मदद करता है।

स्थानीय क्षेत्र बैंक

- स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को किफायती संगठनात्मक मॉडल के साथ छोटे निजी संस्थानों के रूप में वर्णित किया गया है जो भौगोलिक प्रतिबंधों के साथ वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं।
- ये बैंक आम तौर पर तीन प्रमुख सन्निहित क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं।
- स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का प्राथमिक लक्ष्य स्थानीय संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण बचत को जुटाना है।
- इसके अतिरिक्त, वे एक ही स्थानीय समुदायों में नए निवेश के अवसर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को पहली बार 1996 में केंद्रीय बजट में अपने पड़ोसी जिलों में स्थानीय रूप से वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने के लिए पेश किया गया था।
- ये बैंक गैर-अनुसूचित बैंकों के रूप में कार्य करते हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक उनके संचालन की देखरेख और नियंत्रण करता है।
- सबसे हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में चार स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) हैं:
  1. तटीय स्थानीय क्षेत्र बैंक लिमिटेड
  2. कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड
  3. कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड
  4. सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कोल्हापुर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक के बीच अंतर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	स्थानीय क्षेत्र बैंक
• वे 1970 के दशक में वित्तीय समावेशन पर एम. नरसिंहम समिति पर आधारित हैं	• ये बैंक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पेश 1996 के बजट पर आधारित हैं।
• इन बैंकों की स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 और 2015 में इसके संशोधन के प्रावधान के तहत की गई है	• वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत आरबीआई में आवेदन करके और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत निजी संस्थाओं द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
• वे सीआरआर और एसएलआर मानदंडों के अधीन हैं, लेकिन आरबीआई उनके लिए अलग मानदंड निर्धारित कर सकता है	• गैर-अनुसूचित बैंक होने के नाते सीआरआर, एसएलआर और पीएसएल आदि कुछ चेतावनियों के साथ लागू होते हैं।
• कुछ जिलों तक सीमित उदाहरण के लिए बड़ौदा ग्रामीण बैंक	• ये बैंक अधिकतम 3 भौगोलिक रूप से निरंतर जिलों में मौजूद होते हैं
• भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम नियामक है लेकिन तत्काल विनियमन अधिकार नाबार्ड के पास हैं	• वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं।

बैंक परिसंपत्तियाँ

- एक बैंक लाभ कमाने के लिए अपने धन को परिसंपत्तियों में रखता है।
- इन संपत्तियों में निवेश, कॉल और शॉर्ट नोटिस पर पैसा, ऋण और अग्रिम और रियायती और खरीदे गए बिल शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह बैंकों के पास मौजूद नकदी और आरबीआई के पास रखी नकदी को भी शामिल करता है।
- देनदारियों में जमा (समय और मांग दोनों) और उधार शामिल हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में शामिल नहीं है? (2019)

   (*a*) अग्रिम

   (*b*) जमा

   (*c*) निवेश

   (*d*) मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस

अनुसूचित सहकारी बैंक:

- यह एक प्रकार की वित्तीय इकाई है जो अपने सदस्य से संबंधित है और जो एक ही समय में अपने बैंक के मालिकों और ग्राहक से संबंधित है।
- ये बैंक सहकारी ऋण संस्थान हैं जो सहकारी समिति अधि नियम 1912 के तहत पंजीकृत हैं।
- ये बैंक पारस्परिक सहायता के सहकारी सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं।
- सहकारी बैंकों की एक त्रि-स्तरीय संरचना है:
  1. प्राथमिक ऋण समितियाँ-पीसीएस (कृषि या शहरी)।
  2. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक- डीसीसीबी (DCCB)।
  3. राज्य सहकारी बैंक-एससीबी (शीर्ष स्तर पर)।
- सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है और शासित किया जाता है-
  - 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम
  - बैंकिंग कानून (सहकारी समिति) अधिनियम 1955 द्वारा

सहकारी बैंकों की विशेषताएं

- लोकतांत्रिक नियंत्रण जहाँ एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत लागू होता है।
- बैंक रहित ग्रामीण जनता में वित्तीय समावेशन सामान्य है।

भारत में सहकारी बैंकिंग के लाभ

- यह ग्रामीण जनता को सस्ता ऋण प्रदान करता है।
- इसने व्यक्तिगत उपभोग के लिएअनुत्पादक उधार को हतोत्साहित किया है।
- इसने पैसे रखने के बजाय बचत और निवेश को प्रोत्साहित किया है।
- इसने उन्नत बीज रासायनिक उर्वरक आधुनिक उपकरणों आदि के लिए उपलब्ध ऋण के माध्यम से कृषि विधियों में क्रांति ला दी है।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

- शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), जिनकी औपचारिक परिभाषा नहीं है, प्राथमिक सहकारी बैंक हैं जो शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- उनके क्षेत्रीय फोकस के कारण, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), और स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) सभी को विभेदित बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- इन बैंकों को केवल 1996 तक गैर-कृषि उपयोगों के लिए ऋण देने की अनुमति थी। आज, यह भेद अब मान्य नहीं है।
- चूंकि वे मुख्य रूप से छोटे उधारकर्ताओं और उद्यमों को वित्त पोषित करते थे, इसलिए ये बैंक ऐतिहासिक रूप से समुदायों और स्थानीय कार्यसमूहों पर केंद्रित थे। उनके वर्तमान व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला है।

शहरी सहकारी बैंकों की चुनौतियाँ:

- दोहरी नियंत्रण: सोसायटी के राज्य रजिस्ट्रार और आरबीआई दोनों का यूसीबी पर दोहरा नियंत्रण है। हालांकि, सभी यूसीबी और बहु-राज्य सहकारी समितियों को 2020 में आरबीआई के नियंत्रण में रखा गया था।
- बदलते वित्तीय क्षेत्र: यूसीबी का निरंतर अस्तित्व, जो आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं, पेशेवर प्रबंधन की कमी होती है, और भौगोलिक रूप से कम विविध संचालन होते हैं, वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन और माइक्रोफाइनेंस, फिनटेक कंपनियों, भुगतान गेटवे, सोशल प्लेटफार्मों, ई-कॉमर्स कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विकास से चुनौती मिलती है।
- सरकारी हस्तक्षेप: सरकार ने शुरू से ही आंदोलन को संरक्षण देने वाला व्यवहार किया है। सहकारी संस्थाओं का व्यवहार सरकार के प्रशासनिक ढांचे के समान था।
- मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार: सहकारी समितियाँ नियामक मध्यस्थता का साधन भी बन गई हैं, जिससे उधार देने और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों से बचा जा सकता है।

- कृषि ऋण में गिरावट आ रही है: आरबीआई के शोध में पाया गया कि इस क्षेत्र के महत्व के बावजूद, सभी कृषि उधार का प्रतिशत समय के साथ लगातार घट रहा है, 1992-1993 में 64% से बढ़कर 2019-20 में सिर्फ 11.3% हो गया है ।
- सीमित पहुँच : इनमें से अधिकांश समितियों में केवल सदस्यों की एक छोटी संख्या है, और वे केवल एक या दो गांवों में काम करते हैं। वे अपनी क्षमताओं या अपने परिचालन क्षेत्र को बढ़ाने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके संसाधन सीमित हैं।

हाल के रुझान

- आरबीआई ने जनवरी 2020 में यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी कार्यवाही फ्रेमवर्क (एसएएफ) को अपडेट किया था।।
- केंद्र सरकार ने जून 2020 में सभी शहरी और बहु-राज्य सहकारी बैंकों को सीधे आरबीआई के अधीन करने के लिए एक अध्यादेश लागू किया।
- 2021 में आरबीआई के नेतृत्व में एक समूह ने यूसीबी के लिए चार-स्तरीय संरचना की सिफारिश की:
  1. टियर 1: सभी यूनिट यूसीबी और वेतन भोगी यूसीबी (जमा आकार के बावजूद) और अन्य सभी यूसीबी जिनके पास 100 करोड़ रुपये तक की जमा राशि है।
  2. टियर 2: 100 करोड़ रुपये से 1,000 करोड़ रुपये के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
  3. टियर 3: 1,000 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये के बीच जमा राशि वाले यूसीबी।
  4. टियर 4: 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा वाले यूसीबी।

ग्रामीण सहकारी बैंक

- ग्रामीण सहकारी बैंक (RCB) ग्रामीण निवासियों के दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों सहकारी ऋण प्रणालियाँ इसमें शामिल हैं।
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), और राज्य सहकारी बैंक अल्पकालिक सहकारी ऋण ढांचे (STCB) के तीन स्तर हैं ।
- 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम पीएसीएस पर लागू नहीं होता है, इसलिए वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित नहीं होते हैं।
- डीसीसीबी रिजर्व बैंक द्वारा शासित होते हैं और राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 (6) के तहत राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण करने की शक्ति है।
- डॉ. प्रकाश बख्शी के नेतृत्व वाली समिति ने ग्रामीण सहकारी बैंक को सलाह दिया कि वे अपने ऋण का कम से कम 70% हिस्सा कृषि क्षेत्र को आवंटित करें ।
- आरसीबी यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि उनके पास तेजी से बदलते ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य से निपटने के लिए आवश्यक कौशल हैं।

शहरी सहकारी और ग्रामीण सहकारी के बीच अंतर

शहरी सहकारी समिति	ग्रामीण सहकारी समिति
• उन्हें अनुसूचित या गैर-अनुसूचित और एकल राज्य या बहुराज्य के आधार पर विभाजित किया गया है • 2018 के बाद से आरबीआई ने उन्हें स्वेच्छा से लघु वित्त बैंकों में अपग्रेड करने की अनुमति दी।उन्हें आगे विभाजित किया जा सकता है	• **दीर्घकालिक:** उदाहरण भूमि बैंक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हैं • **एससीएआरडीबी:** राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक • **PCARDB** प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक • **अल्पावधि:** उदाहरण के लिए राज्य सहकारी बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2021)

1. इनका पर्यवेक्षण और विनियमन राज्य सरकारों द्वारा गठित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है।
2. वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं।
3. 1966 में एक संशोधन के माध्यम से उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1 **(*b*) केवल 2 और 3**

(*c*) केवल 1 और 3 (*d*) 1, 2 और 3

जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी):

- ग्रामीण सहकारी समितियों में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), और प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) शामिल हैं।

- अल्पकालिक सहकारी बैंकों की 3-स्तरीय संरचना:
  1. राज्य सहकारी बैंक
  2. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
  3. प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ
- यद्यपि ग्रामीण सहकारी ऋण का फोकस कृषि है, लेकिन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के 76% और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 11.9% की तुलना में ग्रामीण सहकारी समितियों की कृषि के लिए ऋण प्रवाह में हिस्सेदारी केवल 12.1% है।
- डीसीसीबी जनता से जमा राशि जुटाते हैं और जनता और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2020)

1. कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक ऋण वितरण के संदर्भ में, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं ।
2. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक प्राथमिक कृषि साख समितियों को धन उपलब्ध कराना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2

(*c*) 1 और 2 दोनों

(*d*) न तो 1 और न ही 2

सहकारी बैंक बनाम वाणिज्यिक बैंक

सहकारी बैंक	वाणिज्यिक बैंक
ये सहकारी समिति अधिनियम, 1904 द्वारा शासित सहकारी समितियाँ होती हैं।	वाणिज्यिक बैंक संयुक्त स्टॉक कंपनियाँ हैं जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित होती हैं।
आम तौर पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को लघु, मध्यम और दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं।	आम तौर पर व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के लिए लघु मध्यम और दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं
केवल अपने सदस्यों को वित्त उधार दें, शेयरधारक एक सहकारी बैंक से उधार लेते हैं।	किसी को भी उधार दें जो उधार लेने के लिए तैयार है और बैंक की शर्तों को पूरा करता है।
अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर काम करते हैं।	संचालन बड़े पैमाने पर हो रहा है।
एक कॉर्पोरेट बैंक की गतिविधियों का दायरा अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करने तक सीमित है।	वाणिज्यिक बैंक वित्तीय सहायता और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।
सहकारी बैंक भारत में एक संघीय संरचना के रूप में काम करते हैं।	वाणिज्यिक बैंकों में एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की संरचना होती है।
सहकारी बैंक राज्य सरकारों, नाबार्ड और आरबीआई के पर्यवेक्षण के अधीन होते हैं	वाणिज्यिक बैंक सीधे भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में आते हैं।

अनुसूचित बैंक और गैर-अनुसूचित बैंक के बीच अंतर-

अनुसूचित बैंक	गैर-अनुसूचित बैंक
• उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को नकद आरक्षित अनुपात जमा करने की आवश्यकता होती है • वे भारतीय रिजर्व बैंक में धन उधार लेने या जमा करने के लिए पात्र हैं। • उन्हें जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और आरबीआई मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है • इन बैंकों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अनुसूचित सहकारी बैंकों को दो भागों में विभाजित किया गया है	• वे सीआरआर के पैसे को अपने पास रख सकते हैं। • भारतीय रिजर्व बैंक से उनका उधार खिड़की संचालन, भारतीय रिजर्व बैंक के विवेक पर निर्भर करता है • उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा भी करनी होगी • कई सहकारी बैंक हैं जो प्रकृति में गैर-अनुसूचित हैं

बैंकों का राष्ट्रीयकरण: I और II

- भारतीय वित्तीय क्षेत्र में टेक्टोनिक बदलाव तब देखा गया जब इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में 14 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।
- उस दौरान कई एशियाई देश बाजार आधारित नीतियों पर स्विच कर रहे थे जबकि भारत समाजवादी नीतियों का समर्थन करता था।
- वर्तमान में बैंकिंग संकट ने बैंकों के निजीकरण पर एक बहस को फिर से शुरू कर दिया है।

- राष्ट्रीयकरण प्रबंधन या स्वामित्व के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को राज्य या केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है।
- भारत में राष्ट्रीयकरण के अधिनियम द्वारा, जो बैंक पहले निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों को जन्म मिला।
- इन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उपयोग किया गया था।
- बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता
  - समाज कल्याण के लिए
  - बैंकिंग आदतों को विकसित करने के लिए
  - बैंकिंग क्षेत्र के विस्तार के लिए
  - निजी एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए
  - क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए
  - क्षेत्र ऋण को प्राथमिकता देने के लिए

कारक जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कारण बने

- स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा अपनाए गए नियोजित आर्थिक विकास ने राष्ट्रीयकरण नीति को आवश्यक बना दिया
- यह परेशानी के दशक का भी परिणाम था जहाँ
  - भारत को आर्थिक और राजनीतिक झटके का सामना करना पड़ा था उदाहरण के लिए चीन और पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध।
  - सूखे और खाद्य की कमी के लगातार वर्ष और परिणामस्वरूप PL480 कार्यक्रम जहाँ अमेरिकी खाद्य निर्यात पर निर्भरता के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ।
  - तीसरी वर्ष की योजना की छुट्टी ने कुल मांग को प्रभावित किया क्योंकि सार्वजनिक निवेश कम हो गया था।
  - उद्योगों ने 1951 और 1968 के बीच वाणिज्यिक बैंकों से ऋण में दोगुनी हिस्सेदारी देखी, जबकि कृषि को कुल ऋण का 2% से कम प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीयकरण के लाभ

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में लगभग 800% की वृद्धि हुई।
- बैंकों की स्थिरता के बारे में जनता के विश्वास और विश्वास में वृद्धि।
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली देश के सबसे दूरस्थ कोने तक पहुंच गई है।
- बैंक में सार्वजनिक जमा में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

- भारतीय बैंकिंग उद्योग में लगातार परिवर्तन आया है, जो एक विशेष उद्योग से सामाजिक परिवर्तन और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाले उद्योग में परिवर्तित हो गया है। वित्तीय क्षेत्र को, हालांकि, हाल ही में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
- उदाहरण के लिए, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का कामकाज परिसंपत्ति गुणवत्ता, वित्तीय सुदृढ़ता और दक्षता में कमी से बाधित हुआ है।
- वित्त मंत्रालय ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में एनपीए मुद्दे के समाधान के रूप में मान्यता, पुनर्पूंजीकरण, संकल्प और सुधार के चार R की पेशकश की।

नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट 1991: यह भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने के लिए स्थापित किया गया था। समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें थीं

- यह **तीन स्तरीय बैंकिंग संरचना** का सुझाव दिया गया है, अर्थात, राज्य = > जिला = > गांव
- इसने पूँजी के उच्च मानदंडों **से जोखिम भारित पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर)** अनुपात को 10% तक बढ़ाने का सुझाव दिया
- **नकद आरक्षित अनुपात को 10% तक और वैधानिक तरलता अनुपात को समय की अवधि में 25%** तक कम करना
- **यह प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए ऋण का इस 10% तय करने का सुझाव दिया गया है**
- इसने बैंकों को ग्राहकों के लिए अपनी रुचि निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ब्याज दरों के **विनियमन** की सिफारिश की
- यह इस बात पर जोर देता है कि भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ **तीन या चार बड़े वाणिज्यिक बैंक** होने चाहिए

बैंकिंग क्षेत्र में हालिया सुधार

- **रघुराम राजन समिति 2007 की रिपोर्ट** का शीर्षक वित्तीय क्षेत्र में व्यापक सर्वोत्तम सुधारों की सिफारिश की गई सौ छोटे कदम हैं कि कुछ बड़े और आमतौर पर राजनीतिक रूप से विवादास्पद कदमों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय **भारत को उसी दिशा में 100 छोटे कदम उठाने चाहिए**
- **2015-16 के अर्थशास्त्र सर्वेक्षण** में वित्त मंत्रालय ने एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) की समस्या को हल करने के लिएचार आर का सुझाव दिया, जो मान्यता, पुनर्मूल्यांकन, समाधान और सुधार हैं।
- मई 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी पीएसबी को ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए एक **आंतरिक लोकपाल** नियुक्त करने की सलाह दी

- **टीके विश्वनाथन समिति की सिफारिश के आधार पर दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की शुरुआत**
- **पी जे नायक समिति 2014** को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में बैंकों के बोर्ड के प्रशासन की समीक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था

पीजे नायक समिति:

- यह भारत में बैंक बोर्डों के शासन तंत्र में सुधार पर सिफारिशें देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित किया गया था
- समिति को भारत में बैंकों के बोर्डों के शासन की समीक्षा के लिए प्रतिबद्ध के रूप में भी जाना जाता है

समिति की सिफारिशें

- बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम, एसबीआई अधिनियम आदि को निरस्त करना जो सरकार को आधे से अधिक बैंकों का मालिक बनने के लिए मजबूर करता है।
- सरकार को अपनी बैंक होल्डिंग्स को बैंक निवेश बिजनेस (बीआईसी) को होल्डिंग कंपनी या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में स्थानांतरित करना चाहिए।
- बीआईसी के कार्य को करने के लिए एक अंतरिम इकाई के रूप में बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया जाएगा।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो बोर्ड की नियुक्ति के लिए बैंकों के अध्यक्ष और अन्य कार्यकारी निदेशकों का मार्गदर्शन करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन

विलय बनाम समेकन:

- समेकन एक या एक से अधिक कंपनियों का एक नई इकाई में संयोजन है और समेकन एक विलय से अलग है क्योंकि दोनों कंपनियों में से कोई भी कानूनी इकाई के रूप में जीवित नहीं है, जो दोनों कंपनियों की संयुक्त संपत्ति और देनदारियों को रखने के लिए पूरी तरह से नई संस्थाओं का गठन करती है।

विलय की प्रक्रिया

- बैंक विलय **बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949** के तहत विनियमित है।
- कोई भी दो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग इकाइयाँ **विलय वार्ता शुरू** कर सकती हैं, लेकिन विलय की योजना को सरकार द्वारा आरबीआई के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और इसे संसद में रखा जाना चाहिए।
- **संसद** विलय को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के लिए वैकल्पिक तंत्र पैनल ने हाल ही में पीएसपी के विलय के प्रस्ताव की निगरानी के लिए फाइनल मंत्री की अध्यक्षता में एक वैकल्पिक तंत्र पैनल स्थापित किया है।

नोट: भारत में कैमल मॉडल (पूँजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, तरलता और संवेदनशीलता) के आधार पर यह पाया गया है कि निजी क्षेत्र के बैंक लाभप्रदता और तरलता दोनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर हावी हैं, लेकिन पूँजी पर्याप्तता और एनपीए के मामले में परिणाम विपरीत है।

विभेदित बैंक:

- यह एक प्रकार की बैंकिंग प्रणाली है जहाँ आबादी का एक हिस्सा छोटे बैंकों का उपयोग करके बनाया जाता है
- 2019 तक भारत में लगभग 20 करोड़ लोगों के पास बैंकिंग तक पहुंच नहीं थी

भुगतान बैंक:

- ये बैंक ऋण नहीं दे सकते हैं साथ ही क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते हैं लेकिन वे नेट बैंकिंग एटीएम कार्ड डेबिट बैंक और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।
- एक भुगतान बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है क्योंकि यह छोटे पैमाने पर काम करता है और इसमें कोई क्रेडिट जोखिम शामिल नहीं होता है।
- यह 1 लाख रुपये तक की मांग जमा स्वीकार कर सकता है और रेमिटेंस, मोबाइल पेमेंट, ट्रांसफर, खरीद आदि उपलब्ध सेवाएं हैं।
- **नचिकेत मोर समिति द्वारा** कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों की सेवा करने की सिफारिश की गई थी।
- **आवश्यक न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूँजी** ₹ 100 करोड़ है और **न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात** 15% है।
- वे अस्थायी तरलता प्रबंधन के लिए संपार्श्विक के बिना अंतर-बैंक कॉल मनी बाजार और रेपो और सीबीएलओ बाजार तक पहुंच सकते हैं।
- **निम्नलिखित संस्थाएं भुगतान बैंकों के प्रमोटर बनने के लिए पात्र हैं** मौजूदा गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन (पीपीआई) जारीकर्ता, एनबीएफसी कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, मोबाइल फोन कंपनियाँ, सुपरमार्केट चेन, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं, और वास्तविक क्षेत्र सहकारी समितियाँ, आदि।
- **भुगतान बैंक मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं।** क्रेडिट कार्ड भुगतान बैंकों द्वारा जारी नहीं किए जा सकते हैं, वे केवल एटीएम / डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं ।
- भुगतान बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के तहत उधार गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत में 'पेमेंट बैंक' की स्थापना की अनुमति दी जा रही है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? (2016)

1. मोबाइल टेलीफोन कंपनियाँ और सुपरमार्केट चेन, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के पात्र हैं।
2. भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं।
3. भुगतान बैंक कर्ज देने की गतिविधियाँ नहीं कर सकते हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें-

(*a*) केवल 1 और 2 **(*b*) केवल 1 और 3**

(*c*) केवल 2 (*d*) 1, 2 और 3

लघु वित्त बैंक

- कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित। उसकी कम से कम 25% बैंकिंग शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए।
- कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए 75% का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण।
- कंपनी के लोन पोर्टफोलियो का 50% 25 लाख या उससे ऊपर का होना चाहिए।

क्या आपको मालूम है?

एक बाहरी सलाहकार ने आवेदनों की समीक्षा और मूल्यांकन किया। आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोराट ने छोटे बैंकों के लिए बाहरी सलाहकार समिति (External Advisory Committee) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

स्थानीय क्षेत्र बैंक:

- ये बैंक स्थानीय संस्थानों द्वारा ग्रामीण बचत को बढ़ावा देने के लिए कम से कम तीन सन्निहित जिलों में संचालन के साथ निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं
- उनके पास कम से कम 5 करोड़ रुपये की पूँजी होनी चाहिए।
- 40% का प्राथमिक क्षेत्र उधार लक्ष्य जिसमें से 25% कमजोर वर्ग को जाना चाहिए
- 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑन टैप लाइसेंसिंग को **स्थानीय क्षेत्र बैंक** (LAB) को **लघु वित्त बैंक** (SFB) में परिवर्तित करने की अनुमति दी।

लीड बैंक योजना:

- इसका उद्देश्य **एक सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण** के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तरल बैंकिंग और ऋण प्रदान करना है जहाँ एक बैंक को एक क्षेत्र सौंपा गया है, यह 1969 में शुरू की गई थी यह योजना **गाडगिल अध्ययन समूह और बैंकर समिति** पर आधारित थी।

गाडगिल समिति की सिफारिश

- बैंक रहित क्षेत्रों में एकीकृत बैंकिंग सुविधाएं होनी चाहिए
- अनबास्केड क्षेत्रों में क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण जहाँ प्रत्येक बैंक को क्षेत्र को अपनाना चाहिए
- कृषि और पूरक सुरक्षा आय में मदद करें
- योजना के उद्देश्य से सबसे छोटी भौगोलिक इकाई करने वाले जिले की पहचान की जानी चाहिए

एलबीएस से जुड़ी समितियाँ:

1. डी आर गाडगिल समिति
2. श्री एफ.के.एफ. नरीमन समिति
3. उषा थोराट समिति

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. लीड बैंक योजना का मूल ध्येय _____ है (2012)

(*a*) बड़े बैंकों को प्रत्येक जिले में कार्यालय खोलने का प्रयास करना चाहिए।

(*b*) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।

(*c*) अलग-अलग बैंकों को गहन विकास के लिए किसी विशेष जिले को गोद लेना चाहिए।

(*d*) सभी बैंकों को जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करने चाहिए

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (SAA):

- यह लीड बैंक योजना के ष्क्षेत्र दृष्टिकोणष् विधि का एक विकसित संस्करण है।
- एसएए के तहत, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक शाखा को क्षेत्रों के नियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए 15 से 25 गांवों की सेवा के लिए नामित किया गया था और संबंधित शाखा अपने सेवा क्षेत्र के बैंक क्रेडिट की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थी ।
- सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण 1989 में लीड बैंक योजना के हिस्से के रूप में पेश किया गया था।
- एसएए का मुख्य लक्ष्य उधार को बढ़ावा देना था जो उत्पादक था और बैंक क्रेडिट, उत्पादन, उत्पादकता और बढ़ती आय के स्तर के बीच ठोस संबंध बनाता था।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के दायरे में लागू किया गया था (2019)
   (*a*) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम
   (*b*) लीड बैंक योजना
   (*c*) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
   (*d*) राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन

सूक्ष्म वित्त या माइक्रोफाइनेंस:

- **बेरोजगारों या निम्न आय वाले व्यक्तियों या समूहों** को प्रदान की जाने वाली एक प्रकार की बैंकिंग सेवा जो उन्हें आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से गरीबी से बाहर आने में मदद करती है।
- एससीबी के अलावा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई भी माइक्रोफाइनेंस सेवाएं प्रदान करते हैं।
- माइक्रोफाइनेंसिंग कम आय वाली आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रही है। इन सेवाओं में सूक्ष्म-ऋण, सूक्ष्म-बचत और सूक्ष्म-बीमा शामिल हैं।
- माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई) वित्तीय कंपनियाँ हैं जो उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती हैं जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक कोई पहुंच नहीं है। 'छोटे ऋण' की परिभाषा देशों के बीच भिन्न होती है। भारत में, 1 लाख रुपये से कम के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जा सकता है ।
- ज्यादातर मामलों में तथाकथित ब्याज दरें सामान्य बैंकों द्वारा वसूली जाने वाली दरों की तुलना में कम होती हैं, इस अवधारणा के कुछ प्रतिद्वंद्वी माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं पर गरीब लोगों के पैसे में हेरफेर करके लाभ पैदा करने का आरोप लगाते हैं ।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. माइक्रोफाइनेंस कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाओं का प्रावधान है। इसमें उपभोक्ता और स्वरोजगार दोनों शामिल हैं। प्रदान की गई सेवाएं और सूक्ष्म-वित्त है: (2011)
   1. ऋण सुविधाएं
   2. बचत सुविधाएं
   3. बीमा सुविधाएं
   4. निधि अंतरण सुविधाएं

   सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें:
   (*a*) केवल 1 (*b*) केवल 1 और 4
   (*c*) केवल 2 और 3 **(*d*) 1, 2, 3 और 4**

भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक के बीच अंतर

पैमाना	लघु वित्त बैंक	भुगतान बैंक
परिभाषा	भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के वंचित और वंचित क्षेत्रों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लघु वित्तीय बैंक बनाए हैं।	एक नियमित बैंक के समान, एक भुगतान बैंक बहुत छोटे पैमाने पर व्यवसाय करता है। उन्हें अपने ग्राहकों को किसी भी प्रकार की क्रेडिट सहायता प्रदान करने की अनुमति नहीं है।
उद्देश्यों	वंचित क्षेत्रों, सीमांत और छोटे किसानों, लघु और सूक्ष्म उद्योगों और असंगठित क्षेत्रों में विशेष रूप से काम करने वाली अन्य फर्मों को ऋण सुविधाओं और ऋण की पेशकश करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना	भुगतान बैंक होने का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन का प्रावधान है- • लघु बचत खाते प्रदान करना • प्रवासी मजदूरों, कम आय वाले समूहों, छोटे व्यवसायों और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य व्यवसायों को भुगतान सेवाओं का प्रेषण।
आवश्यक न्यूनतम पूँजी	लघु वित्त बैंकों के लिए भुगतान की जाने वाली न्यूनतम इक्विटी पूँजी 100 करोड़ रुपये है।	भुगतान बैंक के लिए भुगतान की जाने वाली न्यूनतम इक्विटी पूँजी 100 करोड़ रुपये है।
समय जमा	आवर्ती और सावधि जमा लघु वित्त बैंकों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं	इन बैंकों द्वारा समय जमा स्वीकार नहीं किया जाता है
ऋण	वे छोटे ऋण की पेशकश कर सकते हैं	वे किसी भी ऋण की पेशकश करने के लिए पात्र नहीं हैं
प्रतिबंध	वे वंचित समुदायों में नियमित बैंकों की तरह काम करते हैं। उनके कामकाज पर कोई वित्तीय प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है	वे गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों से संबंधित सेवाओं के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना करने के लिए पात्र नहीं हैं
पहली बार शुरुआत	भारत का पहला लघु वित्त बैंक पूँजी लघु वित्त बैंक था, जिसे 2016 में शुरू किया गया था	भारत का पहला भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक था, जिसे 2016 में भी शुरू किया गया था

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को संस्थागत वित्त के दायरे में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप भारतीय समाज के गरीब वर्ग के वित्तीय समावेशन के लिए इससे सहमत हैं? अपनी राय को सही ठहराने के लिए तर्क दें। (2016)

भारत में यूनिवर्सल बैंकिंग

- यूनिवर्सल बैंकिंग बैंकिंग की एक प्रणाली है जहाँ बैंक निवेश बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, विकास बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाओं जैसी वित्तीय सेवाओं का विस्तार करते हैंद्य
- बचत और ऋण के अलावा सार्वभौमिक बैंक निवेश और सुरक्षा जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड परियोजना, वित्त प्रेषण, भुगतान प्रणाली अपने संचालन बीमा आदि के लिए समग्र सार्वभौमिक बैंकिंग एक छतरी के नीचे वित्तीय उत्पाद के लिए एक सुपर स्टोर है
- आरएच खान समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में सार्वभौमिक बैंकिंग की अवधारणा विकसित की गई थी

सार्वभौमिक बैंकिंग के लाभ

- लाभप्रदता और विपथन में वृद्धि
- संसाधन उपयोग में दक्षता
- मूल्य वर्धित सेवा प्रदान करना
- लेन-देन लागत में काफी कमी

सार्वभौमिक बैंकिंग पर आरबीआई के दिशानिर्देश

- सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं का अनुपालन।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 का अनुपालन , जिसके लिए निदेशकों की कुल संख्या के कम से कम 51% को विशेष ज्ञान और अनुभव होना आवश्यक है।
- बैंक उस कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी के 30% से अधिक शेयर नहीं रख सकते हैं
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन जो किसी बैंक या सुरक्षा कार्यालय द्वारा अपने शेयरों को ऋण और अग्रिम देने पर प्रतिबंध लगाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति का अनुपालन जो अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शाखाओं की कुल संख्या का कम से कम 25% है ।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए।

यूनिवर्सल बैंक बनाम विभेदक बैंक

पैमाना	यूनिवर्सल बैंक	विभेदक बैंक
खुली शाखाएँ	वे बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में 25% शाखाएं खोलने के बाद कहीं भी शाखाएं खोल सकते हैं।	स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा खोलने पर भौगोलिक प्रतिबंध हैं।
जमा स्वीकार करना	वे किसी भी राशि के समय और मांग जमा दोनों को स्वीकार करते हैं।	वे भुगतान बैंकों को छोड़कर समय और मांग जमा दोनों स्वीकार करते हैं जो केवल अधिकतम 1 लाख स्वीकार कर सकते हैं।
ऋण देना	वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार मानदंड के 40% के बाद किसी को भी ऋण दे सकते हैं	• लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए 75% प्रदान करना होगा • पेमेंट बैंक ऋण नहीं दे सकता

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. यदि निकट भविष्य में एक और वैश्विक वित्तीय संकट होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाहियों/नीतियों से भारत को कुछ प्रतिरक्षा मिलने की संभावना है? (2020)

1. अल्पकालिक विदेशी उधार पर निर्भर न होना
2. अधिक विदेशी बैंकों के लिए खोलना
3. पूर्ण पूँजी खाता परिवर्तनीयता बनाए रखना

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें:

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

2. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग के शासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (2018)

1. पिछले एक दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूँजी प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दुरुस्त करने के लिए सहयोगी बैंकों का मूल भारतीय स्टेट बैंक में विलय प्रभावित हुआ है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1 **(*b*) केवल 2**

(*c*) 1 और 2 दोनों (*d*) न तो 1 और न ही 2

कोष की सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर)

- इसने वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार दरों को निर्धारित करने के लिए आधार दर को बदल दिया।
- यह सबसे कम ब्याज दर है जो एक बैंक ऋण लेते समय चार्ज कर सकता है।
- यह एक आंतरिक बेंचमार्क है जो अवधि से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि बैंक आंतरिक रूप से दर निर्धारित करता है कि ऋण कितने समय तक चुकाया जाना है।
- एमसीएलआर वास्तविक जमा दरों से निकटता से जुड़ा हुआ है और इसकी गणना चार घटकों के आधार पर की जाती है:
  1. निधियों की सीमांत लागत
  2. अवधि प्रीमियम
  3. परिचालन लागत
  4. नकद आरक्षित अनुपात के कारण ऋणात्मक कैरीऑन

एमसीएलआर का उद्देश्य:

- बैंक की उधार दरों में नीतिगत दर के संचरण में सुधार
- ब्याज दर के निर्धारण के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों में पारदर्शिता लाना
- उधारदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के लिए उचित दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- ऋणदाता और बैंक को प्रतिस्पर्धी होने और लंबे समय में उनके मूल्य में सुधार करने में सक्षम बनाना

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. आरबीआई द्वारा घोषित फंड की सीमांत लागत आधारित उधार दर (Marginal Cost of Funds based Lending Rate) का उद्देश्य क्या है? (2016)

1. ये दिशानिर्देश अग्रिमों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
2. ये दिशानिर्देश ब्याज दरों पर बैंक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो उधारकर्ताओं के साथ-साथ बैंकों के लिए भी उचित हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें-

(*a*) केवल 1 (*b*) केवल 2

(*c*) 1 और 2 दोनों (*d*) न तो 1 और न ही 2

बेस रेट और एमसीएलआर में अंतर

आधार दर	एमसीएलआर
• वित्तपोषण की औसत लागत का उपयोग करती है • यह गणना रिटर्न की न्यूनतम दर को ध्यान में रखती है • नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने के लिए आवश्यक परिचालन व्यय और व्यय से प्रभावित	• धन की वृद्धिशील या सीमांत लागत के आधार पर • यह गणना कारक अवधि प्रीमियम है • इसकी गणना जमा और रेपो दरों के साथ-साथ परिचालन लागत और नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने की लागत को ध्यान में रखते हुए की जाती है

मौद्रिक नीति का संचरण:

- इसमें बताया गया है कि आरबीआई द्वारा नीतिगत दर में किए गए बदलाव उधार और मुद्रास्फीति जैसी अन्य आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करते हैं।
- उदाहरण के लिए यदि हम नीतिगत दरों को कम कर रहे हैं तो उधार दरों को कम करने का लाभ ग्राहकों को दिया जाना चाहिए

संचरण के तंत्र:

- **ब्याज दर:** सरकारी ऋण बाजार, क्रेडिट बाजार या इक्विटी बाजार जैसे क्षेत्रों में ब्याज दरें, और मुद्रा बाजार संबंधित हैं
- **क्रेडिट:** बैंक फंडिंग पर उच्च निर्भरता के कारण मौद्रिक संचरण में बैंक उधार और बैलेंस शीट चौनल महत्वपूर्ण हैं
- **विनिमय दर:** मुद्रा दर मूल्यह्रास मुद्रास्फीति जोखिम का एक प्रमुख स्रोत है
- **परिसंपत्ति मूल्य:** विशेष रूप से शेयर की कीमतें रुचि परिवर्तन के साथ बदलती हैं, हालांकि प्रभावों की मात्रा कम है

मौद्रिक नीति संचरण के लिए चुनौतियाँ:

- वित्त पोषण लागत लचीली नहीं है क्योंकि भारत में उधार का बड़ा हिस्सा ग्राहक जमा खातों के माध्यम से होता है जबकि डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र जारी करने के माध्यम से बाजार उधार बहुत कम होता है।

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि:** क्योंकि बैंक सीमांत उधार दर में भारित औसत लैंडिंग दर को अधिक रखते हैं
- मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के अनुसार भारत की आर्थिक मंदी ने ऋण वृद्धि को बाधित किया है जिसके परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति कम हो गई है
- **नीतिगत दरों को बाजार से न जोड़ना:** क्योंकि रेपो दर मौद्रिक नीति समिति द्वारा प्रशासित की जाती है जिसे बाजार निर्धारित दर नहीं माना जा सकता है
- बकाया ऋणों का लगभग 3/4 हिस्सा किसी भी बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा नहीं है

बाहरी बेंचमार्क उधार दर: 2019 में आरबीआई ने पूर्ण पारदर्शिता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक समान बाहरी बेंचमार्क अपनाया है। जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को चार बाहरी बेंचमार्किंग तंत्रों में से चुनने की पेशकश की है जो हैं

- भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर
- 91 दिन का ट्रेजरी बिल
- 182 दिन का ट्रेजरी बिल
- वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुझाए गए किसी अन्य बेंचमार्क

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल)

- देश की बुनियादी जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये क्षेत्र भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। बैंकों को ऋण के पर्याप्त और समय पर प्रवाह के साथ इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने का अधिकार है
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत श्रेणियाँ कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य हैं

प्राथमिक क्षेत्र ऋण में सहायक लक्ष्य:

- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों को इन क्षेत्रों को अपने उधार का 40% अलग रखना अनिवार्य है
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों को पीएसएल के लिए 75% अलग रखना होगा
- दंडात्मक कार्यवाही: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो क्षेत्रों (पीएसएल) को ऋण देने में कम पड़ते हैं, वे नाबार्ड के भीतर स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) के लिए कुछ राशि आवंटित करेंगे जैसा कि आरबीआई द्वारा समय-समय पर तय किया गया है

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिक क्षेत्र उधार के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश:

- कुल निवल बैंक ऋण का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में जाना चाहिए।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का 10% या कुल शुद्ध बैंक ऋण का 10%, जो भी अधिक हो
- कमजोर वर्ग को जाना चाहिए।
- कुल निवल बैंक ऋण का 18% कृषि अग्रिमों में जाना चाहिए।
- कृषि के लिए लक्ष्य, समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाना है।
- एएनबीसी की 5 या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर की क्रेडिट समकक्ष राशि, जो भी अधिक हो, सूक्ष्म उद्यमों को दी जानी चाहिए।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) एक तंत्र है जो बैंकों को कमी की स्थिति में इन साधनों की खरीद द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- यह अधिशेष बैंकों को भी प्रोत्साहित करता है क्योंकि यह उन्हें लक्ष्यों से अधिक अपनी अतिरिक्त उपलब्धि बेचने की अनुमति देता है जिससे प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत श्रेणियों को ऋण देने में वृद्धि होती है।
- पात्र वित्तीय संस्थान: एससीबी, आरआरबी, एलएबी, लघु वित्त बैंक, शहरी सहकारी समिति ।
- यह सिर्फ एक लेखांकन सिद्धांत है क्योंकि परिसंपत्ति (या जोखिम) का कोई हस्तांतरण नहीं है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र _____ उधार का गठन करता है (2013)

(*a*) कृषि

(*b*) सूक्ष्म और लघु उद्यम

(*c*) कमजोर वर्ग

(*d*) उपर्युक्त सभी

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) मॉडल:

- भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए 2006 में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) मॉडल लॉन्च किया।

- बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बैंकों के प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें एटीएम और बैंक शाखाओं के बाहर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का काम सौंपा जाता है।
- यह सरकारी सहायता और सामाजिक सुरक्षा लाभों को सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा करना संभव बनाता है, जिससे उन्हें बैंक साथी या स्थानीय व्यापार संवाददाताओं से पैसा निकालने की अनुमति मिलती है।
- बीसी मॉडल के माध्यम से बैंक सुविधाओं को अनिवार्य रूप से समुदायों में लाया जाता है। वे अपने खाते में पैसे जोड़ सकते हैं और इसे निकाल सकते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. शाखा रहित क्षेत्रों में व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक साथी) की सेवाओं से लाभार्थी कौन-सी सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं? (2014)

1. यह लाभार्थियों को उनके गांवों में सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
2. यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को जमा और निकासी करने में सक्षम बनाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें-

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 4

निवल मांग और समय देयताएं

- एक बैंक की कुल मांग और बैंक की समय देनदारियों (जमा) और किसी अन्य बैंक द्वारा आयोजित परिसंपत्तियों के रूप में इसकी जमा राशि के बीच के अंतर को 'शुद्ध मांग और समय देनदारियों' शब्द द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में, बैंक की शुद्ध मांग और समय देनदारियों की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है:
- बैंक का NDTL = मांग और समय देनदारियाँ (जमा) अन्य बैंकों के साथ जमा
- उदाहरण के लिए यदि किसी बैंक ने दूसरे बैंक के साथ 5000 जमा किए हैं और इसकी कुल मांग और समय देनदारियाँ (अन्य बैंक जमा सहित) 10,000 हैं।तब शुद्ध मांग और समय देनदारियाँ 5,000 (10,000-5,000) होंगी।
- इसलिए, एक बैंक की जमा उसकी देनदारियाँ हैं, जिसमें मांग दायित्व, समय देनदारियाँ और अन्य प्रकार की मांग और समय देनदारियाँ शामिल हो सकती हैं।

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर:

- मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) बैंकों के लिए आपात स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने की एक खिड़की है जब इंटरबैंक तरलता पूरी तरह से सूख जाती है।
- आरबीआई ने 2011-2012 में मौद्रिक नीति सुधार के हिस्से के रूप में सीमांत स्थायी सुविधा शुरू की।
- जब सभी उपलब्ध उधार सहायता का उपयोग किया गया है, तो बैंक आरबीआई से जुर्माना दर पर पैसा उधार ले सकते हैं।
- सीमांत स्थायी सुविधा, जिसे सीमांत स्थायी सुविधा दर के रूप में भी जाना जाता है, बैंकों को रेपो दर से अधिक दर पर पैसा उधार लेने में सक्षम बनाता है।

इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- तरलता समायोजन सुविधा के तहत बैंक रेपो रेट से ज्यादा रेट पर सरकारी एसेट्स की गारंटी देकर आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं।
- रेपो दर से एक प्रतिशत अंक अधिक, या 100 आधार अंक, वह जगह है जहाँ एमएसएफ दर निर्धारित की जाती है।
- बैंकों को एमएसएफ के तहत अपनी निवल मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) का 1% तक उधार लेने की अनुमति है।
- भारतीय रिजर्व बैंक को एक करोड़ रुपये से शुरू होने वाली राशि के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं और इसमें एक करोड़ रुपये की वृद्धि होती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'सीमांत स्थायी सुविधा दर' और 'शुद्ध मांग और समय देनदारियाँ', जो कभी-कभी समाचारों में दिखाई देती हैं, का उपयोग _____ के संबंध में किया जाता है (2014)

(a) बैंकिंग प्रचालन

(b) संचार नेटवर्किंग

(c) सैन्य रणनीतियाँ

(d) कृषि उत्पादों की आपूर्ति और मांग

पैसे की मांग और आपूर्ति:

मांग: कीन्स के तरलता वरीयता सिद्धांत के अनुसार, लोग 3 उद्देश्यों के लिए पैसा रखने की इच्छा रखते हैं-

- **लेन-देन का मकसद:** लेनदेन करना।
- **सट्टा मकसद:** जब पैसा रखना पैसा उधार देने या निवेश करने की तुलना में कम जोखिम भरा होता है।
- **एहतियाती मकसद:** भविष्य में अप्रत्याशित परिस्थितियों को पूरा करने के लिए। जैसे किसी भी कारण से अचानक मृत्यु

आपूर्ति:

यह अर्थव्यवस्था में किसी भी बिंदु पर प्रचलन में धन की मात्रा है।

भारत में धन की आपूर्ति के माप को M0 के साथ चार श्रेणियों M1, M2, M3 और M4 में वर्गीकृत किया गया है

- रिजर्व मनी (M0) – प्रचलन में मुद्रा + आरबीआई के साथ बैंकर्स डिपॉजिट + आरबीआई के पास अन्य जमा। इसे हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है।
- उच्च शक्ति वाला धन: यह देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता है।
- नैरो मनी: यह अत्यधिक तरल धन है जिसका उपयोग बैंक उधार देने के लिए नहीं कर सकते हैं।
- M1 = जनता के साथ मुद्रा + बैंकिंग प्रणाली के साथ मांग जमा + भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अन्य जमा।
- M2 = M1 + डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा
- ब्रॉड मनी: यह एक अर्थव्यवस्था में कुल पैसा है यानी, सकल धन संसाधन
- बैंकिंग प्रणाली के साथ M3 = M1 + समय जमा।
- M4 = M3 + डाकघर बचत बैंकों के साथ सभी जमा।
- तरलता अवरोही क्रम में दर्शाया जाता है – M1>M2>M3>M4

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. यदि आप अपने बैंक में अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 1,00,000 रुपये नकद निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव _____ होगा (2020)
   (*a*) 1,00,000 रुपये की कमी
   (*b*) 1,00,000 रुपये की वृद्धि
   (*c*) 1,00,000 रुपये से अधिक की वृद्धि
   (*d*) यह अपरिवर्तित रहेगा

लीगल टेंडर या वैध मुद्रा:

- वैध मुद्रा या लीगल टेंडर एक सिक्का या बैंकनोट है जो ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए कानूनी रूप से देय है।
- सिक्का अधिनियम, 2011 की धारा 6 के तहत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के, भुगतान में वैध मुद्रा होंगे।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया प्रत्येक बैंकनोट भारत में उस राशि के लिए कानूनी धन के रूप में मान्य है, जब तक कि इसे प्रचलन से वापस नहीं लिया जाता है।
- राष्ट्र के किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार के लेन-देन के निपटान के लिए मना नहीं किया जा सकता है।
- कानूनी निविदा दो प्रकार की होती है: सीमित और असीमित।
- भारत में, मुद्रा नोटों की वैध मुद्रा की स्थिति असीमित है लेकिन सिक्कों की स्थिति प्रतिबंधित है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध मुद्रा के अर्थ का सही वर्णन करता है? (2018)
   (*a*) वह धनराशि जो कानूनी मामलों के शुल्क का भुगतान करने के लिए न्यायालयों में दी जाती है।
   (*b*) वह धन जिसे लेनदार अपने दावों के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य है।
   (*c*) बैंक का पैसा चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि के रूप में होता है।
   (*d*) किसी देश में धात्विक मुद्रा जो प्रचलन में है।

एनपीए और तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ:

- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ ऋण और बकाया हैं जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा उधार दिए जाते हैं जिनके मूलधन और ब्याज में 90 दिनों से अधिक की देरी होती है और जो अब बैंक के लिए आय उत्पन्न नहीं करते हैं।
- एनपीए को दिनों की संख्या, भुगतान किए गए मूलधन और देय ब्याज के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- उपरोक्त कारकों के आधार पर उन्हें घटिया संपत्ति, संदिग्ध संपत्ति और हानि संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

भारत में एनपीए के पीछे का कारण:

- **विशाल आर्थिक विकास (2004-2009):** कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य और क्रेडिट रेटिंग का विश्लेषण किए बिना उधार गतिविधियों में वृद्धि हुई
- अधिकांश निवेश सड़क, बिजली, विमानन, इस्पात आदि जैसे बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में था।
- बाद में खनन परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के साथ, पर्यावरण परमिट में देरी के कारण कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर हुआ, जिससे बिजली, इस्पात और लौह उद्योग प्रभावित हुए, जिसने कंपनियों की ऋण चुकाने की क्षमता को प्रभावित किया।

गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

- **मानक परिसंपत्ति:** यह एक प्रकार की निष्पादित परिसंपत्तियाँ है जो निरंतर आय और पुनर्भुगतान बनाती है जब तक कि वे देय न हो जाएं, इन परिसंपत्तियों में सामान्य जोखिम होता है और ये वास्तविक अर्थों में एनपीए नहीं होते हैं।

Special Mention Account	Principal/Interest Payment & Partly/Wholly Due
SMA-0	1 -30 Days
SMA-1	31 -60days
SMA-2	61-90 Days

- जब कोई ऋण जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों से कम समय के लिए बकाया है, तो इसे विशेष उल्लेख खाता (SMA) कहा जाता है।
- **परिसंपत्तियों के प्रकार:**
- **घटिया परिसंपत्तियाँ:** ये ऋण और अग्रिम हैं जो 12 महीने की अवधि के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ हैं
- **संदिग्ध परिसंपत्तियाँ:** जब कोई परिसंपत्ति 12 महीने से अधिक समय तक गैर-निष्पादित होती है
- **घाटे की परिसंपत्तियाँ (Loss assets):** ये ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें आगे पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है

भारत में एनपीए पर अंकुश लगाने के उपाय:

एनपीए की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कानूनी वित्तीय और नीतिगत स्तरों पर कुछ उपाय किए हैं, कुछ को व्यवहार में लाने के लिए **नरसिम्हन समिति** की सिफारिशों पर गौर किया गया है

ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने मामलों को निपटाने के लिए समय कम कर दिया है, हालांकि कुछ स्थानों पर मामले दो साल से अधिक समय से लंबित हैं

- एक सांविधिक निकाय जो सिविल न्यायालय की तरह व्यापक आदेश पारित कर सकता है
- आगे की अपील ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT) में निहित है
- **सीमाएं:** अदालतों को समय लगा और तब तक परिसंपत्ति मूल्य शून्य हो जाता है

सरफेसी (वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन) अधिनियम 2002:

- इस अधिनियम के तहत बैंकों को किसी भी अदालत की भागीदारी के बिना **1 लाख या उससे अधिक की बकाया शेष राशि के** साथ एनपीए में सुरक्षित परिसंपत्तियों का अधि ग्रहण और निपटान करने की अनुमति है
- यह अधिनियम लागू होता है यदि कोई उधारकर्ता 6 महीने से अधिक समय तक अपने भुगतान में चूक करता है तो ऋणदाता **60 दिनों के भीतर** उधारकर्ता को उसके बकाया के लिए नोटिस भेज सकता है यदि देय स्पष्ट नहीं है तो वित्तीय संस्थान **सुरक्षित परिसंपत्तियों का कब्जा** ले सकता है और हस्तांतरण या प्रबंधन कर सकता है।

उद्देश्य:

- भारत में प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना
- परिसंपत्ति मूल्य के पुनर्निर्माण के लिए एआरसी को एनपीए के हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रदान करता है

विधियाँ:

3 वैकल्पिक विधियाँ प्रदान करता है :-

- प्रतिभूतिकरण
- संपत्ति पुनर्निर्माण
- सुरक्षा का प्रवर्तन (अदालत के हस्तक्षेप के बिना)

SARFAESI से संबंधित अन्य तथ्य:

- केवल एक **सुरक्षित ऋण पर लागू होता है।**
- यह एक प्रवर्तन कानून के साथ डीआरटी (DRT) को शक्ति देता है
- यह ऐसी कंपनियों में निदेशक मंडल को बदल सकता है, ऐसी संपत्तियों की नीलामी कर सकता है, **एआरसी (ARC) और एनबीएफसी** को भी ऐसी संपत्तियों को बेच सकता है
- सरफेसी **कृषि ऋण पर लागू नहीं है।**

सरफेसी शक्ति रखने वाले ऋणदाता: सभी प्रकार के बैंक, एचएफसी, यदि कोई एनबीएफसी दो शर्तों को पूरा करता है

1. ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति का आकार,
2. दिया गया ऋण कम से कम ₹ 50 लाख है।

सरफेसी अधिनियम की सीमाएं

- डीआरटी और डीआरटी में **कर्मचारियों की कमी** है। वर्ष 2016 में 1 लाख से अधिक **मामले लंबित** थे। इससे परिसंपत्ति मूल्य में गिरावट आती है।
- कुछ व्यवसायों में, नीलामी या परिसमापन से सबसे अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता है। ऐसे मामलों में, यदि ऋणों का पुनर्गठन किया जाता है तो बैंक अधिक मूल्य बचा सकते हैं।
- लेकिन, सरफेसी अधिनियम **इस तरह की मध्यस्थता की सुविधा नहीं देता है।** इसलिए, सरकार एक नया कानून यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के साथ आई

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का गठन परेशानी वाले ऋणों से मूल्य निकालने के लिए किया गया था, इससे पहले लैंडर केवल अदालतों के माध्यम से अपने सुरक्षा हित को लागू कर सकते थे जो एक लंबी प्रक्रिया थी। **इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में विनियमित किया जाता हैद्य**

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

- भारत के **आर्थिक सर्वेक्षण** के अनुसार, यह **चक्रव्यूह चुनौती** को समाप्त करने के लिए बनाया गया था जो भारतीय कंपनियों के बाहर निकलने की समस्या थी।
- इसके अनुसार, **यदि 75% ऋणदाता पुनर्गठन या समाधान योजना के लिए सहमत नहीं होते हैं** तो परिसंपत्तियों को समाप्त कर दिया जाएगा।

- यदि कोई व्यक्तिगत साझेदारी फर्म या कंपनी व्यवसाय ऋण पर चूक करती है तो वित्तीय लेनदार **राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)** से संपर्क कर सकते हैं या कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण आवेदन स्वीकार करता है तो यह 180 से 270 दिनों की मोहलत देगा।
- फिर **दिवालिया पेशेवर** वित्तीय लेनदारों से बने लेनदारों की समिति के समक्ष योजना पेश करेगा।

आईबीसी में अपील संरचना:

- यदि उधारकर्ता व्यक्तिगत या साझेदारी फर्म है तो पहले वह ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संपर्क करेगा और फिर ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (क्टाज) से संपर्क करेगा
- यदि उधारकर्ता एक कंपनी है तो राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण

आईबीसी संशोधन 2021: कॉर्पोरेट एमएसएमई के लिए प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (पीपीआईपीआरपी)

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दिवालियापन कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से संपर्क करने से पहले कॉर्पोरेट देनदार (सीडी) और ऋणदाता के बीच एक समाधान व्यवस्था पर सहमति होती है।
- यह लेनदारों की समिति (CoC) को कंपनी के प्रबंधन में बदलाव करने और 66% वोटिंग द्वारा समाधान पेशेवर को नियंत्रण पारित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार धोखाधड़ी गतिविधियों/कुप्रबंधन से बचाता है

नोट: सीओसी वित्तीय लेनदारों की अनुपस्थिति में कॉर्पोरेट देनदार (सीडी) या परिचालन लेनदारों के वित्तीय लेनदारों से बना है

गैर निष्पादित परिसंपतियों की समयरेखा:

साल	घटनाएँ
1993	ऋण वसूली न्यायाधिकरण का गठन
2002	• सरफेसी अधिनियम • संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी • त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही
2014	पीजे नायक समिति
2015	• इंद्रधनुष: एबीसीडीईएफजी फॉर्मूले का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए किया गया यह सबसे व्यापक सुधार है। • बैंक बोर्ड ब्यूरो • रणनीतिक ऋण वसूली : जिन कॉरपोरेट्स ने बैंकों से लोन लिया है, अगर वे चुकाने में असमर्थ हैं, तो बैंक आंशिक या पूर्ण ऋण को इक्विटी शेयरों में बदल सकते हैं। • S4A: तनावग्रस्त संपत्ति की सतत संरचना • आईबीसी (दिवाला और दिवालियापन संहिता)
2016	• S4A: तनावग्रस्त संपत्ति की सतत संरचना • आईबीसी (दिवाला और दिवालियापन संहिता)
2017	पुनर्पूंजीकरण बांड
2018	सशक्त परियोजना
2021	राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI)

- यह दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत स्थापित किया गया था
- यह देश में दिवाला और दिवालियापन कार्यवाही को नियंत्रित करता है
- यह दिवाला पेशेवर एजेंसी, दिवाला पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं की गतिविधियों की देखरेख करता है

त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (PCA)

- त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही एक ढांचा है जिसके तहत कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले वित्तीय संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में रखा जाता है
- खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता के कारण कम पूँजीकृत बैंक के लिए एक प्रारंभिक हस्तक्षेप तंत्र

- बैंक के स्वास्थ्य की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण मीट्रिक
- यह 2 सिद्धांतों पर आधारित है :-
  1. प्रारंभिक पहचान
  2. समाधान के उपाय
- तीन जोखिम थ्रेसहोल्ड पूँजी (Thresholds Capital), परिसंपत्ति गुणवत्ता और उत्तोलन प्रदान करता है।
- प्रयोज्यता: यह भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) को छोड़कर सभी एससीबी पर लागू होता है।

नोट: शहरी सहकारी बैंक के लिए पर्यवेक्षी कार्यवाही फ्रेमवर्क नामक एक अलग तंत्र है

मिशन इंद्रधनुष:

- मिशन इंद्रधनुष एक 7-चरण कार्यक्रम है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौती को संबोधित करता है
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के संचालन को पुनर्गठित करना और उन्हें निजी क्षेत्र के बैंकों जैसे अपने समकक्षों के साथ पूरा करने के लिए सशक्त बनाना है
- मिशन इंद्रधनुष को वित्त मंत्रालय द्वारा 2015 में किसके आधार पर शुरू किया गया था?
  - भारत में बैंकों के बोर्डों के शासन पर पीजे नायक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और
  - बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बढ़ती आर्थिक मजबूरी

मिशन इंद्रधनुष के सात घटक

- **नियुक्ति:** वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर सरकार ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों के पद को अलग करने का फैसला किया। और योग्यता के आधार पर पद की चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी
- **बोर्डब्यूरो:** पूर्णकालिक निदेशकों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के नियुक्ति बोर्डों को बदलने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो नामक प्रतिष्ठित पेशेवरों का एक निकाय स्थापित किया जाना था
- **पूँजीकरण:** बेसल III के न्यूनतम मानदंडों से ऊपर एक सुरक्षित बफर रखने के लिए भारत सरकार सभी बैंकों को पर्याप्त रूप से पूँजीकृत करना चाहती है
- **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को तनावमुक्त करना**
- फंसे हुए ऋणों की वसूली में तेजी लाने के लिए नए ऋण वसूली न्यायाधिकरण बनाकर
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक जीवंत ऋण बाजार विकसित करना ताकि आगे उधार देने के लिए बैंकों पर दबाव कम किया जा सके
- **सशक्तिकरण:** समयबद्ध तरीके से ग्राहक की चिंता को दूर करने के लिए एक **मजबूत शिकायत निवारण** तंत्र के माध्यम से **सशक्तिकरण**
- **जवाबदेही का ढांचा:** प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के नए ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक स्थापित किया जाना चाहिए
- **शासन सुधार:** ज्ञान संगम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के एक सम्मेलन ने शासन सुधार की प्रक्रिया शुरू की, यह प्रभावी बैंकिंग के लिए 6 अलग-अलग विषयों पर केंद्रित समूह चर्चा थी

सशक्त परियोजना

- परियोजना के तहत उधारदाताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी भी ऋणदाता को अपने पहले चूक की तारीख से 30 दिनों के भीतर उधारकर्ता के खाते को पुन: प्रस्तुत करते समय **एक** अंतर-लेनदार समझौता या **इंटर-(आईसीए) क्रेडिटर एग्रीमेंट** में प्रवेश करें, जहाँ:
  - 50 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण का प्रबंधन बैंक स्तर पर 90 दिनों की समय सीमा के साथ किया जाता है।
  - पचास करोड़ रूपये से अधिक के बैंक ऋण के लिए बैंक को एक अंतर-लेनदार समझौता करना होगा, जिसमें अग्रणी बैंक को 180 दिनों में समाधान योजना लागू करने या संपत्ति को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के पास भेजने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- **पीएनबी के चेयरमैन सुनील मेहता** की अध्यक्षता वाली समिति ने इस परियोजना का प्रस्ताव दिया था ताकि दबाव वाली परिसंपत्तियों को समेकित करने में मदद मिल सके।

अंतर लेनदार समझौता:

- पहले की प्रक्रियाओं के विपरीत जहां आम सहमति की जरूरत थी, अब **ऋण मूल्य के हिसाब से ऋणदाता के 75% या संख्या के हिसाब से 60% के समझौते** की आवश्यकता है।
- इसमें कहा गया है कि समाधान प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी **लीड बैंक की है जो वह बैंक है जिसका ऋण में सबसे अधिक हिस्सा है।**

विविध: गैर निष्पादित परिसंपत्तिया

ब्याज कवरेज अनुपात:

- ब्याज कवरेज अनुपात **एक ऋण और लाभप्रदता अनुपात** है जिसका उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण का भुगतान करने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है।
- इसकी **गणना** किसी दिए गए अवधि के दौरान **ब्याज और करों (ईबीआईटी)** से पहले किसी कंपनी की आय को उसके ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है।

- एक कवरेज अनुपात, मोटे तौर पर, एक पैमाना है **जिसका उपयोग किसी कंपनी की अपने ऋण की सेवा करने और अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को मापने के लिए** किया जाता है, जैसे कि ब्याज भुगतान या लाभांश।
- **कवरेज अनुपात जितना अधिक होगा,** कंपनी के लिए ऋण पर ब्याज का भुगतान करना उतना ही आसान होगा।

टीजर लोन:

- टीजर लोन कोई भी लोन है जो खरीद प्रोत्साहन के रूप में एक निश्चित समय के लिए कम ब्याज दर प्रदान करता है।
- टीजर लोन ऋण जारीकर्ताओं के लिए एक आम प्रचार पेशकश है जो अक्सर उधारकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को आकर्षित करती है।
- कम-परिचयात्मक दर वाले क्रेडिट कार्ड और समायोज्य-दर बंधक आम टीजर ऋण के उदाहरण हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2009 में होम लोन में टीजर लोन अवधारणा की शुरुआत की थी।
- टीजर लोन को सबप्राइम लेंडिंग (Subprime lending) का एक पहलू माना जाता है।
- टीजर ऋण आम तौर पर उद्यमियों और नए घर के मालिकों को प्रदान किए जाते हैं। अनुभव कोई कसौटी नहीं है।
- सबप्राइम लेंडिंग कम क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ताओं को उधार देने की प्रथा है जो भविष्य में डिफॉल्ट के जोखिम के संपर्क में आ सकती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 'टीजर ऋण' की पेशकश आर्थिक चिंता का कारण क्यों है? (2012)

1. टीजर ऋणों को सबप्राइम ऋण देने का एक पहलू माना जाता है और बैंकों को भविष्य में चूककर्ताओं/डिफाल्टर के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
2. भारत में, टीजर ऋण ज्यादातर अनुभवहीन उद्यमियों को विनिर्माण या निर्यात इकाइयाँ स्थापित करने के लिए दिया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. भारत में एक फर्म के 'ब्याज कवरेज अनुपात' शब्द का क्या महत्व है? (2020)

1. यह एक फर्म के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है जिसे एक बैंक ऋण देने जा रहा है।
2. यह एक फर्म के उभरते जोखिम का मूल्यांकन करने में मदद करता है जिसे एक बैंक ऋण देने जा रहा है।
3. एक उधार लेने वाली फर्म का ब्याज कवरेज अनुपात का स्तर जितना अधिक होता है, उसकी ऋण चुकाने की क्षमता उतनी ही खराब होती है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें।

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

बैड बैंक

एक बैड बैंक वित्तीय इकाई जो बैंकों की बैलेंस शीट को निपटाने के उद्देश्य से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को खरीदने के लिए स्थापित की गई है ताकि बोझ को कम किया जा सके और ग्राहक को बिना किसी बाधा के उधार दिया जा सके

- **राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL): बजट 2021-22** में NARCL की स्थापना की घोषणा की गई थी कि यह बैंकों और भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड से खराब ऋण का अधिग्रहण करेगा जो तब इन परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगा और उनके मूल्य में वृद्धि करेगा
- **राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (NARCL) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व में 51%** होगा
- **इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल)** की स्थापना एनएआरसीएल, निजी और सार्वजनिक बैंकों को अधिग्रहित परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने और अंतिम समाधान के लिए उनके मूल्य में सुधार करने की कोशिश करने के लिए एक साथ सहायता करने के लिए की गई थी।

एक राष्ट्रीय बैड बैंक के लिए प्रस्ताव:

- **इंडियन बैंक एसोसिएशन** ने 2020 में आरबीआई और सरकार को एक राष्ट्रीय बैड बैंक स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार बैड बैंक **शुरू में लगभग 75000 करोड़ रुपये के बैड लोन की बुक के साथ शुरू** होगा
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17** में ट्विन बैलेंस शीटस समस्या नामक एक प्रमुख मुद्दे को मान्यता देते हुए एक सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जिसे **पैरा (सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्ति पुनर्वास एजेंसी) कहा जाता है**

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी:

- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण को श्ऐसी वित्तीय सहायता के मूल्य की प्राप्ति के लिए एआरसी द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में बैंक के अधिकार या ब्याज के अधिग्रहणश के रूप में परिभाषित किया गया है।
- वे **कंपनी अधिनियम के तहत शामिल** हैं और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों के प्रवर्तन (सरफेसी), अधिनियम 2002 की धारा 3 के **तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत** हैं।

प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात (पीसीआर)

- यह **भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण विनियमन मानदंड का** हिस्सा है और संपत्ति खराब होने पर सक्रिय हो जाता है
- इसके अनुसार बैंकों को अपनी खराब संपत्ति का एक निध र्ारित हिस्सा अलग रखना होगा
- इस प्रकार पीसीआर **व्युत्क्रमानुपाती है**-
  - संपत्ति की गुणवत्ता
  - बैंक की लाभप्रदता

बेसल मानदंड

बेसल मानदंड वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग नियामक मानकों के एक सामान्य लक्ष्य के साथ दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए व्यापक पर्यवेक्षी ढांचे हैं

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति बैंक के विनियमन के लिए प्राथमिक वैश्विक मानक निर्धारक है

बेसल I:

यह ऋण जोखिम से संबंधित था, इसने 1988 में पूँजी माप प्रणाली शुरू की

आवश्यक न्यूनतम पूँजी जोखिम भारित परिसंपत्तियों के 8% पर निर्धारित की गई थी

इसने पूँजी को दो श्रेणियों में विभाजित किया:

- **टियर 1 पूँजी:** यह बैंक की मुख्य पूँजी बनाता है क्योंकि यह **वित्तीय ताकत का एक प्राथमिक उपाय है**
- **टियर 2 पूँजी:** यह कम विश्वसनीय है क्योंकि इसका उपयोग टियर 1 पूँजी के लिए पूरक वित्त पोषण के लिए किया जाता है। इन्हें समाप्त करना अधिक कठिन है।

नोट: बेसल II मानदंडों को अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है लेकिन भारत इन मानदंडों का पालन करता है।

बेसल II:

इसके दिशानिर्देश **तीन स्तंभों** पर आधारित थे

- **पूँजी पर्याप्तता आवश्यकताएं:** पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) एक बैंक की पूँजी का अनुपात है जो उसकी जोखिम-भारित परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के संबंध में है। (न्यूनतम 8%) प्रत्येक बैंक को इसे बनाए रखना होगा, **भले ही उसकी परिसंपत्ति एनपीए बन गई हो या नहीं**
- **पर्यवेक्षी समीक्षा:** सभी तीन प्रकार के जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए जो एक बैंक का सामना करना पड़ता है जो **क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और संचालन जोखिम** है
- **बाजार अनुशासन:** जिसके अनुसार बैंकों को नियमित रूप से केंद्रीय बैंकों को अपने **सीएआर, जोखिम जोखिम और संबंधित जानकारी** की रिपोर्ट करनी चाहिए

बेसल III:

दिशानिर्देश पूँजी, उत्तोलन, वित्त पोषण और तरलता जैसे **चार मापदंडों** पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक लचीली बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए हैं

पूँजी: इसके लिए 11% के पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) की आवश्यकता होती है जहाँ टियर 1 पूँजी अनुपात 9% और टियर 2 पूँजी अनुपात 2% पर होता है, इसके अलावा बैंकों को **2.5% का पूँजी संरक्षण बफर** बनाए रखना होगा और **काउंटर-साइक्लिकल बफर** को भी **0-2.5%** पर बनाए रखना होगा।

लीवरेज दर बैंकों की **टियर 1 पूँजी का औसत कुल समेकित परिसंपत्तियों का** अनुपात है। बैंकों का उत्तोलन अनुपात 3% होना चाहिए।

बेसल III मानदंडों के अनुसार वित्त पोषण और तरलता दो तरलता अनुपात हैं

- **तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)** जिसके लिए बैंक को **तीव्र अल्पकालिक तनाव** परिदृश्य में नकदी के बहिर्वाह से निपटने के लिए **उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों का बफर** रखने की आवश्यकता होती है, यह बैंक के चलने जैसी स्थिति को रोकने के लिए भी है
- बैलेंस शीट के लिए एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखने के लिए नेट स्टेबल फंड रेट

पूँजी संरक्षण बफर: पूँजी जिसे तनावग्रस्त परिदृश्य में उपयोग करने के लिए **सीएआर के बगल में अलग रखा** जाना चाहिए (2.5%) इस प्रकार अलग रखी जाने वाली कुल पूँजी = CAR + CCB = 9 + 2.5 = 11.5%

काउंटरसाइक्लिकल कैपिटल बफर (सीसीसीबी): यह एक बैंक को आर्थिक स्थिति में मंदी या विस्थापन के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद करता है। CCCB के अनुसार बैंकों को **अच्छे समय के दौरान अपनी पूँजी का एक हिस्सा अलग रखने की** आवश्यकता होती है जब **संकट के समय इसका उपयोग करने के लिए** ऋण तेजी से बढ़ रहे होते हैं

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. बेसल III समझौता या सिर्फ 'बेसल III' जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है,क्या है? (2015)

(*a*) जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना

(*b*) बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता आर्थिक तनाव में सुधार और जोखिम प्रबंधन में सुधार

(*c*) यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है लेकिन विकसित देशों पर भारी बोझ डालता है

(*d*) प्रशीतन में हानिरहित रसायनों के साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को बदलने में सक्षम बनाने के लिए विकसित देशों से गरीब देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2018)

1. पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) वह राशि है जिसे बैंकों को अपने स्वयं के धन के रूप में बनाए रखना होता है ताकि किसी भी नुकसान की भरपाई की जा सके जो खाताधारक बकाया चुकाने में विफल रहते हैं।
2. सीएआर प्रत्येक बैंक द्वारा व्यक्तिगत रूप से तय किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1 (*b*) केवल 2

(*c*) 1 और 2 दोनों (*d*) न तो 1 और न ही 2

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान (SIFI)

- वे वित्तीय संस्थान हैं जो उनके **आकार, क्रॉस-क्षेत्राधिकार गतिविधि, जटिलता, स्वामित्व की कमी, परस्पर संबंध और विकल्प की कमी के** कारण व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- उन्हें **असफल होने के लिए बहुत बड़ा** भी माना जा सकता है जो संकट के समय में इस संस्था के लिए सरकारी सहायता प्रदान करता है।
- जिन बैंकों की कुल संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक है, उन्हें इस समूह में शामिल किया गया है जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक
- **संस्थानों की विफलता** संभावित रूप से आवश्यक सेवाओं में व्यवधान पैदा कर सकती है जो वे बैंकिंग प्रणाली को प्रदान करते हैं और समग्र आर्थिक गतिविधि में बाधा डाल सकते हैं
- **घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक:** घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक से निपटने के लिए आरबीआई ने 2015 से नामित बैंक के नामों का खुलासा किया है और इन बैंकों को उचित टोकरी में रखा है।

नोट: इनके अलावा 2020-21 के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा **घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं** की भी पहचान की गई है।

बैंकिंग लोकपाल

- लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक सरकारी अधिकारी है जो सार्वजनिक संगठन के खिलाफ आम लोगों की शिकायतों और शिकायतों से निपटता है
- यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी प्रकार के बैंकों को कवर करता है

आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना:

- यह तीन आरबीआई लोकपाल योजनाओं को जोड़ती है जो **2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, 2018 की लोकपाल योजना पर एनबीएफसी और 2019 की डिजिटल लेनदेन लोकपाल योजना** हैं
- यह भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित संस्थाओं जैसे और NBFC तैयार उपकरणों आदि के प्रति ग्राहक शिकायत का प्रभावी निवारण प्रदान करता है
- यह 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जमा राशि के साथ गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी समिति को भी कवर करता है

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका मुख्य काम उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार तथा चिटफंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस के लिए मानदंड:

- उन्हें कंपनी अधिनियम में पंजीकृत किया जाना चाहिए
- यह या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या सीमित कंपनी होनी चाहिए
- इसमें शुद्ध स्वामित्व वाली निधि के रूप में कम से कम 2 करोड़ होने चाहिए

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के प्रकार:

इसे **3 व्यापक श्रेणियों** के तहत विभाजित किया जा सकता है

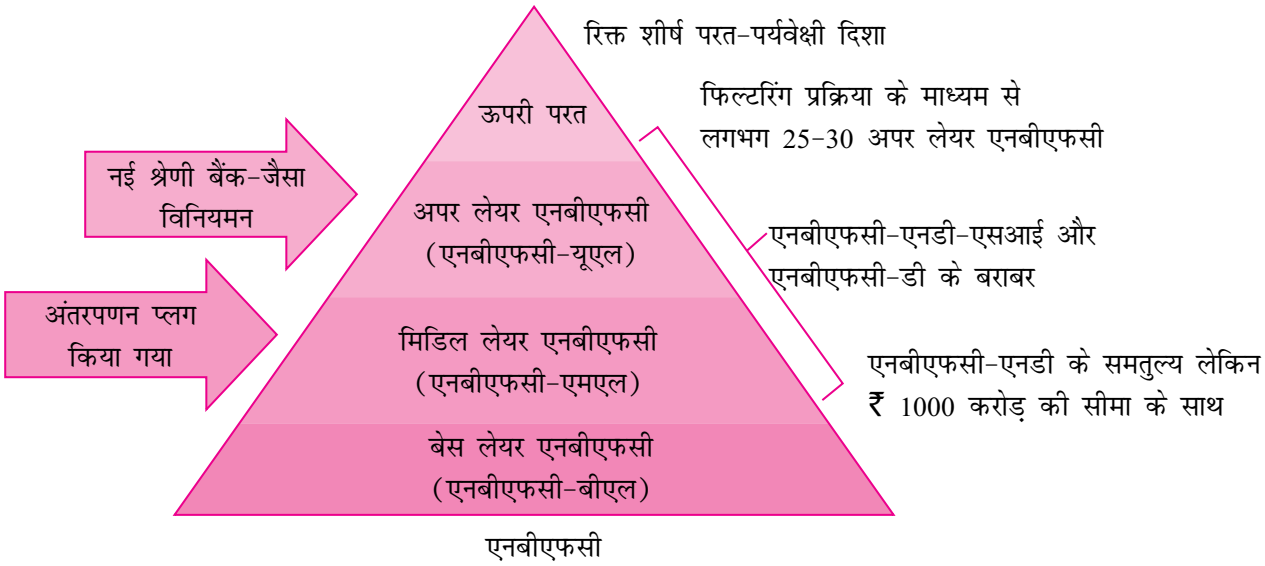
1. **गतिविधि की प्रकृति के आधार पर:** उदाहरण परिसंपत्ति वित्त कंपनी, ऋण कंपनी, निवेश कंपनी, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनी, बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी, एनबीएफसी माइक्रोफाइनेंस संस्थान आदि हैं
2. **जमा के आधार पर:** उन्हें जमा स्वीकार करने वाले **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी** और गैर-जमा स्वीकार करने वाले **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी** में विभाजित किया गया है
3. **उनकी संपत्ति के आकार के आधार पर:** व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी और गैर-व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी में विभाजित

एनबीएफसी का विनियमन

- विनियमन और पर्यवेक्षण **तीन मुख्य लक्ष्यों** जमाकर्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण और वित्तीय स्थिरता पर आधारित हैं
- चरम स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक **अधिनियम 1934 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने का** अधिकार है
- भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में NBFC के लिए **चार स्तरीय तंत्र** के माध्यम से नियामक तीव्रता में प्रगतिशील वृद्धि का प्रस्ताव दिया है
- आधार परत और बीएफसी के एनपीए के वर्गीकरण में 180 दिनों से 90 दिनों तक की कमी

संशोधित स्केल-आधारित नियामक (एसबीआर) फ्रेमवर्क: इसके अनुसार एक स्केल-आधारित नियामक (एसबीआर) ढांचा उन एनबीएफसी पर लागू होगा, जिनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर **चार-स्तर** हैं।

स्केल आधारित दृष्टिकोण-इंट्रोड्यूसिंग स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क



गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का महत्व

- भारत जैसे विकासशील देशों में बैंक फाइनेंस तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
- वे बाजार क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो उच्च जोखिम और कम रिटर्न प्रदान करते हैं जहाँ वाणिज्यिक बैंक सेवा नहीं करते हैं।

वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

पैमाना	वाणिज्यिक बैंक	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
पंजीकरण	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत।	कंपनी अधिनियम के तहत।
पर्यवेक्षण	आरबीआई	यह सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड और प्क्राप् द्वारा बीमा कंपनियों की तरह भिन्न होता है।
प्रवेश पूँजी	500 करोड़ रुपये	माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए 5 करोड़ अन्य के लिए यह 200 करोड़ है।
जमा	डीआईसीजीआई अधिनियम के तहत बीमित समय और मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं।	केवल जमा लेने वाली एनबीएफसी और डीआईसीजीसीआई अधि नियम के तहत इसका बीमा नहीं है।

विवेक पर निर्भर	सीआरआर और एसएलआर लागू।	जमा लेने वाली एनबीएफसी एसएलआर की आवश्यकता होती है लेकिन आरबीआई अलग-अलग स्लैब निर्धारित कर सकता है सीआरआर किसी भी प्रकार के एनबीएफसी पर लागू नहीं होता है

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित)

- **निवेश और क्रेडिट कंपनी:** यह 2019 में परिसंपत्ति वित्त कंपनी, ऋण कंपनी आदि जैसी पिछली एनबीएफसी श्रेणियों को विलय करके शुरू की गई एक नई श्रेणी है
- **कोर निवेश कंपनी** वे एसबीआई, एलआईसी और कॉर्पोरेट्स के स्वामित्व वाली आईएल एंड एफएस जैसी कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश करते हैं
- **परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी** वे बैंकों और अन्य से खराब ऋण खरीदते हैं और अंतर्निहित परिसंपत्तियों से मूल्य वसूलने की कोशिश करते हैं
- मालेगाम समिति की सिफारिश के आधार पर 2010 में माइक्रोफाइनेंस संस्थान बनाया गया। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है
- **मुद्रा बैंक 2015** गैर-जमा लेने वाला एनबीएफसी है जो **सिडबी के स्वामित्व** में है जो पीएम मुद्रा योजना के आधार पर **सूक्ष्म उद्यमों को अप्रत्यक्ष ऋण** प्रदान करता है

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (सेबी द्वारा विनियमित)

- **स्टॉक ब्रोकर:** शेयर और बॉन्ड खरीदने और बेचने के लिए हेल्पलाइन, उदाहरण शेरखान
- **म्यूचुअल फंड:** म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने ग्राहकों से पूल किए गए पैसे से शेयरों और बॉन्ड में निवेश करता है जैसे एसबीआई का शरिया इक्विटी एमएफ
- **आरईआईटी/इनविट (REIT@InVit):** पूल किए गए धन को अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश किया जाता है
- **वेंचर कैपिटल फंड:** इक्विटी फाइनेंस के माध्यम से स्टार्टअप कंपनी की मदद करना, उदाहरण के लिए IFCI

दूसरों द्वारा विनियमित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान

- **IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण)** जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमा कंपनियों और पॉलिसी एग्रीगेटर प्लेटफार्मों को नियंत्रित करता है
- **पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)** EPFO और अन्य वैधानिक निधियों को छोड़कर पेंशन निधि को नियंत्रित करता है
- **राष्ट्रीय आवास बैंक:** स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थान को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में काम करने के लिए शीर्ष निकाय
- **कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय:** निधि कंपनियों और माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को नियंत्रित करता है
- **चिट फंड का राज्य रजिस्ट्रार:** चिट फंड सदस्यों द्वारा मासिक योगदान और उधार के साथ एक प्रकार की सामूहिक निवेश योजना है।

स्विफ्ट प्रणाली: सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन

- स्विफ्ट एक वैश्विक वित्तीय संदेश सेवा है जो वित्तीय संस्थानों को **सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से अपने वित्तीय लेनदेन** के बारे में जानकारी भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
- स्विफ्ट लेनदेन की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में **काम करता है लेकिन यह वास्तव में पैसे को स्थानांतरित नहीं करता है।**
- हालांकि, संगठन व्यक्तियों या वित्तीय संस्थानों की ओर से **खातों का प्रबंधन नहीं करता** है, और यह तीसरे पक्ष से **धन नहीं रखता है।** यह **समाशोधन या निपटान कार्य भी नहीं करता है।**

इसकी पहचान **आठ अक्षरों वाले स्विफ्ट कोड UNCRITMM** द्वारा की जाती है।

- **पहले चार वर्ण** संस्थान कोड (यूनिक्रेडिट बैंका के लिए यूएनसीआर) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- निम्नलिखित **दो वर्ण** देश कोड (जैसे इटली के लिए आईटी है) हैं।
- निम्नलिखित दो वर्ण स्थान/शहर कोड (मिलान के लिए डड) हैं।
- **अंतिम तीन वर्ण** वैकल्पिक हैं, लेकिन संगठन उनका उपयोग कुछ शाखाओं को कोड नामित करने के लिए करते हैं।

स्विफ्ट प्रतिबंध रूस को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?

- स्विफ्ट से एक बैंक का बहिष्करण तकनीकी रूप से विदेशियों के साथ अपने और अपने ग्राहकों के वित्तीय लेनदेन करने, दायित्वों को पूरा करने, निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त करने या आयात के लिए अल्पकालिक क्रेडिट प्रदान करने से रोक देगा।
- इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बैंकिंग में शामिल अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को रोकने की क्षमता है।

- रूस की घरेलू भुगतान प्रणाली भी उस बिंदु तक बाधित हो सकती है जहाँ प्रमुख क्रेडिट कार्ड नेटवर्क (वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि) द्वारा जारी किसी भी कार्ड के साथ सभी लेनदेन स्विफ्ट के माध्यम किये जाने चाहिए।
- रूस की बैंकिंग प्रणाली में व्यवधान यूरोप को ऊर्जा आपूर्ति के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में कमोडिटी निर्यात को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे ऊर्जा और खाद्य कीमतों में अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है जो कोविड-19 ,आपूर्ति की कमी, प्रतिकूल मौसम और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण पहले से ही उच्च है।

स्विफ्ट के विकल्प:

- एसपीएफएस (वित्तीय संदेशों के हस्तांतरण के लिए प्रणाली) रूस के सेंट्रल बैंक का स्विफ्ट वित्तीय हस्तांतरण प्रणाली का संस्करण है। रूसी केंद्रीय बैंक ने क्रीमिया के 2014 के आक्रमण के बाद इसकी स्थापना की। बैंक ऑफ रूस की **वित्तीय संदेश प्रणाली (एफएमएस)** एक वैकल्पिक इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय संदेश चौनल प्रदान करती है जिसे 'स्विफ्ट एनालॉग' के रूप में जाना जाता है।
- **क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट** सिस्टम (CIPS) स्विफ्ट का एक चीनी संस्करण है। क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम(ब्च्प्ै) काफी छोटा है, जिसमें लगभग 1,300 वित्तीय संस्थान भाग लेते हैं, जिनमें से अधिकांश अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं।
- क्रिप्टोकरेंसी सीमा पार भुगतान के लिए एक और विकल्प है। रूस एक शडिजिटलश रूबल भी विकसित कर रहा है, जिसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

भारत पर प्रभाव:

- भारत में रूसी आपूर्ति आदेश रद्द किए जा सकते हैं, और घरेलू निर्यातक भी कुछ को रद्द करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि सभी रूसी बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क का उपयोग करने से रोक दिया जाता है, तो भुगतान में देरी होगी, जिससे संभावित रूप से व्यापार बाधित होगा।
- चूंकि भारत का रूस के साथ व्यापार असंतुलन है, इसलिए कुछ उदाहरणों में वस्तु विनिमय प्रणाली को आसानी से सक्रिय किया जा सकता है।
  - व्यापार घाटे को देखते हुए लंबे समय में भारत पर इसका असर सीमित रहेगा।
  - भारत मुख्य रूप से रूस से पेट्रोलियम उत्पाद, हीरे और अन्य कीमती पत्थर और उर्वरक खरीदता है। यह पूँजीगत सामान, फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक रसायनों और कार के पार्ट्सका रूस को निर्यात करता है।

भारत के लिए वैकल्पिक तंत्र:

- जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, तो स्थानीय व्यवसायों को भुगतान को रुपये-रियाल आर्किटेक्चर के समान प्रणाली का उपयोग करके मंजूरी दी गई थी, जिसे भारत अपना सकता है।
  - रुपया-रियाल पद्धति ने भारतीय रिफाइनरों को ईरान से कच्चे तेल का आयात करने के लिए यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक में चुनिंदा रुपये-खातों को खरीदने की अनुमति दी।
  - भारतीय निर्यातकों को बारी-बारी से इस पैसे से भुगतान किया जाता था। यह तब तक चलता रहा जब तक कच्चे तेल को अमेरिकी प्रतिबंध सूची से हटा नहीं दिया गया।

❖ ❖ ❖

11 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारत में मौद्रिक नीति

केंद्रीय बैंक का अर्थ

- केंद्रीय बैंक या एक रिजर्व बैंक एक संस्था है जो एक राज्य की संप्रभु मुद्रा और मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है और आमतौर पर उनकी वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की देख-रेख करता है।
- वाणिज्यिक बैंक की तुलना में, एक रिजर्व बैंक के पास अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आधार बढ़ाने पर एकाधिकार होता है।
- दुनिया के अधिकांश केंद्रीय बैंकों के पास सदस्य संस्थानों की स्थिरता सुनिश्चित करने, बैंक चलाने से रोकने और सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वाले व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए पर्यवेक्षी और नियामक शक्तियाँ हैं।
- आमतौर पर वे विकसित राष्ट्रों में होते हैं, वे अपने कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप से संस्थागत रूप से स्वतंत्र होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास

स्थापित	1 अप्रैल 1935 य 87 वर्ष पूर्व
स्वामित्व	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
गवर्नर (वर्तमान)	शक्तिकांत दास

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसे 1 अप्रैल, 1935 को शेयरधारकों के बैंक के रूप में स्थापित किया गया था।
- आरबीआई कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन (1926) की रिपोर्ट के जवाब में आरबीआई अधिनियम, 1934 के माधयम से स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- आरबीआई शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- यह भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है।
- आरबीआई सरकार के प्रतिनिधि के रूप में IMF में भारत की सदस्यता का भी प्रतिनिधित्व करता है।
- आरबीआई को भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- आरबीआई ने अपने इस चरित्र को चौदह वर्ष से थोड़ा कम समय के लिए बनाए रखा। 1 जनवरी, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और तब से यह पूर्ण रूप से राज्य के स्वामित्व में है। हालाँकि RBI के पास काफी संस्थागत स्वतंत्रता है, यह 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में है।
- राष्ट्रीयकरण के बाद, यह तकनीकी अर्थ में 'बैंक' नहीं रह गया, क्योंकि इसने जनता से जमा स्वीकार करना पूरी तरह से बंद कर दिया।
- आरबीआई के चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं: नई दिल्ली में उत्तर, चेन्नई में दक्षिण, कोलकाता में पूर्व और मुंबई में पश्चिम।

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं:

"भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकनोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाएं रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को धयान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।"

आजादी के बाद से आरबीआई का विकासमूलक इतिहास

1950-1960	• 1950 के दशक में, भारत सरकार ने एक केंद्रीय नियोजित आर्थिक नीति विकसित की जो कृषि क्षेत्र पर केंद्रित थी। • प्रशासन ने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 के आधार पर स्थापित किया, जिसे बाद में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कहा गया।

1961–1968	• बैंक क्रैश के जवाब में, आरबीआई से जमा बीमा प्रणाली की स्थापना और निगरानी करने का अनुरोधकिया गया था। • इसका उद्देश्य राष्ट्रीय बैंक प्रणाली में विश्वास बहाल करना था। • भारत सरकार ने राष्ट्रीय बैंक बाजार का पुनर्गठन किया और वित्तीय बाजार में बहुत सारे संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया। जिसके कारण आरबीआई को इस सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने और समर्थन देने में केंद्रीय भूमिका निभानी पड़ी।
1969–1984	• 1969 के वर्ष में, सरकार ने भारत में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बाद में जब 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई, तो और छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। • 1970 और 80 के दशक में, केंद्रीय बैंक केंद्रीय खिलाड़ी बन गया और ब्याज, आरक्षित अनुपात और दृश्य जमा जैसे विभिन्न कार्यों के लिए अपनी नीतियों में बहुत वृद्धि की। • बैंकिंग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1969 को भारत सरकार की अर्थव्यवस्था पर गैर-बैंकिंग वित्तीय मधयस्थों और स्वदेशी बैंकिंग सहित बैंकिंग लागतों, विधनों और बैंकिंग प्रक्रियाओं के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए की गई थी।
1985–1990	• डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया ने अप्रैल 1988 में मौद्रिक बाजार में अपना परिचालन शुरू किया और जुलाई 1988 में स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास बाजार में निवेश करने के लिए मजबूर किया गया और एक नए वित्तीय कानून ने अधिक सुरक्षा उपायों और उदारीकरण द्वारा प्रत्यक्ष जमा की परिवर्तनशीलता में सुधार किया।
1991–1999	• 1991 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संकुचित हुई। • अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य में 18% की गिरावट आई। • नरसिम्हम समिति ने वित्तीय क्षेत्र को अस्थायी रूप से कम आरक्षित अनुपात के साथ-साथ बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात द्वारा पुनर्गठन की सलाह दी।
	• भारत के केंद्रीय बैंक ने बैंक हितों और वित्तीय बाजार के कुछ क्षेत्रों जैसे ट्रस्ट और संपत्ति बाजारों को विनियमित किया।
2010 से	• 2016 के मद्देनजर, भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना के लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया। • इसने ब्याज दरों को निर्धारित करने में आरबीआई की भूमिका को सीमित कर दिया, क्योंकि एमपीसी (MPC) सदस्यता आरबीआई के सदस्यों और भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित है। • 2018 में, RBI ने घोषणा की कि RBI द्वारा विनियमित संस्थाएँ किसी भी व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थाओं के साथ व्यवहार या सेवाएँ प्रदान नहीं करेंगी जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी या आभासी मुद्राओं से सम्बद्ध हैं।

क्या आप जानते हैं?

इस तथ्य के बावजूद कि 1937 में बर्मा (म्यांमार) भारतीय संघ से अलग हो गया, रिजर्व बैंक बर्मा पर जापानी कब्जे तक और फिर अप्रैल 1947 तक बर्मा का केंद्रीय बैंक बना रहा। रिजर्व बैंक ने **भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में तब तक काम किया** जब तक कि जून 1948, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने परिचालन शुरू नहीं किया।

आरबीआई का संस्थागत संगठन

केंद्रीय निदेशक मंडल

गवर्नर
↓
उप गवर्नर
↓
कार्यकारी निदेशक
↓
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
↓
मुख्य महाप्रबंधक
↓

महाप्रबंधक
↓
उप महाप्रबंधक
↓
सहायक महाप्रबंधक
↓
प्रबंधक
↓
सहायक प्रबंधक
↓
सहयोगी कर्मचारी – वर्ग

- आरबीआई की संस्थागत संरचना में, केंद्रीय निदेशक मंडल आरबीआई की मुख्य समिति है।
- आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 8 के अनुसार, भारत सरकार चार साल की अवधि के लिए निदेशकों की नियुक्ति करती है।
- बोर्ड में शामिल हैं–
  - गवर्नर
  - उप गवर्नर, चार से अधिक नहीं
  - क्षेत्रीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार निदेशक
  - दो – आमतौर पर आर्थिक मामलों के सचिव और वित्तीय सेवा सचिव से लिए जाते हैं
  - विभिन्न क्षेत्रों के दस अन्य निदेशक।

रघुराम राजन के शासन के तहत, वे उप गवर्नर के पद पर एक मुख्य परिचालन अधिकारी का पद सृजित करना चाहते थे।

चार में से दो उप गवर्नर परंपरागत रूप से आरबीआई रैंक के होते हैंय उन्हें बैंक के कार्यकारी निदेशकों में चुना जाता है। एक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधयक्षों में से नामित किया जाता है, और दूसरा एक प्रसि) अर्थशास्त्री होता है।

आरबीआई के गवर्नर

- **नियुक्ति:** केबिनेट सचिव की अधयक्षता वाली वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (एफएसआरएएससी) (Financial Sector Regulatory Appointments Search Committee (FSRASC) द्वारा किए गए प्रस्ताव के बाद नियुक्त।
- **कार्यकाल:** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 8 (4) के अनुसार, गवर्नर और उप गवर्नर 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे जैसा केंद्र सरकार उन्हें नियुक्त करते समय तय कर सकती है।
- **पुनर्नियुक्ति:** वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं।
- **योग्यता:** आरबीआई अधिनियम गवर्नर के लिए कोई विशिष्ट योग्यता प्रदान नहीं करता है।
- **निष्कासन:** गवर्नर को केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. भारत के संविधन के कुछ प्रावधन केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं।
3. आरबीआई के गवर्नर आरबीआई अधिनियम से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(*a*) केवल 1 और 2 (*b*) केवल 2 और 3
(*c*) केवल 1 और 3 (*d*) 1, 2 और 3

भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना

वर्तमान में, RBI के कार्यात्मक क्षेत्रों और आंतरिक संचालन में नीतिगत मुद्दों के लिए 26 विभाग हैं। विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों का निर्माण किया गया है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

बाजार	• आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग • बाहरी निवेश और संचालन विभाग • मौद्रिक नीति विभाग • वित्तीय बाजार विभाग • विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता • गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग • बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग • बैंकिंग संचालन और विकास विभाग • शहरी बैंक विभाग • विदेशी मुद्रा विभाग • ग्रामीण नियोजन और ऋण विभाग • वित्तीय स्थिरता इकाई
अनुसंधन	• आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग • सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग
सेवाएं	• सरकार और बैंक खातों का विभाग • मुद्रा प्रबंधन विभाग • भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग • ग्राहक सेवा विभाग

समर्थन	• मानव संसाधन प्रबंधन विभाग • संचार विभाग • सूचना प्रौद्योगिकी विभाग • व्यय और बजटीय नियंत्रण विभाग		• परिसर विभाग • सचिव विभाग • राजभाषा विभाग • निरीक्षण विभाग • कानूनी विभाग।

आरबीआई के कार्य

- भारतीय रिजर्व बैंक की **स्थापना बैंक ऑफ इंग्लैंड के मॉडल पर की गई थी।**
- इसे उन सभी कार्यों को करने का कार्य सौंपा गया था जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने तब किए थे।

पारंपरिक कार्य:

मुद्रा नोट जारी करना:	• भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा नोट (एक रुपये के नोट और अनुषंगी सिक्कों को छोड़कर) जारी करने के लिए RBI एकमात्र प्राधिकरण है। जैसा कि RBI अधिनियम 1934 की धारा 22 से RBI को मुद्रा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी मुद्रा नोट भारत की अर्थव्यवस्था में वैधा मुद्रा हैं। • भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम दो, पांच, दस, बीस, पचास, एक सौ, पांच सौ, एक हजार, पांच हजार और दस हजार के मूल्यवर्ग में रुपये में मुद्रा नोट जारी करने की अनुमति देता है। • या ऐसे अन्य मूल्यवर्ग जो दस हजार रुपये से अधिक न हों, जैसा कि केंद्र सरकार समय पर निर्दिष्ट कर सकती है।
सरकार का बैंकर:	• RBI केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है। • एक बैंकर के रूप में, यह सरकार को कई तरह की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें धन जमा की स्वीकृति, चेक द्वारा धन की निकासी, सरकार को भुगतान का संग्रह और धन का हस्तांतरण शामिल है। • केंद्र सरकार को बैंकर की सेवाएं प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक वैधानिक दायित्व के तहत है। • यहाँ यह धयान रखना महत्वपूर्ण है, हालांकि, राज्य सरकारें इन सेवाओं को आरबीआई के साथ किए गए समझौतों के तहत प्राप्त करती हैं। • विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले अपने विशेषज्ञों के साथ आरबीआई न केवल बैंकिंग और वित्तीय मामलों पर बल्कि समग्र आर्थिक नियोजन के मुद्दों पर भी सरकार को सलाह देने की स्थिति में है। • मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच एकीकरण की आवश्यकता के कारण इस कार्य का महत्व बढ़ गया है।
बैंकों का बैंक:	• RBI जनता या व्यावसायिक फर्मों के साथ व्यवहार नहीं करता है, यह केवल बैंकों का बैंक है। • वाणिज्यिक और अन्य बैंक नब्बे दिनों से अनधिक अवधि के लिए बिलों की पुनर्भुनाई/पुनर्बटा के साथ-साथ अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण और अग्रिम के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। • बैंकों को अग्रिम देते समय इसे बैंकों के बीच उनकी वित्तीय स्थिति, ऋण देने की नीतियों और प्रस्तावित प्रतिभूतियों के आधार पर भेदभाव करना पड़ता है। • यह आरबीआई के अधिकारों के भीतर है कि वह किसी भी बैंक को बिना कोई कारण बताए उससे उधार लेने के लिए वित्तीय सहायता से इनकार कर सकता है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन और नियंत्रण:	• विदेशी मुद्रा प्रबंधन और नियंत्रण में तीन मुख्य कार्य शामिल हैं: ○ मुद्रा के बाहरी मूल्य को बनाए रखना ○ देश के बाहरी मुद्रा भंडार का प्रबंधन ○ विनिमय नियंत्रण • देश के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई को इन सभी कार्यों को करने की आवश्यकता है।

	• वर्तमान में, रुपये का विनिमय मूल्य उन देशों की चुनिंदा मुद्राओं की दैनिक विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से निर्धारित होता है जो भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार हैं। • मुद्रा इकाइयों का चयन और उन्हें सौंपे जाने वाले भार को आरबीआई के विवेक पर छोड़ दिया गया है। • विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में, आरबीआई इन भंडारों के निवेश और उपयोग का प्रबंधन करता है। • विनिमय नियंत्रण वर्तमान में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 द्वारा शासित है।
ऋण नियंत्रण:	• अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार ऋण का विनियमन शायद किसी केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। • मुख्य रूप से ऋण नियंत्रण पर निर्भर मौद्रिक नीति का उद्देश्य सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में बार-बार बदलाव करके इस उद्देश्य को साकार करना है। • इस प्रकार, आरबीआई के क्रेडिट फंक्शन का नियंत्रण अद्वितीय महत्व रखता है। • ऋण की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए, आरबीआई ने मात्रत्मक और गुणात्मक तकनीकों का इस्तेमाल करता है।
अंतिम ऋणदाता	• बैंकों के बैंकर के रूप में, रिजर्व बैंक 'अंतिम ऋणदाता' के रूप में भी कार्य करता है। • यह एक ऐसे बैंक के बचाव में आ सकता है जो अपने ऋण चुकाने में समर्थ है लेकिन अस्थायी नकदी की समस्या का सामना करता है जब उसे बहुत आवश्यक नकदी की आपूर्ति होती है जब कोई और उस बैंक को ऋण देने को तैयार नहीं होता है। • रिजर्व बैंक बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और बैंक की संभावित किलता को रोकने के लिए यह सुविधा प्रदान करता है, जो बदले में अन्य बैंकों और संस्थानों को भी प्रभावित कर सकता है और वित्तीय स्थिरता और इस प्रकार अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

वैध मुद्रा

- राष्ट्रीय मुद्रा, जैसे कि कागजी मुद्रा और सिक्के, जो कानून द्वारा ऋण और वित्तीय दायित्वों के लिए वैध भुगतान होने के लिए प्रमाणित हैं, वैध मुद्रा के रूप में जानी जाती हैं।
- वैध मुद्रा वह धन है जो सरकारों या केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी की जाती है और व्यापार के साधन के रूप में उपयोग की जाती है।
- आरबीआई और सरकार मुद्रा नोट या सिक्कों के रूप में वैधमुद्रा जारी करती है। जब यह वैध मुद्रा स्थिति वापस ले ली जाती है, तो प्रक्रिया को विमुद्रीकरण के रूप में जाना जाता है।
- **नोट:** एक रुपये के नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं।

पर्यवेक्षी कार्य

बैंकों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण:	• RBI अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत RBI को वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। • वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित विनियामक कार्यों में उनका लाइसेंस, शाखा विस्तार, उनकी संपत्ति की तरलता, प्रबंधन और कार्य करने का तरीका, समामेलन, पुनर्निर्माण और परिसमापन शामिल हैं।
	• नियंत्रण के लिए, आरबीआई बैंकों का निरीक्षण करता है और उनसे रिटर्न और जानकारी मांगता है। • यदि बैंक का संचालन असंतोषजनक पाया जाता है, तो आरबीआई उस बैंक के कामकाज में सुधार के लिए उपचारात्मक उपायों की सिफारिश कर सकता है।

आरबीआई के प्रचार कार्य

- **बैंकिंग आदत को बढ़ावा:** RBI निवेश के लिए लोगों की बचत को जुटाने में मदद करता है। इसने UTI, IDBI, IRCI, NABARD आदि जैसे विभिन्न संस्थानों की स्थापना करके पूरे देश में बैंकिंग प्रणाली का विस्तार किया। जिससे इसने लोगों में बैंकिंग की आदत को बढ़ावा दिया।
- **निर्यात के लिए पुनर्वित्त प्रदान करना:** आरबीआई निर्यात प्रोत्साहन के लिए पुनर्वित्त प्रदान कर रहा है। निर्यात ऋण और गारंटी निगम (एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन (ECGC) और निर्यात आयात बैंक (एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (EXIM) ऋकी स्थापना शुरुआत में RBI द्वारा भारत के विदेशी व्यापार को वित्तपोषित करने के लिए की गई थी। वे बीमा कवर, दीर्घावधि वित्त और विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में विदेशी व्यापार का वित्तपोषण करते हैं। हालांकि, अब वे अलग से काम कर रहे हैं।

- **कृषि को ऋण प्रदान करना:** आरबीआई ग्रामीण या कृषि वित्त के लिए संस्थागत व्यवस्था करता है। उदाहरण के लिए, बैंक ने विशेष कृषि ऋण प्रकोष्ठों की स्थापना की है। इसने वाणिज्यिक बैंकों की मदद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बढ़ावा दिया है। इसने नाबार्ड को भी बढ़ावा दिया है।
- **लघु उद्योग इकाई को ऋण प्रदान करना:** वाणिज्यिक बैंक आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार लघु उद्योग इकाइयों को ऋण देते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र को भी गारंटी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आरबीआई छोटे पैमाने के क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों के रूप में मानता है।
- **सहकारी क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त प्रदान करना:** आरबीआई ने नाबार्ड को राज्य सहकारी बैंकों को ऋण देने का निर्देश दिया है, जो बदले में सहकारी क्षेत्र को ऋण देते हैं। इसलिए, त्ठप् भारत में सहकारी क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त प्रदान करता है।
- **औद्योगिक वित्त के लिए औद्योगिक व्यवस्था करना:** आरबीआई औद्योगिक वित्त के लिए संस्थागत व्यवस्था करता है। उदाहरण के लिए, यह भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFC), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) जैसे कई विकास बैंकों को अस्तित्व में लाया है, जो उद्योगों को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में, 'अंतिम उपाय के ऋणदाता' (lender of last resort) के रूप में केंद्रीय बैंक का कार्य आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? (2021)

1. व्यापार और उद्योग निकायों को ऋण देना जब वे अन्य स्रोतों से उधार लेने में किल रहते हैं
2. अस्थायी संकट वाले बैंकों को तरलता प्रदान करना
3. बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकारों को ऋण देना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(*a*) 1 और 2 **(*b*) केवल 2**
(*c*) 2 और 3 (*d*) केवल 3

2. कौन सी एक घटना अनिवार्य रूप से वैधा मुद्रा के अर्थ का सही ढंग से वर्णन करती है? (2018)

(*a*) कानूनी मामलों की फीस चुकाने के लिए कानून की अदालतों में दी जाने वाली धनराशि
(*b*) वह पैसा जो एक लेनदार अपने दावों के निपटारे में स्वीकार करने के लिए बाध्य है
(*c*) चेक, ड्रॉफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज आदि के रूप में बैंक का पैसा।
(*d*) किसी देश में संचलन में धात्विक धन

3. भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को _____ के मामलों में नियंत्रित करता है (2013)

1. परिसंपत्ति तरलता
2. शाखा विस्तार
3. बैंकों का विलय
4. बैंकों का परिसमापन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1 और 4 (*b*) केवल 2, 3 और 4
(*c*) केवल 1, 2 और 3 **(*d*) 1, 2, 3 और 4**

4. निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करें: (2013)

1. बैंकों के पास मांग जमा
2. बैंकों के पास सावधि जमा
3. बैंकों में बचत जमा
4. मुद्रा

तरलता के घटते क्रम में इन संपत्तियों का सही क्रम है-

(*a*) 1-4-3-2 (*b*) 4-3-2-1
(*c*) 2-3-1-4 **(*d*) 4-1-3-2**

5. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? (2012)

1. अन्य बैंक अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखते हैं।
2. आरबीआई जरूरत के समय वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है।
3. आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक मामलों पर सलाह देता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 2 और 3 **(*b*) केवल 1 और 2**
(*c*) केवल 1 और 3 (*d*) 1, 2 और 3

आरबीआई की सहायक कंपनियाँ

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीएफई)

- (FSDC) की वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार आबादी के सभी वर्गों के लिए भारत भर में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना है ।
- यह सेमिनारों, कार्यशालाओं, कार्यक्रमों, अभियानों, चर्चा मंचों के माधयम से आबादी के सभी वर्गों के ज्ञान, समझ में सुधार के लिए देश भर में वित्तीय शिक्षा अभियानों के माधयम से वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण पैदा करने के लिए काम करता है।

- यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित एक धारा 8 के अंतर्गत स्थापित एक गैर लाभकारी कंपनी है।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई): 2020-2025

- राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (NCFE) ने इस NSFE को 2020-2025 की अवधि के लिए, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (TGFIFL) के तत्वावधान मेंय RBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधि करण (PFRDA) और अन्य सहित सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के परामर्श से तैयार किया।
- इसने देश भर में वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5 सी' पद्धति का प्रस्ताव दिया है:
  - **संचार:** वित्तीय शिक्षा संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, मीडिया और संचार के नवीन तरीकों का उपयोग करें।
  - **सहयोग:** वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को कारगर बनाना।
  - **क्षमता:** वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए क्षमता और 'आचार संहिता' विकसित करें।
  - **सामग्री:** जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री।
  - **समुदाय:** वित्तीय साक्षरता को स्थायी रूप से प्रसारित करने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले द्रष्टिकोण विकसित करना।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

- इसकी स्थापना 9 जुलाई, 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधि नियम, 1987 के तहत की गई थी।
- एनएचबी को आबादी के सभी वर्गों को पूरा करने और आवास वित्त प्रणाली को समग्र वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत करने के लिए एक मजबूत, स्वस्थ, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।
- ₹ 1,450 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ, यह पूरी तरह से भारत सरकार (100%) के स्वामित्व में है। यह नरसिम्हम-द्वितीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के फलस्वरूप अस्तित्व में आया।
- एनएचबी रेजीडेक्स (NHB RESIDEX) भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचकांक है, और वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) की एक पहल थी।

एनएचबी रेजीडेक्स

- यह बेंचमार्क का एक सेट है जो भारतीय शहरों में घरेलू मूल्य सूचकांकों को मापने की कोशिश करता है।
- सरकार के प्रतिनिधियों, बैंकरों और संपत्ति बाजार सहभागियों से बनी एक तकनीकी सलाहकार परिषद ने इसे बनाया है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (DICGC)

- DICGC 15 जुलाई, 1978 को अस्तित्व में आया और डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (DIC) और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CGCI) को मिलाकर बनाया गया था।
- इसके कार्यों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- यह आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसका संचालन आरबीआई द्वारा किया जाता है।
- यह जमा के लिए बीमा प्रदान करने और ऋण सुविधाओं की गारंटी देने के लिए स्थापित किया गया था।
- वर्तमान में, यह एक पंजीकृत बीमित बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता को सभी बैंक जमाओं, जैसे कि बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जमा के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा करता है।
- **निम्न प्रकार की जमाराशियों को छोड़कर:**
  - विदेशी सरकारों की जमाराशि।
  - केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियाँ।
  - अंतर-बैंक जमा।
  - राज्य सहकारी बैंकों में राज्य भूमि विकास बैंकों की जमा राशियाँ।
  - भारत के बाहर प्राप्त किसी भी जमा के कारण कोई भी राशि।
  - कोई भी राशि जिसे आरबीआई के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है।
- इसके पास एक बीमित बैंक का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति है यदि वह लगातार तीन छमाही अवधिके लिए प्रीमियम का भुगतान करने में किल रहता है।
- यदि कोई बैंक परिसमापन//liquidation या दिवालियापन में जाता है तो उस स्थिति में DICGC पैसे का भुगतान करता है।

- निगम निम्नलिखित निधियों का रखरखाव करता है:
  - जमा बीमा कोष
  - ऋण गारंटी निधि
  - सामान्य कोष
- पहले दो को क्रमश: बीमा प्रीमियम और प्राप्त गारंटी शुल्क द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और संबंधित दावों के निपटान के लिए उपयोग किया जाता है।
- सामान्य निधिका उपयोग डीआईजीसीजी की स्थापना और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) बिल, 2021

- हाल ही में, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) (संशोधन) विधोयक, 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है।
- कैबिनेट ने डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जो ग्राहकों को केवल 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक की जमा राशि तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाता है, अगर उनके बैंक बंद हो जाते हैं और उन्हें अधिस्थगन के तहत रखा जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)

- यह आरबीआई द्वारा 1995 में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- इसकी मुख्य भूमिका में भारत में बैंक नोटों के उत्पादन को बनाए रखना शामिल है ताकि आरबीआई देश में बैंक नोटों की आपूर्ति और मांग के बीच की खाई को पाट सके।

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL)

- SPMCIL आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक कंपनी है।
- यह भारत सरकार की छपाई और खनन गतिविधियों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
- यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसे 13 जनवरी 2006 को नई दिल्ली में अपने पंजीकृत कार्यालय के साथ शामिल किया गया था।
- यह करेंसी और बैंकनोट्स, सिक्योरिटी पेपर, गैर-न्यायिक स्टांप पेपर, डाक टिकट और स्टेशनरी, यात्र दस्तावेज जैसे- पासपोर्ट और वीजा, सुरक्षा प्रमाणपत्र, चेक, बांड, वारंट, सुरक्षा सुविधाओं के साथ विशेष प्रमाण पत्र, सुरक्षा स्याही, संचलन और स्मारक सिक्के, पदक, सोने, चांदी का शोधन और कीमती धातुओं की परख आदि के निर्माण/उत्पादन में लगा हुआ है।

रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT):

- 2016 में रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई थी।
- इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईटी और साइबर सुरक्षा की जरूरतों को बनाए रखने और भारतीय बैंकिंग के साइबर लचीलेपन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है।
- आरबीआई की आईटी परियोजनाओं को वितरित और प्रबंधित करने के लिए, आरबीआई को विनियमित संस्थाओं के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण करने में सहायता करना और साइबर खतरों का पता लगाने और प्रतिक्रिया देकर आरबीआई की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना।
- ReBIT के पास अपने मिशन का समर्थन करने के लिए चार वर्टिकल होंगे: साइबर सुरक्षा; अनुसंधान और नवाचार; सिस्टम ऑडिट; परियोजना प्रबंधन।

भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संब) सेवाएं (आईएफटीएएस):

- IFTAS, RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है।
- यह देश के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों और आरबीआई को भी आईटी से संबंधित सेवाओं को डिजाइन, तैनात और समर्थन करने के लिए अनिवार्य है।
- यह फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफार्म (FMS) का प्रबंधन और संचालन करता है जिसमें रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) शामिल हैं।
- IFTAS (भारतीय वित्तीय नेटवर्क) CLOUD यानी इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड का संचालन करता है, जो देश का एकमात्र सामुदायिक क्लाउड है, जो बैंकिंग और वित्तीय समुदाय को समर्पित क्लाउड-आधारित समाधनों की मेजबानी करता है।

IFTAS ने IDRBT से से INFINET, संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (SFMS) और भारतीय बैंकिंग समुदाय क्लाउड (IBCC) को अपने नियंत्रण में ले लिया है जो 2016 से प्रभावी है ।

- IFTAS द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं :
- भारतीय वित्तीय नेटवर्क (INFINET): बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए एक बंद उपयोगकर्ता समूह एमपीएलएस नेटवर्क।
- संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली (एसएफएमएस): आरटीजीएस, एनईएफटी, सरकारी भुगतान और प्राप्तियों आदि की सुविधा देने वाली एक संदेश प्रणाली।
- इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड (आईबीसीसी): सीबीएस और अन्य सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन जैसे एसएफएमएस, मोबाइल बैंकिंग आदि को वेब सेवा के रूप में प्रदान करना।
- वित्तीय लेन-देन के लिए ग्लोबल इंटरचेंज (GIFT): एक ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी स्टैक पर आधारित एक एकीकृत भुगतान और निपटान प्रणाली।

रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH):

- इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 कंपनी के रूप में 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ पंजीकृत किया गया था ।
- यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का विचार प्रस्तुत करता है जो देश के निम्न-आय वाले लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं और वस्तुओं तक पहुंच को बढ़ावा देता है।
- RBI ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और एक ऐसा वातावरण बनाकर वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए RBIH की स्थापना की है जो नवाचार को सुगम और बढ़ावा देगा।
- यह एक अधयक्ष के नेतृत्व में एक शासी परिषद (जीसी) द्वारा निर्देशित और प्रबंधित किया जाता है।
- स्वानारी टेकस्प्रिंट का आयोजन आरबीआई इनोवेशन हब में महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए दीर्घकालिक समाधन विकसित करने के लिए किया गया था। टेकस्प्रिंट का लक्ष्य भारत में महिलाओं के डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।

आरबीआई के प्रकाशन

- भारतीय रिजर्व बैंक भारत के वित्तीय क्षेत्र में प्रमुख संस्थान होने के साथ-साथ सेंट्रल बैंक होने के नाते अलग-अलग समय सीमा में विभिन्न प्रकार के पत्र प्रकाशित करता है।

वार्षिक प्रकाशन	• शाखा बैंकिंग सांख्यिकी • भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका • भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका
	• मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट • राज्य वित्त: बजट का एक अधययन • प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक
अर्धवार्षिक	• वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट • विदेशी मुद्रा भंडार पर रिपोर्ट
त्रैमासिक	• त्रैमासिक औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण • मौद्रिक नीति रिपोर्ट • बैंक ऋण सर्वेक्षण • उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण • सेवाएँ और अवसंरचना दृष्टिकोण सर्वेक्षण

आरबीआई की न्यूनतम आरक्षित प्रणाली

- न्यूनतम आरक्षित प्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निर्गम प्रणाली है।
- प्रारंभ में, इसे 1957 में अपनाया गया था। इसके लिए आरबीआई को विदेशी मुद्रा, सोने के सिक्कों और गोल्ड बुलियन (सोने के रूप में न्यूनतम 115 करोड़ रुपये) सहित 200 करोड़ रुपये का न्यूनतम रिजर्व रखने की आवश्यकता है।
- इसका मतलब है कि न्यूनतम रिजर्व सिस्टम को बनाए रखने से आरबीआई के लिए इस न्यूनतम रिजर्व को रखकर मुद्राएं जारी करने की कोई सीमा नहीं है।
- **न्यूनतम रिजर्व सिस्टम (MRS) के उद्देश्य:**
  - मुद्रास्फीति के दबाव से बचते हुए और मुद्रा में आम जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति को बनाए रखना।
  - भारतीय मुद्रा धारकों को आश्वस्त करने के लिए कि उनके पास जो रुपया है वह वैध मुद्रा है।
  - भारतीय रिजर्व बैंक एमआरएस के माधयम से अर्थव्यवस्था में धन की पर्याप्त आपूर्ति को सुरक्षित करने का इरादा रखता है।
  - एमआरएस के माधयम से, आरबीआई मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाए बिना देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने की उम्मीद करता है।

आरबीआई की आय के स्रोत

- **ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ):** भारत का केंद्रीय बैंक होने के नाते आरबीआई विभिन्न तरीकों से पैसा कमाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें एक केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था

में पैसे की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार में बांड खरीदता या बेचता है, आरबीआई के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है।

- **ब्याज की राशि:** यह सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से खरीदे जाने वाले बांडों से भी पर्याप्त मात्रा में ब्याज प्राप्त करता है, बांड की कीमतों में अनुकूल परिवर्तन से आरबीआई को भी लाभ हो सकता है।
- **विदेशी मुद्रा:** विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के लेन-देन भी बैंक के मुनाफे में भारी योगदान करते हैं। एक तरह से, आरबीआई सस्ते में डॉलर खरीद सकता है और भविष्य में मुनाफा कमाने के लिए उन्हें महंगा बेच सकता है।
- **रुपया मूल्य:** लेकिन, वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत, आरबीआई का प्राथमिक जनादेश मुनाफा कमाना नहीं बल्कि रुपये के मूल्य को बनाए रखना है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में उत्पन्न लाभ और हानि मौद्रिक नीति को आकार देने के लिए इसके नियमित संचालन का केवल एक साइड इफेक्ट है।

आरबीआई का व्यय

वर्तमान स्थिति

- 31 मार्च, 2022 तक आरबीआई की तुलन पत्र (balance sheet) के आकार में 8.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान इसकी तरलता और विदेशी मुद्रा परिचालन में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाती है।
- साल 2021-22 में जहाँ आरबीआई की आय में 20.14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, वहीं खर्च में 280.13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
- आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2021-22 पिछले वर्ष के 99,122 करोड़ रुपये के मुकाबले 30,307.45 करोड़ रुपये के कुल अधिशेष के साथ समाप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 69.42 प्रतिशत की कमी हुई।
- परिसंपत्ति पक्ष में वृद्धि विदेशी निवेश, घरेलू निवेश, सोना और ऋण और अग्रिम में वृद्धि के कारण हुई।
- आरबीआई की देनदारी के पक्ष में, जमा और उसके द्वारा जारी नोटों में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई थी।
- यहाँ यह धयान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र रूप से, एक साल पहले मार्च 2022 तक घरेलू संपत्ति का 28.22 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि विदेशी मुद्रा संपत्ति और सोना (भारत में जमा सोने और सोने सहित) कुल संपत्ति का 71.78 प्रतिशत था, जबकि मार्च 2022 तक यह 26.42 प्रतिशत और 73.58 प्रतिशत था।

रिजर्व बैंक की परिसंपत्तियाँ

- **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (एफसीए):** विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, सोना, एसडीआर और आईएमएफ में रिजर्व बैंक की स्थिति भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा हैं। विदेशी मुद्रा संपत्तियों में, इसमें यूएस ट्रेजरी बांड, अन्य चयनित सरकारों के ट्रेजरी बिल, विदेशी केंद्रीय बैंकों के साथ जमा और विदेशी वाणिज्यिक बैंकों में निवेश शामिल हैं।
- **गोल्ड कॉइन बुलियन:** यह इश्यू डिपार्टमेंट और बैंकिंग डिपार्टमेंट के गोल्ड कॉइन बुलियन का प्रतिनिधित्व करता है। निर्गम विभाग और बैंकिंग विभाग के स्वर्ण भंडार का मूल्यांकन मासिक मूल्यों पर किया जाता है।
- **रुपया प्रतिभूतियाँ:** रुपया प्रतिभूतियों में उस 'विदेशी देश' की सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं जो निर्गम विभाग के दस वर्षों के भीतर परिपक्व होती हैं और साथ ही बैंकिंग विभाग की सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश भी शामिल हैं।
- **ऋण और अग्रिम:** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 और 18 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों और अन्य को ऋण और अग्रिम देता है, जो कुल मिलाकर संपत्ति का हिस्सा है। आरबीआई का। आरबीआई अधिनियम की धारा 17 (4ई) के तहत नाबार्ड को ऋण और अग्रिम।
- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम:** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 और 18 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों को दिए गए ऋण और अग्रिम। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम मुख्य रूप से निर्यात ऋण पुनर्वित्त में वृद्धि के कारण बैंकों को उपलब्ध कराई गई पुनर्वित्त सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **दूसरों को ऋण और अग्रिम:** इसमें मुख्य रूप से EXIM बैंक को विशेष पुनर्वित्त योजनाओं के तहत दिए गए ऋण और प्राथमिक डीलरों को संपार्श्विक ऋण शामिल हैं।
- **खरीदे गए और भुनाए गए बिल:** आरबीआई अधिनियम खरीद के लिए पात्र विनिमय और वाणिज्यिक पत्रों के आंतरिक बिलों को रखने की अनुमति देता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खरीदे गए और विनिमय किए गए ट्रेजरी बिल भी संपत्ति में शामिल हैं।
- **निवेश:** यह मुख्य रूप से गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में आरबीआई के निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रमुख मदें डीआईसीजीसी शेयर पूंजी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा शेयर पूंजी, नाबार्ड शेयर पूंजी और राष्ट्रीय आवास बैंक शेयर पूंजी हैं।

- **अन्य संपत्तियाँ:** आम तौर पर इसमें विभिन्न केंद्रों पर आरबीआई की अचल संपत्तियाँ जैसे विभिन्न परिसर, फर्नीचर, फिटिंग, गैर-चल संपत्तियाँ आदि शामिल होती हैं, अर्जित आय लेकिन प्राप्त नहीं हुई और रुपये के सिक्के।

रिजर्व बैंक की देनदारियाँ

- आरबीआई द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट देनदारी हैं।
  - **संचलन में नोट:** प्रचलन में नोटों में 1935 से पहले भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नोट और तब से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नोट शामिल हैं, माइनस नोट बैंकिंग विभाग के बाहर रखे गए हैं, यानी जनता, बैंक कोषागार, और इसी तरह के नोट। जुलाई 1940 से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एक रुपये के नोट रुपये के सिक्के माने जाते हैं और इसलिए इस शीर्षक के तहत सूचीब) नहीं हैं।
  - **बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट** बैंक के बैंकिंग विभाग में विभाग की दिन-प्रतिदिन की जरूरतों के अनुरूप विभिन्न स्थानों पर रखे गए नोटों की संख्या को दर्शाते हैं। चलन में नोट और बैंकिंग विभाग में नोट दोनों निर्गम विभाग की देनदारियाँ हैं।
- **जमाराशियाँ:** ये केंद्र और राज्य सरकारों, बैंकों, सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा आरबीआई के पास रखे गए नकदी शेष का प्रतिनिधित्व करती हैं। आरबीआई धारा 20 और 21 के संदर्भ में केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह आरबीआई अधिनियम की धारा 21 (ए) के अनुसार आपसी समझौते से राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है।
- **बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस):** इसे अप्रैल 2004 में शुरू किया गया था, जहाँ सरकार विशेष रूप से बन्धयीकरण संचालन के लिए प्रतिभूतियाँ जारी करती है। एमएसएस के तहत सरकारी पत्र जारी करना एक स्थायी प्रकृति के पूंजी प्रवाह द्वारा बनाई गई अतिरिक्त रुपये की तरलता को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। एमएसएस के तहत आय को सरकार द्वारा आरबीआई के पास बनाए गए एक अलग जमा खाते में रखा गया था, जिसका उपयोग केवल एमएसएस के तहत जारी किए गए पेपर को भुनाने और धया वापस खरीदने के लिए किया जाता था।
- **अन्य देयताएं:** रिजर्व बैंक के आंतरिक भंडार और प्रावधन जैसे मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता, विनिमय समकरण खाता, आकस्मिकता रिजर्व और संपत्ति विकास रिजर्व शामिल हैं।
  - **आकस्मिकता रिजर्व**, प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्य]ास और मौद्रिकधविनिमय दर नीति बाधयताओं से उत्पन्न जोखिमों सहित अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अलग रखी गई राशि का प्रतिनिधित्व करता है। इन देनदारियों को रिजर्व बैंक की गैर-मौद्रिक देनदारियाँ कहा जाता है।
  - **मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए):** सीजीआरए उन महत्वपूर्ण खातों में से एक है, जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि और विनिमय दरों और सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव के कारण सोने को लाभ और हानि खाते में नहीं लिया जाता है बल्कि इसके बजाय इस विषय के तहत बुक किया जाता है।
  - **निवेश पुनर्मूल्यन खाता (आईआरए):** भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन प्रत्येक माह के अंतिम कारोबारी दिन प्रचलित बाजार कीमतों पर करता है। इसलिए, इससे उत्पन्न होने वाली वृद्धि या मूल्यह्रास को IRA में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिशेष हस्तांतरण

- आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त को सरकार को 1,76,051 करोड़ की राशि हस्तांतरित करने का फैसला किया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 1, 23, 414 करोड़ अधिशेष शामिल है और केंद्रीय बोर्ड की बैठक में अपनाए गए संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के अनुसार 52, 637 करोड़ अतिरिक्त प्रावधनों की पहचान की गई।
- **बिमल जालान समिति:** पूर्ण आरबीआई अधिशेष वितरण नीति बिमल जालान समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसका गठन आरबीआई द्वारा सरकार के सहयोग से आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की जांच के लिए किया गया था।
  - जालान समिति ने सुझाव दिया कि आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को RBI की बैलेंस शीट के 5.5: और 6.5: के बीच रखा जाना चाहिए।
  - अतिरिक्त स्थानांतरण नीति अब सूत्र-आधारित है और इसलिए पारदर्शी है, जो पिछली नीतियों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
  - जोखिम प्रावधनीकरण सूत्र-आधारित सीआरबी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, और जोखिम प्रावधनीकरण की डिग्री आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- **मुख्य मापदंड:** समिति की सिफारिशें केंद्रीय बैंकों की वित्तीय लचीलापन, क्रॉस-कंट्री प्रथाओं, विधायी प्रावधनों और आरबीआई के सार्वजनिक नीति मिशन के प्रभाव और इसकी बैलेंस शीट पर परिचालन वातावरण और जुड़े जोखिमों की समीक्षा पर आधारित थीं।

- **वित्तीय स्थिरता:** अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में आरबीआई की भूमिका को देखते हुए, इसे वित्तीय स्थिरता संकट के किसी भी पिछले जोखिम से अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए कुछ सीआरबी बनाए रखना चाहिए।

अधिशेष स्थानांतरण

- **1934 अधिनियम:** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 (अधिशेष लाभ का आवंटन) के अनुसार, आरबीआई सरकार को अधिशेष - यानी व्यय पर आय की अधिकता - आवंटित करता है।
- **मालेगाम समिति:** YH मालेगाम (2013) के नेतृत्व में RBI बोर्ड की एक तकनीकी समिति जिसने भंडार की पर्याप्त और अधिशेष वितरण नीति का आकलन किया, ने सरकार को अधिक हस्तांतरण का सुझाव दिया। कुछ अपवादों के साथ, अतिरिक्त हस्तांतरण की राशि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.5: औसत है।

भारी अंतरण की वजह

- **अतिपूंजीकृत आरबीआई:** कुछ समय के लिए, यह कथन कि RBI एक अतिपूंजीकृत संगठन है, पर बहस हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, आरबीआई दुनिया के सबसे अधिक पूंजीकृत केंद्रीय बैंकों में से एक है, और "इस अतिरिक्त पूंजी को आरबीआई के पास रखने का कोई विशेष कारण नहीं है।"
- **सहकारी पूंजीकरण:** दुनिया भर में कुछ केंद्रीय बैंक (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम) आरबीआई के 27: की तुलना में रिजर्व के रूप में अपनी संपत्ति का 13: से 14: रखते हैं जबकि कुछ (जैसे रूस) अधिक रखते हैं।
- **रचनात्मक उपयोग:** अर्थशास्त्रियों ने पहले आरबीआई के लिए "अतिरिक्त" पूंजी जारी करने की वकालत की है जिसे सरकार रचनात्मक उपयोग में ला सकती है। 2013 में, मालेगाम समिति ने अधिशेष का आकलन 1.49 लाख करोड़ किया।

आरबीआई की स्वायत्तता और स्वतंत्रा

स्वतंत्रा की आवश्यकता

- मॉन्टेस्क्यू के विचार में शक्तियों का पृथक्करण, महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों के प्रभावी संचालन की गारंटी देता है क्योंकि यह किसी एक इकाई को राजनीतिक एकाधिकार प्राप्त करने और अपने अधिकार का दुरुपयोग करने से रोकता है।
- एसेमोलु और रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक "व्हाई नेशन्स फेल" में यह मामला बनाया है कि समावेशी राजनीतिक और आर्थिक संरचनाएं कानून के शासन को सुनिश्चित करती हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देती हैं।
- दूसरी ओर, निकालने वाली संस्थाएँ, संसाधनों के संकेंद्रण को शासी अभिजात वर्ग के हाथों में ले जाएँगी, परिवर्तन और नवाचार को बाधित करेंगी।

सेंट्रल बैंक की स्वायत्तता

- लगभग बीस साल पहले, जब केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता की अवधारणा पहली बार सामने आई, तो इसे 'कार्यात्मक' स्वतंत्रता के रूप में संदर्भित करने के बारे में सोचा गया।
- दूसरे शब्दों में, बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण और यह उन्हें केसे नियोजित करता है के साथ सरकार द्वारा संचालित होने के तरीके से बाध्य नहीं होगा।
- हालाँकि, इसकी स्वतंत्रता का "लक्ष्य" केवल इसे पूर्ण स्वतंत्र करने का नहीं था। बैंक से परामर्श किए बिना, सरकार तय करेगी कि केंद्रीय बैंक के उद्देश्य क्या होने चाहिए।
- प्रमुख सवाल यह था कि क्या बैंक को मुद्रास्फीति के अलावा रोजगार के स्तर पर जोर देना चाहिए।
- इस बहस के एक दशक के भीतर, यह मान लिया गया था कि विशेष रूप से पूर्व पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, और मौद्रिक नीति की पहचान केवल 'मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण' से की जाने लगी।

आरबीआई की स्वायत्तता

- 1991 के बाद वित्तीय उदारीकरण की उपलब्धि के लिए आरबीआई की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण घटक है।
- स्वायत्तता का विचार दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। पहला यह है कि मौद्रिक नीति को व्यापक आर्थिक नीति की एक शाखा के रूप में देखा जाता है।
- आर्थिक नीति को लागू करने के लिए केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी में बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य और दक्षता को सुनिश्चित करना शामिल है, जो अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- केंद्रीय बैंक पर सरकार के स्वामित्व और मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली पर केंद्रीय बैंक के नियंत्रण के बीच एक दृढ़ रेखा खींची जानी चाहिए।
- दोनों के बीच की यह रेखा अक्सर धुंधाली हो जाती है, जिससे यह आभास होता है कि स्वामित्व सरकार को मौद्रिक प्रणाली को नियंत्रित करने का अधिकार भी देता है।

- आरबीआई एक स्वशासी संस्था नहीं है। आरबीआई अधिनियम की धारा 7, चीजों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है।
  - धारा 7 के भाग (1) में कहा गया है कि "केंद्र सरकार समय-समय पर बैंक के गवर्नर के परामर्श के बाद बैंक को ऐसे निर्देश दे सकती है जो वह दे सकती है।"
  - जबकि भाग (2) और (3) में केंद्रीय बोर्ड और गवर्नर की भूमिकाएँ बताई गई हैं।
  - इसने एक 'वरिष्ठता' सिद्धांत को स्पष्ट किया जिसमें (1) को (2) से अधिक वरीयता दी गई जो कि (3) पर पूर्वता लेता है।

"एक केंद्रीय बैंक से सरकार के अधीनस्थ होने की उम्मीद नहीं की जाती है।"-वाईवी रेड्डी, पूर्व आरबीआई गवर्नर

आरबीआई की घटती स्वायत्तता के कारण

- **कम से कम स्वतंत्र:** 2014 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सेंट्रल बैंकिंग में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्लेषण में ध्यान में रखे गए 89 केंद्रीय बैंकों में आरबीआई को सबसे कम स्वतंत्र के रूप में स्थान दिया गया था ।
- मौद्रिक नीति समिति फरवरी 2015 में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के कार्यान्वयन और अक्टूबर 2016 में मौद्रिक नीति समिति की स्थापना के बाद से, ये रैंकिंग शायद बेहतर हैं।
- **वित्तीय क्षेत्र के विधायी सुधारों पर आयोग:** यह पिछले प्रशासन के तहत स्थापित किया गया था, और इसने RBI के अधिकार को कम करने के लिए कई सुझाव दिए।
- **वित्तीय स्थिरता विकास परिषद:** एक वित्तीय क्षेत्र निरीक्षण समूह जिसे वित्तीय स्थिरता विकास परिषद कहा जाता है, जिसकी अधयक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जानी थी, 2013 में स्थापित किया गया था।
- **सीमित अधिकार:** संक्षेप में, आरबीआई के पास 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत असीमित अधिकार नहीं हैं। हालांकि, जब मौद्रिक और नियामक कर्तव्यों को पूरा करने की बात आती है तो इसकी काफी स्वायत्तता होती है।

आरबीआई और सरकार के बीच मुद्दे

- **त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (पीसीए) के मानदंडों को आसान बनाना**
  - **बिजली फर्म:** सरकार ने अनुरोधकिया है कि आरबीआई बिजली फर्मों को पीसीए ढांचे से बाहर कर दे।
  - **क्रेडिट उपलब्धाता:** सरकार चाहती है कि आरबीआई पीसीए के तहत ऋण देने के नियमों में ढील दे क्योंकि यह क्रेडिट उपलब्धता बढ़ाकर एमएसएमई को लाभ पहुंचा सकता है।
  - **एनपीए:** आरबीआई के अनुसार, इस तरह के कदम से देश की गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) संकट को दूर करने के सभी प्रयास खतरे में पड़ जाएंगे।
- **1934 के आरबीआई अधिनियम की धारा 7:**
  - **निर्देश:** सरकार, जो 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मालिक है, बैंकिंग नियामक, आरबीआई को निर्देश जारी कर रही है।
  - **जनहित:** यह खंड सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है।
  - **परामर्श खंड:** खंड के अनुसार, आरबीआई गवर्नर के परामर्श के बाद आदेश दिए जाने चाहिए।
- **आरबीआई अधिशेष:**
  - **अधिशेष:** आरबीआई हर साल अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड पर आय अर्जित करता है। इस आय का उपयोग आरबीआई के संचालन के संचालन के लिए किया जाता है, शेष अधिशेष के रूप में अर्जित किया जाता है। आरबीआई अपनी साख को बनाए रखने के लिए कुछ अधिशेष को इक्विटी पूंजी के रूप में रखता है और शेष सरकार को भुगतान करता है।
  - **जोखिम आकलन:** यह निर्धारित करने के बाद कि 2015 में जोखिम आकलन के आधार पर इसकी लगभग 10 लाख करोड़ रुपये की इक्विटी स्थिति उचित थी, आरबीआई ने अपनी पूरी अतिरिक्त राशि सरकार को हस्तांतरित करने का फैसला किया (2015-16 के लिए लगभग 65,876 करोड़ रुपये)।
  - **बड़ा कोष:** सरकार का मानना है कि आरबीआई को अधिक लाभांश का भुगतान करना चाहिए क्योंकि उसने साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक से अधिक आकस्मिकता निधिऔर संपत्ति आरक्षित जैसे बफर्स का निर्माण किया है।
  - **मुद्रास्फीति के मुद्दे:** आरबीआई के अनुसार, सरकार को लाभांश भुगतान बढ़ाने से मुद्रास्फीति हो सकती है क्योंकि बाजार में अधिक पैसा होगा, जो आरबीआई के व्यापक आर्थिक स्थिरता के मुख्य उद्देश्य को कम कर सकता है।
  - **आकस्मिक निधि:** अधिशेष का उद्देश्य उस स्थिति को कवर करना भी है जिसमें एक या अधिक मुद्राओं के मुकाबले रुपया बढ़ता है, या यदि सोने का रुपये का मूल्य गिरता है।

आरबीआई की नई पहल

आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना

- **आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना:** रिटेल डायरेक्ट स्कीम व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन-स्टॉप समाधन है।
- इस योजना में, व्यक्तिगत खुदरा निवेशक गिल्ट सिक्योरिटीज खाता-"रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी)" खाता आरबीआई के साथ खोल सकते हैं।

सरकारी सुरक्षा (जी-सेक)

- G-Sec केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है।
- यह सरकार के ऋण दायित्वों को पहचानता है। इस तरह की प्रतिभूतियाँ या तो अल्पावधि होती हैं (ट्रेजरी बिल कहलाती हैं क्योंकि उनकी प्रारंभिक परिपक्वता एक वर्ष से कम थी और अब तीन अवधियों में जारी की जाती हैं: 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन) या लंबी अवधि (आमतौर पर सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है) एक वर्ष या उससे अधिक की मूल परिपक्वता)।
- भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों जारी करती है, लेकिन राज्य सरकारें विशेष रूप से बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के रूप में जाना जाता है।
- जी-सेक के पास लगभग कोई डिफॉल्ट जोखिम नहीं है और इसलिए इसे जोखिम मुक्त गिल्ट-एज्ड उत्पाद कहा जाता है।

एकीकृत लोकपाल योजना

- **लोकपाल का संयोजन:** एकीकृत लोकपाल प्रणाली तीन आरबीआई लोकपाल योजनाओं को जोड़ती है: 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, एनबीएफसी के लिए 2018 की लोकपाल योजना और डिजिटल लेनदेन के लिए 2019 की लोकपाल योजना।
- **एक राष्ट्र-एक लोकपाल:** यह "एक राष्ट्र-एक लोकपाल" की अवधारणा पर बनाया गया है, जिसमें एक ही साइट, ईमेल और पता है जहाँ ग्राहक अपनी शिकायतों की रिपोर्ट कर सकते हैं।
- **समावेशन:** नई योजना में 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक जमा वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल हैं।
- **प्रधान नोडल अधिकारी:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या इसी तरह के एक महाप्रबंधक के पद पर, विनियमित संस्था का प्रतिनिधित्व करने और ग्राहक शिकायतों के जवाब में जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- **शिकायत निवारण:** यह आरबीआई-विनियमित फर्मों के खिलाफ उपभोक्ता चिंताओं से निपटने के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया को मजबूत करेगा।
- **शिक्षा और संरक्षण:** एकीकृत व्यवस्था के तहत, अपीलीय प्राधिकारी उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक होंगे।
- **एकल खाता:** ग्राहक शिकायत करने, दस्तावेज भेजने, स्थिति ट्रैक करने और टिप्पणी प्रदान करने के लिए एकल ईमेल खाते का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- **शिकायत निवारण:** कई भाषाओं में एक टोल-फ्री हॉटलाइन होगी जो शिकायत निवारण पर सभी आवश्यक जानकारी देगी। यह बैंक ग्राहकों और जनता के लिए नि:शुल्क होगी।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति

- लागत, उपलब्धता और धन और क्रेडिट के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक के अधिकार के भीतर उपकरणों का उपयोग मौद्रिक नीति के रूप में जाना जाता है।
- एक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत अब मजबूत मौद्रिक नीतियों के निर्माण पर अधिक जोर देता है।
- कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार स्थापित करने और जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए, इसे 2016 में संशोधित किया गया था।
- जबकि मौद्रिक नीति अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को नियंत्रित करती है, राजकोषीय नीति यह निर्धारित करती है कि सरकार अपने कर लगाने और व्यय का प्रबंधन केसे करती है।
- **नियंत्रण करना:** मूल्य स्थिरता को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आरबीआई इस पद्धति का उपयोग अर्थव्यवस्था में उपलब्ध धन की मात्रा पर नियंत्रण करने के लिए करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित) के तहत, आरबीआई को भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- **प्रकार:** मौद्रिक नीति विस्तारवादी या संकुचनकारी हो सकती है।
- **मुद्रास्फीति प्रबंधन:** इसके अतिरिक्त, यह मुद्रास्फीति और अपस्फीति जैसे विभिन्न व्यावसायिक चक्रों को विनियमित करने में सहायता करता है।
- **धन नियंत्रण:** केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के माधयम से प्रचलन में धन और साख की मात्रा को नियंत्रित करता है।

- **आर्थिक विकास:** देश की आर्थिक वृद्धि मौद्रिक नीति से प्रभावित होती है, जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों में परिवर्तन करके मुद्रास्फीति का प्रबंधन भी करती है।
- **आर्थिक उद्देश्य:** यह धन को उन क्षेत्रों की ओर निर्देशित करता है जहाँ समग्र आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है।
- मौद्रिक नीति के माधयम से, सरकार या देश का मौद्रिक प्राधिकरण निम्नलिखित को नियंत्रित करता है:
  - धन की आपूर्ति
  - धन की उपलब्धता
  - आर्थिक विकास और स्थिरता के उद्देश्य से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ब्याज दर।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य

- **आर्थिक विकास:** अर्थव्यवस्था की कीमतों और आय को नियंत्रित करके, निवेश को संभव बनाया जाता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
- **रोजगार सृजन:** केंद्रीय बैंक संबंधित देश की मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **मूल्य स्थिरता:** मुद्रा के मूल्य को नियंत्रित करके, मौद्रिक नीति का उद्देश्य मूल्य स्थिरता प्राप्त करना है। जब मंदी आती है, तो अर्थव्यवस्था की मदद के लिए ऋण पर ब्याज दरें कम कर दी जाती हैं। पैसे की आपूर्ति को कम करने के प्रयास में कभी-कभी उच्च ब्याज दरों के साथ ऋण दिया जा सकता है।
- **विनिमय दर स्थिरता:** वैश्विक व्यापार विश्वास के निर्माण के लिए विनिमय दर स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं जैसे कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट, अटकलें और विदेशों में पूंजी का पलायन।
- **भुगतान संतुलन (बीओपी) संतुलन:** बीओपी उन सभी लेन-देन का विवरण है जो एक देश और शेष विश्व में संस्थाओं के बीच एक निर्दिष्ट समय अवधिके दौरान हुआ था। मौद्रिक नीति का उपयोग करके, भारतीय रिजर्व बैंक संतुलन को बनाए रखता है।
- **वित्तीय स्थिरता:** मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता बनाए रखना और वित्तीय बाजार में झटकेदार, अस्थिर दोलनों और अस्थिरता के समग्र स्तर को कम करना है।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्य:** आरबीआई अधिनियम के अनुसार, भारत सरकार को आरबीआई से परामर्श करने के बाद हर पांच साल में एक मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) 2021 और 2022 के बीच 5.7: बढ़ने की उम्मीद है।

भारत में मौद्रिक नीति की विशेषताएं

- एक गतिशील नीति क्योंकि आरबीआई इसे सालाना बनाता है और इसे साल में चार बार संशोधित करता है।
- आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह पर नजर रखने में सक्षम है।
- लचीला क्योंकि आरबीआई विभिन्न दरों में बदलाव करके बाजार की परिस्थितियों के जवाब में इसे बदल सकता है।
- बचत और निवेश की देश की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।
- आरबीआई क्रेडिट को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के उपकरण और तरीके प्रदान करता है।

नीति में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका

- आरबीआई सर्वोच्च निकाय और देश का केंद्रीय बैंक है, जो बैंकिंग क्षेत्र की देखरेख करता है और देश की मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है।
- आरबीआई की प्रस्तावना में कहा गया है, ''भारत में मौद्रिक स्थिरता हासिल करने और आम तौर पर देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को इसके लाभ के लिए संचालित करने की दृष्टि से बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करने और भंडार रखने का कार्य है।''
- यह बैंकिंग से संबंधित हर चीज को नियंत्रित करता है, जिसमें मुद्रा जारी करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, बैंकों को पैसा उधार देना, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, तरलता की स्थिति बनाए रखना और वित्तीय समावेशन शामिल है।
- यह एक बैंकर के बैंकर के रूप में कार्य करता है और माइक्रो या मैक्रो बैंकिंग से बचता है। इसकी मौद्रिक रणनीति अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और आर्थिक विस्तार के लिए अनुकूल सेटिंग प्रदान करने का प्रयास करती है।
- लाभदायक उद्योगों के लिए तरलता प्रदान करने के अलावा, आरबीआई ब्याज दरों और विनिमय दरों की स्थिरता की रक्षा करता है।
- यह वित्तीय संस्थानों के विकास को सुनिश्चित करता है और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह का ट्रैक रखता है।
- आरबीआई मुद्रा नोट जारीकर्ता और नियामक दोनों के रूप में मौद्रिक स्थिरता का समर्थन करता है।

मौद्रिक नीति के प्रकार

विस्तारवादी मौद्रिक नीति

- एक विस्तारित मौद्रिक नीति का उद्देश्य किसी विशेष अर्थव्यवस्था में उपलब्ध धन की मात्रा को बढ़ावा देना है।

- एक मौद्रिक नीति जो विस्तारवादी है, **प्रमुख ब्याज दरों को कम करके** और **बाजार की** तरलता को बढ़ाकर लागू की जाती है।
- जब अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में होती है, तो यह आमतौर पर पैसे की आपूर्ति बढ़ाने, खपत बढ़ाने और **मांग पैदा करने के लिए किया जाता है।**
- इसका दूसरा नाम है **"डोविश मोनेटरी पॉलिसी"।**

संकुचित मौद्रिक नीति

- एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की कमी संकुचनकारी मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। ।
- प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ाकर एक संकुचनकारी मौद्रिक नीति हासिल की जाती है, जिससे बाजार की तरलता कम हो जाती है।
- यह आम तौर पर मुद्रा आपूर्ति को कम करने, कम मांग और कम खपत के लिए उपयोग किया जाता है जब अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति का सामना कर रही है।
- "हक्कीश मौद्रिक नीति" के नाम से भी जाना जाता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. यदि आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का फैसला करता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और उसे इष्टतम करे
2. सीमांत स्थायी सुविधा दर बढ़ाएँ
3. बैंक रेट और रेपो रेट में कटौती करें

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1 और 2

(*b*) केवल 2

(*c*) केवल 1 और 3

(*d*) 1, 2 और 3

2. भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सरकारध आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित उपाय नहीं है? (2019)

(*a*) गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाना और निर्यात को बढ़ावा देना

(*b*) भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये के मूल्यवर्ग के मसाला बांड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना

(*c*) बाहरी वाणिज्यिक उधार से संबंधित शर्तों को आसान बनाना

(*d*) एक विस्तारित मौद्रिक नीति को अपनाना

मौद्रिक नीति की स्थिति

- **तटस्थ रुख:** इसका तात्पर्य है कि ब्याज दरें किसी भी दिशा में ऊपर या नीचे जा सकती हैं।
- **केलिब्रेटेड कसने:** इसका तात्पर्य है कि ब्याज दरें केवल बढ़ सकती हैं।
- **उदार रुख/विस्तारवादी रुख:** यह वित्तीय प्रणाली में अतिरिक्त धन के अंत: क्षेपण को संदर्भित करता है। आरबीआई 'हेडलाइन मुद्रास्फीति' गिरने से प्रेरित है, और इस तरह के रुख का उद्देश्य उधार, निवेश और विकास को बढ़ाना है।
- **संकुचनकारी रुख:** इसमें वित्तीय प्रणाली से धन की निकासी शामिल है। जब यह माना जाता है कि वित्तीय प्रणाली में इष्टतम से अधिक धन उपलब्धा है, तो आमतौर पर ऐसा रुख अपनाया जाता है। कभी-कभी यह दीर्घकालिक मुद्रास्फीति नियंत्रण के उद्देश्य से भी होता है।
- **हॉकिश रुख:** मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने के उद्देश्य से एक संकुचनकारी रुख को दर्शाता है ('हेडलाइन मुद्रास्फीति' के वैधानिक मुद्रास्फीति लक्ष्यों से संबंधित)।

ऑपरेशन ट्विस्ट

- यह एक फेडरल रिजर्व (फेड) मौद्रिक नीति कार्यक्रम है जिसका उपयोग पहले लंबी अवधि की ब्याज दरों को कम करने के लिए किया जाता था ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और अधिक उत्तेजित किया जा सके जब नियमित मौद्रिक उपकरण विभिन्न परिपक्वताओं के अमेरिकी ट्रेजरी की समयब) खरीद और बिक्री के माध्यम से अनुपलब्ध थे।

भारत की मौद्रिक नीति के उपकरण

RBI मौद्रिक नीति की सहायता से अर्थव्यवस्था में ऋण का प्रबंधन कर सकता है। यह RBI को अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को बदलने की क्षमता देता है। मौद्रिक नीति के तहत, राष्ट्र की साख के प्रबंधन के लिए दो अलग-अलग प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं।

A. मात्रात्मक या सामान्य उपाय

B. गुणात्मक या चयनात्मक उपाय

- **मात्रात्मक/सामान्य उपाय:** आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित ऋण और उधार देने योग्य संसाधनों की समग्र राशि को प्रभावित करने के लिए परिमाणात्मक या सामान्य उपायों का उपयोग करता है।

निम्नलिखित कुछ परिमाणात्मक उपकरण हैं:

बैंक दर

- वाणिज्यिक बैंकों को धन या ऋण प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा दी गई दीर्घावधि ब्याज दर।
- इसे अक्सर **छूट दर कहा जाता है।** इस दर से देश की मुद्रा आपूर्ति सीधे प्रभावित होती है।
- उदाहरण के लिए, यदि बैंक दर बढ़ाता है तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण के लिए अधिक भुगतान करेंगे। नतीजतन, वाणिज्यिक बैंक उच्च दर पर सार्वजनिक ऋण देंगे। नतीजतन, कम लोग बैंकों से पैसा उधार लेंगे। नतीजतन, देश में क्रेडिट संकुचन होगा।
- दूसरी ओर, आरबीआई पैसे की आपूर्ति बढ़ाने के लिए बैंक दर को कम करता है।

रेपो दर:

- जब बैंकों के पास नकदी खत्म हो जाती है तो वे आरबीआई से उधार लेते हैं।
- रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, आमतौर पर अल्पावधि उधार में सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध है।
- रेपो दरों में कमी से बैंकों को कम लागत पर धन उधार लेने की अनुमति मिलती है, जिससे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है।
- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में, आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई से उधार लेना अधिक महंगा हो जाता है, इस प्रकार धन की आपूर्ति सीमित हो जाती है।
- रेपो रेट का उपयोग RBI द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

दीर्घकालिक रेपो (एलटीआरओ)

- उधार देने में वृद्धि को प्रोत्साहित करने और बैंकों के लिए अल्पकालिक निधियों की लागत को कम करने के उद्देश्य से अपनी तरह के पहले प्रयास के रूप में।
- आरबीआई ने फरवरी 2020 (2019-20 की छठी द्वि मासिक मौद्रिक नीति) में घोषणा की कि वह एक निश्चित दर (यानी, रेपो दर पर) पर 1.50 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक रेपो ऑपरेशन (एलटीआरओ) पेश करेगा।
- एलटीआरओ एक से तीन साल के लिए वैधहोगा।
- यह वित्तीय प्रणाली में दीर्घकालिक और ज्यादा तरलता सुनिश्चित करने के साथ-साथ बैंकों के लिए धन की लागत को कम करके उधार बढ़ाने के लिए किया गया था (उन्हें सस्ता ऋण देने में सक्षम बनाने के लिए)।

रिवर्स रेपो रेट

- यह एक ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पावधि में उधार लेता है।
- यदि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है, तो वाणिज्यिक बैंक अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा करना पसंद करेंगे क्योंकि यह सुरक्षित है और उनके पैसा कमाने का कारण बनता है।
- नतीजतन, वाणिज्यिक बैंक अपने उपभोक्ताओं को पैसे उधार देने के लिए उच्च ब्याज दर वसूलेंगे।
- आरबीआई ने भारतीय बैंकों में अतिरिक्त धन आपूर्ति के बाद इस उपकरण का इस्तेमाल किया।
- बैंक घाटे को कम करने और मौजूदा ब्याज दर को बनाए रखने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कम ऋण संवितरण।
- यह सुधार प्रक्रिया शुरू होने के बाद से आरबीआई की कम ब्याज दरों की सामान्य नीति के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर)

- देश में काम कर रहे बैंकों कानून को दो प्रकार के "आरक्षित अनुपात" बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- नकद आरक्षित अनुपात उनमें से एक है (दूसरा वैधानिक तरलता अनुपात है)।
- यह एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई के पास रखी गई कुल जमा राशि भी है।
- आरबीआई इस अनुपात का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करता है कि क्रेडिट को बढ़ाया जाना चाहिए या घटाया जाना चाहिए।
- आरबीआई के पास सीआरआर जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था में तरलता उतनी ही कम होगी और इसी प्रकार इसके विपरीत भी होता है। आरबीआई के पास सीआरआर को 3% से 15% तक बदलने का अधिकार है।

वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)

- प्रत्येक वित्तीय संस्थान को अपने कुल समय और मांग दायित्वों का एक विशिष्ट प्रतिशत अपने पास रखना आवश्यक है, जो कि गैर-नकदी या तरल परिसंपत्ति के रूप में हो।
- वास्तव में, बैंक इस नकदी को अपनी पसंद की तरल संपत्ति में निवेश करने में असमर्थ हैं, लेकिन इसके बजाय उन्हें विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों (यानी जी-सेक) में निवेश करना चाहिए।
- उस प्रतिशत को वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में जाना जाता है। इस अनुपात का प्राथमिक लक्ष्य बैंकों को जमाकर्ताओं को जमा किए गए धन की आवश्यकता होने पर प्रतिपूर्ति करने की अनुमति देना है।

- एसएलआर में परिवर्तन अक्सर निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए बैंकिंग प्रणाली में धन की उपलब्धता को प्रभावित करता है।
- वैधानिक तरलता अनुपात 25% और 33.75% के बीच हो सकता है।

मापदंडों	सीआरआर	एसएलआर
अर्थ	यह उस राशि का प्रतिशत है जिसे बैंक को RBI के पास रखना चाहिए।	यह समय और मांग देनदारियों के लिए तरल परिसंपत्तियों का अनुपात है।
प्रपत्र	नकदी के रूप में रखा गया।	नकद, सोना और सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखा जाता है।
उपयोग	अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को नियंत्रित करता है।	बैंकों की सॉल्वेंसी सुनिश्चित करता है।
के साथ आरक्षित	आरबीआई के पास आरक्षित।	वाणिज्यिक बैंकों के साथ आरक्षित।
राष्ट्रीय प्रभाव	देश में नकदी की तरलता को नियंत्रित करता है।	देश की साख वृद्धि को बनाए रखता है।

ओपन मार्केट अक्समरेशंस (ओएमओ)

- क्रेडिट के विस्तार और अनुबंधा के लक्ष्य के साथ सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में खरीद और बिक्री शामिल है।
- जब आरबीआई पैसे की आपूर्ति बढ़ाना चाहता है, तो वह बाजार से संपत्ति खरीदता है, और आपूर्ति घटाने के लिए इसके विपरीत करेगा।

मौद्रिक नीति	ओएमओ में आरबीआई की कार्यवाही	अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
विस्तारवादी	खरीदता	पैसे डालता है
संकुचनकारी	खरीदता	पैसा निकालता है

बाजार स्थिरीकरण कार्यक्रम (एमएसएस)

- यह मौद्रिक प्रबंधन उपकरण 2004 में जारी किया गया था।
- इस योजना के तहत, बड़ी पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अतिरिक्त तरलता को अल्प-दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को बेचकर अवशोषित किया जाता है।
- जुटाई गई नकदी को आरबीआई के पास एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है।
- एमएसएस के तहत जारी ट्रेजरी बिल/दिनांकित प्रतिभूतियों में मौजूदा ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियों के सभी गुण होंगे।
- विशेष रूप से, इन्हें किसी भी अन्य विपणन योग्य सरकारी प्रतिभूतियों की तरह जारी और सर्विस किया जाएगा और इस प्रकार वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), रेपो और तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के लिए पात्र प्रतिभूतियाँ होंगी।

कॉल मनी मार्केट (सीएमएम)

- यह अनिवार्य रूप से एक अंतर-बैंक मुद्रा बाजार है जिसमें धन उधार लिया जाता है और एक दिन के लिए उधार दिया जाता है, यही कारण है कि इसे ओवरनाइट उधार बाजार (जिसे कॉल पर पैसा भी कहा जाता है) के रूप में भी जाना जाता है।
- फंड को अधिकतम 14 दिनों के लिए उधार लिया जा सकता है या जुटाया जा सकता है (अल्प सूचना कहा जाता है)। इस बाजार में उधार प्रतिभूतियों के साथ या बिना प्रतिभूतियों के हो सकता है।
- इस बाजार में ब्याज दर उस समय के 'रेपो रेट' के साथ 'ग्लाइड' होती है, लेकिन सिद्धांत सरल है - अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज दर उतनी ही अधिक होगी।
- इस बाजार में धन की उपलब्धता और मांग के आधार पर वास्तविक कॉल दर वर्तमान रेपो दर के आसपास ही घटी बढ़ती है।

तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ)

- LAF, RBI के मौद्रिक नीति संचालन ढांचे (जून 2000 में शुरू) का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- दैनिक आधार पर, आरबीआई समय की जरूरतों (रेपो और रिवर्स रेपो दरों) के आधार पर निश्चित ब्याज दरों पर बैंकिंग प्रणाली से उधार लेने के लिए तैयार है।
- एलएएफ संचालन, बेमेल बैंक फंड को मॉडरेट करने के अलावा, आरबीआई को बाजार में ब्याज दर संकेतों को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने में सहायता करता है।
- 2013 के बाद, रेपो उधार पर केप के संबंधमें हाल के बदलावों और टर्म रेपो के प्रावधान ने इस सुविधा के डायनामिक्स को ही बदल दिया।

स्थायी जमा सुविधा योजना

- केंद्रीय बजट 2018-19 में नई योजना प्रस्तावित की गई है। आरबीआई ने 2015 के नवंबर में इस तरह के एक उपकरण का प्रस्ताव दिया था।

- इस योजना का उद्देश्य बेहतर तरलता प्रबंधन में आरबीआई की सहायता करना है।
- विशेष रूप से जब अर्थव्यवस्था अतिरिक्त धन के साथ चल रही हो (जैसा कि नवंबर 2016 के बाद उच्च मूल्य के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के बाद देखा गया था)।
- **गुणात्मक या चुनिंदा उपाय:** कुछ कार्यक्रमों, स्थानों या वस्तुओं के संबंध में क्रेडिट विनियमन या नियंत्रण।

ऋण मार्जिन आवश्यकता

- ऋण सुरक्षित करने के लिए उपयोग किए गए ऋण मूल्य और सुरक्षा के मूल्य के बीच का अंतर।
- यदि उधार मार्जिन की आवश्यकता 20% है, तो वाणिज्यिक बैंक सुरक्षा के बाजार मूल्य के 80% तक के ऋण को अधिकृत कर सकते हैं। लेकिन कृषि और व्यक्तिगत ऋण के लिए संपार्श्विक अलग होगा।
- नतीजतन, अगर कोई व्यक्ति रुपये उधार लेना चाहता है। 80,000, उसे 1,00,000 सुरक्षा राशि रुपये प्रस्तुत करनी होगी (बाजार मूल्य)।
- नतीजतन, अगर आरबीआई इस मार्जिन को उठाता है, तो आम लोग तुलनीय-मूल्यवान संपत्तियों के बदले कम ब्याज वाले ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

निर्देश

- 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम आरबीआई को अधिकृत करता है कि वह वाणिज्यिक बैंकों को उधार नीतियाँ निर्धारित करने में उनकी मदद करने के लिए निर्देश प्रदान करे।
- निर्देशों के माधयम से, केंद्रीय बैंक एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक निश्चित सीमा तक क्रेडिट संरचना और क्रेडिट की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है।

क्रेडिट सीमा

- आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंक ऋणों को एक निर्दिष्ट स्तर तक सीमित करने का अधिकार है।
- वाणिज्यिक बैंक इस स्थिति में सार्वजनिक ऋण जारी करने में संकोच करेंगे। बैंक कृषि और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कुछ उद्योगों को उधार देंगे।

नैतिक अनुनय-विनय

- इस अवसर पर, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अनुरोध करता है और अनुत्पादक कारणों से ऋण प्रदान नहीं करने के लिए राजी करता है जो मुद्रास्फीति को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक विकास में योगदान नहीं करते हैं, अर्थात, यह बैंकों से सटटा उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्धता को सीमित करने का आग्रह करता है।

प्रत्यक्ष कार्यवाही

- आरबीआई के पास ऐसे बैंक पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है जो उसके निर्देशों का पालन करने में किल रहता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने बिलों और प्रतिभूतियों को फिर से भुनाने से इंकार करने का विकल्प है।
- केंद्रीय बैंक किसी व्यक्तिगत बैंक को संचालन से मना भी कर सकता है यदि वह अपने निर्देशों का पालन नहीं करता है और मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का उल्लंघन करता है।

ऋण निगरानी

- एक पार्टी को दिए गए 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सभी वाणिज्यिक बैंक ऋणों की समीक्षा आरबीआई द्वारा की जाती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके कारणधबढ़ सकती है? (2021)

1. विस्तारक नीतियाँ
2. राजकोषीय प्रोत्साहन
3. मुद्रास्फीति-अनुक्रमण मजदूरी
4. उच्च क्रय शक्ति
5. बढ़ती ब्याज दरें

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 3, 4 और 5
(c) केवल 1, 2, 3 और 5 (d) 1, 2, 3, 4 और 5

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, 'ओपन मार्केट ऑपरेशंस' का संदर्भ _____ से है। (2013)

(a) आरबीआई से अनुसूचित बैंकों द्वारा उधार लेना
(b) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार के लिए ऋण
(c) आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

चेक ट्रंकेशन प्रणाली

- यह प्रस्तुतकर्ता बैंक द्वारा अदाकर्ता बैंक शाखा को जाने वाले मार्ग में चेक कर्ता द्वारा जारी किए गए भौतिक चेक के प्रवाह को रोकने की तकनीक है। इसके बजाय, चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक छवि समाशोधन गृह के माध्यम से भुगतान शाखा को हस्तांतरित की जाती है, साथ में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि MICR बैंड डेटा, प्रस्तुति की तिथि, प्रस्तुतकर्ता बैंक, और अन्य जानकारी।

भारत में मौद्रिक नीति

- स्थानीय जरूरतों और वैश्विक संरचनात्मक विकास के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक के नीतिगत उद्देश्य और उपकरण समय-समय पर विकसित हुए हैं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था प्रारंभिक वर्षों में विकास के अपने प्रारंभिक चरण में थी। नतीजतन, बुनियादी ढांचे के निर्माण और विनिर्माण क्षमता में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता थी।
- इस समय के दौरान राजकोषीय नीति को मौद्रिक नीति से अधिक महत्वपूर्ण पाया गया। सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए, सरकार आम तौर पर बड़े बजट घाटे को चलाती है।
- इन कमियों को तदर्थ ट्रेजरी बिलों या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उधारों का उपयोग करके कवर किया गया था। वित्त पोषण घाटे का ऐसा तरीका अक्सर मुद्रास्फीतिकारी था, खासकर 1980 के दशक के दौरान।
- इस प्रवृत्ति का प्रतिकार करने के लिए, 1986 में मुद्रा आपूर्ति विस्तार, अर्थात् M3 पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मौद्रिक नीति ढांचे में बदलाव किया गया था।

1991 के सुधारों के बाद परिवर्तन

- 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आरबीआई का कार्य नाटकीय रूप से बदल गया। बजट असंतुलन के मुद्रीकरण को सीमित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। हालाँकि, नीलामी में सार्वजनिक ऋण की प्रमुख समस्या बजट असंतुलन का मुद्रीकरण करती रही।
- घाटे के वित्तपोषण के इन तरीकों को समाप्त करने के लिए, आरबीआई को 2006 में सार्वजनिक ऋण के प्रमुख मुद्दे की सदस्यता लेने से रोक दिया गया था।
- **अंतरिम चल निधि समायोजन सुविधा (ILAF)** की स्थापना अप्रैल 1999 में नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के जवाब में की गई थी।
- रेपो और रिवर्स रेपो दरों को RBI की प्रमुख नीतिगत दरों के रूप में विकसित किया गया, जिससे नकदी को नियंत्रित करने के लिए RBI के उपकरणों के रूप में CRR और SLR के महत्व को कम किया गया।
- दूसरी ओर, ILAF को सीलिंग रेट और सिंगल पॉलिसी रेट की कमी का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप, मई 2011 से संशोधित तरलता समायोजन ढांचे (RLAF) के तहत रेपो दर एकमात्र स्वतंत्र रूप से उतार-चढ़ाव वाली दर रही है। 2016 में, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण भारतीय मौद्रिक नीति का एकमात्र लक्ष्य बन गया।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और इसे 4% से नीचे रखने के लिए भारत सरकार (GOI) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते (MPFA) पर सहमति हुई थी।

मौद्रिक नीति प्रक्रिया

- केंद्र सरकार ने 2016 में संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेडबी के तहत छह सदस्यों के साथ मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की स्थापना की।
- इसकी प्राथमिक भूमिका सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, जो आरबीआई के सहयोग से मुद्रास्फीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक ब्याज दर की गणना करती है।
- आरबीआई का मौद्रिक नीति विभाग अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों और प्रतिभागियों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी रेपो दर या पुनर्खरीद दर निर्धारित करने में एमपीसी की सहायता करता है।
- 2016 के बाद से, भारतीय मौद्रिक नीति का एकमात्र लक्ष्य 2% उदारता के साथ प्रति वर्ष 4% मुद्रास्फीति का लक्ष्य रहा है।
- इस घटना में कि आरबीआई उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने में किल रहता है, यह सरकार के लिए जिम्मेदार है और यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह भविष्य में एक निश्चित तिथि तक ऐसा क्यों और केसे करेगा।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

- 2014 में उर्जित पटेल समिति ने मौद्रिक नीति समिति के गठन की वकालत की थी।
- यह 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा स्थापित एक विधायी और संस्थागत ढांचा है, जो विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए है।
- MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य (जो 4% है) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करता है।
- एमपीसी में निर्णय बहुमत से लिए जाते थे और बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर का निर्णायक मत होता था।

एमपीसी की संरचना

- एमपीसी में निम्नलिखित छह सदस्य हैं
- आरबीआई के गवर्नर पदेन अध्यक्ष के रूप में।
- आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी - सदस्य, पदेन।
- केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई का अधिकारी (1) - सदस्य, पदेन।
- अन्य तीन सदस्यों को अर्थशास्त्र, या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए।
- उनके पास चार साल की अवधिहै जब तक कि इसे बढ़ाया नहीं जाता है।

उर्जित पटेल समिति

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने 4 सितंबर, 2016 को उर्जित पटेल समिति की स्थापना की। यह समिति RBI के मौद्रिक नीति ढांचे के मूल्यांकन और उसे बढ़ाने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थी।

मुख्य सिफारिशें

- हेडलाइन सीपीआई मौद्रिक नीति के लिए सांकेतिक एंकर होना चाहिए और आरबीआई को इसे प्रमुख उद्देश्य बनाना चाहिए।
- दो साल के क्षितिज के लिए, मुद्रास्फीति के लिए सांकेतिक एंकर को त्रुटि के 2% मार्जिन के साथ 4% पर सेट किया जाना चाहिए।
- 2016-17 तक, केंद्र सरकार को राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.0 प्रतिशत तक कम करना चाहिए। प्रशासित मूल्य, मजदूरी और ब्याज दरें मौद्रिक नीति के संचरण में बाधाएँ हैं और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए।
- मौद्रिक नीति निर्णय एक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा किए जाने चाहिए, जिसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और मौद्रिक नीति के प्रभारी कार्यकारी निदेशक के साथ-साथ दो बाहरी पूर्णकालिक सदस्य शामिल होने चाहिए।
- एमपीसी वोटिंग के जरिए फैसला करेगी। सदस्यों को लक्ष्य पूरा करने में किलता के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिसे लगातार तीन तिमाहियों के लिए लक्ष्य को पूरा करने में किल रहने के रूप में परिभाषित किया गया है।
- वास्तविक नीति दर शून्य से अधिक होनी चाहिए। पहले चरण में ऑपरेटिव उद्देश्य भारित औसत कॉल दर होगा, और रेपो दर एकल नीति दर होगी।
- अधिशेष तरलता को निष्फल करने के लिए, आरबीआई को पारिश्रमिक वाली स्थायी जमा सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) और नकदी प्रबंधन विधोयकों (सीएमबी) पर निर्भरता, दो कार्यक्रमों को चरणबद्ध किया जाना चाहिए, और सरकारी ऋण और नकदी प्रबंधन को सरकार के ऋण प्रबंधन कार्यालय द्वारा ले लिया जाना चाहिए।
- 1992 में एशियाई विकास बैंक के प्रति वचनबद्ध सभी क्षेत्र-विशिष्ट पुनर्वित्त को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- **सरकार की प्रतिक्रिया:**
  - मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने के लिए आरबीआई की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर, 2016 में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए एक औपचारिक परिवर्तन किया गया था, और नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने के लिए छह सदस्यीय एमपीसी का गठन किया गया था।
  - केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2016 को आधिकारिक राजपत्र में घोषणा की कि 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का लक्ष्य 2% सहिष्णुता (Tolerance) सीमा के साथ 4% होगा।
  - फरवरी 2015 में, भारत सरकार और आरबीआई ने लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचे को औपचारिक रूप से अपनाने के लिए मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते (MPFA) पर हस्ताक्षर किए।
  - इसके बाद मई 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया ताकि एफआईटी ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक विधायी आधार दिया जा सके।
  - मौद्रिक नीति प्रक्रिया के आधुनिकीकरण की दिशा में इस कदम के साथ, भारत उन राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया, जिन्होंने 1990 में न्यूजीलैंड से शुरुआत करते हुए अपने मौद्रिक नीति ढांचे के रूप में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाया।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)' के संबंध में निम्नलिखित में से कौन साधसे कथन सही ह/हैं? (2017)

1. यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरें तय करती है।
2. यह RBI के गवर्नर सहित 12 सदस्यीय निकाय है और हर साल इसका पुनर्गठन किया जाता है।
3. यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अधयक्षता में कार्य करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3 (d) केवल 2 और 3

मौद्रिक नीति का लाभ

- राजकोषीय नीति के विरोधमें मौद्रिक नीति में कथित 'कार्यवाही की आवश्यकता' और 'की गई कार्यवाही' समय बिंदुओं के बीच कम समय अंतराल होता है।
- विभिन्न दरों/अनुपातों (बीआर/सीआरआर/एसएलआर/आरआर) में कटौती तत्काल प्रभाव से लागू है। इस तरह के समायोजन वर्ष के किसी भी समय किए जा सकते हैं।
- हालांकि, इन लाभों को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा रहा है, जैसा कि 'कई मौकों पर हुई कीमतों में मुद्रास्फीति की वृद्धि' से संकेत मिलता है।

मौद्रिक नीति की सीमाएं

- **गैर-बैंकिंग ऋणों का उच्च अनुपात:**
  - गैर-बैंकिंग संस्थान बड़ी मात्रा में ऋण (एनबीआई) उधार देते हैं। बैंक दर और अनुपात में परिवर्तन का इस खंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
  - बैंकों और NBI के बीच संबंध पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुए हैं। इसके अलावा, बैंकों ने गैर-जमा संसाधनों जैसे कक्कल मनी मार्केट और भागीदारी प्रमाणपत्रों पर बहुत अधिक भरोसा किया है।
  - आम तौर पर कॉल मनी दरों पर आरबीआई का कोई अधिकार नहीं है।
- **मौद्रिक साधन सीमाएं:**
  - मौद्रिक नीति उपकरणों की दरों में बार-बार समायोजन की आलोचना की जाती है क्योंकि वे उत्पादक निवेश के लिए अनिश्चितता का माहौल बनाते हैं।
  - इसके अलावा, जैसा कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र वैश्विक वित्तीय प्रणाली के साथ अधिक एकीकृत हो जाता है, आरबीआई की मौद्रिक नीति को वैश्विक विकास को ध्यान में रखना चाहिए।
  - यह भी पता चला है कि उधार देने को कम करने के लिए ब्याज दरों में बदलाव से अनुत्पादक क्षेत्रों को काफी अधिक लाभ होता है, जिससे इक्विटी और विकास के हितों को नुकसान पहुंचता है।
  - वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के बदलते परिवेश में, मौद्रिक नीति उपकरणों की प्रभावशीलता स्पष्ट रूप से सीमित है।
- **नए वित्तीय संस्थानों के प्रभाव:**
  - म्युचुअल फंड, वेंचर केपिटल फर्म और खुले बाजार में जारी सार्वजनिक पेशकश जैसी संस्थाएं अर्थव्यवस्था में कुल तरलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।
  - याद रखें कि म्युचुअल फंड अर्थव्यवस्था में कुल घरेलू बचत का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।
  - नतीजतन, नए वित्तीय संस्थानों में समग्र तरलता की काफी मात्रा होती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च स्तर की मध्यस्थता होती है। वित्तीय प्रणाली के कुछ हिस्सों में आरबीआई के कार्यों का प्रभाव नगण्य है।
- **उच्च मुद्रा-जमा अनुपात:**
  - क्योंकि विशाल ग्रामीण क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से में अभी भी बैंकिंग आदतों की कमी है, मुद्रा-जमा अनुपात उच्च बना हुआ है।
  - आरबीआई के मौद्रिक नीति उपकरणों का प्रभाव जमा खंड तक ही सीमित है।
  - इससे अर्थव्यवस्था में अप्रभावी मौद्रिक विनियमन हुआ।
- **कमजोर निगरानी प्रणाली:**
  - आरबीआई ने कृषि, लघु उद्योग, निर्यात वित्तपोषण, और इसी तरह के कुछ क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए बैंकों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न अधिमान्य पुनः लेखा सुविधाओं को बरकरार रखा है।
  - अतिरिक्त विचार यह भी है कि छोटे किसानों और शिल्पकारों जैसे ग्रामीण समूहों को ऋण देने की सीमा से बचाया जाना चाहिए।
  - इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अच्छे आंकड़ों और निगरानी प्रणालियों की कमी है कि पसंदीदा क्षेत्र ऐसे कार्यक्रमों से लाभान्वित हों। इन विकल्पों और अंतरालों के कारण मौद्रिक नीति का कार्य अपनी पहुंच और प्रभाव में सीमित हो गया है।
- **कठोर नीतियाँ और बढ़ती वित्तीय आवश्यकताएं:**
  - किसी दिए गए वर्ष के लिए क्रेडिट नीति आम तौर पर पैसे की आपूर्ति और मूल्य निर्धारण के पैटर्न के संदर्भ में पिछले वर्ष के विकास पर आधारित होती है।
  - इसके विपरीत, वास्तविक उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि के आधार पर आने वाले वर्ष के लिए ऋण की जरूरतों के मूल्यांकन के लिए समय की आवश्यकता है।
  - बजट घाटे का बढ़ता मुद्रीकरण भी राजकोषीय और मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के विपरीत है।
  - सुखमय चक्रवर्ती समिति ने एक तरु मौद्रिक प्रणाली की देखरेख और प्रबंधन के लिए आरबीआई की जिम्मेदारी और दूसरी ओर ऐसा करने के लिए आवश्यक प्राधिकरण के बीच अंतर को पाटने के महत्व पर जोर दिया। यह हमें आरबीआई की स्वायत्तता के मुद्दे पर विचार करने की ओर ले जाता है।

गैर परंपरागत मौद्रिक नीति

- कई दशकों तक, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों ने अपने मौद्रिक नीति साधन के रूप में एक नीतिगत ब्याज दर को नियोजित किया।
- 2007-2009 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) और महत्वपूर्ण मंदी की प्रतिक्रिया में, कई औद्योगिक देशों के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में लगभग शून्य स्तर तक कटौती की।
- जैसे-जैसे आर्थिक विकास धीमा रहा, ब्याज दरें लगभग शून्य रहीं, और कई केंद्रीय बैंकों ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'गैर परंपरागत' मौद्रिक नीति लागू की।

- जैसा कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक दुनिया भर में महामारी कोरोनवायरस (COVID-19) के भयावह आर्थिक प्रभावों का जवाब देते हैं, ये गैर परंपरागत दृष्टिकोण फिर से सामने आए हैं।

नकारात्मक ब्याज दर नीतियाँ (एनआईआरपी)

- नकारात्मक ब्याज दरें वास्तव में असामान्य हैं क्योंकि कर लगाने वाले जमाकर्ताओं को बैंकों के साथ पैसा जमा करने के लिए उचित ठहराना मुश्किल है।
- पारंपरिक ज्ञान ने कहा कि नीतिगत दरों में "शून्य निचली सीमा" (जेडएलबी) थी, यह सुझाव देते हुए कि ब्याज दरें कभी भी नकारात्मक तक नहीं पहुंच सकतीं।
- दूसरी ओर, जेडएलबी कोई सीमा नहीं थी क्योंकि डेनमार्क, स्वीडन, स्विटजरलैंड और यूरोजोन सहित कुछ एई केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के तुरंत बाद एनआईआरपी शुरू करने के लिए चुना।
- दूसरी ओर, वाणिज्यिक बैंकों ने खुदरा जमा दरों पर शून्य की एक मंजिल स्थापित करके नकारात्मक दरों से परहेज किया।
- हालांकि, उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में, एनआईआरपी पूंजी प्रवाह के रूप में भारी मात्रा में सीमा-पार स्पिलओवर उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे भारी मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता की कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं।

नकारात्मक ब्याज दर नीतियाँ (एनआईआरपी): पक्ष-विपक्ष

पक्ष	विपक्ष
उधारी खर्च को कम करता है।	नकारात्मक ब्याज दरें पूरे उपज वक्र पर दबाव डालती हैं।
किसी देश की मुद्रा को अन्य मुद्राओं की तुलना में कम आकर्षक निवेश बनाकर उसके मूल्यह्रास में योगदान करें।	वित्तीय फर्मों को उधार देने से मिलने वाले लाभ मार्जिन को कम करें।
कम मुद्रा देश के निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देती है जबकि आयात लागत बढ़ाकर मुद्रास्फीति को भी बढ़ाती है।	यदि निरंतर अल्ट्रा-लो दरें वित्तीय संस्थानों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, तो वे उधार देने में देरी कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

शून्य ब्याज दर नीति (ZIRP)

- ZIRP एक ऐसी नीति है जो ब्याज दरों को शून्य के करीब रखते हुए विकास को प्रोत्साहित करती है।
- सत्तारूढ़ केंद्रीय बैंक अब इस दृष्टिकोण के तहत ब्याज दरों को कम नहीं कर सकता है, जिससे पारंपरिक मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है।
- परिणामस्वरूप, मौद्रिक आधार को बढ़ावा देने के लिए अपरंपरागत मौद्रिक नीति, जैसे मात्रत्मक सहजता, को नियोजित किया जाता है।
- हालांकि, जैसा कि यूरोजोन में देखा गया है, शून्य-ब्याज-दर रणनीति के साथ बहुत दूर जाने से नकारात्मक ब्याज दरें हो सकती हैं।
- नतीजतन, कई अर्थशास्त्रियों ने कई संभावित खतरों में से एक के रूप में तरलता जाल का हवाला देते हुए, शून्य ब्याज दर नीतियों की प्रभावकारिता पर सवाल उठाया है।
- एक नकारात्मक ब्याज दर नीति, या NIRP, एक आपातकालीन उपाय के रूप में उपयोग की जाएगी।

हेलीकॉप्टर मनी

- हेलीकॉप्टर ड्रॉप के रूप में भी जाना जाता है, यह एक असामान्य मौद्रिक नीति उपकरण है जिसमें मंदी के दौरान आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारी मात्रा में धन की छपाई और इसे जनता तक पहुंचाना शामिल है।
- मिल्टन फ्रीडमैन, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद्, ने अपने मौलिक लेख "द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ मनी" (1969) में वाक्यांश का उपयोग किया।
- हेलीकाप्टर मनी एक प्रकार का अपरंपरागत मौद्रिक नीति साधन है जिसमें आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने, आर्थिक उत्पादन और मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में धन का निर्माण और आम लोगों को वितरित करना शामिल है। मिल्टन फीडमैन, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद्, ने "हेलीकॉप्टर मनी" वाक्यांश गढ़ा।
- हेलिकॉप्टर मनी के पीछे धारणा यह है कि आम जनता (उपभोक्ताओं) को दिया गया पैसा उनकी प्रयोज्य आय को बढ़ाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता खर्च अधिक होगा, जिससे आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होगी।
- वर्तमान सोच के अनुसार, हेलीकॉप्टर मनी को एक अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए जब अधिक नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली प्रोत्साहन अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में किल रही हो।

मात्रत्मक सहजता की तुलना में हेलीकाप्टर मनी

- ज्यादातर समय हेलीकॉप्टर मनी को अक्सर मात्रत्मक सहजता के साथ भ्रमित किया जाता है।

- हालांकि दोनों मौद्रिक नीति के उपाय हैं जो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करते हैं, केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर उनके प्रभाव अलग-अलग हैं।
- केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से सरकारी प्रतिभूतियाँ प्राप्त करके मात्रत्मक सहजता के लिए भंडार बनाता है।
- दूसरी ओर, हेलीकॉप्टर मनी में आम जनता को पैसा देना शामिल है, जो केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट में संपत्ति नहीं जोड़ता है।
- संक्षेप में, हेलीकाप्टर पैसा आम जनता को नकद देकर पैसे की आपूर्ति का विस्तार करता है, जबकि मात्रत्मक सहजता सरकारी संपत्तियों का अधिग्रहण करके पैसे की आपूर्ति का विस्तार करती है।
- **हेलीकॉप्टर मनी का मुख्य मुद्दा:**
  - अपरिवर्तनीय प्रकृति
  - हाइपरफ्लिनेशन की संभावना
  - घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास।

मौद्रिक प्राधिकरण- नई उभरती चुनौतियाँ

- **घरेलू आपूर्ति की लोचहीनता:**
  - कुल घरेलू आपूर्ति की लोच पर सीमाएं विशेष रूप से अल्पावधि में मौद्रिक नीति पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं।
  - हालांकि व्यापार के खुलने से कई अर्थव्यवस्थाओं में आपूर्ति क्षमता में वृद्धि हुई है, लेकिन आपूर्ति की लोच पर इसका महत्वपूर्ण अल्पकालिक लाभकारी प्रभाव नहीं दिखता है।
  - वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार आपूर्ति के झटके मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील हैं और मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर स्थायी प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए, मुद्रास्फीति पर उनके निरंतर प्रभाव के कारण संरचनात्मक आपूर्ति के मुद्दों का बोझ और दुविधा अधिक है।
  - विकास की गति को बाधित किए बिना कम मुद्रास्फीति और स्थिरता को बनाए रखते हुए इन संरचनात्मक समस्याओं का प्रबंधन मौद्रिक नीति के आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- **वैश्विक आर्थिक वातावरण में बदलाव:**
  - वैश्विक अर्थव्यवस्था में नए विकास ने मौद्रिक प्राधिकरणों के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ा दिया है। बढ़ते वित्तीय वैश्वीकरण का नया वातावरण एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है।
  - यह अर्थव्यवस्थाओं को घरेलू मांग में बदलाव, पूंजी प्रवाह में अस्थिरता और विनिमय दर के झटकों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
  - परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्थाओं के बीच मौद्रिक नीति-निर्माण पहले से कहीं अधिक अन्योन्याश्रित हो गया है और वैश्विक आर्थिक स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति, ब्याज दरों, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और पूंजी प्रवाह में विकास को धयान में रखना चाहिए।
  - इसलिए जहाँ स्थानीय घटनाक्रमों का दबदबा कायम है, वहीं वैश्विक कारक तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
  - बड़े पैमाने पर सीमा पार पूंजी प्रवाह, वित्तीय बाजारों के वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति ने सामूहिक रूप से मौद्रिक नीति उपकरणों और संचरण तंत्र की पसंद को नाटकीय रूप से बदल दिया है।
- **अन्य उद्योगों में चुनौतियाँ:**
  - मौद्रिक नीति अन्य उद्योगों में निम्नलिखित चुनौतियों से भी जुड़ी हुई है:
    - राजकोषीय असंतुलन अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बड़ा बना हुआ है और इसे गैर-विनाशकारी तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता है
    - विदेशी मुद्रा प्रवाह की निरंतर तीव्रता मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन को जटिल बनाती है।
    - बढ़े हुए मांग दबावों के माहौल में, गैर-मुद्रास्फीतिपूर्ण तरीके से विकास को समर्थन देने और बनाए रखने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वकालत की जा सकती है।

    हालांकि, उच्च ब्याज दरें नए पूंजी प्रवाह की संभावना को बढ़ाती हैं और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को कम कर सकती हैं। भारत में, आबादी के एक बड़े हिस्से का जीवन स्तर मजबूत वित्तीय अस्थिरता का विरोधा करने के लिए पर्याप्त नहीं है जो वास्तविक गतिविधि को प्रभावित करता है। इसलिए, मौद्रिक नीति को अर्थव्यवस्था के इन क्षेत्रों पर वित्तीय बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को धयान में रखना चाहिए, जो अक्सर पूंजी प्रवाह में बदलाव से जुड़ा होता है।
- **एकाधिक उद्देश्य:**
  - तेजी से एकीकृत अर्थव्यवस्थाओं में भी कई उद्देश्य हैं, जैसे
    - निश्चित विनिमय दरें
    - पूंजी का मुक्त आवागमन
    - स्वतंत्र मौद्रिक नीति

  इन तीनों की पहचान "असंभव ट्रिनिटी" के रूप में की गई है।

इस तीनों के प्रबंधन में आवश्यक रूप से राष्ट्रीय, वैश्विक और अपेक्षाओं के बीच निरंतर मध्यस्थता शामिल है।

इसके लिए राजनीतिक हलकों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता है।

अंतर्निहित व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास, अस्पष्ट मूल्य संकेतों और वास्तविक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर मौद्रिक अधिकारियों के फोकस की व्याख्या करने के लिए आवश्यक स्पष्टता में काफी अस्पष्टता है।

नतीजतन, असंभव ट्रिनिटी से निपटना पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गया है।

मौद्रिक नीति संचरण

- भारतीय संदर्भ में, रेपो दर का अल्पकालिक नीति के संचरण पर कफी प्रभाव पड़ता है।
- रेपो दर का उपयोग अर्थव्यवस्था में ब्याज दर निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- किस हद तक रेपो दर में परिवर्तन बैंकों द्वारा ब्याज दर में एक अनुरूप परिवर्तन को गति प्रदान कर सकता है, यह अब बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- वित्तीय प्रणाली से नकदी आवंटित करने में मौद्रिक नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए बैंक उधार दरों को केंद्रीय बैंक की नीति दरों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। मौद्रिक हस्तांतरण के रूप में संदर्भित'
- हालांकि, हाल के वर्षों में, सिस्टम में एक मजबूत मौद्रिक संचरण का अभाव है। आरबीआई 2015-16 से बैंकिंग क्षेत्र में मौद्रिक संचरण की व्यापक कमी के बारे में चिंतित है।
- आरबीआई ने अप्रैल 2020 तक बैंकों की उधार दरों को निर्धारित करने के लिए एमसीएलआर और बाहरी बेंचमार्क को लागू करने जैसे प्रयास किए हैं।

मौद्रिक नीति संचरण का महत्व

- **एकाधिक प्रभाव:** मौद्रिक नीति संचरण का आर्थिक विकास, मूल्य निर्धारण और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है।
- **ब्याज दर:** जब केंद्रीय बैंक आधिकारिक ब्याज दर बढ़ाते हैं तो बैंक उधार दरें और बॉन्ड प्रतिफल बढ़ेंगे।
- **उधार लेने की लागत:** यह आधिकारिक ब्याज दर में बदलाव करके व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए उधार लेने की लागत को प्रभावित कर सकता है।
- **रोकड़ प्रवाह:** आधिकारिक ब्याज दर में परिवर्तन नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरों को प्रभावित करते हैं, जिनका उपयोग प्रतिभूतियों के मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
- **आर्थिक खिलाड़ी:** आधिकारिक ब्याज दरों में परिवर्तन का आर्थिक खिलाड़ियों की अपेक्षाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- **आर्थिक एजेंट:** उधार लेने की लागत में कमी के परिणामस्वरूप वे अधिक उधार देने की उम्मीद करेंगे, या कम छूट दरों के परिणामस्वरूप परिसंपत्ति मूल्यों में वृद्धि होगी और अगर आधिकारिक ब्याज दरों में कमी आई है तो तेजी से विकास की भविष्यवाणी की जाएगी।
- **विनिमय दरें:** वे आधिकरिक ब्याज दर में परिवर्तन से प्रभावित होती हैं। जब किसी देश की ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो उस देश में निवेश करना अधिक आकर्षक हो जाता है, बाकी सब कुछ समान रहता है।

मौद्रिक नीति के संचरण में कठिनाइयाँ

- **अपरिवर्तनीय निधि लागत:**
  - भारत में बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली बड़ी मात्रा में नकदी के लिए ग्राहक जमा खाते हैं, जबकि डिबेंचर/ वाणिज्यिक पत्रों के मुद्दे के माधयम से बाजार उधार मामूली हैं।
  - पैसे की लागत अक्सर स्थिर होती है क्योंकि इनमें से अधि कतर जमा निर्धारित दरों पर अनुबंधित होते हैं।
  - इसके अलावा, बैंक दरों की तुलना में मामूली जमाराशियों पर ब्याज दरें ऊंची बनी रहीं। नतीजतन, बैंक जमा कम हो गए हैं।
  - पूंजी की कमी के कारण बैंक कम जमा दरों पर ऋण देने में असमर्थ हैं।
  - जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं होता है, तब तक बैंक आवश्यक गति और आयाम पर मौद्रिक नीति संकेतों को संप्रेषित करने में असमर्थ रहेंगे।
- **नीतिगत दरें बाजार से जुड़ी नहीं हैं:**
  - रेपो दर को बाजार-निर्धारित दर नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे मौद्रिक नीति समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
  - उधार देने की नकदी की लागत की परवाह किए बिना, बैंकों को अपनी उधार दरों को रेपो दर से जोड़ना आवश्यक है।
- **लगभग तीन-चौथाई बकाया ऋण बाहरी मानकों से बंधो नहीं हैं:**
  - बाह्य मानकों से संबंधित बकाया ऋणों का अनुपात सितंबर 2019 के 2.4% से बढ़कर मार्च 2021 में 28.5% हो गया है।

- **उच्च गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए):**
  - बड़े एनपीए के निर्माण के परिणामस्वरूप, बैंक की लाभप्रदता बिगड़ गई है।
  - नतीजतन, बैंक सीमांत उधार दर की तुलना में भारित औसत उधार दर को बहुत अधिक स्तर पर बनाए रखते हैं।
- **चार बैलेंस शीट मुद्दे:**
  - भारत के पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, अरविंद सुब्रमण्यन के अनुसार, देश "चार बैलेंस शीट मुद्दे" का सामना कर रहा है।
  - इसने भारत में ऋण विकास को बाधित किया है और इसके परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति संचरण हुआ है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए: (2015)

1. बैंक दर
2. खुले बाजार की कार्यवाही
3. सार्वजनिक ऋण
4. लोक राजस्व

उपरोक्त में से कौन साधसे मौद्रिक नीति काधके घटक हैं/हैं?

(*a*) केवल 1 (*b*) 2, 3 और 4
(*c*) 1 और 2 (*d*) 1, 3 और 4

आरबीआई और डिजिटल मुद्रा

क्रिप्टो करेंसी

- यह एक डिजिटल मुद्रा है जिसका उपयोग नकदी के स्थान पर किया जा सकता है।
- क्रिप्टोग्राफी को क्रिप्टोकरंसी में लेन-देन की सुरक्षा और सत्यापन के लिए नियोजित किया जाता है। इसका उपयोग क्रिप्टोकरेंसी आपूर्ति को विनियमित करने के लिए भी किया जाता है।
- यह ब्लॉकचैन द्वारा समर्थित है, एक विकेंद्रीकृत पीयर-टू-पीयर नेटवर्क।
- सातोशी नाकामोटो ने 2009 में पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनाई थी।
- बिटकॉइन को कानूनी नकदी के रूप में मान्यता देने के लिए अल सल्वाडोर के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (सीएआर) दूसरा देश बन गया।
- आने वाले वित्तीय वर्ष में, भारत के केंद्रीय बजट 2022-2023 में एक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत का प्रस्ताव है।

डिजिटल रुपया

- आरबीआई आने वाले वित्तीय वर्ष में डिजिटल रुपये नामक एक डिजिटल मुद्रा बनाएगा।
- एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल टोकन (या क्षेत्र) द्वारा प्रस्तुत देश की फिएट मुद्रा का एक आभासी प्रतिनिधित्व है।
- डिजिटल रुपया उपभोक्ताओं को ऑनलाइन टोकन के रूप में बैंक खातों से स्मार्टफोन वॉलेट में क्रय शक्ति स्थानांतरित करने में सक्षम करेगा, जो कि मुद्रा की तरह, भारतीय रिजर्व बैंक का दायित्व होगा।
- उस प्रस्ताव के अनुसार, एक डिजिटल रुपया बैंकनोट के समान होगा, लेकिन बिना एटीएम के।

सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा

- एक सीबीडीसी एक मुद्रा के समान है जिसमें यह डिजिटल रूप में मौजूद है, लेकिन यह समान नहीं है।
- सीबीडीसी को केंद्रीय बैंक की निगरानी वाले डिजिटल वक्लेट में संग्रहित किया जाएगा। आरबीआई भारत में डिजिटल रुपये की देखरेख करेगा, हालांकि यह बैंकों को कुछ अधिकार दे सकता है।
- इस बात पर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि आरबीआई का डिजिटल रुपया तुरंत बैंक डिमांड डिपॉजिट की जगह नहीं लेगा।
- बैंक भौतिक मुद्रा का उपयोग करना जारी रखेंगे, और जो उपभोक्ता बैंकों से नकदी निकालना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। हालाँकि, वे अपने बैंक जमा को नए डिजिटल रुपये में बदलने का विकल्प चुन सकते हैं।
- सीबीडीसी शुरू करने के लिए उपयुक्त तकनीक का चयन करने से पहले आरबीआई को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी तरह से जांच करनी होगी।
- डिजिटल मुद्रा लेनदेन पर प्राप्त वित्तीय डेटा संवेदनशील होगा, और सरकार को नियामक डिजाइन पर सावधानी से विचार करना चाहिए।
- इसके लिए बैंकिंग और डेटा सुरक्षा नियामकों के बीच कड़े सहयोग की आवश्यकता होगी।
- भारत सरकार ने अपने बजट 2022-23 में घोषणा की है कि उसका केंद्रीय बैंक 2022-23 तक डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ जल्दबाजी में यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने को तैयार नहीं हैं।

- डिजिटल रुपये के समर्थकों का तर्क है कि भारत के कानूनी धन का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। हालाँकि, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) में तेजी से परिवर्तन के खतरों का आकलन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
- **उद्देश्य:**
  - प्रमुख लक्ष्य वास्तविक नकदी को संभालने से जुड़े जोखिमों और खर्चों को कम करना है, जैसे कि गंदे नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की कीमत, शिपिंग, बीमा और लोजिस्टिक्स।
  - यह लोगों को मनी ट्रांसमिशन के रूप में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने से भी रोक देगा।

क्रिप्टो/डिजिटल मुद्रा के लाभ

- **कम प्रवेश बाधाएं:** पारंपरिक बैंकिंग संस्थानों के विपरीत, कोई प्रवेश बाधा नहीं है। लेन-देन तत्काल है, और क्योंकि नेटवर्क दुनिया भर में है, इसे दुनिया में कहीं भी पूरा किया जा सकता है।
- **सार्वभौमिक स्वीकृति:** विभिन्न देशों में कई क्रिप्टोकरेंसी कानूनी हैं। लेनदेन तात्कालिक है और पूरे नेटवर्क में पूरा किया जा सकता है।
- **कम लेन-देन लागत:** लेन-देन शुल्क और लेवी काफी कम हैं।
- **सुरक्षा:** छद्म नामों और बहीखातों के उपयोग के माधयम से पहचान छिपाना हासिल किया जाता है। यह क्रिप्टोग्राफिक तकनीक को नियोजित करता है जिसे क्रैक करना लगभग मुश्किल है। एक बिटकॉइन लेनदेन अपरिवर्तनीय है और इसे उलटा नहीं किया जा सकता है।
- **बैंकिंग प्रणाली से हस्तक्षेप की अनुपस्थिति:** यह वित्तीय प्रणाली के दायरे से बाहर है। सरकार या केंद्रीय बैंकों की तरह कोई द्वारपाल नहीं है, और सभी लेनदेन उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी है।

चिंताएं

- **सुरक्षा खतरे:** वॉलेट साइबर-हमले, विनिमय तंत्र (क्रिप्टोजैकिंग। वे अपहरण, रूटिंग अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस (DDoS) जैसे हमलों के प्रति संवेदनशील हैं।
- **नियमित वित्तीय संस्थानों के बाहर:** तरलता की कमी और कम स्वीकार्यता है।
- **कीमतों में उथल-पुथल:** कीमतों में उतार-चढ़ाव और प्रसंस्करण संसाधनों की बर्बादी आम बात है।
- **अपर्याप्त उपभोक्ता संरक्षण:** विवाद समाधान के कोई तरीके नहीं हैं।

वैश्विक रुझान

- बहामास राष्ट्रीय सीबीडीसी, सैंड डॉलर स्थापित करने वाला पहला देश था।
- नाइजीरिया एक और देश है जो 2020 में ईनायरा लॉन्च करेगा।
- अप्रैल 2020 में, चीन डिजिटल मुद्रा, e-CNY का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
- कोरिया, स्वीडन, जमैका और यूक्रेन उन देशों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने डिजिटल पैसे का परीक्षण शुरू कर दिया है, और जल्द ही कई और देशों में शामिल होने की उम्मीद है।

आगे की राह

- **भुगतान केंद्रित:** सीबीडीसी की कुछ कमियों को दूर करने के लिए, भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार के लिए उपयोग भुगतान-केंद्रित होना चाहिए।
- **मध्यस्थहीनता:** तब यह मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करने से हटकर मधयस्थहीनता के जोखिमों और इसके बड़े मौद्रिक नीति प्रभावों से बच सकता है।
- **डेटा सुरक्षा:** एक केंद्रीकृत प्रणाली में केंद्रीय बैंक के पास रखा गया डेटा गंभीर सुरक्षा खतरों को पैदा करेगा, डेटा उल्लंघनों से बचने के लिए व्यापक डेटा सुरक्षा समाधानों के कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी।
- **प्रौद्योगिकी:** परिणामस्वरूप, सीबीडीसी मुद्दे का समर्थन करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को लागू करना महत्वपूर्ण है।
- **आधारभूत संरचना:** यदि भुगतान लेनदेन एक ही दृष्टिकोण का उपयोग करके किया जाता है, तो CBDC के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे का विस्तार करना कठिन रहेगा।
- **पारिस्थितिकी तंत्र:** सीबीडीसी को पेश करने के लिए उपयुक्त तकनीक का चयन करने से पहले आरबीआई को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी तरह से जांच करनी होगी।
- **विनियमन:** डिजिटल मुद्रा लेनदेन पर प्राप्त वित्तीय डेटा संवेदनशील होगा और सरकार को नियामक डिजाइन पर सावधानी से विचार करना चाहिए।
- सहयोग: इसके लिए बैंकिंग और डेटा सुरक्षा नियामकों के बीच कड़े सहयोग की आवश्यकता होगी।

भारत की समयरेखा और क्रिप्टोक्यूरेंसी

साल	भारत में विकास संबंधित क्रिप्टोकरेंसी
2013	• भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय, कानूनी, परिचालन और सुरक्षा चिंताओं के बारे में आभासी मुद्राओं से निपटने वाले भारत के लोगों को चेतावनी जारी की है। • सरकार ने भारत और दुनिया भर में आभासी मुद्राओं की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए विशेष सचिव (आर्थिक मामलों) के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। • विश्वव्यापी विनियामक और कानूनी प्रणालियों की जांच करें जो अब मौजूद हैं। • उपाय सुझाए जाने चाहिए (उपभोक्ता संरक्षण, मनी लॉन्ड्रिंग आदि से संबंधित)।
2017	• वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट करते हुए एक बयान प्रकाशित किया कि आभासी मुद्राएं भारत में कानूनी चल निधि नहीं हैं और किसी भी नियामक निरीक्षण या सुरक्षा के अधीन नहीं हैं। • वित्त मंत्री ने 2018-19 के बजट भाषण में कहा था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी नकदी नहीं मानती है। • सरकार अवैध गतिविधियों और भुगतान प्रणाली के वित्तपोषण में उनके उपयोग को रोकने के लिए सभी प्रयास करेगी।
2018	• RBI ने बैंकों और अन्य विनियमित कंपनियों को क्रिप्टोकरंसी लेनदेन को सक्षम करने से प्रतिबंधित कर दिया।
2019	• एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने प्रस्ताव दिया कि सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।
2020	• सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि निषेध असंवैधानिक है। • न्यायालय ने देखा कि आरबीआई ने यह नहीं कहा है कि उसके द्वारा नियंत्रित किसी भी संस्थान, अर्थात् राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों/एनबीएफसी, ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आभासी मुद्राओं के परिणामस्वरूप किसी भी नुकसान या प्रतिकूल परिणाम का अनुभव किया है। • नतीजतन, आरबीआई परिपत्र केंद्रीय बैंक के आम तौर पर सुसंगत रुख के लिए "अनुपातहीन" है किसी देश में प्रतिबंधित नहीं हैं। • कोर्ट के मुताबिक, सर्कुलर जारी करने से पहले आरबीआई ने विकल्पों की उपलब्धता का आकलन नहीं किया था। • अदालत के अनुसार, दो मसौदा विधोयकों और कई समितियों के बावजूद, केंद्र एक आधिकरिक डिजिटल रुपया बनाने में किल रहा है।
2021	• क्रिप्टोक्यूरेंसी और आधिकरिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधोयक, 2021 पेश किया गया। • यह विचार आरबीआई समर्थित धन के पक्ष में निजी डिजिटल मुद्राओं के निषेधका आह्वान करता है। • क्रिप्टो व्यापार, खनन और जारी करने पर रोक लगाने से पहले 3-6 महीने की छूट अवधि। • अंत में, क्रिप्टोकरेंसी, हालांकि अनियमित, भारत में प्रतिबंधित नहीं हैं।
2022	• **क्रिप्टो संपत्ति की परिभाषा:** 2022-23 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने पहली बार क्रिप्टो संपत्ति की परिभाषा जारी की, साथ ही इस नए परिसंपत्ति वर्ग पर कर लगाने के लिए विचारों की एक सूची भी जारी की। • **कवरेज:** कर योजना में सभी विकासशील डिजिटल संपत्तियाँ शामिल हैं, जैसे अपूरणीय टोकन (एनएफटी), मेटावर्स में संपत्ति, डिजिटल मुद्राएं और टोकन। • **स्रोत पर कर कटौती:** बजट के अनुसार, डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए किए गए भुगतान पर 1: टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाया जाएगा। • **वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांस्फर से नुकसान:** प्रस्तावित संशोधनों में, इसे दूसरे वीडीए के ट्रांस्फर से प्राप्त आय के खिलाफ सेट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

	• **आय पर 30 प्रतिशत करः** ऐसी संपत्तियों के किसी भी लेन-देन पर 30: कर एकत्र करने के लिए सरकार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को परिभाषित करेगी। वीडीए के हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए धारा 115 BBH को वित्त विधेयक 2022 में जोड़ा गया था। • **अवसंरचना की लागतः** कर अधिकारी क्रिप्टोकरेंसी जैसी आभासी डिजिटल संपत्तियों के खनन में हुए खर्च के लिए कटौती की अनुमति नहीं देगा। • **जुर्माना:** अधिभार और उपकर की कटौती, जिसे करदाता द्वारा दावा किया गया है और स्वीकार किया गया है, को रिपोर्ट की गई आय माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप 50: जुर्माना होगा। वे इस तरह के वर्गीकरण को स्वतंत्र रूप से घोषित कर सकते हैं और दंड से बच सकते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. कभी-कभी समाचारों में देखे जाने वाले 'बिटकॉइन' के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2016)

1. बिटकॉइन को देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा ट्रैक किया जाता है।
2. बिटकॉइन पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन पते वाले किसी अन्य व्यक्ति से बिटकॉइन भेज और प्राप्त कर सकता है।
3. किसी भी पक्ष की पहचान जाने बिना ऑनलाइन भुगतान भेजा जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(*a*) केवल 1 और 2

(*b*) केवल 2 और 3

(*c*) केवल 3

(*d*) 1, 2 और 3

❖ ❖ ❖

12 भारत में वित्तीय संस्थान

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक देश में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विनियमन हेतु एक नियामक निकाय है। **यह एक शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है तथा इसका मुख्यालय मुंबई (भारत की वित्तीय राजधानी) में स्थित है।** इसे कृषि के लिये वित्त और लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं।
- नाबार्ड की स्थापना जुलाई, 1982 में एक अधिनियम के माध्यम से बी. शिवरामन समिति की सिफारिशों पर भारतीय रिजर्व बैंक के आग्रह पर 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक शेयर पूंजी के साथ की गई थी। इसका गठन कृषि ऋण विभाग (ACD), ग्रामीण नियोजन और ऋण प्रकोष्ठ (RPCC) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (ARDC) के स्थान पर किया गया था।
- **विजन:** ग्रामीण समृद्धि के माध्यम से राष्ट्र का विकास।
- नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 ने केंद्र को 5,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए की पूंजी बढ़ाने में सक्षम बनाया। जो वर्ष 1981 में सिर्फ 100 करोड़ रुपए थी।
- **केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक** के पास नाबार्ड की शेयर पूंजी का कम से कम 51% हिस्सा है।
- नाबार्ड अधिनियम के तहत, यह MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) और अन्य उद्योगों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करने के लिये जिम्मेदार है।

कार्य

- यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के लिये **निवेश और ऋण सुविधाएँ प्रदान करके एकीकृत विकास को बढ़ावा** देता है।
- यह वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, आरआरबी, राज्य भूमि विकास बैंकों को **अल्पकालिक ऋण के लिये धान प्रदान** करता है।
- यह **इसके द्वारा पुनर्वित्त परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करता है।** विभिन्न गतिविधियों जैसे- कृषि, बागवानी, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन आदि में कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- उन संस्थानों के **विकास और विनियमन में मदद करता है,** जो ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को वित्तपोषित और उनके उत्थान हेतु कार्य करते हैं।
- पूरे देश में स्थापित **सहकारी बैंकों** और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विनियमित करता है। यह उन्हें कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के साथ एकीकृत करने के लिये कार्य करता है (ग्राहकों को खाता संचालित करने और किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है)।
- यह **स्वयं सहायता समूहों** को उधार देता है क्योंकि वे प्रमुख रूप से ग्रामीण भारतीय क्षेत्रों में कार्य करते हैं तथा जिनमें निर्धान कामकाजी महिलाएँ शामिल हैं।
- **यह ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के लिये केंद्र सरकार की मदद करता है।**
- **हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है** और उन्हें उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिये विपणन हेतु मंच प्रदान करता है।
- **विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंद्धताओं के साथ,** ग्रामीण विकास, कृषि, सलाहकारी सेवाओं, वित्तीय सहायता आदि के क्षेत्र में सहायता प्राप्त करने से ग्रामीण लोगों के उत्थान में मदद मिलती है।

प्रशासनिक संरचना

- **निदेशक मंडल: नाबार्ड अधिनियम के अनुरूप भारत सरकार द्वारा नियुक्त:**
  - अधयक्ष।
  - भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों में से तीन निदेशक,
  - केंद्र सरकार के अधिकारियों में से तीन निदेशक,
  - राज्य सरकार के अधिकारियों में से चार निदेशक, प्रबंध निदेशक,
  - तीन निदेशक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं, ग्रामीण विकास, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों, लघु उद्योगों, सहकारी बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्य करने का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों या केंद्र सरकार द्वारा उपयोगी माने जाने वाले किसी अन्य मामले के विशेषज्ञों में से।

- **कार्यकारी समितियाँ:** निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित निदेशकों की संख्या और निर्वहन कार्यों से मिलकर गठित।

नाबार्ड का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान:

वित्तीय योगदान	• अल्पावधि ऋण जैसे किसानों को उत्पादन उद्देश्यों, खाद्य सुरक्षा आदि के लिये दिए गए फसली ऋण। • कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों हेतु वित्तीय संस्थानों को दीर्घावधिऋण और साख। • नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक ने मिलकर ग्रामीण बुनियादी ढाँचा विकास कोष (RIDF) की स्थापना की, ताकि ग्रामीण आधारभूत संरचना कोष जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये धान के माध्यम से मदद की जा सके। • सिंचाई परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक सिंचाई कोष (LITF) की स्थापना। • कृषि वस्तुओं की सुरक्षा के लिये गोदामों के बुनियादी ढाँचे हेतु ऋण प्रदान करना। • नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस (NIDA) शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और अन्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये ग्रामीण कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है।
विकासात्मक योगदान	• वर्ष 1998 में किसानों के लिये फसली ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। • रुपे किसान किसान कार्ड तकनीक ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को किसानों की मदद करने में सहायक होगी। • ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश, व्यवसाय के अवसर प्रदान करने के लिये प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर वर्ष 2007 में एक अम्ब्रेला कार्यक्रम शुरू हुआ। • स्वयं सहायता समूहों, एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की सहायता के लिये ऋण सुविधा। • स्वयं सहायता समूहों को डिजिटाइज करने हेतु ई-शक्ति। • गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने में। • ग्रामीण कारीगरों और उत्पादकों को उत्पादों की बिक्री में मदद करने हेतु विपणन के अवसर।

चुनौतियाँ

- अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर-पूर्व के राज्यों को धन का कम हिस्सा प्राप्त हो रहा है।
- ग्रामीण विकास और कृषि संकट के समाधान हेतु केंद्रीय बैंक और विकास संस्थानों के बीच समन्वय की आवश्यकता।
- गरीबी कम करने, सामाजिक-आर्थिक विकास के अवसरों का दोहन करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये ऋण सुविधाएँ प्रदान करने की आवश्यकता।
- ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर करता है जो बुनियादी ढांचे के निवेश की मांग पर प्रकाश डालता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एक वित्तीय संस्थान और नियामक निकाय है जो MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम) उद्यम कंपनियों को लाइसेंस जारी करता है। यह वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है और इसकी शाखाएँ पूरे देश में फैली हुई हैं। यह उत्पादन, ऋण प्रवाह, रोजगार, निर्यात, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास आदि के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मधयम उद्यमों (MSMEs) के विकास में योगदान देता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1989 में एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से ऋण के प्रवाह को मजबूत करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में महसूस किये गए विकासात्मक और वित्तीय अंतराल में मदद करने हेतु की गई थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित चार भारतीय वित्तीय संस्थानों में से एक है। अन्य तीन एक्जिम बैंक, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक हैं।

उद्देश्य

- मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मधयम उद्यमों को क्रेडिट सेवाएँ प्रदान करना।

- बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त की सुविधाएँ प्रदान करना।
- उद्योगों को उधार और कार्यशील पूंजी की सुविधा।
- क्रेडिट सुविधाओं, पुनर्वित्त और दीर्घकालिक ऋणों के माध्यम से वित्तीय बाजारों में वैधानिक भूमिका निभाता है।
- सूक्ष्म वित्त संस्थानों के माध्यम से ऋण विकल्पों का विस्तार करता है तथा ग्रामीण उद्यमिता विकास और संवर्द्धान पर धयान केंद्रित करता है।

कार्य

- एमएसएमई को प्रतिस्पद्धी बनाने हेतु वित्तीय और गैर-वित्तीय मांगों, पदोन्नति और विकास को पूरा करने में मदद करता है।
- कार्यान्वयन के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की सहायता हेतु एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करना।
- वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, सहकारी बैंकों, औद्योगिक निगमों आदि के साथ समन्वय करता है।
- प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण, कौशल का उन्नयन, विपणन गतिविधियों के लिये समर्थन, विकास आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में कार्य करता है।
- अर्थव्यवस्था, सामाजिक और पर्यावरण क्षेत्रों पर काम करके एमएसएमई का सतत् विकास।
- MSMEs तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुँचने के लिये बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनीयों, फिन-टेक आदि को अप्रत्यक्ष ऋण।
- स्टार्ट-अप के माध्यम से वित्तपोषण, जोखिम पूंजी और समर्थन उद्यमिता संस्कृति के क्रेडिट अंतराल को भरने के लिये प्रत्यक्ष ऋण।
- छोटे पैमाने के उद्योगों को विभिन्न बाजारों में उनके विस्तार में मदद करने के लिये मार्केटिंग चौनल प्रदान करता है।
- अर्धा-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है।

सिडबी विजन 2.0

- अपनी वर्तमान स्थिति में तेजी लाना, उसे एक वित्तीय संस्थान तक सीमित करना लेकिन समावेशी विकास में विकास सहायता के साथ ऋण सुविधाओं को एकीकृत करना। यह सतत् विकास और पर्यावरण, लोगों और लाभ पर कार्य करना चाहता है।

वित्तीय योगदान

- कार्यशील पूंजी, दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण, उद्यम पूंजी निधि आदि प्रदान कर प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करना।
- आसान ऋण प्रवाह के लिये एनबीएफसी जैसे प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (LPI) को पुनर्वित्त प्रदान करके अप्रत्यक्ष वित्त प्रदान करना।
- छोटे उद्यमियों और व्यवसायों को वेंचर कैपिटल और स्टार्ट-अप के लिये माइक्रो-फॉइनेंस सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

सिडबी द्वारा विभिन्न क्षेत्रें के लिये योजनाएँ

- **स्माइल:** एमएसएमई के लिये 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक सिडबी मेक इन इंडिया लोन।
- **एसईएफ:** 3 वर्ष से विद्यमान संस्थाओं को स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस और न्यूनतम 10 लाख रुपए की वित्तीय मदद।
- **स्पीड:** उद्यम के विकास हेतु उपकरणों के लिये सिडबी द्वारा प्रदत्त ऋण। यह उद्यम कम से कम 3 साल के लिये चालू होना चाहिए और 1 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद होनी चाहिये।
- **टयूलिप:** अधिकतम 2 करोड़ रुपए के तत्काल प्रस्तावों के लिये टॉप अप लोन और एक ही स्थान और एक ही व्यवसाय में व्यवसाय का विस्तार।
- **स्टार:** रूफटॉप सौर पीवी संयंत्रों के लिये सिडबी दीर्घावधि ऋण सहायता 10 लाख रुपए से 3.5 करोड़ रुपए।

एक्जिम बैंक

- EXIM बैंक या निर्यात-आयात बैंक भारत में एक वित्तीय संस्थान है जो अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करने के लिये विदेशी व्यापार और निवेश मॉडल के एकीकरण हेतु कार्य करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसे वर्ष 1982 में भारत सरकार द्वारा संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था।
- यह **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है लेकिन भारत सरकार के स्वामित्व में है।** यह उन कंपनियों को ऋण प्रदान करता है जो भारत से निर्यात करती हैं तथा विदेशों में कारोबार कर रही हैं और साथ ही विदेशी मुद्रा प्रवाह लाने के लिये विदेशी खरीदारों का समर्थन करती हैं।

एक्जिम बैंक के उद्देश्य

- विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने और भारत से निर्यात बढ़ाने हेतु वित्त प्रदान करना।
- उन पहलों और प्रौद्योगिकियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो निर्यात क्षमता वाले जमीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं।
- छोटे व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों और उत्पादक समूहों के निर्यात को बढ़ावा देकर मुआवजा प्राप्त करने में मदद करना।

निदेशक मंडल

- निर्यात/आयात या वित्तीय गतिविधियों में अनुभव के साथ अधयक्ष, एक प्रबंध निदेशक, दो डिप्टी एमडी, आरबीआई द्व ारा नियुक्त एक निदेशक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामित एक निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित एक निदेशक, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक पेशेवर जो 12 से अधिक नहीं हो सकते हैं।

विजन

- किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिये निर्यातकों और आयातकों को सहायता प्रदान करने के लिये प्राथमिक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करना।
- व्यापार संचालन को सशक्त बनाने के लिये उत्पादों, सेवाओं, क्रेडिट आदि की एक अलग श्रेणी प्रदान करके निर्यात क्षमताओं का विस्तार करना।
- नेतृत्व और वित्त के माध्यम से भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर पर स्थापित करने में मदद करना।
- कंपनियों को उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर प्राप्त करने में मदद करना।

कार्य

- भारतीय निर्यातकों को ऋण सुविधा कार्यक्रम प्रदान करता है और विदेशी खरीदारों को भारत से माल आयात करने के लिये ऋण प्रदान करता है।
- विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने के लिये भारत से निर्यातकों को ऋण प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन करने हेतु विभिन्न वित्तपोषण माध्यमों की पेशकश कर एक कॉर्पोरेट बैंक के रूप में कार्य करना।
- यह भारतीय कंपनियों को ऋण प्रदान करता है या विदेशी निवेश करता है।
- विदेशों में अनुबंध प्राप्त करने में भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करता है।
- यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात को वित्तपोषित करने में मदद करता है।
- सरकारों, विदेशी बैंकों और विदेशी बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
- विदेशी परियोजनाओं के लिये विशेषज्ञ ज्ञान और व्यापार सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना।
- भारतीय कंपनियों को विदेशों में उनके व्यापार और उद्योगों, उत्पादों, सेवाओं आदि के विकास में मदद करना।

वित्तीय योगदान

- क्रेता साख की सुविधा जिसके माध्यम से विदेशी क्रेता भारतीय निर्यातकों को साख पत्र जारी कर सकते हैं जहाँ भुगतान बाद में किया जा सकता है।
- घरेलू कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिये वित्तीय विकल्प देकर मदद करना।
- निर्यातकों को वित्तीय परियोजनाओं, विस्तार, नए उपकरणों की खरीद, अनुसंधान एवं विकास, कार्यशील पूंजी आदि में मदद करने हेतु दीर्घावधि ऋण प्रदान करना।
- विदेशी कंपनियों, उद्यमों और स्वामित्व वाली सब्सिडी में इक्विटी निवेश करना।
- सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है और निर्यातकों को व्यापार के अवसरों का मूल्यांकन करने और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करने में मदद करता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)

- एनएचबी (राष्ट्रीय आवास बैंक) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत वर्ष 1988 में स्थापित एक वित्तीय संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया है। आर्थिक रूप से उनकी मदद करने और उनकी स्थितिजन्य जरूरतों का समर्थन करने के लिये। यह वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक मूल संगठन है जिसने 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक शेयर पूंजी में योगदान दिया। अब 1450 करोड़ रुपए में खरीद के बाद से वर्ष 2019 से यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। ऐसा वर्ष 2001 में नरसिम्हा-द्वितीय समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर किया गया था।
- **विजन:** आवास वित्त बाजार में स्थिरता के साथ समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
- **मिशन:** कम और मधयम आय वाले आवास पर ध्यान केंद्रित करके बाजार की मांगों को बढ़ावा देना और आबादी के सभी वर्गों की आवास की जरूरतों को पूरा करना।

उद्देश्य

- आबादी की मांगों को पूरा करने हेतु एक लाभदायक और सुदृढ़ आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- समर्पित रूप से विभिन्न समूहों और क्षेत्रों की सेवा करना।
- हाउसिंग क्रेडिट को अधिक किफायती और कम बोझिल बनाना।
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से संबंधित गतिविधियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करना।

- आवास क्षेत्र, भवन निर्माण सामग्री, भूमि की उपलब्धता के लिये संसाधान उपलब्ध कराना और आवास स्टॉक को अपग्रेड करने हेतु उन्हें चौनलाइज करना।

कार्य

- एनएचबी का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) और उनके पंजीकरण की पर्यवेक्षी भूमिका निभाना है।
- HFCs की शिकायत निवारण।
- यह HFCs को पुनर्वित्त करने हेतु धान जुटाता है। यह व्यक्तियों, सहकारी बैंकों और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को ऋण प्रदान करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि HFC, बेसल दिशा-निर्देशों द्वारा दी गई पूंजी आवश्यकताओं का पालन करें।
- यह बॉन्ड, उधार, डिबेंचर आदि के माध्यम से धान जुटाता है।
- राष्ट्रीय आवास बैंक के बांड वैधानिक तरलता को पूरा करने हेतु वाणिज्यिक बैंकों के लिये सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं।
- विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था करना और आवास वित्त के लिये उनका उपयोग करना।

एनएचबी रेजीडेक्स

- इसे वर्ष 2007 में भारत सरकार के तहत पहले आवास मूल्य सूचकांक के रूप में स्थापित किया गया था। रेजीडेक्स भारत के विभिन्न शहरों में आवास की कीमतों का विश्लेषण करने हेतु हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों, बैंकों, नीति निर्माताओं, बिल्डरों, निवेशकों आदि की मदद करता है।
- एनएचबी का सबसे प्रमुख उद्देश्य भारत में आवास वित्त को प्रोत्साहित करना है। यह विदेशी आवास वित्त संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है जो भारत में आवास वित्त की स्थितियों को सीधे प्रभावित करते हैं।

निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)

- वर्ष 2014 से निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहा जाता है) एक सरकारी स्वामित्व वाला निर्यात ऋण प्रदाता है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई, 1957 में ऋण के जोखिम को कवर करके निर्यात को बढ़ाने हेतु की गई थी।
- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन इसे भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा और निर्यात समुदाय के प्रतिनिधियों वाली कंपनी के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।
- निर्यात ऋण सेवाओं का अधिकतम हिस्सा (80: से अधिक) भारतीय बाजारों को दिया जाता है और एमएसएमई को अधि कांश समर्थन मिलता है। 2021-22 में, केंद्र सरकार ने उद्योगों को समर्थन देने के लिए अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए 4400 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने और आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) के माध्यम से अपनी लिस्टिंग का प्रस्ताव देने का फैसला किया।
- उद्देश्य: यह विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न करने के जोखिम के खिलाफ भारतीय निर्यातकों का समर्थन करने के लिये निर्यात ऋण बीमा सेवाएँ प्रदान करता है।

कार्य:

- यह निर्यातकों को माल और सेवाओं के नुकसान हेतु ऋण जोखिम बीमा प्रदान करता है।
- यह वित्तीय संस्थानों को निर्यातकों को बेहतर सुविधाएँ प्राप्त करने में मदद करने की गारंटी भी प्रदान करता है।
- यह भारतीय कंपनियों को बीमा प्रदान करता है जो विदेशों में कार्य कर रही हैं तथा इक्विटी, ऋण, अग्रिम आदि जैसे निवेश किये हैं।
- निर्यात संबंधी गतिविधियों में मार्गदर्शन।
- वित्तीय संस्थानों से आसान निर्यात वित्त प्राप्त करने में मदद करता है।
- यह निर्यातकों को खराब ऋण की वसूली में भी मदद करता है।
- विदेशी खरीदारों की साख-पात्रता के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- यह क्रेडिट बीमा के माध्यम से मदद करके भारत के निर्यात की प्रतिस्पद्धत्मकता में सुधार करने में मदद करता है।
- यह उन बैंकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न निर्यात ऋण बीमा योजनाएँ जारी करता है जो निर्यात ऋण प्रदान करते हैं।
- इसमें कार्यशील पूंजी वित्तपोषण, ऋण जोखिम संरक्षण, बैंकों को ऋण बीमा और निर्यातकों को ऋण सुविधाएँ प्रदान करना शामिल है।

निर्विक (निर्यात ऋण विकास योजना) योजना

- निर्यातोन्मुख सेवाओं को बढ़ावा देने और निर्यातकों की सुरक्षा के लिये बीमा कवर प्रदान करने हेतु आसान ऋण देने और ऋण की उपलब्धता के लिये ईसीजीसी के तहत कार्यन्वित किया गया।
- इसे 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट के दौरान वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।

विशेषताएँ

- निर्यात उन्मुख समर्थन में निर्यातकों को जोखिम से राहत देने के लिये शिपमेंट से पहले और बाद में दोनों प्रकार के क्रेडिट शामिल होंगे।
- छोटे निर्यातकों की मदद के लिये निर्यात ऋण जोखिम बीमा सेवाएँ 90% तक कवर करती हैं।
- नुकसान के उच्च जोखिम के कारण लक्जरी वस्तुओं (रत्न, सोने के गहने, हीरे आदि) और अन्य निर्यात वस्तुओं के लिये 80 करोड़ रुपए का एक अलग प्रीमियम दर स्लैब है।
- इसने 10 करोड़ रुपए के बीच होने वाले नुकसान के लिये अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड के निरीक्षण की सीमा का विस्तार किया जो 1 करोड रुपए था।
- बैंकों को ब्याज सहित मासिक आधार पर प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।

लाभ

- निर्यातकों के लिये ऋण की आसान पहुँच और उपलब्धता को बढ़ाना।
- भारतीय निर्यात को विदेशी बाजारों में प्रतिस्पद्धी बनाना और व्यापार असंतुलन को कम करने में मदद करना।
- प्रक्रियाओं को ग्राहक के अनुकूल, कम बोझिल और समय कुशल बनाने में मदद करना।
- आपूर्ति के अनुसार मांग को पूरा करने हेतु समय पर कार्यशील पूंजी की उपलब्धता।
- बीमा कवर ऋण की लागत में वृद्धि को कम करने में मदद करेगा।

मुद्रा

- देश में सभी व्यवसायों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिये, केंद्र सरकार ने **MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी)** बैंक लॉन्च किया।
- इसे वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs), गैर-बैंकिंग वित्तीय बैंकों (NBFCs), लघु वित्त बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों आदि को कम दर ऋण प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया था।

ऋण के लिये पात्रता

- व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
- गैर-कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले लोगों के लिये ऋण।
- विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार, सेवा क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र के माध्यम से गैर-कृषि गतिविधियों से आय सृजन, जिनकी ऋण मांग 10 लाख रुपए से कम है।

उद्देश्य

- आर्थिक विकास को बढ़ाने देना।
- छोटे उधारकर्ताओं को संपर्शिवक मुक्त ऋण पुनर्वित्त प्रदान करना।
- सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर रोजगार सृजन में सहायता करना तथा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना।
- एमएफआई की निगरानी और विनियम।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण यानी कर लाभ बढ़ाने के लिये औपचारिक क्षेत्र में कानून द्वारा संरक्षित और संबद्ध नहीं है।
- वित्तीय समावेशन और ऋण वितरण को बढ़ावा देना।
- उधारकर्ताओं के लिये वित्तीय तनाव को कम करना।

ऋण के प्रकार

- इस योजना के तहत प्रदान किए गए ऋण संपार्शि्वक मुक्त हैं।
- **शिशु:** < 50,000 रुपए
- **स्किशोर:** 50,000 रुपए से अधिक 5,00,000 रुपए तक
- **तरुण:** 5,00,000 रुपए से अधिक 10,00,000 रुपए तक

समय की मांग

- ऋण प्रदान करने से पहले समीक्षात्मक रूप से मूल्यांकन की आवश्यकता ताकि अन्य क्षेत्र उपेक्षित न रहें।
- ग्राहकों की पहुँच का विस्तार ऋण मांग के एक स्थान पर केंद्रित होने के जोखिम को कम करने में मदद करता है और एक व्यापक आधार प्रदान करता है।
- सही समय पर जोखिमों की पहचान चुनौतियों को नियंत्रित करने और उन पर काबू पाने में मदद करती है।
- बैंकों को ग्राहकों के पुनर्भुगतान की निगरानी करनी चाहिए और समय से पहले ऋण राशि चुकाने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय नियमितताओं से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा गठित एक नियामक निकाय है।
- यह एक गैर-सांविधिक शीर्ष निकाय है, लेकिन वित्त मंत्रालय के तहत वर्ष 2010 में रघुराम राजन की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था।
- यह वैश्विक आर्थिक मंदी को रोकने हेतु भारत की एक पहल है जो विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर अपनी आर्थिक संपत्ति को विनियमित करने के लिये दबाव डालती है।

- यह वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अर्थव्यवस्था के विनियमन और निगरानी हेतु कार्य करता है। इसकी गतिविधियों के लिये अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।
- उत्तरदायित्व: वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र का विकास, अंतर-नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था का वृहत् विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण।

निदेशक मंडल

- **अधयक्ष:** केंद्रीय वित्त मंत्री।
- **सदस्य:** इनमें भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, पीएफआरडीए, इरडा के गवर्नर, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार जैसे सभी वित्तीय क्षेत्र के नियमकों के प्रमुख शामिल हैं।
- वर्ष 2018 में सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग के लिये जिम्मेदार राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया (IBBI) के अध्यक्ष और राजस्व सचिव को शामिल करने हेतु वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद सदस्यों की सूची में सुधार किया।
- अध्यक्ष ऐसे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है जिसकी बैठक में उपस्थिति आवश्यक हो।

कार्य

- वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिये कार्य करना।
- वित्तीय कंपनियों के संचालन का गंभीर रूप से निरीक्षण करना।
- अर्थव्यवस्था के बारे में सतर्क रहने और इन वित्तीय कंपनियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
- वित्तीय स्थिरता और उनके लचीलेपन के साथ अद्यतन रखने हेतु हर 2 वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की जाती है।

आगे की राह

- दीर्घावधि के लिये वित्तीय संस्थानों को स्थिर करने हेतु पूंजी की उपलब्धता के माध्यम से तरलता और सहायता प्रदान करने के लिये कदम उठाना।
- आर्थिक सुधार में मदद के लिये राजकोषीय समर्थन, विनियमन और तरलता प्रावधान।
- मंदी के मौजूदा संकट और दिवलियापन के खतरों से बचाने हेतु सरकार द्वारा नीतिगत उपायों, निजी निवेश साधानों, क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों आदि का पता लगाया जाए।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

1. यह नीति आयोग का अंग है।
2. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
3. यह अर्थव्यवस्था के वृहत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1 और 2 (*b*) केवल 3

(*c*) केवल 2 और 3 (*d*) 1, 2 और 3



13 बीमा क्षेत्र

बीमा की उत्पत्ति

- बीमा कई लोगों और व्यवसायों से मामूली मात्रा में प्रीमियम एकत्र करके कुछ लोगों के नुकसान का भुगतान करने की एक विधि है।
- बीमित व्यक्ति जो अप्रत्याशित और अनजाने नुकसान से ग्रस्त है, इस तरह से एक छोटी लेकिन परिभाषित लागत, अर्थात् प्रीमियम के भुगतान के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।
- दूसरे शब्दों में, बीमाधारक का जोखिम बीमाकर्ता को दिया जाता है।
- **बीमा,** एक ऐसी रणनीति के रूप में परिभाषित किया गया है जो शुल्क के बदले में अप्रत्याशित घटनाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जो भूमध्यसागरीय व्यापारियों द्वारा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व जारी किए गए 'बॉटमरी बॉन्ड' से उत्पन्न हुआ था।
- व्यवसाय, ऑटो, स्वास्थ्य, जीवन और यात्रा सहित दैनिक जीवन के कई तत्वों के लिए अब बीमा उपलब्ध है। उन श्रेणियों में से प्रत्येक की उप-श्रेणियाँ हैं, जो कई प्रभागों में विभाजित हैं।

जोखिम और विपत्ति

जोखिम:

- **जोखिम** होने वाली हानि की अनिश्चितता है। जोखिम भविष्य के परिणाम के बारे में कुछ अनिश्चितता का संकेत देता है, जो हमें बदतर स्थिति में डालता है।
- जोखिम को नुकसान की संभावना, नुकसान की अनिश्चितता या विपत्तिओं के मिश्रण के रूप में जोखिम के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

विपत्ति:

- सामान्य तौर पर, विपत्ति शब्द एक ऐसी घटना को संदर्भित करता है जो नुकसान पैदा करता है और साथ ही उन परिस्थितियों को भी प्रभावित करता है जो उस नुकसान के परिणाम को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक समुद्र तट पर एक घर बना है और तूफान का खतरा है। 'विपत्ति' नुकसान का एक प्रमुस्रोत है जो अक्सर मानव नियंत्रण से परे होता है, जैसे कि आग, बिजली, बाढ़, भूकंप, चोरी, दुर्घटना, विस्फोट, और अन्य।
- नतीजतन, चक्रवात नुकसान का एक स्रोत है, और किनारे पर बने आवास परिणाम को प्रभावित करते हैं।
- विपत्ति एक ऐसी परिस्थिति है जो नुकसान की संभावना और परिमाण को बढ़ाती है। नतीजतन, पानी से किसी घर की निकटता जोखिम पैदा करती है।
- विपत्ति ऐसा कारक हैं जिनका परिणाम पर प्रभाव पड़ता है। वे जोखिमों की गंभीरता को बढ़ाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान होता है।
- विपत्तियों की दो श्रेणियाँ हैं: भौतिक और नैतिक।
- **भौतिक खतरा:** यह किसी वस्तु के भौतिक गुणों के कारण होने वाली स्थिति है जो निर्दिष्ट विपत्तियों से नुकसान की संभावना को बढ़ाती है। भौतिक जोखिमों में हिमशैल (जहाजों के लिए खतरा), पृथ्वी स्तरभ्रंश, घने जंगल (आग के लिए खतरा), और अन्य शामिल हैं।
- **नैतिक खतरा:** बीमित व्यक्ति की मानसिकता से नैतिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। बीमित व्यक्ति क्षति पहुँचाने या झूठा दावा दायर करने के उद्देश्य से कार्य करता है। नैतिक जोखिम बेईमान लोगों के कार्य हैं।

संभावित कारण

- संभावित कारण इंगित करता है कि कारण का प्रभाव सक्रिय है और कवर किए गए खतरों और संपत्ति की क्षति या विनाश के बीच घटनाओं का एक क्रम शुरू करता है।
- उदाहरण के लिए, रसोई में एलपीजी विस्फोट के कारण घर में आग लग जाती है और बेडरूम तक फैल जाती है, जिससे फर्नीचर, पर्दे और कपड़े को काफी नुकसान होता है।
- क्योंकि आग नुकसान का संभावित कारण है, पानी की क्षति सहित पूरा नुकसान कवर किया जाता है।

बीमा योग्य जोखिम

- **व्यक्तिगत जोखिम**
  - इन खतरों का व्यक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
  - व्यक्तिगत खतरों में प्रारंभिक मृत्यु दर, आश्रित वृद्धावस्था, बीमारी या अक्षमता, और नौकरी छूटना शामिल है।
  - ये नुकसान की सबसे बड़ी क्षमता वाले खतरे हैं।
- समयपूर्व मृत्यु जोखिम
  - स्वाभाविक रूप से, प्रत्येक जीवन बीमा योजना में कवर की जाने वाली पहली और प्राथमिक चीज आकस्मिक मृत्यु है।
  - मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन यह कब होगी हमेशा अज्ञात है।
- बहुत लंबे समय तक जीने का जोखिम
  - विचार करने के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आकस्मिकता बहुत लंबे समय तक जीने का जोखिम है।
  - यह सच है कि दुनिया भर में मृत्यु दर गिर रही है।
  - नतीजतन, यह एक आकस्मिकता है जिसे बीमाधारक और पति या पत्नी के सेवानिवृत्ति के बाद के दायित्वों को पूरा करने के लिए नियोजित किया जाना चाहिए।
- बेरोजगारी जोखिम
  - बेरोजगारी की संभावना सबसे महत्वपूर्ण एकल आर्थिक चुनौती है जिसका औद्योगिक कर्मचारी सामना करते हैं।
  - इस तरह का कवरेज वर्तमान में भारत में उपलब्ध नहीं है।
- बीमारी/विकलांगता जोखिम
  - पूर्ण अक्षमता की संभावना एक अन्य प्रमुशर्त है।
  - विकलांगता, मृत्यु और सेवानिवृत्ति के विपरीत, बस एक संभावना है।
  - हालांकि, यह एक विनाशकारी है क्योंकि यह न केवल एक व्यक्ति की आजीविका बनाने की क्षमता को कम या नष्ट कर देता है, बल्कि पुनर्वास चिकित्सा के लिए अतिरिक्त लागत और नए अवरोध की भरपाई के लिए विशिष्ट उपकरणों के अधिग्रहण की भी आवश्यकता होती है।
- संपत्ति के जोखिम
  - जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति है, वे संपत्ति के जोखिम के अधीन हैं, जिन्हें आग, बिजली, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, या अन्य प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप उनकी संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने, खो जाने या नष्ट होने का खतरा है।
  - संपत्ति के विनाश या चोरी से संबंधित आम तौर पर दो प्रकार के नुकसान होते हैं: प्रत्यक्ष नुकसान और परिणामी नुकसान।
- **प्रत्यक्ष धन हानि**
- यह भौतिक क्षति, विनाश या संपत्ति की चोरी के कारण होने वाला मौद्रिक नुकसान है।
- उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसाय जल जाता है, तो दुकान को होने वाली भौतिक क्षति प्रत्यक्ष हानि काध प्रतिनिधित्व करती है।
- **परिणाम हानि**
  - यह प्रत्यक्ष भौतिक क्षति या चोरी की घटना के कारण होने वाला मौद्रिक नुकसान है।
  - भौतिक क्षति के अलावा, दुकान के पुनर्निर्माण होने तक दुकान को कुछ महीनों के लिए लाभ नहीं होगा या उसका किराया भी चुकाना होगा।

1. देयता जोखिम

- ये खतरे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि, कानून के तहत, आपको कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है यदि आपके कार्यों से किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर शारीरिक क्षति या संपत्ति की क्षति होती है।
- कानून की एक अदालत के लिए आपको उस व्यक्ति या लोगों को भारी क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता हो सकती है जिन्हें आपने नुकसान पहुंचाया है। उदाहरण के लिए, एक चालक कानूनी रूप से जवाबदेह है यदि वह लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना का कारण बनता है।

बीमा की परिभाषा और इसकी बुनियादी विशेषताएँ

- **बीमा:** यह एक जोखिम-हस्तांतरण तंत्र है।
- कुछ बदकिस्मत लोगों के नुकसान को कई भाग्यशाली लोग बीमा के माध्यम से साझा करते हैं।
- सभी लोग जो समान नुकसान की स्थिति से पीड़ित होने की संभावना रखते हैं, वे एक व्यक्ति के नुकसान को साझा करते हैं।
- दूसरे शब्दों में, बीमा ऐसे जोखिमों के हस्तांतरण के माध्यम से भविष्य के अप्रत्याशित नुकसानों का पूलिंग है जो बीमाकर्ताओं को ऐसे नुकसानों के लिए बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं।

1. **सातवीं अनुसूची:** संघ सूची में एक विषय के रूप में बीमा का उल्लेहै।

2. **जोखिम पूलिंग:** बीमाकर्ता पूरे समूह में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों के नुकसान को वितरित करते हुए जोखिम को पूल करते हैं। प्रक्रिया के दौरान वास्तविक नुकसान को औसत नुकसान से बदल दिया जाता है।

1. **जोखिम हस्तांतरण:** यह तब होता है जब एक बीमाकर्ता संभावित नुकसान को कवर करने के लिए सहमत होता है और वित्तीय परिणाम की अनिश्चितता बीमाधारक से बीमाकर्ता को दे दी जाती है।

2. **क्षतिपूर्ति:** बीमाधारक को नुकसान से पहले की अनुमानित वित्तीय स्थिति में बहाल कर दिया जाता है।

- बीमा प्राप्त करते समय, एक व्यक्ति एक प्रीमियम का भुगतान करता है और एक बीमित घटना होने पर दावा दायर कर सकता है।
- बीमा का प्राथमिक उद्देश्य एक सामान्य पूल की स्थापना के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण है जिसमें कुछ लोगों के नुकसान कई लोगों के योगदान से मेल खाते हैं।

बीमा के मूल सिद्धांत

- **अनुबंध**
- एक अनुबंध एक बाध्यकारी समझौता है। इसमें कानूनी प्रतिबद्धताओं का एक समूह शामिल है, और यदि उन वादों को तोड़ा जाता है, तो कानून एक उपाय प्रदान करता है।
- इसलिए, बीमा अनुबंध अधिनियम द्वारा शासित होता है। गैर-जीवन बीमा योजनाएँ क्षतिपूर्ति अनुबंध हैं जो बीमाधारक के बीमा योग्य हित को कवर करती हैं।
- **Uberrima fides या अत्यंत अच्छा विश्वास**
- बीमा अनुबंध नेकनीयती से किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पक्ष को बीमा अनुबंध में प्रत्येक महत्वपूर्ण सत्य का खुलासा करना चाहिए।
- एक प्रमुतथ्य के रूप में गलत विवरण बीमाकर्ता के विवेक पर अनुबंध को रद्द करने योग्य बना देता है।
- **उदाहरण:** दुर्गेश को हृदय रोगी होने पर जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते समय अपने बीमा प्रदाता को अपनी हृदय स्थिति के बारे में सूचित करना चाहिए।
- बीमा योग्य हित का सिद्धांत
- बीमा योग्य हित तभी उत्पन्न होता है जब बीमित वस्तुओं के क्षतिग्रस्त होने या नष्ट हो जाने पर बीमाधारक को आर्थिक नुकसान होगा।
- उदाहरण के लिए, घर या दुकान बीमा पर विचार करें; मकान के क्षतिग्रस्त होने से स्वामी को आर्थिक हानि होगी।
- **उदाहरण:** एक कंपनी के मालिक का अपनी जमीन, घर और अन्य परिसंपत्तियों में बीमायोग्य हित होता है।
- **क्षतिपूर्ति का सिद्धांत**
- इस विचार का तर्क है कि लोगों को अनुबंध से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इसके बजाय उन्हें उन्हीं वित्तीय परिस्थितियों में लौटाया जाना चाहिए जो नुकसान की घटना से पहले मौजूद थीं।
- दूसरे शब्दों में, बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति की वास्तविक हानि राशि से अधिक का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।
- प्राथमिक लक्ष्य बीमाधारक को नुकसान की घटनाओं से लाभ उठाने से रोकना है, और द्वितीयक लक्ष्य नैतिक जोखिम को कम करना है।
- **उदाहरण:** यदि किसी व्यक्ति को 1 लारुपये का नुकसान होता है। आग लगने पर एक लारुपये तक का दावा बीमा कंपनी स्वीकार करेगी।
- **प्रस्थापन**
- प्रस्थापन बीमा अनुबंध में एक अन्य प्रावधान है जो बीमाधारक को मुनाफा कमाने से रोकता है।
- प्रस्थापन बीमाधारक द्वारा कवर किए गए नुकसान के लिए तीसरे पक्ष से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए बीमाकर्ता के लिए बीमाकर्ता को प्रतिस्थापित करने का कार्य है।
- **उदाहरण:** यदि किसी व्यक्ति को क्षतिग्रस्त स्टॉक के लिए 1 लारुपये मिलते हैं, तो स्टॉक का स्वामित्व बीमा कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाता है, और स्टॉक पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है।
- **अंशदान:**
- यह एक बीमाकर्ता का अधिकार है कि वह अन्य बीमाकर्ताओं से समानुपातिक राशि एकत्र करे, जिन्होंने पॉलिसी के तहत नुकसान का भुगतान करने के बाद उसी नुकसान के लिए दायित्व को कवर किया है।
- **उदाहरण:** यदि कोई व्यक्ति। अपने घर का बीमाकर्ता ठ के साथ 2 लारुपये का बीमा करता है और 1 लारुपये का बीमा किसी अन्य बीमाकर्ता, C के साथ करता है और उसे 90,000 रुपये का नुकसान होता है, तो बीमाकर्ता B और C]। को 90,000 रुपये का से ज्यादा का भुगतान नहीं करेंगे।

- **आसन्न कारण:**
- आसन्न कारण सिद्धांत के अनुसार, बीमित वस्तु की हानि या क्षति का कारण अनुबंध के विषय से संबंधित होना चाहिए।
- **उदाहरण:** यदि किसी व्यक्ति को आग में नुकसान होता है, तो उस व्यक्ति द्वारा बीमा राशि का दावा करने के लिए अनुबंध में इसे पहले से ही शामिल किया जाना चाहिए।
- **कटौतियाँ:**
- कटौती एक ऐसा प्रावधान है जो नुकसान के भुगतान से एक निश्चित राशि घटाता है, जो आमतौर पर बीमाधारक को देय होता है।
- छोटे-छोटे दावों और उन्हें बदलने से जुड़ी प्रशासनिक लागतों से बचने के लिए कटौती का उपयोग किया जाता है।
- कटौती योग्य नुकसान की वह राशि है जो बीमाधारक को प्रत्येक दावे में उठानी चाहिए, और बदले में, महत्वपूर्ण प्रीमियम कटौती प्राप्त की जा सकती है।
- **उदाहरण:** यदि आपकी बीमा पॉलिसी में 5,000 रुपये का कटौती योग्य खंड है, तो आपको इस राशि का भुगतान करना होगा चाहे दावा 10,000 रुपये का हो या 1 लारुपये का।

भारत में बीमा क्षेत्र: डेटा और आंकड़े

- बीमा उद्योग बहुत बड़ा है और 15-20% की गति से बढ़ रहा है। बीमा सेवाएं, वित्तीय सेवाओं के साथ मिलकर, देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7% का योगदान करती हैं।
- दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद, भारत अब कुल बीमा प्रीमियम का 1.5 प्रतिशत से कम और जीवन बीमा प्रीमियम का लगभग 2 प्रतिशत योगदान देता है।
- लगभग 360 मिलियन पॉलिसी के साथ, भारत का जीवन बीमा व्यवसाय दुनिया में सबसे बड़ा है, और अगले पांच वर्षों में इसके 12-15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने का अनुमान है।
- 2019 और 2023 के बीच, जीवन बीमा क्षेत्र के 5.3% सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है।
- बीमा क्षेत्र की क्षमता और प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए विश्वव्यापी बीमा प्रवेश और घनत्व मेट्रिक्स के आधार पर,-
- भारत में बीमा प्रवेश 2001 में 2.71% से बढ़कर 2020 में 4.2% हो या (जीवन बीमा के लिए 3.2% और गैर-जीवन बीमा के लिए 1%)। (पारिस्थितिकी सर्वेक्षण 2021-22)
- विश्व स्तर पर, जीवन बीमा में बीमा प्रवेश 3.3% है (भारत लगभग इसके पास है), और गैर-जीवन बीमा में 4.1% (भारत पिछड़ रहा है)। (पारिस्थितिकी सर्वेक्षण 2021-22)
- भारत में बीमा घनत्व 2001 में 11.5 डॉलर से बढ़कर 2020 में 78 डॉलर (जीवन बीमा में 59 डॉलर और गैर-जीवन बीमा में 19 डॉलर) हो गया। (पारिस्थितिकी सर्वेक्षण 2021-22)
- यह 2020 में विश्वव्यापी बीमा घनत्व से काफी कम है, जो जीवन क्षेत्र के लिए +360 और गैर-जीवन खंड के लिए +449 है। (पारिस्थितिकी सर्वेक्षण 2021-22)
- कोविड-19 महामारी के समय में, सरकार ने स्वचालित दृष्टिकोण के माध्यम से बीमा क्षेत्र में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया, जिससे सुरक्षा के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति मिली।

बीमा क्षेत्र का इतिहास और विकास (राष्ट्रीयकरण सहित)

- बीमा को भारत में प्रागैतिहासिक काल में खोजा जा सकता है। संयुक्त परिवार प्रणाली को लंबे समय से एक प्रकार के सामाजिक बीमा के रूप में देखा जाता रहा है। हालाँकि, आधुनिक बीमा 1818 में इंग्लैंड में शुरू हुआ था।
- ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना भारत के यूरोपीय समुदाय की विधवाओं की सहायता के लिए की गई थी।
- बॉम्बे म्युचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी 1870 में इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फर्म थी, जो भारतीयों से मानक प्रीमियम वसूलती थी।
- उसी वर्ष, सरकार ने बीमा अधिनियम पारित किया। 1870 और 1900 के बीच कई और व्यवसाय स्थापित किए गए।
- 1905-06 के स्वदेशी आंदोलन, 1919 के असहयोग आंदोलन और 1920 के सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं के परिणामस्वरूप भारतीय फर्मों की संख्या में वृद्धि हुई।
- 1912 में, ब्रिटिश सरकार ने बीमा उद्योग को नियंत्रित करने के लिए नियम पारित किए। यह 1912 का जीवन बीमा कंपनी अधिनियम था।

1956–72



- पैठ बढ़ाने और पॉलिसी धारकों को कुप्रबंधन से बचाने के लिए 1956, में एलआईसी बनाने के लिए सभी जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था
- 1972 में GIC बनाने के लिए गैर-जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

1993–99

- मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की सिफारिश की।
- IRDAI, LIC और GIC अधिनियम 1999 में पारित किए गए, जिससे IRDAI बीमा के लिए वैधानिक नियामक निकाय बन गया और LIC और GIC के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।

2000–14

- उदारीकरण के बाद, बीमा उद्योग ने महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की: 2017 में निजी निवेशकों की संख्या बढ़कर 46 हो गई।
- दिसंबर 2014 में, सरकार ने बीमा क्षेत्र में थ्रेशोल्ड सीमा को 26% से बढ़कर 49: करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी। इससे 7-8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित होने की संभावना है।

2015

- 2015 में, सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत की।
- सरकार ने 2015 में अटल पेंशन योजना और स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत की

2017 के आगे

- बीमा कंपनियों ने 2017 में पब्लिक इश्यू से 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि जुटाई।

बीमा क्षेत्र का विनियमन

- **स्वतंत्रता-पूर्व काल में:**
  - जीवन और सामान्य बीमा दोनों पर राज्य को मजबूत नियंत्रण प्रदान करने के लिए 1938 में एक व्यापक अधिनियम पारित किया गया था।
  - यह बीमा फर्मों के निवेश, व्यय और प्रशासन की जांच करने के लिए भी थी, इसके अलावा उनके द्वारा ली जाने वाली दरों की भी।
  - बीमा नियंत्रक का पद स्थापित किया गया और व्यापक उत्तरदायित्व दिए गए।
- **स्वतंत्रता के बाद विनियमन:**
  - प्रारंभ में, स्वतंत्र भारत की सरकार ने बीमा अधिनियम, 1938 का पालन किया, लेकिन 1956 में, इसने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का निर्णय लिया।
  - इसने भारतीय जीवन बीमा कारोबार को अपने अधीन कर लिया।

जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण

- स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने 1956 में बीमा क्षेत्र पर ''विनियमन का अंतिम रूप'' लागू करने की योजना बनाई।
- इसने भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की और देश की सभी 245 बीमा कंपनियों/सोसायटियों का नियंत्रण ग्रहण किया।
- यह पद्धति घोटालों और विसंगतियों की बढ़ती संख्या से प्रेरित थी।
- बीमा कंपनियों की संदिग्ध निवेश प्रथाओं से उपजी सरकार की कार्यवाहियों के औचित्य का एक और सेट।
- अन्य प्रलोभन भी उस समय के आर्थिक विकास के प्रकाश में महत्वपूर्ण थे जो उस समय काम कर रहे थे।
- बीमा कंपनियाँ बड़े वित्तीय संसाधनों की प्रभारी थीं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हमेशा आश्वासन और अक्षयनिधि पर प्रीमियम रखा है।
- जीवन बीमा योजनाओं का उपयोग धन का एक बड़ा पूल बनाने के लिए भी किया गया है जो पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने पर पॉलिसीधारकों के लिए उपलब्ध हो गया।
- सार्वजनिक धन के इस पूल पर सीधे नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार भी आकर्षित थी। पंचवर्षीय योजनाओं में उल्लिखित विकास पहलों का समर्थन करने के लिए इस पूल का उपयोग करने का इरादा है।

साधारण/जनरल बीमा का राष्ट्रीयकरण

- 16 वर्षों के बाद, 1972 में, भारत सरकार ने साधारण बीमा का अधिग्रहण किया और सधारण बीमा निगम (GIC) की स्थापना की।
- हालाँकि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एक इकाई बनी हुई है, जीआईसी को इसकी चार सहायक कंपनियों के लिए होल्डिंग कंपनी के रूप में बनाया गया था, जो हैं:
- राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड
- न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
- जीआईसी द्वारा सीधे विमान बीमा को ही नियंत्रित किया जाता है।
- सहायक कंपनियाँ अपने दायित्वों के जीआईसी पुनर्बीमा के लिए प्रीमियम प्राप्त करने और भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। उनकी कंपनी में जीआईसी की भी 20 फीसदी हिस्सेदारी है।

आर्थिक सुधार और बीमा क्षेत्र को फिर से खोलना

- 1956 में जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण ने उद्योग में एकाधिकार स्थापित किया।
- इसी तरह, हमने 1972 में सामान्य बीमा में एकाधिकार स्थापित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के इन एकाधिकारों ने बीमा कवरेज के दायरे को व्यापक बनाते हुए महत्वपूर्ण मात्रा में वृद्धि हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की।
- बहरहाल, उन्होंने अधिकांश समय नौकरशाही द्वारा नियंत्रित सरकारी कार्यालयों के रूप में कार्य करने का प्रयास किया।
- ग्राहक सेवा पर बहुत कम जोर था। वे न तो प्रौद्योगिकी और न ही कॉर्पोरेट कार्य संस्कृति को स्वीकार करने को तैयार थे।
- वास्तव में, यह स्पष्ट नहीं है कि यदि बचत निवेश नहीं किया गया होता तो जीवन उद्योग में उतनी ही वृद्धि होती।
- देश में बचत पर्याप्त थी, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 24 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार थी।
- अपेक्षाकृत कम बीमा पैठ के साथ, भारतीय बाजार का केवल 20%, वैश्विक वित्तीय दिग्गजों के लिए सोने की वास्तविक खान लग रहा था।
- जो भी हो, विश्व व्यापार संगठन व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर अपने प्रावधानों के साथ भारत सरकार की नाक में दम कर रहा था।
- इसलिए, अंततः 1993 में, भारत सरकार ने इस मुद्दे की गहराई से जांच करने और उचित सिफारिशें करने के लिए श्री आरएन मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की।
- समिति की रिपोर्ट 1994 में जारी की गई थी, और इसने निम्नलिखित सिफारिशें की:
- LIC और GIC में सरकार की हिस्सेदारी 50% घटी
- कोई भी निजी फर्म इस क्षेत्र में तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास कम से कम 100 करोड़ रुपये की चुकता/प्रदत्त पूंजी न हो।
- कोई भी निजी कंपनी जीवन और सामान्य बीमा दोनों में प्रवेश नहीं कर सकती है
- विदेशी निगमों को केवल भारतीय व्यवसायों के सहयोग से काम करने की अनुमति होगी
- डाक जीवन बीमा ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा
- सरकारी प्रतिभूतियों में एलआईसी निवेश अनिवार्य 75% से घटाकर 50% किया जाएगा
- GIC और उसकी सहायक कंपनियों के पास कंपनी में 5% से अधिक का स्वामित्व नहीं हो सकता है
- प्रमोटर नए स्थापित बीमा व्यवसायों के 40% से अधिक के मालिक नहीं हो सकते हैं। यदि उनके पास यह था, तो उन्हें एक निश्चित समय में इसे उस स्तर तक कम करना था
- प्रतिस्पर्धा करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं को प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण करना चाहिए और अधिक कुशल बनने के लिए पुनर्गठित करना चाहिए
- स्टॉपगैप समाधान के रूप में, बीमा नियंत्रक के कार्यालय को उसकी पूर्व भव्यता में पुनर्स्थापित करें
- बीमा अधिनियम की अनेक धाराओं से एलआईसी और जीआईसी को दी गई छूट को वापस लें
- जीआईसी को एक शुद्ध पुनर्बीमाकर्ता बनना चाहिए और होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करना बंद कर देना चाहिए।
- सरकार अपनी सहायक कंपनियों में जीआईसी की हिस्सेदारी खरीदती है।
- इन सहायक कंपनियों की चुकता पूंजी को 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए, जिसमें सरकार के पास 50% शेयर हों।
- अगस्त 2000 में, बीमा व्यवसाय पूरी तरह से निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया था। लेकिन सबसे पहले, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की स्थापना अप्रैल 2000 में प्त्क। अधिनियम 1999 के तहत की गई थी।

बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है?

- **साधन:** बीमा पॉलिसी एक प्रकार का ऋण लिखत है।
- **मध्यस्थ:** बीमा व्यवसाय जोखिम आधारित वित्तीय मध्यस्थ हैं।
- **मानक:** जोखिम पूंजी या सॉल्वेंसी पूंजी मानक आमतौर पर अधिक होते हैं। (बैंक - सीआरआर, एसएलआर, और अन्य।)
- **पॉलिसी प्रीमियम:** पॉलिसी प्रीमियम की गणना के लिए सांख्यिकी, संभाव्यता सिद्धांत, जनसांख्यिकीय रुझान, वित्तीय बाजार रिटर्न और वर्तमान बाजार स्थितियों का उपयोग किया जाता है।
- **शब्दावली:** बीमा ''बेचा'' जाता है, लेकिन कभी ''खरीदा'' नहीं जाता (मोटर वाहन जैसे कुछ अनिवार्य बीमा को छोड़कर)

साल	बैंकिंग क्षेत्र	बीमा क्षेत्र
नियामक	भारतीय रिजर्व बैंक	आईआरडीएआई
1948-49	आरबीआई का राष्ट्रीयकरण	जीवन बीमा क्षेत्र और एलआईसी का राष्ट्रीयकरण अस्तित्व में आया।
1955 - 56	एसबीआई का राष्ट्रीयकरण	--
1969	14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण	--
1972	--	जीआईसी अधिनियम - जीआईसी और इसकी 4 सहायक कंपनियों ने - 107 (निजी स्वामित्व वाली) सामान्य बीमा कंपनियों का अधिग्रहण किया।
1980	6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण	--
सुधार 1990 के दशक में	नरसिम्हम समिति I (1991) और II (1998) + बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण और उदारीकरण	मल्होत्रा समिति (1993), निजी बीमा कंपनियों को अनुमति दी गई और एफडीआई को उदार बनाया गया
सुरक्षा	सीआरआर, एसएलआर, बेसल	निवेश पैटर्न, सॉल्वेंसी मार्जिन। उदाहरण के लिए, बीमा कंपनियों को जी-सेक में प्रीमियम का न्यूनतम ''निर्दिष्ट %'' निवेश करना चाहिए, वे निजी कंपनियों के शेयरों या डिबेंचर आदि में प्रीमियम के ''निर्दिष्ट %'' से अधिक निवेश नहीं कर सकते। उन्हें ''एए'' क्रेडिट से कम वाली कंपनियों में निवेश नहीं करना चाहिए।
वित्तीय समावेशन और कल्याण का लक्ष्य	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) मानदंड, बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में 25% शाखाएं	ग्रामीण और सामाजिक दायित्व मानदंड- हर साल ग्रामीण क्षेत्रों, पीएच/पिछड़ों आदि में निर्दिष्ट संख्या में पॉलिसी बेची जानी चाहिए। इसके अलावा, बीमा कंपनियों को किफायती आवास परियोजनाओं, राज्य सरकार के अग्निशमन उपकरण आदि में न्यूनतम ''निर्दिष्ट'' निवेश करने की आवश्यकता है।
वितरण चौनल	बैंक शाखा व्यापार पत्राचार एजेंट (बैंक मित्र)	एजेंट और दलाल, बीमा बेचने वाले बैंक (बैंकाश्योरेंस), सर्वेक्षक/हानि निर्धारक, तृतीय पक्ष
अक्षय निधि	हाँ, बचत वापस आ गई	हां
शर्त	शर्त	हां
यूनिट लिंक्ड बीमा नीति	हाँ, बचत वापस आ गई	हां

बीमा के प्रकार

सामान्य बीमा

- सब कुछ, लेकिन जीवन को सामान्य बीमा द्वारा कवर किया जा सकता है। यह मृत्यु के अलावा अन्य नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजा प्रदान करता है। सामान्य बीमा सभी संपत्तियों और दायित्वों को हानि या क्षति से बचाता है। बीमा प्रदाता कार, चिकित्सा उपचार, आग, चोरी, या यहां तक कि यात्रा के दौरान वित्तीय कठिनाइयों के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए गारंटीकृत मात्रा का भुगतान करने की पेशकश करता है।

सामान्य बीमा के प्रकार

स्वास्थ्य बीमा

- स्वास्थ्य बीमा एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन रणनीति है क्योंकि यह चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान जेब से भुगतान को रोकता है।
- यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक क्षतिपूर्ति पॉलिसी है जो कवर की गई राशि तक अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करती है। जबकि आपको एक अलग स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी मिल सकती है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आपके परिवार में सभी को कवर करती है।
- दूसरी ओर, गंभीर बीमारी योजना निश्चित-लाभ योजनाएँ हैं जो एक गंभीर बीमारी के निदान पर एकमुश्त राशि प्रदान करती हैं और पूर्व और बाद के अस्पताल में भर्ती शुल्क जैसे चिकित्सा व्यय को कवर करती हैं।

गृह बीमा:

- गृह बीमा पॉलिसी, जैसा कि नाम से पता चलता है, आपके घर और उसमें रखी सामग्री को मानव-निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाती है।
- यदि आप अपनी संपत्ति का नवीनीकरण करते समय किराए पर ले रहे हैं तो कुछ गृह बीमा योजनाओं में अस्थायी जीवन व्यय शामिल हो सकते हैं।

यात्रा बीमा

- यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा बीमा कवरेज आपको सामान खोने, उड़ान में देरी और यात्रा रद्द होने के कारण होने वाले खर्चों से बचाएगा।
- यदि आप यात्रा के दौरान अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, तो आपका यात्रा बीमा विशिष्ट मामलों में अस्पताल में केशलेस भर्ती प्रदान कर सकता है।

मोटर बीमा

- मोटर बीमा अन्य बातों के साथ-साथ आपकी कार को दुर्घटनाओं, क्षति, चोरी और जानबूझ कर किए गए नुकसान से बचाता है।
- इस प्रकार का बीमा दो किस्मों में उपलब्ध है: व्यापक और तृतीय-पक्ष। एक व्यापक ऑटो बीमा कवरेज आपकी कार को बाढ़, आग और दंगा क्षति सहित सभी पक्षों से बचाता है।
- इसमें एक राइडर या ऐड-ऑन बेनिफिट, व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज और तृतीय-पक्ष देयता भी शामिल है।
- 1988 के मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, सड़क पर चलने वाले प्रत्येक वाहन का तृतीय-पक्ष बीमा होना चाहिए।

सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021

विधेयक के प्रमुप्रावधान

- **सरकारी शेयरधारिता सीमा:** यह इस आवश्यकता को निरस्त करने का प्रस्ताव करता है कि केंद्र सरकार एक निर्दिष्ट बीमाकर्ता में इक्विटी पूंजी का कम से कम 51% बनाए रखे।
- **व्यवसाय परिभाषित सामान्य बीमा:** यह सामान्य बीमा को अग्नि, समुद्री या विविध बीमा के रूप में परिभाषित करता है।
- यह अवधारणा पूंजी प्रतिदान (capital redemption) और विशिष्ट फर्मों से वार्षिकियाँ (annuities from specific firms) शामिल नहीं करता है।
- केपिटल रिडेम्पशन इंश्योरेंस में बीमाकर्ता को एक निश्चित तिथि पर नियमित आधार पर प्रीमियम का भुगतान करने के बाद एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है।

वार्षिकी: बीमाकर्ता वार्षिकी विशिष्ट बीमा के तहत समय के साथ प्राप्तकर्ता को भुगतान करता है।

सरकार से नियंत्रण हस्तांतरण

- केंद्र सरकार द्वारा बीमाकर्ता का नियंत्रण छोड़ने के बाद यह चयनित बीमाकर्ताओं पर लागू नहीं होगा।
- इस संदर्भ में नियंत्रण का अर्थ है अपने प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों पर अधिकार करने के लिए किसी विशिष्ट बीमाकर्ता के अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार।

1. **केंद्र सरकार को अधिकार देता है:** यह संघीय सरकार को चयनित बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को उनके रोजगार के नियमों और शर्तों के बारे में सूचित करने का अधिकार देता है।

1. इसमें कहा गया है कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा विकसित पहल को बीमाकर्ता द्वारा अपनाया गया माना जाएगा।
2. बीमाकर्ता के निदेशक मंडल के पास नई नीतियों को संशोधित करने या बनाने का अधिकार है।

2. **निदेशकों की देनदारियाँ:** इसमें कहा गया है कि एक नामित बीमा का एक निदेशक जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, उसे केवल विशेष आचरण के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. उनकी विशेषज्ञता के साथ, बोर्ड प्रक्रियाओं के कारण।
2. उसकी जानकारी या सहमति से, या जहां वह लगन से कार्य करने में विफल रहा हो।

1. **महत्व:**

1. **निजी पूंजी:** यह सामान्य बीमा उद्योग में अधिक निजी पूंजी को आकर्षित करेगी और ग्राहकों को अतिरिक्त उत्पाद प्रदान करने के लिए अपनी पहुंच का विस्तार करेगी।
2. **बेहतर दक्षता:** यह कदम दक्षता में सुधार करते हुए निजी भागीदारी के लिए अधिक क्षेत्रों को खोलने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है।
3. **बीमा प्रवेश में वृद्धि:** यह पॉलिसीधारकों के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए बीमा प्रवेश और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाएगा और आर्थिक विकास को तेज करने में मदद करेगा।

जीवन बीमा

- जीवन बीमा, आपके जीवन की रक्षा करता है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी नामांकित व्यक्ति को बीमित धन का भुगतान करती है। जीवन बीमा, सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय उत्पादों में से एक, आपके परिवार को आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने, ऋण चुकाने, दी गई जीवन शैली को बनाए रखने और महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ट्रैक पर रहने में सहायता करता है।

जीवन बीमा के प्रकार:

सावधि जीवन बीमा

- सावधि बीमा बाजार पर जीवन बीमा का सबसे बुनियादी प्रकार है। टर्म इंश्योरेंस एक शुद्ध सुरक्षा योजना है जो कम कीमत पर पर्याप्त कवरेज प्रदान करती है।
- टर्म प्लान आपको एक बीमा राशि का चयन करने की अनुमति देता है जो आपकी वार्षिक आय का 15-20 गुना है।
- यदि पॉलिसी अवधि के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो यह आपके नामांकित व्यक्ति को वादा की गई राशि का भुगतान करता है।
- बीमा आय आपके परिवार को रोजमर्रा की लागतों को पूरा करने और कर्ज चुकाने में सहायता करती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शुद्ध टर्म प्लान में कोई परिपक्वता लाभ नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप पॉलिसी की अवधि पूरी कर लेते हैं, तो आपको ये लाभ नहीं मिलेंगे।
- हालांकि, बीमाकर्ताओं ने हाल ही में रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पेश की हैं, जो पॉलिसी अवधि के जीवित रहने पर भुगतान किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान करती हैं।

बंदोबस्ती/अक्षयनिधि योजनाएं

- बंदोबस्ती योजना जीवन सुरक्षा प्रदान करने और महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्यों के लिए एक कोष बनाने के लिए बीमा और एक पैकेज में निवेश को जोड़ती है।
- प्रीमियम का एक हिस्सा बीमित राशि के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि शेष कम जोखिम वाले चौनलों में निवेश किया जाता है। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनके नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि प्राप्त होती है।
- यदि वे बीमा अवधि तक जीवित रहते हैं, तो उन्हें वादा किया गया धन और साथ ही एकत्रित बोनस भी मिलेगा। इस प्रकार, बंदोबस्ती कार्यक्रम बीमा और निवेश दोनों मांगों को पूरा करते हैं।

मनी-बैक नीतियाँ

- मनी-बैक पॉलिसी बंदोबस्ती योजनाओं के समान हैं, जिसमें वे पॉलिसी अवधि के दौरान पूर्व निर्धारित अंतराल पर एक निश्चित राशि का भुगतान करती हैं। जब बीमा परिपक्व होता है, तो यह परिपक्वता लाभ के साथ-साथ एकत्रित बोनस का भुगतान करता है।

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप)

- यूलिप, जो एक ही उत्पाद में बीमा और निवेश को मिलाते हैं, जीवन बीमा के साथ-साथ जोखिम की अलग-अलग डिग्री वाले विभिन्न फंडों में निवेश करके वित्तीय लाभ का अवसर प्रदान करते हैं। यूलिप, बंदोबस्ती योजनाओं की तरह, जीवन बीमा की पेशकश करते हैं जबकि शेष को मुनाफा कमाने के लिए बाजारों में निवेश किया जाता है।
- प्रत्येक यूलिप में अंतर्निहित फंड होते हैं जो मुनाफा बनाने के लिए विभिन्न परिसंपत्ति प्रकारों जैसे स्टॉक, डेट और हाइब्रिड में निवेश करते हैं।
- यूलिप एक बार लॉक-इन अवधि (5 वर्ष) समाप्त होने के साथ-साथ एक फंड से दूसरे फंड में जाने की क्षमता के बाद आंशिक निकासी की अनुमति देता है।
- यह सुविधा तब उपयोगी होती है जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे होते हैं क्योंकि यह आपको एग्रेसिव फंड से डेट फंड में बदलने की अनुमति देता है।

संपूर्ण जीवन बीमा

- संपूर्ण जीवन बीमा। आपके पूरे जीवन के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है। संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसियों की पॉलिसी अवधि 100 वर्ष तक होती है, और जब तक प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, पॉलिसी के लाभ संरक्षित रहते हैं।

- यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहता है, तो वह परिपक्वता लाभ का हकदार होता है। यदि आप अपने शेष जीवन के लिए सुरक्षित रहना चाहते हैं तो संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी एक शानदार विकल्प है।

जीवन और सामान्य बीमा के बीच मुख्य अंतर

मापदंडों	जीवन बीमा	सामान्य बीमा
परिभाषा	बचत और निवेश का साधन भी प्रदान करते हुए आपके जीवन की रक्षा करता है	एक सामान्य बीमा पॉलिसी एक क्षतिपूर्ति अनुबंध है जो गैर-जीवन संपत्ति को कवर करता है
अनुबंध की अवधि	लंबे अनुबंध के लिए कई वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता होती है	आम तौर पर, वार्षिक अनुबंध जिन्हें हर साल नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है
दावे का भुगतान	यह पॉलिसी अवधि के दौरान या पॉलिसी परिपक्वता पर पॉलिसीधारक की मृत्यु के मामले में देय है	यह एक घटना के दौरान प्रतिपूर्ति की जाती है
बचत का घटक	उपस्थित	अनुपस्थित

एलआईसी में एफडीआई सुधार

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफडीआई नीति में बदलाव को मंजूरी दे दी है जो जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपने प्रत्याशित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) से पहले ''स्वचालित मार्ग'' के तहत 20% तक एफडीआई की अनुमति देगा।
- सरकार को उम्मीद है कि प्रस्तावित शेयर बिक्री से 63,000-66,000 करोड़ रुपये जुटाए जा सकेंगे, जिससे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 78,000 करोड़ रुपये के अपने विनिवेश उद्देश्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- सरकार पूरी कंपनी की मालिक है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह भारतीय बीमा बाजार के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता है।
- ज्यादातर मामलों में, विनिवेश का मतलब सरकारी स्वामित्व वाली फर्म की सरकार द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से बिक्री करना है। आमतौर पर, एक फर्म या सरकारी संगठन कंपनी के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में या संसाधन जुटाने के लिए एक परिसंपत्ति का विनिवेश करेगा।
- फिलहाल, एफडीआई नीति एलआईसी में विदेशी निवेश के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करती है, एलआईसी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निगम है।

एलआईसी का विनिवेश

- केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपने 5% शेयरों की बिक्री के लिए स्टॉक एक्सचेंज नियामक को एक मसौदा दस्तावेज प्रस्तुत किया है।
- आईपीओ भारत सरकार द्वारा 100% ओएफएस (बिक्री के लिए प्रस्ताव) है, जिसमें एलआईसी द्वारा कोई नया शेयर जारी नहीं किया गया है।
- कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी के 5% का प्रतिनिधित्व करने वाले छह करोड़ शेयर प्राप्ति हेतु उपलब्ध हैं।
- विनियामक फाइलिंग के अनुसार, एलआईसी पॉलिसीधारकों के लिए 10% तक की पेशकश आवंटित की जा सकती है, अन्य 5% कर्मचारियों के लिए नामित हैं।

मुद्दे

- भारत सरकार, राज्य के स्वामित्व वाली बीमा समूह और निवेश व्यवसाय एलआईसी का मालिक है।
- यह 1956 में स्थापित किया गया था, जब भारतीय संसद ने भारतीय जीवन बीमा अधिनियम पारित किया, इसने भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया।
- राज्य के स्वामित्व वाली एलआईसी का गठन 245 से अधिक बीमा कंपनियों और भविष्य निधि संगठनों के विलय से हुआ था।

एलआईसी की लिस्टिंग के प्रभाव

- **सरकार के लिए लाभदायक:** क्योंकि एलआईसी सरकार के स्वामित्व वाले कुछ शेष लाभ कमाने वाले उद्यमों में से एक है, इसलिए सरकार अपने ब्रांड मूल्य को भुनाने का प्रयास कर रही है।
- **बेहतर रिटर्न:** लिस्टिंग से एलआईसी की दक्षता बढ़ेगी और इस तरह पॉलिसी रिटर्न भी।
- **बीमा उद्योग में सुधार:** एलआईसी और अधिक प्रतिस्पर्धी भी बनेगी। यह अपने प्रतिस्पर्धियों पर नवाचार करने के लिए दबाव डालेगा, जो लागत, उत्पाद सुविधाओं और सेवाओं के मामले में पॉलिसीधारकों को लाभान्वित करेगा।
- **बेहतर वित्तीय स्थिति:** कम सरकारी भागीदारी एलआईसी की वित्तीय सेहत के लिए फायदेमंद होगी।

- **खतरे से मुक्त:** जब तक परिपक्वता पर संप्रभु गारंटी जारी रहती है और बीमित राशि जारी रहती है, पॉलिसीधारकों को कोई जोखिम महसूस नहीं होगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)	
कानूनी दर्जा	सांविधिक निकाय (कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948)
मुख्यालय	नई दिल्ली
मंत्रालय	श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
देश	भारत
शुरू	24 फरवरी 1952

- औद्योगिक कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रणाली पर एक रिपोर्ट प्रदान करने के लिए मार्च 1943 में प्रो. बीपी अदारकर को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था।
- ESIC, ESI अधिनियम के तहत गठित, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक स्वतंत्र निगम है।
- 1948 के कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ने कल्पना की:
- एक एकीकृत आवश्यकता-आधारित सामाजिक बीमा योजना जो बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या स्थायी शारीरिक अक्षमता जैसी आकस्मिकताओं में श्रमिकों के हितों की रक्षा करेगी।
- कार्यस्थल की चोट के कारण मृत्यु जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी या कमाई क्षमता का नुकसान होता है, और कार्यस्थल की चोट के कारण मृत्यु के परिणामस्वरूप मजदूरी या कमाई क्षमता का नुकसान होता है।

अधिनियम कर्मचारियों और उनके तत्काल परिवार को उचित चिकित्सा देखभाल की गारंटी भी देता है।

ईएसआई अधिनियम के पारित होने के बाद, केंद्र सरकार ने योजना के प्रबंधन के लिए ईएसआई निगम की स्थापना की।

अधिनियम ने 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम और 1923 के श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत नियोक्ताओं को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया।

अधिनियम के तहत प्रस्तावित कर्मचारी लाभ भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानदंडों के अनुसार हैं।

कानून मूल रूप से निर्माण श्रमिकों के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अंतत: इसे 10 या अधिक कर्मचारियों वाले किसी भी उद्यम को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था।

लाभ:

- ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा 46 के तहत अभिदाताओं के लिए छह लाभों की आशा की जाती है।
- चिकित्सा लाभ
- बीमारी बीमा
- मातृत्व अवकाश
- विकलांगता लाभ
- आश्रितों के लिए लाभ
- सिस्टम में नामांकित कर्मचारी अपने और अपने परिवार के लिए चिकित्सा देखभाल, कुछ परिस्थितियों में बेरोजगारी नकद लाभ और महिला कर्मचारियों के मामले में मातृत्व लाभ के हकदार हैं।

नया संशोधन

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा रुपये से बढ़ा दी है। 15,000 से रु। 21,000, 1 जनवरी 2017 से प्रभावी।
- 1 जुलाई, 2019 से, अंशदान की दर 6.5% से घटाकर 4% (नियोक्ता की हिस्सेदारी 3.25% और कर्मचारी की हिस्सेदारी 0.75%) कर दी गई।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित पर विचार करें: (2012)

1. होटल और रेस्तरां
2. मोटर परिवहन व्यवसाय
3. समाचार पत्र प्रतिष्ठान
4. निजी चिकित्सा संस्थान

उपरोक्त में से किसके कर्मचारियों के पास कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत श्सामाजिक सुरक्षाश कवरेज हो सकता है?

(*a*) केवल 1, 2 और 3

(*b*) केवल 4

(*c*) केवल 1, 3 और 4

(*d*) 1, 2, 3 और 4

2. माइक्रोफाइनेंस कम आय वर्ग के लोगों हेतु वित्तीय सेवाओं का एक प्रावधान है। यह इसमें उपभोक्ता और स्वरोजगार दोनों शामिल हैं। इसके तहत प्रदान की गई सेवा/सेवाएं सूक्ष्म वित्त है/हैं: (2011)

1. ऋण सुविधाएँ
2. बचत सुविधाएँ
3. बीमा सुविधाएँ
4. निधि अंतरण की सुविधा

सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 1 और 4

(*c*) केवल 2 और 3

(*d*) 1, 2, 3 और 4

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC):

जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम	
गठन	15 जुलाई 1978
क्षेत्राधिकार	भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय के तहत।
मुख्यालय	मुंबई, भारत
कार्यवाही करना	जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधि. नियम 1961

- 1948 में बंगाल में वित्तीय संकट के बाद, बैंकों के पास सुरक्षित जमा की धारणा पर पहली बार ध्यान गया।
- 1949 में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया गया, लेकिन इसे तब तक रोके रखने पर सहमति हुई जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंक निरीक्षण के लिए उचित व्यवस्था हासिल नहीं कर लेता। उसके बाद, ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने 1950 में इस धारणा का समर्थन किया।
- 21 अगस्त, 1961 को निक्षेप बीमा निगम (क्ब्) विधेयक संसद में पेश किया गया। संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद, विधेयक को 7 दिसंबर, 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और निक्षेप बीमा अधिनियम, 1961 1 जनवरी, 1962 को प्रभाव में आया।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC)

- यह RBI का एक विशेष अनुभाग है जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्ट करता है।
- इसकी स्थापना जुलाई, 1978 में हुई थी, जो जमा बीमा और क्रेडिट सुविधा गारंटी प्रदान करने के लिए 1961 के डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट के तहत थी।
- DICGC एक बैंक में प्रति जमाकर्ता 500,000 रुपये की सीमा तक बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जमा सहित सभी बैंक जमा को कवर करता है।।
- सरकार ने इसकी सीमा को 1 लासे बढ़ाकर 5 लाकर दिया है। (2020-21 के बजट के बाद)

सुधार

- वित्तीय उद्योग विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की स्थापना मार्च 2011 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय वित्तीय क्षेत्र की कानूनी-संस्थागत संरचना का मूल्यांकन और पुनर्निर्माण करने के लिए की गई थी।
- FSLRC ने अपनी रिपोर्ट में जमा बीमा-सह-नियामक निकाय सहित सात संगठनों की एक नियामक प्रणाली की वकालत की।
- FSLRC अवधारणा, सर्वोत्तम विश्वव्यापी अभ्यास पर आधारित है, जिसमें एक एकीकृत समाधान निगम शामिल है जो विभिन्न प्रकार के वित्तीय संगठनों जैसे बैंकों और बीमा कंपनियों से निपटेगा; यह केवल एक बैंक जमा बीमा निगम नहीं होगा।
- यह उन सभी वित्तीय संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो ग्राहकों को उच्च-स्टेक की गारंटी देते हैं, जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियाँ, परिभाषित लाभ पेंशन योजना और भुगतान प्रणाली।
- इन सुधारों को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय समाधान और जमा बीमा विधेयक, 2017 पेश किया।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी)

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	
स्थापित	30 जुलाई 1957
मुख्यालय	मुंबई, महाराष्ट्र
क्षेत्र	निर्यात ऋण बीमा
मंत्रालय	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

- 1947 में आजादी के तुरंत बाद निर्यात बाजारीकरण आवश्यक हो गया। 1953 में निर्यात सलाहकार परिषद की बैठक में निर्यात ऋण गारंटी योजना की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निर्यात ऋण बीमा कार्यक्रम के फायदे और नुकसान की अच्छी तरह से जांच की, और योजना के लिए मसौदा बिल प्रस्ताव 1955 में निर्यात सलाहकार परिषद को प्रस्तुत किया गया।
- सरकार ने कपूर समिति की सिफारिशों को अपनाया और निर्यात जोखिम बीमा निगम (म्ब्) को 30 जुलाई, 1957 को मुंबई में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी जिसकी प्रदत्त पूंजी रु. 25 लाऔर अधिकृत पूंजी रु. 5 करोड़ है।
- 1962 और 1964 के बीच बैंकों को बीमा कवर की शुरुआत के बाद, 1964 में एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का

नाम बदलकर एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया।

- 1983 में, नाम बदलकर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया।
- बाद में अगस्त 2014 में इसका नाम बदलकर ईसीजीसी लिमिटेड कर दिया गया।

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड

- ईसीजीसी लिमिटेड राज्य के स्वामित्व वाली निर्यात ऋण एजेंसी है। यह भारतीय निर्यातकों को निर्यात ऋण बीमा प्रदान करता है। राष्ट्रीय निर्यात के कवरेज के मामले में, ईसीजीसी लिमिटेड दुनिया का छठा सबसे बड़ा क्रेडिट बीमा है।

कार्य

- निर्यातकों को उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में होने वाले नुकसान के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम बीमा कवरेज प्रदान करता है।
- निर्यातकों को उनसे बेहतर शर्तें प्राप्त करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गारंटी प्रदान करता है।
- विदेशी निवेश बीमा उन भारतीय उद्यमों को प्रदान किया जाता है जो इक्विटी या ऋण और अग्रिम के रूप में विदेशों में संयुक्त उद्यमों में भाग लेते हैं।

ईसीजीसी द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ

- भुगतान जोखिमों के खिलाफ निर्यातकों को बीमा प्रदान करता है।
- निर्यात से संबंधित कार्यों पर सलाह देता है।
- कई देशों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, प्रत्येक की अपनी क्रेडिट रेटिंग होती है।
- बैंकों और वित्तीय संगठनों से निर्यात वित्तपोषण प्राप्त करना अब बहुत आसान हो गया है।
- खराब ऋण की वसूली में निर्यातकों की सहायता करता है
- विदेशी खरीदारों की साके बारे में जानकारी प्रदान करता है।

निर्यात ऋण बीमा की आवश्यकता

- सर्वोत्तम परिस्थितियों में भी निर्यात के लिए भुगतान जोखिम भरा है।
- युद्ध या गृहयुद्ध की घोषणा जहाज से भेजी जाने वाली वस्तुओं के भुगतान को रोक सकती है या भुगतान में देरी कर सकती है।
- तख्तापलट या उग्रवाद का भी यही प्रभाव हो सकता है। आर्थिक कठिनाइयाँ या भुगतान संतुलन के मुद्दे सरकार को कुछ वस्तुओं के आयात या आयातित वस्तुओं के भुगतान के हस्तांतरण पर सीमा लगाने के लिए मजबूर कर सकते हैं।
- इसके अलावा, निर्यातकों को ग्राहक दिवालियापन या लंबे समय तक डिफॉल्ट के व्यावसायिक जोखिमों से निपटना चाहिए।
- राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता एक विदेशी खरीदार के दिवालिया होने या भुगतान करने की क्षमता खोने के व्यावसायिक जोखिमों को बढ़ा देती है।
- निर्यात ऋण बीमा का उद्देश्य निर्यातकों को राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह के भुगतान जोखिमों के प्रभावों से बचाना है, जिससे उन्हें नुकसान के डर के बिना अपनी विदेशी कंपनी विकसित करने की अनुमति मिलती है।

नियामक संस्थान: पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	
टाइप	नियामक संस्था
उद्योग	पेंशन
स्थापित	23 अगस्त 2003
मुख्यालय	नई दिल्ली, भारत
स्वामी	वित्त मंत्रित्व।

- भारत सरकार ने भारत में वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित नीति की जांच के लिए 1999 में "OASIS" (वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा के लिए एक संक्षिप्त नाम) नामक एक राष्ट्रव्यापी परियोजना शुरू की।
- OASIS रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने वर्तमान परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की जगह, सशस्त्र बलों के अपवाद के साथ केंद्र/राज्य सरकार के रोजगार में नए प्रवेशकों के लिए एक नई परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की।
- अंतरिम PFRDA की स्थापना अगस्त 2003 में भारतीय पेंशन उद्योग को बढ़ावा देने, विकसित करने और विनियमित करने के लिए भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा की गई थी।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी, 2004 को लागू हुई थी। एनपीएस को तब स्वैच्छिक आधार पर 1 मई, 2009 से देश के सभी नागरिकों के लिए विस्तारित किया गया था, जिसमें स्व-नियोजित पेशेवर और असंगठित क्षेत्र के लोग शामिल थे।
- 19 सितंबर, 2013 को पीएफआरडीए अधिनियम को मंजूरी दी गई।

- पीएफआरडीए एनपीएस को नियंत्रित करता है, जिसे भारत सरकार, राज्य सरकारों, निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों द्वारा ग्रहण किया जाता है।
- प्राधिकरण एक अध्यक्ष और छह से अधिक सदस्यों से बना है, जिनमें से कम से कम तीन केंद्र सरकार द्वारा नामित पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिए।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

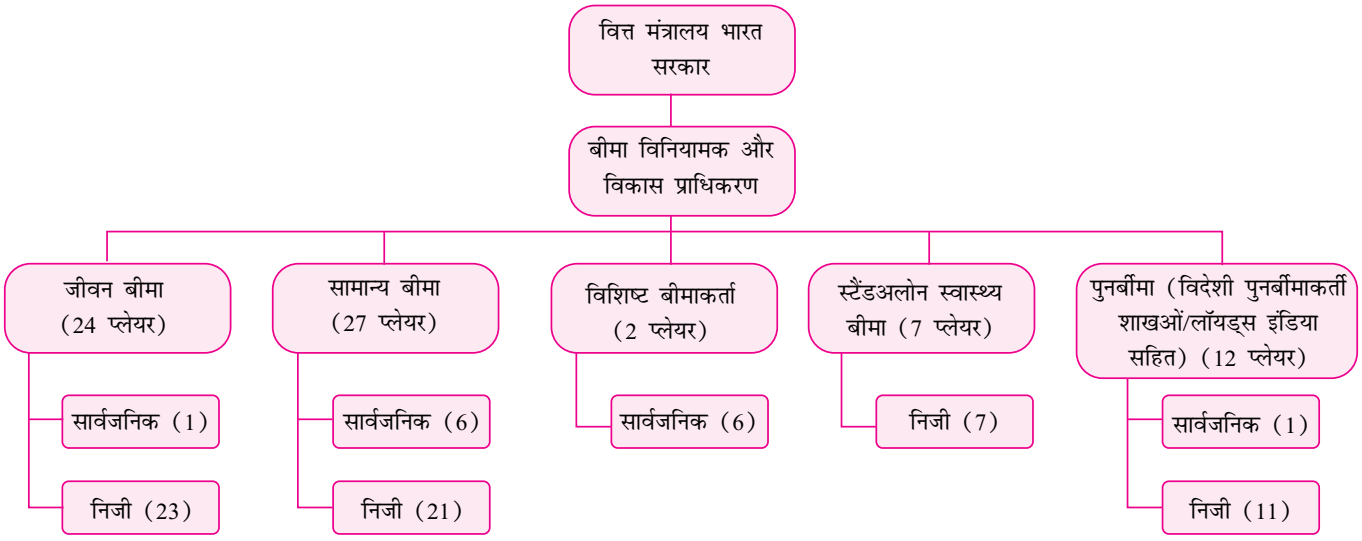
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार द्वारा स्थापित एक परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली है।
- 1 जनवरी, 2004 को सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक हो गया।
- 1 मई 2009 से यह स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के लोगों सहित भारत के सभी नागरिकों के लिए खुला है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनिवासी भारतीयों (NRI) को 29 अक्टूबर, 2015 से NPS की सदस्यता लेने की अनुमति दी।
- ओसीआई (भारत के विदेशी नागरिक) और पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) कार्ड धारक और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) एनपीएस के लिए पात्र नहीं हैं।

मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम (MARS)

- PFRDA ने MARS का सुझाव दिया है, जो बचतकर्ताओं और वेतनभोगी व्यक्तियों को उनके निवेश के लिए एक विकल्प देगा।
- **रिटर्न:** निवेशकों को गारंटीड रिटर्न देने वाली पेंशन नियामक की यह पहली योजना होगी।
- **विकास:** प्रबंधन के तहत भारत की पेंशन संपत्ति पहले ही 7 लाकरोड़ रुपये को पार कर चुकी है और वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक 7.5 लाकरोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।
- 2030 तक, PFRDA को 30 लाकरोड़ रुपये के।UM (एसेट अंडर मैनेजमेंट) होने की उम्मीद है।
- मार्स के तहत पीएफआरडीए का प्रस्ताव:
- **रिटर्न:** एक अलग कार्यक्रम के लिए जो एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) उपयोगकर्ताओं को प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से जो जोखिम से बचने वाले हैं, रिटर्न की गारंटीकृत न्यूनतम दर। वर्तमान में, एनपीएस बाजार की स्थितियों के आधार पर वार्षिक रिटर्न प्रदान करता है।
- **तंत्र:** वास्तविक प्रतिफल बाजार की स्थितियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्रायोजक किसी भी कमी को पूरा करेगा, और किसी भी प्रकार का अधिशेष ग्राहकों के खातों में जमा किया जाएगा।

नियामक संस्थान : भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण	
गठन	1999
कानूनी दर्जा	सांविधिक निकाय
कार्यवाही करना	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999
मुख्यालय	हैदराबाद
क्षेत्र	भारत का बीमा
मंत्रालय	वित्त मत्रांलय



- 1914 में, भारत सरकार ने बीमा कंपनियों के परिणामों को सार्वजनिक करना शुरू किया।
- 1912 का भारतीय जीवन आश्वासन कंपनी अधिनियम जीवन बीमा उद्योग को संचालित करने वाला पहला सरकारी अधिनियम था।
- भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम 1928 में पारित किया गया था ताकि सरकार भविष्य बीमा संगठनों सहित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बीमाकर्ताओं द्वारा भारत में किए गए जीवन और गैर-जीवन व्यवसाय दोनों पर सांख्यिकीय डेटा एकत्र कर सके।
- बीमा जनता के हितों की रक्षा के लिए, पिछले कानून को 1938 के बीमा अधिनियम द्वारा एकीकृत और संशोधित किया गया था, जिसमें बीमाकर्ताओं के कार्यों पर प्रभावी निरीक्षण के लिए व्यापक उपाय शामिल थे।
- मेन्स एजेंसियों को 1950 के बीमा संशोधन अधिनियम द्वारा भंग कर दिया गया था।
- हालाँकि, कई बीमा कंपनियाँ थीं, और प्रतिस्पर्धा भयंकर थी।
- अनुचित व्यवसाय प्रथाएं भी विद्यमान थीं।
- परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चुना।

जनवरी 1956 में, जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया गया और उसी वर्ष जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई।

एलआईसी ने 154 भारतीय बीमाकर्ताओं, 16 गैर-भारतीय बीमाकर्ताओं और 75 प्रोविडेंट सोसायटियों को समाहित किया, कुल मिलाकर 245 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बीमाकर्ता।

1990 के दशक के अंत तक एलआईसी का एकाधिकार था, जब बीमा उद्योग को प्रतिस्पर्धा के लिए फिर से खोल दिया गया था।

- **मल्होत्रा समिति**
- 1999 में, IRDAI को मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के जवाब में बीमा बाजार को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।
- अप्रैल 2000 में, IRDA को एक विधायी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।
- IRDA के प्रमुउद्देश्य
- बीमा क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता की गारंटी के साथ-साथ विस्तारित उपभोक्ता पसंद और कम दरों के माध्यम से ग्राहकों प्रसन्नता में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **संरचना**
- प्राधिकरण की संरचना IRDAI अधिनियम 1999 की धारा 4 में निर्दिष्ट है।
- यह एक दस सदस्यीय समिति है जिसमें एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

कार्य: IRDA अधिनियम, 1999 की धारा 14 प्क्ए के कार्यों को निर्धारित करती है:

- बीमा क्षेत्र विनियमन और ग्राहक संरक्षण
- ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाता है।
- बीमा पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देना
- बीमा मध्यस्थ लाइसेंसिंग और मानकीकरण
- बीमा क्षेत्र की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम कम करना।
- बीमा व्यवसायों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों को परिभाषित करना
- पॉलिसीधारक नकदी के बीमा फर्मों के निवेश को विनियमित करना
- बीमा कंपनियों को अपना सॉल्वेंसी मार्जिन बनाए रखना चाहिए।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर हिस्सों में बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों सहित, यदि आवश्यक हो, तो वितरण संरचना में समायोजन की भी सलाह देगा।

पुनर्बीमा

- पुनर्बीमा को अक्सर बीमाकर्ता बीमा या स्टॉप-लॉस बीमा के रूप में संदर्भित किया जाता है। पुनर्बीमा एक बीमा दावे से उत्पन्न होने वाले बड़े दायित्व का भुगतान करने की संभावना को कम करने के लिए किसी प्रकार के समझौते के माध्यम से अपने जोखिम पोर्टफोलियो के वर्गों को अन्य पार्टियों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है।
- पुनर्बीमाकर्ता वह व्यक्ति होता है जो बीमा प्रीमियम के एक हिस्से के बदले संभावित जिम्मेदारी के एक हिस्से को ग्रहण करता है।
- पुनर्बीमा, दावेदारों को दिए गए कुछ या सभी धन की वसूली करके बीमाकर्ताओं को व्यवसाय में बने रहने में मदद करता है।
- पुनर्बीमा बड़े या कई नुकसानों के खिलाफ आपदा सुरक्षा प्रदान करते हुए व्यक्तिगत जोखिमों पर शुद्ध देयता को कम करता है।

- यह दृष्टिकोण भी जोखिम की मात्रा और आकार के संदर्भ में अपनी अंडरराइटिंग क्षमताओं का विस्तार करने के लिए, सीडिंग व्यवसायों, या पुनर्बीमा की मांग करने वालों को अनुमति देता है।

लाभ:

- पुनर्बीमा, असामान्य और बड़ी घटनाओं के घटित होने पर वित्तीय भार का प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ाकर बीमाकर्ता को उसकी इक्विटी और सॉल्वेंसी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है।
- पुनर्बीमा के माध्यम से, बीमाकर्ता उन नीतियों को अंडरराइट कर सकते हैं जो प्रशासनिक खर्चों को बढ़ाए बिना जोखिम की अधिक मात्रा या मात्रा को कवर करती हैं।
- उनके सॉल्वेंसी मार्जिन को पूरा करने के लिए, और पुनर्बीमा बीमाकर्ताओं को अत्यधिक नुकसान की स्थिति में काफी तरल संपत्ति प्रदान करता है।
- जारी की गई नीतियों के तहत सभी संभावित दावों को कवर करने के लिए बीमाकर्ताओं के पास कानून द्वारा पर्याप्त भंडार होना आवश्यक है।

पुनर्बीमा के प्रकार

- **ऐच्छिक कवरेज**
- इस प्रकार का कवरेज एक बीमा प्रदाता को केवल एक निश्चित व्यक्ति, जोखिम या अनुबंध के लिए कवर करता है। यदि कई जोखिमों या अनुबंधों का पुनर्बीमा किया जाना चाहिए, तो प्रत्येक पर स्वतंत्र रूप से बातचीत की जानी चाहिए। पुनर्बीमाकर्ता के पास वैकल्पिक पुनर्बीमा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेक है।
- **पुनर्बीमा संधि**
- एक वैकल्पिक नीति के विपरीत एक संधि नीति, प्रति जोखिम या अनुबंध के आधार के बजाय एक निश्चित अवधि के लिए लागू होती है। पुनर्बीमाकर्ता अनुबंध के जीवन के लिए कवर किए जा रहे बीमा व्यवसाय द्वारा किए गए जोखिमों के सभी या एक हिस्से का भुगतान करने के लिए सहमत है।
- **आनुपातिक पुनर्बीमा**
- पुनर्बीमाकर्ता को इस प्रकार के कवरेज के तहत कवर की जा रही बीमा कंपनी द्वारा बेची गई सभी पॉलिसियों के लिए प्रीमियम का एक समानुपातिक हिस्सा मिलेगा।
- नतीजतन, जब दावे दायर किए जाते हैं, तो पुनर्बीमाकर्ता को नुकसान के प्रतिशत का भी सामना करना पड़ेगा।
- पुनर्बीमाकर्ता द्वारा साझा किए गए प्रीमियम और नुकसान का अनुपात एक सहमत-प्रतिशत द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- पुनर्बीमा फर्म आनुपातिक कवरेज में सभी प्रसंस्करण, व्यापार अधिग्रहण और लेखन लागतों के लिए बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति भी करेगी।
- ऐसे शुल्क, जिन्हें कभी-कभी सीडिंग कमीशन के रूप में जाना जाता है।
- **गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा**
- एक गैर-आनुपातिक कवरेज में, पुनर्बीमाकर्ता केवल तभी शामिल होगा जब बीमा कंपनी के नुकसान एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाते हैं, जिसे प्राथमिकता या प्रतिधारण सीमा के रूप में जाना जाता है। नतीजतन, पुनर्बीमाकर्ता के पास बीमा प्रदाता के प्रीमियम और नुकसान का आनुपातिक हिस्सा नहीं होता है। किसी विशिष्ट प्रकार के जोखिम या संपूर्ण व्यावसायिक श्रेणी के लिए प्राथमिकता या प्रतिधारण प्रतिबंध निर्धारित किया जा सकता है।
- **नुकसान की अधिकता के लिए पुनर्बीमा**
- यह एक प्रकार का गैर-आनुपातिक कवरेज है जिसमें केवल बीमा कंपनी की प्रतिधारण सीमा से अधिक होने वाले नुकसान को पुनर्बीमाकर्ता द्वारा कवर किया जाएगा।
- इस प्रकार के अनुबंध को जो अलग करता है वह यह है कि इसका उपयोग अक्सर विपत्तिपूर्ण घटनाओं के लिए किया जाता है। यह बीमा फर्म को या तो प्रति घटना या पूर्व निर्धारित समय अवधि में सभी संचयी नुकसानों के लिए कवर कर सकता है।
- **रिस्क अटैचमेंट के साथ पुनर्बीमा**
- पुनर्बीमा कवरेज की प्रभावी अवधि के भीतर किए गए सभी पॉलिसी दावों को अनुबंध के इस रूप के तहत कवर किया जाएगा, भले ही नुकसान कवरेज अवधि के बाहर हुआ हो। इसके विपरीत, कवरेज अवधि के बाहर उत्पन्न होने वाले दावों के लिए कोई कवरेज प्रदान नहीं किया जाएगा, भले ही पुनर्बीमा अनुबंध की अवधि के दौरान नुकसान हुआ हो।
- **घाटे का बीमा**
- यह एक प्रकार की संधि कवरेज है जिसमें बीमा कंपनी पुनर्बीमा अनुबंध की अवधि के दौरान होने वाले सभी नुकसानों को एकत्र कर सकती है। जांच करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कसौटी यह है कि नुकसान कब हुआ, न कि तब जब दावे दायर किए गए थे।
- **नवीनतम विकास**
- भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बीमा नियामक प्त्काप् ने 20 जनवरी, 2022 से राज्य के स्वामित्व वाली ळप्ब् त्म के लिए घरेलू सामान्य बीमा बाजार से 5% से 4% तक आवश्यक छूट के अनुपात को कम कर दिया।

- 2020-21 में, भारतीय सामान्य बीमा बाजार 2 लाकरोड़ रुपये से अधिक का था। पिछले दो वर्षों को छोड़कर पिछले वर्षों में इसका विस्तार 15% से अधिक की दर से हुआ है, जब इसने कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर बाधाओं का अनुभव किया है और 10% से कम की दर से बढ़ा है।
- वित्त वर्ष 2020-21 में, भारतीय पुनर्बीमा उद्योग का मूल्य लगभग 55,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
- सरकार ने सोमवार को नई अनिवार्य सत्र मात्रा की घोषणा की, जो 1 अप्रैल, 2022 को प्रभावी होगी।
- घरेलू सामान्य बीमाकर्ताओं को आने वाले वित्तीय वर्ष में बेची जाने वाली प्रत्येक सामान्य बीमा पॉलिसी पर अपने प्रीमियम का 4% ळप्ब रुपये का भुगतान करना होगा।
- अनिवार्य अर्पण (व्हसपहंजवतल बमेपवद) 10% था, जिसे बाद में घटाकर 5% कर दिया गया था, और भारत में संचालन वाले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता अनुरोध कर रहे हैं कि भारतीय पुनर्बीमा उद्योग में एक निष्पक्ष क्षेत्र प्रदान करने के लिए GIC Re के लिए अनिवार्य अर्पण को पूरी तरह से हटा दिया जाए।

अनिवार्य अर्पण

- यह एक सामान्य बीमा कंपनी के व्यवसाय का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता ळप्ब त्म को सौंपना चाहिए।

माइक्रो-इंश्योरेंस

माइक्रोइंश्योरेंस कम आय वाले व्यक्तियों को आवर्ती प्रीमियम भुगतानों के बदले में विशिष्ट जोखिमों से बचाता है जो शामिल जोखिमों की संभावना और व्यय के अनुपात में होते हैं।

मुख्य आयाम:

- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर हिस्सों के बीच बीमा कवरेज को प्रोत्साहित करने के लिए, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक विशिष्ट प्रकार की बीमा योजना शुरू की है जिसे माइक्रो-बीमा पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। माइक्रो-इंश्योरेंस को IRDA माइक्रो-इंश्योरेंस रेगुलेशन, 2005 के तहत परिभाषित और सक्षम किया गया है।
- माइक्रो-इंश्योरेंस पॉलिसी 50,000 रुपये से कम की बीमा राशि वाली सामान्य या जीवन बीमा पॉलिसी है।

सूक्ष्म बीमा: सामान्य

- स्वास्थ्य बीमा के लिए अनुबंध
- निजी संपत्ति से जुड़ा कोई भी अनुबंध
- झोपड़ी
- पशु
- उपकरण या औजार
- कोई व्यक्तिगत चोट अनुबंध
- इसे व्यक्तिगत रूप से या समूहों में किया जा सकता है

सूक्ष्म बीमा: जीवन

- प्रीमियम रिफंड के साथ या उसके बिना टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी।
- कोई बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी या अनुबंध
- स्वास्थ्य बीमा के लिए एक अनुबंध
- उनके पास दुर्घटना लाभ राइडर हो सकता है या नहीं।
- या तो अकेले या समूहों में

माइक्रोइंश्योरेंस डिलीवरी के तरीके:

सूक्ष्म बीमा प्रदान करना कठिन है। इसमें कई तरीके और मॉडल उपलब्ध हैं, जो शामिल कंपनी, संस्थान और प्रदाता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

- **पार्टनर-एजेंट मॉडल:** माइक्रोइंश्योरेंस स्कीम और एक एजेंट इस अवधारणा को बनाने के लिए सहयोग करते हैं। कुछ परिस्थितियों में, एक तृतीय-पक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शामिल होता है।
- **पूर्ण-सेवा का मॉडल:** इसमें, माइक्रोइंश्योरेंस योजना बाहरी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सहयोग से उत्पाद निर्माण और ग्राहकों को वितरण सहित हर चीज का प्रभारी है।
- **प्रदाताओं पर आधारित मॉडल:** स्वास्थ्य सेवा प्रदाता माइक्रोइंश्योरेंस योजना है, और यह पूर्ण-सेवा मॉडल के समान ही सभी संचालन, वितरण, डिजाइन और सेवा के लिए जिम्मेदार है।
- **समुदाय/पारस्परिक सहायता का मॉडल:** सब कुछ पॉलिसीधारकों या ग्राहकों द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सेवाएं प्रदान करने के लिए बाहरी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करते हैं।

नवीनतम विकास:

- IRDAI ने फ्रीस्टैंडिंग सूक्ष्म-बीमा व्यवसायों पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए फरवरी 2020 में एक समिति का गठन किया।
- माइक्रो-बीमा उत्पाद कुछ संसाधनों के साथ कम आय वाली आबादी को कवरेज प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से कम मूल्य की संपत्ति के लिए डिजाइन किए गए हैं।
- ऐसा करने के लिए, 10-सदस्यीय पैनल को फ्री-स्टैंडिंग माइक्रो-इंश्योरेंस फर्मों के गठन की उपयुक्तता और व्यवहार्यता का विश्लेषण करना चाहिए; कानूनी और नियामक ढांचे की समीक्षा करें जो ऐसी कंपनी को अस्तित्व में रखने की अनुमति देगा, और प्रति व्यक्ति अधिकतम बीमा राशि निर्धारित करेगा जिसे प्रस्तावित फर्म स्वीकार करेगी।

सुरेश माथुर समिति

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने हाल ही में अप्रैल 2019 में सूक्ष्म बीमा पर नियामक वातावरण का मूल्यांकन करने और ऐसे उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीति सुझाने के लिए एक 13-सदस्यीय समिति का गठन किया। प्वाइ के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर की देखरेमें समिति को ग्राहक अनुकूल हामीदारी के साथ उत्पाद डिजाइन विकसित करने का काम सौंपा गया है।

बीमा प्रवेश और बीमा घनत्व की अवधारणा

बीमा प्रवेश

- बीमा प्रवेश देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बीमा प्रीमियम का प्रतिशत योगदान है।
- उदाहरण के लिए, यदि कोई देश 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का कुल बीमा प्रीमियम अर्जित करता है और उसी समय के लिए उसका सकल घरेलू उत्पाद 100 बिलियन अमरीकी डॉलर है, तो बीमा प्रवेश 10% (यानी 10 बिलियन अमरीकी डॉलर/100 बिलियन अमरीकी डॉलर ' 100) है।

बीमा घनत्व

- दूसरी ओर, पूरी आबादी के लिए बीमा प्रीमियम का अनुपात बीमा घनत्व के रूप में जाना जाता है।
- यह इंगित करता है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति प्रीमियम के मामले में बीमा पर कितना भुगतान करता है।
- दूसरे शब्दों में, यह देश का प्रति व्यक्ति प्रीमियम है, जिसकी गणना जनसंख्या द्वारा कुल बीमा प्रीमियम को विभाजित करके की जाती है।
- उदाहरण के लिए, यदि उपरोक्त उदाहरण में देश की आबादी 10 मिलियन है, तो बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) USD1,000 होगा।

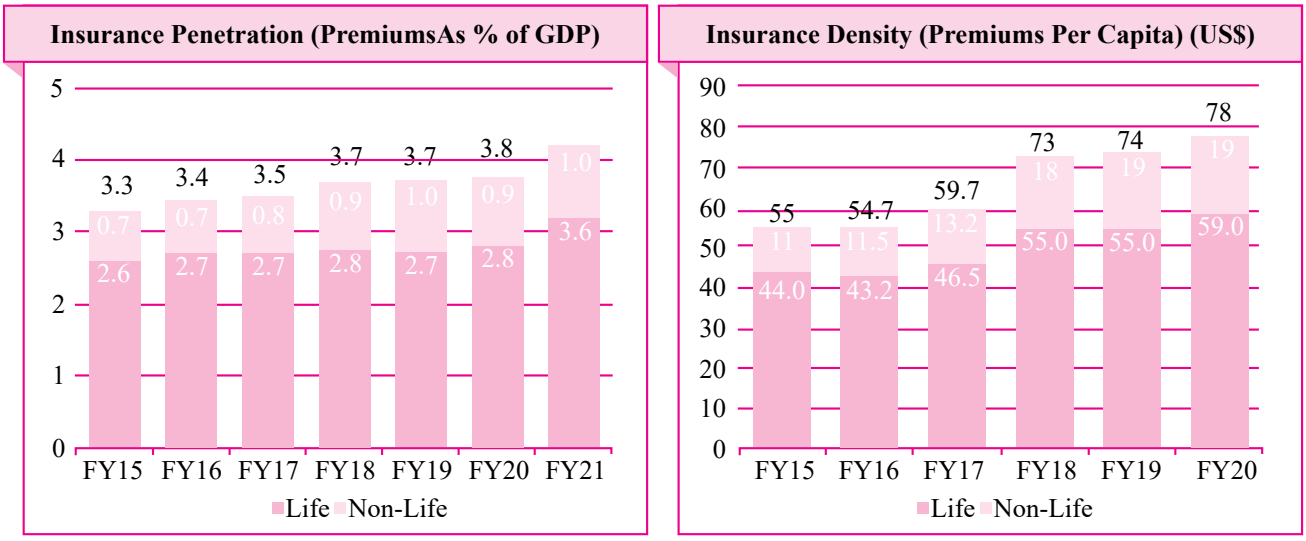
जानकारी

- भारत में, जीवन बीमा प्रीमियम रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। FY31 तक 24 लाकरोड़।
- FY21 में भारत में, बीमा प्रवेश 4.2% था, जीवन बीमा प्रवेश 3.2% और गैर-जीवन बीमा प्रवेश 1.0% था।
- FY21 में भारत के समग्र घनत्व में बीमा घनत्व US+78 था।
- 1 जनवरी, 2021 से शुरू होने वाली एक मानक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, सरल जीवन बीमा का लॉन्च, भारत में एक नई और बड़ी ग्राहक श्रेणी में बीमा प्रवेश दर में सुधार और वृद्धि करने का इरादा रखता है।

खराब बीमा प्रवेश के कारण

आईआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य सरकारी कागजात के विभिन्न संस्करणों के अनुसार, देश में बीमा प्रवेश और घनत्व के अविकसित होने के लिए जिम्मेदार कई कारण रहे हैं-

- सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है
- बीमा वस्तुओं में अपर्याप्त निवेश
- आम जनता कई नीतियों से अनभिज्ञ होती है
- उत्पाद मूल्य निर्धारण के मुद्दे
- कई उद्योगों में भीड़भाड़
- ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बीमाकर्ताओं की पहुंच कम है
- जटिल और समय लेने वाली दावा निपटान प्रक्रियाएं
- बीमा कंपनियों की नीतियाँ और नियम धुंधले होते हैं और उन्हें समझना मुश्किल होता है
- लोगों में शिक्षा और जागरूकता की कमी
- निम्न आय स्तर वाली जनसंख्या
- सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू
- उद्योग में, निष्पक्ष क्षेत्रों कमी है, और नियामक संरचना कम जीवंत है।



रेखांकन: वर्षों में बीमा की बढ़ती पहुंच और सघनता

बीमा क्षेत्र की आवश्यकता और महत्व

- जीवन बीमा द्वारा बचत को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि नियमित प्रीमियम भुगतान व्यवस्थित बचत की अनुमति देता है। जीवन बीमा निवेश के एक रूप के रूप में कार्य करता है जो बचत को प्रोत्साहित करता है और प्रीमियम का भुगतान करके पैसे बचाने की आदत डालता है।
- **वित्तीय संसाधन:** संतोषजनक संविदात्मक और नियामक मानकों के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों का प्रमाण प्रदान करके कानूनी मानदंडों को पूरा करता है।
- **आर्थिक विकास:** घरेलू बचत को गतिशील बनाकर बीमा का पर्याप्त आर्थिक प्रभाव पड़ता है। बीमा एकत्रित नकदी को लाभदायक उद्यमों में बदल देता है। इसका मतलब यह है कि बीमा एक अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
- **चिकित्सा सहायता:** चिकित्सा बीमा उन बीमा उत्पादों में से एक है जो स्वास्थ्य जोखिमों के कई रूपों को कवर करता है। चिकित्सा बीमा कवरेज की स्थिति में, बीमाधारक को चिकित्सा सहायता प्राप्त होती है।
- **जोखिम हस्तांतरण:** बीमा बीमाधारक से बीमाकर्ता को जोखिम के हस्तांतरण की अनुमति देता है। बीमा का मूल आधार कई लोगों पर जोखिम फैलाना है। बहुत से लोग बीमा योजना खरीदते हैं और बीमाकर्ता को मासिक प्रीमियम का भुगतान करते हैं। जब नुकसान होता है, तो इसका भुगतान बीमाकर्ता के पैसे से किया जाता है।
- **केश फ्लो अनिश्चितता:** केश फ्लो अनिश्चितता का प्रबंधन करता है जब नुकसान के दौरान भुगतान क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है।
- **सुरक्षा और सुरक्षा:** बीमा व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में अनिश्चितता को कम करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह किसी विशिष्ट घटना के खिलाफ सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है।
- **वित्तीय संसाधन उत्पन्न करता है:** बीमा प्रीमियम एकत्र करके वित्तीय संसाधन उत्पन्न करता है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों के साथ-साथ इक्विटी में निवेश करते हैं। अतिरिक्त नकदी उत्पन्न करने के लिए इन पैसों का देश के औद्योगिक विकास में लाभप्रद रूप से उपयोग किया जाता है, जो तब देश के आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है।
- **निवेश कोष का स्रोत:** निवेश कोष के स्रोत के रूप में बीमित व्यक्ति के संसाधनों का कुशल उपयोग। यह निवेश नकदी का एक स्रोत प्रदान करता है। प्रीमियम बीमाकर्ताओं द्वारा एकत्र किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के निवेश वाहनों में निवेश किए जाते हैं।
- **सामाजिक बोझ कम करता है:** यह बिना मुआवजे वाले दुर्घटना पीड़ितों और सामाजिक अनिश्चितता को कम करके सामाजिक बोझ को कम करता है।

बीमा क्षेत्र के लिए चुनौतियाँ

- **बीमाकर्ताओं के पास पूंजी की कमी:**
- भारत में बीमाकर्ताओं के पास पर्याप्त पूंजी की कमी है, और उनका वित्तीय स्वास्थ्य, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं का, अस्थिर है।
- इसके अलावा, कुल बैंकिंग और एनबीएफसी उद्योगों को संकट से नुकसान हुआ।
- **जोखिम पूल का विभाजन:**
- सरकार द्वारा प्रायोजित बीमा कार्यक्रमों की बहुलता, ओवरलैप और अतिरेक के परिणामस्वरूप जोखिम पूल को विभाजित किया गया है।
- **द मिसिंग मिडिल:**
- गरीब हिस्से के गरीब हिस्से और तुलनात्मक रूप से समृद्ध लोग या तो सब्सिडी वाले स्वास्थ्य बीमा (गरीबों के लिए) या सामाजिक स्वास्थ्य बीमा (संगठित क्षेत्र के लिए) के लिए योग्य नहीं हैं।
- **पर्याप्त धन का अभाव:**
- भारत में बीमा के पास पर्याप्त पूंजी की कमी है, और उनका वित्तीय स्वास्थ्य अस्थिर है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए।
- **भारी बीमा अंतर:**
- वैश्विक स्तर की तुलना में बीमा पैठ कम है। भारतीय आबादी के बड़े क्षेत्र बीमाकृत नहीं हैं, जो एक बीमा अंतर को दर्शाता है।
- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:**
- ग्रामीण बीमाकर्ता की भागीदारी कम रहती है, और जीवन बीमाकर्ता, विशेष रूप से निजी, शहरी आबादी की ओर आकर्षित होते हैं।
- **सार्वजनिक व्यवसाय का प्रभुत्व:**
- हालांकि बीमा क्षेत्र एक विशेष राज्य के एकाधिकार से एक प्रतिस्पर्धी बाजार में परिवर्तित हो गया है, लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के पास बड़ा बाजार हिस्सा है।
- **उभरते हुए गैर-जीवन बीमा:**
- गैर-जीवन बीमा क्षेत्र (25.3%) की तुलना में जीवन बीमा उद्योग का प्रतिशत (74.7%) कहीं अधिक बड़ा है।

आगे की राह

- **कुछ क्षेत्रों में विकास:**
- वित्तीय समावेशन पर सरकार के बढ़ते जोर के कारण सूक्ष्म बीमा में वृद्धि।
- लगातार विकासशील वाहन क्षेत्र के परिणामस्वरूप ऑटोमोबाइल बीमा की मांग में वृद्धि हुई है।
- मार्च 2021 में गैर-जीवन बीमा बाजार में स्वास्थ्य बीमा फर्मों में 41% की वृद्धि हुई, क्योंकि ब्व्टप्ब्-19 वृद्धि के बीच स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है।
- देश के बीमा विस्तार में समूह बीमा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

डिजिटल विमध्यस्थता:

- भारतीय बीमा कारोबार में डिजिटल विनिवेश में तेजी आ रही है।
- इंटरनेट बीमा बेचने वाले स्टार्ट-अप की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें पॉलिसी बाजार सबसे प्रमुहै।
- पॉलिसी बाजार, जिसे सॉफ्टबैंक और सिंगापुर के टेमासेक द्व ारा समर्थित है, की ऑनलाइन बीमा बिक्री में 50% बाजार हिस्सेदारी है और 2021 में यूएस और भारत में लिस्टिंग के साथ आईपीओ की योजना है।
- इसी तरह भारतीय स्टार्ट-अप बीमा तक ग्राहकों की पहुंच बढ़ाने पर काम कर रहे हैं।

वित्तीय उद्योग में वृद्धि:

- कुल मिलाकर वित्तीय उद्योग का विकास - अधिक डिस्पोजेबल धन के साथ बढ़ती कामकाजी आबादी।
- बीमा जैसी वित्तीय वस्तुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

दक्षता और नवाचार:

- संभावित बीमा उपभोक्ताओं, विभिन्न उद्योगों, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों और बहुराष्ट्रीय निगमों के लोगों और व्यवसायों में वृद्धि।
- कंपनी के व्यावसायीकरण के परिणामस्वरूप बीमा जगत का विस्तार।
- भारतीय बीमा व्यवसाय में प्वज का अनुप्रयोग टेलीमैटिक्स और क्लाइंट जोखिम मूल्यांकन से परे विस्तारित हुआ है।
- एसएंडपी ग्लोबल इंडस्ट्री इंटेलिजेंस के अनुसार, भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है, जो देश के 3.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीमा-केंद्रित उद्यम निवेश का 35% हिस्सा है।

प्रतियोगिता:

- सस्ती कीमत पर विभिन्न प्रकार के परिष्कृत समाधान पेश करने वाले बीमा वाहकों की संख्या बढ़ रही है।
- विनियम जो उद्योग के विकास को बढ़ावा देते हैं।

बीमा क्षेत्र में सुधार

- जुलाई 2004 से, सरकार की नीतियों ने वित्तीय क्षेत्र के विकास और सुधार, बाजारों को विनियमित करने और उनके संगठनात्मक और विधायी ढांचे को उन्नत करने, वित्तीय संस्थानों की पूंजी संरचनाओं को मजबूत करने और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
- गैर-बैंक वित्तीय क्षेत्र सुधार पहल को दो चरणों में बांटा गया है: पहला (2005-2008) और दूसरा (2009-2012)।
- पहले चरण का उद्देश्य वित्तीय संस्थानों की स्थापना करना, उनकी मजबूती की पुष्टि करना और वित्तीय क्षेत्र की दक्षता में सुधार करने और इसकी स्थिरता और तरलता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी करना था।
- बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 को बीमा कानूनों में पुराने और निरर्थक प्रावधानों को हटाने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिससे बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को सशक्त बनाया जा सके।
- भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण की सुरक्षा के साथ एक भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी इक्विटी निवेश केप को बढ़ाकर।
- अधिनियम ने 1938 के बीमा अधिनियम, 1972 के सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, और 1999 के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (प्त्।) अधिनियम में महत्वपूर्ण सुधार-संबंधी संशोधनों का रास्ता साफ कर दिया।
- यह बीमा विनियामक वातावरण को अधिक लचीला, प्रभावी और कुशल बनाने के लिए प्त्।प् को अधिक अधिकार देता है।

बीमा क्षेत्र में सुधार [बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015]

- **स्वास्थ्य बीमा:**
- अधिनियम 'स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय' को यात्रा और व्यक्तिगत चोट संरक्षण सहित परिभाषित करता है और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए 100 करोड़ के स्तर पर पूंजी आवश्यकताओं को बनाए रखते हुए गैर-गंभीर बीमाकर्ताओं को हतोत्साहित करता है, जिससे स्वास्थ्य बीमा को एक अलग क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने का रास्ता खुल जाता है।

भारत में पुनर्बीमा उद्योग को बढ़ावा देना:

- यह विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को भारत में शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति देता है और पुनर्बीमा को ‚एक बीमाकर्ता के जोखिम के एक हिस्से का दूसरे बीमाकर्ता द्वारा बीमा के रूप में परिभाषित करता है, जो पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रीमियम के लिए जोखिम स्वीकार करता है,ष इस प्रकार एक कंपनी के 100% को समाप्त करने की संभावना को छोड़कर एक पुनर्बीमाकर्ता के लिए इसका जोखिम, जो अन्य बीमाकर्ताओं के लिए फ्रंट कंपनियों के रूप में कार्य करने वाली कंपनियों के लिए नेतृत्व कर सकता है।
- **विदेशी निवेश को बढ़ावा देना:**
- भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण की सुरक्षा के साथ, भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण 26% से बढ़कर 49% हो गया।
- वर्तमान में, बजट FY21 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अगस्त 2021 से शुरू होने वाले बीमा व्यवसायों के लिए 74% FDI सीलिंग की घोषणा की।
- पूंजी-गहन बीमा क्षेत्र के लिए अधिक पूंजी उपलब्धता के परिणामस्वरूप कम/असेवित क्षेत्रों में अधिक वितरण पहुंच, नागरिकों की विविध बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक नवाचार उत्पाद निरूपण, बेहतर वितरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से कुशल सेवा वितरण और उच्च ग्राहक सेवा मानकों का परिणाम होगा।
- **सरकारी कंपनियों में पूंजी की आवश्यकता:**
- सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा व्यवसाय, जिन्हें अब 1972 के सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के तहत 100% सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना अनिवार्य है, अब पूंजी जारी कर सकते हैं।
- इससे उन्हें ग्रामीण उद्योगों में कंपनी के विकास और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए अधिक धन उपलब्ध होगा।
- भारत सरकार न्यूनतम 51% शेयरधारिता बनाए रखेगी।
- **उपभोक्ता कल्याण:**
- गलत बिक्री की प्रथा को कम करने के लिए मध्यस्थ संगठनों के खिलाफ दुर्व्यवहार के लिए प्रतिबंध लगाने और बीमा वस्तुओं के बहु-स्तरीय विपणन पर रोक लगाने जैसे नियमों को शामिल करके यह ग्राहकों के हितों की बेहतर सेवा करेगा।
- संशोधित कानून में एजेंटों/बीमा फर्मों द्वारा गलत बिक्री और गलत बयानी जैसे विभिन्न उल्लंघनों के लिए एक करोड़ से लेकर पच्चीस करोड़ तक का बढ़ा हुआ जुर्माना लगाने के लिए कई प्रावधान हैं।
- संशोधन पॉलिसीधारक के नामांकित व्यक्ति को भुगतान करने की प्रक्रिया को सरल करता है क्योंकि नामांकित व्यक्ति को भुगतान का भुगतान करने के बाद बीमाकर्ता अपने कानूनी दायित्वों से मुक्त हो जाता है।
- IRDAI के नियमों के अनुसार, बीमा कंपनियों को अब तीसरे पक्ष के मोटर वाहन बीमा को अंडरराइट करने के लिए कानून की आवश्यकता है।
- संशोधित कानून बीमाकर्ताओं की ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र की प्रतिबद्धताओं को संरक्षित करता है।
- **मजबूत अपीलीय प्रक्रिया:**
- SAT IRDAI के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगा क्योंकि नया कानून किसी भी बीमाकर्ता या बीमा मध्यस्थ को IRDAI के फैसले से असंतुष्ट होने पर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में अपील दायर करने की अनुमति देता है।
- **आईआरडीएआई का अधिकारिता:**
- अधिनियम बीमाकर्ताओं को बीमा एजेंटों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी देता है और आईआरडीएआई को उनकी योग्यता, योग्यता और अन्य पहलुओं को विनियमित करने की अनुमति देता है।
- यह एजेंटों को विभिन्न व्यावसायिक श्रेणियों में कंपनियों में अधिक व्यापक रूप से काम करने की अनुमति देता है, इस सुरक्षा के साथ कि आईआरडीएआई उपयुक्त विनियमों के माध्यम से हितों के टकराव की अनुमति नहीं देगा।
- IRDAI के पास बीमा कंपनी के संचालन के आवश्यक हिस्सों जैसे सॉल्वेंसी, निवेश, लागत और कमीशन के साथ-साथ कमीशन भुगतान और प्रबंधन व्यय नियंत्रण के लिए कानून विकसित करने का अधिकार है।
- यह प्राधिकरण को सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के कार्यों, आचार संहिता आदि को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
- यह बीमा दलालों, पुनर्बीमा दलालों, बीमा सलाहकारों, कॉर्पोरेट एजेंटों, तीसरे पक्ष के प्रशासकों, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों, और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले अन्य संगठनों को शामिल करने के लिए बीमा मध्यस्थों की परिभाषा को भी विस्तृत करता है।
- इसके अलावा, भारत में संपत्तियों का अब केंद्र सरकार की सहमति के बिना एक विदेशी बीमाकर्ता के साथ बीमा किया जा सकता है, जो पहले आवश्यक था।
- **उद्योग परिषदों का सुदृढ़ीकरण:**
- जीवन बीमा परिषद और सामान्य बीमा परिषद को अब चुनावों और बैठकों के लिए उप-नियमों का मसौदा तैयार करने और

अन्य बातों के अलावा, अपने सदस्यों से शुल्क वसूलने और एकत्र करने का अधिकार दिया गया है।

- बीमा परिषदों में स्वयं सहायता संगठनों और बीमा सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने से इन परिषदों में प्रतिनिधित्व का दायरा और बढ़ गया है।
- **पूंजी बाजार में सुधार:**
- IRDA ने मार्च 2019 में प्च्ब् मार्ग के माध्यम से स्टॉक का निपटान करने की इच्छुक बीमा कंपनियों के लिए नए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) मानदंड प्रकाशित किए। बीमा कंपनियाँ अब बैंकों द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड में 10% तक निवेश कर सकती हैं।
- नतीजतन, संशोधनों में बीमा कानून में वृद्धि शामिल है जो दुनिया भर में बढ़ते बीमा क्षेत्र के परिदृश्य और नियामक प्रथाओं के अनुरूप हैं।
- सुधारों से नियामक अधिक व्यापक और ग्राहक-अनुकूल तरीके से लोगों की बीमा जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़े हुए नवाचार, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता के लिए एक परिचालन ढांचा विकसित करने की अनुमति देगा।
- संशोधनों का उद्देश्य उद्योग को अपनी पूर्ण विकास क्षमता तक पहुंचने और समग्र आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में योगदान करने की अनुमति देना है।

बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत उपाय

- **फेमा:** विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम संशोधन (फेमा) सरकार ने अगस्त 2021 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 को संशोधित किया, ताकि बीमा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% तक बढ़ाया जा सके।
- **'आयुष्मान भारत PMJAY सेहत':** सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए दिसंबर 2020 में श्आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB & PMJAY) सेहत योजना पेश की।
- **'कोविड-19' बीमा पॉलिसी:** सरकार ने रु. जून 2021 तक भारत में स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए 50 ला(यूएस + 66.85 हजार) बीमा कवरेज योजना। उत्तराखंड ने दिसंबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों को श्कोविड-19 बीमा पॉलिसीश बेचने की अपनी मंशा की घोषणा की।
- **राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना:** सरकार ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना की निरंतरता और रुपये के सहायता अनुदान (कॉर्पस) भुगतान को अधिकृत किया। सितंबर 2021 में अगले पांच वर्षों के लिए (FY22 से FY26 तक) 1,650 करोड़ (US + 221.30 मिलियन)।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना:** नवंबर 2020 में, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर उपभोक्ताओं के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) शुरू करने की घोषणा की।
- **केंद्रीय बजट:** रुपये का बजट। केंद्रीय बजट 2021 में फसल बीमा योजनाओं के लिए 16,000 करोड़ रुपये (2.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर) निर्धारित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020 में स्वास्थ्य बीमा कवरेज में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016 की तुलना में वित्त वर्ष 20 में बिहार, असम और सिक्किम में स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में 89% की वृद्धि हुई है।

बीमा क्षेत्र में सुधार और सुधार के लिए समितियाँ

मल्होत्रा समिति:

- बीमा उद्योग में सुधार पूर्व वित्त सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आरएन मल्होत्रा के नेतृत्व में मल्होत्रा समिति का गठन 1993 में भारतीय बीमा बाजार का आकलन करने और इसकी भविष्य की दिशा के लिए सिफारिशें प्रदान करने के लिए किया गया था।
- मल्होत्रा समिति का गठन बैंकिंग उद्योग में किए गए परिवर्तनों के पूरक के लिए किया गया था।
- सुधारों का उद्देश्य अब चल रहे संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए एक अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली तैयार करना है और यह पहचानना है कि बीमा संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का एक अनिवार्य पहलू है जहां तुलनीय सुधार की आवश्यकता थी।
- समिति ने 1994 में अपने निष्कर्ष दिए, और उसकी प्राथमिक सिफारिशों में थे:
- सिफारिशें
- **नियामक निकाय:**
- बीमा अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। बीमा के लिए नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। बीमा नियंत्रक, जो वित्त मंत्रालय का हिस्सा है, को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
- **संरचना:**
- बीमा कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 50% की जाएगी।

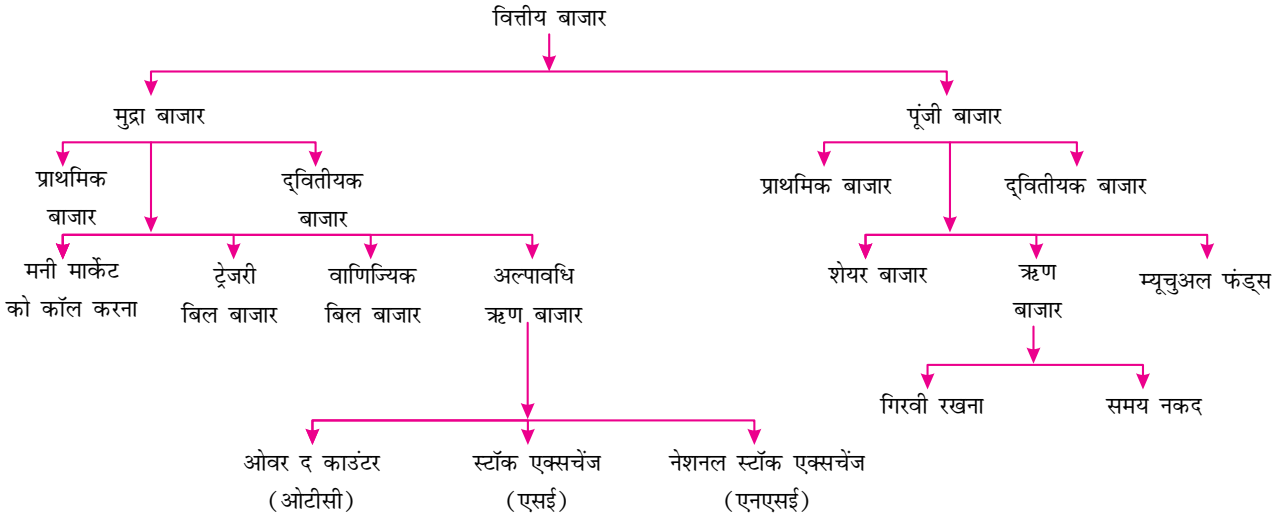
- सरकार को जीआईसी और उसकी सहायक कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र उद्यमों के रूप में काम कर सकें।
- सभी बीमा कंपनियों को उनके परिचालन में अधिक छूट दी जानी चाहिए।
- **प्रतियोगिता:**
- कम से कम 1 अरब रुपये की चुकता पूंजी वाली निजी कंपनियों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- एक ही कंपनी को जीवन और सामान्य बीमा दोनों में शामिल नहीं होना चाहिए।
- विदेशी फर्मों को देशी फर्मों के साथ मिलकर उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।
- डाक जीवन बीमा को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- प्रत्येक राज्य को केवल एक राज्य स्तर की जीवन बीमा कंपनी को संचालित करने की अनुमति देनी चाहिए।
- **ग्राहक सहायता :**
- यूसी को उन भुगतानों पर ब्याज का भुगतान करना चाहिए जो 30 दिनों से अधिक विलंबित हैं।
- यूनिट-लिंक्ड पेंशन योजनाओं को बीमा कंपनियों द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बीमा क्षेत्र में गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा और प्रौद्योगिकी को अद्यतन किया जाएगा।
- समिति ने जोर देकर कहा कि ग्राहक सेवा में सुधार और बीमा पॉलिसी कवरेज का विस्तार करने के लिए व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा के लिए खोला जाना चाहिए।
- साथ ही, समिति ने सतर्क रहने की आवश्यकता को पहचाना क्योंकि नए प्रतिभागियों की ओर से कोई भी विफलता व्यवसाय में जनता के विश्वास को कम कर सकती है।
- परिणामस्वरूप, 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को लागू करके सीमित प्रतिस्पर्धा को सक्षम करने का निर्णय लिया गया।
- **अनिवार्य निवेश:**
- सरकारी प्रतिभूतियों में यूसी लाइफ फंड का निवेश 75 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी किया जाएगा।
- जीआईसी और इसकी सहायक कंपनियों को किसी भी फर्म के 5% से अधिक के मालिक होने की अनुमति नहीं है (उनकी वर्तमान होल्डिंग्स को कुछ समय बाद इस स्तर पर लाया जाएगा)

❖ ❖ ❖

14 भारतीय पूंजी बाज़ार

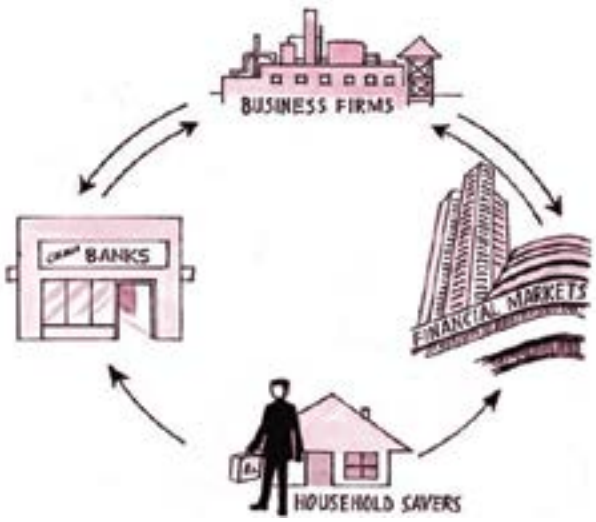
पूंजी बाजार की अवधारणा

- 'वित्तीय प्रणाली' शब्द, अर्थव्यवस्था में जटिल और परस्पर जुड़े निर्देशों, प्रक्रियाओं, बाजारों, लेन-देन, दावों तथा देनदारियों के संग्रह को संदर्भित करता है।
- धन, उसकी प्रकृति, निर्माण, व्यवहार, नियम और उसके प्रशासन के अध्ययन को वित्त के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार, वित्तीय प्रणाली में सभी वित्तीय संचालन शामिल होते हैं जो एक प्रणाली में व्यवस्थित होते हैं।
- अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वित्तीय प्रणाली महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वित्तीय संसाधनों को बचतकर्ताओं से निवेशकों को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है।
- वित्तीय प्रणाली के तत्व: वित्तीय संस्थान, वित्तीय बाजार, वित्तीय साधन और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं वित्तीय प्रणाली में शामिल हैं।



वित्तीय बाजार की अवधारणा

- एक वित्तीय बाजार वह प्रणाली है जहां वित्तीय परिसंपत्तियाँ खरीदी और व्यापार की जाती है।
- वित्तीय बाजार के लेन-देन एक विशिष्ट मंच पर हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, या किसी विशिष्ट विधि के माध्यम से, जैसे टेलीफोन, टेलेक्स, या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
- आज इसके दो अलग-अलग खंड हैं, एक अल्पकालिक निधियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और दूसरा दीर्घकालिक निधियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- वित्तीय बाजार वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार करना संभव बनाते हैं।



- इन मदों को वित्तीय साधनों या प्रतिभूतियों के रूप में भी जाना जाता है। वस्तुओं या सेवाओं के विपरीत वित्तीय परिसंपत्ति का उपभोग नहीं किया जाता है।
- ये धन के विरुद्ध दावे हैं जो उनके धारकों को दावों का निपटान करने पर उपभोज्य उत्पाद या सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।
- क्योंकि वित्तीय परिसंपत्तियों का उपभोग नहीं किया जाता है, जो खरीदा और बेचा जाता है वह एक विशिष्ट अवधि के लिए उनका उपयोग होता है।
- अन्य बाजार मूल्य निर्धारण प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं का व्यापार करते हैं।
- इसी प्रकार, वित्तीय बाजारों में निवेश योग्य धन का उपयोग करने की लागत एक ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज है।
- देय ब्याज की राशि विभिन्न मानदंडों द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें निधि का आकार, ऋण की अवधि, शामिल जोखिम आदि शामिल हैं।
- इस प्रकार, ब्याज दर, जिसे छूट दर के रूप में भी जाना जाता है, भविष्य के धन के बदले में वर्तमान धन प्राप्त करने की लागत है।

वित्तीय बाजार की भूमिका

- सभी देशों को, उनके विकास के स्तर की परवाह किए बिना, आर्थिक विकास और प्रगति के लिए धन की आवश्यकता होती हैद्य
- ये धन बचतकर्ताओं या ''अधिशेष इकाइयों'' से अर्थव्यवस्था को प्राप्त होते हैं, जो घरेलू व्यक्ति, व्यावसायिक उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, अर्ध-सरकारें आदि हो सकती हैं।
- कुछ निवेशकों या घाटे वाली इकाइयों का खर्च या निवेश उनकी वर्तमान आय से अधिक है। नतीजतन, वित्तीय बाजार इस अधिशेष को बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं (निवेशकों) तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे 'ट्रांसमिशन मैकेनिज्म' कहा जाता है।
- राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए एक अर्थव्यवस्था में अधिशेष इकाइयों से घाटे वाली इकाइयों में अतिरिक्त नकदी का हस्तांतरण महत्वपूर्ण है। नतीजतन, इस प्रवाह को उचित दिशा में और उत्पादन लक्ष्यों के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक बचतकर्ता को जरूरत के अनुसार अच्छी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान करने और उनका आदान-प्रदान का एक मंच प्रदान करते हैं। धन आवंटन की प्रक्रिया को वित्तीय मध्यस्थता के रूप में जाना जाता है।
- वित्तीय बाजार न केवल उद्योग और अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार में सहायता करते हैं, बल्कि वे समाज की भलाई और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि में भी योगदान करते हैं। इस प्रकार, वित्तीय बाजारों का तेजी से विस्तार होना चाहिए। उन्हें अधिक कुशल और विविध भी होना चाहिए।

वित्तीय बाजार के कार्य

- **मूल्य निर्धारण और खोज:** वित्तीय बाजार भी विभिन्न परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनिवार्य रूप से, वित्तीय बाजारों में मांग और आपूर्ति, साथ ही निवेशक जुड़ाव, मूल्य निर्धारण को प्रभावित करते हैं।
- **निधियों का संग्रहण:** वित्तीय बाजारों द्वारा निभाई जाने वाली कई भूमिकाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण है बचत को जुटाना। वित्तीय बाजार भी इस बचत को रचनात्मक उद्देश्यों के लिए निवेश करते हैं, पूंजी और आर्थिक विकास में वृद्धि करते हैं।
- **तरलता सुनिश्चित करता है:** व्यापार योग्य परिसंपत्तियों के उचित संचालन और संचलन के लिए तरलता की आवश्यकता होती है। यह वित्तीय बाजार का एक और कार्य है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में योगदान देता है। यह निवेशकों को न केवल अपनी प्रतिभूतियों और परिसंपत्तियों को आसानी से बेचने में सक्षम बनाता है, बल्कि उन्हें आसानी से वास्तविक धन में परिवर्तित करने में भी सक्षम बनाता है।
- **समय और धन की बचत:** वित्तीय बाजार व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियों पर उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। यह समय, प्रयास और धन बचाता है जो अन्यथा एक वित्तीय परिसंपत्ति के खरीदारों और विक्रेताओं दोनों द्वारा एक दूसरे को खोजने की कोशिश में खर्च किया जाएगा।
- **पहुंच में आसानी:** वित्तीय बाजार कुशल व्यापार भी प्रदान करते हैं क्योंकि वे व्यापारियों को एक साथ एक स्थान पर लाते हैं। नतीजतन, इच्छुक खरीदारों और विक्रेताओं को कोई संसाधन चाहे वित्तीय या उनका समय खर्च नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा, यह आवश्यक व्यापारिक जानकारी देता है, जो उस काम को कम करता है जो इच्छुक पार्टियों को अपने व्यापार को पूरा करने के लिए करना चाहिए।

वित्तीय बाजार के प्रकार

वित्तीय बाजार को दो भागों में विभाजित किया जाता है :

संगठित बाजार

- ये वित्तीय बाजार हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुरूप कार्य करते हैं जो देश के केंद्रीय बैंक (RBI) या किसी अन्य नियामक संगठन द्वारा नियंत्रित होते हैं।

- संगठित वित्तीय बाजारों को आगे निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:
  - **मुद्रा बाजार:** मुद्रा बाजार अल्पकालिक ऋण लेनदेन पर केंद्रित है।
  - **पूंजी बाजार:** मध्यम और लंबी अवधि के ऋण और वित्तीय लेनदेन के साथ केंद्रित हैं।

असंगठित बाजार:

असंगठित बाजार वे हैं, जो केंद्रीय बैंक द्वारा शासित या पर्यवेक्षण में कार्य नहीं करते हैंद्य येआम तौर पर साहूकारों, स्वदेशी बैंकरों और अन्य लोगों से बने होते हैं जो आम जनता को ऋण प्रदान करते हैं।

मनी मार्केट्स

- ऋण बाजार में आमतौर पर मुद्रा बाजार को शामिल माना जाता है, जिसमें एक वर्ष या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले अल्पकालिक ऋण शामिल होते हैं और पूंजी बाजार, में दीर्घकालिक ऋण शामिल होता है।
- अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो धन के निकट स्थानापन्न हैं, उन्हें मुद्रा बाजार में बेचा और खरीदा जाता है (364 दिनों या उससे कम के लिए)
- अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों की परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम है। ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाणपत्र और अन्य समान उपकरण इसके उदाहरण हैं।
- यह बाजार उच्च तरलता (आसानी से नकदी में परिवर्तनीय) और कम परिपक्वता (एक वर्ष से कम) वाले उत्पादों की खरीद और बिक्री से अलग है।

मनी मार्केट के उद्देश्य और कार्य

- उचित कीमत पर निजी निवेशकों, सरकारों और अन्य उधारकर्ताओं को अल्पकालिक वित्तपोषण प्रदान करना।
- यह उधारदाताओं को अपनी निष्क्रिय पूंजी को उत्पादक उद्यमों में बदलने की अनुमति देता है।
- आरबीआई मुद्रा बाजार की देखरेकरता है, परिणामस्वरूप, यह अर्थव्यवस्था के तरलता स्तर के नियमन में योगदान देता है।
- मुद्रा बाजार ऐसे व्यवसायों की सहायता करता है जिनमें कार्यशील पूंजी का अभाव होता हैद्य
- यह घरेलू और विदेशी व्यापार दोनों के लिए सरकारी धन का एक प्रमुस्रोत है।

मनी मार्केट के उद्देश्य:

- इसे पैसे और पैसे के विकल्प के लिए एक बाजार के रूप में वर्णित किया गया है।
- सामान्य तौर पर, मुद्रा बाजार को तीन प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है -
  1. इसे अल्पकालिक नकदी की आपूर्ति और मांग को संतुलित करने के लिए एक संतुलित तंत्र प्रदान करना चाहिए।
  2. इसे अर्थव्यवस्था में तरलता और ब्याज दरों के सामान्य स्तर को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करना चाहिए।
  3. इसे एक कुशल बाजार समाशोधन मूल्य पर अपने उधार और निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक निधियों के आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं को उचित पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
- मुद्रा बाजार वित्तीय बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह उधारदाताओं के अधिशेष धन और उधारकर्ताओं की मांग को एक रात से लेकर एक वर्ष तक की छोटी अवधि के लिए संतुलित करने के लिए एक आउटलेट प्रदान करता है।

मनी मार्केट लेनदेन के लक्षण

- प्रकृति -अल्पावधि
- लेन-देन की लागत काफी सस्ती।
- कोई लेनदेन संबंधी जटिलताएं नहीं।
- अत्यंत उच्च मात्रा

1980 के दशक के मध्य से भारत के मुद्रा बाजार का विकास

- भारत की वित्तीय प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1985 में श्री सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में मौद्रिक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति की स्थापना की।
- आरबीआई ने श्री एन वाघुल, की अध्यक्षता में मनी मार्केट्स कार्यदल की स्थापना की, जिसने 1987 में अपनी रिपोर्ट जारी की।
- सिफारिशों के आधार पर, आरबीआई ने 1980 के दशक में मुद्रा बाजार को व्यापक और मजबूत करने के लिए कई तरह की पहल की।

प्रमुख पहलें:

- 1988 में, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने भारत के डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस (DFHI) को एक मुद्रा बाजार संस्थान के रूप में स्थापित किया ताकि मुद्रा बाजार उपकरणों को तरलता प्रदान की जा सके और द्वितीयक बाजार के विकास में सहायता की जा सके।

- 1988-89 में मुद्रा बाजार उत्पादों की विविधता को व्यापक बनाने के लिए वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र और इंटरबैंक भागीदारी प्रमाणपत्र शुरू किए गए थे।
- अक्टूबर 1988 से शुरू कर, मूल्य डिस्कवरी की अनुमति के लिए कॉल मनी पर ब्याज दर की सीमा को धीरे-धीरे हटा दिया गया।
- 1988 में मांग मुद्रा बाजार में क्थ्भ् के परिचालनों को ब्याज दर की सीमा से मुक्त कर दिया गया था, और मई 1989 में, मुद्रा बाजार में और अंतरबैंक सावधि धन पर सभी संचालकों के लिए ब्याज दर की सीमा को पूरी तरह से हटा दिया गया था, जिससे वाणिज्यिक बिलों और इंटरबैंक भागीदारी प्रमाणपत्रों की जोखिम मुक्त पुनर्भुनाई करवाना आसान होद्य

भारत में मुद्रा बाजार और मौद्रिक नीति

- **संयोजन:** भारत जैसे उभरते हुए देशों के वित्तीय विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि मुद्रा बाजार और मौद्रिक नीति आपस में जुड़ी हों।
- **आरबीआई:** भारत का केंद्रीय बैंक, विभिन्न तंत्रों के माध्यम से तरलता का प्रबंधन करके मौद्रिक स्थितियों को प्रभावित करता है।
- **तंत्र:** यह विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तंत्रों का उपयोग करके मुद्रा आपूर्ति और वित्तीय बाजारों पर नियंत्रण रखता है।
- **तरलता:** लागत, उपलब्धता और धन का प्रवाह सीधे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रभावित होता है।
- **बाजार की ताकत:** हालांकि, विनियमित और उदारीकृत अर्थव्यवस्थाओं में, ब्याज दरें बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती हैंद्य ऐसे मामलों में भी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए सर्वोच्च मौद्रिक निर्माता द्वारा सीधे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अप्रत्यक्ष साधनों की सफलता एक जीवंत, तरल और कुशल मुद्रा बाजार के अस्तित्व पर निर्भर है, जो सरकार और विदेशी मुद्रा बाजारों जैसे वित्तीय बाजारों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।
- **संचरण:** सामान्य ब्याज दरों के प्रसारण के माध्यम से मौद्रिक स्थितियों में परिलक्षित होने के लिए मुद्रा बाजार हस्तक्षेप के माध्यम से भेजे गए मौद्रिक नीति आवेगों के लिए इस तरह के एक एकीकृत और कुशल बाजार की आवश्यकता होती है।

मुद्रा बाजार के उपकरण

कॉल/नोटिस/सावधि मुद्रा बाजार:

- कॉल मनी बाजार वाणिज्यिक बैंकों के लिए अल्पकालिक अवधियों (आमतौर पर 14 दिनों तक, लेकिन कभी-कभी अधिक) के लिए उधार लेने और देने का बाजार है।
- यह एक टेलीफोनिक बाजार है, जिसका अर्थ है कि लेनदेन फोन पर किए जाते हैं और आरबीआई को रिपोर्ट किए जाते हैं।
- वाणिज्यिक बैंकों को CRR और SLR मानकों को पूरा करने के साथ पूंजी या अस्थायी अधिशेषों के बहिर्वाह के लिए प्राय:धन की कमी का सामना करना पड़ता है।
- जब एक बैंक के पास वित्त की कमी होती है, तो वह दूसरे बैंक से उधार लेता है जिसके पास पर्याप्त नकदी होती है।
- एक दिन (रात भर) के लिए उधार लेने को 'कॉल मनी' कहा जाता है। इसे ओवरनाइट मनी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है।
- यदि उधार (या ऋण) की परिपक्वता एक दिन से अधिक लेकिन 14 दिनों से कम है, तो इसे 'नोटिस मनी' कहा जाता है।
- ''टर्म मनी'' 14 दिनों से अधिक लेकिन एक वर्ष से कम के लिए उधार (या उधार) लिया गया धन है। भारतीय मुद्रा बाजार में अधिकांश लेन-देन में कॉल मनी और नोटिस मनी शामिल हैं।
- वाणिज्यिक बैंक और मुख्य डीलर इस बाजार में उधार ले सकते हैं और उधार दे सकते हैं, जबकि वित्तीय संस्थान और म्युचुअल फंड केवल उधार दे सकते हैं।
- इस बाजार में उधार प्रतिभूतियों के साथ या बिना प्रतिभूतियों के लिया जा सकता है।
- इस बाजार में ब्याज दर स्थिति की श्रेपो दरश के साथ श्प्रकाशितश होती है, लेकिन विचार सरल है - अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज दर उतनी ही अधिक होगी।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक इस बाजार में उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन एलआईसी, जीआईसी, म्युचुअल फंड, आईडीबीआई और नाबार्ड केवल ऋणदाता के रूप में काम कर सकते हैं।

रेपो/रिवर्स रेपो:

- रेपो लेन-देन में, जिसे रेडी-फॉरवर्ड अनुबंध के रूप में भी जाना जाता है, एक पक्ष पूर्व निर्धारित दर (जिसे रेपो दर के रूप में जाना जाता है) पर विशेष परिसंपत्ति के संपार्श्विक के विरुद्ध एक निर्धारित अवधि (रेपो अवधि के रूप में जाना जाता है) के लिए नकद उधार लेता है।

- हालांकि प्राथमिक लक्ष्य नकद उधार लेना है, प्रतिभूति का कानूनी शीर्षक भी बदल जाता है।
- दूसरे शब्दों में, पहला पक्ष दूसरे पक्ष को प्रतिभूति बेचता है और बाद की तारीमें इसे एक निश्चित मूल्य पर पुनर्खरीद करने के लिए सहमत होता है।
- व्यवहार में, प्रतिभूति बेचने वाली पहली पार्टी को रेपो अवधि के दौरान नकदी तक पहुंच प्राप्त होती है, जो परिसंपत्ति की बिक्री और पुनर्खरीद के बीच का समय है।
- इसी तरह, एक पार्टी जिसे अस्थायी अधिशेष नकदी का निवेश करने या प्रतिभूतियों के अपने होल्डिंग को बढ़ाने की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, एसएलआर दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक बैंक) दूसरे पक्ष के साथ विपरीत प्रकार के लेन-देन में संलग्न होंगे - यह प्रतिभूति खरीदेगा और इसे बाद की तारीमें पूर्व निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए सहमत होगा।
- इसे रिवर्स रेपो डील कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, विक्रेता के दृष्टिकोण से, यह एक रेपो लेनदेन है, और खरीदार के दृष्टिकोण से, यह एक रिवर्स रेपो लेनदेन है।
- लेन-देन किसने शुरू किया, इसके आधार पर इसे रेपो या रिवर्स रेपो कहा जा सकता है।
- रेपो अनिवार्य रूप से प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ उधार लेने की एक विधि है जो अभी बेची जाती है और बाद की तारीमें वापस खरीदी जाती है, जबकि रिवर्स रेपो प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ उधार देने की एक विधि है जिसे अभी खरीदा जाता है और बाद की तारीमें वापस बेच दिया जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक वर्तमान में ,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्राथमिक डीलरों को छोड़कर केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारत में रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन में भाग लेने की अनुमति है।
- रिवर्स रेपो के माध्यम से, गैर-बैंक प्रतिभागी जैसे वित्तीय संस्थान केवल योग्य प्रतिभागियों जैसे कि आरबीआई, वाणि ाज्यिक बैंकों और च्छे को ही पैसा उधार दे सकते हैं।
- बाजार के आधार को व्यापक बनाने के लिए भारतीय शेयर बाजारों में पंजीकृत कंपनियों को अप्रैल 2005 से रेपो बाजार में अपनी अतिरिक्त नकदी उधार देने की अनुमति दी गई है।
- ट्रेजरी बिल सहित केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए उपयुक्त प्रतिभूतियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

ट्रेजरी बिल

- ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक (364 दिनों तक) प्रतिभूतियाँ हैं।
- ट्रेजरी नोट अब तीन परिपक्वताओं के साथ जारी किए जाते हैं: 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन।
- ट्रेजरी बिल्स आजादी के बाद से मौजूद था, लेकिन इसे 1986 में संगठित किया गया।
- ट्रेजरी बिल प्रतिफल अधिकांश अन्य अल्पकालिक दरों के लिए मानक के रूप में काम करते हैं क्योंकि उनमें चूक का जोखिम नहीं होता है।
- ट्रेजरी नोट उनके अंकित मूल्य से कम पर बेचे जाते हैं।
- 27 अक्टूबर, 2004 से, आरबीआई ने इस मानदंड में बदलाव किया और प्रतिफल की गणना अब 1 वर्ष = 365 दिनों के आधार पर की जाती है।
- भारतीय डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस (डीएफएचआई) की स्थापना नवंबर 1986 में ट्रेजरी बिलों और कई अन्य मुद्रा बाजार उपकरणों के लिए एक द्वितीयक बाजार बनाने के लिए की गई थी।
- जनवरी 1993 में, 91-दिवसीय ट्रेजरी नोटों की नीलामी की एक विधि लागू की गई थी।
- ट्रेजरी बिलों में निवेशकों में बैंक, प्राथमिक डीलर, वित्तीय संस्थान, भविष्य निधि, बीमा कंपनियाँ, एनबीएफसी, एफआईआई और राज्य सरकारें शामिल हैं।

वाणिज्यिक पत्र

- कमर्शियल पेपर्स (सीपी) अल्पकालिक (एक वर्ष तक) असुरक्षित उधार हैं, जो अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले बड़े, प्रतिष्ठित और वित्तीय रूप से मजबूत निगमों द्वारा वाणिज्यिक पेपर के रूप में वित्तीय साधनों को जारी करने से सुगम होते हैं।
- गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट, मुख्य डीलर और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जिनकी नेटवर्थ का एक निश्चित स्तर और मजबूत क्रेडिट रेटिंग है, 7 दिनों से लेकर 1 वर्ष तक की किसी भी अवधि के लिए वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकते हैं।

जमा प्रमाणपत्र (CD):

- CD वाणिज्यिक बैंकों के लिए अल्पकालिक उधारी साधन हैं। आरआरबी और सहकारी बैंकों को छोड़कर, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा CD रुपये के मूल्य में न्यूनतम 15 दिनों और अधिकतम एक वर्ष के लिए 1 लाबाद में 5 लाऔर रुपये के गुणक में जारी की जा सकती है।

- अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) द्वारा जारी ब्ब को भी एक से तीन साल की परिपक्वता अवधि के लिए मुद्रा बाजार माना जा सकता है।
- CD बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट के समान हैं, इस अपवाद के साथ कि CD एंडोर्समेंट द्वारा स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित की जाती हैं, लेकिन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं हैं।
- CD, ट्रेजरी नोट्स की तरह, अंकित मूल्य से छूट पर जारी की जाती हैं।
- जारीकर्ता और क्रेता CD छूट दर पर स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते हैं।
- व्यक्ति, व्यवसाय, न्यास, और निवेश फर्म सभी ब्ब प्राप्त कर सकते हैं।

बिल पुनर्भुनाई/वाणिज्यिक बिल/विनिमय बिल:

- नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट 1881 के अनुसार, बिल ऑफ एक्सचेंज को बिना शर्त आदेश वाले लिखित रूप में एक साधन के रूप में परिभाषित किया गया है।
- उत्पादों की बिक्री में बिल ऑफ एक्सचेंज का उपयोग तब किया जाता है जब खरीदार बाद में भुगतान करना पसंद करता है और विक्रेता जल्द पैसा प्राप्त करना पसंद करता है।
- इस मामले में, विक्रेता एक निश्चित परिपक्वता के खरीदार पर एक बिल बनाता है और इसे खरीदार को भेजता है।
- खरीदार तब बिल को स्वीकार करता है, यह दर्शाता है कि वह भविष्य की तारीपर या उससे पहले राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है, और इसे विक्रेता को वापस कर देता है।
- विक्रेता, जिसे जल्द से जल्द धन की आवश्यकता होती है, वह इस स्वीकृत बिल को अपने बैंक को भेजता है और बैंक से इसके एवज में भुगतान प्राप्त करता है।
- बैंक बिल पर दिखाई गई राशि से थोड़ी कम कीमत पर बिल को दराज से खरीदता है। इसे बैंक द्वारा बिल भुनाई के रूप में जाना जाता है। जब अदाकर्ता भुगतान करता है, तो बैंक को पैसा मिल जाता है।
- बैंक खरीद मूल्य (या छूट मूल्य) और बिल राशि के बीच अंतर प्राप्त करता है, जो भुगतानकर्ता (खरीदार) से पहले भुगतान प्राप्त करने के लिए बिल के दराज की लागत भी है।
- एक बैंक अपने स्वयं के भुनाए गए बिलों को केंद्रीय बैंक के पास रसकता है और अपनी ऋण गतिविधियों में उपयोग करने के लिए धन प्राप्त कर सकता है। इसे केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक नोटों की पुनर्भुनाई के रूप में जाना जाता है।

मनी मार्केट म्युचुअल फंड (एमएफ):

- यह मुद्रा बाजार साधन है, जिसे म्युचुअल फंड (एमएफ) के रूप में भी जाना जाता है, इसे1992 में व्यक्तियों को अल्पकालिक निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू/संगठित किया गया था।
- इसके लिए शुरुआती मापदंडों को कई बार उदार बनाया गया। मार्च 2000 से, म्युचुअल फंड आरबीआई के अलावा सेबी की जांच के अधीन रहे हैं।
- फिलहाल, वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक और निजी वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र की कंपनियों सहित वित्तीय संगठनों और फर्मों की एक विस्तृत श्रृंखला को म्युचुअल फंड स्थापित करने की अनुमति है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. 'वाणिज्यिक पत्र' एक अल्पकालिक असुरक्षित वचन पत्र है।
2. 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कॉर्पोरेशन को जारी किया गया एक दीर्घावधि लिखत है।
3. 'कॉल मनी' एक अल्पकालिक वित्त है जिसका उपयोग इंटरबैंक लेनदेन के लिए किया जाता है।
4. 'जीरो-कूपन' बांड ब्याज वाले अल्पकालिक बांड हैं जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निगमों को जारी किए जाते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1 और 2
(*b*) केवल 4
(*c*) केवल 1 और 3
(*d*) केवल 2, 3 और 4

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (2018)

1. भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं।
2. ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, राज्य सरकारों द्वारा ट्रेजरी बिल जारी नहीं किए जाते हैं।
3. ट्रेजरी बिल बराबर मूल्य से छूट पर जारी किए जाते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1 और 2
(*b*) केवल 3
(*c*) केवल 2 और 3
(*d*) 1, 2 और 3

3. निम्नलिखित में से कौन सा पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है जो खुद को सीधे पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं? (2019)

(*a*) जमा प्रमाणपत्र

(*b*) वाणिज्यिक पत्र

(*c*) वचन पत्र

(*d*) पार्टिसिपेटरी नोट

केश मैनेजमेंट बिल (CMB)

- अगस्त 2009 से, भारत सरकार ने, आरबीआई के परामर्श से, सरकार की अस्थायी नकदी प्रवाह की कमी को पूरा करने के लिए नकद प्रबंधन विधेयकों के रूप में जाना जाने वाला एक नया अल्पकालिक साधन जारी करने का निर्णय लिया है।
- नकद प्रबंधन बिल 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि वाले अद्वितीय, रियायती उपकरण हैं।
- सीएमबी में ट्रेजरी बिल जैसा होता है।
- वे विपणन योग्य हैं और तैयार वायदा सुविधा के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं और उनमें बैंक निवेश को एसएलआर के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में एक योग्य निवेश माना जाता है।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मौजूदा ट्रेजरी बिल उसी उद्देश्य को पूरा करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें 1997 में भारत सरकार द्वारा ॅड। (तरीके और साधन अग्रिम) प्रावधानों के तहत रखा गया था।
- वे अब सरकार के लिए अपनी अल्पकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विवेकाधीन मार्ग के रूप में काम नहीं करते हैं। ब्ठड समान ॅड। प्रावधानों द्व ारा कवर नहीं किया गया है।

असंगठित मुद्रा बाजार

- सरकार द्वारा भारत में मुद्रा बाजार का संगठित विकास शुरू करने से पहले, यह प्राचीन काल से एक असंगठित रूप में अस्तित्व में था - जिसका अवशेष अभी भी देश में मौजूद है।
- उनके संचालन को उसी तरह से नियंत्रित नहीं किया जाता है जिस तरह से संगठित मुद्रा बाजार को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन उन्हें सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है।
- उनमें से कुछ को हाल के वर्षों में विनियमित संगठित बाजार में शामिल किया गया है।

असंगठित मुद्रा बाजार के प्रकार:

अनियमित गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ: चिट फंड, निधि और उधार देने वाली फर्में अनियमित गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों के उदाहरण हैं। वे अत्यधिक उच्च ब्याज दर वसूलते हैं और परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था में चुनिंदा पहुंच के साथ चरित्र में शोषक हैं।

स्वदेशी बैंकर: वे जमा स्वीकार करते हैं और किसी व्यक्ति या निजी उद्यम की क्षमता के अनुसार धन उधार देते हैं।

- **मारवाड़ी काया:** वे मुख्य रूप से गुजरात में काम करते हैं, मुंबई और कोलकाता में भी इनकी थोड़ी उपस्थिति मौजूद है।
- **चेट्टियार:** वे चेन्नई और दक्षिण भारतीय बंदरगाहों में सक्रिय हैं।
- **गुजराती श्रॉफ:** उनका संचालन मुंबई, कोलकाता और क्षेत्र के आसपास के अन्य औद्योगिक, व्यापारिक और बंदरगाह शहरों में है।
- **मुल्तानी और शिकारपुरी श्रॉफ:** उनका कारोबार मुंबई, कोलकाता, असम के चाय बागानों और उत्तर पूर्वी भारत में है।

मनी लेंडर्स:

वे भारत के मनी मार्केट का सबसे स्थानीय रूप हैं और अधिक शोषणकारी तरीके से काम करते हैं। वे दो रूपों में कार्य करते हैं:

- पेशेवर साहूकार जो ब्याज कमाने के लिए व्यवसाय के रूप में अपना पैसा उधार देते हैं।
- गैर-पेशेवर साहूकार जो व्यवसायी हो सकते हैं जो ब्याज राजस्व को साइड-लाइन के रूप में बनाने के लिए पैसा उधार देते हैं।

असंगठित खंड का कारण

- भारतीय मुद्रा बाजार अभी भी अपनी युवावस्था में है।
- पैठ का अभाव और संगठित मुद्रा बाजार उपकरणों की उपस्थिति।
- बहुत से जरूरतमंद मुद्रा बाजार ग्राहक हैं जो वर्तमान में संगठित मुद्रा बाजार के दायरे से बाहर हैं।
- संगठित मुद्रा बाजार में ग्राहकों की पहुंच प्रतिबंधित है, जिसमें छोटे व्यवसायियों को प्रतिबंधित किया गया है।

पूंजी बाजार

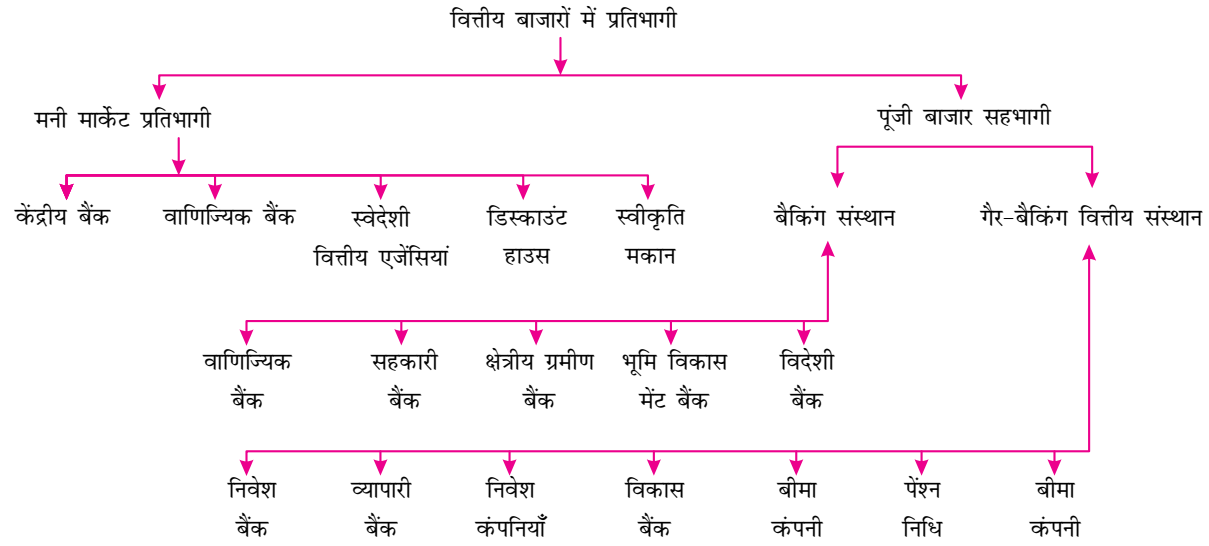
- पूंजी बाजार "चौनलों का एक समूह है जिसके माध्यम से समुदाय की बचत को औद्योगिक और वाणिज्यिक फर्मों, साथ ही सरकारी निकायों के लिए सुलभ बनाया जाता है।"
- पूंजी बाजार वह जगह है जहां बांड, स्टॉक और बंधक जैसे निवेश उत्पादों का आदान-प्रदान किया जाता है।
- भारतीय पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार की तरह, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित है। पूंजी बाजार के असंगठित क्षेत्र में स्वदेशी बैंकर और साहूकार शामिल हैं।

- यह दीर्घकालीन ऋणों का बाजार है। यह उद्योग को निश्चित और कार्यशील पूंजी प्रदान करता है और संघीय, राज्य और नगरपालिका सरकारों के मध्यम और दीर्घकालिक उधारी को वित्तपोषित करता है।
- इस बाजार का प्राथमिक कर्तव्य उन शेयरधारकों में निवेश करना है जिनके पास कमी का सामना कर रहे लोगों के लिए अधिशेष नकदी है। पूंजी बाजार लंबी अवधि और अल्पकालिक दोनों प्रकार की फंडिंग प्रदान करता है।
- पूंजी बाजार निगमों और उद्योगों के बीच फर्म के स्वामित्व के वितरण और वित्तीय संसाधनों के पुनर्आवंटन की भी अनुमति देता है।

पूंजी बाजार का महत्व

- **निधि:** व्यक्ति और वित्तीय मध्यस्थ पूंजी बाजार को धन प्रदान करते हैं, जो व्यापार, उद्योग और सरकार द्वारा अवशोषित किये जाते हैं।
- **राष्ट्रीय आय:** यह पूंजी के प्रवाह को राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए अधिक कुशलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से नियोजित करने में सक्षम बनाता है।
- **पूंजी निर्माण:** पूंजी बाजार ब्याज या लाभांश के साथ बचत को प्रोत्साहित करता है और निवेशकों को नकद वितरित करता है। फलस्वरूप पूँजी निर्माण होता है।
- **उत्पादक पहलें:** पूंजी बाजार बचत वाले लोगों के साथ-साथ उन लोगों के लिए एक बाजार उपकरण के रूप में कार्य करता है जिन्हें उत्पादक पहलों के लिए धन की आवश्यकता होती है।
- **उत्पादक निवेश:** यह संसाधनों को अप्रभावी और अनुत्पादक चौनलों जैसे सोना, आभूषण, अचल परिसंपत्ति, और उत्पादक निवेशों में विशिष्ट व्यय से दूर स्थानांतरित करता है।
- **वैल्यू बूस्टर:** अनुभवी बैंकिंग और गैर-बैंकिंग मध्यस्थों के साथ एक सुव्यवस्थित और परिपक्व पूंजी बाजार स्टॉक और प्रतिभूतियों के मूल्य को बढ़ाता है।
- **सट्टा:** यह उचित ब्याज दरों पर जरूरतमंदों को वित्त देकर और सट्टा गतिविधि को कम करने में सहायता करके इसे पूरा करता है।
- **दिशा:** पूंजी बाजार में काम करने वाली कई संस्थाएं नकदी के प्रवाह के साथ-साथ कुशल संसाधन आवंटन के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दिशा प्रदान करती हैं।

पूंजी बाजार के प्रतिभागी



- केवल वित्तीय संस्थान और अन्य एजेंसियाँ जो पूंजी बाजार में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं या पूंजी बाजार प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती हैं, इस खंड में चर्चा की गई है। इसे दो प्रकारों में बांटा गया है:

1. **बैंकिंग संस्थान:**

- बैंकिंग संस्थान मूल रूप से ऐसे बैंक होते हैं जो आम जनता से दीर्घकालिक जमा प्राप्त करते हैं और बाद में उधार लेने वाले समुदाय को उधार देते हैं।
- वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य प्रकार के बैंकिंग संस्थान मौजूद हैं।
- बैंक आम लोगों से लंबी अवधि के जमा लेते हैं, जिससे उन्हें अपने संसाधनों का निवेश करने की अनुमति मिलती है।
- इसके अलावा, ये वाणिज्यिक बैंक अब सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़ी इकाइयों सहित कंपनी के सभी प्रकार के उपक्रमों की दीर्घकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

- वे परिवहन संचालकों, विभिन्न वस्तुओं के व्यापारियों, किसानों, पेशेवरों, और स्व-नियोजित व्यक्तियों, सहित अन्य को दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं।

2. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI)

- अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं पूंजी बाजार गतिविधि में भाग लेती हैं।
- वे सक्रिय रूप से बचतकर्ताओं से निवेशकों के लिए एक अर्थव्यवस्था में पूंजी के संक्रमण में संलग्न हैं।
- वे व्यक्तियों और अन्य लोगों से जमा राशि एकत्र करके और व्यवसायों, उद्योगों, सरकारों आदि को उधार देकर धन जुटाते हैं।
- वे बचतकर्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए उपकरणों का अधिग्रहण और बिक्री करने के साथ-साथ नए डिजाइन भी तैयार करते हैं।

A. निवेश बैंक:

एक निवेश बैंकिंग संस्थान एक वित्तीय मध्यस्थ है जो विवेकपूर्ण व्यक्तियों की बचत को इकट्ठा करने और इस पैसे को व्यावसायिक गतिविधि में लगाने का प्रभारी होता है।

इन निवेश बैंकों के प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं:

- कॉर्पोरेट उद्यमों का दीर्घकालिक वित्तपोषण
- शेयरों और डिबेंचरों का विपणन
- सुरक्षा मध्यस्थों के रूप में कार्य करना
- किसी मुद्दे के विपणन पर सलाह देना
- सुरक्षा के सीधे अधिग्रहण के बजाय एक बीमाकर्ता के रूप में कार्य करना, और इसी तरह अन्य कार्य।

B. मर्चेंट बैंक:

- मर्चेंट बैंक अनिवार्य रूप से वित्तीय संगठन हैं जो बिल स्वीकृति, कॉर्पोरेट इश्यू प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं, परियोजना परामर्श और वित्तपोषण, कॉर्पोरेट पुनर्गठन आदि जैसी विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं।
- कहने की आवश्यकता नहीं है, वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यों का दायरा बहुत व्यापक है।
- मर्चेंट बैंकिंग एक संस्थागत संरचना है जो निगमों को वित्तीय सलाह और मध्यस्थ सेवाएं प्रदान करती है।
- एक मर्चेंट बैंकर अन्य सहायक या पूरक गतिविधियों में संलग्न होने के साथ-साथ केवल एक गतिविधि में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है।

मर्चेंट बैंकों के कार्य

- **व्यवसाय पुनर्गठन:** व्यापारी बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अन्य प्रमुसेवा कॉर्पोरेट डिवीजनों के समग्र बेहतर कामकाज के लिए बाहरी पुनर्गठन है। इच्छुक संस्थाओं के बीच विलय, अधिग्रहण, समामेलन, अधिग्रहण, गठजोड़, पुनर्निर्माण और इसी तरह के अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।
- **परियोजना परामर्श:** इसमें आर्थिक, तकनीकी, वित्तीय और व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करना शामिल है। यह निष्पादन के लिए परियोजना की व्यवहार्यता और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं पर भी चर्चा करता है।
- **पूंजी पुनर्गठन:** पूंजी पुनर्गठन का प्राथमिक लक्ष्य इकाई के प्रबंधन को सलाह देना है कि इसके वित्तीय संसाधनों की क्षमता को अधिकतम करने के लिए इसकी पूंजी संरचना का निर्माण केसे किया जाए।
- **निर्गम प्रबंधन:** निर्गम प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी बाजार से अपने ग्राहकों के लिए इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर, डिबेंचर आदि जैसी प्रतिभूतियों को जारी करके संसाधन जुटाने के लिए सभी तैयारियाँ करना है।
- **कार्यशील पूंजी वित्त:** व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी वित्त प्राप्त करने में सहायता करते हैं। वे कार्यशील पूंजी निधि के संभावित स्रोतों पर सलाह देते हैं ग्वे अपने ग्राहकों के लिए नकद ऋण व्यवस्था में सुधार करने में सक्षम होते हैं।
- **क्रेडिट बिल:** स्वीकृति और डिस्काउंट हाउस से संपर्क करने के बाद, वे अपने ग्राहकों को बिल भुनाई सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौते करते हैं।
- **कॉर्पोरेट परामर्श:** एक मर्चेंट बैंकर का मुख्य कर्तव्य कॉर्पोरेट क्षेत्र की इकाइयों को विकास और विविधीकरण के क्षेत्रों/गतिविधियों को खोजने, उत्पाद लाइनों का आकलन करने और भविष्य के रुझानों की भविष्यवाणी करने जैसी विभिन्न चिंताओं पर सलाह देना है।
- **पोर्टफोलियो प्रबंधन:** मर्चेंट बैंकर अपने ग्राहकों को पोर्टफोलियो प्रबंधन के मुद्दों पर विशेष सहायता प्रदान करते हैं।
- क्रेडिट सिंडिकेशन: मर्चेंट बैंकर अपनी ग्राहक इकाइयों के लिए क्रेडिट प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट बनाते हैं।

C. निवेश कंपनियाँ:

- निवेश फर्म ऐसी संस्थाएं हैं जो एक विशिष्ट वित्तीय साधन, जोएक इकाई, शेयर, या डिबेंचर के माध्यम से जनता से नकदी एकत्र करती हैं।
- एकत्रित धन को बाद में योजना के उद्देश्यों के आधार पर उचित प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।

- सामान्य तौर पर, ऐसी निवेश फर्मों का प्राथमिक लक्ष्य कम जोखिम और क्षमता के माध्यम से विशाल और एकत्रित संसाधनों के लाभों को अधिकतम करना है।
- निवेश ट्रस्ट, म्युचुअल फंड, वाणिज्यिक बैंक कॉमन ट्रस्ट फंड, प्रबंधन निवेश कंपनियाँ, यूनिट ट्रस्ट, और अन्य समान संस्थाएं बड़े निवेश प्रकार के निगमों के उदाहरण हैं।

D. बीमा कंपनियाँ

- इन फर्मों को तीन प्रकारों में बांटा गया है:
  1. जीवन बीमा कंपनियाँ
  2. सामान्य बीमा कंपनियाँ,
  3. समुद्री बीमा कंपनियाँ।

ये कंपनियाँ मानव जीवन, ऑटोमोबाइल, आवास, टिकाऊ उत्पादों, अचल परिसंपत्तियों आदि के लिए आग, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को कवर करती हैं।

E. विकास बैंक :

- विकास बैंक, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरे, वर्तमान में वैश्विक वित्तीय बाजारों में सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में से हैं।
- उनका प्रमुलक्ष्य वित्त, विशेषज्ञता और व्यावसायिक कौशल जैसे आवश्यक विकास घटक प्रदान करके औद्योगीकरण की गति को तेज करना है।
- परिणामस्वरूप, एक विकास बैंक एक मिश्रित इकाई है जो एक वित्त कंपनी और एक विकास निगम के लक्ष्यों को जोड़ती है।
- विकास बैंक, जिन्हें अक्सर वित्तीय संस्थानों के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- वित्तीय सहायता कई रूपों में दी जाती है, जैसे सावधि ऋण देना, शेयरों और डिबेंचरों की सदस्यता लेना, पूंजीगत मुद्दों की हामीदारी करना, सावधि ऋणों की गारंटी देना, आयातकों द्वारा आस्थगित भुगतानों की गारंटी देना, इत्यादि।

भारत के प्रमुविकास बैंक:

- भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)
- राज्य वित्तीय निगम
- राज्य औद्योगिक विकास निगम
- भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI)

F. पेंशन फंड:

- पेंशन फंड और विभिन्न प्रकार की सेवानिवृत्ति योजनाएं हैं ये हाल ही में महत्वपूर्ण निवेशकों और मार्केट प्लेयर के रूप में उभरी हैं।
- ये बड़े निवेश योग्य फंड हैं जो एक निश्चित फंड या रणनीति की जरूरतों के आधार पर निवेश आउटलेट के सावधानीपूर्वक चयन की मांग करते हैं।
- बीसवीं शताब्दी के दूसरे भाग में औद्योगिक देशों में निजी पेंशन योजनाएं या कॉर्पोरेट पेंशन फंड पूंजी बाजार का एक महत्वपूर्ण घटक बन गए।
- एक पेंशन योजना पेंशन धारकों को हर महीने एक निश्चित मुद्रा में एक निश्चित राशि प्रदान करती है, जिसकी गणना अक्सर उस कंपनी में बिताए गए वर्षों की संख्या के गुणक के रूप में की जाती है।

G. वित्त कंपनियाँ:

- इन फर्मों द्वारा लोगों का पैसा बैंकों और अन्य कॉर्पोरेट इकाइयों से शेयरों, डिबेंचर, सावधि जमा और अल्पकालिक ऋणों के माध्यम से एकत्र किया जाता है।
- कुछ परिस्थितियों में यह देखा गया है कि वे अत्यधिक उच्च ब्याज दर पर धन जुटाते हैं। नतीजतन, इन संगठनों की देयता और पूंजी संरचना अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से काफी भिन्न होती है।
- उनके पास पर्याप्त मात्रा में इक्विटी पूंजी है।
- वे पैसे और पूंजी बाजार दोनों में उधार लेते हैं, इसलिए दोनों बाजारों और लंबी अवधि और अल्पकालिक ब्याज दरों के बीच के अंतर को पाटते हैं। दुर्भाग्य से, इन संगठनों के प्रदर्शन को हाल ही में भारत में असंतोषजनक पाया गया हैद्य

मुद्रा बाजार (मनीमार्केट) और पूँजी बाजार (केपिटल मार्किट)

मनी मार्केट और केपिटल मार्केट		
अंतर के विन्दु	मनी मार्केट	केपिटल मार्केट
परिभाषा	मुद्रा बाजार अर्थव्यवस्था का एक घटक है जो अल्पकालिक धन प्रदान करता है।	एक प्रकार का वित्तीय बाजार जहां कंपनी या सरकारी प्रतिभूतियाँ सृजित की जाती हैं और पूंजी के साथ मेल खाने के लिए दीर्घकालिक वित्त स्थापित करने के लिए संरक्षण दिया जाता है, उसे पूंजी बाजार कहा जाता है।
अवधि	अल्पावधि निधियों में सौदे।	लंबी अवधि की निधियां

जोखिम शामिल	मुद्रा बाजारों में कम जोखिम होता है।	मुद्रा बाजार की तुलना में अधिक जोखिम भरा।
निपटाए गए उपकरण	निधि विधेयक, वाणिज्यिकपत्र, विनिमय के विधेयक, जमा प्रमाणपत्र आदि जैसी प्रतिभूतियों में सौदे।	प्रतिभूतियों जैसे-शेयर, ऋणपत्र ,बांड औरसरकारी सुरक्षाओं में सौदेद्य
प्रतिभागियों के नाम	वाणिज्यिक बैंक, NBFC] चिट फंड आदि।	स्टॉक दलाल बीमाकर्ता, म्यूचुअल फंड्स व्यक्तिगत निवेशक, वित्तीय संस्थाएँ
नियामक संस्था	RBI	SEBI
किए गए कार्य	अर्थव्यवस्था में निधियों की तरलता में वृद्धि	बचत में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को स्थिर करना

पूंजी बाजार के प्रकार

1. प्राथमिक बाजार

- प्राथमिक बाजार वह है जहां शेयर, ऋणपत्र और अन्य प्रतिभूतियों को प्रथम बार लंबी अवधि की पूंजी जुटाने के लिए पेश किया जाता है।
- यह बाजार नई चिंताओं से भरा हुआ होताहै; परिणामस्वरूप, मुख्य बाजार को स्वच्छ निर्गम बाजार के रूप में भी जाना जाता है।
- क्योंकि इस बाजार में धन का प्रवाह बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं (उद्योगों) की ओर होता है, यह सीधे देश के पूंजी निर्माण में योगदान देता है।
- इस बाजार से प्राप्त धन का उपयोग अक्सर व्यवसायों द्वारा संयंत्रों, मशीनरी और संरचनाओं को बढ़ाने, संचालन का विस्तार करने और नई व्यावसायिक इकाइयों के निर्माण के लिए किया जाता है।

प्राथमिक बाजार की विशेषताएं:

- ''आईपीओ'' शब्द का अर्थ तब होता है जब कोई व्यावसायिक संस्था नए शेयर या ऋणपत्र पेश करती हैद्य
- प्राथमिक बाजार कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, अपितु यह नई प्रतिभूतियों को जारी करने की एक प्रक्रिया हैद्य
- इसमें कई चल पूँजी विधियाँ शामिल हैं।

चल पूँजी के तरीके

- **lkoZtfud eqís%** निगम एक सूचीपत्र जारी करता है, और आम जनता को इस रणनीति का उपयोग करके शेयर या ऋणपत्र हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- बिक्री के लिए प्रस्ताव:इस प्रक्रिया में, नई प्रतिभूतियाँ मूल रूप से एक मध्यस्थ (स्टॉक दलालों की सामान्य कंपनियाँ) को पूर्व निर्धारित मूल्य पर बेची जाती हैं।
- फिर वे इसे व्यापक आबादी को बेचते हैं।
- इस रणनीति का लाभ यह है कि इसे जारी करने वाली व्यावसायिक संस्था द्वारा इसे सार्वजनिक निर्गम बनाने में समय लगने वाले कार्य से मुक्त हो जाती है।
- **निजी स्थापन:** प्रतिभूतियों को,आम जनता को बेचने के बजाय, निगम उन्हें संस्थागत निवेशकों या दलालों को बेचता है। फिर वे इन परिसंपत्तियों को चुने हुए ग्राहकों को उच्च कीमत पर बेचते हैं। यह रणनीति इसलिए सुझाई गई है क्योंकि, यह सार्वजनिक समस्या की तुलना में चंदा इकट्ठा करने का एक कम खर्चीला तरीका है।
- **सही मुद्दा:** जिन कंपनियों ने पहले अपने शेयर जारी किए हैं वे इस रणनीति को अपनाते हैं। जब एक स्थापित व्यावसायिक संस्था नए शेयर जारी करती है, तो वह पहले अपने मौजूदा शेयरधारकों को भाग लेने के लिए कहती है। इसे सही समस्या के रूप में जाना जाता है। इस उदाहरण में, शेयरधारक के पास स्वयं के लिए प्रस्ताव स्वीकार करने या किसी अन्य व्यक्ति को अपने कुछ या सभी हितों को निर्दिष्ट करने का विकल्प होता हैद्य
- **इलेक्ट्रॉनिक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (e-IPOs):** कंपनियाँ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (यानी इंटरनेट) के माध्यम से प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करती हैं। इस माध्यम से प्रतिभूतियों को जारी करने वाली संस्था और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक अनुबंध किया जाता है।

प्राथमिक बाजार के लाभ:

- मूल्य में हेरफेर कम गंभीर क्योंकि, प्राथमिक बाजार निवेश को सुरक्षित बनाता है।
- बाजार को समयबद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि निवेशकों को समान मूल्यों पर शेयर प्राप्त होते हैंद्य
- यह सुरक्षित है क्योंकि प्राथमिक अनुसंधान डेटा सीधे अनुसंधान संस्थान द्वारा एकत्र किया जाताहै।
- धन, निगम द्वारा प्राप्त किया जाता है, और निवेशकों को नए सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं।

प्राथमिक बाजार अनुप्रयोग:

- मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति
- नई जारी की गई प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण

- संचार/विपणन के मुद्दे
- क्रेडिट जोखिम की जानकारी
- मुद्दों को सार्वजनिक करना
- धन संग्रह
- सदस्यता की आवश्यकताएँ
- स्टॉक एक्सचेंज पर प्च्ब
- प्रतिभूतियों का डीमैट/भौतिक पद्धति में आवंटन

2. द्वितीयक बाजार

- द्वितीयक बाजार, पूर्व में जारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का बाजार है।
- द्वितीयक बाजार के लेन-देन अक्सर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए जाते हैं। द्वितीयक बाजार का प्राथमिक लक्ष्य परिसंपत्ति में तरलता प्रदान करना है।

द्वितीयक बाजार की विशेषताएं

- यह तरलता उत्पन्न करता है।
- प्राथमिक बाजार के बाद इसका एक विशिष्ट स्थान है।
- यह नए निवेश को प्रोत्साहित करता है।

द्वितीयक बाजार के लाभ

- यदि निवेशक की आर्थिक स्थिति बदलती है तो वे अपनी कुछ परिसंपत्तियों की भरपाई कर सकते हैं।
- ऐसे मामलों में निवेशक, लंबी अवधि के निवेश न करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- लंबे समय तक निवेश करके, एक निवेशक बहुत पैसा कमा सकता है।

द्वितीयक बाजार अनुप्रयोग

- प्रतिभूति व्यापार
- जोखिम प्रशासन
- व्यापार समाशोधन और व्यवस्थापन
- प्रतिभूति एवं मुद्रा वितरण
- प्राथमिक बनाम द्वितीयक बाजार

प्राथमिक बनाम द्वितीयक बाजार

अंतरकेबिंदु	प्राथमिक बाजार	द्वितीयक बाजार
कारोबार	नई कंपनियों या आने वाली अन्य कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री।	केवल मौजूदा शेयरों का कारोबार किया जा सकता है।
बिचौलिए	कंपनी सीधे निवेशक (या एक मध्यस्थ के माध्यम से) को प्रतिभूतियाँ बेचती है।	निवेशक, मौजूदा प्रतिभूतियों के स्वामित्व का आदान-प्रदान करते हैंद्य कंपनी इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं है।
निधियों का प्रवाह	धन का प्रवाह बचत से लेकर निवेशकों तक होता है।	शेयर नकदीकरण (तरलता) को बढ़ाएँ, जिसका अर्थ है कि द्वितीयक बाजार सीधे पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है।
खरीद/बिक्री	प्राथमिक बाजार, प्रतिभूतियों की खरीद की अनुमति तो देता है लेकिन प्रतिभूतियों की बिक्री की अनुमति नहीं देता है।	भण्डारविनिमय में यह प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने दोनों की अनुमति देता है।
कीमतों कानिर्धारण	यह कंपनी के प्रबंधन द्वारा तय किया गया था।	कीमतें, सुरक्षा की मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती हैं।
स्थान	इसका कोई निश्चित भौगोलिक स्थान नहीं है।	विशिष्ट स्थानों पर स्थित है।

पूंजी बाजार के उपकरण

निवेशकों द्वारा की गई बचत अक्सर विभिन्न प्रकार के जटिल वित्तीय उत्पादों के माध्यम से जुटाई जाती है, जिन्हें पूंजी बाजार के साधनों के रूप में जाना जाता है, जैसे कि शेयर, ऋणपत्र, बॉन्ड, या किसी भी निगम द्वारा जारी इसी तरह की अन्य विपणन योग्य परिसंपत्तियाँ तथा अन्य।

शेयर	• एक कंपनी की पूंजी, अविभाज्य टुकड़ों की एक परिभाषित संख्या में विभाजित होती है। इन्हें शेयर कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार, शेयरों की शेयर पूंजी द्वारा सीमित कंपनी दो प्रकार की हो सकती है: 1. सामान्य शेयर पूंजी 2. वरीयता शेयर पूंजी। • निगमित स्टॉक उपकरणों का लक्ष्य कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना है।

सामान्य शेयर	• इस स्टॉक के धारकों के पास उनके सामान्य स्वामित्व के कारण कॉर्पोरेट मामलों पर मतदान का अधिकार है। • हालांकि, अगर व्यावसायिक संस्था को नुकसान होता है और वह अगर दिवालिया हो जाता है, तो सामान्य स्टॉक के धारक अपना पैसा लेनदारों, बॉन्डहोल्डर्स और विशेष अधिकार प्राप्त स्टॉकहोल्डर्स से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
वरीयता शेयर	• वरीयता शेयर, एक व्यावसायिक संस्था द्वारा जारी किए गए शेयर का एक रूप है जो इक्विटी मालिकों को लाभांश के विपरीतपूर्व निर्धारित भुगतान प्रदान करता हैद्यजो प्राप्त लाभ के आधार पर लाभांश प्राप्त करते हैं। • हालांकि पसंदीदा स्टॉक उच्च लाभांश का भुगतान करता है, लेकिन व्यावसायिक मामलों में उसके पास मतदान शक्ति नहीं होती है। • कंपनी के पतन की स्थिति में, वरीयता शेयरधारकों को अपने शेयरों को भुनाने का अधिकार सामान्य शेयरधारकों से पहले है।
स्वेट इक्विटी के शेयर	• स्वेट इक्विटी शेयर, एक व्यावसायिक संस्था द्वारा अपने कर्मचारियों या निदेशकों को कंपनी को जानकारी या तुलनीय मूल्य प्रदान करने के बदले में एक छूट की तरह दिए जाते हैं। • स्वेट इक्विटी एक प्रकार का पारिश्रमिक है जो किसी कंपनी द्वारा अपने मालिकों और कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। यह एक परियोजना के लिए भागीदार द्वारा दी गई श्रम प्रतिबद्धता की स्वीकृति है, जबकि वित्तीय समानता एक पूंजी इनपुट है।

ऋण साधन:

- ऋण साधन, का उपयोग व्यवसायों या सरकारों द्वारा पूंजी-गहन परियोजनाओं के वित्तपोषण जुटाने के लिए किया जाता है जो मुख्य या द्वितीयक बाजार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के साधन स्वामित्व के तहत एक उधारकर्ता-लेनदार का होता है और इसलिए यह उधारकर्ता का कंपनी में स्वामित्व नही होता है।
- यह अनुबंध एक निर्धारित समय के लिए है, और ब्याज का भुगतान नियमित अंतराल पर किया जाता है।
- बांड, ऋणपत्र, और सरकारी प्रतिभूतियाँ (ळै-मबे) सभी ऋण साधनों के उदाहरण हैं।

ऋणपत्र

- ऋणपत्र, एक दीर्घकालिक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग सरकारों और प्रमुनिगमों द्वारा पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है।
- यह एक ऋण समझौता प्रमाणपत्र है, जिस पर कंपनी की मुहर लगी होती है और यह गारंटी देता है कि ऋणपत्र धारक को ऋणपत्र के परिपक्व होने पर एक निर्दिष्ट धन की वापसी और मूल राशि प्राप्त होगी।
- समान पूंजी के विपरीत, जिसमें परिवर्तनशील आय वाले ऋणपत्र होते हैं, की निश्चित आय होती है लेकिन मताअधिकार नहीं होता।
- डिबेंचर अक्सर धारक द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं।

बांड

- यह निगमों और सरकारों द्वारा जारी किए गए ऋण साधन हैं। बांड ज्यादातर सरकारों और निगमों द्वारा जारी किए जाते हैं उदाहरण- संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रेजरी बांड, यूनाइटेड किंगडम में गिल्ट आदि।
- एक निवेशक जो एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर एक ऋण बांडखरीदता है, निवेशक इस अवधि के दौरान अर्ध-वार्षिक या वार्षिक ब्याजभुगतान प्राप्त करते हैं।
- क्योंकि संविदात्मक ब्याज भुगतान उधारकर्ताओं को दिया जाना चाहिए, बॉन्ड जारी करने से बॉन्ड जारीकर्ता का ऋण भार बढ़ जाता है।

बांड निम्न प्रकार के हो सकते हैं:

- सरकारी बांड
- नगरनिगम के बांड
- संस्थान बांड
- कॉर्पोरेट बांड

बॉन्ड पर प्रतिफल:

- ब्याज प्रतिफल (या चल रहा प्रतिफल): बांड पर प्रतिफल की गणना केवल कूपन भुगतानों पर की जाती है।।
- परिपक्वता प्रतिफल (या प्रतिदान प्रतिफल): कूपन नकद प्रवाह और पूंजीगत लाभ या हानि पर नुकसान घटाने के बाद बॉन्ड पर वापसी।

ग्रीन बॉन्ड:

- ग्रीन बांड, नवीकरणीय ऊर्जा, उत्सर्जन में कमी आदि जैसी 'हरित' पहलों का समर्थन करनेके लिए धन का सृजन करते हैं।
- विश्व बैंक ने 2007 में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था।
- 2007 में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक) ने पहला हरित बांड जारी किया।
- यस बैंक ने 2007 में भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था।
- EXIM बैंक ने 2015 में भारत का पहला +500 मिलियन डॉलर मूल्य का ग्रीन बांड जारी किया।
- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरण ीय ऊर्जा के वित्तपोषण के लिए हरित बांड जारी किए हैं।
- **ब्लू बांड:** यह एक प्रकार का हरित बांड है जो, मुख्य रूप से जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में निवेश करता है।

मसाला बांड:

- मसाला बांड, भारतीय व्यावसायिक संस्थाओ द्वारा पूंजी जुटाने के लिए वैश्विक बाजार में जारी किए गए रुपये-मूल्यवर्ग के बांड हैं।
- मसाला बांडों को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), विश्व बैंक की एक निवेश शाखा के नाम पर रखा गया था, जिसने उन्हें भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जारी किया था।
- बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) के विपरीत है, जिसे डॉलर में लिया और चुकाया जाता है द्य ये निवेशकों को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से बचाते हैं।

डेरिवेटिव/व्युत्पन्न साधन:

- वह जिसका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य से प्राप्त होता है, जिसमें वस्तुएं, कीमती धातुएं, मुद्राएं, बांड, स्टॉक, स्टॉक सूची आदि शामिल हो सकते हैं।
- भावी सौदे, भविष्य के लिए विकल्प, आगे बढ़ने की दिशा और विनिमय,ये चार सबसे प्रचलित प्रकार के डेरिवेटिव उत्पाद हैंद्य
- इन प्रतिभूतियों का लक्ष्य उत्पादकों और निर्माताओं को जोखिमों से बचाव की क्षमता प्रदान करना है।
- व्युत्पन्न का उपयोग करते हुए, दोनों पक्ष बाद की तारीमें एक निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए सहमत होते हैं।
- व्युत्पन्न बाजार को निम्नानुसार दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:
- **विनिमय-व्यापार व्युत्पन्नद्य**
- **बिना पर्ची का व्युत्पन्न।**
- ऋणपत्र की तुलना में बांड अधिक सुरक्षित होते हैं। बांड पर, एक गारंटीकृत ब्याज दर का भुगतान किया जाता है जो कंपनी के लाभ की परवाह किए बिना मूल्य में परिवर्तन नहीं करता है।
- बांड की तुलना में ऋणपत्र कम सुरक्षित होते हैं। ऋण के लिए सुरक्षा व्यावसायिक संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, परिसमापन की स्थिति में, बॉन्डधारकों को पहले भुगतान किया जाएगा, उसके बाद डिबेंचर धारक को भुगतान किया जाता है।
- दिवालिएपन की स्थिति में ऋणपत्र धारकों के पास निगम के विरुद्ध कोई संपार्श्विक नहीं होता है। कंपनियाँ बांडधारकों की तुलना में ऋणपत्र धारकों को अधिक ब्याज दरों का भुगतान करके इसकी भरपाई करती हैं।
- **अंकित मूल्य:** वह राशि जो किसी निवेशक को सुरक्षा की परिपक्वता तिथि पर भुगतान की जाएगी। ऋण प्रतिभूतियों को विभिन्न अंकित मूल्यों के साथ जारी किया जा सकता है, लेकिन भारत में, उन्हें आमतौर पर 100 के अंकित मूल्य के साथ जारी किया जाता है।
  - चुकौती राशि को अंकित मूल्य के रूप में भी जाना जाता है।
  - इस राशि को निवारक मूल्य, मूलधन मूल्य (या सिर्फ मूलधन), परिपक्वता मूल्य, या सममूल्य के रूप में भी जाना जाता है।
- **कूपन दर:** कूपन दर, वह ब्याज दर है जिस पर बांड जारी किया जाता है और कंपनी को निवेशक को भुगतान करना होता है।बॉण्ड की कीमत कूपन दर से संबंधित होती है।
- **कार्यकाल:** जिस अवधि के बाद बांड परिपक्व होते हैं उसे कार्यकाल कहा जाता है।ये जारीकर्ताओं और निवेशकों के बीच ऋण समझौते हैं।एक निवेशक या लेनदार के लिए एक जारीकर्ता के वित्तीय और कानूनी दायित्व केवल अवधि के अंत तक मान्य होते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. 'वाणिज्यिक पत्र' एक अल्पकालिक असुरक्षित वचन पत्र है।
2. 'सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया एक दीर्घावधि साधन है।

3. 'कॉल मनी' एक अल्पावधि वित्त है जिसका उपयोग अंतर-बैंक लेनदेन के लिए किया जाता है।
4. 'जीरो-कूपन बांड' अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निगमों को जारी किए गए ब्याज-युक्त अल्पावधि बांड हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1 और 2
(*b*) केवल 4
(*c*) केवल 1 और 3
(*d*) केवल 2, 3 और 4

ऋण और इक्विटी के बीच अंतर

ऋण और इक्विटी के बीच अंतर		
तुलना का आधार	ऋण	इक्विटी
परिभाषा	कंपनी द्वारा किसी अन्य पार्टी के लिए बकाया मुद्रा कोष को ऋण के रूप में जाना जाता है।	कंपनी द्वारा शेयर जारी करके जुटाए गए फंड को इक्विटी के रूप में जाना जाता है।
जारीकर्ता	SEBI के साथ पंजीकृत कंपनियाँ	कंपनियाँ, सरकारें
स्थिति	कर्तव्य	स्वामित्व
जोखिम	न्यून	उच्च
वापसी की प्रकृति	निश्चित और नियमित	चर और अनियमित
अदायगी	कर्ज देने वाले को मूल राशि के साथ ब्याज आय भी मिलती है।	शेयरधारकों को उनके शेयरों पर लाभांश/मुनाफा मिलता है।
नियामक	SEBI	RBI और SEBI निगमित बॉन्ड के मामले में

वायदा अनुबंध की तुलना में भविष्य अनुबंध

तुलना का आधार	वायदा अनुबंध	भविष्य अनुबंध
परिभाषा	यह दो पक्षों के बीच भविष्य की तारीपर एक निर्दिष्ट मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए एक अनुबंध है।	यह भविष्य में एक निर्दिष्ट समय पर किसी विशेष वस्तु परिसंपत्ति या सुरक्षा को पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदने या बेचने का एक कानूनी समझौता है।
विनियमन	स्वयं विनियमित	स्टॉक विनिमय द्वारा
संपार्श्विक	आवश्यक नहीं	प्रारंभिक लाभ आवश्यक है।
चूक	क्योकि वे निजी समझौते हैं, अत: इसमें चूक की संभावना अपेक्षाकृत अधिक है।	ऐसी कोई संभावना नहीं है।
कारोबार	ओवर काउंटर यानी कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं है।	संगठित स्टॉक विनिमय।
अनुकूलन	यह एक जरुरत के मुताबिक बना अनुबंध है।	यह एक मानकीकृत अनुबंध है।
निपटान	परिपक्वता तिथि पर।	प्रतिदिन।
परिपक्वता	अनुबंध की शर्तों के अनुसार।	पूर्व निर्धारित तिथि
अनुबंध का आकार	अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है।	निर्धारित
जोखिम	उच्च	निम्न

एंजेल इन्वेस्टर्स और वेंचर केपिटलिस्ट

एंजेल इन्वेस्टर्स वेंचर केपिटलिस्ट		
ऑपरेटर	एक एंजेल निवेशक स्वतंत्र रूप से काम करता है।	एक वेंचर केपिटलिस्ट एक कंपनी या एक फर्म है।
समर्थन प्रकार	एंजेल निवेशक मुख्य रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।	वेंचर केपिटलिस्ट एक मजबूत, प्रतिस्पर्धी उत्पाद या सेवा और व्यापक बाजार क्षमता चाहता है।
विशेषज्ञता	एंजेल निवेशक प्रारंभिक चरण की कंपनियों में विशेषज्ञ होते हैं।	उद्यम पूंजीपति, उद्यम पूंजी व्यवसाय के आधार पर, प्रारंभिक चरण की फर्मों और अधिक परिपक्व व्यवसायों में भाग लेते हैं।
नियंत्रण	एंजेल इन्वेस्टर्स का संस्थान पर बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं है।	उद्यम पूंजीपतियों का फर्म और संस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव है।

राज्य विकास ऋण (एसडीएल)

- भारत में राज्य सरकारें, व्यक्तियों की तरह, अपने वित्त का प्रबंधन करती हैं।
- इन बजटों में, राज्य व्यय कभी-कभी प्राप्तियों से अधिक हो सकता है। इससे राजकोषीय घाटा होता है। एसडीएल बजटीय घाटे को वित्तपोषित- करने में मदद करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए बांड हैं।
- प्रत्येक राज्य एक निश्चित राशि तक उधार ले सकता है। एसडीएल अर्ध-वार्षिक अंतराल पर ब्याज का भुगतान करते हैं और परिपक्वता पर मूल राशि लौटाते हैं। आमतौर पर, वे मुख्यत: 10 साल के लिए वैध होते हैं।
- ये एसडीएल आरबीआई द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। आरबीआई यह भी सुनिश्चित करता है कि ब्याज और मूल भुगतान की निगरानी के द्वारा एसडीएल की सेवा की जाती है।
- हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आरबीआई एसडीएल की गारंटी देता है। एसडीएल, सरकारी बांड बाजार की तरह, ऑनलाइन कारोबार किया जाता है।
- बैंक, म्युचुअल फंड, बीमा फर्म, भविष्य निधि, और अन्य प्रतिभागियों में शामिल हैं।

राज्य विकास ऋण के लाभ

- **कम जोखिम:** एएए कॉर्पोरेट बॉन्ड की तुलना में सॉवरेन गारंटी के साथ इनमें कम जोखिम होता है।[1]क्स सिक्योरिटीज को कॉरपोरेट बॉन्ड या मोबिलाइजेशन लोन के लिए बेहतर माना जाता है। राज्यों को संघीय सरकार के आवंटन से एसडीएल पुनर्भुगतान करने का अधिकार आरबीआई के पास है। आरबीआई राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा उधार लेने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देनदारियों को कवर करने के लिए एक कोष रखता है।
- **अधिक प्राप्ति/यील्ड की संभावना:** इन पेपर्स की यील्ड केंद्र सरकार के बेंचमार्क यील्ड से ज्यादा हो सकती है। वे सरकारी बॉन्ड दरों की तुलना में अधिक उपज की पेशकश कर सकते हैं। नीलामियों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वे केंद्र सरकार द्वारा जारी बांड के लिए होती हैं।

भारत में वर्तमान स्थिति

- 22 सितंबर को ग्यारह राज्यों ने कुल रु. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या राज्य विकास ऋण (एसडीएल) की नीलामी के माध्यम से 14,298 करोड़।
- चालू वित्त वर्ष के 7 अप्रैल से 22 सितंबर तक, 27 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने बाजार उधारी के माध्यम से कुल 3.26 लाकरोड़ रुपये जुटाए, जो पिछले वित्त वर्ष में उधारी से 45% अधिक है।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF)

- यह एक जमा निवेश परिसंपत्ति है जो म्यूचुअल फंड के समान कार्य करती है।
- ईटीएफ अक्सर एक विशिष्ट इंडेक्स, सेक्टर, कमोडिटी या अन्य परिसंपत्ति को ट्रैक करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के विपरीत, ईटीएफ को स्टॉक मार्केट में उसी तरह से खरीदा और बेचा जा सकता है जैसे एक पारंपरिक स्टॉक को। इसे एक वस्तु की कीमत से लेकर वस्तुओं के विशाल और विविध समूह तक कुछ भी ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है जिसे कुछ निवेश रणनीतियों का पालन करने के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है।
- एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) परिसंपत्ति का एक संग्रह है जो शेयर बाजार में स्टॉक की तरह ही ट्रेड करता है।
- इसके शेयर की कीमतों में पूरे दिन उतार-चढ़ाव होता रहता है जब ETF खरीदा और बेचा जाता है, म्युचुअल फंड के विपरीत, जो बाजार बंद होने के बाद दिन में केवल एक बार व्यापार करता है।

- ETF में कई तरह के निवेश हो सकते हैं, जैसे स्टॉक, कमोडिटी या बॉन्ड; कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका तक सीमित हैं, जबकि अन्य वैश्विक हैं।
- ETF वाहन का एक रूप है जो एक स्टॉक की तरह केवल एक के विपरीत कई अंतर्निहित परिसंपत्तियों का मालिक होता है। क्योंकि ईटीएफ में कई परिसंपत्तियाँ होती हैं, यह विविधीकरण के लिए एक लोकप्रिय विकल्प हो सकता है। ईटीएफ इस प्रकार विभिन्न प्रकार के निवेश कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी, कमोडिटीज, बांड, या निवेश प्रकारों का मिश्रण।
- एक ईटीएफ कई उद्योगों में सैकड़ों या हजारों इक्विटी का मालिक हो सकता है, या यह एक उद्योग या क्षेत्र तक सीमित हो सकता है।
- ईटीएफ एक विपणन योग्य निवेश है, जिसका अर्थ है कि इसकी शेयर कीमत इसे पूरे दिन एक्सचेंजों पर खरीदने और बेचने की अनुमति देती है, और इसे कम बेचा जा सकता है।

ईटीएफ के प्रकार

- **निष्क्रिय और सक्रिय ईटीएफ**
  - एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को या तो निष्क्रिय या सक्रिय रूप से प्रबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - निष्क्रिय ETF एक व्यापक सूचकांक के प्रदर्शन की नकल करना चाहते हैं, जैसे कि S–amp; पी 500, या अधिक विशिष्ट केंद्रित क्षेत्र या प्रवृत्ति।
  - सक्रिय रूप से प्रबंधित ईटीएफ आमतौर पर शेयरों के एक सूचकांक को ट्रैक नहीं करते हैं, बल्कि यह तय करने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधकों पर भरोसा करते हैं कि पोर्टफोलियो में कौन सी परिसंपत्ति शामिल की जाए।
- **बॉन्ड ईटीएफ**
  - बॉन्ड ईटीएफ का उपयोग निवेशकों को लगातार आय देने के लिए किया जाता है।
  - बांड आय वितरण अंतर्निहित बांड के प्रदर्शन से प्रभावित होता है।
  - सरकार, कॉर्पोरेट, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा बांड, जिन्हें नगरपालिका बांड के रूप में जाना जाता है, सभी को शामिल किया जा सकता है।
- **स्टॉक ईटीएफ**
  - यह ETF है जिसमें एकल उद्योग या क्षेत्र को ट्रैक करने के लिए स्टॉक की एक टोकरी शामिल है।
- **उद्योग/सेक्टर ईटीएफ:**
  - उद्योग या सेक्टर ईटीएफ ऐसे फंड हैं जो एक निश्चित उद्योग या क्षेत्र में निवेश करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, ऊर्जा उद्योग से जुड़ी कंपनियों को ETF में शामिल किया जाएगा।
- **वस्तुओं के लिए ईटीएफ**
  - कमोडिटी ईटीएफ, जैसा कि नाम से पता चलता है, कच्चे तेल या सोने जैसी वस्तुओं में निवेश करते हैं।
  - कमोडिटी ईटीएफ विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं।
  - वे एक पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं, जिससे गिरावट के खिलाफ बचाव करना आसान हो जाता है।
- **मुद्रा ईटीएफ**
  - करेंसी ईटीएफ एक पूलित निवेश वाहन है जो करेंसी पेयरिंग के प्रदर्शन का पालन करता है, जिसमें स्थानीय और विदेशी दोनों मुद्राएं शामिल हैं। मुद्रा ईटीएफ कई कार्यों को पूरा करते हैं। उनका उपयोग देश के राजनीतिक और आर्थिक रुझानों के आधार पर मुद्रा मूल्यों पर अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार

- एक विदेशी ऋणदाता से एक भारतीय इकाई द्वारा प्राप्त ऋण बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के रूप में जाना जाता है।
- वे आमतौर पर भारत में भारतीय फर्मों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) द्वारा विदेशी धन तक पहुंच प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- इनमें से अधिकांश ऋण अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।
- एफडीआई और एफआईआई जैसे ईसीबी, सुधार के बाद की अवधि में विदेशी पूंजी के प्रमुरूपों के रूप में उभरे हैं।

भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार

- वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से, म्ब्ठ नियमों और विनियमों का पर्यवेक्षण और विनियमन करता है।
- अपने विकास दर्शन के हिस्से के रूप में, भारत ने परंपरागत रूप से पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित किया है। चीन के विपरीत, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र भारत के अधिकांश विदेशी ऋण का मालिक है।
- ईसीबी भारत के कॉर्पोरेट ऋण बाजार में सुधार के लिए एक प्रमुमार्ग के रूप में उभरा है।
- नकद प्राप्त करने के लिए ईसीबी का उपयोग करने का प्रमुकारण समय के साथ बदल गया है, हाल के वर्षों में पुनर्वित्त सबसे आम है।

- सरकार के पास एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई ईसीबी नीति है, जिसमें किसी दिए गए वर्ष में ईसीबी मार्ग के माध्यम से सभी भारतीय उद्यमों द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली ईसीबी की कुल मात्रा पर एक सीमा है।
- पैसे केसे खर्च किए जा सकते हैं, इसकी भी सीमाएं हैं। आरबीआई ने नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विंडो का विस्तार करके ईसीबी मानकों को उदार बनाया है।

साहू समिति, 2015

- 2013 में, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों तक पहुंच के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए साहू समिति का गठन किया गया था। समिति ने ईसीबी उपक्रम करने वाले भारतीय उद्यमों द्वारा उत्पन्न मुद्रा जोखिम का आकलन किया। कमिटी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विदेशी मुद्रा में उधार लेने वाले उपक्रमों को अपने एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर को हेज करने के लिए बाजार की विफलता की संभावना को कम कर सकता है।

भारत में प्रतिभूति बाजार

- प्रतिभूति बाजार वित्तीय बाजार प्रणाली में निवेशकों से व्यवसायों के लिए धन (इक्विटी और ऋण) के कुशल प्रवाह के लिए एक विनियमित ढांचे की पेशकश करते हैं।
- प्रतिभूति बाजार अनिवार्य रूप से निवेश के लिए धन आवंटित करने का एक माध्यम है।
- प्रतिभूति बाजार, किसी भी अन्य बाजार की तरह, खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है।
- मुख्य अंतर यह है कि प्रतिभूति बाजार, तरलता और मूल्य खोज प्रदान करने के अलावा, पूंजी निर्माण में भी योगदान देता है।

प्रतिभूतियों के लक्षण

- प्रतिभूतियां दो पक्षों के बीच पैसे के आदान-प्रदान की शर्तें हैं, इस सन्दर्भ में खरीदार और विक्रेता।
- उचित कीमत पर धन प्राप्त करने और निवेशकों को सुरक्षा स्वामित्व प्रदान करने के लिए उधारकर्ताओं/इक्विटी फंडर्स द्वारा प्रतिभूतियां जारी की जा सकती हैं।
- व्यवसाय अधिशेष वित्त वाले निवेशकों से धन प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए एक विनियमित अनुबंध और एक नियंत्रित और निगरानी प्रणाली का उपयोग करते हैं।
- प्रतिभूतियों को अनिवार्य रूप से या तो स्टॉक (जोखिम भागीदारी) या ऋण (जोखिम अवशोषण) (नकद प्रवाह पर दावा) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- ऋण प्रतिभूतियों के विपरीत, जो एक निर्धारित अवधि के लिए जारी की जाती हैं, इक्विटी प्रतिभूतियां स्थायी होती हैं। ऋण प्रतिभूतियां ब्याज प्रदान करती हैं और इक्विटी लाभांश का भुगतान करती है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है।
- प्रतिभूति बाजारों की संरचना:
- हालांकि वे बहुत निकट से जुड़े हुए हैं, प्रतिभूति बाजार को तीन प्राथमिक प्रभागों में विभाजित किया जा सकता है।
- प्राथमिक बाजार बाजार का वह क्षेत्र है जिसमें फर्मों द्वारा प्रतिभूतियों को या तो एक नए मुद्दे या बिक्री के प्रस्ताव के रूप में जारी किया जाता है।
- द्वितीयक बाजार वे हैं जहां इन प्रतिभूतियों का वास्तव में कारोबार होता है।
- डेरिवेटिव बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस का कारोबार होता है। शेयरों के विपरीत, जो स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, डेरिवेटिव केवल अनुबंध होते हैं जिनका उपयोग सुरक्षा के अंतर्निहित जोखिम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

प्रतिभूति बाजार के कार्य

- प्रतिभूति बाजार अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य और लचीलेपन के साथ-साथ निवेश के माहौल का एक बैरोमीटर है। प्रतिभूति बाजारों के कुछ प्राथमिक उद्देश्य यहां दिए गए हैं।
- वे वित्तीय पूंजी की प्रभावी तैनाती की अनुमति देते हैं। प्रतिभूति बाजार निवेशकों, बचतकर्ताओं और जारीकर्ताओं को एक साथ लाकर विस्तार करने के लिए पूंजी की आवश्यकता वाले व्यवसायों के लिए जोखिम स्वीकार करने के लिए तैयार व्यक्तियों से नकदी का निर्देशन करता है।
- प्रतिभूति बाजार लाखों छोटे निवेशकों की विविधीकृत जमाराशियों को दीर्घावधि धन वृद्धि में उपयोग करते हैं। नतीजतन, बचत का अच्छा उपयोग होता है, जिससे छोटे निवेशक आर्थिक विकास में भाग ले सकते हैं।
- प्रतिभूति बाजार स्टॉक और बॉन्ड को तरलता प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो अन्यथा अतरल होगा। एक तरल प्रतिभूति बाजार की उपस्थिति भी निवेशकों और जारीकर्ताओं को अधिक आत्मविश्वास से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- प्रतिभूति बाजार एक आवश्यक मूल्य खोज उपकरण हैं। इक्विटी मूल्य के लिए कहीं अधिक कठिन हैं, और प्रतिभूति बाजार किसी संपत्ति के सही मूल्य को निर्धारित करने के लिए विश्लेषकों, व्यापारियों, निवेशकों और मध्यस्थों की बुद्धिमत्ता को संयोजित करने का प्रबंधन करते हैं।

प्रतिभूति बाजार में प्रतिभागी

- ऐसे व्यक्ति या संस्थान जिनके पास अतिरिक्त नकदी है और जो प्रतिभूतियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निवेशक कहा जाता है। निवेशकों का लक्ष्य अपने संसाधनों को वित्तीय निवेश में बदलना है। ये निवेशक या तो खुदरा या संस्थागत हो सकते हैं।
- जारीकर्ता कंपनियां या संगठन हैं जो प्रतिभूतियों को बेचकर धन जुटाना चाहते हैं।
- वे कंपनी की छोटी और लंबी अवधि की पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियां जारी करते हैं। कंपनियां, सरकारें, वित्तीय संस्थान, पीएसयू, म्युचुअल फंड और प्रतिभूति जारी करने वाली अन्य संस्थाएं जारीकर्ता के उदाहरण हैं।
- प्रमुप्रतिभागियों, जारीकर्ताओं और निवेशकों के अलावा, विभिन्न प्रकार के मध्यस्थ हैं जो प्रतिभूति बाजार के उचित संचालन को सुनिश्चित करते हैं।

प्रतिभूति बाजार में प्रमुमध्यस्थ: 2008 में सेबी ने मध्यस्थों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया

- **एएमसी/पोर्टफोलियो प्रबंधक:** एक प्रतिभूति पोर्टफोलियो का प्रबंधन करें और धन पूल में सदस्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों को बेचें वे जोखिम विविधीकरण और धन सृजन में निवेशकों की सहायता करते हैं।
- **इन्वेस्टमेंट बैंकर:** इन्वेस्टमेंट बैंकर या लीड मैनेजर आईपीओ, राइट्स ऑफरिंग, कर्ज जुटाने, एफडी बढ़ाने, संस्थागत प्लेसमेंट, सिंडिकेशन और कॉर्पोरेट सलाह देने वाली सेवाओं की देखरेकरते हैं।
- **अंडरराइटर्स:** आईपीओ की बिक्री की गारंटी दें और बेचे गए शेयरों को वापस खरीदने के लिए सहमत होकर जारीकर्ताओं को आश्वासन प्रदान करें। इस सेवा के लिए, उन्हें हामीदारी शुल्क के साथ मुआवजा दिया जाता है।
- **ब्रोकर्स:** ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंजों के पंजीकृत व्यापारिक सदस्य होते हैं जो द्वितीयक बाजार लेनदेन करते हैं। वे आईपीओ का विज्ञापन भी करते हैं और ग्राहकों को उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- **समाशोधन सदस्य:** समाशोधन सदस्य स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर दैनिक आधार पर सौदों को समाशोधन और निपटाने के प्रभारी होते हैं।
- **डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स:** डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (DPs) डिपॉजिटरी (NSDL/COsQL) और निवेशकों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। वे निवेशकों के शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हैं।
- **ट्रस्टी:** जब लाभार्थी व्यक्तिगत रूप से यह देखने में असमर्थ होते हैं कि निवेश किए गए धन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है या नहीं, न्यासियों की नियुक्ति की जाती है। ट्रस्टी म्यूचुअल फंड और डिबेंचर की देखरेकरते हैं।

प्रतिभूति बाजार के लिए विनियामक ढांचा

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, प्राथमिक नियामक, ने विनियम (सेबी) लागू किए हैं। इसके अलावा, प्रतिभूति बाजार आरबीआई, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा शासित होते हैं। सेबी के अलावा, स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी भी प्रथम-स्तरीय प्रतिभूति बाजार विनियमन का संचालन करते हैं।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
- सेबी को वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के प्रावधान 30 जनवरी, 1992 को लागू हुए।
- सेबी प्राथमिक प्रतिभूति बाजार नियामक है, जिसके तीन प्राथमिक लक्ष्य हैं:
  - पूंजी बाजार के विस्तार को बढ़ावा देना
  - छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना
  - बाजार की अखंडता सुनिश्चित करना।

भारतीय रिजर्व बैंक

- प्रतिभूति बाजार का मुद्रा बाजार खंड आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- आरबीआई सरकारी ऋण के लिए निर्गम प्रबंधक है क्योंकि यह सरकार के उधार कार्यक्रम का प्रबंधन करता है।
- आरबीआई एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स को भी नियंत्रित करता है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय

- कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA) नियंत्रित करता है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र केसे संचालित होता है।
- इसमें कंपनी का गठन, संचालन, लेखा परीक्षा और नियंत्रण शामिल है।
- प्रतिभूति जारी करना भी 2013 के कंपनी अधिनियम की आवश्यकताओं द्वारा शासित होता है।

वित्त मंत्रालय

- वित्त मंत्रालय (MOF) का आर्थिक मामलों का विभाग बाजारों की निगरानी करता है।
- यह बड़े पैमाने पर पूंजी बाजार और उनके खिलाड़ियों को नियंत्रित करता है, साथ ही साथ सुधार संबंधी बहस

शुरू करता है और कई नियामक विधियों के निष्पादन की देखरेकरता है।

भारतीय प्रतिभूति बाजार में जारीकर्ता

- स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों और अन्य संगठनों को जारीकर्ता के रूप में जाना जाता है। स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी शेयरों, कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर के साथ-साथ सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक और ट्रेजरी बिल) में व्यापार की अनुमति देते हैं।

प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं के प्रकार:

- जी-सेक, ट्रेजरी बिल, दिनांकित प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋण (एसडीएल), और अन्य उपकरणों का उपयोग संघीय और राज्य सरकारों द्वारा वित्त जुटाने के लिए किया जाता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां (पीएसयू) शेयर, बांड, कर-मुक्त बांड, कर-मुक्त बांड आदि जारी करके धन उत्पन्न करती हैं।
- निजी क्षेत्र की कंपनियां स्टॉक या ऋण प्रतिभूतियां, वरीयता शेयर और सीपी और परिवर्तनीय उपकरण जारी करके बाजार में पूंजी जुटाती हैं।
- बैंक, डीएफआई और एनबीएफसी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट और सिक्योरिटाइज्ड पेपर जारी कर पूंजी जुटाते हैं।
- म्युचुअल फंड घरेलू बाजारों के साथ-साथ क्लोज-एंडेड फंड और इंटरवल फंड के माध्यम से यूनिट एनएफओ जारी करते हैं।
- रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूल के पोर्टफोलियो के खिलाफ आरईआईटी और आईएनवीआईटी द्वारा पास-थ्रू प्रतिभूतियां भी जारी की जाती हैं।

खुदरा प्रत्यक्ष योजना

- आरबीआई ने एक खुदरा प्रत्यक्ष योजना की घोषणा की है जिसके तहत खुदरा निवेशकों को सीधे केंद्रीय बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाते (आरडीजी) खोलने की अनुमति होगी।
- **उद्देश्य:** रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाताधारकों को आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के तहत प्रतिभूतियों को खरीदने/बेचने में सक्षम बनाने के लिए कीमतों/कोट्स प्रदान करके सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देना।
- एक विशिष्ट ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके आरडीजी योजनाओं के तहत खाते बनाए जा सकते हैं, जो पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को एनडीएस-ओएम और सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम तक पहुंच प्रदान करेगा।
- पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के पास एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल (NOsQ-OM) के माध्यम से निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सिस्टम और सरकारी प्रतिभूतियों के प्रमुनिर्गम तक पहुंच होगी।
- एनडीएस-ओएम द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए आरबीआई की स्क्रीन-आधारित इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली को संदर्भित करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. डीमैट खाते के माध्यम से खुदरा निवेशक प्राथमिक बाजार में 'ट्रेजरी बिल' और 'भारत सरकार के ऋण बांड' में निवेश कर सकते हैं।
2. 'निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग' भारतीय रिजर्व बैंक का एक सरकारी प्रतिभूति व्यापार मंच है।
3. 'सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड' को भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1
(*b*) 1 और 2
(*c*) केवल 3
(*d*) 2 और 3

भारत में स्टॉक एक्सचेंज

- 'स्टॉक एक्सचेंज' वह बाजार है जहां प्रतिभूतियों का आदान-प्रदान होता है। देश में अब 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं।
- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) भारत का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक मार्केट (NSE), देश भर में अपने व्यापक नेटवर्क के साथ, पिछले दशक के दौरान देश के प्रमुस्टॉक एक्सचेंज के रूप में उभरा है।
- 'ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया (आईसीईआई)' एक और नया राष्ट्रीय एक्सचेंज है।
- भारत में, स्टॉक एक्सचेंजों को या तो स्वैच्छिक गैर-लाभकारी संगठनों के रूप में या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में संगठित किया जाता है - शेयरों या गारंटी द्वारा सीमित।
- स्टॉक एक्सचेंज केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत होगा और 1956 के प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम (एससीआरए) के तहत काम करेगा।

- यह अधिनियम स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना, प्रबंधन, सदस्यता और संचालन की देखरेकरता है। इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंज अपने नियमों और उपनियमों के अपने सेट द्वारा नियंत्रित होता है।

स्टॉक एक्सचेंजों की भूमिका

- **औद्योगिक प्रगति को बढ़ावा देना:** देश के औद्योगीकरण के लिए पूंजी की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। यह स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, जो आम लोगों को फर्मों में सीधे निवेश करने की अनुमति देता है।
- **निवेशकों के हितों की रक्षा करना:** स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध व्यवसायों के संचालन के लिए मानदंड स्थापित करते हैं। गतिविधियों को वित्त पोषित करने वाले निवेशकों के हितों को संरक्षित करने के लिए फर्मों द्वारा इन मानकों को सावधानीपूर्वक बनाए रखा जाना चाहिए।
- द्वितीयक बाजार: स्टॉक एक्सचेंज बांड धारकों, जैसे सॉवरेन गोल्ड बांड (एसजीबी) को लॉक-इन अवधि या परिपक्वता तिथि से पहले अपनी होल्डिंग बेचने में सहायता करेंगे।
- **एक उचित मूल्य का निर्धारण:** स्टॉक एक्सचेंज सार्वजनिक रूप से व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियों के लिए उचित मूल्यों की खोज में सहायता करते हैं। प्रतिभूतियों का निरंतर व्यापार सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की कीमत निर्धारित करने में सहायता करता है।

स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम

- परंपरागत रूप से, स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों का लेन-देन स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग फ्लोर पर किया जाता है। इस पारंपरिक दृष्टिकोण को अधिकतर कम्प्यूटरीकृत ऑन-लाइन व्यापार प्रणाली के साथ बदल दिया गया है।

पारंपरिक व्यापार की प्रणाली

- केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में व्यापार स्टॉक एक्सचेंज पर अधिकृत है। वाक्यांश श्प्रतिभूतियों की सूचीश यह दर्शाता है कि प्रश्नगत सुरक्षा को उन प्रतिभूतियों की सूची में जोड़ा गया है जिनका स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जा सकता है।
- स्टॉक एक्सचेंज पर, केवल सूचीबद्ध शेयरों का ही आदान-प्रदान किया जा सकता है। नतीजतन, एक सार्वजनिक पेशकश करते समय, निगमों का कहना है कि संबंधित सुरक्षा को या तो सूचीबद्ध किया गया है या उस कारण से बनाया गया है।
- सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ दो प्रकार की होती हैं:
  1. **केश लिस्ट:** इसमें रेडी डिलीवरी शामिल है
  2. **फॉरवर्ड लिस्ट:** यह फॉरवर्ड ट्रेड की अनुमति देता है।

ऑन-लाइन ट्रेडिंग सिस्टम

- ऑनलाइन व्यापार प्रणाली के विकास के साथ, जिसने पिछली पद्धति को प्रतिस्थापित कर दिया है, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है।
- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑन-लाइन ट्रेडिंग के रूप में जानी जाने वाली इस तकनीक को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (ठव्ज्) द्वारा पेश किया गया था।
- ऑन-लाइन ट्रेडिंग सिस्टम के तहत ट्रेडिंग फ्लोर लेनदेन को समाप्त कर दिया गया है।

ट्रेडेड सिक्योरिटीज के लिए निपटान प्रक्रिया

- निपटान उद्देश्यों के लिए प्रतिभूतियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  i. **निर्दिष्ट प्रतिभूतियां**- वे सक्रिय रूप से प्रमुख, बढ़ते निगमों के शेयरों का कारोबार करती हैं। इस श्रेणी में केवल कुछ ही शेयर आते हैं, फिर भी वे भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पूंजीकरण की एक महत्वपूर्ण राशि के लिए खाते हैं।
  ii. **गैर-निर्दिष्ट प्रतिभूतियां:** वे प्रतिभूतियां हैं जो निर्दिष्ट नहीं हैं। निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में लेन-देन दो तरीकों से निपटाया जा सकता है:
- **केरी फॉरवर्ड प्रणाली:**
  - प्रत्येक निपटान अवधि के समापन पर लेन-देन को अंतिम रूप दिया जाता है, जो आम तौर पर दो सप्ताह होता है, शुक्रवार से शुरू होता है और अगले सप्ताह के गुरुवार को समाप्त होता है।
  - सदस्य निर्धारित करते हैं कि लेन-देन का समाधान हो गया है या शुक्रवार को निपटान अवधि के अंत में आगे बढ़ाया जाना है। लेन-देन को आगे ले जाने को श्बदलाश कहा जाता है।
  - 13 दिसंबर, 1993 को बदला सिस्टम, जिसे केरी फॉरवर्ड सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, को बंद कर दिया गया था।
  - SEBI ने अक्टूबर 1997 में एक संशोधित केरी फॉरवर्ड पद्धति लागू की।
  - **अंततः** 2 जुलाई, 2001 को सेबी ने श्बदलाश को अवैध घोषित कर दिया।

- **रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम**
  - सेबी ने डीमैट ट्रेडिंग के लिए योग्य प्रतिभूतियों के लिए जनवरी 1998 में स्वैच्छिक आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों पर एक रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम लागू किया।
  - सभी स्क्रिपों का कारोबार अब रोलिंग सेटलमेंट मोड में किया जाता है।
  - रोलिंग सेटलमेंट शुरू में T+5 आधार पर था, लेकिन 1 अप्रैल, 2002 से, सभी प्रतिभूतियों के लिए सेटलमेंट चक्र को घटाकर ज+3 आधार कर दिया गया है। यह इंगित करता है कि लेन-देन की तारीके बाद तीन दिनों के भीतर प्रतिभूतियों का भुगतान और वितरण पूरा किया जाना चाहिए।

सिक्योरिटीज डीमटेरियलाइजेशन (डी-एमएटी)

- डिमटेरियलाइजेशन का मतलब है कि प्रतिभूतियां अपने भौतिक रूप में मौजूद नहीं होती हैं, यानी शेयर प्रमाणपत्र के रूप में, लेकिन केवल एक डिपॉजिटरी नामक संगठन के रिकॉर्ड में दर्ज की जाती हैं।
- जब एक शेयरधारक अपने शेयरों को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, तो वह डिपॉजिटरी को सूचित करता है, जो लेनदेन को अपनी पुस्तकों में दर्ज करता है।
- इस प्रकार, भौतिक शेयर हस्तांतरण के विभिन्न नकारात्मक पहलुओं से बचते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी लाई जाती है और इसे निर्विवाद बनाया जाता है।
- जुलाई 1996 में अधिनियमित 1996 का डिपॉजिटरी एक्ट और सेबी (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम, 1996 के नोटिस ने बुक एंट्री फॉर्म में स्वामित्व तथ्यों को दर्ज करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया।
- यह निपटान जोखिम को कम करने और कुछ बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करने में सहायता करेगा।
- अभौतिकीकृत प्रतिभूतियाँ प्रतिमोच्य होंगी, जिसका अर्थ है कि उनकी कोई विशिष्ट संख्या या विशेष पहचानकर्ता नहीं होगा।
- नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की स्थापना सेबी (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम, 1996 की घोषणा के बाद की गई थी।
- एनएसडीएल, जिसे आईडीबीआई, यूटीआई और एनएसई द्व ारा समर्थित किया गया था, ने अक्टूबर 1996 में परिचालन शुरू किया।
- एनएसडीएल अत्याधुनिक तकनीक और सक्षम प्रबंधन का लाभ उठाता है और भारतीय पूंजी बाजार में दुनिया भर में प्रतिभूतियों से निपटने के मानदंडों और प्रथाओं को लाया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज

- **बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई):**
  - बॉम्बे स्टॉक मार्केट (बीएसई), जिसे अक्सर बीएसई लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जिसका मुख्यालय मुंबई में दलाल स्ट्रीट पर है।
  - यह एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है और दुनिया का दसवां सबसे पुराना बाजार है, जिसकी स्थापना 1875 में एक जैन उद्योगपति कपास व्यापारी प्रेमचंद रॉयचंद ने की थी।
  - बिमल जालान समिति के अध्ययन के अनुसार, अमेरिका में 27% और चीन में 10% की तुलना में भारत की आबादी का सिर्फ 1.3% शेयर बाजार में निवेश करता है।
  - 31 अगस्त, 1957 को प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा पंजीकृत बीएसई पहला स्टॉक एक्सचेंज था।
  - बीएसई ने 1986 में एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स बनाया, जिससे एक्सचेंज को इसके समग्र प्रदर्शन का आकलन करने का एक तरीका मिला।
  - 30 दिसंबर, 2016 को बीएसई ने इंडिया आईएनएक्स लॉन्च किया। आईएनएक्स देश का पहला अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज है।
- **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)**
- एनएसई भारत के सबसे बड़े और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है।
- 1991 में, फेरवानी समिति ने सुझाव द्वारा भारत एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (छैम्) बनाता है।
- भारत सरकार ने 1992 में इस एक्सचेंज को लॉन्च करने के लिए आईडीबीआई को मंजूरी दी थी। भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों द्व ारा की गई थी। बाद में इसे 1993 में स्टॉक एक्सचेंज के रूप में नामित किया गया। छैम् ने 1994 में परिचालन शुरू किया। यह मुंबई में स्थित है।
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों द्वारा की गई थी:
- भारत का औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)।
- भारत का औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)।
- भारत का औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (ICICI)।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)।
- भारत का सामान्य बीमा निगम (GIC)।

- एसबीआई केपिटल मार्केट्स।
- भारत की स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और वित्तीय सेवाएं
- द स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्रिसिल एनएसई इंडेक्स 50 या एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी - निफ्टी 50 या केवल निफ्टी प्रमुफर्मों के लिए भारत का प्रमुइंडेक्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। निफ्टी एक 50-स्टॉक इंडेक्स है जो अर्थव्यवस्था के 21 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है।
- सीएनएक्स निफ्टी जूनियर भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध फर्मों के लिए एक सूचकांक है। यह भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 50 फर्मों से बना है।

कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (सीएसई)

- CSE, जिसकी शुरुआत 1830 के दशक में नीम के पेड़ के नीचे हुई थी, तब से अब तक बहुत आगे बढ़ चुका है। यह देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है और पहले इसे सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक माना जाता था।
- भारत सरकार ने 1980 में प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की लागू धाराओं के तहत इसे स्थायी स्वीकृति प्रदान की।
- CSE का एक सूचकांक भी था जिसे CSE-40 के नाम से जाना जाता था।

मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसई)

- 21 दिसंबर, 2012 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम के तहत एक्सचेंज को "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" के रूप में नामित किया।
- MSE माल किसी भी अन्य स्टॉक मार्केट के समान है। यह वायदा, मुद्रा डेरिवेटिव और ऋण बाजार उत्पादों पर विकल्प प्रदान करता है।

इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (इंडिया आईएनएक्स)

- यह जनवरी 2017 में खुला और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज प्लग बन गया।
- यह ठैम् की सहायक कंपनी भी है और गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), GIFT सिटी में स्थित है।
- वर्तमान में, प्लग विशेष रूप से डेरिवेटिव उत्पाद जैसे स्टॉक, करेंसी और कमोडिटी डेरिवेटिव, साथ ही डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे मसाला बॉन्ड और विदेशी मुद्रा बॉन्ड प्रदान करता है।

एनएसई आईएफएससी

- NSE IFSC लिमिटेड (NSE International Exchange)] जिसकी स्थापना 29 नवंबर, 2016 को हुई थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), GIFT सिटी में है।
- उत्पाद की पेशकश भारत आईएनएक्स के बराबर है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

- सेबी भारत के पूंजी बाजारों को नियंत्रित करता है। सेबी 1988 में बनाया गया था और पूंजी बाजार को विनियमित करने और विकसित करने के लिए संसदीय अधिनियम, सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से 1992 में विधायी दर्जा दिया गया था।
- सेबी स्टॉक एक्सचेंजों और बिचौलियों जैसे स्टॉक ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंकरों को नियंत्रित करता है, म्युचुअल फंडों के लिए अनुमोदन प्रदान करता है, और उन विदेशी संस्थागत निवेशकों को पंजीकृत करता है जो भारतीय शेयरों में व्यापार करना चाहते हैं।
- सेबी अधिनियम की धारा 11(1) के अनुसार, प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना बोर्ड की जिम्मेदारी है।
- सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई में हैं।
- सेबी निवेशक शिक्षा और प्रतिभूति बाजार मध्यस्थों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करता है।
- यह प्रतिभूति बाजारों में कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार गतिविधियों के साथ-साथ प्रतिभूतियों में अंतर-व्यवहार को प्रतिबंधित करता है, और दोषी बाजार मध्यस्थों पर मौद्रिक दंड लगाता है।
- यह शेयरों के बड़े अधिग्रहण और फर्मों के अधिग्रहण के साथ-साथ प्रतिभूति बाजार में स्टॉक एक्सचेंजों, मध्यस्थों और स्व-नियामक निकायों से जानकारी का अनुरोध करने, निरीक्षण करने, पूछताछ करने और ऑडिट करने को भी नियंत्रित करता है।
- 2002 में सेबी की शक्तियों का विस्तार किया गया, जिसमें SEBS बोर्ड का विस्तार छह से नौ सदस्यों तक किया गया, और तीन पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किए गए, तलाशी और जब्ती करने की शक्तियों को मजबूत किया गया, और अन्य।

सेबी और सुधार:

- 1992 के स्टॉक एक्सचेंज घोटाले (हर्षद मेहता) और 2000 के घोटाले (केतन पारेख) ने सरकार को छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।
- सेबी ने अन्य बातों के साथ-साथ बढ़ी हुई पारदर्शिता, कम्प्यूटरीकरण, इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ कानून, फॉरवर्ड

ट्रेडिंग पर रोक और T+2 सेटलमेंट सिस्टम लागू करने जैसे बदलाव लागू किए।

- भारत में शबदलाश के रूप में जाने जाने वाले फॉरवर्ड या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग की सीमा और समाप्ति, बाजार की अटकलों और हेरफेर का मुकाबला करने का एक साहसिक प्रयास है।
- सेबी ने बाजारों में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:
- सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज शासी निकायों में सुधार किया, दलालों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानकों की स्थापना की, और ग्राहक/दलाल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नियमों की स्थापना की।
- सेबी कॉर्पोरेट पारदर्शिता आवश्यकताओं को लागू करता है।
- इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतिबंधित है।
- खुदरा निवेशक सुरक्षित हैं।
- सेबी के पास म्युचुअल फंड को पंजीकृत और विनियमित करने का अधिकार है।
- भारत में सभी क्रेडिट रेटिंग फर्मों के लिए व्यवहार संहिता बनाना।
- सेबी के लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के लिए आवश्यक है कि सभी सूचीबद्ध व्यवसायों में उनके आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक के रूप में काम करें।

सेबी नियम, 2009

- सेबी ने ''एंकर निवेशर्क'' अवधारणा को अधिकृत किया है, जो एक निवेशक को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश में संस्थागत कोटा के 30% तक की सदस्यता लेने की अनुमति देता है।
- संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, एक एंकर निवेशक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए आवेदन करते समय कुल निवेश का 25% भुगतान करेगा, और शेष इश्यू के समापन के दो दिनों के भीतर भुगतान करेगा।
- ऐसे एंकर निवेशक शेयर आवंटन की तारीसे एक महीने की लॉक-इन अवधि के अधीन होंगे।

बिमल जालान कमेटी

- सेबी ने जनवरी 2010 में डॉ. बिमल जालान (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जो स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (श्डप्प्) के स्वामित्व और शासन में सुधारों का मूल्यांकन और सुझाव देती है।

कमोडिटी एक्सचेंज

- कमोडिटी एक्सचेंज ऐसी संस्थाएं हैं जो कमोडिटी फ्यूचर्स के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक और उनके डेरिवेटिव के लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।
- परिणामस्वरूप, वे मूल्य खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां कई खरीदार और विक्रेता वस्तु के लिए सबसे कुशल मूल्य स्थापित करने के लिए बातचीत करते हैं।
- भारतीय कमोडिटी बाजारों में श्कमोडिटी फ्यूचर्सश् में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का कारोबार होता है।
- वायदा बाजार आयोग अब 120 से अधिक जिंसों में वायदा कारोबार को सक्षम बनाता है।
- देश में दो तरह के कमोडिटी एक्सचेंज हैं: राष्ट्रीय और क्षेत्रीय।
- महत्वपूर्ण कमोडिटी एक्सचेंज इस प्रकार हैं:

इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज (आईसीईएक्स)

- ICEX एक भारतीय कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। यह एक स्थायी एक्सचेंज है जो सेबी के साथ पंजीकृत है और एकमात्र एक्सचेंज है जो हीरा अनुबंधों में वायदा कारोबार को सक्षम बनाता है।
- हीरे के अनुबंधों के अलावा, प्ब्म् मसाले, तिलहन, वृक्षारोपण और अनाज जैसे कृषि डेरिवेटिव भी प्रदान करता है।

मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स)

- MCX देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंजों में से एक है।
- ये ज्यादातर हेजर्स, व्यापारियों, व्यापारियों और यहां तक कि निगमों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, लेकिन शेयर बाजार की तरह कमोडिटी बाजार ने अभी तक खुद को स्थापित नहीं किया है।

नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स)

- एनसीडीईएक्स, देश का दूसरा प्रमुकमोडिटी एक्सचेंज, एमसीएक्स के समय से ही काम करना शुरू कर दिया था।
- NCDCEX, MCX के विपरीत, केवल कृषि उत्पादों का व्यापार करता है।

कमोडिटी बाजार

- कमोडिटी बाजारों में ट्रेडिंग में कई वस्तुओं और उनके डेरिवेटिव उत्पादों की खरीद और बिक्री शामिल है।

- कोई भी कच्चा संसाधन या बुनियादी कृषि उत्पाद जिसे खरीदा या बेचा जा सकता है, जैसे कि गेहूं, सोना, या कच्चा तेल, एक वस्तु माना जाता है।
- यदि आप वस्तुओं का व्यापार करते हैं, तो आप अपने परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में विविधता ला सकते हैं।
- वस्तुओं के बाजारों में, भौतिक व्यापार और डेरिवेटिव व्यापार में हाजिर मूल्य, वायदा, वायदा और वायदा पर विकल्प शामिल हो सकते हैं।
- किसानों ने पीढ़ियों के लिए मूल्य जोखिम को नियंत्रित करने के लिए जिंस बाजार में एक आदिम प्रकार के डेरिवेटिव व्यापार को नियोजित किया है।
- कई पार्टियों द्वारा हेजिंग के कारण वस्तुओं के व्यापार की मात्रा और भौतिक रूप में वस्तुओं के वास्तविक मूल्य के बीच एक बड़ी असमानता है।
- सेबी, नियामक, वर्तमान में 120 से अधिक वस्तुओं में वायदा कारोबार की अनुमति देता है।
- वस्तुओं के प्रकार: मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित: हार्ड और सॉफ्ट।

1. दुर्लभ वस्तुएँ:

- कठिन वस्तुएँ वे हैं जिन्हें जमीन से लेना पड़ता है।
- इस श्रेणी में धातु और खनिज जैसे सोना, तांबा और अन्य शामिल हैं।
- कच्चे तेल को एक कठिन वस्तु के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है।

2. सुलभ वस्तुएँ:

- खाद्यान्न, खाद्य तेल, मांस और मवेशी नरम वस्तुओं के उदाहरण हैं।

कमोडिटी ट्रेडिंग सूची:

- सरसों के बीज, बिनौला, सोयाबीन का तेल, और अन्य खाद्य तिलहन
- गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का और अन्य अनाज
- सोना, चांदी, तांबा और जस्ता जैसी धातुएं
- हल्दी, काली मिर्च, जीरा और अन्य मसाले
- कपास, जूट और अन्य रेशे
- अन्य में चीनी, गुड़, रबर, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, इत्यादि शामिल हैं।
- सबसे अधिक कारोबार वाली वस्तुओं में सोना, कच्चा तेल, चांदी, तांबा, प्राकृतिक गैस, सीसा, सोया तेल, जस्ता, सोयाबीन और अरंडी के बीज शामिल हैं।

कमोडिटी मार्केट - विनियमन और सुधार:

- जबकि FMC (फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन) ने 1952 से कमोडिटी बाजारों की निगरानी की है, इसे आमतौर पर अत्यधिक मूल्य आंदोलनों और अन्य विसंगतियों को रोकने की क्षमता की कमी के रूप में माना जाता था।
- परिणामस्वरूप, 2015 में, थ्डब का ैम्ठप् के साथ विलय हो गया (निगरानी, जोखिम-निगरानी और प्रवर्तन तंत्र के मामले में श्रेष्ठ होने की प्रतिष्ठा के साथ, और क्षेत्र के लिए एक अधिक मजबूत नियामक निकाय)।
- उसके बाद, सेबी ने कई सुधार उपायों को लागू किया, जिनमें शामिल हैं:
- स्टॉक ब्रोकर्स को कमोडिटी डेरिवेटिव्स (इक्विटी और कमोडिटीज के लिए सामान्य ब्रोकिंग व्यवसाय) में डील करने देना;
- एनएसई और बीएसई को कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू करने में सक्षम बनाना;
- एफपीआई को कुछ शर्तों के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड किए जाने वाले कमोडिटी डेरिवेटिव्स अनुबंधों में भाग लेने की अनुमति देना;
- कमोडिटी बाजारों में व्यापार करने के लिए श्रेणी प्प् वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को सक्षम बनाना।
- विशेषज्ञों का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन आदि जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास के साथ भारत का कमोडिटी ट्रेडिंग व्यवसाय कायापलट के दौर से गुजर रहा है।

कमोडिटी मार्केट के लाभ:

- विविधीकरण
- कमोडिटी रिटर्न और अन्य एसेट रिटर्न के बीच कड़ी खराब है।
- वस्तुओं का उपयोग एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति वर्ग के रूप में आपके निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए किया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव
- जिंसों को एक उत्कृष्ट मुद्रास्फीति बचाव के रूप में माना जाता है क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान उनकी कीमतें बढ़ती हैं।
- यह क्रय शक्ति समता को बनाए रखने में मदद करता है।
- घटना के जोखिम से सुरक्षा

- प्राकृतिक आपदा, आर्थिक संकट, या संघर्ष के कारण आपूर्ति बाधित होने के परिणामस्वरूप कमोडिटी की कीमतें बढ़ सकती हैं।
- दूसरी ओर, कमोडिटी ट्रेडिंग जानबूझकर कीमतों में उतार-चढ़ाव का फायदा उठाकर नुकसान से बचाने में आपकी मदद कर सकती है।

रणनीतिक विनिवेश

- यह एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एक गैर-सरकारी कंपनी या अधिक व्यापक रूप से निजी क्षेत्र को बेचने पर जोर देता है।
- रणनीतिक विनिवेश निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जिससे चै अधिक कुशल और आकर्षक बनते हैं।
- सरकार गैर-निष्पादित/घाटे में चल रही सार्वजनिक इकाई को चलाने के बोझ से खुद को मुक्त करने के लिए रणनीतिक विनिवेश में संलग्न है।
- इसे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  - **लघु विनिवेश:** यह तब होता है जब सरकार अपने निवेश (अल्पांश हिस्सेदारी) का एक हिस्सा छोड़ देती है, लेकिन प्रबंधकीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए अधिमानत: 51% पर बहुमत रखती है।
  - **वृहद् विनिवेश:** यह तब होता है जब सरकार छोटी हिस्सेदारी रखते हुए फर्म में अपना अधिकांश निवेश बेचती है।
  - **पूर्ण विनिवेश:** सरकार अपने हितों के पूर्ण प्रबंधन को एक निजी निवेशक के हवाले कर देती है।

विनिवेश: ऐतिहासिक अवलोकन

- आजादी के बाद के पहले चार दशकों में, भारत ने एक विकास पथ अपनाया जो समृद्धि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर था।
- परिणामस्वरूप 1991 में विनिवेश का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया गया।
- भारत में परिवर्तन की प्रक्रिया वर्ष 1991-92 में शुरू हुई, जब 31 चयनित सार्वजनिक उपक्रमों का 3,038 करोड़ रुपये में विनिवेश किया गया।
- जीवी रामकृष्ण के नेतृत्व में विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में भारतीय PSU के प्रगतिशील विनिवेश को सलाह देने, निरीक्षण करने, निगरानी करने और बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- दिसंबर 1999 में, विनिवेश एजेंसी को एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और सितंबर 2001 में इसका नाम बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया था।
- विनिवेश विभाग को 27 मई, 2004 को वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया।
- 14 अप्रैल, 2016 को विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) कर दिया गया और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया।

राष्ट्रीय निवेश कोष

- इसकी स्थापना नवंबर 2005 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से होने वाली कमाई को चौनल करने के लिए की गई थी।
- रणनीतिक विनिवेश के लाभ:
- यह सरकार के ऋण और बजट असंतुलन को कम करने में योगदान देगा।
- यह सामाजिक कल्याण पर जोर देने के साथ उच्च सामाजिक व्यय का समर्थन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संसाधन आम लोगों के लिए उपलब्ध हों।
- सामरिक विनिवेश कोष का उपयोग बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण, खपत को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में निवेश करने और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं में निवेश करने के लिए किया जा सकता है।
- गैर-रणनीतिक उद्योगों में सरकार की भागीदारी निजी व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धी गतिशीलता को प्रभावित करती है, जिससे उपभोक्ताओं और करदाताओं को अक्षम पीएसयू संचालन का बोझ उठाना पड़ता है।
- निजी क्षेत्र के विस्तार से कार्य की बेहतर संभावनाएं होंगी।
- यह व्यक्तिगत उद्यमों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए पीएसयू स्वामित्व के विविधीकरण में सहायता करता है।
- अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य में गिरावट के साथ, रणनीतिक विनिवेश सरकार के लिए आय प्रदान करेगा और इसलिए राजकोषीय स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा।
- यह रचनात्मक प्रबंधकीय कौशल और प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकता है, और एक रणनीतिक निवेशक ऐसे विभाजनों को फलने-फूलने में मदद कर सकता है।
- ऐसा माना जाता है कि रणनीतिक खरीदार/अधिग्रहणकर्ता इन फर्मों के विस्तार में मदद करने के लिए नया प्रबंधन/

प्रौद्योगिकी/निवेश लाएंगे और उन्हें फलने-फूलने में मदद करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे।

रणनीतिक विनिवेश की चुनौतियां:

- संसाधन जुटाने पर जोर , क्योंकि मुनाफा कमाने वाले और लाभांश देने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से सरकार को नियमित राजस्व का नुकसान होगा।
- पीएसयू से नियमित राजस्व का नुकसान क्योंकि विनिवेश के माध्यम से अर्जित राशि का भुगतान सिर्फ एक बार किया जाएगा, जिससे सरकार की नियमित आय प्राप्त करने की विधि जटिल हो जाएगी।
- यदि सरकार के पास बहुसंख्यक हिस्सेदारी है, तो सार्वजनिक व्यवसाय अक्षमता और हानि की पिछली संस्कृति के साथ काम करना जारी रखेंगे।
- निजीकरण के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी माहौल की स्थापना जरूरी नहीं है।
- पूरी विनिवेश प्रक्रिया, विचार से लेकर बोली लगाने वालों के चयन तक, नौकरशाही नियंत्रण से प्रभावित होती है। लाभ कमाने वाले और लाभांश देने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से सरकार को नियमित आय का नुकसान होगा।
- सामरिक भागीदार ''एसेट स्ट्रिपिंग'' में संलग्न हो सकता है। अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों के पास मूल्यवान संपत्तियां हैं जैसे संयंत्र और मशीनरी, भूमि और भवन आदि।
- तेल सार्वजनिक उपक्रमों में महत्वपूर्ण विनिवेश को कुछ विश्लेषकों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है क्योंकि तेल एक रणनीतिक प्राकृतिक संसाधन है और संभावित विदेशी स्वामित्व हमारे रणनीतिक लक्ष्यों के साथ असंगत है।
- बजट घाटे को पाटने के लिए विनिवेश धन का उपयोग करना एक जोखिम भरा और अल्पकालिक रणनीति है। इसे तत्काल मौद्रिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपारिवारिक चांदी बेचने जैसा माना जाता है।
- पूर्ण निजीकरण के परिणामस्वरूप सार्वजनिक एकाधिकार निजी एकाधिकार बन सकते हैं, जो लाभ में वृद्धि करते हुए विभिन्न सेवाओं की लागत बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करेंगे।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1- भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? (2011)

1. सरकार का इरादा विनिवेश से अर्जित राजस्व का मुख्य रूप से बाहरी ऋण का भुगतान करने के लिए उपयोग करना है।
2. सरकार अब सीपीएसई के प्रबंधन नियंत्रण को बनाए रखने का इरादा नहीं रखती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2

(*c*) 1 और 2 दोनों

(*d*) न तो 1 और न ही 2

रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट

- REITs की तुलना म्युचुअल फंड से की जा सकती है। जहां म्युचुअल फंड आपको शेयरों में निवेश करने में सक्षम बनाते हैं, वहीं आरईआईटी आपको आय पैदा करने वाली रियल एस्टेट संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति देते हैं।
- वे सामूहिक निवेश वाहन हैं जो निवेशकों को पुरस्कार प्रदान करते हुए संपत्ति होल्डिंग्स को संभालते और प्रबंधित करते हैं। धन जुटाने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की आवश्यकता है कि सभी आरईआईटीएस बाजारों में सूचीबद्ध हों और एक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश करें।
- यह अचल संपत्ति हासिल करने के लिए लोगों के एक समूह के समान है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर और अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ।
- REIT के पीछे मूल सिद्धांत यह है कि आप संपत्ति के एक हिस्से के मालिक हैं और इसलिए व्यय का स्वीकार्य प्रतिशत घटाकर राजस्व का एक हिस्सा अर्जित करते हैं।
- क्योंकि ट्रस्ट की इकाइयां एक्सचेंजों पर बेची जाती हैं, इस प्रकार के मुद्रीकरण से डेवलपर्स को भविष्य के रियल एस्टेट विकास के लिए पूंजी मुक्त करके लाभ होता है। यह निवेशकों और यूनिट धारकों को तरलता भी देता है।
- REITs अनुकूल कर उपचार से लाभान्वित होते हैं, जैसे कि लाभांश वितरण कर छूट और पूंजीगत लाभ कर छूट।

कार्य तंत्र:

- REITs बड़ी संख्या में निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं और इसे सीधे आय-सृजन करने वाली रियल एस्टेट होल्डिंग्स (जो कार्यालय, आवासीय अपार्टमेंट, शॉपिंग सेंटर, होटल और गोदाम हो सकते हैं) में निवेश करते हैं।
- ट्रस्ट शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं, जिससे निवेशकों को ट्रस्ट में इकाइयां खरीदने की अनुमति मिलती है। ट्रम्प्ज को ट्रस्ट के

रूप में व्यवस्थित किया जाता है। नतीजतन, एक स्वतंत्र ट्रस्टी यूनिट धारकों की ओर से आरईआईटी की संपत्ति रखता है।

REITs के प्रकार

1. इक्विटी REITs - आय-उत्पादक संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और प्रबंधन।
2. बंधक REITs जहां कंपनियां रियल एस्टेट मालिकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसा उधार देती हैं।
3. हाइब्रिड REITs - वे पहले दो के बीच एक क्रॉस हैं।

REITs का महत्व

- बिना बिके माल और सीमित मांग के कारण, भारतीय रियल एस्टेट बाजार तरलता संकट का सामना कर रहा है। आरईआईटी केश-स्ट्रैप्ड डेवलपर्स को उनकी मौजूदा संपत्ति पर पूंजी लगाने में मदद कर सकता है।
- अचल संपत्ति उद्योग में संपत्ति से किराया और पूंजी वृद्धि दोनों आसपास के क्षेत्र में स्थान, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक गतिविधि से प्रभावित होती है।
- REITs संपत्ति के एक विविध पोर्टफोलियो को धारण करके इन जोखिमों का प्रबंधन करते हैं।
- REITs आपके संपत्ति निवेश से जुड़े जोखिम को कम कर सकते हैं क्योंकि आरईआईटी के मूल्य का 80% तैयार और किराए पर देने वाली संपत्तियों में होना चाहिए।
- सेबी द्वारा दर्शाए गए अनुभव के वर्षों के साथ उन्हें पेशेवर प्रबंधन द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (INVITS)

- एक InvIT म्युचुअल फंड के समान है जिसमें यह छोटी राशि को सीधे बुनियादी ढांचे में निवेश करने की अनुमति देता है और रिटर्न के रूप में राजस्व का एक प्रतिशत प्राप्त करता है।
- क्योंकि ट्रस्ट की इकाइयां एक्सचेंजों पर बेची जाती हैं, इस तरह के मुद्रीकरण से डेवलपर्स को भविष्य के बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए पूंजी मुक्त करके लाभ होता है।
- यह निवेशकों और यूनिट धारकों को तरलता भी प्रदान करता है।
- InvITs अनुकूल कर उपचार से भी लाभान्वित होते हैं, जैसे कि लाभांश वितरण कर से छूट और पूंजीगत लाभ कर में छूट।
- InvITs 2014 के SEBI (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियमों द्वारा शासित होते हैं।

निवेश की आवश्यकता:

- 23 अप्रैल, 2019 के सेबी सर्कुलर के अनुसार, न्यूनतम निवेश दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:
- प्रत्येक आबंटन लॉट का मूल्य कम से कम 1 लारुपये होना चाहिए।
- प्रत्येक लॉट में 100 इकाइयां शामिल होनी चाहिए।

InvITs की संरचना:

- एक InvITs को निम्नलिखित भाग होते हैं:

ट्रस्टी	• ट्रस्टी वह व्यक्ति होता है जो InvIT के प्रदर्शन का निरीक्षण करता है और प्रायोजक या प्रबंधक से जुड़ा नहीं होता है।
प्रायोजक	• 'प्रायोजक' 100 करोड़ रुपये की पूंजी वाले किसी भी संगठन या व्यवसाय इकाई को संदर्भित करता है जो प्दअप्ज् बनाता है और सेबी को आवेदन जमा करने के समय नामित किया जाता है। • जब तक कोई प्रशासनिक आवश्यकता या रियायत समझौता प्रायोजक को एक निश्चित अनुपात रखने के लिए बाध्य नहीं करता है, प्रमोटरों/प्रायोजकों को कम से कम तीन वर्षों के लिए प्दअप्ज् में संयुक्त रूप से न्यूनतम 25% रखना चाहिए।
निवेश प्रबंधक	• एक निवेश प्रबंधक एक व्यवसाय, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), या संगठन है जो एक प्दअप्ज् की संपत्ति और निवेश का प्रबंधन और प्रबंधन करता है। • InvITs के पास इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं जो चालू भी हैं और रेवेन्यू जेनरेट भी करती हैं, जैसे गैस पाइपलाइन, मोटरवे और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। • शक्तिशाली पार्टियों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि इन ट्रस्टों के पास धन की स्थिर आपूर्ति हो। • उन्हें अपने शुद्ध लाभांश नकदी प्रवाह का 90% निवेशकों को वितरित करना चाहिए। • अगर InvIT किसी संपत्ति को बेचने का विकल्प चुनता है, तो वह राजस्व को किसी अन्य बुनियादी ढांचा परियोजना में पुनर्निवेश कर सकता है या आय का 90% यूनिटधारकों को वितरित कर सकता है।

InvITs से जुड़े जोखिम:

- निवेशकों को शायद ही कभी किसी परियोजना के वास्तविक मूल्य के बारे में पूरी जानकारी होती है। एक InvIT की वृद्धि का मूल्यांकन उसके खातों को देखकर ही किया जा सकता है क्योंकि यह इस बात से निर्धारित होता है कि निगम बोली प्रक्रिया के माध्यम से रियायती संपत्तियों को केसे प्राप्त करता है।
- परियोजना के विफल होने और निवेशकों को हस्तांतरित होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, यदि ट्रस्ट राजस्व के स्रोत के रूप में टोल संग्रह के साथ एक सड़क परियोजना शुरू करता है, तो अनुमानों में यातायात अनुमानों पर विचार किया जाएगा। हालाँकि, यदि ऐसा नहीं होता है, या यदि सरकार एक और टोल-फ्री सड़क का निर्माण करती है, तो परियोजना न्यूनतम या बिना किसी लाभ के विफल हो सकती है।
- InvITs राजनीतिक और नियामक जोखिम पैदा कर सकते हैं। सरकार इनमें से अधिकांश ट्रस्टों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर प्रोत्साहन देती है। कम मांग और कीमत संबंधी जोखिमों के कारण ये रियायतें पूर्ववत हो सकती हैं।

InvITs के लाभ:

- ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का निवेश कम हो रहा है, एनएचएआई द्वारा धन उगाहने और बुनियादी ढांचे पर व्यय से न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा बल्कि निजी क्षेत्र के निवेश में भी वृद्धि होगी।
- InvIT सरकार को सड़कों और बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के लिए धन के वैकल्पिक स्रोतों में टैप करने की अनुमति देता है।
- एक InvIT निगम को अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को अधिक तेजी से पूरा करने की अनुमति भी देता है।
- InvIT धारक अनुकूल कर नियमों से भी लाभान्वित होते हैं, जैसे कि लाभांश आय से छूट और कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं यदि वे प्दअप्ज इकाइयों को तीन साल से अधिक समय तक बनाए रखते हैं।

REIT और INVITS के बीच अंतर

मापदंडों	REIT	InvITs
वृद्धि	यह निवेशकों को दिखाई देता है क्योंकि निगम मौजूदा संपत्तियों को फिर से तैयार करेगा, नया निर्माण शुरू करेगा, या नई संपत्तियों का अधिग्रहण करेगा।	इसकी वृद्धि केवल इसकी पुस्तकों को देखकर निर्धारित की जा सकती है क्योंकि यह इस बात से निर्धारित होता है कि फर्म बोली प्रक्रिया के माध्यम से रियायती संपत्तियों को केसे प्राप्त करती है।
न्यूनतम आवश्यकता	प्रत्येक आवंटन लॉट का मूल्य कम से कम 50000 रुपये होना चाहिए और प्रत्येक लॉट में 100 इकाइयां होनी चाहिए।	प्रत्येक आवंटन कम से कम 1 लारुपये का होना चाहिए और प्रत्येक लॉट में 100 इकाइयां शामिल होनी चाहिए।
संरचना	यह रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश की अनुमति देता है।	यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश की अनुमति देता है।
लिस्टिंग	यह सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध, निजी सूचीबद्ध या निजी असूचीबद्ध हो सकता है	इसे सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
लिक्विडिटी	InvITs का ट्रेडिंग लॉट आकार बड़ा है, इस प्रकार कुछ हद तक खराब तरलता है।	वे छोटे निवेशकों के लिए अधिक सुलभ हैं और कम यूनिट कीमतों और ट्रेडिंग लॉट के कारण उनके पास अधिक तरलता है।

डिपॉजिटरी रिसिप्ट (DR)

- DR एक बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला एक परक्राम्य प्रमाणपत्र है जो एक विदेशी व्यापार/निगम में शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज में बदले जाते हैं।
- डीआर जो एक ठोस प्रमाण पत्र हुआ करता था, निवेशकों को अन्य देशों में इक्विटी स्टोर करने की अनुमति देता है और एक अंतरराष्ट्रीय बाजार पर व्यापार करने का विकल्प प्रदान करता है।

- द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट (एडीआर), जो 1920 के दशक से फर्मों, निवेशकों और व्यापारियों को वैश्विक निवेश विकल्प प्रदान कर रहा है, डीआर के सबसे प्रचलित रूपों में से एक है।
- DR निवेशकों को अन्य बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं से फर्मों में स्टॉक प्राप्त करके अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में सक्षम बनाता है।
- सीधे विदेशी बाजारों में इक्विटी खरीदने की तुलना में डीआर आसान और कम खर्चीला हैद्य

अमेरिकन डिपाजिटरी रिसीप्ट (ADRs):	• संयुक्त राज्य में निवेशक।DR के माध्यम से विदेशी इक्विटी तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।।DR विशेष रूप से अमेरिकी बैंकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय इक्विटी के लिए जारी किए जाते हैं जो यूएस एक्सचेंज पर कारोबार करते हैं, जैसे कि NASDAQ (एएमईएक्स)। जब एक निवेशक एक अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद प्राप्त करता है, उदाहरण के लिए, रसीद अमेरिकी डॉलर में बताई जाती है, जबकि वास्तविक अंतर्निहित सुरक्षा एक विश्वव्यापी संस्था के बजाय विदेशों में एक अमेरिकी वित्तीय संस्थान के पास होती है।।DR एक विदेशी फर्म में पूंजीगत लाभ अर्जित करते हुए यानी लाभांश प्राप्त करते हुए शेयर खरीदने का एक उत्कृष्ट तरीका है, जो निगमों द्वारा शेयरधारकों को नकद भुगतान किया जाता है। पूंजीगत लाभ और लाभांश दोनों का भुगतान अमेरिकी मुद्रा में किया जाता है। क्योंकि।DR अमेरिकी डॉलर में व्यापार करते हैं और अमेरिकी निपटान चौनलों के माध्यम से स्पष्ट होते हैं,।क्त धारकों को विदेशी मुद्राओं में लेनदेन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीप्ट (GDR):	• GDR, European Depositary Receipts (DRs), और अंतर्राष्ट्रीय DR दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित हो गए हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राष्ट्रीय शेयर बाजार में।DR का कारोबार होता है, GDR अक्सर लंदन स्टॉक एक्सचेंज जैसे यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होते हैं।।DR और GDRj दोनों को अक्सर अमेरिकी डॉलर में दर्शाया जाता है, हालांकि उन्हें यूरो में भी नामित किया जा सकता है। एक GDR एक।DR की तरह विपरीत काम करता है, ळक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित एक निगम को अपने शेयरों को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित निगम लंदन डिपॉजिटरी बैंक के साथ एक क्ते समझौता करता है। बदले में, लंदन बैंक दोनों देशों के नियामक अनुपालन के आधार पर यूनाइटेड किंगडम में शेयर जारी करता है।

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (COsQ)

- यह एक वित्तीय डेरिवेटिव है जो एक निवेशक को दूसरे के साथ अपने क्रेडिट जोखिम को स्वैप या ऑफसेट करने की अनुमति देता है। डिफॉल्ट जोखिम को कम करने के लिए, ऋणदाता किसी अन्य निवेशक से एक SDR खरीदता है जो उधारकर्ता के चूक होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। CDR विक्रेता खरीदार को फ्राड की स्थिति में सुरक्षित रखता है।
- अधिकांश ब्क्त अनुबंधों को एक सतत मासिक भुगतान की आवश्यकता होती है, जो किसी बीमा पॉलिसी पर बकाया सामान्य भुगतानों के बराबर होता है।
- एक CDR आमतौर पर एक ऋणदाता द्वारा उपयोग किया जाता है।
- याद रखें कि ऋण जोखिम समाप्त नहीं किया गया है। इसके बजाय इसे CDR विक्रेता को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- ब्क्त बाजार में, एक क्रेडिट इवेंट एक ट्रिगर है जो सुरक्षा खरीदार को अनुबंध को समाप्त करने और व्यवस्थित करने का कारण बनता है।
- परिसंपत्ति के चूक होने पर मुआवजा प्राप्त करने के अवसर के बदले में, ब्क्त खरीदार विक्रेता को भुगतानों की एक श्रृंखला (सीडीएस 'शुल्क' या 'स्प्रेड') का भुगतान करता है।
- बॉण्ड और अन्य ऋण प्रतिभूतियाँ इस जोखिम के अधीन हैं कि उधारकर्ता ऋण या उसके ब्याज भुगतान में चूक कर सकता है।
- ऋण में प्रत्यक्ष बीमा योग्य व्यक्तियों सहित कोई भी व्यक्ति CDR प्राप्त कर सकता है।
- यदि संदर्भ बांड संतोषजनक ढंग से कार्य करता है, तो खरीदार परिपक्वता तक विक्रेता को त्रैमासिक किश्तों का भुगतान

करता है। यदि संदर्भ बांड विफल हो जाता है, तो विक्रेता खरीदार को बांड के बराबर मूल्य का भुगतान करता है, और खरीदार विक्रेता को भुगतान करता है।

क्रेडिट इवेंट

- क्रेडिट इवेंट उत्प्रेरक है जो सीडीएस खरीदार को अनुबंध का भुगतान करने के लिए मजबूर करता है।
- सीडीएस प्राप्त होने पर क्रेडिट घटनाओं पर सहमति होती है और उन्हें अनुबंध में शामिल किया जाता है।
- निम्नलिखित क्रेडिट घटनाओं का उपयोग बड़ी संख्या में एकल-नाम सीडीएस के लिए ट्रिगर के रूप में किया जाता है:
- भुगतान करने में असमर्थता: संदर्भ संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है।
- दायित्व त्वरण: जब अनुबंध दायित्वों को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे कि जब जारीकर्ता को अपेक्षा से पहले ऋण का भुगतान करना पड़ता है।
- अस्वीकरण: एक अनुबंध की वैधता पर असहमति।
- मोराटोरियम: एक अनुबंध निलंबन जब तक कि निलंबन के कारण होने वाले मुद्दों को ठीक नहीं किया जाता है।
- एक दायित्व का पुनर्गठन: अंतर्निहित ऋणों का पुनर्गठन।
- सरकारी हस्तक्षेप: सरकारी कार्रवाइयाँ जिनका अनुबंध पर प्रभाव पड़ता है।
- भुगतान विफलता: संदर्भ इकाई भुगतान करने में विफल रहती है।
- अस्वीकरण: एक अनुबंध की वैधता पर असहमति।
- मोराटोरियम: एक अनुबंध निलंबन जब तक कि निलंबन के कारण होने वाले मुद्दों को ठीक नहीं किया जाता है।
- एक दायित्व का पुनर्गठन: अंतर्निहित ऋणों का पुनर्गठन।
- सरकारी हस्तक्षेप: अनुबंध को बदलने वाली सरकारी कार्रवाइयाँ।
- क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का महत्व:
- उधारदाताओं के लिए जोखिम कम करता है: सीडीएस को ऋणदाताओं द्वारा एक प्रकार के बीमा के रूप में अधिग्रहित किया जा सकता है ताकि जारीकर्ता पर जोखिम डालते समय ऋणदाता की सुरक्षा की जा सके।
- कोई अंतर्निहित परिसंपत्ति जोखिम नहीं: आप अंतर्निहित निश्चित-आय संपत्तियां प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- विक्रेता जोखिम फैला सकते हैं: सीडीएस भुगतान डिफॉल्ट के जोखिम को जारीकर्ता को स्थानांतरित कर देता है। वे जोखिम को और अधिक फैलाने के लिए कई अदला-बदली की पेशकश भी कर सकते हैं।

❖ ❖ ❖

15 लोक वित्त (बजट और राजकोषीय नीति)

''लोक वित्त राज्य के राजस्व और व्यय की प्रकृति और सिद्धांतों की जांच है''। एडम स्मिथ

सार्वजनिक वित्त का अर्थ:

- यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो सरकारी राजस्व और लोक प्राधिकरणों के सरकारी व्यय का आकलन करती है और वांछनीय प्रभावों को प्राप्त करने और अवांछनीय प्रभावों से बचने के लिए एक या दूसरे का समायोजन करती है। यह बहुत व्यापक शब्द है जो जनता के पैसे से जुड़ा हुआ है।
- लोक वित्त एक व्यापक विषय है जिसमें वे सभी मामले शामिल हैं जो जनता के धन से संबंधित हैं
  - सरकार को मिलने वाला पैसा
  - सरकार द्वारा खर्च करने वाला पैसा
  - वह सरकार द्वारा उधार लिया गया पैसा
  - सरकार द्वारा उधार दिया गया पैसा
  - सरकार जो पैसा जुटाती है या छापती है
- **''लोक अर्थशास्त्र''**, अर्थात सरकार का वित्त भी कहा जाता है, यह न केवल किसी देश के संसाधनों की उस मात्रा पर चर्चा करता है जिसे सरकार को अपने स्वयं के उपयोग के लिए अधिग्रहीत करना चाहिए, बल्कि उस श्दक्षताश पर भी चर्चा करता है जिसके साथ धन का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **लोक वित्त के घटक हैं:**
  - **सार्वजनिक राजस्व:** कर, गैर-कर राजस्व और सार्वजनिक ऋण।
  - **लोक व्यय:** कल्याणकारी और अन्य नीतियों को लागू करने का साधन।
  - **वित्तीय प्रशासन:** सार्वजनिक बजट, लेखा परीक्षा आदि।
  - **संघीय वित्त:** सरकार के तीन स्तर और कार्य और संसाधनों को विभाजित करने की आवश्यकता।
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोक वित्त की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उदय, सार्वजनिक वस्तुओं की डिलीवरी, कानून और व्यवस्था, रक्षा, आदि के कारण अर्थव्यवस्था में सरकारों की भूमिका का विस्तार होना शुरू हो गया।
- बाजार सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सका क्योंकि कानून प्रवर्तन, रक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में सरकार की उपस्थिति आवश्यक थी।
- जिन अन्य प्रमुक्षेत्रों में सरकारी उपस्थिति आवश्यक थी , वे हैं- सस्ती या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा उपाय, आदि (क्योंकि वे लाभ के लिए नहीं थे)।

क्या आप जानते हैं?

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत विस्तृत तरीके से ''खजाना, राजस्व के स्रोत, लेखा और लेखापरीक्षाश शामिल किया गया है। लोक वित्त का उल्लेइस प्राचीन ग्रन्थ में मिलता है।

राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान

यह 1976 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। संस्थान के प्रमुकार्यों में से एक केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को एक विश्लेषणात्मक आधार अनुसंधान, नीति वकालत आदि प्रदान करके सार्वजनिक नीतियों को बनाने और सुधारने में सहायता करना है।

बजट का अर्थ

- ''बजट'' शब्द की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रेंच शब्द **'बजेट'** से हुई थी। इसका मतलब चमड़े के थैले से था जिसमें से संसद में वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता था।
- यह आय और व्यय का एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो आमतौर पर सरकार के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग फर्म, कंपनी, निगम आदि के लिए भी किया जा सकता है।
- भारत के संविधान (अनुच्छेद 112) के अनुसार, वार्षिक वित्तीय विवरण नामक एक दस्तावेज को हर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले संसद में प्रस्तुत किया जाना है।
- इसे लोकप्रिय रूप से केंद्रीय बजट के रूप में जाना जाता है और राज्यों के लिए भी इसी तरह का प्रावधान है।

केंद्रीय बजट के मूल तथ्य

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) द्वारा तैयार किया जाता है। इससे पहले बजट दो भागों में प्रस्तुत किया जाता था।

1. रेल बजट
2. आम बजट

2017 में दोनों श्रेणियों का विलय कर दिया गया।

बजट एक धन विधेयक है (अनुच्छेद 110) जिसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत ने योजनागत और गैर-योजनागत व्यय को निर्धारित किया:

- **योजनागत व्यय:** योजना (अर्थात् पंचवर्षीय योजना) के नाम पर किए गए सभी व्यय योजनागत व्यय कहलाते थे। उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन, सिंचाई और ग्रामीण विकास, सड़कों, पुलों, नहरों आदि के निर्माण पर व्यय।
- **गैर-योजनागत व्यय:** योजनागत व्यय के अलावा अन्य सभी व्यय गैर-योजनागत व्यय के रूप में जाने जाते थे। उदाहरण के लिए ब्याज भुगतान, पेंशन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण आदि।

प्रारंभिक दृष्टिकोण:

- प्रथम बजट **जेम्स विल्सन ने 1860 में प्रस्तुत किया था।**
- स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था।
- गणतंत्र भारत का प्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- **वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट): अनुच्छेद 112**
  - संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
  - बजट को अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया जाता है।
  - 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था।
  - हालाँकि, इसे 2017 में नीति आयोग की बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर फिर से विलय कर दिया गया था।
  - 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है।
  - वे प्राप्तियां और व्यय जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं, राजस्व खाते (जिसे राजस्व बजट भी कहा जाता है) में शामिल किए जाते हैं।
  - वे प्राप्तियां और व्यय जो पूंजी खाते (जिसे पूंजी बजट भी कहा जाता है) में सरकार की संपत्ति और देनदारियों से संबंधित हैं।

केंद्रीय बजट में आंकड़ों के 3 समूह होते हैं:

1. पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े (मतलब, उस वर्ष से एक वर्ष पहले जिसमें बजट प्रस्तुत किया गया है)। उदाहरण के लिए यदि वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है; तो दिये गये आंकड़े 2021-22 के है।
2. चालू वर्ष (2021-22) के अनंतिम आंकड़े उस वर्ष यानी 2022-23 (अनंतिम अनुमान के रूप में चिह्नित) के लिए अनंतिम अनुमान प्रस्तुत करता है।
3. बजटीय अनुमान अर्थात जिस वर्ष बजट प्रस्तुत किया गया उसके एक वर्ष बाद (अनुमान बजट के रूप में दर्शाया गया।

महत्वपूर्ण शब्दावली	
संशोधित अनुमान (आरई)	• संशोधित अनुमान बजट (बीई) या अनंतिम अनुमान (पीई) में किए गए अनुमानों का वर्तमान अनुमान है। यह वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। • यह अंतरिम आंकड़े है यानी इस बीच के दौरान।
त्वरित अनुमान (क्यूई)	• त्वरित अनुमान एक प्रकार का संशोधित अनुमान है जो नवीनतम स्थिति को दर्शाता है। यह कुछ क्षेत्र या उप-क्षेत्र के लिए भविष्य के अनुमानों को बनाने में उपयोगी है। • यह एक अंतरिम आंकड़ा भी है।
अग्रिम अनुमान	• अग्रिम अनुमान त्वरित अनुमान के समान है लेकिन अंतिम चरण से पहले (अग्रिम में) किया जाता है जब आंकड़ा एकत्र किया जाना चाहिए था। यह एक अंतरिम आंकड़ा भी है

बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार , किसी वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (एएफएस) कहा जाता है।

- भारत के राष्ट्रपति इसे एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं।
- राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई ''अनुदान की मांग'' नहीं रखी जाएगी।
- भारत की संचित निधि से धन कानून द्वारा किए गए विनियोग के बिना नहीं निकाला जा सकता है।
- कानून के द्वारा अधिकृत के अलावा कोई कर नहीं लगाया या एकत्र किया जा सकता है। संसद किसी कर को घटा या समाप्त कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती।
- ''अनुदान की मांग'' के लिए मतदान लोकसभा का विशेषाधिकार है और राज्यसभा इस पर मतदान नहीं कर सकती है।
- **बजट में भारत की संचित निधि सीएफआई से दो प्रकार के व्यय किये जा सकते हैं:**
  - **सीएफआई पर भारित व्यय:** भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर संसद द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस पर चर्चा की जा सकती है।
  - **सीएफआई से किए गए व्यय:** यह बजट का मतदान योग्य हिस्सा है।
- इसके अलावा, बजट में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों के अनुमान
  - राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन
  - व्यय का अनुमान
  - अंतिम वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण और उस वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष के कारण।
  - आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, यानी कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएं, व्यय कार्यक्रम और नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरूआत।

निधियों के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **संविधान में वर्णित तीन प्रकार की निधियाँ:**

अनुच्छेद 266(1)- भारत की संचित निधि	• यह एकमात्र कोष है जहां से अगर सरकार पैसा खर्च करती है, तो उसे संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी। (सीएफआई पर भारित व्यय को छोड़कर)। • इसे वित्त पोषित किया जाता है: ○ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से जुटाया गया पैसा, ○ सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ○ सरकार द्वारा दिए गए ऋण से प्राप्त मूलधन या ब्याज। • यह तीनों निधियों में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है। • यह भारत के सीएजी द्वारा लेखा परीक्षण किया जाता है और रिपोर्ट संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल (राज्य सीएफआई के लिए) में प्रस्तुत की जाती है। • प्रत्येक राज्य के पास समान प्रावधान वाले राज्य के लिए एक समान निधि होती है।
अनुच्छेद 267 - भारत की आकस्मिकता निधि	• निधि जो भारत के राष्ट्रपति के नाम पर वित्त सचिव द्वारा संचालित की जाती है। • यह अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए है और सरकार बिना किसी संसदीय स्वीकृति के इस कोष से खर्च कर सकती है। • इसमें 500 करोड़ रुपये का कोष है और राज्यों के पास संविधान के अनुसार अपनी आकस्मिक निधि हो सकती है।
अनुच्छेद 266(2) - भारत के लोक लेखा	• इसमें विभिन्न विभागों की बैंक बचत, भविष्य निधि, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि का पैसा शामिल है। • सरकार बिना संसदीय मंजूरी के इसका इस्तेमाल कर सकती है। • सीएफआई के लिए उल्लिखित स्रोतों के अलावा अन्य स्रोतों से पैसा इस खाते में जाता है। • प्रत्येक राज्य का एक समान खाता हो सकता है और इसकी सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है और संसद या संबंधित राज्य विधानसभाओं में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

बजट के अधिनियमन के चरण

बजट निम्नलिखित छह चरणों से होकर गुजरता है:

- बजट की प्रस्तुति।
- आम चर्चा।
- विभागीय समितियों द्वारा जांच।
- अनुदान मांगों पर मतदान
- विनियोग विधेयक पारित करना।
- वित्त विधेयक पारित करना।

वोट ऑन अकाउंट

- यह सरकार के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने का एक तरीका है जब पिछले वर्ष के विनियोग विधेयक की वैधता समाप्त हो गई हो (अर्थात 31 मार्च)। यह अगले साल के बजट के लिए विनियोग विधेयक पारित करने से पहले किया जाता है।
- पिछले वर्ष के बजट के अनुसार सीएफआई से पैसा निकालने का अधिकार 31 मार्च तक होता है।
- हालांकि, सरकार के नियमित खर्च (फोन, बिजली बिल आदि) होते हैं जो नए बजट के पारित होने से पहले किए जाने की जरूरत है।
- इस प्रकार, सरकार 'वोट ऑन अकाउंट' के पारित होने के लिए एक प्रस्ताव रखती है।
- यह आम तौर पर 2 महीने के लिए दिया जाता है और आम तौर पर अगले वर्ष के लिए कुल बजट अनुमान का छठा हिस्सा होता है।
- **प्रासंगिकता:** अब इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि-
  - संविधान में बजट प्रस्तुत करने की किसी विशेष तिथि का उल्लेनहीं है। इसलिए 2017 से फरवरी के पहले कार्य दिवस पर बजट प्रस्तुत किया जाता है।
  - बजट प्रस्तुत करने के सभी छह चरणों को मार्च के अंतिम सप्ताह तक पूरा कर लिया जाता है। इस प्रकार 'वोट ऑन अकाउंट' की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है।
  - हालाँकि, 2019 के ''अंतरिम बजट'' में, सरकार ने 'वोट ऑन अकाउंट' के लिए एक प्रस्ताव रखा क्योंकि वह पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद प्रस्तुत करना चाहती थी।

अंतरिम बजट

- ऐसे किसी बजट की कोई संवैधानिक परिभाषा नहीं है।
- चुनाव के वर्षों के दौरान, सत्तारूढ़ दल/गठबंधन सरकार सत्ता से बाहर हो सकती है।
- नई पार्टी/गठबंधन सरकार के पास देश के लिए अलग विचार हो सकता है और इसलिए उसे एक अलग तरह के बजट की आवश्यकता होगी।
- इस प्रकार, वर्तमान सरकार के लिए चुनावी वर्ष में चुनाव से पहले बड़े बदलावों या प्रावधानों के साथ पूर्ण बजट पारित करना अनुचित है।
- इस प्रकार, अंतरिम बजट बिना किसी बड़ी घोषणा के प्रस्तुत किया जाता है, हालांकि प्रक्रिया अभी भी वही है- यानी तीन दस्तावेज (वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक) 6 चरणों में प्रस्तुत किए गए हैं।
- यह पूरे वित्तीय वर्ष के लिए वैध होता है; लेकिन अगर कोई नई सरकार आती है, तो वह बदले हुए प्रावधानों के साथ एक नया आम बजट पारित कर सकती है।
- इसे पूर्व में भी वर्ष 2004, 2009 और 2014 में प्रस्तुत किया गया था।

सरकारी बजट के उद्देश्य

- **आवंटन कार्य:** सरकार कुछ माल और सेवाएं प्रदान करती है जो निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती- राष्ट्रीय रक्षा, कानून और व्यवस्था आदि।
- **पुनर्वितरण:** सरकारी क्षेत्र कुछ स्थानान्तरण और कर संग्रह करके व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का निर्धारण करता है। देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर वितरण इसी प्रक्रिया से होता है।
- **आर्थिक विकास में योगदान:** बजट सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन पैदा करने पर केंद्रित है और समग्र निवेश और बचत बढ़ाने में मदद करता है जिससे आर्थिक विकास होता है।
- **सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन**- भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योग लोगों के कल्याण के लिए हैं। बजट में ऐसे कारोबार के संचालन और वित्तीय मदद देने का प्रावधान किया गया है।
- **आय और संपत्ति में असमानताओं को कम करना**- कुलीन वर्गों पर कर लगाकर और जनता के कल्याण के लिए उस धन का उपयोग करना।
- **आर्थिक स्थिरता**- बजट कीमतों को स्थिर रखने और रोजगार सृजित करने के लिए मांग को बढ़ाने या घटाने पर केंद्रित है।

बजट का प्रमुनियम

- यह राजकोषीय नीति के संचालन के लिए एक दिशानिर्देश है, खासकर उन देशों में जो बजट चलाने के लिए बड़ी उधारी का उपयोग करते हैं।
- इसमें कहा गया है कि आर्थिक चक्र के ऊपर, सरकार को केवल निवेश करने के लिए उधार लेना चाहिए न कि वर्तमान खर्च (दिन-प्रतिदिन चलने वाले खर्च) को चलाने के लिए।
- आम आदमी के शब्दों में, इसका मतलब यह है कि सरकार को भविष्य की पीढ़ियों को लाभ पहुंचाने वाले निवेश के लिए उधार लेना चाहिए।

बजट के प्रकार

- **संतुलित बजट:** ऐसा बजट जिसमें वर्ष के दौरान सरकार का अनुमानित राजस्व उसके प्रत्याशित व्यय के बराबर होता है।
  - **कुल बजट व्यय = कुल बजट प्राप्तियाँ।**
  - उदाहरण के लिए - यदि बजट व्यय 2 लाकरोड़ रुपये है और बजट प्राप्तियां भी 2 लाकरोड़ रुपये हैं। तो इसे संतुलित बजट कहा जाता है।
- **असंतुलित बजट:** वह बजट जिसमें आय और व्यय एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, असंतुलित बजट के रूप में जाना जाता है। **यह 2 प्रकार का होता है:**

  1. **अधिशेष बजट:**
  - जब वित्तीय वर्ष का अनुमानित राजस्व नियोजित व्यय से अधिक हो जाता है, तो बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है।
  - **कुल बजट प्राप्तियाँ > कुल बजटीय व्यय।**
  - उदाहरण के लिए, यदि बजट व्यय 2 लाकरोड़ रुपये है और बजट प्राप्तियां 2.8 लाकरोड़ रुपये हैं, तो इसे अधिशेष बजट कहा जाता है।
  - अधिशेष बजट से सरकार की वित्तीय स्थिरता का पता चलता है।
  - बहुत अधिक मुद्रास्फीति के दौरान, सरकार सार्वजनिक व्यय को कम करके अधिशेष बजट रणनीति अपना सकती है, जो कुल मांग को कम करती है।

  2. घाटे का बजट:
  - ऐसा बजट जिसमें प्रत्याशित सरकारी व्यय प्रत्याशित राजस्व से अधिक होता है। यदि व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो यह घाटे का बजट कहा जाता है।
  - **कुल बजट प्राप्तियां ढकुल बजट व्यय**
  - उदाहरण के लिए, यदि बजट व्यय 2.4 लाकरोड़ रुपये है और बजट प्राप्तियां 2 लाकरोड़ रुपये हैं। फिर यह घाटे का बजट है।
  - कमी की भरपाई आम तौर पर जनता से उधार लेकर या अर्जित आरक्षित अधिशेष से धन निकालकर की जाती है।
  - कुछ मायनों में, घाटे के बजट को सरकार की देनदारी माना जाता है क्योंकि यह ऋण के भार को बढ़ाता है या सरकार के आरक्षित कोष को कम करता है।
  - भारत जैसे विकासशील देशों में, आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, और केवल कराधान के माध्यम से इन निधियों को बनाना संभव नहीं है। इसलिए, घाटे का बजट बनाना ही एकमात्र विकल्प होता है।
  - इसका उपयोग विकासशील देशों में नियोजित विकास को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग विकसित देशों में व्यापार और आर्थिक उतार चढ़ाव को सीमित करने के लिए एक स्थिरता उपकरण के रूप में किया जाता है।

बजट तैयार करने के विभिन्न तरीके

परिणामी बजट:

- इसे सबसे पहले 2005 में प्रस्तुत किया गया था, यह वित्तपोषण और अपेक्षित परिणामों के बीच संबंध के आधार पर बजट विकसित करने की प्रथा है।
- यह प्रत्येक मंत्रालय और विभाग की प्रगति और उसके बजट परिव्यय के साथ किए गए कार्यों का विश्लेषण करता है।
- इसमें एक वार्षिक वर्ष के दौरान सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए योजना या परियोजना-वार परिव्यय शामिल होते हैं, जो वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले संबंधित परिणामों के विरुद्ध सूचीबद्ध होते हैं।
- यह सभी सरकारी कार्यक्रमों के विकास परिणामों को मापता है।
- यह हमें यह भी बताता है कि क्या पैसा जिस उद्देश्य के लिए स्वीकृत किया गया था उसी के लिए खर्च किया गया है और उसके क्या परिणाम रहे।
- यह बजट के मात्रात्मक और गुणात्मक पहलुओं को मापता है।
- यह बजट को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाता है।
- अनुमानित कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को मौद्रिक संदर्भ में मापा जाता है।
- इसकी कार्यप्रणाली अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है- लक्ष्यों को निर्धारित करने में अंतर, जैसे कि मूल्यांकन के

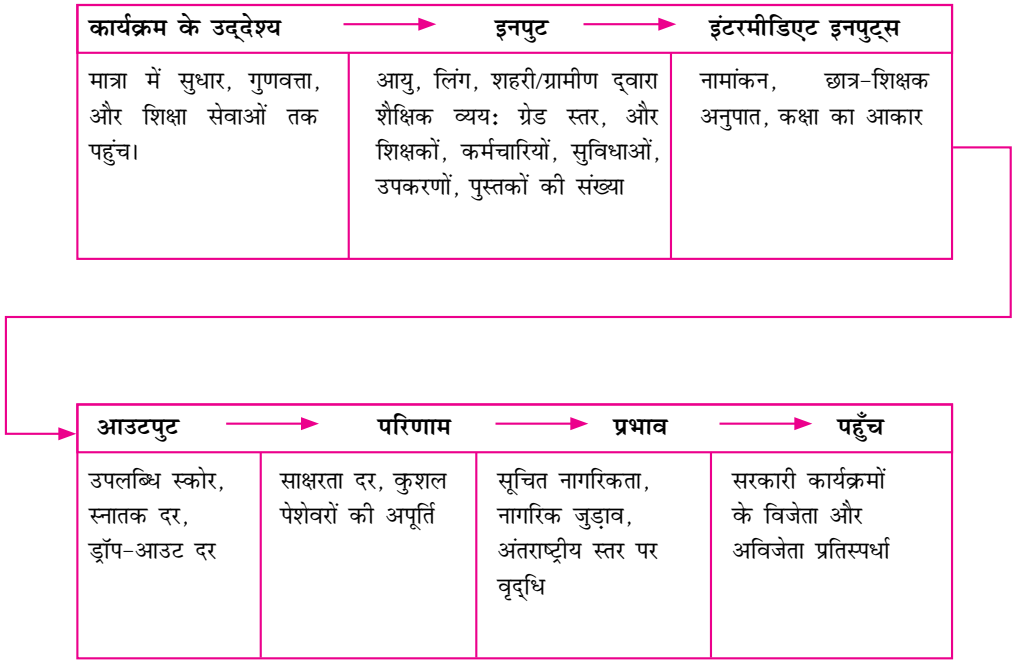
लिए आउटपुट या परिणाम का उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं।

- आउटपुट सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की भौतिक मात्रा के उपाय हैं। उदाहरण के लिए, बांधों का निर्माण, पुनर्निर्माण के लिए सड़कें, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना आदि।
- परिणाम का अर्थ है प्रगति का संकेत जैसे बीमारियों में गिरावट, साक्षरता दर में वृद्धि, बुनियादी ढांचे में सुधार आदि।
- यह सभी सरकारी कार्यक्रमों के विकास परिणामों को मापता है और यह जांचता है कि फंड उपयोग के परिणाम सहित, जिस उद्देश्य के लिए धन स्वीकृत किया गया था, उसके लिए पैसा खर्च किया गया है या नहीं।
- **परिणाम आधारित बजट की आवश्यकता**
  - पारंपरिक बजट प्रक्रिया राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, प्रत्येक योजना, कार्यक्रम आदि के लिए परिव्यय बढ़ाने पर केंद्रित है।
  - एक विकासशील देश के पास बहुत बड़े लक्ष्य होते हैं जिन्हें विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में हासिल करने की आवश्यकता होती है।
  - सार्वजनिक व्यय में रिसाव, भ्रष्टाचार आदि का सामना करना पड़ता है, जिसे ओबीबी के माध्यम से रोका जा सकता है।
  - विकास की प्रक्रिया को प्रभावी और तेज बनाता है और अधिक से अधिक जनसंख्या को अच्छे मानव विकास मानकों के अंतर्गत लाने में मदद करता है।
  - प्रदर्शन में पूर्ण सुधार प्रदान करता है और मध्यम और दीर्घकालिक योजना बनाने में मदद करता है।
- **परिणाम-आधारित बजट के लाभ:**
  - बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ाना। यह लोगों को आवंटित धन और प्रस्तावित परिणामों का मिलान करने में सक्षम बनाता है।
  - अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता को देखते हुए, सरकारी विभागों ने बजट को प्रदर्शन के साथ संरेखित किया।
  - जवाबदेही: सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं की प्रभावशीलता की जाँच करता है, इसलिए जवाबदेही में सुधार करता है।
  - ओबीबी चिन्हित प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में राजनेताओं और लोक सेवकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने में भी सहायता करता है।
  - यह पद्धति प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके लागत को कम करने में मदद करती है जहां निवेश अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
  - इसके लिए विभिन्न विभागों और सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है।
- **परिणाम-आधारित बजट के नुकसान:**
  - **जटिल उपाय** और इसमें बहुत सारी तकनीकी शामिल हैं।
  - अतिरिक्त लागत का जोखिम होता है और संपूर्ण बजट प्रक्रिया को भ्रमित करता है।
  - परियोजनाओं के परिणाम अकेले वित्त पोषण पर नहीं बल्कि कई कारकों द्वारा संचालित होते हैं।
  - एक ही बजट के लिए कई परिणाम देने के लिए, दिए गए संसाधनों और प्राप्त परिणामों के बीच सीधा संबंध खोजना मुश्किल हो सकता है।
- **भारत में परिणाम-आधारित बजट**
  - भारत में यह पहली बार 2005-06 में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह सूक्ष्म-स्तर, प्रदर्शन-आधारित वित्त योजना और प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करता है।
  - इसका उद्देश्य बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना था।
  - परिणाम और प्रदर्शन बजट को विलय कर दिया गया और 2008 में एक संयुक्त दस्तावेज के रूप में संसद में प्रस्तुत किया गया।
  - **इसकी कुछ चुनौतियाँ हैं:**
    - इसके प्रबंधन के लिए एक मजबूत और सतत प्रक्रिया की आवश्यकता है।
    - ओबीबी के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत प्रतिरोध है।
    - सार्वजनिक व्यय के निर्णयों को प्रभावित करने के लिए इसे एक मजबूत राजकोषीय साधन के रूप में उभरना अभी बाकी है।
    - वे अतिरिक्त लागत का कारण बनते हैं क्योंकि धन आवंटित करने से पहले अतिरिक्त विश्लेषण किया जाता है।

निष्पादन आधारित बजट

- बजट बनाने की एक विधि जो प्रदान करती है:
  - उद्देश्य और लक्ष्य जिसके लिए धन की आवश्यकता है।
  - कार्यक्रमों और संबंधित गतिविधियों की लागत।
  - प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादित किए जाने वाले आउटपुट या प्रदान की जाने वाली सेवाएं।

- इसका उद्देश्य सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार करना है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के वित्त पोषण को उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले परिणामों से जोड़ता है।
- इसका परिणाम व्यय की बेहतर प्राथमिकता और बेहतर सेवा प्रभावशीलता होता है।
- पारंपरिक बजट की तुलना में, प्रदर्शन आधरित बजट आर्थिक संसाधनों के अधिक लचीले उपयोग पर जोर देता है और इसका ध्यान इनपुट से परिणाम में बदल जाता है।
- यह विस्तृत लाइन आइटम से फोकस को व्यापक उद्देश्यों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के निष्पादन में बदल देता है और अधिक परिचित बजटीय निर्णय लेने की अनुमति देता है।



- **निष्पादन आधारित बजट सुधार के कारक:**
  - **बजट वर्गीकरण:** यह सरकार के रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवंटन पर ध्यान केन्द्रित करता है।
  - **निष्पादन मापन और रिपोर्टिंग:** एक सफल निष्पादन बजट प्रणाली के लिए लगातार निष्पादन माप और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है।
  - **निष्पादन** बजट लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए आउटपुट-केंद्रित प्रदर्शन प्रबंधन प्रतिमान।
  - **सूचित बजटीय निर्णय लेना:** यह बजटीय निर्णयों को अधिक आर्थिक मूल्यवान बनाता है।
- **निष्पादन बजट बनाने की प्रक्रिया:**
  - **निष्पादन रिपोर्टिंग बजट प्रक्रिया:** यह बजट के हिस्से के रूप में निष्पादन की जानकारी प्रदान करता है लेकिन संसाधन आवंटन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है।
  - **निष्पादन -सूचित बजट:** यह कार्यक्रम के निष्पादन को ध्यान में रखता है लेकिन निर्णय लेने में इसे केवल एक मामूली कारक के रूप में उपयोग करता है।
  - **निष्पादन -आधारित बजट:** इसका अर्थ है कि संसाधन आवंटन में निष्पादन जानकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन यह आवंटित राशि का आकलन नहीं करती है।
  - **निष्पादन -निर्धारित बजट:** यहां, संसाधनों का आवंटन सीधे और स्पष्ट रूप से निष्पादन की इकाइयों से संबंधित होता है।
- **निष्पादन बजट के लाभ**
  - **बजट निर्माताओं और नागरिकों के बीच संवर्धित संचार:** यह कार्यक्रम के लक्ष्यों/उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। यह कंपनियों और कर्मचारियों को उनके निष्पादन के लिए उचित अपेक्षाएं प्रस्तुत करता है।
  - **सरकारी एजेंसियों में बेहतर प्रबंधन:** यह कार्यक्रम प्रबंधकों को संगठनात्मक लक्ष्यों और कार्यक्रम के निष्पादन की पहचान करने में मदद कर सकता है, समस्याओं की बेहतर समझ के साथ, भविष्य के लिए संचालन और योजना, आंतरिक नियंत्रण में सुधार और कार्यक्रम के परिणामों को संप्रेषित कर सकता है।
  - **अधिक सूचित बजटीय निर्णय प्रक्रिया:** यह विचार-विमर्श के लिए सकारात्मक रूप से मूल्य संवर्धन

करता है क्योंकि निष्पादन की जानकारी का उपयोग वित्तपोषण का स्तर तय करते समय किया जाता है।

- **उच्च पारदर्शिता और जवाबदेही:** बजट विधायी निकाय और जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का एक अच्छा तरीका है।

- **निष्पादन बजट की कमियां:**
  - एक निर्धारित दस्तावेज बदली हुई परिस्थितियों के लिए नए बजट आवंटन की अनुमति नहीं देता है।
  - प्रत्येक विभाग का अपना बजट अनुरोध होता है। जब सभी विभागों और गतिविधियों ने अपने बजट अनुरोध प्रस्तुत कर दिए हों, तो किसी को बजट प्राथमिकताएँ निर्धारित करनी चाहिए।

लिंग आधारित बजट प्रक्रिया:

- लैंगिक मुख्यधारा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण; यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास का लाभ पुरुषों की तरह महिलाओं तक भी पहुंचे।
- यह एक लेखा प्रक्रिया नहीं है। यह नीति/कार्यक्रम निर्माण, उसके कार्यान्वयन और समीक्षा में लैंगिक परिप्रेक्ष्य रखने की एक प्रक्रिया है।
- यह सुनिश्चित करता है कि लैंगिक प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में परिवर्तित किया जाए।
- महिलाओं के सबसे वंचित समूहों पर सरकारी बजट के प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- इसकी आवश्यकता इस बात से उत्पन्न होती है कि राष्ट्रीय बजट संसाधन आवंटन के तरीके के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करता है।
- महिलाएं भारत की आबादी का 48% हिस्सा हैं, लेकिन वे कई सामाजिक संकेतकों पर पुरुषों से पीछे हैं, इसलिए उनकी भेद्यता और संसाधनों तक पहुंच की कमी के कारण उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **लिंग आधारित बजट प्रक्रिया के तर्क:**
  - 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 48 फीसदी है।
  - महिलाओं को सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण में असमानताओं का सामना करना पड़ता है।
  - सार्वजनिक व्यय और नीतिगत कार्यों का बड़ा हिस्सा श्लिंग-तटस्थ क्षेत्रोंश में होता है।
  - उपरोक्त क्षेत्रों में महिलाओं पर प्रभाव की मान्यता या पहचान नहीं की गई है।
  - लैंगिक-उत्तरदायी बजट नीतियां लैंगिक समानता, मानव विकास और आर्थिक दक्षता के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं।
- **भारत में लिंग आधारित बजट प्रक्रिया:**
  - भारतीय बजट में लिंग आधारित बजट विवरण (जीबएस) पहली बार 2005-06 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें दो भाग शामिल होते हैं:
    - भाग क महिलाओं के लिए 100% आवंटन के साथ महिला विशिष्ट योजनाओं को दर्शाता है।
    - भाग महिला समर्थित योजनाओं को दर्शाता है, जिसमें कम से कम 30% आवंटन महिलाओं के लिए होता है।
  - भारत के लिंग आधारित बजट प्रयास विश्व स्तर पर विशिष्ट हैं क्योंकि:
    - प्रभावित व्यय और राजस्व नीतियां भी (जैसे संपत्ति कर दरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग दरें और आयकर संरचना पर पुनर्विचार)
    - राज्य सरकारों के स्तर तक कर दिया गया है।
  - **इसमें चार अनुक्रमिक चरण शामिल हैं:**
    - ज्ञान निर्माण और नेटवर्किंग,
    - प्रक्रिया को संस्थागत बनाना,
    - क्षमता निर्माण, और
    - जवाबदेही बढ़ाना।
  - यह एक लेखा प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है। इसने लिंग-तटस्थ मंत्रालयों को महिलाओं के लिए नए कार्यक्रम तैयार करने में मदद की।
  - **लिंग आधारित बजट प्रकोष्ठ** (जीबीएस) को एक संस्थागत तंत्र के रूप में सभी मंत्रालयों/विभागों में स्थापित करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
  - जीबीएस लिंग आधारित प्रभाव विश्लेषण, लाभार्थी की आवश्यकता का आकलन और लाभार्थी घटना विश्लेषण का संचालन करते हैं ताकि सार्वजनिक व्यय की फिर से प्राथमिकता देने और कार्यान्वयन में सुधार आदि की गुंजाइश की पहचान की जा सके।
- **कमियां:**
  - केंद्रीय बजट के अनुपात में लिंग आधारित बजट की मात्रा में कमी आई है, और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बजटीय आवंटन में भी गिरावट देखी गई है।
  - महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्लूसीडी) की केवल कुछ बड़े बजट की महिला-विशेष योजनाएँ हैं जैसे निर्भया फंड और बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान।

- जीबीसी द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों को लागू करने के लिए समर्पित मानव संसाधनों की कमी।
- राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निगरानी के लिए कोई निर्धारित तंत्र न होने के कारण निगरानी सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है।

पारंपरिक बजट प्रकिया:

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो चालू वर्ष के लिए बजट बनाने के लिए उसी वर्ष के खर्च पर निर्भर करती है।
- यह पिछले बजटों की तुलना में वृद्धिशील बढोत्तरी की मांग करता है।
- यह केवल नए खर्चों का विश्लेषण करता है। (जबकि शून्य-आधारित बजट शून्य से शुरू होता है और नए व्यय के अतिरिक्त पुराने आवर्ती खर्चों का औचित्य मांगता है)।
- एकमात्र लाभ सरलता है सूची में प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वे पिछले वर्ष के खर्च को देसकते हैं और फिर मुद्रास्फीति की दर, बाजार की स्थिति, उपभोक्ता मांग आदि को जोड़/घटा सकते हैं।
- ज्यादातर लोग और कंपनियां इसे पसंद करते हैं क्योंकि वे पुराने आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं और फिर वे बहुत कम समय में बजट तैयार कर सकते हैं।
- यह बहुत ही सामान्य है क्योंकि इससे समय की बचत होती है।
- **लाभ:**
  - **एक ठोस ढांचा प्रदान करता है:** चूंकि यह एक संदर्भ बिंदु (पिछले वर्ष के आंकड़ों के बिंदु) पर आधारित है, इसलिए इसे प्रबंधित करना आसान हो जाता है।
  - **विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है:** चूंकि हर कोई पिछले साल के खर्च को देसकता है और अगले साल के लिए बजट तय कर सकता है, इसलिए यह विचार विकेंद्रीकृत हो जाता है।
  - **पारंपरिक बजट संगठनात्मक संस्कृति का हिस्सा बन जाता है:** चूंकि यह सबसे सरल तरीका है।
- **नुकसान:**
  - **मानवीय त्रुटियों की संभावना अधिक होती है:** गलती करना और गलतियाँ होना स्वाभाविक है।
  - **समय लेने वाली:** चीजों को छांटने और मुद्रास्फीति और अन्य कारकों को जोड़कर पिछले वर्ष के खर्च की तुलना अपेक्षित व्यय के साथ करने में बहुत समय लगता है।
  - **यह अपेक्षित व्यवहारों को प्रोत्साहित नहीं करता है:** इस बजट में, अपेक्षित व्यवहारों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है क्योंकि यह पिछले वर्ष के खर्च पर निर्भर करता है।
  - **खर्च और रणनीति के बीच कोई मिलाप नहीं:** स्थितियों में बदलाव के रूप में रणनीतियों को हर साल बदलने की जरूरत है। लेकिन यहां यह संभव नहीं है.
  - **गलत भविष्यवाणियां:** चूंकि यह पिछले वर्ष के डेटा बिंदुओं को आधार बिंदुओं के रूप में लेता है, इसलिए अगले वर्ष के लिए बजट की भविष्यवाणी सटीक नहीं हो सकती है।

शून्य-आधारित बजट प्रक्रिया (जेडबीबी):

- इसे पहली बार 1924 में प्रस्तुत किया गया।
- यह स्क्रैच या श्शून्य-आधारश से बजट की योजना बनाने और तैयार करने को संदर्भित करता है। यह पारंपरिक बजट से अलग है जो पिछले बजट पर आधारित होता है।
- इस प्रक्रिया में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रत्येक मंत्रालय के व्यय की समीक्षा और औचित्य शामिल होता है।
- कोई अधिशेष राशि आगे नहीं बढ़ाई जाती है, या कोई पूर्व-प्रतिबद्ध व्यय नहीं होता है।
- जब भी कोई बजट बनाया जाता है तो सभी खर्चों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक नई अवधि के लिए खर्चों को उचित ठहराया जाता है।
- जबकि पारंपरिक बजट वृद्धिशील बढोत्तरी की मांग करता है, जेडबीबी खर्च करने वालों पर हर बार खर्च को सही ठहराने के लिए दबाव डालता है, और लागत को कम कर सकता है।
- जेडबीबी को नीति विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया था। हालाँकि, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, जेडबीबी विवेकपूर्ण खर्च पर जोर देने के लिए वापस आया।
- **शून्य आधारित बजट के लाभ:**
  - **लाभप्रदता विश्लेषण:** चूंकि प्रत्येक गतिविधि को उचित ठहराया जाना है, इसलिए ऐसी गतिविधियों को हटाना आसान हो जाता है जिनका निष्पादन अच्छा नहीं है या जो पर्याप्त लाभ नहीं दे रहे हैं।
  - **संसाधन गहन:** यह एक सटीक समीक्षा करता है और मौजूदा बजट को संशोधित करने के बजाय हर बजट तत्व को सही सिद्ध करता है।
  - **खर्चों पर नजर रखना:** इसमें ध्यान दोनों कारकों पर दिया जाता है - श्एक ईकाई में कितना खर्च होगाश और श्क्यों खर्च होगाश।
  - **अतिरेक को कम करना:** यह सभी अनुत्पादक या अप्रासंगिक गतिविधियों को हटाकर अवसर पैदा करता है और अधिक किफायती तरीके की ओर ले जाता है।

- **बजट पर नियंत्रण:** शून्य-आधारित बजट पद्धति के अन्तर्गत खर्च किए गए प्रत्येक पैसे को कुछ हासिल करना होता है क्योंकि यह बिना सोचे-समझे खर्च को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
- **समन्वित:** शून्य-आधारित बजट, पहल करने और जिम्मेदारी लेने दोनों को प्रोत्साहित करता है ताकि आपके खर्च को समन्वित किया जा सके।

- **शून्य आधारित बजट के नुकसान:**
  - **अल्पकालिक सोच को महत्व देना:** यह संसाधनों को उन क्षेत्रों की दिशा में आवंटित करके अल्पकालिक सोच को पुरस्कृत कर सकता है जो बाद के बजाय जल्द ही लाभ देंगे।
  - **बहुत अधिक कागजी कार्रवाई:** यह एक बड़ी कमी है और शून्य-आधारित बजट की विफलता के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। प्रक्रिया के लिए बहुत अधिक कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जो संगठनों के लिए श्रमसाध्य बनाती है।
  - **जटिल और महंगा:** शून्य-आधारित बजट बहुत महंगा हो सकता है, साथ ही इसे लागू करने में समय लेने वाला और जटिल भी हो सकता है। इस प्रकार, छोटी सरकारों और विभागों को परेशानी हो सकती है।
  - **उच्च कार्यबल की आवश्यकता:** क्योंकि इसमें शून्य से पूरा बजट बनाना शामिल है। कई विभागों के पास इसके लिए उचित समय और कार्यबल उपलब्ध नहीं होता है।
  - **अनुभव की कमी:** प्रत्येक छोटी वस्तु और लागत की व्याख्या करना एक कठिन कार्य है और इसके लिए प्रशिक्षित अनुभवी प्रबंधकों की आवश्यकता होती है।
- **भारत में शून्य आधारित बजट:**
  - शून्य-आधारित बजट की अवधारणा को 1983 में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपनाया गया था।
  - 1986 में, भारत सरकार ने व्यय बजट के निर्धारण के लिए शून्य-आधारित बजट को एक प्रणाली के रूप में लागू किया।
  - सरकार ने सभी मंत्रालयों के लिए अपनी गतिविधियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना और शून्य-आधारित बजट की अवधारणा के आधार पर अपने व्यय अनुमान तैयार करना अनिवार्य कर दिया।
  - सातवीं पंचवर्षीय योजना ने जेडबीबी की अवधारणा को बढ़ावा दिया। लेकिन, वर्तमान में भारत में अवधारणा का सीमित अनुप्रयोग होता है।

पारंपरिक बजट	शून्य आधारित बजट
• पिछले वर्ष को अगले वर्ष का बजट बनाते समय आधार के रूप में लिया जाता है। • यह व्यय के लिए आवंटन करने वाले पिछले वर्षों को संदर्भित करता है। • बजट बनाने का एक लेखा उन्मुतरीका। • नए कार्यक्रमों की मुद्रास्फीति और व्यय पिछले वर्ष के खर्चों पर अतिक्रमित होता है। • कम प्रतिक्रिया होती है। • आसान प्रक्रिया।	• हर बजट में शून्य से गतिविधियों और खर्चों का पुनर्मूल्यांकन शामिल होता है। • यह व्यय या आवंटन के लिए पिछले वर्षों का उल्लेनहीं करता है। • बजट बनाने का निर्णय आधारित तरीका। परियोजनाओं को उनकी प्रासंगिकता के आधार पर धन आवंटित किया जाता है। • बेहतर चित्र और प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। • एक जटिल प्रक्रिया।

सूर्यास्त बजट

- शून्य आधारित बजट के समान।
- प्रत्येक योजना/गतिविधि के लिए प्रत्येक आवंटित निधि की एक पूर्व-निर्धारित समय सीमा होती है।

बजट का महत्व और महत्ता

- **उचित संसाधन पूल आवंटन:** कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने से संसाधनों को उपयोगी और टिकाऊ तरीके से आवंटित करने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि धन वहां पहुंचे जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में मदद करता है।
- **आर्थिक विकास सुनिश्चित करना:** बजट सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में कर लगाने को विनियमित करने की अनुमति देता है। कर उपायों का उपयोग करना; निवेश और बचत को प्रोत्साहित करना जो आर्थिक विकास को निर्धारित कर सकता है।
- **व्यवसाय और व्यापार का विकास:** सरकार बजट आवंटन के अनुसार अपनी नीतियों को संशोधित करने और आर्थिक समृद्धि में योगदान देने के लिए व्यवसाइयों को प्रोत्साहित कर सकती है।

- **आर्थिक विभाजन को कम करना:** बजट के माध्यम से वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी नीतियों को शुरू करके आर्थिक असमानता और असमानता को दूर किया जा सकता है।
- **पीएसयू के संचालन का प्रशासन:** एक बजट उपक्रमों की वृद्धि में सहायता के लिए नीतियों और योजनाओं को शुरू करने में सहायता करता है।

भारतीय बजट के मुद्दे और चुनौतियाँ

- **अवास्तविक बजट अनुमान:** आबंटित राशियाँ प्राय: वास्तविक नहीं होती हैं। उचित अनुमानों के अभाव में बार-बार संशोधन होते हैं जबकि दूसरी ओर, वर्ष के अंत में बड़ी मात्रा में निधियां अव्ययित रह जाती हैं।
- **परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा:** संसाधन सीमित हैं और इसलिए कम हो रहे हैं। कुछ मामलों में केवल सांकेतिक प्रावधान किए जाते हैं, जिसके कारण अक्सर परियोजनाओं के निष्पादन में अत्यधिक देरी होती है।
- **अपर्याप्त अनुपालन:** बजट खर्च के लिए बनाई गई योजना का पालन न होना। यदि योजना कई वर्षों में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की है; तो आवंटन और कार्यान्वयन में निरंतरता होनी चाहिए।
- व्यय और योजना के वास्तविक कार्यान्वयन के बीच सहसंबंध की कमी जिसके लिए धन आवंटित किया गया है।
- **अनुचित व्यय:** कई विभाग नए आवंटन के लिए दावा करने के लिए अन्तिम कुछ महीनों में ही पैसा खर्च करते हैं। यह खर्च गुणात्मक नहीं होता है।
- **वित्तीय स्थिति का गलत विवरण:** विभाग उस बैंक के वित्तीय स्थिति को जाने बिना गैर-सरकारी खातों में पैसा डालता है। यह बजट के पैसे को जोखिम में डालता है क्योंकि उस राशि का केवल एक अंश डीआईसीजीसी द्वारा बीमित किया जाता है।
- **तदर्थ परियोजना घोषणाएँ:** धन आवंटन की चिंता किए बिना बजट के बाहर परियोजनाओं की घोषणा की जाती है।

सरकारी बजट के घटक

- **राजस्व**- किसी फर्म या सरकार के लिए आय की प्रकृति में धन सृजन का हर रूप, कमाई राजस्व है, जो सरकार की वित्तीय देनदारियों, यानी कर आय, गैर-कर आय के साथ-साथ विदेशी अनुदानों में वृद्धि नहीं करती है।
- **गैर-राजस्व**- धन सृजन का हर रूप जो किसी फर्म या सरकार के लिए आय या कमाई नहीं है (यानी, उधार के माध्यम से उठाया गया धन) को गैर-राजस्व स्रोत माना जाता है यदि वे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि करते हैं।
- **राजस्व बजट**- बजट का वह भाग जो सरकार द्वारा राजस्व की आय और व्यय से संबंधित होता है। आय और व्यय दोनों अल्पावधि (एक वर्ष से कम) के होते हैं। वे सड़क, पुल, नहर आदि जैसी स्थायी पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाते हैं।
  - यह कुल राजस्व प्राप्तियों और कुल राजस्व व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।
  - यदि अधिशेष धनात्मक है तो यह राजस्व अधिशेष बजट है, और यदि यह ऋणात्मक है तो यह राजस्व घाटा बजट है।
  - यह सरकार की प्रत्याशित राजस्व प्राप्तियों और व्यय को भी दर्शाता है।
  - राजस्व बजट में कर और गैर-कर राजस्व दोनों शामिल होते हैं। दो घटक हैं:
    - **राजस्व प्राप्तियां**- ये सरकार के लिए देनदारियों का निर्माण नहीं करती हैं और कर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर) और गैर-कर स्रोतों (प्राप्त अनुदान, लाभ आदि) दोनों से हो सकती हैं। इसमें सरकार की देनदारियां शामिल नहीं हैं क्योंकि यह चुकाए जाने वाले कर्ज के मामले में देयता पैदा करेगा।
    - **राजस्व व्यय**- वह व्यय जो परिसंपत्ति नहीं बनाता (जैसे वेतन, मजदूरी, ब्याज भुगतान, सब्सिडी आदि)। ये अल्पकालिक या वर्तमान प्रकृति के होते हैं और इनमें रखरखाव और मरम्मत की लागत शामिल होती है। ये संपत्ति नहीं बनाते हैं और सरकारों की दिन-प्रतिदिन खर्चे हैं।
- **पूंजीगत बजट**- बजट का वह भाग जो सरकार द्वारा पूंजी की प्राप्तियों और व्यय से संबंधित होता है। यह दीर्घकालिक और स्थायी संपत्ति बनाता है और प्राप्तियां बढ़ाता है जो देनदारियों को बना सकती है या नहीं। जैसे सड़कें, पुल, नहरें आदि।
  - **पूंजीगत प्राप्तियां**- इसमें जनता से लिया गया ऋण, आरबीआई और अन्य स्रोतों से उधार, विदेशी निकायों से ऋण और केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों आदि से ऋण की वसूली शामिल है।
  - **पूंजीगत व्यय**- यह संपत्ति (भवन, मशीन आदि), शेयरों में निवेश, केंद्र द्वारा राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और अन्य आदि को ऋण आदि पर व्यय है।
- **प्राप्तियां:**
  - **इसमें शामिल होते हैं:**
  - **पूंजीगत प्राप्तियां:** ऐसी प्राप्तियां जो परिसंपत्तियों में कमी या सरकार की देनदारियों में वृद्धि की ओर ले जाती हैं। यह होती हैं:

- परिसंपत्तियों (या विनिवेश) जैसे कि सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों को बेचकर अर्जित धन, और
- राज्यों द्वारा केंद्र को उधार लेने या ऋण चुकाने के रूप में प्राप्त धन।

- **राजस्व प्राप्तियाँ:** ऐसी प्राप्तियाँ जिनका सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें सरकार द्वारा कर (जैसे उत्पाद शुल्क, आयकर) और गैर-कर स्रोतों (जैसे लाभांश आय, लाभ, ब्याज प्राप्तियां) के माध्यम से अर्जित धन शामिल है।
- **कर राजस्व प्राप्तियां:** इसमें सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न करों के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित सभी धन शामिल हैं, यानी सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह।
- **गैर-कर राजस्व प्राप्तियां:** इसमें करों के अलावा अन्य स्रोतों से सरकार द्वारा अर्जित सभी प्रकार का धन शामिल हैं। भारत में ये प्राप्तियां हैं:
  - लाभ और लाभांश जो सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से प्राप्त करती है।
  - इसके द्वारा अग्रेषित किए गए सभी ऋणों में से सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज, चाहे वह देश के भीतर हो (अर्थात, आंतरिक ऋण) या देश के बाहर (अर्थात, बाह्य ऋण। इसका अर्थ है कि यह आय घरेलू और विदेशी दोनों मुद्राओं में हो सकती है।
  - राजकोषीय सेवाएं भी सरकार के लिए आय उत्पन्न करती हैं, जैसे मुद्रा छापना, स्टाम्प मुद्रण, सिक्का निर्माण और पदकों की ढलाई आदि।
  - सामान्य सेवाएं भी सरकार के लिए बिजली वितरण, सिंचाई, बैंकिंग, बीमा, सामुदायिक सेवाओं आदि के रूप में पैसा कमाती हैं।
  - सरकार द्वारा वसूल किया गया शुल्क, शास्तियां और जुर्माना।
  - अनुदान जो सरकारें प्राप्त करती हैं-केंद्र सरकार के मामले में यह हमेशा बाहरी और राज्य सरकारों के मामले में आंतरिक होता है।

- **व्यय:**
  - इसमें पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल हैं।
  - **पूंजीगत व्यय:** संपत्ति बनाने या देनदारियों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें शामिल हैं:
    - सड़कों और अस्पतालों जैसी परिसंपत्तियां बनाने पर सरकार द्वारा दीर्घावधि निवेश, और
    - सरकार द्वारा राज्यों को ऋण के रूप में दिया गया धन या उसके उधार की अदायगी।
    - सरकार का योजनागत व्यय
    - रक्षा पर पूंजीगत व्यय
    - सामान्य सेवाएं- रेलवे, डाक सेवाएं, जलापूर्ति, बिजली आदि।
    - अन्य देनदारियां- अन्य प्राप्तियों की मदों पर सरकार की सभी चुकौती देनदारियां।
  - **राजस्व व्यय:** सरकार द्वारा किया गया वह व्यय है जो उसकी संपत्ति या देनदारियों को प्रभावित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, इसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।
    - आंतरिक और बाहरी ऋणों पर सरकार द्वारा ब्याज भुगतान;
    - सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा भुगतान किया गया वेतन, पेंशन और भविष्य निधि;
    - सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों को दी जाने वाली सब्सिडी;
    - सरकार द्वारा रक्षा व्यय;
    - सरकार के डाक घाटे;
    - कानून और व्यवस्था पर व्यय (यानी, पुलिस और अर्धसैनिक बल);
    - सामाजिक सेवाओं पर व्यय (शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, आदि के रूप में सभी सामाजिक क्षेत्र व्यय शामिल हैं) और सामान्य सेवाएं (कर संग्रह, (आदि);
    - भारतीय राज्यों और विदेशों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान।

योजनागत बनाम गैर- योजनागत व्यय

2017-18 से अब एक अवधारणा के रूप में उपयोग नहीं किया गया है और अब उपयोग किया जाने वाला वर्गीकरण ''पूंजीगत और राजस्व व्यय'' का है क्योंकि:

- रंगराजन समिति ने 2011 में "योजनागत और गैर-योजनागत व्यय" के बीच के अंतर को समाप्त करने की सिफारिश की थी।

- योजना आयोग को समाप्त कर दिए जाने के बाद निर्णय लिया गया था, जिसे योजनागत व्यय के संबंध में परामर्श दिया गया था।
- नया वर्गीकरण आय, व्यय और परिणामों के बीच एक पारदर्शी कड़ी स्थापित करता है।

योजनागत व्यय	गैर योजनागत व्यय
• व्यय जो संबंधित मंत्रालयों और (पूर्ववर्ती) योजना आयोग द्वारा अनुमानित हैं।	• मुख्य रूप से सरकारी खर्च राजस्व व्यय के रूप में लेकिन पूंजीगत व्यय भी हो सकता है। • यह सरकार के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा होता है। • जैसे रक्षा खर्च, कर्ज और ब्याज भुगतान, सब्सिडी आदि।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में काले धन के निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भारत सरकार के लिए चिंता का मुख्य कारण रहा है? (2021)

(*a*) अचल संपत्ति की खरीद और लक्जरी घरों में निवेश के लिए संसाधनों का विचलन

(*b*) अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और कीमती पत्थरों, आभूषणों, सोने की खरीद, आदि।

(*c*) राजनीतिक दलों को बड़ा दान और क्षेत्रवाद का विकास

(*d*) **कर अपवंचन के कारण राजकोष को राजस्व की हानि**

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, गैर-वित्तीय ऋण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? (2020)

1. परिवारों द्वारा बकाया आवास ऋण
2. क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि
3. ट्रेजरी बिल

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1 (*b*) केवल 1 और 2

(*c*) केवल 3 **(*d*) 1, 2 और 3**

3. निम्नलिखित में से कौन सा/से भारत सरकार के पूंजीगत बजट में शामिल है/हैं? (2016)

1. सड़क, भवन, मशीनरी आदि जैसी संपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय।
2. विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण।
3. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण और अग्रिम।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(*a*) केवल 1 (*b*) केवल 2 और 3

(*c*) केवल 1 और 3 **(*d*) 1, 2 और 3**

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. पूंजीगत बजट और राजस्व बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के घटकों की व्याख्या कीजिए। (2021)

एक कंपनी का पूंजीगत व्यय (CapEX)

- केपेक्स एक कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्रों, भवनों, प्रौद्योगिकियों या उपकरणों जैसी भौतिक संपत्तियों को प्राप्त करने, उन्नयन करने और बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला धन है।
- इसका उपयोग अक्सर नई परियोजनाओं या निवेशों को लेने के लिए किया जाता है। जैसे भूमि, वाहन या भारी मशीनरी, पेटेंट, फर्नीचर आदि की खरीद।
- 1 वर्ष से कम जीवन अवधि वाली वस्तुओं के लिए; इसे केपेक्स के अन्तर्गत नहीं गिना जाता है।
- इसे कंपनी की बैलेंस शीट पर व्यय के बजाय निवेश के रूप में दिखाया जाता है।
- एक पूंजी गहन उद्योग के पास एक उद्योग की तुलना में उच्च केपेक्स होगा जो कि पूंजी गहन नहीं है। जैसे तेल की खोज, उत्पादन, दूरसंचार, विनिर्माण आदि।
- **केपेक्स** = पीपी एंड ई (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) में परिवर्तन + वर्तमान मूल्यह्रास

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है।
2. ऋण वित्तपोषण को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तपोषण को राजस्व व्यय माना जाता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1 (*b*) केवल 2

(*c*) 1 और 2 दोनों (*d*) न तो 1 और न ही 2

व्यय प्रबंधन आयोग (ईएमसी)

- 2014-15 के बजट में भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा बजट भाषण में इसके गठन की घोषणा की गयी।
- यह प्रमुव्यय सुधारों का सुझाव देने की प्राथमिक जिम्मेदारी वाली एक अनुशंसात्मक संस्था है जो सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को अधिक स्थायी स्तरों पर कम करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है।

वित्त मंत्रालय और उसके विभाग

- इनमें से प्रत्येक विभाग में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में सचिव स्तर का अधिकारी (आमतौर पर एक आईएएस) होता है। उनमें से सबसे वरिष्ठ को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है और एक रुपये के नोट पर उनके हस्ताक्षर होते हैं।

आर्थिक मामलों का विभाग

- डीईए राजकोषीय नीति, रेल बजट सहित केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है।
- यह बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों के लिए भी बजट बनाता है।
- यह छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की घोषणा करता है और किसी विशेष क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा देता है।
- **संबंधित विभाग और संगठन:**
  - अनुच्छेद 280 (संवैधानिक निकाय) के अन्तर्गत वित्त आयोग।
  - भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अन्तर्गत वैधानिक निकाय)।
  - मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यालय
  - सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआई)।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1- संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? (सीएसई-2010)

(*a*) राजस्व विभाग

(*b*) **आर्थिक मामलों का विभाग**

(*c*) वित्तीय सेवा विभाग

(*d*) व्यय विभाग

व्यय विभाग

- इस विभाग में लेखा महानियंत्रक (सीजीए) उस धन का प्राक्कलन तैयार करता है जिसे भारत की संचित निधि से खर्च किया जाएगा।
- यह वेतन आयोग की रिपोर्ट, पेंशन लेखा कार्यालय आदि से भी संबंधित है।

राजस्व विभाग

- यह कराधान के मामलों को देखता है।
- **संबंधित निकाय/संगठन:**
  - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, कराधान से संबंधित विभिन्न न्यायाधिकरण और अपीलीय निकाय। (वैधानिक निकाय)
  - प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, वित्तीय खुफिया इकाई। (अधीनस्थ निकाय)
  - माल और सेवा कर नेटवर्क (100% सरकारी स्वामित्व वाला संबद्ध उपक्रम)

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. सही कथन खोजें: (2015)

1. राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए जिम्मेदार है।
2. भारत की संसद की अनुमति के बिना भारत की संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती है।
3. सार्वजनिक खाते से किए गए सभी संवितरणों को भी भारत की संसद से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

कूट:

(*a*) केवल 1 और 2 (*b*) केवल 2 और 3

(*c*) केवल 2 (*d*) 1, 2 और 3

वित्तीय सेवा विभाग

- वित्तीय समावेशन, पीएसबी पर्यवेक्षण और पुनर्पूंजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय मध्यस्थों सहित उनके नियामकों (ईपीएफओ, ईएसआईसी आदि को छोड़कर) के लिए विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्य।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी)।
- **संबंधित संगठन/निकाय:**
  - बैंक बोर्ड ब्यूरो (राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से स्थापित)।
  - नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) मुद्रा लोन, स्टैंड-अप इंडिया लोन और कौशल विकास और शिक्षा से संबंधित गारंटी प्रदान करती है।

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)

- यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश लक्ष्यों को देखता है।

घाटे की अवधारणा और इसके विभिन्न प्रकार

वित्तीय दृष्टि से, घाटा तब होता है जब खर्च राजस्व से अधिक हो जाता है, आयात निर्यात से अधिक हो जाता है, या देनदारियां संपत्ति से अधिक हो जाती हैं। घाटा कमी या हानि का पर्याय है और अधिशेष के विपरीत है।

- **राजस्व घाटा:** यह सरकार के कुल राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर के नकारात्मक शुद्ध को संदर्भित करता है।
  - **राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियाँ**
  - राजस्व घाटे में केवल ऐसे लेनदेन शामिल होते हैं जो सरकार की वर्तमान आय और व्यय को प्रभावित करते हैं।
  - जब सरकार को राजस्व घाटा होता है, तो इसका तात्पर्य है कि सरकार जितना खर्च कर रही है उससे कम राजस्व कमा रही है
  - यह दर्शाता है कि सरकार अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग अपने उपभोग व्यय के एक हिस्से को वित्तपोषित करने के लिए कर रही है।
  - इसे प्रतिशत के रूप में (जीडीपी के संबंध में) के साथ-साथ मात्रात्मक रूप में भी दिखाया जा सकता है।
  - **प्रभाव:**
    - **परिसंपत्तियों में कमी:** क्योंकि सरकार को या तो उधार लेकर या अपनी संपत्तियों की बिक्री (विनिवेश) द्वारा पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर को भरना है।
    - **मुद्रास्फीति की स्थिति:** सरकार के सामान्य उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए पूंजीगत खाते से उधार ली गई धनराशि का उपयोग करने के बाद बनाया जा सकता है।
    - **अधिक राजस्व घाटा:** बड़ी उधारी देनदारी और ब्याज भुगतान बढ़ने के साथ कर्ज का बोझ बढ़ेगा।
    - **ऋण चुकौती:** एक उच्च राजस्व घाटा बदतर होता है क्योंकि यह भविष्य में उच्च पुनर्भुगतान बोझ को निवेश के माध्यम से लाभ से मेल नहीं खाता है।
  - **राजस्व घाटा (आरडी) कम करने के उपाय:**
    - व्यय में कटौती करना या कर और गैर-कर प्राप्तियों में वृद्धि करना।
    - विशेषकर अमीर लोगों पर करों की दर बढ़ाना और जहाँ भी संभव हो नए करों को लागू करना।
    - अनावश्यक खर्च कम करने का प्रयास करना।
- **प्रभावी राजस्व घाटा (ईआरडी):**
  - केंद्रीय बजट 2011-2012 में सी. रंगराजन समिति द्वारा शुरू की गई अवधारणा।
  - एफआरबीएम संशोधन अधिनियम 2012 ने इसे वैधानिक दर्जा दिया। यह लेखांकन में सुधार करता है
  - **'प्रभावी राजस्व घाटा'**, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के बीच का अंतर है।
  - **अनुदान में शामिल हैं:** केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों जैसे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना आदि के कार्यान्वयन के लिए केंद्र से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिया गया अनुदान।
  - **आवश्यकता:** ऐसे अनुदान होते हैं जिनका उपयोग पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए किया जाता है और वे पूरी तरह से अनुत्पादक नहीं होते हैं; लेकिन राजस्व व्यय के अन्तर्गत प्रदर्शित होते हैं। परिभाषा के अनुसार राजस्व व्यय किसी उत्पादक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं कर सकता है। इस प्रकार एक नई 'शब्दावली' का निर्माण हुआ। जैसे मनरेगा से सड़कें, तालाब आदि बनते हैं।
  - यह पूंजीगत व्यय को समायोजित करने और पूंजी खाते में वास्तविक घाटे की गणना करने में मदद करता है।
- **पूंजी घाटा:**
  - ऐसा कोई शब्द मौजूद नहीं है। लेकिन हम आम तौर पर "पूँजी की कमी, पूंजी का अभाव" जैसे शब्दों का प्रयोग नियमित रूप से सुनते हैं।
  - मूल रूप से, इसका अर्थ है कि सरकार सार्वजनिक व्यय के लिए आवश्यक धन/धन/पूंजी की समस्या का सामना कर रही है। (व्यय राजस्व या पूंजी प्रकार का हो सकता है)
  - अगर इस स्थिति को दर्शाने के लिए कोई टर्म होता तो वह पूँजीगत घाटा होता।
- **राजकोषीय घाटा:**
  - यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय (पूंजी और राजस्व) और इसकी कुल प्राप्तियों (पूंजी और राजस्व) के बीच का अंतर है।
  - यह हमें वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की ऋण आवश्यकताओं के बारे में बताता है। एक अधिशेष तब होता है जब प्राप्तियां व्यय से अधिक होती हैं।
  - **राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण सृजित पूंजीगत प्राप्तियां)।**
  - इसी तरह, सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय से अधिक है।
  - **सकल राजकोषीय घाटा = (कुल व्यय + ऋण सेवा) - (राजस्व प्राप्तियां + गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां)**
  - सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था की स्थिरता को देखते हुए सकल राजकोषीय घाटा एक महत्वपूर्ण चर है।
  - **राजस्व घाटे के बिना राजकोषीय घाटा तब हो सकता है जब:**

- राजस्व बजट संतुलित होता है लेकिन पूंजीगत बजट घाटे को दर्शाता है।
- राजस्व बजट अधिशेष में है लेकिन पूंजीगत बजट में घाटा राजस्व बजट के अधिशेष से अधिक है।
- **राजकोषीय घाटा पूरा किया जाता है:**
  - घरेलू स्रोतों से उधार लेना- जैसे, सार्वजनिक और वाणिज्यिक बैंक, भविष्य निधि और लघु बचत योजनाओं में जमा।
  - इसे घाटे की वित्त व्यवस्था से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि नहीं करता है जो मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है।
- बाहरी स्रोतों से उधार लेना- विश्व बैंक, आईएमएफ और विदेशी स्रोत।
- हीनार्थ प्रबन्धन- इसमें नए करेंसी नोट छापकर अर्थव्यवस्था में पैसा डालना शामिल है।
  - भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से उधार लेकर।
  - सरकार उन प्रतिभूतियों को जारी करती है जिन्हें आरबीआई सरकार से नकद के बदले में खरीदता है।
  - यह नकदी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के बदले नए करेंसी नोट छापकर बनाई जाती है।
  - इस प्रकार, यह धन जुटाने का एक आसान तरीका है लेकिन इसके प्रतिकूल प्रभाव भी होते हैं।
  - यह मुद्रास्फीतिकारी है और इसे अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- **राजकोषीय घाटे के प्रभाव:**
  - यह फायदेमंद होगा, अगर यह नई पूंजीगत संपत्ति बनाता है जो उत्पादक क्षमता में वृद्धि करता है और भविष्य के लिए आय का साधन बनता है।
  - यह हानिकारक होगा अगर इसका उपयोग सिर्फ राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है।
  - ऋण जाल: उधारी ब्याज और ऋण चुकौती की समस्या पैदा करती है। इस प्रकार, अधिक उधार लेने से देयता बढ़ जाती है। ब्याज के भुगतान से राजस्व घाटे के साथ-साथ राजस्व व्यय में भी वृद्धि होती है। यदि उधारी बहुत अधिक है, तो सरकार को ब्याज भुगतान के लिए भी पैसा उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। इस प्रकार सरकार कर्ज के जाल में फंस जाती है।
  - मुद्रास्फीति का दबाव: घाटे के वित्तपोषण के कारण जो आरबीआई अधिक पैसा छापकर करता है।
  - आंशिक उपयोग: उधारी का वह भाग जो ब्याज चुकाने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होता है। व्यय के वित्तपोषण के लिए केवल प्राथमिक घाटा (राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान) उपलब्ध होता है।
  - भविष्य की वृद्धि को रोकता है: उधार लेना भविष्य की पीढ़ियों पर एक वित्तीय बोझ है। इस प्रकार यह अर्थव्यवस्था के विकास को धीमा कर देता है।
- **राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय:**
  - राजस्व बढ़ाना
  - सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना
  - विनिवेश पर ध्यान देना
  - सार्वजनिक व्यय को कम करना
  - कर आधार को व्यापक करना
  - टैक्स चोरी की प्रभावी जांच
  - गैर-योजनागत व्यय को कम करने के लिए मितव्ययिता कदम
  - राजस्व बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक जोर
  - सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में शेयरों का पुनर्गठन और बिक्री
  - सतर्कता बढ़ाकर और नई तकनीकों का उपयोग करके लीकेज से बचें

- **प्राथमिक घाटा:**
  - प्राथमिक घाटा चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे में से पिछले वर्ष के ब्याज भुगतानों को घटाने के बराबर होता है।
  - यह ब्याज भुगतानों को छोड़कर सरकार की उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है (जबकि एफडी ब्याज भुगतानों के साथ उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है)।
  - शून्य प्राथमिक घाटा इंगित करता है कि सरकार को केवल तभी उधार लेने की आवश्यकता है जब उसे ब्याज भुगतान करना हो।
  - प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
  - महत्त्व:
    - इससे पता चलता है कि सरकार की उधारी से ब्याज भुगतान के अलावा अन्य खर्चों की कितनी पूर्ति होगी।
    - यह आम तौर पर राजकोषीय गैरजिम्मेदारी के बुनियादी उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है

- शून्य प्राथमिक घाटे का मतलब है कि सरकार को केवल ब्याज भुगतान करने के लिए उधारी का सहारा लेना पड़ता है।
- वर्तमान व्यय के कारण उधार की आवश्यकता जानने के लिए हमें प्राथमिक घाटे की गणना करने की आवश्यकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (2017)

1. पिछले एक दशक में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है।
2. भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा पिछले एक दशक में लगातार बढ़ा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2

(*c*) 1 और 2 दोनों

(*d*) न तो 1 और न ही 2

2. साल-दर-साल लगातार घाटा बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई/कार्रवाइयां की जा सकती हैं? (2016)

1. राजस्व व्यय में कमी
2. नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत
3. सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना
4. आयात शुल्क कम करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2 और 3

(*c*) केवल 1 और 3

(*d*) 1, 2, 3 और 4

हीनार्थ प्रबन्धन की अवधारणा

जब सरकार किसी नए फंड को उधार लेने या ढालने के माध्यम से घाटे के बजट का वित्त पोषण या समर्थन करती है; इसे हीनार्थ प्रबन्धन कहा जाता है।

- जब कुल सरकारी आय (पूँजी खाता + राजस्व खाता) उसके कुल व्यय से कम हो; इस प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।
- सरकार निम्न में से एक या अधिक द्वारा ऐसा करती है:
  - आंतरिक साधनों से लिया गया उधार - बांड और अन्य प्रतिभूतियों, केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों या यहां तक कि तदर्थ टी-बिलों के रूप में जनता से उधार लेना।
  - मुद्रा छापना - आरबीआई से और नोट छापने को कह की उससे उधार लेना।
  - बाहरी सहायता- वे आम तौर पर कम या बिना ब्याज दरों के साथ उपलब्ध होती है।
  - बाहर से उधार लेना- इसका लाभ यह है कि इसमें हासकारी प्रभावष नहीं होता है जो आंतरिक उधारी में होता है लेकिन इसे सरकार की शक्ति का क्षरण माना जाता है।
- **हीनार्थ प्रबन्धन की आवश्यकता:**
  - राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जब धन सामान्य आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है।
  - यह तब किया जाता है जब विकास की आवश्यकता इतनी अधिक होती है कि घाटे के वित्तपोषण के साथ आने वाली मुद्रास्फीति कम बुराई मानी जाती है।
  - यह तब भी किया जाता है जब व्यय में वृद्धि के कारण कुल आय और व्यय के बीच का अंतर तेजी से बढ़ता है।
- **प्रभाव**
  - यह कुल व्यय को बढ़ाता है जो कुल मांग को बढ़ाता है और इस प्रकार मुद्रास्फीति का जोखिम होता है।
  - चूंकि खर्च करने के लिए और पूंजी उपलब्ध होती है; इससे आर्थिक विकास हो सकता है।
  - यह अर्थव्यवस्था की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है।
  - अगर गैरजिम्मेदाराना तरीके से किया जाए तो; यह अर्थव्यवस्था में अस्थिरता पैदा कर सकता है।

क्राउडिंग आउट इफेक्ट

- जब सरकारें उधार लेती हैं, तो वे अर्थव्यवस्था में उन सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं जो उपलब्ध धन की सीमित मात्रा से उधार लेना चाहते हैं।
- यह निजी क्षेत्र की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा में कमी का कारण बनता है।
- इस प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप वास्तविक ब्याज दर बढ़ती है और निजी निवेश घटता है। इस घटना को हासकारी प्रभाव कहा जाता है।

भारत में हीनार्थ प्रबन्धन

- 1960 के दशक के अंत तक, सरकार हीनार्थ प्रबन्धन की ओर बढ़ रही थी।
- 1970 के दशक के बाद से, भारत में उच्च वित्तीय घाटा होने लगा और हर नए साल के साथ हीनार्थ प्रबन्धन पर अधिक से अधिक निर्भर हो गया।
- हम भारत में हीनार्थ प्रबन्धन को तीन चरणों में वर्गीकृत कर सकते हैं:
  - **प्रथम चरण (1947-1970):** इस चरण में हीनार्थ प्रबन्धन की कोई अवधारणा नहीं थी और घाटे को बजटीय घाटे के रूप में दिखाया जाता था।
  - **दूसरा चरण (1970-1991):** भारत ने अर्थशास्त्र के खराब बुनियादी सिद्धांतों के कारण बड़े हीनार्थ प्रबन्धन को देखा, जो अंततः 1990-91 तक गंभीर वित्तीय संकट में बन गया। इस चरण की प्रमुबातों को निम्नानुसार अभिव्यक्त किया जा सकता है:
  - राष्ट्रीयकरण नीति और उपक्रमों के विस्तार पर जोर।
  - नए उपक्रमों ने सरकार के कुल खर्च में इजाफा किया।
  - मौजूदा उपक्रमों ने वेतन, पेंशन और पीएफ का बोझ बढ़ाया; उनमें से कई ने इस समय तक भारी नुकसान में आ गए थे
  - विशाल जनसंख्या वृद्धि और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ-साथ विभिन्न सब्सिडी का बोझ बढ़ता चला गया
  - नियोजित विकास अत्यधिक केंद्रीकृत रहा
  - योजना व्यय मजबूत अर्थशास्त्र पर आधारित नहीं था।
- **तीसरा चरण (1991 के बाद):** आर्थिक सुधार प्रक्रिया की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। इस चरण की मुख्य विशेषताएं हैं:
  - निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता बन गई।
  - सरकारों (केंद्र और राज्य) के व्यय को युक्तिसंगत बनाना।
  - अपने स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व में वृद्धि करना।
  - वित्तीय बाजारों का सुदृढ़ीकरण और विस्तार, आदि।

मुद्रीकृत घाटा

- एक नया शब्द जो 1997-98 से भारत में अपनाया गया था। इसका मतलब है, राजकोषीय घाटे का वह हिस्सा जो आरबीआई द्वारा किसी विशेष वित्तीय वर्ष में सरकार को दिया जाता है।
- पहले, सरकार के खर्च को वित्तपोषण करने के लिए; आरबीआई को अनिवार्य रूप से सरकार के ट्रेजरी बिल (लघु अवधि उधार) और जी-प्रतिभूति (दीर्घकालिक उधार) की सदस्यता लेनी पड़ती थी।
- रिजर्व बैंक द्वारा इन लिखतों में किए गए निवेश की कीमत मुद्रीकृत घाटा था।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 1997 के बाद से जब अर्थोपाय अग्रिम प्रस्तुत किए गए थे, अनिवार्य रूप से टी-बिलों की सदस्यता शुरू कर दी थी।
- 2013 से, आरबीआई सरकार के लिए अल्पकालिक मांगों को पूरा करने के लिए 14 दिनों के तदर्थ टी-बिलों की सदस्यता लेता है।
- और 2007 के बाद से, आरबीआई अब अनिवार्य रूप से जी-सेक की सदस्यता नहीं लेता है। यह सिर्फ सरकार के उधार कार्यक्रम का प्रबंधन करता है।
- इस प्रकार, तकनीकी रूप से; मुद्रीकृत घाटा पुराना प्रतीत होता है। लेकिन मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए; आरबीआई अभी भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अन्तर्गत जी-सेक खरीदता और बेचता है।
- आज, अधिकांश सरकारी उधार बाजार के माध्यम से वित्तपोषित हैं।
- यह तभी किया जाता है जब सरकार बाजार से उधार नहीं ले सकती (बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान जैसे एलआईसी)।
- आरबीआई द्वारा मुद्रीकृत घाटे के परिणामस्वरूप मुद्रित धन को उच्च शक्ति धन या आरक्षित धन या मौद्रिक आधार कहा जाता है।
- **मुद्रीकरण दो प्रकार के होते हैं:**
  1. **प्रत्यक्ष मुद्रीकरण:** आरबीआई 1997 तक सरकारी बॉन्ड या प्रतिभूतियों के खिलाफ केंद्र सरकार के घाटे को सीधे वित्तपोषित करता है।
  2. **अप्रत्यक्ष मुद्रीकरण:** तब किया जाता है जब आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) आयोजित करता है और/या द्वितीयक बाजार में बांड खरीदता है।
- **मुद्रीकृत घाटे की समस्याएं:**
  - यह मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाता है
  - ब्याज दरें बढ़ा सकता है
  - अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन सा इसके प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है? (2021 और 2013)
   (*a*) सार्वजनिक ऋण की चुकौती
   (*b*) बजट घाटे को वित्त करने के लिए जनता से उधार लेना
   (*c*) बजट घाटे को वित्त करने के लिए बैंकों से उधार लेना
   (*d*) **बजट घाटे को वित्त करने के लिए नए पैसे का निर्माण**

2. भारत में, घाटे के वित्तपोषण का उपयोग _____ के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है (2013)
   (*a*) आर्थिक विकास
   (*b*) सार्वजनिक ऋण की मोचन
   (*c*) भुगतान संतुलन को समायोजित करना
   (*d*) विदेशी ऋण को कम करना

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम), 2003, 2013

- एफआरबीएम अधिनियम, 2003 सरकार के लिए अर्थव्यवस्था में राजकोषीय अनुशासन को प्रेरित करने, सार्वजनिक धन के प्रबंधन में सुधार करने और राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है।
- **पृष्ठभूमि:**
  - 1990 और 2000 की शुरुआत में, भारत पूंजी उधार लेने वाले शीर्ष देशों में से एक था।
  - हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी क्योंकि इसमें उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च राजस्व घाटा और उच्च ऋण-से-जीडीपी अनुपात था (ऋण पर डिफॉल्ट होने की उच्च संभावना का तात्पर्य है)।
  - 2002-03 तक; बड़ी उधारी जारी रही और हमारे देश की आर्थिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा।
  - उधार ली गई पूंजी का 50% से अधिक हिस्सा पिछले ऋणों के ब्याज का भुगतान करने में खर्च किया गया था। उत्पादक उद्देश्यों के लिए बहुत कुछ नहीं बचा था।
  - उपरोक्त शर्तों के आलोक में, यह महसूस किया गया कि भारत सरकार की उधारियों को एक हद तक विनियमित किया जाए। इसलिए, एफआरबीएम अधिनियम 2003 पारित किया गया था।
- **अधिनियम के मुख्य उद्देश्य:**
  - देश में एक पारदर्शी राजकोषीय प्रबंधन शुरू करने के लिए।
  - वर्षों से देश के ऋणों का अधिक न्यायसंगत और प्रबंधनीय वितरण शुरू करना।
  - राजस्व और राजकोषीय घाटे को कम करके दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता लाना।
  - इसके अतिरिक्त, भारत में मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए आरबीआई को आवश्यक लचीलापन देने की उम्मीद।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - सरकार के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह चार राजकोषीय संकेतकों - राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, कर राजस्व, कुल बकाया देनदारियां (सभी जीडीपी के% के रूप में)को एक मध्यम अवधि के नीति विवरणी में प्रस्तुत करे।
  - यह राजकोषीय और राजस्व घाटे के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।
  - राजकोषीय नीति से संबंधित कुछ दस्तावेज सालाना बजट दस्तावेजों के साथ संसद में प्रस्तुत किए जाने होते हैं।
  - एक अपवाद के रूप में, विशेष परिस्थितियों (2020 में प्रयुक्त) की स्थिति में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों से विचलन की अनुमति देने के लिए अधिनियम में एक "एस्केप क्लॉज" है।
- **एनके सिंह समिति की सिफारिशें:**
  - एफआरबीएम अधिनियम को ऋण प्रबंधन और वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक 2017 से बदला जाए।
  - तक ऋण-से-जीडीपी अनुपात केंद्र के लिए 38.7% और राज्य सरकारों के लिए 20% होना चाहिए।
  - वित्त वर्ष 2022-23 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 2.5% होना चाहिए।
  - बहु-वर्षीय राजकोषीय पूर्वानुमानों की तैयारी से निपटने के लिए एक स्वायत्त वित्तीय परिषद की स्थापना की जाए, राजकोषीय आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और राजकोषीय मामलों पर सरकार को सलाह दी जाए।
  - कुछ परिस्थितियों में लक्ष्यों से विचलन- राष्ट्रीय आपदा, युद्ध, कृषि पतन, आदि।
  - राज्यों के लिए कर्ज का रास्ता उनकी वित्तीय स्थिति और विवेक पर आधारित होगा और 15वें वित्त आयोग द्वारा इसकी सिफारिश की जानी चाहिए।
  - दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 को लागू करने के क्या कारण हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं और उनकी प्रभावशीलता पर आलोचनात्मक चर्चा करें। (2013)

सार्वजनिक व्यय

सार्वजनिक व्यय लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय है। यह एक प्रमुजीडीपी घटक है।

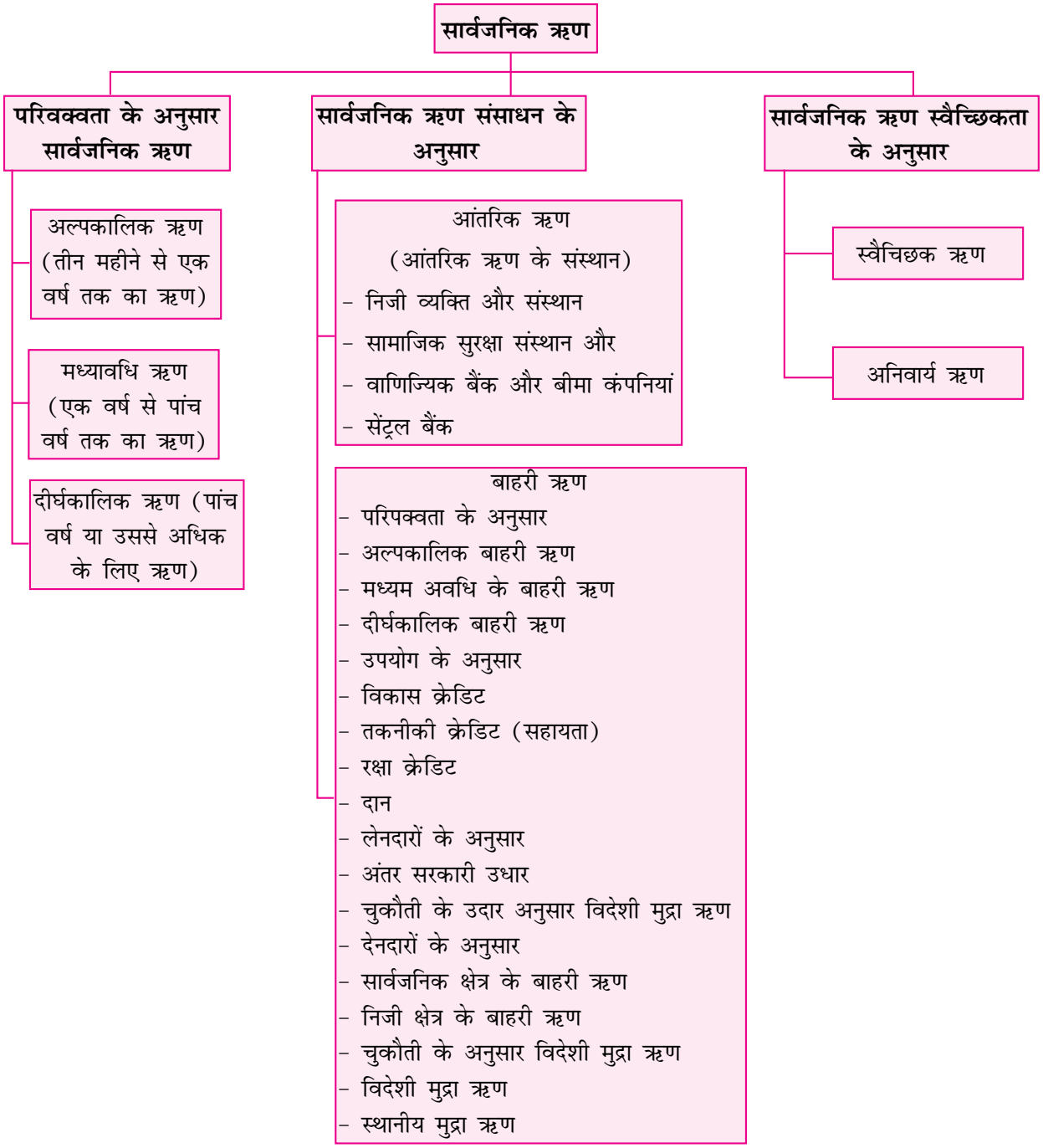
- सार्वजनिक व्यय का महत्व:
  - सार्वजनिक व्यय में वृद्धि या कमी करके; अर्थव्यवस्था में मांग और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है।
  - यह बेहतर आय वितरण और संसाधनों के आवंटन में मदद कर सकता है।
  - यह निम्नलिखित तरीकों से आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने, अवसर उत्पन्न करने और आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है:
    - कल्याणकारी योजनाओं, सड़कों, रेलवे आदि पर खर्च।
    - संतुलित क्षेत्रीय विकास
    - कृषि और विनिर्माण क्षेत्र का विकास।
    - खनिज संसाधनों का दोहन और विकास।
    - महत्वपूर्ण क्षेत्रों- कृषि, खाद्य सुरक्षा आदि के लिए सब्सिडी और अनुदान।
  - आय वितरण के माध्यम से यह गरीबी और असमानताओं को कम कर सकता है।
  - जब निजी क्षेत्र की खराब बैलेंस शीट हो; सार्वजनिक व्यय एक रक्षक के रूप में कार्य करता है।
  - निजी निवेश (एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई) जोखिमपूर्ण और अस्थिर हैं।
- पूरे विश्व में हाल के दिनों में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण:
  - विकासात्मक कार्य
  - मंहगाई में वृद्धि
  - 8 अरब वैश्विक आबादी
  - कल्याणकारी राज्यों में वृद्धि
  - आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर बढ़ा हुआ खर्च
  - शहरीकरण में वृद्धि
  - सार्वजनिक क्षेत्र का विकास
  - निजी क्षेत्र की सहायता के लिए आर्थिक उपाय।
- भारत में सार्वजनिक व्यय राजकोषीय समेकन लक्ष्यों द्वारा प्रतिबंधित है, इसे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुक्षेत्रों में निजी निवेश के साथ पूरक होना चाहिए।
- सार्वजनिक व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। टैक्स-टू-जीडीपी अनुपात बढ़ाने और अधिक निजी निवेश लाने पर ध्यान देना चाहिए।

सार्वजनिक ऋण/राष्ट्रीय ऋण

- सार्वजनिक ऋण किसी देश की सरकार के ऋण की कुल राशि है।
- इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों ऋण और सरकार की कुल देनदारियां भी शामिल हैं।
- यह एक कर्ज है जिसका भुगतान सीएफआई (भारत की संचित निधि) से किया जाना है।
- इसे सीएफआई (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 292 के अन्तर्गत) से भुगतान की गई केंद्र सरकार की समग्र देनदारियों के रूप में भी समझा जा सकता है। इसमें भारत के सार्वजनिक खाते से भुगतान किए गए ऋण को शामिल नहीं किया गया है।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार,वित्तवर्ष 20 में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का कुल ऋण भार 51.6 प्रतिशत था; वित्तवर्ष 21 में, यह 60.5 प्रतिशत था।
- किसी देश की ऋण चुकाने की क्षमता उसके ऋण -से-जीडीपी अनुपात से जानी जाती है। यह अवधारणा निवेशकों को किसी देश में निवेश करने या न करने के बारे में निर्णय लेने में मदद करती है।
- ऋण-से-जीडीपी अनुपात का उपयोग सरकार की अपने ऋण को चुकाने/चुकाने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है।
- एक प्रमुअर्थव्यवस्था का अधिक ऋण-से-जीडीपी अनुपात राष्ट्रीय/वैश्विक आर्थिक संकट को बढ़ावा दे सकता है।
- भारत का सार्वजनिक ऋण विकासशील देशों में सबसे अधिक है, जबकि ऋण की हमारी सामर्थ्य उनमें से सबसे कमजोर है।
- सार्वजनिक ऋण का स्रोत है:
  - दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां या जी-सेक।
  - ट्रेजरी बिल या टी-बिल
  - बाहरी सहायता
  - लघु अवधि की उधारी
- उधार लेने/सार्वजनिक ऋण के कारण:
  - जब सरकार के पास आय से अधिक व्यय हो; इसे उधार लेने की जरूरत पड़ती है।
  - राष्ट्रीय आय में करों का एक छोटा हिस्सा अर्थात बहुत कम लोग कर देते हैं।

- अप्रत्यक्ष कराधान निम्न वर्ग के तबके पर दबाव डालता है और इस प्रकार सरकार को उनके बोझ को कम करने की आवश्यकता होती है।
- एक जटिल कर प्रणाली करचोरी को जन्म देती है या लोगों को लगन से करों का भुगतान नहीं करने के लिए प्रेरित करती है।
- भ्रष्टाचार, बेकार की परियोजनाओं, लालफीताशाही आदि के कारण सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होता है।
- सरकार को कल्याणकारी योजनाओं और वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न पहलों के लिए उधार लेने की आवश्यकता है।

- **सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण:**



- **आंतरिक ऋण:**
  - देश के भीतर से उधार लिया गया ऋण।
  - प्रमुस्रोत वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थान हैं।
  - कुल सार्वजनिक ऋण का 93% से अधिक है।
  - इसे आगे दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - विपणन योग्य और गैर-विपणन योग्य ऋण।
  - दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) और ट्रेजरी बिल (टी-बिल) नीलामी के माध्यम से जारी किए जाते हैं और विपणन योग्य ऋण की श्रेणी में आते हैं।
  - राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी मध्यवर्ती टी-बिल (14 दिनों की परिपक्वता अवधि), राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों को गैर-विपणन योग्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **बाह्य ऋण:**
  - ऋण देश के बाहर व्यक्तियों और संगठनों से लिया जाता है।
  - सरकार वाणिज्यिक बैंकों, सरकारों या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों और व्यक्तियों से उधार लेती है।
  - मूल और ब्याज दोनों का भुगतान आमतौर पर उसी मुद्रा में किया जाता है जिसमें ऋण लिया गया था।
  - इसमें शामिल हो सकते हैं:
    - सार्वजनिक और सार्वजनिक रूप से गारंटीकृत ऋण
    - गैर-गारंटीकृत निजी क्षेत्र का बाह्य ऋण
    - केंद्रीय बैंक जमा
    - आईएमएफ से ऋण
- उत्पादक ऋण - वे ऋण जो रेलवे, बिजली, सिंचाई आदि जैसे स्रोतों से आय उत्पन्न करने में मदद करते हैं। आय का उपयोग वार्षिक ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए किया जा सकता है। यह करदाता और सरकार पर दबाव डालता है।
- अनुत्पादक ऋण - ऐसे ऋण जो उन संपत्तियों पर खर्च किए जाते हैं जो आय नहीं पैदा करते हैं। इन कर्जों में ब्याज पर भी नुकसान हो सकता है।
- प्रतिदेय/अप्रतिदेय ऋण - वह ऋण जिसमें सरकार बाद में निश्चित तारीपर कर्ज चुकाने का वादा करती है।
- अशोध्य ऋण/सदा ऋण - एक निश्चित समय पर वापस भुगतान करने के किसी भी वादे के बिना लिया गया ऋण।
- वित्तपोषित ऋण - दीर्घावधि ऋण। इन ऋणों का भुगतान एक वर्ष के बाद किया जाना है।
- अनफंडेड ऋण ऋण जो 6-12 महीनों के लिए उधार लिया जाता है।
- अल्पकालीन ऋण - ऐसे ऋण जिनका भुगतान एक वर्ष के भीतर किया जाना होता है।
- दीर्घकालीन ऋण - ऋण जो एक वर्ष के बाद चुकाने होते हैं।

सार्वजनिक ऋण के लाभ

- यह पूंजी उपलब्ध कराता है जो उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर के साथ-साथ देश में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाता है।
- यह विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं और संकटों से निपटने में मदद करता है।
- यह संसाधनों के आवंटन में विकासशील देशों के लिए सहायक होता है।
- सार्वजनिक ऋण को उधारदाताओं के लिए निवेश का एक सुरक्षित स्रोत माना जाता है।
- यह बेहतर अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे विभिन्न गैर-आर्थिक लाभों में सहायता करता है।

सार्वजनिक ऋण के नुकसान

- पैसे का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को ब्याज के रूप में चुकाना होता है।
- न चुकाने के मामले में; दिवालिया होने का खतरा है।
- पर्याप्त कर्ज के साथ फिजूलखर्ची हो सकती है। उदाहरण के लिए 2009 में ग्रीस का ऋण-से-जीडीपी अनुपात 160% था।
- घरेलू मामलों में अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का खतरा हमेशा बना रहता है क्योंकि देश कर्जदार होता है। उदाहरण के लिए चीन की ऋण जाल कूटनीति।
- अंततः चुकौती के लिए बोझ को जनता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।

भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन

- 1934 के आरबीआई अधिनियम के अनुसार, रिजर्व बैंक बैंकर होने के साथ-साथ केंद्र सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधक भी है।
- आरबीआई सरकार की ओर से सभी धन, प्रेषण, विदेशी मुद्रा और बैंकिंग लेनदेन की देखरेकरता है।
- आरबीआई सरकार का केश बैलेंस डिपॉजिट लेता है।

एफआरबीएम पर एनके सिंह समिति ने केंद्र सरकार के लिए ऋण-से-जीडीपी अनुपात 40 प्रतिशत और राज्यों के लिए 20 प्रतिशत का सुझाव दिया है। और कुल 60 फीसदी सामान्य सरकारी ऋण-से-जीडीपी।

सार्वजनिक ऋण को संधारणीय केसे बनाया जाए

- घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003 का पालन।
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उत्तोलन।
- सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में पीपीपी मॉडल।
- इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश।
- कर व्यवस्था का सामंजस्य।
- आयात बिलों को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा पर जोर।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, गैर-वित्तीय ऋण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? (2020)

1. परिवारों द्वारा बकाया आवास ऋण
2. क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि
3. ट्रेजरी बिल

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 1 और 2

(*c*) केवल 3

(*d*) 1, 2 और 3

राजकोषीय नीति

- राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकार के राजस्व संग्रह (मुख्य रूप से कर लेकिन गैर-कर राजस्व जैसे विनिवेश, ऋण) और व्यय (खर्च) का उपयोग है।
- राजकोषीय नीति के माध्यम से, किसी देश की सरकार अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कर राजस्व और सार्वजनिक व्यय के प्रवाह को नियंत्रित करती है।
- यदि सरकार खर्च से अधिक राजस्व प्राप्त करती है, तो यह अधिशेष में होती है, जबकि यदि यह कर और गैर-कर प्राप्तियों से अधिक खर्च करती है, तो यह घाटे में चलती है।
- अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, सरकार को घरेलू स्तर पर या विदेशों से उधार लेने की आवश्यकता होती है।
- वैकल्पिक रूप से, सरकार अपने विदेशी मुद्रा भंडार को आकर्षित करने या अतिरिक्त मुद्रा की छपाई करने का विकल्प भी चुन सकती है
- भारत में राजकोषीय नीति एक मार्गदर्शक बल है जो सरकार को यह तय करने में मदद करती है कि आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए उसे कितना पैसा खर्च करना चाहिए, और अर्थव्यवस्था के पहियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए तंत्र से कितना राजस्व अर्जित करना चाहिए।
- तीव्र आर्थिक विकास प्राप्त करना भारत सरकार द्वारा तैयार की गई राजकोषीय नीति के प्रमुलक्ष्यों में से एक है।

राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बीच अंतर:

राजकोषीय नीति	मौद्रिक नीति
• सरकारी व्यय और कर दरों में परिवर्तन से संबंधित है। • यह सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है (आरबीआई नहीं)। • इसका कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं है (जैसे मुद्रास्फीति आदि) • इसका असर बजट और उधारी पर पड़ सकता है। • यह राजनीतिक निर्णयों से अत्यधिक प्रभावित होता है।	• पैसे की आपूर्ति और ब्याज दर में बदलाव से संबंधित है। • यह देश के केंद्रीय बैंक (भारत में आरबीआई) द्वारा निर्धारित किया जाता है। • इसका विशिष्ट लक्ष्य (मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण नीति) है। • यह विनिमय दरों और अचल संपत्ति, ऋण आदि को प्रभावित कर सकता है। • यह आमतौर पर राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र होता है।

- **राजकोषीय नीति के उद्देश्य**
  - **आर्थिक विकास:** राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था की विकास दर को बनाए रखने में मदद करती है ताकि कुछ आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जैसे स्टील, उर्वरक आदि जैसे भारी उद्योग स्थापित करना। निजी क्षेत्र इतना बड़ा खर्च नहीं उठा सकता है इसलिए सरकार को कदम उठाना होगा।
  - **मूल्य स्थिरता:** यह आपूर्ति को विनियमित करके देश के मूल्य स्तर को नियंत्रित करता है ताकि जब मुद्रास्फीति बहुत अधिक हो तो कीमतों को कम किया जा सके। इसके अलावा भोजन, एलपीजी आदि पर सब्सिडी के माध्यम से।
  - **पूर्ण रोजगार:** इसका उद्देश्य कम आर्थिक गतिविधि से उबरने के लिए एक उपकरण के रूप में पूर्ण रोजगार या लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है। पीएसयू के माध्यम से; रोजगार सृजित होते हैं। इसके अलावा, कर अवकाश और अन्य प्रोत्साहन निजी क्षेत्र को और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इस प्रकार रोजगार पैदा करते हैं।

- **आय और धन असमानताओं को कम करने के लिए:** यह अमीरों पर अधिक कर का बोझ और गरीबों पर कम या कोई बोझ नहीं डालकर किया जाता है।
- **भुगतान संतुलन में संतुलन बनाए रखने के लिए:** सरकार सब्सिडी और प्रोत्साहन के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देती है जबकि बढ़े हुए टैरिफ और अन्य बाधाओं के माध्यम से आयात को कम करती है।
- **प्रभावी प्रशासन को बढ़ावा देना:** पुलिस, रक्षा, न्यायपालिका और अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करके।

राजकोषीय नीति के प्रकार

- विस्तारवादी राजकोषीय नीति –
  - यह बाजार में अधिक पैसा लगाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहती है।
  - व्यापार चक्र में संकुचन के जवाब में अपनाया जाता है और आर्थिक मंदी को रोकती है।
  - करों को कम करने के उपाय और सरकारी खर्च में वृद्धि विस्तारवादी राजकोषीय नीति के घटक हैं
- संविदात्मक राजकोषीय नीति –
  - यह बाजार से पैसा निकालकर आर्थिक गतिविधियों को कम करती है।
  - इसे बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है।
  - इसे बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **तटस्थ राजकोषीय नीति** –
  - सरकारी खर्च कर राजस्व के बराबर होता है

राजकोषीय नीति का महत्व

- भारत जैसे विकासशील देश में, राजकोषीय नीति सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पूंजी निर्माण की दर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- कराधान के माध्यम से, यह अपनी कई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाने में मदद करती है।
- राजकोषीय नीति बचत दर को बढ़ाने में भी मदद कर सकती है क्योंकि जनता के पास खर्च करने या बचाने के लिए अधिक पैसा हो सकता है।
- करों और अन्य प्रोत्साहनों को कम करके राजकोषीय नीति निजी क्षेत्र को अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का पर्याप्त अवसर देती है।
- इसका उद्देश्य आय और धन के फैलाव में असंतुलन को कम करना है।

राजकोषीय समेकन

- यह देश के राजकोषीय घाटे को कम करने की प्रक्रिया है।
- विजय केलकर समिति ने राजकोषीय मजबूती का रोडमैप प्रस्तुत किया।
- राजकोषीय समेकन के लिए उठाए गए कदम:
  - **एफआरबीएम** अधिनियम, 2003, जीएसटी, दिवाला और दिवालियापन विधेयक का कार्यान्वयन।
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सरकारी सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण।
  - बेहतर अनुपालन तंत्र द्वारा कर संग्रह में सुधार के माध्यम से, देश के कर आधार और कर से जीडीपी अनुपात में वृद्धि करना
  - सरकार ने 2020-21 के लिए 1.20 लाकरोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशें

- 2020-21 में डिविजिबल पूल का 41% राज्यों को दिया जाएगा।
- क्षैतिज विचलन तीन मानदंडों के आधार पर किया गया:
  - आवश्यकता आधारित- जनसंख्या, क्षेत्र, वन और पारिस्थितिकी।
  - इक्विटी आधारित- आय दूरी (प्राथमिकता का सबसे बड़ा प्रतिशत)।
  - निष्पादन आधारित- जनसांख्यिकीय निष्पादन और कर प्रयास।
- तीन प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की जाती है:
  - राजस्व घाटे वाले राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान।
  - पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायपालिका आदि के लिए क्षेत्रीय अनुदान।
  - 6 व्यापक मानदंडों पर निष्पादन आधारित प्रोत्साहन।
- स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना:
  - पंचायती राज संस्थान के सभी स्तरों को अनुदान देना और उन्हें संसाधन एकत्र करने की अनुमति देना।
  - 5वीं और 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों और छावनी बोर्डों को अनुदान।
  - स्वच्छता और पेयजल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुदान।
  - शहरीकरण के लिए खाता और मध्यम अवधि में अनुदान के लिए स्थानीय निकायों के हिस्से को बढ़ाकर 40% करना।
  - स्थानीय निकायों को विभाज्य पूल का 4.3% या 90000 करोड़।
- **आपदा जोखिम प्रबंधन:**
  - स्थानीय स्तर पर शमन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शमन कोष स्थापित करना।

❖ ❖ ❖

16 भारतीय कराधान प्रणाली

भारतीय कराधान का सामान्य परिदृश्य

- "कर" शब्द "कराधान" शब्द से बना है, जिसका अर्थ है एक आकलन।
- प्रत्यक्ष कराधान की प्रणाली, जैसा कि आज ज्ञात है, प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में भारत में मौजूद है।
- सरकारें उन परियोजनाओं के लिए राजस्व सृजित करने के लिए अपने नागरिकों पर कर लगाती हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाती हैं और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाती हैं।
- भारत में करारोपणका सरकार का अधिकार भारतीय संविधान से लिया गया है, जिसने केंद्र और राज्य सरकारों को करारोपण का अधिकार दिया है।
- भारत के भीतर लगाए गए सभी करों के आनुषंगिक रूप में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून होना चाहिए।
- कर एक अनिवार्य भुगतान है न कि स्वैच्छिक भुगतान या करदाताओं द्वारा किया गया दान है, ऐसा न करना एक दंडनीय अपराध है।
- 2022-23 में भारत की शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां बढ़कर 7.45 लाख करोड़ हो गई थीं, जो इस साल के बजट लक्ष्य के आधे से भी ज्यादा है, जो एक साल पहले इसी अवधि की तुलना में 16.3% अधिक है।
- प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, शुद्ध व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 17.35% की वृद्धि हुई, निगमित आयकर राजस्व में वृद्धि हुई, जिसमें 16.29% शुद्ध प्रतिदाय की वृद्धि हुई। व्यक्तिगत आयकर प्राप्तियों के साथ संयुक्त होने पर प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) संग्रह 16.25% अधिक मध्यम श्रेणी का हो गया।
- मंत्रालय ने कहा कि कर प्रतिदाय पिछले वर्ष की तुलना में 81% बढ़कर 1.53 लाख करोड़ तक पहुंच गया, यह दर्शाता है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह लगातार बढ़ रहा है।

भारत में कराधान का विकास

वर्ष	समिति	प्रभाव
1991-93	चेलैया समिति	• कर सुधारों की शुरुआत भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए चेलैया समिति की सिफारिशों के साथ हुई
1986	जेएचए समिति	• वैट की शुरुआत की गयी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित मूल्य वर्धित कर (MODVAT) में बदलने की सिफारिश की
2002	विजय केलकर समिति	• संपत्ति कर का उन्मूलन। न्यूनतम वैकल्पिक कार्य का उन्मूलन,
2003	केलकर टास्क फोर्स	• राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM)
सिफारिश की गयी GST		
2006	-	• 2010 से GST की शुरुआत की घोषणा की गई थी
2015	असीम दास समिति	• राज्य स्तरीय वैट की शुरुआत की गई
2014-16		• 16वीं लोकसभा में 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 पेश किया। • अंततः यह पारित हुआ और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 बन गया जीएसटी की शुरूआत।

कराधान शक्ति का संवैधानिक वितरण

- भारत में, भारतीय संविधान द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों का उपयोग करके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कर लगाए जाते हैं। स्थानीय सरकारें, जैसे नगर पालिका, लघु कर भी लगाती हैं।
- करारोपणका अधिकार भारतीय संविधान से उपजा है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभिन्न करारोपण के अधिकार को विभाजित करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार, "कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा," जो इस शक्ति की एक महत्वपूर्ण सीमा है।
- परिणामस्वरूप, लगाए गए या एकत्र किए गए प्रत्येक कर के साथ संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून होना चाहिए।
- अनुच्छेद 246: भारतीय संविधान का, भारत की संसद और राज्य विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों का वितरण करता है।
- अनुसूची 7: इन विषयों को तीन सूचियों के उपयोग के साथ प्रदान करता है:
- सूची - I: उन क्षेत्रों को शामिल करता है जिन पर कानून बनाने के लिए केवल संसद सक्षम है,
- सूची - II: उन क्षेत्रों को शामिल करता है जिन पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, और
- सूची - III: उन क्षेत्रों की सूची बनाना जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों एक साथ कानून बना सकते हैं।

कर राजस्व का वितरण

अनुच्छेद	कराधान	संग्रह	विनियोग	विभिन्न कर
268	केंद्र	राज्य	राज्य	शेयर, चेक, वचन पत्र, बीमा आदि पर स्टाम्प शुल्क
269	केंद्र	केंद्र	राज्य	अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर कर। राजस्व भारत के समेकित कोष का हिस्सा नहीं बनते हैं।
270	केंद्र	केंद्र	केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया गया	संघ सूची में सभी कर-आयकर (कृषि आय के अलावा), निगम कर, आदि।
271	केंद्र	केंद्र	केंद्र	अनुच्छेद 268, 269, 270 के तहत करों पर अधिभार।
NA	राज्य	राज्य	राज्य	बिक्री कर, शराब और नारकोटिक्स पर उत्पाद शुल्क, चुंगी, व्यावसायिक कर (अधिकतम 2500 रुपये - संविधान द्वारा निर्धारित सीमा)

एडम स्मिथ द्वारा कराधान के सिद्धांत

- कई वर्ष पहले अच्छे कराधान के सिद्धांत स्थापित किए गए थे। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस (1776) में दावा किया कि करों को चार सिद्धांतों का पालन करना चाहिए: समानता, निश्चितता, सुविधा और अर्थव्यवस्था।
- **समानता के सिद्धान्त**
  - समानता में सभी के साथ समान व्यवहार करना शामिल है, लेकिन इस संदर्भ में, समानता का अर्थ भुगतान करने की क्षमता से है।
  - सभी को समान मानते हुए, निम्न-आय वर्ग एक बड़ी राशि का भुगतान करेगा, जबकि उच्च-आय समूह कम नहीं तो समान राशि का भुगतान करेगा।
  - एडम स्मिथ ने प्रस्तावित किया कि करों को आय के अनुपात में होना चाहिए।
- **निश्चितता के सिद्धान्त**
  - उनके अनुसार, "वह कर जो एक व्यक्ति देने के लिए बाध्य है, निश्चित और स्वैच्छिक होना चाहिए।"
  - कर की राशि, भुगतान की विधि, और जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है, उसे निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति उस राशि से अवगत हो जो कर के रूप में अच्छी तरह से लगाया जाएगा। यदि कर प्रणाली अनिश्चित है, तो व्यक्ति को उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है।
- **सुविधाके सिद्धान्त**
  - "प्रत्येक कर को समय पर या दाता के भुगतान के लिए सुविधाजनक होने की संभावना के रूप में प्रभारित करने की आवश्यकता होती है," वे कहते हैं।
  - कर योग्य राशि का भुगतान और भुगतान की विधि भुगतान करने वाले व्यक्ति के लिए आसान होनी चाहिए।
  - यदि कर संग्रहण विधि जटिल है, तो अंशदाता निराश और असंतुष्ट होगा।
- **अर्थव्यवस्थाके सिद्धान्त**
- एक अच्छी कर प्रणाली वह है जिसमें एकत्र की गई राशि की तुलना में कर संग्रह का खर्च कम होता है।
- एडम स्मिथ के लिए, "कोई भी कर ऐसे तैयार किया जाना चाहिए ताकि यह राज्य के सार्वजनिक बटुए में लोगों के बटुए से जितना संभव हो सके उतना कम ले और अपने पास रखे।"

कराधान के अन्य सिद्धान्त:

- **सरलता के सिद्धान्त**
  - एक सीधी कर संरचना को सरकार के लिए अधिक आय में लाना या उत्पन्न करना चाहिए।
  - जब पूरी कर प्रणाली सीधी होती है, तो यह भ्रम को दूर करती है और समझने में आसान होती है।
- **उत्पादकता के सिद्धान्त**
  - कर की राशि को मनमाने ढंग से स्थापित और अतिरिक्त निवेश को हतोत्साहित करने के लिए व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया जाना चाहिए।
  - हालांकि, यह देश के शीर्ष अधिकारियों के पक्ष में एक कर के कार्यान्वयन को नहीं रोकता है।
  - सरकार को इस तरह से कर लगाना चाहिए कि यह उत्पादक हो, यानी पर्याप्त आय सृजित करे।
- **लचीलेपन के सिद्धान्त**
  - आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए कर प्रणाली को पर्याप्त रूप से अनुकूल होना चाहिए।
  - जब औसत नागरिक की आय में वृद्धि होती है, तो सरकार का राजस्व भी बढ़ता है।
  - यह अप्रत्यक्ष करों के मामले में सबसे अधिक प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, महंगे या विलासितापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं पर उच्च कर लगाना। इसी तरह जैसे लोगों की आमदनी घटती है, वैसे ही उनका टैक्स भी घटता है।
- **विविधता के सिद्धान्त**
  - विविधता के सिद्धान्त के अनुसार, अत्यधिक उच्च दरों वाला कर नहीं होना चाहिए, बल्कि कम दरों वाले कई कर होने चाहिए।
  - ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च कर दर का भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा परिणामस्वरूप कर वंचना की जाएगी। विविधता का सिद्धांत निवेश और आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा देता है।

करों के प्रकार

	आधार	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
1.	अर्थ	यदि किसी व्यक्ति की आय या संपत्ति पर लगाया गया कर उस व्यक्ति (या उसके कार्यालय) द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है, तो इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है।.	यदि किसी व्यक्ति की वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगाया जाता है, तो किसी अन्य व्यक्ति (विक्रेता) द्वारा क्रेताओं से एकत्र किया जाता है और उसके द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है, इसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है।

2.	घटना और प्रभाव	उसी व्यक्ति पर पड़ता है। एक व्यक्ति की आय पर लगाया गया और उसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया।	अलग-अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। विक्रेताओं पर आरोपित किया गया लेकिन उपभोक्ताओं से वसूला गया और विक्रेताओं द्वारा भुगतान किया गया।
3.	बोझ	अधिक आय अधिक आयकर को आकर्षित करती है। लोगों पर कर का बोझ प्रगतिशील होता है।	कर की दर सभी व्यक्तियों पर समान है। इसलिए अधिक आय वाले व्यक्ति कर के रूप में अपनी आय का कम और कम हिस्सा चुकाते हैं। कर का बोझ प्रतिगामी है।
4.	बचना	कर चोरी संभव है	कर चोरी अधिक कठिन है
5.	मुद्रा स्फीति	प्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है।	अप्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति में योगदान देता है।
6.	स्थानांतरित करने की क्षमता	दूसरों पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता	दूसरों में स्थानांतरित किया जा सकता है
7.	उदाहरण	आयकर, धन कर, पूंजीगत लाभ कर, प्रतिभूति लेनदेन कर, अनुलाभ कर	जीएसटी, उत्पाद शुल्क.

कराधान की विधियाँ

आनुपातिक कर:

- आनुपातिक कर वे हैं जिनमें कर आधार में परिवर्तन होने पर कर की दर स्थिर रहती है।
- इस मामले में, कर आधार आय, संपत्ति का मौद्रिक मूल्य, धन या सामान आदि हो सकता है। हालाँकि, आय को प्राथमिक कर आधार माना जाता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की कर योग्य क्षमता को निर्धारित करता है।
- इस प्रकार, आनुपातिक कर प्रणाली में, आय परिवर्तन के प्रत्यक्ष अनुपात में कर भिन्न होते हैं। जब आय दोगुनी हो जाती है, तो कर राशि भी दोगुनी हो जाती है।

प्रगतिशील कर:

- प्रगतिशील कर वे हैं जिनमें कर की दर समय के साथ बढ़ती है। इस प्रकार, एक प्रगतिशील कर में, भुगतान की गई कर की राशि कर आधार या आय की तुलना में तेजी से बढ़ती है।
- क्योंकि कराधान की राशि आधार को दर से गुणा करने का उत्पाद है, और दोनों एक प्रगतिशील कर में वृद्धि करते हैं।
- परिणामस्वरूप, एक प्रगतिशील कर बढ़ती आय का एक बड़ा अनुपात निकालता है।

प्रतिगामी कर:

- प्रतिगामी कर वे होते हैं जिनमें कर आधार बढ़ने पर कर की दर कम हो जाती है।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतिगामी कराधान में, जबकि कर की कुल राशि पूर्ण रूप से उच्च आय के साथ बढ़ती है, कर की दर सापेक्ष रूप से उच्च आय के साथ घट जाती है।
- परिणामस्वरूप, गरीबों पर अमीरों की तुलना में अनुपातहीन रूप से भारी बोझ पड़ता है।
- आम तौर पर आवश्यक कर प्रतिगामी होते हैं क्योंकि वे उच्च आय की तुलना में कम आय का अधिक प्रतिशत लेते हैं।
- प्रतिगामी कराधान इस प्रकार अन्यायपूर्ण और असमान है। यह समानता सिद्धांत का पालन नहीं करता। यह समुदाय में आय असमानताओं को बढ़ाता है।

अधोगामी कर:

- अधोगामी कर वे होते हैं जो मामूली रूप से प्रगतिशील होते हैं, यानी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ताकि उच्च आय वाले लोग समानता के आधार पर अनावश्यक त्याग न करें।
- अधोगामी कराधान में एक कर एक निश्चित बिंदु तक प्रगतिशील हो सकता है, जिसके बाद इसे एक समान दर पर लगाया जा सकता है।
- इस प्रकार, अधोगामी कराधान में, देय कर घटती दर से बढ़ता है।

विशिष्ट कर:

- एक प्रति इकाई कर, जिसे एक विशिष्ट कर के रूप में भी जाना जाता है, वह है जो किसी वस्तु या सेवा की बिक्री की प्रत्येक इकाई पर एक निश्चित राशि लगाता है, जैसे सैकड़ा प्रति किलोग्राम।
- इस प्रकार, कीमत की परवाह किए बिना, यह बेचे गए उत्पाद की विशिष्ट मात्रा के समानुपाती होता है। उत्पाद शुल्क, उदाहरण के लिए, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
- जब बेचे जा रहे उत्पाद या सेवा की मात्रा आसानी से मापी जाती है, तो प्रति-इकाई करों का प्रशासनिक लाभ होता है।

एड वेलोरेम कर:

- एड वैलोरेम एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है "मूल्य के अनुसार"। वस्तु के निर्धारित मूल्य के आधार पर एड वैलोरेम कर लगाया जाता है।
- एड वैलोरेम कराधान एक प्रकार का कराधान है जो किसी वस्तु जैसे कि अचल संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति के मूल्यांकन मूल्य पर आधारित होता है।
- संपत्ति कर एड वैलोरेम कराधान का सबसे आम रूप है।
- दूसरी ओर, एड वैलोरेम कर, विभिन्न प्रकार के कर आवेदनों पर लागू हो सकते हैं, जैसे कि अन्य देशों से माल पर आयात शुल्क कर।

एड वैलोरेम और विशिष्ट कर में अंतर:

एड वैलोरेम	विशिष्ट कर
एड वेलोरेम कर उत्पाद के मूल्यांकित मूल्य पर आधारित है, 'ऐड वेलोरेम' एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 'मूल्य के अनुसार'।	यह बेची गई इकाई की मात्रा के आधार पर एक निश्चित राशि का कर है।
खरीदी गई वस्तु के मूल्य के आधार पर मूल्यानुसार कर लगाया जाता है।	यह खरीदी गई वस्तु की मात्रा के आधार पर लगाया जाता है।
कर आमतौर पर प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में जीएसटीमें 5 कर दर स्लैब हैं- 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत।	कर आमतौर पर विशिष्ट रकम में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण: पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क।
उदाहरण: जीएसटी, संपत्ति कर, बिक्री कर।	उदाहरण: पेट्रोल और शराब उत्पादों पर उत्पाद शुल्क।
वे प्रकृति में प्रगतिशील हैं।	ये प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं।

एकल कर:

- एकल कर प्रणाली एक कराधान प्रणाली है जो ज्यादातर या पूरी तरह से कर पर आधारित होती है, जिसे अक्सर अपने विशिष्ट गुणों के लिए चुना जाता है, और अक्सर भूमि मूल्य पर कर होता है।
- 17वीं शताब्दी में, जॉन लोके और बारूक स्पिनोजा ने स्वतंत्र रूप से भूमि मूल्यों पर एकल कर का सुझाव दिया।

बहु कर:

- एक बहु कर प्रणाली वह है जिसमें विभिन्न मदों या आधारों पर कर लगाया जाता है।
- एक आधुनिक अर्थव्यवस्था में एक भी वस्तुनिष्ठ अर्थव्यवस्था नहीं होती है। यह एक ही समय में विकास, आय और संपत्ति के समान वितरण, आर्थिक स्थिरीकरण और जल्द ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है।
- क्योंकि किसी एक कर से सभी मोर्चों पर अर्थव्यवस्था को लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती है, एक बहु-कर प्रणाली अपरिहार्य हो जाती है।
- एक बहु कर प्रणाली का लाभ यह है कि यह लगातार कर चोरी के पैटर्न का पता लगाने में प्रभावी है।
- यह सरकार की कर आय को बढ़ाता है। यह एकीकृत कर प्रणाली की तुलना में अधिक अनुकूल है।

प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली

- एक कर जो किसी व्यक्ति की आय और संपत्ति पर लगाया जाता है और सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है, उसे प्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है; इस कर से बचा नहीं जा सकता।
- कर क्रमवर्धी होता है। इसका मूल्यांकन व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), जो भारत सरकार में वित्त मंत्रालय का हिस्सा है, प्रत्यक्ष कर कार्यक्रमों और नीतियों पर सिफारिशें करता है।
- 2021-22 के पहले ढाई महीने (अप्रैल-जून) में भारत में प्रत्यक्ष कर राजस्व 1.86 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो पिछले साल की समान अवधि में लगभग दोगुना है, जो राष्ट्रीय बंद से प्रभावित था।

प्रत्यक्ष कर के प्रकार और विविधताएं

- **आयकर**
  - व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, अपंजीकृत व्यवसायों और लोगों के अन्य समूहों पर उनकी कमाई पर कर लगाया जाता है।
  - भारत में, आयकर प्रगतिशील है। सभी स्रोतों से होने वाली आय को एकत्रित किया जाता है और उस पर व्यक्ति के आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है।
  - आयकर दरों की गणना शुद्ध आय की राशि के आधार पर की जाती है।
  - उदाहरण के लिए, यदि आपकी शुद्ध कर योग्य आय 5 से 7.5 लाख रुपये के बीच है, तो आपसे 10% आयकर लिया जाएगा।
  - यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृषि आय आयकर के अधीन नहीं है। 10% आयकर अधिभार है जहां कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है लेकिन 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

- **पूंजीगत लाभ कर**
  - पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त किसी भी लाभ या लाभ को पूंजीगत लाभ कहा जाता है। पूंजी की बिक्री से अर्जित लाभ पर कर लगाया जाता है।
  - पूंजीगत संपत्ति में भूमि, भवन, मकान, आभूषण, पेटेंट और कॉपीराइट शामिल हैं। एक अल्पकालिक पूंजीगत संपत्ति एक वित्तीय संपत्ति है जो 36 महीने से कम समय के लिए आयोजित की जाती है।
  - एक दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति 36 महीने से अधिक के लिए आयोजित की गई है। अचल संपत्ति के लिए 36 महीने की आवश्यकता को वित्तीय वर्ष 2017-18 से घटाकर 24 महीने कर दिया गया है।
  - अर्जित आय के आधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर अलग-अलग कर लगाया जाता है।
- **निगम कर**
  - यह कंपनियों और वाणिज्यिक उद्यमों की कमाई पर लगाया जाने वाला कर है। इसे निगम कर के नाम से भी जाना जाता है।
  - कर उद्देश्यों के लिए, एक व्यवसाय को एक अलग इकाई माना जाता है और उसे अपने मालिक के व्यक्तिगत आयकर से अलग कर का भुगतान करना होगा।
  - निगम कर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में शामिल सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है।
  - जनवरी 2022 तक, सभी घरेलू उद्यमों के लिए निगम कर की दर 22% है।
- न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT)
  - मैट की अवधारणा यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि बड़े लाभ वाली कंपनियां और शेयरधारकों को पर्याप्त लाभांश मिले।
  - आयकर अधिनियम में प्रदान की गई छूट ने मैट के रूप में बही लाभ का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान किया।
  - यदि किसी कंपनी की कर योग्य आय उसके बुक किए गए लाभ के एक निश्चित अनुपात से कम है, तो बुक लाभ का वह हिस्सा स्वचालित रूप से कर योग्य आय माना जाता है और आयकर अधिनियम के अनुसार कर की आवश्यकता होती है।
  - मैट अब जनवरी 2022 तक 15% पर है।
- प्रतिभूति लेनदेन कर (STT)
  - एसटीटी स्टॉक, ऑप्शंस और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी प्रतिभूतियों पर घरेलू स्टॉक एक्सचेंज पर किए गए लाभों पर टैक्स है।
  - केंद्र सरकार इसे प्रत्यक्ष कर के रूप में लगाती और वसूल करती है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने 2004 में एसटीटी का सुझाव दिया था।
- **वस्तु लेनदेन कर (CTT)**
  - भारत में, एक्सचेंज-ट्रेडेड गैर-कृषि कमोडिटी फ्यूचर्स के खरीदारों और विक्रेताओं पर सीटीटी लगाया जाता है।
  - इसकी गणना अनुबंध की राशि के आधार पर की जाती है।
  - धातु (सोना, चांदी, और तांबा) और ऊर्जा सामान सीटीटी (कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस) द्वारा कवर की जाने वाली वस्तुओं में से हैं।
- **वैकल्पिक न्यूनतम कर**
  - एएमटी वह है जो कंपनियों के लिए मैट है और मैट सीमित देयता भागीदारी के लिए है।
  - व्यावसायिक संगठनों के अन्य रूप, जैसे साझेदारी, एकमात्र स्वामित्व और व्यक्तियों के संघ, इस कर से मुक्त हैं।
- **संपदा शुल्क**
  - यह मूल रूप से 1953 में सामने आया था। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो यह उसकी सभी संपत्ति पर लागू होता है।
  - एक मृत व्यक्ति की पूरी संपत्ति को उसका धन माना जाता है और उस पर कर लगता है। कर 1985 के बाद से निरस्त कर दिया गया है।
- **धन कर**
  - यह मूल रूप से 1957 में दिखाई दिया।
  - व्यक्तियों, संयुक्त हिंदू परिवारों और शुद्ध संपत्ति की अधिकता वाले निगम इसके अधीन थे। कर 2015 में निरस्त कर दिया गया था।
- **उपहार कर**
  - यह मूल रूप से 1958 में दिखाई दिया।
  - चौरिटी संगठनों की सरकारी और निजी कंपनियों के अपवाद के साथ, सभी योगदान उपहार कर के अधीन थे।
  - कर 1998 के बाद से निरस्त कर दिया गया है।
- **अनुषंगी लाभ कर**
  - बुक की गई प्रविष्टियों पर लाभ कम करने के लिए कई व्यवसाय अपने कर्मचारियों को विभिन्न बोनस प्रदान करते हैं और उन्हें अपनी इनपुट लागत से कम बनाए रखते हैं। परिणामस्वरूप लाभ कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कम सरकारी कराधान होता है।

- इसे संबोधित करने के लिए, सरकार ने फ्रिंज पर्क्स लेवी (FBT) की शुरुआत की, जो प्रभावी रूप से एक कर है जिसे नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को दिए गए लाभों के स्थान पर भुगतान करना होगा।
- 2009 में भारत के केंद्रीय बजट में अनुषंगी लाभ कर को हटा दिया गया था।

- **सीमा शुल्क**
  - जब वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं, तो सीमा शुल्क को लेवी या कर के रूप में लगाया जाता है।
  - इसका मिशन देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है।
  - सीमा शुल्क कानून कई तरह के शुल्क लागू करते हैं, जिनमें मूल शुल्क, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, सुरक्षात्मक शुल्क, एंटी-डंपिंग शुल्क और निर्यात शुल्क शामिल हैं।.
  - आयात शुल्क का उपयोग व्यापार को नियंत्रित करने के साथ-साथ सरकार के लिए आय बनाने के लिए किया जाता है।
  - भारत में आयात शुल्कों की गणना मूल्यानुसार की जाती है।

विभिन्न आयकर स्लैब

60 वर्ष से कम आयु के निवासी व्यक्ति के लिए आयकर स्लैब	
कर योग्य आय स्लैब	आयकर की दरें और उपकर
2.5 लाख रुपये तक	कुछ नहीं
2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपये	5% (कुल आय माइनस 2,50,000 रुपये) + 4% उपकर
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये	12,500 रुपये + 20% (कुल आय माइनस 5,00,000 रुपये) + 4% उपकर
10,00,001 रुपये और उससे अधिक	1,12,500 रुपये + 30% (कुल आय माइनस 10,00,000 रुपये) + 4% उपकर

60 से 80 वर्ष की आयु के निवासी व्यक्ति (वरिष्ठ नागरिक) के लिए आयकर स्लैब	
कर योग्य आय खंड	**आयकर की दरें और उपकर**
3 लाख रुपये तक	कुछ नहीं
3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये	का 5% (करदाताओं में कुल रु. 3,00,000) + 4% उपकर
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये	10,000 रुपये + 20% (कुल आय माइनस 5,00,000 रुपये) + 4% उपकर
10,00,001 रुपये और उससे अधिक	1,10,000 रुपये + 30% (कुल आय माइनस 10,00,000 रुपये) + 4% उपकर

80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (अति वरिष्ठ नागरिक) के लिए निवासी के लिए आयकर खंड	
कर योग्य आय खंड	**आयकर की दरें और उपकर**
5 लाख रुपये तक	कुछ नहीं
5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये	20% (कुल आय माइनस 5,00,000 रुपये) + 4% उपकर
10,00,001 रुपये और उससे अधिक	1,00,000 रुपये + 30% (कुल आय माइनस 10,00,000 रुपये) + 4% उपकर

प्रत्यक्ष कराधान के लाभ

- **प्रगतिशील**
  - इक्विटी प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील हैं, जिसका अर्थ है कि कर की दर कर आधार के साथ बदलती रहती है।
- **निश्चितता**
  - प्रत्यक्ष कर निश्चितता के तंत्र को सुनिश्चित कर सकते हैं।
- **लोच**
  - प्रत्यक्ष कर लोच के सिद्धांत को भी पूरा करते हैं। आयकर की प्रकृति आय लोचदार है। जैसे-जैसे आय का स्तर बढ़ता है सरकार का कर राजस्व स्वाभाविक रूप से बढ़ता है।
- **आर्थिक**
  - प्रत्यक्ष कर संग्रह काफी सस्ता है। करदाताओं द्वारा कर का भुगतान सीधे राज्य को किया जाता है.
- **प्रगतिशील**
- यह भुगतान करने की क्षमता के विचार से जुड़ा है। नतीजतन, यह आय और धन असमानताओं को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।
- **इक्विटी**
  - सामान्य तौर पर, यह प्रगतिशील है। अमीरों को गरीबों की तुलना में अधिक करों का भुगतान करने के लिए मजबूर करना संभव है। इसी तरह, यदि आवश्यक हो, तो कम आय वाले व्यक्तियों को छूट प्रदान की जा सकती है, जबकि अति-अमीरों को अधिक भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- **महत्वपूर्ण साधन**
  - महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति की स्थिति में, सरकार लोगों के हाथों में पैसा कम करने के लिए प्रत्यक्ष कर की दर बढ़ा सकती है और इस प्रकार उपभोक्ता मांग कम हो सकती है।

- **अस्थिरता**
  - टोबिन टैक्स लगाने से, प्रत्यक्ष कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दरों में सहायता करता है।
- **मुद्रा स्फीति**
  - मुद्रास्फीति के दौरान, सरकार वस्तुओं और सेवाओं की मांग को सीमित करने के लिए करों में वृद्धि करती है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में गिरावट आती है।

प्रत्यक्ष कर के नुकसान

- **असुविधाजनक**
  - खातों को बनाए रखना, रिटर्न जमा करना और एकमुश्त राशि में कर का भुगतान करना करदाताओं के लिए असुविधाजनक है।
- **कर की चोरी**
  - कर चोरी इतनी आम है क्योंकि प्रत्यक्ष कराधान का बोझ इतना बड़ा है। यह अंततः काले धन के निर्माण की ओर ले जाता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है।
- **एफडीआई**
  - इसके अलावा, देश का उच्च प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक निवारक के रूप में काम कर सकता है।
- **क्षेत्रों में असंतुलन**
  - व्यापार जैसे कुछ उद्योगों पर भारी कर लगाया जाता है। दूसरी ओर, कृषि कर-मुक्त है। यहां तक कि धनी किसान भी व्यक्तिगत आयकर देने से मुक्त हैं।
- **संकीर्ण नींव**
  - क्योंकि अगर हम गरीब लोगों से आयकर वसूलने की कोशिश करेंगे तो हमें एक बड़े स्टाफ की जरूरत पड़ेगी।
- **अलोकप्रिय**
  - प्रत्यक्ष करों को आम तौर पर नापसंद किया जाता है। यह कम सुविधाजनक और कम अनुकूलन योग्य है।
- **उत्पादकता**
  - कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार, प्रत्यक्ष कराधान का उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नागरिक अधिक पैसा कमाने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि ऐसा करने से अधिक करों का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

भारत में प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मुद्दे

- **सीमा पार लेनदेन:** अनिवासियों के लिए करों का स्रोत नियम भौतिक उपस्थिति से बंधा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप लंबी मुकदमेबाजी, आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण हुआ।
- **वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल:** जैसे-जैसे भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ तेजी से जुड़ता जा रहा है, राष्ट्र में विदेशी और स्थानीय उद्यमों के बीच अंतर को धीरे-धीरे दूर किया जाना चाहिए।
- **संकीर्ण कर आधार:** एक बड़ा और व्यापक कर आधार कम कर दरों और एक सरल कर संरचना के कारण संभावित राजस्व हानि के मुद्दे को हल करने में सहायता करेगा।
- **दीर्घ कर मुकदमा:** भारत में दीर्घकालीन कर मुकदमे न केवल भारतीय न्यायपालिका पर बोझ डालते हैं बल्कि सरकारी खजाने पर भी बोझ डालते हैं।
- **जटिल निगम कर दर संरचना:** मौजूदा प्रभावी निगम कर की दर उद्योगों में असमानता अपेक्षाकृत बड़ी है। निगम कर में छूट लंबवत रूप से उचित नहीं हैं।
- **युक्तिकरण:** कराधान प्रणाली जटिल है, और इसे तत्काल युक्तिसंगत और सरल बनाने की आवश्यकता है।
- **स्पष्टता:** जब जटिल कराधान व्यवस्था की बात आती है, तो स्पष्टता की कमी होती है।
- **कर मुकदमेबाजी:** भारत में कर प्रशासन और करदाताओं के बीच सबसे अधिक संख्या में विवाद हैं, जिनमें कर बकाया का सबसे कम प्रतिशत वसूल किया गया है।
- **कर चोरी और परिहार:** भारत में लोग गैरकानूनी तरीकों से या भारतीय कर प्रणाली में खामियों का फायदा उठाकर कर से बचने का प्रयास करते हैं।
- **अप्रचलित आयकर अधिनियम:** इसमें ऐसे उपाय शामिल हैं जो अब आवश्यक नहीं हैं और पुराने हैं, या बदलते समय के साथ असंगत हैं।
- **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच संतुलन:** राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का प्रतिशत बढ़ाना चिंता का विषय है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी होते हैं, जिससे गरीब लोगों को अधिक नुकसान होता है।

प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में सरकार की पहल

- प्रोजेक्ट इनसाइट और ऑपरेशन क्लीन मनी: वे कर अनुपालन बढ़ाने और कर प्रशासन में जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए डेटा विश्लेषण को नियोजित करने के लिए बनाए गए थे।
- कॉर्पोरेट दर में कटौती: औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% किया जा रहा है।
  - सभी घरेलू निगमों के लिए प्रभावी कर की दर वर्तमान में 25.17% है।
  - नए विनिर्माण उद्यम 15% निगम कर की दर के अधीन होंगे।

- **लाभांश वितरण कर (डीडीटी):** भारतीय इक्विटी बाजार के आकर्षण को बढ़ावा देने के लिए, 2020 के वित्त अधिनियम ने डीडीटी को निरस्त कर दिया।
- **विवाद के साथ आस्था:** अब विवाद से विश्वास के तहत अनसुलझे कर मुद्दों को हल करने के लिए घोषणाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। यह सरकार और करदाताओं दोनों को समय पर धन जुटाने और मुकदमेबाजी के बढ़ते खर्चों को कम करने में सहायता करेगा।
- **डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन:** अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण और अस्पष्टीकृत लेन-देन में कमी लाने में सहायता करना।
- **मौद्रिक सीमा:** आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के समक्ष अपील के लिए इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है।
- उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के लिए 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये।
- **दायरे का विस्तार:** कर आधार को व्यापक बनाने के लिए, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) (टीसीएस) के दायरे में विभिन्न अतिरिक्त लेनदेन जोड़े गए।
- **रियायती दर:** 2020 का वित्त अधिनियम व्यक्तियों और सहकारी समितियों को रियायती दरों पर आयकर का भुगतान करने की अनुमति देता है यदि वे विशिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाते हैं।
- **कर अनुपालन में वृद्धि:**
  - रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग में सहायता के लिए सीबीडीटी ने ई-सहयोग प्लेटफॉर्म बनाया है।
  - सीबीआईसी ने जीएसटी कार्यान्वयन में सहायता के लिए प्रोजेक्ट सक्षम बनाया।
  - जैसा कि इंडियन कस्टम्स सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन (स्विफ्ट) में विस्तार किया गया था।
- **गार:** 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी, विनियमों के एक संग्रह के रूप में जो राजस्व अधिकारियों को यह निर्धारित करने में सहायता करता है कि एक विशिष्ट लेनदेन में वाणिज्यिक पदार्थ है या नहीं और वास्तविक लेनदेन से जुड़ी कर जिम्मेदारी।
- **प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट (पीओईएम):** वित्तीय वर्ष 2017-18 में अंतरराष्ट्रीय उद्यमों के निवास स्थान के निर्धारण के लिए मानक अपनाए गए। अगर किसी कंपनी का पीओईएम भारत में है, तो उसके अंतरराष्ट्रीय राजस्व पर यहां कर लगाया जाता है।
- **सूचना साझा करने पर समझौता:** भारत ने विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी एक समझौता किया है।

आगे का तरीका: प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली

- **कर चोरी को रोकना:** जबकि कृषि राजस्व में छूट का उद्देश्य किसानों की मदद करना है, गैर-कृषि संस्थाएं इसका उपयोग अपनी आय के स्रोत के रूप में कृषि का दावा करके करों का भुगतान करने से बचने के लिए कर सकती हैं।
- **कर आतंकवाद:** देश के कराधान ढांचे में पारदर्शिता बढ़ाकर और कर विभाग की विवेकाधीन शक्तियों को कम करके कर आतंक को कम किया जाना चाहिए।
- **समान अवसर:** विशाल निगमों और स्टार्ट-अप और नई फर्मों के बीच। एक जटिल कर संरचना प्रमुख कंपनी संगठनों को लाभान्वित करती है जो इन-हाउस कर पेशेवरों की सहायता से प्रणाली में हेरफेर कर सकते हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना:** कर प्रणाली क्षैतिज रूप से समतावादी नहीं है क्योंकि सभी क्षेत्रों में प्रभावी कर दर असमानता बहुत बड़ी है।
- **अन्यायसंगत सीधे में वृद्धि:** निगम कर में सीधे उल्लंघन न्यायसंगत नहीं हैं।
- **प्रभावी कर दर में कमी:** भारत की उच्च कर दर अन्य एशियाई देशों की तुलना में निवेश और विकास में बाधक है, और यह इक्विटी निवेश को भी नुकसान पहुँचाती है।
- **कर छूट को युक्तिसंगत बनाना:** स्थापित नियमों के आधार पर कर छूट नहीं दी जाती है। इसके बजाय, चीजें एक अपारदर्शी प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं।
- **दोहरा कराधान:** साझेदारी व्यवसायों के संचालन से प्राप्त राजस्व पर दो बार कर लगाया जाता है:
  - सबसे पहले, निगम इकाई के मुनाफे पर कर लगाया जाता है।
  - फिर व्यक्तिगत आय पर कर लगाया जाता है।

प्रत्यक्ष कर सुधार

करों का संग्रह:

- **प्रत्यक्ष कर:** 2022-23 में, भारत की शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ बढ़कर 7.45 लाख करोड़ हो गई हैं, जो इस वर्ष के बजट लक्ष्यों के आधे से अधिक है। 9 अक्टूबर, 2022 तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.3% की वृद्धि।

- **आयकर:** प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, शुद्ध व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 17.35% की वृद्धि हुई, कॉर्पोरेट आयकर राजस्व में वृद्धि हुई, जिसमें 16.29% शुद्ध रिफंड की वृद्धि हुई।
- **प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी):** व्यक्तिगत आयकर प्राप्तियों के साथ संयुक्त होने पर संग्रह 16.25% अधिक मध्यम हो गया।
- **टैक्स रिफंड:** डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, जबकि टैक्स रिफंड साल दर साल 81% बढ़कर 1.53 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।
- **मानव संपर्क के बिना:** व्यावहारिक रूप से निरीक्षण के लिए चयनित रिटर्न के सभी सत्यापन और मूल्यांकन 2020-21 तक करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच शबिना किसी व्यक्तिगत बातचीत केश इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाएंगे।

2020-21 के सुधार:

- **साधारण रिटर्न:** आयकर रिटर्न को पहले से भरने के उपाय शुरू किए गए हैं, ताकि नई व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्ति को पहले से भरी हुई आयकर रिटर्न मिल सके और उसे आयकर का भुगतान करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता न हो।
- **करदाताओं का चार्टर:** कर प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने और अनुपालन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए करदाताओं के चार्टर को लागू किया जाना है।
- **लाभांश वितरण कर:** शेयर बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का भुगतान करने के लिए कंपनियों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।
- **रियायती निगम कर:** नए पंजीकृत घरेलू बिजली उत्पादन उद्यमों के लिए 15% निगम कर की दर स्थापित की गई है।
- **संप्रभु धन कोष(एसडब्ल्यूसी):** सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश पर विदेशी संप्रभु धन कोष द्वारा अर्जित ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ आय पर 100% छूट की घोषणा की।
- **स्टार्ट-अप्स:** ईएसओपी (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना) शेयरों की बिक्री पर कर्मचारियों के कर को 5 साल के लिए या उनके फर्म छोड़ने या अपने शेयरों को बेचने तक, जो भी पहले हो, स्थगित कर दिया गया है। इस उपाय का उद्देश्य देश के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।
- **फेसलेस अपील:** सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-मोड) के उपयोग की दिशा में एक और कदम उठाते हुए आयकर रिटर्न के मामले में 'फेसलेस अपील' शुरू की है और कर प्रशासन में मानव संपर्क को कम से कम किया है (श्फेसलेस मूल्यांकनश पहले से ही उपयोग में है)
- **योजना विवाद से विश्वास:** 2020-21 में, सरकार ने प्रत्यक्ष कर मुकदमों को खत्म करने के लिए विवाद से विश्वास नामक एक नई प्रणाली विकसित की। कार्यक्रम, जो जून 2020 तक खुला रहेगा, एक करदाता को केवल विवादित करों की राशि का भुगतान करने की अनुमति देता है और ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट प्राप्त करता है (बशर्ते भुगतान मार्च 2020 तक किया जाता है)। मार्च 2020 के बाद इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करने वालों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

केंद्रीय बजट 2022में प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव:

- **वन टाइम विंडो:** करदाताओं को उनके आयकर रिटर्न (आईटीआर) में त्रुटियों को ठीक करने के लिए वन-टाइम विंडो दी गई है। उनके पास निर्धारण वर्ष से लेकर संशोधित रिटर्न फाइल करने के लिए दो वर्ष का समय है।
- **डिजिटल रुपया:** यह आरबीआई द्वारा 2022-23 में ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का उपयोग करके जारी किया जाएगा। इसका अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
- **आभासी परिसम्पत्ति:** आभासी डिजिटल परिसम्पत्ति के ट्रांसफर से प्राप्त आय पर 30% कर प्रस्तावित किया गया है।
- **टीडीएस:** उपहारों पर कर लगाया जाएगा यदि वे एक निश्चित सीमा से अधिक हैं और स्रोत पर 1% कर कटौती (टीडीएस) के अधीन हैं।
- **कर कटौती:** राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों का समर्थन करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी।

प्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में अन्य सुधार

- **2017 आयकर सेतु:** सीबीडीटी का मोबाइल ऐप, जो आपको आयकर की गणना और भुगतान करने, टीडीएस रिफंड एकत्र करने आदि की अनुमति देता है।
- **आइसगेट:** भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईजीएटीई) सीमा शुल्क से संबंधित ई-सेवाओं के लिए एक वेबसाइट है। प्ब्क्ैभ् वेब सेवा जनता को बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क निकासी पर दैनिक डेटा की जांच करने की अनुमति देती है। (नवंबर 2019 में पेश किया गया)
- **अतिथि स्मार्टफोन ऐप:** विदेशी यात्रियों के लिए समय से पहले सीमा शुल्क घोषणा करना। नतीजतन, लोगों को इस तरह के खुलासे को भरने के लिए हवाईअड्डा लाइनों में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। (नवंबर 2019 में पेश किया गया)

- **प्रत्यक्ष कर संहिता 2010:** इस विधेयक का उद्देश्य 1961 के आयकर अधिनियम को बुनियादी उपायों से बदलना था। हालाँकि, यह 2014 में 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ समाप्त हो गया।
- **2015 प्रत्यक्ष करों पर ईश्वर पैनल:** अनिश्चितताओं को समाप्त करने के लिए 1961 के आईटी अधिनियम की शर्तों को स्पष्ट करने के लिए जो करदाताओं के लिए अनावश्यक मुकदमेबाजी और कठिनाई का कारण बनते हैं।
- **2017 डायरेक्ट टैक्स कोड टास्कफोर्स:** सीबीडीटी ने 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने के लिए नए प्रत्यक्ष कर विधान (कानून) को डिजाइन करने के लिए एक समिति की स्थापना की। - अखिलेश रंजन, अध्यक्ष, ने 2019 में एक रिपोर्ट दायर की।

प्रत्यक्ष कराधान: समितियां और आयोग

केलकर समिति (2015): यह विजय केलकर की अध्यक्षता वाली एक समिति थी जिसका गठन भारत में मौजूदा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए किया गया था।

राजा चेल्लिया समिति: 1991 में, सरकार ने भारत की कर प्रणाली के पुनर्गठन की योजना तैयार करने के लिए प्रोफेसर राजा चेल्लिया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया। इस टीआरसी ने 1991, 1992 और 1993 में विभिन्न उपायों के साथ तीन रिपोर्ट जारी की।

वाई.वी. रेड्डी समिति: द वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई: एनालिटिक्स एंड कंपाइलेशन मेथडोलॉजी, जिसकी अध्यक्षता डॉ. वाई.वी. रेड्डी का गठन मौद्रिक सर्वेक्षण के विश्लेषणात्मक घटकों की जांच के लिए किया गया था। इसने जून 1998 में अपनी रिपोर्ट पेश की। कार्यदल ने प्रस्तावित किया कि भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक और सहकारी बैंक, और संगठित वित्तीय क्षेत्र नियमित अंतराल पर व्यापक विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण करते हैं।

वांचू समिति (1971): योजना आयोग ने भारत के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की जांच करने और इन क्षेत्रों में फर्मों के लिए वित्तीय और वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रत्यक्ष कर जांच समिति की स्थापना की। वांचू समिति ने सुझाव दिया कि सभी पिछड़े क्षेत्रों में समान रूप से लेकिन लगातार संसाधनों को फैलाने के बजाय, कुछ स्थानों को चुना जाना चाहिए और इन्हें विकास ध्रुवों में बदलने के लिए वित्तीय और वित्तीय संसाधनों को समर्पित किया जाना चाहिए।

पार्थसारथी शोम पैनल: यह 2012 में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा अंतिम जीएएआर नियम विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था, मुख्य रूप से कर निश्चितता लाने और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए। केवल एफआईआई के बजाय, सभी अनिवासी करदाताओं को प्रभावित करने वाली चिंताओं की जांच करने के लिए पैनल से अनुरोध किया गया था।

अखिलेश रंजन समिति: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ई-कॉमर्स व्यवसाय मॉडल की जांच के लिए एक ई-कॉमर्स कराधान समिति की स्थापना की, जिसने 21 मार्च, 2016 को अपने निष्कर्ष दिए। समिति की रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई और वित्त विधेयक, 2016 के विकास में उस पर विचार किया गया।

प्रत्यक्ष कर कोड

- सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष कर विनियमों के ढांचे को सुव्यवस्थित करने का इरादा रखती है।
- डीटीसी 1961 के आयकर अधिनियम के साथ-साथ अन्य प्रत्यक्ष कर कानून जैसे कि 1957 के धन कर अधिनियम का अधिक्रमण करेगा।
- **उद्देश्य**
- केंद्र सरकार के सभी प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल और संयोजित करना
- कर प्रणाली की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करने के लिए।
- प्रत्यक्ष करों पर एकीकृत कानून लाने के लिए, अर्थात् आयकर, लाभांश वितरण कर, अनुषंगी लाभ कर, और संपत्ति कर, प्रभाव में।
- सर्वोत्तम विश्वव्यापी मानकों के अनुसार विभिन्न करदाता वर्गों के बीच क्षैतिज निष्पक्षता प्राप्त करना।
- अनुपालन को और भी अधिक बढ़ावा देने के लिए कर नियमों को सीधा, स्थिर और लचीला होना चाहिए।
- कर आधार को व्यापक और गहरा करने के लिए कर छूट और कटौतियों की संख्या को कम करना।

इसने प्रत्यक्ष कर संहिता के लिए निम्नलिखित विशेषताओं की सिफारिश की:

- **मुकदमेबाजी प्रबंधन:** आयकर अधिनियम की धारा 147 और 148 में परिवर्तन जो कर अधिकारी को पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन मामलों की फिर से जांच करने की अनुमति देता है। I-T अधिकारी छह साल तक निर्धारिती के खातों की पुस्तकों की जांच कर सकता है।

- **केस दायर करने के लिए बार उठाना:** यह अब 1 लाख रुपये और उससे अधिक है। इसके अलावा, समीक्षा के लिए मामलों के चयन के लिए पूर्व-निर्धारित मानदंड को मजबूत किया जाएगा।
- **गुमनामी:** मूल्यांकन प्रक्रियाओं को गुमनाम बनाया जाना चाहिए, और जनता को सीबीडीटी से कर संबंधी चिंताओं पर स्पष्टीकरण का अनुरोध करने में सक्षम होना चाहिए।
- **कम कर अनुपालन बोझ:** दुनिया भर के रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार कर अनुपालन। यह कर आधार को व्यापक बनाने के साथ-साथ करदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला माना जाता है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई):** इसका उपयोग कर अनुपालन और प्रशासन प्रक्रिया में किया जा रहा है।
- **व्यक्तिगत आयकर:** दरों को 5% से घटाकर 20% किया जाएगा।
- **वर्तमान में, व्यक्तिगत आयकर संरचना को तीन आयु समूहों में विभाजित किया गया है:** जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है, जिनकी आयु 60 और 80 के बीच है, और जिनकी आयु 80 और उससे अधिक है।

गार (GAAR) - सामान्य परिहार विरोधी नियम

- **गार:** प्रत्यक्ष कर प्रणाली का एक हिस्सा है जो कर निरीक्षकों को किसी भी निगम को कर लाभ को अस्वीकार करने की अनुमति देता है।
- दूसरी ओर, कर अधिकारियों के पास आयकर अधिनियम और दोहरा कराधान परिहार अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने का अधिकार है।
- **प्रमुख लाभ:**
- उल्लेखनीय रूप से कर चोरी और डीटीएए के दुरुपयोग में कमी आई है।
- राउंड ट्रिपिंग प्रतिबंधित रहेगी।
- मनी लॉन्ड्रिंग को कम किया जा रहा है।
- **मुख्य नुकसान:**
- इसने कर अधिकारियों को अधिकार सौंपे।
- भ्रष्टाचार का बोलबाला हो सकता है।
- अनिश्चितता का स्तर बढ़ेगा।
- साख में कमी आएगी।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)

- मैट प्रत्यक्ष कर कानून में एक प्रावधान है जो फर्मों के लिए कर छूट को सीमित करता है और उन्हें सरकार कोकॉर्पोरेट कर की न्यूनतम राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।
- मैट, एक पारंपरिक कंपनी कर के विपरीत, कर योग्य आय के बजाय बही लाभ पर लागू होता है।
- 1988 में पहली बार शून्य-कर फर्मों को कर के दायरे में लाने के लिए मैट का उपयोग किया गया था।
- इसे अंततः 1990 में निरस्त कर दिया गया था। हालांकि, इसे 1996 के वित्त अधिनियम द्वारा पुनर्जीवित किया गया था।
- भारत में कार्यरत सभी संस्थाओं पर कर लगाया जाता है, चाहे वे भारतीयों के हों या विदेशियों के।
- टनभार (tonnage) कर के अधीन जीवन बीमा कंपनियाँ और शिपिंग कंपनियाँ प्रमुख अपवाद हैं।
- जिन कंपनियों की भारत में स्थायी उपस्थिति नहीं है, उन्हें भी मैट का भुगतान करने से छूट दी गई है।
- मैट पहले विशेष रूप से कंपनियों के लिए लागू था, लेकिन वैकल्पिक न्यूनतम कर छत्र के तहत अन्य सभी करदाताओं को शामिल करने के लिए धीरे-धीरे इसका विस्तार किया गया।
- सितंबर 2019 में, सरकार ने मैट कर की दर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया, जबकि समवर्ती निगम कर की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया।
- इसके अलावा, किसी भी नए घरेलू विनिर्माण व्यवसाय (1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद शामिल) पर कोई मैट नहीं लगाया जाएगा।

बुनियादी प्रावधान:

- एमएटी विनियमों के अनुसार, एक कंपनी की न्यूनतम कर देयता निम्नलिखित में से अधिक होगी:
  - एक फर्म की सामान्य कर देयता की गणना आयकर कानून के विशिष्ट नियमों के अनुसार की जाती है, जिसमें कंपनी पर लागू कर की दर के बराबर कर योग्य राशि होती है।
  - कर की दर बही लाभ का 15% है, जिसमें अधिभार और उपकर शामिल हैं।

गणना:

- न्यूनतम वैकल्पिक कर वहां लगाया जाता है जहां आयकर अधिनियम प्रावधानों के तहत गणना की गई कर योग्य आय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गणना किए गए बही लाभ के 15% (प्लस अधिभार और उपकर) से कम है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर की गैर-प्रयोज्यता:

- धारा 115JB के अनुसार, MAT जीवन बीमा उद्यमों (5A) के माध्यम से प्राप्त किसी भी राजस्व पर लागू नहीं होता है।
- कोई भी नया घरेलू विनिर्माण उद्यम MAT (1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद शामिल) के अधीन नहीं होगा।
- धारा 115 वी-ओ के अनुसार, एमएटी शिपिंग आय पर लागू नहीं होता है जो टनभार कराधान के अधीन है।

कर उत्प्लावकता

- कर उत्प्लावकता सरकार की कर राजस्व वृद्धि में परिवर्तन और सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के बीच की कड़ी है।
- यह इस बात से संबंधित है कि सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि कितनी संवेदनशील है।
- जब कोई कर उत्प्लावक होता है, तो कर की दर में वृद्धि के बिना उसका राजस्व बढ़ जाता है। टैक्स लोच एक समान दिखने वाली अवधारणा है।
- यह कर दर समायोजन के परिणामस्वरूप कर राजस्व में उतार-चढ़ाव को संदर्भित करता है।

कर उत्प्लावकता मुख्य रूप से निर्भर करती है:

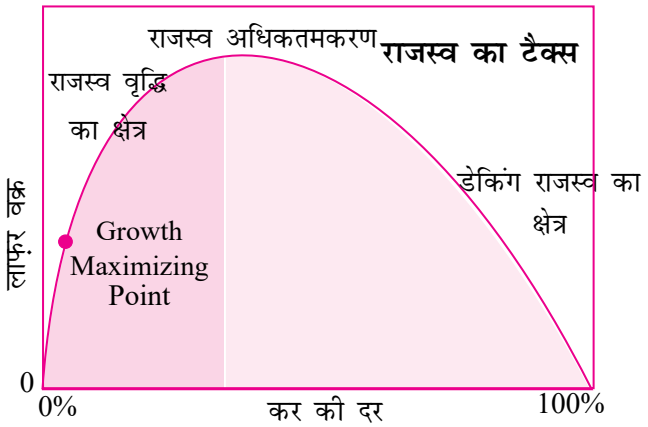
- कर आधार का दायरा
- कर प्रशासन की व्यवस्था
- कर की दरें उचित और सीधी हैं।

भारत में धन निर्माण के रुझान:

- 1991-1992 और 1997-1998 के बीच सात में से चार वर्षों में कर उछाल 1 से 1.3 के बीच था, लेकिन अन्य तीन में खराब था।
- कर उछाल 2004-05 और 2008-09 के बीच 1.3 और 1.7 के बीच था, जो एक सराहनीय प्रदर्शन दर्शाता है।
- कर उछाल पांचवें वर्ष (2008-09) में तेजी से गिरकर लगभग 0.2 हो गया।
- कर उछाल ने 2014 से 2019 तक लगातार प्रदर्शन बनाए रखा।

लाफर वक्र

- लाफर वक्र के अनुसार, यदि कर की दरें एक विशेष सीमा से अधिक बढ़ा दी जाती हैं, तो कर राजस्व में गिरावट आ सकती है क्योंकि उच्च कर दरें व्यक्तियों को काम करने से हतोत्साहित करती हैं।
- आर्थर लाफर ने कर दरों और सरकारों द्वारा प्राप्त कर राजस्व की राशि के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के लिए वक्र विकसित किया। कर्व का उपयोग लाफर की बात को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि कर की दरों को कम करने से कभी-कभी समग्र कर संग्रह को बढ़ावा मिल सकता है।
- लाफर कर्व के अनुसार, कर कटौती से कर संग्रह में वृद्धि हो सकती है।
- यह इस विचार पर आधारित है कि यदि कर की दरें 0% हैं, तो सरकार को कोई पैसा नहीं मिलता है।
- इसी तरह, यदि कर की दरें 100% तक पहुँच जाती हैं, तो सरकार को शून्य धन प्राप्त होगा क्योंकि काम करने का कोई फायदा नहीं है।
- यदि कर की दरें बहुत अधिक हैं और बाद में कम हो जाती हैं, तो यह व्यवसायों को बढ़ने और लोगों को लंबे समय तक काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। आर्थिक विकास को यह बढ़ावा अधिक आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और वैट सहित कर प्राप्तियों में वृद्धि करेगा।
- यह विचार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कर कटौती की राजनीतिक रूप से आकर्षक नीति के लिए एक आर्थिक आधार प्रदान करता है।



लाफर वक्र का आधार:

- कर कटौती का बजट पर दो प्रभाव इस प्रकार हैं:
  1. **अंकगणितीय प्रभाव:**
     - यह इस धारणा पर आधारित है कि कर की दर को कम करने या बढ़ाने से कर संग्रह में आनुपातिक हानि या वृद्धि होगी।
     - अंकगणितीय प्रभाव तत्काल और एक-से-एक होता है।
  2. **आर्थिक प्रभाव:**
     - जब कर दरों में बदलाव के विपरीत तरीके से कर राजस्व बढ़ता/घटता है, तो यह दर्शाता है कि कैसे कर बढ़ाने से राजस्व कम होता है और कर घटने से राजस्व बढ़ता है।
     - आर्थिक प्रभाव दीर्घकालिक है और इसका गुणक प्रभाव है।

कर का लोच

- यह दर परिवर्तन के कारण होने वाली कर आय में झूलों को संदर्भित करता है। जब सरकार निगम आय कर को 30% से घटाकर 25% कर देती है तो राजस्व कैसे बदलता है, इसमें लोच देखी जा सकती है।

टोबिन कर

- आर्थिक विज्ञान पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार द्वारा प्रस्तावित एक टोबिन टैक्स को शुरू में सभी स्पॉट मुद्रा परिवर्तनों पर शुल्क के रूप में चित्रित किया गया था।
- टैक्स की मूल धारणा ने अल्पकालिक वित्तीय संचालन को दूसरी मुद्रा में दंडित किया।
- किसी देश की मुद्रा की स्थिरता को नियंत्रित करने के साधन के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने के बजाय टोबिन टैक्स का भुगतान बाजार सहभागियों द्वारा किया जाएगा।
- टोबिन टैक्स को विनिमय दर की अस्थिरता के प्रबंधन की एक विधि बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। जेम्स टोबिन ने इस समस्या के दो समाधान प्रस्तावित किए:
  1. एक सामान्य मुद्रा, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों और आर्थिक एकीकरण के लिए संक्रमण
  2. केंद्रीय बैंकों और सरकारों के लिए अधिक वित्तीय नीति स्वायत्तता की अनुमति देते हुए, राष्ट्रों में वित्तीय विभाजन को बढ़ाने का प्रयास करें।

दुनिया भर में टोबिन कर के उदाहरण:

- स्वीडन ने शेयर खरीद और बिक्री पर 0.5% टोबिन कर पेश किया लेकिन अपेक्षित नतीजे हासिल नहीं किए।
- बेल्जियम, जर्मनी, एस्टोनिया, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया ने शेयरों और बांडों के आदान-प्रदान पर 0.1% कर और व्युत्पन्न लेनदेन पर 0.01%करारोपणका विकल्प चुना है।
- टोबिन कर को थाईलैंड, ब्राजील, चिली और मलेशिया में भी अलग-अलग सफलता के साथ आजमाया गया है।
- प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) भारत में टोबिन कर का एक रूपांतर है। इसे 2004 में लागू किया गया था और स्टॉक एक्सचेंजों और म्यूचुअल फंड में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से जुड़े सभी लेनदेन पर शुल्क लगाया जाता है।

पिगोवियन कर

- पिगौवियन कर उन आर्थिक गतिविधियों पर लगाए जाते हैं जो नकारात्मक बाह्यता उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप असंबद्ध तृतीय पक्षों द्वारा भुगतान किए गए खर्च होते हैं।
- किसी उत्पाद या सेवा की अंतिम कीमत में नकारात्मक बाह्यताओं के परिणामस्वरूप होने वाले खर्चों का हिसाब नहीं दिया जाता है।
- भारत में, कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर पिगौवियन कर का एक उदाहरण है।
- यह बाजार की अक्षमताओं को रोकते हुए, नकारात्मक बाह्यता द्वारा निर्मित राशि द्वारा सीमांत निजी लागत को बढ़ाता है। नतीजतन, अंतिम लागत देश की अर्थव्यवस्था पर गतिविधि की पूरी सामाजिक लागत का प्रतिनिधित्व करती है।
- पिगौवियन करों को विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रदूषण, खतरनाक रसायनों और यातायात भीड़ को रोकने के लिए लागू किया जा सकता है।
- यह नकारात्मक बाह्यता की लागत को निर्माता या उपभोक्ता को वापस लौटाना चाहता है।

पिगौवियन कर के उदाहरण:

- भारत में कोयला उपकर या स्वच्छ पर्यावरण उपकर पिगौवियन कर का एक उदाहरण है।
- फ्रांस इसे अपने नौ सबसे बड़े हवाईअड्डों पर उड़ानों पर ध्वनि शुल्क के रूप में लगाता है। यह हवाई अड्डे के आधार पर 2 से 35 यूरो के बीच भिन्न होता है।
- 40 से अधिक देश उन फर्मों पर कार्बन टैक्स लगाते हैं जो कोयला, तेल या गैस का उपयोग करती हैं और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करती हैं।
- भविष्य की पीढ़ियों के लिए शुद्ध पेयजल की सुरक्षा के लिए, नीदरलैंड ने पेयजल निगमों पर भूजल शुल्क लगाया।
- प्लास्टिक और पेपर बैग के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए, यूरोप में प्लास्टिक और पेपर बैग पर शुल्क लागू किया गया ताकि लोगों को घर से अपने पुन: प्रयोज्य बैग ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

अधिभार

- आय पर कर अधिभार सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- यह धन एकत्रण, केंद्र सरकार जिस भी उद्देश्य के लिए उपयुक्त पाती है, उसके लिए उपयोग करती है।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल बकाया कर पर लागू होता है, संपूर्ण राजस्व पर नहीं।
- यह पैसा भारत की संचित निधि में स्थानांतरित किया जाता है और इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
- 30% आयकर दर पर 10% अधिभार, उदाहरण के लिए, कर का बोझ 33% तक बढ़ा देता है।

- 1 करोड़ रुपये से अधिक के शुद्ध कर योग्य वेतन वाले व्यक्तियों को उनके कर के बोझ पर 10% अधिभार का सामना करना पड़ता है।
- घरेलू कंपनियां 5% अधिभार के अधीन हैं यदि उनकी शुद्ध आय 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच है। यदि शुद्ध राजस्व 10 करोड़ रुपये से अधिक है, तो 10% अधिभार लगाया जाता है।
- विदेशी कंपनियां 2% अधिभार के अधीन हैं यदि उनकी शुद्ध आय 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच है।
- यदि शुद्ध आय 10 करोड़ रुपये तक पहुँच जाती है तो अधिभार 5% तक बढ़ा दिया जाता है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उद्यमों को मामूली राहत मिलती है अगर उनकी शुद्ध आय क्रमशः 1 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये से अधिक हो।

उपकर

- संक्षेप में, एक उपकर कर पर कर है।
- यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक उपकर का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए इसे लगाया गया था।
- उदाहरण के लिए, भारत सरकार एक शिक्षा उपकर एकत्र करती है और इसे पूरी तरह से शिक्षा पर खर्च करती है।
- यह टैक्स सभी टैक्सपेयर्स पर भी लगता है।
- उपकर करों का भुगतान भारतीय संचित निधि में किया जाता है।
- जब तक सरकार अपना कार्य पूरा नहीं कर लेती और फिर निष्क्रिय हो जाती है, तब तक उपकर को आमतौर पर वसूला जाता माना जाता है।
- एक उपकर अन्य प्रकार के करों से अलग है जिसमें इसे वर्तमान कर (कर ऊपर कर) के अतिरिक्त लगाया जाता है।

उपकर के प्रकार:

- अवसंरचना उपकर
- कृषि कल्याण उपकर
- निर्यात पर उपकर
- सड़क और अवसंरचना उपकर
- तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर शुल्क
- आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर
- स्वच्छ भारत उपकर
- शिक्षा उपकर
- कच्चे तेल पर उपकर

उपकर और अधिभार के बीच समानताएं और अंतर:

मतभेद	
उपकर	**अधिभार**
उपकर की दर निर्धारित है।	यह दर उन स्तरों के अनुसार भिन्न होती है जिनमें लोग आते हैं।
अधिकारी अधिभार और कुल कर पर उपकर की गणना करते हैं।	इसकी गणना केवल कुल कर राशि पर की जाती है।
उपकर सभी पर लगाया जाता है।	केवल उच्च आय वर्ग पर अधिभार लगता है।
उपकर का उपयोग केवल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है और किसी अन्य कारण से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।	इसका उपयोग किसी भी कारण से किया जा सकता है।
उपकर लोक कल्याण के उद्देश्य से है।	अधिभार का उद्देश्य उच्च आय वाले व्यक्तियों पर कर लगाना है।
समानताएँ	
• केंद्र सरकार सरचार्ज और सेस दोनों लगाती है। • दोनों को एकत्र कर भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। • राज्य सरकारें इनमें से कुछ भी साझा नहीं कर सकती हैं।	

उपकर और अधिभार जारी करना

- सातवीं अनुसूची में निर्धारित संघ और राज्यों के बीच प्राधिकरण और जिम्मेदारियों के विभाजन के हिस्से के रूप में।
- संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत, केंद्र संघ सूची के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कर लगा सकता है और एकत्र कर सकता है।
- इसके परिणामस्वरूप एक बड़ा संसाधन जुटाना असंतुलित हो गया है, जिसने सरकारों की उनके प्रतिज्ञाबद्ध सामाजिक व्यय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न की है।
- शुद्ध कर आय सकल कर राजस्व से उपकर और अधिभार हटाकर, साथ ही संग्रह की लागत और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) को हस्तांतरित करके प्राप्त की जाती है।
- नतीजतन, उपकर और अधिभार का एक बड़ा पूल विभाज्य करों की कुल राशि को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों को कम संसाधन हस्तांतरण होता है।

- 15वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्य 62% से अधिक व्यय के लिए जवाबदेह हैं, लेकिन राजस्व जुटाने की क्षमता का केवल 37% है, जबकि संघीय सरकार के पास 63% राजस्व जुटाने की शक्ति है, ताकि वह 38% व्यय पर खर्च कर सके।
- 2010-11 में उपकर और अधिभार 49,628.02 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 3,74,471.14 करोड़ रुपये हो जाने के बावजूद, लाभ राज्यों तक नहीं पहुंचे क्योंकि उपकर और अधिभार को विभाज्य पूल से बाहर रखा गया है।
- राज्यों ने नियमित रूप से अनुरोध किया है कि संघ प्रशासन या तो उपकरों को पूरी तरह से समाप्त कर दे या यदि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखा जाए तो उन्हें विभाज्य पूल में शामिल किया जाए।
- इस समावेशन के परिणामस्वरूप, राज्यों को केंद्र के शुद्ध राजस्व से विचलन का एक उच्च हिस्सा मिलेगा, जिससे वे अपने स्वयं के सामाजिक, मानव विकास और बुनियादी ढांचे के कर्तव्यों को पूरा कर सकेंगे।
- चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोगों ने प्रस्तावित किया कि संवैधानिक परिवर्तन लागू करके उपकर और अधिभार से लाभ को विभाज्य पूल में शामिल किया जाए।

अप्रत्यक्ष कराधान

- एक अप्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति से एकत्र किया जाता है जो एक मध्यस्थ द्वारा कर का अंतिम आर्थिक बोझ वहन करता है।
- अप्रत्यक्ष करों में कर भार और कर प्रभाव एक ही व्यक्ति पर नहीं पड़ता है।
  - आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क, माल के निर्माण पर उत्पाद शुल्क, सेवाओं पर सेवा कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (वैट) और माल और सेवा कर अप्रत्यक्ष करों के कुछ उदाहरण हैं।
- अप्रत्यक्ष करों का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा किया जाता है, जिसे बजट-2018 (सीबीआईसी) में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नाम दिया गया था।

अप्रत्यक्ष करों के प्रकार और संस्करण

- **जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर)**
  - यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, बिक्री और खपत पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष राष्ट्रीय कर है।
  - इसने संघीय और राज्य सरकारों द्वारा उत्पादों और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया है।
- **उत्पाद शुल्क**
  - उत्पाद शुल्क विशुद्धतः एक वस्तु कर है क्योंकि यह उत्पाद की बिक्री के बजाय भारत में वस्तुओं के निर्माण पर एकत्र किया जाता है।
  - सीजीएसटी प्रभाव में आ गयी है।
- **बिक्री कर**
  - भारत में, बिक्री कर एक प्रकार का सरकारी कर है जो देश के भीतर किसी निश्चित वस्तु की बिक्री या खरीद पर लगाया जाता है।
  - इसकी जगह अब आईजीएसटी ने ले ली है।
- **लाभांश वितरण कर (डीडीटी)**
  - लाभांश एक विशेष वर्ष में कंपनी के मुनाफे से एक निगम द्वारा निवेशकों को किया गया भुगतान है। लाभांश शेयरधारकों के हाथों में आय है और, आदर्श रूप से, कर योग्य होना चाहिए।
  - डीडीटी कर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि के आधार पर भारत सरकार द्वारा भारतीय फर्मों पर लगाया गया कर है।
  - डीडीटी का उपयोग शुरू में 1997 में किया गया था और यह आयकर अधिनियम की धारा 115 ओ के तहत शासित था।
  - डीडीटी को वित्त मंत्री ने बजट 2020 में निरस्त कर दिया था।
  - लाभांश कराधान अब निगमों से व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया गया है।
- **सेवा कर**
  - भारत में, सभी सेवाएँ सेवा कर के अधीन हैं।
  - 1994-95 में तीन सेवाओं पर सेवा कर लगाया गया था: टेलीफोन सेवाएं, सामान्य बीमा और स्टॉक ब्रोकिंग।
  - तब से, हर साल अधिक से अधिक सेवाओं को जोड़कर सर्विस नेट में वृद्धि हुई है। अब हमारे पास एक श्नकारात्मक सूचीश बहिष्करण मानदंड है, जिसका अर्थ है कि कुछ सेवाओं पर अब कर नहीं लगता है।
  - उसकी जगह वस्तु एवं सेवा कर ने ले ली।
- **वैट (मूल्य वर्धित कर)**
  - वैट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि विकृतियां समाप्त हो जाती हैं।
  - परिणामस्वरूप, सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वैट (अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर) पेश किया है।

- राज्य कर की राशि निर्धारित करता है, जो राज्य में बेची जाने वाली वस्तुओं की एक श्रृंखला पर लगाया जाता है।
- अब इसकी जगह एसजीएसटी ने ले ली है।

महत्वपूर्ण शब्दावली

कर की समीक्षा	यह वह है जो वास्तव में कर का भुगतान करता है। कर का सही भार, करापात द्वारा होता है न कि प्रभाव से।
कर प्रभाव	यह वह इकाई है जिस पर कर लगाया जाता है। इकाई के पास करों का भुगतान करने की कानूनी जिम्मेदारी है।
कर स्थानांतरण	जब करापात, कर के प्रभाव से भिन्न होता है, तो यह कर स्थानांतरण है।
कर आधार	वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिस पर कर लगाया गया है।

गैर-कर राजस्व के स्रोत

- **बेटरमेंट शुल्क का विशेष आकलन:**
  - यह एक प्रकार का विशेष शुल्क है जो समुदाय के सदस्यों पर लगाया जाता है जो विशिष्ट सरकारी गतिविधियों या सार्वजनिक परियोजनाओं से लाभान्वित होते हैं।
  - उदाहरण के लिए, उस पड़ोस के लोग सार्वजनिक पार्क या सड़क के निर्माण के परिणामस्वरूप अपनी संपत्ति या भूमि के मूल्य में वृद्धि देख सकते हैं।
- **उपहार, अनुदान और सहायता:**
  - समकालीन समय में, एक सरकार से दूसरी सरकार को उपहार नकद का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
  - अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अनुदान वितरित करती है, जबकि राज्य सरकारें स्थानीय सरकारों को अनुदान प्रदान करती हैं।
  - विदेशी सहायता का तात्पर्य अन्य देशों के अनुदान से है।
  - अन्य राष्ट्र विकासशील देशों को सैन्य सहायता, पोषण संबंधी सहायता, तकनीकी सहायता आदि प्रदान करते हैं।
- **राजसात्करण:**
  - यह राज्य के उन लोगों की संपत्ति के दावे को संदर्भित करता है जिनकी कानूनी उत्तराधिकारियों या दस्तावेजी वसीयत के बिना मृत्यु हो जाती है।
- **शुल्क:**
  - फीस सरकार के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत है।
  - सार्वजनिक प्राधिकरण नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए शुल्क लेते हैं।
  - करों के विपरीत, शुल्क के मामले में कोई बाध्यता नहीं है।
  - सरकार कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिसके लिए शुल्क लगाया जाता है।
  - पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज, उदाहरण के लिए, शुल्क के अधीन हैं।

1. सार्वजनिक उद्यमों से आय:

1. सरकार को सार्वजनिक उद्यमों द्वारा उत्पन्न अधिशेष से भी राजस्व प्राप्त होता है।
2. कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम महत्वपूर्ण लाभ उत्पन्न करते हैं।
3. सरकार द्वारा प्राप्त लाभ या लाभांश का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

संघ के लिए अप्रत्यक्ष कर राजस्व का स्रोत	राज्यों के लिए अप्रत्यक्ष कर राजस्व का स्रोत
सीमा शुल्क	बिक्री कर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मादक शराब पर उत्पाद शुल्क
केंद्रीय बिक्री कर	विलासिता, आमोद-प्रमोद, सट्टेबाजी, मनोरंजन और जुए पर कर
सेवा कर जीएसटी	विद्युत कर

अप्रत्यक्ष कराधान के गुण

- **लोचदार:**
  - यह प्रकृति में लचीला है। क्योंकि यह अधिक व्यापक रूप से लागू होता है, कराधान में कोई भी मामूली वृद्धि महत्वपूर्ण आय उत्पन्न करेगी।
- **न्यायसंगत:**
  - जब अमीरों द्वारा उपभोग की जाने वाली विलासिता पर एक बड़ा कर लगाया जाता है, तो अप्रत्यक्ष कर निष्पक्षता के सिद्धांत को पूरा करता है।
- **अपराध कर/उपभोग नियंत्रण:**
  - इसका उपयोग अवांछित वस्तुओं की खरीद को रोकने के लिए किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, विलासितापूर्ण उत्पादों पर कर लगाकर और उनकी कीमतों में वृद्धि करके।
- **सुविधा:**
  - अप्रत्यक्ष कर आसान होते हैं क्योंकि करदाता (उपभोक्ता) कर की थोड़ी मात्रा का भुगतान करते हैं।

- **आर्थिक लागत:**
  - संग्रह की आर्थिक लागत कम है क्योंकि निर्माता और व्यापारी सरकार को कर एकत्र करते हैं और भुगतान करते हैं।
  - मानद कर संग्राहक व्यापारी हैं।
- **व्यापक कवरेज और व्यापक आधार:**
  - अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव समाज में लगभग सभी ने महसूस किया है।
  - इसका भुगतान किया जाना चाहिए (संपन्न और गरीब दोनों द्वारा) जब वे कर वाले सामान का अधिग्रहण करते हैं।

अप्रत्यक्ष कराधान की अवगुण

- **अनिश्चितता:**
- अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि से कीमतें बढ़ती हैं और वस्तुओं की मांग कम हो जाती है।
- नतीजतन, सरकार राजस्व संग्रह के बारे में चिंतित है।
- **नागरिक जागरूकता:**
- कोई नागरिक चेतना नहीं है क्योंकि कर मूल्य में प्रच्छन्न है, खरीदार इस बात से अनजान हैं कि वे कर का भुगतान कर रहे हैं।
- **बेलोचदार:**
- प्रत्यक्ष करों की तुलना में, अप्रत्यक्ष कर कम लोचदार होते हैं। क्योंकि अप्रत्यक्ष कर आमतौर पर आनुपातिक होते हैं।
- **अनुचित और प्रतिगामी:**
- अप्रत्यक्ष कर कभी-कभी अनुचित और प्रतिगामी होते हैं क्योंकि अमीर और गरीब दोनों लोगों को अपने आय स्तर की परवाह किए बिना करों में समान राशि का भुगतान करना पड़ता है।

अप्रत्यक्ष कर से संबंधित मुद्दे

- **बहिष्करण की सूची:** पेट्रोलियम आइटम (कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस), डीजल, गैसोलीन, विमानन टरबाइन ईंधन, पीने योग्य शराब और रियल एस्टेट, जो अप्रत्यक्ष कर आय का 35-40% हिस्सा हैं, जीएसटी से मुक्त हैं।
- **जीएसटी संरचना जटिल है:** विश्व बैंक के एक विश्लेषण के अनुसार, भारत की जीएसटी दर राष्ट्रीय मूल्य वर्धित कर वाले 115 देशों में दूसरे स्थान पर थी।
- **कर अपवंचन:** चालानों के मिलान की व्यावहारिक पद्धति के अभाव में, जाली चालान व्यवसाय विकसित हो गया है।
- **उच्च कर की दर:** ऑटो और भवन और निर्माण सामग्री पर उच्च कर की दरों ने इन उद्योगों में ऐसे समय में एक अतिरिक्त मंदी पैदा कर दी है जब मांग सीमित है।
- **कृषि:** किसानों को एग्रोकेमिकल्स, उर्वरक, सुरक्षा किट (आईवियर, मास्क और दस्ताने), ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि के लिए जीएसटी का भुगतान करना होगा, लेकिन वे इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं करते हैं।
- **कर अनुपालन मुश्किल है:** वर्तमान चार अलग-अलग दरें, कई बहिष्करण और उपकर, सोने के लिए अलग-अलग दरें, और इसी तरह कर अनुपालन को सरल बनाने के अंतिम उद्देश्य को कम कर देते हैं और परिणामस्वरूप दक्षता लाभ खो देते हैं।
- **एकाधिक दर चुनौती:** प्रत्येक चरण में कर स्लैब में वस्तुओं के वर्गीकरण और विवाद की स्थिति में लंबी मुकदमेबाजी का लेखा-जोखा करने का उच्च खर्च है।
- **डेटा सुरक्षा:** वर्तमान जीएसटी कार्यान्वयन के लिए इनपुट-आधारित टैक्स क्रेडिट के लिए बड़े पैमाने पर पंजीकरण और पंजीकृत व्यापारियों के एक साझा डेटाबेस के निर्माण की आवश्यकता थी, जिसे केंद्रीय रूप से प्रशासित किया जाना था।
  - तकनीकी कठिनाइयों के साथ, यह जीएसटी के आईटी परिदृश्य के लिए एक गंभीर बाधा के रूप में उभरा है।

अप्रत्यक्ष कराधान: आगे की राह

- **कर इंटरफेस को न्यूनतम करना:** करदाताओं के साथ कर अधिकारियों के इंटरफेस को बढ़ाने की भी आवश्यकता है, जिससे प्रक्रिया को और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके।
- **कुशल जीएसटी परिचालन प्रणाली:** हमें एक कुशल जीएसटी परिचालन प्रणाली विकसित करने और वर्तमान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जीएसटी में संक्रमण के कारण होने वाले व्यवधान को कम करने की आवश्यकता है।
- **जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाना:** हमें धीरे-धीरे कम संख्या और दरों के निचले स्तर की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि जीएसटी प्रणाली कर आधार को व्यापक करेगी, हमें आय खोए बिना कर की दरों को कम करने में सक्षम होना चाहिए।
- **काले धन की उत्पत्ति को खत्म करना:** कर सुधार को व्यवस्था को साफ करने के लिए एक बड़ी सरकारी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि कोई काला धन उत्पन्न न हो।
- **कर आधार का विस्तार:** कर परिवर्तनों के परिणामस्वरूप एक व्यापक कर आधार, समग्र कर दरों को कम करने, निवेश को बढ़ावा देने, उत्पादन का विस्तार करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की अनुमति भी दे सकता है।

- **कस्टम निकासी में सुधार:** कस्टम क्लीयरेंस ऑपरेशंस में सुधार की गुंजाइश है। सीमा शुल्क निकासी (स्विफ्ट) के लिए सभी भागीदार सरकारी एजेंसियों की एकल खिड़की तक पहुंच होनी चाहिए।
- **विवाद समाधान रणनीति:** कर प्रशासन सुधार आयोग(टीएआरसी) की सिफारिश के बाद, सीबीडीटी और प्रत्येक सीबीआईसी को कर संग्रह कार्यों के अलावा एक अलग विवाद-निपटान कार्यक्षेत्र स्थापित करना चाहिए।
- **कर अधिकारियों का प्रदर्शन मूल्यांकन:** कर अधिकारियों का उचित कारण या मूल्यांकन के बिना कार्रवाई शुरू करने का झुकाव कर विवादों की बढ़ती संख्या के पीछे एक मूलभूत कारण है।
- **स्थिर कर नीति:** अनुमानित और स्थिर कर नीति के माध्यम से निवेश का समर्थन करना, जिसे कर नियमों और विनियमों को सरल बनाकर हासिल किया जा सकता है। कानून द्वारा कर अधिकारियों को दी गई विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करें।
- **सीमा शुल्क युक्तिकरण:** हमारी विश्व व्यापार संगठन की जिम्मेदारियों को छोड़े बिना यथासंभव अधिकतम सीमा तक, हमें सभी सीमा शुल्कों को 7% पर एकीकृत करना चाहिए। उद्यमी हमेशा प्रतिकूल ड्यूटी स्ट्रक्चर की शिकायत करते रहते हैं।

अप्रत्यक्ष कराधान में सरकार की पहल

सीमा शुल्क:

- फुटवियर पर सीमा शुल्क 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया और फर्नीचर पर शुल्क 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया।
- अखबारी कागज और हल्के लेपित कागज के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया।
- इलेक्ट्रिक कारों और मोबाइल फोन के पुर्जों पर सीमा शुल्क की दरों में बदलाव किया गया है।
- मेडिकल गैजेट के आयात पर 5% स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा (छूट को छोड़कर)।
- विभिन्न वस्तुओं और कच्चे माल जैसे फ्यूज, रसायन और प्लास्टिक पर कम शुल्क।
- कुछ वस्तुओं पर उच्च सीमा शुल्क, जैसे कि कार के पुर्जे और रसायन, जो संयुक्त राज्य में भी निर्मित होते हैं।

व्यापार नीति के उपाय:

- एफटीए के तहत आयात पर प्रभावी जांच प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में बदलाव किया जा रहाहै।
- कुछ संवेदनशील जिंसों के लिए, उत्पत्ति के नियमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- आयात में इस तरह की वृद्धि के व्यवस्थित विनियमन की अनुमति देने के लिए रक्षोपाय शुल्क के प्रावधानों को बढ़ाया जाना चाहिए।
- सब्सिडी वाले उत्पादों की डंपिंग और आयात को रोकने के लिए प्रावधानों का विस्तार किया जा रहा है।
- सीमा शुल्क छूट की समीक्षा के लिए सुझावों को क्राउडसोर्स किया जाएगा।

उत्पाद शुल्क

- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की योजना है, हालांकि बीड़ी शुल्क की दरें अपरिवर्तित हैं।
- कपड़ा उद्योग की सहायता के लिए पीटीए पर एंटी-डंपिंग टैरिफ को समाप्त किया गया।

अप्रत्यक्ष कराधान में सरकार की पहल: कुल मिलाकर

- जीएसटी परिचय: जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को (101वें संवैधानिक संशोधन द्वारा) सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार के रूप में अपनाया गया था, जिसमें उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे लगभग 17अप्रत्यक्ष शुल्क शामिल थे।
- तत्काल सीमा शुल्क: परियोजना 'तत्काल सीमा शुल्क'के तहत, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खेपों का एक फेसलेस मूल्यांकन लागू किया है।
- प्रशासनिक सुधार: पार्थसारथी शोम के नेतृत्व में कर प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राजस्व सचिव ने राजकोषीय विषयों और कर नीति पर अनुसंधान क्षमता में सुधार के लिए एक कर नीति अनुसंधान इकाई की स्थापना की।

2022 का बजट और अप्रत्यक्ष कर

- एक स्थिर और पूर्वानुमेय कर प्रणाली के घोषित लक्ष्य को जारी रखते हुए, केंद्रीय बजट 2022-23 में और उपायों को लागू करने का प्रस्ताव है जो एक भरोसेमंद कर व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि को आगे बढ़ाएंगे।
- एक अप्रत्यक्ष कर ग्राहक के पास आने से पहले उत्पादों और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर है, जो अंततः खरीदे गए सामान या सेवाओं के बाजार मूल्य के हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है।
- उदाहरण के लिए, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और आयात कर।

प्रमुख प्रस्ताव

परियोजना आयात और पूंजीगत वस्तु:

- राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, 2016, 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करने की आकांक्षा रखती है।
- इससे नौकरी की अधिक संभावनाएं और उच्च आर्थिक गतिविधि होगी।
- हालांकि, बिजली, उर्वरक, कपड़ा, चमड़ा, जूते, खाद्य प्रसंस्करण और उर्वरक जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए पूंजीगत वस्तुओं को कई टैरिफ छूट दी गई हैं, कुछ परिस्थितियों में तीन दशकों से अधिक समय तक कुछ छूट दी गई है।
- इन बहिष्करणों ने घरेलू पूंजीगत सामान उद्योग के विस्तार को रोक दिया है।
- बजट ने पूंजीगत मदों और परियोजना आयातों पर रियायती दरों को धीरे-धीरे कम करने का सुझाव दिया।
- घरेलू क्षेत्र के विकास और श्मेक इन इंडियाश को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में 7.5% के निम्न टैरिफ का प्रस्ताव किया गया है।श
- जीएसटी राजस्व एक नई ऊंचाई पर पहुंचा: मजबूत आर्थिक सुधार के कारण, जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। (कोरोनावायरस महामारी के बावजूद)। जीएसटी सहकारी संघवाद की भावना का उदाहरण है और भारत के एकल बाजार-एक कर के आदर्श को साकार करता है।

क्षेत्र-विशिष्ट प्रस्ताव:

- **इलेक्ट्रॉनिक्स:** पहनने योग्य गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर के घरेलू उत्पादन की अनुमति देने के लिए सीमा शुल्क दरों को एक श्रेणीबद्ध दर संरचना स्थापित करने के लिए समायोजित किया जाएगा। राष्ट्र ने कलाई में पहनने योग्य गैजेट, सुनने योग्य उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर बनाने के लिए एक नए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) की घोषणा की है। पीएमपी शुरू में उच्च मूल्य वाले घटकों के उत्पादन के लिए आगे बढ़ने से पहले कम मूल्य के सामान के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।
- **रत्न और आभूषण:** कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया जाएगा। केवल आरी से काटे गए हीरों पर कोई सीमा शुल्क नहीं देना होगा।
- **एमएसएमई और निर्यात:** भारत में बने कृषि क्षेत्र के उपकरणों और उपकरणों के लिए छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उत्पादों पर छूट भी दी जा रही है।
- **ईंधन सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क:** ईंधन सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क लागू किए जाएंगे। इस बीच, ईंधन सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए, 1 अक्टूबर, 2022 से अनब्लेंडेड पेट्रोल 2 रुपये प्रति लीटर के अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क के अधीन होगा।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र:** एसईजेड सीमा शुल्क प्रशासन आईटी-संचालित होना चाहिए और सीमा शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल पर संचालित होना चाहिए, जिसमें अधिक सुविधा और पूरी तरह से जोखिम-आधारित जांच पर जोर दिया गया हो।
- **सीमा शुल्क सुधार और शुल्क दर में बदलाव:** फेसलेस सीमा शुल्क पूरी तरह चालू है। सीमा शुल्क सुधारों ने घरेलू क्षमता निर्माण, एमएसएमई के लिए खेल के मैदान को समतल करने, कच्चे माल की आपूर्ति की सीमाओं को आसान बनाने और व्यापार करने में आसानी में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएलआई और चरणबद्ध निर्माण योजनाओं जैसी अन्य नीतिगत पहलों का समर्थक बनना।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)

- यह उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पूरे उत्पाद चक्र या जीवन चक्र में वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान पर एक एकल कर है।
- इसकी गणना केवल वस्तुओं या सेवाओं के "मूल्य संवर्धन" चरण में की जाती है।
- अंतिम ग्राहक पूरी आपूर्ति श्रृंखला के बजाय कर के केवल अपने हिस्से का भुगतान करेगा, जैसा कि पहले मामला था।
- यह गंतव्य-आधारित करों की एक प्रणाली है।
- 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इसे बनाया।
- यह भारत को एक संयुक्त बाजार बनाने के लिए "वन नेशन, वन टैक्स" की भावना से पूरे देश पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है।
- जीएसटी परिषद के पास जीएसटी से संबंधित किसी भी मुद्दे पर शासन करने का अधिकार है, और इसके अध्यक्ष देश के वित्त मंत्री होते हैं।

जीएसटी के उद्देश्य

- **दस्तावेजीकरण में कमी:** सरकार जीएसटी जैसे एकीकृत कर की स्थापना करके पुरानी कर प्रणाली के तहत कई दस्तावेजों की आवश्यकता को कम करना चाहती है।
- **कार्यकुशलता में सुधार:** लक्ष्य व्यवसायों को सरल टैक्स फाइलिंग प्रणाली प्रदान करना है जो उनकी दक्षता में वृद्धि करेगा और कंपनी की गतिविधियों से जुड़े कुल खर्चों को कम करेगा।

- **सरलीकरण:** इस कराधान प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य करों के भुगतान के साथ-साथ अनुपालन की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- **सामान्य बाजार:** यह एकीकृत कराधान संरचना के माध्यम से भारत में एक सामान्य बाजार के निर्माण में योगदान देता है।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट:** यह इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के माध्यम से समान लेनदेन से जुड़े पहले के करों की कटौती का भी प्रावधान करता है। जीएसटी कर पूरी तरह से आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जोड़े गए शुद्ध मूल्य पर लगाया जाता है।
- **कर आधार बढ़ाएँ:** जीएसटी के प्रमुख लक्ष्यों में से एक भारत में कर आधार को बढ़ाना है। अधिकांश पूर्व अप्रत्यक्ष करों में कंपनी के वार्षिक राजस्व के आधार पर पंजीकरण सीमा प्रतिबंध थे।
- निगरानी प्रणाली: जीएसटी का लक्ष्य बकाएदारों और कर चोरी करने वालों को खोजने के लिए एक देशव्यापी निगरानी प्रणाली बनाना है।
- व्यापक प्रभाव: यह एकल लेनदेन पर अप्रत्यक्ष करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करता है।

वर्तमान दर संरचना

- सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी अधिनियमों के तहत वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री पर
- लगाए गए कर की प्रतिशत दरों को जीएसटी दरों के रूप में जाना जाता है।
- एक जीएसटी-पंजीकृत फर्म को आपूर्ति के मूल्य पर लगाए गए जीएसटी राशि वाले चालान जारी करने चाहिए।
- सीजीएसटी और एसजीएसटी (अंतर-राज्य लेनदेन के लिए) के लिए जीएसटी दरें लगभग समान हैं। इसके विपरीत, आईजीएसटी (अंतर-राज्य लेनदेन के लिए) के लिए जीएसटी दर लगभग सीजीएसटी और एसजीएसटी दरों के योग के बराबर है।

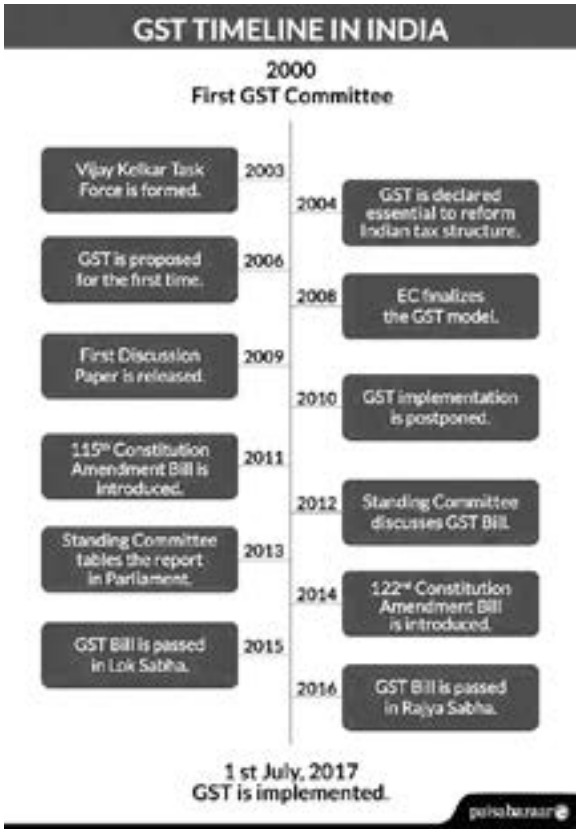
PRESENT GST RATE STRUCTURE

Rate slab	Rate slab	Items
0%	183	Mostly Agriculture product
5%	308	Branded cereals, edible oils, insulin, footwears up to ₹1,000
12%	178	Butter and other fats, pasta, diabetic foods, mobile phones, bicycles
18%	517	Vinegar, marbles, paints plywood
28%	28	Cement, auto part, ACs, tobacco, aerated drinks

Note: Besides, there are two more slabs of 3 per cent levied on gold, silver, semi precious stones, and 0.25% on diamonds and others

Source: By india central board of indirect taxes and customs

जीएसटी की समयरेखा

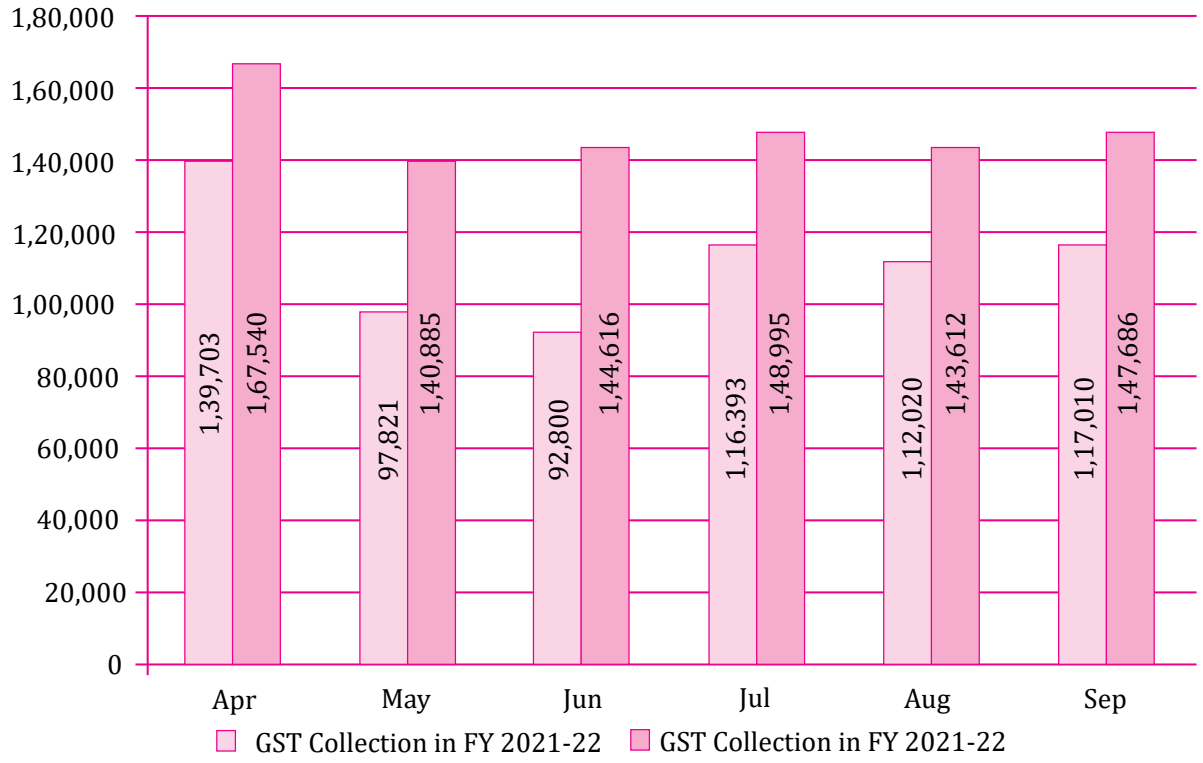


जीएसटी राजस्व: आंकड़े और आकृति

- सितंबर 2022 में एकत्रित कुल जीएसटी राजस्व 1,47,686 करोड़ है, जिसमें से 25,271 करोड़
- सीजीएसटी, 31,813 करोड़ एसजीएसटी और 80,464 करोड़ आईजीएसटी है। उपकर 10,137 करोड़ रुपए है।
- सामान्य निपटान के तहत सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी में 31,880 करोड़ और एसजीएसटी में 27,403 करोड़ रुपये भेजे।
- नियमित निपटान के बाद, सितंबर 2022 में केंद्र और राज्यों की कुल आय सीजीएसटी के लिए 57,151 करोड़ और एसजीएसटी के लिए 59,216 करोड़ है।
- सितंबर 2022 का राजस्व पिछले साल इसी महीने के राजस्व से 26% अधिक है।

- महीने के दौरान उत्पादों के आयात से राजस्व 39% अधिक था, जबकि घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 22% अधिक था।
- यह नौवां और लगातार सातवां महीना है, जब मासिक जीएसटी प्राप्तियां 1.4 लाख करोड़ से अधिक हो गई हैं।
- सितंबर 2022 तक हर साल जीएसटी आय में 27% की वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था अभी भी फल-फूल रही है।
- अगस्त 2022 में, 7.7 करोड़ ई-वे चालान जारी किए गए, जो जुलाई 2022 में उत्पन्न 7.5 करोड़ से कुछ अधिक है।
- इस महीने रुपये का दूसरा सबसे बड़ा एकल-दिवस संग्रह देखा गया। 20 सितंबर को 49,453 करोड़, 8.77 लाख चालान की दूसरी सबसे बड़ी संख्या के साथ, केवल रुपये के पीछे। साल के अंत में रिटर्न के बारे में 9.58 लाख चालान के माध्यम से 20 जुलाई, 2022 को 57,846 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
- यह दर्शाता है कि जीएसटीएन द्वारा प्रशासित जीएसटी साइट पूरी तरह से स्थिर है और त्रुटि रहित है।
- 30 सितंबर, 2022 को एनआईसी पोर्टल पर बिना किसी त्रुटि के 1.1 करोड़ से अधिक ई-वे बिल और ई-चालान (72.94 लाख ई-चालान और 37.74 लाख ई-वे बिल) बनाए गए।

Trends in GST Collection (Rs. in Crore)



वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन)

- कंपनी अधिनियम के तहत जीएसटीएन एक गैर-लाभकारी निगम है।
- इसकी स्थापना जीएसटी की सूचना प्रौद्योगिकी आधार को शुरू करने और संचालित करने के लिए की गई थी।
- जबकि केंद्रीय (24.5%) और राज्य (24.5%) सरकारें कंपनी का 49% हिस्सा रखती हैं, शेष 51% का स्वामित्व पांच वित्तीय संस्थानों के पास है: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (11% शेयर), आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, और एनएसई सामरिक निवेश निगम लिमिटेड (प्रत्येक 10% हिस्सेदारी)
- जीएसटीएन ने जीएसटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाने का ठेका इन्फोसिस लिमिटेड को दिया था।
- जीएसटीएन को एक ऐसी इकाई बनाने के लिए बनाया गया था जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों से समान दूरी पर हो क्योंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर केंद्र और राज्य दोनों को सलाह देगी।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनपीए)

- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 171 ने राष्ट्रीय **मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण** की स्थापना की।
- इसका उद्देश्य इस बात की गारंटी देना है कि कर की आशंका में कोई भी कमी या टैक्स क्रेडिट का लाभ भुगतान में कमी के रूप में दिया जाता है।

- **कार्य:**
- प्राधिकरण का प्राथमिक उद्देश्य यह गारंटी देना है कि GST परिषद द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर GST दरों में कमी का लाभ प्राप्त हो।
- आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मूल्य में कटौती के माध्यम से क्रमशः अंतिम उपभोक्ताओं और प्राप्तकर्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट में आनुपातिक परिवर्तन।

1. मुद्रायोजन:

- राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसमें केंद्र और/या राज्यों से चार तकनीकी सदस्य शामिल होंगे।

2. प्राधिकरण की शक्तियां और कार्य:

- यदि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि मुनाफाखोरी रोधी कार्रवाइयाँ आवश्यक हैं, तो उसके पास यह अधिकार है कि वह व्यवसाय को उसके मूल्य निर्धारण को कम करने या उत्पादों या सेवाओं के प्राप्तकर्ता को ब्याज सहित प्राप्त अनुचित लाभ को बहाल करने के लिए बाध्य करे।
- यदि गलत लाभ प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, तो उसे उपभोक्ता कल्याण कोष में डालने का आदेश दिया जा सकता है।
- गंभीर परिस्थितियों में, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण विफल व्यापारिक संगठन पर जुर्माना लगा सकता है और संभवतः इसके जीएसटी पंजीकरण को समाप्त कर सकता है।

जीएसटी परिषद

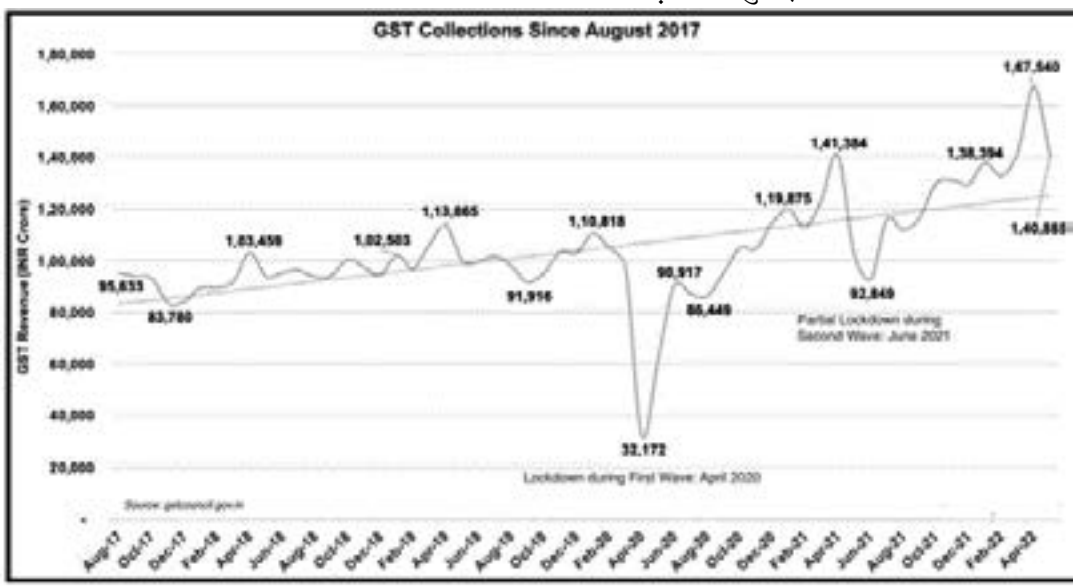
- जीएसटी (अनुच्छेद 279ए) जीएसटी के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रपति एक परिषद की नियुक्ति करेंगे। इसके अध्यक्ष भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, और इसके सदस्य राज्य सरकारों द्वारा चुने गए मंत्री हैं।
- परिषद को संरचित किया जाता है ताकि केंद्र के पास एक तिहाई मतदान शक्ति हो और राज्यों के पास दो तिहाई हो।
- निर्णय 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं।

जीएसटी शासन की सफलता: 5 साल पूरे

- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना:**
- जीएसटी कराधान के बारे में किसी भी भ्रम को दूर करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए सरकार सर्कुलर और स्पष्टीकरण तैयार करने में सक्रिय रही है।
- जीएसटी परिषद ने चंडीगढ़ में अपनी 47वीं बैठक के दौरान ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपूर्ति करने वाले छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन की सुविधा के लिए मतदान किया।
- ऐसे विक्रेता, जो विशेष रूप से अंतर-राज्य आपूर्ति करते हैं, को ळैज पंजीकरण से छूट दी गई है।
- यदि उनकी वार्षिक बिक्री उत्पादों के लिए 40 लाख रुपये और आपूर्ति के लिए 20 लाख रुपये से कम है।

1. राजस्व संग्रहण:

- जीएसटी परिषद ने 47 बार बैठक की है और उन कार्रवाइयों को अपनाया है जिसके परिणामस्वरूप प्रति माह 1 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह "न्यू नार्मल" हो गया है।
- हर महीने वैल्यू 1.4 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है।
- अप्रैल 2022 में, संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसने अप्रैल 2018 में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे।



हरे रंग की ट्रेंड-लाइन GST राजस्व के ऊपर की ओर संकेत करती है।

- **राज्य के राजस्व में तीव्र वृद्धि:**
- जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद से, 2012 और 2015 के बीच 9% की वार्षिक औसत वृद्धि दर की तुलना में राज्यों के लिए कुल संसाधन विकास दर प्रति वर्ष 14.8% रही है।
- नतीजतन राज्यों की स्थिति बेहतर नजर आ रही है। 2014-17 की तुलना में, 2018-21 में राज्य के राजस्व का जीएसटी हिस्सा कुछ सीमा तक बढ़ा है।
- **अनुपालन में सुधार:**
- GST नेटवर्क (GSTN) अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की तकनीकी रीढ़ के रूप में कार्य करता है।
- यह अद्यतन डेटा प्रदान करने और आय लीक का समाधान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग कर रहा है।
- जीएसटी-टू-जीडीपी अनुपात 2020-21 में 5.8% से बढ़कर 2021-22 में 6.4% हो गया, जो बेहतर अनुपालन को प्रदर्शित करता है।

1. **करों के प्रपाती से बचना:**
   - इसमें 17 स्थानीय शुल्क जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट के साथ-साथ 13 उपकर शामिल थे।
   - पूर्व-जीएसटी अवधि में, वैट, उत्पाद शुल्क, सीएसटी और उनके व्यापक प्रभाव के संयोजन के परिणामस्वरूप एक ग्राहक द्वारा औसतन 31% कर का भुगतान किया गया।
   - विभिन्न कर दर स्तरों में निरंतर समायोजन के साथ, प्रभावी GST दर 2019 में 14.4% से गिरकर 11.6% हो गई है, जब इसे पहली बार लागू किया गया था।

जीएसटी को चुनौती

- **कवरेज का अभाव:** पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को जीएसटी से छूट के साथ, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अछूता रहता है।
- **राज्यों को मुआवजा:** कई राज्यों ने जीएसटी मुआवजे पर भरोसा किया है।
- चूंकि प्रावधान समाप्त होने वाला है, कई राज्य विस्तार का अनुरोध कर रहे हैं।
- वहीं केंद्र सरकार पशोपेश में नजर आ रही है। इसके अलावा, जैसे ही 2019-20 में अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी, केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी भुगतान स्थगित कर दिया।

1. **एकाधिक कर दरें:** कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत में कई कर दरें हैं, जिन्होंने समान कर संरचनाएं स्थापित की हैं। यह देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकल अप्रत्यक्ष कर दर के कार्यान्वयन को बाधित करता है।
2. **करदाताओं के लिए कठिनाइयाँ:** वित्तीय संख्या मिलान, पंजीकरण अनुदान, और इसी तरह के कारण बताओ अधिसूचनाओं के अनावश्यक और अत्यधिक जारी होने के परिणामस्वरूप करदाताओं को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
3. **उचित कार्यान्वयन का अभाव:** ई-वे बिल और ई-चालान की शुरुआत के बावजूद, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वास्तविक रसीदें जारी नहीं की जाती हैं।

- फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) स्टोर और फार्मेसियों, उदाहरण के लिए, सुपर स्टॉकिस्टों से अपनी आपूर्ति प्राप्त करते हैं, जो उन्हें फर्मों द्वारा चुने गए वितरकों से प्राप्त करते हैं।

4. **मुद्रास्फीति और राजस्व संग्रह:** कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जीएसटी संग्रह में वर्तमान वृद्धि अत्यधिक मुद्रास्फीति से संबंधित है।

- वास्तविक रूप में (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित), जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर काफी कम है; उदाहरण के लिए, मार्च 2022 में जीएसटी संग्रह में साल-दर-साल वृद्धि दर मामूली रूप से 14.7% थी, लेकिन वास्तविक में केवल 3.7% थी।

5. **बार-बार तकनीकी समस्याएँ:** इसके परिणामस्वरूप GSTR 2 (एक खरीद रिटर्न) और GSTR 3 (एक इनपुट-आउटपुट रिटर्न) के फॉर्म को निलंबित कर दिया गया है, और बाद में उन्हें समाप्त कर दिया गया है। ई-वे बिल की शुरूआत तकनीकी कठिनाइयों से ग्रस्त थी।

आगे बढ़ने का तरीका

- **कम उत्पीड़न:** करदाताओं के अनावश्यक उत्पीड़न को कम करने के लिए, कई चेक सिस्टम-निर्मित जीएसटी नोटिस में एकीकृत किए जा सकते हैं।
- **डेटा का विश्लेषण:** GST सिस्टम में एक बड़ा डेटाबेस होता है। अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है।
- डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि उपयुक्त नीतिगत पहलों के निर्माण में सहायता कर सकती है।

1. **दायरे का विस्तार:** सरकारों को कैस्केड को कम करने और अतिरिक्त स्थिरता प्रदान करने में मदद करने के लिए पेट्रोलियम और बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रयास करना चाहिए।

2. **मुआवजे का विस्तार:** अधिकांश राज्यों ने मुआवजा प्रणाली के विस्तार की वकालत की है।

- **प्राधिकरण का एकल स्रोत:** निर्यातकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जीएसटी रिफंड को अधिकृत और संसाधित करने के लिए एक नई प्रणाली प्रस्तावित की गई है।
- प्रस्तावित बदलाव के तहत एक टैक्स एजेंसी रिफंड का आकलन, जांच और मंजूरी देगी। संरचना योजना का राजस्व प्रदर्शन:
- छोटे व्यापार मालिकों के बीच अधिक अनुपालन सुनिश्चित करके इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

1. **जीएसटी परिषद:** उन्हें एक मजबूत तकनीकी सचिवालय की सहायता की आवश्यकता होगी, जिसमें प्रशासक, अर्थशास्त्री, लेखाकार और वकील शामिल होंगे।

- फिलहाल, जीएसटी परिषद "फिटमेंट कमेटी" के विश्लेषण पर निर्भर करती है, जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कराधान और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के कर अनुसंधान इकाई से नामित अधिकारियों और वाणिज्यिक कर विभागों के अधिकारियों से बनी है। कई राज्य।

2. **स्पष्टता:** जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, नए एसेट क्लास विकसित होते हैं, जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) या क्रिप्टोकरेंसी।
3. **AAR निर्णयों का समाधान:** सरकार राज्यों के बीच परस्पर विरोधी AAR निर्णयों का समाधान करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

- यह मुनाफाखोरी रोधी नियमों को खत्म करने का भी पता लगा सकता है, जिससे फर्मों को अपनी दरें निर्धारित करने की अनुमति मिल सके।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार ने एक शिकायत-समाधान प्रणाली (एक GST न्यायाधिकरण) स्थापित करने का सुझाव दिया है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)' लागू करने के संभावित लाभ क्या हैं/हैं? (2017)

1. यह कई प्राधिकरणों द्वारा एकत्र किए गए कई करों को प्रतिस्थापित करेगा और इस प्रकार एकल बना देगा भारत में बाजार।
2. यह भारत के श्चालू खाता घाटेश को काफी हद तक कम करेगा और इसे बढ़ाने में सक्षम करेगा इसका विदेशी मुद्रा भंडार।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और आकार में अत्यधिक वृद्धि करेगा और इसे सक्षम करेगा निकट भविष्य में चीन से आगे निकलने के लिए।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के पीछे के तर्क की व्याख्या करें। कोविड-19 ने GST मुआवजा कोष को कैसे प्रभावित किया और नए संघीय तनाव पैदा किए? (2020)

कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात

- इसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि किसी देश की सरकार अपने आर्थिक संसाधनों को कितनी सफलतापूर्वक नियंत्रित करती है।
- कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात किसी देश के कर राजस्व के आकार की तुलना जीडीपी से करता है।
- देश का कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात जितना अधिक होगा, उसकी वित्तीय स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। अनुपात अपने खर्च का समर्थन करने के लिए सरकार की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।
- उच्च कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात बताता है कि सरकार के पास एक बड़ा राजकोषीय विस्तार करने की क्षमता है। यह सरकारों को उधार लेने पर निर्भरता कम करने में सहायता करता है।

भारत का कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात:

- 2021-22 में भारत का कुल कर संग्रह 34% बढ़कर 27 लाख करोड़ तक पहुंच गया, कर-से-जीडीपी अनुपात कम से कम 23 साल के उच्च स्तर 11.7% तक बढ़ गया, जो पिछले वर्ष 10.3% था।
- कर राजस्व 2021-22 के बजट अनुमानों से 5 लाख करोड़ और संशोधित अनुमानों से भी 1.87 लाख करोड़ अधिक है, प्रत्यक्ष करों में 49% की वृद्धि हुई है और अप्रत्यक्ष करों में 20% की वृद्धि हुई है।
- नवीनतम बजट अनुमान 22.17 लाख करोड़ था, "जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है," अब 27.07 लाख करोड़ के करीब हैं, 5 लाख करोड़ की वृद्धि।

- निगम कर संग्रह में 56.1% की वृद्धि हुई, जबकि व्यक्तिगत आयकर संग्रह में लगभग 43% की वृद्धि हुई, जिससे कुल प्रत्यक्ष कर वृद्धि 49% हो गई।
- मजबूत निर्यात-आयात वृद्धि के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क राजस्व में 48% की वृद्धि हुई।
- 1.9 पर, वर्तमान कर उछाल अनुपात को स्वस्थ माना जाता है। 2021-22 में, कर उछाल अनुपात, जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में कर वृद्धि को मापता है, प्रत्यक्ष करों के लिए 2.8 और अप्रत्यक्ष करों के लिए 1.1 था। प्रत्यक्ष-से-अप्रत्यक्ष कर अनुपात 2020-21 में 0.9 से बढ़कर 2021-22 में 1.1 हो गया।

सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में खराब कर के कारण:

- **वृहत कृषि क्षेत्र:** भारत के 25 करोड़ परिवारों में से 15 करोड़ कृषि क्षेत्र में हैं, जो कर-मुक्त है।
- **समानांतर और काली अर्थव्यवस्थाएं:** समानांतर अर्थव्यवस्था के कई वर्गों में, बेहिसाब आय और व्यय पर कोई कर नहीं लगता है।
- **कर छूट:** भारत के उच्च कर छूट नियमों से देश के समृद्ध निजी क्षेत्र को लाभ हुआ है।
- **बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र:** भारत में अपेक्षाकृत बड़ा अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र है, और संगठित क्षेत्र की तुलना में कर चोरी अधिक प्रचलित है।
- **बुनियादी चिंताओं में शामिल हैं:** भारत में कम प्रति व्यक्ति आय और अत्यधिक गरीबी के कारण कर प्राप्तियां कम रहती हैं।
- **उच्च कर विवाद:** भारत में कर प्रशासन-करदाता विवादों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें कर बकाया का सबसे कम अनुपात वसूल किया गया है।
- **उदार सरकार की नीति:** विभिन्न राजनीतिक कारणों से, कई केंद्र सरकारों ने कम कर-से-जीडीपी अनुपात की अनदेखी की है।
- **शून्य कर देयताएं:** शून्य कर दायित्वों की घोषणा करने वाले व्यक्तियों के कारण, कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों की वास्तविक संख्या कम होती है।
- **अप्रत्यक्ष कर अनुपात:** भारत में प्रत्यक्ष-से-अप्रत्यक्ष कर अनुपात लगभग 35:65 है। यह अधिकांश ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत है, जहां प्रत्यक्ष करों के पक्ष में अनुपात 67:33 है।

जीडीपी अनुपात में कम कर के निहितार्थ:

- **कर का बोझ:** व्यापक कर अपवंचन अप्रभावित रहता है, विकास को रोकता है, और कर का अधिकांश बोझ उच्च उत्पादकता वाले उद्योगों पर पड़ता है जिन्हें विस्तार की आवश्यकता होती है।
- **सामाजिक असमानता:** समाज में आर्थिक संसाधनों का असमान आवंटन सामाजिक असमानता को बढ़ा रहा है।
- **कम खर्च करने की क्षमता:** कर राजस्व में गिरावट के कारण, भारतीय राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा, कल्याणकारी व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाओं आदि पर खर्च करने में असमर्थ है।
- **स्थायी घाटा:** सरकार के कम कर संग्रह के कारण, पर्याप्त उधारी होती है, जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय नीति में स्थायी घाटे का झुकाव होता है।
- **प्रभावी कर प्रणाली:** इस तरह की प्रणाली सरकार को एक प्रभावी कर प्रणाली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वोट खरीदने के लिए पैसा उधार लेने के लिए राजनीतिक प्रोत्साहन प्रदान करती है जिससे आर्थिक विकास और प्रगति होगी।

आर्थिक-सर्वेक्षण 2019: व्यवहारिक अर्थशास्त्र कर अनुपालन में सुधार करता है

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयोविभिन्नानैको ऋषिर्यस्य मतं प्रमाणम्।
We cannot rely totally on rational thinking to gain information, as it is not without its bias.

- व्यवहारिक अर्थशास्त्र एक व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक घटकों के अध्ययन के साथ-साथ तर्कसंगत शास्त्रीय अर्थशास्त्र के आधार पर इन निर्णयों के विचलन का अध्ययन है।
- व्यवहारिक अर्थशास्त्र अध्ययन करता है कि बाजार के फैसले कैसे बनते हैं और कौन से कारक सार्वजनिक पसंद को प्रभावित करते हैं।
- अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र ने हाल के वर्षों में गति प्राप्त की है और रिचर्ड एच थेलर को 2017 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से नज (दनकहम) थ्योरी पर उनके काम के लिए सम्मानित किए जाने के बाद नीति निर्माताओं के बीच ध्यान आकर्षण किया है।
- रिचर्ड एच थेलर ने इस विषय पर काफी अध्ययन किया और लिखा नज: स्वास्थ्य, धन, और खुशी के बारे में निर्णय में सुधार।

प्रमुख सिद्धांत

- सकारात्मक सामाजिक मानकों पर केंद्रित ध्यान
- अनुकूल नीतियों को लागू करके डिफॉल्ट सेटिंग्स को बदलना
- सुदृढीकरण जो दोहराया जाता है

Sector	Problem	Intervention	Observations
Pension Policy (USA)	People tend to go with defaults. When the default in a saving plan is non-enrolment, most people do not enrol even when they want to.	Instead of employees checking a box to enrol in savings plans, employees check a box to *not* enrol; i.e. the default option is to be enrolled.	Automatic enrolment increased savings by up to 40 per cent (Beshears et. al. 2005)
Tax Compliance (UK)	People need reminders and positive reinforcement to sustain socially desirable behaviour.	People were sent variations of text messages on how their taxes make a difference to public services.	People who owed most tax were also most responsive to messages asking them to pay. Compliance increased without increase in tax surveillance costs (UK Cabinet Office, Behavioural Insights Team, 2012).
Agriculture (Africa)	Inertia makes people procrastinate important, time-sensitive decisions even when they are aware of the consequences of delay.	To tackle farmers' procrastination in buying fertilizer (possibly because of the hassle of traveling to town), home delivery of fertilizer early in the season was attempted.	Fertilizer use increased by 70 per cent (Duflo et al., 2011). Early home delivery increased fertilizer use by 70 per cent. The effect was as much as a 50 per cent price subsidy would have accomplished.
Savings (Philippines)	People save much less than they want to because of lack of adequate self-control in spending.	People were offered specially designed savings accounts that locked up funds until a self-specified target was met.	Nearly 30 per cent of those who were offered the account adopted it. Saving balance increased by 81 per cent in a year (Ashraf et al., 2006).
Savings (Bolivia, Peru, Philippines)	People save much less than they want to because of inertia and lack of positive reinforcement.	People were sent periodic and timely reminders about their self-determined saving goals.	Reminders increased the amount saved by six per cent (Karlan et al., 2010).

आर्थिक सर्वेक्षण 2019: अभिनव वैश्विक व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेप

भारत में व्यवहारिक अर्थशास्त्र का दायरा

- आर्थिक सर्वेक्षण ने व्यवहारिक अर्थशास्त्र का उपयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों में सामाजिक सुधारों की वकालत की:
  - बेटी बचाओ से बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी (बदलाव) तक।
  - सुंदर भारत से स्वच्छ भारत
  - एलपीजी सब्सिडी के लिए "इसे छोड़ दें" से "इसके बारे में सोचें"
  - कर चोरी से कर अनुपालन की ओर संक्रमण

नज नीतियां

- भारत एक ऐसा देश है जहां संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मानक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- व्यक्तियों के आर्थिक निर्णय उनके परिवेश की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रभावित होते हैं।
- सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए, सरकार को सामाजिक इंजीनियरिंग के माध्यम से समाज में व्यवहारिक परिवर्तन लागू करना चाहिए।
- यह विशेष रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न संस्कृतियों और रीति-रिवाजों वाला देश है।
- हाल के वर्षों में, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने नई रणनीतियों का इस्तेमाल किया है जिन्हें नज नीतियों के रूप में जाना जाता है।
- यह नज सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि लोगों के व्यवहार को उनके विकल्पों को सीमित किए बिना मजबूती से बदला जा सकता है।
- इस दृष्टिकोण के अनुसार, लोगों को नीतियों द्वारा उचित निर्णय लेने के लिए धीरे-धीरे फुसलाया जा सकता है।
- ये नियम व्यक्तियों के अच्छे व्यवहार को प्रभावित करने के लिए विशिष्ट उत्तोलक स्थापित करते हैं।

- इन नीतियों का उपयोग कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने, सामाजिक बुराइयों को रोकने, पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है।

सीमाओं

- यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि व्यवहारिक अर्थशास्त्र देश की सभी आर्थिक कठिनाइयों के लिए रामबाण नहीं है।
- ऐसे कई उद्योग हैं जहां यह प्रभावी नहीं रहा है।
- कुछ नीतियों को सफल होने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता हो सकती है।
- भारत कई अलग-अलग विचारों, संस्कृतियों और रीति-रिवाजों का देश है। स्थानीय स्तर पर, केंद्र की ओर से आम

प्रयास का बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं होगा

- अवसंरचना और शिक्षा नज नीति के महत्वपूर्ण घटक हैं। जमीनी स्तर पर, भारत इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी कमियों से ग्रस्त है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर में कमी निम्नलिखित में से किसको इंगित करती है? (2015)

1. धीमी आर्थिक विकास दर
2. राष्ट्रीय आय का कम समान वितरण

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2

(*c*) 1 और 2 दोनों

(*d*) न तो 1 और न ही 2

कराधान और राजकोषीय क्षमता पर आर्थिक सर्वेक्षण

- आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, केंद्र सरकार की आय प्राप्तियों में अप्रैल से नवंबर 2021 तक 67.2 प्रतिशत (ल्वल) की वृद्धि हुई, जबकि 2021-22 के बजट अनुमानों (2020-21 से अधिक अनंतिम) में अनुमानित 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
- अप्रैल से नवंबर 2021 तक, सकल कर राजस्व में साल दर साल 50% से अधिक की वृद्धि हुई। यह प्रदर्शन 2019-2020 में महामारी से पहले के स्तर से भी बेहतर है।
- अप्रैल से नवंबर 2021 तक, कैपेक्स में साल दर साल 13.5% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर-इंटेंसिव सेक्टर्स पर फोकस था।
- सतत कर संग्रह और एक नियोजित व्यय कार्यक्रम ने अप्रैल से नवंबर 2021 तक बजट घाटे को बजट अनुमान के 46.2 प्रतिशत पर रखा है।
- केंद्र सरकार का कर्ज 2019-20 में जीडीपी के 49.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में जीडीपी के 59.3 प्रतिशत हो गया है, क्योंकि कोविड-19 के लिए उधारी में वृद्धि हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसमें गिरावट आने का अनुमान है।

कर मनोबल

- कर मनोबल कर भुगतान और चोरी के संबंध में करदाताओं की राय और दृष्टिकोण को मापता है। कर मनोबल पर हमारा शोध विभिन्न पहलुओं की पहचान करता है जो लोगों की करों का भुगतान करने की इच्छा के साथ-साथ नीतिगत प्रभावों को प्रभावित कर सकते हैं।

सीईए सुब्रमण्यन के. की सिफारिशें

- एक दशक में उच्चतम करदाता: एक दशक में, उच्चतम करदाताओं के नाम पर महत्वपूर्ण स्थल होने चाहिए, जैसे सड़कें, रेलमार्ग, स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल और हवाई अड्डे।
- कर भुगतान में आसानी सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्व-आबादी वाले आयकर प्रपत्र। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई टैक्स बकाया नहीं है, तो भी उसे इनकम टैक्स फॉर्म भरने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।
- अवैतनिक ऋण: हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म में इसे पाप माना जाता है। परिणामस्वरूप, विज्ञापनों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि कैसे कर चोरी ऐसे "आध्यात्मिक/धार्मिक आदर्शों" का उल्लंघन करती है।
- शीर्ष दस उच्चतम करदाता: एक जिले में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, जैसे कि हवाई अड्डों पर प्राथमिकता बोर्डिंग, आव्रजन डेस्क पर विशेष "राजनयिकष शैली की गलियां, राजमार्गों और टोल बूथों पर फास्ट-लेन, आदि।

कर की चोरी

- कर चोरी व्यक्तियों, व्यवसायों, ट्रस्टों और अन्य लोगों द्वारा करों का भुगतान करने से बचने का एक अवैध प्रयास है।
- कर चोरी में कभी-कभी करदाता के कर के बोझ को कम करने के लिए कर अधिकारियों को करदाता की परिस्थितियों की जानबूझकर गलत प्रस्तुति शामिल होती है।
- बेईमान टैक्स फाइलिंग में कमाई से कम आय, कमाई या लाभ का दावा करना और कटौतियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना शामिल है।

- उच्च स्तर के भ्रष्टाचार वाले देशों में अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत का इस्तेमाल किया जा रहा है, और गुप्त स्थानों में पैसा छुपाया जा रहा है।
- कर चोरी अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी एक व्यापक गतिविधि है।
- असूचित आय की राशि, जो आय की उस राशि के बीच का अंतर है जिसे कर अधिकारियों को घोषित किया जाना चाहिए और दर्ज की गई वास्तविक राशि, कर चोरी के स्तर ('टैक्स गैप') का एक संकेतक है।

कारण

- **सरकार में बार-बार बदलाव और राजनीतिक अस्थिरता:** एक सुपरिभाषित कर प्रणाली बनाने में विफलता का एक अन्य कारक सरकार में लगातार परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता है। अलग-अलग देश अलग-अलग टैक्स सिस्टम अपनाते हैं, जिससे उन सभी पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है।
- **कर नीति में परिवर्तन:** भारत सरकार नियमित आधार पर कर नीतियों में परिवर्तन करती है। यह करदाताओं और अधिकारियों को लागू प्रावधानों के बारे में भ्रमित करता है।
- **जुर्माना प्रावधानों को लागू करने में कमियां:** इससे करदाता के व्यवहार में सुस्ती आती है, जिससे समस्या और बिगड़ जाती है।
- **उच्च कराधान:** करदाताओं पर एक उच्च कराधान का बोझ लगाया जाता है। नतीजतन, वे करों का भुगतान करने से बचने के तरीकों की तलाश करते हैं।
- **रिश्वतखोरी को रोकने में विफलता:** अधिकारियों के बीच रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। वे कर से बचने वाली आय का एक सहमत प्रतिशत प्राप्त करके कर से बचने में करदाताओं की सहायता करते है।
- **सरल प्रक्रियाओं का अभाव:** भारत की कर संरचना जटिल है, और व्यक्तियों को एक ही मुद्दे के लिए कई कार्यालयों में जाने में कठिनाई होती है।
- **अनेक करों का अस्तित्व:** अनेक प्रकार के करों का अस्तित्व करदाताओं पर बोझ डालता है।
- **जटिल कर नियम और कर परिहार कमियां:** भारतीय कर कानून जटिल है। लोग एक ही कानून में कर दायित्व से बचने के प्रावधानों की खोज कर सकते हैं।

सरकार की पहल

- **ऑपरेशन क्लीन मनी 2017:** आयकर विभाग ने विमुद्रीकरण के बाद किए गए पर्याप्त बैंक जमा का सत्यापन किया।
- **प्रोजेक्ट इनसाइट 2017:** आयकर विभाग ने एलएंडटी इंफोटेक लिमिटेड को डेटा माइनिंग और टैक्स चोरी करने वालों का पता लगाने के लिए एक एकीकृत मंच तैयार करने के लिए नियुक्त किया।
- **कर (अपवंचन) प्रकटीकरण योजनाएँ:** इन माफी कार्यक्रमों के तहत, एक कर अपवंचक अपनी असूचित आय प्रकट कर सकता है और करों और जुर्माने का भुगतान कर सकता है। आयकर विभाग उस पर मुकदमा नहीं चलाएगा।
- आय घोषणा योजना (आईडीएस) : प्रस्ताव 45% (30% कर और 7.5% अधिभार और 7.5% जु था। सरकार छुपाए गए राजस्व के एक हिस्से को जब्त कर लेगी।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई): विमुद्रीकरण के बाद शुरू की गई; दिसंबर 2016 से अप्रैल 2017 तक वैध । सरकार अघोषित राजस्व का लगभग 50% कर + जुर्माना + प्रधान मंत्री गरीब कल्याण उपकर के रूप में जब्त कर लेगी। यह पहल बहुत सफल नहीं रही, केवल लगभग 5000 करोड़ रुपये घोषित किए गए।
- पीएमएलए-2002: यह कानून मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए एक ढांचा स्थापित करता है, जिसमें पीएमएलए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिए गए मामले हैं। यह RBI, SEBI, IRDAI और अन्य प्राधिकरणों को बैंकों और NBFC के लिए मानक बनाने और उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का अधिकार भी देता है।
- बेनामी लेन-देन निषेध अधिनियम (BTPA-1988/2016): बेनामी एक खरीदार के रिश्तेदार, व्यक्तिगत कर्मचारी (ड्राइवर, गार्डनर), या एक गैर-मौजूद/नकली व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों को संदर्भित करता है ताकि कर अधिकारियों के नोटिस से बचा जा सके। .
- बजट 2019 सबका विश्वास योजना (विरासत विवाद समाधान): कर आय में 3.75 लाख करोड़ से अधिक सेवा कर और उत्पाद शुल्क मुकदमेबाजी में बंधा हुआ है।
- 2014 में काले धन पर सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच टीम के अध्यक्ष : शीर्ष कर अधिकारियों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एमबी शाह। उन्होंने भारत में छिपे काले धन, अपतटीय बैंकों, पी-नोट्स आदि से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रस्ताव रखा।

कर वंचना

- कर से बचाव कानूनी तरीकों का उपयोग करके बकाया कर की राशि को कम करने के लिए किसी के लाभ के लिए एकल क्षेत्र की कर संरचना का कानूनी उपयोग है।
- कर से बचाव का एक प्रकार एक कर आश्रय है, जबकि कर मुक्त क्षेत्र क्षेत्राधिकार हैं जो कम करों की अनुमति देते हैं।
- कर परिहार को आपराधिक कर अपवंचन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए।

तरीका

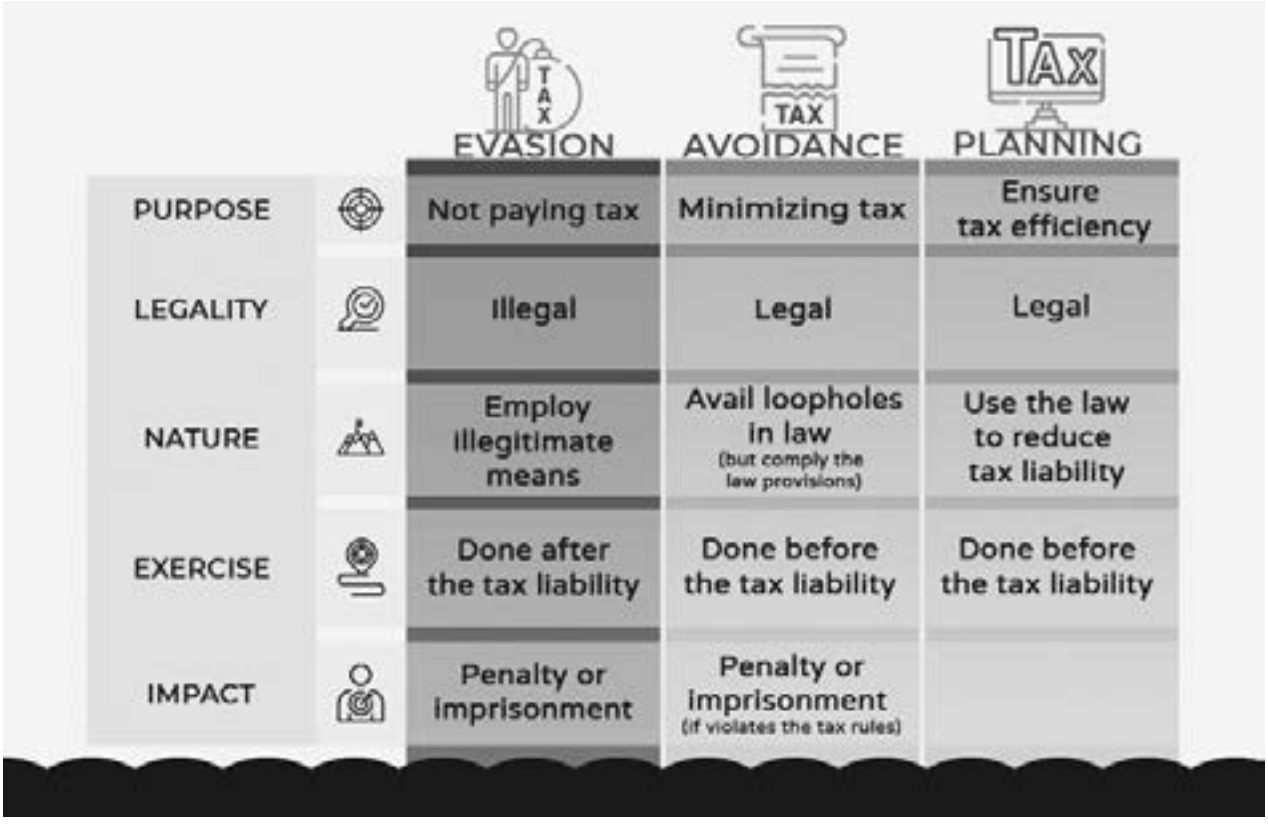
- निवास का देश:
- एक फर्म अपतटीय क्षेत्राधिकार में सहायक कंपनियों को शामिल या बनाकर करों से बचने का विकल्प चुन सकती है।
- व्यक्ति संभावित रूप से टैक्स हेवन में स्थानांतरित होकर करों का भुगतान करने से बच सकते हैं।

1. **दोहरी कर - प्रणाली:**
   - व्यक्ति या फर्म के स्थान की परवाह किए बिना, अधिकांश राष्ट्र अपनी सीमाओं के भीतर उत्पन्न आय या लाभ पर कर लगाते हैं।
   - अनिवासियों पर दो बार कर लगाने से बचने के लिए, अधिकांश सरकारों ने कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय दोहरे कराधान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- **कानूनी संस्थाएं:**
  - एक अलग कानूनी कंपनी की स्थापना करके जिसे किसी की संपत्ति दी जाती है, अपने निवास के देश को स्थानांतरित किए बिना व्यक्तिगत करों से कानूनी रूप से बचा जा सकता है।
  - एक अलग कानूनी इकाई अक्सर एक निगम, ट्रस्ट या नींव होती है।
  - ये कई निजी नींवों की तरह अपतटीय भी स्थित हो सकते हैं।
  - संपत्ति को नए व्यवसाय या ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया जाता है ताकि मूल स्वामी के बजाय इस कानूनी इकाई के भीतर लाभ या राजस्व प्राप्त किया जा सके।

2. **कानूनी अस्पष्टता:**
   - कर परिणाम कानूनी शब्दावली के अर्थ से निर्धारित होते हैं, जो अक्सर अस्पष्ट होते हैं।
   - उदाहरण के लिए, "व्यावसायिक लागत" और "व्यक्तिगत व्यय" के बीच की रेखा की अस्पष्टता, करदाताओं और कर अधिकारियों दोनों के लिए चिंता का एक स्रोत है।
3. **कर आश्रय**
   - टैक्स आश्रय ऐसे निवेश हैं जो किसी के आयकर के बोझ में कमी के लिए अनुमति देते हैं, या अनुमति देने का दावा करते हैं।
4. **स्थानांतरण गलत मूल्य निर्धारण**
   - ट्रांसफर प्राइसिंग फ्रॉड, जिसे ट्रांसफर प्राइसिंग मैनीपुलेशन के रूप में भी जाना जाता है, बाजार या कर अधिकारियों को चकमा देकर प्रभावित करने के इरादे से संबंधित पक्षों के बीच व्यापार को संदर्भित करता है।

कर चोरी बनाम कर वंचना



राउंड ट्रिपिंग

- राउंड-ट्रिपिंग, जिसे आमतौर पर "Lazy Susans" कहा जाता है, को एक प्रकार के वस्तु विनिमय के रूप में वर्णित किया जाता है जिसमें एक निगम का विक्रय होता है"
- एक समान मूल्य पर समान या तुलनीय संपत्ति वापस हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध होने पर किसी अन्य फर्म के लिए एक कम उपयोग की गई संपत्ति।"
- एक राउंड-ट्रिप पर संपत्ति की अदला-बदली से कोई शुद्ध आर्थिक पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन हो सकता है कि उत्पादक बिक्री और लाभप्रद अधिग्रहण की एक श्रृंखला के रूप में शामिल फर्मों की पुस्तकों पर धोखाधड़ी से रिकॉर्ड किया गया हो, जो फॉर्म अकाउंटिंग सिद्धांत पर पदार्थ को तोड़ देता है।
- हालांकि व्यवसाय का विस्तार और अत्यधिक व्यस्तता दिखाई देती है, राउंड-ट्रिपिंग उद्योग लाभ नहीं कमाता है।
- भले ही कमाई कम हो, विकास सट्टा लगाने वाले निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।
- इस तरह के निवेश से व्यवसायों को लाभ होता है और उन्हें राउंड-ट्रिपिंग की झूठी वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- वे एनरॉन, सीएमएस एनर्जी, रिलायंट एनर्जी, डायनेगी और वायरकार्ड सहित ऊर्जा डीलरों के बाजार पूंजीकरण को अस्थायी रूप से बढ़ाने में सहायक थे।

दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए)

- DTAA को व्यक्तियों की वैश्विक आय पर कर संग्रह में असमानता को ठीक करने के लिए डिजाइन किया गया था।
- यह दो संप्रभु देशों के बीच एक कर संधि है जो व्यापक प्रक्रियाओं और कर लगाने के तरीकों के साथ-साथ निर्दिष्ट आवश्यकताओं चाहिए। नाजा को स्पष्ट रूप से पालन किया
- डीटीएए कुछ देशों में करदाताओं को एक ही आय पर दो बार कर लगाने से बचाता है।
- निम्नलिखित क्षेत्र दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) द्वारा कवर किए गए हैं:
- बचत/सावधि जमा के लिए खाते
- सेवा संपत्ति
- पूंजी में लाभ
- वेतन

उद्देश्य

- विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और नकदी के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए सरकारें अन्य देशों के साथ ऐसी संधियां करती हैं।
- यह दोनों देशों में आयकर वसूली को रोकता है।
- बढ़े हुए वैश्वीकरण के कारण, अधिक उद्यम सीमा-पार न्यायालयों में संचालित किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोहरे कराधान के मामले सामने आ रहे हैं।
- डीटीएए आय पर दोहरे कराधान से बचने में मदद करते हैं।
- दो राष्ट्रों के बीच एक करदाता की आय पर कराधान अधिकारों का विभाजन उचित और न्यायसंगत है।
- इसके परिणामस्वरूप अधिक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, निवेश और प्रौद्योगिकी विनिमय के साथ-साथ बेहतर पारदर्शिता भी आएगी।

फायदे

- 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 90 और 91 दोहरे कराधान से बचने के लिए करदाताओं को विशिष्ट छूट प्रदान करते हैं।
- आयकर अधिनियम की धारा 90 उन करदाताओं पर लगाई गई सीमाओं को संबोधित करती है जिन्होंने किसी दूसरे देश को कर का भुगतान किया है जिसके साथ भारत का दोहरा कराधान बचाव समझौता (डीटीएए) है।
- धारा 91 उन देशों पर लागू होती है जिनके साथ भारत का कोई द्विपक्षीय व्यापार समझौता (डीटीएए) नहीं है। भारत दोनों प्रकार के करदाताओं को सहायता प्रदान करता है।

भारत में डीटीएए

- 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 90 भारत को विदेशी देशों के साथ डीटीएए में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करती है। भारत के 96 से अधिक देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं।
- यह प्रकृति में पारस्परिक है और बातचीत करने वाले देश के भारतीय निवासियों और निवासियों दोनों पर लागू होता है।
- ऐसे व्यक्ति या निगम जो भारत के नागरिक नहीं हैं या जिन देशों के साथ डीटीएए पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वे समझौते के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

महत्त्व

- जब दोहरे कराधान की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, तो एक देश विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो जाता है।
- यह आयकर छूट प्रदान करता है, विदेशों में उत्पन्न धन को गृह राष्ट्र में कराधान से छूट देता है, या विदेशों में पहले से भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट देता है।
- यह विभिन्न व्यक्तियों के बीच कर लगाने के अधिकारों के स्पष्ट वितरण के परिणामस्वरूप व्यक्तियों के बीच कर निश्चितता की गारंटी देता है।

गलत इस्तेमाल

- मॉरीशस, सिंगापुर और अन्य जैसे टैक्स हेवन देशों के साथ हस्ताक्षरित क्ज्। ने कुछ फर्मों के लिए कर जिम्मेदारियों को कम कर दिया है।
- इसके परिणामस्वरूप देशों के लिए राजस्व हानि हो सकती है क्योंकि निगम को केवल टैक्स हेवन देश में करों का भुगतान करना आवश्यक है, न कि उस देश में जहां यह लाभ कमाता है।
- डीटीएए कर भुगतान से बचने के लिए वैध निवेशकों को भी आकर्षित कर सकता है ताकि वे कम कर क्षेत्राधिकारों के माध्यम से अपनी संपत्ति को स्थानांतरित कर सकें। नतीजतन, देश कर राजस्व खो देता है।
- टैक्स हेवन नेशन की कोई आम तौर पर स्वीकृत परिभाषा नहीं है।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (बीईपीएस)

- बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियोजित एक कर चोरी विधि है जिसमें उच्च कर वाले देशों से कम या कोई कर नहीं (जिसे टैक्स हेवन भी कहा जाता है) के अधिकार क्षेत्र में आय स्थानांतरित की जाती है।
- यह कर प्रणालियों की निष्पक्षता और अखंडता से समझौता करता है क्योंकि सीमाओं के पार काम करने वाली कंपनियां स्थानीय उद्यमों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए रणनीति का उपयोग कर सकती हैं।

कार्य तंत्र

- सरकार बहुराष्ट्रीय निगमों पर उनके राजस्व या लाभ के अनुपात के आधार पर कर लगाती है।
- खामियों का उपयोग करते हुए, वैश्विक निगम लाभप्रद रूप से दूसरे देश में स्थानांतरित हो जाता है जिस से हैवेन प्रभावित हो सकता है।
- नतीजतन, देश जो बहुराष्ट्रीय फर्म को राजस्व के साथ सहायता करता है, उसे कोई टैग नहीं मिलता है, और निगम के पैसे या मुनाफे को स्थानांतरित करने के परिणामस्वरूप कर क्षरण होता है।

बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के साथ समस्या

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के अनुसार, यह विकासशील देशों के लिए कॉर्पोरेट आय कर पर निर्भरता के कारण महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों से।
- यह भी भविष्यवाणी करता है कि 2013 के बाद से, दुनिया भर में कॉर्पोरेट आय कर प्राप्तियों के 4 से 10% तक वार्षिक नुकसान की सूचना दी गई है।
- बीईपीएस प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए सीमाओं के पार काम करने वाले उद्यमों को अनुमति देकर कर प्रणालियों की निष्पक्षता और अखंडता को प्रभावित करता है।
- इसके अलावा, बहुराष्ट्रीय फर्मों को कानूनी रूप से आयकर से बचने के लिए सभी करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को कमजोर करता है।

ओईसीडी - बीईपीएस परियोजना

- यह कर चोरी से निपटने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा बनाई गई एक पहल है।
- अधिक पारदर्शी कर वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय कर मानकों में बेहतर तालमेल बनाना.
- पहल को पूरा करने के लिए, सभी इच्छुक राष्ट्र G20 और व्ब्ब्क् सदस्य देशों के साथ समान आधार पर मिलकर काम कर सकते हैं।
- पहल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कर मानकों को संशोधित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बहुराष्ट्रीय निगम जहां भी काम करते हैं, वहां करों का उचित हिस्सा भुगतान करते हैं।
- यह 135 से अधिक देशों से बना है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
- देश अंतरराष्ट्रीय निगमों के लिए राजस्व और कर अधिकारों के उचित आवंटन पर भी सहमत हुए, जिसमें अमेजॅन और ळववहसम जैसे डिजिटल बेहेमोथ शामिल हैं।
- इस पहल में 15 गतिविधियाँ शामिल हैं जो सरकारों को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय उपकरण प्रदान करेंगी जिनकी उन्हें कर चोरी से निपटने की आवश्यकता है।
- देश अब यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कमाई पर कर लगाया जाता है, जहां मुनाफा पैदा करने वाली आर्थिक गतिविधियां होती हैं और मूल्य सृजित होता है।
- यह विदेशी कर कानून के कार्यान्वयन और अनुपालन आवश्यकताओं के सामंजस्य पर असहमति को कम करके उद्यमों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- पहल यह सुनिश्चित करके एक समकालीन अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली के विकास में योगदान करती है कि जहां आर्थिक गतिविधि होती है वहां कमाई पर कर लगाया जाता है।

बीईपीएस परियोजना के लाभ

- बीईपीएस के परिणामस्वरूप पहले खोए हुए कर राजस्व में वृद्धि करता है।
- अविकसित देशों के लिए करों से पैसा बढ़ाता है।

- यह समान परिस्थितियों में व्यवसाय करने की अनुमति देकर घरेलू और वैश्विक दोनों व्यवसायों के लिए एक सामान अवसर देता है।
- स्वचालित सूचना आदान-प्रदान के माध्यम से इसे उपलब्ध कराकर कॉर्पोरेट जानकारी में पारदर्शिता बढ़ाता है।

परियोजना का फोकस

- पारदर्शिता और रिपोर्टिंग
- हस्तांतरण मूल्य निर्धारण
- वित्त की कटौती की वजह से
- कर संधि लाभ का अधिकार
- डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनियों पर अलग तरह से कर लगाया जाता है।
- कर तरजीही शासन

राष्ट्रीय स्तर पर बीईपीएस

- राष्ट्रीय स्तर पर, भारत ने ऑनलाइन और अनिवासी भारतीय सेवाओं के लिए एक लाख रुपये से अधिक के भुगतान पर 6% समकारी कर लगाया।
- ओईसीडी की कार्य योजनाओं के बाद, भारत ऐसा शुल्क लगाने वाला पहला देश है।
- इसने परियोजना की कुछ प्रमुख सिफारिशों को घरेलू कानून में बदलाव के माध्यम से भी अपनाया है
- पतली पूंजीकरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक फर्म को इक्विटी के सापेक्ष ऋण की उच्च राशि के साथ वित्तपोषित किया जाता है।
- पेटेंट बॉक्स कराधान: इसे 2016 के वित्त अधिनियम में एक नई धारा 115BBF जोड़कर बनाया गया था।
- आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण पर देश-दर-देश रिपोर्टिंग ओईसीडी की कार्य योजना 13 का हिस्सा है।
- भारतीय आयकर अधिनियम के तहत एक विदेशी मूल समूह या एक भारतीय मूल व्यवसाय के भारतीय सहयोगी द्वारा एक सीबीसीआर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीईपीएस

- आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण से बचने के लिए भारत एक अंतरराष्ट्रीय संधि संबंधी समझौते में शामिल हुआ है।
- अंतरराष्ट्रीय कर मानकों के आधुनिकीकरण के प्रयासों में कर संधियों की एक श्रृंखला को अपनाने और बहुराष्ट्रीय निगमों की करों का भुगतान करने से बचने की क्षमता को कम करने के लिए।
- संधि के दुरुपयोग के कारण राजस्व हानि को कम करने के लिए भारत की कर संधियों का समझौता या संशोधन, यह सुनिश्चित करके कि आय पर कर लगाया जाता है, जहां मुनाफा पैदा करने वाली वास्तविक आर्थिक गतिविधि होती है।
- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने विदेशी खाता कर अनुपालन पर एक अंतर-सरकारी समझौता भी किया है।
- 2015 में, इसने वित्तीय खाता जानकारी के स्वचालित आदान-प्रदान पर बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए।

हस्तांतरण मूल्य निर्धारण

- ट्रांसफर प्राइसिंग एक कंपनी के एक डिवीजन द्वारा माल और सेवाओं के लिए दूसरे डिवीजन को चार्ज की जाने वाली कीमत है।
- यह सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों, या संयुक्त रूप से प्रबंधित फर्मों के बीच स्थानांतरित वस्तुओं और सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारित करता है जो सभी एक ही बड़े निगम का हिस्सा हैं।
- स्थानांतरण मूल्य निर्धारण निगमों को करों पर पैसा बचाने की अनुमति देता है, हालांकि कर अधिकारी ऐसे दावों पर सवाल उठा सकते हैं।
- कंपनियां इसे कुल कर बोझ को कम करने के लिए करती हैं; एक हस्तांतरण मूल्य बाजार मूल्य पर आधारित होता है।
- ट्रांसफर प्राइसिंग का उपयोग कर चोरी की रणनीति के रूप में भी किया जा सकता है क्योंकि कंपनियां अपने किसी सहयोगी के साथ व्यवहार करते समय जानबूझकर अधिकतम लाभ के लिए माल/सेवाओं की लागत निर्धारित करती हैं।

उद्देश्यों

- यह फर्म के प्रत्येक भाग में स्वतंत्र लाभ के विकास में सहायता करता है, प्रत्येक अनुभाग के व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन मूल्यांकन की अनुमति देता है।
- यह न केवल विशिष्ट आय उत्पन्न करता है, बल्कि यह संगठन के प्रत्येक भाग में बेहतर संसाधन आवंटन में भी सहायता करता है।

आवश्यकता

- यह कई देशों में स्थित सहायक कंपनियों को आय और लागत को विभाजित करते समय बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) को विकल्प देकर बेहतर प्रबंधन लेखांकन और रिपोर्टिंग में सहायता करता है।

- सहायक कंपनियों को राजस्व और व्यय के बेहतर वितरण में मूल्य निर्धारण सहायता स्थानांतरित करें क्योंकि वे आगे उप-विभाजित हैं।
- शेयरधारक धन पर इसका प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह कंपनी की कर योग्य आय और कर-पश्चात् आय को प्रभावित करता है।
- यह गैर-अनुपालन से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायता करता है, विशेष रूप से सीमा पार इंटरकंपनी लेनदेन में।

अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन

- तकनीकी सेवा शुल्क
- प्रबंधन लागत
- रॉयल्टी भुगतान
- कॉर्पोरेट गारंटी के लिए शुल्क
- ऋण दिया या प्राप्त किया
- तैयार उत्पादों की बिक्री
- कच्चे माल का अधिग्रहण
- अचल संपत्तियों का अधिग्रहण
- मशीनरी, अमूर्त आदि की खरीद या बिक्री।
- भुगतान या प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति
- आईटी और समर्थन सेवाएं, उदाहरण के लिए।
- सॉफ्टवेयर विकास के लिए सेवाएं

ट्रांसफर प्राइसिंग से निपटने के लिए नीतिगत उपाय

- सरकार ने विदेशी टैक्स क्रेडिट (एफटीसी) की गणना के लिए दिशानिर्देश स्थापित किए हैं।
- अनिवासी ई-कॉमर्स लेन-देन एक समान लेवी के अधीन हैं।
- बजट 2016 में बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) एक्शन प्लान 13 शामिल था।
- 2001 में, सरकार ने व्ब्ब्क की सिफारिशों के आधार पर ट्रांसफर प्राइसिंग कोड बनाया।

सशस्त्र लंबाई सिद्धांत

- यह दावा करता है कि संबंधित पक्ष के लेन-देन को हाथ की लंबाई के आधार पर आयोजित किया जाना चाहिए, और संबंधित पक्षों के बीच की कीमत एक स्वतंत्र खरीदार द्वारा लगाए गए मूल्य के बराबर होनी चाहिए।

एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स (APA) और म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर (MAP)

- एपीए का इस्तेमाल ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद से बचने के लिए किया जाता है। एपीए खुलेपन में सुधार करते हैं, कर निश्चितता प्रदान करते हैं, मुकदमेबाजी कम करते हैं, और इसी तरह।
- दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) पर दोनों देशों की सहमति के अनुसार, एक पारस्परिक समझौता प्रक्रिया (MAP) कार्यरत थी।

बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग (बीईपीएस) पहल

- यह एक ओईसीडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उन निगमों के लिए अंतरराष्ट्रीय करों में खामियों को ठीक करना है जो कथित तौर पर कर व्युत्क्रम में संलग्न होकर अपने देश में अपने कर के बोझ को कम करते हैं।

विवाद समाधान के लिए पैनल

- यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा नामित तीन आयकर आयुक्तों या निदेशकों से बना है।
- ट्रांसफर प्राइसिंग चिंताओं वाली कोई भी फर्म इसका इस्तेमाल कर सकती है।

प्रभावी प्रबंधन का स्थान (पीओईएम)

- प्रभावी प्रबंधन की एक साइट वह है जहां एक संगठन के समग्र संचालन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रबंधन और व्यावसायिक विकल्प बनाए जाते हैं।
- वित्त अधिनियम 2016 द्वारा पीओईएम की आवश्यकता को आईटी अधिनियम में जोड़ा गया और 1 अप्रैल, 2017 को प्रभावी हुआ।
- इसने पिछली स्थिति को बदल दिया जिसमें मामलों का नियंत्रण और प्रशासन पूरी तरह से भारत में था।
- प्रारंभ में, नियंत्रण के रूप में जाना जाने वाला च्वम्ड राज्य वर्ष के किसी भी समय भारत में देखा जा सकता है।

पीओईएम दिशानिर्देश

- पीओईएम सर्कुलर नियमों के अनुसार, "पीओईएम निर्धारित करने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से इस बात पर केंद्रित होगी कि निगम भारत के बाहर सक्रिय संचालन में लगा हुआ है या नहीं।"
- पीओईएम विचार रूप में पदार्थ पर जोर देता है, और क्योंकि "निवास" हर साल पुष्टि की जानी चाहिए, इसी तरह पीओईएम को साल-दर-साल आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
- एक इकाई के पास एक से अधिक प्रबंधन स्थान हो सकते हैं, लेकिन किसी भी समय केवल एक प्रभावी प्रबंधन स्थान।
- पीओईएम मानकों के अनुसार, एक फर्म को "भारत के बाहर सक्रिय व्यापार" में शामिल माना जाता है यदि उसका निष्क्रिय राजस्व उसकी कुल आय के 50% से कम है।

- भारत की कुल संपत्ति में आधे से भी कम का योगदान है।
- कुल कर्मचारियों में से आधे से भी कम कर्मचारी भारत में स्थित हैं या भारतीय नागरिक हैं।
- ऐसे कर्मचारियों का पेरोल व्यय कंपनी के कुल पेरोल खर्च के आधे से भी कम है।

सामान्य परिवर्जन रोधी नियम (गार)

- यह कर चोरी के लक्ष्य के साथ आक्रामक कर योजना का मुकाबला करने के लिए देश के राजस्व अधिकारियों द्वारा नियोजित कानूनों का एक संग्रह है।
- दूसरे शब्दों में, यह भारत की कर चोरी विरोधी कानून है।
- गार को शुरू में 2009 में डायरेक्ट टैक्स कोड में प्रस्तावित किया गया था, हालांकि, यह 2017 तक कानून नहीं बना।
- पार्थसारथी शोम द्वारा बुलाई गई एक समूह ने तीन साल के लिए विलंबित कार्यान्वयन का प्रस्ताव दिया, जिसमें प्रशासनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करने और पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता का हवाला दिया गया।
- गार को संसद के 2012 के बजट सत्र में लागू किया गया था, हालांकि, इसे पहली बार 2009 में डायरेक्ट टैक्स कोड में प्रस्तावित किया गया था।
- पार्थसारथी शोम पैनल ने सुझाव दिया कि इसके कार्यान्वयन में 2016-17 तक तीन साल की देरी की जाए।

जरुरत

- कई देशों में अलग-अलग डिग्री के विशिष्ट कर चोरी विरोधी कानून हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास 1981 से एक है।
- हचिसन-एस्सार के साथ वोडाफोन के समझौते के बाद भारत में गार को अपनाया गया था। लेन-देन केमैन द्वीप में हुआ।
- सरकार का दावा है कि करों में 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का नुकसान हुआ है।
- बाद की मुकदमेबाजी में, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया।

महत्त्व

- कमियों का फायदा उठाने वाली कॉर्पोरेट फर्मों के परिणामस्वरूप सरकार को आय का नुकसान; इसलिए, गार वास्तविक निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा और सरकार को अधिक धन प्राप्त करने की अनुमति देगा।
- उन संस्थाओं से राजस्व उत्पादन बढ़ाने में योगदान करें जो पहले करों का भुगतान नहीं कर रहे थे।
- कर आय में वृद्धि बजटीय असंतुलन को कम करते हुए सामाजिक कार्यक्रमों के निष्पादन में सहायता करेगी।
- यह वास्तविक उद्यमों को उन लोगों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देता है जो खामियों का फायदा उठाते हैं।
- यह व्यापार करना आसान बना देगा और भारत को एक गंभीर देश के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा जो मुक्त और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
- कर चोरी के मामलों को उजागर करने से सरकार की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- कर प्राप्तियों में वृद्धि से देश के बजटीय असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी।
- यह उन कंपनियों को देकर आर्थिक माहौल को बढ़ाने में मदद करेगा जो शुचितापूर्ण लेनदेन करती हैं और कर चोरी में संलग्न नहीं होती हैं।
- यह मुक्त और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देकर अधिक अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

सीमाए

- नियमों की उच्च व्यक्तिपरकता के कारण गार विनियमों को मनमाने ढंग से लागू किया जा सकता है।
- जीएएआर विनियमों को लागू करने से पहले, अनुमोदन के कई स्तर प्राप्त किए जाने चाहिए।
- इन प्रतिबंधों से कर अधिकारियों द्वारा अधिक उत्पीड़न हो सकता है।
- यह कर प्रशासन को विवेक और अधिकार देता है, जिसका दुरुपयोग हो सकता है।

कर आतंकवाद और उत्पीड़न

- कर आतंकवाद को कर अधिकारियों द्वारा कानूनी या अवैध तरीकों से कर लगाने के लिए शक्ति के अनधिकृत उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है।
- वोडाफोन मामला इस बात का एक विशिष्ट उदाहरण है कि फर्म के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद, कर नियमों को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित किया गया था।

कर आतंकवाद और उत्पीड़न का कारण

- **जटिल कर संरचना:** अपेक्षाकृत बुनियादी लेन-देन पर भी कई कर लागू होते हैं। ऐसा टैक्स वेब वाणिज्य के सुचारू प्रवाह के खिलाफ काम करता है।
- **कानून में अस्पष्टता:** यह कानून को लागू करने वालों के पक्ष में मोड़ देता है।

- वोडाफोन और केयर्न एनर्जी पीएलसी जैसी स्थितियों में, अस्पष्ट परिभाषाओं ने न्यूनतम वैकल्पिक कर, पूंजीगत लाभ कर और अन्य करों की प्रयोज्यता के संबंध में असहमति पैदा की है।

1. **उच्च असंतुलन:** आईटी अधिनियम सीबीडीटी को केवल इस संदेह पर पत्र वितरित करने का अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी आय कम बताई है या अपने करों को कम करके आंका है। अधिकारियों पर इस तरह के अधिकार का कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है।

भारत में कर आतंकवाद के मुद्दे को निम्नलिखित विभिन्न पहलुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है

- **पूर्वव्यापी विधान:**
  - यह अक्सर कहा जाता है कि करदाताओं को विनियमों को समझना और उनका पालन करना चाहिए, और यह कि करदाताओं को अपने व्यवसाय/वित्तीय मामलों के प्रबंधन के लिए कर नियमों को स्थिर होना चाहिए।
  - जबकि कोई इस बात पर विवाद नहीं कर सकता है कि हमारे देश की सामाजिक आवश्यकताओं के आलोक में, कर कानून में बदलाव अपरिहार्य हो सकते हैं।
  - हालांकि, कर नियमों में कोई भी पूर्वव्यापी परिवर्तन संदेह पैदा करता है और कर कानूनों में कर देने वाले समुदाय के विश्वास को खत्म कर देता है, जो निवेश करने की प्रेरणा और औद्योगीकरण के विस्तार को नुकसान पहुंचाता है।
  - पूर्वव्यापी कानून भी बहुत मुकदमेबाजी का कारण बनता है और समय पर कर वसूली के मामले में बहुत कम व्यावहारिक लाभ प्रदान करता है।
  - पूर्वव्यापी परिवर्तनों के साथ मुद्दा यह है कि वे अत्यधिक प्रतिकूल होते हैं और निर्धारिती के लिए अत्यधिक अनुचित हैं।
- **न्यायिक अनुशासनहीनता:**
  - हम कभी-कभी ऐसी स्थितियों के सामने आते हैं जिनमें बाध्यकारी मिसालों का पालन करने में विफल रहने से न्यायिक अनुशासन की धारणा का खुला उल्लंघन होता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम कमलाक्षी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में यह टिप्पणी किया।
  - AIR 1992 SC 711 के अनुसार अर्ध-न्यायिक शक्ति की स्थिति में, न्यायिक अनुशासन की मांग है कि उच्च अधिकारियों के निर्णयों का सम्मान किया जाए।
  - नतीजतन, एक कम अधिकारी, जैसे एक मूल्यांकन अधिकारी, एक उच्च प्राधिकारी के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य होता है, विशेष रूप से एक ही निर्धारिती के मामले में।
  - इस अवधारणा के लिए कनिष्ठ अधिकारियों को अधिकरण जैसे उच्च अधिकारियों के निर्णयों का पालन करने की आवश्यकता होती है।
  - दुर्भाग्य से, यहां तक कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) जैसी संस्था भी कभी-कभी गलत भेद करके अदालत की मिसाल की अवहेलना करती है।
- **अतार्किकअपील, संशोधन और मामलों को फिर से शुरू करना:**
  - यह कर आतंकवाद में महत्वपूर्ण रूप से इजाफा करता है और अदालतों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या को बढ़ाता है।
  - जबकि सरकार ने ITAT और न्यायालयों के समक्ष अपील दायर नहीं करने पर कर प्रभाव की वित्तीय सीमा बढ़ाकर इस संबंध में एक बड़ा कदम उठाया है।
  - हालाँकि, तुच्छ अपीलें दायर की जाती हैं, और न्यायालय विभागीय अधिकारियों को शामिल समस्याओं के गुण-दोष की परवाह किए बिना अपीलों का पक्ष लेने के उनके रवैये के लिए फटकार लगाता है।
- खोज और सर्वेक्षण के दौरान बलपूर्वक कार्रवाई:
  - काले धन का पता लगाने और अघोषित आय को कराधान में लाने के लिए खोज और सर्वेक्षण उपायों की आवश्यकता है।
  - जब निर्धारिती खाते की किताबें, कागजात आदि प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो तलाशी और जब्ती गतिविधि आयोजित की जा सकती है।
  - साथ ही, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि तलाशी और जब्ती व्यक्ति की निजता का उल्लंघन है।

कर आतंकवाद और उत्पीड़न से बचने के लिए सुधार

- एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की शक्तियों का विस्तार किया जा सकता है। इससे व्यर्थ के मुकदमों पर पैसे की बचत होगी।
- जीएसटी के कार्यान्वयन के माध्यम से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाना भारत के निजी क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगा।
- प्रत्यक्ष कर ढांचे को उलझाने के लिए, प्रत्यक्ष कर संहिता स्थापित की जा सकती है। दूसरी ओर, जीएएआर प्रावधानों को संशोधित किया जाना चाहिए, शायद एसएएआर के लिए।
- कॉर्पोरेट कानून सेवा संवर्ग कर अधिकारियों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
- कर आतंकवाद के मामलों की जांच और निर्णय लेने के लिए अर्ध-न्यायिक शक्तियों के साथ एक कर-विरोधी आतंकवाद ब्यूरो की स्थापना की जा सकती है।

- जहां तक संभव हो जटिल कर प्रणाली से बचना भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले भी अन्य प्रकार के अप्रत्यक्ष कर मौजूद थे।
- यह एक जटिल कर संरचना का एक प्रमुख घटक है जो अक्सर एक ओर अनिश्चितता और दूसरी ओर शोषण की ओर ले जाता है।
- दोहरा कराधान बचाव समझौता (डीटीएए) सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय समझौता है जो एक ही आय पर कराधान को दो बार लगाए जाने से रोकता है।
- डीटीएए विदेशी निवेश का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि वे न केवल विदेशी निवेशक को निवेश के मेजबान देश में अन्यायपूर्ण व्यवहार से बचाते हैं बल्कि निवेशक को विशिष्ट वस्तुओं पर कम कर की दर भी प्रदान करते हैं।

करदाता चार्टर और बजट 2020

करदाता चार्टर

- करदाताओं के चार्टर की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट 2020 के भाषण में की थी।
- चार्टर को पेश करने का उद्देश्य करदाता और कर प्रशासन के बीच विश्वास पैदा करना और उत्पीड़न को कम करना है।
- यह करदाताओं के प्रति आयकर (आईटी) विभाग की जिम्मेदारियों को प्रदान करता है।
- यह आईटी विभाग के प्रति करदाताओं के कर्तव्यों को भी सूचीबद्ध करता है।
- इसका उद्देश्य आईटी विभाग की वितरण प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना है।
- करदाता का चार्टर करदाता और आयकर विभाग के बीच विश्वास कायम करने के लिए है।
- करदाता चार्टर कानून के तहत करदाता के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है।
- यह करदाताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को भी निर्दिष्ट करता है।
- चार्टर विभाग से कर सेवाओं में पारदर्शिता लाने और एक करदाता द्वारा कर अनुपालन की दिशा में एक कदम है।

विभाग से करदाताओं के अधिकार और प्रतिबद्धताएं

- विनम्र, निष्पक्ष और उचित तरीके से करदाताओं की सहायता करना।
- करदाताओं के साथ ईमानदार व्यवहार करें जब तक कि विभाग के पास अन्यथा विश्वास करने का कोई कारण न हो।
- निष्पक्ष और निष्पक्ष अपील प्रक्रिया और समीक्षा तंत्र प्रदान करना।
- कर अनुपालन उद्देश्यों के लिए सटीक और पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए।
- आयकर कार्यवाही को समयबद्ध तरीके से पूरा करना और तय करना।
- बकाया कर की सही राशि का संग्रह सुनिश्चित करने के लिए।
- कर कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद करदाता की गोपनीयता का सम्मान करना और पूछताछ या परीक्षा आयोजित करना। कोई अनुचित पूछताछ या प्रवर्तन कार्रवाई नहीं होगी।
- करदाताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए। जब तक किसी अन्य लागू कानून के तहत आवश्यक न हो, तब तक कोई खुलासा नहीं किया जाएगा।
- आयकर अधिकारियों के कार्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- करदाता को आयकर कानून के अनुसार अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता देना।
- शिकायतों और शिकायत निवारण तंत्रों को उठाने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करने के लिए।
- कर विवादों के समाधान के लिए निष्पक्ष और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना।
- सेवाओं के वितरण पर मानकों की समीक्षा और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करना।
- अनुपालन, प्रशासन और करों के संग्रह की लागत पर विचार करना। विभाग एक करदाता के लिए कर अनुपालन की लागत को कम करना चाहता है।

करदाताओं के दायित्व

- विभाग को तथ्यों और सूचनाओं का पूर्ण और ईमानदार खुलासा करना। करदाता को सभी टैक्स फाइलिंग और रिपोर्टिंग दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- एक करदाता पर लागू कर दायित्वों की समझ प्राप्त करने के लिए। इस प्रयोजन के लिए, एक करदाता विभाग से स्पष्टीकरण और सहायता प्राप्त कर सकता है।
- आयकर कानून के तहत निर्धारित लेखांकन रिकॉर्ड और दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए।
- विभाग के समक्ष अभ्यावेदन के बारे में सूचित किया जाना और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से विवरण प्राप्त करना।
- समयबद्ध तरीके से आयकर नोटिस और सूचना अनुरोधों का जवाब दें।
- उनके आयकर बकाया का भुगतान करने के लिए और नियत तारीखों के भीतर उनकी फाइलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए।

भारत में एक स्वतंत्र लोकपाल का मामला - करदाताओं के अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए

भारत में स्वतंत्र लोकपाल

- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में करदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र कर लोकपाल की स्थापना का प्रस्ताव है।
- पहले, भारत में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के लिए एक कर लोकपाल मौजूद था, लेकिन अप्रभावी होने के कारण उन्हें फरवरी 2019 में भंग कर दिया गया था।
- क्योंकि उनके फैसले विशुद्ध रूप से सलाहकार थे, उन्हें 2019 में समाप्त कर दिया गया था।
- अध्ययन के अनुसार, विश्वव्यापी अनुभव से पता चलता है कि करदाताओं के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक लोकपाल प्रणाली की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लोकपाल संगठनों के उन्मूलन के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण राजस्व विभाग से स्वतंत्रता की कमी थी।

कर लोकपाल के साथ भारत का अनुभव

- भारत में, आयकर लोकपाल की स्थापना 2003 में हुई थी, जबकि अप्रत्यक्ष कर लोकपाल की स्थापना 2011 में हुई थी।
- कर प्राधिकरण के संचालन के संबंध में शिकायतों/शिकायतों को देखने के लिए लोकपाल को केंद्र सरकार द्वारा सेवारत कर्मियों में से क्षेत्रीय कार्यालयों में चुना गया था।
- क्योंकि लोकपाल का संचालन दिशानिर्देशों (आयकर लोकपाल दिशानिर्देश 2010 और अप्रत्यक्ष कर लोकपाल दिशानिर्देश 2011) द्वारा शासित था, और इसे अलग-अलग कार्यों को प्रदान करने वाला कानून का कोई अधिनियम नहीं था, लोकपाल की संस्था अप्रभावी थी, और इसके निर्णय केवल सलाहकार थे।
- लोकपाल शिकायतकर्ता और कर विभाग के बीच सुलह और मध्यस्थता द्वारा शिकायतों का समाधान कर सकता है, या शिकायतकर्ता द्वारा 5,000 रुपये से अधिक की क्षति के लिए न्यूनतम मुआवजे के साथ एक अधिनिर्णय पारित कर सकता है।
- परिणामस्वरूप, फरवरी 2019 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए लोकपाल की संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया।
- करदाताओं के चार्टर को पिछले साल के बजट में प्रस्तावित किया गया था और यह अगस्त 2020 में प्रभावी होगा।
- करदाताओं के चार्टर में व्यक्तिगत करदाताओं के अधिकारों और कर्तव्यों को रेखांकित किया गया है।

स्वतंत्र कर लोकपाल के साथ वैश्विक अनुभव

- विश्वव्यापी अनुभव के अनुसार, एक स्वतंत्र कर लोकपाल वाले राष्ट्र करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच बढ़ते विश्वास के कारण कर प्रशासन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- और औसत कर-जीडीपी अनुपात अधिक है और कर जमा करने के लिए कम समय की आवश्यकता है (OECD 2017)।
- कर संबंधी शिकायतों की जांच ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में लोकपाल जैसे समर्पित निकायों के साथ-साथ बेल्जियम और फ्रांस में कर मध्यस्थों द्वारा की जाती है।
- ये निकाय कर प्रशासन से भिन्न हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में, उदाहरण के लिए, आईआरएस करदाता अधिवक्ता सेवा (टीएएस) नामक एक स्वतंत्र इकाई रखता है जो करदाता अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
- यह करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और आईआरएस की ईमानदारी और जवाबदेही में करदाता के भरोसे को बढ़ावा देता है।
- इसी तरह, 2007 में कनाडा में गठित करदाताओं के लोकपाल कार्यालय (ओटीओ) को करदाताओं को आपूर्ति की गई सीआरए सेवाओं के बारे में शिकायतों की समीक्षा करने और उनका समाधान करने का काम सौंपा गया है।
- इस प्रकार, सेवा से संबंधित शिकायतों और प्रणालीगत चिंताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के माध्यम से, हम करदाताओं की सेवा और उपचार में सीआरए जवाबदेही में सुधार करना चाहते हैं।

वैश्विक न्यूनतम कर (जीएमटी)

- ग्रुप ऑफ सेवन (जी-7) देशों ने 5 जून, 2021 को बहुराष्ट्रीय निगमों पर कम से कम 15% की वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स (जीएमटी) दर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया, चाहे वे कहीं भी अधिवासित हों या जहां उनकी बिक्री हो। बना रहे हैं।
- बाद में जुलाई 2021 में जी-20 ने भी इस अवधारणा का समर्थन किया।

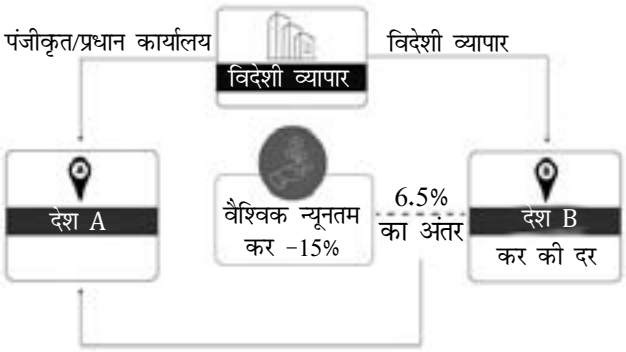
- यह G-7 समझौता आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एक बहुत बड़े वर्तमान प्रयास में योगदान देता है।
- पिछले कई वर्षों से, प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय निगमों को कमाई (और इसलिए कर आय) को कम कर वाले अधिकार क्षेत्र में ले जाने से रोकने के लिए ठोस प्रयास किए हैं।

उद्देश्य

- GMT को दुनिया की कुछ सबसे बड़ी फर्मों द्वारा भुगतान की जाने वाली कम प्रभावी कर दरों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें Apple, Alphabet, और Facebook जैसी बड़ी टेक कंपनियां शामिल हैं।
- ये फर्म आम तौर पर सहायक कंपनियों के जटिल जाल का उपयोग प्रमुख बाजारों से और कम कर वाले न्यायालयों या आयरलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, बहामास या पनामा जैसे टैक्स हैवन में राजस्व को फनल करने के लिए करती हैं।
- जीएमटी का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय उद्यमों (एमएनई) की क्षमता को कम से कम कुछ करों का भुगतान करने की आवश्यकता के द्वारा लाभ स्थानांतरण में संलग्न करने की क्षमता को सीमित करना है जहां वे व्यवसाय करते हैं।

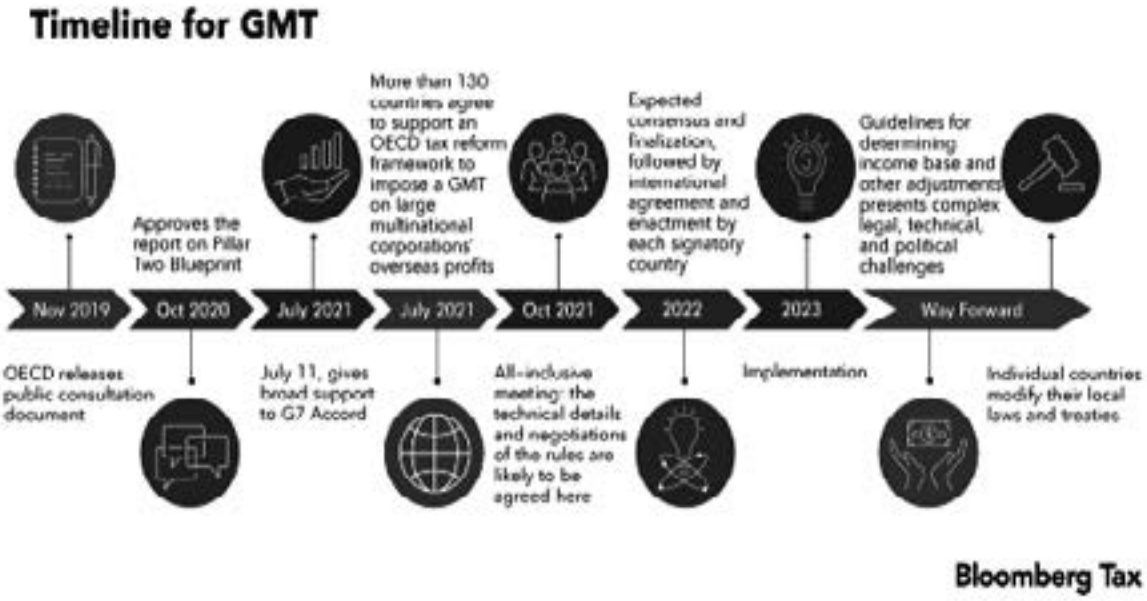
कार्यरत

- एक GMT दुनिया भर में एक निर्दिष्ट कॉर्पोरेट आय आधार पर एक समान कर की दर लागू करेगा।
- प्रत्येक देश कर धन का हकदार होगा और अपनी कर प्रणाली में दर और नियमों को लागू करने में सक्षम होगा।
- सरकारें अभी भी कॉर्पोरेट कर की दरें निर्धारित कर सकती हैं, लेकिन यदि निगम एक देश में कम दरों का भुगतान करते हैं, तो उनकी गृह सरकारें अपने करों को न्यूनतम दर पर "टॉप अप" कर सकती हैं, जिससे कमाई के हस्तांतरण के लाभ को नकारा जा सकता है।



XYZ इन करों को देश A में "टॉप अप" करता है

जीएमटी की समयरेखा



भारत का रुख

- क्योंकि भारत में फर्मों के लिए लागू स्थानीय दरें उपरोक्त स्तर से अधिक हैं, भारत को विश्वव्यापी न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर 15% से लाभ होने की उम्मीद है।
- पहले विचार का भारत पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- भारत में निवेश आकर्षित करना जारी रखने का अनुमान है; यह इस विचार द्वारा लक्षित कम कर वाले देशों में से एक नहीं है।
- हालांकि, बाजार क्षेत्राधिकार कराधान अधिकारों का विस्तार करने के दूसरे विचार के परिणामस्वरूप भारत को फेसबुक, गूगल और अन्य जैसी तकनीकी कंपनियों पर कर लगाने का अधिकार मिल सकता है।
- जब तक यह "बाजार क्षेत्राधिकार के लिए महत्वपूर्ण और निरंतर राजस्व" प्रदान करता है, तब तक भारत आम सहमति की दिशा में प्रयास करेगा।

कर प्रतियोगिता

- एक GMT देशों के बीच कर-आधारित प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है, लेकिन समाप्त नहीं कर सकता।
- यदि एक सामान्य न्यूनतम कर दर बहुराष्ट्रीय निगमों को निवेश और मुनाफे को कम कर वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए बहुत कम या कोई कर लाभ प्रदान करती है, तो देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा उनके बुनियादी ढांचे और कार्यबल कौशल की तुलनात्मक गुणवत्ता और ताकत से अधिक प्रभावित होगी।
- GMT का लक्ष्य बहुराष्ट्रीय निगमों को कर कारणों से लाभ स्थानांतरण और आधार क्षरण से रोकना है।

कर राजस्व और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संतुलन

- आय समावेशन नियम, अन्य नीतियों की तरह, जो विदेशी कमाई पर कर लगाते हैं, सीमा पार निवेश के कर खर्च को बढ़ाएंगे और स्थानीय संचालन सहित दुनिया भर में कहां निवेश करना है, इसके बारे में कॉर्पोरेट निर्णयों को प्रभावित करेंगे।
- नतीजतन, कम एफडीआई और धीमी वैश्विक आर्थिक वृद्धि हो सकती है।

❖ ❖ ❖

17 मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति की अवधारणा:

- भोजन, वस्त्र, आवास, अवकाश, परिवहन, उपभोक्ता स्टेपल आदि जैसे अधिकांश दैनिक या सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की लागत में वृद्धि को मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति के नुकसान को मुद्रास्फीति के रूप में संदर्भित किया जाता है (इसे व्यक्त करने के लिए प्रतिशत का उपयोग किया जाता है)।
- मुद्रास्फीति को एक वर्ष से अगले वर्ष तक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।
- मुद्रास्फीति तब होती है जब पैसे की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन होता है, उत्पादन और वितरण लागत में परिवर्तन होता है, या उत्पाद करों में वृद्धि होती है। समय के साथ औसत मूल्य परिवर्तन को ट्रैक करके मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी नियोजित की जाती है।

अपस्फीति की अवधारणा

- अपस्फीति को कीमतों में गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक अच्छी बात प्रतीत हो सकती है, लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था अपस्फीति नहीं चाहती। अपस्फीति आम तौर पर आर्थिक मंदी, कम उत्पादकता और नौकरी के नुकसान से जुड़ी होती है। मुद्रास्फीति पैसे की क्रय शक्ति को कम करती है, जबकि अपस्फीति इसे बढ़ाती है।
- यह लोगों को सस्ता होने पर बाद में चीजें खरीदने के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यह आर्थिक व्यवहार और भी धीमी वृद्धि की ओर ले जाता है। अपस्फीति के दौरान, पैसे का मूल्य बढ़ जाता है और सामान कम महंगा हो जाता है। हालांकि आर्थिक मंदी के कारण आपकी कमाई में कमी आ सकती है।

तुलना:मुद्रास्फीति बनाम अपस्फीति

पैरामीटर	मुद्रा स्फीति	अपस्फीति
परिभाषा	• जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पैसे का मूल्य गिर जाता है, तो इसे मुद्रास्फीति कहा जाता है।	• अपस्फीति तब होती है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में पैसे का मूल्य बढ़ जाता है।
परिणाम	• मूल्य स्तरों में सामान्य वृद्धि; • आय का असमान वितरण है; • यह मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करता है। • मूल्य स्तर में सामान्य कमी;	• मूल्य स्तर में सामान्य कमी; • बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि; • यह मुद्रा की क्रय शक्ति को बढ़ाता है।
राष्ट्रीय आय पर प्रभाव	• राष्ट्रीय आय पर कोई प्रभाव नहीं।	• अपस्फीति में राष्ट्रीय आय घट जाती है।
लाभ	• निर्माता	• उपभोक्ता
कुल मिलाकर	• स्वस्थ और हल्की मुद्रास्फीति अच्छे आर्थिक विकास का प्रतिनिधित्व करती है।	• यह अर्थव्यवस्था का पर्याप्त संकेतक नहीं है।

मुद्रास्फीति से संबंधित अवधारणाएँ

अवस्फीति	• अवस्फीति एक ऐसी स्थिति है जब समय के साथ मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मुद्रास्फीति धीमी हो रही है (अवस्फीति अपस्फीति से अलग है क्योंकि अवस्फीति शब्द वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी को दर्शाता है)। • उदाहरण: जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीनों के लिए भारत में सीपीआई मुद्रास्फीति की दर क्रमश: 8.2%, 7.5%, 6.4% और 6.1% है, हम देख सकते हैं कि यह घट रही है। इसे अवस्फीति कहा जाएगा।
स्टैगफ्लेशन	• इसे एक आर्थिक परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें विकास दर धीमी होती है, बेरोजगारी दर उच्च और स्थिर रहती है, और कीमतें या मुद्रास्फीति भी उच्च रहती है। ष्स्टैगफ्लेशनष् के रूप में जानी जाने वाली स्थिति वह है जिसमें कीमतें उसी समय बढ़ रही हैं जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि स्थिर है। • इसे अर्थव्यवस्था के लिए बुरा माना जाता है। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के विधायक इयान मैकलियोड ने पहली बार नवंबर 1965 में ष्स्टैगफ्लेशनष् शब्द का इस्तेमाल किया था।
स्क्यूफ्लेशन	• स्क्यूफ्लेशन मुद्रास्फीति का एक रूप है जिसमें एक वस्तु या वस्तुओं के समूह की लागत बढ़ जाती है जबकि कीमतों का स्तर समग्र रूप से स्थिर रहता है। • 2009 से 2011 तक चले वित्तीय संकट के मद्देनजर, अर्थशास्त्र में एक नया मुहावरा यानी स्क्यूफ्लेशन विकसित किया गया था।
रिफ्लेशन	रिफ्लेशन के रूप में जानी जाने वाली एक राजकोषीय या मौद्रिक नीति का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना, खर्च को प्रोत्साहित करना और अपस्फीति के प्रभावों को कम करना है, जो आमतौर पर आर्थिक अस्थिरता या मंदी की विस्तारित अवधि के बाद होता है। • संकुचन की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था की रिकवरी के पहले चरण को भी इस शब्द द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। • कर कटौती, बुनियादी ढांचा निवेश, मुद्रा आपूर्ति का विस्तार, और ब्याज दरों में कमी नीतियों के उदाहरण हैं।
गिफेन उत्पाद	• गिफेन उत्पाद सस्ती वस्तुएं हैं, और जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं, तो उपभोक्ता मांग भी बढ़ती है। इन उत्पादों के लिए कुछ ही विकल्प हैं, जो हमारे भरण-पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। • गिफिन उत्पादों में गेहूँ, चावल, और ब्रेड जैसी चीजें शामिल हैं (वेब्लेन के सामान उच्च गुणवत्ता वाले, प्रीमियम उत्पाद हैं, और जैसे-जैसे उनकी कीमत बढ़ती है, वैसे-वैसे उनकी माँग भी बढ़ती जाती है)। • दूसरे शब्दों में, गिफेन और वेब्लेन कमोडिटी दोनों मांग के पारंपरिक कानून का खंडन करती हैं और एक अद्वितीय मांग वक्र उत्पन्न करती हैं। इन उत्पादों के लिए वक्र ऊपर की ओर झुका हुआ है। उत्पाद की कीमत में वृद्धि के साथ मांग बढ़ती है। • गिफेन सामान कम लागत वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि वेब्लेन सामान लक्जरी, अनन्य और प्रीमियम उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
फिलिप्स कर्व	• फिलिप्स कर्व बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच व्युत्क्रम संबंध (उलटा संबंध में, एक पैरामीटर का मान गिरने लगता है क्योंकि दूसरे पैरामीटर का मान बढ़ जाता है। इसे अक्सर एक नकारात्मक संबंध के रूप में माना जाता है) का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। • कर्व के अनुसार, मुद्रास्फीति बढ़ने पर बेरोजगारी कम हो जाती है और इसके विपरीत। नतीजतन, उच्च स्तर का रोजगार उच्च मुद्रास्फीति दर के साथ ही संभव है।
एंगेल्स के नियम	• एंगेल्स के नियम के अनुसार, जैसे-जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च होने वाले धन का अनुपात घटता जाता है। जैसे-जैसे घरेलू आय बढ़ती है, भोजन पर खर्च की जाने वाली आय घटती जाती है, जबकि अन्य वस्तुओं (ऐसी विलासिता की वस्तुओं) पर खर्च किए जाने वाले अनुपात में वृद्धि होती है।

मुद्रास्फीति कर	• उच्च मुद्रास्फीति के समय पैसा रखने के लिए दंड को ष्मुद्रास्फीति करष् कहा जाता है। • यह एक प्रकार का कराधान है जहां सरकार धन की उपलब्धता को संशोधित करती है। मौजूदा धन धारक एक कर के अधीन हैं क्योंकि धन की आपूर्ति बढ़ जाती है क्योंकि उनकी होल्डिंग का मूल्य घट जाता है।
मुद्रास्फीति गैप	• जब किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग पूर्ण रोजगार पर कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो एक स्थिति को मुद्रास्फीति गैप के रूप में जाना जाता है।
डिफ्लेशनरी गैप	• यह पूर्ण रोजगार पर उत्पादन और वास्तविक उत्पादन के बीच विसंगति को दर्शाता है। • उदाहरण के लिए, मंदी के दौरान अपस्फीति का अंतर अपेक्षाकृत बड़ा हो सकता है, जो उच्च बेरोजगारी दर और कम उपयोग किए गए संसाधनों को दर्शाता है। नकारात्मक आउटपुट गैप, डिफ्लेशनरी गैप का दूसरा नाम है।
अपस्फीतिकारी सर्पिल	• एक अपस्फीतिकारी सर्पिल तब होता है जब कीमत के स्तर में गिरावट आती है, जिससे उत्पादन कम होता है, मजदूरी कम होती है, मांग में कमी आती है, और कीमतों में निरंतर गिरावट आती है। • अपस्फीति अर्थव्यवस्था में लहर पैदा कर सकती है, जिससे कुछ उपभोक्ता और कंपनियां ऋण दायित्वों में चूक कर सकती हैं। • केंद्रीय बैंक अपस्फीतिकारी सर्पिल को रोकने और मांग को बढ़ाने के लिए मौद्रिक नीति (जैसे ब्याज दरों को कम करना) का उपयोग करते हैं।
मंदी	• मंदी एक व्यापक आर्थिक शब्द है जिसका उपयोग आर्थिक संकुचन को दर्शाने के लिए किया जाता है। मंदी के दौरान, कारोबार कम मांग देखते हैं और पैसे खोने लगते हैं। आर्थिक गतिविधियों में इस तरह की मंदी कई तिमाहियों तक बनी रह सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था का विस्तार रुक जाता है।
डबल-डिप मंदी	• एक डबल-डिप मंदी एक आर्थिक घटना है जिसमें एक मंदी के बाद एक अस्थायी सुधार होता है और फिर एक और मंदी होती है। • वे पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को रोकते हैं, जिससे रोजगार, कमाई और निवेश की संभावनाएँ अन्यथा की तुलना में लंबे समय तक स्थिर रहती हैं।

मुद्रास्फीति के कारण

मांग के कारण होने वाली मुद्रास्फीति (मांग-जन्य मुद्रास्फीति)

कुल मांग में वृद्धि कई कारकों के कारण हो सकती है। उनमें से है:

- **विस्तारवादी नीतियां:** इससे अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे कुल मांग में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ेगी। सरकार निम्नलिखित तरीकों से अपना खर्च बढ़ा सकती है:
  - यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) जैसी योजनाएं,
  - मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ रही है।
- **जनसंख्या वृद्धि:** जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ेगी।
- **शुद्ध निर्यात में वृद्धि:** यदि देश की आवश्यक वस्तुओं का निर्यात तेज गति से किया जाता है, तो उनकी कमी के कारण अर्थव्यवस्था में इन वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। नतीजतन, मुद्रास्फीति होगी। उदाहरण के लिए, यदि भारतीय किसान बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, प्याज और अन्य वस्तुओं का निर्यात करते हैं, तो मांग पूरी नहीं होगी, जिसके परिणामस्वरूप मांग-जन्य खाद्य मुद्रास्फीति होगी।
- **राजकोषीय प्रोत्साहन:** जब केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रोत्साहन को लागू करता है, तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति का विस्तार होता है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति होती है। मौद्रिक प्रोत्साहन के अन्य परिणाम भी मुद्रास्फीति का कारण बनते हैं। अतिरिक्त धन की उपलब्धता घरेलू खपत को बढ़ाती है। यदि आरबीआई ने कम लागत वाली धन नीति अपनाई है तो कम लागत वाला ऋण उपलब्ध होगा। परिणामस्वरूप, उच्च क्रय क्षमता के कारण लोगों की खर्च करने की इच्छा बढ़ जाती है।
- नीतिगत निर्णय: नीतिगत निर्णय जो धन को जनता के लिए अधिक सुलभ बनाते हैं और धन की आपूर्ति में वृद्धि करते हैं, कुल मांग में वृद्धि करेंगे।
  - सातवें वेतन आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध धनराशि में वृद्धि की।
  - उदारीकृत FDI विनियमों के परिणामस्वरूप निजी निवेश बढ़ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह बढ़ेगा।
  - क्योंकि RBI डॉलर खरीदता है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ जाती है।

लागत के कारण होने वाली मुद्रास्फीति (लागत जन्य मुद्रास्फीति)

बढ़ती उत्पादन लागत, लागत जन्य मुद्रास्फीति का मूल कारण है। उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हो सकते हैं:

- **कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि:** कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का उत्पाद की अंतिम लागत पर प्रभाव पड़ेगा। नतीजतन, उत्पादन लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति होगी। पिछले दिनों सातवें वेतन आयोग की वजह से वेतन में बढ़ोतरी हुई है।
- **कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं:** किसी उत्पाद के उत्पादन की लागत निर्धारित करने में कच्चे माल की लागत एक महत्वपूर्ण कारक है। नतीजतन, कच्चे माल की कीमतों में कोई भी वृद्धि मुद्रास्फीति की ओर ले जाती है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि (कई कारणों से) इनपुट लागत बढ़ा सकती है। बाढ़ और भुखमरी जैसी प्राकृतिक आपदाएँ कृषि उत्पादन को कम करती हैं।
- **फर्मों का लाभ मार्जिन:** किसी कंपनी के लाभ मार्जिन को उत्पादन लागत में शामिल किया जाता है। फर्म के लाभ मार्जिन में कोई भी वृद्धि उत्पाद की कीमत बढ़ाएगी और मुद्रास्फीति का कारण बनेगी। जब कंपनियां अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने का विकल्प चुनती हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ जाती है। जब कोई एक कंपनी माल की प्राथमिक आपूर्तिकर्ता होती है, तो यही होता है यानी एकाधिकार।
- **आयात की कीमतें:** यदि कच्चे माल और तैयार माल का आयात किया जाता है, तो आयात कीमतों में किसी भी वृद्धि के परिणामस्वरूप लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। आयातित निविष्टियों में मूल्य वृद्धि से वस्तुओं की समग्र कीमत में वृद्धि हो सकती है। मुद्रा मूल्यह्रास आयात लागत बढ़ाता है।
- **अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति:** अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि मुद्रास्फीति का कारण बनेगी। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद, कई पूर्व कर वाले उत्पादों और सेवाओं को 18% टैक्स ब्रैकेट में ले जाया गया, जिससे उनकी कीमतें बढ़ गईं।

मांग जन्य बनाम लागत जन्य मुद्रास्फीति

मांग जन्य बनाम	लागत जन्य मुद्रास्फीति
• राजस्व प्रोत्साहन • जनसंख्या का दबाव • शुद्ध निर्यात में वृद्धि • मौद्रिक प्रोत्साहन • नीतिगत निर्णय	• कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जा रहा है • कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं • फर्म लाभ मार्जिन • आयात कीमतों • अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

नोट: हालांकि मुद्रास्फीति के कई कारण हैं, उन्हें राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। आरबीआई का प्राथमिक लक्ष्य मुद्रास्फीति (4% +/- 2%) को लक्षित करना है। हालांकि आर्थिक विकास के लिए मामूली मुद्रास्फीति वांछनीय है, लेकिन अनियंत्रित मुद्रास्फीति देश को लाभ से अधिक नुकसान पहुंचा सकती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि के कारण हो सकते हैं: (2013)

(1) मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि
(2) उत्पादन के कुल स्तर में कमी
(3) प्रभावी मांग में वृद्धि

उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(*a*) केवल 1
(*b*) केवल 1 और 2
(*c*) केवल 2 और 3
(*d*) 1, 2 और 3

2. निम्नलिखित में से किस उपाय के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? (2012)

(1) सेंट्रल बैंक द्वारा जनता से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद
(2) जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में मुद्रा जमा करना
(3) सरकार द्वारा सेंट्रल बैंक से उधार लेना
(4) सेंट्रल बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री

उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1
(*b*) केवल 2 और 4
(*c*) 1 और 3
(*d*) 2, 3 और 4

मुद्रास्फीति के प्रकार

कारण आधारित मुद्रास्फीति

- **मांग जन्य मुद्रास्फीति:** यह तब होता है जब कुल डिमांड उपलब्ध आउटपुट से अधिक हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, और इसे मांग जन्य मुद्रास्फीति कहा जाता है।
- **लागत जन्य मुद्रास्फीति:** लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति वह मुद्रास्फीति है जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की लागत में समग्र वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है।

- **मुद्रा जन्य मुद्रास्फीति:** यह एक अर्थव्यवस्था में करेंसी नोटों की अत्यधिक छपाई के कारण होता है।
- **क्रेडिट मुद्रास्फीति:** जब क्रेडिट का विस्तार होता है, तो मूल्य स्तर बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति होती है।
- **घाटे से प्रेरित मुद्रास्फीति:** जब सरकारी खर्च राजस्व से अधिक हो जाता है, तो सरकार अनुरोध कर सकती है कि आरबीआई बजट घाटे को कवर करने के लिए पैसे प्रिंट करे, जिसके परिणामस्वरूप घाटे से प्रेरित मुद्रास्फीति होती है।

गति या तीव्रता आधारित मुद्रास्फीति

- **रेंगती/क्रीपिंग या हल्की/माइल्ड मुद्रास्फीति:** रेंगती हुई मुद्रास्फीति तब होती है जब मूल्य वृद्धि की दर धीमी लेकिन महत्वपूर्ण होती है। यह आर्थिक विकास के लिए लाभदायक है। कीमतें बहुत धीमी गति से बढ़ रही हैं (ढ3%)।
- **चलती/वाल्किंग या बढ़ती/ट्रॉटिंग मुद्रास्फीति:** यह विनाशकारी मुद्रास्फीति प्रति वर्ष 3% और 10% के बीच होती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है क्योंकि यह आर्थिक विकास को गति देता है। कल की बहुत अधिक कीमतों से बचने के लिए लोग अधिक खरीदना शुरू कर देते हैं। इसने क्रय ड्राइव को और भी अधिक बढ़ा दिया, जिससे आपूर्तिकर्ताओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। चिंता की बात यह है कि न तो मजदूरी कर सकते हैं। परिण ाामस्वरूप, अधिकांश सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं।
- **गैलोपिंग और हाइपरइन्फ्लेशन:** हाइपर या अति मुद्रास्फीति तब होती है जब रेंगने वाली और चलने वाली मुद्रास्फीति अनियंत्रित होती है और मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक हो जाती है। इससे आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत प्रति माह 50% से अधिक बढ़ जाती है, तो इसे हाइपरइन्फ्लेशन कहा जाता है। यह मुद्रास्फीति का अंतिम चरण है। मूल्य खतरनाक दर से बढ़ता है (20% मुद्रास्फीति)। पिछले उदाहरण: 1920 के दशक में जर्मनी, 2000 के दशक में जिम्बाब्वे, 2018 में अमेरिकी गृहयुद्ध और वेनेजुएला, आदि।
- **स्टैगफ्लेशन:** यह तब होता है जब मुद्रास्फीति की दर अधिक होती है, आर्थिक विकास की दर धीमी होती है, और बेरोजगारी लगातार उच्च बनी रहती है। इसे मंदी मुद्रास्फीति के रूप में भी जाना जाता है। यह आर्थिक नीति के लिए एक पहेली है, क्योंकि मुद्रास्फीति को कम करने के उद्देश्य से की जाने वाली कार्यवाहियां बेरोजगारी की स्थिति को और खराब कर सकती हैं।
- **कोर इन्फ्लेशन:** कोर इन्फ्लेशन का तात्पर्य उच्च कीमतों में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप खाद्य और ऊर्जा के अलावा सभी वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य वृद्धि से है। इसकी गणना इसलिए की जाती है क्योंकि सरकार को मुद्रास्फीति की एक सुसंगत और सटीक तस्वीर की आवश्यकता होती है।
- **हेडलाइन मुद्रास्फीति:** यह मीट्रिक एक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है, जिसमें अस्थिर भोजन और ऊर्जा की कीमतें शामिल हैं।

तुलना: हेडलाइन बनाम कोर मुद्रास्फीति

- बास्केट में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है।
- कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति से इस मायने में भिन्न है कि इसमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं है।
- कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में कम अस्थिर है क्योंकि ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है और मुद्रास्फीति की गणना में श्अशांतिश पैदा होती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू उपभोग टोकरी में खाद्य और ईंधन का हिस्सा 10-15% है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह 30-40% है।

आधार प्रभाव

- आधार प्रभाव एक अलग संदर्भ बिंदु का उपयोग करके दो डेटा बिंदुओं की तुलना करने के परिणामों में देखा जाने वाला प्रभाव है।
- डेटा बिंदुओं के बीच अनुपात या प्रतिशत तुलना में एक महत्वपूर्ण भिन्नता तुलना के लिए एक अलग संदर्भ या आध ार का उपयोग करने के परिणामस्वरूप हो सकती है।
- चूंकि आधार संख्या तुलना के भाजक के रूप में कार्य करती है, विभिन्न आधार मूल्यों के साथ की गई तुलनाओं में बेतहाशा भिन्न परिणाम हो सकते हैं।
- उदाहरण:

केस 1

- जनवरी 2016 का मूल्य सूचकांक 110 है और जनवरी 2017 का 120 है।
- अब जनवरी 2017 की मुद्रास्फीति = (120-110)/110 '100 जो कि 9.09% है।

केस 2

- मार्च 2017 का मूल्य सूचकांक 180 है और मार्च 2018 का 190 है। अब मार्च 2018 की मुद्रास्फीति = (190-180)/180'100 जो कि 5.55% बनती है।

- **निरीक्षण करें:** दोनों ही मामलों में मूल्य सूचकांक में वृद्धि 10 है लेकिन मुद्रास्फीति की दर अलग है। यह आधार प्रभाव के कारण है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. मुद्रास्फीति की दर में अचानक वृद्धि को कभी-कभी "आधार प्रभाव" के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। "आधार प्रभाव" क्या है? (2011)

(*a*) यह फसलों की विफलता के कारण आपूर्ति में भारी कमी का प्रभाव है।

(*b*) यह तेजी से आर्थिक विकास के कारण मांग में वृद्धि का प्रभाव है।

(*c*) यह मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों का प्रभाव है।

(*d*) ऊपर दिए गए कथनों (*a*), (*b*) और (*c*) में से कोई भी इस संदर्भ में सही नहीं है।

मुद्रास्फीति का मापन: WPI और CPI

विश्लेषण:

- कोई भी मुद्रास्फीति दर अनिवार्य रूप से हमें उस दर को बताती है जिस पर अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ रही हैं। परिणामस्वरूप, मुद्रास्फीति को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- अगर प्याज की कीमतें पिछले साल के 10 रुपये प्रति किलो से बढ़कर इस साल 15 रुपये प्रति किलो हो जाती हैं, तो मुद्रास्फीति की दर 50% होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस उदाहरण में एक किलोग्राम प्याज की कीमत 5 रुपये - या 50% - आधार मूल्य (10 रुपये) से अधिक है।
- मुद्रास्फीति की दरों की गणना साल दर साल दोनों तरीकों से की जाती है। पिछले साल कीमतों में कैसे बदलाव आया। और महीने दर महीने पिछले महीने कीमतों में कैसे बदलाव आया हर महीने के लिए।
- प्रत्येक वस्तु और वस्तुओं के प्रत्येक समूह के लिए मुद्रास्फीति की दरों की गणना की जाती है। नतीजतन, हमारे पास प्याज के साथ-साथ अन्य सभी खाद्य पदार्थों के लिए मुद्रास्फीति की दर है।
- हालांकि, किसी भी वस्तु, जैसे कि प्याज, की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु थोक बाजार में खरीदी जाती है या शहर के मॉल में।
- पिछले साल प्याज के थोक मूल्यों की तुलना इस साल खुदरा स्टोर कीमतों से करना भ्रामक होगा।
- परिणामस्वरूप, सरकार दो सूचकांक बनाती है: एक थोक मुद्रास्फीति पर नजर रखने के लिए और दूसरा खुदरा मुद्रास्फीति पर नजर रखने के लिए। बेहतर नीति विश्लेषण के लिए, मुद्रास्फीति की दरों की गणना ग्रामीण और शहरी बाजारों के लिए भी की जाती है।

वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर देश में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है:

1. थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई);
2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)।

तुलना:

- पूर्व को थोक मुद्रास्फीति दर के रूप में जाना जाता है, जबकि बाद वाले को खुदरा मुद्रास्फीति दर के रूप में जाना जाता है। WPI और CPI दोनों मूल्य सूचकांक हैं। इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए, ये वस्तुओं और सेवाओं के दो अलग-अलग टोकरियाँ हैं। उन दो प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर सरकार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को अलग-अलग भार प्रदान करती है।
- दो सूचकांकों का निर्माण यह बताता है कि कैसे और क्यों दो मुद्रास्फीति दरें अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, च्च् में निर्मित वस्तुओं की कीमतों का प्रभुत्व है, जबकि ब्च् में खाद्य कीमतों का प्रभुत्व है। नतीजतन, अगर खाद्य कीमतों में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है, तो खुदरा मुद्रास्फीति की दर थोक मुद्रास्फीति दर से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। विपरीत तब होता है जब निर्मित वस्तुओं (जैसे टीवी और ऑटोमोबाइल) की कीमतें बढ़ जाती हैं।
- WPI, उदाहरण के लिए, बाल कटाने या बैंकिंग लेनदेन जैसी सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि, सीपीआई करता है। यदि परिवहन, शिक्षा, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, व्यक्तिगत देखभाल आदि जैसी सेवाएं काफी अधिक महंगी हो जाती हैं, तो खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ेगी, लेकिन थोक मूल्य मुद्रास्फीति अपरिवर्तित रहेगी। क्योंकि इन दो मुद्रास्फीति दरों की गणना दो बहुत अलग सूचकांकों का उपयोग करके की जाती है, इसलिए उनके लिए महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होना असामान्य नहीं है।

डब्ल्यूपीआई संरचना	
अवयव	**वजन (%)**
सभी वस्तुएं	100.00
प्राथमिक वस्तुएँ	22.62
ईंधन और शक्ति	13.15
विनिर्मित उत्पाद	64.23

सीपीआई संरचना	
अवयव	**वजन (%)**
सामान्य सूचकांक	100.00
खाद्य और पेय	45.86
पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थ	2.38
कपड़े	6.53
आवास	10.07
ईंधन और प्रकाश	6.84
विविध (सेवाएं)	28.32

क्या आप जानते हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) CPI-आधारित मुद्रास्फीति डेटा संकलित करता है, जबकि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), WPI-आधारित मुद्रास्फीति डेटा संकलित करता है।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (सीआईआई)

- CII का उपयोग किसी संपत्ति के मुद्रास्फीति-समायोजित लागत मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है। तब मुद्रास्फीति-समायोजित मूल्य का उपयोग दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ या हानियों की गणना के लिए किया जाता है। CII के आंकड़े का उपयोग भूमि, भवन और घरों के साथ-साथ सोने के गहने और डेट म्यूचुअल फंड जैसी संपत्ति के मुद्रास्फीति-समायोजित मूल्य की गणना के लिए किया जाता है।
- हालांकि, इसका उपयोग इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्युचुअल फंडों पर होने वाले लाभ को ऑफसेट करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिन पर 10% की दर से कर लगाया जाता है और जो इंडेक्सेशन के लिए योग्य नहीं हैं। जब आप अगले साल अपना आयकर रिटर्न (आईटी-आर) दाखिल करते हैं, तो सीआईआई नंबर आपको दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ निर्धारित करने में मदद करेगा, जिस पर आपको कर चुकाना होगा।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 14 जून, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए CII की घोषणा की। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, जो निर्धारण वर्ष 2023-24 पर लागू होता है, 331 है।
- लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पिछले वित्त वर्ष, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 317 बताया गया था।

उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई)

- उत्पादक मूल्य सूचकांक समय के साथ घरेलू उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए प्राप्त होने वाले विक्रय मूल्यों में विशिष्ट परिवर्तन को मापता है। कई वस्तुओं और कुछ सेवाओं के लिए, पीपीआई में कीमतें शुरुआती कारोबारी लेनदेन से आती हैं। यह विक्रेता के दृष्टिकोण से मूल्य में उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाता है।
- यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया जाता है।
- पीपीआई के उपयोग के लाभ:
  - यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय होगा;
  - इसमें शिपिंग, कर और अन्य शुल्क जैसे पूरक खर्च शामिल नहीं होंगे, जो मुद्रास्फीति की अधिक सटीक तस्वीर देता है;
  - यह दिखाएगा कि अर्थव्यवस्था लेनदेन के प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक उत्पादों और सेवाओं को कितनी अच्छी तरह स्थानांतरित करती है।

आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)

- भारतीय रिजर्व बैंक तिमाही आधार पर हाउसिंग प्राइस इंडेक्स प्रकाशित करता है। यह कुछ शहरों से एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है और पूरे भारत में कीमतों के उतार-चढ़ाव को मापता है। सूचकांक संबंधित राज्य सरकारों के पंजीकरण कार्यालयों से प्राप्त रियल एस्टेट मूल्य लेनदेन पर सत्यापित जानकारी पर आधारित हैं।
- निर्माण क्षेत्र की वृद्धि आवास की कीमतों के रुझान से प्रभावित होती है। जब एक घर की कीमत उसकी निर्माण लागत से अधिक हो जाती है, तो इसके निर्माण की लागत के सापेक्ष इसकी कीमत बढ़ जाती है। नतीजतन, इन कीमतों पर नए घर का निर्माण लाभदायक है। इसलिए उन्हें निष्पक्ष रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि वे बैंक ऋण दरों को भी प्रभावित करते हैं।

जीडीपी डिफ्लेटर

- जीडीपी डिफ्लेटर, जिसे इंप्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहा जाता है, एक मुद्रास्फीति संकेतक है। यह किसी दिए गए वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का वर्तमान कीमतों पर आधार वर्ष में कीमतों का अनुपात है। यह अनुपात बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमतों के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में किस हद तक वृद्धि हुई है।

- क्योंकि डिफ्लेटर में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की पूरी श्रृंखला शामिल होती है, थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में उपयोग किए जाने वाले सीमित वस्तु टोकरियों के विपरीत, इसे मुद्रास्फीति का एक अधिक व्यापक उपाय माना जाता है जो स्वचालित रूप से किसी भी परिवर्तन को दर्शाता है। खपत पैटर्न जो अंततः जीडीपी अपस्फीतिकारक को अर्थव्यवस्था की खपत या निवेश पैटर्न में परिवर्तन को अवशोषित करने में सक्षम बनाता है।
- GDP अपस्फीतिकारक डेटा केवल GDP अनुमानों के साथ-साथ त्रैमासिक रूप से उपलब्ध होता है, जबकि CPI और WPI डेटा मासिक रूप से जारी किए जाते हैं।
- जीडीपी मूल्य डिफ्लेटर फॉर्मूला: जीडीपी मूल्य डिफ्लेटर = (सांकेतिक जीडीपी / वास्तविक जीडीपी) × 100
- **जीडीपी डिफ्लेटर का महत्व:**
  - सकल घरेलू उत्पाद मूल्य अपस्फीतिकारक का उपयोग करके, अर्थशास्त्री एक वर्ष से अगले वर्ष तक वास्तविक आर्थिक गतिविधि की मात्रा की तुलना कर सकते हैं।
  - यह उपभोक्ता उत्पाद सूचकांक (CPI) और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जैसे अन्य उपायों की तुलना में बहुत व्यापक है। यह सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के रूप में केवल विशिष्ट वस्तुओं की एक टोकरी के विपरीत पूरी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति की गणना करता है।
  - खपत पैटर्न या संरचनात्मक सुधारों में कोई भी परिवर्तन सीधे जीडीपी अपस्फीतिकारक में परिलक्षित होता है। हालांकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई मासिक प्रकाशित होते हैं, लेकिन वे आर्थिक मुद्रास्फीति की व्यापक तस्वीर प्रदान नहीं करते हैं।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण: मुद्रास्फीति की सीमा में उतार-चढ़ाव पर हालिया अपडेट

- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक मौद्रिक नीति ढांचा है जिसमें किसी देश का केंद्रीय बैंक पूरी तरह से मुद्रास्फीति को एक निश्चित सीमा के भीतर रखने से संबंधित होता है। भारत में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को 2-6% के बीच रखने के लिए एक लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे (FITF, 2016) पर सहमति व्यक्त की।
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण एक केंद्रीय बैंकिंग नीति है जो पूर्व निर्धारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को बदलने पर केंद्रित है।
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य स्थिरता को बनाए रखना, जिसे मुद्रास्फीति प्रबंधन के माध्यम से हासिल किया जाता है, दीर्घकालिक आर्थिक विकास उत्पन्न करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
- न्यूजीलैंड मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अपनाने वाला पहला देश था, और तब से इसे भारत सहित बड़ी संख्या में देशों ने अपने प्राथमिक मौद्रिक नीति उपकरण के रूप में अपनाया है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 7.8% हो गई, जिसका अर्थ है कि भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा सामना किया जाने वाला सामान्य मूल्य स्तर अप्रैल 2021 की तुलना में लगभग 8% अधिक था। यह है पिछले आठ सालों में सबसे ज्यादा। यह भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति लक्ष्य से भी लगभग दोगुना है। अक्टूबर 2016 से, आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति को 4%+-(2%), या 2% और 6% के बीच रखने की आवश्यकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? (2015)

(*a*) भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है।

(*b*) मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है।

(*c*) मुद्रा परिसंचरण में कमी से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

(*d*) बढ़ा हुआ मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है।

सबसे हालिया मुद्रास्फीति के रुझान क्या हैं?

- खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2019 से उच्च रही है और तब से केवल एक बार 4% तक पहुंची है। अन्य सभी महीनों में, यह लगातार 6% से अधिक रहा है।
- अप्रैल में लगातार सातवें महीने महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई। अप्रैल में, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति में 7.79% की वृद्धि हुई, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति में 8.38% की वृद्धि हुई।
- हालांकि, सबसे बड़ी वृद्धि ईंधन की कीमतों में देखी गई, जो अप्रैल में लगभग 11% बढ़ी। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में राज्यों के बीच समग्र उपभोक्ता मुद्रास्फीति का उच्चतम स्तर था। अप्रैल 2021 से थोक मूल्य सूचकांक दहाई अंक में है।
- **उच्च मुद्रास्फीति के कारण:**
  - **रूस यूक्रेन संघर्ष:** चल रहे संघर्ष के परिणामस्वरूप गेहूं, तेल और गैस जैसी वस्तुओं की कमी हो गई है। युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं के विघटन के परिणामस्वरूप इन दोनों देशों के निर्यात में कमी आई है। इसके अलावा, रूस के खिलाफ पश्चिम के प्रतिबंधों की श्रृंखला ने वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है।

- **महामारी:** जब 2020-21 में महामारी ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, तो खाद्य कीमतों में और भी बड़े कारक (7.3%) की वृद्धि हुई, जबकि मुख्य मुद्रास्फीति में 5.5% की वृद्धि हुई। लॉकडाउन के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी। मांग में सुधार हुआ है, लेकिन आपूर्ति बहाल नहीं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ गई हैं।
- **मौद्रिक नीति:** डॉ. सी रंगराजन (आरबीआई के पूर्व गवर्नर) के अनुसार, महामारी के बाद मौद्रिक नीति की कमी के कारण अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता आई है, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है।
- **चुनाव के बाद की नीतियां:** घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का अंततः प्रभाव पांच विधानसभाओं के चुनावों के पूरा होने के बाद मार्च के अंत में शुरू हुआ।

मुद्रास्फीति के प्रभाव और परिणाम

- **लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है:** यह चीजों को और अधिक महंगा बना देगा, और तुलनीय आय स्तर वाले लोग बहुत कम खरीदेंगे।
- **समग्र मांग में कमी:** जैसे-जैसे क्रय शक्ति में गिरावट आती है, उपभोक्ता कम वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे। गैर-जरूरी जरूरतें आम तौर पर कम हो जाती हैं जबकि परिवार जरूरी चीजों को प्राथमिकता देते हैं।
- **उच्च मुद्रास्फीति बचतकर्ताओं को नुकसान पहुँचाती है जबकि उधारकर्ताओं को लाभ पहुँचाती है:** बैंक या इसी तरह के बचत साधनों में पैसा रखने से अर्जित वास्तविक ब्याज को अपने पास रखकर। यदि मुद्रास्फीति 6% है, बचत जमा पर 6% मामूली ब्याज अर्जित करने का प्रभावी अर्थ है 0% ब्याज अर्जित करना।
- **सरकार को अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने में मदद करता है:** अल्पावधि में, उच्च मुद्रास्फीति से सरकार को लाभ होता है, जो अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कर्जदार है।
  - इसके अलावा, मुद्रास्फीति सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाती है। राजकोषीय घाटे को सांकेतिक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
  - राजकोषीय घाटे की समान राशि (उधार लेना) सकल घरेलू उत्पाद का एक छोटा प्रतिशत बन जाता है क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाता है।
- **कॉरपोरेट्स पर विभिन्न प्रभाव:** अल्पावधि में, कॉरपोरेट्स, विशेष रूप से बड़े और प्रभावशाली कॉरपोरेट, उच्च लाभप्रदता से लाभान्वित हो सकते हैं क्योंकि वे कीमतों में वृद्धि को उपभोक्ताओं पर डालने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि, कम मांग के कारण उच्च मुद्रास्फीति छोटे व्यवसायों के लिए बिक्री और लाभप्रदता को कम कर देगी।
- **विनिमय दर मूल्यह्रास:** उच्च मुद्रास्फीति का मतलब है कि रुपये का मूल्य कम हो रहा है, और अगर आरबीआई ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि नहीं करता है, तो निवेशक कम रिटर्न के कारण तेजी से दूर रहेंगे। उदाहरण के लिए, 10-वर्षीय भारत सरकार के बॉन्ड ने 12 मई को 7.2% प्रतिफल दिया।
  - हालांकि, 7.8% पर मुद्रास्फीति के साथ, यह प्रतिफल की नकारात्मक दर का परिणाम है। देश को मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई को 40 आधार अंकों की रेपो दरों में आश्चर्यजनक वृद्धि की घोषणा की।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, मांग-जन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित में से किसके कारण/बढ़ सकती है? (2021)

1. विस्तारक नीतियां
2. राजकोषीय प्रोत्साहन
3. मुद्रास्फीति-अनुक्रमण मजदूरी
4. उच्च क्रय शक्ति
5. बढ़ती ब्याज दरें

उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1, 2 और 4
(b) केवल 3, 4 और 5
(c) केवल 1, 2, 3 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

2. निम्नलिखित में से किसके प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है? (2021)

(a) सार्वजनिक ऋण की चुकौती
(b) बजट घाटे को वित्त करने के लिए जनता से उधार लेना
(c) बजट घाटे को वित्त करने के लिए बैंकों से उधार लेना
(d) बजट घाटे के समाधान के वित्तपोषण के लिए नए पैसे का निर्माण

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2013)

1. महंगाई कर्जदारों को फायदा पहुंचाती है।
2. मुद्रास्फीति बांड-धारकों को लाभ पहुंचाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. भारत ने हाल के दिनों में लगातार और उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का अनुभव किया है। क्या कारण हो सकते हैं? (2011)

1. व्यावसायिक फसलों की खेती में धीरे-धीरे बदलाव के कारण, पिछले पांच वर्षों में खाद्यान्न की खेती के तहत क्षेत्र में लगभग 30% की कमी आई है।
2. आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप, % लोगों के उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है।
3. खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक बाधाएँ हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 **(b) केवल 2 और 3**

(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

मुद्रास्फीति प्रबंधन में आरबीआई की भूमिका:

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (2016 में यथासंशोधित) विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी आरबीआई को सौंपता है।
- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वैधानिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, तरलता समायोजन सुविधा और बाजार स्थिरीकरण योजना शामिल हैं। (मौद्रिक लिखतों के विवरण के लिए बैंकिंग अध्याय देखें)

महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

- यदि उच्च मुद्रास्फीतिकारी दबाव बना रहता है, तो आरबीआई विश्वसनीय तरीके से ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है। हालाँकि, क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी भी बाहरी झटकों से उबर रही है, उच्च ब्याज दरें विकास को सीमित कर सकती हैं। इसमें स्टैगफ्लेशन पैदा करने की क्षमता है।
- मौजूदा उच्च मुद्रास्फीति को कम करने के लिए यूरोप में भू-राजनीतिक तनावों को हल करने की आवश्यकता है, सरकार से अधिक मजबूत राजकोषीय समर्थन, और ऐसे सुधार जो बाधित घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की मरम्मत में सहायता करते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अकेले मौद्रिक नीति अपर्याप्त हो सकती है।
- मुद्रास्फीति के दबावों का मुकाबला करने के लिए सरकार विशेष समझौते कर सकती है। उदाहरण के लिए, प्रतिबंधों के सामने, भारत ने 20-30 डॉलर प्रति बैरल छूट पर रूसी कच्चा तेल प्राप्त किया।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अतीत में किए गए कुछ सरकारी उपाय:

- उत्पादन को प्रोत्साहित करने और इस प्रकार खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उच्च एमएसपी की घोषणा की गई है, जिससे कीमतों को कम करने में मदद मिल सकती है।
- मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) नामक एक कार्यक्रम को दालों और प्याज जैसी कृषि वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
- जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को प्रभावी ढंग से लागू करने और कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के लिए कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधि नियम, 1980 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह जारी की जाती है। .
- सचिवों की समिति, अंतर-मंत्रालयी समिति, मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति और अन्य विभागीय स्तर की समीक्षा बैठकों सहित उच्चतम स्तरों पर नियमित मूल्य और उपलब्ध ता समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

निष्कर्ष

- मुद्रास्फीति एक ऐसी समस्या है जो सभी को प्रभावित करती है, चाहे वे काम करते हों या नहीं। अधिकांश पश्चिमी देश अवस्फीति का अनुभव कर रहे हैं, यदि एकमुश्त अपस्फीति नहीं तो। हालाँकि, मुद्रास्फीति की स्थिति और अपेक्षाएँ भारत को त्रस्त कर रही हैं। लंबी अवधि के उच्च आर्थिक विकास के लिए एक निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति दर आवश्यक है। पिछले एक दशक में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खुद को तेजी से खोलते हुए भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। भारत को अधिक मूल्य स्थिरता के लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह तेजी से विकास को बनाए रखना चाहता है और अपनी बड़ी और तेजी से बढ़ती आबादी के कल्याण में सुधार करना चाहता है।

❖ ❖ ❖

18 बाह्य क्षेत्र

- किसी अर्थव्यवस्था की विदेशी मुद्रा में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियाँ, बाह्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए:
- निर्यात-आयात;
- विदेशी निवेश;
- बाह्य कर्ज;
- चालू और पूंजी खाते;
- भुगतान संतुलन आदि।

खुली अर्थव्यवस्था

- एक खुली अर्थव्यवस्था वह है जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं और वित्तीय संपत्तियों में व्यापार करती है। परिणामस्वरूप हम उन उत्पादों का उपभोग कर सकते हैं जो अन्य देशों में उत्पन्न होते हैं और अपने उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात करते हैं। यहाँ उन संबंधों को स्थापित किया जा सकता है जो बंद अर्थव्यवस्था में संभव नहीं हैं। उदाहरण के लिए:
- **खुला बाजार:** वस्तुओं और सेवाओं के रूप में अन्य देशों के साथ व्यापार संभव हो जाता है। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उपभोक्ताओं के लिए विकल्प बढ़ते हैं।
- **वित्तीय बाजार:** निवेशक घरेलू के साथ-साथ विदेशी परिसंपत्तियाँ भी खरीद सकते हैं।
- **श्रम बाजार:** फर्म यह चुन सकती हैं कि उद्योग को कहाँ स्थापित किया जाए और श्रमिकों के पास विभिन्न स्थानों पर काम करने का विकल्प होता है। एक देश से दूसरे देश में आप्रवासन को विनियमित करने के लिए कानून हैं।

खुली अर्थव्यवस्था के पक्ष और विपक्ष

पक्ष	विपक्ष
• **पूंजी तक पहुंच:** निजी कंपनियाँ एफडीआई (FDI) और एफआईआई (FII) के रूप में निवेश कर सकती हैं।	• **पूंजीगत उड़ान (Capital flight):** ऐसे 'फुटलूज फंड' हैं जो अपने पैसे को "पार्क" करते हैं जहाँ उन्हें अधिकतम रिटर्न मिलता है। यदि यह अल्पावधि निवेश के रूप में है; वे आर्थिक गड़बड़ी पैदा करते हुए अल्प सूचना पर अपना पैसा खींच सकते थे।
• **ऋण:** यह अधिक भरोसेमंद है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन अधिक आसानी से उधार दे सकते हैं।	• **जोखिम पहुंचाना:** बाह्य दुनिया के साथ एकीकरण जितना अधिक होगा; भेद्यता जितनी बड़ी होगी। आर्थिक संकट, कीमतें, बाहर की राजनीतिक गड़बड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।
• **विदेशी व्यापार:** हम निर्यात और आयात कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप पैसा बाहर जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था में प्रवेश करता है। इस प्रकार अधिकांश देश आयात को सीमित करने और निर्यात को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं।	• **आयात पर निर्भरता:** किसी विशेष देश या किसी वस्तु/सेवा (तेल) पर अधिक निर्भरता हमें राजनीतिक और आर्थिक जोखिम में डाल सकती है।
• **वस्तुओं और सेवाओं में विकल्प:** उपभोक्ताओं के पास चुनने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का एक व्यापक पूल है (आईफोन बनाम भारतीय ब्रांड)।	• **ऋणग्रस्तता:** बड़ी मात्रा में उधार लेना और भुगतान करने में असमर्थता ऋणग्रस्तता पैदा कर सकती है और यहाँ तक कि देशों को "ऋण जाल" में भी उजागर कर सकती है।
• **उधार लेने में विकल्प:** जब उधार लेने की बात आती है तो चुनने के लिए उधारदाताओं और निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है; इस प्रकार, ब्याज दरें कम हो जाती हैं क्योंकि कई बैंक उधार देने और निवेश करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।	• **असमानता और गरीबी:** आर्थिक एकीकरण के कारण; कुछ घरेलू सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है। उदाहरण: यदि हम आरसीईपी सदस्य बन जाते हैं तो भारतीय डेयरी को नुकसान होगा।
	• **विदेशी मुद्रा की समस्याएँ:** अमेरिकी डॉलर वर्तमान में विश्व की आरक्षित मुद्रा है। अमेरिकी फेडरल बैंक की नीतियाँ दुनिया को प्रभावित करती हैं। एक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

बंद अर्थव्यवस्था

- एक बंद अर्थव्यवस्था आमतौर पर एक ऐसे देश को संदर्भित करती है जो किसी अन्य देश के साथ अन्य वित्तीय आदान-प्रदान में व्यापार या संलग्न नहीं होता है।
- यानी देश में न तो आयात आता है और न ही निर्यात जाता है।
- एक बंद अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूर्ण आत्मनिर्भरता है, घरेलू उपभोक्ताओं को देश की अपनी सीमाओं के भीतर उनकी जरूरत की हर चीज उपलब्ध कराना।
- आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में, बंद अर्थव्यवस्थाएं वास्तविकता की तुलना में एक सैद्धांतिक अवधारणा अधिक हैं, हालांकि कुछ अर्थव्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में अधिक बंद हैं। जैसे उत्तर कोरिया, वेनेजुएला आदि।
- कोई बंद अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से आज अस्तित्व में नहीं है क्योंकि:
- खुली अर्थव्यवस्थाएं तुलनात्मक लाभों का लाभ उठा सकती हैं (एक देश जो अधिशेष है उसे बेचेगा और जो कमी है उसे आयात करेगा।)
- अपेक्षाकृत खुली अर्थव्यवस्थाएं अपेक्षाकृत बंद अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं।
- आम तौर पर उन कंपनियों में वेतन और काम करने की स्थिति बेहतर होती है जो व्यापार नहीं करती हैं।
- दुनिया भर में अधिक समृद्धि और अवसर भी सभी के लिए अधिक स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
- खुली अर्थव्यवस्थाओं में जब सरकारें किसी क्षेत्र को बंद कर देती हैं (जैसे, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई पर प्रतिबंध); इसे संरक्षणवाद कहा जाता है ।
- यह आयात को घरेलू बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए किया जाता है और इसका उद्देश्य घरेलू नौकरियों की रक्षा करना है, या राजनीतिक कारणों (ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध) के लिए है।
- टैरिफ के माध्यम से एक क्षेत्र को बंद किया जा सकता है या विदेशियों के लिए दुर्गम बनाया जा सकता है।

भुगतान संतुलन/भुगतान देय

- भुगतान संतुलन (बीओपी) एक देश के निवासियों के बीच दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ सामान, सेवाओं और संपत्तियों में लेनदेन को एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए आमतौर पर एक वर्ष में रिकॉर्ड करता है।
- मूल रूप से, यह किसी अर्थव्यवस्था के चालू और पूंजी खातों का शुद्ध परिणाम है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है।
- जैसे एक व्यक्ति, जिसका व्यय उसकी आय से अधिक है, को अधिक उधार लेना होगा या संपत्ति बेचनी होगी; एक राष्ट्र के भी अपने ठवच खाते में घाटा हो सकता है। इसमें अधिशेष भी हो सकता है।
- **यह 3 घटकों से बना है:**
  - चालू खाता
  - पूंजी खाता
  - वित्तीय खाता (संशोधित आईएमएफ मानकों के अनुसार)
- आरबीआई **(RBI)** पुरानी प्रणाली के अनुसार डेटा प्रकाशित करना जारी रखता है, यानी केवल चालू और पूंजीगत खातों के लिए।

चालू खाता

- यह माल और सेवाओं में व्यापार और हस्तांतरण भुगतान का एक रिकॉर्ड है।
- बाह्य क्षेत्र में "चालू खाता" बैंकिंग क्षेत्र से अलग है।
- इसे दुनिया की सभी सरकारों द्वारा व्यवस्थित रखा जाता है जिसमें हर तरह के लेन-देन को दिखाया जाता है।
- इनमें निर्यात, आयात, ब्याज भुगतान, निजी धन प्रेषण और स्थानान्तरण शामिल हैं।
- सभी लेन-देन या तो एक अंतर्वाह या बहिर्वाह के रूप में दिखाए जाते हैं। इस प्रकार दिन के अंत में चालू खाता अधिशेष या घाटा हो सकता है।
- भारत के पूरे आर्थिक इतिहास में केवल लगातार तीन वर्षों (2000-2003) के लिए चालू खाता अधिशेष था। कोविड के वर्षों के दौरान भी हमारे पास कुछ समय के लिए अधिशेष (0.9%) था, लेकिन यह हमारे निर्यात में वृद्धि के कारण नहीं बल्कि हमारे आयात में कमी के कारण था।
- कम चालू खाता घाटा (सीएडी) वांछनीय है क्योंकि यह बाह्य ऋण पर कम निर्भरता और अधिक स्वतंत्र घरेलू आर्थिक नीति को दर्शाता है।

चालू खातों के घटक

- **वस्तुओं का व्यापार/(Net Visible)**
- **वस्तुओं का निर्यात:** एक बाह्य देश को घरेलू सामान की बिक्री है। सामान्य तौर पर, निर्यात बढ़ने पर घरेलू उत्पादकों को लाभ होता है- अधिक खरीदार उच्च कीमतों और अधिक लाभ की ओर ले जाते हैं।
- **वस्तुओं का आयात:** इसमें वे सामान शामिल हैं जो विदेशों में उत्पादित होते हैं और घरेलू अर्थव्यवस्था द्वारा खरीदे जाते हैं।

- **सेवाओं का व्यापार (Net Invisibles का भाग)**
- **शुद्ध कारक आय:** विदेशों से प्राप्त कारक आय और विदेशों में जाने वाली कारक आय का अंतर है। यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद और जीएनपी के बीच का अंतर है।
- **कर्मचारियों का शुद्ध मुआवजा:** विदेशों में कार्यरत भारतीयों को भुगतान - भारत में काम करने वाले विदेशियों को भुगतान।
- **शुद्ध निवेश आय:** विदेश में भारतीयों द्वारा निवेश - भारत में विदेशियों द्वारा निवेश।
- **शुद्ध गैर-कारक आय**
  - नौवहन, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर, सेवाएं आदि।
- **स्थानांतरण भुगतान (नेट इनविसिबल्स का हिस्सा)**
  - उपहार, प्रेषण और अनुदान अर्थात एक तरफा स्थानान्तरण जिसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है।

चालू खाते पर अधिशेष

- **इसे संतुलित कहा जाता है जब** चालू खाते पर प्राप्तियाँ चालू खाते पर भुगतान के समान होती हैं। **(प्राप्तियाँ = भुगतान)**
- **एक अधिशेष का अर्थ है** कि एक देश अन्य देशों के लिए ऋणदाता है अर्थात **(प्राप्तियाँ > भुगतान)**। यह एक वांछनीय स्थिति है।
- **एक घाटे का तात्पर्य है** कि एक देश दूसरे देशों से कर्जदार है यानी **(प्राप्तियाँ < भुगतान)**।
- **इसके दो घटक हैं:**
  - **व्यापार संतुलन:** निर्यातित वस्तुओं के कुल मूल्य और एक निश्चित समय अवधि में आयातित वस्तुओं के कुल मूल्य के बीच का अंतर है। यह वांछनीय है कि किसी देश में अधिशेष **BoT यानी निर्यात > माल का आयात हो।**
  - **शुद्ध अदृश्य/अदृश्यों का संतुलन: अदृश्य** के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच का अंतर है। इसमें सेवा व्यापार, स्थानान्तरण और कारक और गैर-कारक आय प्रवाह शामिल हैं।

चालू खाते का महत्व

- चालू खाते का घाटा या अधिशेष हमें अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताता है।
- चालू खाते पर अधिशेष इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था अन्य देशों के लिए शुद्ध लेनदार है जिनके पास सीएडी है।
- इस खाते पर एक घाटा इंगित करता है कि राष्ट्र अन्य देशों के लिए ऋणी है।
- घाटे से पता चलता है कि एक देश जितना बचाता है उससे अधिक खर्च करता है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार भी ले सकता है।
- आमतौर पर घाटे को विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि वे आयात पर खर्च किए जा रहे हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भुगतान संतुलन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन चालू खाता बनाता/बनाता है? (2014)

1. व्यापार संतुलन
2. विदेशी संपत्ति
3. अदृश्य का संतुलन
4. विशेष आहरण अधिकार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(*a*) केवल 1
(*b*) 2 और 3
(*c*) 1 और 3
(*d*) 1, 2 और 4

पूंजी खाता

- इसमें संपत्ति के सभी अंतरराष्ट्रीय लेन-देन का रिकॉर्ड है यानी किसी भी प्रकार की संपत्ति जैसे पैसा, शेयर, बॉन्ड, ऋण आदि।
- परिसंपत्ति की खरीद इस खाते पर एक डेबिट आइटम है (उदाहरण के लिए टाटा जगुआर को खरीदा रहा है। क्योंकि विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है)।
- परिसंपत्ति की बिक्री इस खाते पर एक क्रेडिट आइटम है (उदाहरण के लिए चीनी व्यक्ति एक भारतीय कंपनी का शेयर खरीद रहा है। क्योंकि देश में विदेशी मुद्रा प्रवाहित हो रही है)।

पूंजी खातों के घटक

- **निवेश:**
  - **प्रत्यक्ष निवेश** जैसे इक्विटी पूंजी, एफडीआई, पुनर्निवेशित आय **(reinvented earnings)** आदि।
  - एफआईआई, ऑफशोर फंड जैसे **पोर्टफोलियो निवेश।**
- **बाह्य उधार:** जैसे बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), अल्पकालिक ऋण आदि।
- **बाह्य सहायता:** जैसे सरकारी सहायता, अंतर-सरकारी, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाता बनाता है? (2013)

1. विदेशी ऋण
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
3. निजी प्रेषण
4. पोर्टफोलियो निवेश

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(*a*) 1, 2 और 3

(*b*) 1, 2 और 4

(*c*) 2, 3 और 4

(*d*) 1, 3 और 4

पूंजी खाते पर शेष

- **यह तब संतुलित होता है** जब पूंजी का प्रवाह = पूंजी का बहिर्वाह होता है।
- **अधिशेष** का तात्पर्य पूंजी प्रवाह > पूंजी बहिर्वाह से है।
- **डेफिसिट** का तात्पर्य पूंजी प्रवाह < पूंजी बहिर्वाह से है।

भुगतान संतुलन अधिशेष और घाटा

- जब **पूंजी और चालू खातों के सभी घटकों का योग धनात्मक हो;** कहा जाता है कि **BoP** खाते में अधिशेष है।
- यदि **राशि ऋणात्मक** है तो हम जानते हैं कि **घाटा** है। एक घाटा अर्थव्यवस्था के लिए तभी बुरा होता है जब अर्थव्यवस्था के पास उस अंतर को भरने के साधनों का अभाव होता है।
- **BoP** की गणना एक **डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूप में की जाती है** और यह किसी कंपनी की बैलेंस शीट की तरह दिखती है जहाँ हर प्रविष्टि या तो क्रेडिट/इनफ्लो या डेबिट/आउटफ्लो है।
- यदि वर्ष के अंत में अधिशेष है; पैसा स्वचालित रूप से विदेशी मुद्रा भंडार में स्थानांतरित हो जाता है।
- यदि विदेशी मुद्रा घाटे को कवर नहीं कर सकता है; ऐसा कहा जाता है कि एक **BoP** संकट मौजूद है। देश तब उधार लेने के लिए विभिन्न सरकारों और संस्थानों से संपर्क करता है। जैसे भारत ने आईएमएफ से उधार लिया।
- जब कोई देश जितना कमाता है उससे अधिक खर्च करता है; इसे या तो उधार लेकर या कुछ संपत्तियों को बेचकर अंतर भरना पड़ता है।
- किसी भी चालू खाते के घाटे (इसे दुनिया से प्राप्त होने से अधिक खर्च करना) को पूंजी खाते में अधिशेष के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना चाहिए, अर्थात शुद्ध पूंजी प्रवाह।
- **बीओपी संतुलन** एक ऐसी स्थिति है जहाँ (चालू खाता + पूंजी खाता = 0)। यहाँ चालू खाता घाटा (सीएडी) पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय उधार द्वारा बिना किसी भंडार आंदोलन के वित्तपोषित है।
- **आधिकारिक आरक्षित बिक्री** तब होती है जब कोई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बेचकर अपने सीएडी का वित्तपोषण करता है। यह भारत के मामले में आरबीआई द्वारा किया जाता है।
- उपरोक्त उपाय के परिणामस्वरूप आधिकारिक रिजर्व में कमी को समग्र **भुगतान संतुलन घाटा कहा जाता है।**

स्वायत्त और मिलनसार लेनदेन

- स्वायत्त लेन-देन **(Autonomous transactions)** वे अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन हैं जो किसी देश के **BoP** की स्थिति से स्वतंत्र किए जाते हैं। यानी वे भुगतान संतुलन में अंतर को पाटने के लिए नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मुनाफा।
- इन्हें **BoP** में 'लाइन से ऊपर' आइटम कहा जाता है।
- जब **स्वायत्त प्राप्तियाँ > स्वायत्त भुगतान; BoP** अधिशेष में है और इसके विपरीत।

- अनुग्रहकारी लेनदेन **(Accommodating transactions)** इस बात से निर्धारित होते हैं कि भुगतान संतुलन में अधिशेष है या घाटा।
- उन्हें 'लाइन के नीचे' आइटम कहा जाता है।
- आधिकारिक आरक्षित लेनदेन इस लेनदेन में शामिल हैं क्योंकि वे भुगतान संतुलन में अंतर को पाटना चाहते हैं।

1991 में भारत का बीओपी संकट

- **विशेषताएँ:**
- यह आयात पर हमारी अति-निर्भरता की पृष्ठभूमि में हुआ, जिसके कारण भुगतान संतुलन घाटा हुआ था।
- हमारा विदेशी मुद्रा भंडार एक हद तक कम हो गया था जहाँ से यह 3 सप्ताह के मूल्य के आयात को वित्तपोषित कर सकता था। जबकि सरकार खुद अपना कर्ज चुकाने के करीब थी।

- फरवरी 1991 में; भारत सरकार बजट पारित करने में विफल रही जिसने भारत की छवि को और खराब किया।
- उपरोक्त सभी का मतलब था कि अल्पकालिक ऋण भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं थे।
- अंतिम चोट विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा ऋण देने से मना करने के रूप में आई, जिसने भारत को अपने स्वर्ण भंडार को गिरवी रखने के लिए मजबूर किया।

जोखिम के कारण

- **सरकार की आय व्यय से कम थी।** इस प्रकार सकल **राजकोषीय घाटा** 1980-81 में 9% से बढ़कर 1990-91 में 12.7% हो गया।
- **सरकार का आंतरिक ऋण 1985-86 में 35%** से बढ़कर 1990-95 में 15% हो गया।
- **1985 में भारत के आयात में वृद्धि हुई थी,** जिससे दोहरा घाटा हुआ था- एक व्यापार घाटा और एक बड़ा राजकोषीय घाटा। दोहरे घाटे की समस्या तब गंभीर हो गई जब विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के कारण रुपये का अवमूल्यन हुआ।
- **चालू खाता घाटा** पहले से ही बड़ा था क्योंकि देश निर्यात से अधिक आयात कर रहा था। **खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में आई तेजी से** इनकी हालत और खराब हो गई थी।
- **निवेशकों (उस समय बहुत से नहीं)** ने अपने धन को निकालना शुरू कर दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सरकार अपने ऋणों पर चूक करेगी।
- डिफॉल्ट के डर से **अल्पकालिक क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।** इस प्रकार मुद्रास्फीति की दर आसमान छू गई।

लागू किए गए उपाय/समाधान

- **मौद्रिक उपाय**
  - 1991 में रुपये का अवमूल्यन।
  - संपार्श्विक के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजे गए सोने के भंडार।
  - कुछ सोना पुनर्खरीद समझौते के तहत स्विस बैंक को बेचा गया था।
  - विदेशी मुद्रा को संरक्षित करने के लिए थोड़े समय के लिए आयात को हतोत्साहित किया गया।
- **औद्योगिक नीति सुधार:**
  - इंस्पेक्टर और लाइसेंस राज को समाप्त करने के लिए सुधार।
  - घरेलू आपूर्ति को आसान बनाने के लिए सुधार।
  - अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कदम।
- **व्यापार नीति में सुधार**
  - निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रुपये का अवमूल्यन किया गया।
  - सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार।
  - लाइसेंसिंग और निर्यात कानूनों को ढीला किया गया।
- **एफडीआई का उदारीकरण**
- **निर्यात सब्सिडी समाप्त कर दी गई।**

प्रभाव

- एलपीजी सुधार और नई आर्थिक नीति काफी हद तक भुगतान संतुलन संकट का परिणाम थे।
- अंतर्राष्ट्रीय सहायता के बदले आईएमएफ द्वारा कठिन शर्तें रखी गई थीं।
- ईंधन की कीमतें और बैंक दरें बढ़ाई गईं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत के संदर्भ में, मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा/से योगदानकर्ता है/हैं? (2019)

1. भारत के आईटी क्षेत्र की विदेशी मुद्रा आय।
2. सरकारी खर्च बढ़ाना।
3. विदेशों में भारतीयों द्वारा विप्रेषण।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 1 और 3

(*c*) केवल 2

(*d*) केवल 1, 2 और 3

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी संस्थाओं द्वारा बकाया है।
2. भारत का संपूर्ण बाह्य ऋण अमेरिकी डॉलर में दर्शाया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2

(*c*) 1 और 2 दोनों

(*d*) न तो 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित में से कौन सा श्आयात कवरश शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जो कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है? (2016)

(*a*) यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के आयात के मूल्य का अनुपात है

(*b*) यह एक वर्ष में देश के आयात का कुल मूल्य है

(*c*) यह निर्यात के मूल्य और दो देशों के बीच आयात के बीच का अनुपात है

(*d*) यह आयात के महीनों की संख्या है जिसका भुगतान किसी देश के अंतरराष्ट्रीय भंडार द्वारा किया जा सकता है

4. किसी देश का भुगतान संतुलन _____ का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है (2013)

(*a*) एक निश्चित अवधि के दौरान एक देश के सभी आयात और निर्यात लेनदेन, सामान्य रूप से एक वर्ष।

(*b*) एक वर्ष के दौरान किसी देश से अच्छा निर्यात किया गया।

(*c*) एक देश की सरकारों के बीच दूसरे देश की सरकारों के बीच आर्थिक लेन-देन।

(*d*) पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जाना।

व्यापार संतुलन

- एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के कुल निर्यात और आयात के बीच के मौद्रिक अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है।
- यह नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है और इस प्रकार क्रमशः प्रतिकूल या अनुकूल हो सकता है।
- यह भुगतान संतुलन के तहत चालू खाते का एक प्रमुख हिस्सा है।

सेवाओं का संतुलन

- देश से सेवाओं के कुल निर्यात और देश में सेवाओं के कुल आयात के बीच का अंतर।
- यह भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत है। भारत के लिए; यह हमारे सेवा क्षेत्र के कारण सकारात्मक और अनुकूल है।

अंतरण का संतुलन

- अन्य राष्ट्रों को भेजे गए उपहारों या अंतरण से घटाए गए अन्य राष्ट्रों से प्राप्त उपहार या अंतरण, अंतरण का संतुलन है।
- इसमें सरकारों और व्यक्तियों दोनों के बीच अंतरण शामिल है।

मुद्रा परिवर्तनीयता

- जब कोई देश अपनी मुद्रा को पूर्ण या आंशिक रूप से चालू या पूंजी खातों में बदलने की अनुमति देता है तो इसे मुद्रा परिवर्तनीयता कहा जाता है।
- **एक पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता** तब होती है जब कोई देश चालू खाते के तहत सभी उद्देश्यों के लिए मुद्रा को सोने या अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करने की अनुमति देता है।
- **एक पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता** तब होती है जब कोई देश देश से दूसरे देशों में पूर्ण पूंजी बहिर्वाह की अनुमति देता है।
- **एक आंशिक परिवर्तनीयता** तब होती है जब चालू और पूंजी खातों के लिए केवल एक हिस्से को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाती है।
- परिवर्तनीयता का यह पूरा मुद्दा केवल विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह से जुड़ा है।
- **भारत** में परंपरागत रूप से हमने परिवर्तनीयता की अनुमति न देकर विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को रोकने की कोशिश की। लेकिन यह अब बदल गया है।

चालू खाता लेनदेन पर परिवर्तनीयता

- 1994 से; भारत का चालू खाता पूरी तरह से परिवर्तनीय है। पहले यह आंशिक था।
- इसका मतलब यह है कि यदि व्यक्ति ए चालू खाते के प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा के लिए रुपये की एक निश्चित राशि का विनिमय करना चाहता है; उसे आधिकारिक विनिमय दर पर प्रदान किया जाएगा।
- इस प्रकार चालू खाते से विदेशी मुद्रा का अप्रतिबंधित बहिर्वाह हो सकता है।
- यह 1990 के दशक की शुरुआत में भारत पर लगाए गए **IMF** की एक शर्त के कारण था।

पूंजी खाता लेनदेन पर परिवर्तनीयता

- **एसएस तारापुर के तहत 1997 की समिति**, 3 साल की अवधि (1997-2000) के लिए **पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश की लेकिन कुछ सावधानियों के साथः**
  - सकल राजकोषीय घाटे को जीडीपी अनुपात में 3.5% तक सीमित करें।
  - औसत मुद्रास्फीति दर को 3-5% के बीच सीमित करें।

- सरकार की चुकौती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समेकित कोष।
- सकल एनपीए को 5% से कम करना।

- शर्तें पूरी नहीं होने के कारण सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। पूंजी खाते में अभी भी आंशिक परिवर्तनीयता (40:60) है। **हालाँकि, कुछ क्षेत्रों को पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति है:**
- भारतीय कॉर्पोरेट्स के पास विदेशों में स्वत: मार्ग के माध्यम से प्रति वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक की पूर्ण परिवर्तनीयता है।
- भारतीय कॉरपोरेट ईसीबी के प्रति वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक का प्री-पे कर सकते हैं।
- भारतीय व्यक्ति प्रति वर्ष 2.5 लाख अमरीकी डालर तक विदेशी संपत्ति, शेयर आदि में निवेश कर सकते हैं।
- **इसके कुछ लाभ और नुकसान हैं:**

- **एसएस तारापोर के** तहत पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर दूसरी समिति ने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस मामले पर परामर्श जारी है।
- यह मुद्रा बदलने की आजादी से कहीं अधिक है। यह नागरिकों को विदेशों की संपत्ति में निवेश करने और विदेशी नागरिकों को भारतीय वित्तीय संपत्तियों में निवेश करने की अनुमति देता है।

पूंजी खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता

- परिवर्तनीयता वह सुलभता है जिसके साथ एक मुद्रा को वैश्विक मुद्रा विनिमय के माध्यम से सोने या दूसरी मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है।
- भारत का रुपया अब तक आंशिक रूप से परिवर्तनीय है – कुछ मामलों में रुपये का विनिमय बाजार दरों पर किया जा सकता है, लेकिन बड़ी मात्रा में अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

लाभ	नुकसान
• संकेत है कि अर्थव्यवस्था परिपक्व और आश्वस्त है; निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। • वित्तीय बाजार में तरलता में वृद्धि; इस प्रकार अधिक पूंजी का उपयोग करने के लिए। • बेहतर व्यापार और रोजगार के अवसर। • रुपये का तटवर्ती बाजार विकास और वैश्विक स्तर पर रुपये में लेनदेन में वृद्धि। • भारत में उपभोक्ताओं के लिए बेहतर विकल्प और वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच। जैसे वॉलमार्ट, कॉस्को आदि भारत में स्टोर खोल सकते हैं। • बीमा, उर्वरक और खुदरा क्षेत्र में एफडीआई मुक्त रूप से शुरू होगा। • भारतीय जावक निवेश अधिक स्वतंत्र रूप से और अधिकारियों की अनुमति के बिना कर सकते थे। उदाहरण के लिए फ्लोरिडा में एक घर या कैरेबियन में एक नौका का मालिक होना। • भारतीयों के रूप में बेहतर वित्तीय प्रणाली: • पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए स्थानीय बैंकों में विदेशी मुद्रा रखें। • विदेशी मुद्रा नामित ऋण जारी कर सकता है। • स्वतंत्र रूप से सोना खरीदें/बेचें और उच्च या शून्य सीमा के साथ स्वर्ण आधारित जमा और ऋण प्रदान करें।	• अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता के कारण उच्च अस्थिरता। उदाहरण के लिए अमरीकी डालर का अवमूल्यन, विदेशी मुद्रा में मुद्रास्फीति इत्यादि। • प्रतिकूल विनिमय दरों के कारण चुकौती को मुश्किल पाते हैं । • रुपये में अनियंत्रित वृद्धि निर्यात को कम प्रतिस्पर्धी बना देगी। डॉलर की तुलना में रुपये के कम मूल्य से भारत को लाभ होता है। • हमारे पास अभी भी बड़ी आयात निर्भरता, भ्रष्टाचार, जनसंख्या, लालफीताशाही आदि की चुनौतियाँ हैं जो पूर्ण परिवर्तनीयता के बाद समस्याएं पैदा कर सकती हैं। • हमारे पास अभी भी सीएडी, मुद्रास्फीति, एनपीए आदि का वांछित स्तर नहीं है जिसकी सिफारिश तारापुर समिति ने की थी।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. रुपये की परिवर्तनीयता का अर्थ है: (2015)

(*a*) रुपये के नोटों को सोने में बदलने में सक्षम

(*b*) रुपये के मूल्य को बाजार की ताकतों द्वारा तय करने की अनुमति देना

(*c*) स्वतंत्र रूप से रुपये को अन्य मुद्राओं में बदलने की अनुमति देना और इसके विपरीत।

(*d*) भारत में मुद्राओं के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बाजार का विकास करना।

विनिमय दरें

निश्चित विनिमय दर	फ्लोटिंग/लचीली विनिमय दर	प्रबंधित फ्लोटिंग रेट / डर्टी फ्लोटिंग
• सरकार एक विशेष स्तर पर विनिमय दर तय करती है। • **यह प्रति डॉलर रुपये के लिए उच्च विनिमय दर तय करके ऐसा करता है। (मान लीजिए 70 रुपये/यूएसडी बनाम 50 प्रति यूएसडी पहले)।** • **इस दर पर USD की आपूर्ति डॉलर की मांग से अधिक हो जाती है (क्योंकि सस्ते रुपये का मतलब है कि हमारे निर्यात को कम कीमतों पर खरीदा जा सकता है और इस प्रकार USD का प्रवाह होता है)।** • **USD** की अतिरिक्त आपूर्ति को **RBI** द्वारा विदेशी मुद्रा से खरीद कर अवशोषित किया जाता है। • जब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है तब तक यूएसडी रिजर्व बढ़ता रहता है। • एक अवमूल्यन (**INR** को सस्ता बनाता है) तब होता है जब सरकार विनिमय दर में वृद्धि करती है। • एक पुनर्मूल्यांकन (**INR** को महंगा बनाता है) तब होता है जब सरकार विनिमय दर को कम कर देती है। • यहाँ; सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता है कि उसके पास विनिमय दर (डॉलर खरीद/बेचकर) तय करने की क्षमता है। • अगर लोगों को पता है कि सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है तो यहाँ अटकलों की संभावना अधिक है।	• **विनिमय दर मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है।** • पूरी तरह से लचीली प्रणाली में; केंद्रीय बैंक बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता है। • यदि विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है; विनिमय दर तदनुसार बढ़ती है। (यानी आईएनआर का मूल्य यूएसडी या सस्ता रुपए के संबंध में गिर गया है) • मूल्यह्रास विनिमय दर में वृद्धि है। जिसका अर्थ है कि समान विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक रुपये का भुगतान करना। • आईएनआर की सराहना तब होती है जब विनिमय दर कम हो जाती है यानी आईएनआर की कीमत यूएसडी के संबंध में बढ़ जाती है। • यदि **INR** सराहना करता है; हमें प्रत्येक डॉलर के लिए कम रुपये का भुगतान करने की आवश्यकता है। • **यह सरकारों को मौद्रिक नीति के संबंध में अधिक लचीलापन देता है।** • **बड़े विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने की कम आवश्यकता है।** • विनिमय दरों का संचलन स्वचालित रूप से **BoP** अधिशेषों और घाटे का ख्याल रखता है।	• **यह फ्लोटिंग रेट सिस्टम और फिक्स्ड रेट** सिस्टम का मिश्रण है। • ऐसा लगता है कि दुनिया के अधिकांश देश इस पद्धति पर चले गए हैं। • केन्द्रीय **बैंक आवश्यकता के अनुसार हस्तक्षेप करते हैं;** विनिमय दरों को प्रभावित करने के लिए विदेशी मुद्राओं को खरीदना और बेचना। • इसे सही फ्लोटिंग रेट सिस्टम नहीं माना जाता है। (कोई हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है) • यहाँ विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की अनुमति है लेकिन केवल एक अनुकूल सीमा के भीतर। • लक्ष्य अस्थिरता को कम रखना और मुद्रा की स्थिरता को बढ़ावा देना है। • इसलिए, एक गंदे फ्लोटिंग सिस्टम में; **आधिकारिक आरक्षित लेनदेन शून्य नहीं है।**

• * याद रखें कि **"अवमूल्यन"** और **"मूल्यह्रास"** के समान परिणाम होते हैं लेकिन ये अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि यह आवश्यक रूप से _____

1. विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है।
2. घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य में वृद्धि करता है
3. व्यापार संतुलन में सुधार करता है

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1

(*b*) 1 और 2

(*c*) केवल 3

(*d*) 2 और 3

2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए: (2021)

1. विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
2. कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश
3. वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां
4. अनिवासी बाह्य जमा

उपरोक्त में से किसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शामिल किया जा सकता है?

(*a*) 1, 2 और 3

(*b*) केवल 3

(*c*) 2 और 4

(*d*) 1 और 4

सट्टा

- किसी भी देश की मुद्रा एक संपत्ति होती है। **यदि भारतीयों का मानना है कि अगले महीने USD अधिक मूल्यवान होगा; वे USD की बचत करना शुरू कर देंगे। USD** की यह होल्डिंग **INR** और **USD** के बीच विनिमय दर को प्रभावित करती है।
- **मामला:** लोगों की मानें तो अगले महीने 1 यूएसडी की कीमत इस महीने 80 की जगह 85 रुपये हो जाएगी; वे इस विश्वास के साथ डॉलर बचाएंगे कि वे इस महीने 80000 के बदले 1000 यूएसडी को अगले महीने 85000 रुपये में बदल देंगे।
- यह **अपेक्षा वर्तमान में यूएसडी की मांग** को बढ़ाएगी और विनिमय दर में वृद्धि (यूएसडी के मुकाबले आईएनआर के मूल्य को कम) में वृद्धि करेगी।
- इस प्रकार विश्वास और उस पर अमल करने से वास्तविकता बनी। इसे सट्टा कहा जाता है।

ब्याज दरें और विनिमय दरें

- **एक ब्याज दर** अंतर विभिन्न देशों के बीच ब्याज दर के बीच का अंतर है।
- व्यक्तियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और संस्थाओं के स्वामित्व वाले फंड हैं जो देश में अपना धन पार्क करते हैं जो उन्हें उच्चतम ब्याज दरों की पेशकश करेगा।
- यदि देश **B** देश **A से अधिक ब्याज दरों की पेशकश कर रहा है;** ए के निवेशक अपनी मुद्रा बेच देंगे और मुद्रा बी खरीद लेंगे।
- मुद्रा ए की मांग पर **अपनी मुद्रा का चयन करेंगे।**
- **इससे (कम मांग वाली) मुद्रा ए का मूल्यह्रास होगा और (अधिक मांग वाली) मुद्रा बी की सराहना होगी।**
- इसलिए किसी देश की ब्याज दरों में वृद्धि से अक्सर मुद्रा की सराहना होती है (जिसका अर्थ है कि हम प्रत्येक डॉलर के लिए कम रुपये का भुगतान करते हैं या धन का मूल्य बढ़ता है)।
- **यह परिदृश्य मानता है** कि विदेशी सरकार के बॉन्ड खरीदने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

आय और विनिमय दरें

- **आय में वृद्धि से उपभोक्ता खर्च/मांग में वृद्धि होती है।**
- यदि उपभोक्ता **अधिक आयातित वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं; इससे** घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होगा।
- यदि उपरोक्त प्रक्रिया विदेश में भी होती है; तब घरेलू मुद्रा मूल्यह्रास इस बात पर निर्भर करता है कि देश का निर्यात आयात की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है या नहीं।
- **सामान्य तौर पर, अन्य कारकों को तटस्थ रखते हुए;** एक देश जिसकी मांग दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, मुद्रा का मूल्यह्रास देखा जाता है।
- यह इस तथ्य के कारण है कि उनका आयात उनके निर्यात की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर प्रबंधन प्रणालियों में परिवर्तन

स्वर्ण मानक

- 1870 और 1914 के बीच; विनिमय दर प्रणाली स्वर्ण मानक, एक निश्चित दर प्रणाली थी।

- सभी प्रमुख मुद्राओं को सोने में उनके मूल्य के अनुसार परिभाषित किया गया था। प्रत्येक प्रतिभागी देश ने निश्चित मूल्य पर अपनी मुद्रा को सोने में मुक्त परिवर्तनीयता की गारंटी दी।
- इसका मतलब यह था कि प्रत्येक मुद्रा को निश्चित मूल्य पर किसी अन्य मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता था।
- यदि मुद्रा **A** का मूल्य 1 ग्राम सोना था और **B** का मूल्य 2 ग्राम सोना था; मुद्रा **B** मुद्रा **A** से दुगनी थी। इस प्रणाली के आधार पर दोनों मुद्राओं को एजेंटों द्वारा पहले सोना खरीदे और फिर परिवर्तित किए बिना एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता था।
- **समस्या**
  - सोने की विश्व कीमतें नई खानों की खोज पर निर्भर थीं जो तेजी से दुर्लभ होती जा रही थीं।
  - जीएनपी में प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि के लिए सोने के उत्पादन में उसी प्रतिशत की वृद्धि होनी थी। ऐसा नहीं हुआ और कीमतें दुनिया भर में गिरने लगीं जिससे अशांति फैल गई।
- **समाधान**
- कुछ समय के लिए चांदी को सोने का पूरक बनना पड़ा। साथ ही देशों ने 1/3 सोना उसकी कागजी मुद्रा यानी **फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के मुकाबले रखा।**
- **गोल्ड एक्सचेंज मानक** को अपनाया गया था यानी एक देश के पास सोने का कोई रिजर्व नहीं होने के बावजूद मुद्रा को निश्चित कीमतों पर एक्सचेंज किया गया था। इसके बजाय उन्होंने एक बड़े देश की मुद्रा को अपने पास रखा।
- दक्षिण अफ्रीका में नई खोजों के साथ उपरोक्त सभी समाधानों ने 1929 तक अपस्फीति को दूर रखने में मदद की। कुछ लोग कहते हैं कि 1930 के दशक की महान मंदी तरलता की कमी के कारण थी।
- 1914-45 के बीच; देशों ने फिक्स्ड (सोना) और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के मिश्रण को अपनाया।

ब्रेटन वुड्स प्रणाली

- 1944 में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने **IMF** और विश्व बैंक की स्थापना की। यह निश्चित विनिमय दरों की प्रणाली को वापस लाया।
- यह संपत्ति के चुनाव में पहले इस्तेमाल किए गए सोने के मानक से अलग था जिसमें राष्ट्रीय मुद्राओं को परिवर्तित किया जा सकता था।
- केंद्र में **USD के साथ एक द्वि-स्तरीय परिवर्तनीयता प्रणाली स्थापित की गई थी:**
  - **USD** को प्रति औंस 35 डॉलर में सोने में बदला जा सकता है।
  - इस प्रणाली में भाग लेने वाले प्डथ सदस्यों का प्रत्येक मौद्रिक प्राधिकरण अपनी मुद्रा को एक निश्चित मूल्य पर **USD** में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे "आधिकारिक विनिमय दर" कहा जाता था।
- **USD** को केंद्र में क्यों रखें?
  - यह प्रणाली आवश्यक थी क्योंकि अमेरिका के पास आधिकारिक स्वर्ण भंडार का 70% था। साथ ही मौजूदा सोने का स्टॉक बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगा।
  - **WW**2 के बाद, बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण परियोजनाओं और आयात बिलों ने देशों के भंडार को कम कर दिया। ऐसा करने की पहले की प्रतिबद्धता के कारण अधिकांश देशों के पास अपने भंडार में मुख्य घटक के रूप में ब्नै था।
- **उपरोक्त प्रणाली के साथ समस्या यह** थी कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के ठवच घाटे का विस्तार जारी रहा; तब विदेशी मुद्राओं को सोने में बदलने की इसकी क्षमता में विश्वास खत्म हो जाएगा। यह ऐसा होगा:
  - दूसरे देशों को अपनी मुद्रा को सोने में बदलने के लिए भारी प्रोत्साहन दें।
  - इस प्रकार अमेरिका को अपनी प्रतिबद्धता पूरी नहीं करने के लिए मजबूर करना (वह एक बार में सभी की मुद्रा को सोने में परिवर्तित नहीं कर सका)।
- इस समस्या को "ट्रिफिन दुविधा" कहा गया (रॉबर्ट ट्रिफिन ब्रेटन वुड्स प्रणाली के आलोचक थे)। उन्होंने एक समाधान प्रस्तावित किया:
- **आईएमएफ को सदस्यों के केंद्रीय बैंकों के लिए जमा बैंक में बदलना चाहिए।**
- **आईएमएफ के तहत एसडीआर नामक एक नई आरक्षित मुद्रा बनाएं।**
- **इस प्रणाली का भंग होना**
- 1967 में पाउंड के अवमूल्यन, यूएसडी से गोल्ड तक उड़ान और ब्रिटिश की मांग है कि यूएस अपने यूएसडी होल्डिंग्स के गोल्ड वैल्यू की गारंटी देता है, जैसी घटनाओं के कारण ब्रेटन वुड्स सिस्टम भंग हो गया।
- अमेरिका ने डॉलर और सोने को अलग कर दिया और कहा कि अब वह सोने के हर औंस के लिए 35 डॉलर देने को तैयार नहीं है।

- यूके, जापान और स्विटजरलैंड जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने जल्द ही 1970 के दशक में फ्लोटिंग विनिमय दरों को अपनाना शुरू कर दिया।
- आईएमएफ के लेखों को 1976 में संशोधित किया गया था, जो अब देशों को या तो अपनी मुद्राओं को फ्लोट करने की अनुमति देता है या इसे एक मुद्रा या मुद्राओं की एक टोकरी या एसडीआर के लिए तय करता है।
- आंकी गई दरों को नियंत्रित करने और फ्लोटिंग विनिमय दरों को नियंत्रित करने के लिए पर्यवेक्षण के लिए कोई नियम नहीं हैं।

आईएमएफ विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)

- **1967 में विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)** ने सोने की जगह ले ली और इसे "पेपर गोल्ड" कहा गया। उसके बाद से सोने के प्रति औंस एसडीआर के मूल्य को कई बार पुनर्परिभाषित किया गया है।
- वर्तमान में एसडीआर की गणना प्रतिदिन डॉलर के संदर्भ में 4 मुद्राओं (यूरो, येन, यूएसडी और पाउंड स्टर्लिंग) के मूल्य के भारित योग के रूप में की जाती है।
- **IMF** के सदस्य **SDR** को आरक्षित मुद्रा के रूप में और विभिन्न केंद्रीय बैंकों के बीच राष्ट्रीय मुद्रा के बदले भुगतान के साधन के रूप में उपयोग करते हैं।
- मूल रूप से, **SDR** को उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा मापे गए देश के आर्थिक महत्व के अनुसार वितरित किया गया था।

विस्तारित निधि सुविधा (EFF)

- आईएमएफ द्वारा सदस्यों के लिए एक सेवा, जो उन्हें अपने बीओपी संकट को दूर करने के लिए आईएमएफ से विदेशी मुद्रा की किसी भी राशि को बढ़ाने की अनुमति देती है।
- आईएमएफ द्वारा अनुशंसित देश में संरचनात्मक सुधारों के लिए शर्तें हैं।
- यह अपनी तरह का पहला समझौता था जिस पर भारत ने 1981-82 में हस्ताक्षर किए थे। भारत को ऋण प्राप्त करने के लिए आईएमएफ की कठोर शर्तों का भी सामना करना पड़ा।

वर्तमान व्यवस्था

- यूरोपीय मौद्रिक संघ 1999 में बनाया गया था और यह यूरो नामक एक नई मुद्रा शुरू करने के साथ-साथ एक निश्चित दर प्रणाली(पि॰मक तंजम`लेजमउ) के लिए चला गया।
- आज कई देशों में एक निश्चित विनिमय दर एक मुद्रा से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए कई अफ्रीकी देशों ने अपनी मुद्राओं को फ्रैंक से जोड़ा; अन्य मुद्रा की एक टोकरी के लिए।
- **मुद्रा बोर्ड प्रणाली को 1991** में अर्जेंटीना द्वारा अपनाया गया था। यहाँ विनिमय दर कानून द्वारा यूएसडी के साथ तय की गई थी। केंद्रीय बैंक ने घरेलू मुद्रा और पहले से जारी भंडार को वापस करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा बनाए रखी।
  - इस व्यवस्था में अर्जेंटीना इच्छा पर अपनी मुद्रा आपूर्ति का विस्तार नहीं कर सकता।
  - साथ ही, ऐसी स्थिति में जब घरेलू बैंकों को किसी संकट के कारण उधार लेने की आवश्यकता हो; केंद्रीय बैंक अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य नहीं कर सकता (क्योंकि यह वसीयत में धन की आपूर्ति का विस्तार नहीं कर सकता है)।
  - इन सीमाओं और वित्तीय संकट के कारण; अर्जेंटीना ने इस प्रणाली को छोड़ दिया और 2002 में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के लिए चला गया।
- **डॉलरकरण** एक अन्य प्रणाली है जिसे 2000 में इक्वाडोर द्वारा अपनाया गया था।
- इसने घरेलू मुद्रा को त्याग दिया और USD को अपनाया। सभी कीमतें यूएसडी में हैं और स्थानीय मुद्रा का अब उपयोग नहीं किया जाता है।
- इक्वाडोर ने मूल रूप से यूएस के फेडरल बैंक को पैसे की आपूर्ति सौंपी है।
- इस प्रकार इक्वाडोर की मुद्रा आपूर्ति अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है।
- इस प्रकार, विनिमय दरों को निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रणालियाँ हैं।
- बाजार की ताकतें मूल रुझान निर्धारित करती हैं और दैनिक आधार पर दरों में थोड़ा बदलाव करती हैं।
- फिक्स्ड एक्सचेंज का मतलब आमतौर पर एक सीमा होती है जिसके भीतर सरकारें दर रखने की कोशिश करती हैं; और सचमुच उन्हें ठीक नहीं कर रहा है।
- विनिमय दर निर्धारित करने में सोने का महत्व और भूमिका लगभग शून्य हो गई है।

रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण और इसके लाभ

- यह एक ऐसी स्थिति है जब सीमा पार लेनदेन में रुपये **(INR)** का उपयोग बढ़ जाता है।
- यह रुपये के लेन-देन (यूएसडी या अन्य मुद्राओं के बजाय) के आधार पर आयात और निर्यात को बढ़ावा देकर किया जाता है; आईएनआर में अन्य चालू खाता लेनदेन करना और पूंजी खाता लेनदेन के लिए वही करना।
- **इस कदम के लाभ और नुकसान हैं:**

लाभ	जोखिम/नुकसान
• यह व्यवसायों के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है क्योंकि बाह्य कारक व्यवसाय को उतना प्रभावित नहीं कर सकते। • व्यवसाय करने की लागत कम करता है और व्यावसायिक संभावनाओं में सुधार करता है। • विदेशी मुद्रा भंडार रखना कम महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम **INR** में अधिक से अधिक व्यवहार करेंगे। • सहजता आदि जैसे बाह्य झटकों के प्रति भारत कम संवेदनशील होगा। • भारतीय व्यवसायों की सौदेबाजी की शक्ति में सुधार होगा क्योंकि प्छत दुनिया भर में अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। • विश्व स्तर पर भारत का सम्मान और कद बढ़ेगा।	• अनिवासी भारतीय संपत्ति हासिल करने के लिए **INR** धारण कर सकते हैं जिससे भेद्यता बढ़ेगी। • विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता उस स्तर तक कम हो जाएगी कि हमारे व्यापार घाटे को **INR** में वित्तपोषित किया जाएगा। • लोगों के लिए **INR** को अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करना और पूंजी के बहिर्वाह के कारण होने वाले संकट की स्थिति में बाहर जाना आसान हो जाएगा।

- **अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में उठाए गए कदम:**
  - अब **ECB's (Eñternal Commercial Borrowings)** को **INR** में लिया जा सकता है।
  - जुलाई 2022 में **RBI** ने **INR** में बाह्य व्यापार के निपटान की अनुमति दी।
  - भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बांड बाजार में अधिशेष **INR** निवेश करने की अनुमति दी।
  - एशियाई समाशोधन संघ एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा है जहाँ देशों के पास व्यापार व्यवस्थाओं में घरेलू मुद्राओं का उपयोग करने का विकल्प हो सकता है।

दुर्लभ और सुलभ मुद्रा की अवधारणा

- **एक दुर्लभ मुद्रा** वह है जो विश्व स्तर पर सर्वोच्च विश्वास रखती है और हर देश में इसकी मांग की जाती है।
- यह तब होता है जब किसी अर्थव्यवस्था में उच्चतम और साथ ही अत्यधिक विविध निर्यात होता है; दूसरों को उस देश से आयात पर भरोसा करने के लिए मजबूर करना और इस प्रकार इसकी मुद्रा की मांग पैदा करना। उदाहरण के लिए अमरीकी डालर
- **WW2** तक, ब्रिटेन की पाउंड स्टर्लिंग सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ मुद्रा थी। **WW2** के बाद इसे **USD** से बदल दिया गया।
- आज विश्व की दुर्लभ मुद्राएँ हैं- यूएसडी, यूके का पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, जापानी येन।
- 2015 में, **IMF** ने **SDR** को चीनी युआन में अंकित करने की अनुमति दी; इस प्रकार एक नई दुर्लभ मुद्रा बनने का मार्ग प्रशस्त किया।
- **एक सुलभ मुद्रा** एक ऐसी मुद्रा है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में अपने विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है। यह दुर्लभ मुद्रा के विपरीत है। उदाहरण के लिए भारतीय रुपया भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में सुलभ मुद्रा है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है: (2015)

(*a*) वस्तुओं और सेवाओं

(*b*) सोना और चांदी

(*c*) डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएँ

(*d*) निर्यात योग्य अधिशेष

उत्प्रवाही मुद्रा

- यह वह दुर्लभ मुद्रा है जो बहुत तेजी से बाजार से बाहर निकल रही है। उदाहरण के लिए 1990 के दक्षिण पूर्व एशियाई संकट के दौरान; **USD** उत्प्रवाही मुद्रा थी क्योंकि यह उस क्षेत्र के देशों से बहुत जल्दी निकल गई।
- यह किसी भी दुर्लभ मुद्रा के लिए एक अस्थायी नाम हो सकता है।

गरम मुद्रा

- यह देश से एक कठिन मुद्रा के बाहर निकलने के कारण मूल्यह्रास के उच्च दबाव वाली मुद्रा है।
- इसे ताप या हथौड़े से चलने वाली मुद्रा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में दक्षिण पूर्व एशियाई संकट के दौरान इंडोनेशियाई रुपया।

सस्ती मुद्रा/पैसा

- 1930 के दशक में पहली बार अर्थशास्त्री जेएम केनीज द्वारा इस्तेमाल किया गया था।
- जब कोई सरकार अपने द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को परिपक्व होने से पहले पूरी कीमत पर वापस खरीदना शुरू करती है; फिर, जो मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रवाहित होती है, उसे सस्ती मुद्रा या मुद्रा कहा जाता है।
- यह कम/नरम ब्याज दरों की अवधि लाता है।

प्रिय मुद्रा

- यह सस्ते पैसे के विपरीत स्थिति है।
- ऐसा तब होता है जब जारी किए गए बॉन्ड खरीदने के परिणामस्वरूप जनता का पैसा सरकार के पास जाता है।
- कीन्स द्वारा पहली बार इसका इस्तेमाल भी किया गया था।
- यह महंगी/उच्च ब्याज दरों की अवधि लाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

- इस बारे में नीति की घोषणा 2000 में की गई थी लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में ही आया।
- देश में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए "निर्यात केंद्र" स्थापित करने का विचार था।
- 1965 में कांडला में **"निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र"** के रूप में एक समान विचार लागू किया गया था। बाद में इसे **"निर्यात उन्मुख क्षेत्र" में बदल दिया गया।**
- पुराने ईपीजेड और ईओयू अब एसईजेड में परिवर्तन के लिए खुले हैं।
- **इसे कौन सेट कर सकता है?**
  - अर्थव्यवस्था के सभी तीन क्षेत्रों यानी कृषि, उद्योग और सेवाओं में या तो भारत सरकार या राज्यों या निजी क्षेत्र द्वारा।
- **सिद्धांत उद्देश्य**
  - अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन;
  - माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना;
  - घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना;
  - रोजगार के अवसरों का सृजन; और
  - अवसंरचना सुविधाओं का विकास।
- मार्च 2021 तक, 378 **SEZ** वर्तमान में अधिसूचित हैं, जिनमें से 265 चालू हैं।
  - **SEZ** अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले **7 केंद्र सरकार के विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** और 12 राज्य/निजी क्षेत्र के **SEZ** थे।
- इसके अलावा, देश में एसईजेड की स्थापना के 425 प्रस्तावों को एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत औपचारिक मंजूरी दी गई है।

सामान्य परिहार विरोधी नियम (गार)

- प्रारंभ में प्रत्यक्ष कर कोड 2009 में प्रस्तावित किया गया था लेकिन 2012 के बजट में पेश किया गया था। यह 2017 से लागू हुआ और 2018-19 से लागू है।
- उन्हें उन कंपनियों को लक्षित करने के लिए लाया गया था जो विशेष रूप से करों से बचने के लिए व्यवस्था या लेनदेन करती हैं। भारत में, वोडाफोन-हच समझौता और बाद में करों को लेकर भारत सरकार के साथ विवाद; गार के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
- यह आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आता है और राजस्व विभाग **(Mo Finance)** इन नियमों को तैयार करता है।
- **कर से बचाव** तब होता है जब कंपनियाँ कानूनी सीमा के भीतर रहते हुए करों का भुगतान करने से बचने के लिए कई खामियों का इस्तेमाल करती हैं। वहीं, टैक्स चोरी करने वाले सरकार को बकाया टैक्स नहीं दे रहे हैं. यह अवैध है।
- मुख्य उद्देश्य "पदार्थ पर रूप" के सिद्धांत को संहिताबद्ध करना है। लेन-देन या व्यवस्था की कानूनी संरचना के बावजूद, कराधान के उद्देश्यों के लिए वास्तविक इरादे का हिसाब लगाया जाता है।
- यह तब प्रभाव में आता है जब कोई व्यवस्था की जाती है, जहाँ मुख्य उद्देश्यों में से एक कर लाभ प्राप्त करना है।

विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार/परिसंपत्ति

- यह एक विशेष समय में एक राष्ट्र के पास मौजूद विदेशी मुद्राओं की कुल राशि है।
- **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - सोने का भंडार
  - एसडीआर- आईएमएफ में आयोजित विशेष आहरण अधिकार
  - **RTP's-IMF** में रिवर्स ट्रेंच पोजिशन
- **RBI के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस प्रकार है (जून 2021 तक):**
  - जून 2021 तक 610 बिलियन अमरीकी डालर का भंडार।
  - भंडार के मामले में भारत चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद 5वां सबसे बड़ा देश बन गया।
  - 18 महीने से अधिक का आयात कवर प्रदान करता है जो किसी भी वैश्विक संकट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित मदों में से कौन सा समूह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है? (2013)

(*a*) विदेशी-मुद्रा संपत्तियाँ, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और विदेशों से ऋण

(*b*) विदेशी-मुद्रा संपत्तियाँ, आरबीआई और एसडीआर की सोने की होल्डिंग

(*c*) विदेशी मुद्रा संपत्ति, विश्व बैंक और एसडीआर से ऋण

(*d*) विदेशी-मुद्रा संपत्तियाँ, आरबीआई की स्वर्ण होल्डिंग्स और विश्व बैंक से ऋण

मात्रात्मक सहजता और संघीय टेपरिंग की अवधारणा

- **मात्रात्मक सहजता** एक मौद्रिक नीति है जहाँ एक केंद्रीय बैंक (आमतौर पर यूएस फेडरल बैंक) ब्याज दरों को कम करने और पैसे की आपूर्ति बढ़ाने के लिए खुले बाजार से सरकारी बांड और प्रतिभूतियाँ खरीदता है।
- क्यूई बैंक को तरलता प्रदान करता है जिसका उपयोग वे कम ब्याज दर पर पैसा उधार देने के लिए कर सकते हैं जो तब अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करता है।
- **QE** का आमतौर पर उपयोग तब किया जाता है जब ब्याज दरें शून्य के करीब पहुंच जाती हैं और फिर भी लोग उधार नहीं ले रहे हैं और विकास नहीं हो रहा है।
- यह 2008 के संकट के साथ-साथ कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के बाद इस्तेमाल किया गया उपकरण था। हालांकि, परिणामों को गिनना मुश्किल है।
- विश्व स्तर पर इसका उपयोग अपस्फीति और मंदी को रोकने के लिए किया जाता है। आम तौर पर यह बचतकर्ताओं की तुलना में उधारकर्ताओं और गैर-निवेशकों की तुलना में निवेशकों का पक्ष लेता है।
- यह नोट छापने या हेलीकाप्टर नकदी के समान नहीं है; चूंकि क्यूई में पैसा बैंकों में जाता है न कि सीधे लोगों के हाथों में।

क्यूई के जोखिम

- **मुद्रास्फीति** - बढ़ी हुई मुद्रा आपूर्ति के कारण लोग अधिक खर्च कर सकते हैं और इस प्रकार मांग में वृद्धि होगी जबकि आपूर्ति को बढ़ाने में समय लगेगा; यह मुद्रास्फीति का कारण बनता है।
- **सीमित ऋण देना**- बैंकों को अधिक धन की आपूर्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी व्यवसाय या लोग अन्य कारणों से उधार लेने से मना कर देते हैं। इसलिए जहाँ बैंकों में पैसा पड़ा रहता है वहाँ साख की कमी पैदा हो जाती है।
- **मुद्रा का अवमूल्यन करना**- जैसे- जैसे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है; घरेलू मुद्रा का मूल्य घटता है। इससे निर्यातकों को मदद मिल सकती है लेकिन इससे आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है।
- **संघीय टेपरिंग/टेपरिंग क्यूई** नीतियों का उत्क्रमण है। इसे एक केंद्रीय बैंक द्वारा भी लागू किया जाता है।
- यह एक बार किया जाता है जब केंद्रीय बैंक का मानना है कि अर्थव्यवस्था मंदी से उबर चुकी है और अब आसान धन या विस्तारित मौद्रिक नीति की आवश्यकता नहीं है।
- यह एक बार अपना काम पूरा करने के बाद मात्रात्मक सहजता के दौरान उठाए गए कदमों से पीछे हटना है।
- सेंट्रल बैंक ने परिसंपत्ति को धीमा करने, परिपक्व करने या बेचने की घोषणा की।
- प्रोत्साहन में कमी के कारण फेडरल टैपिंग के लिए निवेशकों द्वारा टेंपर टैंट्रम्स एक संभावित ओवररिएक्शन है।

धन प्रेषण

- सामान्य तौर पर, यह किसी बिल या चालान का कोई भुगतान होता है। लेकिन आमतौर पर इसका मतलब है कि किसी दूसरे पक्ष को भेजा गया पैसा, आमतौर पर किसी दूसरे देश में।
- यह आमतौर पर विदेश में किसी व्यक्ति से उसके परिवार के किसी व्यक्ति को भेजा जाता है।
- ये आम तौर पर किसी देश को प्राप्त होने वाले निवेश और फंड सहायता से अधिक होते हैं।
- वे निम्न और निम्न-मध्य अर्थव्यवस्थाओं में लोगों के लिए प्रमुख आय स्रोत हैं।
- **विश्व बैंक के अनुसार;** भारत को 2021 में 87 बिलियन अमरीकी डालर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ।
- **RBI** के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं:
  - **आवक:** ये हैं आमतौर पर सहायक परिवारों के लिए विदेश से भारत में धन हस्तांतरित किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में एक एनआरआई भारत में अपने परिवार को पैसा भेजता है।
  - **जावक:** ये भारत से बाहर स्थानांतरित किए गए धन हैं। उदारीकृत धन प्रेषण योजना के तहत सीमा प्रति वित्तीय वर्ष 2.5 लाख अमरीकी डालर है। उदाहरण के लिए माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारत से अमेरिका में पैसा भेज रहे हैं।
- **धन प्रेषण भेजने के तरीके हैं:** बैंक, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डिजिटल वॉलेट, वायर ट्रांसफर इत्यादि।
- **महत्व**
  - भारत में परिवारों और व्यक्तियों की मदद करता है।
  - समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए लाभ, क्योंकि यह व्यापार घाटे को वित्तपोषित कर सकता है, खपत में वृद्धि कर सकता है, विदेशी मुद्रा भंडार का स्रोत हो सकता है, लाभान्वित होने वाले लोग बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल आदि का खर्च उठा सकते हैं।

- **नुकसान**
- स्थानान्तरण की उच्च लागत। विशेष रूप से उन देशों में जो उन्हें वायर ट्रांसफर तक सीमित रखते हैं जिनकी ट्रांसफर लागत सबसे अधिक है।
- आतंकवाद और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है।
- धन प्रेषण रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को शायद ही कभी सार्वजनिक किया जाता है।

सॉवरेन वेल्थ फंड/सॉवरेन इनवेस्टमेंट फंड

- यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राज्य के स्वामित्व वाला एक निवेश कोष है और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
- यह वास्तविक और वित्तीय संपत्तियों जैसे बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट और कीमती धातुओं के लिए एक निवेश कोष है। यह प्राइवेट इक्विटी फंड जैसे वैकल्पिक फंड में भी निवेश कर सकता है।
- ये किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा वित्त पोषित होते हैं और उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- किसी भी अन्य निवेश कोष की तरह उनके अपने उद्देश्य, जोखिम सहनशीलता, चिंताएं आदि हैं।
- **एसडब्ल्यूएफ के प्रकार:**
  - स्थिरीकरण निधि
  - बचत या भविष्य की पीढ़ी के फंड
  - सार्वजनिक लाभ और पेंशन आरक्षित निधि
  - आरक्षित निवेश कोष
  - सामरिक विकास सॉवरेन वेल्थ फंड **(SDSWF)**
  - विशिष्ट उद्योगों को लक्षित करने वाले फंड (संभवत: उभर रहे या संकटग्रस्त)
  - विदेशी मुद्रा आरक्षित संपत्ति। (सभी देश इसे एसडब्ल्यूएफ नहीं मानते हैं)।
- **एसडब्ल्यूएफ का महत्व:**
  - वे बजट अधिशेष या अंतर्राष्ट्रीय ऋण स्थिति के दौरान सरकारों की मदद कर सकते हैं।
  - उनके पास पारंपरिक विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में अधिक जोखिम सहनशीलता है।
  - कच्चे उत्पादों (तेल, खनिज आदि) का निर्यात करने वाले देश अतिरिक्त तरलता को तत्काल उपभोग के लिए धन के रूप में नहीं रख सकते। वे इसे एसडब्ल्यूएफ के रूप में रखना पसंद करते हैं जो किसी भी निर्यात संकट से बचाव के लिए विविध क्षेत्रों में निवेश करता है। जैसे खाड़ी देश।
  - यह युद्ध या मंदी जैसे अनिश्चित समय के दौरान सामरिक संसाधन के रूप में कार्य कर सकता है।
- एसडब्ल्यूएफ में निवेश की शर्तें देश से देश और फंड से फंड में भिन्न होती हैं। जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें बनाया या भंग किया जा सकता है।
- एसडब्ल्यूएफ के जोखिम हैं कि वे राजनीतिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं और कुछ अपने निवेश और शासन नीतियों को प्रकट नहीं करते हैं।

सरकार द्वारा किए गए व्यापार संवर्धन उपाय:

- **ई-फाइलिंग और ई-भुगतान:** आवेदन ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं और भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। निर्यात और आयात के दस्तावेजों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई है।
- **सीमा शुल्क के लिए एकल खिड़की:** आयातक और निर्यातक दोनों सीमा शुल्क को अपनी मंजूरी ऑनलाइन जमा करते हैं। इस विंडो के माध्यम से ही अन्य अनुमतियाँ ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती हैं।
- 24×7 **सीमा शुल्क निकासी उपलब्ध है।** इससे निकासी के लिए समय और लागत कम हो जाती है।
- **पेपरलेस वातावरण** की ओर बढ़ना है।
- **WRT** फॉर्म और निकासी के आयात और निर्यात के लिए सरलीकृत प्रक्रिया।
- **प्रशिक्षण आउटरीच:** निर्यात निर्यात प्रोत्साहन परिषदों (ईपीसी), उद्योग और ज्ञान भागीदारों की मदद से एमएसएमई समूहों में लोगों को कौशल प्रदान करने के लिए बंधु योजना।
- **व्यापार विकास और संवर्धन परिषद** के माध्यम से जुड़ाव के माध्यम से राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की भागीदारी ।
- मंत्रालयों या नियामक निकायों द्वारा सीधे **गैर-स्वचालित मार्ग के माध्यम से एफडीआई पर विचार किया जाएगा।**
- **एंजेल टैक्स सुधार: सरकार** स्टार्टअप्स में निवेश पर 30% टैक्स लगाती थी। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसमें ढील दी गई है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (2020)

1. भारत का व्यापारिक निर्यात इसके व्यापारिक आयात से कम है।
2. हाल के वर्षों में भारत के लोहे और इस्पात, रसायन, उर्वरक और मशीनरी के आयात में कमी आई है।
3. भारत का सेवाओं का निर्यात इसके सेवाओं के आयात से अधिक है।
4. भारत समग्र व्यापार/चालू खाता घाटे से ग्रस्त है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) 1 और 2 केवल

(*b*) केवल 2 और 4

(*c*) केवल 3

(*d*) केवल 1, 3 और 4

निर्यात प्रोत्साहन योजना

- **MEIS या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम:** 2015 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य भारत में बने उत्पादों के निर्यात के संबंध में ढांचागत लागत और अक्षमताओं को कम करना है। 2020 में, सरकार ने इस योजना को **RoDTEP** नामक एक नई योजना से बदलने का निर्णय लिया।
- **RoDTEP या निर्यात उत्पादों पर कर्तव्यों या करों की छूट पुराने MEIS** को बदलने के लिए 2020 में शुरू की गई एक **WTO** सुसंगत योजना है। इसने भारत से निर्यात बढ़ाने में मदद करने के लिए ळैज में इनपुट टैक्स क्रेडिट **(ITC)** के लिए एक पूरी तरह से स्वचालित मार्ग पेश किया। निर्यातकों के लिए कर निर्धारण पूरी तरह से स्वचालित हो जाएगा।
- **SEIS** या भारत से सेवा निर्यात योजना: सेवाओं के निर्यातकों को उनकी शुद्ध विदेशी मुद्रा आय पर पुरस्कार दिया जाता है।
- **ईपीसीजी या एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम:** भारतीय निर्यातकों को शून्य-सीमा शुल्क पर प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कैपिटल गुड्स आयात करने की अनुमति देता है। बदले में निर्यातकों पर कुछ निश्चित निर्यात राशि स्तरों को पूरा करने का दायित्व होता है।
- **एएएस या उन्नत प्राधिकरण योजना:** यह इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देता है जो निर्यात उत्पादों में भौतिक रूप से शामिल होते हैं।
- **डीएफआईए या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण:** यह उन उत्पादों के लिए निर्यात के बाद के आधार पर जारी किया जाता है जिनके मानदंडों को अधिसूचित किया गया है। निर्यात पूरा होने के बाद यह प्राधिकरण को स्थानांतरित करता है।
- **ब्याज समानीकरण योजना:** 2015-20 के बीच शुरू की गई; इसे भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। पात्र निर्यातक ब्याज समानीकरण का लाभ उठा सकते हैं।
- **निर्यात उन्मुख इकाइयाँ (ईओयू),** सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी), इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), **बायोटेक्नोलॉजी पार्क (बीटीपी): इन चारों का उद्देश्य निर्यात** में सुधार करना, विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार पैदा करना है।
- **विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए टीएमए या परिवहन और विपणन सहायता योजना:** विशिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए उच्च परिवहन लागत को कम करने के लिए 2019 में शुरू की गई। विशिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए भी।
- **निर्यात योजनाओं के लिए TIES या व्यापार अवसंरचना:** इसका उद्देश्य राज्यों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात अवसंरचना विकसित करने में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सहायता करना है। अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

द्विपक्षीय निवेश संधि और बीआईपीए

- 1991 के सुधारों का एक उद्देश्य भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। उस उद्देश्य के लिए; भारत ने 83 द्वि पक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) (2020 तक) पर हस्ताक्षर किए हैं और इन बीआईटी को विभिन्न देशों के साथ द्वि पक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौते (बीआईपीए) कहा जाता है।
- **इसका उद्देश्य** विदेशी निवेश के प्रवाह और बहिर्वाह को बढ़ाना है। वे समान अवसर, गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार और विवाद समाधान के लिए एक स्वतंत्र मंच का वादा करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं।
- सरकार ने निम्नलिखित पर फिर से बातचीत करने के लिए 2016 में एक नया बीआईटी मॉडल पेश किया:
  - बीआईपीए
  - व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए)।
  - व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए)।
  - मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

2016 बिट मॉडल की विशेषताएं हैं

- निवेश की **"उद्यम आधारित" परिभाषा देता है।**
- नियत प्रक्रिया के माध्यम से निवेशकों के साथ गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार।
- **राष्ट्रीय उपचार** यानी घरेलू और विदेशी निवेशकों के साथ समान व्यवहार और अधिकार, जबकि वे देश में निवेशित हैं।
- **संपत्ति हड़पने के खिलाफ संरक्षण** यानी राज्य या कोई अन्य प्राधिकरण सिर्फ सार्वजनिक उपयोग के लिए एक निजी संपत्ति नहीं ले सकता है।
- **एक परिष्कृत निवेशक राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस)** प्रावधान। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए जाने से पहले निवेशकों को पहले स्थानीय उपायों का इस्तेमाल करना होगा।
- **ISDS** अकेले मौद्रिक मुआवजा प्रदान करेगा।
- सरकारी खरीद, कराधान, सब्सिडी, अनिवार्य लाइसेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा (सरकार के नियामक प्राधिकरण को संरक्षित करने के लिए) जैसे **मामले शामिल नहीं हैं ।**

क्षेत्रीय व्यापार समझौते

- ये व्यापार समझौते हैं जिनका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करना है।
- वे बड़े पैमाने पर प्रकृति में राजनीतिक हैं और वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के तहत बहुपक्षीय वार्ताएं बहुत धीमी थीं।
- वे विश्व व्यापार संगठन के आदेशों का व्यापक रूप से अनुपालन करते हैं और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के समर्थक बने रहते हैं; लेकिन अभी भी केवल दूसरे-सर्वश्रेष्ठ समाधान हैं।
- वे गैर-सदस्यों के लिए भेदभावपूर्ण हैं और कम दक्षता रखते हैं क्योंकि ऐसे सदस्य जो महंगे उत्पादों का उत्पादन करते हैं वे हार जाते हैं।
- द्विपक्षीय आरटीए (यानी दो देशों के बीच) बहुपक्षीय आरटीए (आरसीईपी, टीपीपी आदि) से अधिक न्यायसंगत हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे/गरीब देश हार जाते हैं चाहे वे आरटीए में हों या नहीं।
  - छोटे/गरीब देश बड़े और अमीर देशों की उत्पादकता की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार यदि वे आरटीए के सदस्य हैं; उनके बाजार सस्ते सामानों से भर जाएंगे और इसलिए घरेलू उद्योग को नुकसान होगा।
  - अगर वे आरटीए में नहीं हैं; वे बड़े देशों को निर्यात करने के अवसरों से चूक जाएंगे।
- भारत आरटीए का समर्थक रहा है। 2020 के मध्य तक; हम कुल 16 आरटीए का हिस्सा थे जिनमें शामिल थे:
  - 10 मुक्त व्यापार समझौते।
  - 6 अधिमानी व्यापार समझौते।
- बदलते वैश्विक व्यापार रुझानों में; भारत बहुपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है लेकिन द्विपक्षीय और क्षेत्रीय अवसरों को भी नहीं छोड़ रहा है।
- भारत ने 2020 में **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर होने का विकल्प चुना।**
- यह आरटीए था जिस पर 2013 से 16 देशों के बीच बातचीत चल रही थी- 10 आसियान सदस्य, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत।
- **भारत ने निम्नलिखित कारणों से शामिल नहीं होना चुना:**
  - अधिकांश आरसीईपी सदस्यों के साथ व्यापार का प्रतिकूल संतुलन।
  - चीनी उपस्थिति भारत के घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे पास उनके साथ पहले से ही एक बड़ा घाटा है।
  - भारत आयात शुल्क लगाने के लिए एक "ऑटो-ट्रिगर तंत्र" की मांग कर रहा था जब आयात एक सीमा से अधिक हो गया था।
  - "ओरिजिन के नियम" पर असहमति।
  - घरेलू उद्योगों जैसे स्टील, डेयरी आदि का संरक्षण।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये (2018)

1. ऑस्ट्रेलिया
2. कनाडा
3. चीन
4. भारत
5. जापान
6. यूएसए

उपरोक्त में से कौन से आसियान श्मुक्त-व्यापार भागीदारोंश में से हैं?

(*a*) 1, 2, 4 और 5
(*b*) 3, 4, 5 और 6
(*c*) 1, 3, 4 और 5
(*d*) 2, 3, 4 और 6

❖ ❖ ❖

19 विनिमय दर प्रणाली

विनिमय दरों की अवधारणा

- किसी भी संप्रभु देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किसी अन्य विदेशी मुद्रा के खिलाफ अपनी मुद्रा की कार्यशील विनिमय दर स्थापित करने के लिए एक विनिमय दर व्यवस्था अपनाई जाती है।
- इसी प्रकार भारत में विनिमय दर व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कवर की जाती है जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है।
- जैसा कि एक वैश्वीकृत दुनिया में प्रत्येक देश दूसरे देश को प्रभावित करता है, इसकी विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली दूसरों के सापेक्ष अपनी मुद्रा की गति की निगरानी करती है।

भारत में विनिमय दर प्रबंधन के उद्देश्य

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के बुनियादी आर्थिक मूल तत्व मुद्रा के बाहरी मूल्य को सटीक रूप से प्रतिबिंबित कर रहे हैं।
- विनिमय दर अस्थिरता को कम करने के लिए।
- विदेशी मुद्रा भंडार का उचित स्तर बनाए रखते हुए बाहरी झटकों के प्रति लचीला होना।

भारत की विनिमय दर के निर्धारक

- **मुद्रास्फीति:** मुद्रास्फीति के अंतर इस बात का आधार हैं कि अलग-अलग मुद्राओं की क्रय शक्ति अलग-अलग क्यों होती है और इस प्रकार मुद्रा की दरें अलग-अलग होती हैं।
- **ब्याज दर:** यदि किसी देश की ब्याज दर बहुत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो मुद्रास्फीति बढ़ना शुरू हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है।
- **सार्वजनिक ऋण:** यदि सरकारी गहराई का स्तर आर्थिक विकास से आगे निकल जाता है तो यह मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है और साथ ही विदेशी निवेश को रोक सकता है। यह संचयी कारक मुद्रा के अवमूल्यन की ओर जाता है।
- **राजनीतिक स्थिरता:** यदि कोई देश स्थिर है तो यह विदेशी निवेश को आकर्षित करता है जो मुद्रा की सराहना करने में मदद करता है इसी तरह अस्थिरता मूल्यह्रास पैदा करती है।
- **व्यापार संतुलन:** यदि किसी देश का व्यापार संतुलन सकारात्मक है तो इसका तात्पर्य है कि इसका निर्यात इसके आयात से अधिक है, उस स्थिति में, विदेशी मुद्रा का शुद्ध प्रवाह होता है जो स्थानीय मुद्रा विनिमय दर की सराहना करता है।
- **विश्वास या सट्टा:** यह विनिमय दर को भी प्रभावित कर सकता है।

भारत में विनिमय दर शासन

फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट

- यह एक **बाजार-निर्धारित विनिमय दर है** जिसमें विदेशी मुद्रा बाजार अन्य मुद्राओं के संबंध में आपूर्ति और मांग के आधार पर देशों की मुद्रा का मूल्य निर्धारित करता है।
- निश्चित विनिमय दरों वाली मुद्राओं के विपरीत फ्लोटिंग विनिमय दरों वाली मुद्राओं का **बिना किसी प्रतिबंध के कारोबार** किया जा सकता है।
- हालांकि फ्लोटिंग विनिमय दर पूरी तरह से सरकार और केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, केंद्रीय बैंक वैश्विक व्यापार के लिए मुद्रा को स्थिर रखने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं।

फ्लोटिंग विनिमय दर के लाभ

- **भुगतान संतुलन में स्थिरता** उदाहरण के लिए, यदि घाटा होता है, तो देशों को सस्ता निर्यात करने के लिए मुद्रा का मूल्यह्रास करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप हालिया मांग और अंततः भुगतान संतुलन में साम्य हो जाता है।।
- **विदेशी मुद्रा प्रतिबंधित नहीं है:** यानी फ्लोटिंग विनिमय दर मुद्राओं में गैर प्रतिबंधित व्यापार।
- **बाजार दक्षता बढ़ती है:** क्योंकि देश के मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल वैश्विक बाजार में फ्लोटिंग विनिमय दर को प्रभावित करते हैं।
- **बड़े विदेशी मुद्रा भंडार की कोई आवश्यकता नहीं:** क्योंकि विनिमय दर का बचाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की सीमाएं

- **विनिमय दर की अस्थिरता का जोखिम:** चूंकि दरें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं।
- प्रतिबंधित आर्थिक विकास और पुनर्प्राप्ति उदाहरण के लिए यदि डॉलर यूरो के मुकाबले बढ़ता है तो अमेरिका से यूरोजोन को निर्यात करना अधिक कठिन होगा।

फिक्स्ड या पेग्ड एक्सचेंज रेट

- इस प्रणाली में सरकार या केंद्रीय बैंक विनिमय दर निर्धारित करने में हस्तक्षेप कर सकते हैं जहां इसकी घरेलू मुद्रा का मूल्य सोने या किसी अन्य प्राथमिक मुद्रा जैसे यूरो, यूएस डॉलर आदि से जुड़ा होता है।
- निश्चित विनिमय दरों के साथ घरेलू केंद्रीय बैंक बाकी दुनिया से स्वतंत्र रूप से मौद्रिक नीति का संचालन करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसलिए सेंट्रल बैंक के लिए एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति का संचालन करने के लिए कोई जगह नहीं है।
- इस प्रकार एक निश्चित विनिमय दर के तहत, एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा के संदर्भ में तय होती है, अर्थात लोग एक देश की मुद्रा की उतनी ही इकाइयों का दूसरे देश की मुद्रा के लिए विनिमय कर सकते हैं।

निश्चित विनिमय दर व्यवस्था के लाभ

- यह सुनिश्चित करता है कि घरेलू मुद्रा पूर्व निर्धारित स्तर से अधिक अधिमूल्यित या मूल्यह्रास नहीं करती है, इस प्रकार यह घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में स्थिरता प्रदान करती है।
- एक स्थिर आर्थिक ढांचा प्रदान करने के लिए सट्टों को सीमित करने के लिए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

निश्चित विनिमय दर व्यवस्था की सीमाएं

- चूंकि घरेलू मुद्रा **अर्थव्यवस्था के वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है** इसलिए विदेशी निवेश कम हो सकता है क्योंकि निवेशक अर्थव्यवस्था में अपना विश्वास खो देते हैं।
- यह आधिकारिक और अनौपचारिक दरों के बीच अंतर के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का कारण बन सकता है।
- यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ब्याज दर को नियंत्रित करने की गुंजाइश को सीमित करता है।
    - **ट्रिफिन दुविधा:** रॉबर्ट ट्रिफिन ने दावा किया कि यह प्रणाली अंततः ध्वस्त हो जाएगी क्योंकि सोना एक परिमित वस्तु है और इसकी कीमत में वृद्धि जारी रहेगी।
    - **नोट:** 1971: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रॉबर्ट निक्सन ने मुख्य रूप से ब्रेटन वुड्स गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी सिस्टम से हाथ खींच लिए क्योंकि वह शीत युद्ध को वित्तपोषित करने के लिए अधिक डॉलर छापने की स्वतंत्रता चाहते थे।

प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर

- यह एक ऐसी प्रणाली है जहां मुद्राओं में दैनिक आधार पर उतार-चढ़ाव होता है लेकिन सरकार सहित सेंट्रल बैंक जैसे नियामक प्राधिकरण अपनी मुद्रा के मूल्य को नियंत्रित और स्थिर करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में कदम रख सकते हैं।
- इस प्रकार की विनिमय दर प्रणाली को कभी-कभी डर्टी फ्लोट भी कहा जाता है।
- प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर का उद्देश्य
- केंद्रीय बैंकों द्वारा हस्तक्षेप के माध्यम से विनिमय दर की अस्थिरता को कम करना।
- **विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्त मात्रा को संरक्षित करने के लिए:** उदाहरण के लिए भारत ने अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने के लिए 1991 के भुगतान संतुलन संकट से अनुभव प्राप्त किया।
- विदेशी मुद्रा और शेयर बाजार में **सट्टा गतिविधियों** पर अंकुश लगाना।

प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर के लाभ

- **मजबूत और लचीली मौद्रिक नीति:** सेंट्रल बैंक अपने विवेकाधीन उपायों का प्रयोग कर सकता है और वैकल्पिक रूप से ऋण और अन्य उपकरणों के माध्यम से तरलता डाल सकता है और खींच सकता है।
- यह घरेलू अर्थव्यवस्था को शायद ही प्रभावित करता है क्योंकि यह स्व-सुधार के लिए बाजार की ताकतों को उच्च मात्रा में स्वायत्तता की अनुमति देता है।

प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर की सीमाएं

- मुद्राओं का **प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन** उदाहरण के लिए अन्य अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने के लिए जानबूझकर अवमूल्यन।
- इस प्रणाली वाले देशों में एक **कमजोर वित्तीय प्रणाली** होती है क्योंकि केंद्रीय बैंकों और सरकार को बजट का मसौदा तैयार करते समय सावधान रहना पड़ता है और धीमे क्षेत्र को प्रोत्साहन देना पड़ता है।

भारत में विनिमय दर व्यवस्था का विकास

वर्ष	विनिमय दर प्रणाली का प्रकार
1947-71	• विनिमय दरें सममूल्य प्रणाली द्वारा नियंत्रित होती थीं। • पाउंड स्टर्लिंग को एक हस्तक्षेप मुद्रा के रूप में चुना गया था जबकि भारतीय रुपये का बाहरी बराबर मूल्य सोने के भंडार से जुड़ा हुआ था।
1971	• **ब्रेटन वुड्स प्रणाली का टूटना अब भारतीय रुपया सीधे पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा हुआ था।**
1990-91	• भुगतान संतुलन संकट की अवधि भारत के पास सीमित विदेशी मुद्रा बची थी, जिसके कारण तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने एक नई आर्थिक नीति बनाई।
जुलाई 1991	• **आंकी गई/पेग्ड या निश्चित विनिमय दर प्रणाली को हटाना,** अब विनिमय दरों को दो बार नीचे की ओर समायोजित किया गया था जो कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था जो घट रहा था
मार्च 1992	• सरकार ने बाजार की ताकतों को विनिमय दर तय करने देने का फैसला कियाद्य इस संक्रमण प्रणाली को **उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली या LERMS कहा जाता है।**
मार्च 1993	• भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीमित हस्तक्षेप के साथ प्रचलित बाजार दरों से सीधे जुड़ी हुई विनिमय दर। यह व्यवस्था आज भी जारी है।

प्रभावी विनिमय दरों की अवधारणा

- प्रभावी विनिमय दर व्यापारिक भागीदारों से संबंधित मुद्राओं की एक टोकरी के विरुद्ध देशी मुद्रा के संचलन का संकेतक है।
- यह प्रचलित आर्थिक स्थिति के आधार पर हमारी मौद्रिक और वित्तीय नीतियों को निर्धारित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (नीर)

- एनईईआर हमारे व्यापारिक भागीदारों से संबंधित मुद्राओं की एक टोकरी के विरुद्ध घरेलू मुद्रा की विनिमय दर का एक गैर समायोजित भारित औसत है।
- यह वास्तव में एक विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए आवश्यक स्थानीय मुद्रा की मात्रा है, यानी एनईईआर विदेशी मुद्रा बाजार में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक देश की क्षमता है।
- नीर को व्यापार-भारित मुद्रा सूचकांक के रूप में भी जाना जाता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक 6 अन्य मुद्राओं और 40 व्यापारिक भागीदारों के सापेक्ष रुपये के एनईईआर की गणना करता है।
- आधार वर्ष: 2015-16 को एनईईआर सूचकांकों के लिए नए आधार वर्ष के रूप में चुना गया है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण व्यापक आर्थिक प्रदर्शन में बदलाव आया है।

वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर)

- यह अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं की एक टोकरी के संबंध में किसी देश की मुद्रा का भारित औसत है।
- भार को स्थापित करने के लिए प्रत्येक देश की मुद्रा के सापेक्ष व्यापार संतुलन की तुलना अन्य सभी देशों की मुद्रा से की जाती है।
- आरईईआर देशों की मुद्रा के मूल्य का एक संकेतक है जब इसे उसके मुख्य व्यापारिक भागीदार की मुद्राओं के भारित औसत के विरुद्ध मापा जाता है।
- यह अपने व्यापारिक साझेदार के संबंध में किसी देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी मापता है।
- जब किसी देश का आरईईआर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि उसका आयात अधिक किफायती हो रहा है जबकि निर्यात महंगा हो रहा है।
- आरईईआर में प्रत्येक पढ़ने वाले साथी के स्वदेश के लिए आनुपातिक महत्व को सूत्र में भारित किया जाता है, इस प्रकार यदि आरईईआर बढ़ रहा है तो देश अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त खो रहा है।
- नोट: जब हम घरेलू मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हैं तो किसी देश की सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के बराबर होती है।

नीर (NEER) और रीर (REER) के बीच अंतर

रीर	नीर
• यह एक व्यापारिक भागीदार की अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा के मुद्रास्फीति-समायोजित मूल्य को दर्शाता है।	• यह अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा के सापेक्ष मूल्य को दर्शाता है।
• यह मुद्राओं के विशिष्ट मुद्रास्फीति अंतरों के प्रभाव को समाप्त करता है और अकेले विनिमय दर अंतर पर ध्यान केंद्रित करता है।	• इसने देश और उसके व्यापारिक साझेदार के बीच मुद्रास्फीति की दरों में अंतर को प्रभावित किया है।
• एनईईआर के आधार पर गणना।	• मुद्राओं की एक टोकरी के खिलाफ गणना।
• अधिक सटीक उपाय माना जाता है क्योंकि इसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है।	• मुद्रास्फीति के अंतर के कारण यह सटीक माप प्रदान नहीं कर सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

1. सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) में वृद्धि रुपये की वृद्धि दर्शाती है।
2. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार का संकेत देती है।
3. अन्य देशों में मुद्रास्फीति की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ती प्रवृत्ति के कारण एनईईआर और आरईईआर के बीच विरोध बढ़ने की संभावना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

(*a*) केवल 1 और 2

(*b*) केवल 2 और 3

(*c*) केवल 1 और 3

(*d*) 1, 2 और 3

उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली

- दोहरी विनिमय दर के साथ **स्टैड** को **श्री रंगराजन समिति** की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था और यह 1 मार्च, 1993 को प्रभाव में आया।
- यह शेष 40% सरकारी दर पर सरेंडर करते हुए, निर्यातकों को उनके राजस्व या कमाई का 60% बाजार दरों पर प्राप्त करने देता है।
- इस योजना के तहत आरबीआई ने आधिकारिक विनिमय दर पर निर्यात और प्रेषण की आय का 40% खरीदा।
- यह बाजार-निर्धारित विनिमय दर प्रणाली में बदलने की दिशा में पहला कदम था, यानी भारत ने एक निश्चित से दोहरी विनिमय दर प्रणाली में परिवर्तन किया।

एलईआरएमएस की विशेषताएं

- रुपये की विनिमय दर पूरी तरह से बाजार की शक्ति द्वारा निर्धारित की जाएगी जो कि मांग और आपूर्ति है, इसलिए इसे बाजार-निर्धारित विनिमय दर प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- एनआरआई को रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट (आरएफसीए) खोलने में सक्षम बनाता है, जिसमें वे सभी विदेशी मुद्राएं जमा की जाएंगी जो वे देश में लाते हैं।
- आरबीआई की हस्तक्षेप मुद्रा अमेरिकी डॉलर बनी रही जिसे वह अपने विवेक के आधार पर विभिन्न डीलरों को खरीद और बेच सकता था।

किसी मुद्रा के अवमूल्यन की अवधारणा

- यह निश्चित विनिमय दर शासन का एक परिणाम है जहां एक केंद्रीय बैंक विनिमय दर को बनाए रखने के लिए अन्य विदेशी मुद्राओं के संबंध में एक मुद्रा का मूल्य तय करता है ताकि केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को खरीद या बेच सके।
- इस प्रकार जब एक केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करता है तो इसे उस विशेष मुद्रा के अवमूल्यन के रूप में जाना जाता है।

मुद्रा अवमूल्यन का कारण

- यह देश के **निर्यात को बढ़ाता है,** व्यापार संतुलन का समर्थन करता है।
- **प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन** जहां देश अपने निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हैं और अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं।
- यह **व्यापार घाटे को भी कम करता है।** यह आयात की कीमत बढ़ाकर निर्यात की लागत को कम करता है। परिणाम निर्यात में वृद्धि और आयात में गिरावट है। नतीजतन, व्यापार असंतुलन कम हो जाता है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है।

- **संप्रभु ऋण** के बोझ को कम करने के लिए। मान लीजिए, यदि ऋण भुगतान तय हो गए हैं, तो मुद्रा अवमूल्यन घरेलू मुद्रा को कमजोर कर देगा और अंततः समय के साथ भुगतान की लागत कम कर देगा।

मुद्रा अवमूल्यन के नुकसान

- **मुद्रास्फीतिः** अतिरिक्त तेल जैसे आवश्यक आयात अधिक महंगे हो जाएंगे जिससे मांग जन्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी।
- यह किसी देश की **क्रय शक्ति** को कम करता है।
- मुद्रा का बार-बार अवमूल्यन घरेलू **अर्थव्यवस्था में विश्वास** को कम कर सकता है क्योंकि विदेशी निवेशकों की सरकारी ऋण धारण करने में कम रुचि होगी।
- यह उन **कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है** जिनके पास विदेशी मुद्रा में कर्ज है।

एक मुद्रा के मूल्यह्रास की अवधारणा

- मूल्यह्रास अवधारणा **फ्लोटिंग विनिमय दर क्षेत्र से** जुड़ी है जो पूरी तरह से बाजार की ताकतों पर आधारित है।
- विदेशी मुद्राओं के संबंध में उस मुद्रा की **मांग और आपूर्ति** के अनुसार दैनिक आधार पर किसी मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन के कारण मुद्रा का अवमूल्यन या अधिमूल्यन होता है।
- मुद्रा का मूल्यह्रास तब होता है जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है जब इसकी मांग गिर जाती है।

मुद्रा मूल्यह्रास को चलाने वाले कारक

- **निर्यात में गिरावटः** देश के कुल निर्यात में गिरावट आती है, जिससे निर्यात राजस्व में गिरावट आती है। मांग में कमी के परिणामस्वरूप देश की मुद्रा का मूल्यह्रास होता है।
- **आयात में उल्लेखनीय वृद्धिः** आयातित वस्तुओं और सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार घाटा हो सकता है। चालू खाता घाटा बढ़ने से शुद्ध मुद्रा बहिर्वाह हो सकता है, जो विनिमय दर को कमजोर कर सकता है और मुद्रा मूल्यह्रास का कारण बन सकता है।
- **केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति** हॉट मनी के बहिर्वाह का कारण बन सकती है, उदाहरण के लिए, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यदि यह अपनी नीतिगत ब्याज दरों को कम करता है। परिणामस्वरूप घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो सकता है।
- **खुला बाजार संचालनः** घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा, सोना और अन्य वस्तुओं की खुले बाजार में खरीद के परिणामस्वरूप हो सकता है।

मूल्यह्रास का प्रभाव

- हर बार जब रुपये में गिरावट आती है तो हमें डॉलर खरीदने के लिए अधिक भारतीय मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है, अर्थात विनिमय दर बढ़ने पर हमें अधिक भारतीय रुपये को बेचना पड़ता है।
- यह **विदेशी निवेशकों** को भी दूर भगाता है
- आयात महंगा हो जाता है जो **मुद्रास्फीति** को और बढ़ा देगा।
- यह मुद्रा की **क्रय शक्ति** को कम करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सरकार/आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संभावित उपाय नहीं है? (2019)

(*a*) गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाना और निर्यात को बढ़ावा देना।

(*b*) भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये के मूल्यवर्ग के मसाला बांड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना।

(*c*) बाहरी वाणिज्यिक उधार से संबंधित शर्तों को आसान बनाना।

(*d*) एक विस्तारित मौद्रिक नीति को अपनाना।

अवमूल्यन बनाम मूल्यह्रास

अवमूल्यन	मूल्यह्रास
• यह विदेशी मुद्रा के संबंध में मुद्रा के मूल्य में एक नियोजित कमी है।	• यह बाजार की ताकतों के मुक्त खेल के कारण गिरावट है।
• इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम करना है	• मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा हो सकता है।
• अवमूल्यन की घटना एक निश्चित विनिमय दर शासन से जुड़ी है।	• मुद्रा मूल्यह्रास प्रबंधित या फ्लोटिंग विनिमय दर व्यवस्था से जुड़ा है।
• कभी-कभी, सरकार या केंद्रीय बैंक जानबूझकर मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं।	• बाजार में आपूर्ति और मांग की शक्तियों के कारण मुद्रा का मूल्यह्रास होता है।
• मुद्रा अवमूल्यन के अल्पकालिक प्रभाव होते हैं।	• मुद्रा अवमूल्यन से अर्थव्यवस्था लंबे समय तक प्रभावित हो सकती है।

मुद्रा अधिमूल्यम की अवधारणा

- अधिमूल्यन की अवधारणा **फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट व्यवस्था** से जुड़ी है जो पूरी तरह से बाजार की ताकतों पर आधारित है।
- विदेशी मुद्राओं के संबंध में उस मुद्रा की मांग और आपूर्ति के अनुसार दैनिक आधार पर किसी मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन के कारण मुद्रा का अवमूल्यन या अधिमूल्यन होता है।
- किसी मुद्रा का अधिमूल्यन तब होता है जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है जबकि उसकी मांग बढ़ जाती है।

अधिमूल्यन का प्रभाव

- यह विदेशी वस्तुओं को अपेक्षाकृत सस्ता और घरेलू वस्तुओं को महंगा बनाता है।
- यह विदेशी बाजारों में मुद्रा की क्रय शक्ति को बढ़ाता है।
- निर्यात की मात्रा घटेगी जिससे घरेलू उत्पादन को नुकसान होगा।

मूल्यह्रास बनाम अधिमूल्यन

मूल्यह्रास	अधिमूल्यन
• निर्यात को सस्ता बनाता है।	• निर्यात को महंगा बनाता है।
• आयात को महंगा बनाता है।	• आयात को सस्ता बनाता है।
• मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करता है।	• मुद्रा की क्रय शक्ति को बढ़ाता है।
• महंगाई का कारण बन सकता है	• घरेलू उत्पादन को नुकसान।

वैश्विक आरक्षित मुद्रा

- आरक्षित मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो केंद्रीय बैंकों या अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश लेनदेन अंतरराष्ट्रीय लिफ्ट दायित्वों के उद्देश्य से और घरेलू विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में रखी जाती है।
- आरक्षित मुद्रा का उपयोग अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और वैश्विक अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं में किया जा सकता है।
- इसे दुर्लभ मुद्रा या सुलभ आश्रय मुद्रा भी माना जाता है।

युआन वैश्विक मुद्रा के रूप में

- युआन को 2015 में एसडीआर मुद्रा बास्केट में शामिल किया गया था। यह विश्व अर्थव्यवस्था में युआन के उपयोग को विस्तृत करता है।
- चीन अन्य देशों को एआईआईबी, ब्रिक्स बैंक और यहां तक कि पांडा बांड के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव (ओबीओआर) के हिस्से के रूप में युआन उधार दे रहा है।
- भविष्य में, जब अधिक देश युआन को पहचानना शुरू करेंगे, तो चीन को भोजन, धातु, तेल और मिसाइल जैसे सामान खरीदने के लिए डॉलर पर कम निर्भर होने की आवश्यकता हो सकती है।
- इस युआन वर्चस्व के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को रणनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

आरक्षित मुद्रा का महत्व

- यदि कोई आरक्षित मुद्रा रखता है तो यह विनिमय दर से जुड़े जोखिम को कम करता है क्योंकि खरीदारी करने वाले देश को खरीदारी करने के लिए वर्तमान आरक्षित मुद्रा के लिए आपकी मुद्रा का आदान-प्रदान नहीं करना होगा।
- इस प्रकार विदेशी राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका की मौद्रिक नीति की बारीकी से निगरानी करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके रिजर्व का मूल्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो क्योंकि अमेरिकी डॉलर अन्य देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्राथमिक मुद्रा रही है।

ग्लोबल रिजर्व करेंसी के रूप में अमेरिकी डॉलर

- **द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद के आर्थिक वातावरण में जहां संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख आर्थिक शक्ति था।
- इस प्रकार 1944 में **ब्रेटन वुड्स** समझौते के बाद 44 राष्ट्रों ने औपचारिक रूप से अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक आरक्षित मुद्रा अपनाने पर सहमति व्यक्त की, इसके बाद अन्य देशों ने भी डॉलर के मुकाबले अपनी विनिमय दर तय की जो तब सोने में परिवर्तनीय थी।
- चूंकि अमेरिकी डॉलर सोने से वापस आ गया था, यह अपेक्षाकृत स्थिर था और इसने अन्य देशों को अपनी मुद्राओं को स्थिर करने में सक्षम बनाया।

डी-डॉलराइजेशन की वर्तमान लहर

- यह **SWIFT** द्वारा स्वीकृति और बहिष्करण के माध्यम से व्यापार को हथियार बनाने का एक परिणाम है, अमेरिका देशों की आर्थिक संप्रभुता में बाधा डाल रहा है, क्योंकि वैश्विक व्यापार अभी भी अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है।

डी-डॉलरीकरण के प्रयास:

- यूक्रेन संकट के बाद रूस और चीन ने पहले ही ब्रिक्स संस्था के माध्यम से डॉलरकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- रूस ने 2014 में डॉलरीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी थी जब क्रीमिया के विलय के बाद उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे।
- भारत भी द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से घरेलू मुद्राओं में व्यापार की खोज कर रहा है, जैसे रुपया रूबल व्यापार और रुपया रियाल व्यापार।

मुद्रा पुनर्मूल्यांकन की अवधारणा

- यह सोने या किसी अन्य विदेशी मुद्रा की कीमत की तुलना में देश की आधिकारिक विनिमय दर में ऊपर की ओर बदलाव है।
- विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा बढ़ती है।
- यह एक निश्चित विनिमय दर शासन का हिस्सा है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर निर्धारित की जाती है।

पुनर्मूल्यांकन का कारण

- दो देशों के बीच ब्याज दर में सापेक्ष परिवर्तन।
- राजनीतिक स्थिति में अस्थिरता भी बाजार की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है जो पुनर्मूल्यांकन का कारण बन सकती है।
- बाजार में सट्टा भी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन का कारण बन सकता है।

पुनर्मूल्यांकन का प्रभाव

- इससे किसी विशेष देश के निर्यात में कमी आ सकती है क्योंकि निर्यात कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है।
- आयात सस्ता होने से व्यापार संतुलन नकारात्मक हो सकता है।
- सस्ता आयात मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है।
- यह उस विशेष मुद्रा में विदेशी कंपनियों द्वारा धारित परिसंपत्ति के मूल्य को प्रभावित करता है।

मुद्रा युद्ध

- मुद्रा युद्ध दो या दो से अधिक राष्ट्रों की नीतियों के माध्यम से मुद्रा का हेरफेर है, जिनमें से प्रत्येक अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है।
- अधिकतर मुद्रा युद्ध को नीतिगत निर्णयों द्वारा चिह्नित किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना है।
- अन्य देशों की कीमत पर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर वैश्विक बाजार में अपने निर्यात को अधिक आकर्षक बनाने के लिए देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं।
- हालांकि अवमूल्यन के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं जो मुद्रास्फीति की तरह स्वत: ही पराजित हो सकते हैं। यहां उस देश का उपभोक्ता आयात पर ऊंची कीमतों का भार वहन करता है।

मुद्रा युद्ध का नकारात्मक प्रभाव

- उदाहरण के लिए **ब्राजील ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन** करके अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया, जिससे अति मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई।
- मुद्रा अवमूल्यन **दीर्घावधि** में उत्पादकता को कम कर सकता है क्योंकि पूंजीगत उपकरणों और मशीनरी का आयात स्थानीय व्यापार के लिए महंगा हो जाता है।
- मुद्रा मूल्यह्रास की डिग्री इच्छा से अधिक हो सकती है जिससे मुद्रास्फीति और पूंजी बहिर्वाह हो सकता है।
- यह **मुद्रा की अस्थिरता** को बढ़ा सकता है जिससे कंपनियों के लिए उच्च हेजिंग लागत और विदेशी निवेश में दीर्घकालिक गिरावट आएगी।
- यह अधिक संरक्षणवाद और व्यापार बाधाओं की मांग करता है जो वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा।

आईएमएफ विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर)

- ब्रेटन वुड्स विनिमय दर प्रणाली के विफल होने के बाद, **IMF** को एक प्रकार के "जमा बैंक" में बदल दिया गया, जहां सदस्य उन्हें सौंपे गए कोटा के अनुसार मुद्रा जमा करेंगे (उनकी अर्थव्यवस्था के आकार, खुलेपन आदि के आधार पर)।



- उनकी जमा राशि के लिए, **IMF** उन्हें नगण्य ब्याज दर प्रदान करेगा। और आईएमएफ इस नकदी को भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहे सदस्य को उधार देगा।
- आईएमएफ इस प्रणाली को संचालन में लाने के लिए एसडीआर-एक कृत्रिम मुद्रा और लेखा इकाई। सदस्यों को उनकी जमा राशि के आधार पर सौंपेगा।

- एसडीआर को ष्पेपर गोल्डष् के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कोई वास्तविक सोना शामिल नहीं होता है; यह केवल एक लेखा प्रविष्टि या कृत्रिम मुद्रा है।
- एसडीआर की कीमत शुरू में सोने की मात्रा के संबंध में तय की गई थी।
- एसडीआर मुद्रा मूल्य की गणना प्रतिदिन की जाती है (आईएमएफ की छुट्टियों को छोड़कर या जब भी आईएमएफ व्यवसाय के लिए बंद होता है) और मूल्यांकन टोकरी की समीक्षा की जाती है और हर पांच साल में समायोजित की जाती है।
- मुद्राओं की एसडीआर टोकरी में अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रॅन्मिन्बी (2016 में शामिल) शामिल हैं।

कोटा प्रणाली

- किसी देश का कोटा (आईएमएफ में योगदान की गई राशि) एसडीआर में अंकित होता है।
- सदस्यों के कोटे का उनकी मतदान शक्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
- **IMF** अपने सदस्यों को उनके वर्तमान **IMF** कोटा के अनुसार सामान्य **SDR** आवंटित करता है।

IMF में भारत का कोटा

- 2016 में, आईएमएफ का कोटा और प्रशासन सुधार हुए।
- जिसके अनुसार, चीन का मतदान अधिकार 3.8% से 2.2% बढ़कर 6% हो गया, जबकि भारत का मतदान अधिकार 2.3% से 0.3% बढ़कर 2.6% हो गया।
- वर्तमान में, भारत के पास एसडीआर कोटा का 2.75% और आईएमएफ में 2.63% वोट हैं।
- आईएमएफ में सोने के भंडार, विदेशी मुद्रा संपत्ति और रिजर्व ट्रेंच के अलावा एसडीआर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को **IMF** के **SDR** बास्केट में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? (2016)

(*a*) रूबल
(*b*) रैंड
(*c*) भारतीय रुपया
(*d*) रॅन्मिन्बी

क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की अवधारणा

- दो देशों के बीच क्रय शक्ति समता एक देश की मुद्रा की उस मात्रा को मापती है जो विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी खरीदने के लिए आवश्यक है।
- क्रय शक्ति समता एक आर्थिक सिद्धांत है जो विभिन्न देशों की मुद्रा की वस्तुओं की एक टोकरी से तुलना करता है।
- यह एक सैद्धांतिक विनिमय दर है जो किसी व्यक्ति को हर देश में समान मात्रा में सामान और सेवाएं खरीदने की अनुमति देती है।
- सरकारी एजेंसियां विभिन्न विनिमय दर का उपयोग करने वाले देशों के आउटपुट की तुलना करने के लिए इसका उपयोग करती हैं।
- जब विनिमय दरों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं की एक टोकरी दोनों देशों में समान कीमत की हो तो कोई भी दो मुद्रा संतुलन या सममूल्य पर होती है।
- अर्थशास्त्री दो देशों की आर्थिक उत्पादकता और जीवन स्तर की तुलना करने के लिए क्रय शक्ति समता का उपयोग करते हैं।

क्रय शक्ति समता और सकल घरेलू उत्पाद

- विभिन्न मुद्राओं वाले देशों के बीच सांकेतिक जीडीपी को अधिक आसानी से तुलनीय संख्या में बदलने के समायोजन के प्रयास के कारण पीपीपी मूल्य के लिए जीडीपी को समायोजित किया गया।
- उदाहरण के लिए, भारत सांकेतिक जीडीपी के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह पीपीपी के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो उच्च क्रय शक्ति को दर्शाता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. क्रय शक्ति समता (पीपीपी) विनिमय दरों की गणना कीमतों की तुलना करके की जाती है
2. विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की एक ही टोकरी
3. पीपीपी डॉलर के मामले में भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

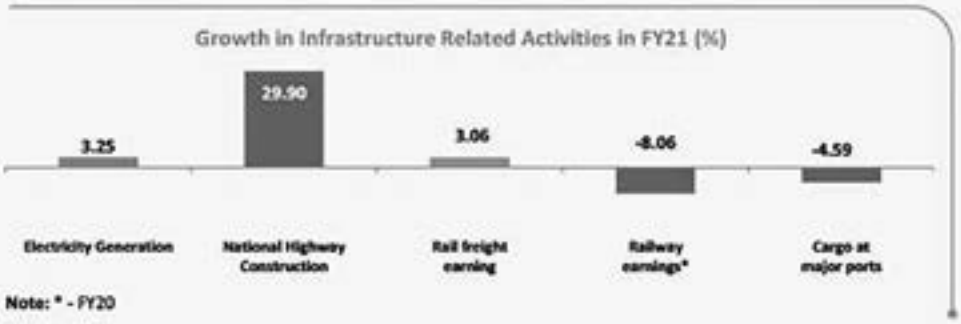
(*a*) केवल 1
(*b*) केवल 2
(*c*) 1 और 2 दोनों
(*d*) न तो 1 और न ही 2

❖ ❖ ❖

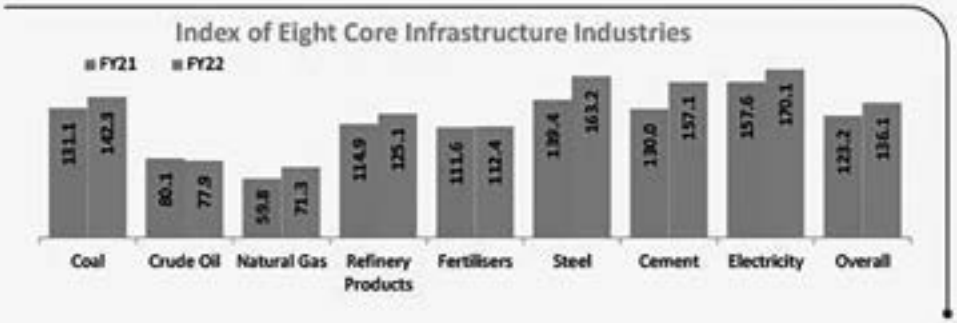
20 आधारिक संरचना

- डॉ. वी.के.आर.वी. राव का तर्क है कि "आधारिक संरचना और विकास के बीच संबंध एक बार की घटना नहीं है। अगर हमें आर्थिक विकास की एक स्व-त्वरित प्रक्रिया के अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा करना है, तो आधारिक संरचना की प्रगति विकास के पहले, साथ-साथ और बाद में होनी चाहिए।"
- आधारिक संरचना को किसी संगठन, क्षेत्र या देश के मूलभूत भौतिक ढांचे के रूप में जाना जाता है। यह अक्सर सार्वजनिक वस्तुओं या औद्योगिक गतिविधियों के निर्माण से संबंधित होता है। इसके कुछ उदाहरण परिवहन, संचार, गंदे नाले, जल और शैक्षिक बुनियादी ढांचे हैं।
- आधारिक संरचना न केवल निवासियों को सामाजिक और आर्थिक समुदाय में भाग लेने में सक्षम बनाता है और उन्हें भोजन और जल जैसी जरूरतें भी प्रदान करता है, बल्कि सुविधाएं, उपकरण, या समकक्ष भौतिक संपत्ति जैसे पुल और राजमार्ग भी प्रदान करता है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **कोविड के बाद** पुनरुद्धार के लिए आधारिक संरचना निवेश महत्वपूर्ण है। जैसा कि वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि परिचालन संपत्तियों के बड़े पैमाने पर निजीकरण के माध्यम से निवेश जुटाना महत्वपूर्ण है। यह **5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को हासिल करने में मदद कर सकता है।

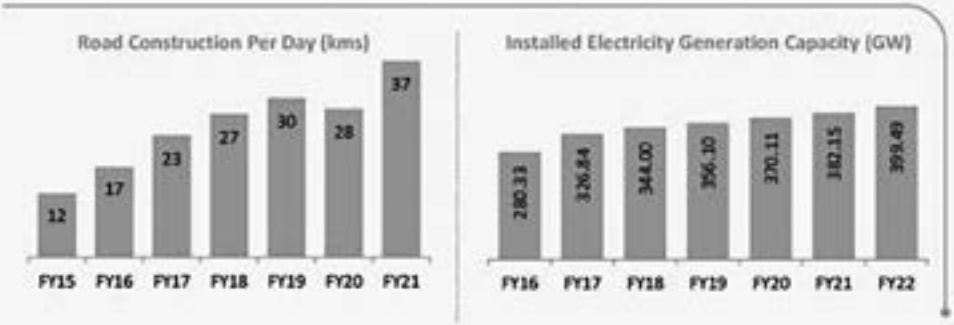
GROWTH



SECTOR COMPOSITION



KEY TRENDS



- **वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय 7.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।** पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के साथ, अगले वर्ष के लिए प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 10.67 लाख करोड़ रुपये है, जो 2021-22 के संशोधित अनुमान 8.40 लाख करोड़ रुपये से 27 प्रतिशत अधिक है।

आधारिक संरचना का महत्व

- **अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन:** अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन के लिए आधारिक संरचना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये विकास के पहिये के रूप में कार्य करते हैं जिसके बिना अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी।
- **रोजगार का सृजन:** रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए आधारिक संरचना अनिवार्य है। ये श्रम की उत्पादकता, दक्षता और गतिशीलता में वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त, निवेश में वृद्धि, उद्योग वृद्धि और कृषि विकास सभी रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि करते हैं।
- **कृषि का विकास:** कृषि के विकास के लिए सिंचाई, ऋण, परिवहन, बिजली, विपणन, प्रशिक्षण और शिक्षा का विस्तार और विकास महत्वपूर्ण हैं। यह अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं के विकास पर भी निर्भर करता है।
- **उत्पादन में वृद्धि:** परिवहन और शिक्षा जैसे आधारिक संरचना में सुधार से उत्पादन में वृद्धि होती है। आर्थिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, आर्थिक विकास के लिए अनुसंधान और विकास आवश्यक हैं।
- **उद्योग का विकास:** उपकरण और मशीनरी के अलावा, औद्योगिक उत्पादन के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है;
- प्रबंधन, बैंकिंग, बीमा और परिवहन के क्षेत्रों में सेवाएं आवश्यक हैं। अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि इन कार्यों और आधारिक संरचना से सीधे प्रभावित होगी।
- **निवेश को प्रोत्साहित करना:** बढ़ते आर्थिक निवेश के लिए आधारिक संरचना में वृद्धि निस्संदेह एक पूर्वापेक्षा है। मजबूत आधारिक संरचना वाले वे स्थान आगे के निवेश कोष को लुभाने में सफल हो सकते हैं।
- **सामाजिक बदलाव:** सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए आधारिक संरचना भी एक उपकरण है। जैसे-जैसे उद्योग, परिवहन संरचना और शिक्षा में उन्नति होगी, लोगों के दृष्टिकोण बदलेंगे। इसके अलावा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शहरीकरण को आगे बढ़ाने से अर्थव्यवस्था की समझ प्रभावित होगी।
- **सकल घरेलू उत्पाद का विस्तार:** सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और आधारिक संरचना पर खर्च का आपस में गहरा संबंध है। अध्ययनों के अनुसार,आधारिक संरचना में 1% की वृद्धि अक्सर प्रति व्यक्ति जीडीपी में 1% की वृद्धि के साथ सहसंबद्ध होती है।
- **अविकसित क्षेत्रों का विकास:** आधारिक संरचना का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान अविकसित क्षेत्रों की उन्नति और क्षेत्रीय असमानताओं का उन्मूलन है। पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी से वहां का विकास बाधित होगा।

आधारिक संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां

- **नियामक मंजूरी में सामान्य देरी:** भारत में, अधिकांश आधारिक संरचना परियोजनाओं के पूरा होने में देर होती है। यह ज्यादातर एक अप्रभावी विनियामक वातावरण और धीमी अनुमोदन प्रक्रिया के कारण होता है। आधारिक संरचना परियोजनाओं को विभिन्न सरकारी स्तरों से लगातार कई मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- **वित्तीय समस्याएं:** चूंकि आधारिक संरचना के निर्माण के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए धन सबसे बड़ी बाधाओं में से एक रहा है। एनपीए बढ़ने से बैंकों को निजी कंपनियों को पैसा उधार देना मुश्किल हो रहा है।
- **भूमि अधिग्रहण:** इसे एक संरचनात्मक समस्या माना जा सकता है। अन्य देशों की तुलना में, भूमि अधिग्रहण और मुकदमे की समस्याओं के कारण परियोजना कार्यान्वयन की गति अत्यंत धीमी है। भूमि पहुंच, पर्यावरण मंजूरी, और लंबित कानूनी विवादों जैसे अन्य क्षेत्रों में अनुमोदन प्राप्त करने में कठिनाई के कारण आधारिक संरचना परियोजनाओं में भी देरी हो रही है।
- **राज्यों के लिए कम निधि:** 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार, केंद्र से राज्यों को कर विचलन का ऊर्ध्वाधर हिस्सा 42% से घटकर 41% हो गया है, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था।इसके अतिरिक्त हाल में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिये धन जुटाने हेतु उपकरों का सहारा लिया गया है, जो राज्यों के साथ साझा किये जाने वाले करों के विभाज्य पूल के आकार को स्थायी रूप से छोटा कर देता है।
- **जटिल पर्यावरण मंजूरी:** पर्यावरणीय सावधानियों और नियमों की प्रकृति जटिल है और ये लगातार बदलते रहते हैं। यह स्पष्ट है कि बेहतर शासन आधारिक संरचना परियोजनाओं में लंबी देरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- **निजी उद्यमों की क्षमता:** भारत में आधारिक संरचना परियोजनाओं का आकार और जटिलता बढ़ रही है। इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन क्षमताओं की आवश्यकता है, जो कि अधिकांश मध्यम से छोटे भारतीय उद्यमों में नहीं है।

आधारिक संरचना विकास के लिए सरकारी पहलें

- **भारत के 2022 तक विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्माण बाजार बनने की संभावना है।** भारत ने देश में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए 2019 से 2023 तक राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के माध्यम से आधारिक संरचना परियोजनाओं पर 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है।
- अप्रैल 2022 में, **आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 143.2 रहा।**
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार, अप्रैल 2000-मार्च 2022 के बीच निर्माण विकास क्षेत्र (टाउनशिप, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण विकास परियोजनाएं) और निर्माण (आधारिक संरचना) गतिविधियों में एफडीआई क्रमश: 26.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 27.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे।
- **केंद्रीय बजट 2022-23 में**
  - सरकार ने आधारिक संरचना क्षेत्र का विस्तार करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये (यूएस $ 130.57 बिलियन) आवंटित करके आधारिक संरचना क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है।
  - सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को 134,015 करोड़ रुपये (यूएस $ 17.24 बिलियन) आवंटित किए।
  - सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 60,000 करोड़ रुपये (यूएस $ 7.72 बिलियन) के परिव्यय की घोषणा की।
  - सरकार ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को 76,549 करोड़ रुपये (यूएस $ 9.85 बिलियन) की घोषणा की।
  - सरकार ने देश में दूरसंचार अवसंरचना के निर्माण और वृद्धि के लिए दूरसंचार विभाग को 84,587 करोड़ रुपये (यूएस $ 10.87 बिलियन) आवंटित किए।
  - **अगले तीन वर्षों में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 पीएम-गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।**
- इंडियन चौंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से अविरल कंसल्टिंग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रसद बाजार 2025 तक 320 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- जून 2022 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने बिहार के पटना और हाजीपुर में 13,585 करोड़ रुपये (यूएस $ 1.75 बिलियन) की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
- दक्षिणी क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए मिजोरम की खावथलांगतुइपुई-तुइचावंग नदियों पर कई करोड़ रुपये की अंतर्देशीय नहर पारगमन परियोजना का निर्माण किया जाएगा।
- **2024 तक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का लक्ष्य प्रतिदिन 40 किलोमीटर की दर से 60,000 किलोमीटर विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है।**
- भारत ने अगले दो वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपये (यूएस $ 206 बिलियन) के सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है।
- **कपड़ा क्षेत्र में विश्व स्तरीय आधारिक संरचना स्थापित करने और तीन वर्षों में सात वस्त्र पार्क स्थापित करने के लिए मेगा निवेश वस्त्र पार्क (मित्र) योजना शुरू की गई थी।**

आगे की राह

- **बहु-हितधारक दृष्टिकोण**
  - 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों की पुन: जाँच करने के लिये एक उच्च अधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह के गठन की सिफारिश की है।
  - अवसंरचना विस्तार योजना की सफलता काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगी कि पाइपलाइन से जुड़े अन्य हितधारक अपनी अपेक्षित भूमिका निभाते हुए पर्याप्त योगदान दे रहे हैं या नहीं। इन हितधारकों में राज्य सरकारें और उनके सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्यम शामिल हैं।
- **वित्तीय सुधार**
  - जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रति निष्ठावान रहता है, तब तक उनकी व्यावसायिकता में व्याप्त कमी बनी रहेगी और इसके कारण ऋण वितरण में विवेकपूर्ण मानदंडों का क्रियान्वयन भी प्रभावित होगा।

- ऐसे में एक बैड बैंक की स्थापना के बारे में चर्चा करने से पहले बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक सुधारों के उचित कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिये, जैसा कि इंद्रधनुष योजना के तहत परिकल्पित है।

- **निजी-सार्वजनिक साझेदारी:** दूरसंचार और घरेलू नागरिक उड्डयन आदि जैसे कुछ पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले आधारिक संरचना क्षेत्रों में निजी उद्यमों को अनुमति देना। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पांच वर्ष के लिए भारत में सामाजिक और आर्थिक आधारित संरचना परियोजनाओं का एक समूह है जिसमें 102 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि है।
- **भूमि अधिग्रहण कानून तैयार करना:** इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद।
- **जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रतिरोध:** यह सुनिश्चित करने की स्पष्ट आवश्यकता है कि सभी नई और मौजूदा बुनियादी ढांचा प्रणालियां जलवायु और आपदा प्रतिरोधी हैं।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार:** विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में परिलक्षित, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में बुनियादी ढांचा बाधा एक प्राथमिक बाधा है।
- **हरित वित्तपोषण को प्रोत्साहित करना:** नवीकरणीय ऊर्जा जैसी हरित परियोजनाओं का वित्तपोषण; स्वच्छ परिवहन (बड़े पैमाने पर / सार्वजनिक परिवहन सहित); स्थायी जल प्रबंधन और जल पुनर्चक्रण; अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र; ऊर्जा कुशल इमारतों को हरित ऋण प्रतिभूतियों को जारी करके जुटाई गई आय से वित्त पोषित किया जा सकता है।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण को पुनर्जीवित करना:** परिसंपत्ति मुद्रीकरण का प्रत्यक्ष लाभ यह है कि यह दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों की भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाता है और निजी क्षेत्र को शामिल करता है। राष्ट्रीय **परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत 0.88 लाख करोड़ रुपये के सांकेतिक मूल्य वाली 15 % परिसंपत्तियों को चालू वित्त वर्ष में लागू करने की परिकल्पना की गई है।**

निष्कर्ष

- बुनियादी ढांचा मौलिक उपकरणों और प्रणालियों का संग्रह है जो घरों और व्यवसायों के लिए पूरे समय सुचारू रूप से चलना संभव बनाता है। आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर बहुत अधिक निर्भर करता है। भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता का दोहन करने की क्षमता के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में उचित निर्णय लेना आवश्यक है। **लोगों, क्षेत्रों और व्यवसायों की भलाई और समृद्धि का समर्थन करने के लिए, भारत को आर्थिक, जनसांख्यिकीय, राजकोषीय और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए।**

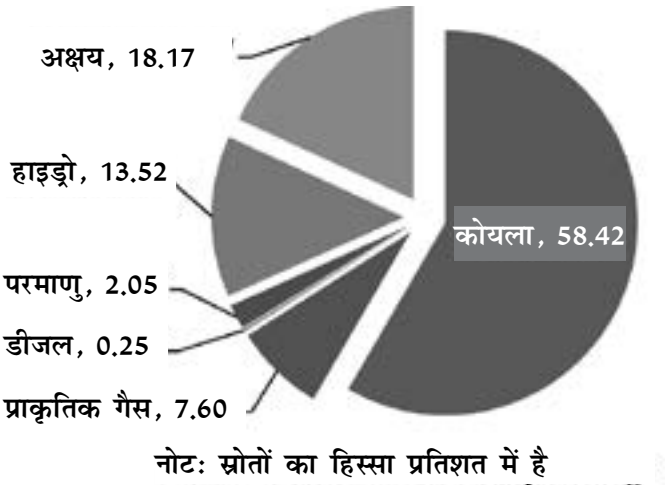
बुनियादी ढांचे का 'दर्जा' आवंटित करने के लाभ

जब किसी भी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा मिलता है, तो उसके उद्यमियों को कई लाभ मिलते हैं (जैसे और जब अधिसूचित होते हैं) जैसे:

- **सरकारी लाभ:** कर लाभ, कम आयात शुल्क, न्यूनतम मूल्य पर सार्वजनिक भूमि और संपत्ति का पट्टा, शीघ्र पर्यावरण मंजूरी, स्वत: एफडीआई अनुमोदन, आदि।
- **वित्त पोषण तक पहुंच:** बुनियादी ढांचे के दर्जे से संस्थागत क्रेडिट तक आसान पहुंच भी सुनिश्चित होगी।
- **आरबीआई** बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने पर पहुंच और उच्च सीमा को आसान बना सकता है। साथ ही ऋण देने के मानदंडों (पीएसएल), ऋण पुनर्गठन आदि में ढील दे सकता है।
- **विश्व बैंक** और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों से धन की आसान पहुंच।
- **सेबी** बाजार से धन जुटाने के लिए **REITs/InvITs** मानदंडों में छूट प्रदान कर सकता है।
- **आईआरडीएआई और पीएफआरडीए** बीमा और पेंशन कंपनियों को अवसंरचना कंपनियों आदि में न्यूनतम राशि निवेश करने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

ऊर्जा अवसंरचना

- भारत की ऊर्जा खपत, जो जनसंख्या विस्तार और शहरीकरण, निरंतर औद्योगीकरण, और **दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी रैंकिंग के कारण 2000 के बाद से दोगुनी से अधिक हो गई है,** जो आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगी।
- **अत:** ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जनसंख्या की ऊर्जा आवश्यकताओं और 8% आर्थिक विकास लक्ष्य दोनों को पूरा करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ाते हुए ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है।



नोट: स्रोतों का हिस्सा प्रतिशत में है

डेटा/तथ्य

- **भारतीय ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2021** के अनुसार - भारत तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है।
- **प्रति व्यक्ति बिजली की खपत** जो 1947 में केवल 16.3 यूनिट थी, 2019-20 में बढ़कर 1208 यूनिट हो गई।
- वर्ष 2020-21 के दौरान कैप्टिव संयंत्रों सहित कुल उत्पादित बिजली 15.73 लाख गीगावाट घंटा थी, जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान 16.23 लाख गीगावाट घंटा थी।
- भारत में **80 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा है**, जो इसकी कुल स्थापित क्षमता का लगभग 20% है।
- विद्युत क्षेत्र में, अखिल भारतीय स्थापित विद्युत क्षमता लगभग **334 गीगावॉट** है, जिसमें **62 गीगावॉट** नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है।
- डब्ल्यूईएफ के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत ने अपनी रैंक में सुधार कर 76 वां स्थान प्राप्त किया है।

ऊर्जा क्षेत्र में समस्याएं

- अप्रैल 2022 में, देश की **बिजली की खपत वर्ष दर वर्ष 13.6% बढ़कर 132.98 बिलियन यूनिट हो गई,** जो कोविड-19 के बाद के आर्थिक उछाल, गर्मियों की शुरुआत, आदि के कारण हुई;
- भारत का कोयला भंडार दुनिया में पांचवें स्थान पर है। विद्युत विस्तार के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं हैं जिनके लिए ईंधन के रूप में कोयले की आवश्यकता होती है। हालांकि, **कोयले के लिए कोई नियामक नहीं है।**
- चूंकि नदियां राज्य की सीमाओं से गुजरती हैं, भारत की कानूनी और संवैधानिक प्रणालियाँ लंबे समय से नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी और न्यायसंगत तकनीक विकसित करने से जुड़ी रही हैं। परिणामस्वरूप, जलविद्युत संयंत्रों में अक्सर जल की कमी हो जाती है। अंतरराज्यीय विवादों से राज्यों के बीच अधिशेष शक्ति का हस्तांतरण अत्यधिक बाधित होता है।
- **महत्वपूर्ण वैश्विक प्रगति के बावजूद, बुनियादी सिलिकॉन मोनो-क्रिस्टलाइन सौर सेल के उत्पादन में भारत वैश्विक गति के साथ चलने में सक्षम नहीं रहा है।** भारत अब सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) सेल उत्पादन के मामले में जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों से काफी पीछे है और सौर तापीय प्रणालियों के मामले में नौवें स्थान पर है।
- नीतियों में समस्याएं, उदाहरण के लिए **2003 के विद्युत अधिनियम और राष्ट्रीय विद्युत नीति जैसे मैक्रो-स्तरीय विनियमों और ईंधन लागत पास-थ्रू, मेगा-पावर नीति और प्रतिस्पर्धी बोली आवश्यकताओं को नियंत्रित करने वाले सूक्ष्म-स्तरीय विनियमों के बीच विसंगतियां मौजूद हैं।**

आगे की राह

- कोयला क्षेत्र में सुधारों के संबंध में **टीएल शंकर समिति द्वारा प्रस्तावित एक कोयला नियामक प्राधिकरण बनाया गया है।** तथापि, कोयला विनियामक प्राधिकरण अभी तक आम जनता का ध्यान नहीं खीच पाया है और इसलिए विद्युत संयंत्रों की प्रभावशीलता की गारंटी देना समय की मांग है।
- **यदि ईंधन आवंटन की समीक्षा की गई और कुशल इकाइयों को प्राथमिकता दी गई तो भारत, हमारी वार्षिक आवश्यकता के 6% तक कोयले की मांग कम कर सकता है** और "बरसात के दिन" के लिए अधिक कोयले की बचत कर सकता है।
- डिस्कॉम को बुद्धिमान तरीके से मांग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपकरण दिया जाए। **तीव्र मांग को कम किया जा सकता है** और समय-समय पर मूल्य निर्धारण को लागू करने और कुशल उपभोग की आदतों को प्रोत्साहित करने से बाजार में भगदड़ से बचा जा सकता है।
- पूरे ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला में भुगतान अनुशासन स्थापित करने और एक प्रमुख संकेतक के रूप में लागत वसूली को बनाए रखने के लिए, **स्मार्ट मीटर की शुरूआत, नेटवर्क विकास और नियामकों के सशक्तिकरण जैसी निरंतर गतिविधियां आवश्यक हैं।**

सरकार की पहलें

- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन,** भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-25 के लिए 111 लाख करोड़ रुपये (यूएस $ 1.4 ट्रिलियन) आवंटित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-25 में, ऊर्जा उद्योग को पूंजीगत व्यय का 24% योगदान करने का अनुमान है।
- पांच नए प्लग-एंड-प्ले **अल्ट्रा-मेगा पावर प्लांट** (यूएमपीपी) जिनका निर्माण भारत सरकार करने का प्रस्ताव करती है, उनमें से प्रत्येक की लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये होगी **(यूएमपीपी 4,000 मेगावाट क्षमता वाला एक थर्मल संचालित कोयला संयंत्र है)।**
- ओडिशा सरकार द्वारा अपनाए गए **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल** को 6,500 करोड़ रुपये (यूएस $ 1 बिलियन) की अनुमानित लागत के लिए 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क के निर्माण का अनुमान है।

सड़क अवसंरचना

- **5.89 मिलियन किलोमीटर** की कुल लंबाई के साथ, भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क (किमी) है। भारत के कुल यात्री यातायात का 90% देश के सड़क नेटवर्क पर आवागमन करता है, जो देश में सभी वस्तुओं का 64.5% परिवहन करता है। जैसे-जैसे देश के शहर, कस्बे और गांव अधिक जुड़ रहे हैं, समय के साथ सड़क यात्रा धीरे-धीरे बढ़ी है।

बजट 2022-23 और सड़क क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं

- **केंद्रीय बजट 2023 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए आवंटन में 68% की वृद्धि हुई है,** इसके लिए ₹1,99,107.71 करोड़ प्रस्तावित हुआ है।
  - यह 2022-2023 में **25,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए निर्धारित बड़े लक्ष्य के अनुरूप है।**
- **सड़क परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए, सरकार सार्वजनिक वित्तपोषण के पूरक के लिए अभिनव वित्तपोषण के माध्यम से ₹20,000 करोड़ भी जुटाएगी।** सरकार देश भर में 35 मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों की योजना बना रही है, जिनमें से चार को अगले वित्तीय वर्ष में पुरस्कृत किया जाएगा।
- **प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम**- यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मंत्रालयों और राज्यों में समन्वित योजना की परिकल्पना करता है जो बजट के चार प्रमुख स्तंभों में से एक है।

भारत में सड़क क्षेत्र का महत्व

- **सामाजिक संपर्क:** स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए दूरस्थ स्थानों से शहरी क्षेत्रों तक अधिक पहुंच।
- **आर्थिक संपर्क:** सड़क अवसंरचना में निवेश बढ़ने से आर्थिक विकास को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
- विनिर्माण क्षेत्र और निर्यात को बढ़ावा देना और "मेक इन इंडिया" जैसे कार्यक्रमों का पूरक हो सकता है।
- **रोजगार के अवसर सृजित करना:** कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता है। संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र से प्रवासी श्रमिकों को निर्माण क्षेत्र में लाया जा सकता है जो ग्रामीण संकट को कम करेगा।
- **जल्दी खराब होने वाले सामानों की ढुलाई:** इससे खराब होने वाले कृषि उत्पादों को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद मिलेगी।
- **सुरक्षा:** राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के दृष्टिकोण से, सीमा सड़कें रणनीतिक स्थानों पर सैनिकों की तेजी से तैनाती के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाती हैं।
- **शहरी सार्वजनिक परिवहन में सुधार:** सड़क परिवहन का उपयोग परिवहन के अन्य साधनों के फीडर के रूप में भी किया जाता है, जैसे कि वे रेलवे स्टेशनों, हवाई और समुद्री बंदरगाहों के बीच एक लिंक प्रदान करते हैं, इस प्रकार शहरी सार्वजनिक परिवहन में सुधार होता है।
- **एसडीजी प्राप्त करना:** सड़क सुरक्षा पर परिवहन सीधे पांच लक्ष्यों में योगदान देता है (लक्ष्य 3.6); ऊर्जा दक्षता (लक्ष्य 7.3); स्थायी बुनियादी ढांचा (लक्ष्य 9.1), शहरी पहुंच (लक्ष्य 11.2), और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी (लक्ष्य 12.सी) इस बात पर जोर देते हैं कि स्थायी परिवहन की आवश्यकता केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि यह एसडीजी की विभिन्न प्रकार की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है।

सड़क अवसंरचना विकास में चुनौतियां

- **दुर्घटनाएं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं:** देश में सड़क सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा है, जहां प्रतिदिन लगभग 400 सड़क संबंधी मौतें दर्ज की जाती हैं। कम से कम मौत का एक हिस्सा सड़कों की खराब गुणवत्ता के कारण है।
- **वैधानिक कमियां:** पुराने वाहन बिना किसी नियम के चलते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे पर टायर फट जाते हैं।
- **अपर्याप्त निगरानी:** निगरानी बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण शहिट एंड रनश मामलों की जांच नहीं की जाती है। 73% दुपहिया वाहन दुर्घटना पीड़ित हेलमेट नहीं पहनते हैं। जबकि चार पहिया वाहनों का एक महत्वपूर्ण अनुपात सीटबेल्ट नहीं लगाता है या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखता है।
- **विषम सड़क यातायात इंजीनियरिंग:** कुल सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों का हिस्सा सबसे अधिक होता है। लेकिन सड़क यातायात इंजीनियरिंग और योजना के दौरान उनकी उपेक्षा की जाती है। जैसे कि उनके और पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन नहीं बनाया जाता है।
- **सड़कों का रखरखाव:** राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवंटित वार्षिक परिव्यय आवश्यक राशि का केवल 40 प्रतिशत है। राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए मानदंड परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- **मौजूदा राजमार्गों की क्षमता:** एनएच नेटवर्क की मौजूदा लंबाई 1.22 लाख किमी है, जो देश के कुल सड़क नेटवर्क 56.03 लाख किमी का 2.2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय राजमार्गों की यह सीमित क्षमता भारत की कुल सड़कों का 40 प्रतिशत वहन करती है।
- **भूमि अधिग्रहण:** भूमि अधिग्रहण में देरी परियोजना लागत को प्रभावित कर सकती है क्योंकि भूमि की औसत लागत 2012-13 के दौरान 0.80 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2017-18 के दौरान 3.20 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई है।
- **सड़कों के लिए लागत में वृद्धि:** भूमि अधिग्रहण में देरी परियोजना लागत को प्रभावित कर सकती है क्योंकि भूमि की औसत लागत 2012-13 के दौरान 0.80 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2017-18 के दौरान 3.20 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई है।
- **गुणवत्ता वाले ड्राइविंग स्कूलों की कमी:** 2016 में सड़क दुर्घटनाओं में 80% मौतों के लिए ड्राइवरों की गलती जिम्मेदार थी, जो बेहतर प्रवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। आरटीओ द्वारा गुणवत्ता ड्राइविंग स्कूलों, ड्राइवर परीक्षण केंद्रों और मानकीकृत ड्राइवर लाइसेंस नियमों की स्थापना की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल

- **भारत का गति शक्ति कार्यक्रम:** इसने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (1,350 किलोमीटर), अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे (1,257 किलोमीटर) आदि जैसी 81 उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की एक सूची को समेकित किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक तेज अनुमोदन प्रक्रिया है जिसे गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है और अनुमोदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल किया जा सकता है।
- **केंद्रीय बजट 2022-23:** सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि के लिए आवंटन में 19% की वृद्धि की योजना बनाई है। कुल निधि 2,95,150 करोड़ रुपये (यूएस $ 38.86 मिलियन) थी।
- **सड़क अवसंरचना पर वित्तीय व्यय योजना:** मार्च 2022 तक, सरकार ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग और कलादान मल्टी-मॉडल परिवहन परियोजना के साथ-साथ अन्य सड़क विकास परियोजनाओं जैसे पूंजी कनेक्टिविटी, जिला कनेक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कनेक्टिविटी, और सिक्किम के क्षेत्र में सड़कों के सुधार और सुदृढ़ीकरण पर 10,565 करोड़ रुपये (यूएस $ 1.38 बिलियन) खर्च करने की योजना बना रही है।
- **वाहन स्क्रैपिंग नीति:** अक्टूबर 2021 में, सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति (अप्रैल 2022 से प्रभावी) के तहत रियायतों से संबंधित एक नोटिस जारी किया ताकि वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जिनकी ईंधन खपत लागत अधिक है।
- **निश्चित कार्य:** अक्टूबर 2021 में, सरकार ने अगरतला स्मार्ट सिटी में 15 प्रमुख सड़कों के लिए एक रूपांतरण परियोजना शुरू की। यह परियोजना इन सड़कों को मौसम के अनुकूल सड़कों में परिवर्तित करेगी, और इस क्षेत्र के विकास को और मजबूत करेगी।
- **सुरक्षा मुद्दों की घोषणाएं:** अक्टूबर 2021 में, सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए नियमों की घोषणा की, जैसे

कि वाणिज्यिक ट्रक ड्राइवरों के लिए निश्चित ड्राइविंग घंटे और वाणिज्यिक वाहनों में स्लीप डिटेक्शन सेंसर लगाने का आदेश।

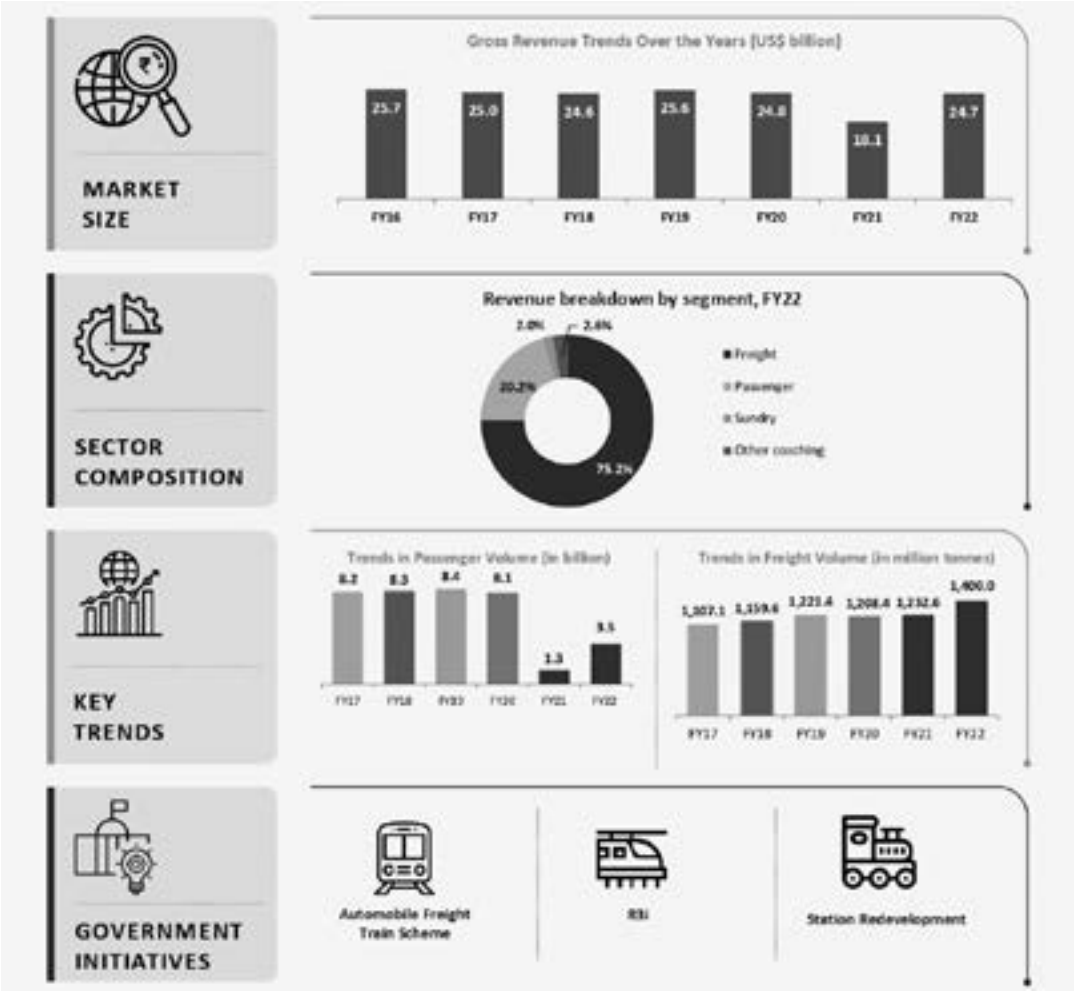
- **भारतमाला परियोजना के चरण-I के तहत:** मंत्रालय ने 5,35,000 करोड़ रुपये (यूएस $76.55 बिलियन) के परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, 22 ग्रीनफील्ड परियोजनाओं (8,000 किलोमीटर लंबाई) का निर्माण किया जा रहा है। यह 3.26 लाख करोड़ रुपये (43.94 अरब अमेरिकी डॉलर) का है।
- **टोल राजस्व सृजन:** 2022 तक कुल 200,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरा होने का अनुमान है। अगले पांच वर्षों में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) टोल और अन्य स्रोतों से सालाना 1 लाख करोड़ रुपये (यूएस $ 14.30 बिलियन) उत्पन्न करने में सक्षम होगा।

आगे की राह

- **सड़क संपर्क का विस्तार:** संस्थागत सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक कार्य विभागों की कार्यान्वयन क्षमता में सुधार करके सड़क नेटवर्क का विस्तार करना। साथ ही, 2022-23 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में एक समर्पित महानगरीय शहरी परिवहन प्राधिकरण की आवश्यकता है।
- **सड़क रखरखाव और सुरक्षा में सुधार:** इसका उद्देश्य रखरखाव प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस) को अपनाकर एनएच संपत्ति का रखरखाव करना है।
- **भूमि अधिग्रहण को कारगर बनाना:** एमओआरटीएच के भूमि राशि वेब पोर्टल की उचित कार्यक्षमता सुनिश्चित करना। भूमि अधिग्रहण के विवरण जैसे बाजार मूल्य का निर्धारण, मुआवजे की राशि तय करना, मुआवजे का वितरण आदि के बारे में हितधारकों को संवेदनशील बनाना।
- **कौशल विकास:** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सड़क निर्माण पर व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करना।
- **अनुसंधान और विकास पर जोर बढ़ाना:** अनुसंधान एवं विकास के लिए एमओआरटीएच के वार्षिक बजट का 0.1 प्रतिशत निर्धारित करना। सड़कों पर अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक परिवहन डेटा केंद्र स्थापित करना और आईटी-सक्षम यातायात प्रबंधन प्रणालियों पर अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना।
- **सार्वजनिक परिवहन की क्षमता और पहुंच में वृद्धि:** राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को बदलें और सार्वजनिक परिवहन, ग्रामीण परिवहन और अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। केंद्र सरकार को बस बंदरगाहों को विकसित करने के लिए राज्यों के साथ काम करना चाहिए और वाहन (वाहन पंजीकरण के लिए) और सारथी (ड्राइविंग लाइसेंस के लिए) जैसी तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) प्रणाली में सुधार:** श्फास्टैगश चार्जिंग प्रणाली के पूर्ण सेटअप और सुव्यवस्थितता को सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों और रियायतग्राहियों (पीपीपी टोल प्लाजा के लिए) के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करना कि सभी टोल प्लाजा में ईटीसी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है।

रेलवे अवसंरचना

- दुनिया का चौथा सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे (आईआर) का है। इसके 70,000 किलोमीटर ट्रैक पर हर दिन कुल 21,000 ट्रेनें संचालित होती हैं, जिसमें लगभग 23 मिलियन यात्रियों और लगभग 3 मिलियन टन माल ढुलाई होती है।
- भारतीय रेलवे वर्तमान में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 13 लाख लोगों को रोजगार देता है। इसके अतिरिक्त, माल ढुलाई के लिए 2 रुपये प्रति शुद्ध टन-किमी और 1.6 रुपये प्रति यात्री-किमी की लागत से, भारतीय रेलवे सड़कों की तुलना में कम महंगा है।
- सरकार का लक्ष्य रेलमार्गों को लोगों और कार्गो दोनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, त्वरित और भरोसेमंद परिवहन का रूप बनाना है। इसलिए पूरे नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा स्थापित करने की नवीनतम पहल इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी।
- रेलवे में अब स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति है।
- फेयरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना लगातार चलने वाला भाप का इंजन है। यह नई दिल्ली और राजस्थान में अलवर के बीच चल रही है।
- यूनेस्को ने भारतीय रेलवे के चार स्थानों को "विश्व विरासत स्थल" के रूप में नामित किया है। ये नीलगिरि पर्वत, मुंबई सीएसटी, कालका-शिमला और दार्जिलिंग-हिमालयी रेलवे हैं।
- 1951 में, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया।



रेलवे का महत्व

- **परिवहन का सबसे सस्ता साधन:** रेलवे लंबी दूरी और उपनगरीय यातायात दोनों के लिए यात्री परिवहन का सबसे सस्ता और सबसे सुविधाजनक साधन प्रदान करता है।
- **विकास और वृद्धि को सुगम बनाना:** भारतीय रेलवे ने कृषि और उद्योगों के विकास और वृद्धि को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **कच्चे माल की आपूर्ति:** रेलवे कच्चे माल और अन्य सुविधाओं को कारखाने की साइटों और तैयार माल को बाजार में आपूर्ति करने में मदद करती है।
- **राष्ट्रीय एकीकरण:** रेलवे विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त हैं और राष्ट्रीय एकीकरण का एक मजबूत माध्यम प्रदान करते हैं।
- **रक्षा और आंतरिक सुरक्षा:** दूर-दराज के स्थानों पर सैनिकों, रक्षा उपकरणों आदि की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करके रेलवे देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में मदद करता है।
- **आपदा न्यूनीकरण:** प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, अकाल, भूकंप आदि की स्थिति में रेलवे लोगों की पीड़ा को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **महत्वपूर्ण लिंक:** रेलवे शहरों और ग्रामीण इलाकों (ग्रामीण क्षेत्रों) के बीच अलगाव को दूर करने में भी सहायक है और नवाचारों और नए विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **अतिरिक्त बुनियादी ढांचा:** कई यात्री ट्रेनों को कोविड-19 महामारी में आइसोलेशन सेंटर और क्लिनिक के रूप में परिवर्तित किया गया।

भारतीय रेलवे क्षेत्र में चुनौतियां

- **आर्थिक विकास:** सेवाओं और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं। लागत और पर्यावरण-प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग सुधार आवश्यक हैं। अगर भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि भारतीय रेल जल्द ही 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाली अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करे तो सुधार समय की जरूरत है।

- **मानव संसाधन और उससे संबंधित मुद्दे:** निचले स्तर पर रिक्त पद (ट्रैक मैन, लाइन मैन, तकनीशियन); बाबू संस्कृति अत्यधिक अपारदर्शी है और धीरे-धीरे आगे बढ़ती है।
- **भारतीय रेलवे सुरक्षा में समस्याएं:** भारत में रेल दुर्घटनाएं आम हैं। रेलवे ने 2018-19 में 16 मौतें, 2017-18 में 28 मौतें और 2016-17 में 195 मौतें दर्ज कीं।
- **अप्रभावी निर्णय और निर्णय लेने वाले विभिन्न विभाग:** भारतीय रेलवे के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय रेलवे बोर्ड है। इसे यांत्रिक, विद्युत, यातायात और वित्तीय सहित कई डिवीजनों में ऊपर से नीचे तक लंबवत रूप से विभाजित किया गया है। इन डिवीजनों ने भारतीय को अप्रभावी निर्णय लेने के साथ एक जटिल, अत्यधिक विभागीय संगठन बना दिया।
- **संसाधनों की कमी:** चीन में रेलवे का सालाना निवेश 9 से 10 लाख करोड़ रुपये के बीच है। जबकि भारत में यह 40,000 करोड़ रुपये है। इस धन का अधिकांश हिस्सा भारत में वेतन और मजदूरी के लिए आवंटित किया जाता है।
- **'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) क्षेत्रीय हवाई संपर्क कार्यक्रम:** यह भारतीय रेलवे के लिए परिचालन लागत को और बढ़ाएगा। भारत ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया।
- **बुनियादी ढांचे और सेवा आधुनिकीकरण:** भारतीय रेलवे इन परिवर्तनों को बनाए रखने में सक्षम नहीं है। यह उस दर से विस्तार करने में भी असमर्थ रहा है जिसकी भारत को आवश्यकता है। रेलवे की लगभग सभी शाखाओं को अपने उपकरणों, प्रक्रियाओं और प्रशिक्षण के आधुनिकीकरण की आवश्यकता होती है, जिनमें से सभी दशकों से चल रहे हैं। परिणामस्वरुप, रेलवे सरकार पर वित्तीय बोझ बना हुआ है।

विभिन्न समितियों की सिफारिशें

अनिल काकोदकर की अध्यक्षता में रेलवे सुरक्षा समिति (2012)

- **रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण** की तरह एक अध्यक्ष और बाहरी विशेषज्ञों वाली एक **स्वतंत्र सरकारी एजेंसी** की आवश्यकता है।
- आवंटित अवधि में **मानवयुक्त और मानव रहित दोनों लेवल क्रॉसिंग** को पूरी तरह से समाप्त करना।
- पूरे ट्रंक लाइन पर, जो लगभग 19,000 रूट किलोमीटर को कवर करता है, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल- **II** के समान निरंतर ट्रैक सर्किटिंग और कैब सिग्नलिंग पर आधारित एक **परिष्कृत सिग्नलिंग सिस्टम की आवश्यकता है।**
- **संबंधित चीफ ब्रिज इंजीनियर** के कार्यालय को विक्षेप/विस्थापन, जल स्तर और प्रवाह वेग के माप सहित सभी पुलों की चल रही वैज्ञानिक निगरानी से डेटा प्राप्त करना चाहिए।
- रेलवे के काम करने के तरीके पर **सुरक्षा पर्यवेक्षण के लिए, एक मजबूत और विश्वसनीय सुरक्षा संरचना होनी चाहिए।**

भारतीय रेलवे पुनर्गठन पर बिबेक देबरॉय समिति (2014)

- कार्यकुशलता में सुधार के लिए, रेल प्रणाली को और विकेंद्रीकृत किए जाने की आवश्यकता है।
- माल और यात्री किराए के बीच संतुलन बनाए रखते हुए क्रॉस सब्सिडी को कम किया जाना चाहिए।
- ऑनलाइन बोली और खरीदारी की ओर बढ़ते हुए वार्षिक बजट और रेल बजट को जोड़ा जाना चाहिए।
- रेलवे को राजनीति से स्वतंत्र रखने के लिए एक अलग टैरिफ नियामक स्थापित करना आवश्यक है।
- यूपीएससी और एसएससी के बजाय, एक ही संगठन को रेलवे के लिए भर्ती संभालनी चाहिए।

आगे की राह

- **भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस):** हाल के भारतीय रेलवे पुनर्गठन उपायों को लागू करना एक अच्छा विचार है जिसमें रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन करना और मौजूदा ग्रुप ए सेवाओं को आईआरएमएस में जोड़ना शामिल है।
- **भारतीय रेलवे का निजीकरण:** रेलवे के पास देश भर में कई स्थानों पर अपनी पटरियों के साथ-साथ संपत्ति का पर्याप्त हिस्सा है। इन क्षेत्रों में निजी पार्टियों को निवेश करने, विकसित करने और वहां बनाए जाने वाले किसी भी भवन का प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करके सबसे अच्छा मुद्रीकरण किया जा सकता है।
- **भारतीय रेलवे के उचित मूल्यों और बीमा के उपयोग का प्रभावी मूल्यांकन:** हाल ही में, भारतीय रेलवे के लिए एक बीमा योजना शुरू की गई थी, जिसकी लागत 0.9 रुपये प्रति टिकट थी। हालांकि, पटरी से उतरी ट्रेन में बहुत कम यात्रियों ने हाल ही में इस बीमा को प्राप्त करने का विकल्प चुना। यह दर्शाता है कि व्यक्ति केवल सक्रिय विपणन के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत होंगे।

- **एलएचबी (लिंके हॉफमैन बुश) कोच का अधिक उपयोग:** एलएचबी पर कोच टकराते या पटरी से नहीं उतरते हैं। जापान के शिंकानसेन की तर्ज पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ) का उद्देश्य बोगियों की जगह एलएचबी कोच के लिए जगह बनाना है।
- **राष्ट्रीय रेल योजना:** यह 2050 तक विकास को समायोजित करने के लिए 2030 तक रेलवे नेटवर्क की क्षमता वृद्धि के लिए एक योजना प्रस्तुत करता है। यह एक रेलवे नेटवर्क के विकास की मांग करता है जो भविष्य के लिए तैयार है और यात्री मांग दोनों को पूरा करने और माल ढुलाई में रेलमार्गों के मोडल हिस्से को 26-27% से 40-45% के वर्तमान स्तर तक बढ़ाने में सक्षम है।
- **मौजूदा बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग:** क्षमता उपयोग में सुधार के लिए चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता देना। साथ ही, हमें मौजूदा नेटवर्क को बनाए रखने और अपग्रेड करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपूर्ति मांग के अनुरूप रहे।
- **रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण:** रेल यात्रियों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए यात्री सुविधाओं, स्टेशन भवनों, प्लेटफार्म सतहों और परिसंचरण क्षेत्रों की उपलब्धता और गुणवत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से संगठनात्मक कठोरता को कम करना:** इसका उद्देश्य एक पारदर्शी, तटस्थ (गैर-रेलवे) और निष्पक्ष नियामक तंत्र के तहत निजी क्षेत्र के लिए माल टर्मिनलों के स्वामित्व और संचालन और लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक के स्वामित्व को खोलने पर विचार करना है।
- **किराया संरचनाओं और सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना:** इसका उद्देश्य यात्री और माल ढुलाई खंडों को स्थायी बनाने के लिए आईआर के मूल्य निर्धारण मॉडल पर दोबारा ध्यान देना है। सड़क परिवहन की लागत के साथ माल भाड़ा प्रतिस्पर्धी होना चाहिए।
- **व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना:** नई रेलवे प्रौद्योगिकी को अपनाने और रेलवे नेटवर्क की गति और विश्वसनीयता में सुधार के लिए एक स्वतंत्र समरूपता और मानकीकरण एजेंसी की स्थापना करना।
- **भूमि संसाधनों का मुद्रीकरण:** रेलवे के साथ, विशेष रूप से गैर-रेलवे राजस्व जैसे कि खुदरा या अन्य गतिविधियों के माध्यम से।
- **ट्रेनों की सुरक्षा में वृद्धि:** दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिद्ध प्रौद्योगिकियों और तर्कसंगत दृष्टिकोणों की मदद से रेलवे को लेवल क्रॉसिंग और मवेशी क्रॉसिंग को खत्म करने और उच्च स्तर की गतिविधि वाले क्षेत्रों में रेल पटरियों की बाड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष

- न्यू इंडिया /75 के लिए नीति आयोग की रणनीति में रेलवे के बुनियादी ढांचे में कई लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है जैसे कि बुनियादी ढांचे के निर्माण की गति को वर्तमान 7 किमी/दिन से बढ़ाकर 19 किमी/दिन करना, 2022-23 तक ब्रॉड-गेज ट्रैक का 100% विद्युतीकरण। इसे देखते हुए, निजीकरण के पक्ष में एक मजबूत तर्क यह है कि इससे बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार होगा जिससे सुरक्षा में सुधार होगा, यात्रा के समय में कमी आएगी, आदि।

विमानन अवसंरचना

- भारत में नागरिक उड्डयन उद्योग **पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों** में से एक के रूप में उभरा है और इसे मोटे तौर पर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस, गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा शामिल हैं जिनमें चार्टर ऑपरेटर और एयर टैक्सी ऑपरेटर, एयर कार्गो सेवा, जिसमें कार्गो और मेल का हवाई परिवहन शामिल है।
- **सबसे बड़ा विमानन उद्योग**
  - इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के अनुसार, भारत के अगले दस वर्षों में, 2030 तक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हवाई यात्री बाजार के रूप में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलने की उम्मीद है।
  - इसके अलावा, इस क्षेत्र में बढ़ती मांग ने इस क्षेत्र में परिचालन करने वाले हवाई जहाजों की संख्या को बढ़ा दिया है। **2027 तक हवाई जहाजों की संख्या 1,100 विमानों तक पहुंचने की उम्मीद है।**
  - दक्षिण एशिया में कुल एयरलाइन यातायात में घरेलू यातायात का योगदान लगभग 69% है और भारत की हवाईअड्डा क्षमता के **2023 तक सालाना 1 बिलियन यात्राओं को संभालने की उम्मीद है।**

- वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में भारत का यात्री यातायात 188.89 मिलियन और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 76.47 मिलियन था। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2022 के बीच, माल ढुलाई 2.52% की सीएजीआर से बढ़कर 2.70 एमएमटी से 3.14 एमएमटी हो गई। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में माल ढुलाई 0.81 एमएमटी रही थी। भारत में हवाई अड्डों पर माल ढुलाई वित्त वर्ष 2040 तक 17 मीट्रिक टन तक पहुंचने की क्षमता है।
- वित्त वर्ष 2022 में, विमानों की आवाजाही की संख्या 1,757,112 थी। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में, विमान आवागमन की संख्या 613,556 थी। बढ़ते हवाई यातायात को पूरा करने के लिए, भारत सरकार हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।
- 2022 तक, भारत में 129 परिचालन हवाई अड्डे थे। भारत ने वित्त वर्ष 2040 तक परिचालन हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 190-200 करने की परिकल्पना की है।

विमानन क्षेत्र का महत्व

- उच्च गति: यह परिवहन का सबसे तेज साधन है जो अन्य परिवहन की अपेक्षा यात्रियों और सामानों को न्यूनतम समय के भीतर परिवहन कर सकता है।
- **आर्थिक विकास उत्पन्न करना:** यह आर्थिक विकास उत्पन्न करता है, रोजगार सृजित करता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन को सुगम बनाता है।
- **सामरिक महत्व:** इसकी अत्यधिक सामरिक प्रासंगिकता है जिसका उपयोग आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए किया जा सकता है।
- **महंगे और हल्के माल का आसान परिवहन:** हवाई परिवहन के माध्यम से महंगे, हल्के और खराब होने वाले सामानों को भेजना सुविधाजनक होता है, जिन्हें सड़क या रेल के माध्यम से नहीं ले जाया जा सकता है।
- **भौतिक बाधाओं से मुक्त:** हवाई परिवहन भौतिक बाधाओं जैसे नदियों, पहाड़ों और घाटियों आदि से मुक्त है, जिससे दुनिया भर में निर्बाध यात्रा सुनिश्चित होती है।
- **प्राकृतिक आपदाओं में उपयोगी:** भूकंप, बाढ़, दुर्घटनाओं और अकाल के दौरान हवाई परिवहन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि रेल और सड़क बचाव कार्यों के लिए बहुत प्रभावी नहीं होते हैं।
- **विमानन शिक्षा और कौशल निर्माण:** 2025 तक नागरिक उड्डयन क्षेत्र की अनुमानित प्रत्यक्ष अतिरिक्त रोजगार आवश्यकता लगभग 3.3 लाख है।

भारतीय विमानन क्षेत्र की कठिनाइयां

- **कई नीतिगत अंतरालों** को अभी भी भरने की आवश्यकता है। तथ्यों के अनुसार 1937 के विमान नियम और 1934 के विमान अधिनियम एयरोस्पेस प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नहीं चल पाए। इसने क्षेत्र के लिए लागत बढ़ा दी है और बदले में यात्रियों की वृद्धि को धीमा कर दिया है।
- अपने वर्तमान स्थानों में **हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए भूमि की कमी,** विशेष रूप से बड़े शहरों में, बुनियादी ढांचे की कमी का एक उदाहरण है।
- **ईंधन की उच्च कीमतें:** 30% के वैश्विक औसत की तुलना में, भारत की ईंधन लागत परिचालन व्यय का 45% है।
- **विमानन क्षेत्र की लाभप्रदता:** अधिकांश एयरलाइन कंपनियों की वित्तीय स्थिति खराब है। कोविड-19 के प्रकोप के दौरान लॉकडाउन और एयरलाइन प्रतिबंधों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। लगातार घाटा ऑपरेटरों की संख्या को कम करता है, जिसका प्रभाव दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ता है।
- **प्रक्रियात्मक जटिलता:** विमानन उद्योग में लेन-देन की लागत करों और संघीय और राज्य दोनों सरकारों के अनुमोदन से बढ़ जाती है।
- **अपर्याप्त मानव संसाधन क्षमताएं:** एयरलाइन पायलटों और चालक दल के साथ-साथ रखरखाव और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ सहित उद्योग-मान्यता प्राप्त क्षमताओं की उपलब्धता कम आपूर्ति में है, जो कई औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को सीमित करती है।
- **कमजोर रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) क्षेत्र:** भारतीय एमआरओ का 90% काम सिंगापुर, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और अन्य देशों को आउटसोर्स किया जाता है।

आगे की राह

- **नीति आयोग भारत @75: विमानन क्षेत्र**
- हवाई अड्डे के लिए विनियामक वातावरण को आसान बनाना:
  - भारत में यात्री और माल ढुलाई को बढ़ाने में मदद करने के लिए विमानन बाजार को और नियंत्रण मुक्त करना और खोलना।
  - टैरिफ निर्धारण के लिए एक सुसंगत मॉडल अपनाना ताकि यह यात्री लागत को कम कर सके।
- **कुशल जनशक्ति की कमी को दूर करना**
  - हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों की शुरुआत में तेजी लाना।

- उड्डयन संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को प्रायोजित करने में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को सुगम बनाना।

- **विमानन सुरक्षा को प्राथमिकता देना**
  - शिफ्ट दुर्घटनाओं/घटनाओं को रोकने पर केंद्रित है।
  - सुरक्षा उल्लंघनों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। डीजीसीए को प्रभावी विमानन सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली के लिए स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं

- **केंद्रीय बजट 2022-23 में**
  - नागरिक उड्डयन मंत्रालय को 10,667 करोड़ रुपये (यूएस $ 1.38 बिलियन) आवंटित किए गए हैं।
  - आरसीएस (क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना) उड़ान योजना जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करना है, को 601 करोड़ रुपये (यूएस $ 77.52 मिलियन) आवंटित किए गए हैं।
  - पीएम-गति शक्ति विजन के बेहतर निष्पादन के लिए, केंद्र और राज्य सरकारें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में 16 नए हवाई अड्डों का निर्माण करेंगी।
- **कृषि उड़ान 2.0 योजना:** इस योजना में हवाई परिवहन द्वारा कृषि उपज की आवाजाही के लिए सहायता और प्रोत्साहन का प्रस्ताव है। कृषि उड़ान 2.0 को देश भर के 53 हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित है। इससे किसानों, फ्रेट फारवर्डरों और एयरलाइनों को लाभ होने की उम्मीद है।
- **2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति:** नागरिक उड्डयन उद्योग को नीति द्वारा 22 क्षेत्रों में विनियमित किया जाता है। एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू करने से पहले घरेलू परिचालन के लिए 20 विमान या अपनी कुल क्षमता का 20% तैनात करना होगा, जो भी अधिक हो। इससे भारत की वैश्विक पहुंच के आधार पर एयरलाइन सेवाओं में वृद्धि होगी।
- **क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)/उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक):** इसके परिणामस्वरूप हवाई यात्रा अधिक सुलभ हो रही है। 2016 में, भारत में घरेलू विमानन यातायात का 66% शीर्ष 6 हवाई अड्डों द्वारा नियंत्रित किया गया था। जून 2022 तक, यह घटकर 55% हो गया था। इससे पता चलता है कि ट्रैफिक पैटर्न मेट्रो मार्गों से दूर जा रहा है।
- **उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा:** अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने की संभावना है।
- बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे सहित छह हवाईअड्डों पर चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग कर बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली। परियोजना वर्तमान में परीक्षण चरण में है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) को उम्मीद है कि इच्छुक वाणिज्यिक पायलट जल्द ही देश छोड़े बिना **भारत में प्रशिक्षित होने में सक्षम होंगे। इस संबंध में, सरकार ने निम्नलिखित पांच हवाई अड्डों पर आठ नई उड़ान शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने की घोषणा की: कर्नाटक में बेलगावी और कलबुरगी, महाराष्ट्र में जलगाँव, मध्य प्रदेश में खजुराहो और असम में लीलाबारी।**
- अक्टूबर 2020 में गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट के बीच सीप्लेन सेवा के सफल **परिक्षण** के बाद सरकार **देश भर में 14 और जल हवाई अड्डे शुरू करने की योजना बना रही है।**

निष्कर्ष

- सही नीतियों और गुणवत्ता, लागत और यात्री हित पर लगातार ध्यान देने के साथ, भारत 2024 तक तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने और 2030 तक 17 एसडीजी और 169 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति में होगा। हालांकि वास्तविक उपलब्धि तभी देखने को मिलेगी जब देश के हर जिले को एयर ग्रिड से जोड़ा जाएगा और आम आदमी इसका उपयोग करने और वहन करने में सक्षम होगा।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर शिकागो सम्मेलन, 1944

- 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर कन्वेंशन को औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल, कनाडा में मुख्यालय में अपनाया गया था।
- इसने अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति देने वाले मौलिक नियम बनाए और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) बनाने में मदद की।
- 1944 में, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) की स्थापना की, जिसने शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के मानदंडों और प्रथाओं के लिए आधार तैयार किया।
- भारत इसके 193 सदस्यों में से एक है।

विमानन क्षेत्र: विजन 2040

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय **(MoCA)** ने 15 जनवरी, **2019** को विजन **2040** दस्तावेज का अनावरण किया, **जो भारतीय विमानन के विभिन्न उप-क्षेत्रों में विकास की क्षमता और वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।**

- **दस्तावेज के अनुसार, भारत में कुल यात्री यातायात (भारत में, से और भारत के भीतर) वित्त वर्ष 2018 में 187 मिलियन से लगभग छह गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2040 में लगभग 1124 मिलियन होने की उम्मीद है।** इसमें लगभग 821 मिलियन घरेलू यात्री और लगभग शामिल हैं। 303 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय यात्री (भारत से आने और जाने वाले)।
- **वित्त वर्ष 2018-2040 के दौरान समग्र सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) घरेलू यातायात में लगभग 9% और अंतर्राष्ट्रीय यातायात में 7% है।**

बंदरगाह और जलमार्ग अवसंरचना

- भारत का एक गौरवशाली अतीत रहा है। प्राचीन काल में भारतीय समुद्री व्यापार संपन्न था। पिछले 4,000 वर्षों से, भारतीय नौकाएं और जहाज हिंद महासागर में मध्य पूर्व में माल पहुंचाते रहे हैं।
- **भारतीय बंदरगाह और नौवहन उद्योग** समकालीन समय में देश के व्यापार और वाणिज्य में विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार, भारत का **लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 70% मूल्य के हिसाब से समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है।**



- **भारत लगभग 7,517 किलोमीटर की तटरेखा के साथ दुनिया का सोलहवां सबसे बड़ा समुद्री देश है।** भारत सरकार बंदरगाह क्षेत्र का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसने बंदरगाह और बंदरगाह निर्माण और रखरखाव परियोजनाओं के लिए स्वत: मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है।
- इसने बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों और अंतर्देशीय बंदरगाहों का विकास, रखरखाव और संचालन करने वाले उद्यमों के लिए 10 वर्ष के कर अवकाश की सुविधा भी दी है।
- भारत में, 2005 से शुरू होने वाले दशक में **वार्षिक कार्गो यातायात दोगुना होकर 1 बिलियन टन प्रति वर्ष हो गया है। भारत में समुद्री व्यापार 3.3% की वैश्विक विकास दर से दोगुना हो गया है।**
- **केंद्रीय बजट 2020-21 में, जहाजरानी मंत्रालय के लिए कुल आवंटन 1,702.35 करोड़ रुपये (यूएस + 233.48 मिलियन) था।**
- नवंबर 2020 में, प्रधान मंत्री ने जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया। चिदंबरनार बंदरगाह को तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहा जाता है।

नोट: भारत में 12 प्रमुख और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं। सागरमाला के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश में छह नए मेगा पोर्ट विकसित किए जाएंगे।

- **प्राथमिक बंदरगाह:** प्रमुख बंदरगाह 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम और 1963 के प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम के तहत शासित होते हैं और भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। एक न्यासी बोर्ड जिसे भारत सरकार ने गठित किया है, प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह की देखरेख करता है। ये बंदरगाह प्रबंधन, योजना और संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।
- **छोटे बंदरगाह:** ये राज्य के बंदरगाह प्रबंधन विभाग या, यदि कोई स्थापित किया गया है, तो राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है, जैसा कि गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है। टैरिफ निर्धारित करने की शक्ति सहित राज्य समुद्री बोर्डों के पोर्ट ट्रस्टों के लिए तुलनात्मक जिम्मेदारियां हैं।

बंदरगाहों और जल अवसंरचना का महत्व

- **जलवायु परिवर्तन परिप्रेक्ष्य:** प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर तीन गुना तेजी से गर्म हो रहा है। प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ने और तटीय क्षरण से समुद्री पारिस्थितिकी को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि बंदरगाह के विकास और संचालन गतिविधियों में मजबूत पर्यावरणीय प्रभाव प्रबंधन हो।

- **यातायात प्रबंधन के साथ-साथ रसद लागत में कमी:** जुड़े हुए अंतर्देशीय जलमार्गों का एक नेटवर्क देश की रसद स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। कार्गो को स्थानांतरित करके, जलमार्ग राजमार्गों सहित सड़कों पर यातायात को कम करने में मदद करते हैं।
- **भूमि अधिग्रहण की बाधा को हटाना:** जलमार्गों में भूमि अधिग्रहण के साथ आने वाली कठिनाइयां नहीं होती हैं, जो ऐतिहासिक रूप से एक मार्मिक विषय रहा है जिसके कारण अनगिनत परियोजनाओं पर समय और खर्च बढ़ गया है।
- **सस्ता और विश्वसनीय:** अन्य विकल्पों की तुलना में, जलमार्ग परिवहन का एक अधिक किफायती रूप है, जो बिंदु **A** से बिंदु **B** तक जाने वाले उत्पादों की लागत को काफी कम करता है। **एकीकृत राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन ग्रिड पर राइट्स के एक शोध के अनुसार, एक लीटर पेट्रोलियम सड़क पर एक किलोमीटर से अधिक 24 टन, रेल पर एक किलोमीटर से अधिक 95 टन और अंतर्देशीय जल पर 215 किलोमीटर तक ले जा सकता है।**
- **विश्वव्यापी संबंधों को बनाए रखना:**
  - **दक्षिण एशियाई बंदरगाह अवसंरचना का रणनीतिक विकास:** दक्षिण एशिया सबसे कम परस्पर जुड़े क्षेत्रों में से एक है।इसलिए भारत का पूर्वी समुद्री तट बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय संपर्क के लिए एक एकीकृत हब और स्पोक मॉडल को फिर से बनाने में मदद कर सकता है।
  - **आईओआर में नेट सुरक्षा प्रदाता:** कई पश्चिमी देश आईओआर में नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता के बारे में सावधानी बरत रहे हैं। अपनी तटीय सुरक्षा को बढ़ाकर, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करके, और भीतरी इलाकों से अपनी कनेक्टिविटी सुनिश्चित करके, भारत आईओआर में नेट सुरक्षा प्रदाता की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उनकी मदद पर भरोसा कर सकता है।
  - **चीन के प्रभाव को नकारना:** अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, चीन ने श्रीलंका के साथ भारत के पहले से मौजूद ट्रांस-शिपमेंट मुद्दे को सक्रिय रूप से बदतर बना दिया है। चीन को हंबनटोटा बंदरगाह पर श्रीलंका द्वारा 99 साल की लीज पहले ही दी जा चुकी है। इसलिए भारत को बंदरगाह विस्तार और स्थानीय ट्रांस-शिपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता है।

अंतर्देशीय जलमार्ग

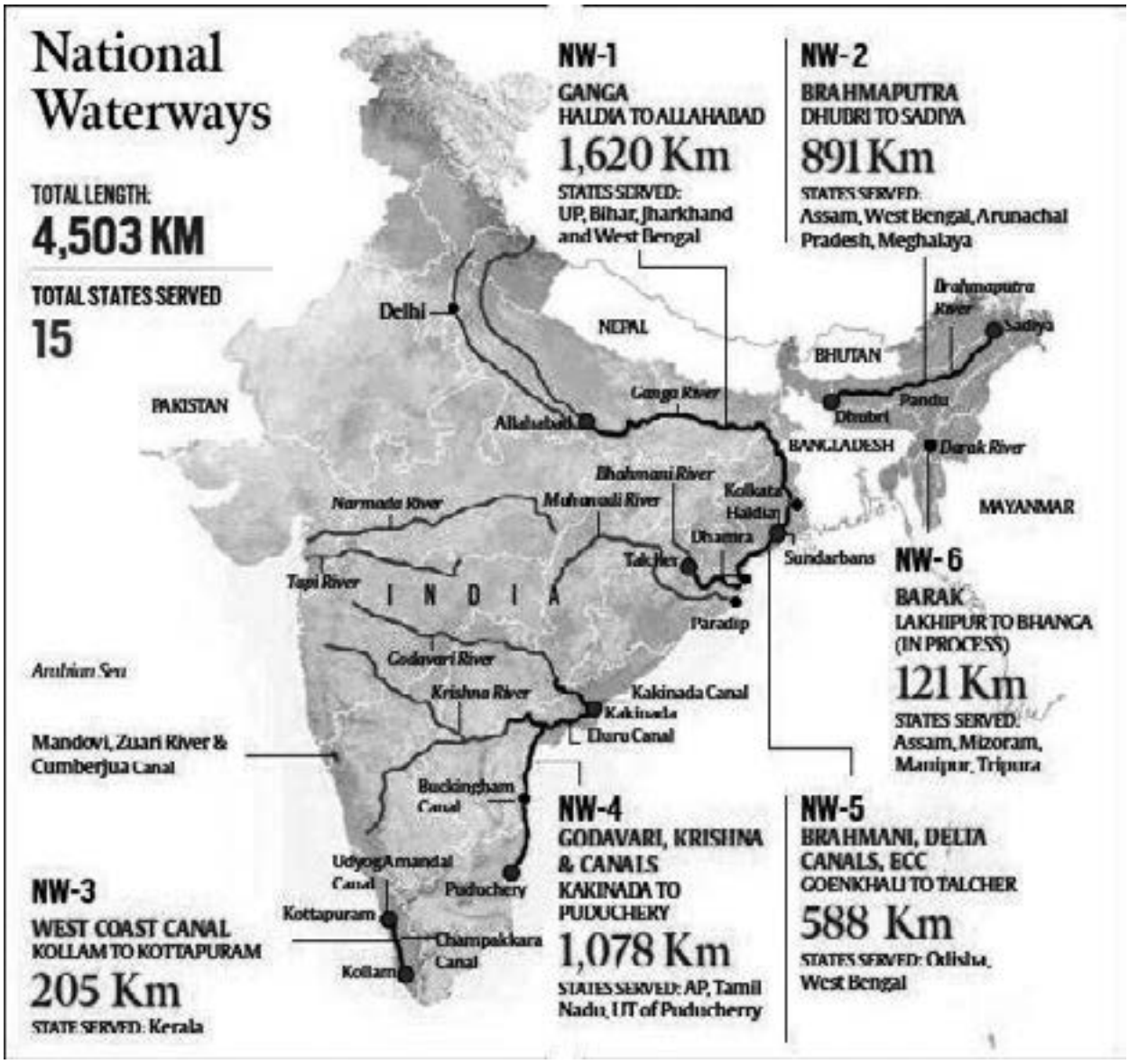
- अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में जानी जाने वाली नदियों, नहरों, खाड़ियों और बांधों के नेटवर्क का उपयोग सड़कों और रेलमार्गों के अलावा या इसके अलावा परिवहन के लिए किया जा सकता है।
- बांग्लादेश में 35% और जर्मनी में 20% की तुलना में देश में लगभग 14,500 किमी नौगम्य जलमार्ग होने के बावजूद अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) भारत में माल यातायात का केवल 1% से भी कम बनाता है।

बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां

- **बुनियादी ढांचे की समस्या:** कम उत्पादकता और क्षमता की कमी के कारण भारतीय बंदरगाह भीड़भाड़ वाले हैं। लंबे टर्नअराउंड समय और उच्च माल ढुलाई लागत के कारण भारतीय बंदरगाह कम प्रतिस्पर्धी हैं। हालांकि टर्नअराउंड समय में वृद्धि हुई है। लेकिन यह अभी भी अंतरराष्ट्रीय मानकों से कम है; उदाहरण के लिए, जापानी बंदरगाहों का टर्नअराउंड समय 8.16 घंटे, ताइवान का 10.56 घंटे और हांगकांग का 12.48 घंटे (62.16 घंटे) है। खराब योजना के कारण कार्गो की मात्रा में वृद्धि के साथ भारत के बंदरगाह का विस्तार नहीं हो पाया है।
- **रसद समस्या:** बंदरगाह की प्रभावशीलता और उत्पादकता रेल और सड़क कनेक्टिविटी के मानक और निर्भरता के साथ-साथ भंडारण और संचालन के लिए उपयुक्त सुविधाओं पर भी निर्भर करती है। महत्वपूर्ण बंदरगाहों और औद्योगिक समूहों के बीच राजमार्ग संपर्क के अभाव और ईंधन की उच्च लागत के कारण भीतरी इलाकों में परिवहन अक्षम और धीमा है।
- **नहरों में पानी की उपलब्धता और उनके प्रबंधन में असंगति**
  - राष्ट्रीय जलमार्ग का चौनल ड्राफ्ट आवश्यकतानुसार पूरे वर्ष 2 मीटर पर स्थिर नहीं रहता है। इनमें से कुछ नदियां मौसमी हैं, और वे हमेशा नौगम्य नहीं होती हैं।
  - इसके अतिरिक्त, सभी पहचानी गई नहरों को व्यापक पूंजी और रखरखाव ड्रेजिंग की आवश्यकता होती है, जो विस्थापन की चिंताओं सहित, कार्यान्वयन के मुद्दों को बनाने सहित पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण स्थानीय समुदाय के विरोध का सामना कर सकती है।
  - नहरों का निर्माण झरनों के अस्तित्व और नदी के मार्ग में अचानक मोड़ से बाधित होता है।

- पानी को सिंचाई के लिए उचित रूप से मोड़ा जाना चाहिए क्योंकि इससे नदी चौनल में पानी की मात्रा कम हो जाती है।

- **गाद के कारण नौवहन संबंधी जटिलताएं:** नदी तलों में गाद जमा होने से जल की गहराई कम हो जाती है और नौवहन जटिल हो जाता है। नली के ताल की गाद निकालना एक महंगी प्रक्रिया है।
- **प्रौद्योगिकी समस्या:** बंदरगाह टर्मिनलों के बीच कार्गो के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह अत्याधुनिक नवाचारों और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। अपने व्यापार भागीदारों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को आसान बनाने के लिए, उन्होंने ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम और एंड-टू-एंड समाधान स्थापित किए हैं। कंटेनर व्यापार, बंदरगाहों, अंतर्देशीय टर्मिनलों और सीमा शुल्क में लगे शिपर्स के बीच भारत में बहुत अधिक तरल सूचना प्रवाह नहीं है। इससे प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- **विनियमन समस्या:** लंबी प्रलेखन प्रक्रिया, जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, और नियम भारत में बंदरगाह संचालन में बाधा डालते हैं। सिंगापुर जैसे कुछ बड़े बंदरगाहों में लगभग 95% कंटेनरों को बिना किसी भौतिक परीक्षण के पारित होने की अनुमति है, जहां आधुनिक कस्टम प्रशासन ने कंटेनर परीक्षण के लिए एक बहुत ही चयनात्मक दृष्टिकोण लागू किया है। भारतीय नियमों के अनुसार, प्रत्येक बॉक्स की सामग्री का 10% जांचा और मान्य किया जाना चाहिए। यह देरी में जोड़ता है और परिवहन लागत बढ़ाता है।
- **पर्याप्त मांग न होना:** नहरों को परिवहन का आर्थिक रूप से व्यवहार्य साधन बनाने के लिए, उनकी मांग में वृद्धि होनी चाहिए।



सरकार की पहल

- **नई तकनीक और संसाधन**
  - **2009 में कोचीन पोर्ट में शुरू की गई वीटीएमएस (वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) को 5.8 करोड़ रुपये (यूएस $ 772,161.66) की लागत से स्थापित दो नए रडार, एक एआईएस बेस स्टेशन, तीन वीएचएफ रेडियो और संबद्ध सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से युक्त अत्याधुनिक प्रणाली के साथ अपग्रेड किया गया है।**
  - केंद्र ने विशाखापत्तनम बंदरगाह क्रूज टर्मिनल के लिए **100 करोड़ रुपये (यूएस $ 13.31 मिलियन) मंजूर किए हैं।**
- **मसौदा भारतीय बंदरगाह विधेयक 2021:**
  - संशोधित मसौदा बंदरगाह विधेयक, 2022 को केंद्र सरकार द्वारा **1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम को बदलने के लिए तैयार किया गया है।** इसे निम्न के लिए तैयार किया गया है;
  - **समसामयिक रूपरेखाओं को ध्यान में रखने के लिए 1908 के अधिनियम को मसौदा बंदरगाह विधेयक के हिस्से के रूप में अद्यतन किया जाएगा;**
  - इसके अतिरिक्त, **इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण, रोकथाम , और समुद्री संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन की सुविधा से संबंधित कानूनों को अद्यतन और पुनर्गठित करना है।** साथ ही साथ देश के हित में बंदरगाह उद्योग के परामर्शी विकास का समर्थन करना है।
  - **बिल में देश के लिए एकल कानून को शामिल करने का प्रयास है।** नए कानून के तहत जारी किया गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होगा और राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
  - **इंटरनेट पोर्टल पर जहाज और चालक दल की जानकारी दर्ज करने के लिए बिल एक एकल डेटाबेस भी स्थापित करता है।**
- **नौवहन समुद्री सहायता विधेयक 2021:** इसे संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकी विकास और इस क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को शामिल किया गया था।
- **वित्तीय संसाधन आवंटन और निजी क्षेत्र के समावेशन में लगातार वृद्धि**
  - प्रमुख बंदरगाहों से वित्त वर्ष 2022 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर 2,000 करोड़ रुपये (यूएस $ 274.31 मिलियन) से अधिक की सात परियोजनाओं को वितरित करने की उम्मीद है। बंदरगाहों में निजी क्षेत्र के निवेश में पिछले पांच वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2020 तक 2.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया है।
  - वित्त मंत्री ने 2024 तक 4.5 मिलियन लाइट विस्थापन टन (एलडीटी) की जहाज पुनर्चक्रण क्षमता को दोगुना करने का प्रस्ताव दिया। इससे भारत में अतिरिक्त 1.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
  - केंद्रीय बजट 2021 में, सरकार ने देश में मर्चेंट शिप फ्लैगिंग को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय शिपिंग कंपनियों को 1,624 करोड़ रुपये (यूएस $ 222.74 मिलियन) की सब्सिडी फंडिंग की घोषणा की।
- **प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020:** इसे भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। **विधेयक का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाह प्रशासन में निर्णय लेने को विकेंद्रीकृत करना और उत्कृष्टता को सुदृढ़ करना है।**
- **आदर्श रियायत समझौता(एमसीए):** निर्माण, संचालन और हस्तांतरण ढांचे के तहत परियोजनाओं के लिए चुने गए बोलीदाताओं के साथ प्रमुख बंदरगाहों द्वारा की जाने वाली संविदात्मक व्यवस्थाओं में खुलापन और एकरूपता जोड़ने के लिए एमसीए को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- **कर छूट:** बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों और अंतर्देशीय बंदरगाहों के निर्माण, रखरखाव और संचालन के व्यवसाय में लगे उद्यमों को 10 वर्ष की कर छूट दी गई है।

आगे की राह

- **अधिक संसाधन आवंटन:** बढ़ता निवेश और कार्गो यातायात भारतीय बंदरगाह क्षेत्र के लिए एक स्वस्थ दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। संचालन और रखरखाव, पायलटेज और हार्बरिंग और समुद्री संपत्ति जैसे बार्ज और ड्रेज जैसी सेवाओं के प्रदाता इन निवेशों से लाभान्वित हो रहे हैं।
- **जलमार्ग लागत प्रभावी और टिकाऊ होना:** घरेलू जलमार्गों को माल ढुलाई का एक लागत प्रभावी और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीका पाया गया है। सरकार को 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करने का लक्ष्य रखना चाहिए।

- **ड्रेजिंग बाजार खोलना:** बंदरगाहों पर ड्राफ्ट की गहराई को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए, बड़े जहाजों को आकर्षित करने और उन्हें हब पोर्ट बनाने के लिए, सरकार को ड्रेजिंग गतिविधियों में विदेशी फर्मों को आकर्षित करने के लिए ड्रेजिंग बाजार खोलना चाहिए।
- **तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) और नए बंदरगाहों** के निर्माण के साथ-साथ कई सागरमाला परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाना।
- **दक्षता में सुधार**
  - रॉटरडैम, फेलिक्सस्टोवे और सिंगापुर जैसे कुशल अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों से सीखकर;
  - भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी के कारण परियोजना में होने वाली देरी को दूर करने के लिए, बंदरगाह मंत्रालय को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एनएचएआई और पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना चाहिए;
  - मल्टीमोडल और इंटरमोडल कनेक्टिविटी को मिलाकर, अंतर्देशीय जलमार्ग बेहतर अंतिम मील कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं;
- **बनाए गए विभिन्न कानूनों का कार्यान्वयन:** उदाहरण के लिए, व्यापार करने में आसानी, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए नए मर्चेंट शिपिंग बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचे के उपकरण के रूप में अंतर्देशीय जलयान का वर्गीकरण:**
  - यह महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय और परिचालन लागत वाले क्षेत्र के लिए धन प्राप्त करना आसान बना देगा;
  - यह बैंकों को अंतर्देशीय जहाजों के लिए वित्तपोषण की पहचान करने में मदद करेगा। तदनुसार एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण कार्यक्रमों को एकीकृत किया जा सकता है।

सागरमाला परियोजना

- सागरमाला परियोजना को वर्ष **2015** में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था **जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आस-पास बंदरगाहों के इर्द-गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है।**
- सागरमाला परियोजना का दृष्टिकोण **आयात-निर्यात और घरेलू व्यापार हेतु न्यूनतम बुनियादी ढांचा निवेश के साथ रसद लागत को कम करना है।**
- सागरमाला परियोजना वर्ष 2025 तक भारत के व्यापार निर्यात को 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा सकती है, साथ ही लगभग 10 मिलियन नई नौकरियां (प्रत्यक्ष रोजगार में चार मिलियन) पैदा कर सकती है।
- मंत्रालय ने संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ सागरमाला सीप्लेन सर्विसेज की महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।

सागरमाला कार्यक्रम के घटक

- **अवरोधों को दूर करना और मौजूदा बंदरगाहों की क्षमता का विस्तार,** साथ ही साथ नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का विकास, बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह विकास के उदाहरण हैं।
- **पोर्ट कनेक्टिविटी सुधार:** घरेलू जलमार्गों (अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय शिपिंग) सहित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स समाधानों के माध्यम से बंदरगाहों की आंतरिक भूमि से कनेक्टिविटी को बढ़ाना, कार्गो आवाजाही की लागत और समय का अनुकूलन करना।
- एक्जिम और घरेलू कार्गो की लॉजिस्टिक लागत तथा समय को कम करने के लिये बंदरगाह-समीपस्थ औद्योगिक क्लस्टर और तटीय आर्थिक क्षेत्र विकसित करना।
- **तटीय सामुदायिक विकास:** कौशल विकास और आजीविका निर्माण गतिविधियों, मत्स्य विकास, तटीय पर्यटन आदि के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत् विकास को बढ़ावा देना।
- **तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन:** सतत् और पर्यावरण के अनुकूल तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो को स्थानांतरित करने के लिये प्रोत्साहन।

निष्कर्ष

- 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनते देखना चाहती है। इसे प्राप्त करने के लिए, मजबूत निर्यात, निवेश और घरेलू मांग से संचालित अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ने की आवश्यकता होगी। समुद्री व्यापार और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे से निर्यात में मजबूत वृद्धि संभव होगी। **इसलिए, वैश्विक स्तर पर भारतीय बंदरगाहों और निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, सरकार को भारत में विश्व स्तरीय बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देना चाहिए।**

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. "तेजी से और समावेशी आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है।" भारत के अनुभव के प्रकाश में चर्चा कीजिए। (2021)
2. पूंजी निर्माण के संदर्भ में अर्थव्यवस्था में निवेश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक संस्था और निजी संस्था के बीच रियायत समझौते को तैयार करते समय विचार किए जाने वाले कारकों पर चर्चा कीजिए। (2020)
3. उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान बजट बनाने के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के लिए एक चुनौती है। स्पष्ट कीजिए। (2019)
4. ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए क्या भारत को अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार जारी रखना चाहिए? परमाणु ऊर्जा से जुड़े तथ्यों और आशंकाओं पर चर्चा कीजिए। (2018)
5. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच अनिवार्य है। इस संबंध में भारत में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। (2018)
6. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत में हवाई अड्डों के विकास का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में अधिकारियों के सामने क्या चुनौतियां हैं? (2017)
7. "औद्योगिक विकास दर सुधार के बाद की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के समग्र विकास में पीछे रह गई है" कारण बताइए। औद्योगिक नीति में हाल ही में हुए परिवर्तन औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहां तक सक्षम हैं? (2017)

❖ ❖ ❖

21 लॉजिस्टिक्स क्षेत्र

- लॉजिस्टिक्स, कम समय और कम पैसे में उपभोक्ता की मांगों को पूरा करते हुए उन्हें संतुष्ट करने के लिए उनके मूल स्थान से गंतव्य स्थान तक माल के प्रवाह का प्रबंधन है।
- "लॉजिस्टिक्स" शब्द का प्रयोग व्यापार, परिवहन और वाणिज्य से संबंधित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो कि निर्माण प्रक्रिया के अंत से लेकर उपभोग के लिए माल के वितरण तक होता है।
- निर्यात को बढ़ाने के लिए, प्रतिस्पर्धी, प्रभावी और मजबूत लॉजिस्टिक्स वातावरण का होना आवश्यक है। जैसा कि शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय सूचकांको में दर्शाया गया कि, कई बाधाओं के बावजूद, भारत ने व्यापार से संबंधित लॉजिस्टिक्स तंत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- कई सुधार पहलों और विधायी परिवर्तनों के कारण, भारत का लॉजिस्टिक्स उद्योग, जो एक उभरता हुआ उद्योग है, एक परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है।

लॉजिस्टिक्स: उद्देश्य

- **आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार:** लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के माध्यम से आयात और निर्यात प्रक्रियाओ को तेज किया जाता है, जिससे आपूर्ति श्रंखला की दृश्यता में वृद्धि होती है। ऊपरी खर्चों को कम करना और आवंटित अवधि के भीतर वितरण संचालन को सक्षम करना बहुत फायदेमंद होता है।
- **वस्तु सूची नियंत्रण:** उद्यमों के कुशल संचालन के लिए वस्तु सूची का नियंत्रण महत्वपूर्ण है। ऑर्डर करने के लिए कौन सा माल भण्डार चुनना है और वस्तु सूची स्तर को बनाए रखने तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है यह भी आवश्यक है। परिणामत:, वस्तु सूची प्रबंधन आमतौर पर स्टॉकआउट के जोखिम को कम करता है, इसके अतिरिक्त, वस्तु सूची के स्तर को कम करने से अतिरिक्त खर्चों में प्रभावी रूप से कमी आती है और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन संचालन में वृद्धि होती है।
- **उत्पाद क्षति को कम करना:** यह लॉजिस्टिक्स के लिए एक अतिरिक्त शुल्क की तरह है, जो खराब लॉजिस्टिक्स प्रबंधन, भार इकाई की कमी, अनुचित पैकेजिंग आदि के कारण हो सकता है। न्यूनतम उत्पाद क्षति को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी लॉजिस्टिक्स प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के लिए, उत्पाद की गतिशीलता की उचित निगरानी महत्वपूर्ण है।
- **ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करना:** लॉजिस्टिक्स प्रबंधन का मूल लक्ष्य ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध वस्तुसूची और परिवहन विकल्पों पर प्रभावी योजना बनाना है। परिणामस्वरूप एक कुशल माल ढुलाई प्रक्रिया तथा माल या उत्पादों का त्वरित वितरण होता है।
- **परिचालन लागत में कमी:** राजस्व बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला संचालन की लागत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह कच्चे माल के सर्वोत्तम संभव उपयोग तथा तेजी से उत्पाद वितरण को सक्षम बनाता है। साथ ही यह दोनों ही व्यवसायों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देते हैं।
- **गुणवत्ता आश्वासन:** सभी लॉजिस्टिक्स गतिविधियों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके, कॉर्पोरेट विकास को गति दी जा सकती है। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन के लक्ष्यों के मुख्य घटकों में से एक गुणवत्ता आश्वासन है।
- **कार्बन फुटप्रिंट को कम करना:** कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए आधुनिक तरीके अक्सर एक विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स प्रणाली द्वारा पेश किए जाते हैं। निस्संदेह, परिवहन क्षेत्र को ऑटोमोबाइल द्वारा उत्पादित उत्सर्जन के कारण पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों का मुख्य कारण माना जाता है। लॉजिस्टिक्स प्रबंधन का लक्ष्य, मार्ग अनुकूलन, प्रक्रिया स्वचालन और अन्य कार्यों के लिए रणनीतियों को लागू करना है जो कि पर्यावरण के अनुकूल और सतत लॉजिस्टिक्स के मानकों के अनुकूल हो।

लॉजिस्टिक्स: तथ्य एवं आँकड़े

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारत के लॉजिस्टिक्स उद्योग में 22 मिलियन से अधिक लोग कार्यरत हैं। उद्योगों के के विकास से सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 14% से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स लागत में 10% की कमी आएगी, जिससे निर्यात में 5-8% की वृद्धि होगी।

- यह पिछले पांच वर्षों के दौरान 7.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है।
- अनुमान के मुताबिक भारतीय लॉजिस्टिक्स व्यवसाय अगले दो वर्षों में लगभग 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा, जबकि वर्तमान में यह 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
- वर्तमान में इसका, 22 मिलियन कर्मचारियों, 200 नौवहन कंपनियों, 36 लॉजिस्टिक्स सेवाओं, 50 आईटी पारिस्थितिकी तंत्र, बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ 160 बिलियन डॉलर का बाजार है।
- वर्तमान में, परिवहन को सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स गतिविधि के रूप में माना जाता है, जो लॉजिस्टिक्स लागत का लगभग 50% से 60% तक होता है, इसके बाद भंडारण होता है।
- विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2018 ने भारत को 2.91 के खराब बुनियादी ढांचे के अंक के साथ 44वें स्थान पर रखा। (जर्मनी 4.37 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा)।
- सभी माल का लगभग 71% सड़क मार्ग द्वारा ले जाया जाता है। देश में लॉजिस्टिक्स प्रणाली का असंतुलित मिश्रण है।
- राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2.2% हिस्सा बनाते हैं, फिर भी कुल माल यातायात का 40% परिवहन करते हैं, जिससे देश की राजमार्ग प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ता है।
- भारत में, एक मालगाड़ी लगभग 20 टन के अधिकतम भार (कार्गो क्षमता) के साथ केवल 25 किमी/घंटा की औसत गति से यात्रा कर सकती है।
- हवाई माल ढुलाई के संबंध में यह स्थिति समान है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार, भारत में 20 अंतर्राष्ट्रीय और 23 घरेलू कार्गो बंदरगाह हैं, जिन्होंने मिलकर 2018-19 में 3.56 मिलियन मीट्रिक टन (MT) कार्गो को संभाला। इसके विपरीत, 3.63 मीट्रिक टन कार्गो 2019 में चीन के शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा संभाला गया।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का महत्व

- **कृषि घाटे में कमी:** कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अत्यधिक नुकसान होता हैं। मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे में कमी के कारण परिवहन में देरी होती है। ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त लॉजिस्टिक्स सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- **एकीकृत बहुविध परिवहन योजना:** परिवहन का एक मिश्रित मॉडल बनाने के लिए, जो कि कुशल, तेज, सुरक्षित, आयात प्रतिस्थापन, सस्ता और प्रदूषण मुक्त हो , एकीकृत बहुविध परिवहन योजना आवश्यक है।
- **रोजगार सृजन के अवसर:** लॉजिस्टिक्स उद्योग लगभग 45 मिलियन लोगों (औपचारिक और अनौपचारिक दोनों) को रोजगार देता है, और पिछले कुछ वर्षों में यह लगभग 14-15% की दर से बढ़ा है।
- **कृषि क्षेत्र का समर्थन:** आधी से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, जो लॉजिस्टिक्स उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर है। विशेष रूप से, लॉजिस्टिक्स लागत में समान कमी से कृषि उत्पादों की मांग में 12% की वृद्धि हुई और इस क्षेत्र में रोजगार में 6% की वृद्धि हुई।
- **निर्यात प्रतिस्पर्धा:** देश की निर्यात प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से एक प्रभावी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और पारदर्शी सीमा पार व्यापार सुविधा द्वारा संचालित होती है।
- **लागत में कमी:** अधिक प्रभावी तथा कुशल लॉजिस्टिक्स और परिवहन द्वारा समय और धन की बचत होती है। इसके अतिरिक्त, वे बड़े भंडार की आवश्यकता को कम करके उत्पादन लागत कम करते हैं। इसके परिणामस्वरुप, बीमा और भंडारण जैसी सुविधाओं के लिए कम पैसे की जरूरत होगी।
- **विनिर्माण क्षेत्र:** लॉजिस्टिक्स क्षेत्र वस्तुओं की एक कुशल और सस्ती आवाजाही सुनिश्चित करता है, जो अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक है।
- लॉजिस्टिक्स में सुधार से पर्यावरण पर लाभकारी प्रभाव पड़ सकता है। अभी तक, भारत का समग्र CO_2 उत्सर्जन लॉजिस्टिक्स से होने वाले CO_2 उत्सर्जन का लगभग 7% है। अकेले दिल्ली में, माल ढुलाई सभी पीएम 2.5 का 67%, सभी SO_2 का 61%, और सभी NOx उत्सर्जन का 62% है।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के मुद्दे और चुनौतियां

- **लॉजिस्टिक्स की लागत:** वित्त तक पहुँच में कठिनाइयां, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, संचार में कमी , और एक प्रतिकूल मॉडल मिश्रण के कारण, लॉजिस्टिक्स की लागत उच्च बनी हुई है।
- **कई हितधारकों की भागीदारी के कारण समन्वय:** लॉजिस्टिक्स में चार मुख्य घटक शामिल हैं जो उद्योग के अधिकांश हिस्से को बनाते हैं और विभिन्न विभागों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो कई हितधारकों की भागीदारी के कारण समन्वय को कठिन बना देता है। एक जैसी प्रक्रियाएं प्राय: विभिन्न संस्थाओ की उपस्थिति के कारण होती हैं।
- **अंतरसंचालित तकनीक की कमी:** अंतिम छोर तक पहुंच और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण वस्तुओं के परिवहन में बाधा आती है। लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के लिए गति शक्ति का एकीकृत दृष्टिकोण, भारतमाला परियोजना के 35 बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs), कई सागरमाला बंदरगाह संचार परियोजना प्रारंभ की गई है।

- **प्रतिस्पर्धा और क्षमता का कम उपयोग:** सार्वजनिक क्षेत्र के लाभों के प्रावधान के कारण, निजी खिलाड़ियों जैसे कि, कंटेनर रेलगाड़ी संचालको तथा विदेशी पोत मालिको को कोई समान अवसर उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप कम प्रतिस्पर्धा, क्षमता का कम उपयोग और अन्य अक्षमताएं होती हैं। निर्बाध पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने समर्पित माल ढुलाई गलियारे तथा बहुविध द्वारा अंतिम छोर तक पहुंच के लिए कई कार्यक्रम चलाये हैं।
- **भंडारण क्षमता और खंडित संरचना:** भारत ने अब तक 108.75 MMT भंडारण स्थान की सुविधा मुहैया करने की सूचना दी है, जिसमें से 20% की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र की है। गोदाम उद्योग में मूल्यवर्धन न्यूनतम है। कई वस्तुओं के लिए नियमानुसार माल को लादना,माल को उतरना और उनको सम्हालना अभी भी निरीक्षण तथा भण्डारण सुविधाएँ अभी भी काफी हद तक गैर-मशीनीकृत हैं।
- **उच्च स्थिरता का समय और उत्पादों का निर्बाध क्रॉस-मोड संचालन:** तकनीक की कमी के अलावा, अंतिम छोर तक पहुंच और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण माल का क्रॉस-मोड संचालन बाधित होता है।
- **सीमा अनुपालन और दस्तावेज प्रसंस्करण के लिए समय:** भारत का औसत सीमा अनुपालन और कागजी कार्रवाई का समय आयात के लिए 264 घंटे और निर्यात के लिए 106 घंटे है। भारत में दस्तावेजों के लिए औसत कार्यवाही का समय आयात के लिए 61 घंटे और निर्यात के लिए 38 घंटे है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** क्योंकि लॉजिस्टिक्स उद्योग को अब बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अत: हितधारक अब लंबी अवधि की निधियों का प्रयोग कर सकते हैं।
- **सुरक्षा कारक:** अनुचित लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप ट्रकों में अत्यधिक भार लादने जैसी गतिविधियां हो सकती हैं, जो कि यातायात सुरक्षा को खतरे में डालती हैं।

आगे की राह

- **लॉजिस्टिक्स लागत कम करना:** यह भारत के लिए व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा तथा वस्तुओं और सेवाओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बनायेगा।
- **आविष्कार और नवाचार:** नई तकनीक को लागू करने, निवेश बढ़ाने, कौशल विकसित करने, बाधाओं को कम करने, दो या उससे अधिक तरीको से परिवहन को बढ़ाने, प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, अनुमति देने के लिए एकल द्वार बनाने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करना इसमें शामिल है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MOCI) एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स साइट बना रहा है जो उपभोक्ताओं, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं और संबंधित सरकारी संगठनों को लेनदेन संबंधी ई-बाजार के रूप में कार्य करने के लिए जोड़ेगी।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया **विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता सूचकांक (LEADS)**, राज्यों को उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर लॉजिस्टिक्स के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने के लिए दी जाने वाली सहायता के अनुसार श्रेणीबद्ध करता है।
- **नियामक ढांचे को मजबूत करना:** "एक राष्ट्र-एक अनुबंध" प्रतिमान के लिए एक एकीकृत विधायी ढांचे के माध्यम से एक अनुकूल नियामक वातावरण बनाने के लक्ष्य के साथ हितधारकों के साथ मिलकर एक प्रस्तावित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कानून विकसित किया जा रहा है।
- **उदार नियामक ढांचा:** शहरी क्षेत्रों में शुल्क दर नीतियों और हवाई अधिकारों के मानदंडों सहित लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देना और विकसित करना।
- **क्षमता निर्माण:** प्रधानमंत्री के "आत्मनिर्भर भारत" और "मेक इन इंडिया" के दृष्टिकोण के अनुरूप रोपवे पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए आईआईटी तथा नस्डक (NSDC) कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया था।
- **नीतियों के लचीलेपन में सुधार:** क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्चक्रण और लंबी रियायत अवधि को सक्षम करना।
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय:** केंद्रीय मंत्रालयों (जैसे, पर्यावरण) और राज्य सरकारों से वास्तव में बहुविध संयोजकता (सड़क, रेल) और समयबद्ध मंजूरी को सुनिश्चित करना।
- **कुशल वित्त मॉडल: पीपीपी** एक व्यावहारिक वित्त मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, और विकास वित्त संस्थान (DFI) के शीघ्र संचालन के माध्यम से ऋण उपलब्धता में सुधार किया जाना चाहिए।
- लॉजिस्टिक्स उद्योग में सुधार का निर्यात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स लागत में 10% की कमी से निर्यात में 5-8% की वृद्धि हो सकती है।
- **माल ढुलाई में स्मार्ट शहरों की पहल** का उद्देश्य शहरी मालभाड़ा की दक्षता को बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी के अवसरों को विकसित करना होगा।
- **कर दरों में युक्तिकरण:** जीएसटी जैसे कर सुधार और वाणिज्य विभाग में लॉजिस्टिक्स प्रभाग की स्थापना।
- एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स नीति का निर्माण आवश्यक समझा गया है। समय-समय पर क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक ऐसी प्रणाली का होना आवश्यक है।

- मसौदा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, जिसका उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं के कुशल परिवहन को प्रोत्साहित करना है, पूरा होने के अंतिम चरण में है।
- मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन से लाभ होगा, और भारत भी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **बजटीय आवंटन:** केंद्रीय बजट 2021-22 में विभिन्न मंत्रालयों में पूंजीगत व्यय के लिए सरकार के 5.54 ट्रिलियन रुपये के आवंटन में 34.5% की वृद्धि देखी गई।
- **जीएसटी और ई-वे बिल प्रणाली: जीएसटी** और ई-वे बिल प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद से लॉजिस्टिक्स और परिवहन उद्योग अधिक कुशल हो गए हैं। परिणामस्वरूप ट्रक के टर्नअराउंड समय में लगभग 20% की कमी आई है।
- **सभी गोदामों की जियो-टैगिंग:** सभी भंडारण सुविधाओं की जियोटैगिंग से किसानों के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में कोल्ड स्टोरेज सुविधा या गोदाम ढूंढना आसान हो जाएगा जहां वे अपनी उपज को रख सकेंगे।
- डब्लूडीआरए (WDRA) मानकों के अनुसार भण्डारण को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, ग्राम भंडारण योजना बीज के लिए संपर्क प्रदान करेगी, जिससे परिवहन लागत कम होगी।
- जल्दी खराब होने वाले सामानों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, यात्री ट्रेनों में रेफ्रिजरेटर वैन को जोड़ा जाना चाहिए।
- **कृषि उड़ान योजना,** जो जल्द खराब होने वाली वस्तुओं और बागवानी की हवाई मार्ग से वितरण की मांग करती है, शुरू की गई है।
- जैविक वस्तुओं के लिए एक राष्ट्रीय जैविक ई-बाजार के विकास का प्रस्ताव है।
- **2023 तक,** दिल्ली से मुंबई और चेन्नई से बेंगलुरु के एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएंगे।
- **उड़ान योजना** के लिए 100 और हवाई अड्डों की स्थापना की आवश्यकता है।
- केबिनेट सचिव के निर्देशन में एक राष्ट्रीय समिति व्यापार सुविधा के लिए अखिल भारतीय योजना बना रही है।
- लेन-देन संबंधी ई-बाजार बनाने के लिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MOCI) एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स पोर्टल बना रहा है जो कि ग्राहकों, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं तथा सीमा शुल्क, बंदरगाह सामुदायिक केंद्र, पोर्ट टर्मिनल, शिपिंग लाइन तथा रेलवे जैसे प्रासंगिक सरकारी संगठनों को जोड़ेगा।
- **उप क्षेत्र संगत आधारभूत संरचना संबंधी मूलसूची** में अब लॉजिस्टिक्स क्षेत्र शामिल है। इससे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को लाभ होगा। साथ ही कम-लागत और वित्तपोषण तक दीर्घकालिक पहुंच होगी।
- इस निर्णय के परिणामस्वरूप बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा। अंततः, यह विनियमन के माध्यम से बाजार की जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करेगा और स्वीकृत परियोजनाओं पर संलग्न होने के लिए ऋण और पेंशन फंड को प्रेरित करेगा।
- **भारतमाला परियोजना:** मार्च 2022 तक 11,000 किमी के साथ 34,000 किलोमीटर सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण को पूरा किया जाएगा।
- **सागरमाला कार्यक्रम:** यह बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य चार स्तंभों के आधार पर पोर्ट-आधारित विकास को प्राप्त करना है, जो हैं- पोर्ट आधुनिकीकरण, पोर्ट संचार माध्यम, पोर्ट-आधारित औद्योगीकरण, तटीय सामुदायिक विकास।
- **राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम:** पहाड़ी क्षेत्रों में संचार को बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2022-2023 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम या ष्पर्वतमालाष् की घोषणा की गई थी।
- परियोजना को पीपीपी (Public, Private, Partnership) मोड के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा, जो कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक राजमार्गों के लिए एक बेहतर स्थायी विकल्प साबित होगा।
- **मिशन गति-शक्ति:** बहुविध संचार माध्यम के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में, मिशन गति-शक्ति प्रारंभ किया गया है।
- **पूर्वी और पश्चिमी को समर्पित माल ढुलाई गलियारे:** इस तरह के गलियारों के चालू होने से रेलमार्गों द्वारा वहन किए जाने वाले माल के अनुपात में काफी वृद्धि हो सकती है। मौजूदा रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ को दूर करने के साथ, यह लगभग 70 किमी/घंटा की औसत गति से भारी माल ढोने के लिए लंबी रेकों को भी सक्षम करेगा।
- इसके अतिरिक्त, 2025 तक सभी महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में हवाई परिवहन नौवहन केंद्र स्थापित करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय वायु कार्गो नीति विकसित की गई थी।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार:** उद्योग में व्यवस्थित परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए।
  - भारत का पहला लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण परिवर्तन और नवाचार के योगदान पर प्रकाश डालता है।

- **विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता (लीड्स):** भारत सरकार ने एक मजबूत और किफायती लॉजिस्टिक इकोसिस्टम विकसित करने को प्राथमिकता दी है। इस दृष्टि को पूरा करने के लिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, SPIRIT का लॉजिस्टिक्स डिवीजन देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में विभिन्न सुधारों का आकलन करने और सुझाव देने के लिए सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में एक वार्षिक "लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स)" सर्वेक्षण करता है। (PIB)
- **"एक राष्ट्र-एक अनुबंध"** प्रतिमान (one bill of lading across modes), जो "एक राष्ट्र-एक बाजार" रणनीति का समर्थन करता है। प्रस्तावित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कानून द्वारा समर्थित होगा, जिसे हितधारकों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
- मसौदा **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति**, जिसका उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं के कुशल परिवहन को प्रोत्साहित करना है, अंतिम चरण के करीब है।

निष्कर्ष

- भारत के जटिल लॉजिस्टिक्स उद्योगों को आंतरिक और बाहरी दोनों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में फलने-फूलने, लक्ष्य हासिल करने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर प्रबंधन, योजना और लक्ष्य-निर्धारण के माध्यम से उन्हें दूर किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन

- **प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन** प्रभावी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।
- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान अनिवार्य रूप से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो, एक समन्वित आधारभूत संरचना संयोजन परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए सड़क और रेलवे सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाता है।
- बहुविध संचार माध्यमों के कारण लोग, वस्तुएं और सेवाएं परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में जा सकेंगे, जो एकीकृत और निर्बाध संचार प्रदान करेगा।
- यह अंतिम बिंदु तक आधारभूत संरचना संयोजन में तेजी लाने और यात्रा के समय को कम करने में मदद करेगा।
- भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि बंदरगाह, उड़ान, आदि सहित विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं को पीएम गति शक्ति द्वारा शामिल किया जाएगा।
- संचार बढ़ाने और भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत कपड़ा समूह, फार्मास्युटिकल समूह, रक्षा गलियारे, विद्युत् पार्क, औद्योगिक गलियारे, मत्स्य पालन समूह और कृषि क्षेत्र जैसे आर्थिक क्षेत्र शामिल किए जाएंगे।
- यह प्रौद्योगिकी का पर्याप्त उपयोग भी करेगा, जैसे कि BISAG&N (Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics) द्वारा निर्मित इसरो IMAGERY जैसे स्थानिक नियोजन उपकरण।

नया राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कानून

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993 (MMTG) को बदलने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स दक्षता एवं उन्नति,भविष्यवाणी और सुरक्षा अधिनियम (NLEAPS) पर विचार कर रहा है।
- इससे विनियमों को आसान बनाने और आपूर्ति-पक्ष के मुद्दों को संभालने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादों के लिए कम लॉजिस्टिक्स लागत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य महत्वपूर्ण प्रमुख नियामकों की भूमिकाओं की रूपरेखा तैयार करेगी।
- यह एकल-द्वार ई-लॉजिस्टिक्स बाजार स्थापित करेगा और रोजगार सृजन, कौशल विकास और छोटे और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने पर जोर देगा।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स दक्षता एवं उन्नति,भविष्यवाणी और सुरक्षा अधिनियम (NLEAPS) के उद्देश्य:**
  - देश की व्यापार प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
  - डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक्स सेवाओं का आधुनिकीकरण करना, जो उत्पादों के कुशल परिवहन के लिए आवश्यक हैं।
  - 2022 तक लॉजिस्टिक्स की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 14% से घटाकर सकल घरेलू उत्पाद के 10% से कम करना।

लॉजिस्टिक्स कानून का महत्व

- **एक राष्ट्र-एक अनुबंध:** एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कानून जो "एक राष्ट्र-एक अनुबंध" के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करेगा और एक लचीला नियामक वातावरण प्रदान करेगा।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुगम बनाना:** तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिवहन के विभिन्न साधनों,

दस्तावेजों और हितधारकों को जोड़कर, संचालन की एक अधिक सरलीकृत प्रणाली तैयार की जाएगी, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा।

- **रोजगार और विकास को बढ़ावा देना:** उद्योग में कौशल में सुधार और लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उचित निष्पादन, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में रोजगार को दोगुना करने और अतिरिक्त 10-15 मिलियन रोजगार सृजित करने में सहायता करेगा।
- इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक रैंकिंग में भारत की स्थिति बढ़ेगी।

भारतीय लॉजिस्टिक्स कानूनों में संकट

- **दायित्व संबंधी मुद्दे:**

एक-मॉडल परिवहन अनुबंधों में, एकल ढुलाई के लिए देयता ग्रहण की जाती है, जिसके आधार पर बीमा प्राप्त किया जाता है।

बहुविध अनुबंधों में, वहन के प्रत्येक चरण के लिए दायित्वों/कानूनों की बहुलता होती है। दायित्व के अलग-अलग नियम एक ही अनुबंध, या मुख्य अनुबंध और उसके अंतर्गत सभी उप-अनुबंधों पर लागू हो सकते हैं।

बहुविध माल परिवहन अधिनियम (MMTG Act.) भारत में मौजूद है। यह एक नया बहुविध कानूनी ढांचा स्थापित करता है जो मौजूदा एकरूप ढांचे के साथ सह-अस्तित्व में है। लेकिन केवल अंतरराष्ट्रीय ढुलाई पर लागू होता है, जो घरेलू बाजार को अलग करता है।

अलग-अलग परिभाषाएं और शब्दावली: एकल लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रलेखित और वितरित करना चुनौतीपूर्ण था क्योंकि प्रत्येक मोड के लॉजिस्टिक्स अनुबंधों में अलग-अलग परिभाषाओं और शब्दावली का उपयोग किया गया था।

- प्रत्येक मोड के तहत उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज/अनुबंध अलग-अलग होते हैं, और प्रत्येक एकल मॉडल, कानून दस्तावेजीकरण के लिए एक अलग प्रारूप और आवश्यकता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, रेल द्वारा परिवहन के लिए रेलवे रसीद की आवश्यकता होती है, सड़क द्वारा परिवहन के लिए माल अग्रेषण नोट की आवश्यकता होती है, और समुद्र द्वारा परिवहन के लिए वहन पत्र की आवश्यकता होती है।
- लॉजिस्टिक्स और लॉजिस्टिक्स सेवाओं जैसे कुछ प्रमुख शब्दों के लिए परिभाषाओं का अभाव।
- विवाद समाधान के लिए अलग-अलग मंच, नोटिस की अलग-अलग समयावधि और सीमा आदि।

नए विधेयक में मुद्दों का समाधान:

- भारतीय राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत, हाल ही में प्रस्तावित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कानून (NLEAPS विधेयक) का उद्देश्य इनमें से कुछ मुद्दों का समाधान करना है। यह एकीकृत लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए समान राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने के बारे में सोचने के लिए अन्य देशों के लिए उन्नति के मार्ग के रूप में काम कर सकता है।
- मोड के बावजूद, सभी घरेलू परिवहन के लिए देयता प्रणाली को एक समान बनाया गया है। इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करना, दोषमुक्त करना, सीमा निर्धारित करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, पार्टियों को उन अनुबंधों से सहमत होने की अनुमति है जिनसे यदि वे चाहें तो उच्च देयता निर्धारित कर सकते हैं, बशर्ते कि वहन की दर सामान्य से अधिक हो।
- समान परिभाषाएं और अपरिभाषित शब्दों के लिए परिभाषाएं पेश की गई हैं।
- एकलमॉडल कानूनों में आवश्यक सभी मौजूदा स्वतंत्र लॉजिस्टिक्स दस्तावेजों को बदलने के लिए एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स दस्तावेज पेश किया गया है।
- नया, समान विवाद समाधान सिद्धांत पेश किया गया ताकि एकरूप और बहुविध परिवहन अनुबंधों के बीच अंतराल मौजूद न हो।

असम में बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

- असम के जोगीघोपा में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने देश के पहले बहुविध उपस्कर पार्क (डडस्च) की नींव रखी।
- पार्क के बारे में:
  - 407 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना, भारतमाला परियोजना के तहत असम में भारत का पहला बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) बनाया जाएगा।
  - इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर पूर्व में युवाओं को लगभग 2 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है।
  - इस MMLP की कार्गो क्षमता 13 मिलियन मीट्रिक टन है और यह व्यापार लागत को 10% तक कम करना चाहता है।
  - 317 एकड़ के क्षेत्र में फैले, इसमें गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, यार्ड सुविधा, पेट्रोल पंप, पार्किंग, लॉजिंग, कस्टम क्लीयरेंस हाउस, वर्कशॉप, प्रशासनिक भवन, बोर्डिंग लॉज, खाने की जगह, जल उपचार संयंत्र आदि जैसी सभी सुविधाएं होंगी।
  - इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग 17, ब्रह्मपुत्र पर प्रस्तावित जोगीघोपा जलमार्ग टर्मिनल, हाल ही में निर्मित रूपसी और गुवाहाटी

हवाई अड्डों के साथ-साथ मुख्य रेलवे मार्ग तक सीधी पहुंच होगी।

- अनुमान लगाया गया है कि इसका पहला चरण 2023 तक पूरा हो जाएगा।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) 2022

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2020-21 के भाषण में व्यापक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) की आवश्यकता का समर्थन किया।
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए एक व्यापक अंत:विषय, पार-क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्राधिकार ढांचे को निर्धारित करके उच्च लागत और अक्षमता के मुद्दों को हल करने का एक व्यापक प्रयास है।
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति तैयार की गई।

एनएलपी के लक्ष्य और उद्देश्य (2022)

देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना और उच्च लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती करना, जिसे अक्सर भारत में बाहरी और आंतरिक व्यापार दोनों के लिए सबसे बड़ी संरचनात्मक बाधा माना जाता है।

अगले कुछ वर्षों में देश की लॉजिस्टिक्स लागत को इसके सकल घरेलू उत्पाद के 13-14 प्रतिशत से एक अंक तक कम करना।

एनएलपी की आवश्यकता और महत्व

उच्च लॉजिस्टिक्स लागत: देश में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक है।

प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार: घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना अनिवार्य है।

कार्यकुशलता में सुधार: कम लॉजिस्टिक्स लागत, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता में कटौती करती है तथा मूल्य संवर्धन और उद्यम को प्रोत्साहित करती है।

एकीकृत लॉजिस्टिक्स अंतरफलक मंच

- **एकीकृत लॉजिस्टिक्स अंतरफलक मंच (ULIP)** को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर, 2022 को **'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP)'** के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।
- **एकीकृत लॉजिस्टिक्स अंतरफलक मंच (ULIP)** का उद्देश्य ग्राहकों को राजस्व सृजन के लिए एक बाजार बनाने के साथ-साथ एकाधिकार और असमान लाभ के उन्मूलन के लिए सक्षम बनाना है।
- **एकीकृत लॉजिस्टिक्स अंतरफलक मंच (ULIP)** प्लेटफॉर्म उद्योग व्यवसायियों को विभिन्न मंत्रालयों के पास उपलब्ध लॉजिस्टिक्स और संसाधनों से संबंधित जानकारी तक सुरक्षित पहुंच प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
- वर्तमान में हितधारकों द्वारा उपयोग के लिए सात मंत्रालयों की 30 प्रणालियों को 100 से अधिक ।च् के माध्यम से एकीकृत किया गया है, जिसमें 1600 से अधिक डेटा फील्ड शामिल हैं।
- **एकीकृत लॉजिस्टिक्स अंतरफलक मंच (ULIP) के लाभ:**
  - एक क्लिक में चालकों और वाहनों के विवरण का सत्यापन,
  - खेप की निगरानी और अनुरेखण,
  - मार्ग अनुकूलन योजना,
  - माल के गंतव्य का समय पर अद्यतन,
  - कागजी काम कम करना,
  - खाली वाहक और कंटेनर दृश्यता,
  - सूची प्रबंधन आदि।
- विनियामक, दस्तावेजी और अन्य देरी को कम करके, न्स्प्च् लॉजिस्टिक्स के साधनों के इष्टतम उपयोग पर निर्णय लेने में मदद करके संरचित योजना को सक्षम करेगा जिससे लागत और समय की बचत होगी।

❖ ❖ ❖

22 निवेश मॉडल

निवेश का परिचय और अवधारणा

- यह उत्पादन या वित्तीय लाभ बढ़ाने के लिए कुछ परिसंपत्तियों में पैसा डालने की एक प्रक्रिया है। इस प्रकार निवेश परिसंपत्तियों में पैसा निवेश करने से संबंधित है।
- निवेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरा किया जा सकता है जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों जैसे कि वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे शेयर, डिबेंचर म्यूचुअल फंड आदि में होता है।
- बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूंजी-गहन होती हैं और राजकोषीय घाटे जैसे मुद्दों के कारण अकेले सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं की जा सकती हैं।
- भारत में हम जीडीपी के 5% से अधिक राजकोषीय घाटे का सामना कर रहे हैं, जो कोविड-19 के दौरान 9% तक चला गया था। इसलिए सरकार के लिए इन निवेशों को वित्त पोषित करना मुश्किल होता है।
- पारंपरिक नौकरशाही संरचना ऐसी परियोजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता, प्रबंधकीय कौशल और व्यावसायिकता का आवश्यक स्तर प्रदान नहीं कर सकती है।
- चूंकि भारत बुनियादी ढांचे के विकास में पिछड़ेपन का सामना कर रहा है, इसलिए देश में बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के लिए अभिनव तंत्र की देखभाल करने की आवश्यकता है।

आजादी के बाद से भारत में निवेश मॉडल का इस्तेमाल

चरण 1 (1951-1969)	• भारत सरकार ने "राज्य के नेतृत्व" में विकास के इस चरण के दौरान आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए हर आंतरिक और बाहरी विधि का उपयोग किया। बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र को संसाधन आवंटन का अधिकांश हिस्सा प्राप्त हुआ। • यह वह समय था जब प्रसिद्ध महालनोबिस योजना को अमल में लाया गया था। • सरकार के द्वारा अपने वित्तीय नियोजन दायित्वों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक धन जुटाने के लिए इस समय के दौरान राष्ट्र की पूरी वित्तीय प्रणाली, कर प्रणाली और राजकोषीय नीति को विनियमित किया जा रहा था ।
चरण 2 (1970-1973)	• भारत सरकार ने 1970 की औद्योगिक नीति के पारित होने के साथ नियोजित विकास की प्रक्रिया में "निजी पूंजी" को शामिल करने का फैसला किया। • यह ज्यादातर निजी क्षेत्र को उन बाजारों में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया था जो उनके लिए उपलब्ध थे लेकिन जिसमें वे तकनीकी और वित्तीय कारणों से भाग लेने में असमर्थ थे।
चरण 3 (1974-1990)	• जब 1974 में फेरा अधिनियमित किया गया था, तो सरकार ने पहली बार नियोजित विकास की प्रक्रिया में सहायता के लिए "विदेशी पूंजी" का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया था। • 1985 के बाद, संसाधन एकत्रीकरण में अधिक सक्रियता दिखाई जाने लगी। लगातार दो योजना आयोगों ने अर्थव्यवस्था को खोलने और भारत और विदेशों दोनों की निजी पूंजी को पहले केवल सरकार के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करने की अनुमति देने का सुझाव दिया।
चरण 4 (1991 के बाद से)	• भारत ने प्रथम खाड़ी युद्ध के तुरंत बाद खराब आर्थिक स्थिति और 1980 के दशक के अंत में गंभीर भुगतान संतुलन संकट के परिणामस्वरूप आईएमएफ से वित्तीय सहायता मांगी। • इन परिस्थितियों के कारण, भारत ने 1991 में सुधारों के साथ शुरू करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को "पुनर्गठित" करने का फैसला किया।

वर्तमान स्थिति

- भारत सरकार उचित प्रकार की वित्तीय प्रणाली, कानूनी ढांचा, श्रम नियमों आदि को लागू करने का प्रस्ताव करती है क्योंकि अर्थव्यवस्था का वर्तमान निवेश मॉडल निजी नेतृत्व वाला है।
- इस मॉडल का प्रमुख लक्ष्य निजी क्षेत्र की अव्यक्त क्षमता को "मुक्त" करना है।
- इसमें सरकार की भूमिका एक नियामक तक ही सीमित रहेगी, जिसमें समाज के भीतर वंचित और हाशिए पर जा चुके समूहों के कल्याण पर अधिक जोर दिया जाएगा, ताकि आर्थिक सुधार का चेहरा सामने आ सके।

प्रमुख प्रयुक्त निवेश मॉडल

हैरोड डोमर मॉडल

- मॉडल ने आर्थिक अस्थिरता को समझने के लिए पूंजी और निवेश के गतिशील चरित्र का विश्लेषण किया।
- इसका तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था का संतुलित विस्तार स्वाभाविक रूप से आवश्यक नहीं है।
- जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक संसाधन की कमी और प्रौद्योगिकी प्रगति जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक चालक सभी लगातार दो प्रमुख विकास चालकों को प्रभावित करते हैं:
  - निवेश दर
  - पूंजी और उत्पादन का अनुपात
- मॉडल ने इस विचार को रखा कि बढ़ती बचत से निवेश बढ़ेगा, जो पूंजी स्टॉक बढ़ाएगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा

इस मॉडल की सीमाएँ

- कम आय वाले देशों में, बचत अनुपात को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण है। कई अविकसित देशों में, बचत की प्रवृत्ति कम है। अतिरिक्त पैसा आमतौर पर रखने के बजाय बड़ी खरीदारी पर खर्च किया जाता है। कई देशों में व्यापक घरेलू बचत अंतर है।
- कई विकासशील देशों में, एक स्थिर वित्तीय प्रणाली की कमी है। निवेश के लिए अतिरिक्त धन उधार लेने के लिए व्यवसायों की क्षमता आवश्यक रूप से बढ़ी हुई घरेलू बचत का पालन नहीं करती है।
- विकासशील देशों में, पूंजी/आउटपुट अनुपात को कम करने वाली दक्षता लाभ करना चुनौतीपूर्ण है, जो पूंजी के अक्षम उपयोग की ओर जाता है।
- पूंजी/उत्पादन अनुपात में सुधार के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं विकास के कम वित्तपोषण के कारण बाजार की विफलता अक्सर होती है।
- जैसे-जैसे एक राष्ट्र अमीर होता जाता है, आय बढ़ती है, बचत बढ़ती है, और उच्च आय बढ़ती मांग को बढ़ावा देती है, जो बदले में पूंजी निवेश खर्च में वृद्धि को ट्रिगर करती है। यदि अर्थव्यवस्था गतिशील रूप से बढ़ने लगती है, तो पूंजी का संचय बढ़ेगा। हालांकि, यह आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक शर्त नहीं है।

सोलो स्वान मॉडल

- यह मॉडल जनसंख्या वृद्धि, बचत दरों और तकनीकी प्रगति की गति और एक राष्ट्र में उत्पादन की मात्रा में भिन्नता सहित चर के बीच संबंधों का परीक्षण करता है।
- यह एक निरंतर उत्पादन कार्यात्मकता का अनुमान लगाता है जो उत्पादन को श्रम और पूंजीगत आदानों से जोड़ता है और इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था का स्थिर-राज्य संतुलन होता है।

फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल

- यह मॉडल **घरेलू उपभोक्ता वस्तु उद्योग के विकास** की दिशा में औद्योगिक निवेश की दिशा में बदलाव पर प्रकाश डालता है।
- नतीजतन, इसका तात्पर्य है कि खपत के उच्च मानक को प्राप्त करने के लिए, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता का विस्तार करने में निवेश की आवश्यकता होती है।
- उपभोक्ता उत्पादों के उत्पादन में दीर्घकालिक क्षमता विस्तार पूंजीगत वस्तु उद्योग की उच्च क्षमता से सहायता प्राप्त है।

राव-मनमोहन मॉडल

- जब 1991 में भारत अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और एक दीवालिया होने के कगार पर पहुँच गया था, तो यह मॉडल सामने आया।
- 18 उद्योगों में से कुछ के अपवाद के साथ, एमआरटीपी उद्यमों को विकास के इस मॉडल के तहत परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा से छूट दी गई थी ।अन्य सभी उद्योगों में लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया था।
- प्रबंधन की व्यावसायिकता को बढ़ाकर और अधिक स्वायत्तता की अनुमति देकर, इसने अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के लिए आयात बाधाओं को कम किया।

- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संचालन में सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तक आसान पहुंच और 51% तक शेयरों के लिए स्वचालित अनुमोदन सभी अनिवार्य थे।

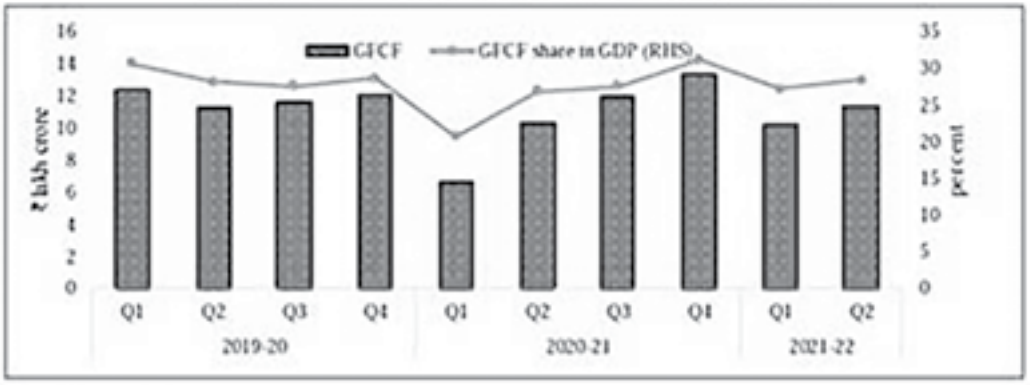
इस मॉडल की कमियाँ

- यह मॉडल विकास के मामले में सफल रहा, इसने जीडीपी विकास दर को 6% से अधिक तक बढ़ाया, लेकिन यह अपने सीमित फोकस के कारण विकास के प्रतिफल को हर किसी तक पहुँचाने के मामले में विफल रहा, जो बहुराष्ट्रीय निगमों के अंधाधुंध प्रवेश और विकास के अत्यधिक पूंजी-गहन पैटर्न को अपनाने के परिणामस्वरूप केवल कॉर्पोरेट क्षेत्र तक सीमित था।
- कृषि क्षेत्र को दरकिनार करते हुए वैश्विक कंपनियों ने इक्विटी स्तर 51 प्रतिशत से ऊपर बढ़ाकर भारतीय कारोबार को निगलना शुरू कर दिया है।
- संक्षेप में, राव-मनमोहन मॉडल विकास को बढ़ावा देने में सफल रहा है, लेकिन समानता, रोजगार और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने में पिछड़ गया है।

अर्थव्यवस्था में निवेश का महत्व

- निवेश अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए सरकार द्वारा नियोजित प्रक्रियाओं और तकनीकों के कुछ समुच्चय को संदर्भित करता है।
- निवेश वस्तुएं एक अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग को प्रभावित करती हैं जो बदले में आय उत्पादन और रोजगार के स्तर को निर्धारित करती है। इस प्रकार यह कुल मांग का एक घटक है।
- यह पूंजी स्टॉक को विनियमित करके अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन कार्य को प्रभावित करता है।
- यह शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है जो मानव विकास सूचकांक में परिलक्षित होता है।
- भारत का सकल पूंजी निर्माण 2010-11 में जीडीपी के 40% से घटकर 2021-22 में जीडीपी का 30% हो गया है।

Figure 19: Gross Fixed Capital Formation (GFCF)



Source: NSO, MoSPI

निवेश को प्रभावित करने वाले कारक

- **राष्ट्रीय आय या जीडीपी:** चूंकि उपभोग आय का एक कार्य है जब जीडीपी में वृद्धि होती है तो लोग उपभोक्ता वस्तु पर अधिक खर्च करते हैं जो उनकी मांग को बढ़ाता है और इस प्रकार निवेश के लिए गुंजाइश खोलता है।
- **मुद्रास्फीति:** यह क्रय शक्ति को कम करता है जो मांग को और कम करता है और इस प्रकार उद्योग के प्रदर्शन को प्रभावित करता है जो निवेश की गुंजाइश को कम करता है।
- **जनसंख्या:** जनसंख्या में तेजी से वृद्धि से उपभोक्ता बाजार का विस्तार होगा जो मांग को और बढ़ाता है।
- **कर की दरें:** उच्च कर प्रयोज्य आय को कम करते हैं जो मांग को कम करता है। इसके अलावा, उच्च कॉर्पोरेट कर निवेश को हतोत्साहित करता है।
- **सरकारी नीतियां:** अतिरिक्त सब्सिडी और प्रोत्साहन जैसे उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन आदि के माध्यम से सरकार द्वारा **सकारात्मक हस्तक्षेप।**
- **कृषि:** यह उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करके एक सहायक भूमिका निभाता है।

निवेश के स्रोत

- **आंतरिक वित्त पोषण:** यह अपने उद्योगों या व्यवसाय से सरकार के लाभ से आता है। यह विनिवेश के माध्यम से हो सकता है।
- **उधार लेना:** बैंकों से या सरकार द्वारा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के माध्यम से धन जुटाना।

- **शेयर जारी** करना: निवेशकों को स्टॉक बेचकर और प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या माध्यमिक इक्विटी पेशकश के माध्यम से धन जुटाकर।

निवेश प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले मॉडल

- आय बढ़ाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता होती है। **उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश का स्रोत** सरकारी, निजी स्रोतों या दोनों के संयोजन से हो सकता है।
- **निवेश मॉडल का महत्व:**
  - **केंद्रीय बजट 2022-23** में निवेश आधारित वृद्धि का आह्वान किया गया है।
  - **अधिक अवसर:** यह देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रक्रिया प्रदान करता है।
  - **प्रौद्योगिकी:** यह उत्पादन की आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए एफडीआई के माध्यम से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की गुंजाइश प्रदान करता है।
  - **शहरीकरण:** निवेश की प्रक्रिया औद्योगीकरण की ओर ले जाती है जो शहरीकरण के लिए जगह खोलती है।
  - **रोजगार:** यह कारखानों, सिंचाई परियोजनाओं, निर्माण कार्य आदि के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करता है

सार्वजनिक निवेश मॉडल

- यह निवेश का मॉडल है जिसे पूरी तरह से सरकारी राजस्व के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।
- चूंकि भारत का राजस्व सृजन पर्याप्त नहीं है जो वर्तमान वैश्वीकृत परिदृश्य में इस रास्ते को गैर-व्यवहार्य बनाता है।
- **1991 के उदारीकरण** से पहले यह निवेश का प्रमुख तरीका था।
- हालांकि एक अच्छी तरह से लक्षित सार्वजनिक निवेश **आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकता** है जिससे अर्थव्यवस्था में कुल मांग बढ़ सकती है।
- इस तथ्य के बावजूद कि सार्वजनिक निवेश अल्पावधि में मांग में बड़ी कमी को ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर ला सकता है और सतत विकास पैटर्न स्थापित कर सकता है, जैसा कि हम भारत के कोविड के बाद की आर्थिक स्थिति की पुनः प्राप्ति के मामले में देख सकते हैं।
- सार्वजनिक निवेश के नेतृत्व वाली पुनः प्राप्ति को जारी रखने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय में 35% की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक निवेश का हिस्सा जीडीपी में 2.9% तक बढ़ा दिया गया है।
- राज्य सरकार को सहायता अनुदान में और अधिक वृद्धि के साथ बजट 2022-23 में सार्वजनिक निवेश में सकल घरेलू उत्पाद के 4% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है।

सार्वजनिक निवेश आधारित विकास प्राप्त करने की दिशा में

- पूंजी निवेश: यह निर्मित आदानों की मांग को बढ़ाकर और पेशेवरों से सेवाओं को बढ़ाकर और बेहतर कृषि बुनियादी ढांचे के माध्यम से किसानों की मदद करके रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है।
- जलवायु परिवर्तन, डीप प्रौद्योगिकी, दवा और कृषि प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण उभरते क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से अभिनव वित्तपोषण।
- बुनियादी ढांचा पीएम गति शक्ति योजना को बढ़ावा देता है और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की सुविधा प्रदान करता है।

सार्वजनिक निवेश आधारित विकास में चुनौतियां

- यह उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों का कारण बन सकता है जो आवश्यक निवेश को पूरा करने के लक्ष्य को और चुनौती दे सकता है।
- औद्योगिक विकास दर 2015-16 में +13.1% से घटकर 2020-21 में (-7.2%) हो गई है।
- इस तरह के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से प्राप्त श्रम की मांग सीमित हो सकती है क्योंकि इस तरह के निवेश को लाभ की मांग या विस्तार से प्रेरित नहीं किया जा सकता है।

निजी निवेश मॉडल

- इस तरह के निवेश का स्रोत या तो भारत या विदेश में हो सकता है (जहां यह एफडीआई या एफपीआई के रूप में प्रवेश कर सकता है)।
- यह एक विकल्प प्रदान करता है यदि सरकारी राजस्व में कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश पर सीमाएं हैं।
- निजी निवेश और जीडीपी वृद्धि: निजी निवेश कुल मांग का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कुल निवेश में 73% से अधिक का योगदान देता है और 2017-2020 की अवधि के बीच सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 22% हिस्सा है। इस प्रकार जीडीपी वृद्धि की गति को बनाए रखने में निजी निवेश एक महत्वपूर्ण कारक है।

निजी निवेश का महत्व

- रोजगार पैदा करता है और मानव पूंजी में सुधार करने में मदद करता है।

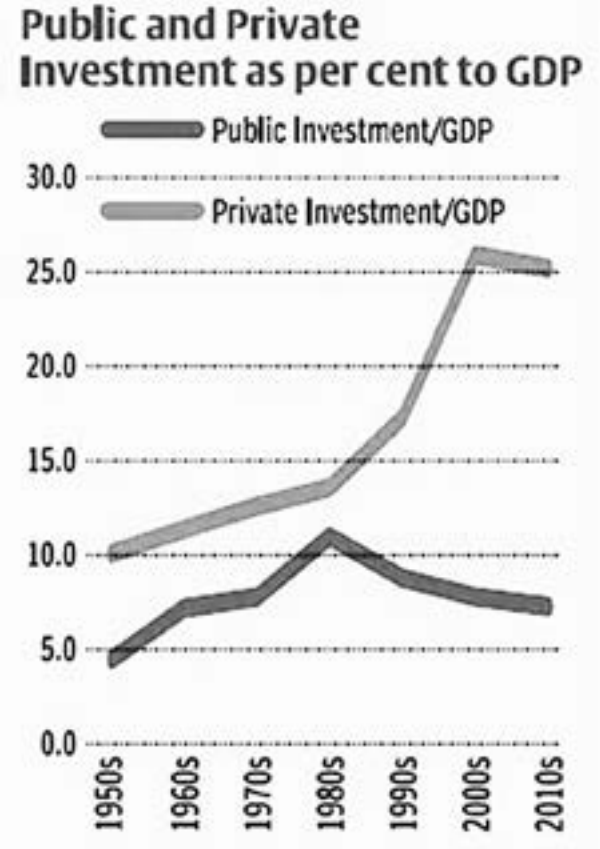
- सार्वजनिक निवेश के पूरक द्वारा सरकारी राजस्व पर दबाव कम करता है।
- स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना: वास्तव में बजट 2022-23 में उद्यमियों को स्टार्ट अप करने के लिए कर छूट की घोषणा के साथ प्रोत्साहन दिया गया है।
- बजट 2022-23 जैसे सरकारी प्रोत्साहनों ने महामारी के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है।

निजी निवेश कम होने का कारण

- सीएमआईई के सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ा कारण फंड की कमी है जिसकी वजह से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा क्रेडिट उठाव कम होता जा रहा है।
- मौद्रिक नीति संचरण की कमी जहां बैंक रेपो दर में कमी के बावजूद उधार देने के लिए तैयार नहीं हैं।
- बढ़ता एनपीए: भारत में लगभग 17% बैंक ऋण तनावग्रस्त हैं।
- बड़ी मात्रा में सरकारी उधार निजी उधार और निवेश के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है (क्राउडफंडिंग आउट इफेक्ट)।
- सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 7% के परिवारों की बचत दर के बावजूद राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त राजकोषीय घाटा इसे पार कर जाता है, और इससे निजी क्षेत्र के उधार के लिए कोई जगह नहीं बचती है।
- इनके अलावा निवेश में गिरावट के कई कारण हैं जैसे आपूर्ति श्रृंखला की समस्याएं, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, पर्यावरण मंजूरी, लालफीताशाही और क्रोनी केपिटलिज्म।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल

- **विश्व बैंक के अनुसार** एक सार्वजनिक निजी भागीदारी एक निजी पार्टी और एक सरकारी एजेंसी के बीच एक दीर्घकालिक अनुबंध है जिसमें वांछित परिणाम के लिए कई क्षेत्र कौशल विशेषज्ञता और वित्त के जोखिम और पुरस्कार साझाकरण शामिल है।
- पीपीपी मॉडल संभव है क्योंकि निजी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी और नवाचारों को सीमित संसाधनों के भीतर समय पर काम पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहनों के साथ पूरक किया जाता है।
- पीपीपी मॉडल बड़े पैमाने पर सरकारी परियोजनाओं जैसे अस्पतालों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सड़कों, पुलों आदि को लक्षित करता है।



सार्वजनिक-निजी भागीदारी की विशेषताएं

- यहां निजी क्षेत्र परियोजना से जुड़े जोखिम का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत वहन करते हुए परियोजना का संचालन करता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के प्रदर्शन की निगरानी करता है और अनुबंध की आवश्यकताओं को लागू करता है।
- इस प्रक्रिया में निजी क्षेत्र परियोजना सेवाओं के उपयोग से जुड़े शुल्क या शुल्क से और सार्वजनिक क्षेत्र से भुगतान के माध्यम से पूरी तरह से या आंशिक रूप से लागत वसूलता है।
- सार्वजनिक क्षेत्र का भुगतान प्रदर्शन या वितरित सेवा के मानक से जुड़ा हुआ है।
- हालांकि अधिकांश मामलों में परियोजना की पूंजीगत लागत में योगदान निजी क्षेत्र से आता है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लाभ

- भारत की अवसंरचनात्मक आवश्यकता और वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए पीपीपी वित्त पोषण अंतर और बुनियादी ढांचे की कमी दोनों को पूरा करने में मदद कर सकता है।
- यह सरकार के राजस्व पर दबाव कम करता है जिसे अतिरिक्त राजस्व शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा सकता है।

- यह वित्तीय जिम्मेदारियों को सार्वजनिक क्षेत्र से दूर स्थानांतरित करके बुनियादी ढांचा सेवाओं तक पहुंच बढ़ा सकता है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लागत वृद्धि के जोखिम को कम करता है और निजी क्षेत्र में जोखिम स्थानांतरित करता है।
- यह भ्रष्ट प्रथाओं के अवसरों को कम करके बुनियादी ढांचे के विकास में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सीमाएँ

- परियोजनाओं को राजनीतिक, कानूनी, वाणिज्यिक व्यवहार्यता आदि जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- परियोजना के कथित उच्च जोखिम के कारण निजी क्षेत्र की रुचि नहीं हो सकती है या परियोजना को लागू करने की क्षमता की कमी हो सकती है।
- क्रोनी केपिटलिज्म: व्यापारियों और राजनेताओं का गठजोड़ भ्रष्टाचार का मार्ग खोलता है।
- लेन-देन सलाहकारों और कानूनी विशेषज्ञों की भागीदारी के कारण निविदा और बातचीत की प्रक्रिया महंगी होती है।
- परियोजना के साथ जुड़ी अनिश्चितता इसकी दीर्घकालिक प्रकृति यानी 15 से 30 वर्षों की अवधि के कारण है।
- परियोजना के भविष्य के कार्यक्रम की भविष्यवाणी करने में अनिश्चितताओं के कारण अग्रिम में पैसे के लिए मूल्य (वीएफएम) का प्रदर्शन जटिल है।
- केवल एक बुनियादी ढांचा संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन परियोजना के मानक को पूरा नहीं कर सकता है जब तक कि इसे बाजार सुधार, बुनियादी ढांचे के संचालन और प्रबंधन प्रथाओं में बदलाव के साथ पूरक नहीं किया जाता है।

इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) मॉडल

- इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण मॉडल साझेदारी के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले परियोजना के कुल वित्त पोषण की आवश्यकता होती है, जबकि निजी क्षेत्र का भागीदार केवल इंजीनियरिंग और निर्माण आवश्यकताओं को प्रदान करेगा।
- इस प्रकार इस प्रक्रिया में, परियोजना की कुल लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- ईपीसी मॉडल दूसरी ओर निजी भागीदार को न्यूनतम या गैर-मौजूदा जोखिम प्रदान करता है, परियोजना लागत जोखिम के अलावा सरकार भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, वाणिज्यिक, यातायात और सुरक्षा जैसे अतिरिक्त जोखिम उठाती है।
- इसलिए तकनीकी रूप से ईपीसी मॉडल पीपीपी मॉडल से अलग है जहां सरकार काम को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए एक निजी पार्टी को एक साधारण अनुबंध प्रदान करती है।

प्रक्रिया

- इंजीनियरिंग विशेषज्ञता वाले ठेकेदार सरकार को बोली प्रदान करते हैं जबकि कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा पूरी की जाती है।
- ईपीसी ठेकेदार परियोजना के डिजाइन से लेकर चालू करने और फिर इसे सरकार को सौंपने तक सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते है।
- इसलिए सरकार की भूमिका सिर्फ एक चाभी को घुमाने की है, यही कारण है कि इस मॉडल को 'टर्न की' निर्माण अनुबंधों के रूप में भी जाना जाता है।
- ईपीसी मॉडल विशेष रूप से राजमार्ग परियोजनाओं में देखा जा सकता है।

ईपीसी मॉडल के साथ समस्याएं

- भूमि अधिग्रहण में देरी आदि जैसी अतिरिक्त चुनौतियों के कारण परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है और मार्जिन में कमी आई है।
- अवास्तविक रूप से कम लागत अनुमान और अनुबंध की सख्त भुगतान शर्तें प्रमुख बाधाएं हैं।
- सरकार का सीमित वित्तीय संसाधन भी एक प्रमुख बाधा है।

ईपीसी पीपीपी से अलग और बेहतर केसे है?

- पूंजी: सरकार परियोजना का पूरा वित्तीय बोझ वहन करती है जहां पूंजी एनएचएआई बॉन्ड द्वारा या सड़क टोल पोस्ट निर्माण को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाकर जुटाई जाती है।
- मंजूरी: मंजूरी का बोझ , भूमि अधिग्रहण और यातायात का आकलन करना एक जटिल प्रक्रिया है जो सरकार के जिम्मे होता है ।
- जोखिम: कम जोखिम और निजी उद्यमी के लिए बढ़े हुए प्रोत्साहन का दोहरा लाभ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक आरामदायक आधार बनाता है।
- समय: निर्माण के लिए आवश्यक समयरेखा अपेक्षाकृत कम होती है।

क्षेत्र विशिष्ट सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी)

- यह एक **पारंपरिक पीपीपी मॉडल** है जिसमें निजी क्षेत्र डिजाइन बनाने और संचालित करने और फिर इसे सार्वजनिक क्षेत्र में वापस स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है।
- यहां निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी है कि वह **परियोजना के लिए वित्त** लाए और इसका निर्माण और रखरखाव करे।

- इस मॉडल के तहत एक निजी उद्यमी को एक विशिष्ट अवधि यानी **20 या 30 वर्षों** के लिए एक परियोजना का निर्माण और संचालन करने के लिए वित्त पोषण की रियायत दी जाती है।
- उद्यमी उन ग्राहकों से उपयोगकर्ता शुल्क या टोल शुल्क के माध्यम से निवेश की भरपाई कर सकता है जो सुविधा का उपयोग कर रहे हैं और इस प्रकार वे वित्तीय जोखिम की एक निश्चित राशि लेते हैं।

शामिल प्रक्रिया

- **निर्माण:** सबसे पहले, एक निजी कंपनी एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने के लिए सहमत होती है जहां यह परियोजना के निर्माण के लिए अपने स्वयं के वित्तपोषण को सुरक्षित करती है।
- **संचालन:** एक सहमत अवधि के लिए सुविधा के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी ली जाती है जिसके दौरान निजी डेवलपर शुल्क या टोल के माध्यम से अपने निवेश को फिर से प्राप्त करता है।
- **स्थानांतरण:** रियायत की अवधि समाप्त होने के बाद कंपनी सार्वजनिक प्राधिकरण को सुविधा के स्वामित्व और संचालन को स्थानांतरित करती है।

बीओटी मॉडल के लाभ

- चूंकि निजी क्षेत्र वित्त जुटाता है, इसलिए यह सार्वजनिक राजस्व पर बोझ को कम करता है।
- निर्माण, संचालन और रखरखाव में निजी क्षेत्र का प्रबंधकीय कौशल परियोजना में दक्षता और गुणवत्ता लाता है।
- **प्रदर्शन-आधारित अनुबंधों** और **आउटपुट-उन्मुख लक्ष्यों** की गुंजाइश उद्यमों को प्रोत्साहित करके दक्षता बढ़ाती है।
- यह एक **प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया** का परिणाम है और इसे सबसे कम संभव लागत पर पूरा किया जाता है।
- निजी क्षेत्र परियोजना **के जोखिम को साझा** करता है।

डिजाइन-बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (DBFOT)

- निजी क्षेत्र की पार्टी को एक पूंजीगत परियोजना के डिजाइन, निर्माण, वित्त और संचालन के लिए एक अनुबंध दिया जाता है। समझौते के तहत अपने दायित्वों पर विचार करते समय, निजी क्षेत्र की पार्टी को सरकारी एजेंसी (उदाहरण के लिए, उपलब्धता भुगतान) या परियोजना के अंतिम उपयोगकर्ताओं से एकत्र किए गए शुल्क से भुगतान किया जा सकता है।
- सरकार या सरकारी स्वामित्व वाली इकाई परियोजना का स्वामित्व रखती है।

बिल्ड-ऑपरेट-लीज-ट्रांसफर (BOLT)

- यह परियोजना वित्तपोषण की एक **गैर-पारंपरिक खरीद विधि** है जहां एक निजी उद्यमी या सार्वजनिक क्षेत्र का ग्राहक एक निजी संस्था को सुविधा बनाने, सुविधा का मालिक होने और इसे ग्राहक को पट्टे पर देने के लिए रियायत देता है, फिर पट्टे की अवधि के अंत में अवसंरचना के स्वामित्व का हस्तांतरण उसके मूल मालिक को कर देता है।
- **लाभ:** निजी संस्था की जिम्मेदारी है कि वह निर्माण अवधि के दौरान परियोजना के वित्त को उठाए, जिससे सरकार पर बोझ कम हो।

बिल्ड-ओन-ऑपरेट (BOO)

- पीपीपी के बीओओ मॉडल में निजी क्षेत्र एक सुविधा का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करता है और उत्पाद को अपने उपयोगकर्ता या लाभार्थियों को बेचता है।
- यह कुछ देशों में बिजली क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाने वाली निजी क्षेत्र की भागीदारी है जहां सरकार के पास परियोजना ऑपरेटर से दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौता मूल्य हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT)

- इस ढांचे में सरकार परियोजना का निर्माण करती है और फिर परियोजना को उन निजी संस्थाओं को पट्टे पर देती है जिनके पास कम लाभ कम जोखिम होता है, इसे 30 वर्षों तक संचालित करने और बनाए रखने का कार्य होता है।
- टीओटी मॉडल बीओटी मॉडल की गहरी जोखिम-साझाकरण समस्या को दूर करता है और नियमित रूप से निवेश के लिए नए धन को आकर्षित करता है।

लीज-डेवलपमेंट-ऑपरेट (LDO)

- यह बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक पीपीपी मॉडल है जहां सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नव निर्मित बुनियादी ढांचा सुविधा का स्वामित्व रखती है और लीज समझौते के संदर्भ में भुगतान प्राप्त करती है। **हवाई अड्डे की सुविधाओं के विकास** में इस दृष्टिकोण का ज्यादातर पालन किया जाता है।
- **गैर-सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल:** इन मॉडलों में, निजी खिलाड़ी के पास बुनियादी ढांचे का स्वामित्व या किसी भी समय टोल / उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने का अधिकार नहीं है। अत, ये पीपीपी नहीं हैं। उदाहरणों में शामिल हैं:
  - इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी)
  - आउटसोर्सिंग/कॉन्ट्रैक्टिंग

सरकार के स्वामित्व वाले ठेकेदार-संचालित (GOCO) मॉडल

- यहां एक निजी क्षेत्र के खिलाड़ी को एक कार्यशाला के संचालन के लिए अनुबंध दिया जाता है जो बंदूकों और वाहनों से लेकर टैंकों और यहां तक कि हेलीकॉप्टरों तक के उपकरणों की मरम्मत करता है।
- निजी कंपनी सामग्री मरम्मत रखरखाव आदि के गोदाम संचालन परिवहन के लिए जिम्मेदार होगी।
- हालांकि सरकार कार्यशाला की मालिक बनी हुई है।

सरकार के स्वामित्व वाले ठेकेदार-संचालित (GOCO) मॉडल के लाभ

- सरकारी राजस्व पर दबाव में कमी ।
- निजी क्षेत्र सेवा, मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स के लिए मूल उपकरण निर्माता के साथ सहयोग कर सकता है।
- निजी कंपनियों को भूमि, बुनियादी ढांचे और मशीनरी में निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।

क्लस्टर-आधारित निवेश मॉडल

हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम)	• बीओटी वार्षिकी और ईपीसी मॉडल का मिश्रण। • यहां पहले 40% भुगतान पांच समान किस्तों में निश्चित राशि में किया जाता है जबकि शेष 60% परियोजना पूरी होने के बाद परिवर्तनीय और वीटी राशि के रूप में भुगतान किया जाता है।
बीओटी वार्षिकी मॉडल	• यहां एक निजी खिलाड़ी राजमार्ग का निर्माण करता है और इसे एक विशिष्ट अवधि के लिए संचालित करता है और फिर इसे सरकार को हस्तांतरित करता है। • परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के शुभारंभ के बाद 6 महीने के आधार पर भुगतान किया जाता है।
बीओटी टोल मॉडल	• इस मॉडल में एक सड़क डेवलपर एक सड़क का निर्माण करता है जहां से वह टोल संग्रह के माध्यम से अपने निवेश की वसूली करता है, इस प्रकार सरकार की ओर से कोई भुगतान नहीं होता है। • टोल संग्रह की अवधि लगभग 30 वर्ष है।
ईपीसी मॉडल	• यहां सरकार निजी खिलाड़ियों से इंजीनियरिंग ज्ञान के लिए बोली लगाने के लिए आमंत्रित करती है। • सरकार कच्चे माल की खरीद करती है और निर्माण लागत वहन करती है। • इस प्रकार इंजीनियरिंग विशेषज्ञता तक सीमित निजी क्षेत्र की न्यूनतम भागीदारी है। • मॉडल सरकार के लिए एक उच्च वित्तीय बोझ का कारण बनता है क्योंकि लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है।

पीपीपी मॉडल पर पुनर्विचार और पुनरुद्धार पर विजय केलकर समिति की रिपोर्ट

- केंद्रीय बजट 2015-16 में घोषणा की गई है कि बुनियादी ढांचे के विकास के पीपीपी मोड पर फिर से विचार करना होगा और इसे पुनर्जीवित करना होगा।
- बुनियादी ढांचे के विकास के पीपीपी मॉडल की समीक्षा और पुनरोद्धार पर एक समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता डॉ विजय केलकर ने की थी।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- शेकटकर समिति (2016): ष्लड़ाकू क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को फिर से संतुलित करनेष के लिए जीओसीओ मॉडल की सिफारिश की।
- व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण का विवेकपूर्ण उपयोग जहां उपयोगकर्ता शुल्क मजबूत राजस्व की गारंटी नहीं दे सकता है।
- बेहतर राजकोषीय रिपोर्टिंग और प्रदर्शन की सावधानीपूर्वक निगरानी।
- भारत ने पीपीपी के प्रबंधन में पर्याप्त अनुभव एकत्र किया है, सरकार को पीपीपी मॉडल को परिपक्वता और परिष्कार के अगले स्तर पर ले जाना चाहिए।
- एक अवसंरचना पीपीपी अधिनिर्णयन अधिकरण (आईपीएटी), जिसकी अध्यक्षता एक तकनीकी और/या वित्तीय सदस्य के साथ एक न्यायिक सदस्य द्वारा की जाती है।
- पुनः बोली (Rebidding): जिन परियोजनाओं ने जमीन पर निर्धारित प्रतिशत प्रगति हासिल नहीं की है, उन्हें रद्द करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक निधियों के माध्यम से मुद्दों को हल करने या पूरा करने के बाद उन्हें फिर से बोली लगाई जानी चाहिए और यदि व्यवहार्य हो, तो संचालन और रखरखाव के लिए बोली लगाई जानी चाहिए।

- पीपीपी अवसंरचना परियोजनाओं के मुद्दों को हल करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट संस्थागत ढांचे को अपनाया जा सकता है।
- तनावग्रस्त परियोजनाओं के लिए क्षेत्र-विशिष्ट ढांचे के विकास और कामकाज के लिए एक समग्र ढांचा प्रदान करने के लिए अम्ब्रेला दिशानिर्देश।
- सूचना विषमताओं और पारदर्शिता की कमी से बचने के लिए षस्विस चौलेंजष को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- निर्णय लेने में वास्तविक त्रुटियों को भ्रष्टाचार के कृत्यों से अलग करने के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करना।
- बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देने, एक राष्ट्रीय पीपीपी नीति और पीपीपी में विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक संस्था की स्थापना।
- एसपीवी में सरकार की भागीदारी को हतोत्साहित करें जो पीपीपी परियोजनाओं को लागू करते हैं जब तक कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण न हो।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शून्य कूपन बांड जारी करने की अनुमति दी जानी है जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र में उपयोगकर्ता शुल्क के लिए नरम उधार प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
- अन्य क्षेत्र: रेलवे, शहरी आदि जैसे क्षेत्रों में पीपीपी के उपयोग को प्रोत्साहित करें। रेलवे के लिए एक स्वतंत्र टैरिफ नियामक।
- क्षमता निर्माण: अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र का मार्गदर्शन करने, नीतिगत इनपुट और समय पर सलाह प्रदान करने और टिकाऊ क्षमता निर्माण करने के लिए पीपीपी में उत्कृष्टता संस्थान की स्थापना।
- एकीकृत विकास: परियोजनाओं के वितरण के लिए स्पष्ट रोडमैप के साथ बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना।

आगे की राह

- एसडीजी लक्ष्य 9 लचीला और सतत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है।
- गतिशीलता में वृद्धि: बड़े पैमाने पर पारगमन परियोजनाएं जैसी परियोजनाएं गतिशीलता बढ़ाने और भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन की श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- आकलन: मेट्रो रेल परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की प्रभावकारिता और संभावित लाभों के गंभीर मूल्यांकन की आवश्यकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका की जांच करें। (2022)
2. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत में हवाई अड्डों के विकास की जांच करें। इस संबंध में अधिकारियों के सामने क्या चुनौतियां हैं? (2017)
3. स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार निजी सार्वजनिक भागीदारी समझौते, लंबी अवधि की अवसंरचना परियोजनाओं में, भविष्य में अनुपयुक्त देयताओं को हस्तांतरित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था करने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता न किया जाए? (2014)
4. देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल का अनुकूलन आलोचना से मुक्त नहीं रहा है। मॉडल के पेशेवरों और विपक्षों पर गंभीर रूप से चर्चा करें। (2013)

विदेशी निवेश मॉडल

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

- यह एक वित्तीय निवेश उपकरण है जहां एक देश की एक पार्टी दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने के इरादे से दूसरे देश के व्यवसाय या निगम में निवेश करती है।
- पैसा लाने के अलावा यह कौशल, प्रौद्योगिकी और ज्ञान भी लाता है।
- भारत में विदेशी संबद्धता का अर्थ सहायक कंपनी या सहयोगी से है जिसमें निवेशकों के पास कम से कम 10% की संपत्ति है, लेकिन शेयरधारक की मतदान शक्ति के आधे से अधिक नहीं है।

एफडीआई अनुमोदन के मार्ग

- स्वचालित मार्ग: इसमें लगी भारतीय कंपनियां अपनी चुकता पूंजी के 100% तक शेयर जारी कर सकती हैं। इसमें चिकित्सा उपकरण थर्मल पावर, (49%) पावर एक्सचेंज (49%) नागरिक उड्डयन आदि तक बीमा शामिल हैं।
- सरकारी अनुमोदन मार्ग: जो गतिविधियां स्वचालित मार्ग के तहत कवर नहीं की जाती हैं, उन्हें सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसमें कोर निवेश कंपनियां, खनन और खनिज, उपग्रह, प्रिंट मीडिया आदि शामिल हैं।

नोट: दोनों मार्गों में अनुमति दी गई इक्विटी का प्रतिशत भिन्न होता है।

भारतीय संदर्भ में एफडीआई

- यूएनसीटीएडी, 2019 की विश्व निवेश रिपोर्ट भारत को 9 वां स्थान और दुनिया के शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची प्रदान करती है।

- **1991 के वित्तीय संकट** के बाद अर्थव्यवस्था का उदारीकरण शुरू हुआ, और तब से एफडीआई में लगातार वृद्धि हुई है।
- भारत वर्तमान में दुनिया का शीर्ष ग्रीनफील्ड एफडीआई गंतव्य है।
- एफडीआई इक्विटी प्रवाह के मामले में सिंगापुर शीर्ष निवेश करने वाला देश है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है।

नोट: लॉटरी, जुआ, निधि निगम और चिट फंड, तंबाकू या तंबाकू विकल्प, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन जैसे कुछ क्षेत्रों में एफडीआई निषिद्ध है।

अर्थव्यवस्था पर एफडीआई का प्रभाव

- बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रौद्योगिकी को घरेलू रूप में हस्तांतरित करती हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यवसाय का जैविक विकास होता है और रोजगार का सृजन होता है।
- एफडीआई अपनी संपत्ति का दावा करके एक कंपनी के वित्तीय विवरण में सुधार करता है।
- यह निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन अधिशेष में होने के कारण घरेलू मुद्रा को मजबूत करता है।
- कमजोर बचत के कारण भारत का घरेलू निवेश स्टॉक कम है जहां एफडीआई एक प्रमुख पूरक के रूप में कार्य करता है।

एफडीआई को बढ़ावा देने के उपाय

- हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी सरकारी योजनाओं की घोषणा की गई है।
- कोयला खनन गतिविधियों में स्वचालित विधि के तहत 100% एफडीआई की अनुमति देने के लिए एफडीआई नीति 2017 में संशोधन।
- डिजिटल क्षेत्र में , जिसमें एक महत्वपूर्ण बाजार अवसर है, सरकार ने 26% एफडीआई की अनुमति दी है।
- विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल जो एफडीआई की सुविधा के लिए एकल खिड़की सुविधा को बढ़ावा देता है।
- यहां तक कि रक्षा क्षेत्र में भी स्वचालित मार्ग एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है।

एफडीआई नीति 2020-21 में सुधार

- बीमा क्षेत्र में सरकार ने विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देते हुए सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है।
- सरकार ने स् वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत् यक्ष विदेशी निवेश के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
- दूरसंचार क्षेत्र: स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई।

नई एफडीआई नीति

- इस नई एफडीआई नीति को कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मंजूरी दी गई थी।
- भारत के साथ भूमि सीमा रखने वाली इकाई या यदि भारत में निवेश का लाभार्थी स्थित है या ऐसे देश का नागरिक केवल सरकारी मार्ग के माध्यम से निवेश कर सकता है।
- नई नीति के दायरे में नहीं आने वाले देशों के निवेशकों को पूर्व अनुमति मांगने के बजाय लेनदेन के बाद आरबीआई को सूचित करना होगा।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे इसकी प्रमुख विशेषता माना जाता है? (2020)

(*a*) यह एक सूचीबद्ध कंपनी में अनिवार्य रूप से पूंजीगत साधनों के माध्यम से निवेश है।

(*b*) यह काफी हद तक गैर-ऋण सृजन पूंजी प्रवाह है।

(*c*) यह वह निवेश है जिसमें ऋण-सेवा शामिल है।

(*d*) यह सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया निवेश है।

2. निम्नलिखित में से किसमें भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश शामिल होगा? (2012)

1. भारत में कंपनियों की सहायक कंपनियां
2. भारतीय कंपनियों में अधिकांश विदेशी इक्विटी होल्डिंग
3. विदेशी कंपनियों द्वारा विशेष रूप से वित्तपोषित कंपनियां
4. पोर्टफोलियो निवेश

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें:

(*a*) 1, 2, 3 और 4

(*b*) केवल 2 और 4

(*c*) केवल 1 और 3

(*d*) **केवल 1, 2 और 3**

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एफडीआई की आवश्यकता को उचित ठहराएं। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों और वास्तविक एफडीआई के बीच अंतर क्यों है? भारत में वास्तविक एफडीआई बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का सुझाव दें। (2016)

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)

- एफपीआई में किसी अन्य देश में निवेशकों द्वारा धारित प्रतिभूतियां और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं। बाजार की अशांति के आधार पर, यह अपेक्षाकृत तरल है लेकिन निवेशक को कंपनी की संपत्ति का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है।
- एफपीआई एफडीआई के साथ-साथ विदेशी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए लोकप्रिय रणनीतियों में से एक है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए, एफडीआई और एफपीआई दोनों वित्त पोषण के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

भारतीय संदर्भ में एफपीआई

- एफडीआई के विपरीत, एफपीआई उन निवेशकों को संदर्भित करता है जिनके पास कंपनी पर अल्पकालिक दृष्टिकोण है।
- एफपीआई आमतौर पर स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करते हैं और एक ही स्टॉक के अंदर और बाहर तेजी से कारोबार करते हैं। अल्पकालिक दृष्टिकोण अक्सर कम कंपनी हिस्सेदारी से जुड़े होते हैं।
- इसलिए एफपीआई वे हैं जिनके पास वैश्विक स्तर पर किसी कंपनी के 10% से कम हिस्सेदारी है। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) एक एफपीआई की निकटतम परिभाषा थी जो इस बिंदु तक भारत में मौजूद थी।
- एफआईआई या उनके "उप-खाते" या "योग्य विदेशी निवेशक (QFIs)" को वर्तमान में भारत में एफपीआई के रूप में संदर्भित किया जाता है और उन्हें एक फर्म के 10% तक स्वामित्व की अनुमति है

एफपीआई निम्नलिखित के रूप में हो सकता है

विदेशी संस्थागत (एफआईआई) द्वारा निवेश	• भारत के बाहर मुख्यालय वाली कंपनियों को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के रूप में जाना जाता है, और वे वहां निवेश का प्रस्ताव करते हैं। वे एक देश की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। • संस्थागत निवेशकों में हेज फंड, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा बांड, उच्च मूल्य वाले डिबेंचर और निवेश बैंक शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं। • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में करीब 1450 एफआईआई पंजीकृत हैं। • विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1996-1997 में सेबी विनियम, 1995 में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे: ○ सभी एफआईआई, एनआरआई और ओसीबी के लिए 24% की संयुक्त निवेश सीमा के साथ, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई), और अन्य कॉर्पोरेट निकाय (ओसीबी) अब व्यक्तिगत रूप से कंपनी के स्टॉक का 10% तक निवेश कर सकते हैं। ○ एफआईआई को सेबी की मंजूरी के साथ ऋण प्रतिभूतियों में अपने पोर्टफोलियो का 100% आवंटित करने की अनुमति है। ○ सेबी के तहत, पांच साल के ट्रैक रिकॉर्ड वाले और अपने देश में एक नियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत संगठन एफआईआई बनने के लिए पात्र हैं। ये संगठन बंदोबस्ती, विश्वविद्यालय निधि, नींव, धर्मार्थ ट्रस्ट या संगठन हो सकते हैं। • नतीजतन, बाजार में तेजी आती है और जब एफआईआई इक्विटी और अन्य परिसंपत्तियों को खरीदते हैं तो सकारात्मक हो जाता है। विपरीत तब हो सकता है जब निवेशक बाजार से अपना पैसा निकालते हैं। इस प्रकार वे बाजार की एक बड़ी मात्रा को नियंत्रित करते हैं।
योग्य विदेशी निवेशक (QFIs)	• किसी भी विदेशी व्यक्ति, समूह, संघ, या किसी राष्ट्र के नागरिक जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के सदस्य हैं, उन्हें योग्य विदेशी निवेशक (ञ्थ्) के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफएटीएफ) की एक उपश्रेणी है। • इसमें उन देशों को भी शामिल किया गया है जो एफएटीएफ के सदस्य हैं और जिन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन (आईओएससीओ) (एमएमओयू) के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमएमयू) की पुष्टि की है।

	• आरबीआई और सेबी के सहयोग से, भारत सरकार ने 2011 के केंद्रीय बजट में क्यूएफआई पहल का अनावरण किया। • यह देखते हुए कि लोगों को संस्थागत निवेशकों की तुलना में दीर्घकालिक निवेशकों के रूप में माना जाता है, क्यूएफआई को सक्षम करने का उद्देश्य भारतीय पूंजी बाजार में अधिक विदेशी धन को गहरा करना और शामिल करना है और साथ ही बाजार की अस्थिरता को कम करना है।

निवेश मॉडल के बाद भारत का स्थान

व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (Viability Gap Funding & VGF)	• उद्देश्य: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं लेकिन लाभदायक होने से मुश्किल से कम हैं। • उपलब्धता: प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए निजी प्रायोजकों के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तक सीमित। • परियोजना की लागत: कुल व्यवहार्यता अंतर इस योजना के तहत वित्त पोषण की कुल राशि कुल परियोजना लागत के बीस प्रतिशत (20%) से अधिक नहीं होगी, लेकिन सरकार या अन्य वैधानिक इकाई जो परियोजना का मालिक है, अपने विवेक पर, अपने बजट से कुल परियोजना लागत के अधिकतम अतिरिक्त बीस प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुदान देने का निर्णय ले सकती है। • राज्य और संघीय सरकारें प्रत्येक वित्त पोषण में योगदान कर सकती हैं।
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	• इस सरकारी संगठन की स्थापना 2006 में व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण की पेशकश करने के लिए व्यवहार्य विशेष प्रयोजन वाहन अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के हिस्से के रूप में की गई थी। • पात्रता: परिवहन, ऊर्जा, पानी, स्वच्छता, संचार, सामाजिक सेवाओं और व्यवसाय से संबंधित बुनियादी ढांचे आईआईएफसीएल पीपीपी परियोजनाओं से वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं, जिन्हें आईआईएफसीएल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
अवसंरचना ऋण निधि	• इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड (आईडीएफ) वित्तीय संस्थाएं हैं जोदीर्घकालिक ऋण का उपयोग करके समुदाय को अधिक तेजी से वित्त पोषित करने में मदद करती हैं। • लक्ष्य: अवैतनिक वाणिज्यिक बैंक ऋणों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करना। • प्रायोजक संगठन एनबीएफसी, ट्रस्ट या म्यूचुअल फंड के रूप में आईडीएफ बना सकते हैं। • निधि में 70:30 का डेब्ट-इक्विटी रेश्यो(क्मइज ज्व म्नपजल)होना चाहिए।
3P भारत	• अनुमानित 3 पी इंडिया इकाई विनियमन, वित्तपोषण, अनुबंध प्रशासन और चुनौतीपूर्ण सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के साथ चिंताओं पर गौर करेगी। • गंगा पर 4200 करोड़ रुपये का जल मार्ग, 8500 किलोमीटर राजमार्ग और अति-आधुनिक सौर संयंत्र हाल ही में पीपीपी परियोजना घोषणाओं में से हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड (InVit)	• यह म्यूचुअल फंड के समान होता है। यह सड़क और बिजली जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने का मौका प्रदान करता है। • एक विशेष प्रयोजन वाहन के उपयोग के माध्यम से या बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सीधे निवेश करके, इनविट बड़ी संख्या में निवेशकों से पैसा जुटाते हैं। • इनविट के दो अलग-अलग रूप हैं जिनकी अनुमति है: एक तैयार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करता है जो राजस्व उत्पन्न करते हैं, और दूसरे में उन परियोजनाओं में निवेश करने की लचीलापन है जो या तो समाप्त हो चुके हैं या योजना चरणों में हैं।

	• तैयार परियोजनाओं में निवेश करने वाले इनविट अपनी इकाइयों को सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से बेचते हैं, जबकि जो लोग उन परियोजनाओं में निवेश करते हैं जो अभी भी बनाए जा रहे हैं, वे निजी प्लेसमेंट का उपयोग करते हैं। शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के लिए, दोनों फॉर्म आवश्यक हैं। इनविट इकाइयों के लिए न्यूनतम आवेदन आकार 10 लाख रुपये है। • सेबी के नियमों के अनुसार, खर्चों, करों और विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए भुगतान करने के बाद एकत्र किए गए धन का कम से कम 90% हर छह महीने में निवेशकों को दिया जाना चाहिए।

नीति आयोग: 'नई INDIA @75 के लिए रणनीति'

- 2022-2023 तक, नीति आयोग ने निवेश दरों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया, उन्हें 28-36% से बढ़ा दिया।
- पूंजी निर्माण: निवेश की दर (सकल सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल निश्चित पूंजी निर्माण) को बढ़ाने के लिए निजी और राज्य निवेश दोनों को बढ़ाने के लिए कई पहलों की आवश्यकता होगी।
- बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए केलकर समिति द्वारा अनुशंसित तर्ज पर एक अद्यतन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की आवश्यकता है।
- मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र: एक परिपक्व पीपीपी ढांचा और एक मजबूत सहायक पारिस्थितिकी तंत्र सरकार को काफी हद तक वह हासिल करने में मदद करेगा, जो हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था, "सरकार के पास व्यवसाय करने के लिए कोई काम नहीं है," और देश के निर्माण के प्रयासों में निजी क्षेत्र के निवेश और भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
- विवादों के शीघ्र समाधान की गारंटी देने के लिए राष्ट्रीय सुविधा आयोग(एनएफसी) जैसी संस्थागत संरचना की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विशेष प्रयोजन वाहन नैतिक आचरण (एसपीवी) के नियमों का पालन करता है।
- वित्तीय लाभों पर जोर देने के बजाय, अनुबंधों को सेवा प्रदर्शन पर अधिक जोर देना चाहिए।
- बेहतर हितधारक जोखिम पहचान और वितरण।
- ऐसे मामलों में जहां उपयोगकर्ता शुल्क एक विश्वसनीय राजस्व स्रोत सुनिश्चित नहीं कर सकता है, विवेकपूर्ण व्यवहार्यता अंतराल निधि उपयोग (prudent viability gapfund utilisation) की आवश्यकता होती है।

❖ ❖ ❖

23 भारत में कृषि क्षेत्र

- भारत **दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है और यह भारत की लगभग 58% आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। भारत में कृषि क्षेत्र दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कृषि भूमि का रिकॉर्ड रखता है, जो देश की लगभग आधी आबादी के लिए रोजगार पैदा करता है।** इस प्रकार, किसान हमें जीविका के साधन प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं।
- भारत में दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन (भैंस) है, तथा गेहूं, चावल और कपास के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है, और दुनिया में दूध, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- यह फल, सब्जियां, चाय, मछली, कपास, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- **भारतीय खाद्य उद्योग** विशाल विकास के लिए तैयार है, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के भीतर मूल्यवर्धन की अपार संभावनाओं के कारण विश्व खाद्य व्यापार में अपना योगदान बढ़ा रहा है।

कृषि क्षेत्र के घटक

- सिंचाई प्रणाली
- फसल पद्धति
- भंडारण, परिवहन और विपणन
- कृषि साख और वित्त
- सब्सिडी व्यवस्था
- न्यूनतम समर्थन मूल्य

कृषि और संबद्ध क्षेत्र के बुनियादी मूलभूत सिद्धांत

क्षेत्र अवलोकन	• जीवीए में हिस्सेदारी: वर्ष 2022-23 में 18.3%। • विकास दर: 2022-23 में 3.3 प्रतिशत। • कुल रोजगार में हिस्सेदारी: 49% से कम • सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 1950-51 में 54% से घटकर 2016-17 में 17% से कम हो गया है।
भूमि उपयोग स्वरूप	• शुद्ध बुआई क्षेत्र- 43% • चारागाह और उपवन - 4% • खेती योग्य अपशिष्ट - 4% • परती भूमि – 9.6%
खाद्यान्न उत्पादन	• गेहूं और चावल का लगभग 78% खाद्यान्न उत्पादन होता है।
सिंचाई की वर्तमान स्थिति	• नहर सिंचाई (सार्वजनिक): 30% • कुएँ और नलकूप (निजी): 60% • टैंक: 5% • खेती के अंतर्गत 53-55% क्षेत्र वर्षा आधारित है • वर्षा आधारित कृषि कृषि उत्पादन में 40% का योगदान करती है। • वर्षा आधारित क्षेत्रों में कुल ग्रामीण कार्यबल का 50% और पशुधन का 60%

बागवानी	• कृषि सकल घरेलू उत्पाद में कुल योगदान: लगभग 33% • फल और सब्जी खाता: कुल बागवानी उत्पादन का लगभग 90% दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। • केला, आम, चूना और नींबू, पपीता और भिंडी के उत्पादन में भारत प्रथम है। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है।
पशुधन क्षेत्र	• कृषि सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन क्षेत्र का योगदान: सकल घरेलू उत्पाद का 4.11% और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 25.6% • दुनिया में सबसे बड़ी पशुधन आबादी – ○ 57% भैंस ○ 13% पशु (80% पशु स्वदेशी हैं) • दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर: वैश्विक दूध का 23 प्रतिशत। • दूध उत्पादन: संगठित क्षेत्र: 20% और असंगठित क्षेत्र: 80%

यूएन-एसडीजी और कृषि

- **एसडीजी 1 (कोई गरीबी नहीं):** गरीबी को उसके सभी रूपों और आयामों में समाप्त करें ।
- एसडीजी 2 (जीरो हंगर): भुखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दें।
- एसडीजी 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता): सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करें।
- एसडीजी 12 (जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन): सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना ।
- एसडीजी 13 (जलवायु क्रिया): जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
- **एसडीजी 15 (जमीन पर जीवन):** स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों, स्थायी रूप से प्रबंधित वनों के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापना और बढ़ावा देना, मरुस्थलीकरण से लड़ना और भूमि क्षरण को रोकने और उलटने और जैव विविधता को रोकने के लिए ।

भारतीय संविधान और कृषि

- कृषि राज्य का विषय है। राज्य सूची के 14वें प्रविष्टि में कृषि से संबंधित पद का उल्लेख किया गया है: कृषि, जिसमें कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कीटों से सुरक्षा और पौधों की बीमारियों की रोकथाम शामिल है।
- समवर्ती सूची में प्रविष्टि 33 कृषि में राज्यों की शक्ति को सीमित करती है और केंद्र को यह कहते हुए सशक्त करती है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों खाद्य पदार्थों और कृषि कच्चे माल के उत्पादन, व्यापार, आपूर्ति और वितरण के संबंध में कानून बना सकते हैं।

भारतीय कृषि की वर्तमान स्थिति

- जबकि प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी गई है, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में कृषि का हिस्सा गिर गया है।
- कृषि व्यापार: भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं दालें, खाद्य तेल, ताजे फल और काजू हैं। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में चावल, मसाले, कपास, मांस और उससे बनी चीजें, चीनी आदि हैं।
- भारत में कृषि क्षेत्र में लगे कर्मचारियों की संख्या 2000 में 60% से घटकर 2019 में 42% हो गई।
- कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (लगभग 17%) का केवल पांचवां हिस्सा है, लेकिन लगभग 50% कामकाजी आबादी के लिए आजीविका प्रदान करती है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23

- पिछले छह वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से प्रगति कर रहा है। 2020-21 में 3.3 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 में इसमें 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2014 की एसएएस रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) में फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियों में 22.6% की वृद्धि हुई है।
- 2019-20 को समाप्त पिछले पांच वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% की सीएजीआर से बढ़ा है।
- सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क के कवरेज का और विस्तार किया है।

भारत के लिए कृषि क्षेत्र का महत्व

- **प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि:** कृषि क्षेत्र बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार प्रदान करता है। यह व्यक्तियों के साथ-साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करता है।
- रोजगार के प्रमुख स्रोत: कृषि क्षेत्र हमारे श्रम बल के बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान करता है। हमारे श्रम बल का लगभग 50% से अधिक प्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में शामिल है।
- **गरीबी में कमी:** कृषि विकास का ग्रामीण विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि कृषि में उत्पादकता बढ़ती है, तो यह गरीबी को कम करती है और गैर-कृषि रोजगार को भी बढ़ावा देती है।
- **भोजन की आपूर्ति:** जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन प्रथम स्थान रखता है। कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगी आबादी के लिए सभी प्रकार के भोजन का एकमात्र प्रदाता है। कृषि क्षेत्र पशुओं को भोजन भी प्रदान करता है।
- **विदेशी मुद्रा आय का स्रोत:** कृषि क्षेत्र का निर्यात विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा) कमाई का मुख्य स्रोत है जिसका उपयोग पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए किया जाता है। 56 अरब डॉलर के कृषि व्यापार से 18 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त हुआ।
- **कच्चे माल की आपूर्ति:** कृषि क्षेत्र न केवल भोजन प्रदान करता है बल्कि कपास, गन्ना, तम्बाकू, चावल, तिलहन, मांस और दूध भी विभिन्न कृषि आधारित, छोटे पैमाने और बड़े पैमाने के उद्योगों को कच्चे माल के रूप में प्रदान करता है।
- **औद्योगिक क्षेत्र का विकास:** कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के बीच अन्योन्याश्रितता और अंतर-संबंध है, दोनों एक दूसरे के विकास में सहायक हैं।
- **जीवन स्तर में सुधार:** कृषि क्षेत्र के विकास के कारण किसानों की आय में वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र के विकास से जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार होगा।
- **बाजार के आकार में विस्तार:** कृषि यंत्रीकरण के कारण कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन होता है। यह बाजार के आकार को बढ़ाता है। यदि अधिक उत्पादन होता है तो अधिशेष उत्पादन का विश्व के अन्य देशों को निर्यात किया जा सकता है।
- **पूंजी निर्माण:** पूंजी निर्माण में कृषि क्षेत्र की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह लोगों की आय में वृद्धि करता है जिससे अधिक बचत और अधिक निवेश होता है। यहां, अधिक निवेश से तेजी से पूंजी निर्माण होता है।
- **आत्मनिर्भरता नीति:** कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायक है। हमारा देश न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति से हमारे औद्योगिक क्षेत्र का भी विस्तार होगा।
- **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना:** मुद्रास्फीति सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि को संदर्भित करती है। यह मांग में वृद्धि और आपूर्ति में कमी के कारण हो सकता है। महंगाई को नियंत्रित करने में कृषि क्षेत्र बहुत मददगार है।
- **क्षेत्रीय असमानताओं में कमी:** कृषि क्षेत्र के विकास से ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। इससे देश में शहरी और ग्रामीण अंतर कम हो जाता है।
- **औद्योगिक वस्तुओं की मांग:** जैसे-जैसे कृषि उत्पादकता बढ़ती है, किसानों की आय बढ़ती जाती है। आय में वृद्धि के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वस्तुओं (ट्रैक्टर, उर्वरक, कीटनाशक, नलकूप आदि) और औद्योगिक सामान (टेलीविजन, मोबाइल) दोनों की मांग बढ़ेगी।

भारत में कृषि क्षेत्र के मुद्दे

- **गैर-आर्थिक, विखंडित भूमि अधिग्रहण:** छोटे और सीमांत भूमि अधिग्रहण (2 हेक्टेयर) का 72% हिस्सा है जो बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को प्राप्त करने की एक प्रमुख सीमा है।
- **औपचारिक ऋण की अनुपलब्धता:** छोटे किसानों को अभी भी ऋण के औपचारिक स्रोतों तक पहुंचने में कठिनाई होती है और वे शोषक साहूकारों की ओर मुड़ते हैं। अधिकांश ग्रामीण ऋण प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष हैं।
- **घटती उपज:** गुणवत्तापूर्ण बीज, सिंचाई, उर्वरक और खराब मिट्टी के स्वास्थ्य जैसे अपर्याप्त आदानों के कारण।
- खेती के क्षेत्र में कमी: कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग जैसे औद्योगीकरण और शहरीकरण के लिए उपयोग।
- मानसून पर अत्यधिक निर्भरता: 141 मिलियन हेक्टेयर के शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 60% भूमि पर खेती की जाती है। सूखा, तूफान, बाढ़ आदि के रूप में मानसून की अनियमितताओं से उत्पादन का महत्वपूर्ण नुकसान होता है।
- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन अप्रत्याशित मौसम की ओर ले जा रहा है जिससे मिट्टी की उर्वरता, कीटों और फसलों के लिए रोग के जोखिम में गिरावट आई है।
- **अतिसंकुलित कृषि क्षेत्र:** कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान में लगातार गिरावट के साथ, 2016 में मात्र 17% थी। यह, लाभकारी गैर-कृषि रोजगार की कमी के साथ मिलकर कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण बना है।
- **सरकारी नीतियों/योजनाओं का गलत कार्यान्वयन:** उदाहरण के लिए, दमनकारी एपीएमसी अधिनियम, एमएसपी

से संबंधित नीतियां, ईसीए के तहत स्टॉक सीमाएं, उदारीकृत कृषि-आयात नीति (जिससे घरेलू कीमतों और किसानों की आय में गिरावट आई है), अप्रभावी बीमा और ऋण से संबंधित योजनाएं

- **एमएसपी संरचना की अक्षमता:** केवल 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है और शेष 94% बाजार पर निर्भर हैं।
- मूल्य श्रृंखला के साथ सक्षम बुनियादी ढाँचे की कमी: कोल्ड स्टोरेज, गोदामों और कृषि-प्रसंस्करण सहित- बढ़ती कृषि उत्पादन के साथ समान गति से विकसित नहीं हुआ है, जिससे खाद्य अपव्यय, किसान के लिए खराब कीमत की खोज, उत्पाद की संकटपूर्ण बिक्री आदि हो रही है।
- अनुसंधान और विकास में कम निवेश: भारत में कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 1% से भी कम अनुसंधान पर खर्च किया जाता है।
- ग्रामीण इलाकों में संकट और किसानों की आत्महत्या: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट (2015) के अनुसार, 8000 से अधिक किसानों और 4500 कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की है।
- **कृषि ऋण माफी का नैतिक जोखिम:** कर्जमाफी की उम्मीद ने किसानों को कर्ज नहीं चुकाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, इसका एक प्रमुख प्रभाव है कि विभिन्न राज्यों के किसान ऋण माफी की मांग करते हैं।
- ऋण राशि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग: किसान किसान क्रेडिट कार्ड जैसे चैनलों के माध्यम से ऋण लेते हैं और निजी खपत सहित अन्य गैर-कृषि गतिविधियों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
- अस्थिरता: भारत में कृषि काफी हद तक मानसून पर निर्भर है। परिणामस्वरूप, खाद्यान्न के उत्पादन में साल दर साल उतार-चढ़ाव होता रहता है। अनाज के प्रचुर उत्पादन के एक वर्ष के बाद अक्सर तीव्र कमी का वर्ष होता है।
- **खेतिहर मजदूरों की स्थिति:** भारत में अधिकांश खेतिहर मजदूरों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अधिशेष श्रम या प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या भी है। यह मजदूरी दरों को निर्वाह स्तरों से नीचे धकेलता है।
- **अपर्याप्त सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश:** वित्तीय रूढ़िवादिता ने सिंचाई, जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण में सार्वजनिक निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कृषि क्षेत्र की अनुपलब्धता ने निजी निवेश को प्रभावित किया है।

कृषि संकट के परिणाम

- **किसानों की आय का निम्न स्तर:** मुख्य व्यवसाय के रूप में कृषि में स्वरोजगार वाले ग्रामीण परिवारों में से 1/5 की आय गरीबी रेखा से नीचे है, जिसके कारण जीवन स्तर खराब है (एनएसएसओ, 2011-12)।
- **अस्थिर आजीविका:** एनएसएसओ का 70वां दौर इंगित करता है कि एक किसान परिवार के पास अपने उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। लेकिन 65% से अधिक परिवारों के पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि है।
- बढ़ती ऋणग्रस्तता: लगभग 52% कृषक परिवार ऋण के अधीन हैं, विशेष रूप से। छोटे और सीमांत किसानों (जोत ढ2 हेक्टेयर) के बीच केंद्रित है।
- किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं: एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2013 से हर साल कृषि क्षेत्र में 12,000 से अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। ऋणग्रस्तता से प्रेरित आर्थिक संकट प्रमुख कारण था।
- ग्रामीण-शहरी प्रवास: पिछले 10 वर्षों (2001-2011) में भारत ने कृषि की विफलता और कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी के कारण ग्रामीण से शहरी भारत में सबसे बड़ा प्रवास देखा।
- कृषि क्षेत्र से बाहर निकलना: सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस), दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 76% किसान अन्य क्षेत्रों में आय के बेहतर अवसरों के कारण खेती छोड़ना चाहते हैं।
- ग्रामीण अशांति: किसान विरोध और ऋण माफी की बढ़ती मांग।
- खराब मांग: लगभग 60% आबादी खेती में लगी हुई है, खराब क्षेत्रीय प्रदर्शन से मांग खराब होगी, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।
- बढ़ती असमानताएँ: एक किसान और गैर-किसान की आय के बीच लगभग 3 गुना की असमानता है
- मानव पूंजी: और जनसांख्यिकीय लाभांश क्षमता बर्बाद हो सकती है क्योंकि गरीब किसान की स्थिति परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और शिक्षा को भी प्रभावित करेगी
- कम भागीदारी: उद्यमशीलता, राष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं आदि में किसानों की।
- **खाद्य असुरक्षा:** यदि किसानों की खेती में रुचि कम हो जाती है, तो यह पूरे देश को खाद्य असुरक्षा के खतरे में डाल देता है
- **सामाजिक अशांति:** कृषि की बिगड़ती स्थिति के कारण किसानों के विरोध में वृद्धि हुई है।

खंडित भूमि जोत

खंडित और अलाभकारी भूमि जोत किसानों को उत्पादन जोखिम, जलवायु जोखिम, मूल्य जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और नीतिगत जोखिम सहित सभी प्रकार के कृषि जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

भूमि जोत के विखंडन के कारण

- **छोटे पैमाने पर उत्पादन:** यह किसानों की कृषि कार्यों में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को काटने और मशीनीकरण में निवेश करने की क्षमता को बाधित करता है। इससे उत्पादकता में और गिरावट आती है और इस प्रकार भूमि क्षमता में गिरावट आती है।
- **कम कीमतें:** इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों के पास मोलभाव करने की शक्ति कम होती है, क्योंकि उनके पास बहुत कम बिक्री योग्य अधिशेष होता है और वे बाजार में मूल्य लेने वाले होते हैं।
- कम आय: एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार, 2012-13 में औसत कृषि आय लगभग 19,250 रुपये या लगभग 1600 रुपये प्रति माह थी।
- **ऋणग्रस्तता:** आर्थिक सर्वेक्षण-2016-17 के अनुसार, ऋणग्रस्तता और भूमि जोत के आकार के बीच विपरीत संबंध है। बिहार और पश्चिम बंगाल में, सीमांत भूमि वाले 80% से अधिक कृषि परिवार कर्जदार हैं।
- समावेशन मुद्दा: बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों के अस्तित्व का मतलब है कि सरकार की विस्तार शाखाओं के लिए नई तकनीक और कृषि सहायता योजनाओं के साथ उन तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण है।
- भूमि सुधारों की विफलता: स्वतंत्रता के बाद समान भूमि वितरण का उद्देश्य विफल रहा।
- **बढ़ती जनसंख्या:** एक ही भूमि पर निर्भरता की बढ़ती संख्या के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भूमि विखंडन की ओर ले जाती है।

खंडित और छोटी जोतों के परिणाम

- **उत्पादकता को नुकसान:** कुछ फसलों को उगाने में कठिनाई होती है, और किसानों को उच्च लाभ वाली फसलों में बदलने से रोकता है। उदाहरण के लिए, फलों की फसलों के लिए बड़े भूखंड क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए यदि किसान केवल छोटे और खंडित भूखंडों का निर्माण करते हैं तो उन्हें केवल कम लाभदायक फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
- **खंडित भूमि** जोत परिवहन लागत को बढ़ा सकती है।
- बिखरे भूखंडों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और सुरक्षा भी अधिक कठिन, समय लेने वाली और महंगी हो सकती है।
- भूमि का अपव्यय: भूमि के विखंडन में पार्सल (हेज, पत्थर की दीवारें, खाई आदि) के बीच एक जटिल सीमा नेटवर्क शामिल होता है, जो भूमि के अपव्यय का कारण बनता है।
- गरीब विपणन योग्य अधिशेष: छोटी और सीमांत भूमि जोत - दो हेक्टेयर से कम - भूमि जोत का 72% हिस्सा है और छोटे, सीमांत किसानों के पास कम सौदेबाजी की शक्ति है, क्योंकि उनके पास बहुत कम बिक्री योग्य अधिशेष है और वे बाजार में मूल्य लेने वाले हैं।
- मशीनीकरण के लिए मुश्किल: इस प्रकार, कृषि में आधुनिक तकनीकों का उपयोग प्रतिबंधित है और यह उत्पादकता को सीमित करता है।
- **विखंडन के कारण मुकदमेबाजी**, जो संपत्ति विवाद का एक काफी सामान्य रूप है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सभी मामलों में से लगभग 25% भूमि विवादों के आसपास केंद्रित हैं। फिर से, भारत में सभी दीवानी मामलों में से 66% भूमि विवाद से संबंधित हैं।

आगे बढ़ना

- **भूमि राज्य के अधीन है:** प्रत्येक हितधारक से परामर्श करके राज्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विशिष्ट कानूनी सुधार कर सकते हैं।
- **अधिग्रहित भूमि के उपयोग के बारे में विवरण प्रदान करें:** लोगों को भूमि के उपयोग के बारे में जानने का अधिकार है
- मुआवजे के रूप में सरकार द्वारा अधिग्रहित: उदाहरण के लिए ब्रिटेन में, सरकार ने वादा किया है
- सभी संपत्तियों के स्वामित्व, स्थान और इच्छित उपयोग का विवरण प्रदान करें।
- भूमि संसाधनों और उपयोग के पैटर्न की व्यापक सूची: भूमि उपयोग पैटर्न की प्रभावी पहचान को सक्षम करने के लिए इसे प्रत्येक संपत्ति के स्थान, उसके आयाम, कानूनी शीर्षक, वर्तमान और नियोजित उपयोग आदि की जानकारी के साथ बनाया जाना चाहिए।
- भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण: भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण और भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्य प्राधिकरणों की स्थापना।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** भूमि अधिकारों की प्राप्ति पर राज्य सरकारों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर भूमि अधिकार आयोग (एलआरसी) की स्थापना करें।

- **खेतों का विस्तार:** खेतों के विस्तार के विभिन्न तरीके हैं जैसे भूमि पूलिंग, भूमि पट्टे और अनुबंध खेती आदि। यह सब उचित कानूनी तंत्र के भीतर किया जाना चाहिए।
- भूमि पूलिंग को भूमि समायोजन या भूमि पुनर्गठन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भूमि अधिग्रहण रणनीति है जिसमें निजी स्वामित्व वाले भूमि भूखंडों के स्वामित्व अधिकार एक नामित एजेंसी को हस्तांतरित किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन भूमि भूखंडों को एक साथ रखा जाता है।
- अधिशेष भूमि का उपयोग: इसका उपयोग जल और अपशिष्ट निपटान, आवास और परिवहन परियोजनाओं आदि जैसी सेवाओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए और भविष्य में उपयोग के लिए अभिप्रेत भूमि को पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किराए पर दिया जाना चाहिए, जब तक कि यह जरूरी है।
- **भूमि पट्टे के लिए आदर्श कानून:** नीति आयोग ने किरायेदारों के अधिकारों को मान्यता देने और भूस्वामियों के हितों की रक्षा करने के लिए एक मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 तैयार किया है।

किसानों की आय दोगुनी करना: दलवई समिति और नीति आयोग

- किसानों की आय दोगुनी करने पर अशोक दलवई समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का खाका तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2016 में अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था।

समिति की सिफारिशें

- **लक्षित आय स्तर:** किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखते हुए, किसानों की कुल आय में कृषि आय के अनुपात को 2015-16 में 60% से बढ़ाकर 2022-23 में लगभग 70% करने का लक्ष्य होना चाहिए।
- परिभाषा का विस्तार: समावेशिता के लिए किसान की परिभाषा को उदार बनाना। किसानों में खेती करने वाले, किरायेदार अंशधारक आदि शामिल हैं।
- ऑनलाइन और प्रतिवर्ष प्रमाणित डेटाबेस: किसान की पहचान करने और उसे परिभाषित करने के लिए विकसित किया जा सकता है, ताकि उसे कृषि-संबंधी सहायता-प्रणाली का लाभ उठाने के योग्य बनाया जा सके।
- **निवेश के लिए उप क्षेत्रों को प्राथमिकता दें:** बागवानी (फसल क्षेत्र के तहत), पशुपालन, दूध और मत्स्य पालन जैसे उच्च विकास और उच्च मूल्य वाले उप-क्षेत्रों में विविधीकरण की आवश्यकता है। जिससे प्राथमिकता उप-क्षेत्रों के लिए पर्याप्त निवेश सुनिश्चित किया जा सके।
- निजी निवेश: कृषि-रसद, पैक-हाउस, ग्रीनहाउस और सूक्ष्म सिंचाई जैसे नए युग के बुनियादी ढांचे में।
- **सार्वजनिक निवेश:** सिंचाई, अनुसंधान एवं विकास, ग्रामीण सड़कों और परिवहन, ग्रामीण ऊर्जा, आदि में और निजी निवेश में 'भीड़' के लिए।

नीति आयोग इंडिया@75: किसानों की आय दोगुनी करने पर सिफारिशें

- **स्थिर निर्यात नीति:** भारत सरकार को सभी हितधारकों के परामर्श से आगे आना सभी हितधारकों के परामर्श से, भारत सरकार को एक सुसंगत और स्थिर कृषि निर्यात नीति के साथ आना चाहिए, आदर्श रूप से पांच से दस साल की समय सीमा के साथ
- मूल्य प्राप्ति: सरकार को संविधान के अनुच्छेद 323 ठ के प्रावधानों के अनुरूप कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को एक कृषि न्यायाधिकरण द्वारा बदलने पर विचार करना चाहिए।
- **नीति आयोग को निम्नलिखित की जांच करने के लिए एक समूह का गठन करना चाहिए:**
  - **एमएसपी को न्यूनतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी) से बदलना**, जो मंडियों में नीलामी के लिए शुरुआती बिंदु हो सकता है।
  - **प्रोत्साहन और कमीशन भुगतान की एक प्रणाली के माध्यम से** एमएसपी व्यवस्था के पूरक के लिए बाजारों में सक्रिय निजी व्यापारियों को शामिल करने के विकल्पों की जांच करें।
- कृषि सलाहकार सेवा: संयुक्त राज्य कृषि विभाग (यूएसडीए) और यूरोपीय संघ (ईयू) की तर्ज पर एक प्रभावी और प्रौद्योगिकी संचालित कृषि सलाहकार सेवा पर विचार किया जा सकता है।
- वायदा कारोबार: वायदा कारोबार को बढ़ावा देना चाहिए। बाजार की गहराई बढ़ाने के लिए प्रवेश बाधाओं को दूर करने पर विचार किया जाना चाहिए।
- **फसल बीमा:** पीएमएफबीवाई को संशोधित करने की आवश्यकता है -
  - मौसम आधारित बीमा को बढ़ावा देना।
  - गैर-कर्जदार किसानों के बीमा कवरेज को बढ़ाएं।
  - मिश्रित फसल की अनुमति दें और अधिसूचित फसलों की संख्या में वृद्धि करें।
- **मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करें:** अनुबंध उस मूल्य और गुणवत्ता को निर्दिष्ट करेगा जिस पर किसानों की उपज खरीदी जाएगी।

यह किसान को उन मामलों में बचाता है जहां कीमतें एमएसपी से नीचे आती हैं।

- **मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट, 2016 को अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करें:** मॉडल एक्ट का उद्देश्य भूमि पट्टे के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों तक भूमि की पहुंच में सुधार करना है, साथ ही किरायेदारों को संस्थागत ऋण प्राप्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना भी है।
- भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण: भूमि पट्टे पर देने के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण आवश्यक है। भू-टैगिंग, अद्यतन भूमि अभिलेखों को उत्पन्न करने के लिए भू-अभिलेखों के स्थान अज्ञेय ऑनलाइन पंजीकरण के साथ-साथ किया जाना चाहिए। देश में भूमि रिकॉर्ड प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीएलआरएमपी) शुरू किया गया।
- **कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना:** देश में अब 741 एफपीओ हैं, जिनका प्रबंधन लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के तत्वावधान में किया जाता है। उन्होंने प्रदर्शित किया है कि एकत्रित किसान बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
- सटीक कृषि पर ध्यान: भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए पशु व्यवहार, स्वास्थ्य और उत्पादन की निगरानी के लिए ऊर्जा अनुकूल सिंचाई पंप, सूक्ष्म सिंचाई, जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकियों, आईओटी, एआई और पशुपालन में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अनुसंधान का समर्थन करें।
- शोध पर खर्च बढ़ाएँ: वर्तमान में 0.3 प्रतिशत पर अनुसंधान व्यय को कृषि सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 1 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने के लिए एक ज्ञान केंद्र बनाएं:** यह आवश्यक है कि नई तकनीक को खेत स्तर पर अपनाया जाए। कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के प्रदर्शन की नियमित रूप से बाहरी एजेंसियों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और अच्छा प्रदर्शन करने वाले केवीके को फील्ड स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए।
- **एकीकृत खेती के मॉडल विकसित करें:** आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) को उत्पादन, पोस्ट-प्रोडक्शन, प्रसंस्करण और अन्य मूल्य-संवर्द्धन गतिविधियों को कवर करते हुए कृषि मूल्य श्रृंखला में सिफारिशें प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हालिया पहल

- **प्रधानमंत्री की 7 सूत्रीय कार्य योजना:**
  1. 'प्रति बूंद, अधिक फसल' के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर निवेश के साथ सिंचाई पर अधिक ध्यान दिया गया।
  2. गुणवत्तापूर्ण बीज एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता।
  3. वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और स्टोरेज सुविधाओं में बड़े पैमाने पर निवेश।
  4. मूल्य-वर्धन खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से।
  5. फसल बीमा योजनाओं की शुरूआत के माध्यम से जोखिम प्रबंधन।
  6. एक राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना और;
  7. पोल्ट्री, मत्स्य पालन आदि जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: अतिरिक्त लाभ के साथ किसानों को न्यूनतम प्रीमियम दर पर बीमा प्रदान करना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई): 'प्रति बूंद अधिक फसल' के तहत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा
- दीर्घावधि सिंचाई कोष (एलटीआईएफ): 100 प्रतिशत बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड: उर्वरकों के उपयोग और खर्च को कम करने के लिए शुरू की गई योजना
- खेती और कृषि के लिए ऋण सुविधा: 10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम): किसानों के लिए विस्तारित बाजार पहुंच और बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए।
- उर्वरक क्षेत्र में सुधार (यूरिया): स्वदेशी और आयातित यूरिया की 100% नीम कोटिंग हासिल की गई। गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए अत्यधिक अनुदान वाले यूरिया का विचलन नगण्य हो गया।
- दालों की कीमतों का स्थिरीकरण: पहली बार दालों की कीमत में उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए 20 लाख मीट्रिक टन तक का बफर स्टॉक बनाया जा रहा है।
- किसानों के लिए कृषि-मौसम संबंधी सेवाएं: वर्तमान में लगभग 21 मिलियन किसान एसएमएस और अन्य माध्यमों से स्थानीय भाषाओं में एएएस प्राप्त कर रहे हैं।
- परम्परागत कृषि विकास योजना: जैविक खेती को बढ़ावा देना और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक जैविक मूल्य श्रृंखला स्थापित करना।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन: स्वदेशी मवेशियों की आबादी और दुग्ध उत्पादन और दूध विकास के आनुवंशिक स्टॉक और नस्लों में सुधार करना।

- **सम्पदा योजना:** प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग के लिए प्रभावी और निर्बाध बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्रदान करना, किसानों को बेहतर मूल्य, ग्रामीण रोजगार के बड़े अवसर, बर्बादी को कम करना और प्रसंस्कृत खाद्य में निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना।

किसानों की आय दोगुनी करने में भारत की सफलता

- एनएसओ द्वारा सिचुएशन असेसमेंट सर्वे के मुताबिक देश की मासिक कृषि घरेलू आय 8059 रुपये से बढ़ाकर 10218 रुपये कर दी गई है।
- भारत किसानों की आय दोगुनी करने से बहुत दूर है" और कुछ राज्यों में – **"2015-16 और 2018-19 के बीच यानी चार वर्षों में"** – झारखंड की तरह, यह 7068 रुपये से घटकर 4895 रुपये हो गया है; मध्य प्रदेश में 9740 रुपये से 8339 रुपये; नागालैंड में, 11428 रुपये से 9877 रुपये; ओडिशा में 5274 रुपये से घटकर 5112 रुपये हो गया।
- यह कृषि विभागों द्वारा अपर्याप्त धन उपयोग और धन और कुछ राज्यों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अभावपूर्ण कार्यान्वयन के कारण है।

कृषि उत्पादों के मूल्य में उतार-चढ़ाव की चुनौतियां

- मूल्य में उतार-चढ़ाव **एक बहुआयामी समस्या है,** जिसके लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो संयुक्त होने पर, सबसे कमजोर लोगों के लिए खतरनाक परिणामों में समाप्त हो जाते हैं।
- हालांकि उच्च कीमतें तकनीकी रूप से किसानों के लिए अच्छी खबर हो सकती हैं, कीमतों में उतार-चढ़ाव बेहद खतरनाक है, क्योंकि कीमतों में गिरावट आने पर किसानों और खाद्य श्रृंखला के अन्य एजेंटों को अपने निवेश को खोने का जोखिम होता है।

कीमतों में बार-बार होने वाले उतार-चढ़ाव के लिए जिम्मेदार कारक

- **मौसम:** अच्छे मौसम से आपूर्ति में अप्रत्याशित रूप से बड़ी वृद्धि हो सकती है जिससे बाजार में आधिक्य हो सकता है और कीमतों में गिरावट आ सकती है। आगे सूखा और बाढ़ भी एक संभावित कारक हो सकते हैं।
- **मौसमी:** पिछले सीजन के उत्पादों की कीमतों में उनकी मौसमी फसल के कारण अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है।
- मकड़ी का जाल: कृषि उत्पादन में समय अंतराल कीमतों में चक्रीय विकृति का कारण बनता है और इसलिए बाजार में पेश की जाने वाली मौजूदा कीमत कृषि बाजार में भविष्य की आपूर्ति को निर्धारित करती है।
- व्यापक प्रभाव: कई करों और अन्य मध्यस्थ लागतों से कीमतों पर विकृत प्रभाव पड़ता है।
- **बाहरी कारक:** वस्तुओं की आपूर्ति और मांग को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता
- आधारभूत संरचना: आपूर्ति श्रृंखला के लिंक की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी से कीमतें बढ़ सकती हैं।
- सरकारी खरीद: आरबीआई ने पाया कि एमएसपी के कारण महंगाई पर साफ असर पड़ता है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रभाव मजबूत हो जाता है क्योंकि सरकार खरीद का आश्वासन देती है।
- उत्पादों की क्षयशीलता
- भंडारण सुविधाओं की मात्रा में परिवर्तन
- वर्षा में भिन्नता के कारण उत्पादन में उतार-चढ़ाव: कम मानसून से फसल की पैदावार कम होती है इसलिए मांग और आपूर्ति संतुलन बिगड़ जाता है।
- **माल की आवाजाही में रुकावट** जैसे ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल और सड़क और रेल परिवहन में रुकावट।

आगे बढ़ना

- **क्षेत्रीय दृष्टिकोण:** कृषि उपज के क्षेत्रीय या जिलेवार बफर स्टॉक बनाएं ताकि उन्हें मध्यम कीमतों पर जारी किया जा सके
- अवसंरचना विकास: खराब होने वाली वस्तुओं और अच्छी सड़कों और परिवहन सुविधाओं के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए
- **निश्चित मूल्य सीमा:** अगर कीमत इस रेंज से नीचे गिरती है, तो सरकार को किसानों की खोई हुई आय के लिए मुआवजा देना चाहिए। रणनीतिक बफर के प्रावधान के माध्यम से कृषि-बागवानी वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने, जमाखोरी और अटकलों को हतोत्साहित करने में मदद करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष शुरू किया गया।
- प्रौद्योगिकी: विशेष रूप से मौसम प्रणालियों में और सभी स्तरों पर अधिक सूचित निर्णयों के लिए खुला डेटा समावेशन।
- योजनाओं का तर्कसंगतीकरण: लोकलुभावनवाद और बाजार विकृति को रोकना, मूल्य की कमी और समर्थन योजनाओं को वस्तुगत वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
- **जमाखोरी से बचें:** वाणिज्यिक और व्यक्तिगत स्तर पर, जमाखोरी को रोका जाना चाहिए क्योंकि वे कृत्रिम रूप से कीमतों को प्रभावित करते हैं।

- फसल विविधीकरण: वैकल्पिक फसलें पूर्ण फसल विफलता से सुरक्षा प्रदान करती हैं और सस्ते खाद्य विकल्प प्रदान करती हैं।
- प्रभावी और सक्षम परिवहन: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और किसान रेल योजना डिलीवरी के समय को कम कर सकती है और इस प्रकार समय की मांग को पूरा कर सकती है।

किसान की आत्महत्या

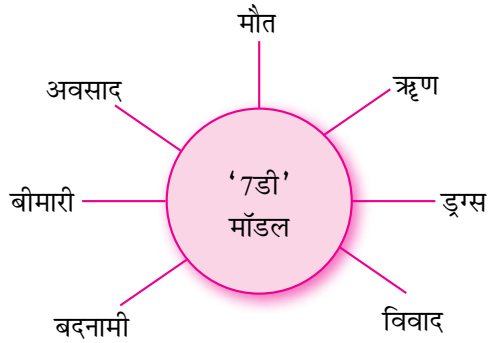
- एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, किसानों की आय और सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण के बावजूद, 2019 के बाद से हर साल कृषि क्षेत्र में 12,000 से अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं। भारत में सभी आत्महत्याओं में से लगभग 10% किसान आत्महत्या करते हैं।

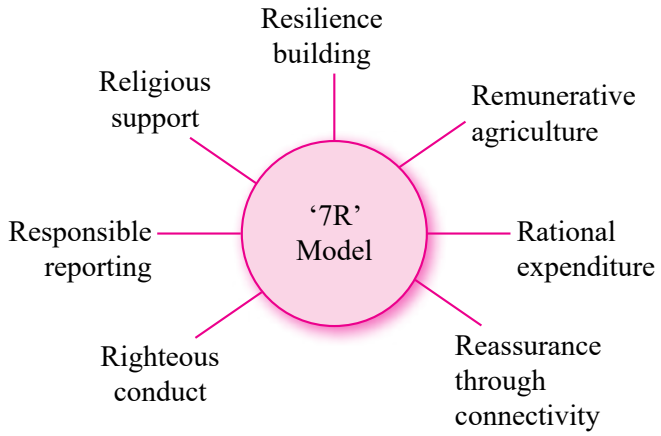
किसान आत्महत्याएं एक विशेष क्षेत्र में अधिक केंद्रित क्यों हैं?

- 2017 में, कथित तौर पर महाराष्ट्र (34.7 प्रतिशत), कर्नाटक (20.3 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9 प्रतिशत), तेलंगाना (8 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (7.7 प्रतिशत) में कृषि आत्महत्याओं की सबसे अधिक संख्या थी।
- विदर्भ क्षेत्र, मराठवाड़ा, उत्तरी कर्नाटक आदि जैसे देशों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसानों की आत्महत्या की संभावना अधिक है। इनमें से अधिकांश क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं।
- प्राथमिक क्षेत्र कृषि-पारिस्थितिक फसल पैटर्न से निरंतर बदलाव है। परंपरागत रूप से, मोटे अनाज जैसे मक्का, बाजरा, फलियां जैसे दालें, जो सूखा प्रतिरोधी हैं, की खेती की जाती थी। लेकिन, त्रुटिपूर्ण समर्थन मूल्य नीतियों के कारण, वे गन्ना, कपास जैसी नकदी फसलों और गेहूं और चावल जैसी इनपुट सघन फसलों की ओर स्थानांतरित हो गए हैं।
- इस प्रकार, वे उच्च इनपुट लागतों को पूरा करने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं, और फसल प्रकृति की अनिश्चितताओं के अधीन होती है।

आत्महत्या के कारण

भौगोलिक	• लगातार दो वर्षों से सामान्य से कम मानसून बारिश पर निर्भर प्रकृति और कृषि के कम विविधीकरण से जटिल हो गया है। • उर्वरकों के अतार्किक प्रयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण मिट्टी की घटती उत्पादकता के कारण स्थिर फसल उत्पादन।
संस्थागत	• खराब कृषि-पारिस्थितिकीय योजना अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में फसलों के गलत सेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे। पानी की कमी में गन्ना। • मराठवाड़ा में, फसलों की खरीद के निम्न स्तर के परिणामस्वरूप फसलों की संकटपूर्ण बिक्री होती है और इसलिए इनपुट लागतों का एहसास नहीं हो पाता है। • फसल बीमा योजनाओं की कम पहुंच और बीमा दावों में देरी। • कृषि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट।
तकनीकी	• सफेद मक्खी के हमले के कारण पंजाब में जीएम कपास की विफलता। • अनुसंधान एवं विकास के निम्न स्तर के परिणामस्वरूप फसलों के उत्पादन के लिए बीजों की खराब गुणवत्ता का उपयोग किया जा रहा है। • बीटी कपास की शुरूआत जैसे तकनीकी प्रयोगों की विफलता, जो सिंचित क्षेत्रों के लिए अच्छी थी, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में विफल रही।





किसान आत्महत्या को रोकने के तरीके और उपाय

- शुष्क भूमि कृषि प्रथाओं, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।
- किसानों को सही फसल चयन के लिए प्रेरित करना।
- कृषि मिश्रण में मुख्य धारा के पशुधन।
- फसलों के प्रतिरोधी उपभेदों को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन।
- अनुदान के साथ-साथ कृषि लाभ में वृद्धि, किसान परिवारों के लचीलेपन निर्माण और समस्या समाधान कौशल पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
- मानसिक बीमारी और अवसाद से जुड़ी शर्म की संस्कृति को दूर करने में कृषि विश्वविद्यालय एक शक्तिशाली भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि यह कलंक का डर है जो उचित उपचार की तलाश में बाधा के रूप में कार्य करता है।
- **फसल खराब होने पर बीमा: बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई।
- क्रेडिट मोबिलाइजेशन: आसान क्रेडिट उपलब्धता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई।
- फसल का पर्याप्त मूल्य सुनिश्चित करना: ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार का उद्देश्य एपीएमसी को जोड़ना और किसानों को उनकी फसलों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य प्रदान करना है।
- पुनर्निर्धारण ऋण: भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य और जिला स्तर के बैंकों को ऋण के पुनर्निर्धारण पर उदार दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी है यदि फसल का नुकसान 33% या अधिक है।
- **सामाजिक सुरक्षा:** सरकार ने 2019 में प्रधान मंत्री किसान धन योजना (पीएम-केएमवाई) की शुरुआत छोटे और सीमांत किसानों को उनके बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की है, जब उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है और न्यूनतम कोई बचत नहीं है। चूंकि इस योजना से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों को लाभ मिलता है, इसलिए लंबे समय में यह न केवल सबसे कमजोर किसान परिवारों को सुनिश्चित पूरक आय प्रदान करेगा।

किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का महत्व

- **अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में कृषि:** किसान कृषि जोखिमों के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसलिए उन्हें एक सुनिश्चित आय प्रणाली की आवश्यकता होती है।
- **गरीबी में कमी:** नकद हस्तांतरण कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा और गरीबी कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। यह भूख और ग्रामीण गरीबी को कम कर सकता है। वे परिवारों को ऋण बाधाओं को दूर करने और जोखिम प्रबंधन में मदद कर सकते हैं।
- भारतीय कृषि की लघु कृषि प्रकृति: छोटे और सीमांत किसान जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है, भारत में सभी किसानों का 86.2% हिस्सा है, लेकिन फसल क्षेत्र का केवल 47.3% हिस्सा है।
- बढ़ता कृषि संकट: हाल के वर्षों में, ऋणग्रस्तता, फसल की विफलता, गैर-लाभकारी कीमतों और खराब रिटर्न ने देश के कई हिस्सों में कृषि संकट को जन्म दिया है।
- औपचारिक ऋण की कमी: कृषि के व्यावसायीकरण से ऋण की जरूरतों में वृद्धि होती है, लेकिन बार-बार फसल खराब होने के कारण बड़े पैमाने पर अधिकांश छोटे और सीमांत किसान औपचारिक संस्थानों से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
- ग्रामीण विकास: यह एक व्यापक ग्रामीण विकास एजेंडे के लिए एक महत्वपूर्ण पूरक के रूप में कार्य कर सकता है, जिसमें गरीब-समर्थक विकास रणनीति शामिल है जो कृषि में विशेषज्ञता रखती है।
- **भारत में फसल बीमा योजनाओं की सीमित प्रभावकारिता:** वर्तमान में, केवल लगभग 35% किसान ही फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। फसल बीमा किसानों को अभावग्रस्तता से बहुत आवश्यक राहत प्रदान करने में विफल रहा है।
- **संसाधनों का बेहतर उपयोग:** यह उत्पादक निवेश को बढ़ा सकता है, बाजारों तक पहुंच बढ़ा सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित कर सकता है। आय समर्थन अक्सर एक चुकौती करना चाहता है या एक चेकिंग खाते को सक्रिय करना चाहता है जो तब ऋण प्राप्त कर सकता है।

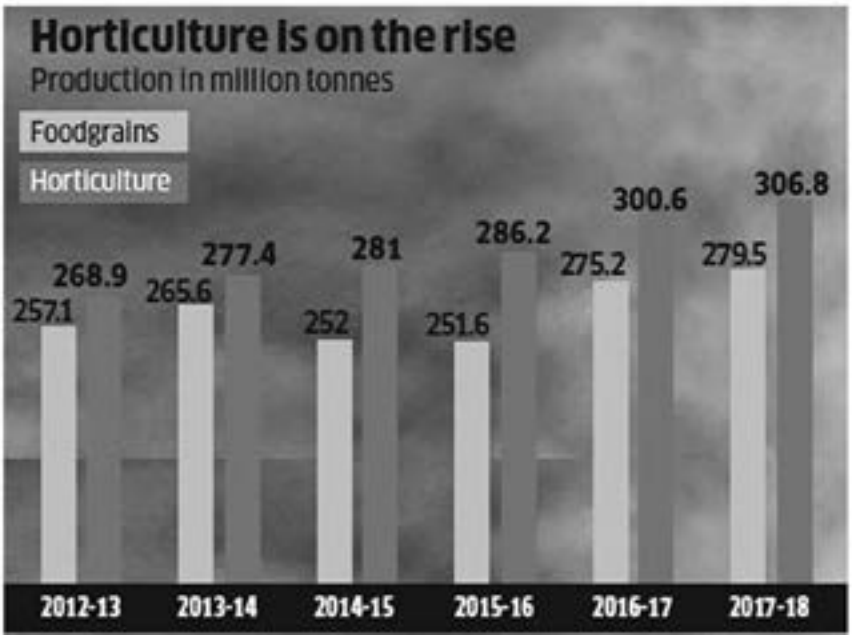
बागवानी क्षेत्र

- बागवानी क्षेत्र में **छह श्रेणियां शामिल हैं**, जैसे पोमोलॉजी (फल), ओलेरीकल्चर (सब्जियां), फूलों की खेती (फूल), रोपण फसलें, मसाले, सुगंधित और हर्बल दवाएं।
- भारत विश्व स्तर पर फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है; मसालों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है।
- केवल **लगभग 14 प्रतिशत कृषि भूमि पर कब्जा करके, बागवानी कृषि जीवीए में 33 प्रतिशत से अधिक का योगदान करती है।**

- एनएचएम के लॉन्च के बाद, बागवानी फसलों के तहत क्षेत्र विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन और आय में वृद्धि हुई है। पिछले दशक में, बागवानी के तहत क्षेत्र औसतन 2.7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ा और वार्षिक उत्पादन 7.0% प्रति वर्ष की औसत दर से बढ़ा।

बागवानी क्षेत्र का महत्व

- उपभोक्ताओं की अधिक मांग और पोषण संबंधी लाभों के बारे में अधिक जागरूकता के कारण उच्च मूल्य वाली फसलें।
- अनाज की फसलों की तुलना में भूमि की प्रति इकाई अधिक लाभ इसलिए छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद। – 1 हेक्टेयर प्रधान फसलों को बागवानी फसलों के साथ बदलने से वार्षिक आय में 80,000 रुपये की वृद्धि होती है।
- विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- श्रम प्रधान होने से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं।
- कुटीर आधारित उद्योगों का विकास कर द्वितीयक कृषि को बढ़ावा देता है।
- लैंगिक समानता: सब्जियां, फल और कटे हुए फूल अक्सर महिलाओं द्वारा उगाए और बेचे जाते हैं, लेकिन अक्सर महिलाओं की बाजार, भूमि, आदानों और शिक्षा तक पहुंच कम होती है।
- बागवानी फसलें कृषि उपज और आहार में परिवर्तनशीलता का एक स्रोत हैं।
- बागवानी उत्पाद विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करता है, जैसे प्रसंस्करण, फार्मास्युटिकल, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन, रसायन, कन्फेक्शनरी, तेल और पेंट आदि।
- बागवानी उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न प्रकार की नौकरियां प्रदान करता है।



बागवानी क्षेत्र में चुनौतियां

- कुछ फलों जैसे सेब, अमरूद आदि के लिए **बुवाई से लेकर कटाई तक का लंबा चक्र।**
- **इनपुट की उच्च लागत** जो किसानों पर बोझ डालती है।
- बड़े पैमाने पर पुराने और जीर्ण-शीर्ण बगीचों का प्रसार उत्पादकता को प्रभावित करता है। अधिकांश बागों में रोपण घनत्व भी कम है।
- गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
- **खराब पेड़ चंदवा प्रबंधन।**
- **वर्षा आधारित खेती,** अधिकांश बागवानी खेती में सिंचाई तक पहुंच नहीं है।
- उन्नत तकनीकों को अपनाने में प्रारंभिक लागत में कमी।
- कटाई उपरांत प्रबंधन सुविधाओं ने उत्पादन में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं रखा है। खराब होने वाली उपज के प्रबंधन के लिए असंगठित आपूर्ति श्रृंखला उपयुक्त रूप से एकीकृत नहीं है।
- बागवानी के लिए **समुचित रूप से प्रशिक्षित विस्तार सेवाओं का अभाव।**

बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने की रणनीति

- **उच्च उत्पादकता** के माध्यम से उत्पादन बढ़ाना।
- उच्च उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए हाइब्रिड तकनीक- टमाटर, मिर्च, ककड़ी और खरबूजे के संकर ।
- **गुणवत्ता रोपण सामग्री और बीज उत्पादन,** नर्सरी का निर्माण, आधुनिकीकरण और मान्यता। इस प्रकार, सीएसआईआर फ्लोरीकल्चर मिशन शुरू किया गया है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) ने 2021-22 के दौरान खेत और बागवानी फसलों की बायोफोर्टिफाइड और तनाव सहिष्णु किस्मों सहित 35 विशेष विशेषता किस्मों का विकास किया।
- **उच्च घनत्व रोपण प्रणाली:** प्रति इकाई क्षेत्र में उच्च उपज और शुद्ध आर्थिक लाभ, आदानों का अधिक कुशल उपयोग।
- क्षेत्र विस्तार जैसे एकीकृत कृषि प्रणाली दृष्टिकोण, शहरी और पेरी-शहरी बागवानी के माध्यम से उत्पादन बढ़ाना।
- श्रम लागत को कम करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई, उर्वरता, मशीनीकरण को अपनाने के माध्यम से संसाधन उपयोग दक्षता या उत्पादन लागत में बचत।
- सिंचाई, फसल रोटेशन, मिश्रित फसल आदि को बढ़ाकर **फसल की तीव्रता में वृद्धि** बागवानी, काजू, कोको, मशरूम, मसाले और औषधीय पौधों की खेती जैसे बागवानी के भीतर उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण।
- बाजार पहुंच और विपणन प्रणाली में सुधार। कृषि और बागवानी उत्पादों की आवाजाही के लिए प्राथमिक और माध्यमिक परिवहन के लिए परिवहन वाहनों की खोज के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।
- कटाई के बाद की सुविधाओं में **निकट-कृषि व्यवसायों** का निर्माण।

बागवानी फार्मों में उत्पादन, उत्पादकता और आय बढ़ाने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की भूमिका

- योजना **2005-06 में 10 वीं पंचवर्षीय योजना** के तहत शुरू की गई थी।
- यह **क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय विभेदित रणनीतियों** के माध्यम से **बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास** प्रदान करता है, जिसके कारण 2015-16 के दौरान 63 लाख हेक्टेयर भूमि पर 9 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक फलों का उत्पादन किया गया।
- बागवानी फार्म **बहुत छोटे** हैं और **बागवानी फसलों में निवेश पर उच्च प्रतिफल** है जो सीमांत किसानों को छोटी भूमि का उपयोग करके अपनी आय बढ़ाने की अनुमति देता है।
- किसान अपनी भूमि पर **कई फसलें लगा सकते हैं** जो कमाई के कई संसाधन प्रदान करती हैं।
- बागवानी के विकल्प से **कम वर्षा का सामना करने वाले और सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों को लाभ मिल रहा है** जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और फसल के खराब होने की संभावना कम होती है।
- बागवानी फसलों में **खाद्य फसलों की तुलना में कम समय लगता है** जो भूमि के कुशल उपयोग, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद करता है और किसानों की आय में भी वृद्धि करता है।

बागवानी का एकीकृत विकास (एमआईडीएच)

उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण, संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, पुराने बागों का कायाकल्प, और फसल कटाई के बाद का प्रबंधन और विपणन।

परिशुद्ध खेती

- परिशुद्ध खेती, जिसे सैटेलाइट फार्मिंग भी कहा जाता है, डिजिटल खेती तकनीकों का उपयोग करके फसल की उत्पादकता बढ़ाने और इसकी पैदावार को अधिकतम करने के लिए सही समय पर पानी, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे इनपुट की सटीक और उचित मात्रा के उपयोग को संदर्भित करता है।
- यह आईसीटी, वायरलेस डिटेक्टर नेटवर्क, रोबोटिक्स, ड्रोन, परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी, भू-स्थानिक रणनीतियों और स्वचालित पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से कार्यान्वयन की इच्छा रखता है।

परिशुद्ध खेती के लाभ

- **उर्वरक के उपयोग में कमी:** सटीक खेती प्रबंधन प्रथाओं से पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ उर्वरकों और रासायनिक अनुप्रयोगों की कीमतों में काफी कमी आएगी। उदाहरण के लिए, बीज या रासायनिक ओवरलैप नहीं होने की पुष्टि करने के लिए अपनी मशीनों का मार्गदर्शन करने के लिए जीपीएस का उपयोग।
- इनपुट मूल्य कम करता है: यह इनपुट कीमतों को 18-20% तक कम करता है और उपज को 30% (चावल और गेहूं) और 100% (गन्ना, फल और सब्जियां) के बीच बढ़ाता है।
- **फार्म प्रबंधन कोड:** कृषि की तरह खेत पर सभी गतिविधियों को आसान बनाता है और कृषि उत्पादकता में सुधार करता है।



- **जीपीएस मिट्टी का नमूना:** एक क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण बाजार के पोषक तत्वों, पीएच स्तर और अन्य ज्ञान के प्रसार को प्रकट करता है जो जागरूक और लाभदायक चयन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- श्रम मूल्य बचाता है: स्वचालित सेंसर के शोषण से फसल की खेती, फसल सुरक्षा और सिंचाई के लाभों को अधिकतम करने में सहायता के लिए शोषण तकनीक द्वारा।
- मिट्टी और पौधों के मापदंडों की निगरानी करें: उत्पादक पूरे खेतों में सेंसर लगाकर पौधों की वृद्धि के लिए चरम स्थितियों की पुष्टि करेंगे।
- **सही समय पर सही मात्रा:** रसायनों की सही मात्रा को सही जगह पर और सही समय पर फसलों, मिट्टी और भूजल के किनारों पर लागू करना।
- प्रदूषण कम करता है: यह रसायनों के न्यूनतम उपयोग के माध्यम से प्रदूषण को कम करता है और कीटनाशक प्रतिरोध के विकास में कमी लाता है।
- संसाधन दक्षता: यह उच्च संसाधन प्रबंधन के अवसर प्रदान करता है और बाद में संसाधनों की बर्बादी को कम करता है। उदाहरण के लिए, रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग भूमि, जल और विभिन्न संसाधनों के अवलोकन और प्रबंधन में किया जाता है।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि: पोषक तत्वों और इनपुट के स्वत: अनुप्रयोग के माध्यम से यह बेहतर फसल उपज में मदद करेगा।
- **किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बदलाव:** कम लागत-लागत के साथ उच्च फसल उपज से किसानों को अपनी फसल को लाभदायक मूल्य पर बेचने में मदद मिलेगी।

सटीक खेती के इतने बड़े किनारों और कृषि आय (डीएफआई) को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में इसकी उपयोगिता के कारण, सरकार ने पीएमकेएसवाई (प्रति बूंद अतिरिक्त फसल), "सेंसाग्री: मुख्य रूप से अच्छी कृषि पर आधारित डिटेक्टर" और ड्रोन, मोबाइल ऐप आदि के उपयोग की पहल की है।

वर्षा आधारित (शुष्कभूमि) कृषि

- भारत में, कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 60-65% वर्षा आधारित भूमि के अंतर्गत आता है। वर्षा आधारित फसलें खाद्य फसलों के तहत 48% क्षेत्र और गैर-खाद्य फसलों के तहत 68% हैं।
- भारत में, शुष्क भूमि की खेती बड़े पैमाने पर वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है।
- ये क्षेत्र रागी, बाजरा, मूंग, चना और ग्वार जैसी कठोर और सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाते हैं (चारा फसलें) और मिट्टी की नमी संरक्षण और वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपायों का अभ्यास करते हैं।
- विश्व बैंक की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है 'कृषि के लिए मुद्दे और प्राथमिकताएँ': भारत में लगभग 195 मिलियन हेक्टेयर भूमि खेती के अधीन है। इसमें से लगभग 63% वर्षा-सिंचित है, जबकि शेष 37% कृषि भूमि सिंचाई पर निर्भर है।
- भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 आर्द्र परिस्थितियों में है, जबकि 2/3 उप-आर्द्र या शुष्क परिस्थितियों में है। इस प्रकार, शुष्क भूमि कृषि गीली कृषि की तुलना में अधिक भूमि घेरती है।
- यह आबादी के 40% का समर्थन करता है और लगभग 60-65% भूमि पर कब्जा करता है।
- भले ही वर्षा आधारित कृषि **भारत के कृषि सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य का 60%** योगदान देती है, लेकिन जब देश में कृषि में सार्वजनिक निवेश की बात आती है तो **सिंचित क्षेत्रों के प्रति पूर्वाग्रह** स्पष्ट है।

मापदंडों	शुष्क भूमि कृषि	वर्षा आधारित कृषि
वर्षा	शुष्क भूमि खेती 750 मिमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती है	वर्षा आधारित खेती 1150 मिमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन है
बढ़ते क्षेत्र	शुष्क, अर्ध-शुष्क और उप-आर्द्र और आर्द्र क्षेत्रों के ऊपरी भाग - जैसे राजस्थान	उप-आर्द्र और आर्द्र क्षेत्र - जैसे बिहार

सिंचाई	अपर्याप्त वर्षा से सिंचाई नहीं	पर्याप्त वर्षा के साथ कोई सिंचाई नहीं
फसल प्रणाली	एकल फसल या अंतर फसल	अंतरफसल या दोहरी फसल

वर्षा आधारित कृषि के साथ चुनौतियाँ

- **बढ़ता तापमान:** 1970 के दशक के बाद बढ़ते तापमान का व्यापक पैटर्न दोनों मौसमों - खरीफ और रवी में आम है।
- घटती वर्षा: 1970 और पिछले दशक के बीच, खरीफ वर्षा में औसतन 26 मिलीमीटर और रबी वर्षा में 33 मिलीमीटर की कमी आई है।
- **अत्यधिक तापमान वाले दिनों की संख्या में वृद्धि:** अत्यधिक उच्च तापमान वाले दिनों की संख्या में वृद्धि हुई है, और कम तापमान वाले दिनों की संख्या में कमी आई है।
- **अत्यधिक वर्षा में वृद्धि:** शुष्क दिनों (प्रति दिन 0.1 मिमी से कम वर्षा), साथ ही नम दिनों (प्रति दिन 80 मिमी से अधिक वर्षा) के अनुपात में समय के साथ लगातार वृद्धि हुई है। इस प्रकार, चरम मौसम परिणामों की बढ़ती आवृत्ति में जलवायु परिवर्तन की छाप स्पष्ट रूप से प्रकट होती है।

प्रभाव

कृषि उत्पादकता पर मौसम का प्रभाव	• केवल उच्च तापमान के झटके मायने रखते हैं: तापमान और वर्षा का प्रभाव अत्यधिक गैर-रैखिक होता है और लगभग तभी महसूस किया जाता है जब तापमान बढ़ता है और वर्षा की कमी अत्यधिक होती है।
	• सिंचित क्षेत्रों (और इसलिए अनाज जैसी फसलें) की तुलना में गैर-सिंचित क्षेत्रों (और इसलिए दालों जैसी वर्षा आधारित फसलों) पर अत्यधिक आघातों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।
फसलों पर प्रभाव	• अलग-अलग फसलों की पैदावार पर अत्यधिक तापमान और वर्षा के झटकों के प्रभाव से संबंधित खोज। • वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें, खरीफ और रबी दोनों में दलहन मौसम के झटकों की चपेट में हैं • जबकि सिंचित क्षेत्रों में उगाए जाने वाले अनाज, चावल और गेहूँ दोनों → अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोधी होते हैं।
कृषि राजस्व पर प्रभाव	• अत्यधिक तापमान के झटके खरीफ और रबी के दौरान किसानों की आय में क्रमशः 4.3% और 4.1% की कमी करते हैं। • अत्यधिक वर्षा के झटकों से खरीफ और रबी के दौरान आय क्रमशः 13.7% और 5.5% कम हो जाती है।

आगे की राह

- **सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार:** भारत को सिंचाई का प्रसार करने की जरूरत है और पानी की बढ़ती कमी और घटते भूजल संसाधनों की पृष्ठभूमि के खिलाफ ऐसा करने की जरूरत है (उत्तर भारत में कमी सबसे खतरनाक है)।
- **कुशल सिंचाई तकनीकों को अपनाना:** ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और 'हर बूंद के लिए अधिक फसल' अभियान की तकनीक भविष्य की भारतीय कृषि की कुंजी है।
- अलक्षित अनुदान को बदलना: उदाहरण के लिए बिजली अनुदान को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है ताकि बिजली का उपयोग पूरी तरह से खर्च किया जा सके और जल संरक्षण को आगे बढ़ाया जा सके।
- कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाना: कृषि अनुसंधान पैदावार बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा ।
- **कृषि नीति सुधार:** भारत में कृषि नीति सुधारों के बारे में सोचने के लिए, भारत में दो कृषि के बीच स्पष्ट अंतर करना महत्वपूर्ण है:

1. **उत्तर भारत में अच्छी तरह से सिंचित, भारी निवेश और मूल्य और खरीद समर्थित अनाज उगाए जाते हैं:**
   - **नीति चुनौती:** प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में कीमतों और अनुदान से कम हानिकारक समर्थन के लिए बहुत उदार समर्थन के रूप में परिवर्तन करना।
2. **मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में गैर-अनाज:**
   - **नीतिगत चुनौती:** अपर्याप्त सिंचाई, निरंतर वर्षा निर्भरता, अप्रभावी खरीद, और अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में अपर्याप्त निवेश सहित समस्याओं का समाधान करने के लिए।
   - **सहकारी संघवाद:** कृषि एक राज्य का विषय है, इस प्रकार, जीएसटी परिषद की सहकारी संघवाद "प्रौद्योगिकी" जो केंद्र और राज्यों को एक साथ लाती है, कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने और किसानों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए आशाजनक रूप से तैनात की जा सकती है।

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (जेडबीएनएफ)

- प्राकृतिक खेती एक ऐसी प्रणाली है जहां **प्रकृति के नियम कृषि पद्धतियों पर लागू होते हैं।** यह विधि प्रत्येक खेती वाले क्षेत्र की प्राकृतिक जैव विविधता के साथ काम करती है, जीवित जीवों, दोनों पौधों और जानवरों की जटिलता को प्रोत्साहित करती है जो प्रत्येक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र को खाद्य पौधों के साथ पनपने के लिए आकार देते हैं।
- जेडबीएनएफ शब्द गढ़ने वाले **सुभाष पालेकर** जेडबीएनएफ की तकनीकों के बारे में विभिन्न राज्यों में किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं।

जेडबीएनएफ की विशेषताएं



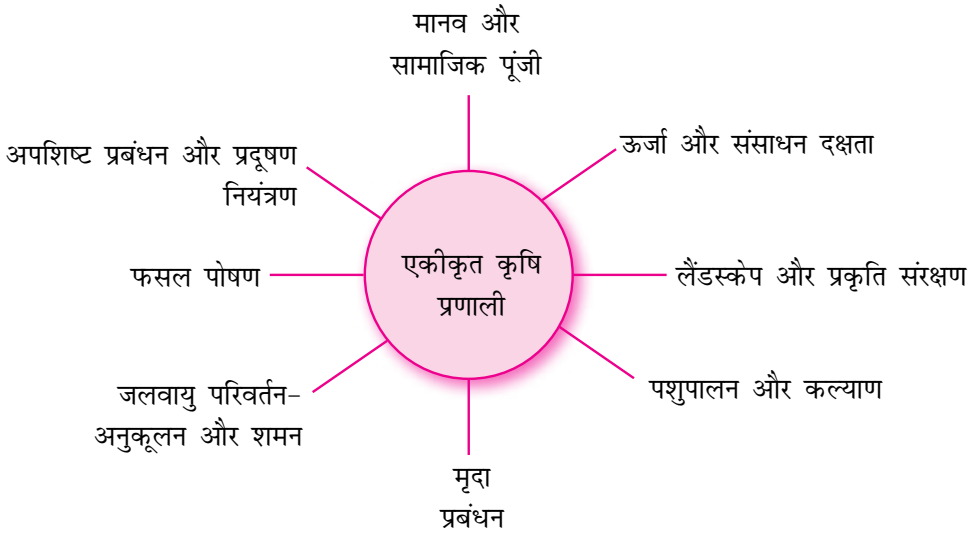
- जेडबीएनएफ का आधार यह है कि मिट्टी में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराने के लिए हमें सूक्ष्मजीवों की मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। इसके लिए **"जेडबीएनएफ के चार स्तंभ"** का सुझाव दिया गया है:
  1. बीजामृत गोमूत्र और गोबर के योगों के साथ बीजों का माइक्रोबियल लेप है ।
  2. जीवामृत गाय के गोबर, गोमूत्र और गुड़ के इनोकुलम के उपयोग से मिट्टी के रोगाणुओं की वृद्धि है।
  3. **मल्चिंग** फसलों या फसल अवशेषों के साथ मिट्टी का आवरण है जो ह्यूमस बनाता है और अनुकूल सूक्ष्मजीवों के विकास को प्रोत्साहित करता है।
  4. **वाफसा मृदा** वातन को बढ़ाने के लिए मृदा ह्यूमस का निर्माण है
- ZBNF सिद्धांतों के अनुसार, **पौधे अपने पोषक तत्वों की आपूर्ति का 98% हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं।** और शेष 2% अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी से भरपूर अनुकूल सूक्ष्मजीवों के साथ पूरा किया जा सकता है।
- सिस्टम को केवल भारतीय नस्ल की गाय से प्राप्त गोबर और गोमूत्र की आवश्यकता होती है। जहां तक गाय के गोबर और मूत्र की माइक्रोबियल सामग्री की बात है तो देसी गाय स्पष्ट रूप से सबसे शुद्ध है।
- जेडबीएनएफ में, एकल फसल पद्धति पर **बहु-फसल को प्रोत्साहित किया जाता है।**

जैविक खेती	जेडबीएनएफ
अंतर	
जैविक खाद और खाद जैसे खाद, वर्मी-कम्पोस्टिंग, गाय के गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है और बाहरी स्रोतों से खेत में डाला जाता है।	प्राकृतिक खेती में रोगाणुओं और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को मिट्टी की सतह पर ही प्रोत्साहित किया जाता है, जो समय के साथ धीरे-धीरे मिट्टी में पोषण जोड़ता है।
जैविक खेती के लिए बुनियादी कृषि पद्धतियों जैसे जुताई, खाद का मिश्रण, निराई आदि की आवश्यकता होती है।	प्राकृतिक खेती में कोई जुताई नहीं होती है, मिट्टी का झुकाव नहीं होता है और कोई उर्वरक नहीं होता है, और कोई निराई नहीं की जाती है, जैसा कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में होता है।
बड़ी मात्रा में खाद की आवश्यकता के कारण जैविक खेती अभी भी महंगी है, और इसका आसपास के वातावरण पर पारिस्थितिक प्रभाव पड़ता है;	प्राकृतिक कृषि एक अत्यंत कम लागत वाली कृषि पद्धति है, जो स्थानीय जैव विविधता के साथ पूरी तरह से ढल जाती है।
समानताएँ	
• जैविक और प्राकृतिक खेती दोनों प्रणालियाँ किसानों को पौधों और सभी कृषि पद्धतियों में किसी भी रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग करने से हतोत्साहित करती हैं। • दोनों खेती के तरीके किसानों को स्थानीय नस्लों के बीज, और सब्जियों, अनाज, दालों और अन्य फसलों की देशी किस्मों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। • **दोनों खेती के तरीके** गैर-रासायनिक और घरेलू कीट नियंत्रण विधियों को बढ़ावा देते हैं।	

न्यू इंडिया विजन 2022 के साथ एसडीजी के लिए किसानों की आय को दोगुना करने की आवश्यकता है, जबकि सतत विकास लक्ष्य संख्या 2 में राष्ट्रों को कृषि प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता है जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती हैं और वनस्पतियों की आनुवंशिक विविधता की रक्षा करती हैं।

एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस)

- आईएफएस एक **संयुक्त दृष्टिकोण** है जिसका उद्देश्य फसल प्रणाली में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुशल स्थायी संसाधन प्रबंधन है। आईएफएस दृष्टिकोण में पशुधन, वर्मीकम्पोस्टिंग, जैविक खेती आदि को शामिल करके स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा और गरीबी में कमी के **बहुउद्देश्यीय हैं।**
- भारतीय कृषि क्षेत्र को किसान की आय में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादकता और स्थिरता की दोहरी चुनौतियों को संबोधित करने की आवश्यकता है।
- **आईएफएस सबसे व्यवहार्य विकल्पों में से एक के रूप में उभरता है, जैसा कि यह सुनिश्चित करता है:**
  - **उत्पादकता:** आईएफएस विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए फसल और संबद्ध उद्यमों की गहनता के आधार पर प्रति इकाई क्षेत्र में आर्थिक उपज बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
  - लाभप्रदता: इसमें रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करके और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण द्वारा क्षेत्र को लाभदायक बनाने की क्षमता है।
  - **स्थिरता:** आईएफएस में, एक उप-उत्पाद का सबसिस्टम दूसरे सबसिस्टम के लिए एक इनपुट के रूप में काम करता है, जिससे यह पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ होता है। इसके अलावा, आईएफएस घटक खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते हैं और एकीकृत कीट प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माने जाते हैं और इस प्रकार खरपतवार नाशकों के साथ-साथ कीटनाशकों के उपयोग को कम करते हैं और इस तरह पर्यावरण की रक्षा करते हैं।
  - **पुनर्चक्रण:** आईएफएस में उत्पादों, उप-उत्पादों और अपशिष्ट पदार्थों का प्रभावी पुनर्चक्रण ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधन की खराब स्थिति के तहत कृषि प्रणाली की स्थिरता के पीछे आधारशिला है।
  - साल भर आय: फसलों, अंडे, मांस और दूध के साथ उद्यमों की बातचीत के कारण, आईएफएस कृषक समुदाय के बीच वर्ष भर धन का प्रवाह प्रदान करता है।
  - **छोटी जोत का सर्वोत्तम उपयोग:** कई क्षेत्रों जैसे कि उत्तर-पूर्वी भाग में भारतीय किसान निर्वाह कृषि करते हैं। उनके पास जल संचयन, मृदा प्रबंधन आदि में एक समृद्ध पारंपरिक आधार भी है, जिसका आईएफएस के तहत कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है।
  - **चारे के संकट को पूरा करना:** फसल के उप-उत्पाद और अपशिष्ट सामग्री का पशुओं (जुगाली करने वाले) के चारे के रूप में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है और अनाज, मक्का जैसे उत्पादों का उपयोग मोनोगैस्ट्रिक जानवरों (सूअर और मुर्गी पालन) के लिए चारे के रूप में किया जाता है।



- **रोजगार सृजन:** पशुधन उद्यमों के साथ फसल को मिलाने से श्रम की आवश्यकता में काफी वृद्धि होगी और बेरोजगारी और बेरोजगारी की समस्याओं को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। आईएफएस साल भर पारिवारिक श्रम को नियोजित करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है।

आईएफएस कई लाभ प्रदान करता है जो टिकाऊ होते हैं और जलवायु-स्मार्ट कृषि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। भारत को किसानों की आय दोगुनी करने और स्थायी कृषि पद्धतियों के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक **"अच्छी तरह से डिजाइन"** IFS को अपनाने की आवश्यकता है।

कृषि शिक्षा

- कृषि शिक्षा बागवानी, वानिकी, संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों, कृषि उत्पादों और प्रसंस्करण, खाद्य और फाइबर के उत्पादन, जलीय कृषि और अन्य कृषि उत्पादों, यांत्रिकी बिक्री और सेवा, अर्थशास्त्र, विपणन और नेतृत्व विकास में अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है।
- भारत में औपचारिक कृषि शिक्षा **ज्यादातर उच्च शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित है।**
- वर्तमान में, भारत में **तीन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, लगभग 65 राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) और 4 डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी (डीयू)** हैं, जो कृषि के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कृषि शिक्षा की आवश्यकता

- **कृषि उत्पादकता:** प्रभावी कृषि शिक्षा (किसानों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए भी) कृषि प्रक्रियाओं में बेहतर आर्थिक और तकनीकी निर्णय लेती है, जो आगे कृषि उत्पादकता में वृद्धि (विश्व बैंक) में परिलक्षित होती है।
- **कृषि की मूल्य श्रृंखला:** कृषि की पूरी मूल्य श्रृंखला यानी कृषि इनपुट से लेकर प्लग लिंकेज तक विभिन्न बाधाओं से ग्रस्त है, जिन्हें कृषि शिक्षा द्वारा संबोधित किया जा सकता है।
- **रोजगार:** कृषि शिक्षा की आवश्यकता उभरते श्रम पूल को सोखने के लिए है, विशेष रूप से जैव प्रौद्योगिकी जीएम खाद्य परिशुद्धता कृषि आदि के उभरते क्षेत्रों के साथ, जिनके लिए विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है।
- **श्रम मूल्य:** भारत में एक कृषि क्षेत्र में व्यक्ति का बाजार मूल्य कई विकासशील देशों से कम है और कृषि शिक्षा व्यक्ति की उत्पादकता में वृद्धि करती है और इस प्रकार उसके श्रम के बाजार मूल्य में वृद्धि करती है।
- **नई तकनीकों को अपनाना:** शिक्षित और प्रशिक्षित कार्यबल ने आसानी से नई कृषि तकनीक को अपनाया।
- **मशीनीकरण बढ़ाएँ:** अधिकांश किसानों में मशीनों को चलाने के लिए तकनीकी शैक्षिक कौशल की कमी है। शिक्षित किसान नए उपकरणों को आसानी से अपनाएंगे।

भारत में कृषि शिक्षा का महत्व

- **एक गांव/ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता:** किसानों के लिए कृषि, इसकी आधुनिक कृषि तकनीकों और विपण न के बारे में ज्ञान के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने से कृषि की लाभप्रदता में सुधार होगा और देश में कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
- **कौशल विकास:** भारत में कृषि क्षेत्र औपचारिक कौशल की कमी से ग्रस्त है; कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने से इस अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।
- गरीबी उन्मूलन: लाभकारी कृषि से आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीबी में कमी आएगी
- रोजगार: कृषि क्षेत्र के बढ़े हुए दायरे के परिणामस्वरूप बेहतर रोजगार सृजन होगा, कृषि-उद्यमियों की पीढ़ी में वृद्धि होगी।
- उभरता हुआ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, भंडारण अवसंरचना, विपणन आदि में तकनीकी और कौशल आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसे कृषि शिक्षा के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है।
- **सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना:** वर्षा जल संचयन, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, जलवायु-प्रतिरोधी कृषि, शून्य बजट खेती, रासायनिक उर्वरकों के सटीक उपयोग आदि के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा किसानों को पर्यावरणीय क्षति को कम करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भविष्य और जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन और शमन में सक्षम बनाएगी। ।
- बदलते वैश्वीकृत परिदृश्य में कृषि निर्यात को बढ़ावा देना: बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय (एसपीएस), तकनीकी-कानूनी विशिष्टता आदि जैसे क्षेत्रों में विश्लेषण ात्मक और पेशेवर कौशल और ज्ञान का विकास आज के समय में एक आवश्यकता है।
- **सूचना तक पहुंच में वृद्धि:** एक मजबूत कृषि शिक्षा प्रणाली परिसर से कृषि क्षेत्रों तक ज्ञान और विशेषज्ञता के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने में विश्वविद्यालयों के सहयोग के माध्यम से किसानों-शोधकर्ताओं के संबंधों को मजबूत कर सकती है।
- **प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग:** भारत कृषि में नवीनतम तकनीक के उपयोग में पिछड़ा हुआ है, उन्नत शिक्षा के साथ, किसान खाद्य प्रसंस्करण, बेहतर विपणन जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित होंगे, इसके परिणामस्वरूप फसल और पैदावार में वृद्धि होगी।

कृषि शिक्षा द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **वित्त:** कृषि राज्य का विषय हो सकता है और इसलिए इसके लिए वैधानिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जिनके पास धन की कमी है।
- **संकाय:** राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) को सेवानिवृत्त फैकल्टी के गैर-प्रतिस्थापन और कॉलेज की उच्च अंत:प्रजनन का सामना करना पड़ता है (लगभग 51% कॉलेज के सदस्यों के पास समकक्ष विश्वविद्यालय से उनकी डिग्री होती है, जिसके दौरान वे पढ़ा रहे हैं), जो शिक्षा और अनुसंधान कार्यक्रमों के मानक को बाधित करता है। .
- नेटवर्किंग और गुणवत्ता की कमी: यह देखा गया है कि अधिकांश स्कूलों में ट्यूटोरियल गतिविधियों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ाव और एकीकरण की कमी है।
- **प्राथमिक विकल्प नहीं:** कम रिटर्न और सीमित करियर के अवसरों के कारण कृषि शिक्षा के प्रति नकारात्मक रवैया कृषि शिक्षा को छात्रों के बीच पसंदीदा विकल्प नहीं बनाता है।
- विश्वविद्यालयों के बिगड़ते मानक: केंद्र और राज्य द्वारा आवश्यक ध्यान न देने के कारण कृषि विश्वविद्यालयों के मानकों में गिरावट आ रही है। चूंकि कृषि एक राज्य का विषय है, इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जैसे केंद्रीय निकाय केवल एक सहायक भूमिका निभा सकते हैं।
- वित्त पोषण: वैश्विक स्तर पर इजरायल जैसे देशों की तुलना में भारत में वित्तपोषण सहायता पिछड़ रही है।
- **खराब बुनियादी ढाँचा:** खराब प्रयोगशालाएँ और परीक्षण सुविधाएं कृषि शिक्षा के समग्र विकास में बाधा डालती हैं ।
- अप्रचलित पाठ्यचर्या: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में, पाठ्यचर्या को बार-बार अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- **रिक्तियों की उच्च संख्या:** अधिकांश कृषि विश्वविद्यालयों को सक्षम सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- सीमांत किसान: अधिकांश किसान अत्यधिक गरीबी वाले कमजोर वर्गों से संबंधित हैं, इस प्रकार वे उच्च शिक्षा की सुविधा का खर्च नहीं उठा सकते हैं।
- **टैलेंट पूल को आकर्षित करने में मुद्दे:** गैर-लाभकारी कृषि, प्लेसमेंट की थोड़ी गारंटी और भविष्य की अल्प संभावनाएं कृषि को कम पसंदीदा करियर विकल्प बनाती हैं।

आगे की राह

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी):** सरकार को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ पीपीपी मॉडल का उपयोग करना चाहिए, विशेष रूप से कृषि व्यवसाय, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी और बहुत से सीमांत क्षेत्रों में, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान कमजोर हैं और बदलती मांग का जवाब नहीं दे रहे हैं।
- **पाठ्यचर्या पर दोबारा गौर करें:** किसान आय को दोगुना करने पर अशोक दलवई समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है ताकि इसे स्थायी अभ्यास और लाभ पैदा करने वाले उद्यम के रूप में कृषि को बाजार में लाया जा सके।
- वैश्विक मानक प्रथाएँ: कृषि शिक्षा को विश्व व्यापार संगठन से जुड़े मौजूदा और उभरते मुद्दों, आईपीआर की नैतिकता, मानक व्यापार प्रथाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **क्षेत्रीय विशिष्ट शिक्षा:** ब्रांड-स्पैंकिंग नए विश्वविद्यालयों के मानक एक विषय के बजाय कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्र होने चाहिए, क्योंकि कृषि से संबंधित मुद्दे बहु-विषयक हैं।
- नियामक एजेंसी यानी आईसीएआर के पास कृषि शिक्षा के प्रबंधन के लिए वैधानिक शक्तियां या जनादेश नहीं है। इस प्रकार, कृषि क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) आधारित बनाने के लिए उच्च कृषि शिक्षा विनियमन के लिए एक केंद्रीय वैधानिक प्राधिकरण बनाना महत्वपूर्ण है।
- **व्यावसायिक कृषि शिक्षा:** विश्वविद्यालय मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल के लिए विशेष रूप से ज्ञान और तकनीकी सशक्तिकरण के संबंध में व्यावसायिक और गैर-औपचारिक शिक्षा की भी आवश्यकता है।

कृषि शिक्षा के लिए सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना:** यह परियोजना कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व बैंक और आईसीएआर के सहयोग से शुरू की गई है।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना:** इसे 2016 में शुरू किया गया था जिसके तहत कृषि शिक्षा के लिए 100 नए केंद्र खोले गए।
- **कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना (आर्या):** इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को विभिन्न कृषि, संबद्ध और सेवा क्षेत्र के उद्यमों को लेने के लिए आकर्षित करना और उन्हें सशक्त बनाना है।
- **समर्पित कृषि शिक्षा पोर्टल:** इसे देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों से महत्वपूर्ण शिक्षा जानकारी, ई-लर्निंग संसाधन आदि आसान और तेज तरीके से उपलब्ध कराने के लिए एकल खिड़की मंच के रूप में विकसित किया गया था।

- छात्र तैयार (ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना) कार्यक्रम: यह छात्रों को नौकरी आधारित और उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करता है और इसमें शामिल हैं - अनुभवात्मक शिक्षा (बिजनेस मोड)।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण (कौशल विकास मोड); ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव (आरएडब्ल्यूई); प्लांट ट्रेनिंग/इंडस्ट्रियल अटैचमेंट में; और छात्रों की परियोजनाएँ।

किसान की आय दोगुनी करने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

कृषि में अनुसंधान और विकास

- कृषि मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार की **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (1929) सर्वोच्च निकाय है।** ICAR 690+ कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से संचालित होता है जो किसानों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करता है और उन्हें नवीनतम फसल तकनीकों को अपनाने में मदद करता है।
- वर्तमान में कृषि अनुसंधान निधि 'GDP के 1% से कम' है।

कृषि अनुसंधान एवं विकास में चुनौतियां

- आईसीएआर वैज्ञानिकों के **वेतन संरचना और पदोन्नति नियम** समयबद्ध और वरिष्ठता आधारित हैं। इसलिए अत्यधिक बुद्धिमान वैज्ञानिक निजी कंपनियों/विदेशों को चुनते हैं।
- **वर्तमान में कृषि अनुसंधान वित्त पोषण सकल घरेलू उत्पाद का 1% से कम है।**
- सरकारी वैज्ञानिक मुख्य रूप से मात्रात्मक पैदावार में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि वे समृद्ध स्वास्थ्य के प्रति जागरूक शहरी/विदेशी उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से सुगंध, स्वाद, दिखावट, केलोरी, पोषक तत्व, एंटीऑक्सिडेंट आदि पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, तो 'किसानों को अधिक पैसा कमाने में मदद करने के लिए प्रीमियम किस्मों का निर्माण किया जा सकता है'।
- **भारतीय कृषि अनुसंधान 'अनाज केंद्रित' हो गया है।** हमें दलहन, तिलहन, बागवानी और पशुपालन पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 और कृषि में अनुसंधान एवं विकास

- कृषि अनुसंधान और शिक्षा की **पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी वैश्विक खाद्य प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि आय में वृद्धि करना** लागत कम करना और उपज अधिकतम करना है। इस प्रकार, सरकार साथ आई:
- **भारत की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली** ने कृषि के मशीनीकरण और जलवायु लचीली प्रौद्योगिकियों के विकास और बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों (एचवाईवी) आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण परिणाम दिए हैं। **उदाहरण के लिए,** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) 2020 और 2021 के दौरान खेत फसलों की कुल 731 नई किस्में/संकर और बागवानी फसलों की 98 नई किस्में अधिसूचित/जारी की गईं।
- प्राकृतिक खाद्य प्रणाली के माध्यम से और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए **पोषण सुरक्षा** सुनिश्चित करने के लिए, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) ने 2021-22 के दौरान क्षेत्र और बागवानी फसलों की बायोफोर्टिफाइड और तनाव सहिष्णु किस्मों सहित **35 विशेष विशेषता किस्में विकसित की हैं।**
- आईसीएआर ने 1,29,266 केडब्ल्यूएच वार्षिक बिजली उत्पादन के औसत फोटोवोल्टिक (पीवी) उत्पादन और कुल राजस्व ₹ 6 लाख के साथ एकल भूमि उपयोग प्रणाली से **फसल उत्पादन और बिजली उत्पादन के लिए 105 किलोवाट की कृषि-वोल्टाइक प्रणाली** का डिजाइन और विकास किया है।

कृषि विस्तार

- विस्तार सेवा एक **अनौपचारिक शिक्षा प्रक्रिया** है जो सलाह, सूचना और प्रशिक्षण प्रदान करती है, जो आमतौर पर किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं के लिए उनकी कृषि/आर्थिक/स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए होती है।
- एनएसएसओ सर्वेक्षण के अनुसार, 60% भारतीय किसानों को सरकारी संस्थानों से अधिक कृषि तकनीकी सहायता नहीं मिलती है। इसलिए वे प्रगतिशील किसानों, मीडिया और बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के निजी विक्रेताओं पर भरोसा करते हैं- जो अपने निहित व्यावसायिक हितों के कारण उन्हें निष्पक्ष सलाह नहीं दे सकते।

कृषि विस्तार सेवाओं के उद्देश्य

- किसानों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान प्रसारित करने के लिए।
- कृषि में समस्याओं और बाधाओं पर किसानों से विस्तार अधिकारियों/वैज्ञानिकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना।
- विस्तार कार्यकर्ताओं की व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि करना।
- किसानों, विस्तार अधिकारियों और शोधकर्ताओं के बीच जुड़ाव को मजबूत करना।
- किसानों को समग्र विकास के लिए प्रेरित करना।

कृषि-विस्तार सेवाओं और उनकी चुनौतियों के लिए वितरण चैनल

कृषि-विस्तार चैनल	चुनौतियाँ
व्यक्तिगत बैठक, टोल-फ्री हेल्पलाइन और पत्रों के माध्यम से व्यक्तिगत परामर्श	भौगोलिक पहुंच, जनशक्ति उपलब्धता। प्रति 800-1000 किसानों पर 1 विस्तार कार्यकर्ता उपलब्ध है।
संगोष्ठी, कार्यशाला, समूह चर्चा, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से समूह परामर्श।	किसानों को कार्यदिवस के नुकसान, समय बिताने/यात्रा करने के लिए प्रेरणा की कमी का डर है।
कुरुक्षेत्र और अन्य सरकारी पत्रिकाएँ / पत्र-पत्रिकाएँ।	ग्रामीण इलाकों में पत्रिकाओं की सीमित पहुंच के साथ-साथ निरक्षरता और गरीबी।
मास मीडिया वाया किसान टीवी (2014) और पब्लिक रेडियो प्रसारण।	सीमांत किसानों के पास उन्हें देखने के लिए उपकरण नहीं हो सकते हैं। कस्टमाइज्ड / टेलर मेड एडवाइजरी / सूचना देना मुश्किल है।
ई-कृषि में ई-प्रौद्योगिकी (वेब पोर्टल); एमकिसान (एसएमएस/यूएसएसडी), किसान सुविधा ऐप	मास रीच संभव क्योंकि अधिक मोबाइल और रपव 4G प्रभाव। अनुकूल सलाह दी जा सकती है।

कृषि विस्तार पर राष्ट्रीय मिशन

- मिशन का उद्देश्य **कृषि विस्तार का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण** करना है ताकि किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी और बेहतर कृषि पद्धतियों के वितरण को सक्षम बनाया जा सके।
- आईसीएआर पूरे देश में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) और "इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम (आईवीएलपी)" के माध्यम से कृषि विस्तार गतिविधियों में भी जुड़ा हुआ है।
- एफपीओ, एनजीओ और कॉर्पोरेट क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमईटी), **12 वीं योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया, जिसमें 4 उप मिशन शामिल हैं।**
- कृषि विस्तार पर उप मिशन (एसएमएई): कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों को अपनाना सबसे अधिक लागत प्रभावी साधन है। विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्लिनिक, कृषि व्यापार केंद्र, किसान कॉल सेंटर का उपयोग किया जाएगा।
- **बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी):** उप-मिशन में बुवाई के लिए किसानों को आपूर्ति करने के लिए नाभिक बीज से लेकर बीज श्रृंखला के पूरे सरगम को शामिल किया जाएगा। एसएमएसपी में पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार प्राधिकरण (पीपीवी और एफआरए) के संरक्षण को मजबूत करने की भी परिकल्पना की गई है।
- **कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम):** कृषि बिजली की उपलब्धता और कृषि उत्पादकता के बीच एक मजबूत संबंध है। इसलिए, कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन कृषि यंत्रीकरण पर केंद्रित है।
- **पौध संरक्षण और पौध संगरोध (एसएमपीपी) पर उप मिशन:** मिशन में एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने के माध्यम से वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का उपयोग करके फसल को रोग मुक्त रखकर कृषि उत्पादन में वृद्धि की परिकल्पना की गई है।

कृषि विस्तार कृषि उत्पादकता को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका में सुधार करने और कृषि पद्धतियों को सकारात्मक रूप से बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, मुश्किल से 40% कृषि परिवारों को इसकी पहुंच मिल रही है। इसलिए, हमें युद्धस्तर पर विस्तार सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की जरूरत है।

कृषि यंत्रीकरण

- फार्म मशीनीकरण का तात्पर्य **मशीनों के विकास और उपयोग** से है जो उत्पादन की न्यूनतम लागत के साथ समग्र उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ कृषि प्रक्रियाओं में मानव और पशु शक्ति का स्थान ले सकता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (95 प्रतिशत), ब्राजील (75 प्रतिशत), और चीन (57 प्रतिशत) जैसे अन्य देशों की तुलना में **भारत में कुल कृषि मशीनीकरण 40-45 प्रतिशत कम रहा है।**
- भारत में कृषि मशीनीकरण **लगभग 40-45%** है, **यूपी, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में मशीनीकरण का स्तर बहुत अधिक है, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में नगण्य मशीनीकरण है।**

कृषि मशीनीकरण की आवश्यकता

- **निवेश बचत:** अध्ययनों ने कृषि मशीनीकरण और कृषि उपज के बीच सीधा संबंध दिखाया है। कहा जाता है कि फार्म मशीनीकरण से बहुत सारी लागत बचत होती है; बीज (15-20%), उर्वरक (15-20%)।
- **कार्यकुशलता में वृद्धि:** यह समय को लगभग 15-20 प्रतिशत तक कम करने में मदद कर सकता है, इस प्रकार कृषि श्रम की दक्षता में वृद्धि करता है और कड़ी मेहनत और काम के बोझ को कम करता है।

- **सामाजिक लाभ:** यह श्रम की बेहतर दक्षता के कारण महिलाओं के कार्यभार को कम करता है। यह युवाओं को खेती में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने और रहने के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करने में मदद करता है।
- **श्रम की बढ़ती लागत से निपटना:** कृषि कार्यों के लिए श्रम लगाने की लागत में काफी वृद्धि हो रही है।
- कृषि आय में वृद्धि: कृषि मशीनरी का प्रभावी उपयोग उत्पादकता और उपज के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है, समय पर कृषि संचालन करता है और किसानों को उसी भूमि पर फसलों को जल्दी से घुमाने में सक्षम बनाता है।
- सतत कृषि: कृषि मशीनीकरण भूमि और जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग प्रदान करता है जो स्थायी परिणामों के लिए अग्रणी कृषि के पर्यावरणीय पदचिह्न को प्रभावित कर सकता है।
- **श्रम की बढ़ती लागत से निपटना:** ग्रामीण श्रमिकों से शहरी क्षेत्रों में कृषि श्रम की लागत में वृद्धि होती है। कृषि कार्यों के लिए श्रम लगाने की लागत काफी बढ़ रही है। कृषि मशीनीकरण श्रम लागत को कम करने का तरीका है और खेती की लागत को 20 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

भारत में कृषि यंत्रीकरण की चुनौतियाँ

- **पैमाने और संचालन की मितव्ययिता:** भारत में बहुत कम औसत जोत का आकार (कृषि जनगणना, 2015-16 के अनुसार 2.66 एकड़) है और वह भी छोटे पार्सल में विभिन्न स्थानों पर बिखरा हुआ है। यह कृषि मशीनरी के व्यक्तिगत स्वामित्व को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बना रहा है।
- **किसानों का निम्न-आय स्तर:** भारत में लगभग 86% किसान छोटे और सीमांत हैं और औसतन रु. 2016 एनएसएसओ रिपोर्ट के अनुसार 6,426 प्रति माह।
- ऋण प्रक्रिया: कृषि मशीनीकरण में मदद करने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए कृषि सावधि ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। साथ ही, ऐसे ऋणों पर फसली ऋणों की तुलना में ब्याज की दर अधिक होती है।
- कम जागरूकता: कृषि मशीनीकरण को केवल ट्रैक्टरों के उपयोग के रूप में देखा जाता है; पावर टिलर हार्वेस्टर और थ्रेशर को जोड़ता है। किसानों को छोटी जोत के लिए उपयुक्त अन्य मशीनों और उनके उपयोग के तरीकों की जानकारी नहीं है।
- **कृषि शक्ति में भिन्नता:** कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुसार बिजली की उपलब्धता एक राज्य से दूसरे राज्य में अत्यधिक भिन्न होती है। बिजली तक पहुंच की कमी के परिणामस्वरूप कृषि मशीनीकरण की गति धीमी हो जाती है और इसलिए विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के बीच कृषि उत्पादकता में कमी आती है।
- अनुदान की सीमाएं: कृषि मशीनीकरण के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें व्यक्तिगत/किसानों के समूह/सहकारिता को निवेश करने के लिए अनुदान प्रदान करती हैं।
- **आश्रित जनसंख्या:** कृषि मशीनीकरण का स्तर कृषि में लगी जनसंख्या के साथ विपरीत व्यवहार करता है। भारत के 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अभी भी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं।

कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम

- **जमींदारी को मजबूत करें:** छोटे किसान भारतीय कृषि का मुख्य आधार बने रहेंगे; कृषि यंत्रीकरण का लाभ उठाने के लिए जोतों का समेकन करना आवश्यक है।
- **लघु कृषि मशीनरी/उपकरण:** विभिन्न फसलों, फसल पैटर्न और कृषि कार्यों की बहुमुखी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- मेक इन इंडिया पहल: समग्र पूंजीगत लागत को कम करने के लिए वर्तमान में आयात किए जा रहे इनपुट और कृषि उपकरणों के निर्माण का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- नवाचार और आविष्कार: ऑपरेशन की लागत को कम करने के लिए कम्बाइन हारवेस्टर, गन्ना हारवेस्टर, धान ट्रांसप्लांटर आदि जैसी उच्च लागत वाली कृषि मशीनरी के लिए संस्थागत रूप से कस्टम हायरिंग सेवा या किराये के मॉडल को नया करने की आवश्यकता है।
- **वित्तपोषण में आसानी:** जैसे केसीसी, सावधि ऋण लेने की प्रक्रिया को बैंकों की क्षमता निर्माण के साथ-साथ न्यूनतम दस्तावेजीकरण के साथ सरल बनाया जा सकता है।
- **अशोक दलवई समिति की सिफारिशों को अपनाना:** ड्रोन, सेंसर-आधारित अनुप्रयोगों जैसी आधुनिक प्रणालियों को शामिल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सीएचएससी को उनकी तकनीकों को व्यापक बनाने के लिए समर्थन दिया जाना चाहिए।

सरकार अगले 10 वर्षों में प्रति हेक्टेयर कृषि मशीनीकरण को दोगुना करने का लक्ष्य बना रही है, क्योंकि इससे कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और लाभप्रदता को अधिकतम करने में मदद मिलेगी। यह विनिर्माण क्षेत्र की मांग भी पैदा करेगा, इस प्रकार समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।

बीज उद्योग

- भारत दुनिया भर में **पांचवां सबसे बड़ा** बीज बाजार है।
- यह **2017-2022 के दौरान 15% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है,** और **2022 तक यूएस $ 7 बिलियन से अधिक के मूल्य तक पहुंच सकता है।**
- अन्य आदानों के कुशल प्रबंधन के साथ कुल उत्पादन में गुणवत्ता वाले बीज का प्रत्यक्ष योगदान 45% तक बढ़ाया जा सकता है।
- **बीज विधेयक 2019 संसद के विचाराधीन है।**

भारत में बीज क्षेत्र के मुद्दे

बीज कंपनियां	कंपनियों के लिए जटिल और कमजोर आईपीआर व्यवस्था और विभिन्न लाइसेंस शर्तों के कारण, निजी कंपनियों द्वारा अनुसंधान निवेश 10-12% के अंतरराष्ट्रीय मानदंड के मुकाबले राजस्व का 3-4% ही रहा।
सरकार	इसके अलावा, जीएम फसल बीज में मौजूदा प्रौद्योगिकी प्रदाता, एकाधिकार स्थिति के करीब का आनंद लेना जारी रखता है।
किसान	महाराष्ट्र (अकोला जिले की हाल की घटना) और तेलंगाना में अस्वीकृत जीएम फसल पर आधारित बीजों की बड़े पैमाने पर अवैध बिक्री और रोपण को रोकने में नियामक विफलता की सूचना मिली थी।

आगे की राह

- **जीएम तकनीक पर ध्यान:** जीएम फसलों पर राष्ट्रीय नीति सटीक क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए जहां देश को जीएम की आवश्यकता है और जहां सरकार जीएम प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी।
- **त्वरित समाधान:** विभिन्न आईपीआर कानूनों के बीच संघर्ष जो इस उद्योग को प्रभावित कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं कि सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुनिश्चित आईपी सुरक्षा के साथ अनुसंधान निवेश को कैसे प्रोत्साहित करना चाहती है।
- प्रोत्साहन: निजी क्षेत्रों को कम मूल्य के उच्च मात्रा वाले बीजों के उत्पादन के लिए बैंक योग्य योजनाओं के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।
- बीज-अनुसंधान क्षमता में वृद्धि: बीज के मूल्य नियंत्रण आदेश तथा बीज क्षेत्र में निजी निवेश को हतोत्साहित करने वाले अन्य प्रतिबंधों को हटाकर बीज उत्पादन एवं वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। साथ ही, बीजों के लिए एक मजबूत तृतीय पक्ष गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **नियामक तंत्र:** बीज और बायोटेक उद्योग के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करना ताकि इसे पारदर्शी, विज्ञान आधारित, अनुमानित और निष्पक्ष बनाया जा सके।
- एकीकृत दृष्टिकोण: सामान्य और क्षेत्र विशेष बाधाओं को दूर करने के लिए दृढ़ प्रयास के साथ-साथ बीज प्रतिस्थापन दर में सुधार, कृषि-जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण के प्रयास किए जाने चाहिए।
- **बीज लाइसेंसिंग के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रक्रिया:** राज्यों में बीज लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में विषमता की समस्या से निपटने के लिए, केंद्र सरकार को बीज लाइसेंसिंग के लिए मॉडल दिशानिर्देश विकसित करने चाहिए और इन्हें लागू करने में राज्यों का सहयोग करना चाहिए।

2019 के बीज विधेयक के मसौदे के प्रमुख प्रावधान

- **बीज प्रतिस्थापन दर (एसआरआर):** भारतीय कृषि में एसआरआर बढ़ाने, बीज किस्मों के पंजीकरण के लिए मानक निर्दिष्ट करने और बीज उत्पादकों से लेकर बीज खुदरा विक्रेताओं तक पंजीकरण लागू करने के लिए एक नया बीज विधेयक आवश्यक है।
- **बीज समिति का गठन:** बिल केंद्र सरकार को एक केंद्रीय बीज समिति का पुनर्गठन करने के लिए अधिकृत करता है जो इसके प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।
- बीज किस्मों का पंजीकरण: बिक्री के लिए बीजों की सभी किस्मों को पंजीकृत करना होगा और कुछ निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करना होगा।
- संशोधित लाइसेंसिंग मानदंड: लाइसेंसिंग के उद्देश्य से बीज उत्पादक, बीज प्रोसेसर और बीज डीलर के बीच अंतर है।
- सही मायने में चिह्नित बीज: वर्तमान में, बीजों का एक बड़ा प्रतिशत एक स्व-प्रमाणन कार्यक्रम के तहत बेचा जाता है जिसे ट्रुथफुली लेबल्ड (टीएल) बीज कहा जाता है। प्रमाणन प्रक्रिया को स्वैच्छिक रखा गया है।
- **मूल्य नियंत्रण:** बिल सरकार को 'आपातकालीन' स्थितियों जैसे कि बीज की कमी, मूल्य में असामान्य वृद्धि, एकाधिकार मूल्य निर्धारण, मुनाफाखोरी, आदि के मामले में चयनित किस्मों की कीमतें तय करने का अधिकार देता है, जो व्यक्तिपरक व्याख्या के लिए खुले हैं।

मूल्य श्रृंखला और ग्रामीण आधारभूत संरचना

प्रतिबंध

- 90 के दशक की शुरुआत से कृषि में **सार्वजनिक और निजी निवेश (पीपीपी)** कम रहा है। कार्यान्वयन में अड़चनें और उच्च स्तर की अनिश्चितता ने कृषि निवेश के लिए निवेशकों की भूख को और कम कर दिया है।
- भूमि पट्टे पर देने और भूमि अधिग्रहण पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप बाजार यार्ड की स्थापना के लिए **भूमि अधिग्रहण करने में असमर्थता** एक अन्य बड़ी बाधा है।
- विपणन अवसंरचना वित्त, जनशक्ति और उचित सुविधाओं की कमी के कारण ग्रस्त है। उप-बाजार यार्ड बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद के लिए एक स्थान के रूप में कार्य करते हैं और खुली नीलामी के अवसर प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा, वे अपने संचालन में अनियमित हैं और प्रमुख यार्डों में संभाली जाने वाली मात्रा के पांच प्रतिशत से भी कम संभालते हैं।
- **ग्रामीण सड़कों का खराब रखरखाव** भी एक प्रमुख बाधा है। स्थानीय और फीडर सड़कों के साथ संयोजन उप-इष्टतम रहते हैं।
- **बिजली क्षेत्र** में, कई राज्यों में कृषि और घरेलू विद्युतीकरण के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए अलग फीडर नहीं किए गए हैं।
- **कृषि की सर्वोत्तम प्रथाओं** की कमी भारत के खाद्य निर्यात को बाधित करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद निर्यात मानकों को पूरा करते हैं, खेत या उत्पादक स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हालांकि, कुछ राज्यों में खेत से उपभोक्ता तक ट्रेसबिलिटी मैकेनिज्म की कमी, खंडित जोत और किसानों से उत्पादों की सीधी खरीद पर प्रतिबंध जैसे कारकों से यह सुनिश्चित करना लगभग असंभव हो जाता है कि उत्पाद निर्यात गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।

आगे की राह

- **कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के लिए बुनियादी ढाँचे का दर्जा:** गोदामों, पैकिंग-हाउसों, पकने के कक्षों और शीत भंडारण, जिसमें गांव स्तर पर स्थापित किए गए भी शामिल हैं, को पूर्ण बुनियादी ढांचा दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें बुनियादी ढांचा दर्जे के साथ आने वाले राजकोषीय लाभों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जा सके।
- **ग्राम स्तर पर खरीद केंद्र:** छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिए गांव/ब्लॉक स्तर पर सरकारी संग्रह केंद्र और भंडारण सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए।
- उत्पादन को प्रसंस्करण से जोड़ना: फलों और सब्जियों के लिए ग्राम स्तरीय संग्रह केंद्रों को बड़ी प्रसंस्करण इकाइयों से जोड़ा जाना चाहिए। ग्रामीण आवधिक बाजारों (आरपीएम) के पास प्रसंस्करण केंद्रों के विकास में निजी क्षेत्र को सक्रिय रूप से शामिल करना।
- थोक बाजारों को अपग्रेड करें: अस्थायी भंडारण, पैक-हाउस संचालन और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के लिए थोक बाजारों का उन्नयन करें।
- **सरकारी पहलों में अभिसरण:** प्रभावी खरीद लिंकेज, प्रसंस्करण सुविधाएं, खुदरा श्रृंखला और निर्यात गतिविधि विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण और वाणिज्य मंत्रालय की पहल के बीच समन्वय की आवश्यकता है।
- रेलवे माल परिचालन को सुदृढ़ करें: फसल के बाद के नुकसान को कम करने और भूमि से घिरे राज्यों को निर्यात बाजारों से जोड़ने के लिए रेलवे माल संचालन को तापमान नियंत्रित कंटेनरों और लोडिंग और अनलोडिंग सुविधाओं के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए।
- **महिला एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण सड़कों का रखरखाव:** महिला एसएचजी द्वारा सड़कों के रखरखाव का कुछ राज्यों (उदाहरण के लिए उत्तराखंड) द्वारा प्रयोग किया गया है और यह बहुत ही आशाजनक पाया गया है। इस मॉडल को अन्य राज्यों द्वारा दोहराया जा सकता है।
- **कृषि उपकरणों में निजी निवेश को प्रोत्साहन:** निजी उद्यमियों को प्रत्येक 1000 हेक्टेयर के लिए छोटे कृषि कार्यान्वयन मशीनीकरण हब और प्रत्येक 5000 हेक्टेयर खेती वाले क्षेत्र के लिए बड़े मशीनरी हब स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **निर्यात-उन्मुख क्लस्टर विकसित करें:** कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) सामान्य बुनियादी सुविधाओं के साथ निर्यात-उन्मुख क्लस्टर के विकास का समर्थन करता रहा है। इन क्लस्टरों में प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ-साथ कार्यात्मक, एंड-टू-एंड कोल्ड चेन सिस्टम होना चाहिए।

कृषि पर कोविड-19 का प्रभाव

- कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत **कटाई के चरम मौसम के साथ हुई है। चूंकि बाजार बंद हैं, इसलिए देश में 100 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसल पर खतरा मंडरा रहा है।**
- भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 17% है। कृषि, अपने संबद्ध क्षेत्रों के साथ, भारत में आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत है। 70% ग्रामीण परिवार अभी भी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं।

भारत की कृषि पर कोविड का प्रभाव

- **बिना खरीद के पीक फसल:** यह भारत में रबी सीजन का पीक सीजन है और गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि जैसी फसलें (सिंचित इलाकों में धान सहित) कटाई योग्य अवस्था में थीं या लगभग परिपक्वता तक पहुंच रही थीं।
- **रिवर्स प्रवासन के कारण श्रम की अनुपलब्धता:** श्रम की अनुपलब्धता ने कई क्षेत्रों में परिचालन को प्रभावित किया है। नतीजतन, प्रवासी श्रम की कमी के कारण फसल की कटाई के लिए दैनिक मजदूरी में तेज वृद्धि हुई है।
- कीमत में गिरावट: परिवहन बंद होने और सीमाओं को बंद करने सहित बाजार पहुंच की कमी के कारण कृषि कीमतों में गिरावट आई है।
- **सार्वजनिक वस्तुओं की कमी:** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, फल और सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है।
- बिक्री पर प्रतिबंध: किसानों/मजदूरों के अंतर और राज्य के भीतर आने-जाने के साथ-साथ कटाई और संबंधित कृषि मशीनों पर स्वत: लगाए गए प्रतिबंध थे।
- आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान: सतर्क अवरुद्ध सड़कों के साथ संयुक्त परिवहन सुविधाओं की अनुपस्थिति का प्रवासी फसल श्रम और कृषि-मशीनरी की आवाजाही पर सीमित प्रभाव पड़ता है।
- **लॉकडाउन से प्रेरित ऋण और नकदी प्रवाह की बाधाएं:** किसानों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अपने फसली ऋण, स्वर्ण ऋण और अन्य अनौपचारिक ऋणों को चुकाने की समस्या से निपटना है।

भारतीय प्रतिक्रिया कोविड के लिए: कृषि

- **ई-नाम में सुधार:** राष्ट्रीय कृषि बाजार मंच की नई विशेषताओं को मंडियों में भीड़भाड़ कम करने के स्वागत योग्य कदम के रूप में पेश किया गया।
- **तकनीकी सहायता:** किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप को हाल ही में लॉकडाउन के दौरान किसानों का समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- कृषि और बागवानी उत्पादों की आवाजाही के लिए परिवहन वाहनों की खोज में किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए किसान रथ ऐप भी लॉन्च किया गया।
- **अनुबंध खेती को बढ़ावा:** विभिन्न राज्यों ने महामारी के कारण जारी अनिश्चितताओं को देखते हुए निवेशकों और किसानों को अनुबंध खेती के लिए एक समझौते में प्रवेश करने की अनुमति देने वाले अभिनव मॉडल को बढ़ावा दिया है।
- **सीधे हस्तांतरण के लिए आवंटन:** पीएम किसान के माध्यम से किसानों को डीबीटी के लिए आवंटन बढ़ाना और लॉकडाउन के दौरान सक्रिय रूप से किए गए सभी लोगों को शामिल करना।

सुधारों का भविष्य दायरा

- **एपीएमसी में सुधार:** इन सुधारों के साथ, सरकार ने राज्य द्वारा संचालित एपीएमसी के दशकों पुराने एकाधिकार को खत्म करने की योजना भी शुरू की है, जिन्हें अक्सर अनुचित व्यापार के लिए दोषी ठहराया जाता था, और किसानों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में बाधा बन गया था।
- गोदामों को बाजारों के रूप में नामित करना: गोदाम रसीद प्रणाली को बढ़ाया जा सकता है। निजी क्षेत्र को आधुनिक बुनियादी ढाँचे वाली मंडियाँ खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कमीशन की सीमा तय करनी चाहिए।
- **रसद परिवर्तन:** कृषि वस्तुओं की मांग को बनाए रखने के लिए प्रमुख रसद में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा, ई-कॉमर्स और डिलीवरी कंपनियों और स्टार्ट-अप्स को उपयुक्त नीतियों और प्रोत्साहनों के साथ प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **कृषि श्रम को संस्थागत बनाना:** कृषि श्रम की कमी की तत्काल चिंताओं को दूर करने के लिए, नीतियों को उपयुक्त प्रोत्साहन के साथ राज्य संस्थाओं, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) या कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) के माध्यम से मशीनरी की आसान उपलब्धता की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- **संस्थागत ऋण का विस्तार:** खरीफ (वर्षा/बारिश) का मौसम तेजी से आ रहा है, फसल ऋण के संस्थागत ऋण का विस्तार किया जाना चाहिए और उधार लेने वाले किसानों को ऋण के सुचारू (और पर्याप्त) प्रवाह की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

महामारी और भारत में कृषि का भविष्य

- **व्यवहार्य आजीविका के रूप में खेती:** कृषि मर रही है, भोजन के उत्पादन में नहीं बल्कि एक वांछनीय पेशे के रूप में। एक खराब उपज, चाहे वह बेमौसम बारिश, कीट आदि के कारण हो और अधिकांश किसानों के पास कोई बफर उपलब्ध नहीं है।
- **इंद्रधनुष क्रांति की कुंजी है:** घटती उत्पादकता बाधा को पार करने के लिए, गेहूं-चावल चक्र से अन्य अनाज और दालों में बदलाव करके एक इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत करने की आवश्यकता है।
- **प्रति बूंद अधिक फसल:** बढ़ती जनसंख्या के कारण खेतों के विखंडन के कारण प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि घट

रही है। इस पृष्ठभूमि में, सूक्ष्म सिंचाई में बदलाव करने का समय आ गया है ताकि दुर्लभ जल संसाधनों का कुशल और विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सके।

- **आर एंड डी भविष्य है:** कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक नई प्रौद्योगिकियों की कमी और हरित क्रांति के बाद प्रमुख सफलताएं हैं। अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र से भी कोई बड़ा योगदान नहीं रहा है।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

- हाल ही में घोषित **आत्मनिर्भर भारत अभियान** प्रोत्साहन पैकेज के अनुसरण में, केबिनेट ने 15000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) की स्थापना को मंजूरी दी।

उद्देश्य

- दूध अवसंरचना के विकास के लिए सहकारी क्षेत्र द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए।
- एमएसएमई और निजी कंपनियों को भी पशुपालन क्षेत्र में प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचे में उनकी भागीदारी के लिए प्रोत्साहित और प्रोत्साहित किया जा रहा है।

फायदे

- पशुपालन क्षेत्र में **निजी क्षेत्र के निवेश** के माध्यम से अनलॉक होने की बहुत बड़ी संभावना है।
- निजी निवेशकों के लिए **ब्याज सबवेंशन स्कीम** के साथ एएचआईडीएफ इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक अग्रिम निवेश को पूरा करने के लिए पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और निवेशकों के लिए समग्र रिटर्न/पेबैक बढ़ाने में भी मदद करेगा।
- पात्र लाभार्थियों द्वारा प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना में इस तरह के निवेश से निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा।
- चूंकि **भारत में दूध उत्पादन के अंतिम मूल्य का लगभग 50-60% किसानों के पास वापस जाता है,** इस क्षेत्र में विकास का किसान की आय पर महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रभाव **हो सकता है।**
- दूध बाजार का आकार और दूध की बिक्री से किसानों की आय सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा संगठित उठाव के विकास से निकटता से जुड़ी हुई है। इस प्रकार, रुपये का निवेश। एएचआईडीएफ के माध्यम से 15,000 करोड़ न केवल कई गुना अधिक निजी निवेश का लाभ उठाएगा बल्कि **किसानों को इनपुट में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा जिससे उच्च उत्पादकता बढ़ेगी** जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- एएचआईडीएफ के माध्यम से आज स्वीकृत किए गए उपाय **लगभग 35 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका निर्माण में मदद करेंगे।**

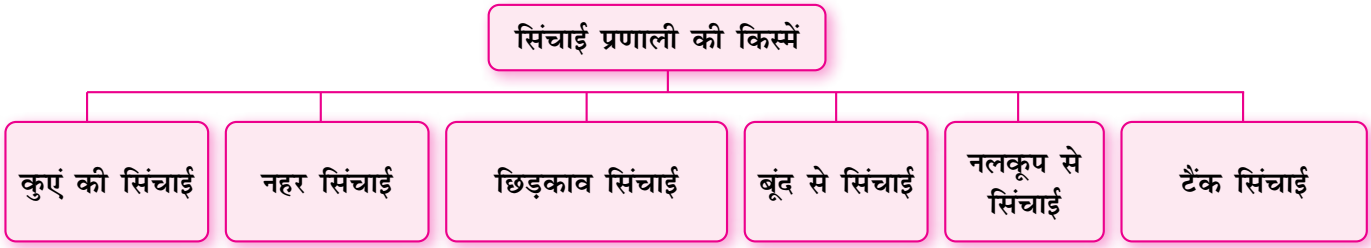
भारत में सिंचाई प्रणाली

- सिंचाई को **भूमि या मिट्टी में पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग के रूप में वर्णित** किया गया है।
- यह जल के अन्य स्रोत के साथ वर्षा जल का स्थानापन्न या पूरक है।
- सिंचाई कृषि उत्पादन के लिए फसलों को पानी की कृत्रिम आपूर्ति है। पानी उपलब्ध कराने के कई कृत्रिम तरीके हो सकते हैं जैसे नहरें, कुएँ, नलकूप, टैंक आदि, जो विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, या भूमिगत जल को लक्षित खेतों तक पहुँचाते हैं।
- **जल** राज्य का (संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार) विषय है।

पानी की वर्तमान स्थिति

राष्ट्रीय अनुमान	• नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (2019) से पता चलता है कि 75% भारतीय परिवारों को अपने परिसर में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। • अंतरिक्ष इनपुट (2019) का उपयोग करके पानी की उपलब्धता के केंद्रीय जल आयोग के पुनर्मूल्यांकन से पता चलता है कि भारत अपनी वार्षिक वर्षा का केवल 18% उपयोग करता है। इसका मतलब है कि प्राप्त कुल 3880 बीसीएम में से 699 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) का उपयोग किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय अनुमान	• "2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता" पर सतत विकास लक्ष्य -6 (SDG-6) पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2019 तक लक्ष्य का केवल 56.6 प्रतिशत ही हासिल किया है। • जल प्रबंधन गुणवत्ता सूचकांक ने भारत को 122 देशों में 120वें स्थान पर रखा है। • भारत की पहचान जल-तनावग्रस्त देश के रूप में है। चूंकि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1951 में 5,178 क्यूबिक मीटर (m3)/वर्ष से घटकर 2011 में 1,544 क्यूबिक मीटर हो गई। उम्मीद है कि यह 2050 तक 1,140 क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाएगी।

सिंचाई प्रणाली के प्रकार



कुएं और नलकूप से सिंचाई	• कुएं मुख्य रूप से यूपी, बिहार, तमिलनाडु आदि में पाए जाते हैं। • विभिन्न प्रकार के कुएँ हैं - उथले कुएँ, गहरे कुएँ, नलकूप, आर्टेशियन कुएँ, आदि। उथले कुओं से पानी हमेशा उपलब्ध नहीं होता है क्योंकि शुष्क महीनों के दौरान पानी का स्तर नीचे चला जाता है। • गहरे कुएँ सिंचाई के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं क्योंकि इनसे पानी साल भर उपलब्ध रहता है। • जिन स्थानों पर भूमिगत जल उपलब्ध है, वहाँ कृषि क्षेत्र के पास नलकूप स्थापित किया जा सकता है। बिजली से चलने वाला एक गहरा नलकूप सतही कुएं की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है। • नलकूपों का उपयोग ज्यादातर यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार और गुजरात में किया जाता है।
नहर सिंचाई	• निचले स्तर के राहत, गहरी उपजाऊ मिट्टी, पानी के बारहमासी स्रोत और व्यापक कमांड क्षेत्र के क्षेत्रों में नहरें सिंचाई का एक प्रभावी स्रोत हो सकती हैं। • इसलिए, नहर सिंचाई की मुख्य सघनता भारत के उत्तरी मैदान में है, विशेषकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में। • चट्टानी और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में नहरों की खुदाई कठिन और अलाभकारी है। इस प्रकार, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से नहरें व्यावहारिक रूप से अनुपस्थित हैं। हालाँकि, दक्षिण भारत में तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कुछ नहरें हैं। • दो प्रकार: जलप्लावन नहरें, जो बिना किसी विनियमन प्रणाली जैसे कि बांध आदि के बिना नदियों से निकाली जाती हैं। इस तरह की नहरें मुख्य रूप से बरसात के मौसम में सिंचाई प्रदान करती हैं जब नदी बाढ़ में होती है और पानी की अधिकता होती है। • बारहमासी नहरें वे हैं जो नदी पर बैराज बनाकर बारहमासी नदियों से निकाली जाती हैं। भारत में अधिकांश नहरें बारहमासी हैं।
टैंक सिंचाई	• एक सरिता के आर-पार निर्मित मिट्टी या पत्थरों के एक छोटे से बांध का निर्माण करके एक टैंक विकसित किया जाता है। बांध द्वारा रोके गए पानी का उपयोग सिंचाई और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। • टैंक में कर्नाटक पठार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश के केरल बुंदेलखंड क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत शामिल है।
बूंद से सिंचाई	• यह एक प्रकार की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है जिसमें मिट्टी की सतह के ऊपर से या सतह के नीचे दबे पानी को पौधों की जड़ों तक धीरे-धीरे टपकने देकर पानी और पोषक तत्वों को बचाने की क्षमता होती है। • लक्ष्य पानी को सीधे जड़ क्षेत्र में रखना और वाष्पीकरण को कम करना है। ड्रिप सिंचाई प्रक्रिया में, पानी और पोषक तत्वों को ड्रिपर लाइन्सप कहे जाने वाले पाइपों में पूरे क्षेत्र में पहुँचाया जाता है, जिसमें 'ड्रिपर्स' के रूप में जानी जाने वाली छोटी इकाइयाँ होती हैं। • ड्रिप सिंचाई में, पौधे की जड़ के पास एमिटर या ड्रिपर्स के माध्यम से, मिट्टी की सतह पर या नीचे, 2-20 लीटर प्रति घंटे की दर से कम दर पर पानी लगाया जाता है। लगातार सिंचाई के साथ मिट्टी की नमी को इष्टतम स्तर पर रखा जाता है।

	• प्रत्येक ड्रिपर पानी और उर्वरकों से युक्त बूंदों का उत्सर्जन करता है, जिसके परिणामस्वरूप पानी और पोषक तत्वों का एक समान उपयोग सीधे प्रत्येक पौधे के जड़ क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में होता है। • सभी सिंचाई विधियों में, ड्रिप सिंचाई सबसे कुशल है और फसलों की एक बड़ी विविधता के लिए विशेष रूप से सब्जियों, बगीचों की फसलों, फूलों और रोपण फसलों में इसका अभ्यास किया जा सकता है।
छिड़काव सिंचाई	• इस विधि में, पानी को हवा में छिड़का जाता है और जमीन की सतह पर बारिश के समान गिरने दिया जाता है। स्प्रे को छोटे छिद्रों या नोजल के माध्यम से दबाव में पानी के प्रवाह द्वारा विकसित किया जाता है। • फसल छत्र के ऊपर या नीचे पानी का छिड़काव किया जा सकता है। यदि किसी स्थान को अधिकांश समय हवादार माना जाता है, तो स्प्रिंकलर सिंचाई उपयुक्त नहीं होगी। स्प्रिंकलर पानी को 0.5-4 मिमी आकार की बूंदों में तोड़ देता है। बूंद के आकार को स्प्रिंकलर के दबाव और नोजल के आकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। औसत दर जिस पर फसलों पर पानी का छिड़काव किया जाता है, उसे मिमी/घंटे में मापा जाता है। • स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली असमान भूमि और उथली मिट्टी पर सिंचाई के लिए एक बहुत ही उपयुक्त विधि है। • धान, जूट आदि फसलों को छोड़कर लगभग सभी फसलें फव्वारा सिंचाई प्रणाली के लिए उपयुक्त हैं। • सूखी फसलें, सब्जियां, फूल वाली फसलें, बाग, चाय, कॉफी जैसी रोपण फसलें सभी उपयुक्त हैं और इन्हें स्प्रिंकलर से सींचा जा सकता है।

सिंचाई का महत्व और आवश्यकता

- वर्षा का पैटर्न: भारत का वर्षा पैटर्न स्थानिक और लौकिक भिन्नताओं दोनों से ग्रस्त है - साथ ही यह अपनी अनिश्चितता, अनियमितता, अविश्वसनीयता और अनिश्चित प्रकृति के लिए जाना जाता है।
- भोजन की मांग: जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, अगले 50 वर्षों में भोजन की मांग वर्तमान की तुलना में दोगुनी हो जाएगी, और बदले में सिंचाई की मांग बढ़ जाएगी।
- फसल की उपज: विवेकपूर्ण सिंचाई फसल की उपज में वृद्धि करती है, अकाल से बचाती है, और फसलों की आवश्यकता के अनुसार पानी की आपूर्ति के साथ बेहतर फसल उगाने में भी मदद करती है।
- मिट्टी की उर्वरता: प्रभावी सिंचाई के कारण मिट्टी की नमी बनी रहती है और इसलिए मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है।
- अधिक उपज वाले बीजों की आवश्यकता: नए और अधिक उपज देने वाले बीजों को अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है और इसे सिंचाई के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
- जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और अकाल की संख्या में वृद्धि खाद्य सुरक्षा के लिए उचित सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता है।
- फसल सघनता बढ़ाएँ: बारानी क्षेत्रों में ज्यादातर एक फसली होती है, जिसमें कम वर्षा होती है, बार-बार सूखे की संभावना होती है, मिट्टी का कटाव होता है, और नाजुक चारागाह भूमि की विशेषता होती है।
- सिंचाई के माध्यम से अधिक भूमि को खेती के तहत लाना संभव है: वर्तमान में देश में 76% कृषि भूमि फसल की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहुंच की कमी के कारण आधी उत्पादक अवधि के लिए अप्रयुक्त रहती है।
- खाद्य सुरक्षा: 19.44 मिलियन हेक्टेयर वर्तमान परती भूमि थी जबकि खेती योग्य बंजर भूमि में अन्य 13.83 मिलियन हेक्टेयर शामिल है। सिंचाई सुविधाओं के प्रावधान से इस भूमि के कुछ हिस्से को खेती योग्य बनाया जा सकता है।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली

- सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की तुलना में पानी बचाने और **जल उपयोग दक्षता बढ़ाने** में प्रभावी है ।
- पारंपरिक सतह सिंचाई विधि। इसके अलावा, यह पानी की खपत, अवांछित पौधों (खरपतवार) की वृद्धि, मिट्टी के कटाव और खेती की लागत को कम करने में मदद करता है।
- भारत दुनिया की आबादी का 17% से अधिक और केवल 4% मीठे पानी के संसाधनों को समायोजित करता है, जिसमें से लगभग 80% अकेले कृषि में उपयोग किया जाता है। यह जल उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुशल सिंचाई प्रौद्योगिकियों की मांग करता है।
- सूक्ष्म सिंचाई (एमआई) तकनीक जैसे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, रेन-गन, झरझरा पाइप प्रणाली, आदि जहां फसलों को सीधे पानी की आपूर्ति की जाती है, को अभिनव जल-बचत तकनीक माना जाता है। सूक्ष्म सिंचाई (या स्थानीय सिंचाई) विकेंद्रीकृत सिंचाई प्रणाली का एक प्रकार है।

सूक्ष्म सिंचाई की आवश्यकता

- जैसा कि **कृषि क्षेत्र भारत में 80% ताजे पानी की खपत करता है,** बढ़ते जल संकट से निपटने के तरीके के रूप में अक्सर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण प्रवाह सिंचाई की तुलना में बहुत कम मात्रा में खेतों में पानी पहुंचाती है।
- सूक्ष्म सिंचाई से बेहतर परिणाम मिलते हैं, लेकिन छोटे और सीमांत किसान अक्सर इसे **अवहनीय** पाते हैं। खरीफ फसल के तहत कुल 151.33 लाख हेक्टेयर में से केवल 25.72 लाख हेक्टेयर सूक्ष्म सिंचाई से आच्छादित है।

जल उपयोग दक्षता

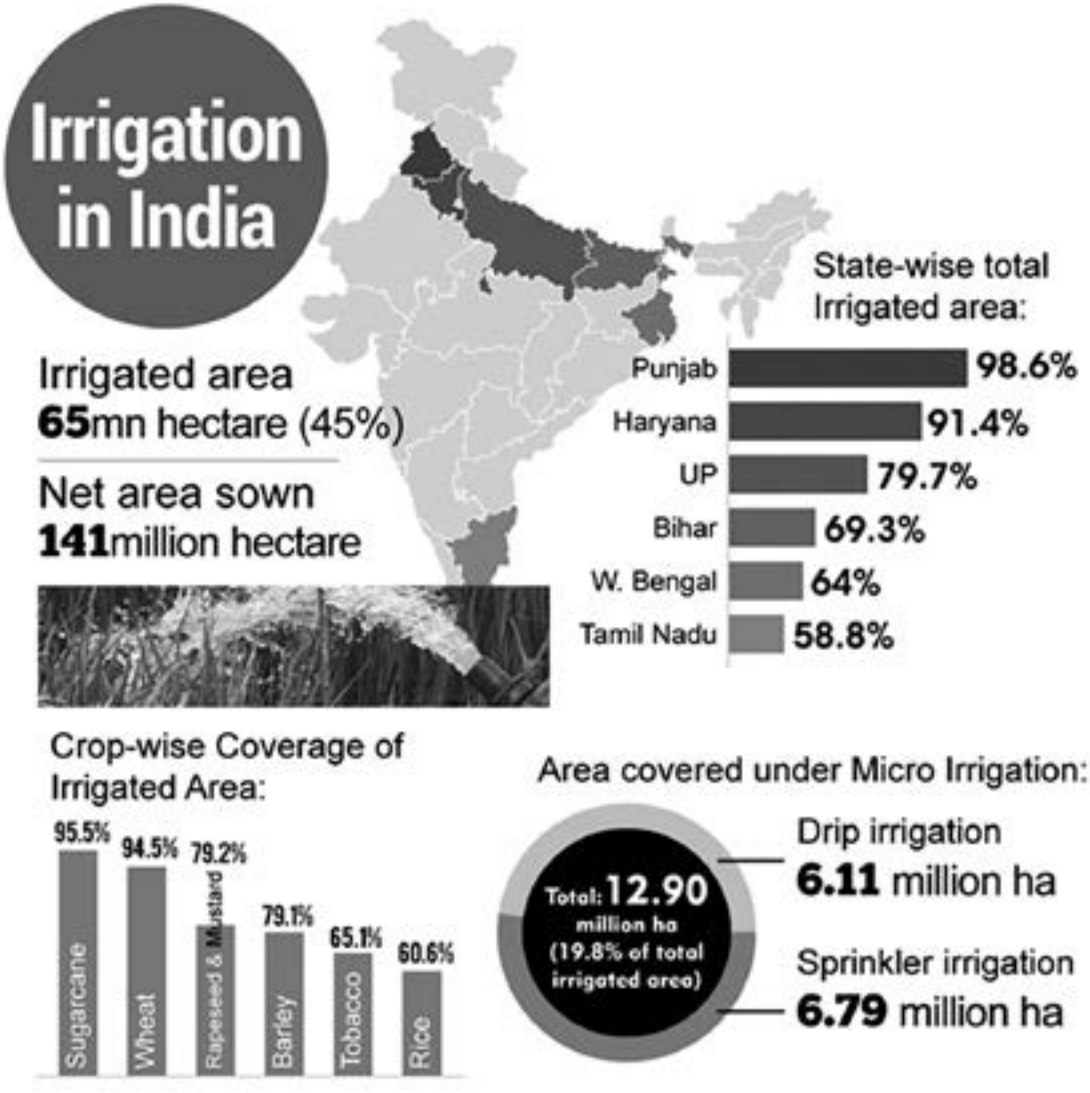
- जल उपयोग दक्षता (डब्ल्यूयूई) को कार्बन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है जो फसल द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की प्रति इकाई बायोमास या अनाज के रूप में उत्पादित होती है। यह जल आपूर्ति स्रोतों के सावधानीपूर्वक प्रबंधन, जल सेवा प्रौद्योगिकियों के उपयोग, अत्यधिक मांग में कमी और अन्य कार्यों के बारे में है।

सूक्ष्म सिंचाई के लाभ

- **जल उपयोग दक्षता/और सिंचाई जल उत्पादकता:** यह अपवाह, वाष्पीकरण आदि के कारण पानी की बर्बादी को कम करने में मदद करता है। यह आगे मिट्टी प्रबंधन में मदद करता है और जलभराव को रोकता है।
- **ऊर्जा दक्षता:** यह कम पानी के उपयोग के कारण प्रभावी ढंग से बिजली बचा सकता है और इस प्रकार भूजल को पंप करने के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं में कमी कर सकता है।
- उर्वरक प्रौद्योगिकी: उर्वरकों और पानी का सटीक मिश्रण, सर्वोत्तम खुराक का नियंत्रण, और उर्वरकों की सीधी खुराक को जड़ क्षेत्र में डालने से फसलों द्वारा उर्वरक की खपत में वृद्धि होती है।
- **फसल उत्पादकता में वृद्धि:** यह फसल की उपज (मात्रा और गुणवत्ता) को बढ़ाता है। बढ़ती आबादी और पानी की कमी की मांग ने लंबी अवधि में उत्पादकता में वृद्धि की है। उत्पादकता में सुधार से किसानों की आय दोगुनी करने में भी मदद मिलेगी।
- लागत बचत: यह सिंचाई, भूमि-स्तरीकरण, निराई और उर्वरक आवेदन के लिए श्रम में कमी के कारण लंबे समय में सिंचाई की कुल लागत को कम कर देगा।
- **अंतर-फसल:** एक बेहतर जल परिदृश्य नई फसलों के अतिरिक्त मदद करता है या अंतर-फसल को बढ़ावा देता है।
- **अवसंरचना विकास:** अन्य प्रणालियों के विपरीत जहां बांधों, नहरों आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित करने में वर्षों लग जाते हैं, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के बुनियादी ढांचे को महीनों में बनाया जा सकता है।
- **उच्च पैदावार:** पारंपरिक बाढ़ सिंचाई की तुलना में पैदावार अधिक होती है। विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई के उपयोग के कारण उत्पादकता लाभ 20 से 90% की सीमा में होने का अनुमान है। गेहूं में 45%, चना में 20% और सोयाबीन में 40% तक फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है।
- कम पानी की हानि: परिवहन में पानी की कमी के कारण पानी की कमी भी कम होती है और वाष्पीकरण, अपवाह और गहरे अंत:स्रवण के माध्यम से पानी के नुकसान में भी कमी आती है।
- उर्वरकों की कम खपत: एक कुशल ड्रिप सिंचाई प्रणाली फर्टिगेशन के माध्यम से उर्वरक की खपत को कम करती है।
- खरपतवार और रोग में कमी: यह खरपतवारों के विकास को रोकने में मदद करता है क्योंकि यह गीले क्षेत्रों को सीमित रखता है। इस स्थिति में बीमारी का प्रकोप भी कम हो जाता है।
- **सटीक खेती:** स्व-चालित स्प्रिंकलर और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के लिए उभरती कम्प्यूटरीकृत जीपीएस-आधारित सटीक सिंचाई प्रौद्योगिकियां उत्पादकों को पानी और कृषि रसायनों को अधिक सटीक रूप से और विशेष रूप से मिट्टी और पौधों की स्थिति और वायरलेस सेंसर नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाने वाली जरूरतों से मेल खाने में सक्षम बनाती हैं।
- **सिंचाई आर्थिक विकास और गरीबी में कमी में योगदान करती है:** आय और रोजगार का उत्पादन से गहरा संबंध है और सिंचाई से उत्पादन बढ़ता है, ग्रामीण इलाकों में आय में पर्याप्त वृद्धि होती है।

भारत में सिंचाई प्रणाली की चुनौतियाँ

- **क्षमता का कम उपयोग:** सिंचाई क्षमता के कम उपयोग की समस्या पहली योजना से ही हमारे सामने एक गंभीर समस्या रही है। कुल सिंचाई क्षमता का 10 प्रतिशत से अधिक अप्रयुक्त रहता है।
- **ऊर्जा संकट:** ग्रामीण और शहरी भारत में बिजली की कटौती, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव और अनिर्धारित अंतराल मौजूद हैं।
- तकनीकी सहायता: रखरखाव के लिए सहायता की कमी है (उदाहरण के लिए, पाइपिंग, पोर-क्लॉगिंग पर कृंतक हमला)
- **नॉलेज केप:** लैब से जमीन तक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण खराब है।



- **विशाल प्राथमिक लागत:** प्रारंभिक स्थापना की लागत बहुत अधिक है जो 85% से अधिक भारतीय किसानों के लिए संभव नहीं है जो छोटे और सीमांत हैं।
- **पानी की उपलब्धता:** हालांकि भारत में औसत पानी की उपलब्धता प्राकृतिक हाइड्रोलिक चक्र के अनुसार कमोबेश स्थिर रहती है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्धता उत्तरोत्तर कम हो रही है।
- **दक्षता अंतर:** निर्मित सिंचाई क्षमता (आईपीसी) और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता (आईपीयू) के बीच अंतर है।
- **भूमि जोत और कृषि आय में गिरावट:** भारत की परिचालन भूमि जोत पर डेटा से पता चलता है कि 1960 के दशक के बाद से जोत का औसत आकार आधा हो गया है। घटती भूमि से होने वाली मामूली कृषि आय भारतीय खेतों पर महंगी सूक्ष्म सिंचाई की स्थिरता को चुनौती देती है।
- सिंचाई और कृषि विकास के बीच समन्वय का अभाव: फसल पैटर्न और प्रथाओं में परिवर्तन मात्रा और इसकी आपूर्ति के समय दोनों में पानी की मांग को बदल देता है। सिंचाई प्राधिकरण काफी समय अंतराल के बाद मांग में बदलाव के लिए आपूर्ति को समायोजित करने की कार्रवाई करता है।
- **सिंचाई क्षेत्र से वित्तीय रिटर्न:** मौजूदा सिंचाई सुविधाओं से वित्तीय रिटर्न बहुत कम रहा है। उदाहरण के लिए, चंबल सिंचाई परियोजना के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि सिंचाई से होने वाला राजस्व कामकाजी खर्चों से भी 73 फीसदी कम है।
- **जलनिकासी की समस्या** सिंचाई ने जल निकासी, भीड़-भाड़, जल-जमाव, कुप्रबंधन और पानी की बर्बादी आदि से संबंधित समस्याओं को भी उठाया है। नहरें और सड़क निर्माण प्राकृतिक जल निकासी में बाधा डालते हैं।
- **पानी का अधिक उपयोग:** कृषि क्षेत्र ताजे पानी के लगभग 80% संसाधनों का उपयोग करता है और शेष उद्योग और घरों द्वारा उपयोग किया जाता है।

- **विषम सिंचाई वितरण:** भारत के सकल फसली क्षेत्र (198 मिलियन हेक्टेयर) का लगभग आधा ही सिंचित है। भूमिगत जल का सिंचाई में लगभग 64 प्रतिशत, नहरों का 23 प्रतिशत, तालाबों का 2 प्रतिशत तथा अन्य स्रोतों का 11 प्रतिशत योगदान है।
- पानी का अकुशल उपयोग: विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में अनुदान और प्रोत्साहनों के कारण पानी का अत्यधिक दोहन हुआ है। इससे क्षेत्र को रियायती पानी और बिजली की दरों पर हरित क्रांति का अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिली। लेकिन आज यह क्षेत्र उत्तर-पूर्वी चीन और दक्षिण-पश्चिमी यूएसए (केलिफोर्निया) के साथ-साथ दुनिया के तीन सबसे अधिक जल जोखिम वाले हॉटस्पॉट में से एक है।

नीतिगत सिफारिशें

- कृषि विकास में तेजी लाने और खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंचाई प्रणाली के विस्तार के लिए **बड़ा सार्वजनिक और निजी निवेश;**
- प्रमुख और मध्यम स्रोतों से **सिंचाई क्षमता का तेजी से दोहन;**
- **चल रही परियोजनाओं को पूरा करना**, सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार और पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण का विस्तार और उच्च लागत वाले डीजल पंप सेटों का **प्रतिस्थापन;**
- सतही और भूमिगत जल का संयुक्त उपयोग सुनिश्चित करना;
- मूल गाडगिल सूत्र, जो प्रमुख और मध्यम सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए राज्य योजनाओं के कुल संसाधन का 10 प्रतिशत निर्धारित करता है, को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए;
- **वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करना:**
  - समिति ने पानी की दरों को तय करने, आर्थिक जल दरों के संचालन और रखरखाव (ओ - एम) घटक पर लागत वृद्धि के लिए मानदंडों का सुझाव दिया।
  - इसने विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए फसल-वार और क्षेत्र-वार जल दरों से पानी की आपूर्ति की मात्रात्मक दरों के रूपांतरण का सुझाव दिया।
- **स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना:**
  - महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार योजना ने प्रत्येक किसान को उसके कृषि क्षेत्र में खेत तालाब उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभाई है।
  - **गुजरात 'भुंगरू'** में एक जल प्रबंधन प्रणाली है जो अतिरिक्त वर्षा जल को भूमिगत रूप से इंजेक्ट और संग्रहीत करती है। इस पानी का उपयोग गर्मी के दिनों में सिंचाई के लिए किया जाता है।
  - **मिशन काकतीय तेलंगाना** सरकार के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य तालाबों और टैंकों जैसे पानी के लघु सिंचाई स्रोतों को बहाल करना है।
- **नागरिक समाज के साथ भागीदारी:** पानी फाउंडेशन सत्यमेव जयते वाटर कप का आयोजन करता है, जो मिट्टी और जल संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए एक प्रतियोगिता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इजराइल स्थित एक कंपनी नेटाफिम ने रामथल, कर्नाटक में एक पारिवारिक ड्रिप सिंचाई प्रणाली की क्षमता दिखाई है।

इजराइल की सफलता की कहानी

- पानी की कमी वाला एक मरुस्थलीय राष्ट्र जल अधिशेष राष्ट्र बन गया है क्योंकि इसने सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं को अनुकूलित किया है, विशेष रूप से ड्रिप सिंचाई जो खुली नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का लगभग तीन-चौथाई बचाती है।

सरकार की पहल

- **जल शक्ति मंत्रालय:** पहले के मंत्रालयों को पुनर्गठित करके सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्रदान करने के लिए बनाया गया
- **सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन:** सूक्ष्म सिंचाई पर केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमआई) को जनवरी 2006 में शुरू की गई पहले की सूक्ष्म सिंचाई योजना के अलावा जून 2010 में लॉन्च किया गया था।
- सूक्ष्म सिंचाई कोष: सरकार ने नाबार्ड के साथ मिलकर एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया है। इस कोष का उद्देश्य देश में सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करना है।
- **वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी):** एक पहल जिसका उद्देश्य उचित कृषि प्रणाली-आधारित दृष्टिकोणों को अपनाकर वर्षा सिंचित क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ाना है।
- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना: इस योजना का उद्देश्य सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला (जल स्रोत, वितरण नेटवर्क और खेत-स्तरीय अनुप्रयोगों) में एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करना है।
- **कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना:** तेलंगाना की कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना, कालेश्वरम, भूपालपल्ली, तेलंगाना में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी के संगम बिंदु पर शुरू होती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई और पेयजल प्रणाली है।

- **नीरंचल राष्ट्रीय जलक्षेत्र परियोजना:** समावेशिता और स्थानीय भागीदारी के मंच पर आगे के संबंधों के माध्यम से बेहतर समानता, आजीविका और आय का समर्थन करना, जलखंड प्लस दृष्टिकोण के माध्यम से करें।
- **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन:** आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021- 2025 के प्रमुख लक्ष्यों में जैविक खेती के तहत 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, सटीक सिंचाई के तहत 87 लाख हेक्टेयर शामिल हैं।

विश्व बैंक की "भारत की जल अर्थव्यवस्था: एक अशांत भविष्य के लिए तैयारी" (2006) की रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित देशों के शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख नदी घाटियों में 900 दिनों की तुलना में भारत में बांध केवल 30 दिनों की वर्षा का भंडारण कर सकते हैं। कुछ मूलभूत कारकों पर काम करने की आवश्यकता है, जैसे जल उपयोगकर्ताओं के सामान्य हित और सामूहिक प्रयास, पदाधिकारियों का प्रभावी नेतृत्व, किसानों और सिंचाई अधिकारियों का क्षमता निर्माण, सत्ता में पार्टी की राजनीतिक इच्छाशक्ति, उचित निगरानी और मूल्यांकन , परिवर्तन एजेंटों की भूमिका को उत्प्रेरित करना आदि।

उर्वरक

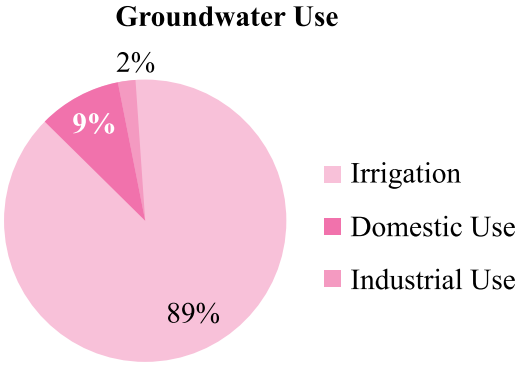
- उर्वरक प्रसंस्करण उर्वरक प्रसंस्करण की एक विधि है जिसमें ड्रिप प्रणाली द्वारा उर्वरक को सिंचाई जल में शामिल किया जाता है।
- इस प्रणाली में उर्वरक घोल सिंचाई में समान रूप से वितरित किया जाता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता बहुत अधिक होती है इसलिए दक्षता अधिक होती है।
- इस विधि में तरल उर्वरकों के साथ-साथ पानी में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इस विधि से उर्वरक उपयोग दक्षता 80 से 90 प्रतिशत तक बढ़ जाती है।

भारत में भूजल की कमी

- भूजल भारत में सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोतों में से एक है, जो सभी सिंचाई के पानी का 63% और ग्रामीण और शहरी घरेलू जल आपूर्ति का 80% से अधिक है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22:** शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से, लगभग 40 प्रतिशत नहर प्रणाली के माध्यम से और 60 प्रतिशत भूजल के माध्यम से सिंचित होता है।

भारत में भूजल की कमी के कारण

- हरित क्रांति ने हरियाणा और पंजाब जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में चावल जैसी जल-गहन फसलों की फसल को सक्षम किया। मुख्य रूप से हल्की मिट्टी होने के कारण यह चावल की खेती के लिए पारिस्थितिक रूप से कम उपयुक्त थी। इससे सिंचाई के लिए अस्थिर भूजल उपयोग और बदले में भूजल की कमी हुई।

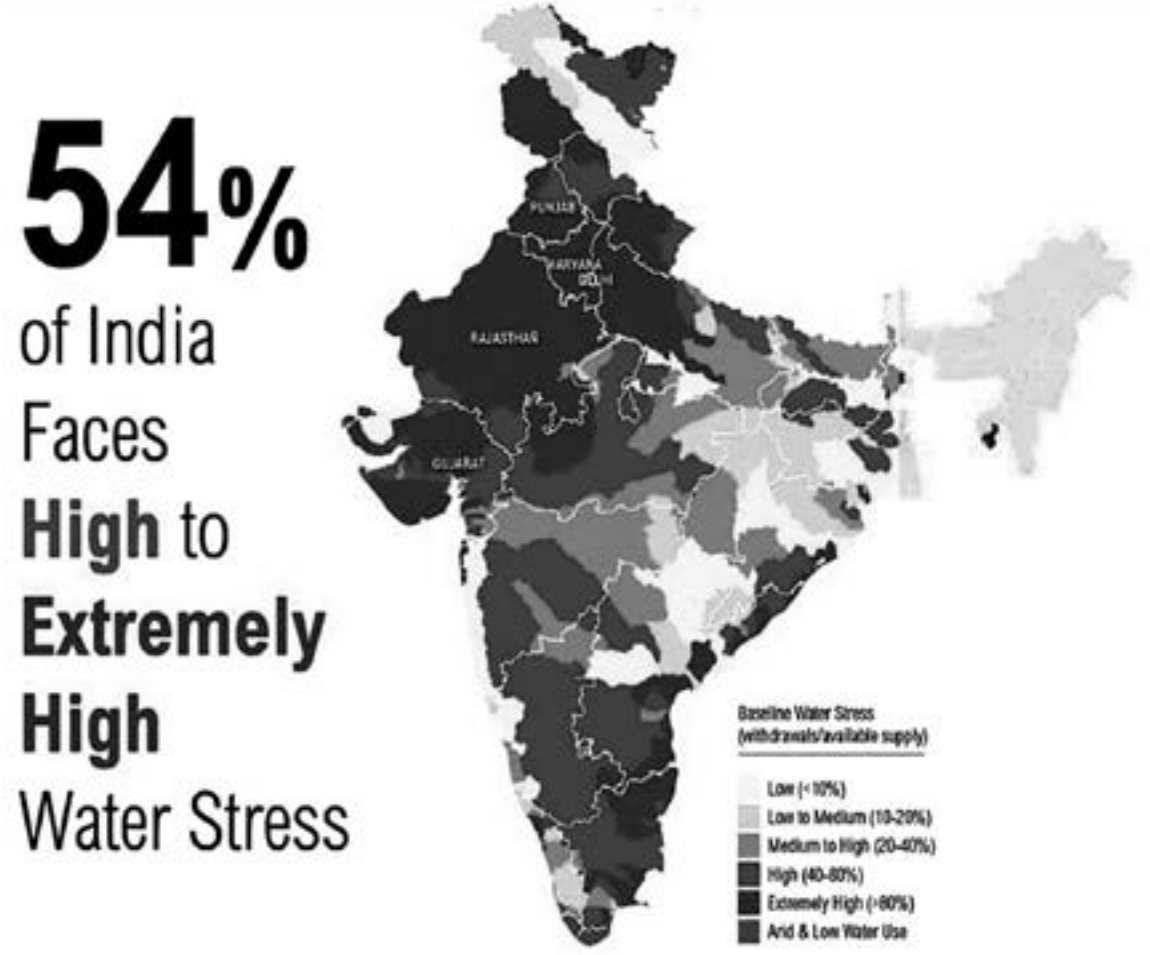


- सीमित सतही जल के साथ-साथ घरेलू, औद्योगिक और कृषि आवश्यकताओं के लिए पानी की बढ़ती मांग के कारण भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ।
- इसकी पुन:पूर्ति की प्रतीक्षा किए बिना जमीन से पानी का बार-बार पंप करना त्वरित कमी की ओर ले जाता है।
- जल गहन फसलों के लिए बिजली पर अनुदान और उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)।
- भूजल कानूनों का अपर्याप्त विनियमन बिना किसी दंड के भूजल संसाधनों की थकावट को प्रोत्साहित करता है।
- फसल कटाई के बाद जलाना, वनों की कटाई, कृषि के अवैज्ञानिक तरीके, उद्योगों से रासायनिक अपशिष्ट। इसने भूजल के प्रदूषण को भी अनुपयोगी बना दिया।
- इसकी पुन:पूर्ति की प्रतीक्षा किए बिना जमीन से पानी का बार-बार पंप करना त्वरित कमी की ओर ले जाता है।
- जल सघन फसलों के लिए बिजली पर अनुदान और उच्च एमएसपी भी कमी के प्रमुख कारण हैं।
- भूजल का अपर्याप्त नियमन कानून बिना किसी दंड के भूजल संसाधनों की थकावट को प्रोत्साहित करता है।

भूजल कमी के प्रभाव

- भूजल की कमी उत्तर भारत में अधिक प्रमुख है जबकि उपग्रह आधारित अवलोकनों ने प्रायद्वीपीय भारत में भूजल भंडारण में वृद्धि दिखाई है।
- अस्थिर भूजल पम्पिंग के कारण भूजल की कमी के क्षेत्र में खाद्य और जल सुरक्षा के लिए बड़े प्रभाव हो सकते हैं।

- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** भोजन और पानी की आपूर्ति को पूरा करने के लिए गैर-नवीकरणीय भूजल पर अधिक निर्भरता से स्थिरता, पर्यावरण और पारिस्थितिक चुनौतियों का कारण बनता है। भूजल की कमी समुद्र के स्तर में वृद्धि, धाराओं में भूजल निर्वहन में कमी, भूमि की कमी में योगदान देती है।
- **समवर्ती में पर्याप्त वृद्धि से भूजल की कमी और खराब हो सकती है** भारत में गर्म और शुष्क मानसून चरम का अनुमान है।



भूजल की कमी और दूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपाय

- कम बिजली अनुदान पानी की कमी को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है।
- जल जमाव, लवणता, कृषि जहर, और औद्योगिक अपशिष्ट सभी समस्याएं हैं जिनकी गहन जांच की जानी चाहिए।
- अतिदोहन से बचने के लिए, पानी को निजी संपत्ति के बजाय साझा संसाधन के रूप में माना जाना चाहिए।
- वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता: किसी भी नीति को विकसित करने से पहले अनुसंधान और वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- **उचित नीतिगत उपाय: महत्वपूर्ण और अंधेरे क्षेत्रों** के रूप में नामित स्थानों में भूजल तक पहुंच प्रतिबंधित होनी चाहिए, जहां जल तालिका का अत्यधिक उपयोग या बहुत कम है।
- भूजल प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करके बॉटम-अप रणनीति।
- पानी की आपूर्ति में कमी को कम करने के लिए पारंपरिक जल संरक्षण उपायों का समर्थन किया जाना चाहिए।
- गैर-सरकारी संगठनों और ग्रामीण चिकित्सकों को महत्वपूर्ण हाइड्रोजियोलॉजिकल कौशल सिखाकर भारत में विकेन्द्रीकृत जल प्रबंधन में सुधार।
- पानी और बिजली जैसी कृषि आदानों के लिए मूल्य निर्धारण नीतियां टिकाऊ होनी चाहिए। विश्व बैंक और जे-पीएएल के साथ पंजाब सरकार की पानी बचाओ पैसे कमाओ पहल इस संबंध में एक अच्छी पहल हो सकती है।

सिंचाई और जल उत्पादकता

- नीति में बदलाव की आवश्यकता: आर्थिक समीक्षा में नीतिगत बदलावों का प्रस्ताव किया गया है जिसमें सिंचाई और सिंचाई

प्रौद्योगिकियों के उन्नत तरीकों को अपनाकर सिंचाई जल उत्पादकता (आईडब्ल्यूपी) को बढ़ाना शामिल है,
  - जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से स्थिरता बढ़ाना,
  - उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना,
  - बुनियादी ढांचे में सुधार और बाजारों तक पहुंच और छोटी जोत वाले खेत के लिए उपयुक्त तकनीक को अपनाना।
- **फोकस 'भूमि उत्पादकता' से 'सिंचाई जल उत्पादकता' पर स्थानांतरित होना चाहिए।** पानी के उपयोग में सुधार के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां तैयार करना और सूक्ष्म सिंचाई पर जोर देना चाहिए जो पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार कर सके।
- सीमांत और छोटे किसानों के लिए सिंचाई के पानी की उचित और उचित पहुंच महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पानी का किफायती उपयोग होगा और खेती आंशिक रूप से टिकाऊ होगी।

सतत कृषि मांग इष्टतम जल प्रबंधन

- पानी की घटती उपलब्धता और पहुंच में जल प्रबंधन उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, सतत कृषि पर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए।
- 22 मार्च (विश्व जल दिवस) पर, प्रधान मंत्री ने जल शक्ति अभियान के तहत 'केच द रेन केंपेन' लॉन्च किया।
- अभियान वांछित हैं क्योंकि भविष्य में पानी की मांग बढ़ने वाली है - 2025 तक 843 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) और 2050 तक 1180 बीसीएम।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

- 2015 में शुरू हुई पीएमकेएसवाई को चालू योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया है। तत्काल लाभ योजना (एजिबर्टी); एकीकृत जलक्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी); और सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के ऑन-फार्मर वाटर मैनेजमेंट (ओएफडब्ल्यूएम) घटक।

उद्देश्य: 'प्रति बूंद, अधिक फसल'

- क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण को प्राप्त करें (जिला स्तर की तैयारी और, यदि आवश्यक हो, उप जिला स्तर जल उपयोग योजनाएं)।
- खेत पर पानी की भौतिक पहुंच में वृद्धि और सुनिश्चित सिंचाई (हर खेत को पानी) के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।
- उपयुक्त तकनीकों और प्रथाओं के माध्यम से पानी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जल स्रोत का एकीकरण, वितरण और इसका कुशल उपयोग।
- बर्बादी को कम करने और अवधि और सीमा दोनों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार
- सटीक-सिंचाई को अपनाने और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद अधिक फसल) को बढ़ाएं।
- जलभरों का पुनर्भरण बढ़ाएं और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करें।
- किसानों और जमीनी स्तर के फील्ड कार्यकर्ताओं के लिए जल संचयन, जल प्रबंधन और फसल सरेखण से संबंधित विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देना
- सिंचाई में अधिक निजी निवेश आकर्षित करना।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. घटते परिदृश्य के तहत इसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाएं। (2020)
2. जल की कमी वाले क्षेत्रों से कृषि उत्पादन बढ़ाने में राष्ट्रीय जलक्षेत्र परियोजना के प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। (2019)
3. सर एम. विश्वेश्वरैया और डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन के क्रमशः जल अभियांत्रिकी और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में योगदान से भारत को किस प्रकार लाभ हुआ? (2019)
4. जल-उपयोग दक्षता क्या है? जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। (2016)
5. एलेलोपैथी क्या है? सिंचित कृषि की प्रमुख फसल प्रणालियों में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। (2016)

भारत में फसल पैटर्न

- फसल पैटर्न एक गतिशील अवधारणा है जो एक इकाई क्षेत्र में किसी भी समय विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्रफल के अनुपात को संदर्भित करती है ।
- फसल पैटर्न के निर्धारक: भारत में, फसल पैटर्न वर्षा, तापमान, जलवायु, प्रौद्योगिकी और मिट्टी के प्रकार से निर्धारित होता है। फसल पैटर्न कृषि उत्पादन के स्तर को निर्धारित करते हैं। कृषि नीति में बदलाव, कृषि आदानों की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी में सुधार से फसल के पैटर्न प्रभावित होते हैं।
- क्रॉपिंग सिस्टम: क्रॉपिंग पैटर्न की तुलना में व्यापक शब्द और इसमें सभी फसलों का योग और उन फसलों को एक खेत या खेत में उगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रथाएं शामिल हैं।

आदर्श फसल पैटर्न की मुख्य विशेषताएं

- एक निश्चित निरंतर चक्रण के परिणामस्वरूप फसल को कुछ रोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
- मिट्टी की एक विशेष गहराई से फसल को कुछ विशिष्ट पौधों के पोषक तत्वों पर समाप्त नहीं होना चाहिए।
- फसल उर्वरता निर्माण और मिट्टी में सुधार होना चाहिए।
- फसल को कृषक को एक अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहिए और पूरे वर्ष कृषक को रोजगार और आय प्रदान करनी चाहिए।
- फसल को अपने संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए, विशेष रूप से सिंचाई के पानी, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, कीटनाशक, उपकरण, बिजली और पारिवारिक श्रम जैसे इनपुट।

फसल प्रणाली का महत्व

- **मिट्टी की उर्वरता को नियंत्रित और सुधारें:** विविध फसलें उगाना जैसे नाइट्रोजन-फिक्सिंग फलीदार फसलें मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री को बढ़ाती हैं।
- **रोगों के प्रसार को कम करें:** यह विभिन्न प्रकार के कीड़ों और मिट्टी के जीवों के लिए एक आवास को लागू करके जैव विविधता को बढ़ावा देता है। कई कई जीवों के लिए एक शिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार रोगों के प्रकोप को सीमित कर सकते हैं।
- कीट और कीट विकास में बाधा: यह खेतों की एकरूपता को कम करता है। यह विषमता क्षेत्र में कीड़ों के जैविक फैलाव के खिलाफ प्रतिबंधों को बढ़ाती है।
- खरपतवारों की वृद्धि पर रोक: इससे खरपतवारों की वृद्धि की संभावना कम हो जाती है जिससे फसल वृद्धि में मदद मिलती है।
- **बढ़ी हुई खाद्य और वित्तीय सुरक्षा:** फसल की विफलता की अनिश्चितता को कम करके और किसानों के लिए आय के अवसरों में विविधता लाकर, वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई फसल प्रणाली खाद्य और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाती है।
- **फसल खराब होने का जोखिम कम करें:** विभिन्न फसलों की जलवायु के प्रति अलग प्रतिक्रिया होती है और रोग के हमले के प्रति संवेदनशीलता की अलग-अलग डिग्री होती है। ऐसी विषमता के कारण कुल फसल के खराब होने की संभावना कम हो जाती है।

फसल प्रणाली के प्रकार

1. एकल फसल: साल दर साल एक विशिष्ट भूमि पर केवल 1 फसल उगाना। उदाहरण के लिए, पश्चिमी महाराष्ट्र में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण साल दर साल गन्ना उगाया जाता है।
2. बहुफसली खेती: 2 या अधिक फसलें उगाना। इसमें मिश्रित-फसल, अंतर-फसल और अनुक्रम फसल शामिल हैं।
   - **मिश्रित फसल:** दो या दो से अधिक फसलों को एक ही वर्ष के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति क्रम के बिना एक ही खेत में लगाया जाता है।
   - **अंतर-फसल:** इसमें एक विशिष्ट पंक्ति व्यवस्था के साथ-साथ दो या दो से अधिक फसलें लगाना शामिल है।
   - फसल चक्र: एक ही खेत में बार-बार उगाई जाने वाली फसल के बजाय एक नियोजित क्रम के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष खेत में फसलें बदली जाती हैं।
   - आदिम निर्वाह खेती: इस प्रकार की खेती में एक 'काटना और जलाना' कृषि है, यह आदिम औजारों और परिवार/सामुदायिक श्रम की मदद से जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। यह मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और उगाई जाने वाली फसलों के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है।
   - **गहन निर्वाह खेती:** भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में की जाती है। इस प्रकार में, उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिक आदानों और सिंचाई की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है।
   - **व्यावसायिक खेती:** इस प्रकार की खेती में, आधुनिक आदानों की उच्च मात्रा, उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उच्च उपज वाली किस्म (एचवाईवी) के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है।

फसल के मौसम और देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न

रबी की फसलें	• रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है। जैसे, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। • स्थान: उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भाग जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। • पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में वर्षा की उपलब्धता इन फसलों की सफलता में मदद करती है। • हालाँकि, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हरित क्रांति की सफलता भी उपरोक्त रब्बी फसलों के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक रही है।

खरीफ की फसलें	• खरीफ फसलें देश के विभिन्न भागों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती हैं और इनकी कटाई सितंबर-अक्टूबर में की जाती है। जैसे, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर (अरहर), मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। • स्थान: असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेष रूप से (कोंकण तट) उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ। • धान पंजाब और हरियाणा की भी एक महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में एक वर्ष में धान की तीन फसलें ऑस, अमन और बोरो उगाई जाती हैं।
जायद का मौसम	• रब्बी और खरीफ मौसमों के बीच, गर्मी के महीनों के दौरान एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद मौसम के रूप में जाना जाता है। • जायद के दौरान उत्पादित कुछ फसलें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी की सब्जियां और चारा फसलें हैं। गन्ने को बढ़ने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है।

फसल पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक

- **ऐतिहासिक कारक:** अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए बागान, भूधृति प्रणाली, स्वामित्व का प्रकार। देश में प्रचलित भूधृति प्रणाली भी फसल प्रतिरूप को प्रभावित करती है। फसल बंटवारे की एक प्रणाली में, यह जमींदार है जो लाभ अधिकतम करने के सिद्धांत द्वारा निर्देशित फसल पैटर्न को अंतिम रूप देता है।
- **भौगोलिक कारक:** भू-आकृति का प्रकार (मिट्टी, जलवायु, वर्षा), स्थलाकृति का प्रकार, कृषि-जलवायु क्षेत्र का प्रकार।
- **कृषि संबंधी कारक:** आवश्यक आदानों की उपलब्धता (उर्वरक, कीटनाशक, ऋण, ट्रैक्टर, आदि), उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पौधे/बीज, प्रबंधन तकनीक और गुणवत्ता प्रबंधक, श्रम की बहुतायत, खेत का आकार, जोखिम के खिलाफ बीमा ।
- **एक कारक के रूप में आर्थिक/बाजार:**
  - बाजार संकेतों और संचार और सूचना प्रणाली का प्रवाह, उदाहरण के लिए, बाजार में कीमतों, आपूर्ति-मांग आदि के संबंध में।
  - उद्यम पूंजी और उद्यमिता।
  - इनपुट और आउटपुट कीमतों की पारदर्शिता।
  - निर्यात मानकों, बाजार की मांग और सापेक्ष लाभप्रदता पर जानकारी।
  - कुशल विपणन प्रणाली ।
- **सरकारी नीति:**
  - **हरित क्रांति:** मोटे अनाज और दालों से गेहूं और चावल की ओर उत्तरी भारत में तिरछी फसल पद्धति।
  - **गैर-विकृत नीति:** फसलों के बीच भेदभाव से बचने के लिए। (उदाहरण एमएसपी नीति) ।
  - कुशल अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रम, प्रमुख फसलों के लिए या उच्च मूल्य वाली फसलों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना।
  - कृषि क्रेडिट की उपलब्धता में आसानी ।
  - गैर कृषि रोजगार के अवसर।
  - **गुणवत्ता मानकों** सहित विपणन प्रणाली।
  - **निजी क्षेत्र** की भागीदारी जैसे कॉर्पोरेट खेती।
  - **सरकार की विधायी नीतियां** भी फसल पैटर्न को प्रभावित करती हैं। खाद्य फसल अधिनियम, भूमि उपयोग अधिनियम, धान, कपास और तिलहन के लिए सघन योजनाएँ, अनुदान फसल पैटर्न को प्रभावित करती हैं।
- **अवसंरचना कारक:**
  - सिंचाई की उपलब्धता के कारण पंजाब और हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में चावल की खेती हुई। बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की कमी के कारण मोटे अनाज की खेती अधिक हुई।
  - भंडारण, परिवहन, विस्तार सेवाओं, कटाई के बाद की व्यवस्था, खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना आदि की उपलब्धता।
- **सामाजिक कारक:** रीति-रिवाज, परंपराएं, सामाजिक वातावरण आदि खाद्य आदतें भी एक भूमिका निभाती हैं पूर्वी और दक्षिण भारत में चावल को मुख्य भोजन के रूप में पसंद किया जाता है जबकि उत्तर भारत में यह गेहूं है।

वर्तमान फसल पैटर्न के साथ समस्याएँ

- **चावल और गेहूं का प्रभुत्व:** खाद्यान्न के फसल पैटर्न में मौजूदा असंतुलन है क्योंकि खाद्यान्न के तहत क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा चावल और गेहूं (हरित क्रांति) द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
- **गैर-खाद्यान्न से खाद्यान्न की ओर धीरे-धीरे बदलाव:** खाद्यान्न की कीमतें काफी तेजी से बढ़ रही हैं और किसानों ने खाद्य फसलों को उसी तरह से उगाना शुरू कर दिया है जिस तरह से वे कपास, तिलहनी फसलें गन्ना, आदि जैसी व्यावसायिक फसलें उगाते हैं।

- **न्यूनतम समर्थन मूल्य:** नई तकनीक और यथोचित उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभाव में गेहूं और चावल के लिए खाद्यान्न की खेती अत्यधिक लाभकारी और उत्पादक हो गई है।
- **अनाज की चिंता:** प्रमुख अनाजों के लिए एमएसपी की पेशकश करने के लिए केंद्र का नेतृत्व किया, जिसने फसल पैटर्न को कृषि के 'अनाज' में विकृत कर दिया, जैसा कि कहा जाता है।
- खपत पैटर्न में बदलाव: लोगों की आय में वृद्धि और मोटे अनाज के घटिया माल होने के कारण ।
- **जल-गहन फसलें:** भूजल स्तर कम होने के बावजूद। जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र और सूखा प्रभावित मराठवाड़ा में गन्ने की खेती।
- उर्वरकों की अधिक मात्रा: मौजूदा मिट्टी की गुणवत्ता पर विचार किए बिना। उदाहरण के लिए हरित क्रांति बेल्ट ।
- कीटनाशकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग: जिसके परिणामस्वरूप जल प्रदूषण होता है और मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है।
- खंडित दृष्टिकोण: उनके अंधाधुंध उपयोगों की जांच किए बिना इनपुट प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **मोटे अनाज में गिरावट:** मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, बाजरा, जौ और अन्य शामिल हैं। कुल अनाज की फसल के लिए इन फसलों का अनुपात नाटकीय रूप से कम हो गया है, 1950-51 में 48% से 2001 में लगभग 29% हो गया है।
- **व्यवहार संबंधी बाधाएं:** चुनौती निहित है, व्यवहार परिवर्तन लाने में है। ऐसे किसान हैं जो तीन दशकों से चावल का उत्पादन कर रहे हैं, हम उन्हें यह स्विच करने के लिए कैसे मनाएं।

हाल के दिनों में फसल के पैटर्न में बदलाव आया है

- 1960 के दशक की श्हरित क्रांतिश् के बाद से चावल-गेहूं फसल पैटर्न की ओर बदलाव हुआ है।
- धान, कपास, सोयाबीन, और गन्ना कुल बोए गए क्षेत्र के आधे से अधिक को कवर करते हैं पारंपरिक रूप से बाजरा, तिलहन और दालों के लिए समर्पित क्षेत्र लेते हैं जो स्थानीय जलवायु और मिट्टी की स्थिति के लिए अधिक अनुकूल थे।
- गेहूं के उत्पादन में वृद्धि बाजरा और ज्वार की कीमत पर हुई है क्योंकि गेहूं को उनसे बेहतर माना गया है।
- जैसा कि भारत दालों और तिलहनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है, सरकार ने उनके रकबे और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की है। हाल ही में इन फसलों के लिए उच्च एमएसपी की घोषणा की गई है।
- जीवन शैली की बीमारियों के बड़े पैमाने पर होने के कारण, स्वस्थ जीवन जीने के लिए बाजरा एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में वापस आ गया है। विभिन्न राज्य पीडीएस के माध्यम से बाजरा, ज्वार और रागी जैसे बाजरा वितरित कर रहे हैं।
- किसान पारंपरिक गैर-नकद/गैर-वाणिज्यिक फसलों जैसे अनाज और दालों से तिलहन, फल, सब्जियां, मसाले आदि जैसी नकद/वाणिज्यिक फसलों की खेती की ओर अधिक गहनता से बढ़ रहे हैं।
- किसानों ने आर्थिक विस्तार का लाभ उठाने के लिए अपने फसल पैटर्न में भी बदलाव किया है।
- जलवायु परिवर्तन ने भारतीय मानसून को प्रभावित किया है जिसके कारण फसल पैटर्न भी बदल रहे हैं।
- जनसंख्या विस्फोट और शहरीकरण के कारण भूमि रूपांतरण हुआ है, सघन खेती को बढ़ावा मिला है और फसल पैटर्न में बदलाव आया है।

भारत में स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों पर विचार किए बिना फसल पैटर्न बदल रहे हैं। इससे पर्यावरण पर बोझ पड़ा है, जिससे दीर्घकालीन भारी नुकसान हुआ है। मिट्टी की उर्वरता घटी है जबकि भूजल घटा है। रासायनिक प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली खाने की आदतों में बदलाव फसल पैटर्न में इस बदलाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है।

फसल प्रणाली में चावल और गेहूं की उपज में गिरावट के कारण

चावल-गेहूं फसल प्रणाली श्रम, पानी, पूंजी और ऊर्जा-गहन है, और इन संसाधनों की उपलब्धता कम होने के कारण कम लाभदायक हो जाती है। जलवायु परिवर्तन की गतिशीलता से समस्या और बढ़ जाती है। उपज में गिरावट के प्रासंगिक कारकों पर नीचे चर्चा की गई है:

- **मिट्टी की उर्वरता में कमी:** लगातार सिंचाई और अत्यधिक बाढ़ सिंचाई के उपयोग के कारण चावल-गेहूं की फसल प्रणाली में मिट्टी खारी हो गई है। इससे फसल की पैदावार में कमी आई है।
- जलवायु परिवर्तन: अध्ययनों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन का गेहूं, चावल और मक्का जैसी प्रमुख फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वार्षिक तापमान सीमा में वृद्धि ने चावल और गेहूं की फसल की उपज को भी प्रभावित किया है।
- **इनपुट लागत में वृद्धि:** भूमिगत जल के संदूषण के साथ-साथ खरपतवारों और कीटों के संक्रमण की उच्च दर के परिणामस्वरूप चावल और गेहूं की खेती के लिए लागत में वृद्धि हुई है।

- **पानी की उपलब्धता में बदलाव:** भूजल के अत्यधिक उपयोग और परिणामस्वरूप भूजल संसाधनों में कमी के कारण पानी की उपलब्धता में कमी आई है। इससे फसल की पैदावार में कमी आई है।

इसलिए वैकल्पिक फसलों पर ध्यान देना जरूरी है। फसल विविधीकरण एक फसल के क्षेत्रीय प्रभुत्व से कई फसलों के उत्पादन में बदलाव को संदर्भित करता है।

फसल विविधीकरण में मदद करता है

- **मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना:** किसी विशेष क्षेत्र में केवल वही फसलें उगाई जाती हैं जो विशेष कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए उपयुक्त होती हैं और यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करती हैं क्योंकि पोषक तत्वों के अत्यधिक उपयोग, सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है।
- **भूजल की कमी को रोकने के लिए:** यह घटते जल स्तर की समस्या से निपटने के उद्देश्य से धान से लेकर दलहन, तिलहन, मक्का जैसी पानी की खपत वाली फसलों से फसल पैटर्न में विविधता लाने में मदद करेगा।
- विविधीकरण लाभकारी कीड़ों (जैसे राइजोबियम) के लिए आवास भी प्रदान कर सकता है और साथ ही कीट द्वारा उपनिवेशण (colonization) को कम कर सकता है।

भारत सरकार ने फसल विविधीकरण योजना शुरू की है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मूल हरित क्रांति क्षेत्रों में। फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत राज्यों को वैकल्पिक फसलों पर क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित करने, जल बचत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, कृषि मशीनरी के वितरण और प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

फसल विविधीकरण और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022

- फसल विविधीकरण का उपयोग टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता में कमी और किसानों के लिए उच्च आय के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है ।
- **अशोक दलवई समिति ने सुझाव दिया कि:**
  - कुछ क्षेत्र को प्रधान अनाज से उच्च मूल्य की उपज में स्थानांतरित करने से किसानों के लाभ में काफी वृद्धि हो सकती है।
  - इससे जल उपयोग दक्षता और मृदा स्वास्थ्य की स्थिरता भी आएगी।
  - **फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)** 2013-14 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की एक उप योजना के रूप में मूल हरित क्रांति वाले राज्यों यानी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में लागू किया जा रहा है।
  - इसका उद्देश्य धान की खेती के तहत कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों जैसे तिलहन, दालें, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास, आदि की ओर स्थानांतरित करना है।
  - सीडीपी तम्बाकू की खेती के तहत क्षेत्रों को तम्बाकू उगाने वाले राज्यों में वैकल्पिक फसलों/फसल प्रणाली में स्थानांतरित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।
- भारत में फसल विविधीकरण को मूल्य नीति के माध्यम से भी लक्षित किया गया है । एमएसपी व्यवस्था के तहत प्रदान किए गए प्रोत्साहन ढांचे के कारण सभी फसलों की लागत पर रिटर्न में भिन्नता के कारण फसल विविधीकरण पर भी असर पड़ा है।

फसल विविधीकरण के लाभ

- **आर्थिक स्थिरता:** फसल विविधता विभिन्न कृषि वस्तुओं में कीमतों में उतार-चढ़ाव का बेहतर ढंग से सामना कर सकती है और कृषि उत्पाद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है।
- **प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण:** अप्रत्याशित वर्षा, सूखा, ओला, कीट और कीट रोग की घटना अचानक गंभीर मौसम संबंधी स्थितियां हैं। इस मामले में मिश्रित फसल द्वारा फसल विविधीकरण फायदेमंद हो सकता है ।
- **छोटी भूमि से आमदनी बढ़ाना:** उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे मक्का, दलहन और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों के साथ फसल के पैटर्न में बदलाव होना चाहिए।
  - हरियाणा सरकार ने हाल ही में श्मेरा पानी मेरी विरासत श पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य पानी की अधिक खपत वाले चावल से दूर फसल उत्पादन में विविधता लाना है।
  - आगामी खरीफ सीजन के दौरान चावल के अलावा वैकल्पिक फसल लगाने वाले किसानों को पहल के तहत 7,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
- **संतुलित खाद्य मांग:** खाद्य टोकरी में दलहन, तिलहन, बागवानी और सब्जी फसलों जैसी फसलों को शामिल करने से खाद्य टोकरी में गुणवत्ता जोड़कर सामाजिक आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो सकती है, साथ ही खाद्य सुरक्षा के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
- **पूर्ण फसल विफलता की संभावना को कम करता है:** विभिन्न फसलें विभिन्न तरीकों से जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होंगी, जिससे कुल फसल विफलता की संभावना कम हो जाएगी।
  - जहां एक फसल पर ठंड का हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, वहीं दूसरे पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

- **मूल्य जोखिम का प्रबंधन करें:** विविधीकरण से किसानों को मूल्य जोखिम का प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है, यह मानकर कि सभी वस्तुओं को एक ही समय में कम बाजार मूल्य का अनुभव नहीं होगा, जिससे उनकी लाभप्रदता बढ़ जाएगी।
- **प्राकृतिक जैव विविधता और उत्पादकता को बढ़ाता है:** यह प्राकृतिक जैव विविधता को भी बढ़ावा दे सकता है, जिससे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र इन दबावों के प्रति अधिक लचीला हो जाता है। यह पौधों के उत्पादन, गुणवत्ता, स्वास्थ्य और पोषण मूल्य में सुधार कर रहा है, साथ ही फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहा है।
- **फसल विविधीकरण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायता करता है,** जैसे कि चावल-गेहूं की फसल प्रणाली में फलियां की शुरूआत, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करने के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकती है।

फसल प्रणाली, डेरी उद्योग, सुअर पालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि जैसे कई उद्यमों को एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से जोड़कर एकीकृत कृषि प्रणालियों की ओर स्थानांतरित करने की एक मजबूत आवश्यकता है। यह अगले 5 वर्षों में किसान की आय को दोगुना करने के बहुप्रतीक्षित दृष्टिकोण को प्राप्त करने में भी एक मजबूत बढ़ावा देगा।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. चावल-गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक जिम्मेदार हैं? इतनी सफलता के बावजूद यह व्यवस्था भारत में केसे अभिशाप बन गई है? (2020)
2. हाल के दिनों में कुछ फसलों पर जोर देने से फसल पैटर्न में केसे बदलाव आया है? बाजरे के उत्पादन और खपत पर जोर को विस्तार से बताएं। (2018)
3. फसल प्रणाली में चावल और गेहूं की उपज में गिरावट के प्रमुख कारण क्या हैं? सिस्टम में फसल की उपज को स्थिर करने के लिए फसल विविधीकरण केसे सहायक है? (2017)
4. एलेलोपैथी क्या है? सिंचित कृषि की प्रमुख फसल प्रणालियों में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। (2016)

कृषि उपज का भंडारण, परिवहन और विपणन

कृषि उत्पादों का संग्रहण और भंडारण

- भंडारण एक महत्वपूर्ण विपणन कार्य है, जिसमें वस्तुओं के उत्पादन के समय से लेकर उपभोग के लिए आवश्यक होने तक उन्हें रखना और संरक्षित करना शामिल है।
- यह कटाई के बाद की प्रणाली का चरण है जिसके दौरान उत्पादों को इस तरह से रखा जाता है कि कृषि उत्पादन की अवधि के अलावा खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी जा सके।
- UN-FAO का अनुमान है कि भारत में लगभग 40% भोजन की हानि और बर्बादी होती है, जबकि राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (FCI) इसे 15% आंकती है।
- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएएस) के एक अध्ययन में यह बात कही गई है भंडारण भारत में सभी प्रकार के भोजन, फलों और सब्जियों के लिए **फसल कटाई के बाद के नुकसान का प्रमुख कारण है , जहां भारत को कोल्ड स्टोरेज क्षमता की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है - यह इसके प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की विशाल क्षमता को झुठलाता है।**

पारिस्थितिकी सर्वेक्षण से अवलोकन

- 31.12.2020 तक खाद्यान्न के भंडारण के लिए FCI और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 819.19 एलएमटी थी, जिसमें 669.10 एलएमटी के कवर्ड गोदाम और 150.09 एलएमटी के कवर्ड एंड प्लिंथ (सीएपी) सुविधाएं शामिल हैं।
- 819.19 एलएमटी की कुल उपलब्ध भंडारण क्षमता में से, FCI की क्षमता 407.76 एलएमटी है , जबकि राज्य एजेंसियों की क्षमता 411.43 एलएमटी है । केंद्रीय पूल में 01.01.2021 को चावल और गेहूं का स्टॉक 529.59 एलएमटी था।

भंडारण और भण्डारण की आवश्यकता

- **भूख और कुपोषण:** भारत दुनिया में भोजन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लेकिन भारत अभी भी भूख और कुपोषण की समस्या का सामना कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत कम है और भारतीय किसान अभी भी अपर्याप्त कीमतों और निम्न जीवन स्तर से पीड़ित हैं।
- **मात्रा में वृद्धि :** प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण, आगतों में सुधार जैसे उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई सुविधाओं आदि के कारण मात्रा में वृद्धि हुई है। इन जिंसों के अनुचित रख-रखाव और भंडारण के कारण उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले भारी नुकसान होता है।
- **खाद्य सुरक्षा:** भंडारण किसी देश की खाद्य सुरक्षा और साल भर गुणवत्तापूर्ण खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- **अपव्यय:** उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2013-2019 के बीच लगभग 60000 टन खाद्यान्न गोदाम क्षतिग्रस्त हो गए हैं और मानव उपभोग के लिए अनुपयोगी हो गए हैं।

- **किसानों की आय:** अनुचित भंडारण प्रणाली के कारण खाद्यान्नों की बर्बादी के कारण किसानों की आय प्रभावित होती है। एफएओ के अनुसार, सालाना 14 बिलियन डॉलर की उपज का नुकसान होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से किसान की आय को प्रभावित करता है।
- **बेकार सरकारी आपूर्ति श्रृंखला: रिकॉर्ड कृषि उत्पादन और घोर गरीबी के विपरीत परिदृश्य कृषि क्षेत्र में 'बहुत सारे विरोधाभास' के रूप में वर्णित** हैं। भारत में हर साल करीब 14 अरब डॉलर मूल्य का खाना बर्बाद होता है।
- **खाद्यान्न भंडारण और वितरण का खराब ट्रैक रिकॉर्ड है:** उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2011 और 2017 के बीच FCI के गोदामों में लगभग 62,000 टन खाद्यान्न खराब हो गया था ।
- **परिवहन में नुकसान:** अधिकारियों ने बताया कि गोदाम में परिवहन के दौरान खराब होने के कारण 1.5 टन अनाज का निस्तारण किया जा चुका है।
- **रिसाव और काला बाजार:** गरीबों के लिए अनुदान वाले अनाज को वास्तव में खुले बाजार में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है - पिछले वर्षों में अकेले अनुमानित 25.9 मिलियन टन चावल और गेहूं का नुकसान हुआ है।
- **नौकरशाही बाधाएं:** राशन कार्डों द्वारा वितरण को नियंत्रित किया जाता है , फिर भी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में शामिल जटिलताओं ने कई इच्छित लाभार्थियों को दूर कर दिया है, जो या तो अनपढ़ हैं या बेघर हैं जिनका कोई निश्चित पता नहीं है।
- **जमाखोरी:** इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। डीलर नियमित रूप से मुनाफे को बढ़ाने, काले बाजार में ताजा स्टॉक बेचने और गरीबों को भेजने के लिए कम गुणवत्ता वाले अनाज की अदला-बदली करने के लिए अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली का सहारा लेते हैं।

भारत में भंडारण

- केंद्रीय भंडारण निगम
- राज्य भंडारण निगम
- भारतीय खाद्य निगम (FCI)

भंडारण का महत्व

- बाजार में माल की निरंतर अधिकता सुनिश्चित करना।
- खराब होने वाले और अर्ध-नाशपाती उत्पादों की गिरावट को रोकना।
- मूल्य लाभ के माध्यम से रोजगार और आय प्रदान करना।
- राज्यों को आपदा या आपातकालीन स्थिति से बहुत प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाता है।
- मांग और आपूर्ति को समायोजित करके कीमतों के स्थिरीकरण में मदद करता है।
- भंडारण अन्य विपणन कार्यों के प्रदर्शन के लिए कुछ अवधि के लिए आवश्यक है।
- ऊनी कपड़ों जैसे सामानों की मौसमी मांग को पूरा करने में मदद करता है।

कृषि उपज कहाँ संग्रहीत की जाती है?

- कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग **70% कृषि स्तर पर रखा और खपत किया जाता है।**
- शेष राशि की आपूर्ति केंद्रीय पूल में की जाती है और नामांकित गोदाम या खरीद के लिए निर्धारित स्थानीय मंडी में वितरित की जाती है ।
- 2019 तक, **भारत में लगभग 91 मिलियन मीट्रिक** टन (MMT) की कुल कृषि भंडारण क्षमता है, जिसमें से अधिकांश क्षमता राज्य एजेंसियों के स्वामित्व में है।
- राज्य की एजेंसियां लगभग **40%** क्षमता का मालिक हैं और शेष निजी उद्यमियों, सहकारी समितियों, किसानों आदि के बीच वितरित की जाती हैं।

भण्डारण की भूमिका

गोदाम वैज्ञानिक भंडारण संरचनाएं हैं जो विशेष रूप से संग्रहीत उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं।

- **वैज्ञानिक भण्डारण:** उत्पाद को परिरक्षण की ऐसी विधियों के उपयोग द्वारा मात्रात्मक और गुणात्मक हानियों से बचाया जाता है जो आवश्यक हैं।
- **फाइनेंसिंग:** वेयरहाउस उस व्यक्ति की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं जो उत्पाद को स्टोर करता है। राष्ट्रीयकृत बैंक भंडारित उत्पादों के लिए जारी गोदाम रसीद की जमानत पर उनके मूल्य के 75 से 80% की सीमा तक अग्रिम ऋण देते हैं।
- **मूल्य स्थिरीकरण:** गोदाम किसानों के बीच फसल कटाई के बाद बिक्री करने की प्रवृत्ति की जाँच करके कृषि वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण में मदद करते हैं।
- **बाजार आसूचना:** गोदाम उन व्यक्तियों को बाजार सूचना की सुविधा भी प्रदान करते हैं जो उनमें अपना उत्पाद रखते हैं।

केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)

- CWC लगभग 117 लाख मीट्रिक टन की कुल परिचालन भंडारण क्षमता के साथ पूरे देश में 423 गोदामों का संचालन कर रहा है।
- दिसंबर, 2020 के दौरान कुल क्षमता उपयोग 86 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
- वित्त वर्ष 2020-21 के नौ महीनों (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान औसत अधिभोग प्रतिशत वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि के दौरान 86 प्रतिशत की तुलना में 89 प्रतिशत था।
- सीडब्ल्यूसी ने निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना के तहत भदोही (उत्तर प्रदेश) में 10000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण किया है।

खाद्य निगम (FCI)

FCI की स्थापना 1964 के खाद्य निगम अधिनियम के तहत की गई थी:

1. किसानों के हितों की रक्षा के लिए असरदार मूल्य समर्थन अभियान।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण; और
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना।

FCI की खरीद और भंडारण से जुड़े मामले

- **असीमित खरीद:** FCI उतना ही अनाज खरीदता है, जितना किसान बेच सकता है। यह न केवल पहले से ही बोझ से दबे गोदामों को फैलाता है बल्कि खाद्यान्न बाजार को भी ध्वस्त कर देता है।
- **अतिरिक्त स्टॉक:** FCI के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक बफर स्टॉक को बफर स्टॉकिंग मानदंडों से ऊपर रखना है। इसके अंतर्निहित कारणों में निर्यात प्रतिबंध, असीमित खरीद और कोई सक्रिय परिसमापन नीति शामिल नहीं है।
- **भंडारण सुविधाओं में असंतुलन** कैग की रिपोर्ट के अनुसार, कुल भंडारण स्थान का 64% पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े खरीद राज्यों में स्थित था।
- **अपर्याप्त भण्डारण सुविधा:** मौजूदा भण्डारण सुविधा का रख-रखाव ठीक से नहीं किया जाता है, जिससे कीटों के आक्रमण के कारण अनाज को नुकसान पहुँचता है।
- **फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत (FIFO) का पालन न करना:** CAG की रिपोर्ट से पता चला है कि फसल वर्ष 2008-09 से 2011-11 के बारे में कुल 126 LMT खाद्यान्न मार्च 2012 में भी केंद्रीय पूल में पड़ा था।
- **केंद्रों पर खरीद से इंकार करना:** खरीद केंद्रों पर तैनात कम कर्मचारी कभी-कभी गैर-वास्तविक तकनीकी कारणों, जैसे उपज में नमी की मात्रा पर खरीदारी करने से मना कर देते हैं। इससे किसानों को भारी परेशानी होती है।
- **गोदामों का निर्माण:** FCI 2020-21 में पर्याप्त मात्रा में खरीदे गए खाद्यान्न के भंडारण के लिए आवश्यक गोदामों के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका।
- **पारगमन नुकसान:** पारगमन नुकसान अभी भी बहुत अधिक है (अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान 281 करोड़ रुपये)।
- भंडारण सुविधाओं की खराब स्थिति : भंडारण सुविधा में खाद्यान्न सड़ रहे हैं और कीट नियंत्रण तंत्र की उपेक्षा की जा रही है ।
- **वैज्ञानिक भंडारण विधियों का उपयोग नहीं करना:** ऑटोमेटन, साइलो और स्वचालित कीट नियंत्रण तंत्र जैसी आधुनिक विधियों का उपयोग नहीं किया जा रहा है ।
- **भण्डारण क्षमता में क्षेत्रीय असंतुलन:** सभी राज्यों में भण्डारण की समान क्षमता नहीं है। उत्तरी राज्य कुल थ्ब्व् गोदामों के 70% से सुसज्जित हैं।
- **FCI सुधार पर शांता कुमार समिति ने निम्नलिखित मुद्दों की ओर इशारा किया:**
  - **सक्रिय परिसमापन नीति का अभाव:** ओपन मार्केट सेल स्कीम (घरेलू) या निर्यात बाजारों के माध्यम से अतिरिक्त स्टॉक के परिसमापन की मौजूदा प्रणाली अत्यंत तदर्थ और धीमी है।
  - **अपर्याप्त बिक्री मूल्य:** FCI को ज्यादातर समय अच्छी कीमत नहीं मिलती है, क्योंकि पूर्व निर्धारित मूल्य (आरक्षित मूल्य) अक्सर FCI के लिए अनाज की अधिग्रहण लागत/आर्थिक लागत से कम होती है और इससे बिक्री में नुकसान होता है।

भंडारण सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए गए

- **विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना:** पारगमन हानियों से बचने के लिए राज्य स्तर पर उपार्जन और भण्डारण करना।
- **परक्राम्य गोदाम रसीद प्रणाली:** इस प्रणाली के तहत, किसान अपनी उपज को पंजीकृत गोदामों में जमा कर सकते हैं, और एमएसपी पर अपनी उपज के लिए बैंकों से अग्रिम के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम:** स्टॉकिंग सीमा को कम करने और इस प्रकार भंडारण में निजी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ईसीए में संशोधन किया गया है।

- **एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड:** पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए सेटअप।
- **भंडारण और कोल्ड चेन सुविधाएं:** प्रधान के तहत बनाई गई मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)।
- **बजट 2020 में घोषित 'ग्राम भंडारण योजना':** इसे महिला एसएचजी द्वारा चलाया जाएगा । योजना का उद्देश्य किसानों के लिए धारण क्षमता प्रदान करना है और इसके माध्यम से, गांवों और देश के ग्रामीण हिस्से में महिलाएं ष्धन्य लक्ष्मीष् के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होंगी।
- **शांता कुमार समिति की सिफारिशों को लागू करना:**
  - **राज्य को खरीद सौंपना:** FCI को गेहूं, धान और चावल के सभी खरीद कार्यों को उन राज्यों को सौंप देना चाहिए जिन्होंने इस संबंध में पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया है और खरीद के लिए एक उचित बुनियादी ढांचा तैयार किया है।
  - **आउटसोर्सिंग: FCI को** निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) (Private Entrepreneur Guarantee (PEG)) योजना के तहत केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, निजी क्षेत्र जैसे विभिन्न एजेंसियों को अपने स्टॉकिंग संचालन को आउटसोर्स करना चाहिए ।
  - **खाद्य प्रबंधन प्रणाली में नवीनता के लिए एजेंसी:** FCI को 'खाद्य प्रबंधन प्रणाली में नवीनता के लिए एजेंसी' के रूप में कार्य करना चाहिए , जिसका प्राथमिक केंद्र-बिंदु खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक खंड में खरीद से लेकर भंडारण और अंत में वितरण तक प्रतिस्पर्धा पैदा करना है।
- **बढ़ावा देना:** खुला बाजार बिक्री योजना (ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस)) सरकारी एजेंसियों द्वारा खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्नों की बिक्री को संदर्भित करता है। तो FCI अधिक राजस्व अर्जित कर सकता है। FCI कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX (नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड) के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके खुले बाजार में इस योजना के संचालन के लिए साप्ताहिक नीलामी आयोजित करता है।

आगे की राह

- थोक अनाज प्रबंधन अवसंरचना का आधुनिकीकरण और उन्नयन। पारंपरिक गोदामों के अलावा, भंडारण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और भंडारित खाद्यान्नों की शेल्फ लाइफ में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में स्टील साइलो का निर्माण शुरू किया गया है ।
- निजी क्षेत्र को भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें वे सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न का भंडारण और रखरखाव करेंगे। निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना 2008 में तैयार की गई जिसमें निजी पार्टियों द्वारा भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाता है ।
- वैज्ञानिक और सुरक्षित भंडारण के लिए पर्याप्त जनशक्ति और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। सरकार ष्कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई)ष की योजना के माध्यम से देश में किसानों के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण में सहायता कर रही है।
- समय पर और व्यवस्थित निकासी योजना से खाली भंडारण स्थान का उपयोग हो सकता है।
- **राज्य सरकारों** का हस्तक्षेप में विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में अनावश्यक देरी किए बिना आच्छादित भण्डारण स्थलों के निर्माण के लिए भूमि की पहचान करने और सौंपने से भण्डारण क्षमता में वृद्धि को गति मिलेगी।
- **FCI सुधार:** धन और वैज्ञानिक भंडारण के मुद्दे को हल करने के लिए एक तत्काल उपाय होना चाहिए।
- **भारत में संपूर्ण भंडारण व्यवसाय का एकीकरण:** मौजूदा सुविधाओं के इष्टतम उपयोग के लिए समय पर निर्णय लेने को सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा ।
- **कोल्ड स्टोरेज की मान्यता में वृद्धि:** अधिसूचित खराब होने वाली वस्तुओं के मामले में वेयरहाउस आधारित पोस्ट-फसल ऋण को बढ़ावा देने के लिए , देश में कोल्ड स्टोरेज की मान्यता में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक है ।

कृषि उत्पाद का परिवहन

कृषि और परिवहन दोनों उद्योग एक दूसरे पर निर्भर हैं, और राष्ट्रीय कल्याण दोनों पर निर्भर है। एक विश्वसनीय और कुशल परिवहन प्रणाली का कृषि विपणन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है।

कृषि उपज के परिवहन का महत्व

- परिवहन कृषि को सक्षम बनाता है और किसान को अधिक निवेश करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- एक कुशल परिवहन प्रणाली और कृषि उपज के सावधानीपूर्वक संचालन के साथ, किसान सर्वोत्तम संभव रिटर्न प्राप्त कर सकता है।
- एक कुशल परिवहन और विपणन प्रणाली अभी भी यह सुनिश्चित कर सकती है कि इकाई लागत कम रहे और कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत स्तर पर बनाए रखे।
- परिवहन लागत कम रखने से किसानों को मुनाफा कमाने में मदद मिलती है, साथ ही यह उपभोक्ता के लिए सस्ती हो जाती है।
- इसके विपरीत, यदि परिवहन लागत अधिक है, तो न केवल घरेलू विपणन, बल्कि अधिक कुशल परिवहन वाले देशों की तुलना में कृषि निर्यात की संभावना भी कम हो जाएगी।

- परिवहन कृषि उपज के लिए एक बाजार बनाता है, भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाता है और आर्थिक फोकस के लिए नए क्षेत्रों को खोलता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खराब परिवहन के परिणामस्वरूप कम उत्पादकता, कम आय और जीवन स्तर में गिरावट आएगी।

मुद्दे और बाधाएं

- आधुनिक सड़क और रेल अवसंरचना का अभाव।
- विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के साथ पूर्ण क्षेत्रीय संपर्क का अभाव।
- हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में मौसमी रूप से अवरुद्ध मार्ग।
- रेल परिवहन के बजाय सड़क परिवहन पर अधिक निर्भरता।
- भारत के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में पक्की और पक्की सड़कों का अभाव ।
- आमतौर पर परिवहन ट्रक ओवरलोडिंग के कारण पारगमन के दौरान रिसाव और अपव्यय का कारण बनते हैं।

परिवहन में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **पहली मल्टी-कमोडिटी ट्रेनों के रूप में किसान रेल:** रेफ्रिजरेटेड कोच वाली ये ट्रेनें कम समय में खराब होने वाले कृषि उत्पादों जैसे सब्जियों, फलों को बाजार में लाने में मदद करेंगी ।
- **कृषि हवाई मार्ग से कृषि वस्तुओं के परिवहन के लिए उड़ान योजना:** इससे विशेष रूप से उत्तर-पूर्व और आदिवासी जिलों में मूल्य प्राप्ति (कृषि उत्पादों पर) में सुधार करने में बहुत मदद मिलेगी ।
- **परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए):** इसका उद्देश्य माल ढुलाई और कृषि उपज के विपणन के अंतरराष्ट्रीय घटक के लिए सहायता प्रदान करना है जो ट्रांस-शिपमेंट के कारण निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात की उच्च लागत के नुकसान को कम करने की संभावना है।
- **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना:** यह भारत में एक राष्ट्रव्यापी योजना है, जो असंबद्ध गांवों को हर मौसम में अच्छी सड़क से जोड़ता है।
- **किसान रथ मोबाइल एप्लिकेशन:** लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न और खराब होने वाले सामानों के परिवहन की सुविधा के लिए।
- **देशव्यापी लॉकडाउन में ढील:** सरकार ने कृषक समुदाय को हो रही समस्याओं के समाधान की दृष्टि से कृषि एवं इससे जुड़े कार्यों से संबंधित गतिविधियों के लिए छूट प्रदान की है।
- **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर:** कृषि उत्पादों के लिए समर्पित।
- **सड़क से रेल नेटवर्क में बदलाव:** खराब होने वाले फलों और सब्जियों का लगभग 1.9% रेल के माध्यम से परिवहन किया जाता है, जबकि 97.4% उत्पाद सड़कों के माध्यम से ले जाया जाता है।

कृषि उत्पाद का विपणन

कृषि विपणन मुख्य रूप से संबंधित है कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री । यह किसानों द्वारा कृषि आदानों की खरीद और खेतों से उपभोक्ताओं तक कृषि उपज की आवाजाही में शामिल सभी गतिविधियों, एजेंसियों, कृषि उद्यमियों और नीतियों को संदर्भित करता है ।

कृषि विपणन के कार्य

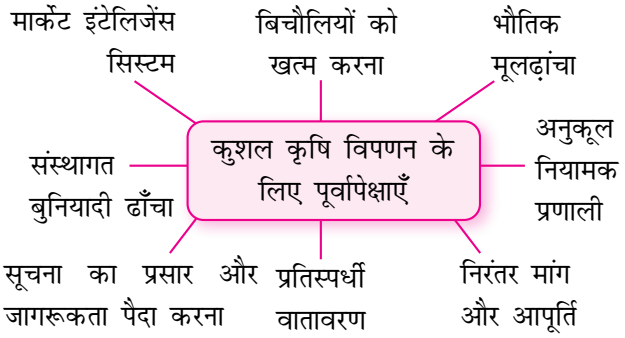
1. **विनिमय कार्य:** खरीदना, बेचना, भंडारण,
2. **भौतिक कार्य:** परिवहन, प्रसंस्करण, मानकीकरण
3. **सहायक कार्य:** वित्त पोषण, जोखिम वहन, बाजार आसूचना।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची और कृषि विपणन

- समवर्ती सूची में प्रविष्टि 33 कृषि में राज्यों की शक्ति को सीमित करती है और केंद्र को यह कहते हुए सशक्त करती है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों खाद्य पदार्थों और कृषि कच्चे माल के उत्पादन, व्यापार, आपूर्ति और वितरण के संबंध में कानून बना सकते हैं।

कृषि उपज के विपणन का महत्व

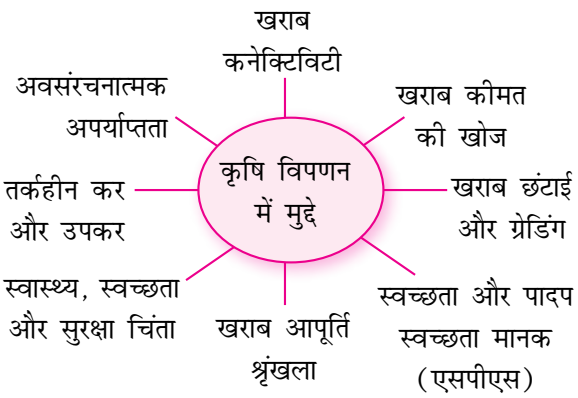
- **उपज का मुद्रीकरण:** विपणन कृषि उत्पादों की बिक्री को सुसाध्य और बेहतर बनाता है।
- **मांग और आपूर्ति संतुलन को पूरा करे:** इन उत्पादों का मूल्य मांग और आपूर्ति की स्थिति से प्रभावित होता है, जो बदले में बाजार की मात्रा और पूछ मूल्य से प्रभावित होता है।
- **प्रतिस्पर्धी व्यापार को बढ़ावा देना:** एक अच्छी तरह से विकसित विपणन बुनियादी ढांचा और कुशल विपणन प्रणाली प्रतिस्पर्धी व्यापार को बढ़ावा देती है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को बेहतर कीमत की प्राप्ति होती है।
- **बिचौलियों की भूमिका को कम करना:** एक कुशल विपणन श्रृंखला आर्थिक और गुणात्मक दोनों कारणों से कृषि उत्पाद परिवर्तन के हाथों की संख्या को उत्तरोत्तर कम करती है।
- **बाजार की जानकारी और मूल्य संकेत के स्रोत के रूप में कार्य करना:** यह उन्हें मात्रा, वांछित गुणवत्ता, मानकों और उत्पाद की विशिष्टताओं पर प्रासंगिक मांग से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है।



- पूंजी निर्माण और प्रौद्योगिकी में निवेश प्रभावी कृषि विपणन क्षेत्र में विकास क्षमता को उचित रूप से प्रदर्शित कर सकता है। इससे इस क्षेत्र में निवेश और बेहतर प्रौद्योगिकियों के प्रवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- कृषि में मूल्य संवर्धन : मजबूत विपणन प्रणालियां डाउनस्ट्रीम उद्योगों को कृषि उत्पादों तक पहुंच प्रदान करती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर मूल्यवर्धन की संभावना पैदा होती है। उदाहरण के लिए, बिहार सरकार द्वारा विपणन पहल किए जाने के बाद हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर श्मखानाश स्नैक उद्योग विकसित हो रहा है ।
- खराब होने वाले खाद्य उद्योग की निर्भरता: यह उद्योग भंडारण, रसद, परिवहन और वितरण पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है।
- **खाद्य सुरक्षा:** भंडारण क्षमता में वृद्धि और अंतिम-मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- रोजगार के अवसर सृजित करता है: 89,375 करोड़ रुपये का निवेश करके फसल कटाई के बाद के भंडारण और परिवहन को मजबूत बनाने में निवेश से 3 मिलियन से अधिक रोजगार भी सृजित होंगे।
- **ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है:** अधिकांश नौकरियां ग्रामीण स्तर पर होंगी, इस प्रकार स्थानीय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जाएगा।

भारत में कृषि उपज के विपणन की चुनौतियाँ

- **लाइसेंसिंग बाधाएं:** कमीशन एजेंटों/व्यापारियों के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक दुकान /गोदाम के मालिक होने की अनिवार्य आवश्यकता के कारण कुछ लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों का एकाधिकार हो गया है। इसके कारण प्रमुख प्रवेश अवरोध उत्पन्न होता है।
- **बाजार शुल्कों की अधिकता:** एपीएमसी को उत्पाद के बिक्री मूल्य के 0.5% से 2.0% के बीच बाजार शुल्क एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा, अन्य शुल्क, जैसे कि खरीद कर, वजन शुल्क आदि का भी भुगतान करना आवश्यक है।



- **मानकीकृत ग्रेडिंग तंत्र का अभाव:** कृषि उत्पाद को बेचने से पहले उसका। यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्त करने से रोकता है।
- **कृषि बाजारों में खराब बुनियादी ढाँचा:** कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ बाजारों के दसवें हिस्से से भी कम में मौजूद हैं और एक तिहाई से भी कम बाजारों में ग्रेडिंग सुविधाएँ मौजूद हैं।
- परियोजनाओं की खराब आर्थिक क्षमता: कृषि विपणन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निर्माण अवधि लंबी होती है। मौसमी और कृषि उपज के छोटे अधिशेषों का एकत्रीकरण परियोजनाओं की आर्थिक क्षमता को और प्रभावित करता है, जो निवेश को रोकता है।
- **मांग संकेतों में अंतराल:** कुशल वास्तविक समय के सूचनात्मक चौनलों की अनुपस्थिति मांग संकेतों में देरी पैदा करती है। इसके परिणामस्वरूप किसानों ने आपूर्ति के संकेतक के रूप में मूल्य प्रवृत्तियों का अनुसरण किया है।
- सीमित सूचना चौनल और सामग्री: वर्तमान सूचना प्रसार प्रणाली, (जैसे स्थानीय समाचार पत्र और एपीएमसी डिस्प्ले बोर्ड) केवल प्रमुख वस्तुओं की कीमतों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, किसान के स्थान से बहुत दूर हैं, और आम तौर पर स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं।
- सूचना के नए माध्यमों के बारे में जागरूकता की कमी: किसानों का केवल एक छोटा सा अंश ही अधिक सुलभ एसएमएस-आधारित सलाह या वॉयस इंटरएक्टिव सिस्टम का उपयोग करता है।
- **एक राष्ट्रीय एकीकृत बाजार का अभाव:** भले ही एपीएमसी के रूप में एक राष्ट्रीय स्तर का भौतिक बाजार मौजूद है, इसके लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का विनियमन नहीं है।
- **सीमित सार्वजनिक निवेश:** कृषि विपणन उप-क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय कृषि पर कुल सार्वजनिक व्यय का 4-5% है।

कृषि विपणन में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM):** सरकार ने अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल के माध्यम से सभी विनियमित थोक उत्पाद बाजारों को जोड़ने के लिए e-NAM बनाया है।

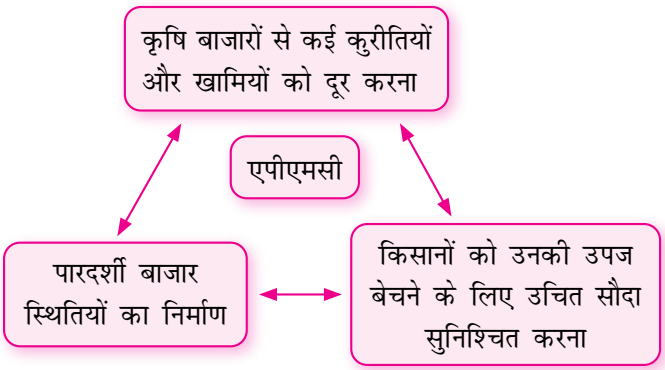
- **ई-शासन पोर्टल एगमार्कनेट:** यह कीमतों के उत्पादन और प्रसारण, कृषि उपज बाजारों से वस्तु आगमन की जानकारी, और उत्पादकों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों और नीति निर्माताओं को पारदर्शी और तेजी से वेब-आधारित प्रसार की सुविधा प्रदान करता है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड योजना:** कृषि जरूरतों के लिए सावधि ऋण प्रदान करने के लिए।
- एफपीओ का गठन और प्रचार: एफपीओ द्वारा विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' क्लस्टर के तहत एफपीओ को बढ़ावा दिया जाएगा ।
- मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम (MIEWS) पोर्टल : किसानों को चक्रीय उत्पादन से बचने के लिए सलाह देने के साथ-साथ अधिकता की स्थिति में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिए।
- **निर्बाध कनेक्टिविटी:** देश भर में खराब होने वाले उत्पादों के परिवहन के लिए सरकार किसान रेल और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के साथ आई है।
- **ई-नाम (E-NAM) और कृषि बाजार: ई-एनएएम (राष्ट्रीय कृषि बाजार)** कृषि उत्पादों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन ट्रेडिंग के साथ किसानों, व्यापारियों और खरीदारों की मदद करना और सुचारू विपणन द्वारा बेहतर कीमत प्राप्त करना है।

आगे बढ़ने के विकल्प

- सब्जियों और फलों से शुरुआत करके कृषि वस्तुओं को एपीएमसी नेट से बाहर लाना और बाद में अनाज, दालों, तिलहन आदि की दिशा में काम करना ।
- निजी बाजारों के लिए विशेष रूप से बाजार बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए राज्यों को राजी करें, ताकि वे अंतत: सरकार द्वारा स्थापित एपीएमसी बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त जीवक्षम हो सकें।
- बाजार के बुनियादी ढांचे में निवेश की अनुमति देने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए राज्यों को खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को उदार बनाने के लिए राजी करना ।
- कृषि विपणन को समवर्ती सूची में रखने के लिए किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर विचार करें ।
- क्लस्टर आधारित संगठनों को बढ़ावा देना ।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करें ।
- प्रत्यक्ष बिक्री को बढ़ावा देना - फार्म गेट मॉडल ।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। यह उन्हें फसल आदानों से संबंधित मामलों से लेकर बाजार और कीमतों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने में मदद कर सकता है।
- मूल्य अस्थिरता को रोकने के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र में एजीटेक **स्टार्टअप** को शामिल किया जाना है।

कृषि विपणन का विनियमन: एपीएमसी

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मॉडल एपीएमसी अधिनियम और मॉडल राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017 का प्रस्ताव करके नियामक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्रयास किया।



- एपीएमसी राज्य सरकार द्वारा जारी एपीएमसी अधिनियम के तहत कुछ अधिसूचित कृषि या बागवानी या पशुधन उत्पादों में व्यापार के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक बाजार समिति है।

एपीएमसी के नियोजित कार्य

- मूल्य निर्धारण प्रणाली और बाजार क्षेत्र में होने वाले लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- किसानों को बाजार आधारित विस्तार सेवाएं प्रदान करना ।
- किसानों द्वारा बेची गई कृषि उपज का उसी दिन भुगतान सुनिश्चित करना।
- कृषि उपज में मूल्यवर्धन के लिए गतिविधियों सहित कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।
- बिक्री के लिए बाजार क्षेत्र में लाए गए कृषि उत्पादों की आवक और दरों पर डेटा को सार्वजनिक करना।
- कृषि बाजारों के प्रबंधन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को स्थापित करना और बढ़ावा देना।

एपीएमसी के साथ मुद्दे

- **बाजारों का विखंडन:** उदाहरण के लिए संबंधित राज्य सरकार के तहत हजारों एपीएमसी बाजार, जिनके बीच कोई संबंध नहीं है।
- **अप्रतिबंधित संचलन का अभाव:** यह एक बाजार में बहुतायत और दूसरे बाजार में कमी की समस्या पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप या तो कीमत में गिरावट आती है और

उत्पादक को नुकसान होता है, या मुद्रास्फीति और उपभोक्ता को नुकसान होता है।

- **कम किसानों को कीमत की प्राप्ति:** बिचौलियों की बड़ी संख्या, बुनियादी ढांचे की कमी और खराब धारण क्षमता के कारण, उपभोक्ता की कीमत में किसानों की हिस्सेदारी बहुत कम है, विशेष रूप से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं में।
- **प्रत्यक्ष बिक्री को हतोत्साहित करता है:** अनुबंधित खेती के प्रायोजकों, खुदरा विक्रेताओं, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों आदि को कोई प्रत्यक्ष बिक्री नहीं होती है। परिणामस्वरूप, किसान अधिक लाभ अर्जित करने में असमर्थ होते हैं।
- **बिचौलियों द्वारा शोषण:** प्रत्यक्ष बिक्री के अवसर की कमी भी कमीशन एजेंटों द्वारा शोषण को बढ़ाती है, जो खुद को कार्टेलाइज करते हैं, किसानों के लाभ को कम करते हैं, उपभोक्ताओं की कीमतों में वृद्धि करते हैं, नए एजेंटों के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हैं, आदि।
- **अधिकता:** व्यापार के पहले स्तर पर बाजार शुल्कों, करों, कमीशन और फीस की बहुलता का खुदरा कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे मुद्रास्फीति होती है।
- **एकत्र किए गए लेवी के उपयोग में गैर-पारदर्शिता:** लेवी राज्य के खजाने में नहीं जाती है और इसलिए, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है । इसके उपयोग पर कोई निगरानी नहीं है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार: एपीएमसी और एपीएमसी बोर्डों पर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों का कब्जा है, जो एक विशेष बाजार क्षेत्र पर एकाधिकार शक्ति चलाने के लिए कमीशन एजेंटों के साथ हाथ मिलाते हैं।
- आपूर्ति श्रृंखला में उच्च अपव्यय: एपीएमसी के दायरे में फलों और सब्जियों को शामिल करने के परिणामस्वरूप फसल कटाई के बाद नुकसान और बड़ी बर्बादी हुई है।
- **कृषि बाजारों में बुनियादी ढाँचे की कमी:** आधुनिक बुनियादी ढाँचे जैसे कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक गोदामों, इलेक्ट्रॉनिक वेट-ब्रिज आदि में कोई बड़ा निवेश नहीं।

एपीएमसी की आलोचना

- **एपीएमसी का एकाधिकार:** यह किसानों को बेहतर ग्राहकों से और उपभोक्ताओं को मूल आपूर्तिकर्ताओं से वंचित करता है।
- **गुटबंदी:** यह अक्सर देखा जाता है कि एपीएमसी में एजेंट कार्टेल बनाने के लिए एक साथ हो जाते हैं और जानबूझकर उच्च बोली लगाने से रोकते हैं। उत्पादन चालाकी से खोजे गए मूल्य पर खरीदा जाता है और उच्च कीमत पर बेचा जाता है ।
- **प्रवेश बाधाएं:** इन बाजारों में लाइसेंस शुल्क अत्यधिक निषेधात्मक है। कई बाजारों में किसानों को काम नहीं करने दिया गया। इसके अलावा, लाइसेंस शुल्क के अलावा, दुकानों का किराया/मूल्य काफी अधिक है जो प्रतिस्पर्धा को दूर रखता है। ज्यादातर जगहों पर एपीएमसी में केवल गांव/शहरी अभिजात वर्ग का समूह ही काम करता है।
- हितों का संघर्ष: एपीएमसी नियामक और बाजार की दोहरी भूमिका निभाता है। नतीजतन, नियामक के रूप में इसकी भूमिका आकर्षक व्यापार में निहित स्वार्थ से कम आंका गया है।
- उच्चायोग, कर और शुल्क: किसानों को कमीशन, विपणन शुल्क, एपीएमसी उपकर का भुगतान करना पड़ता है जिससे लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा कई राज्य मूल्य वर्धित कर लगाते हैं।
- **अन्य हेर-फेर:** एजेंटों की प्रवृति अस्पष्ट या काल्पनिक कारणों से भुगतान के एक हिस्से को अवरूद्ध करने की होती है। किसान को कभी-कभी भुगतान पर्ची (जो बिक्री और भुगतान को स्वीकार करती है) से मना कर दिया जाता है, जो उसके लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

एपीएमसी में या उसके आसपास उपलब्ध विशिष्ट सुविधाओं में नीलामी हॉल, वेब्रिज, गोदाम, खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकानें, केंटीन, सड़कें, रोशनी, पीने का पानी, पुलिस स्टेशन, डाकघर, बोर-वेल, गोदाम, किसान सुविधा केंद्र, टैंक, जल उपचार संयंत्र, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, शौचालय ब्लॉक आदि शामिल हैं।

एपीएमसी बाजार एक समस्या के समाधान से केसे आगे बढ़े?

- एपीएमसी अधिनियमों ने अनिवार्य किया कि कृषि वस्तुओं की बिक्री/खरीद एक निर्दिष्ट बाजार क्षेत्र में की जाती है, और निर्माता-विक्रेता या व्यापारी आवश्यक बाजार शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क, लेवी और कमीशन एजेंटों (अढ़तियों) के लिए भुगतान करते हैं।
- ये शुल्क इस बात पर ध्यान दिए बिना लगाए गए थे कि बिक्री एपीएमसी परिसर के अंदर या उसके बाहर हुई थी और शुल्क राज्यों और वस्तुओं में व्यापक रूप से भिन्न थे।
- 1960 के दशक से, विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादों के लिए सभी थोक बाजारों को कृषि उत्पाद बाजार विनियमन (APMC) अधिनियमों के तहत लाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं।
- केरल, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों ने ऐसे कानून बनाए ।
- APMCS का स्वर्णिम काल: प्रारंभिक वर्षों में, ।च्डब अधिनियमों ने अनाचार को दूर करने में मदद की और किसानों को बिचौलियों और व्यापारिक पूंजी की शोषण शक्ति से मुक्त किया। एपीएमसी बाजारों के लिए सुनहरा दौर लगभग 1991 तक रहा।

एपीएमसी से संबंधित उभरते मुद्दे

- **कृषि विकास के साथ गति बनाए रखने में एपीएमसी की विफलता:** समय के साथ, बाजार सुविधाओं में वृद्धि में स्पष्ट कमी आई और 2006 तक, यह फसल उत्पादन में एक-चौथाई से भी कम हो गई, जिसके बाद आगे कोई वृद्धि नहीं हुई। इसने भारतीय किसानों के संकट को बढ़ा दिया क्योंकि बाजार की सुविधाएं उत्पादन में वृद्धि के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई और विनियमन ने किसानों को एपीएमसी बाजारों के बाहर बेचने की अनुमति नहीं दी।
- **बिचौलियों का उदय:** बाजार के खराब बुनियादी ढांचे के कारण, एपीएमसी मंडियों की तुलना में बाजारों के बाहर अधिक उत्पाद बेचे जाते हैं। शुद्ध परिणाम इंटरलॉक्ड लेन-देन की एक प्रणाली थी जो किसानों को यह तय करने के लिए लूटती है कि किसे और कहाँ बेचना है, बिचौलियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है ।
- **राजस्व सृजन का स्रोत:** कई राज्यों में, सेवाओं में कोई सुधार किए बिना कमीशन शुल्क बढ़ा दिया गया। और इन उच्च शुल्कों के खिलाफ किसानों के किसी भी विरोध से बचने के लिए, इनमें से अधिकांश का भुगतान FCI जैसे खरीदारों द्वारा किया जाना आवश्यक था। हरियाणा और पंजाब में, FCI द्वारा खरीदे गए गेहूं और गैर-बासमती चावल के लिए मंडी शुल्क और ग्रामीण विकास शुल्क निजी खिलाड़ियों द्वारा खरीदे गए बासमती चावल के शुल्क से चार से छह गुना अधिक हैं।

मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) (एपीएलएम) अधिनियम, 2017

- भारत सरकार ने APMC अधिनियम, 2003 को प्रतिस्थापित करने के लिए एक नया मसौदा मॉडल कानून, कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम (APLM), 2017 लाया।
- **उद्देश्य:**
  - एकल कृषि-बाजार का निर्माण करना जहां एक ही लाइसेंस के साथ कोई भी कृषि-उपज के साथ-साथ पशुधन का व्यापार कर सकता है।
  - किसानों को बेहतर कीमत की प्राप्ति।
  - 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना।
- **मसौदा मॉडल अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:**
  - एकल शुल्क का भुगतान करने से अंतर-राज्यीय व्यापार संभव हो गया।
  - जल्दी खराब होने वाली चीजें जैसे फल और सब्जियां मौजूदा मंडियों (थोक बाजारों) के बाहर बेची जा सकती हैं।
  - थोक बाजार में उपज लाने के बाद किसान द्वारा भुगतान किए जाने वाले बाजार शुल्क और कमीशन शुल्क को सीमित करना।
  - बाजार शुल्क लगाने की सीमा: फलों और सब्जियों के लिए 2% (बिक्री मूल्य का) और खाद्यान्नों के लिए 1%।
  - गोदामों और कोल्ड स्टोरेज को विनियमित बाजारों के रूप में कार्य करना है।
  - किसान अपनी उपज सीधे थोक खरीदारों को बेच सकते हैं।
- **महत्व:**
  - बाधा मुक्त एकीकृत कृषि बाजार: एक व्यापारी लाइसेंस (अंतरराज्यीय व्यापार लाइसेंस) बाधा मुक्त एकीकृत कृषि बाजार की ओर ले जाएगा।
  - परंपरा के एकाधिकार को तोड़ना: निजी खिलाड़ियों को थोक बाजार स्थापित करने की अनुमति देकर श्मंडियांश।
  - खरीदारों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से फार्म-गेट की कीमतें बेहतर होंगी।
  - नए कानून से कृषि उपज की बर्बादी भी कम होगी।
  - इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग (ई-ट्रेडिंग) को बढ़ावा देना।

भारत में कृषि विपणन में सुधार के लिए हाल के सरकारी उपाय

- खरीदार और विक्रेता की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और राष्ट्र कृषि बाजार बनाने के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक परंपरा मंच ई-एनएएम का शुभारंभ ।
  - दिसंबर 2021 तक, 1000 भौतिक APMC मंडियों को पहले ही एकीकृत किया जा चुका है और बजट 2021-22 में यह घोषणा की गई थी कि 1000 और मंडियों को म-छाड के माध्यम से एकीकृत किया जाएगा।
  - कृषि उपज के परिवहन के लिए रसद सेवाओं को भी ई-एनएएम के साथ एकीकृत किया गया है ।
- **कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2017**
- **एगमार्केटनेट (AGMARKETNET):** यह एक जी2सी ई-गवर्नेंस पोर्टल है जो किसानों, उद्योग, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को एक ही खिड़की से कृषि विपणन से संबंधित जानकारी प्रदान करके पूरा करता है।
- **ग्रामीण कृषि बाजार (जीआरएएम):** मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों (ग्रामीण प्राथमिक बाजार) को ग्राम में विकसित और अपग्रेड करने के प्रयास किए जा रहे हैं । इसे ई-एनएएम से जोड़ा जाएगा और एपीएमसी अधिनियम विनियमन के बाहर रहेगा।
- एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए योजना: इस योजना का लक्ष्य 2019-20 से 2023-24 तक पांच साल की अवधि में 10,000 एफपीओ बनाना है और प्रत्येक एफपीओ को हैंडहोल्डिंग सहायता भी प्रदान करना है।
- सहकारी क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के उद्देश्य से 2021 में पूर्ण विकसित सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई।

कृषि निर्यात

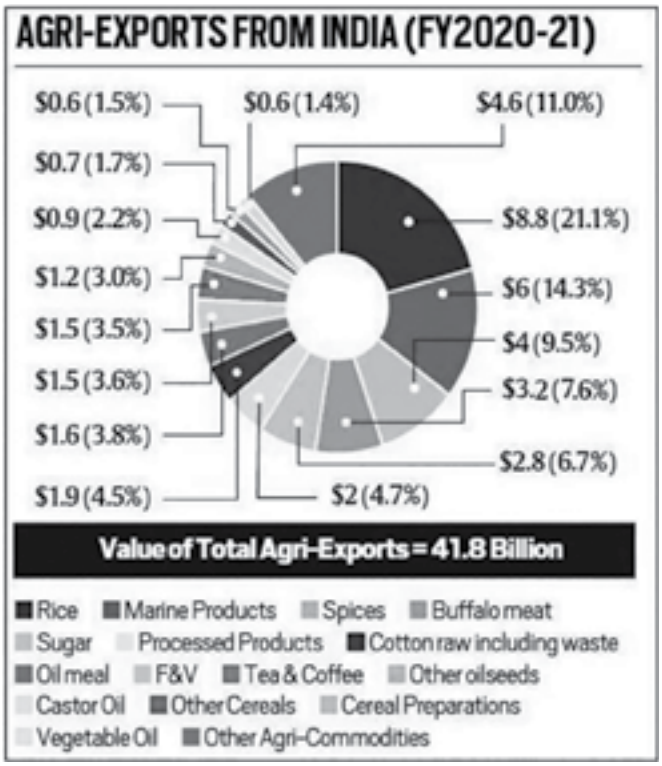
- 2019 में, भारत ने 38.7 बिलियन अमरीकी डालर के कृषि सामानों का निर्यात किया, जो भारतीय कृषि उत्पादन का केवल 7% है । कृषि वस्तुओं का निर्यात कृषि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% योगदान देता है।
- 2007 और 2016 के बीच चीन (8%), ब्राजील (5.4%), और अमेरिका (5.1%) की तुलना में भारतीय कृषि निर्यात में 9% की वृद्धि हुई ।
- **भारत** कृषि निर्यात में दुनिया में **13वें स्थान पर है।**

आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23)

- 1991 में आर्थिक सुधार शुरू होने के बाद से, भारत कृषि-उत्पादों का शुद्ध निर्यातक बना हुआ है , कृषि - रु. 2019-20 में 2.52 लाख करोड़ का निर्यात छू रहा है। प्रमुख निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश थे।
- आर्थिक सर्वेक्षण इस बारे में प्रकाश डालता है कि वित्त वर्ष 2023 (दिसम्बर 2022 तक) के दौरान भारत ने वित्त वर्ष 2022 में निर्यात के रिकॉर्ड स्तर के बाद लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। पेट्रोलियम उत्पाद, जवाहरात और आभूषण, जैविक और कार्बनिक, रसायन, दवाइयां और औषधियां, प्रमुख निर्यात वस्तुओं में शामिल रहे। हालांकि वैश्विक बाजार में मंदी की विशेषता वाली धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय निर्यात में मंदी अपरिहार्य रही।
- वित्त वर्ष 2022 में भारत ने विश्व सेवा व्यापार में अपनी महारत बरकरार रखी। भारत का सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2022 में 254.5 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसमें वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 23.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई और अप्रैल-सितम्बर 2022 में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 32.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। अप्रैल-दिसम्बर 2022 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त मूल्य 568.6 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित रहा, जो अप्रैल-दिसम्बर 2021 की तुलना में 16 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

कृषि निर्यात का महत्व

- **2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का एक प्रमुख चालक: निर्यात आय** में वृद्धि और बाजार पहुंच में वृद्धि।
- **रोजगार सृजन:** कृषि, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आदि में संभावनाएं।
- भारत की निर्यात टोकरी में शामिल हैं: उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे समुद्री, दूध, मांस, फल और सब्जियां, जातीय और जैविक भोजन, चीनी, चाय, चावल, मसाले आदि।
- सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि: भारत के कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात 2017-18 में 9.4% से बढ़कर 2018-19 में 9.9% हो गया है।



- **विदेशी मुद्रा में वृद्धि:** कृषि निर्यात अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश के लिए कीमती विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अलावा, निर्यात किसानों को व्यापक अंतरराष्ट्रीय बाजारों का लाभ उठाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करता है।
- बागवानी संवर्धन: फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। यह सालाना 5,638 करोड़ रुपये के 8.23 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) फलों और 5,679 करोड़ रुपये की 31.92 एलएमटी सब्जियों का निर्यात करता है।
- **क्षेत्र कवरेज और उत्पादकता में वृद्धि:** इस के कारण निर्यात के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।
- "ब्रांड इंडिया" का विकास: अभियान मोड में नए विदेशी बाजारों और नए उत्पादों में प्रवेश करने में मदद करने के लिए जो स्वचालित रूप से उच्च मूल्य प्राप्ति में परिवर्तित हो जाते हैं।
- महामारी में रीढ़: मार्च 2020 से जून 2020 के दौरान कृषि जिंसों का निर्यात 2019 की तुलना में 23.24% की तेज वृद्धि दिखा रहा था।
- **जैविक खेती में वृद्धि:** 2018-19 में जैविक निर्यात में लगभग 50% की वृद्धि हुई, जो रु. 5151 करोड़।

भारतीय कृषि निर्यात द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला के निचले छोर पर फंस गया:** भारत के कृषि निर्यात टोकरी में उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि

उपज का हिस्सा अमेरिका में 25% और चीन में 49% की तुलना में 15% से कम है।

- **खराब निर्यात प्रतिस्पर्धा:** कम उत्पादकता, गुणवत्ता में एकरूपता की कमी, उच्च रसद लागत, पर्याप्त कटाई के बाद और परिवहन बुनियादी ढांचे की कमी, अनुपस्थिति के कारण उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे बागवानी, पशु उत्पादों आदि की निर्यात क्षमता का दोहन करने में असमर्थता बाजार की जानकारी, और वैश्विक बाजार लिंकेज, कड़े वैश्विक स्वच्छता और पादप-स्वच्छता मानकों, टैरिफ / गैर-टैरिफ बाधाओं, आदि।
- **कृषि-निर्यात उत्पादन के अनुरूप नहीं:** कई फलों और सब्जियों, दूध, मसालों, चुनिंदा ताजा मांस, अनाज आदि के उत्पादक के रूप में पहले या शीर्ष ब्रैकेट के भीतर होने के बावजूद, उत्पादन निर्यात बाजारों में अपना रास्ता नहीं खोज पाता है।
- निर्यात में गिरावट: अनाज, जो कि भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जक है, खपत और व्यापार में वैश्विक गिरावट का रुझान दिखा रहा है।
- **असंगत और प्रतिबंधात्मक सरकारी नीतियां:** कृषि उत्पादन, एमएसपी, अनुसंधान एवं विकास, निर्यात मूल्य निर्धारण आदि के क्षेत्रों में बार-बार बदलती नीतियां एक दीर्घकालिक और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की छवि को विकृत करती हैं।
- **अन्य चुनौतियाँ:** वैश्विक व्यापक आर्थिक अस्थिरता, आदिम कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग, भूमि और विपणन (APMC) सुधारों का गैर-कार्यान्वयन, औपचारिक ऋण या बीमा की कमी, कृषि श्रमिकों /उत्पादकों/निर्यातकों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं, सीमा शुल्क निकासी में अड़चनें, आदि।

आगे बढ़ने के विकल्प

- भारत की आवश्यकता है सभी द्विपक्षीय (एफटीए), क्षेत्रीय (जैसे आरसीईपी), और बहुपक्षीय (डब्ल्यूटीओ) व्यापार मंचों पर कृषि अनुदान, बाजार खंडन और उच्च आयात शुल्क के मुद्दों को उठाएं।
- विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (आरटीए) को किसानों के समग्र लाभ के लिए उपयुक्त रूप से डिजाइन और लागू करने की आवश्यकता है ताकि वे स्थायी उत्पादकता लाभ प्राप्त कर सकें क्योंकि वे अपने उत्पादन के लिए बड़े बाजार पर कब्जा कर लेते हैं और बनाते हैं।
- बाजार की जानकारी: निर्यात संवर्धन गतिविधियों को केंद्रित और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए , प्रत्येक आयातक भागीदार राष्ट्र में उपभोक्ता की प्राथमिकताओं, प्रतिस्पर्धा और बाजार की गतिशीलता में भिन्नता का आकलन करने के लिए बेहतर बाजार बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है।
- निवेश और प्रौद्योगिकी के रूप में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कुशल वैश्विक और घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं का विकास।
- उच्च मूल्य वाली कृषि वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करें जहां भारत का तुलनात्मक लाभ है - जैविक खाद्य पदार्थ, झींगा, मांस, बासमती चावल, केले, अनार, सब्जियां, काजू, आदि।
- अक्षम एपीएमसी पास करके निर्यातकों और प्रसंस्करणकर्ताओं को किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) से सीधे खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों/प्रथाओं , प्रमाणन और परीक्षण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। एक स्वतंत्र विश्व स्तरीय खाद्य परीक्षण और निरीक्षण बुनियादी ढांचा स्थापित करना।
- औपचारिक रोजगार सृजन के लिए एक मजबूत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास।
- नवीनतम तकनीक, प्रमाणन, गुणवत्ता नियंत्रण, बाजार पहुंच आदि पर जागरूकता पैदा करना और प्रशिक्षण देना।
- समग्र प्रतिक्रिया के लिए सरकारी योजनाओं का अभिसरण।

कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

- **सुरक्षित खाद्य निर्यात ट्रेसेबिलिटी पोर्टल:** प्राथमिक उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं, प्रतिष्ठानों, प्रयोगशालाओं और निर्यात प्रमाणीकरण के लिए व्यापक लिंक प्रदान करता है।
- **"वन लैब वन असेसमेंट" पोर्टल:** खाद्य उत्पादों के परीक्षण के लिए कई प्राधिकरणों द्वारा कई आकलनों को समाप्त करके प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
- **मॉनिटरिंग एक्सपोर्ट अलर्ट पोर्टल:** आयात नियामकों द्वारा दिए गए खाद्य निर्यात में गैर-अनुपालन अलर्ट पर सुधारात्मक कार्रवाई की प्रणाली की दक्षता में सुधार करने के लिए।
- एपीडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना योजना: बुनियादी ढांचे के विकास, बाजार संवर्धन, गुणवत्ता विकास और परिवहन सहायता के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है।
- जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीओपी): जैविक खेती, जैविक प्रसंस्करण और जैविक निर्यात के विकास को प्रोत्साहित करता है।
- कृषि उड़ान कार्यक्रम: अपने संचालन को बढ़ाने और निवेशकों के साथ जुड़ने के लिए अभिनव व्यापार मॉडल के साथ कृषि स्टार्ट-अप को सलाह देने के लिए
- **सम्पदा:** फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए (मेगा फूड पार्कों के लिए बुनियादी ढांचा, एकीकृत कोल्ड चेन, कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, बैकवर्ड/फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन, मानव पूंजी विकास)।

- नीति आयोग की पहल: फार्म एमएसपी मॉडल, किसानों की आय दोगुनी करने पर सिफारिशें, मॉडल भूमि पट्टा अधिनियम, आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय वार्ता:** व्यापार सुविधा और सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर विश्व व्यापार संगठन वार्ता में भारत की सक्रिय भूमिका ।
- **अन्य पहलें:** मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, मॉडल एपीएमसी एक्ट, लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, ऑपरेशन ग्रीन्स, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (MAI) स्कीम, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस (MDA) स्कीम, और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम (MEIS)।

मसौदा कृषि निर्यात नीति 2018

- नीति का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और 2022 तक कृषि निर्यात की हिस्सेदारी को वर्तमान 30 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 60 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक करना है।
- नीति में हमारी निर्यात टोकरी, गंतव्यों के विविधीकरण की परिकल्पना की गई है और उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ खराब होने वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने का प्रयास करना ।

सामरिक उपाय

- **नीतिगत उपाय:** स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था, सीमित राज्य हस्तक्षेप, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों और जैविक उत्पादों पर कोई निर्यात प्रतिबंध (एमईपी, निर्यात शुल्क, निर्यात प्रतिबंध, आदि) नहीं, खराब होने वाली वस्तुओं को डी-नोटिफाई करके और मंडी शुल्क को सुव्यवस्थित करके एपीएमसी अधिनियम में सुधार।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स बूस्ट:** कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 8% - 9% की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स हैंडलिंग पर खर्च निर्यात की लागत का लगभग 14% से 15% है। कुशल कटाई पूर्व और कटाई के बाद की हैंडलिंग सुविधाओं, भंडारण और वितरण, प्रसंस्करण सुविधाओं, बंदरगाहों पर सड़कों और विश्व स्तरीय निकास बिंदु बुनियादी ढांचे के माध्यम से रसद लागत को कम करना, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी, खराब होने वाली वस्तुओं के लिए 24'7 कस्टम क्लीयरेंस आदि।
- **संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण:** उन्नत किस्मों, मूल्यवर्धन और पैकेजिंग के लिए अनुसंधान एवं विकास के मुद्दों को हल करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करना; एक अच्छे मानक शासन की स्थापना; एसपीएस और टीबीटी बाधाओं के लिए समग्र प्रतिक्रिया; जीतने वाले क्षेत्रों की पहचान, आदि।
- **राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी:** कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल राज्य विभाग/एजेंसी की पहचान के माध्यम से, प्रमुख कृषि क्षेत्रों में राज्य की क्षमता का आकलन, विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में उत्पाद-विशिष्ट समूहों का विकास, उद्योग की अधिक भागीदारी आदि।

परिचालन उपाय

- **निर्यात समूहों पर ध्यान:** यह निर्यात मांगों से मेल खाने वाले मानक मापदंडों के साथ समान किस्म के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का एकत्रीकरण सुनिश्चित करेगा।
- **मूल्य वर्धित निर्यात को बढ़ावा देना:** नीति अधिवक्ता मूल्य वर्धित, स्वदेशी और जनजातीय उत्पादों के प्रचार और जैविक निर्यात क्षेत्रों/जैविक खाद्य पार्क के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **"भारत के उत्पाद" का विपणन और प्रचार:** नीति सुझाव देती है कि उत्पाद-विशिष्ट विपणन अभियान जैसे 'वंडरफुल पॉम' और 'बनाना ऑफ इंडिया' बनाए जाएं। जैविक, जातीय और जीआई उत्पादों के विपणन के लिए एक अलग, समर्पित कोष बनाया जाएगा।
- **मजबूत गुणवत्ता व्यवस्था की स्थापना:** घरेलू और निर्यात बाजार के लिए एकल आपूर्ति श्रृंखला और मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने पर ध्यान देने के साथ, भारतीय परीक्षण प्रक्रियाओं और अनुरूपता मानकों आदि की अंतरराष्ट्रीय मान्यता के उद्देश्य से।
- **अन्य उपाय:** आयात पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता हासिल करना, निर्यात-केंद्रित उत्पादन, कृषि-स्टार्ट-अप फंड का निर्माण, जैविक उत्पादों के निर्यात का समर्थन करने के लिए एनई क्षेत्र में मजबूत इंफ्रा के साथ परीक्षण प्रयोगशालाएं, आदि।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)

एक उत्पादक संगठन (पीओ) प्राथमिक उत्पादकों जैसे किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों, ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों आदि **द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है।**

छोटे और सीमांत किसानों को एफपीओ के लाभ

- **इनपुट खरीद की कम लागत :** सभी इनपुट - बीज, कीटनाशक, और उर्वरक - थोक मूल्यों पर थोक में खरीदे जाएंगे, और जुताई, बुवाई, रोपण और फसल सहित उपकरण

ों को किराए पर लेना भी थोक मूल्य पर किया जाएगा । आधार, इस प्रकार खरीद की प्रति इकाई लागत कम करना ।

- **उचित लागत पर वित्त प्रदान करना :** एफपीओ फसली उपज के बदले सस्ती दर पर संस्थागत ऋण की व्यवस्था कर सकते हैं, जो अन्यथा छोटे किसानों की पहुंच से बाहर है।
- **कटाई के बाद के नुकसान को कम करना :** सामूहिक रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए भंडारण सुविधाओं या मूल्य-संवर्द्धन सुविधाओं में निवेश करना उचित है। इसलिए, किसान घाटे को कम कर सकते हैं और आपात बिक्री से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, जम्मू, ओरिएंटल एफपीओ ने कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है और 'सेफ एन फ्रेश' ब्रांड नाम बनाया है।
- **सुनिश्चित वापसी सुनिश्चित करना :** किसानों को फसल बोने से पहले एक समूह के रूप में अनुबंध खेती में प्रवेश करने में मदद करके और उन्हें मूल्य और मांग-आपूर्ति के बारे में सूचित करके, निवेश पर निश्चित रिटर्न की गारंटी दी जा सकती है ।
- **लाभ मार्जिन में वृद्धि :** बाजार में थोक कृषि उपज की सीधी बिक्री से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और विपणन की लागत कम हो जाएगी। इसलिए, बिचौलियों द्वारा हथियाए गए मार्जिन को बचाया जा सकता है और शेयरधारकों के बीच वितरित किया जा सकता है।
- **प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच :** एफपीओ अनुसंधान और विकास में भी निवेश कर सकते हैं, किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं और सूचना विषमताओं पर काबू पाने में मदद कर सकते हैं जो अन्यथा छोटे और सीमांत किसानों के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव हैं।

मजबूत एफपीओ के निर्माण में चुनौतियां और मुद्दे

- **ऋण संबंधी मुद्दे :** संस्थागत ऋण की उच्च लागत के कारण, यह क्षेत्र काफी हद तक वित्त पोषण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। पर्याप्त संपार्श्विक और उच्च कार्यशील पूंजी की कमी विस्तार योजनाओं में बाधा डालती है।
- **आधुनिक तकनीक तक पहुंच का अभाव :** अपनी असंगठित प्रकृति के कारण, सूक्ष्म और लघु खाद्य उद्यमों के पास नई तकनीक और नवाचार तक पहुंच नहीं है।
- **अग्रेषण लिंकेज की कमी :** यह कम पहुंच और नए बाजारों की अनुपलब्धता की ओर ले जाता है।
- **स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का अनुपालन :** इस तरह के अनुपालन की आवश्यकता के परिणामस्वरूप छोटे उद्यमों की लागत बढ़ जाती है। दूसरी ओर, निम्न-गुणवत्ता वाले उत्पाद निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करते हैं।
- **अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर :** अपर्याप्त कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण फार्म गेट से बहुत सारी उपज खो जाती है, जो मुख्य रूप से पारंपरिक तरीकों पर निर्भर करती है।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस :** नई इकाइयों की स्थापना के लिए सरकारी प्रक्रियाओं और नियमों से अक्सर मंजूरी मिलने में देरी होती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित योजनाएँ

- **पीएम किसान सम्पदा योजना :** यह एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा। यह न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा बल्कि किसानों को बेहतर रिटर्न देने में भी मदद करेगा और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- **ऑपरेशन ग्रीन्स** का उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू (टॉप) फसलों की आपूर्ति को स्थिर करना और कीमतों में उतार-चढ़ाव के बिना पूरे देश में साल भर टॉप फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- **मेगा फूड पार्क योजना :** इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य **हब और स्पोक्स मॉडल के** आधार पर **क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के साथ खेत से बाजार तक मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।**
- **योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकता के लिए :** अखिल भारतीय आधार पर असंगठित क्षेत्र के लिए ।
- **ग्राम समृद्धि योजना :** इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना है।
- **मसौदा राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति -2019 :** इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को विकसित करने और इसके विकास में बाधा डालने वाले महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए उत्पादकता में सुधार करना है।
- **ट्राइफूड परियोजना :** जनजातीय कार्य मंत्रालय, एफपीआई मंत्रालय ने ट्राइफेड के साथ मिलकर जनजातीय वन संग्राहकों द्वारा एकत्रित लघु वन उपज (एमएफपी) के बेहतर उपयोग और मूल्यवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए परियोजना शुरू की है।

आगे बढ़ने के विकल्प

- **विनिर्माण और विपणन सुविधाएं (फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज) :** अनुबंध और कॉर्पोरेट खेती के लिए अनुकूल

नियामक ढांचे को विकसित करके बैकवर्ड लिंकेज के विकास को बढ़ावा देना

- **विशेष क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन :** देश में उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी यूपी), द्वीपों (अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप) क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे एफपीआई के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल हैं। इस दिशा में, जोरम मेगा फूड पार्क, मिजोरम का पहला ऐसा पार्क डवथ्च्च द्वारा स्थापित किया गया था ।
- **प्रशासनिक सुधार :** कई विभागों और कानूनों को एक ही खिड़की के अंतर्गत लाकर अनुमोदन प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
- **निजी निवेश बढ़ाएँ :** बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एपीएमसी अधि नियम का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
- **मानव संसाधन विकास :** प्रबंधकीय, सुरक्षा और प्रवर्तन, प्रौद्योगिकी और उत्पादन, भंडारण और वितरण पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशिष्ट संस्थानों और पाठ्यक्रमों के विकास के लिए संयुक्त प्रयास करने के लिए उद्योग, शिक्षा और सरकार को प्रोत्साहित करना।
- **विश्वविद्यालय विकास :** राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को खाद्य पैकेजिंग, प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी और ऐसे संबद्ध क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करें।

कृषि ऋण और वित्त

- **कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है और ऋण कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।** संस्थागत स्रोतों से पर्याप्त, समय पर और कम लागत वाले ऋण की उपलब्धता और पहुंच विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- **सभी किसानों को समय पर और पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने के लिए** सरकारी नीतियों का जोर प्रगतिशील संस्थागतकरण पर रहा है ताकि वे कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने में सक्षम हो सकें।
- वाणिज्यिक बैंकों (CBs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और सहकारी समितियों से युक्त **बहु-एजेंसी नेटवर्क के माध्यम से कृषि ऋण का वितरण किया जाता है।**

नीतिगत उपाय

- **किसानों को ब्याज अनुदान :** भारत सरकार ने 2006-07 में एक ब्याज सबवेंशन योजना की घोषणा की, ताकि बैंक किसानों को 7% ब्याज पर 3 लाख रुपये तक का कृषि (फसल ऋण) के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान कर सकें।
- **कटाई के बाद के ऋणों के लिए ब्याज अनुदान योजना का विस्तार :** किसानों द्वारा संकट बिक्री को हतोत्साहित करने और गोदाम रसीदों के खिलाफ गोदामों में अपनी उपज को स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए।
- **संपार्श्विक मुक्त ऋण :** संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है।
- **सरकार ने** बैंकों द्वारा समान रूप से अपनाने के लिए किसानों को केसीसी जारी करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की, ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे कृषि आदानों को आसानी से खरीदने के लिए उनका उपयोग कर सकें।
- **कृषि बाजार अवसंरचना कोष (एएमआईएफ) - नाबार्ड :** ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास और उन्नयन के लिए। 2018 के बजट में 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएम) और 585 एपीएमसी में कृषि विपणन बुनियादी ढांचे के विकास और उन्नयन के लिए इसकी घोषणा की गई थी ।

किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता की स्थिति

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2013 के आंकड़ों की तुलना **में 2018 में प्रति परिवार कृषि ऋण 57.7% बढ़ गया है।**
- **देश में 50% से अधिक कृषि परिवार** 2013 में 47,000 रुपये की तुलना में 2018 में प्रति परिवार औसत बकाया ऋण 74,121 रुपये **के कर्ज में डूबे हुए थे।**
- **सर्वेक्षण आगे बताता है कि केवल 69.6% बकाया ऋण संस्थागत स्रोतों** जैसे बैंकों, सहकारी समितियों और सरकारी एजेंसियों से लिए गए थे, जबकि 20.5% ऋण पेशेवर साहूकारों से थे।
- **सर्वेक्षण में कहा गया है कि कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी**- 2012-13 में 6,426 रुपये की तुलना में 59% की वृद्धि।

उच्च ऋणग्रस्तता के कारण

- **घरेलू उद्देश्यों के लिए ऋण का उपयोग करना :** अन्य घरेलू खर्चों में गैर-संस्थागत ऋण काफी मात्रा में होता है। **एनएसओ**

के सर्वे के मुताबिक कुल कर्ज का 57.5 फीसदी हिस्सा ही कृषि के लिए लिया गया।

- **कम लागत के वित्तपोषण की अपर्याप्त पहुंच ग्रामीण दुख की जड़ में है।** बाजार योग्य संपार्श्विक की कमी, उपभोग उद्देश्यों के लिए ऋण की मांग और सूचनात्मक प्रतिबंधों के कारण ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा संस्थागत वित्त से बाहर रखा गया है ।
- **संपार्श्विक के रूप में संपत्ति प्रदान करने के लिए ग्रामीण गरीब परिवारों की क्षमता** संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच का एक प्रमुख निर्धारक है।
- **ऋण माफी की नीतियां ऋण अनुशासन** को बिगाड़ती हैं क्योंकि कृषि ऋण माफी सिर्फ एक अस्थायी उपाय है और भविष्य में एक नैतिक खतरा बन सकता है।
- **सामाजिक पहचान का कारक :** सामाजिक पहचानों की परस्पर क्रिया से क्रेडिट प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के पास उच्च जाति के परिवारों के स्वामित्व वाली संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा है।

स्थिति में सुधार के उपाय

- **संपार्श्विक के रूप में सोने के साथ कृषि ऋण :** संपार्श्विक के रूप में सोने का उपयोग करने वाले कृषि ऋणों को वर्तमान में बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफार्मों में व्यक्तिगत रूप से पहचाना नहीं जाता है।
- **कृषि ऋण माफी को प्रतिबंधित करना:** भारत सरकार और राज्य सरकारों को कृषि नीतियों और उनके कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए, साथ ही कृषि इनपुट और ऋण के लिए वर्तमान अनुदान नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करना चाहिए , ताकि लंबे समय में कृषि की समग्र व्यवहार्यता में सुधार हो सके।
- **कृषि के लिए क्रेडिट गारंटी योजना :** भारत में, बैंकों के पास उधारकर्ताओं के डिफॉल्ट होने के जोखिम को ऑफसेट करने के लिए गारंटी योजना तक पहुंच नहीं है।
  - **सरकार ने** बैंकों द्वारा समान रूप से अपनाने के लिए किसानों को केसीसी जारी करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की, ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे कृषि आदानों को आसानी से खरीदने के लिए उनका उपयोग कर सकें।
  - **पीएम किसान योजना है नियमित** 3 किश्तों में दिए गए 6000 रुपये प्रति वर्ष के साथ किसानों को ऋण सहायता प्रदान करना।
- **संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण बढ़ाना :** सरकार को संबद्ध गतिविधियों के लिए विशिष्ट कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण उद्देश्य निर्धारित करने चाहिए। **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पीएम सम्पदा योजना एक स्वागत योग्य कदम है और यह संबद्ध क्षेत्रों को भी ऋण प्रदान करता है।**
- **भूमि चकबंदी :** राज्य सरकारों को भूमि चकबंदी जागरूकता अभियानों का समर्थन और क्रियान्वयन करना चाहिए ताकि किसानों को बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से लाभ मिल सके और लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। कृषि -ऋण की एक ढीली परिभाषा के कारण बड़ी कृषि -फर्मों को रियायती दरों पर ऋण का रिसाव हुआ है । उदाहरण के लिए, 2017 में, नाबार्ड द्वारा महाराष्ट्र को प्रदान किए गए कृषि ऋण का **53 प्रतिशत मुंबई मेट्रो शहर और उपनगरों** को आवंटित किया गया था , जहां कोई कृषक नहीं है, केवल कृषि व्यवसाय है।

बजट 2022-23 का अवलोकन

- दूध और मछली पकड़ने सहित संबद्ध क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- हालांकि, छोटे किसानों को गेहूं और धान से स्थानांतरित करने या संबद्ध क्षेत्रों के माध्यम से अपनी आय में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए, उचित ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच होनी चाहिए।

कृषि वित्त और संबद्ध मुद्दे

- हाल ही में, आरबीआई द्वारा कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की गई। छोटे किसानों को अपनी फसलों में विविधता लाने या अपनी आय में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें उचित ब्याज दरों पर ऋण तक पहुंच की आवश्यकता है।
- पिछले 10 वर्षों में, कृषि ऋण में 500% की वृद्धि हुई है, लेकिन 12.56 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के **20% तक भी नहीं पहुंचा है।**
- 2019 में आरबीआई के एक अध्ययन में कहा गया है कि 28% कृषि ऋण अभी भी साहूकारों, व्यापारियों और रिश्तेदारों द्वारा प्रदान किया जाता है। जब छोटे किसानों की बात आती है, तो लगभग 60% की बैंक ऋण तक पहुंच नहीं होती है।
- आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में एनपीए 2016 में 48,800 करोड़ रुपये से 23% बढ़कर 2017 में 60,200 करोड़ रुपये हो गया।

भारत में कृषि ऋण के तंत्र

- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL): कुल शुद्ध बैंक ऋण का 18% कृषि अग्रिमों में जाना चाहिए।** किसानों और एफपीओ को अधिक क्रेडिट देने के लिए पीएसएल नॉर्म्स को 2021 में संशोधित किया गया था ।
- **ब्याज अनुदान योजना (आईएसएस)**
- **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना**
- **स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी)**
- **संयुक्त देयता समूह (श्रस्ळ) योजना नाबार्ड द्वारा 2006 में शुरू की गई थी ताकि बटाईदारों/किरायेदार किसानों, जिनके पास भूमि अधिकार नहीं है, के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाया जा सके।**

ऋण की उपलब्धता कम होने के कारण

- **बड़े किसान ऋण अर्जित करते हैं:** ऋण तक पहुंच के मामले में कुछ किसानों का प्रतिनिधित्व अधिक होता है। इससे छोटे किसानों को पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता है।
- **लागत बहुत अधिक होती है:** बैंक उन क्षेत्रों को उधार देना पसंद करते हैं जहां उधार देने का मूल्य कम होता है, जैसे कि शहरी क्षेत्रों के कगार पर, या उन किसानों को जो अधिक क्रेडिट-योग्य हैं।
- **सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर दबाव:** अधिकांश कृषि ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया जाता है, निजी क्षेत्र के 23 में से 12 बैंकों के पास आंकड़े उपलब्ध हैं, जो 2017 में कृषि क्षेत्र के लिए 18% ऋण देने के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं।
- **कृषि और ऋण जोखिम :** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के साथ समस्या उप-क्षेत्रीय लक्ष्य समूहों, विशेष रूप से कृषि और इसलिए छोटे और मध्यम क्षेत्र, साथ ही कमजोर वर्गों की समझ की कमी है।
- **खराब रिकवरी :** कृषि पीएसएल क्षेत्र में रिकवरी दर खराब है।
- **संस्थागत ऋण में विषम एजेंसी शेयर :** कृषि और संबद्ध ऋण में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भरता अभी भी बड़ी है (ऋण का ~78-80%)।
- **सहकारी समितियों और आरआरबी की सीमित क्षमता:** हालांकि सहकारी संस्थाएं (~15%) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (~5%) कृषि ऋण के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भौगोलिक रूप से उनका हिस्सा अत्यधिक विषम है।
- **कृषि ऋण में क्षेत्रीय असमानता:** मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राज्यों को उनके कृषि -GDP के % के रूप में बहुत कम कृषि -ऋण मिल रहा है ।
- **संबद्ध क्षेत्रों (~6-7%) में कृषि ऋण की खराब तैनाती** बैंकों द्वारा संबद्ध क्षेत्रों की उपेक्षा का संकेत देती है।
- **गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि ऋणों का विपथन:** विपथन ऋण की समस्या को बढ़ाता है, उच्च स्तर की ऋणग्रस्तता को बढ़ावा देता है और लंबे समय में ऋण संस्कृति को खराब करता है।
- **संस्थागत बनाम गैर-संस्थागत कृषि ऋण :** राष्ट्रीय अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS 2015) के अनुसार, गैर-संस्थागत ऋण का हिस्सा अभी भी लगभग 28% पर बना हुआ है।
- और संबद्ध क्षेत्रों में निजी निवेश में व्यापक उतार-चढ़ाव के कारण जीवीए के सापेक्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों **में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में उतार-चढ़ाव।**

आगे बढ़ने के विकल्प

- **उनकी भूमि पर प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करें :** छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए।
- **कृषि -ऋण प्रणाली को विनियमित करें :** छोटे किसानों के किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को उच्च फसल ऋण की सुविधा के लिए।
- **प्रौद्योगिकी समाधानों का उपयोग :** कृषि परिवारों के अधिक वित्तीय समावेशन के लिए संस्थागत ऋण वितरण विकसित करना।
- **फ्रेमवर्क में सुधार,** जो सभी लीज समझौतों को औपचारिक बनाने और औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने का इरादा रखता है।
- बीच अंतर को भरने और किसानों तक पहुंचने के लिए एक **राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी स्थापित करें।**
- सुधारों के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान राज्यों के साथ परामर्श को सक्षम करने के लिए GST परिषद की तर्ज पर **कृषि में एक संघीय संस्था की स्थापना करें।**
- **किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का उपयोग :** नाबार्ड को सफल महिला एसएचजी की पहचान करके महिला-उन्मुख एफपीओ को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को छोटे किसानों के कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC) के माध्यम से अपने ऋण गारंटी कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करना चाहिए।
- **भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए डेटाबेस:** खेती की गई फसलों, फसल पैटर्न, उत्पादन, मिट्टी के स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा

आदि से संबंधित विवरणों को कैप्चर करने वाला एक केंद्रीकृत डेटाबेस विकसित करें। इसके अलावा, किसान-वार विवरण जैसे पहचान, भूमि रिकॉर्ड, प्राप्त ऋण, दी गई अनुदान, बीमा और फसल की खेती आदि का विवरण भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

- **किसानों को रियायती संस्थागत ऋण तक अधिक पहुंच।**
- **निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना :** एक उपयुक्त नीतिगत ढांचे की पेशकश के द्वारा निजी कॉर्पोरेट निवेशों को आकर्षित करना।
- महेश कुमार जैन 2019 की सिफारिशों को अपनाते हुए कृषि ऋण की समीक्षा करें। समिति ने केंद्र सरकार को कृषि के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित करने का सुझाव दिया है। फार्म और फार्म-प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों में औपचारिक ऋण लगाने के लिए कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की गई।

फसल बीमा

- खरीफ सीजन 2018 तक दो वर्षों में प्रमुख फसल बीमा योजना के तहत क्षेत्र 17% गिर गया। ऐसे समय में जब ग्रामीण आय में गिरावट आ रही है, यह उन **किसानों के लिए एकमात्र मौजूदा सुरक्षा जाल है,** जो इस योजना में रुचि खो चुके हैं।

फसल बीमा की आवश्यकता

- हमारे देश में **प्रकृति हमेशा जोखिम भरी रही है।** फसल बीमा किसानों को फसल खराब होने से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है और इस तरह कृषि आय में स्थिरता सुनिश्चित करता है।
- यह सूखे और बाढ़, टिड्डियों, पौधों की बीमारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली तबाही को पूरा करने के लिए बढ़ाए **गए राहत उपायों पर किए गए सरकारी खर्च को कुछ हद तक कम कर देता है।**
- यह **सहकारी समितियों और अन्य संस्थानों की स्थिति को भी मजबूत करता है** जो फसल की विफलता के वर्षों में किसान सदस्यों को अपने ऋण चुकाने में सक्षम बनाता है।
- **किसानों के आर्थिक हितों को संभावित जोखिम या नुकसान** से बचाकर, यह नई कृषि पद्धतियों को अपनाने में तेजी लाता है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों के हिस्से को बंद करके, **मुद्रास्फीति विरोधी उपाय के रूप में कार्य कर सकता है।**

किसान पक्ष की समस्याएं

- **बीमाकर्ता ज्यादातर निजी कंपनियां हैं** जिनके पास क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इससे किसानों के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो जाता है, और ज्यादातर यह उन बैंकों के माध्यम से होता है जिनसे उन्होंने अपना कर्ज लिया था।
- अधिकांश बीमित **किसानों को यह जानकारी नहीं होती कि वे अपने नुकसान की रिपोर्ट किससे करें।** उनके पास पॉलिसी के बारे में कोई विवरण नहीं है, किस फसल का बीमा किया गया था, या कवरेज की मात्रा (बीमित राशि)।
- **निजी बीमा कंपनियों के हेल्पलाइन ज्यादातर समय काम नहीं करते हैं,** और एक बार जब वे काम करते भी हैं; ग्राहक अधिकारी शायद ही कभी किसानों की स्थानीय भाषा का पालन करते हैं।
- ऐसे मामलों की भी रिपोर्टें आई हैं जहां एक **निजी बैंक** ने तेलंगाना के एक किसान को **गिरवी बीमा बेचा, जिसे यह विश्वास दिलाया गया था** कि यह फसल बीमा था।
- अधिकांश बीमाकर्ता उम्मीद करते हैं कि फसल क्षति के 48 घंटों के भीतर किसानों को सूचित किया जाएगा। लेकिन वास्तव में, आपदा के 48 घंटे किसानों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और बीमाकर्ता तक इस तरह की पहुंच संभव नहीं है।

फसल बीमा के लिए समाधान

- **यह विधि हस्तचालित है,** विवाद की संभावना अधिक है और किसान अक्सर उपज का अनुमान लगाने के लिए भूखंडों के चयन को लेकर नाखुश रहते हैं। उपज-आधारित बीमा से दूर मौसम-आधारित उत्पाद की ओर बढ़ने से उत्तर मिल सकता है।
- नुकसान का अनुमान लगाने के लिए उपग्रह इमेजरी और ड्रोन जैसी **प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग पर ध्यान दें, जिसे लागू करने में पीएमएफबीवाई धीमी रही है।**
- **कई मापदंडों पर डेटा** अक्सर पैदावार का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **फसल काटने का प्रयोग (सीसीई)** जो पैदावार का आकलन करने के लिए नियोजित किया जाता है, केवल एक पुष्टिकरण उपाय के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि फसल नुकसान के अनुमानों के भारी बोझ को कम किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए अक्सर नई तकनीकों को अपनाया जाता है।

पीएमएफबीवाई 2.0

- पीएमएफबीवाई का लक्ष्य कृषि उत्पादन को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद करना है।
- नई फसल बीमा योजना वन नेशन-वन स्कीम थीम के अनुरूप है।
- च्डथ्ठल मौजूदा दो योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के साथ-साथ संशोधित छाै की जगह लेगी।

- **पीएमएफबीवाई के उद्देश्य:**
  - प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  - खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
  - किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  - कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना।

पीएमएफबीवाई से पीएमएफबीवाई 2.0

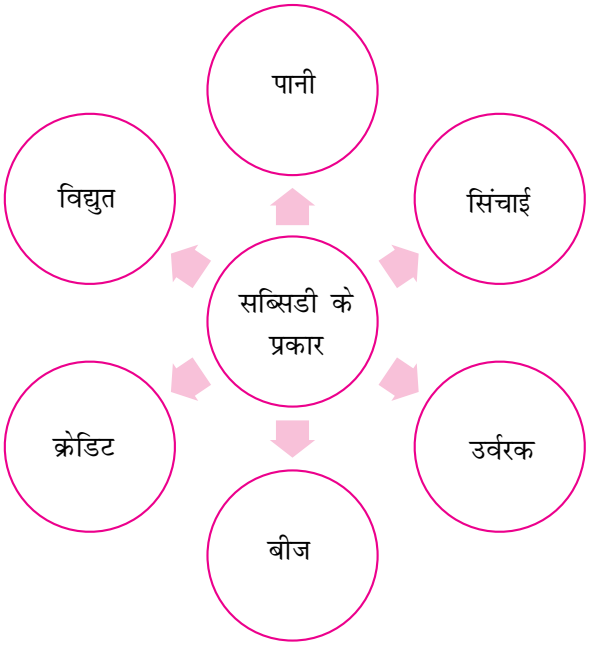
- **पूर्णतया स्वैच्छिक :** खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिए नामांकन शत प्रतिशत स्वैच्छिक करने का निर्णय लिया गया है ।
- **केंद्रीय अनुदान की सीमा:** कैबिनेट ने इन योजनाओं के तहत असिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए 30% तक और सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए 25% तक प्रीमियम दरों के लिए केंद्र की प्रीमियम अनुदान को कैप करने का फैसला किया है।
- **राज्यों को अधिक लचीलापन:** सरकार ने पीएमएफबीवाई को लागू करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लचीलापन दिया है और उन्हें किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम कवर/विशेषताओं जैसे बुवाई, स्थानीय आपदा, मध्य-मौसम की प्रतिकूलता और फसल के बाद के नुकसान का चयन करने का विकल्प दिया है।
- **विचाराधीनता (पेंडेंसी) पर जुर्माना :** संशोधित पीएमएफबीवाई में, एक प्रावधान शामिल किया गया है, जिसमें यदि राज्य खरीफ सीजन के लिए 31 मार्च से पहले और रबी के लिए 30 सितंबर से पहले अपना हिस्सा जारी नहीं करते हैं , तो उन्हें बाद के सीजन में योजना में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- **आईसीई गतिविधियों में निवेश :** बीमा कंपनियों को अब एकत्रित कुल प्रीमियम का 0.5% सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों पर खर्च करना होगा।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान से संबंधित मुद्दे

- अनुदान **सरकार** द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाने वाला **लाभ है।** इसलिए कृषि अनुदान किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को दी जाने वाली सरकारी अनुदान है।
- **लाभ वितरणात्मक उद्देश्यों** के लिए अनुदान की वकालत की गई है , विशेष रूप से समाज के सभी वर्गों के लिए भोजन और पोषण का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए।
- अनुदान **सकारात्मक बाहरीताओं** (निजी लाभों के ऊपर सामाजिक लाभ) की उपस्थिति में उचित है, क्योंकि इन मामलों में सामाजिक लाभों पर विचार करने के लिए केवल निजी लाभों के आधार पर प्राप्त होने वाले उपभोग की तुलना में उच्च स्तर की आवश्यकता होगी।

आंकड़े और तथ्य

- 2021-22 में, अनुदान पर कुल खर्च 3,69,899 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2019-20 की तुलना में 19% की वार्षिक वृद्धि है। यह काफी हद तक खाद्य अनुदान के लिए अधिक आवंटन के कारण है।
- **देश में कुल अनुदान के 10% से ऊपर** कृषि अनुदान और खाद्य अनुदान का गठन। खर्च किया गया पैसा, **1,75,000 करोड़ रुपये से अधिक।**
- **रुपये की राज्य सरकारों** से समान समर्थन। बिजली अनुदान के लिए **90,000 करोड़ रुपये,** सिंचाई अनुदान के लिए 17,500 करोड़ रुपये, फसल बीमा अनुदान के लिए 6500 करोड़ रुपये कुल 1,14,000 करोड़ रुपये।



- **2018-19 के केंद्रीय बजट में** उस एमएसपी को उत्पादन लागत के **1.5 गुना के स्तर पर रखने** की घोषणा के अनुसार, सरकार ने हाल ही में 2020-21 सीजन के लिए सभी अनिवार्य खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है।

कृषि अनुदान के उद्देश्य

- कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना।
- बंदरगाह या कारखाने से खेतों तक परिवहन की उच्च लागत के लिए मुआवजा जो इनपुट की लागत बढ़ाता है।
- मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और मिट्टी के क्षरण का मुकाबला (उर्वरक के मामले में)।
- गरीबी, ऋण तक पहुंच की कमी, और फसल के नुकसान के लिए बीमा करने में असमर्थता के कारण जो किसान उन्हें खरीद नहीं सकते हैं, उनके लिए इनपुट को वहनीय बनाना।



कृषि अनुदान की आवश्यकता

- **सतत विकास लक्ष्य-2:** भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।
- **कृषि आधारित अर्थव्यवस्था:** लगभग 70 प्रतिशत भारतीय ग्रामीण परिवार अभी भी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। (एफएओ के अनुसार)।
- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48, आधुनिक तर्ज पर कृषि को व्यवस्थित करने का राज्य का उत्तरदायित्व।
- **खाद्य और पोषण सुरक्षा:** ये किसानों को खाद्य सुरक्षा की दिशा में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का माध्यम हैं। अनुदान के अभाव में, किसान खाद्य फसलें नहीं उगा सकते हैं और इसके बजाय नकदी फसलों की ओर रुख कर सकते हैं।
- **कृषि का आधुनिकीकरण:** प्रौद्योगिकी के उपयोग और कृषि के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में दी जाने वाली अनुदान। इसी वजह से ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप सेट, पॉली हाउस, जैविक खेती आदि के लिए अनुदान दी जाती है।
- **ग्रामीण-शहरी प्रवास पर अंकुश : 50% से अधिक रोजगार कृषि से आता है, और इसलिए** संकटग्रस्त प्रवास को कम करने की तत्काल आवश्यकता है।
- **असमानता :** आय वितरण और असमानताओं को कम करने के लिए अनुदान एक उपकरण है (ऑक्सफैम रिपोर्ट 2020- शीर्ष 10% के पास 72% धन है)।
- **सामाजिक समानता :** उन किसानों को आय हस्तांतरित करना जो गरीब हैं, दूरस्थ वंचित क्षेत्रों में रहते हैं, या दोनों।
- **लाभप्रद प्रकृति:** किसानों को कम आय प्राप्ति (किसानों की आय गैर-किसानों की आय के एक तिहाई से कम है)
- **पूरक आय समर्थन:** कृषि अनुदान किसानों के लिए एक पूरक आय के रूप में कार्य करती है, जिसे कृषि में वापस निवेश किया जा सकता है।
- **दोगुना करें:** कृषि अनुदान 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीज, कीटनाशक, पानी, बिजली जैसे इनपुट के लिए अनुदान किसानों को सस्ता बनाती है।
- **प्रेरणा और प्रोत्साहन :** कृषि अनुदान एक तरह से किसानों को व्यवसाय के रूप में खेती जारी रखने के लिए प्रेरित करती है।
- **महामारी में मदद का हाथ:** अनुदान इस कोविड-19 महामारी में किसानों को वित्तीय सहायता देगी।

प्रत्यक्ष कृषि अनुदान

- प्रत्यक्ष कृषि अनुदान वे अनुदान हैं जो सीधे **किसानों को प्रदान की जाती हैं और आम तौर पर सीधे नकद अनुदान** के रूप में भुगतान की जाती हैं। अर्थात प्रत्यक्ष अनुदान में **लाभार्थी उसी कीमत पर उत्पाद खरीदता है और लाभार्थी को खरीद के लिए अलग से मुआवजा दिया जाता है।**
- प्रत्यक्ष कृषि अनुदान के **उदाहरण : पीएम किसान योजना, एलपीजी में पहल, कृषि ऋण माफी।**

प्रत्यक्ष कृषि अनुदान की चुनौतियाँ

- **वित्तीय समावेशन का अभाव :** ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का अभाव, एटीएम और बैंकिंग सेवा की खराब पहुंच।
- **नैतिक जोखिम :** किसान गैर-कृषि अनुत्पादक जरूरतों के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं।
- **लाभार्थियों की पहचान :** भारत जैसे अधिक आबादी वाले देशों में लाभार्थियों की पहचान करना बहुत मुश्किल है।
- **मुद्रास्फीति :** जनता के हाथों में अधिक पैसा मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है।
- **भोजन सुरक्षा :** प्रत्यक्ष कृषि अनुदान का देश की खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **बाजार पहुंच :** कृषि में बाजार सुधार और नवाचार जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया।

प्रत्यक्ष कृषि अनुदान के लाभ

- **क्रय शक्ति को बढ़ावा देना :** प्रत्यक्ष अनुदान किसानों की क्रय क्षमता बढ़ाने और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने

में मदद करती है। जिससे किसानों की आय दोगुनी करने का सपना पूरा होगा।

- **खर्च करने का विकल्प :** प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण सरकार नागरिकों को सशक्त बनाती है और लाभार्थियों को जरूरत के अनुसार खरीदारी करने का विकल्प देती है।
- सार्वजनिक धन के दुरुपयोग **को रोकने में भी मदद करता है क्योंकि पैसा** सीधे लाभार्थियों तक पहुंचता है।
- प्रत्यक्ष अनुदान भी संसाधनों के अक्षम उपयोग पर अंकुश लगाती है। **उदाहरण:** चूंकि किसान पूरी दर पर उर्वरक खरीदेंगे और जो आवश्यक होगा वह खरीद लेंगे ।
- **किसानों को प्राप्त नकदी का उपयोग** कृषि में पूंजी के रूप में किया जा सकता है ।
- **सरकारी बोझ** मुक्त परिवहन और भंडारण लागत कम कर देता है।
- **पारदर्शिता:** इससे भ्रष्टाचार और भूत लाभार्थी के मुद्दे पर भी अंकुश लगेगा और पारदर्शिता आएगी।

अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान

- अप्रत्यक्ष अनुदान वे अनुदान हैं जिनमें उत्पाद की लागत बाजार मूल्य से कम कीमत पर निर्धारित की जाती है। **टैक्स ब्रेक, बीमा, कम ब्याज वाले ऋण, मूल्यह्रास खारिज करना (राइट-ऑफ), किराए में छूट के संदर्भ में** अप्रत्यक्ष अनुदान **प्रदान** की जाती है।
- भारत अप्रत्यक्ष अनुदान पर **सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% खर्च करता है।**
- **उदाहरण:** सिंचाई अनुदान, बिजली अनुदान, उर्वरक अनुदान, क्रेडिट अनुदान, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य), आदि।

अप्रत्यक्ष अनुदान के लाभ

- ये कृषि क्षेत्र में **तकनीकी और ढांचागत प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण:** अवसंरचनात्मक अनुदान।
- बीज और उर्वरक पर अनुदान **किसानों को सुनिश्चित करती है गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्राप्त करें** जो उनकी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
- **व्यवहार** को बदलने में मदद करता है और फसल विविध ीकरण जैसी टिकाऊ प्रथाओं के प्रति किसानों को बढ़ावा देता है।
- कृषि क्षेत्र में किसानों का प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी का उपयोग भी अप्रत्यक्ष अनुदान के अंतर्गत आता है जो **किसानों को बनाते हैं ज्ञान से लैस।**
- **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करता है।
- **कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में पलायन को रोकने** में मदद करें और लोगों को कृषि को व्यवसाय बनाने के लिए भी प्रेरित करें।

अप्रत्यक्ष कृषि अनुदान की चुनौतियाँ

- **प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग:** बिजली, सिंचाई और उर्वरक अनुदान में अनुदान प्रदान करने से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हुआ है जिसके परिणामस्वरूप मरुस्थलीकरण हुआ है। उदाहरण: पंजाब के भूजल संसाधनों ने ध्यान दिया कि भूजल निष्कर्षण 2013 में 149% से बढ़कर 2018 में 165% हो गया है।
- **भ्रष्टाचार का मुद्दा:** बिचौलियों के कारण अप्रत्यक्ष अनुदान भ्रष्टाचार और रिसाव से प्रभावित है। उदाहरण: पीडीएस जहां भूत लाभार्थियों की उपस्थिति, रिसाव देखा जाता है।
- **अनाज केंद्रित फसल:** एमएसपी जैसे अनुदान ने विकृत फसल पैटर्न के साथ अनाज केंद्रित कृषि को बढ़ावा दिया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दबाव:** विश्व व्यापार संगठन की अनुदान के अनुसार अनुदान कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव जो बाजार को विकृत करता है, एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आता है।
- **राजनीतिक लाभ:** वोट बैंक की राजनीति, सत्ता में रहने वाली सरकार मांस राजनीतिक लाभ के लिए अनुदान दे सकती है।

भारतीय अनुदान व्यवस्था

1. इनपुट अनुदान:

- अनुदान उन कीमतों पर इनपुट के वितरण के माध्यम से दी जा सकती है जो इन इनपुट के लिए मानक बाजार मूल्य से कम हैं।

उर्वरक अनुदान	• इसमें किसानों के बीच सस्ते रासायनिक या गैर-रासायनिक उर्वरकों का वितरण शामिल है। यह उर्वरक (घरेलू या विदेशी) के निर्माता को भुगतान की गई कीमत और किसानों से प्राप्त कीमत के बीच का अंतर है। • यह अनुदान सुनिश्चित करती है: किसानों को सस्ता इनपुट, निर्माता को उचित कीमत, उर्वरक कीमतों में स्थिरता और किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता।

सिंचाई अनुदान	• किसानों को अनुदान जो उचित सिंचाई सुविधा प्रदान करने के कारण सरकार वहन करती है। • सिंचाई अनुदान राज्य में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव की लागत और किसानों से वसूले गए सिंचाई शुल्क के बीच का अंतर है। यह सस्ते निजी सिंचाई उपकरण जैसे पंप सेट के माध्यम से भी हो सकता है।
बिजली अनुदान	• बिजली अनुदान का अर्थ है कि सरकार किसानों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए कम दर वसूलती है। • बिजली का उपयोग मुख्य रूप से किसानों द्वारा सिंचाई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह किसानों को बिजली पैदा करने और वितरित करने की लागत और किसानों से प्राप्त कीमत के बीच का अंतर है।
बीज अनुदान	• उच्च उपज वाले बीज सरकार द्वारा कम कीमतों पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऐसे उत्पादक बीजों के उत्पादन के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ भी सरकार द्वारा की जाती हैं, इन पर व्यय एक प्रकार की अनुदान है जो किसानों को दी जाती है।
ऋण अनुदान	• यह किसानों से लिए गए ब्याज, और ऋण प्रदान करने की वास्तविक लागत, साथ ही खारिज और खराब ऋण जैसी अन्य लागतों के बीच का अंतर है। • गरीब किसानों के लिए ऋण की उपलब्ध ता एक बड़ी समस्या है। उनके पास नकदी की कमी है और वे ऋण बाजार में नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास ऋण के लिए आवश्यक संपार्श्विक नहीं है। उत्पादन गतिविधियों को चलाने के लिए वे स्थानीय महाजनों से संपर्क करते हैं।

2. मूल्य अनुदान:

- यह खाद्यान्न की उस कीमत के बीच का अंतर है जिस पर FCI किसानों से खाद्यान्न खरीदता है, और वह कीमत जिस पर पीसीआई या तो व्यापारियों को या पीडीएस को बेचता है।
- बाजार मूल्य इतना कम हो सकता है कि किसानों को मुनाफा कमाने के बजाय नुकसान उठाना पड़े। ऐसे में सरकार किसानों से बाजार भाव से अधिक कीमत पर फसल खरीदने का वादा कर सकती है।

3. ढांचागत अनुदान:

- कई क्षेत्रों में निजी प्रयास कृषि उत्पादन में सुधार के लिए पर्याप्त साबित नहीं होते हैं। अच्छी सड़कें, भंडारण सुविधाएं, बिजली, बाजार के बारे में जानकारी, बंदरगाहों तक परिवहन आदि उत्पादन और बिक्री संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- ये सुविधाएं सार्वजनिक वस्तुओं के क्षेत्र में हैं, जिनकी लागत बहुत अधिक है और जिसका लाभ क्षेत्र के सभी काश्तकारों को मिलता है।

4. निर्यात अनुदान:

- इसका मकसद खास है। जब कोई किसान या निर्यातक कृषि उत्पादों को विदेशी बाजार में बेचता है, तो वह अपने लिए पैसा कमाता है, साथ ही देश के लिए विदेशी मुद्रा भी कमाता है।

कृषि अनुदान के सकारात्मक प्रभाव

- **किसान समस्याग्रस्त स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं:** समस्या खेत से शुरू होती है, वितरण नेटवर्क शामिल होते है, और प्रसंस्करण कार्य के दौरान भी हो सकती है जो उत्पादों को भविष्य के ग्राहकों तक लाने के लिए आवश्यक है।
- **सरकार के लिए राजस्व के स्रोत:** कृषि उत्पादों पर शुल्क आम हैं क्योंकि वे घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने के तरीके के रूप में काम करते हैं।
- **घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा:** वर्तमान में दुनिया भर में कृषि उत्पादन में 1.1 बिलियन कर्मचारी सक्रिय हैं। इनमें से लाखों मजदूर मजदूरी अर्जित कर रहे हैं जो उन्हें गरीबी की ग्रामीण सीढ़ी के निचले पायदान पर या उसके पास रखता है।
- **किसानों के लिए अपनी फसली भूमि को बहाल करने के अवसर:** कृषि अनुदान का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ एक किसान या वाणिज्यिक उत्पादक को मिट्टी के पोषक प्रोफाइल को बहाल करने के लिए एक मौसम या उससे अधिक के लिए अपने खेतों के कुछ हिस्सों को आराम करने के लिए भुगतान करना शामिल है।
- **देश के लिए कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के अवसर:** पिछली शताब्दी में कृषि गतिविधियों में लगे लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से गिरावट आई है, अधिकांश विकसित देशों में 2% या उससे कम की दर देखी गई है।
- **एक मजबूत खाद्य श्रृंखला आपूर्ति को प्रोत्साहित करें:** कृषि अनुदान की उपस्थिति व्यवसायों को इसे छोड़ने का निर्णय लेने के बजाय कठिन मौसम के दौरान टिके रहने

की अनुमति देती है। एक अर्थव्यवस्था में कृषि अनुदान की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि किसानों और उनके संपूर्ण समर्थन नेटवर्क के पास स्थिर आय उपलब्ध हो सकती है।

- **उद्योगों में आर्थिक स्थिरता:** अनुदान छोटे और सीमांत किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक, सिंचाई, बिजली, संकर बीज जैसे इनपुट के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है और साथ ही कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा करने में मदद करती है।

कृषि अनुदान के निहितार्थ

घरेलू स्तर

- **उर्वरकों का अधिक उपयोग :** हरित क्रांति क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा) में अनुदान वाली कृषि के कारण असंतुलित एनपीके अनुपात, लवणता में वृद्धि और मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है।
- **फिजूलखर्ची और अवहनीय व्यय :** आर्थिक सर्वेक्षण-2018 के अनुसार , कृषि अनुदान से छोटे किसानों की तुलना में धनी किसान लाभान्वित होते हैं ।
- **अस्थिर राजकोषीय घाटा:** अनुदान का भुगतान विकास व्यय की कीमत पर किया जाता है।
- **अनुदान कभी-कभी प्रतिगामी हो सकती है और रिसाव से ग्रस्त हो सकती है :** जैसे बिजली अनुदान केवल विद्युतीकृत घरों में मदद करती है और मिट्टी के तेल के मामले में भी, पीडीएस केरोसिन का 41 प्रतिशत रिसाव के रूप में खो जाता है और शेष 59 प्रतिशत में से केवल 46 प्रतिशत का उपभोग उन परिवारों द्वारा किया जाता है जो गरीब हैं ।
- **फसल के स्वरूप को विकृत करना:** अनुदान ने फसल के स्वरूप को भी विकृत कर दिया है, जिसने इस प्रक्रिया में पर्यावरण पर भी असर डाला है। मोनोकल्चर के परिणामस्वरूप फसलों पर कीट और रोग के हमलों में वृद्धि हुई है और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग हुआ है।
- **तर्कहीन और गैर-विवेकपूर्ण उपयोग:** पानी और बिजली जैसे संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग। यूरिया सहित इनपुट अनुदान के परिणामस्वरूप नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हुआ है और मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ है। इसी तरह, बिजली पर अनुदान के परिणामस्वरूप भूजल में कमी आई है।
- **संरक्षणवाद को बढ़ावा देता है :** अनुदान की नीतियां अन्य देशों को भी उसी खोज का पालन करने के लिए बढ़ावा दे सकती हैं जो बाद में व्यापार युद्ध और अमेरिका पहले जैसी संरक्षणवादी नीतियों का कारण बन सकती हैं।
- **अक्षमता को प्रोत्साहित करें:** अनुदान सुधार के प्रोत्साहन को कम करती है, इस प्रकार अक्षमता को प्रोत्साहित करती है।
- **सीमित लाभार्थी:** उर्वरक अनुदान मुख्य रूप से उर्वरक उत्पादकों और बड़े किसानों को लाभान्वित करती है।
- **प्रभावित करना:** पूंजी निवेश के लिए जाने वाले धन के हिस्से को अनुदान कम कर रही है। क्योंकि, इनपुट पर उच्च लागत की भरपाई और किसानों को उत्पादन और अधिक कमाई करने में मदद करना, शुरू में एक स्वस्थ कृषि क्षेत्र का भ्रम पैदा करता है। लेकिन अंततः बुनियादी ढांचे की कमी और बाजार की अक्षमता से उत्पन्न होने वाली समस्याएं अपना ही नकारात्मक प्रभाव दिखाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर

- भारत और चीन जैसे विकासशील देश **(AMS) समर्थन के समग्र उपाय के "डी मिनिमस" स्तरों को पार करने की वहनीय स्थिति में नहीं हैं,** जहां संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश कपास, चीनी जैसे कुछ उत्पादों में 50% से अधिक अनुदान प्रदान करते हैं।
- **विकसित देशों में अनुदान भी विकासशील देशों के सामान के लिए बाधा प्रविष्टि के रूप में कार्य करती है।**
- डब्ल्यूटीओ के तहत हस्ताक्षरित **कृषि समझौते (एओए) में** खामियां है, क्योंकि यह **इक्विटी के बारे में बात नहीं करता है।** विकासशील देशों के लिए, मूल्य समर्थन उपायों और इनपुट अनुदान पर खर्च एक साथ **कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के 10% से अधिक नहीं हो सकता है** और विकसित देशों के लिए, यह **उनके कृषि उत्पादन के मूल्य का केवल 5% है।** अन्य उत्पादों की तुलना में ऊन को 200% अनुदान प्रदान करने **के लिए यूएसए द्वारा** इस प्रावधान का **दुरुपयोग किया जाता है।**

अनुदान ने भारत में विकृतियों का नेतृत्व किया

- **ऊर्जा-भूजल गठजोड़:** कृषि उपयोग के लिए पानी और बिजली राज्य सरकारों द्वारा भारी अनुदान दिये जाते है। अधिकांश सरकारें अनुदान वाले पानी और बिजली के तर्कसंगत और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने में विफल रही हैं।
- **राजसहायता प्राप्त उर्वरक :** वर्तमान में राजनीतिक मजबूरियों के कारण यूरिया योजना के अंतर्गत नहीं आता है। नतीजतन, एनपीके का वास्तविक उपयोग लगभग 8:3:1 के अनुपात में है जबकि अनुशंसित उपयोग 4:2:1 है।
- **भू-जल प्रदूषण :** उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से भू-जल भी प्रदूषित हो रहा है तथा रासायनिक जैव संचयन की समस्या लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।
- **दालों, बागवानी फसलों और मोटे लेकिन पौष्टिक अनाज की कीमत पर गेहूं, चावल और गन्ने की खेती :** भारतीय जनता के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं। दालें जल

कुशल फसलें हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी को फिर से जीवंत करने की क्षमता है और किसान गन्ने जैसी फसल का चयन करता है जो बाद में उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी साबित होती है।

- **कृषि वित्त :** किसान 7% ब्याज दर पर प्री-फसल ऋण के हकदार हैं। समय पर भुगतान के मामले में उन्हें और 3% सबवेंशन की अनुमति है। किसान नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीप्ट के एवज में फसल कटाई के बाद के समय के लिए भी कर्ज ले सकते हैं।
- **मूल्य अनुदान बाजारों को इस तरह से विकृत कर सकती है जो अंततः गरीबों को नुकसान पहुंचाती है।**
- **खाद्य मुद्रास्फीति :** भारत में कुछ साल पहले तक महंगे भोजन से प्रेरित दो अंकों की मुद्रास्फीति देखी गई थी, तब भी जब दुनिया अपस्फीति से जूझ रही थी। यह विकृति मुख्य रूप से सरकार द्वारा घोषित एमएसपी में लगातार वृद्धि के साथ-साथ किसान को बढ़ती लागत लागत के कारण है।
- **रिसाव और भ्रष्टाचार : राज्य को लागू करने** के लिए मूल्य अनुदान अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि वे कालाबाजारियों को बड़े पैमाने पर किराए पर लेने के अवसर प्रदान करते हैं।

आगे बढ़ने के विकल्प

- **केलकर समिति** ने अनुदान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और उन्हें पूंजी निवेश में बदलने की सिफारिश की।
- **अनुदान को युक्तिसंगत बनाना :** उन अनुदान को रोककर जो वांछित परिणाम नहीं दे रही हैं।
- निरंतरता सुनिश्चित करने और किसानों को निर्यात से जोड़े रखने के लिए निर्यात व्यापार पर **दीर्घकालिक नीतियों** के लिए निर्यात की आवश्यकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा देना।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर :** फार्म गेट के पास कोल्ड चेन सुविधाओं, गोदामों का निर्माण।
- **कृषि-क्षेत्र का समग्र विकासः** पिछड़े और अग्रिम संबंधों (बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज) को मजबूत करके।
- **अस्थायी प्रकृति : अनुदान एक सनसेट क्लॉज के** साथ आनी चाहिए।
- **लाभकारी व्यवसाय :** कृषि को लाभकारी बनाने के लिए अनुबंध खेती और सहकारी खेती जैसी पहलों को बढ़ावा देना।
- **सशक्तिकरण :** कृषि बिल किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक सही कदम है और एपीएमसी बाजारों के एकाधिकार को कम करने के लिए इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- **खाद्य और पोषण सुरक्षा** दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग :** मूल्य और मांग पूर्वानुमान लगाने के लिए एक बाजार खुफिया प्रणाली का निर्माण करना जो किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद करता है और किसानों को फसल तय करने में भी मदद करता है।
- **धीरे-धीरे, सरकार को अनुदान वापस लेनी चाहिए और संभवतः उन्हें** क्षेत्र में पूंजी निवेश में परिवर्तित करना चाहिए।

नीति आयोग ने सुझाव दिया

- **कुशल उर्वरक उपयोग :** एसएचसी (मृदा स्वास्थ्य कार्ड) योजना को मजबूत करें और परीक्षणों में केवल नौ नहीं बल्कि सभी सोलह पैरामीटर शामिल करें।
- **उर्वरक अनुदान नीति का पुनर्विन्यासः** वर्तमान एकतरफा उर्वरक अनुदान नीति को फॉस्फोरस (पी) और पोटाश (के) के रूप में समान पोषक तत्व-आधारित अनुदान (एनबीएस) प्लेटफॉर्म पर माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को लाने की आवश्यकता है।
- **तरल उर्वरकों पर अनुदान :** सूक्ष्म सिंचाई के साथ फर्टिगेशन को प्रोत्साहित करने के लिए तरल उर्वरकों पर लक्षित अनुदान प्रदान की जानी चाहिए।
- **सूक्ष्म सिंचाई के लिए निवेश अनुदान :** बिजली और पानी की अनुदान के बजाय सूक्ष्म सिंचाई के लिए निवेश अनुदान डीबीटी मोड के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।

कृषि क्षेत्र जो **लगभग 40% रोजगार** प्रदान करता है, सकल घरेलू उत्पाद का केवल 16-17% योगदान देता है जो किसानों की समस्याओं और मुद्दों को दर्शाता है । इसलिए कृषि क्षेत्र में सुधार के इरादे से कृषि अनुदान **2022 तक किसान की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है और** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके भारत को **दो अंकों की वृद्धि हासिल करने में भी मदद करती है।**

खाद्य अनुदानः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013

- विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा की मूल अवधारणा यह **सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को, हर समय, उनके सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए बुनियादी भोजन तक पहुंच प्राप्त हो और इसकी विशेषता भोजन की उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता है।**
- **लक्ष्यः** व्यक्तिगत या घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार राज्य सरकारों और केंद्र शासित

प्रदेशों के प्रशासन के साथ साझेदारी में विभिन्न योजनाओं को लागू करती है।

- **उद्देश्य :** अधिनियम मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है, लोगों के लिए उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच सुनिश्चित करके और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए।
- **पात्रता:**
  - राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता वाले परिवारों को टीपीडीएस के अंतर्गत शामिल किया जाएगा ।
  - मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना के तहत शामिल परिवार।

संशोधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013: नीति आयोग

- **मार्च 2021** में एक चर्चा पत्र के माध्यम से , नीति आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत ग्रामीण और शहरी कवरेज को क्रमश: 60% और 40% तक कम करने की सिफारिश की है।
- इसने नवीनतम जनसंख्या के अनुसार लाभार्थियों का संशोधन भी प्रस्तावित किया है जो वर्तमान में जनगणना 2011 के माध्यम से किया जा रहा है।

एनएफएसए 2013 की वर्तमान स्थिति

- लगभग **2.37 करोड़** अंत्योदय अन्न योजना के तहत फरवरी 2021 तक घरेलू या 9.01 करोड़ व्यक्ति ।
- जबकि लगभग **70.35 करोड़ व्यक्ति** प्राथमिकता वाले परिवारों के अंतर्गत हैं।

नीति आयोग की सिफारिशों का महत्व

- यदि **ग्रामीण-शहरी कवरेज अनुपात समान रहता है (सभी जनसंख्या का 67%)**, तो कवर किए गए लोगों की कुल संख्या मौजूदा 81.35 करोड़ से बढ़कर 89.52 करोड़ हो जाएगी - **8.17 करोड़ की वृद्धि** (अनुमानित 2020 जनसंख्या के आधार पर)। इसके **परिणामस्वरूप रुपये की अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता होगी। 14,800 करोड़।**
- यदि **राष्ट्रीय कवरेज अनुपात को नीचे की ओर संशोधित किया जाता है, तो केंद्र 47,229 करोड़ रुपये तक बचा सकता है।**
- इस राशि का **उपयोग सरकार द्वारा चिंता के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों** जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा में किया जा सकता है।

इस कदम की चुनौतियाँ

- कोविड-19 महामारी के समय में समाज के गरीब वर्ग पर बेरोजगारी और खाद्य असुरक्षा का दोहरा बोझ होगा।
- **सतत विकास लक्ष्य-2:** भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।
- कुछ राज्यों द्वारा इस कदम का विरोध किया जा सकता है ।
- निर्णय स्कूल और घर स्तर पर बच्चों के पोषण को भी प्रभावित कर सकता है।

अन्य अनुशंसाएँ

- **शांता कुमार** के अधीन उच्च स्तरीय समिति ने **कवरेज अनुपात को जनसंख्या के 67% से घटाकर 40% करने की** सिफारिश की थी।
- इसके अनुसार, जनसंख्या का 67% कवरेज बहुत अधिक है, और इसे लगभग 40% तक लाया जाना चाहिए , जो आराम से बीपीएल परिवारों को कवर करेगा और कुछ इससे ऊपर भी।
- **आर्थिक सर्वेक्षण- 2020-21: केंद्रीय पूल से जारी खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) में संशोधन की** सिफारिश की थी , जो पिछले कई वर्षों से अपरिवर्तित है।

प्रत्यक्ष नकद अंतरण/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

- 2013 में पेश किया गया, **डीबीटी कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से अनुदान हस्तांतरित करना है।** यह आशा की जाती है कि बैंक खातों में अनुदान जमा करने से रिसाव, विलंब आदि कम होंगे।
- **डीबीटी के उद्देश्य :**
  - डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के पीछे का विचार **अपव्यय, दोहराव और रिसाव को कम करना और दक्षता को बढ़ाना भी है।**
  - विचार यह है कि पूरी आबादी के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कैश ट्रांसफर सिस्टम को अपनाया जाए।

डीबीटी का दायरा

- डीबीटी कार्यक्रम का लक्ष्य है कि हकदारी और लाभ सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित किए जाएं। लाभार्थियों में विधवाएं, छात्र और पेंशन लेने वाले शामिल हो सकते हैं।
- यह **बायोमेट्रिक-आधारित आधार-लिंक्ड बैंक खातों (जेएएम ट्रिनिटी) के** माध्यम से किया जाएगा। यह बिचौलियों की कई परतों और सिस्टम में देरी को कम करेगा।

डीबीटी प्रणाली के लाभ

- **बेहतर लक्ष्यीकरण :** आधार या अन्य बायोमेट्रिक आधारित प्रणालियों के उपयोग से डुप्लीकेट या भूत जैसी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। डुप्लिकेट तब होते हैं जब लाभार्थी का नाम दोहराया जाता है और भूत तब होते हैं जब किसी गैर-मौजूद लाभार्थी के नाम का उल्लेख किया जाता है।
- **रीयल टाइम ट्रांसफर:** यह इच्छित लाभार्थी को त्वरित और सीधे नकद हस्तांतरण में मदद करता है।
- **कैश ट्रांसफर** माइक्रो एटीएम के साथ जमीन पर सघन बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सिस्टम के जरिए होता है।
- **न्यायसंगत सेवा :** यह सुनिश्चित करता है कि गरीबों को उसी स्तर की सेवा मिले जो समाज में अमीरों और मध्यम वर्ग को मिलती है।
- **वित्तीय समावेशन:** डीबीटी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा पेश किया गया आंतरिक प्रवासियों द्वारा अपने प्रेषण भेजने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है ।
- **आधार-आधारित माइक्रो-एटीएम नेटवर्क:** यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रेषण तत्काल और प्रवासियों को बहुत कम लागत पर हो।
- **राजकोषीय बचत : वर्तमान स्वरूप में राज्य द्वारा दी** जा रही स्पष्ट अनुदान को 3 से 4 लाख करोड़ रुपये के बीच मानते हुए, डीबीटी इस व्यय को लगभग 15% तक रोक देगा, जो कि वर्तमान रिसाव का एक अनुमान है। इससे सरकार को करीब 50,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
- **बेहतर पोषण :** जब नकद हस्तांतरण होता है तो गरीब अपने आहार में दाल, अंडे आदि जैसी अधिक वस्तुओं को शामिल करके विविधता लाने में सक्षम होंगे। इससे उनके प्रोटीन का सेवन बढ़ जाएगा।

डीबीटी की सीमाएं

- **अभी भी कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र हैं,** जिनमें बैंकिंग सुविधाएं और सड़क संपर्क नहीं है।
- अभी तक, लगभग 3% -5% भारतीय आयकर का भुगतान करते हैं। इसलिए, बाकी नागरिकों की आय का निर्धारण करना अभी भी एक चुनौती है इसलिए योग्य लाभार्थियों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है।
- **अधिकांश बैंक** ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को नामांकित करने के लिए **व्यवसाय प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है।** ऐसी कई शिकायतें हैं कि वे योजना से अनभिज्ञ होने के कारण लाभार्थियों को पासबुक नहीं दे रहे हैं।
- **प्रत्यक्ष नकदी** का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग अस्वास्थ्यकर तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, खाद्य अनुदान के बदले नकद राशि को पीने और धूम्रपान पर खर्च किया जा सकता है क्योंकि अधिकांश लाभार्थियों के परिवार के मुखिया पुरुष हैं।
- घर - घर जाकर **नकद लाभ पहुंचाने के लिए स्थापित किए गए थे,** कई क्षेत्रों में मौजूद नहीं हैं, इसलिए कई लाभार्थियों को पैसा निकालने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है।
- **अधिकांश लाभार्थियों के परिवारों के** मुखिया पुरुष हैं। यह महिलाओं के लिए नुकसानदेह होगा क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें उनके हिस्से की नकदी मिलेगी।

विश्व व्यापार संगठन और अनुदान व्यवस्था

- विश्व व्यापार संगठन बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह पूर्ववर्ती जीएटीटी (शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता) का उत्तराधिकारी है।
- यह 1 जनवरी 1995 को लागू हुआ और इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विश्व व्यापार संगठन अनुदान वर्गीकरण

निर्यात अनुदान	• जब कोई किसान या निर्यातक कृषि उत्पादों को विदेशी बाजार में बेचता है, तो वह अपने लिए पैसा कमाता है, साथ ही देश के लिए विदेशी मुद्रा भी कमाता है। इसलिए, कृषि निर्यात को आम तौर पर तब तक प्रोत्साहित किया जाता है जब तक कि ये घरेलू अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाते। • निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जाने वाली अनुदान को निर्यात अनुदान कहा जाता है। • पूर्व चीन जैसे देशों द्वारा किसानों को निर्यात ऋण दिया जाता है।
औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान	• उदाहरण: न्यू यूके फार्मिंग बिल ब्रेक्सिट की स्थिति में कृषि -उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2020 के लिए अनुदान की गारंटी देता है।
संरचनात्मक समायोजन अनुदान	• कृषि में सिंचाई को बढ़ावा देना। उदाहरण: पीएम कृषि जैसी योजनाएं संचाई योजना
क्षेत्रीय विकास अनुदान	• सभी प्रकार के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के कल्याण और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, और राष्ट्रीय प्रदर्शन और अधिक समावेशी, लचीले समाजों में उनके योगदान में सुधार करना।

अनुसंधान और विकास अनुदान	• वे नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सार्वजनिक उपकरण हैं। उनसे उन फर्मों द्वारा अनुरोध किया जा सकता है जो नवीन परियोजनाओं का विकास करती हैं।
आयातित वस्तुओं पर घरेलू उपयोग पर आकस्मिक अनुदान	• पूर्व। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश जहां किसानों से गारंटीकृत रिटर्न खरीद सुनिश्चित करने के लिए जो कम कीमतों के साथ उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करते हैं।

कृषि पर समझौता (एओए)

- एओए का **उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना** और **पारदर्शी बाजार पहुंच** और वैश्विक बाजारों के **एकीकरण को बढ़ावा देना है।**
- दायित्व को पूरा करने में विकसित देशों की तुलना में विकासशील और कम विकसित देशों की ओर से **लचीला और कम प्रतिबद्धता यह समझौता प्रदान करता है।**
- इस समझौते में एक विशेष सुरक्षा तंत्र भी है अर्थात देशों के पास आयातित उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प उपलब्ध है जब आयात में वृद्धि होती है या उत्पादों को कम कीमत पर आयात किया जाता है। इस समझौते के मुख्य घटक: **बाजार तक पहूंच, घरेलू अनुदान और निर्यात अनुदान।**

बाजार तक पहूंच

- इसमें **कृषि उत्पादों में टैरिफिकेशन, टैरिफ कटौती और व्यापार सुविधा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।** विकसित देशों को 6 साल की अवधि में प्रत्येक टैरिफ आइटम के लिए 15% की कटौती की न्यूनतम दर के साथ टैरिफिकेशन से उत्पन्न टैरिफ को 36% तक कम करना होगा ।
- विकासशील देशों को अगले 10 वर्षों में टैरिफिकेशन से उत्पन्न टैरिफ को 24% तक कम करने की आवश्यकता है।
- विशेष सुरक्षा प्रावधान 1986-88 के स्तर की तुलना में या तो एक विशेष स्तर से ऊपर आयात वृद्धि या विशेष रूप से कम आयात कीमतों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की अनुमति देता है।

घरेलू अनुदान

1. **ग्रीन बॉक्स अनुदान :** वे हैं जो व्यापार को विकृत नहीं करते हैं और इसमें मूल्य समर्थन शामिल नहीं होना चाहिए। इन्हें बिना सीमा के अनुमति दी जाती है। **उदा.:** सरकार द्वारा किसानों के लिए **पीएम किसान।**
2. **एम्बर बॉक्स अनुदान :** वे सभी सरकारी उपाय हैं जिन्हें व्यापार और उत्पादन को विकृत करने वाला माना जाता है। अनुदान जो सीधे उत्पादन मात्रा से संबंधित हैं। **उदा.: एमएसपी।**
3. **ब्लू बॉक्स अनुदान :** "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स अनुदान" है, जिसे विरूपण को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्लू बॉक्स अनुदान उत्पादन सीमित करने वाले कार्यक्रमों के तहत उत्पादन के तहत प्रत्यक्ष भुगतान है।

निर्यात अनुदान:

- ये सरकार या सरकारी एजेंसियों द्वारा कृषि उत्पादों के उत्पादकों को निर्यात प्रदर्शन और कम कीमत पर गैर-वाणिज्यिक कृषि उत्पादों के निर्यात और परिवहन अनुदान आदि के लिए नकद या वस्तु के रूप में दी जाने वाली प्रत्यक्ष अनुदान हैं।
- विकसित सदस्य देशों को 1986-90 के स्तर से नीचे 6 वर्षों की अवधि में अनुदान वाले निर्यात को मूल्य के संदर्भ में 36% और मात्रा के संदर्भ में 21% तक कम करना होगा। विकासशील देशों के लिए, यह 10 वर्षों की अवधि में क्रमश: 24% और 14% है।

विश्व व्यापार संगठन के तहत शांति खंड

- विकसित देशों ने व्यापार विकृत करने वाली अनुदान के रूप में विकासशील और एलडीसी के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों (सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम) की आलोचना की। चूंकि देशों के बीच बातचीत चल रही थी, **बाली पैकेज 2013** में एक अस्थायी शांति खंड पेश किया गया था।
- 'शांति खंड' में कहा गया है कि **किसी भी देश को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, भले ही अनुदान कृषि पर डब्ल्यूटीओ समझौते में निर्दिष्ट सीमा का उल्लंघन करती हो।**
- यह 'शांति खंड' 2017 तक चार साल तक लागू रहने की उम्मीद थी, तब तक समस्या का स्थायी समाधान मिल गया था।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

- **एमएसपी** वह **न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार** कृषि उत्पादन के लिए लाभकारी मानती है और इसलिए समर्थन की पात्र है। **अधिसूचित कृषि जिंसों** की कीमतों में गिरावट की स्थिति में सरकार एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद कर मूल्य समर्थन प्रदान करती है
- **एमएसपी को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्रामीण गरीबी को कम करने** के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक माना जाता है।

एमएसपी का उद्देश्य:

- **संकट बिक्री से किसानों का समर्थन करना।**
- **सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद करना।**
- **पैटर्न विकसित करें जो अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के अनुरूप हो।**

एमएसपी नीति की पृष्ठभूमि

- एमएसपी में **पेश किया गया था 1960 के दशक जब तक न्यूनतम मूल्य प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक इनपुट-गहन उच्च उपज वाले गेहूं/धान का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करके भारत के खाद्य घाटे को दूर करने के लिए।**
- केंद्र सरकार ने चावल और गेहूं की कीमतों को निर्धारित करने के लिए कृषि मंत्रालय को सलाह देने के लिए **1 अगस्त, 1964 को एक समिति का गठन किया।** कवरेज के क्षेत्र को मोटे अनाजों तक विस्तारित किया गया था।
- बाद में, सरकार ने **1965 में कृषि मूल्य आयोग नामक एक स्थायी निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया। बाद में 1985 में** इसका नाम बदलकर **कृषि लागत और मूल्य आयोग** कर दिया गया।

एमएसपी का निर्धारण

- **कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश** के आधार पर एमएसपी तय करता है **(सीएसीपी)।**
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का **एक संबद्ध कार्यालय है।** यह प्रकृति में **गैर-वैधानिक है।**



- **सीएसीपी की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं** और अंतिम निर्णय **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के पास है, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं।**
- केंद्रीय बजट 2018-19 में, भारत सरकार ने **एमएसपी को** उत्पादन लागत (ए2+एफएल) से 1.5 गुना करने की घोषणा की।

एमएसपी की वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में 23 कृषि मदों के लिए एमएसपी घोषित है
  - **7 अनाज** (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा , ज्वार , रागी और जौ)
  - **5 दालें** (चना, अरहर/तूर , उड़द , मूंग और मसूर)
  - **7 तिलहन** (सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुख, तिल, कुसुम और नाइजर बीज)
  - **4 व्यावसायिक फसलें** (कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट)।
- उपरोक्त के अलावा, तोरिया और डी- **हस्कड नारियल के लिए एमएसपी भी क्रमशः** रेपसीड और कोपरा की कीमतों के आधार पर घोषित किया जाता है।
- **मूल्य समर्थन योजना** और **पीएम-आशा योजना** एमएसपी आधारित खरीद के प्रमुख साधन हैं।
- **एमएसपी का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है,** भले ही बाजार दर सीमा मूल्य से कम हो। **एमएसपी** पूरी तरह से कार्यकारी निर्देशों पर चलाया जाता है और कानून द्वारा इसकी गारंटी नहीं दी जाती है।

एमएसपी शासन का महत्व और लाभ

- **सुरक्षा तंत्र** या किसानों को **बीमा** प्रदान किया जाता है जो उन्हें घोर गरीबी से बचाता है और किसान आत्महत्याओं को रोकता है।
- गारंटीकृत मूल्य और सुनिश्चित बाजार के कारण **कृषि में अधिक निवेश और नई तकनीक** को अपनाना संभव है।
- विश्व व्यापार संगठन के तहत मुक्त व्यापार व्यवस्था के तहत आम तौर पर वैश्विक **बाजारों में उतार-चढ़ाव से रक्षा करें।**
- **खाद्य सुरक्षा तब** हासिल की जाती है जब भारतीय किसानों द्वारा प्रमुख फसलों के स्थिर और अधिशेष उत्पादन के कारण आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाती है।
- विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में कृषि उपज के लिए उच्च कीमतों के कारण **ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन।** यह बदले में नौकरियों के लिए **ग्रामीण से शहरी पलायन को रोकता है।**

- **लाभकारी आय सुनिश्चित करें**- नाबार्ड के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 में पाया गया कि एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय सभी स्रोतों से संयुक्त रूप से 9,000/- रुपये कम है।
- **सूचित निर्णय लेने** में मदद करता है: यह किसान को अपने खेत के आकार, जलवायु और सिंचाई सुविधाओं की सीमाओं के भीतर **अधिकतम आर्थिक लाभ के लिए** कौन सी **फसल बोनी है, इसके बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।**
- **निजी खरीदारों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है :** एमएसपी बाजार को **मूल्य-संकेत भेजता है** कि यदि व्यापारी एमएसपी से अधिक कीमतों की पेशकश नहीं करते हैं तो किसान उन्हें अपनी उपज नहीं बेच सकता है।
- **कृषि जिंसों** की आपूर्ति में भिन्नता, बाजार एकीकरण की कमी और सूचना विषमता जैसे कारकों के कारण **कीमतों में उतार-चढ़ाव का मुकाबला करना।**
- कुछ आवश्यक कृषि वस्तुओं की कीमतों में उच्च उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए।
- **लोगों तक भोजन की आर्थिक पहुंच में सुधार (खरीद और वितरण के माध्यम से)।**
- **फसल विविधीकरण :** दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के लिए एमएसपी में थोड़ी अधिक वृद्धि हुई है जो फसलों के विविधीकरण के मकसद को प्राप्त करने में मदद करती है।
- **आगे की श्रृंखला:** एमएसपी उच्च कृषि लाभ की ओर ले जाता है जो किसानों को इनपुट, प्रौद्योगिकी आदि पर अधिक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **आत्म-निर्भर भारत : दलहन और तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने फसल** वर्ष 2021-22 के लिए अरहर का समर्थन मूल्य 300 रुपये बढ़ाकर 6,300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया, जो पिछले साल 6,000 रुपये प्रति क्विंटल था।

एमएसपी और फसल पैटर्न के बीच सहसंबंध

- फसल पैटर्न एक निर्दिष्ट **क्षेत्र में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के संयोजन को संदर्भित करता है। इसे एक निश्चित समय में विभिन्न फसलों के तहत क्षेत्र के अनुपात के रूप में भी समझाया गया है।**

फसल पैटर्न का विकास

1.	हरित क्रांति पूर्व चरण में:	• खराब खाद्य सुरक्षा परिदृश्य और आयात पर निर्भरता। • 3/4 भारत खाद्य फसलों के अधीन था और फसल पैटर्न में बहुत कम विविध ता थी। • उत्तर भारतीय मैदानों में खाद्य फसलों विशेषकर गेहूँ और चावल की प्रध ानता थी। • नकदी फसलें असम (चाय), पश्चिम बंगाल (जूट) और महाराष्ट्र (कपास) में देखी गई।
2.	हरित क्रांति	• एमएसपी की शुरूआत, सिंचाई के विस्तार और उच्च उपज किस्मों की शुरूआत के कारण गहन कृषि का विस्तार हुआ। • गेहूं-चावल की प्रधानता विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी, जो मूल रूप से पूर्व और दक्षिण भारत तक ही सीमित थी। • गेहूं और चावल के तहत क्षेत्रों में वृद्धि और साथ ही फसल चक्रों में तीव्रता देखी गई। • भोजन (विशेष रूप से अनाज) में आत्मनिर्भरता हासिल की गई।
3.	1991 के बाद का सुधार काल	• उदारीकरण और वैश्वीकरण ने विदेशों से सस्ते आयात के द्वार खोल दिए और चावल जैसे उत्पादों के कृषि निर्यात के अवसर भी लाए। • अनुबंध खेती भी शुरू की गई थी। • पीडीएस सुधारों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे विकासों के कारण चावल-गेहूं का प्रभुत्व बना रहा।

फसल पैटर्न पर एमएसपी का प्रभाव

- **गेहूं और चावल: गेहूं और चावल** की भारी एमएसपी समर्थित खरीद, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा से, अनुकूल परिस्थितियों की कमी के बावजूद चावल/गेहूं मोनोकल्चर को बढ़ावा दिया है।
- **बाजरा:** परंपरागत रूप से, भारतीय कृषि का मुख्य आधार, बाजरा (विशेष रूप से ज्वार और बाजरा) में गिरावट देखी

गई। शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों (सिंचाई के साथ) में भी चावल और गेहूं को प्राथमिकता दी जाती थी जो बाजरा के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल थे।

- **गन्ना:** भारी एफआरपी (उचित और पारिश्रमिक मूल्य) और एसएपी (राज्य प्रशासित मूल्य) शासन यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में गन्ने की खेती के प्रमुख कारणों में से एक है।
- **दलहन और तिलहन:** अपर्याप्त एमएसपी संरक्षण और कम खरीद के कारण दलहन और तिलहन में खेती के क्षेत्र में कमी आई है और कमी के समय में आयात का सहारा लिया गया है।

एमएसपी व्यवस्था से भारत को बहुत लाभ हुआ है। पिछले खंड में सुझाए गए एमएसपी सुधार शासन के अनपेक्षित परिणामों का प्रतिकार करने के लिए आवश्यक हैं।

एमएसपी शासन से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियां

- **फसल पद्धति में विकृति :** अन्य फसलों जैसे दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की कीमत पर गेहूं, चावल और गन्ना की खरीद पर अधिक ध्यान दिया गया है।
- बड़े कृषि क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्थाओं **में प्रति हेक्टेयर उपज सबसे कम है।** इसलिए कृषि उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता है, इसके लिए केवल एमएसपी ही पर्याप्त नहीं है, हमें कई तरह के हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।
- **मुद्रास्फीति :** उच्च उत्पाद कीमतों के माध्यम से किसानों को अनुदान देना एक अक्षम तरीका है क्योंकि यह उपभोक्ता को उच्च कीमतों के साथ दंडित करता है। साथ ही इसका मतलब है कि बड़े किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
- **प्रतिस्पर्धा के लिए हानिकारक :** सरकार द्वारा कोई भी हस्तक्षेप प्रतियोगिता को खत्म कर देता है। इसका असर उन आढ़तियों पर पड़ता है जो कम कीमत पर फसल खरीदकर उसे ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं।
- **चीनी उद्योग :** केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी से अधिक और राज्य सरकारों द्वारा मनमानी से गन्ना मूल्य निर्धारित करने से चीनी मिलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और वे किसानों के बकाये का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।
- **कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास :** जो फसलें कृषि-जलवायु क्षेत्र के साथ संरेखित नहीं होती हैं, वे जल तालिका में कमी, मिट्टी की गिरावट और पानी की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनती हैं।
  - **चावल,** पंजाब और हरियाणा (अर्ध-शुष्क क्षेत्रों) में विकास के लिए अनुपयुक्त होने के बावजूद, वहां व्यापक रूप से उगाया जाता है। इससे भूजल तालिका में गिरावट आई है।
  - **पराली जलाना भी चावल की मोनोकल्चर** का एक परिणाम है।
  - 2019-20 में 7 कृषि जिंसों की सरकारी **खरीद से 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए थे।** इनमें से 1.24 करोड़ 35 लाख किसान धान और गेहूं उत्पादक थे।
- **क्षेत्रीय असंतुलन:** पूर्वी राज्यों में खरीद का बुनियादी ढांचा वस्तुत: अस्तित्वहीन है और इस तरह, इन राज्यों के किसान एमएसपी और सरकार द्वारा सुनिश्चित खरीद के मौद्रिक लाभों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।
- **ऋण बाध्यताएँ :** संसाधन-गरीब, सीमांत और छोटे भूमिधारकों को क्रेडिट के साथ गठजोड़ के कारण स्थानीय निजी व्यापारियों और इनपुट डीलरों को फसल का एक बड़ा हिस्सा बेचना पड़ता है।
- **बाजार विकृति :** यह **मुक्त बाजार को विकृत करता है क्योंकि यह अन्य फसलों** की तुलना में कुछ विशेष फसलों को अधिक तरजीह देता है। **जागरुकता के अभाव में** सभी किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है । उच्च एमएसपी उत्पादन को अधिक प्रोत्साहन देता है जिससे आपूर्ति में वृद्धि होती है। यह खराब होने वाले सामानों को कवर नहीं करता है।
- **कृषि निर्यात पर अंकुश लगा हुआ है** क्योंकि एमएसपी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजारों से अधिक हैं।
- **कम जागरूकता और पहुंच :** 81% किसान विभिन्न फसलों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के बारे में जानते हैं और उनमें से केवल 10% ही बुवाई के मौसम से पहले एमएसपी के बारे में जानकारी रखते हैं।
  - **शांता कुमार समिति की रिपोर्ट का** अनुमान है कि देश के लगभग 6% किसान ही एमएसपी प्रणाली से लाभान्वित होते हैं।
  - पंजाब से 95% से अधिक और हरियाणा से 70% से अधिक धान केंद्र सरकार द्वारा खरीदा जाता है, जबकि यूपी और बिहार में यह 3.6% और 1.7% से कम है।
- **अतिरिक्त भंडारण :** पर्याप्त भंडारण के बिना इस तरह की खरीद के परिणामस्वरूप गोदामों में भारी मात्रा में स्टॉक जमा हो गया है। पीडीएस, बफर स्टॉक आदि की योजनाओं के तहत स्टॉक अब आवश्यकताओं से दोगुना हो गया है।
- **भुगतान में देरी :** लगभग आधे किसान कम से कम एक सप्ताह (नीति आयोग) की देरी का अनुभव करते हैं।
- **डब्ल्यूटीओ में चुनौतियां** कई फसलों के लिए भारत की एमएसपी योजना को कई देशों ने डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी है। उनकी गणना की पद्धति से अत्यधिक व्यापार-विकृत होने का दावा किया गया है। यदि मौजूदा प्रक्रिया जारी रहती है,

तो देश को विश्व व्यापार संगठन द्वारा निर्धारित कृषि उत्पादन पर अनुदान के 10 प्रतिशत के नियम का उल्लंघन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ेगा।

- **आर्थिक रूप से अस्थिर :** FCI के लिए खरीदे गए चावल और गेहूं की आर्थिक लागत बाजार मूल्य की तुलना में बहुत अधिक है।

आगे बढ़ने के विकल्प

- एमएसपी व्यवस्था के तहत **खरीद का दायरा बढ़ाएं।** यह विशेष क्षेत्रों या विशेष फसलों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। किसानों को उन्हें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बाजरा को एमएसपी व्यवस्था के तहत लाया जाना चाहिए।
- एमएसपी घोषणाओं में जागरूकता के स्तर और कमियों में **राज्य-वार अंतर पर काबू पाना।**
- एमएसपी की गणना की पद्धति के साथ-साथ कार्यान्वयन तंत्र पर **राज्य सरकार के साथ सार्थक परामर्श।**
- **तेज और समय पर भुगतान** सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- नीति आयोग पहले से ही एक वैकल्पिक तंत्र पर **काम कर रहा है।** एमएसपी का एक प्रतिरूप **बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) है,** जिसके तहत राज्य सरकार सब्जी की वस्तुओं जैसी खराब होने वाली वस्तुओं की खरीद करती है।
- **शेल्फ लाइफ बढ़ाने और अनाज को सड़ने से बचाने के लिए** आधुनिक भंडारण सुविधाओं, वेइंग ब्रिज आदि जैसी आधुनिक भंडारण सुविधाओं के **उपयोग की आवश्यकता है।**
- एमएसपी **की घोषणा बुवाई के** मौसम से काफी पहले की जानी चाहिए ताकि किसान अपनी फसलों की योजना बना सकें।
- **कृषि के लिए अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने** और **प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान में उच्च बजट आवंटित** करने की आवश्यकता है।
- **फसल विविधीकरण के लाभों** को समझाना चाहिए ताकि **पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपूर्ति पक्ष के झटकों को रोकने के** लिए अधिक दालों का उत्पादन किया जा सके।
- **सूचना और जागरूकता** मास मीडिया, शिविरों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों के बीच इसे बढ़ाया जाना चाहिए।
- एमएसपी की समस्या को हल करने के **लिए नीति और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट (पीडीपी) की सिफारिश करते हैं।**
- **नीति आयोग की सिफारिशें:**
  - खरीद केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं, जैसे कि सुखाने के यार्ड, वेइंग ब्रिज, शौचालय आदि।
  - बेहतर भंडारण और अपव्यय को कम करने के लिए अधिक गोदामों की स्थापना और उचित रखरखाव किया जाना चाहिए।
  - परिवहन लागत से बचने के लिए खरीद केंद्र गांव में ही होने चाहिए।
  - एमएसपी योजना में उन राज्यों में पूर्ण आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है जहां योजना का प्रभाव 'शून्य' है।

नीति आयोग द्वारा मूल्य कमी भुगतान (पीडीपी) योजना

- नीति आयोग ने **अपने तीन साल के एक्शन एजेंडे** में प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट सिस्टम का सुझाव दिया है।
- पीडीपीएस के तहत, किसानों **को अनुदान के जरिए एमएसपी (चुनिंदा फसलों के लिए) और मौजूदा बाजार कीमतों के बीच** के अंतर की भरपाई की जाती है।
- अनुदान का भुगतान किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जाएगा।**
- लाभ प्राप्त करने के लिए, किसान को **निकटतम एपीएमसी में पंजीकरण कराना होगा** और कुल बोए गए क्षेत्र की रिपोर्ट देनी होगी।
- की सीमा केंद्र द्वारा निर्धारित की जा सकती है। नीति आयोग का सुझाव है कि **10% तक का अंतर मुआवजा दिया जा सकता है।**
- चूंकि एमएसपी शासन **चावल और गेहूं में अच्छी तरह से काम कर रहा है, पीडीपीएस प्रणाली इनके अलावा अन्य फसलों** पर लागू होगी।

इसी तरह की योजनाएं

1. **पीएम आशा (प्रधान मंत्री अन्नदाता एएवाई संरक्षण अभियान)** भारत सरकार द्वारा एमएसपी-अधिसूचित तिलहन के लिए पीडीपीएस एक उप-योजना के रूप में है।
2. **मुख्यमंत्री मंत्री भावांतर** मध्य प्रदेश में दलहन और तिलहन के लिए **भुगतान योजना।** (अब बंद)
3. **भावांतर** टॉप फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) और फूलगोभी के लिए हरियाणा **में भरपाई।**

पीडीपीएस के लाभ

- **उल्लेखनीय लागत बचत** क्योंकि खाद्यान्नों की खरीद, परिवहन और भंडारण की कोई आवश्यकता नहीं है जो ओवरहेड्स वहन करते हैं।
- कारण वर्तमान में तनावग्रस्त **भंडारण बुनियादी ढांचे को हटा दें।**
- **भुगतान में आसानी** क्योंकि डीबीटी भुगतान तेजी से हो सकता है और बिचौलियों को समाप्त कर सकता है।
- **डब्ल्यूटीओ के अनुरूप** मूल्य कमी योजनाओं को कम व्यापार विकृतियों के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे प्राकृतिक मूल्य खोज की अनुमति देते हैं।
- गेहूं और चावल को प्रोत्साहन देने वाली एमएसपी व्यवस्था के मुकाबले उन्हें उपभोक्ता की जरूरतों और कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए **फसल पैटर्न में बदलाव करना।**
- **क्षेत्रीय संतुलन** सुनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि पीडीपीएस प्रकृति से फसल और भूगोल के लिए तटस्थ है।

पीडीपीएस के साथ चिंताएं

- कम खरीद मूल्य का लाभ उठाने के लिए व्यापारी गुटों द्व ारा **कीमतों में गिरावट।** यह सरकार पर **भारी लागत का बोझ डालता है** क्योंकि उन्हें अंतर को कवर करना होता है।
- **मुख्यमंत्री भावांतर भुगटन योजना मध्य प्रदेश** में उपरोक्त कारण से बंद करना पड़ा।
- **राजकोषीय बोझ** अत्यधिक होगा क्योंकि यह उन फसलों को कवर करना चाहता है जिनके लिए सरकारी खरीद वर्तमान में कम है। ICRIER का अनुमान है कि इस योजना की लागत सालाना **2 लाख करोड़ रुपये के करीब होगी।**
- **डीबीटी भुगतान मुद्दे:** बैंक खातों को आधार से लिंक न करने या वित्तीय बहिष्कार (बैंक खाता नहीं होने) के कारण।

आगे बढ़ने के विकल्प

- कार्टेलाइजेशन को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कवर किए गए **मूल्य अंतर को कैप किया जाना चाहिए (नीति आयोग द्वारा अनुशंसित 10%)।**
- आधार-बैंक खाता लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए **उचित सावधानी।**
- **प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाएँ** (जैसे पीएम किसान) और मूल्य बीमा योजना पीडीपीएस के लिए एक गैर-व्यापार विकृत विकल्प के रूप में माना जाना चाहिए ।

किसानों पर राष्ट्रीय आयोग: स्वामीनाथन समिति (2004) की सिफारिशें

- **बीमा पारिश्रमिक नहीं :** एमएसपी सिर्फ बीमा है न कि लाभकारी मूल्य। एमएस स्वामीनाथन समिति ने एमएसपी को उत्पादन लागत (सी2) से डेढ़ गुना तय करने की सिफारिश की है।
- किसानों पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट ने **समर्थन मूल्य और खरीद मूल्य के बीच अंतर करने का आह्वान किया।** यह अंतर पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि एमएसपी 'ओपन एंडेड' अनाज खरीद प्रणाली के तहत वास्तविक खरीद मूल्य बन गया है।
- सीलिंग-सरप्लस और बंजर भूमि का वितरण करें।
- गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए प्रमुख कृषि भूमि और वनों को कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाने से **रोकें।**
- इसने सुझाव दिया कि एमएसपी **उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए।**
- **कृषि को संविधान की समवर्ती सूची** में शामिल करना।
- **कृषि से संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश** बढ़ाना।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने के लिए **मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं** की स्थापना।
- वर्गीकरण, ब्रांडिंग और पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाले **एकल भारतीय बाजार** के निर्माण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।
- **खरीद:**
  - गेहूं और चावल की खरीद को पर्याप्त अनुभव और बुनियादी ढांचे वाले राज्यों को सौंप दिया जाना चाहिए (पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश)।
  - से कमी वाले राज्यों में ले जाने के लिए खाद्यान्न का सौदा करेगा।
  - FCI को पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे पूर्वी भारतीय राज्यों में सक्रिय होना चाहिए।
- **व्यापारिक गोदाम प्राप्ति योजना** शुरू किया जाना चाहिए और बढ़ाया जाना चाहिए जहां किसानों को कम प्रचलित कीमतों के समय संकट बिक्री से बचने के लिए एमएसपी पर उनकी उपज के खिलाफ बैंकों से 80% अग्रिम मिल सकता है ।

- **एमएसपी सुधार:** दलहन और तिलहन पर ध्यान केंद्रित करें और बेहतर तालमेल के लिए व्यापार नीति को पुन: व्यवस्थित करें।
- **स्टॉकिंग और आवागमन:**
  - केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम और निजी क्षेत्र जैसी एजेंसियों को स्टॉकिंग संचालन आउटसोर्स करना।
  - ढक्कन और प्लिंट भंडारण को समाप्त करें और सिलो बैग प्रौद्योगिकी और पारंपरिक भंडारण के साथ प्रतिस्थापित करें।
  - बंदरगाहों और रेलवे स्टेशनों में घाटे को कम करने और टर्न-अराउंड समय में सुधार के लिए खाद्यान्नों के आवागमन का कंटेनरकरण।
- **बफर स्टॉकिंग संचालन और परिसमापन नीति:**
  - वैज्ञानिक और पारदर्शी रूप से निर्धारित स्तर से अधिक स्टॉक के लिए स्वचालित परिसमापन नीति।
  - ओपन मार्केट सेल स्कीम और एक्सपोर्ट मार्केट में काम करने के लिए बिजनेस ओरिएंटेशन के साथ FCI के साथ अधिक लचीलापन।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज की समीक्षा करें,** जो **वर्तमान में 67%** है और इसे उच्च स्तर पर माना जाता है।
- संपूर्ण खाद्य प्रबंधन प्रणाली का **अंत से अंत तक कम्प्यूटरीकरण।**

खाद्य और कृषि नीति पर रमेश चंद्र समिति (2013)

- इसका गठन **एमएसपी तय करने में पद्धति संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए** किया गया था।
- आयोग ने सुझाव दिया कि उत्पादन लागत की गणना के लिए परिवार के मुखिया को कुशल श्रमिक माना जाना चाहिए ।
- परिचालन पूंजी पर ब्याज पूरे मौसम के लिए दिया जाना चाहिए।
- कटाई के बाद की लागत, जिसमें सफाई, वर्गीकरण, सुखाने, विपणन और परिवहन शामिल हैं।
- समिति ने जोखिम प्रिमियम और प्रबंधन शुल्क की लागत को 10% तक बढ़ाने की सिफारिश की है।

एमएसपी के विकल्प

- **मूल्य में कमी का भुगतान :** इस व्यवस्था के तहत एमएसपी और बिक्री मूल्य के बीच अंतर को बैंक खातों में प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जा सकती है।
  - **मध्य प्रदेश** ने एक मूल्य घाटा वित्तपोषण योजना शुरू की है - भवंतर भुगतान योजना - जिसमें सरकार किसानों को मोडल दर (प्रमुख मंडियों में औसत मूल्य) और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बीच के अंतर का भुगतान करती है।
  - **हरियाणा** सरकार सब्जियों के लिए **भवंतर भरपाई योजना** का पालन कर रही है।
- **पीएम आशा की मूल्य कमी भुगतान योजना का** दायरा विस्तार किया जाना चाहिए।
- **क्षेत्र नियोजन/प्रतिबंध :** उदाहरण के लिए, न्ज्ञ में, 5 हेक्टेयर से ऊपर के सभी खेतों को फसल उगाने के लिए भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है। यह किसी विशेष फसल के तहत क्षेत्र को सीमित करके अतिउत्पादन के कारण कीमतों में गिरावट की जांच कर सकता है।
- **प्रत्यक्ष आय सहायता :** पीएम किसान सही दिशा में एक कदम है लेकिन पारिश्रमिक बहुत कम है।

गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य

- चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जो **लगभग 50 मिलियन** गन्ना किसानों की ग्रामीण आजीविका को प्रभावित करता है और चीनी मिलों में सीधे कार्यरत **लगभग 5 लाख श्रमिक हैं।**
- भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है
- गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 35.5 करोड़ टन है, जिससे लगभग 3 करोड़ टन चीनी का उत्पादन होता है।

गन्ने का मूल्य निर्धारण

- गन्ने के दाम तय होते हैं:
  - केंद्र सरकार
  - राज्य सरकार
- **केंद्र सरकार उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)** की घोषणा करती है जो कि **कृषि लागत और मूल्य** आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्धारित होते हैं और इसकी

घोषणा आर्थिक **मामलों की कैबिनेट समिति** द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं।

- राज्य **परामर्शित मूल्य (SAP)** प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों द्वारा घोषित किए जाते हैं जो आम तौर पर एफआरपी **से अधिक होते हैं।**
- केंद्र ने चीनी मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2018 अधिसूचित किया जिसके तहत केंद्र गन्ने के एफआरपी और सबसे कुशल मिलों की न्यूनतम रूपांतरण लागत को ध्यान में रखते हुए एमएसपी तय करता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? (2019)
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से आप क्या समझते हैं? एमएसपी किसानों को कम आय के जाल से कैसे उबारेगा? (2018)
3. अनुदान किस प्रकार फसल पैटर्न, फसल विविधता और किसानों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है? छोटे और सीमांत किसानों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है? (2017)
4. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किसानों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि अनुदान क्या हैं? इसके द्वारा उत्पन्न विकृतियों के संदर्भ में कृषि अनुदान व्यवस्था का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

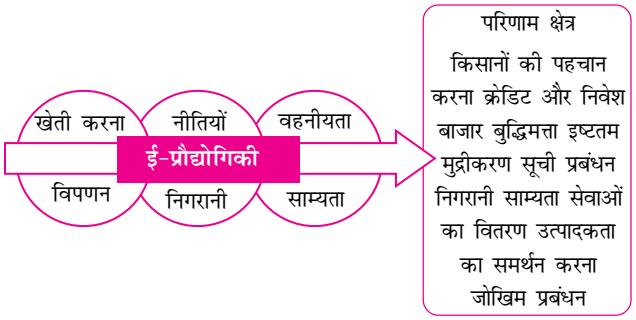
❖ ❖ ❖

24 किसानों की सहायता हेतु ई-प्रौद्योगिकी

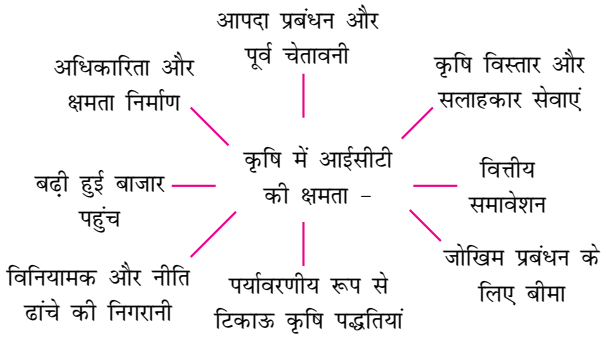
- भारतीय कृषि **खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, सतत विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।**
- हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति की शुरूआत के माध्यम से, क्षेत्र में कृषि उद्योग में सुधार के लिए वर्षों से कई प्रयास किए गए हैं। हाल ही में, **जैव प्रौद्योगिकी** और **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी** के क्षेत्र कृषि उद्योग में क्रांति ला रहे हैं।
- हालांकि, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण **1960 के दशक में शुरू हुआ** क्योंकि तब आधुनिक आदानों तक पहुंच, विशेष रूप से उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक, मशीनीकरण, क्रेडिट और विपणन सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में सुधार हुआ। 1960 में, केंद्र सरकार ने एक गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी शुरू किया।
- **ई-प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त नाम है।** डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग, जिसने हाल ही में सभी उद्योगों में उछाल देखा है, इंटरनेट और संबंधित सूचना प्रौद्योगिकियों के साथ यहां भी शामिल है।

कृषि में ई-प्रौद्योगिकी को अपनाने का महत्व

- **उपचारात्मक चिकित्सा:** भारत में, जहां कृषि क्षेत्र अभी भी जल संकट, मरुस्थलीकरण, फसल कीट, रोग और बुनियादी ढांचे की लगातार कमी जैसे मुद्दों से प्रभावित है, तकनीकी प्रगति एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान कर रही है।
- **कुशल तरीकों का विकास:** ई-प्रौद्योगिकी ने रोबोटिक्स और सेंसिंग प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के साथ कृषि प्रथाओं को पूरा करने के लिए अधिक उन्नत, प्रभावी और कुशल प्रथाओं और विधियों के विकास में योगदान दिया है।
- **निर्णय लेने में सहायक:** जब एक किसान के पास आवश्यक सभी जानकारी होती है, तो वे अपनी कृषि गतिविधियों, अपने अनाज, अपने संचार चौनलों, उनके वितरण और अन्य जरूरतों के बारे में बेहतर, अधिक शिक्षित निर्णय ले सकते हैं।
- **प्रभावी योजना:** प्रौद्योगिकी पूरी तरह से फसलों की निगरानी कर सकती है, पैदावार का पूर्वानुमान, बुवाई का मौसम, फसल से संबंधित जरूरतों और अन्य कारकों। इन समकालीन तरीकों की सहायता से, किसान अपने संचालन का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और सूचित योजनाएं बना सकते हैं।



- **मध्यस्थहीनता:** प्रौद्योगिकी के युग में, किसान स्थानांतरित गतिशीलता का प्रभार लेने और व्यापारियों पर भरोसा किए बिना बाजार ज्ञान का उपयोग करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों को अपना सकते हैं।



- **लागत न्यूनीकरण:** सटीक कृषि का उपयोग लेनदेन लागत को कम करके खेती की लागत को अनुकूलित करता है।
- **पारदर्शी प्रणाली:** आईसीटी के उपयोग के माध्यम से लालफीताशाही में कटौती की जाती है, जैसे कि जन-धन के माध्यम से डीबीटी और पीएम किसान योजना में आधार के उपयोग, जो प्रणाली को पारदर्शी बनाने के साथ दोहराव में कटौती करता है।
- **भौगोलिक बाधाओं को तोड़ना:** भारत में प्रत्येक क्षेत्र के लिए अद्वितीय आवश्यकताओं के साथ विभिन्न प्रकार के कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं। इस जटिल प्रणाली को बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और अन्य तकनीकों के उपयोग के साथ सरल बनाया जा सकता है।

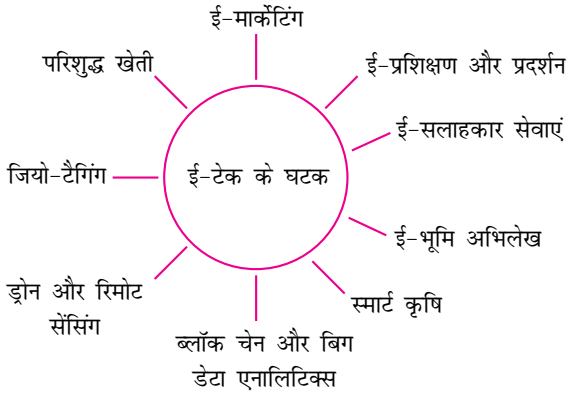
- **सामुदायिक भागीदारी:** प्रत्येक समुदाय का सदस्य भाग ले सकता है और योगदान कर सकता है क्योंकि आईसीटी में दूरी एक बाधा नहीं है।
- **भ्रष्टाचार को कम करना:** भ्रष्टाचार को कम करने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि सरकार की सहायता निम्न वर्गों तक नहीं पहुंचती है, और अमीर किसान उन लाभों को चुराते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। आईसीटी निर्विवाद रूप से इसे कम करने में सहायता करेगा।
- **कृषि नवाचार:** एक जुड़ा हुआ कृषि दुनिया बेहतर पहुंच को प्रोत्साहित करेगी जब वैज्ञानिक प्रतिकूल परिस्थितियों में फसलों को बढ़ाने के लिए नए, बेहतर तरीके विकसित करते हैं।
- **बेहतर पहुँच:** छोटे और मध्यम किसानों के अलावा, बैकयार्ड किसान भी कृषि को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं। ई-प्रौद्योगिकी के उपयोग से सभी स्तरों पर कृषि क्षेत्र में विचारों और नवाचारों के प्रसार में सहायता मिलेगी।

किसानों के लिए ई-प्रौद्योगिकी का उपयोग

- **कृषि के मशीनीकरण से बेहतर उत्पादकता: उष्णकटिबंधीय वातावरण में** कृषि यंत्रीकरण के परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि, कृषि में उपयोग किए जाने वाले शारीरिक श्रम और हाथ के उपकरणों में ऊर्जा और उत्पादन सीमाएं हैं



- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जलवायु/मौसम की भविष्यवाणी:** डेटा संग्रह वर्तमान तकनीक और एआई-आधारित उपकरणों द्वारा संभव बनाया गया है, जो सटीक खेती और अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने का भी समर्थन करते हैं। ड्रोन, रिमोट सेंसर और उपग्रह लगातार खेतों में और उसके आसपास के मौसम पर डेटा एकत्र करते हैं, जिससे किसानों को तापमान, वर्षा, मिट्टी, आर्द्रता और अन्य कारकों के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है।
- **जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से विकसित सहनशील फसलें:** जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से चरम जलवायु को सहने वाली किस्म विकसित की जा सकती। आम तौर पर, आनुवंशिक इंजीनियरिंग कीटों के लिए फसल प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए जीन की पहचान और हेरफेर करके पशुधन और फसलों में सुधार करती है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उपयोग के माध्यम से उच्च उपज देने वाली किस्में भी बनाई जाती हैं।



- **कृषि सेंसर:** वायरलेस रूप से जुड़े सेंसर में उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें पोषक तत्वों के लिए सटीक स्थानों को इंगित करना, वायु प्रवाह को मापना, मिट्टी की संरचना और नमी सामग्री का विश्लेषण करना और बहुत कुछ शामिल है। किसान उर्वरक को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने और श्रम और कीटनाशकों पर पैसे बचाने के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं।
- **बिग डेटा का उपयोग करके कृषि पैदावार और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार:** निर्णय लेने और समस्या सुलझाने के लिए डेटा का उपयोग इसके संग्रह, संकलन और बाद के प्रसंस्करण के माध्यम से विस्तारित किया जा रहा है। स्मार्ट खेती में बड़े डेटा का उपयोग करने के लाभ पूरी आपूर्ति श्रृंखला और बाजारों में फैलने की उम्मीद है। कृषि का विस्तार हो रहा है और यह कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रभावित है।
- **पशुधन निगरानी:** शरीर सेंसर और चिप्स आवश्यक मापदंडों और संकेतकों को मापते हैं जो बीमारी की जल्दी पहचान कर सकते हैं और झुंड संक्रमण को रोक सकते हैं।
- **फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज:** शिक्षा, उद्योग और सरकारी एजेंसियों के साथ इस तरह के संबंध विकसित हो सकते हैं ।
- **कौशल और उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाना:** कृषि प्रथाओं की लागत-प्रभावशीलता, व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करते हुए किसानों का कौशल और उत्पादक क्षमताओं को बढाया जा सकता है।

कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)

- वैश्विक आबादी बढ़ रही है और भूमि अधिक दुर्लभ हो रही है, इस कारण लोगों को जागरूक होने और कृषि के बारे में अधिक कुशल बनने की आवश्यकता है। उत्पादकता और उपज में वृद्धि करते हुए अधिक फसल उगाने के लिए, कम भूमि का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

- इसके अतिरिक्त, कई कठिनाइयां हैं जिन्हें भारतीय कृषि को दूर करना होगा, जिसमें मानसून पर इसकी उच्च निर्भरता, इसकी संसाधन-गहनता (पानी, अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भारी उपयोग), भूमि का क्षरण और मिट्टी की उर्वरता का नुकसान, और प्रति हेक्टेयर इसकी कम पैदावार शामिल है।
- इस स्थिति में, एआई जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, रोजगार के मुद्दों और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों सहित विभिन्न कारकों के कारण फसल की उपज बढ़ाने में उत्प्रेरक भूमिका निभा सकता है।

कृषि में एआई का दायरा

- **संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाना:** कृषि + 5 ट्रिलियन का वैश्विक उद्योग है, और एआई प्रौद्योगिकियां स्वस्थ फसलों का उत्पादन करने, कीटों को नियंत्रित करने, मिट्टी और बढ़ती स्थितियों की निगरानी करने, किसानों के लिए डेटा व्यवस्थित करने, कार्यभार को कम करने और संपूर्ण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के कृषि-संबंधित कार्यों में सुधार करने में मदद कर सकती हैं।
- **उच्च विकास के लिए अवसर:** महत्वपूर्ण विकास की संभावना विश्व स्तर पर, कृषि में एआई अनुप्रयोगों का मूल्य 2019 में $ 1 बिलियन के करीब होने का अनुमान लगाया गया था, और यह भविष्यवाणी की गई है कि यह मूल्य 2030 तक लगभग $ 8 बिलियन तक बढ़ जाएगा। भारतीय कृषि-तकनीकी बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में $ 204 मिलियन है, इस परिदृश्य में $ 24 बिलियन की अनुमानित क्षमता के केवल 1% तक पहुंच पाया है।
- **विशाल कृषि डेटा संसाधन:** भारत डेटा वैज्ञानिकों और एआई विशेषज्ञों के लिए अपनी मिट्टी के प्रकार, जलवायु और स्थलाकृति की विविधता के कारण कृषि के लिए अत्याधुनिक एआई उपकरण और समाधान विकसित करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। भारतीय खेतों और किसानों के बड़े और विस्तृत डेटा का उपयोग न केवल देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एआई समाधान विकसित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। और यह उन कारकों में से एक है जो भारतीय कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अवसर को अद्वितीय बनाता है।

कृषि में एआई का उपयोग

- **एआई फार्म डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है:** खेत हर दिन जमीन पर सैकड़ों हजारों डेटा बिंदु उत्पन्न करते हैं, जिसका विश्लेषण करने में एआई मदद कर सकता है। किसान अब वास्तविक समय में विभिन्न प्रकार की चीजों का विश्लेषण करने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मौसम, तापमान, पानी का उपयोग, या अपने खेत से एकत्र की गई मिट्टी की स्थिति, अपने निर्णयों को बेहतर ढंग से सूचित करने के लिए।
- **सटीक कृषि:** एआई तकनीक का उपयोग सटीक कृषि में कीटों, बीमारियों और खेतों पर अपर्याप्त पौधों के पोषण की पहचान करने में मदद करने के लिए किया जाता है। एआई सेंसर खरपतवारों की पहचान और लक्ष्य कर सकते हैं, फिर तय कर सकते हैं कि उपयुक्त बफर जोन के भीतर कौन से जड़ी-बूटियों का उपयोग करना है। सटीक कृषि का उपयोग करके, उत्पादकता बढ़ेगी।
- **श्रम चुनौती से निपटना:** एआई संचालित कृषि रोबोट इस श्रम कमी को दूर करने का एक तरीका है। ये रोबोट कई उद्देश्यों की सेवा करते हैं और मानव श्रम के पूरक हैं। एक उदाहरण के रूप में, ये रोबोट मानव मजदूरों की तुलना में अधिक तेजी से और अधिक मात्रा में फसलों की कटाई कर सकते हैं, अधिक सटीकता के साथ खरपतवारों की पहचान और हटा सकते हैं, और निरंतर श्रम शक्ति प्रदान करके कृषि लागत को कम कर सकते हैं।

समाप्ति

- कृषि उद्योग में हाल के सुधारों के साथ, एक मौका है कि अनुबंध खेती निवेश में वृद्धि होगी और उच्च पैदावार और उत्पादकता के लिए प्रौद्योगिकी पेश की जाएगी। यह कृषि में एआई के उपयोग को और भी प्रोत्साहित करेगा। इन एआई समाधानों को पैमाने पर मदद करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से भी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।
- इस संबंध में, हाल ही में संपन्न **सामाजिक सशक्तिकरण शिखर सम्मेलन के लिए जिम्मेदार एआई - रेज - 2020 समिट** ने अंतरराष्ट्रीय हितधारकों को आम जनता के लाभ के लिए एआई का उपयोग करने के लिए रोडमैप को इकट्ठा करने और अंतिम रूप देने के लिए एक स्थान प्रदान करने में सहायता की है।

कृषि में ई-प्रौद्योगिकी से संबंधित पहल

- **राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम):** राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) नामक एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार विकसित करने के लिए मौजूदा एपीएमसी और अन्य बाजार यार्डों को जोड़ना है। एनएएम एक "आभासी" बाजार है, लेकिन बैकएंड पर, एक भौतिक बाजार है। एनएएम की घोषणा 2014-15 के बजट के दौरान की गई थी। एनएएम को केंद्र प्रायोजित योजना (ATIF) के रूप में कृषि-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से लागू किया जाता है।

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने एगमार्कनेट ई-गवर्नेंस पोर्टल को लागू किया है, जो कृषि उपज बाजारों से कीमतों, कमोडिटी आगमन की जानकारी और उत्पादकों, उपभोक्ताओं, व्यापारियों और नीति निर्माताओं को वेब-आधारित प्रसार उत्पन्न करना और संचारित करना आसान बनाता है।
- **ई-चौपाल:** यह एक आईटीसी पहल है जो वैकल्पिक विपण न चौनल, जलवायु, कृषि प्रथाओं, इनपुट बिक्री आदि पर डेटा प्रदान करती है। यह एक प्रशिक्षित संचालक द्वारा संचालित एक कियोस्क है जो एक गांव में स्थित है और कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस से सुसज्जित है।
- **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) केंद्रीय कृषि पोर्टल:** डीबीटी कृषि पोर्टल, जिसे 2013 में पेश किया गया था, देश में सभी कृषि कार्यक्रमों के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल है।
- **ग्राम संसाधन केंद्र:** ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम संसाधन केंद्र अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं। वे उन कुछ पहलों में से हैं जो पृथ्वी अवलोकन (ईओ) उपग्रह डेटा और उपग्रह संचार (सैटकॉम) नेटवर्क का उपयोग करके स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गांवों तक पहुंचते हैं।
- **ग्राम ज्ञान केंद्र (वीकेसी):** ग्राम ज्ञान केंद्र (वीकेसी) सूचना प्रसार के लिए एक केंद्र है जो किसानों को फसल उत्पादन से लेकर विपणन तक कृषि के क्षेत्र में सबसे हालिया जानकारी और ज्ञान तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है। प्रत्येक वीकेसी में एक ष्वीकेसी प्रभारीष होता है जो केंद्र के संचालन की देखरेख करता है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड योजना:** किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को सुलभ और सस्ती ऋण प्रदान करने के लिए आईसीटी का उपयोग करता है। यह 1998-1999 में भारत सरकार, आरबीआई और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में किसानों का समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था।
- **कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन:** कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन का लक्ष्य कृषि विस्तार को पुनर्गठित और मजबूत करना है ताकि किसानों को उचित तकनीक और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियां मिल सकें।
- **डिजिटल कृषि मिशन:** डिजिटल कृषि मिशन (2021-2025) का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और रोबोट और ड्रोन के उपयोग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।
- **एकीकृत किसान सेवा मंच (यूएफएसपी):** यूएफएसपी डेटा, अनुप्रयोगों, कोर बुनियादी ढांचे और उपकरणों का एक संयोजन है जो देश के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में कई सार्वजनिक और निजी आईटी प्रणालियों के बीच निर्बाध अंत:क्रियाशीलता को सक्षम बनाता है। यूएफएसपी कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र में केंद्रीय संगठन के रूप में एक संगठन है (जैसा कि यूपीआई ई-भुगतान के लिए करता है)।
- **कृषि** और किसान मंत्रालय द्वारा "एग्रीस्टैक" नामक प्रौद्योगिकी-आधारित कृषि हस्तक्षेपों के एक संग्रह की योजना बनाई जा रही है Welfare-In किसानों को कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला में एंड-टू-एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए, यह उनके लिए एक एकीकृत मंच बनाएगा।
- **संदेश पाठक:** संदेश पाठक एप्लिकेशन की मदद से, जिसे सी-डैक मुंबई, आईआईटी-मद्रास, आईआईआईटी हैदराबाद, आईआईटी खड़गपुर और सी-डैक तिरुवनंतपुरम द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था, एसएमएस संदेश अब उन किसानों के लिए जोर से पढ़े जा सकते हैं, जिन्हें पढ़ने में कठिनाई हो सकती है।
- **किसान कॉल सेंटर:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए 2004 में कार्यक्रम शुरू किया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के फोन कॉल का जवाब उनकी भाषा में देना और उनके सवालों का जवाब देना है।

किसानों और इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी से जुड़ी राज्य-स्तरीय पहल

- **छोटे** और सीमांत किसानों के लिए, ईसागु (तेलंगाना आंध्र प्रदेश क्षेत्र में खेती के लिए तेलुगु शब्द) तुरंत उनके दरवाजे पर फसल काटने के लिए बुवाई के चरण से व्यक्तिगत विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है। खेत की स्थिति डिजिटल छवियों और पाठ डेटा का उपयोग करके विशेषज्ञ को प्रस्तुत की जाती है। स्थितिजन्य विश्लेषण के बाद, विशेषज्ञ सलाह तैयार की जाती है और संबंधित किसान को उस दिन या अगले दिन सलाह दी जाती है।
- **एग्रीस्नेट परियोजना** की कल्पना कृषक समुदाय को प्रभावी ढंग से सूचनात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक परस्पर, तकनीकी रूप से सक्षम नेटवर्क के निर्माण के विचार के साथ की गई थी। कृषक समुदाय को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सूचनात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए, परियोजना का उद्देश्य तमिलनाडु में कृषि विभाग की क्रॉस-फंक्शनल प्रक्रियाओं को एकीकृत करना है।
- **जियो एग्री (जियोकृषि) प्लेटफॉर्म:** 2020 में, किसानों को सशक्त बनाने के लिए डीतींजतं.प्द के जालना और नासिक जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, यह पूरी मूल्य श्रृंखला के साथ कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल बनाता है।

केस स्टडी और सर्वोत्तम प्रथाएं

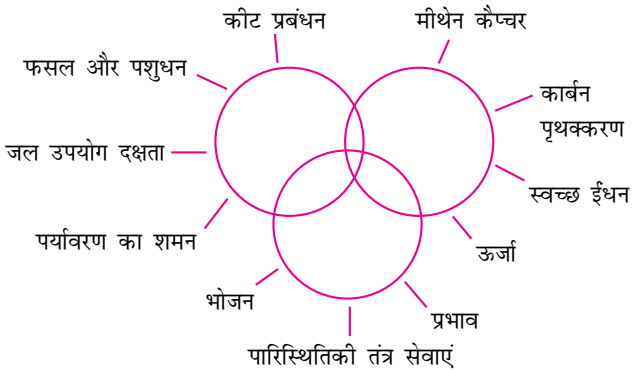
माइक्रोसॉफ्ट	माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी) के साथ एक पायलट परियोजना शुरू की, ताकि किसानों को फसलों की बुवाई के लिए सही समय की भविष्यवाणी करने में मदद मिल सके।
कर्नाटक	**संरक्षने (SAMRAKSHANE)** प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) कार्यक्रम और संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (MWBCIS) के तहत फसल बीमा को संभालने के लिए एक एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस समाधान है।
कर्नाटक सरकार और एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज	कर्नाटक राज्य सरकार और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) ने कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय ई-मार्केट सेवा शुरू की।
प्लांतिक्स (Plantix):	2018 में, कर्नाटक सरकार ने प्लांटिक्सष, एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया जो कीटों, पौधों की बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी का स्मार्ट तरीके से पता लगा सकता है।
मेघदूत:	डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने और किसानों के लिए प्रौद्योगिकी लाने के उद्देश्य से, सरकार ने एक मोबाइल एप्लिकेशन "मेघदूत" लॉन्च किया है। यह ऐप तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति और दिशा से संबंधित पूर्वानुमान प्रदान करके किसानों की मदद करेगा, और फसलों व पशुधन की देखभाल करने में मदद करेगा।

कृषि में ई-प्रौद्योगिकी को अपनाने में चुनौतियां और बाधाएं

- **बुनियादी ढांचे की कमी:** नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले किसानों के लिए सबसे बड़ी बाधाएं कृषि इनपुट, अव्यवस्थित ऋण और बाजार लिंकेज की कमी के बारे में जानकारी की कमी है।
- **उचित इनपुट और सलाह:** किसानों को उनके लिए उपलब्ध विभिन्न कृषि संसाधनों के पर्याप्त ज्ञान के साथ-साथ उनका उपयोग करने के तरीके के बारे में उचित मार्गदर्शन की कमी है।
- **खराब पहुंच:** ई-प्रौद्योगिकी की ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सीमित पहुंच है, और देश में प्रौद्योगिकी का समग्र वितरण असमान है।
- **पहुंच की कमी और निरक्षरता:** कनेक्टिविटी की कमी, अपर्याप्त कंप्यूटर साक्षरता, उच्च सेवा लागत और निरक्षरता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक कृषि का तेजी से विकास बाधित होता है।
- **अपनाने के साथ मुद्दे:** नई कृषि प्रौद्योगिकियों के स्पष्ट फायदे हैं, लेकिन किसान या तो उन्हें अपनाते नहीं हैं या उन्हें बढ़ाने में बहुत लंबा समय लेते हैं। हालांकि, किसानों को वास्तव में नई प्रौद्योगिकियों में सच्चा विश्वास नहीं था।
- **पुराना व्यवहार:** इसके अलावा, बुजुर्ग किसान पूरी तरह से अपने स्वयं के अनुभव पर निर्भर थे और नई तकनीकों को स्वीकार नहीं करते थे।
- **वित्तीय सीमाएं:** अमीर किसान नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें अपना रहे हैं, लेकिन छोटे और सीमांत किसान उन्हें अपनाने में सक्षम नहीं हैं और इस प्रकार उन्हें छोड़ दिया जाता है।
- **सामग्री और भाषा सीमाएं:** जानकारी का उपयोग करने वाले ग्रामीण लोगों के लिए प्राथमिक बाधा उनकी मूल भाषाओं में सामग्री की कमी है। हालांकि इस क्षेत्र में पर्याप्त काम किया जा रहा है, लेकिन कृषि पर निर्भर आबादी को पूरी तरह से अवशोषित करना पर्याप्त नहीं है।

आगे की राह

- **स्मार्ट गांवों की अवधारणा विकसित करना:** गांवों को अधिक तकनीकी-प्रेमी और पर्यावरणीय टिकाऊ विकसित करना।
- **बुनियादी ढांचा:** वित्तीय रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से संतोषजनक दृष्टिकोण पर होना चाहिए जो ग्रामीण गरीबों के लिए सुलभ हो।
- **जागरूकता को बढ़ावा देना:** आईसीटी का उपयोग करने और बनाए रखने में ग्रामीण समुदायों के क्षमता निर्माण की गारंटी।
- **संचार नेटवर्क:** छोटे धारकों के लिए बाजारों के लिए अधिक न्यायसंगत, समय पर और सहयोगी तरीका सुनिश्चित करने के लिए।
- वर्तमान कृषि प्रथाओं में नियोजित विभिन्न आईसीटी उपकरणों की पहचान और ऊर्ध्वाधर एकीकरण।



- **अनुसंधान और नवाचार:** नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बातचीत करने और ज्ञान को अधिक प्रभावी ढंग से देने के तरीके में निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
- **डिजिटलीकृत करने की आवश्यकता:** कृषि में अकादमिक और शोध डेटा, पत्रिकाओं और शोध पत्रों के रूप में उपलब्ध, सूचना के क्रॉस-फ्लो को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल करने की आवश्यकता है।
- **संस्थागत तंत्र से जुड़ाव:** मध्यस्थ संगठनों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एजेंसियों के साथ जोड़ने के लिए एक संस्थागत तंत्र होना चाहिए।

निष्कर्ष

- प्रौद्योगिकी अपनाने से किसानों के ज्ञान, ऋण तक पहुंच और कृषि उत्पादन में कई तरीकों से सुधार करके कृषि दक्षता में सुधार करने की अपनी क्षमता साबित हुई है। इसलिए, प्रौद्योगिकी अपनाने से कृषि उत्पाद को एक कुशल तरीके से **"स्थानीय से वैश्विक"** बाजार तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। यदि प्रौद्योगिकी अपनाने में शेष मुद्दों की पहचान की जाती है, तो भारतीय **"किसान किसान" की छवि को "उद्यमी किसान" में बदलने में भी मदद मिलेगी।** कृषि प्रौद्योगिकी में भारत को हर तरह से ष्आत्मनिर्भर भारतष बनाने की क्षमता है और यह बाहरी कारकों पर भी कम निर्भर है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम किसानों को कृषि उत्पादकता और आय में सुधार करने में कैसे मदद कर सकता है? सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं? (2015)
2. "गांवों में ही सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी रूप उपयुक्त नहीं होगा" – अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए। कृषि वित्त की आपूर्ति करने वाले वित्तीय संस्थानों को किन बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण ग्राहकों तक बेहतर पहुंचने और उनकी सेवा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है? (2014)

❖ ❖ ❖

25 हरित क्रांति

- भारत में हरित क्रांति का आशय 1960 के दशक के दौरान एचवाईवी (HYV) अर्थात् उच्च पैदावारवाली बीज किस्में (High-yielding seed varieties) के विकास से है, जिसके परिणामस्वरूप भूख और गरीबी को कम करने के लिए भारत में खाद्य फसलों , विशेष रूप से चावल और गेहूं के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।
- भारत में हरित क्रांति से आशय उस अवधि से है जब भारतीय कृषि आधुनिक पद्धतियों और प्रौद्योगिकी जैसे कि एचवाईवी (HYV) बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के फलस्वरूप एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी।

क्या आप जानते हैं?

- **विलियम एस. गैड** ने 1968 में हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया था।
- **नॉर्मन बोरलॉग** को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है।
- **एमएस स्वामीनाथन** को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है।

परिचय और पृष्ठभूमि

- कृषि विकास स्थिर होने की पृष्ठभूमि में **पीएल-480 जैसी योजनाओं के माध्यम से उच्च खाद्य आयात,** सूखा और बढ़ती जनसंख्या जैसे कारण थे।
- **बढ़ती जनसंख्या और स्थिर कृषि विकास :** 1951 और 1966 के बीच, खाद्यान्न उत्पादन 2.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ा। यह बढ़ती आबादी की खपत की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था, जो प्रत्येक वर्ष 2% से अधिक की दर से बढ़ रही थी।
- **खाद्य आयात :** परिणामस्वरूप, 1950 के दशक के मध्य से, भारत अपनी बढ़ती आबादी के भोजन हेतु खाद्यान्न आयात पर निर्भर रहने लगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1956 में सार्वजनिक कानून (पीएल) 480 पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत को बड़े पैमाने पर गेहूं के रूप में खाद्य सहायता प्राप्त करने की अनुमति मिली।
- **लगातार युद्ध :** भारत दो युद्धों (1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ) के कारण अपने संसाधनों को ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु प्रयोग करने में असमर्थ रहा।
- **लगातार सूखा पड़ना :** 1965 और 1966 में लगातार दो सूखे ने देश को एक अभूतपूर्व खाद्य संकट में डाल दिया, 1966 में खाद्यान्न उत्पादन और उपज में क्रमशः 19% और 17% की गिरावट आई।
- **शीत युद्ध :** भूख से बचने के लिए खाद्यान्नों का आयात बढ़ा दिया गया। खाद्य सहायता का उपयोग शीत युद्ध के दौरान समर्थन प्राप्त करने के लिए खाद्य सहायता प्राप्तकर्ता देशों के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया गया था, और भारत इसका शिकार था।

हरित क्रांति की आवश्यकता

- **लघु अवधि :** भारत के खाद्य संकट को दूर करना। संकट से निपटने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रान्ति को शुरू किया गया था;
- **दीर्घावधि :** ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास (अवसंरचना, कच्चा माल, उपभोक्ता, आदि) पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण;
- **रोजगार :** इसके परिणामस्वरूप कृषि और औद्योगिक श्रमिकों दोनों को रोजगार प्रदान करने में मदद हेतु;
- **अध्ययन और जैविक परीक्षण करने हेतु :** मजबूत पौधे जो चरम जलवायु और बीमारियों का सामना कर सकते हैं, का उत्पादन ;
- **कृषि जगत का वैश्वीकरण :** गैर-औद्योगीकृत राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करके और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में कई निगमों की स्थापना करके।

हरित क्रांति के घटक

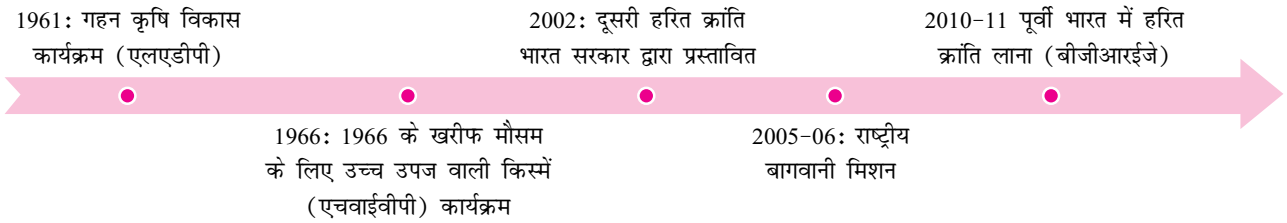
- **उच्च पैदावारवाली बीज किस्में (HYV):** बीजों की इन किस्मों ने रासायनिक उर्वरकों के असर को बढ़ा दिया है, इनकी पकने की अवधि कम है जिसके कारण किसान कई फसलें उगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, चावल और गेहूं के

नए बीज को पकने में क्रमशः लगभग 100 और 110 दिन लगते हैं, इसके विपरीत गेहूँ और चावल की पारंपरिक किस्मों को पकने में क्रमशः 130 और 150 दिन लगते हैं।

- **सिंचाई :** यह उच्च पैदावारवाली बीज किस्में हरित क्रांति का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है, और अधिक और कम सिंचाई, दोनों ही फसल के लिए हानिकारक हैं। चूंकि भारतीय वर्षा अविश्वसनीय, अनियमित और मौसमी है, इसलिए सिंचाई क्षमता का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता होती है।
- **रासायनिक उर्वरक :** समय के साथ मृदा की प्राकृतिक उर्वरता कम हो जाती है और एचवाईवी बीजों को क्षुधायुक्त किस्मों के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें उच्च पैदावार देने के लिए उर्वरकों की उच्च खुराक की आवश्यकता होती है।
- **कीटनाशक और खरपतवारनाशक :** हरित क्रांति द्वारा प्रेरित मोनोकल्चर कृषि पद्धति कीड़ों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील है, इसलिए सुरक्षित पैदावार के लिए कीटनाशक और कीटाणुनाशक का उपयोग अनिवार्य हो जाता है।
- **जोतों की चकबंदी :** भारत में कृषि की प्रगति में छोटी और खंडित भूमि जोत मुख्य समस्या रही है।
- **भूमि सुधार :** जमींदारी व्यवस्था के तहत जमींदार किसानों का शोषण करते थे, इसलिए आजादी के बाद सुधार शुरू किए गए और जमींदारी व्यवस्था जैसे बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया, और सीलिंग कानून लागू किए गए।
- **कृषि ऋण :** प्रौद्योगिकी, एचवाईवी बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे सभी साधन, ऋण की उपलब्धता पर निर्भर थे और इसलिए आसान और सस्ता ऋण प्रदान किया गया था।
- **ग्रामीण विद्युतीकरण :** विद्युत शक्ति जो सभी तकनीकी विकास का केंद्र है, बहु फसल और कृषि की गहनता के लिए अनिवार्य है।
- **फार्म मशीनीकरण :** मशीनीकरण मानव श्रम बचाता है और कृषि कार्यों को तेज करता है; इस प्रकार, यह कृषि दक्षता और उत्पादकता में सुधार करता है।
- **कृषि विश्वविद्यालय :** कृषि विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान मुख्य रूप से कृषि अनुसंधान में लगे हुए हैं और किसानों को अनुसंधान के परिणाम प्रदान कर रहे हैं।

हरित क्रांति के चरण

- **चरण I (1966 - 72):** 1966 के दौरान, भारत ने 18,000 टन एचवाईवी गेहूं के बीजों की खेप का अनुरोध किया, जिसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अत्यधिक सिंचित क्षेत्रों में वितरित किया गया था।
- **चरण II (1973 - 80):** नलकूपों (निजी और सार्वजनिक दोनों) **के विकास के कारण** गेहूं के बाद चावल के लिए एचवाईवी तकनीक का विस्तार हुआ जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु में नए क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रसार हुआ।
- **चरण III (1981 - 90):** हरित क्रांति पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र, बिहार, असम और ओडिशा तक फैल गई, जो पहले कम वृद्धि वाले क्षेत्र थे।



हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव

- **कृषि उत्पादन में वृद्धि :** 1967 के बाद से हरित क्रांति अनाज क्रांति लेकर आई। इस कारण से, यह कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति काफी हद तक गेहूं क्रांति है।
- **किसानों की समृद्धि :** हरित क्रांति ने किसानों के जीवन को बहुत प्रभावित किया था। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ, किसानों को भारी आमदनी हुई और वे समृद्ध हो गए।
- **खाद्यान्न के आयात में कमी :** हरित क्रांति का मुख्य लाभ खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि थी जिससे भारत की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। नतीजतन, उनके आयात में भारी कमी आई थी।
- **पूंजीवादी खेती :** 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों ने हरित क्रांति प्रौद्योगिकी से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एचवाईवी बीजों, उर्वरकों, मशीनों आदि जैसे विभिन्न साधनों में बड़ी मात्रा में निवेश किया।
- **लाभ को वापस निवेश करना :** हरित क्रांति प्रौद्योगिकी ने कृषकों को अपनी आय के स्तर को ऊपर उठाने में मदद की। बुद्धिमान किसानों ने कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए अपनी अतिरिक्त आय को वापस कृषि कार्य में लगा दिया। इससे कृषि में और सुधार हुआ।
- **औद्योगिक विकास :** हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि आधुनिकीकरण किया जिसने विभिन्न प्रकार की मशीनों जैसे

ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, पम्पिंग सेट की मांग बढ़ी।

- **ग्रामीण रोजगार :** हालांकि भारत में हरित क्रांति प्रौद्योगिकी की शुरुआत के साथ खेती के मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन बहुफसली पद्धति और उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम शक्ति की मांग में काफी वृद्धि हुई।
- **किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन :** हरित क्रांति की शुरुआत ने कृषि व्यवसाय के प्रति उनके दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन किया है।
- **ग्रामीण रोजगार :** बहुफसली और उर्वरकों के प्रयोग के कारण श्रम शक्ति की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने न केवल कृषि श्रमिकों के लिए बल्कि कारखानों और पनबिजली संयंत्रों जैसी संबंधित सुविधाओं का निर्माण करके औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी बहुत सारे रोजगार सृजित किए।
- **फसल उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि :** इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत को दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक के रूप में स्थापित किया।

हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव

- **गैर-खाद्यान्नों का अलग-थलग पड़ना :** हालांकि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्नों को क्रांति से लाभ हुआ है, लेकिन अन्य फसलें जैसे मोटे अनाज, दालें और तिलहन क्रांति के दायरे से बाहर रह गए। कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती रह गईं।
- **एचवाईवीपी का सीमित क्षेत्र :** उच्च उपज वाली किस्म कार्यक्रम (HYVP) केवल पांच फसलों तक ही सीमित था: गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। इसलिए, गैर-खाद्यान्न को नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया। गैर-खाद्य फसलों एचवाईवी बीजों को या तो अब तक विकसित नहीं किया गया था या वे इतने अच्छे नहीं थे कि किसान उन्हें अपनाने का जोखिम उठा सकें।
- **रसायनों का अत्यधिक उपयोग :** हरित क्रांति के परिणामस्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजनाओं और फसल किस्मों के लिए कीटनाशकों और सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। हालांकि, कीटनाशकों के गहन उपयोग से जुड़े उच्च जोखिम के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए बहुत कम या कोई प्रयास नहीं किए गए।
- **फसलों की स्वदेशी किस्मों का विलुप्त होना :** हरित क्रांति के कारण, भारत ने स्वदेशी चावल की लगभग 1 लाख किस्मों को खो दिया। हरित क्रांति के बाद चावल, बाजरा, मसूर आदि की देशी किस्मों की खेती कम हो गई है।
- **अपर्याप्त सिंचाई सुविधा के कारण कृषि विकास में मंदी:** खेतों का आकार छोटा होना, नई तकनीकों को विकसित करने में विफलता, प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त उपयोग, घटता योजना परिव्यय, इनपुट का असंतुलित उपयोग और ऋण वितरण प्रणाली में कमजोरियाँ।
- **मिट्टी और फसल उत्पादन पर प्रभाव :** फसल उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बार-बार फसल चक्र से मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। नए प्रकार के बीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसानों ने उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि की। इन क्षारीय रसायनों के प्रयोग से मिट्टी का पीएच स्तर बढ़ गया।
- **बेरोजगारी :** पंजाब को छोड़कर, और कुछ हद तक हरियाणा में, हरित क्रांति के तहत कृषि मशीनीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों के बीच व्यापक बेरोजगारी पैदा की।
- **जल की खपत :** हरित क्रांति के दौरान शुरू की गई फसलें जल-गहन फसलें थीं।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ :** हरित क्रांति के लाभ उन क्षेत्रों में केंद्रित रहे जहाँ नई तकनीक का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, चूंकि कई वर्षों तक क्रांति गेहूं के उत्पादन तक ही सीमित रही, इसलिए इसका लाभ ज्यादातर केवल गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों को ही मिला।
- **बड़े और छोटे किसानों के बीच पारस्परिक असमानताएँ:** क्रांति के दौरान शुरू की गई नई तकनीकों के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता थी जो कि अधिकांश छोटे किसानों के लिए संभव नहीं था। जिन किसानों के पास बड़ी कृषि भूमि है, वे पुनः निवेश करके आय में अधिक पूर्ण लाभ प्राप्त करना जारी रखते हैं।
- **हरित क्रांति के सामाजिक प्रभाव:** हमारे देश के मूल निवासी भू-प्रजातियों का नुकसान, किसानों के बीच आत्महत्या की दर में वृद्धि, खेती के बढ़ते खर्च और कर्ज का सामना करने में असमर्थ छोटे किसानों ने बड़े वाणिज्यिक किसानों को अपनी जमीन बेच दी, और खाद्य मुद्रास्फीति का सामना करने में असमर्थ आर्थिक संकट के कारण किसान खेती छोड़कर दूसरे धंधे का सहारा ले रहे हैं।

मामलों का अध्ययन: पंजाब क्षेत्र

- भारतीय राज्य पंजाब ने भारत को एक खाद्य-अधिशेष देश में बदलने के लिए अन्य राज्यों के बीच **हरित क्रांति का बीड़ा उठाया।** राज्य रसायनों और कीटनाशकों के उपयोग से सघन खेती के गंभीर परिणाम भुगत रहा है।

- **कैंसर के मामलों** में बढ़ोतरी झारीवाला, कोहरवाला, पक्का, भीमावली, खारा सहित कई गांवों में इसकी सूचना मिली है।
- **पर्यावरणविद् वंदना शिवा :** उन्होंने पंजाब में हरित क्रांति के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के बारे में विस्तार से लिखा है।
- **रासायनिकों का अत्यधिक उपयोग और मोनोकल्चर :** इसने दर्शाया है कि किस तरह रासायनिक उर्वरकों और मोनोकल्चर के भारी उपयोग पर हरित क्रांति की निर्भरता के परिणामस्वरूप पानी की कमी, कीटों के लिए भेद्यता, और हिंसक संघर्ष और सामाजिक भेदभाव की घटनाओं की खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है।
- **डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश :** कुओं से एकत्रित सैंपलों में से 20% में डब्ल्यूएचओ द्वारा स्थापित 50 मिलीग्राम / लीटर की सुरक्षा सीमा से ऊपर नाइट्रेट का स्तर पाया गया, अध्ययन ने इसे कृत्रिम नाइट्रोजन उर्वरकों के उच्च उपयोग से जोड़ा।
- **हरित क्रांति का डोमिनोज प्रभाव :** मिट्टी के बढ़ते विषैलीकरण के साथ, यह क्षेत्र कभी हरित क्रांति का घर माना जाता था, अब रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण, इसे ष्दूसरा भोपालष कहा जा रहा है, और यहाँ तक कि क्रांति का श्रेय लेने वालों ने यह स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि वे गलत थे, अब वे इस ष्भारत के अन्न भंडारष में बंजर भूमि और किसानों की आत्महत्याओं को देख रहे हैं।

आगे की राह

- **अनुसंधान प्रणालियाँ :** पर्यावरणीय रूप से अधिक संधारणीय कृषि प्रणालियाँ बनाने के उद्देश्य से, उन तरीकों पर अधिक जोर देना जो बाहरी साधनों तक सीमित पहुँच वाले क्षेत्रों और किसानों के समूहों के लिए खाद्य उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
- **उचित बाजार और कीमतें :** बाजारों तक अधिक खुली पहुंच और उत्पादन के लिए उचित और पूर्वानुमेय कीमतों का होना वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- **खेती के जैविक तरीके :** संधारणीय कृषि पद्धतियों के लिए इसे अपनाने की जरूरत है।
- **वैकल्पिक कृषि तकनीकें :** जैसे कि इंटरक्रॉपिंग, शून्य बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ) आवश्यक सिद्धांतों के साथ प्रकृति की प्रक्रियाओं को बढ़ाने और बाहरी आदानों को खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है।
- **प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं :** राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों सहित, गरीबों और खाद्यान्नों की अनुपलब्धता वाले लोगों साथ-साथ ऐसी महिलाओं जिन्हें राष्ट्रीय रणनीतियों में अक्सर अनदेखा कर दिया गया है, तक पहुंचने के लिए क्षमताएं विकसित करने विशेष जोर दिया जाए।
- **अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणालियों के साथ घनिष्ठ सहयोग:** राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों में गरीबी उन्मूलन पर स्पष्ट ध्यान देना सुनिश्चित करना। तरीकों के और विकास पर जोर देने की जरूरत है।
- **जैवप्रौद्योगिकी :** जैवप्रौद्योगिकी, जैविक कीट और खरपतवार नियंत्रण के भीतर नई विधियों का अनुप्रयोग जो कम निवेश के साथ उच्च और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय उपज दे सकते हैं, और इसमें वे भी शामिल हैं जो कम तात्कालिक क्षमता के कमजोर और सीमांत क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हैं।
- **आम सहमति की दिशा में काम करना :** सभी हितधारकों के बीच यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय विकास नीतियों में खाद्य सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाए।

निष्कर्ष

- कुल मिलाकर, हरित क्रांति कई विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इसने उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का एक अभूतपूर्व स्तर प्रदान किया। यह कृषि में उसी वैज्ञानिक क्रांति के सफल अनुकूलन और हस्तांतरण को प्रदर्शित करता है।
- हालांकि, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा अन्य कारकों जैसे पर्यावरण, गरीब किसानों और ऐसे रसायनों के बारे में उनकी शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया। इसलिए हरित क्रांति में आने वाली बाधाओं को दूर करना समय की मांग है।

संधारणीय आजीविका के लिए द्वितीय हरित क्रांति

- कृषि को अधिक जलवायु प्रतिरोधी और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय बनाने के लिए भारत को अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता है।

द्वितीय हरित क्रांति की आवश्यकता:

- **बढ़ती जनसंख्या :** बढ़ती जनसंख्या और भूमि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से खाद्य सुरक्षा पर दबाव बना रहेगा और बढ़ेगा।
- **कृषि पर निर्भरता :** लगभग 65% आबादी अभी भी गांवों में रह रही है और 70% से अधिक ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।
- **पारिस्थितिक कीमत :** हरित क्रांति ने हमें खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, लेकिन पर्यावरणीय प्रभावों और पारिस्थितिक कीमत इस प्रगति की भरपाई कर रहे हैं।
- **भूजल की कमी और प्रदूषण :** यूट्रोफिकेशन के कारण झीलें और तालाब जीवनहीन होते जा रहे हैं - हरित क्रांति का प्रत्यक्ष परिणाम।
- **स्थिर विकास :** कृषि क्षेत्र में विकास लगभग स्थिर रहा है।

- **जीएम फसलें** : वे नियमित रूप से बौद्धिक संपदा, पारिस्थितिक और स्वास्थ्य प्रभाव आदि से संबंधित विभिन्न विवादों में रहीं हैं।
- **वैश्विक तापन** : ऐसा कहा जाता है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण उत्पादक तटीय भूमि समुद्र में डूब जाती है। इसके कारण कृषि उत्पादकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

द्वितीय हरित क्रांति से उम्मीदें:

- **कृषि उत्पादन में सुधार** : छोटे किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी स्वरोजगार पैदा करते हुए।
- **खाद्य उत्पादन को बढ़ाना** : पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़े बिना।
- **कृषि विकास को बढ़ावा देना** : महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण। (महिलाएं कृषि में प्रमुख शक्ति हैं क्योंकि फसल उत्पादन में लगभग 65-70% श्रम योगदान महिलाओं द्वारा किया जाता है)।
- **भूमि सुधार निम्नीकृत** और कम उपजाऊ भूमि और सिंचाई से वंचित भूमि।

पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई)

- **बदली स्थिति** : हरित क्रांति जिसने भारत को 'भीख का कटोरा' से अग्रणी खाद्यान्न उत्पादक बना दिया।
- **उद्देश्य** : बीजीआरईआई पूर्वी भारत के लिए समान लाभ लाने के बारे में है जो उत्तर-पश्चिम को 'अनाज के कटोरे' में परिवर्तित करने वाले करिश्में से काफी हद तक अछूता रहा है।
- **प्रमुख कार्यक्रम** : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत बीजीआरईआई प्रमुख कार्यक्रम है।
- **बाधाओं को दूर करना:** इसका उद्देश्य ष्चावल आधारित फसल प्रणालीष् की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना है।
- **घोषणा की तिथि** : बीजीआरईआई कार्यक्रम की घोषणा केंद्रीय बजट 2010-11 में की गई थी।
- बीजीआरईआई का मुख्य क्षेत्र : समृद्ध जल संसाधन वाले पूर्वी क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति लाने पर। इसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) सात राज्य आते हैं।

बीजीआरईआई के उद्देश्य:

- **जल क्षमता का उपयोग करना** : पूर्वी भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो अब तक कम उपयोग किया गया था।
- **प्रति इकाई क्षेत्र में चावल और गेहूं की अधिकतम उपज:** कृषि विज्ञान, जल संचयन और संरक्षण में सुधार करके; और पानी का उपयोग।
- **संवर्धन** : अनुशंसित कृषि प्रौद्योगिकियों का संवर्धन।

बीजीआरईआई को मजबूत करने के लिए सरकारी पहल:

- **IARI** : प्बत ने झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), हजारीबाग और भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची की स्थापना की है।
- **एनआरसीआईएफ** : पूर्वी क्षेत्र के लिए कृषि अनुसंधान को और मजबूत करने के लिए बिहार के मोतिहारी में एकीकृत खेती के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (एनआरसीआईएफ) की स्थापना की गई है।

चार स्तंभ जो हरित क्रांति 2.0 को सक्षम बनाएंगे

1. **संधारणीय कृषि योजना** : बाजरा उगाने के लिए इस क्षेत्र, की उपयुक्तता को देखते हुए, प्रसंस्करण सुविधाओं, रियायती आदानों और बाजरा उत्पादन के लिए बदलाव में सक्षम मशीनरी तक आसान और व्यवहार्य पहुंच प्रदान की गई, यह क्षेत्र में किसानों को बाजरा उगाने के लिए प्रेरित करेगा।
2. **संधारणीय प्रथाओं को एकीकृत करने वाली कृषि नीति** : (साधनों को सब्सिडी दरों पर उपलब्ध करवाना) जो क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल के उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं, अधिक जलवायु-अनुकूल, न्यायोचित बदलाव में सहायक होंगे।
3. **एक सक्षम वातावरण** : सबसे छोटे किसानों को शामिल करने के लिए वातावरण तैयार करने और विस्तारित करने की आवश्यकता होगी: इसमें बेहतर बाजार पहुंच और व्यवहार्य भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं।
4. **सदाबहार क्रांति:** सदाबहार क्रांति के तहत, यह परिकल्पना की गई है कि उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसे तरीकों से जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से संधारणीय हों।

आगे बढ़ने के तरीके के रूप में, नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए गरीबों को अधिक सटीक रूप से लक्षित करना चाहिए कि उन्हें नई तकनीकों से अधिक लाभ प्राप्त हो और उन तकनीकों को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक संधारणीय होने की भी आवश्यकता होगी। साथ ही, अतीत से सबक लेते हुए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह की पहलों में एक सीमित क्षेत्र में रहने के बजाय सभी क्षेत्रों के सभी लाभार्थी शामिल हों।

सदाबहार क्रांति

नीति आयोग ने कृषि सहित सभी क्षेत्रों के लिए **तीन साल की कार्य योजना का मसौदा तैयार किया है।** कृषि पर कार्य योजना किसानों के लिए लाभकारी कीमतों और उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित है। दालों के उत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि के उपयोग, बीज ग्राम कार्यक्रम और मॉडल संविदा खेती के लिए बनाई गई रणनीति इस प्रकार है:

- **दालों के उत्पादन में वृद्धि** देश के 29 राज्यों के 638 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम-दलहन) चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत 2016-17 के दौरान नई पहल की गई है, जैसे बीज हब का निर्माण, प्रजनक बीज उत्पादन, मिनी किट वितरण, क्लस्टर फ्रंटलाइन प्रदर्शन आदि।
- **बंजर भूमि का उपयोग :** पीएमकेएसवाई मुख्य रूप से शुद्ध कृषि योग्य और कृषि योग्य बंजर भूमि के वर्षा सिंचित भागों के विकास के लिए है।
- **बीज ग्राम कार्यक्रम** वर्ष 2014-15 से गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन हेतु आधारी/प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु धान्य फसलों हेतु बीजों की लागत का 50% एवं दलहनी, तिलहन, चारा एवं हरी खाद वाली फसलों हेतु 60% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, अब प्रति किसान एक एकड़ के लिए उपलब्ध है।
- **बीज ग्राम के माध्यम से दलहन, तिलहन, चारा एवं हरी खाद फसलों का प्रमाणित बीज उत्पादन :** इस के अंतर्गत प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु दलहन, तिलहन, चारा एवं हरी खाद फसलों के बीजों की 75 प्रतिशत लागत पर आधार बीज वितरण हेतु वित्तीय सहायता किसानों के लिए उपलब्ध है।
- **मॉडल संविदा कृषि अधिनियम :** संविदा कृषि पर यह मॉडल अधिनियम राज्यों द्वारा समग्र रूप से संविदा कृषि को बढ़ावा देने में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा।
- **नीति आयोग का तीन वर्षीय रोडमैप (2017-20) :** इसका उद्देश्य कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अगले तीन वर्षों के रोडमैप में कृषि क्षेत्र के विकास और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए की जाने वाली पहलों की सूची है।
- **नई पहलों में निम्नलिखित का उपयोग शामिल है:**
  - कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग,
  - गायों और भैंसों की जलवायु-अनुकूलित देशी नस्लों को बढ़ावा देना,
  - कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरूआत,
  - गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देना,
  - 'पंचायत' स्तर पर बीज उत्पादन एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना,
  - दालों और तिलहनों के लिए चावल के परती क्षेत्रों के उपयोग के माध्यम से प्रति वर्ष 1 मिलियन हेक्टेयर फसल सघनता में वृद्धि, और
  - एक दूसरे के बीच ऑनलाइन व्यापार और अंतर-बाजार लेनदेन का समेकन।

जैसा कि स्वामीनाथन ने ठीक ही रेखांकित किया है, भारत को अब "सदाबहार क्रांति" की आवश्यकता है। खाद्यान्न उत्पादन की स्थिरता हाल के समय की सबसे बड़ी चिंता है और सदाबहार क्रांति समय की मांग है।

हरित क्रांति (भारत) के अन्तर्गत योजनाएं

- **मुख्य योजना हरित क्रांति-कृषोन्नति योजना (2017 से 2020) में** 11 योजनाएँ शामिल हैं और ये सभी योजनाएँ वैज्ञानिक और समग्र तरीके से कृषि और संबद्ध क्षेत्र को विकसित करने के लिए हैं:
  1. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
  2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)
  3. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)
  4. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)
  5. बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (SMSP)
  6. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (SMAM)
  7. पादप संरक्षण और योजना संगरोध उप मिशन (SMPPQ)
  8. एकीकृत कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी योजना (ISACES)
  9. एकीकृत कृषि सहयोग योजना (ISAC)
  10. एकीकृत कृषि विपणन योजना (ISAM)
  11. राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP)

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. उपजाऊ मिट्टी और पानी की अच्छी उपलब्धता के बावजूद भारत में हरित क्रांति के दौरान वस्तुतः पूर्वी क्षेत्र को क्यों दरकिनार कर दिया गया? (2014)

❖ ❖ ❖

26 पशुपालन का अर्थशास्त्र

पशु/पशुधन पालन का परिचय

- **मानव उपभोग, मनोरंजक उद्देश्यों या वित्तीय लाभ के लिये** पाले जाने वाले या विकसित किये गए जानवरों को पशु पालन कहा जाता है।
- पशुओं के प्रबंधन और देखभाल के माध्यम से लाभ के लिये पशुओं की **आनुवंशिक लक्षणों** और **व्यवहार** को आगे बढ़ाया जाता है।
- ग्रामीण भारत में, पशुओं को पालना कृषि गतिविधि के एक **अभिन्न अंग** के रूप में देखा जाता है।
- भारत में पशुपालन का एक लंबा इतिहास रहा है। **छोटे जुगाली करने वाले मवेशियों की कई नस्लें, पोल्ट्री, सूअर और घोड़े की प्रजातियाँ** उन जानवरों में से हैं जो इस क्षेत्र से संबंधित हैं।
- किसानों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक जानवरों पर निर्भर करती है। भारत में किसान **मिश्रित कृषि या फसलों और पशुओं के संयोजन** का अभ्यास करते हैं, जहाँ एक उद्यम का उत्पादन दूसरे के लिये लागत के रूप में कार्य करता है, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करता है।

पशु पालन का उद्देश्य

- पशुपालन का लक्ष्य **पशुधन और मत्स्य पालन** का उत्पादन करना है जो कई कारणों से लोगों के लिये मूल्यवान हैं, जिनमें से कई का आर्थिक मूल्य है।
- पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में **गैर-कृषि रोजगार और राजस्व उत्पादन** करने की अपार क्षमता है।

भारत में पशु पालन अर्थव्यवस्था की क्षमता

- भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में पशुधन क्षेत्र वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक **8.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** से विस्तार कर रहा है, जो कुल कृषि जीडीपी (2019-20) का 34% है।
- भारत मछली उत्पादन और जलीय कृषि दोनों में दूसरे स्थान पर है, और वर्ष 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 1% था।
- 20 वीं पशुधन गणना के अनुसार, जो वर्ष 2019 में आयोजित की गई थी, भारत में विश्व की सबसे अधिक पशुधन आबादी (535.78 मिलियन) है।
- पोल्ट्री/मुर्गीपालन का बाजार दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जिसका बाजार मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए है।
- 148.8 मिलियन बकरियाँ दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं (20वीं पशुधन गणना, 2019)।
- भेड़ की आबादी तीसरी सबसे अधिक है, और चिकन और बत्तख की आबादी पाँचवीं सबसे अधिक है (20 वीं पशुधन जनगणना, 2019)।
- पशुधन लगभग 20.5 मिलियन लोगों के लिये आय का प्राथमिक स्रोत है।
- सभी ग्रामीण परिवारों के औसतन 14% की तुलना में, पशुधन छोटे कृषि परिवारों के राजस्व का 16% है।
- एनएसएसओ के आँकड़ों के अनुसार, जैसे-जैसे खेत छोटे होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे पशु किसानों की आय में बड़ी मात्रा में योगदान दे रहे हैं। सभी कृषि आकारों में औसत 11.9% पशुधन आय होने का अनुमान है।
- दो तिहाई ग्रामीण समुदाय अपनी आजीविका के लिये पशुओं पर निर्भर हैं। भारत की 8.8% आबादी इसके द्वारा नियोजित भी है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2020:** मवेशी उद्योग पिछले पाँच वर्षों में 7.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण-2021:** पशुधन अब कृषि और संबंधित क्षेत्र के समग्र सकल मूल्य वर्धित (स्थिर मूल्य पर) का 28.63% (2018-19) योगदान देता है, जो 2014-15 में 24.32% था।

20वीं पशुधन गणना

- चूँकि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है, इसलिये पशुपालन और डेयरी विभाग, जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का एक विभाग है, पशुधन के बारे में सटीक और अद्यतित डेटा एकत्र करने को उच्च प्राथमिकता देता है।
- वर्ष 1919 से देश भर में समय-समय पर पशुधन की गणना की जाती रही है।
- 20वीं पशुधन गणना, जिसमें 27 करोड़ से अधिक घरों और गैर-घरों को शामिल किया गया था, अक्तूबर 2018 में पूरे देश में लगभग 6.6 लाख गाँवों और 89 हजार शहरी वार्डों में आयोजित की गई थी।
- **20वीं पशुधन गणना के कुछ प्रमुख परिणाम:**
  - देश में पशुधन की कुल संख्या 535.78 मिलियन है, जो वर्ष 2012 की पशुधन गणना से 4.6% अधिक है।
  - गोजातीय (गाय, भैंस, मिथुन और याक) की कुल संख्या 302.79 मिलियन है, जो पिछली जनगणना से 1.0% अधिक है।
  - वर्ष 2019 में, देश में 92.49 मिलियन मवेशी थे, जो पिछली गणना से 0.8% की वृद्धि है।
  - 50.42 मिलियन विदेशी/संकर नस्ल के मवेशी हैं और 142.11 मिलियन स्वदेशी/गैर-वर्णित मवेशी हैं।
  - कुल मिलाकर देश में भैंसों की संख्या 109.85 मिलियन है, जो पिछली जनगणना से लगभग 1.0% अधिक है।
  - गायों और भैंसों सहित 125.34 मिलियन दुधारू पशु (शुष्क और दूध देने वाले) हैं, जो पिछली जनगणना से 6.0% अधिक है।
  - वर्ष 2019 में, देश में 74.26 मिलियन भेड़ें हैं, जो पिछली गणना से 14.1% अधिक हैं।
  - वर्ष 2019 में, देश में 148.88 मिलियन बकरियाँ थी, जिनकी संख्या में पिछली गणना से 10.1% की वृद्धि हुई है।
  - वर्ष 2019 में, देश में 534.74 मिलियन वाणिज्यिक पोल्ट्री थे, जो पिछली गणना से 4.5% अधिक है।

पशु पालन का महत्त्व/आवश्यकता

- **किसानों के लिये आय के वैकल्पिक स्रोत:** पशु चल बैंक और संपत्ति के रूप में कार्य करते हैं जो किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें शीघ्र पैसा बनाने में सक्षम बनाते हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा:** पशु ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं, विशेष रूप से भूमिहीन किसानों के लिये जो दूसरों की तुलना में बेहतर हैं क्योंकि उनके पास अधिक मवेशी हैं। साथ ही कई धार्मिक समारोहों के दौरान, बैल और गायों की पूजा की जाती है और लोग अपने जानवरों के साथ कुछ भावनात्मक लगाव महसूस करते हैं।
- **भोजन और पोषण:** गोजातीय पशु और कुक्कुट दूध और अंडे की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, किसानों और उनके परिवारों को आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान करने में मदद करते हैं।
- **रोजगार का सृजन:** यह भारतीय जनसंख्या के लगभग 8.8% को रोजगार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह भारत की जीडीपी को बढ़ाता है। मवेशी उद्योग कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 25.6% योगदान देता है तथा भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 4.11% की हिस्सेदारी प्रदान करता है।
- **महिला सशक्तिकरण:** परिवार के अधिकांश पशुपालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पशुधन बढ़ाने से महिलाओं के सशक्तिकरण और निर्णय लेने पर उनके बढ़ते प्रभाव में महत्त्वपूर्ण योगदान हुआ है।
- **विदेशी राजस्व:** भारत वर्ष 2020 में गोमांस निर्यात के लिये दुनिया में चौथे स्थान पर है, जो मजबूत निर्यात क्षमता वाली वस्तुओं जैसे ऊन और चमड़ा के उत्पादन में, इसे विदेशी कमाई का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बनाता है।
- **उर्वरक:** उर्वरक के रूप में पशु अपशिष्ट (जैसे गोबर) का उपयोग वाणिज्यिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, यह शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिये किसानों के परिवर्तन का समर्थन करता है।
- **बायोगैस उत्पादन:** गोबर और पशु अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन जीवाश्म ईंधन या ईंधन की लकड़ी को बदलने का एक शानदार तरीका है, जो विदेशी तेल पर भारत की निर्भरता को कम करता है और इसके वित्तीय घाटे को कम करता है। उदाहरण: अकेले भारत में हर साल 300 मिलियन टन गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है।
- **कुपोषण का सामना:** आर्थिक विकास के अवसरों तक सभी को पहुँच प्रदान कर बच्चों में कुपोषण और छिपी हुई भूख से मुकाबला करता है।
- **परिवहन का साधन:** पहाड़ी इलाकों में माल परिवहन के लिये खच्चर और टट्टू ही एकमात्र विकल्प होते हैं। इसी तरह सेना को ऊंचे स्थानों पर विभिन्न वस्तुओं को स्थानांतरित करने के लिये इन जानवरों पर भरोसा करने की जरूरत है।

पशुधन विकास में चुनौतियाँ

- **उपज और उत्पादकता की चुनौती:** सबसे बड़ी चिंताओं में से एक कृषि पशु उत्पादकता को बढ़ाना है। भारतीय गायें सालाना औसतन 1172 किलोग्राम दूध का उत्पादन करती हैं, जो वैश्विक औसत का लगभग 50% है।
- **फंडिंग का मुद्दा:** कृषि जीडीपी में इसके योगदान की तुलना में, पशुधन क्षेत्र को कृषि और इसके संबद्ध क्षेत्रों पर कुल सरकारी खर्च का लगभग 12% ही प्राप्त होता है।
- **रोगों का प्रकोप:** ब्लैक क्वार्टर संक्रमण, इन्फ्लूएंजा, खुरपका और मुंहपका जैसी रोगजनक बीमारियों का बार-बार प्रकोप पशुधन के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है और उत्पादकता को कम करता है।
- **पौष्टिक चारे की कमी:** वर्ष 2016 में प्रकाशित एक संसदीय पैनल के अध्ययन के अनुसार, पोषक चारे की कमी खाद्यान्न, तिलहन और दालों के उत्पादन के लिये भूमि पर बढ़ते दबाव के साथ-साथ चारा फसलों की खेती पर ध्यान न देने का परिणाम है।
- **पशु उत्पादों की गुणवत्ता जाँच और मानकीकरण का अभाव:** इसका परिणाम सैनिटरी और फाइटोसैनेटिक स्थितियों के तहत घटिया वस्तुओं के निर्यात और अन्य देशों द्वारा निर्यात से इंकार करने में निहित होता है।
- **खराब गुणवत्ता और अपर्याप्त पशु चिकित्सा बुनियादी ढाँचा:** भारत में पशु चिकित्सा रोगों के लिये परीक्षण और उपचार सुविधाओं का अभाव है।
- **प्रौद्योगिकी का अभाव:** भारत में केवल 5% ग्रामीण परिवारों को पशुधन प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी उपलब्ध है। यह वित्तीय और सूचना वितरण प्रणाली के उप-इष्टतम पहुँच का संकेतक है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र की उपस्थिति:** अपंजीकृत बूचड़खानों में से लगभग आधे मांस का उत्पादन करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को कम कीमत प्राप्त होती है।
- **बाजार तक पहुँच:** पशुधन और संबंधित उत्पादों के लिये अविकसित और असंगठित बाजार किसानों को पशु पालन से हतोत्साहित करते हैं।
- **अन्य महत्त्वपूर्ण चुनौतियों में शामिल हैं:** अपर्याप्त ऋण उपलब्धता, संगठित बाजारों तक सीमित पहुँच, अच्छे प्रजनन वाले सांडों की कमी, टीकाकरण की कमी और भोजन और चारे की अनिश्चितता।
- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के लिये सख्त मानकों जैसे- नए बाजार की ताकतों के अनुकूल होने का दबाव।

पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु उपाय

- **संसाधन:** भारत में पशुधन पालन की उत्पादकता बढ़ाने के लिये, बेहतर चारा बीज उत्पादन, उच्च उपज वाले चारे के प्रकारों के उपयोग, चारा बैंकों के निर्माण और पेयजल की व्यवस्था के माध्यम से भोजन और चारे की सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य है।
- **विपणन:** विभिन्न प्रकार के पशु उत्पादों, जैसे- अंडे, मछली तथा दूध को बढ़ावा देने और बिचौलियों के प्रभाव को कम करके किसानों को पर्याप्त कीमत देने हेतु विपणन जैसी व्यापार नीतियों को अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता है।
  - डेयरी विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और संगठित दूध खरीद के अनुपात में वृद्धि करना है।
- **प्रशिक्षण:** जो किसान आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में पशुधन पालन करना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण और सब्सिडी प्राप्त की जानी चाहिए।
  - राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने किसानों को उनके पशुधन के प्रबंधन में सहायता करने हेतु ई-गोपाला एप्लिकेशन (e-GOPALA application) विकसित किया है।
- **स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देना:** हमें अपने मवेशियों की स्वदेशी नस्लों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि अधिकांश विदेशी नस्ल के मवेशी हमारी जलवायु के अनुकूल नहीं हैं और यहाँ तक कि मांस की घटिया गुणवत्ता प्रदान करते हैं।
  - स्वदेशी नस्लों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। देशी गायों की नस्ल सुधारने का प्रयास किया जाता है।
  - मवेशियों की स्वदेशी नस्लों को बढ़ाने के लिये प्रेरक किसानों और प्रजनक समाजों के लिये गोपाल रत्न पुरस्कार और कामधेनु पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं ।
  - राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत परियोजनाओं को स्वदेशी नस्लों में सुधार हेतु निर्मित किया गया है।
- पशुओं में रोगों के प्रसार को रोकने के लिये पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और पशुओं का टीकाकरण किया जाना चाहिए।
  - **ब्रुसेलोसिस, खुरपका और मुंहपका रोग (FMD) के प्रबंधन और अंततः** उन्मूलन की पहल को वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

- **पशु संजीवनी:** यह एक पशु कल्याण कार्यक्रम जिसमें पशुओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- 'नकुल स्वास्थ्य पत्र' स्वास्थ्य कार्ड और यूआईडी पहचान।

- **अनुसंधान और विकास:** सरकार को पशुधन उत्पादकता को बढ़ावा देने तथा छोटे और सीमांत किसानों को अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करने हेतु अनुसंधान और विकास पशुधन उद्योग पर अधिक जोर देना चाहिए।
  - रोगों के प्रसार को रोकने के लिये मादा नस्लों के गर्भाधान तकनीकों की सिफारिश करने हेतु राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की स्थापना की गई थी।
- **सब्सिडी:** पशुधन में निवेश करने के लिये किसानों को प्रारंभिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत लाभार्थियों को यह ऋण और सब्सिडी के रूप में मिल सकता है। यदि ब्याज दरों को कम रखा जाए तो लाभों को प्रभावी ढंग से हस्तांतरित किया जा सकता है।
- भारत को खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा स्थापित कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा स्थापित सैनिटरी और फाइटोसैनेटिक दिशानिर्देशों का बारीकी से पालन करना चाहिए।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ एक संघ बनाकर डेयरी सहकारी समितियों को वित्तपोषित किया जाना चाहिए।
  - दूध को संसाधित करने की देश की क्षमता को बढ़ाने के लिये डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढाँचा विकास कोष का निर्माण।
- **मवेशियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना:** राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक खुरपका-मुंहपका रोग के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
- पर्यावरण के अनुकूल पशुपालन के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना।
- **पशुधन का सयोजित बाजार:** ई-पशु हाट पोर्टल का उद्देश्य पशुधन बाजार में गोजातीय जर्मप्लाज्म की उपलब्धता पर प्रजनकों और किसानों को जोड़ना है। पोर्टल को "नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम" के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था।
- **उत्तोलन निजी निवेश:** निजी निवेश का लाभ प्राप्त करने हेतु 15,000 करोड़ रुपए के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) को प्रस्तावित किया गया है ताकि किसानों की वित्तीय सहायता तक पहुँच सुनिश्चित किया जा सके।
- **पशुधन के नए और वैकल्पिक उपयोग:** गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन) ठोस कृषि अपशिष्ट और गाय के गोबर को खाद, बायोगैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित करेगा।

नीति आयोग: इंडिया @75 पशुपालन पर सिफारिशें

- **देशी गायों का विदेशी नस्लों से प्रजनन:** अंत:प्रजनन की समस्या को रोकने हेतु देशी गायों के विदेशी नस्लों के साथ संकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। यह अधिक जीन कवरेज, रोग दर में कमी और जलवायु परिवर्तन के साथ संयोजन में वृद्धि को सक्षम करेगा।
- **बुल मदर फार्म को बढ़ावा देना और विकसित करना:** मल्टीपल ओव्यूलेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड्स का उपयोग करके, ये फार्म किसानों के बछड़ों को बढ़ी हुई दूध क्षमता प्रदान कर दूध के उत्पादन में काफी वृद्धि कर सकते हैं।
- **ग्राम स्तर पर खरीद प्रणाली:** राज्यों में डेयरी को बढ़ावा देने हेतु बल्क मिल्क चिलर (Bulk Milk Chillers) और हाई वैल्यू मिल्क कन्वर्शन (High Value Milk Conversion) की सुविधाएँ स्थापित करना आवश्यक है। ग्राम स्तर पर, निजी क्षेत्र को एचवीसी और डेयरी उत्पादों के लिये मूल्य शृंखला स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **मछली पकड़ने के क्षेत्र में योजनाओं का अभिसरण:** मनरेगा और नीली क्रांति कार्यक्रम को मिलाएँ। मनरेगा के माध्यम से बनाए गए तालाबों का उपयोग जलीय कृषि को बढ़ावा देने हेतु किया जाना चाहिए तथा क्लस्टर निर्माण की क्षमता विकसित होनी चाहिए।
- **मछली किसानों और प्रजनकों की क्षमता निर्माण:** मछली की खेती के लिये सहकारी समितियाँ बनाएँ तथा ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये पंचायतों के सहयोग से ग्राम-स्तरीय परियोजनाओं को लागू किया जाए।

बजट घोषणाएँ 2022-23

- **बाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अवसंरचना निर्माण:** "न्यू वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम" मुख्य रूप से चीन के साथ सीमा के पास दूरस्थ बस्तियों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने से संबंधित है। ग्रामीण भारत अधिकांश पशुधन किसानों का घर है जो लगभग 95% है।
- **करों में कमी:** सहकारी समितियों और व्यवसायों के लिये एक समान अवसर बनाने के लिये मैट को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 1 करोड रुपए से अधिक की कुल वार्षिक आय वाले लोगों के लिये सहकारी समितियों पर अधिभार को 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव किया है।

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये आवंटन:** राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को बजट 2022-2023 के वित्त पोषण में 20% की वृद्धि मिलेगी, जिससे स्वदेशी मवेशियों की उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता वाले दूध का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिये आवंटन में वृद्धि:** वर्ष 2022-23 के लिये पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण हेतु वित्त पोषण में लगभग 60% की वृद्धि के परिण ाामस्वरूप पशुधन के स्वस्थ होने की उम्मीद है।
- **डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहन:** डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचारों को बढ़ावा देने से पशुधन उत्पादकों द्वारा प्रदान की जाने वाली दूध खरीद और अन्य सेवाओं के लिये भुगतान प्रणाली में अधिक पारदर्शिता की सुविधा से पशुधन उद्योग में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- **आवंटन में वृद्धि:** वर्ष 2022-23 के लिये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिये 48 प्रतिशत से अधिक और पशुधन क्षेत्र के लिये 40 प्रतिशत से अधिक आवंटन में वृद्धि ने पशुधन और डेयरी किसानों के विकास हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण पहलें

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (2021-22 से 2025-26):** इस मिशन को गोजातीय आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिये उत्पादकता में सुधार हेतु 5 वर्ष की अवधि में 2400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ कार्यान्वयन के लिये बढ़ाया गया है। और इसके तहत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना शामिल है, जिससे किसानों के लिये डेयरी को अधिक लाभदायक बनाया जा सके।



- **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम:** नस्ल की प्रभावशीलता में सुधार के लिये विशिष्ट जननांग संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिये इसका उद्देश्य मादा नस्लों में गर्भाधान हेतु नवीन तकनीक प्रदान करना है।
- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP):** यह खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) और ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण हेतु पाँच वर्ष के लिये 13,343 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा इसे सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 तक खुरपका-मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस को टीकाकरण और अंततः खुरपका-मुंहपका रोग के उन्मूलन के साथ इसे नियंत्रित करना है।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) योजना:** पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना का उद्देश्य रोग निगरानी, पशु चिकित्सा बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और पशु रोगों के खिलाफ निवारक टीकाकरण के माध्यम से पशु स्वास्थ्य के जोखिम को कम करना है।
- **जीनोमिक चयन:** उन्नत डेयरी राष्ट्र सांडों की आनुवंशिक योग्यता को साबित करने हेतु पारंपरिक तरीकों से लिये गए 6-7 वर्षों के तुलना में जन्म के समय सांडों की आनुवंशिक योग्यता को साबित करने के लिये जीनोमिक चयन नामक डीएनए आधारित चयन का उपयोग किया जा रहा है।
- **ई-गोपाला ऐप:** 10 सितंबर, 2020 को,प्रधानमंत्री ने आधि कारिक तौर पर ई-गोपाला ऐप (जेनरेशन ऑफ वेल्थ वाया प्रोडक्टिव लाइवस्टॉक) का अनावरण किया, जो किसानों के उपयोग के लिये एक पूर्ण नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। ई-गोपाला ऐप डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को सभी रूपों (वीर्य, भ्रूण, आदि) में रोग मुक्त जर्मप्लाज्म खरीदने और बेचने सहित पशुधन के प्रबंधन में मदद कर रहा है।
- **डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (DIDF):** डेयरी प्रसंस्करण, द्रुतशीतन और मूल्यवर्धन हेतु बुनियादी ढाँचे का निर्माण, आधुनिकीकरण और विस्तार करना।
- **डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता (SDC&FPO):** डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को कार्यशील पूंजी हेतु आसान ऋण प्रदान करना और डेयरी किसानों को स्थिर बाजार पहुँच प्रदान करने में सहायता करना।
- **डेयरी क्षेत्र के लिये कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन:** डेयरी गतिविधियों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों का समर्थन करने के लिये, पशुपालन और डेयरी विभाग ने "डेयरी क्षेत्र के लिये कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन" नामक एक नया घटक शामिल किया है।

- **ई-पशु हाट पोर्टल:** उच्च गुणवत्ता वाले गोजातीय जर्मप्लाज्म की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रजनक और किसान ई-पशु हाट पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं।
- **मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF):** FIDF पात्र संस्थाओं (EEs), जैसे- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य संस्थाओं को मत्स्य पालन की कुछ बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु रियायती वित्तपोषण या ऋण प्रदान करता है।

गरीबी उन्मूलन रणनीतियों की कुंजी के रूप में पशुधन क्षेत्र

- पशुधन पालन छोटे और सीमांत किसानों के लिये एक प्रमुख आजीविका और जोखिम कम करने की रणनीति है, विशेष रूप से भारत के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में।
- पशुधन आवश्यक खाद्य उत्पाद, मसौदा शक्ति, खाद, रोजगार, घरेलू आय और निर्यात आय प्रदान करता है।
- भूमि से संबंधित धन की तुलना में पशुधन से संबंधित धन कहीं अधिक समान रूप से वितरित किया जाता है।
- यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिये स्वरोजगार का अवसर प्रदान करता है।
- इसने महिलाओं की आय और समाज में उनकी भागीदारी को काफी बढ़ावा दिया है साथ ही उनके सशक्तिकरण में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- इक्विटी और आजीविका के दृष्टिकोण से, यह गरीबी उन्मूलन प्रयासों के केंद्र में स्थित है।
- यह कई अन्य कृषि क्षेत्रों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है, और यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो यह भारत का प्रमुख आर्थिक चालक बन जाएगा।
- वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की महत्त्वाकांक्षा के हिस्से के रूप में, अंतर-मंत्रालयी समिति ने पशुधन उत्पादकता को आय वृद्धि के सात स्रोतों में से एक के रूप में नामित किया है।

पशुपालन क्षेत्र-2020 के लिये आत्म निर्भर भारत पैकेज

- आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज में 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF) की स्थापना शामिल है। जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अधिकृत किया गया था।
- इसे स्थापित करने में निवेश करने के लिये सेक्शन 8 के उद्यमों, निजी व्यवसायों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और व्यक्तिगत उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु अधिकृत किया गया है:
  1. डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना।
  2. मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना।
  3. पशु चारा संयंत्रों की स्थापना।
- 24 जून, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन अवसंरचना विकास कोष को मंजूरी प्रदान की।
- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष निजी क्षेत्र द्वारा पशु चारा संयंत्र की स्थापना हेतु बुनियादी ढाँचे के निर्माण, डेयरी और मांस के प्रसंस्करण के लिये बुनियादी ढाँचे तथा मूल्यवर्धन के लिये बुनियादी ढाँचे के निर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा।
- **योजना के तहत पात्र लाभार्थी:**
  - किसान उत्पादक संगठन (FPO)
  - निजी कंपनियाँ
  - व्यक्तिगत उद्यमी
  - धारा 8 की कंपनियाँ
  - सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
- **योजना के तहत लाभ:**
  - लाभार्थियों को अपने मार्जिन मनी का कम से कम 10% निवेश करना होगा। शेष 90% राशि के लिये अनुसूचित बैंकों को ऋण देना होगा।
  - सरकार पात्र लाभार्थियों को 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान करेगी।
  - मूल ऋण राशि में 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि होगी और बाद में 6 वर्ष की चुकौती अवधि होगी।
  - क्रेडिट गारंटी फंड से उन अनुमोदित परियोजनाओं को क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी जो एमएसएमई निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत आती हैं। उधारकर्त्ता की क्रेडिट सुविधा का 25% तक गारंटी द्वारा कवर किया जाएगा।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के उद्देश्य (AHIDF):**
  - असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों को संगठित दूध और मांस बाजार तक अधिक पहुँच प्रदान करने हेतु दूध और मांस प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण की क्षमता में वृद्धि करना।
  - उत्पादक को मूल्य प्राप्ति बढ़ाने में सक्षम बनाना।
  - घरेलू उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले दूध और मांस उत्पादों तक पहुँच प्रदान करना।
  - प्रोटीन युक्त, उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के लिये देश की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करना और कुपोषित बच्चों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक कुपोषण को रोकने के लक्ष्य को प्राप्त करना।

- उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार उत्पन्न करना।
- निर्यात को बढ़ावा देना तथा दूध और मांस उत्पादों में क्षेत्र के निर्यात योगदान को बढ़ावा देना।
- मवेशियों, भैंसों, भेड़ों, बकरियों, सूअरों और मुर्गियों को गुणवत्तापूर्ण केंद्रित पशु चारा उपलब्ध कराना ताकि वे उचित लागत पर संतुलित आहार प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष

- भारत जैसे देश में, जहाँ 50% से अधिक आबादी कृषि और संबंधित उद्योगों में कार्य करती है, किसानों को अपने पशुधन को एक साथ प्रबंधित करके अपने जोखिमों में विविधता लानी चाहिए, जो न केवल उन्हें अतिरिक्त पैसा बनाने में मदद करता है बल्कि उनके परिवारों की पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।
- नतीजतन, पशुधन उद्योग में सरकारी निवेश समावेशी विकास की गारंटी प्रदान करेगा, निर्यात क्षमता में वृद्धि करेगा और अंततः वर्ष 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषिगत रोजगार और आय का प्रबंध करने में पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है। भारत में इस क्षेत्रक की प्रौन्नति करने के लिये उपयुक्त उपाय सुझाने हुए चर्चा कीजिए। (2015)

मत्स्य क्षेत्र: नीली क्रांति

- नीली क्रांति, जिसे भारत में नील क्रांति मिशन के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 1985 में शुरू हुई थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में 1990 तक जारी रही। मछली किसान विकास एजेंसी (FFDA) को सरकार द्वारा समर्थित किया गया था।
- नीली क्रांति का लक्ष्य जैव सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन का स्थायी तरीके से विस्तार करना है। इससे देश की अर्थव्यवस्था, मछुआरों और मछली किसानों को लाभ होगा तथा खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- "ब्लू रेवलूशन" (नीली क्रांति) नाम से जलीय कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये सरकारी कार्रवाई शुरू की गई है। दुनिया भर में सभी एक्वाकल्चर उत्पादन का लगभग दो-तिहाई उत्पादन चीन में होता है, जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई।
- गहन समुद्री मत्स्य पालन कार्यक्रम 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) के दौरान शुरू किया गया था, और बाद में, समय के साथ विशाखापत्तनम, कोच्चि, तूतीकोरिन, पोरबंदर और पोर्ट ब्लेयर में मछली पकड़ने के बंदरगाह भी बनाए गए।

क्षमता:

- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत में, मछली पकड़ने का उद्योग लगभग 28 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
- भारत विश्व के मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है, जिससे यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश बन गया है।
- पिछले पाँच वर्षों के दौरान 6% से 10% की वृद्धि दर के साथ, मत्स्य पालन भारत का सबसे बड़ा कृषि निर्यात बन गया है।
- वर्ष 2017-18 में, भारत से मछली निर्यात सभी कृषि निर्यात का 20% से अधिक और कुल निर्यात का लगभग 10% था।
- वर्ष 2017-18 में जीडीपी में योगदान लगभग 1% था। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 5% है।
- तटीय क्षेत्रों में पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण। मछली वैश्विक आहार प्रोटीन का 25% से अधिक योगदान देती है।
- 7.5 के वैश्विक औसत प्रतिशत की तुलना में, मछली और मत्स्य उत्पादों के उत्पादन में भारत की औसत वार्षिक वृद्धि 14.8% है।

नीली क्रांति के उद्देश्य

- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु जिम्मेदारीपूर्ण से और सतत् रूप से वैश्विक मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना।
- मत्स्य पालन उद्योग का आधुनिकीकरण करना, नवीन प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देना।
- पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- रोजगार सृजित करना और निर्यात से आय उत्पन्न करना।
- समावेशी विकास को बढ़ावा देना और जलीय कृषि और मछली पकड़ने वाले किसानों का समर्थन करना।

मत्स्य क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- भारत खारे जल के संसाधनों की कुल क्षमता का केवल 15% उपयोग करता है और ताजे जल की जलीय कृषि हेतु उपलब्ध तालाबों, टैंकों और अन्य जल निकायों का लगभग 40% ही उपयोग करता है।
- उच्च गुणवत्ता वाले, स्वस्थ मछली के बीजों की कमी।
- निम्न गुणवत्ता वाले मछली पकड़ने के उपकरण और मछली पकड़ने के क्षेत्रों की अपर्याप्त मैपिंग।

- सीफूड की ब्रांडिंग और मानकीकरण का अभाव।
- प्रशिक्षित मछुआरों की कमी, अपर्याप्त विस्तार कर्मचारी और कुशल श्रम की कमी।
- अंतर्देशीय मत्स्य पालन की चुनौतियों में पुरानी तकनीकों का उपयोग और अंतर्देशीय जल निकायों की कमी।
- अस्थिर तरीकों का उपयोग, जैसे ब्लास्ट फिशिंग।
- मजबूत मूल्य शृंखला के अभाव के कारण भारत दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश होने के बावजूद निर्यात में खराब स्थिति में है।

नीली क्रांति को बढ़ावा देने के उपाय:

- मछुआरों के बीच सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये मत्स्य पालन क्षेत्र में एफपीओ (FPOs) का निर्माण।
- कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, प्रसंस्करण संयंत्रों आदि सहित फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे का निर्माण।
- प्राकृतिक उत्पादकता की बहाली और स्वदेशी मात्स्यिकी संसाधनों का संरक्षण।
- चावल और मछली की खेती पर आधारित एक एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना, जैसा कि कुट्टनाड में समुद्री स्तर से नीचे की खेती में किया जाता है।
- मछली पकड़ने के जहाजों का उन्नयन और मछली-समृद्ध क्षेत्रों की मैपिंग करने हेतु गगन और जेमिनी उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

महत्त्वपूर्ण समितियाँ

- **अशोक दलवई समिति:** वर्ष 2022 तक किसान की आय को दो गुना करने की योजना विकसित करना।
- **मीना कुमारी समिति:** गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति का व्यापक मूल्यांकन करने से संबंधित।

नीतिगत हस्तक्षेप

- मत्स्य पालन उद्योग के केंद्रित विकास और प्रबंधन के लिये मत्स्य पालन क्षेत्र का एकीकृत विकास और प्रबंधन।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना: बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में सुधार हेतु क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है।
  - PMMSY कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि औरजल के विकास, गहनता, विविधता और कुशल उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और सुधार करना है।
  - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक अनूठी गतिविधि के रूप में, "रिवर रैंचिंग प्रोग्राम" शुरू किया गया है।
- **समुद्री मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय नीति (2020):** इस नीति का लक्ष्य एक ऐसा मत्स्य उद्योग स्थापित करना है जो मछुआरों और मछली किसानों के लाभ के लिये सामाजिक रूप से समावेशी, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पारिस्थितिक रूप से मजबूत हो तथा स्थायी तरीके से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करे।
- **नीली क्रांति 2.0:** मत्स्य पालन का विकास और प्रबंधन नीली क्रांति 2.0 के मुख्य लक्ष्य हैं। इसमें राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के साथ-साथ अंतर्देशीय मात्स्यिकी, जलीय कृषि, समुद्री मात्स्यिकी, जिसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, मेरीकल्चर और सभी समुद्री मात्स्यिकी द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- वर्ष 2006 में, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) का गठन किया गया था।
- **मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF):** वर्ष 2018-19 में स्थापित।
- मछुआरों और मछली किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सेवाएँ प्रदान करने से उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- **मनरेगा:** सरकार ने मनरेगा के हिस्से के रूप में, उन कृषि तालाबों का निर्माण शुरू कर दिया है जहाँ मछली पालन का अभ्यास किया जाता है।

निष्कर्ष

- विशेष रूप से नीली क्रांति की मदद से भारत की व्यापक तटरेखा में देश का आर्थिक चालक बनने की क्षमता है। ब्लू इकोनॉमी की मदद से, भारत की अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन के मौजूदा स्तर से 10 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। भारत को अपनी मछली पकड़ने की प्रौद्योगिकियों और अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे- फ्रीजिंग और पैकेजिंग की तकनीक में सुधार करना है।

डेयरी क्षेत्र: श्वेत क्रांति (ऑपरेशन फ्लड)

- 13 जनवरी, 1970 को, भारत की राष्ट्रीय डेयरी (India's National Dairy) ने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी डेयरी विकास पहल थी। इसने भारत को वर्ष 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए, दूध की कमी वाला देश से विश्व का शीर्ष दूध उत्पादक देश बना दिया।
- किसानों को उनके विकास में सहायता हेतु उनके द्वारा उत्पादित संसाधनों पर स्वामित्व देने के लिये इसे शुरू किया गया था। यह सब बड़े पैमाने पर उत्पादन और जनता द्वारा उत्पादन के माध्यम से संभव हुआ, जिसे "श्वेत क्रांति" के रूप में जाना जाता है।

क्षमता

- विश्व में सर्वाधिक गाय-बैल भारत में पाए जाते हैं।
- भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पाद डेयरी उत्पाद है। यह सीधे तौर पर 80 मिलियन डेयरी किसानों को रोजगार उपलब्ध करता है तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका 5% योगदान है।
- एनएसएसओ के 70वें चक्र के सर्वेक्षण के अनुसार, बहुत छोटी जोत (0.01 हेक्टेयर से कम) वाले 23% कृषि परिवारों ने कहा कि उनकी आय का मुख्य स्रोत पशुधन है।
- पशुपालन के विकास को अधिक समतावादी और समावेशी माना जाता है क्योंकि अधिकांश पशुधन शुष्क क्षेत्रों में और छोटे और सीमांत किसानों के पास केंद्रित है।

श्वेत क्रांति के उद्देश्य (ऑपरेशन फ्लड)

- दूध के परिवहन, भंडारण और खरीद को बढ़ावा देने हेतु सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना।
- दुग्ध उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला का उत्पादन और उनके व्यावसायीकरण का प्रबंधन।
- कृत्रिम गर्भाधान, स्वास्थ्य सेवाओं, पशु चिकित्सा देखभाल और बेहतर पशु नस्लों के लिये सुविधाएँ स्थापित करना।
- देश भर के 700 से अधिक शहरों और गाँवों में दूध उत्पादकों को ग्राहकों से जोड़ने हेतु एक "राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड" की स्थापना की गई थी।

ऑपरेशन फ्लड/श्वेत क्रांति की उपलब्धियाँ

- भारत दूध का एक महत्त्वपूर्ण उत्पादक देश बन गया।
- ग्रामीण आबादी के लिये वैकल्पिक रोजगार निर्मित हुए हैं।
- स्वदेशी पशुधन और उच्च गुणवत्ता वाले पशुधन को बढ़ावा।
- छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ बिना जमीन के मजदूर भी लाभान्वित होते हैं।
- असंगठित घटक की तुलना में, संगठित डेयरी बाजार में तेजी से वृद्धि हुई है और व्यापार का 26-30% (मूल्य से) निर्मित करता है।

डेयरी क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ

- बाजार के बुनियादी ढाँचे और अनौपचारिक क्षेत्र की कमी; वर्ष 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, संगठित क्षेत्र में केवल 36% दूध की बिक्री होती है तथा शेष बिक्री असंगठित क्षेत्र द्वारा होती है।
- मवेशियों को आमतौर पर अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा जाता है।
- खुरपका-मुंहपका जैसी रोगजनक बीमारियों का प्रसार हो रहा है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि से उत्पादकता प्रभावित हुई।
- खराब पशुधन बीमा कवरेज।
- बुनियादी ढाँचे की कमी, जैसे अपर्याप्त कोल्ड चेन सुविधाएँ, दूध के नुकसान का कारण बनती हैं।
- डेयरी क्षेत्र को सयंत्र आधारित विकल्प, मिलावट और डेयरी एनालॉग्स से गंभीर रूप से खतरा और चुनौतियों का सामना किया जा रहा है।
- स्वदेशी नस्लों के लिये क्षेत्र-उन्मुख संरक्षण रणनीति का अभाव।
- उत्पादकता बढ़ाने के लिये किसानों की मदद करने के लिये उद्योग के साथ-साथ गुणवत्ता सेवाओं और कौशल की कमी के लिये अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा।

नई श्वेत क्रांति/ऑपरेशन फ्लड 2.0 की दिशा में उपाय

- पशुओं की जियो-टैगिंग हमें किसी विशेष पशु के साथ किसी भी उचित समस्या की निगरानी करने में सक्षम बनाती है।
- मजबूत मूल्य शृंखलाओं का नेटवर्क बनाना और डेयरी विकास विस्तार कार्यक्रम को मजबूत करना।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे टूल का उपयोग करके पशु उत्पादकता में सुधार करने के तरीके के साथ चलाना।
- मूल्य वर्धित दुग्ध उत्पादों में बांग्लादेश, चीन, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और अन्य खाड़ी देशों जैसे निकटवर्ती देशों में निर्यात की काफी संभावनाएँ हैं।

नीतिगत हस्तक्षेप

- राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुधन के विकास एवं उच्च गुणवत्ता वाले भोजन और चारे की पर्याप्त आपूर्ति को प्राथमिकता देता है।
- गोबर-धन, जो ष्जैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धनष् से संबंधित है, गाय के गोबर जैसे ठोस कृषि कचरे को खाद, बायोगैस और बायो-सीएनजी में परिवर्तित करेगा।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशनः दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वैज्ञानिक तरीके से सुधार हेतु स्वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण करना जिसमें बेहतर पोषण और कृषि प्रबंधन शामिल है।
- डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर स्थापित करने हेतु नाबार्ड के तहत डेयरी उद्यमिता विकास योजना, दूध उत्पादन को

बढ़ावा देने और आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना जैसी गतिविधियों को शामिल करना।

- दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को मौजूदा 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक (बजट 2020-21) 108 मिलियन मीट्रिक टन करना।

बजट 2022-23 में इस क्षेत्र के लिये पहलें

- सहकारी कंपनियों को समान अवसर प्रदान करने के लिये वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, सरकार ने 1 करोड़ और 10 करोड़ रुपए से अधिक तक की कुल वार्षिक आय वाले सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव दिया है।
- वर्ष 2022-2023 में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और डेयरी विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिये निधि में 20% की वृद्धि की गई है।

ऑपरेशन फ्लड में सहकारी समितियों की भूमिका

- भारत में अधिकांश डेयरी उत्पादकों के पास छोटी जोतें हैं (अक्सर दो से पाँच गायें होती हैं)। हालाँकि, ऑपरेशन फ्लड के दौरान सहकारी समितियों के विकास के कारण इनमे काफी सुधार हुआ।
- **इनमें शामिल हैं:**
  - छोटे डेयरी किसान बिचौलियों को समाप्त करने में सफल रहे।
  - इसके अतिरिक्त, उन्हें गारंटीशुदा न्यूनतम दूध खरीद मूल्य प्राप्त होना शुरू हो गया।
  - छोटे और सीमांत किसानों की ज्ञान और सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि हुई।
- वर्गीस कुरियन, श्री त्रिभुवनदास किशीभाई पटेल, और हरिचंद मेघा दलया, जिन्हें सामूहिक रूप से अमूल त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, इस पहल की सफलता में सहायक थे। ऑपरेशन फ्लड की सफलता में अमूल का काफी सहयोग रहा।
- अमूल (कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ), एक भारतीय डेयरी सहकारी संघ है जिसका मुख्यालय भारतीय राज्य गुजरात के आणंद में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी तथा यह गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (GCMMF) द्वारा संचालित एक सहकारी ब्रांड है।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस

- प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 26 नवंबर, 2021 को डॉ वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती मनाई गई।
- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया।

महिला डेयरी किसानों की उपलब्धियाँ

- हालिया नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, देश में 1.9 मिलियन से अधिक डेयरी सहकारी समूह हैं। महिलाएँ अपनी सदस्यता का लगभग 6 मिलियन बनाती हैं।
- कार्यक्रम लागू होने के बाद से महिलाओं के वार्षिक आय स्तर में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, कई वित्तीय गतिविधियों जैसे- भोजन की खरीद, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संपत्तिनिर्माण और धन की बचत में ममहत्त्वपूर्ण सुधार देखा गया है।
- हाल के वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व वाली डेयरी यूनियनों और व्यवसायों की संख्या में वृद्धि हुई है।
- अमूल डेयरी ने कंपनियों को दूध बेचकर करोड़पति बनने वाली 10 महिला डेयरी किसानों की सूची प्रकाशित की।
- अमूल डेयरी ने कंपनियों को दूध बेचकर करोड़पति बनने वाली 10 महिला डेयरी किसानों की सूची प्रकाशित की।

निष्कर्ष

- हमारे **"जय किसान, जय विज्ञान"** लोकाचार के हिस्से के रूप में, नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ ग्रामीण कृषि का संगम देश के डेयरी व्यवसाय में एक अकल्पनीय परिवर्तन लाएगा। हमारे किसानों के निवेश पर प्रतिफल को बेहतर बनाने हेतु रणनीतियों को खोजना समय की मांग है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकार की क्रांतियों को स्पस्ट कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है? (2017)

❖ ❖ ❖

27 भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग

खाद्य प्रसंस्करण का परिचय

- खाद्य प्रसंस्करण खाद्य सामग्री को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने और उनकी गुणवत्ता और भंडारण क्षमता में सुधार के इरादे से संरक्षण, खाद्य योजकों को जोड़ने, सुखाने आदि जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करके खाद्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया है।
- 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए (इस उद्देश्य के लिए अशोक दलवई समिति नियुक्त की गई थी), उच्च स्तर के प्रसंस्करण के साथ जो अपशिष्ट को कम करने वाले, मूल्यवर्धन में सुधार करने वाले, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने वाले, बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने वाले और किसानों के रोजगार को बढ़ावा देने और निर्यात आय में वृद्धि करने वाले एक पूर्णरूप से विकसित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का निर्माण करना।
- **भारत** दूध, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम और अन्य उत्पाद **का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है।**
- **भारत** चावल, गेहूं, आलू, गन्ना, काजू, चाय आदि का **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।**
- कॉफी, तंबाकू, मसाले, बीज और अन्य उत्पादों **के शीर्ष 5 उत्पादकों में शुमार है।**
- कच्चे माल के इतने बड़े स्रोत के साथ, हमारे लिए विश्व स्तर पर अन्य सभी खाद्य आपूर्तिकर्ताओं से आगे जाना आसान होगा।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति

- भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का **मूल्य 121 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है।** पिछले पांच वर्षों में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औसतन **8% से अधिक बढ़ा है।**
- **सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 2014-15 में 1.34 लाख करोड़ रुपये** से लगातार **बढ़कर 2020-21 में 2.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो कि 9.97% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) है,** इस क्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।
- **चीन के बाद, भारत दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर भी उपज का केवल 2% संसाधित किया जाता है।**
- विशाल उत्पादन आधार होने के बावजूद, भोजन का बहुत कम (10% से कम) प्रसंस्करण होता है। **2% फल और सब्जियां, 8% समुद्री उत्पाद, 35% दूध और 6% मुर्गीपालन से संबंधित उत्पाद संसाधित होते हैं।**
- **दुनिया के 50% भैंसों और 20% मवेशियों के साथ,** भारत में पशुधन की सबसे बड़ी आबादी है, फिर भी इसके कुल मांस उत्पादन का लगभग 1% ही मूल्य संवर्धित उत्पादों में परिवर्तित हो पाता है।
- **असंगठित क्षेत्र उद्योगों में 75% से अधिक योगदान देता है।**
- प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण को निम्न प्रकार से विभेदित किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, प्राथमिक प्रसंस्करण में चावल, चीनी, खाद्य तेल और आटा मिलों का प्रसंस्करण शामिल है।
  - डेयरी उत्पादों, पके हुए माल, चॉकलेट, फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण सभी द्वितीयक प्रसंस्करण के उदाहरण हैं।
- **भारत में अधिकांश प्रसंस्करण प्राथमिक श्रेणी में आता है,** जिसमें द्वितीयक प्रसंस्करण की तुलना में मूल्यवर्धन का निम्न स्तर होता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना होगा। जब अनाज की फसलों की तुलना में, बागवानी उत्पादों, जैसे फलों और सब्जियों में महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन क्षमता होती है।
- वर्तमान में, भारत के अधिकांश कृषि निर्यात कच्चे माल के रूप में होता है जिसे अन्य देशों में संसाधित किया जाता है, यह दर्शाता है कि मूल्य संवर्धन श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए अभी भी गुंजाइश है।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का स्थान

- भारत में 35000 से अधिक इकाइयां पंजीकृत हैं। हालाँकि, भोज्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले अधिकांश कारखाने तटीय राज्यों में स्थित हैं (इसका एक कारण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण तक पहुँच है)
- आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल महत्वपूर्ण तटीय राज्य हैं। यूपी, पंजाब और अन्य गैर-तटीय राज्य भी शामिल हैं।

खाद्य प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के प्रकार

- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) की परिभाषा के अनुसार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ तीन प्रकार के हो सकते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।

प्राथमिक प्रसंस्करण	• प्राथमिक प्रसंस्करण का संबंध कच्ची कृषि उपज, दूध, मांस और मछली को ऐसे उत्पाद में बदलने से है जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हो। इसमें सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकिंग आदि जैसे कदम शामिल हैं।
द्वितीयक प्रसंस्करण	• द्वितीयक प्रसंस्करण का अर्थ उपभोक्ता की रसोई में अंतिम तैयारी से ठीक पहले मूल उत्पाद में संशोधन करना है, जैसे टमाटर प्यूरी, पिसी हुई कॉफी, आदि।
तृतीयक प्रसंस्करण	• यह बेरी उत्पाद, आइसक्रीम, इंस्टेंट नूडल्स, सॉस जैम आदि जैसे उच्च मूल्य वर्धित रेडी-टू-ईट उत्पादों से संबंधित है।

खाद्य प्रसंस्करण का दायरा

- **संसाधनों की प्रचुरता:** चीन के बाद, भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है, और इसमें खाद्य और कृषि क्षेत्रों में सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने की क्षमता है।
- मूल्य संवर्धन की अपनी **विशाल क्षमता के कारण,** भारतीय खाद्य उद्योग जबरदस्त विकास के लिए तैयार है और वैश्विक खाद्य व्यापार में सालाना अधिक भोजन उत्पादों का योगदान देगा।
- **दुनिया का छठा सबसे बड़ा खाद्य उत्पाद और किराना बाजार** भारत में है, और इसकी बिक्री का 70% खुदरा बिक्री के माध्यम से होता है।
- **भारत की खाद्य प्रसंस्करण आकांक्षाएँ:** खाद्य उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश के महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि भारत का समग्र खाद्य उत्पादन अगले दस वर्षों में दोगुना होने का अनुमान है।
- देश के समग्र खाद्य बाजार का 32% भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा बनाया गया है। यह उत्पादन, खपत, निर्यात और प्रत्याशित वृद्धि के मामले में पांचवें स्थान पर है। यह भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है।
- **अनाज के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत:** दुनिया के अधिकांश खाद्यान्न का उत्पादन भारत में होता है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 16% है। यह शीर्ष कृषि उपज कृषि उत्पादकों में से एक है।
- **संबद्ध क्षेत्र के लिए बढ़ते अवसर:** फलों और सब्जियों, मत्स्य पालन, दूध और दुग्ध उत्पादों, मांस और पोल्ट्री, डिब्बाबंद/सुविधाजनक खाद्य पदार्थों, और मादक पेय पदार्थों और शीतल पेय के प्रसंस्करण में उत्कृष्ट अवसर हैं।
- **बढ़ता शहरीकरण:** 2011 की जनगणना से पता चलता है कि 31.16% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जो बदलती जीवन शैली, उच्च क्रय आय और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग का संकेत है।
- **भारत के लिए भविष्य का विकास इंजन:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देश के कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 10% हिस्सा है। इसमें और अधिक होने विस्तार की क्षमता है।
- **सामाजिक आर्थिक कारक:** मध्यम वर्ग का बढ़ता आय स्तर, टियर 1 और टियर 2 दोनों शहरों में बदलती खपत की आदतें।
- **खाद्य और पोषण सुरक्षा:** भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा कुपोषित (लगभग एक तिहाई), अविकसित और बर्बाद है। फल और बागवानी इस मुद्दे के अत्यधिक वांछनीय समाधान हैं, और इससे अपशिष्ट को कम करने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
- **कृषि-जलवायु क्षेत्र:** दुनिया भर में पाई जाने वाली 60 विभिन्न प्रकार की मृदाओं में से, भारत में मृदा के 46 विभिन्न प्रकार और लगभग 26 विभिन्न प्रकार की जलवायु हैं। भारत में, 127 'कृषि जलवायु क्षेत्रों' को परिभाषित किया गया है। भारतीय व्यंजन अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का महत्व

- **भारत के उदयीमान उद्योगों में से** एक, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है। यह अर्थव्यवस्था के दो स्तंभों, **कृषि और उद्योग के बीच महत्वपूर्ण संबंध प्रदान करता है।**
- **रोजगार सृजन:** यह उद्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और संगठित क्षेत्र में कुल कार्यबल का 16% हिस्सा है। भले ही असंगठित क्षेत्र उद्योग का 70% हिस्सा है, लेकिन इसका कुल योगदान मुश्किल से 15% है।
- **भोजन की बर्बादी को कम करना :** भारत में लगभग 25-35% भोजन खराब प्रबंधन, भंडारण और रसद संबंधी समस्याओं के कारण नष्ट हो जाता है। वर्तमान में, केवल 6% खराब होने वाले भोजन को संसाधित किया जाता है।
- **किसानों की आय को दोगुना करना:** कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप किसानों को दिए जाने वाले मूल्य में तदनुसार वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी आय दोगुनी हो जाएगी।

- **मूल्य संवर्धन:** समान तरीके से फसलों का प्रसंस्करण और विपणन करके, यह उद्योग अपने उत्पादों का मूल्य संवर्धन करता है।
- **उपभोक्ता के लिए विकल्पों को बढ़ाता है:** आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण दुनिया के अन्य क्षेत्रों से हमारे स्थानीय बाजार और इसके विपरीत खाद्य पदार्थों के आयात निर्यात को सक्षम बनाता है।
- **भोजन के स्वाद और गुणवत्ता में सुधार करता है:** जिससे खाद्य पदार्थों के अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकें।
- **खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश:** खाद्य प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के भंडारण अवधि को बढ़ाता है, जिससे आपूर्ति को मांग के अनुरूप रखने और खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, जमे हुए सफल मटर पूरे वर्ष बाजार में उपलब्ध होते हैं।
- **व्यापार को बढ़ावा देता है और मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करता है:** यह विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिए, मध्य पूर्वी देशों में भारतीय बासमती चावल की उच्च मांग है।
- **फसल विविधीकरण:** क्योंकि भोजन के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए किसानों को विभिन्न प्रकार की फसलें लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** इस अवसर का लाभ उठाने के लिए एफपीआई संभवत: सबसे अच्छा विकल्प है। परिणामस्वरूप हम प्रगतिशील ग्रामीण उद्यमियों का एक वर्ग विकसित कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर एक समृद्ध ग्रामीण इलाकों के प्रभाव कई गुना बढ़ जाएंगे। अधिकांश भाग के लिए, एफपीआई ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई को पाट सकता है।
- आर्थिक विकास के लिए सभी के लिए अवसर सुनिश्चित करते हुए **बच्चों में कुपोषण और भुखमरी का मुकाबला करना।**
- **प्रवासन को रोकना:** देश के ग्रामीण भागों में रोजगार सृजित करके ग्रामीण से शहरी की ओर पलायन को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह शहरीकरण की समस्याओं का निराकरण भी करता है।
- नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और पैकेजिंग को विकसित करने के लिए खाद्य पदार्थों में **अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देना।**
- **बुनियादी ढांचे के विकास, क्षमता विस्तार और उन्नयन,** और अन्य सहायक उपायों में सहयोग करना।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं और महत्व को विस्तार से बताएं। (2022)

खाद्य प्रसंस्करण के प्रमुख खंड

- अनाज और दाल मिलिंग।
- दूध और डेयरी उत्पाद।
- फल और सब्जी प्रसंस्करण।
- मछली, पोल्ट्री, अंडे और अन्य उत्पाद।
- चाय, कॉफी और कोको जैसे पेय पदार्थ।
- वातित जल/शीतल पेय।
- बीयर और अन्य मादक पेय।
- मांस और मांस उत्पाद।
- खाद्य तेल और वसा।
- ब्रेड, कुकीज और अन्य बेकरी उत्पाद।
- नाश्ता अनाज, वीनिंग, माल्ट प्रोटीन, एक्सट्रूडेड खाद्य उत्पाद।
- कन्फेक्शनरी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं

अपस्ट्रीम	डाउनस्ट्रीम
• कच्चे माल की खोज और निष्कर्षण निर्माण प्रक्रिया के अपस्ट्रीम चरण का हिस्सा है।	• उत्पादन प्रक्रिया के अपस्ट्रीम चरण के दौरान एकत्रित सामग्री को डाउनस्ट्रीम चरण के दौरान अंतिम उत्पाद में बदल दिया जाता है।
• प्रक्रिया के इस चरण के दौरान कच्चा माल केवल खोजा और निकाला जाता है।	• अन्य कंपनियों, सरकारों, या निजी व्यक्तियों को उस उत्पाद की वैध बिक्री भी डाउनस्ट्रीम चरण में आती है।
• इसलिए, किसी भी उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया में एक अपस्ट्रीम चरण आम है जो कच्चे माल के निष्कर्षण पर निर्भर करता है।	• तैयार उत्पाद के माध्यम से, डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाओं का ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क होता है।
• यह प्रक्रिया किसी प्रसंस्करण इकाई से होती है	• यह प्रक्रिया संयंत्र/प्रसंस्करण इकाई के लिए
• आवक विस्थापन	• बाह्य विस्थापन

• हितधारक:
  ○ कच्चा माल प्रदाता
  ○ किसान
  ○ अन्य कच्चा माल प्रदाता
	• हितधारक:
	  ○ वितरक
	  ○ थोकविक्रेता
	  ○ खुदरा विक्रेता
	  ○ अंतिम ग्राहक

अपस्ट्रीम आवश्यकताएं	डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं
• कच्चे की उपलब्धता और पहुंच • आधुनिक निकासी तकनीक। • किसानों से अच्छे संबंध। • अनाज, मांस और मछली के लिए कच्चे माल के भंडारण की सुविधा। • गुणवत्ता परीक्षण के लिए सुविधाएं। • परिवहन सेवाएं। • श्रम शक्ति	• आधुनिक प्रसंस्करण तकनीक। • आधुनिक प्रसंस्करण मशीनरी। • गुणवत्ता परीक्षण के लिए सुविधाएं। • तेजी से वितरण के लिए संगठित खुदरा स्टोर। • मानव संसाधन और एक कुशल श्रम शक्ति।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं? (2022)

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में बाधाएँ/समस्याएं

- **आपूर्ति और मांग से संबंधित बाधाएं:** यह समस्या छोटे और बिखरे हुए विपणन योग्य अधिशेषों द्वारा उत्पन्न होती है, जो छितरी हुई जोत, मशीनीकरण की कमी, उच्च मौसमनिर्भरता, आदि के परिणामस्वरूप कम कृषि उत्पादकता के कारण होता है।
- **गुणवत्ता और सुरक्षा को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता:** खाद्य मूल्य श्रृंखला की जटिलता, विशेष रूप से विशाल असंगठित घटक, गुणवत्ता और सुरक्षा नियमों को लागू करना चुनौतीपूर्ण बनाता है।
- **उपभोक्ता जागरूकता का अभाव :** देश की पोषण स्थिति में सुधार काफी हद तक उपभोक्ता जागरूकता पर निर्भर करता है। उपभोक्ता वर्तमान में कई पोषण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के मुद्दों से अनभिज्ञ हैं।
- **अनौपचारिकता :** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कुल बाजार हिस्से का लगभग 75% असंगठित घटकों से बना है। नतीजतन, यह मौजूदा औद्योगिक प्रणाली की अक्षमताओं को बढ़ाता है।
- बुनियादी सुविधाओं की अड़चनें: कोल्ड चेन की अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के कारण, फार्म गेट से 30% से अधिक उत्पादन नष्ट हो जाता है। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, वार्षिक फसल कटाई के बाद का नुकसान 90,000 करोड़ रुपये से अधिक है । बारहमासी मार्गों और संपर्क सुविधा की कमी के कारण असंगत आपूर्ति।
- **कम मूल्य-संवर्धन के साथ प्रसंस्करण:** बड़े असंगठित घटक और पुरानी प्रसंस्करण प्रक्रियाओं के व्यापक उपयोग के कारण खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता काफी हद तक खंडित है। नतीजतन, प्रसंस्करण के दौरान विशेष रूप से पोषक तत्वों के संदर्भ में कम मूल्यसंवर्धन होता है।
- **निम्न-मूल्य निर्यात :** कृषि उत्पादों के विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक होने के बावजूद, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का कृषि निर्यात अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। यही प्रतिशत ब्राजील के लिए मोटे तौर पर 4%, अर्जेंटीना के लिए 7% और थाईलैंड के लिए 9% है, लेकिन भारत के लिए केवल 2% है।
- खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय में कई बाधाएँ हैं, **जिनमें उच्च कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, आधुनिक, विश्वसनीय और सटीक साधनों और उपकरणों की कमी और अपर्याप्त स्वचालन शामिल है।**
- **नियामक वातावरण का अभाव:** खाद्य प्रसंस्करण को कई कानूनों और नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अलग-अलग कानून अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा शासित होते हैं, जो विभिन्न विधायी और प्रशासनिक मुद्दों में देरी का कारण बनता है।

- **उर्वरकों, कीटनाशकों का व्यापक उपयोग:** बड़ी मात्रा में कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर चिंता पैदा कर दी है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मिलावट जैसी हानिकारक और अनुचित गतिविधियों से बचाव भी जरूरी है।
- **उपस्कर संबंधी बाधाएँ :** गुणवत्ता और संपर्क से संबंधित तार्किक बाधाओं के परिणामस्वरूप आपूर्ति को लेकर कठिनाइयाँ भी हैं।
- **बुनियादी ढांचे से संबंधित बाधाएं:** खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक प्रक्रियाओं को एकीकृत करने के लिए पर्याप्त तंत्र की कमी से उद्योग का संचालन बाधित होता है। क्षेत्रीय स्तर की असमानता भी शीत भंडारण की सुविधाओं के असमान भौगोलिक वितरण का परिणाम है।
- **भारत में गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की कमी:** अमेरिका और यूरोपीय संघ खाद्य निर्यात के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानकों की अपेक्षा करते हैं। भोजन में भारी धातुओं और अन्य खतरनाक तत्वों के परीक्षण के लिए, भारत में विश्वसनीय प्रयोगशालाओं का अभाव है।
- **उच्च अपव्यय:** वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 65% और चीन में 23% की तुलना में, भारत का एफपीआई **(FPI)** अपने कृषि उत्पादन का 10% से कम संसाधित करता है। पर्याप्त खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं और भंडारण सुविधाएं नहीं हैं।
- **छोटे आकार के व्यवसाय:** भारतीय खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय छोटे हैं और उन बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं जो आरएन्डडी में भारी निवेश करते हैं।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** श्रमिक पर्याप्त रूप से कुशल नहीं हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारे पास बहुत कम स्नातक हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. लागत प्रभावी लघु प्रसंस्करण इकाइयों की खराब स्वीकार्यता के क्या कारण हैं? खाद्य प्रसंस्करण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के उत्थान में किस प्रकार सहायक होगी? (2017)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक समाधान/उपाय

- **मानव संसाधन का विकास:** कौशल के दो अलग-अलग स्तर आवश्यक हैं। फार्म गेट पर कृषि सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना सबसे पहले आता है, इसके बाद प्रसंस्करण संचालन होता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम **(NSDC)** के अनुसार, 2022 तक 17.8 मिलियन लोगों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आवश्यक कौशल हासिल करने की आवश्यकता होगी।
- **गहन-समर्थन वाला दृष्टिकोण:** उपस्कर, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता के लिए, सरकार को एक गहन-समर्थन रणनीति अपनानी चाहिए जिसमें जोखिम-साझाकरण तंत्र, वित्तीय प्रोत्साहन और साझेदारी मॉडल स्थापित करना शामिल है।
- **किसानों की आय बढ़ाना:** कृषि उत्पादों का बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन किसान की आय में वृद्धि कर सकते हैं।
- उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास के साथ-साथ बेहतर पैकेजिंग के लिए **खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना**
- **द्वितीय हरित क्रांति और तृतीयक हरित क्रांति** को अधिक उन्नत और विविध प्रौद्योगिकियों के साथ अद्यतन करने की आवश्यकता है।
- **अपव्यय को कम करना:** भंडारण, परिवहन और कृषि-खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करके खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला के सभी चरणों में अपव्यय को कम करता है।
- **कृषि पद्धतियों का विविधीकरण,** जो फसलों के एक निश्चित समूह के बजाय फसलों की विविधता पैदा करता है, रोजगार के कई अवसरों का निर्माण करता है।
- **ग्राम-स्तरीय खरीद को बढ़ावा देना:** नीति आयोग ने न्यू इंडिया @75 दस्तावेज की रणनीति में फल, सब्जियां और डेयरी सहित जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए ग्राम-स्तरीय खरीद केंद्रों की वकालत की।
- **आधुनिक तकनीक:** प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक तकनीक के उपयोग की जरूरत है, और कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **अनुकूलित उपस्कर: उपस्कर** में त्वरित सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता अनुकूलित उपस्कर है। इससे लागत कम होती है, उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना आसान हो जाता है और इच्छित बाजार की मांगों को पूरा करता है।
- **सार्वजनिक निवेश और संपर्क** बढ़ाया जाना चाहिए।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी):** यह अभी तक एक और रणनीतिक समाधान है। धुलाई, वैक्सिंग, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकेजिंग, प्री-कूलिंग, हैंडलिंग, बीमा, वित्त, परिवहन और प्रसंस्करण की सुविधाओं के साथ आपूर्ति श्रृंखला के कामकाज में सुधार किया जाना चाहिए।
- **किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने की आवश्यकता है।** संविदा कृषि को बढ़ावा देना संभव है। मॉडल संविदा कृषि अधिनियम, 2018 के अनुसार, संविदा में आपूर्ति की जाने वाली उपज की मात्रा, गुणवत्ता और कीमत का विवरण होगा। जब तक वे गुणवत्ता के दायित्वों का पालन करते हैं, तब तक किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाया जाएगा।

- **नियामक संरचना को सुव्यवस्थित करना:** अनुबंध और कॉर्पोरेट खेती के लिए एक सहायक नियामक ढांचा विकसित करके, कमोडिटी क्लस्टर को प्रोत्साहित करना और गहन पशुधन पालन, बैकवर्ड लिंकेज के विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है जो पैमाने और आर्थिक व्यवहार्यता हासिल करने के लिए आवश्यक हैं।
- वर्तमान स्थिति में किसानों से लेकर उपभोक्ताओं तक विभिन्न हितधारकों के बीच **समन्वय में सुधार के लिए एक सूचना प्रणाली की आवश्यकता है।** सूचना और भुगतान इंटरनेट और मोबाइल फोन का उपयोग करके हितधारकों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां और अवसर क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करके किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? (2020)

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

- **प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई):** **पीएमकेएसवाई** का उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, कृषि-अपशिष्ट को कम करना और प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना है। पीएम किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, निम्नलिखित कार्यक्रम लागू किए जाएंगे:
  - **मेगा फूड पार्क;**
  - **ऑपरेशन ग्रीन्स**
  - **एकीकृत शीत श्रंखलाएं और मूल्य संवर्धन अवसंरचना;**
  - **कृषि- प्रसंस्करण समूहों के लिए अवसंरचना;**
  - **खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार (इकाई योजना);**
  - **खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना;**
  - **बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण;**
  - **मानव संसाधन और संस्थान;**
- **''ऑपरेशन ग्रीन्स'' कार्यक्रम :** प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत टमाटर, प्याज और आलू **(TOP)** से सभी अधिसूचित फलों और सब्जियों **(TOTAL)** तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया है। इसके बाद, केंद्रीय बजट 2021 में मूल्यसंवर्धन और निर्यात के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को **TOP** से बढ़ाकर 22 खराब होने वाले उत्पाद (पेरिशबल्स) कर दिया गया।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति:** सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए एक निवेशक अनुकूल नीति लागू की है। इस नीति के तहत, खाद्य उत्पादों के निर्माण के स्वचालित मार्ग के लिए 100% एफडीआई की अनुमति है और भारत में बने और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में खुदरा व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है, जिसमें ई-कॉमर्स के माध्यम से शामिल है। 2021-22 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल एफडीआई प्रवाह 3.54 बिलियन अमरीकी डालर है।
- **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI):** यह 1988 में एफपीआई के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था और देश के समग्र उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के भीतर इस क्षेत्र के लिए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है।
- **पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग:** यह पशुधन के उत्पादन, संरक्षण और सुरक्षा के साथ-साथ स्टॉक और डेयरी विकास के विकास से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, यह सभी अंतर्देशीय और समुद्री मछली पकड़ने और मत्स्य पालन संबंधी मुद्दों का प्रबंधन करता है।
- **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम):** यह हरियाणा में एक उच्च शिक्षा संस्थान है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के तहत संचालित होता है। इसे ''डीम्ड-टू-बी-यूनिवर्सिटी'' के रूप में जाना जाता है।
- **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी):** यह कार्यक्रम केंद्रीय बजट 2012-13 के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था ताकि इसके दायरे का विस्तार किया जा सके और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक लचीलेपन की पेशकश की जा सके।
- **खेत से फैक्ट्री गेट तक: ग्रामीण स्तर पर खरीद:** 2018-19 के बजट में घोषित 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (ळताडै) के रूप में उन्नयन करना, सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण:** ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियम, 2011 प्रकाशित किए हैं, जो खाद्य उत्पादों के लिए क्रमशः गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को निर्दिष्ट करते हैं।

- निर्भर भारत अभियान के तहत, **प्रधान मंत्री-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएम-एफएमई) योजना** का औपचारिकरण एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के दृष्टिकोण को अपनाकर क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभान्वित करना है।
- **मेगा फूड पार्क:** मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य किसानों, प्रोसेसरों और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है ताकि मूल्यसंवर्धन को अधिकतम किया जा सके, अपव्यय को कम किया जा सके, किसानों की आय में वृद्धि हो सके और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।
- **एकीकृत शीत श्रंखलाएं और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के लिए योजना:** इस योजना का लक्ष्य कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण को बढ़ावा देना है ताकि **एकीकृत शीत श्रंखलाएं और मूल्य संवर्धन अवसंरचनाओं को** फार्म गेट से उपभोक्ता को बिना तोड़े मुहैया कराया जा सके।
- **ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क:** भारत की ब्लू इकोनॉमी पर एक प्रारूप आर्थिक नीति ढांचा तैयार किया गया है। ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी फ्रेमवर्क तटीय क्षेत्रों के सतत विकास के लिए पर्यटन, महासागर ऊर्जा, जीवित संसाधनों और निर्जीव संसाधनों सहित समुद्री डोमेन के सभी क्षेत्रों के सर्वोत्तम संभव उपयोग की कल्पना करता है।
- **गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स, आर एंड डी, और अन्य प्रचार गतिविधियों के लिए योजना:** इसे देश की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे के निर्माण, एचएसीसीपी/आईएसओ 22000, आईएसओ 14000/जीएचपी/जीएमपी, और अन्य गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ-साथ नए उत्पादों और प्रक्रियाओं आदि के लिए अनुसंधान और विकास में सहयोग करना।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां और अवसर क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करके किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? (2020)
2. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति पर विस्तार से बताएं। (2019)

भारत में गुलाबी क्रांति

- **''गुलाबी क्रांति''** शब्द देश के पोल्ट्री और मांस प्रसंस्करण क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है।
- **दुर्गेश पटेल** को गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है।
- गुलाबी क्रांति के दौरान, तीन मुख्य ध्यान देने योग्य क्षेत्र **प्याज उत्पादन, पोल्ट्री और मांस क्षेत्र और दवा निर्माण थे।**
- **भारत, मुर्गों और मवेशियों की एक बड़ी आबादी वाला देश है,** इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं।
- मांस उद्योग में, **आधुनिकीकरण स्थापित प्रक्रियाओं की विशेषज्ञता और मशीनीकरण को संदर्भित करता है।**
- **अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और बनाए रखने के लिए भारतीय व्यवसायों को औद्योगीकरण करना चाहिए और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए।**
- **बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीकों को अपनाने और विकसित करने से** औद्योगिक उत्पादकता भी बढ़ती है।
- **चूंकि भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पारंपरिक रूप से पैक किए गए मांस की तुलना में स्थानीय स्टोर से मांस खरीदना पसंद करता है,** इसलिए घरेलू बाजार के विस्तार के लिए बहुत जगह है।
- अन्य देशों को इसके निर्यात पर रोक लगाने से रोकने के लिए **पशु रोगों द्वारा बढ़ते खतरे के आलोक में** भारत को शीर्ष स्तर की सुविधाओं की उपलब्धता और विकास करना चाहिए।
- गुलाबी क्रांति **राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड** के नियंत्रण में है, जिसकी देखरेख **खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय करता है।**

भारत में गुलाबी क्रांति की वर्तमान स्थिति:

- **2014 में, भारत ने** मवेशी मांस निर्यात के लिए दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया दोनों को पीछे छोड़ दिया।
- **बासमती चावल से पहले, भारत का मांस उत्पादन 2014-15 में इसकी सबसे बड़ी कृषि निर्यात वस्तु थी।**
- **पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश** महत्वपूर्ण मांस उत्पादक क्षेत्र हैं।
- **बूचड़खाने अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता मानकों का पालन करते हैं;** प्रसंस्करण के दौरान सारा कार्य हाथों के बजाय मशीनों के द्वारा किया जाता है; और **आयातक देशों से हलाल निरीक्षक अक्सर आते हैं।**
- 2014-15 में शीर्ष निर्यात बाजारों में **सऊदी अरब, मिस्र, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम शामिल थे।**

गुलाबी क्रांति की चुनौतियाँ:

- भारत पशुधन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यह **वैश्विक बाजार का लगभग 2% ही है।**

- मांस और कुक्कुट के लिए **गुणवत्ता और सुरक्षा आवश्यकताओं का मानकीकरण।**
- मांस और कुक्कुट-प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में सहायता के लिए **कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विकास।**
- मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण के लिए **क्षेत्र में निवेश और स्वच्छ प्रथाओं में वृद्धि।**
- मांस के उत्पादन और निर्यात को नियंत्रित करने वाले **मानक कानूनों और विनियमों का कार्यान्वयन।**
- मांस परीक्षण के लिए अपर्याप्त सुविधाएं।

गुलाबी क्रांति में संभावनाएं

- **ग्रामीण श्रम शक्ति** का 10% पशुपालन और संबंधित व्यवसायों में कार्यरत है।
- **देश में मवेशियों और भैंसों की आबादी का अनुपात कुल का 58% हो गया है।**
- अगले दस वर्षों में, **मांस की औसत दैनिक खपत वर्तमान 6 ग्राम से बढ़कर 50 ग्राम हो जाएगी।** इस तरह के अभूतपूर्व तरीके से मांस की खपत बढ़ने पर उद्योग शानदार विकास करेगा।
- भारत **अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए खाड़ी और पूर्वी एशियाई देशों में बाजारों के लिए आपूर्ति हेतु अच्छी स्थिति में है।**
- **युवा आबादी के आहार विकल्पों के कारण** भारत उच्च प्रोटीन आहार की ओर बढ़ रहा है ।
- भारत में गोवंश मांस क्षेत्र में **मिलावट की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।**

गुलाबी क्रांति के लिए सरकारी पहल

- इस उद्योग में कोई **केंद्रीय उत्पाद शुल्क या आय कर नहीं हैं।**
- सरकार **कई परिवहन सहायक कंपनियां प्रदान करती है और पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है।**
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर प्रतिबंध हटाने से भी** उद्योग में बाजार के अवसरों से 100% एफडीआई को लाभ मिला है।
- **गुणवत्ता मानकों, उत्पाद संदूषण और क्षय, और बर्बाद मांस की मात्रा को कम करने के लिए** सरकार ने देश भर में बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक रणनीति शुरू की है।
- भारतीय कुक्कुट व्यवसाय **सालाना 8% और 15% के बीच अलग-अलग दरों पर बढ़ रहा है और वर्तमान में यह 700 बिलियन डॉलर से अधिक का है।**

निष्कर्ष

- भारत में मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण क्षेत्र में कई चुनौतियों के बावजूद विकास के लिए बहुत जगह है। **वर्तमान में, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति केवल 6 ग्राम मांस का सेवन किया जाता है; हालाँकि, अगले दस वर्षों के अंत तक, यह मात्रा बढ़कर 50 ग्राम हो जाएगी।** मांस की खपत में आश्चर्यजनक वृद्धि के परिणामस्वरूप क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

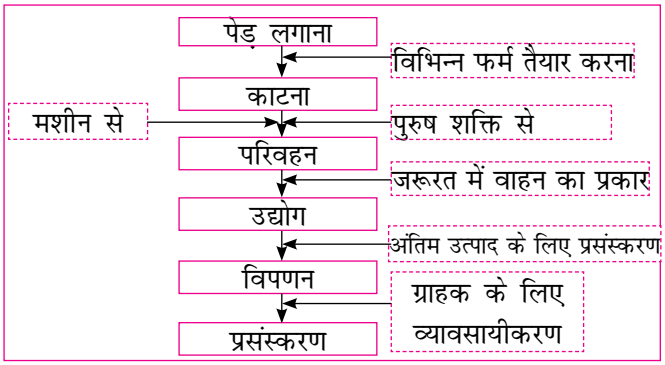
1. भारत को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के लिए खाद्य उद्योग में गुलाबी क्रांति को बढ़ावा देने के उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है। कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। (2013)

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति (2021)

- प्रस्तावित नीति का सर्वोपरि उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समग्र विस्तार और विकास को बढ़ावा देते हुए किसानों को लाभदायक रिटर्न प्रदान करना है। मॉडल नीति उन कार्रवाइयों की भी सिफारिश करती है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करनी चाहिए।
- सुझाई गई मॉडल खाद्य प्रसंस्करण नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - अपव्यय को कम करने, मूल्यवर्धन में वृद्धि करने, उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए किसानों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना
  - पौष्टिक रूप से संतुलित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करके कुपोषण और कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना
  - आपूर्ति श्रृंखला के साथ पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, आधुनिक तकनीक और नवाचार के उपयोग, पता लगाने की क्षमता को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा, संपत्ति और संसाधनों के इष्टतम क्षमता उपयोग को प्रोत्साहित करने के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण को अधिक प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार करना।
  - कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण के लिए भारत को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
  - कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए और अधिक अवसर पैदा करना और रोजगार सृजित करना।

नीति आयोग: खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर भारत @ 75

- नीति आयोग ने 'अभिनव भारत @75 के लिये कार्यनीति' (**Strategy for New India @ 75**) **में भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के** लिए विभिन्न सिफारिशें की हैं जो नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:
  - **मॉडल संविदा कृषि अधिनियम 2018 को** पारित कराने हेतु पहल की जानी चाहिए।
  - **उचित कृषि विपणन सुधार सुनिश्चित करना**, उदाहरण के लिए, **एपीएमसी अधिनियम का एक** समान **निष्पादन।**
  - **कई विभागों और कानूनों** को एकल खिड़की अनुमोदन प्रदान करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
  - रणनीति दस्तावेज में सुझाव दिया **गया है कि डेयरी, सब्जियों और फलों सहित जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के लिए ग्रामीण स्तर पर खरीद केंद्र स्थापित किए जाएं।**
  - **उत्पादन को प्रसंस्करण से जोड़ा जाए :** फलों और सब्जियों के लिए बड़ी प्रसंस्करण सुविधाओं को ग्राम स्तर के संग्रह केंद्रों से जोड़ा जाना चाहिए। **ग्रामीण आवधिक बाजारों (आरपीएम)** के निकट प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करना।
  - **कृषि मूल्य श्रृंखलाओं** के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थिति: बुनियादी ढाँचे के दर्जे के लिए दिए जाने वाले वित्तीय लाभों का लाभ उठाने के लिए, **गोदामों, पैकेजिंग घरों, फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कक्षों, और शीतगृहों - जो कि** ग्रामीण स्तर पर स्थापित किए गए हैं - को **पूर्ण रूप से** बुनियादी ढाँचे का दर्जा **दिया जाना चाहिए।**
  - **ग्रामीण बाजार: ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बाजार गलियारे विकसित किए जाएं।** सरकार को कृषि संसाधकों और खाद्य संसाधकों के साथ काम करना चाहिए ताकि पूर्व एकीकरण के माध्यम से उनके कच्चे माल को सुरक्षित करने के लिए आरपीएम के माध्यम से प्रसंस्करित किया जा सके।
  - **कृषि उपकरणों में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए:** निजी व्यापारियों को प्रत्येक 5000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के लिए भारी मशीनरी केन्द्र और प्रत्येक 1000 हेक्टेयर के लिए छोटे कृषि उपकरण मशीनीकरण केन्द्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - **विभिन्न सरकारी पहलों का अभिसरण:** कुशल खरीद लिंक, प्रसंस्करण सुविधाएं, खुदरा श्रृंखला और निर्यात गतिविधि स्थापित करने के लिए **कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और वाणिज्य मंत्रालयों के कार्यक्रमों के बीच समन्वय की आवश्यकता है।**
    - **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की शीत श्रृंखला और वेयर हाउसिंग अवसंरचना विकास हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना, और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना** सहित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एक साथ काम करना आसान हो जाएगा।
  - **ब्लॉक स्तरीय संसाधन केंद्र:** कार्यात्मक ब्लॉक स्तरीय संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएं जो समुदायों के समूहों को लक्षित करते हों और मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करें।
  - **कृषि और किसान कल्याण विभाग (DACFW)** को गोदाम आधारित पोस्ट हार्वेस्ट श्रृण और **ई-एनडब्ल्यूआर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए।**
- **थोक** बाजारों को उन्नत किया जाए: थोक बाजारों को अस्थायी भंडारण, पैकहाउस संचालन और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के साथ उन्नत किया जाए।
- दस्तावेज ने यह भी चिन्हित किया है कि एक **प्रमुख आपूर्ति-पक्ष बाधा** जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण **पोस्ट-हार्वेस्ट हानि (मुख्य रूप से खराब होने वाले उत्पादों) अनुमानित रूप से रु 92,561 करोड़ वार्षिक** है, जिसका कारण उपयुक्त और प्रभावी शीत श्रृंखला अवसंरचना का अभाव है।
- **क्षेत्रीय स्तर की विसंगतियां भौगोलिक रूप से असमान रूप से स्थापित** शीत श्रृंखलाओं के बुनियादी ढांचे का भी परिणाम हैं।
- **आपूर्ति-पक्ष की चुनौतियाँ भी गुणवत्ता और संपर्क से संबंधित उपस्कर बाधाओं के** कारण देखी जाती हैं।
  - **उदाहरण के लिए, सभी प्रकार के माल का 40% भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से ढोया जाता है, जो दुनिया के कुल सड़क नेटवर्क का केवल 2% है।**
  - यह दुनिया की मौजूदा सड़क प्रणालियों पर तनाव और भीड़भाड़ की संभावना को दर्शाता है, जो दोनों ही तरह के खाद्य पदार्थों विशेष रूप से खराब होने वाले, के परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
- नीतिगत दस्तावेज के अनुसार, **यूरोपीय संघ (ईयू)** ने अधिक अधिसूचनाएं जारी की हैं, और तुर्की, ब्राजील, चीन और वियतनाम जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत से अधिक खेपों को खारिज कर दिया है और अधिक खेपों को नष्ट कर दिया है।



आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

- माल के प्रवाह के प्रबंधन को आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन **(SCM)** के रूप में जाना जाता है। इसमें उत्पादों की आवाजाही और भंडारण दोनों शामिल हैं, जिनमें इन्वेंट्री, कच्चे माल और तैयार उत्पादों को उत्पादन के स्थान से खपत के बिंदु तक शामिल किया गया है।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का महत्व:

- **व्यवसाय की लागत:** क्रय और उत्पादन व्यय को कम करके, एससीएम व्यवसाय की लागत को कम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किराने की दुकान चलाते हैं और सीधे किसानों से टमाटर खरीदते हैं, तो आप अपनी खरीदारी करने के लिए किसी तीसरे पक्ष को भुगतान करने की लागत को समाप्त कर देते हैं।
- **सामरिक योजना:** आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कंपनी के लिए भविष्य के विस्तार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करता है, यहां तक कि विश्वव्यापी स्तर पर भी।
- **व्यापार संतुलन:** यह वस्तुओं की आपूर्ति और उपभोक्ता मांग के बीच संतुलन बनाने में सहायता करता है।
- **प्रभावी ग्राहक सेवा:** यह अधिक कुशल और प्रभावी ग्राहक सेवा को सक्षम बनाता है। ग्राहक अपने उत्पादों को तेजी से और वादे के अनुसार प्राप्त करते हैं।
- **मानव जीवनयापन को सुनिश्चित करता है:** यह मानव जीवन को बनाए रखने में योगदान देता है, मानव स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाता है, और मनुष्यों को चरम जलवायु से बचाता है।
- **जीवन गुणवत्ता में वृद्धि:** एस सी एम **(SCM)** सब जीवन स्तर में सुधार करता है और आर्थिक विस्तार, नौकरियों के सृजन, प्रदूषण को कम करने का अवसर और अधिक ऊर्जा संरक्षण की क्षमता के लिए एक नींव स्थापित करता है।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की चुनौतियां:

- **खंडित आपूर्ति श्रृंखला:** एक लंबी और खंडित आपूर्ति श्रृंखला बर्बादी और बढ़ी हुई कीमतों का कारण बनती है। आपूर्ति श्रृंखला में असंगठित व्यापारियों के कारण व्यावसायिक व्यवहार्यता चुनौतियों को जन्म देते हैं।
- **शीतगृहों और वेयरहाउसिंग के लिए अपर्याप्त सुविधाएं:** वेयरहाउसिंग पूरी आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक है जिस पर मुख्य रूप से असंगठित व्यापारियों का प्रभुत्व है। वर्तमान में, 20% वेयरहाउसिंग ही संगठित है, जिसमें सरकार संगठित क्षेत्र के 70% को नियंत्रित करती है।
- **खंडित बाजार:** भारतीय खुदरा उद्योग में किराना स्टोर और छोटे डीलरों का दबदबा कायम है। यह ग्राहक आधार स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है।
- **संभार-तंत्र संबंधी समस्याएं :** संयोजकता और विश्वसनीयता एक चुनौती बनी हुई है। देश की केवल 2% सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, हालांकि वे पूरे माल का 40% परिवहन करती हैं। बंदरगाहों तक पहुंच की कमी से लागत बढ़ती है और माल की आपूर्ति में देरी होती है। रेल के द्वारा अंतिम मील संपर्क का अभाव है।
- **अविकसित प्रसंस्कृत खाद्य बाजार:** भारत में **प्रसंस्कृत खाद्य बाजार** अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और अभी भी विकसित हो रहा है।
- **प्रणाली एकीकरण का अभाव :** आपूर्ति श्रृंखला की योजना बनाई जानी चाहिए और समग्र रूप से एक एकीकृत तरीके से विकसित की जानी चाहिए। आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर के उपयोग के साथ, नए उत्पाद के निर्माण, खरीद और वितरण की प्रक्रियाओं को पर्याप्त रूप से संरचित और समर्थित किया जाना चाहिए।
- **धीमी उत्पादन वृद्धि :** उत्पादन वृद्धि धीमी हो रही है क्योंकि आधे से अधिक सीमांत किसानों के गरीबी रेखा से नीचे रहने की उम्मीद है, जो कृषि उत्पादकता में वृद्धि को रोक रहा है। लगभग 67 प्रतिशत भू-जोत सीमांत हैं, जिनका औसत आकार 0.4 हेक्टेयर है।
- **बड़े पैमाने पर अनौपचारिकीकरण:** खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अत्यधिक अनौपचारिक है, जिसमें लघु उद्योग इस क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा हैं। नतीजतन, वे औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से पैमाने और लाभ की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
- उपरोक्त समस्याओं के अलावा, उद्योग को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जैसे **अनुप्रयुक्त अनुसंधान की कमी, कर संबंधी मुद्दे, ऋण की उपलब्धता, पुरानी तकनीक, आदि।**

आपूर्ति श्रृंखला में सुपर मार्केट की भूमिका:

- **तेज गति:**
  - पारंपरिक तरीकों की तुलना में सामानों की तेज आवाजाही सुपरमार्केट श्रंखला द्वारा हासिल की जाती है।

- **विविध उत्पाद:**
  - सुपरमार्केट में तरह-तरह के सामान होते हैं। ग्राहकों के पास अब चयन और उपभोग दोनों के लिए अधिक विकल्प हैं।
- **सर्वांगीण उपलब्धता:**
  - पारंपरिक प्रणालियों के विपरीत, सुपरमार्केट साल भर उत्पादों को प्रस्तुत करते हैं, यहां तक कि ऑफ सीजन के दौरान भी। इस प्रकार, भंडारण संबंधी सामानों के लिए बाजार उभरेंगे।
- **उत्पादकों के साथ सीधा व्यापार:**
  - किसान अब अपनी उपज खरीदने और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं हैं। सुपरमार्केट प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसान अपने उत्पादों को सीधे श्रृंखलाओं में आपूर्ति कर सकते हैं और पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक कीमत भी प्राप्त कर सकते हैं।
- **कम परिवहन लागत:**
  - बिचौलियों को शामिल करने वाले कई कारकों में परिवहन एक है। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने के अलावा, अवैज्ञानिक गतिविधियों से होने वाले नुकसान के कारण सामान को अस्वीकार किए जाने का जोखिम भी होता है। खुदरा सुपरमार्केट श्रृंखलाओं के कारण किसानों को अब परिवहन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
- **कृषि मंडियों को समाप्त करते हैं:**
  - कृषि मंडियां वे स्थान हैं जहां बिचौलिए कार्यरत हैं। भोले-भाले किसानों को कम दाम में बेचने के लिए बरगलाया जाता है, जबकि व्यापारियों को ज्यादा फायदा होता है। इस स्थिति में अच्छी खासी कमाई के बेहतर अवसर हैं क्योंकि उपज मंडियों में नहीं पहुंचाई जाती है।
- **सुझाव/ किए जाने वाले उपाय:**
  - **मांग-आपूर्ति को विनियमित किया जाए:** लाभप्रदता को अधिकतम करने के लिए, मांग और आपूर्ति की अस्थिरता को पूरा करने के लिए एक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला रणनीति की आवश्यकता है।
    - लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए **लागत और सूचना समन्वय आवश्यक है।** गैर-मूल्यवर्धित गतिविधियों को समाप्त करके लागत कम की जा सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाएं और तकनीकों और उत्पादन का अनुकूलन हो सके।
  - **संभारण तंत्र का सुधार:** वर्तमान पीएम-ग्राम सड़क योजना, भारतमाला और सागरमाला कार्यक्रम का उपयोग करके, आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर किया जा रहा है।
  - **सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)** एक और रणनीतिक दृष्टिकोण है। धुलाई, वैक्सिंग, ग्रेडिंग, छंटाई, पैकिंग, प्री-कूलिंग, हैंडलिंग सुविधाएं, बीमा, वित्त, परिवहन और प्रसंस्करण सुविधाओं से आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार होगा।
  - **राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम):** यह एक अखिल भारतीय बाजार है, बिचौलियों से छुटकारा पाना आसान बनाता है और आपूर्ति श्रृंखला को समग्र रूप से सुव्यवस्थित करता है।
  - **संविदा कृषि अधिनियम:** नया **संविदा कृषि अधि नियम** आपूर्ति श्रृंखला को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को एकीकृत करना आसान बनाता है।
  - **निरंतर सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।** सूचना के निरंतर प्रवाह को बनाए रखना आवश्यक है।
  - **इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर):** बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्बाध दृढ़ वित्तपोषण को संभव बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) विकसित की गई थी।
  - **इंडिया फूड बैंकिंग नेटवर्क (IFBN)** जैसी पहल , जो निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठनों की सहायता से सहयोगी उपभोग के विचार को आगे बढ़ा रही है।
  - **आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोखिम-बचाव और उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखलाओं के संयोजन को** अपनाया जाना चाहिए। अप्रत्याशित मांग का जवाब देने के लिए, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मांग और आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितता को प्रबंधित करने का प्रयास करना चाहिए।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन में मुख्य बाधाएँ क्या हैं? (2020)
2. फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुपरमार्केट की भूमिका की विवेचना करें। वे बिचौलियों को कैसे समाप्त करते हैं? (2018)
3. भारत में उद्योग में विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएं हैं? क्या ई-कॉमर्स इन बाधाओं पर काबू पाने में मदद कर सकता है? (2015)

❖ ❖ ❖

28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

परिचय

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System (PDS)) **सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न के वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई।** यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- वर्षों से, पीडीएस देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रकृति में पूरक है** और इसका उद्देश्य इसके तहत वितरित किसी भी वस्तु की संपूर्ण आवश्यकता को एक घर या समाज के एक वर्ग को उपलब्ध कराना नहीं है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** सरकारों की **संयुक्त जिम्मेदारी के** तहत संचालित होता है ।
  - केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से राज्य सरकारों को खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और थोक आवंटन की जिम्मेदारी संभाली है।
  - राज्य के भीतर आवंटन, पात्र परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) आदि के कामकाज की निगरानी सहित परिचालन संबंधी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है।
- पीडीएस के तहत, वर्तमान में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी वस्तुओं को वितरण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया जा रहा है। कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से दालें, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, मसाले आदि जैसी बड़े पैमाने पर खपत की अतिरिक्त वस्तुओं का वितरण भी करते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पृष्ठभूमि

- 1992 से पहले, पीडीएस बिना किसी निर्धारित जनसांख्यिकीय के उपभोक्ताओं के लिए एक सर्व-समावेशी पात्रता कार्यक्रम था। लेकिन 1992 में, पीडीएस **आरपीडीएस** (पुनर्निर्मित पीडीएस) में बदल गया, विशेष रूप से दूरदराज के, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में गरीब परिवारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और 1997 में, आरपीडीएस ने अपना नाम बदलकर **टीपीडीएस** (टार्गेटेड पीडीएस) कर दिया, जिसने उचित मूल्य की दुकानों पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सेट किया।
- **टीपीडीएस का न्यायिक और विधायी समर्थन:**
  - सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ष्भोजन का अधिकारष जीवन के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि पीपुल्स इन यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ मामले में संविधान के अभिलेख 21 द्वारा तर्कसंगत दिया गया है।
  - इसके अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था। लगभग दो तिहाई आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न वितरित करके, एनएफएसए का उद्देश्य खाने के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदलना है। इन अधिकारों को वितरित करने के लिए, यह वर्तमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) प्रणाली का उपयोग करता है।

पीडीएस के उद्देश्य

- **समाज के कमजोर वर्गों को** उचित (रियायती) कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना।
- खुले बाजार में अनाज की कीमतों को नियंत्रित करना, जिसका वितरण कुल विपणन योग्य अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा है।
- आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्य में वृद्धि को सीमित करना।
- उचित वितरण की गारंटी।
- उचित लागत पर खाद्यान्न की एक निर्धारित न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करके कम आय वाले लोगों की सुरक्षा करना।
- आवश्यकताओं को कैसे वितरित किया जाए, इस मुद्दे को सामाजिक बनाने का प्रयास करना चाहिए।

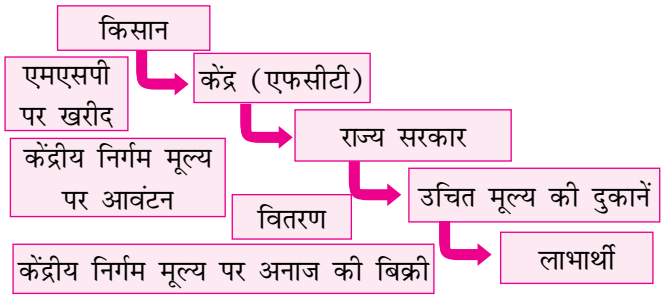
पीडीएस का महत्व

- न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद की व्यवस्था ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया है।

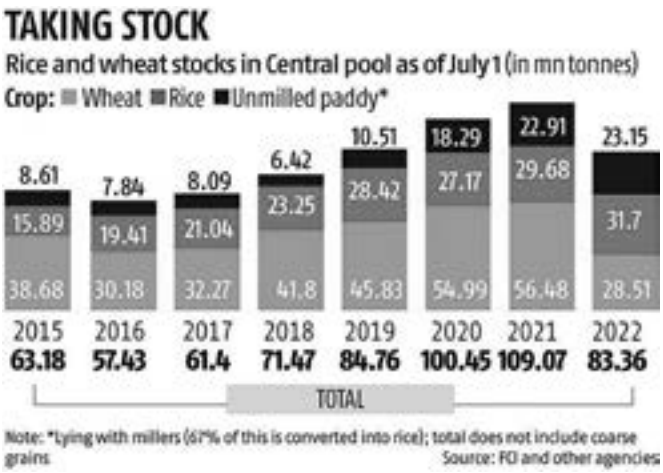
- गरीब से गरीब लोगों को वहनीय मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराकर देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- खाद्यान्न का बफर स्टॉक यह सुनिश्चित करने के लिए कि संकट के समय भी खाद्य की अधिकता बनी रहे।
- देश के अतिरिक्त क्षेत्रों से उसके भोजन की कमी वाले हिस्सों में भोजन वितरित करना और भोजन की लागत को स्थिर रखने में सहायता करना।

पीडीएस की कार्यप्रणाली

- पहचान किए गए लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र **और राज्य सरकारें संयुक्त जिम्मेदारी साझा करती हैं।**
- केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से अनाज खरीदता है और केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को बेचता है।
- यह प्रत्येक राज्य में अनाज को गोदामों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। राज्य इन गोदामों से प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान (राशन की दुकान) तक खाद्यान्न के परिवहन की जिम्मेदारी वहन करते हैं, जहां लाभार्थी निम्न केंद्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न खरीदता है। कई राज्य खाद्यान्न को लाभार्थियों को बेचने से पहले उसकी कीमतों में और सब्सिडी देते हैं।
- **भारतीय खाद्य निगम (FCI) केंद्र की प्रधान एजेंसी है** जो खाद्यान्न को राज्य के गोदामों तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार है। विशेष रूप से, **FCI** इसके लिए जिम्मेदार है:
  - किसानों से एमएसपी पर अनाज की खरीद
  - खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनाज के परिचालन और बफर स्टॉक को बनाए रखना
  - राज्यों को अनाज आवंटित करना
  - राज्य डिपो में अनाज का वितरण और परिवहन
  - केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को खाद्यान्न बेचने का भार अंततः लाभार्थियों पर डाला जाएगा।



भारत में पीडीएस से जुड़े मुद्दे



- **उत्पादन बनाम खरीद:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार, कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए केंद्र हर साल लाखों टन खाद्यान्न की लगातार खरीद करता है। उच्च उत्पादन वाले वर्षों में खाद्यान्न की इतनी मात्रा प्राप्त करना आसान हो सकता है। हालाँकि, भारत को सूखे के वर्षों और घरेलू भोजन की कमी के दौरान चावल और गेहूं के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता होगी। इससे मूल्य निर्धारण दबाव काफी बढ़ जाएगा, जो खाद्य सब्सिडी को प्रभावित करेगा।
- **खाद्यान्न आवंटन और कुल खरीद:** कृषि लागत और मूल्य आयोग के अनुसार , 2009-10 के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की जानकारी के आधार पर, टीपीडीएस के तहत कुल खरीद का केवल 60% उपभोग किया गया था। इससे पता चलता है कि करीब 40% खरीद मुक्त बाजार में लीक हो रहा है।
- **लाभार्थियों की पहचान:** अनुसंधान ने प्रदर्शित किया है कि टीपीडीएस जैसी लक्ष्यीकरण रणनीतियों में महत्वपूर्ण समावेशन और बहिष्करण त्रुटियां हैं। इससे पता चलता है कि जो लाभार्थी पात्र हैं लेकिन खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2009 की एक विशेषज्ञ समिति ने पाया कि 25% गैर-गरीब परिवारों को बीपीएल सूची में रखा गया था, लगभग 61% पात्र आबादी को छोड़ दिया गया था
- **घोस्ट कार्ड:** गैर-मौजूद लोगों के नाम पर बनाए गए कार्ड को 'घोस्ट कार्ड' कहा जाता है। घोस्ट कार्ड बताते हैं कि पात्र घरों से अनाज चुराकर खुले बाजार में बेचा जा रहा है।

- **राज्यों की भंडारण क्षमता में समस्या: भंडारण क्षमता** की मात्रा असमान रूप से क्षेत्रों के बीच वितरित की जाती है। इस तथ्य के विपरीत कि राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे बहुत सारे संसाधनों का उपभोग करने वाले क्षेत्रों में जगह की कमी है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि **देश की भंडारण क्षमता का 64** प्रतिशत पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केंद्रित है ।
- **कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कम क्षमता का उपयोग: एफसीआई** में भंडारण की सीमाओं के बावजूद, कैग ऑडिट में पाया गया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध भंडारण क्षमता का उपयोग भयावह है।
- **खाद्यान्न का रिसाव:** टीपीडीएस में राशन की दुकानों से और खुले बाजार में ले जाते समय बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का रिसाव होता है। योजना आयोग ने टीपीडीएस का मूल्यांकन करते समय **पूरे भारत में पीडीएस चावल और गेहूं के 36%** रिसाव की खोज की।

पीडीएस के लिए सुधार



- **पहचान पत्र आधारित सुधार:** टीपीडीएस और आधार एकीकरण लाभार्थी की पहचान में सुधार करेगा और समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों के मुद्दे से निपटेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एक शोध के अनुसार, टीपीडीएस के साथ आधार का उपयोग करने से डुप्लीकेट और फर्जी (झूठे) लाभार्थियों को हटाने और लाभार्थी की पहचान में सुधार करने में मदद मिलेगी।
- **शांता कुमार समिति की सिफारिशें:** इसे लागू किया जा सकता है, **उदाहरण के लिए:** यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि एफसीआई त्वरित और कुशल तरीके से संचालित हो।
- पीडीएस योजनाओं के लिए **खरीदे गए खाद्यान्न का उचित भंडारण सुनिश्चित** करने के लिए **भंडारण क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए।** सार्वजनिक निजी भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप(पीपीपी)) तंत्र के माध्यम से योजनागत योजनाओं और निजी निवेश से धन का लाभ उठाकर पूरे देश में भंडारण क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है।
- **नकद हस्तांतरण की कुशलता से निगरानी की जानी चाहिए:**
  - भारतीय रिजर्व बैंक **(RBI)** ने राज्य के वित्त पर अपनी रिपोर्ट में प्रवासन को लागू करते समय सतर्क रहने के लिए नकद हस्तांतरण पर स्विच करने पर विचार करने वाले राज्यों को चेतावनी दी है।
  - इसके अतिरिक्त, आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में सब्सिडी वाली पीडीएस आपूर्ति से डीबीटी पर स्विच करते समय बेहतर बुनियादी ढांचे और बढ़ी हुई समझदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- **प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न सुधार (कुछ राज्यों में लागू किए जा रहे हैं): जिन राज्यों** ने प्रौद्योगिकी के आधार पर टीपीडीएस सुधारों को अपनाया है: वाधवा समिति, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था, ने पाया कि कुछ राज्यों ने टीपीडीएस का कम्प्यूटरीकरण किया था और अन्य तकनीकी सुधारों को अपनाया था। प्रौद्योगिकी पर आधारित सुधार टीपीडीएस के दौरान खाद्यान्न के रिसाव को रोकने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए: हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि ने लाभार्थी डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रेरित किया है और जालसाजी को रोका है।

- **प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों की सूची:**

सुधार का प्रकार	सुधार के लाभ
राशन कार्डों का डिजिटलीकरण	• लाभार्थी डेटा की ऑनलाइन प्रविष्टि और सत्यापन की अनुमति देता है; • लाभार्थियों की मासिक हकदारी, आश्रितों की संख्या, लाभार्थियों द्वारा उचित दर दुकान से उठाये गये खाद्यान्न आदि का ऑनलाइन भण्डारण।
एफपीएस को कम्प्यूटरीकृत आवंटन	• एफपीएस आवंटन, स्टॉक बैलेंस की घोषणा, वेब आधारित ट्रक चालान आदि का कम्प्यूटरीकरण करता है। • लेन-देन की त्वरित और कुशल ट्रैकिंग की अनुमति देता है

राशन कार्ड के स्थान पर स्मार्ट कार्ड जारी करना	• लाभार्थी डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण • नाम, पता, बायोमेट्रिक्स बीपीएल/एपीएल श्रेणी और लाभार्थियों और परिवार के सदस्यों की मासिक पात्रता जैसे डेटा संग्रहीत करता है • जालसाजी रोकता है
जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल	• राज्य डिपो से एफपीएस तक खाद्यान्न ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए जीपीएस तकनीक का उपयोग
एसएमएस आधारित निगरानी	• नागरिकों द्वारा निगरानी की अनुमति देता है ताकि वे अपने मोबाइल नंबर पंजीकृत कर सकें और टीपीडीएस वस्तुओं के प्रेषण और आगमन के दौरान एसएमएस अलर्ट भेज/प्राप्त कर सकें
वेब आधारित नागरिक पोर्टल का उपयोग	• शिकायतों या सुझावों को दर्ज करने के लिए कॉल सेंटरों के लिए टोल फ्री नंबर जैसे शिकायत निवारण तंत्र का प्रचार करता है

पीडीएस की दक्षता में सुधार के उपाय

- **विकेंद्रीकृत खरीद:** जिसमें केंद्र के बजाय राज्य सरकारें स्थानीय रूप से उत्पादित खाद्यान्नों की खरीद और वितरण करेंगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि खाद्यान्नों की विविधता बनी रहे।
- **लाभार्थियों का उचित वर्गीकरण:** चूंकि समस्या का एक बड़ा हिस्सा फर्जी लाभार्थियों और राशन कार्डों में निहित है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि टीपीडीएस योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लाभार्थियों, एपीएल, बीपीएल, या एएवाई परिवारों की पहचान और वर्गीकरण फुलप्रूफ हो।
- **उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) को प्रोत्साहन देना:** हाल ही में, दिल्ली जैसी कुछ राज्य सरकारों ने एफपीएस के मालिकों के लिए विस्तारित खुले समय के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है। इसके अलावा, उन्होंने अन्य वस्तुओं को बेचने की भी अनुमति दी है जो पीडीएस योजना के अंतर्गत नहीं आती हैं। इससे उन्हें सीधे तौर पर अपनी दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- **जलवायु परिवर्तन के साथ अनुकूलन:** जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जलवायु अनुकूल फसलों को अपनाने की आवश्यकता है।
- **राज्यों द्वारा लागू टीपीडीएस के प्रौद्योगिकी आधारित सुधार:** यह पाया गया है कि कुछ राज्य जिन्होंने टीपीडीएस में कम्प्यूटरीकरण और अन्य प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों को लागू किया था, वे टीपीडीएस के दौरान खाद्यान्न के रिसाव को रोकने में सफल रहे हैं।
- **यूनिवर्सल पीडीएस:** यूनिवर्सल पीडीएस राज्य को लाभार्थियों को लक्षित करने में त्रुटियों से बचने में मदद करता है, और तमिलनाडु देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है।
- **खाद्य कूपन:** लाभार्थियों को पैसे के बदले कूपन दिए जाते हैं, जिनका उपयोग किसी भी किराना स्टोर से खाद्यान्न खरीदने के लिए किया जा सकता है। इस व्यवस्था के तहत पीडीएस स्टोरों को अनाज रियायती दर पर नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय, लाभार्थी खुदरा विक्रेताओं (जो पीडीएस स्टोर हो सकते हैं) से खाद्यान्न खरीदने के लिए खाद्य कूपन का उपयोग करेंगे। खुदरा विक्रेता इन कूपनों को स्थानीय बैंक में ले जाते हैं और पैसे की प्रतिपूर्ति की जाती है।

केस स्टडी

- **छत्तीसगढ़ सरकार की ई-पीडीएस परियोजना:** जिसमें डिपो से लेकर एफपीएस तक की रियल टाइम जीपीएस मॉनिटरिंग शामिल है। पीडीएस योजना में छत्तीसगढ़ के अच्छे प्रदर्शन का एक कारण यह भी है।

खाद्य सुरक्षा

- संयुक्त राष्ट्र की विश्व खाद्य सुरक्षा समिति के अनुसार, खाद्य सुरक्षा वह स्थिति है जिसमें सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच प्राप्त होती है जो उनकी आहार संबंधी जरूरतों और भोजन को पूरा करता है। एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए वरीयताएँ। निम्नलिखित तीन कारकों के संयोजन से खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है:
  - **भोजन आसानी से उपलब्ध होना चाहिए,** यानी यह लगातार और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए।
  - यह **एक निश्चित स्थान में आपूर्ति और उत्पादन के साथ-साथ** व्यापार या मानवीय सहायता के माध्यम से खाद्य आयात करने की क्षमता को ध्यान में रखता है।
  - **भोजन की उपलब्धता,** लोगों को नियमित रूप से पर्याप्त भोजन प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, चाहे वह एकमुश्त खरीद, घरेलू उत्पादन, वस्तु विनिमय, उपहार, उधार या खाद्य सहायता के माध्यम से हो।

- **कुछ तथ्य (हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है):**
  - 2020 में, वैश्विक भूख में 'नाटकीय गिरावट' आई, जिसमें निस्संदेह एक बड़ी भूमिका निभाने वाले **COVID**-19 के प्रभाव थे। 'विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति' नामक एक बहु-एजेंसी आकलन **में भविष्यवाणी की गई है कि पिछले साल दुनिया भर में 81.1 करोड़ लोग कुपोषित थे,** हालांकि महामारी के प्रभावों की पूरी गुंजाइश अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।
  - दुनिया के एक चौथाई भूखे लोग भारत में रहते हैं, जहां **संयुक्त राष्ट्र-भारत** का अनुमान है कि करीब **195 मिलियन कुपोषित लोग हैं।**
  - भारत में, **43% से अधिक बच्चे लंबे समय से कुपोषित हैं।**
  - भारत में, **गरीबी में रहने वाले लोगों का प्रतिशत 2011-12 में लगभग 22% तक गिर गया** (तेंदुलकर समिति ने गरीबी के अनुपात की गणना की)।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक

- जीएचआई वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया एक उपकरण है। भूख से निपटने में प्रगति और असफलताओं का आकलन करने के लिए हर साल जीएचआई स्कोर की गणना की जाती है।जीएचआई को भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने, देशों और क्षेत्रों के बीच भूख के स्तर की तुलना करने का एक तरीका प्रदान करने और दुनिया के उन क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है जहाँ भूख का स्तर सबसे अधिक है और जहाँ अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है भूख मिटाना सबसे बड़ा है।
- **जीएचआई गणना:** भूख के खिलाफ लड़ाई में सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन करने के लिए जीएचआई स्कोर सालाना निर्धारित किया जाता है।
- **जीएचआई निम्नलिखित चार संकेतकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है:**
  1. **अल्पपोषण:** जनसंख्या का प्रतिशत जिसका कैलोरी सेवन अपर्याप्त है।
  2. **चाइल्ड वेस्टिंग:** पांच साल से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत, जिनका वजन उनकी ऊंचाई के मुकाबले कम है, गंभीर कुपोषण का संकेत है।
  3. **चाइल्ड स्टंटिंग:** पांच साल से कम उम्र के बच्चों का प्रतिशत जो कम वजन वाले या लंबे समय से कुपोषित हैं।
  4. **बाल मृत्यु दर:** पांच साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों का प्रतिशत।
- जीएचआई चार संकेतकों के मूल्यों के आधार पर एक अंक प्रदान करता है, जिसमें 0 सबसे बड़ा संभव परिणाम (कोई भूख नहीं) और 100 सबसे खराब का प्रतिनिधित्व करता है।
- प्रत्येक देश का जीएचआई स्कोर गंभीरता श्रेणियों में विभाजित है जो निम्न से लेकर बहुत खतरनाक तक है।
- **भूख:** यह आमतौर पर पर्याप्त कैलोरी की कमी से जुड़े संकट को संदर्भित करने के लिए समझा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) भोजन के अभाव, या अल्पपोषण को परिभाषित करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम मात्रा में आहार ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत कम कैलोरी की खपत होती है, उस व्यक्ति के लिंग को देखते हुए , आयु, कद और शारीरिक गतिविधि स्तर।
- **तथ्य:**
  - जीएचआई को एनजीओ की कंसर्न वर्ल्डवाइड और Welthungerhilfe (वेल्थुंगरहिल्फ) द्वारा तैयार किया गया है;
  - इसे पहली बार वर्ष 2006 में निर्मित किया गया था;
  - उच्च आय वाले राष्ट्र जीएचआई सूचकांक में शामिल नहीं हैं;
  - वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 116 देशों में से 101 (2020 के 94 के सूचकांक से फिसल गया) है;

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

- एनएफएसए यह सुनिश्चित करता है कि **लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में अच्छे भोजन की लागत हो, जो उन्हें** अपने पूरे जीवन चक्र में सम्मानपूर्वक जीने की अनुमति देता है।
- **ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% तक** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) द्वारा कवर किया जाता है, जो रियायती खाद्यान्न प्रदान करता है। अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों की दो श्रेणियों के तहत, 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी काफी हद तक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- **एनएफएसए संपूर्ण जनसंख्या के 67% को सेवा प्रदान करता है।** 2011 की जनगणना के जनसांख्यिकीय अनुमानों के अनुसार, इस अधिनियम में देश की कुल आबादी का लगभग दो तिहाई हिस्सा शामिल है।

- **पात्रता:** राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार टीपीडीएस के तहत शामिल किए जाने वाले प्राथमिकता वाले परिवार; मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना के तहत शामिल परिवार।
- अधिनियम के अनुसार, अंत्योदय अन्न योजना के परिवार **प्रत्येक माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न के** हकदार हैं, जबकि प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति केवल 5 किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार हैं।
- राशन कार्ड वितरण के उद्देश्य से, लाभार्थी के घर की सबसे वृद्ध महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को ''परिवार का मुखिया'' कहा जाता है।
- **शिकायत निवारण प्रणाली:** जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र सुलभ हैं।

एनएफएसए का महत्व:

- यह कृषि उद्योग के लिए फायदेमंद है।
- इसके अलावा, यह खाद्य कीमतों को नियंत्रण में रखने में सहायता करता है।
- कृषि क्षेत्र में वृद्धि से रोजगार की अधिक संभावनाएँ पैदा होंगी क्योंकि कृषि एक श्रम प्रधान व्यवसाय है। ऐसा करने से गरीबी कम होगी और अर्थव्यवस्था का विकास होगा।
- स्वास्थ्य लाभ: पौष्टिक भोजन तक पहुंच से लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में वृद्धि होगी।
- देश की अर्थव्यवस्था की स्थिरता और सुरक्षा इसकी खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है।

अधिनियम की आलोचना:

- किसान संघ ने भी इस अधिनियम का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह सरकार को कृषि उत्पादन का अधि कांश हिस्सा प्राप्त करने, बेचने और जमा करने के लिए मजबूर करके कृषि का राष्ट्रीयकरण करेगा। इसके अतिरिक्त, यह **सीमांत और छोटे किसानों को प्रदान की जाने वाली सहायता को कम करेगा और किसानों की सौदेबाजी की क्षमता को कम करेगा।**
- अधिनियम आपूर्ति श्रृंखला में निजी संस्थाओं को भी अनुमति देता है, जो लाभ कमाने और बेईमान व्यावसायिक प्रथाओं की अनुमति देता है। पीडीएस और आपूर्तिकर्ता श्रृंखला की **लीक और बेईमान व्यवहार इसके प्रभावी संचालन के लिए अतिरिक्त बाधाएं हैं।**
- हालांकि अधिनियम मुख्य रूप से भूख और उसके उन्मूलन को संबोधित करता है, लेकिन यह **कुपोषण के नकारात्मक प्रभावों** को दूर करने और उन्हें कैसे संबोधित किया जाए, इसकी उपेक्षा करता है। नतीजतन, अधिनियम को भोजन के अधिकार और पोषण के अधिकार दोनों को शामिल करने के लिए काम करना चाहिए।

एनएफएसए और महिलाएं:

- **महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी सहायता:** एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रमों के तहत, 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं ऐसे भोजन की हकदार हैं जो निर्दिष्ट पोषण मानकों का पालन करते हैं । छह वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानकों की सिफारिश की गई है।
- **मातृत्व लाभ:** गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ मिलेगा।
- **महिला अधिकारिता:** राशन कार्ड जारी करने के लिए घर की सबसे बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो, घर की मुखिया होनी चाहिए।

टिप्पणी:

- **केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी)**, जो कई वर्षों से स्थिर हैं, को **आर्थिक सर्वेक्षण- 2020-21 में संशोधन के लिए सुझाया गया है।**
- नीति आयोग के एक **चर्चा पत्र के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013** द्वारा कवर किए गए **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों** के अनुपात को क्रमश: 60% और 40% तक कम किया जाना चाहिए ।
  - कवर किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या वर्तमान 81.35 करोड़ से बढ़कर 89.52 करोड़ हो जाएगी, 8.17 करोड़ की वृद्धि, यदि ग्रामीण-शहरी कवरेज अनुपात समान रहता है (कुल जनसंख्या का 67%) (अनुमानित 2020 जनसंख्या के आधार पर) और इसलिए इससे 14,800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी की आवश्यकता होगी।
  - यदि राष्ट्रीय कवरेज अनुपात को कम किया जाता तो केंद्र 47,229 करोड़ रुपये तक बचा सकता था। सरकार इस बचत राशि का उपयोग स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए कर सकती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. केवल ग्रामीण रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं
2. राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की सबसे बड़ी महिला, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, घर की मुखिया होगी।
3. गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद छह महीने के लिए प्रति दिन 1600 कैलोरी के टेक-होम राशन की हकदार हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1 और 2

(*b*) केवल 2

(*c*) केवल 1 और 3

(*d*) केवल 3

एनएफएसए रैंकिंग 2022

- **उद्देश्य:**
  - राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद, सूचकांक **देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन की स्थिति और प्रगति के** साथ-साथ कई सुधार उपायों को ट्रैक करने के लिए आईएमएस है।
  - राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए गए सुधारों को उजागर करके, यह **क्रॉस-लर्निंग को बढ़ावा देता है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके सुधार प्रयासों को बढ़ाने में मदद करता है।**
  - पीएमकेजीएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) पेआउट और संभावित खरीद को उस इंडेक्स में शामिल किया जाएगा जो वर्तमान में ज्यादातर एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है ।
- **तथ्य:**
  - **सामान्य श्रेणी के राज्य:** ओडिशा पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे और तीसरे स्थान पर।
  - **विशेष श्रेणी के राज्य:** विशेष श्रेणी के राज्यों (उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और द्वीपीय राज्य) में त्रिपुरा पहले स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
  - **सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य:** पंजाब, हरियाणा और दिल्ली बॉटम फाइव में हैं।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय पहल

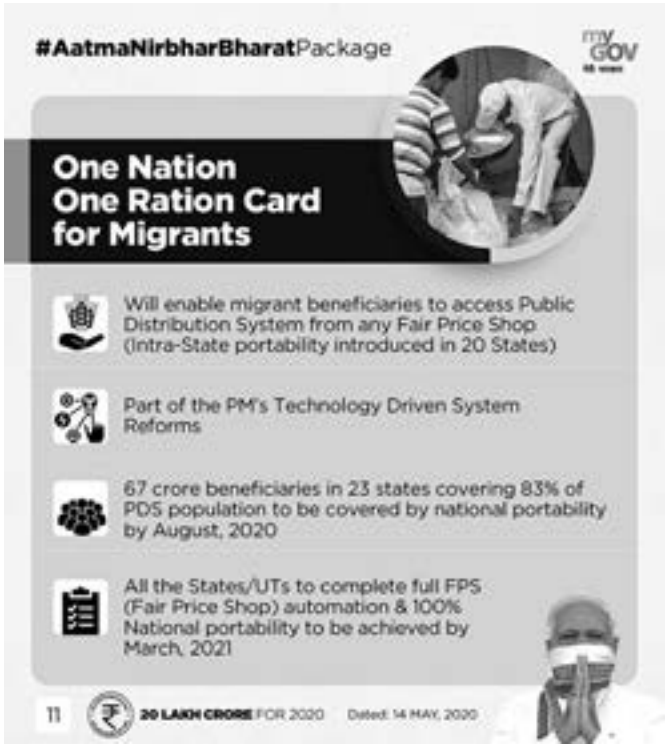
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव **ने 2008 में वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा पर उच्च-स्तरीय कार्य बल (HLTF) का गठन किया।** यह वैश्विक स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की समस्या के संपूर्ण और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय समाधान के विकास को प्रोत्साहित करना चाहता है।
- **प्रथम सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी 1)** का निर्माण, जिसका एक उद्देश्य वर्ष 2015 तक भूख का अनुभव करने वाले लोगों की संख्या को आधा करना था।
- **जीरो हंगर चौलेंज** को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 2012 में सतत विकास पर रियो+20 विश्व सम्मेलन में पेश किया था । जीरो हंगर चौलेंज का लक्ष्य एक वैश्विक आंदोलन को चिंगारी देना है जो एक पीढ़ी के भीतर भूख को खत्म कर देगा।
- **एसडीजी लक्ष्य 2:** भुखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना।

केस स्टडी: बोल्सा फैमिलिया (ब्राजील)

- "बोलसा फैमिलिया" कार्यक्रम उन सबसे कमजोर परिवारों को सशर्त नकद हस्तांतरण(कंडीशनल कॅश ट्रांसफर्स(सीसीटी) प्रदान करता है जो खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
- सबसे गरीब व्यक्ति जो विशिष्ट आवश्यकताओं का पालन करते हैं, जैसे कि स्कूल में बच्चों का होना या उनके बच्चों का टीकाकरण होना, उन्हें इस कार्यक्रम के तहत वजीफा और भोजन दिया जाता है।
- कार्यक्रम में लगभग 12.4 मिलियन परिवार पंजीकृत हैं और जीवन और पोषण सेवन में सुधार हुआ है।
- विश्व बैंक के एक पूर्व अध्यक्ष ने इसे "कुशल सामाजिक नीति का एक उदाहरण" कहा। कार्यक्रम बच्चों को उनकी कक्षाओं के 15% को याद करने में सक्षम बनाता है; यदि कोई बच्चा उससे अधिक लापता पाया जाता है तो पूरे परिवार की ट्यूशन बंद कर दी जाती है।
- भले ही यह कोई चमत्कारिक इलाज नहीं है, लेकिन अधिकांश सीसीटी कार्यक्रमों की तुलना में "बोलसा फेमिलिया" का अपने लक्ष्यों को पूरा करने का बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है। ब्राजील की उपलब्धि, जिसे राज्य स्तर की तैनाती के माध्यम से भारत में दोहराया जा सकता है, को मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ अनुकूलित किया जा सकता है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना

- भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए ओएनओआरसी कार्यक्रम लागू किया है।ओएनओआरसी में, एक प्राप्तकर्ता भारत में किसी भी स्थान से उचित मूल्य की दुकान **(FPS)** की दुकानों से खाद्य लाभ प्राप्त कर सकता है, भले ही राशन कार्ड पंजीकृत हो। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत देश में कहीं भी रहने वाले सभी प्रवासी लाभार्थियों को रियायती खाद्यान्न की परेशानी मुक्त आपूर्ति को सक्षम बनाता है।
- **उद्देश्य:** अपने वर्तमान राशन कार्डों की गतिशीलता की अनुमति देकर, जो उन्हें अपने चयन के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्यान्न आसानी से लेने की अनुमति देगा, इसका उद्देश्य सभी एनएफएसए लाभार्थियों को कहीं भी अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाना है। देश।
- **मंत्रालय:** इसे 2019 में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लाया गया था।
- **योजना के लाभ:**

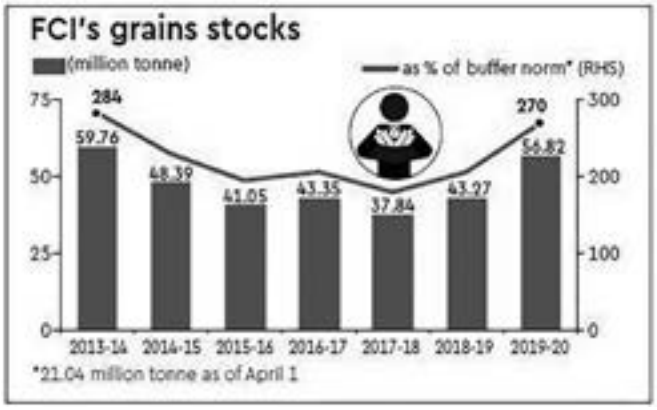


  - **रियायती खाद्यान्न:** ओएनओआरसी योजना ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम **(NFSA)** के लाभार्थी, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी, रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करें।
  - **बड़े पैमाने पर आंतरिक प्रवासन:**
    - 2011 की जनगणना से पता चला कि 45 करोड़ आंतरिक प्रवासी थे, या आबादी का 37%।
    - माइग्रेशन पैटर्न को समझने में सहायता के लिए इंट्रा- और इंटरस्टेट माइग्रेशन पर नीतियों को विकसित करने के लिए केंद्रीकृत एफआरपी शॉप डेटा का उपयोग किया जा सकता है।
  - **दोहरे लाभार्थी और कार्य के दोहराव को रोकता है:**
    - यह उन लोगों की संख्या को कम करने में सहायता करेगा जिनके पास दो राशन कार्ड हैं।
    - यह न्यूनतम सरकार के साथ अधिकतम शासन के सिद्धांत के अनुरूप होगा।
  - **अधिक प्रभावी खाद्य वितरण प्रणाली:** एक आरटीआई के जवाब के अनुसार, पिछले छह वर्षों में गेहूं और चावल सहित 40,000 टन से अधिक खाद्यान्न खराब हो गया है।
- **निष्कर्ष:** जन कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ओएनओआरसी केवल पहला कदम है। कम आय वाले प्रवासी परिवारों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं, मध्याह्न भोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाओं की अंतरराज्यीय सुवाह्यता इसके सफल कार्यान्वयन से संभव हो सकती है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के बेहतर अनुपालन के लिए, पीडीएस को अंतत: एक खाद्य कूपन प्रणाली या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

बफर मानदंड

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष, पहली अप्रैल, पहली जुलाई, पहली अक्टूबर और पहली जनवरी वे तारीखें होती हैं जिन पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति न्यूनतम बफर मानकों का निर्धारण करती है।
- 1 जुलाई, 2008 और 1 जनवरी, 2009 को क्रमश: बफर सीमा के अलावा भारत सरकार द्वारा **30 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल का रणनीतिक रिजर्व** अनिवार्य किया गया था।
- भारत सरकार वर्तमान में ''खाद्यान्न स्टॉकिंग मानदंडों'' को केंद्रीय पूल में स्टॉक की मात्रा के रूप में संदर्भित करती है जो किसी भी समय खाद्यान्न और अनिवार्यताओं के लिए परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। पहले, इस अवधारणा को ''बफर मानदंड'' और "रणनीतिक रिजर्व" कहा जाता था।

बफर स्टॉक बनाए रखने का उद्देश्य:



- कीमतों के स्थिर रहने पर किसानों का राजस्व बना रहता है। मूल्य में तेज गिरावट के परिणामस्वरूप किसान व्यवसाय से बाहर हो सकते हैं, जो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बनता है।
- स्थिर कीमतें **कृषि में अधिक निवेश को बढ़ावा देती हैं,** जिससे निवेश बढ़ता है।
- लक्ष्य मूल्य निर्धारण अत्यधिक उपभोक्ता कीमतों को रोकने और **भोजन के लिए मुद्रास्फीति की दर को कम करने में सहायता करता है।** यह निम्न-आय वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिन्हें कमी के वर्षों के दौरान उच्च कीमतों को वहन करना मुश्किल होगा।
- **निरंतर आपूर्ति:** यह खाद्य आपूर्ति को नियंत्रण में रखने और कमी को रोकने में मदद करता है।
- **कल्याणकारी कार्यक्रम:** सार्वजनिक वितरण कार्यक्रमों के माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रमों के कुशलतापूर्वक प्रबंधन में कल्याणकारी राज्य की सहायता करता है।

चुनौतियां:

- **मालसूची की लागत में वृद्धि:** जैसे-जैसे आवश्यकता से अधिक अनाज खरीदा जाता है, अनाज के भंडार को बनाए रखने की लागत बढ़ जाती है। खाद्यान्नों को बर्बाद कर दिया जाता है और सड़ने दिया जाता है क्योंकि भंडारण उपकरण पर्याप्त रूप से बड़े और प्रभावी नहीं होते हैं।
- **खरीद लागत में वृद्धि:** एफसीआई के बफर स्टॉक के लिए अनाज खरीदने में कई खर्चे शामिल होते हैं, और एमएसपी में सरकार की हालिया वृद्धि ने समग्र खरीद लागत को बढ़ा दिया है। खाद्य सहायता की लागत लगातार बढ़ रही है।
- **अधिशेष भंडार को भिगोना:**
  - चूंकि किसान जानते हैं कि कोई भी अधिशेष खरीदा जाएगा, न्यूनतम मूल्य और बफर स्टॉक अतिउत्पादन को प्रोत्साहित कर सकते हैं;
  - उत्पादकों का ज्ञान कि कोई भी अधिशेष आपूर्ति बेची जा सकती है - भले ही बाजार इसे न चाहे - उपज को अधिकतम करने के लिए रसायनों के अत्यधिक उपयोग को भी प्रेरित कर सकता है;
  - **बफर स्टॉक के लिए शांता समिति की सिफारिशें थीं:**
    - एनएफएसए लागू करने के लिए: 61 मिलियन टन;
    - सामरिक भंडार: 5 मिलियन टन;
    - विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार: आयात के लिए पर्याप्त- 3 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन चावल।

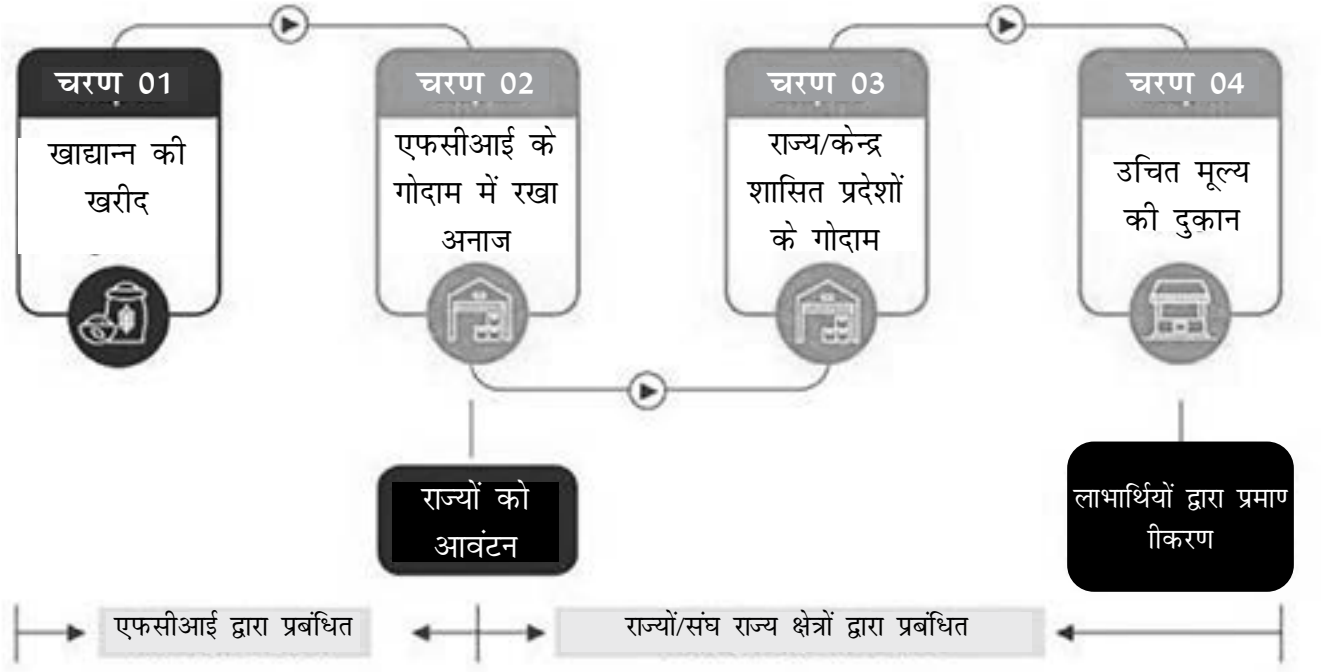
आगे की राह: शांता कुमार समिति की सिफारिशें-

- एचएलसी ने सिफारिश की है कि एफसीआई को विभिन्न एजेंसियों जैसे केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना के तहत निजी क्षेत्र, और यहां तक कि राज्य सरकारें जो राज्य की भूमि पर निजी क्षेत्र के माध्यम से साइलो का निर्माण कर रही हैं, को अपने स्टॉकिंग संचालन **को आउटसोर्स करना चाहिए। इसे प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किया जाना चाहिए,** विभिन्न हितधारकों को आमंत्रित करना और भंडारण की लागत कम करने के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा करना;
- भारत को वर्तमान की तुलना में **अधिक बल्क हैंडलिंग सुविधाओं की आवश्यकता है। एफसीआई के कई पुराने पारंपरिक भंडारण जो लंबे समय से मौजूद हैं, उन्हें निजी क्षेत्र और अन्य स्टॉकिंग एजेंसियों की मदद से साइलो में परिवर्तित किया जा सकता है।** सभी साइलो के साथ-साथ पारंपरिक भंडारण में बेहतर मशीनीकरण की आवश्यकता है;
- **कवर्ड एंड प्लिंथ (CAP) भंडारण** को धीरे-धीरे चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना चाहिए और **CAP** में 3 महीने से अधिक समय तक कोई अनाज स्टॉक नहीं रहना चाहिए। सिलो बैग प्रौद्योगिकी और पारंपरिक भंडारण जहां भी संभव हो, सीएपी को प्रतिस्थापित करना चाहिए;
- **अनाज की आवाजाही को धीरे-धीरे कंटेनरीकृत करने की आवश्यकता है** जो पारगमन नुकसान को कम करने में मदद करेगा, और रेलवे साइडिंग पर अधिक मशीनीकृत सुविधाएं होने से तेजी से टर्न-अराउंड-टाइम होगा।

सुरक्षित भंडार

- एक बफर स्टॉक एक प्रणाली या योजना है जो कीमतों को लक्ष्य सीमा (या मूल्य स्तर) से नीचे गिरने से रोकने के लिए अच्छी फसल के समय स्टॉक खरीदता है और संग्रहीत करता है, और खराब फसल के दौरान स्टॉक को लक्ष्य सीमा (या मूल्य स्तर) से ऊपर बढ़ने से रोकने के लिए जारी करता है।
- बफर आपूर्ति को बनाए रखने का दूसरा पहलू यह है कि यह भूकंप, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से उत्पन्न भोजन की कमी को कम करता है।

अनाज संचलन की प्रक्रिया



निष्कर्ष

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता में सुधार लाने और इसके निष्पादन (टीपीडीएस) को कारगर बनाने के लिए सरकार ने समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। **खाद्यान्नों की डोर-स्टेप डिलीवरी, लाभार्थियों की सही पहचान, बेहतर खाद्यान्न उठाव, अधिक निगरानी और सतर्कता, उचित मूल्य की दुकान संचालन की व्यवहार्यता में सुधार आदि** जैसे उपाय स्वागत योग्य हैं। न केवल सब्सिडी बिल में कटौती करने के लिए बल्कि लीकेज की गुंजाइश को कम करने के लिए भी एक संशोधित, आवश्यकता-आधारित पीडीएस की आवश्यकता है। राजनीतिक इच्छा-शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए और पीडीएस की अक्षमताओं को दूर करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? (2021)
2. खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? (2019)

❖ ❖ ❖

29 औद्योगिक क्षेत्र

- औद्योगिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष इनपुट के बिना माल के उत्पादन से संबंधित अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। यह द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक उत्पादन क्षेत्र से अलग है, जो कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन और खदान है, जो प्राकृतिक संसाधनों के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष इनपुट के साथ माल का उत्पादन करता है, और तृतीय क्षेत्र, उदाहरण के लिए, यह परिवहन, वितरण, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन है, जो सेवाओं का उत्पादन करता है।

औद्योगिक क्षेत्र का वर्तमान झुकाव

- **2022-23 के बजट के अनुसार,** एमएसएमई भारतीय जीडीपी में 30 प्रतिशत का योगदान देता है और निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान देता है। ये एमएसएमई 11 करोड़ से अधिक लोगों को नियोजित करते हैं।
- औद्योगिक क्षेत्र ने वर्ष 2021 में हमारे देश के जीडीपी में 29.35 प्रतिशत का योगदान दिया था। 1950-51 में यह लगभग 15 प्रतिशत के आस पास था।
- 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जीवीए में औद्योगिक क्षेत्र का समग्र योगदान वित्त वर्ष 2021-22 में 28.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वर्ष 2021-22 के लिए उद्योग क्षेत्र के जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर 11.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2019-20 में हुए 1.2 प्रतिशत की तुलना में 104.1 प्रतिशत अधिक है।
- इस प्रकार उपरोक्त आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आजादी के बाद शुरू में इसने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अपने योगदान/शेयर की दिशा में एक बढ़ता रुझान दिखाया।
- हालांकि सेवा क्षेत्र की तेजी से बढ़ती हिस्सेदारी के साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उद्योग का हिस्सा हाल के वर्षों में उतार-चढ़ाव का रुख दिखाने लगा।

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (प्रथम अनुमान)
जीवीए में औद्यौगिक क्षेत्र का हिस्सा	29.6%	26.7%	25.9%	28.2%

उद्योगों का वर्गीकरण

कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. **कृषि आधारित उद्योग-ऐसे उद्योग जिनके पास कच्चे माल के रूप में कृषि उपज होती है, वे कृषि आधारित उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। कृषि आधारित उद्योग उपभोक्ता आधारित उद्योग होइए हैं। उधारण के लिए---कपास, जूट, रेशम, ऊनी कपड़ा, चीनी तथा खाद्य तेल इत्यादि**
2. **खनिज आधारित उद्योग-ये उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जोकि खनिज अयस्क का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। जैसे-इस्पात तथा लोहा उद्योग और भारी मशीनरी के उद्योग खनिज आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं।**
3. **मैरीन आधारित उद्योग- ये वे उद्योग हैं जोकि समुद्र तथा महासागरों के उत्पादों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं।**

   उदाहरण- समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या मछली के तेल का विनिर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं।
4. **वन आधारित उद्योग- ऐसे उद्योग जो जंगल के कच्चे माल का उपयोग करते हैं उन्हें वन आधारित उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए---कागज तथा लुगदी उद्योग, माचिस उद्योग, इमारती लकड़ी तथा चन्दन उद्योग, प्लाइवुड उद्योग, तेल और बायोडीजल उद्योग इत्यादि**

आकार के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है-

1. **बड़े पैमाने वाले उद्योग**- ऐसे उद्योग वे होते हैं जिनमें विशाल बुनियादी ढांचा, कच्चा माल, उच्च जनशक्ति की और बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। जिन उद्योगों की अचल संपत्ति 10 करोड़ रुपये से अधिक होती है, उन्हें ही बड़े पैमाने का उद्योग माना जाता है। उदाहरण के लिए---कपास उद्योग, चाय उद्योग, जूट, सीमेंट, कागज, इंजीनियरिंग उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना तथा इलेक्ट्रोनिक प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल उद्योग आदि।

2. **लघु उद्योग**- लघु उद्योग ऐसे उद्योग हैं जिनमें **विनिर्मान, सेवायें प्रदान करना, यहाँ लघु या सूक्ष्म पैमाने पर उत्पादन किया जाता है।**

   उदाहरण- नैपकिन,टिश्यू, चॉकलेट, टूथपिक, पानी की बोतलें, छोटे खिलौने, पेपर, पैन आदि।

3. **माध्यम पैमाने के उद्योग:** भारत सरकार के अनुसार, ऐसे किसी भी व्यवसाय या कंपनी को माध्यम उद्योग के पैमाने पर उल्लेखित किया जा सकता है जिसका कुल निवेश 5 से 10 करोड़ के बीच हो।

   उदाहरण के लिए- एलईडी लाईट का विनिर्मान, चमड़ा उत्पाद का विनिर्माण इत्यादि।

4. **कुटीर उद्योग:** कुटीर उद्योग एक लघु निर्माण कार्य है जोकि प्राय: किसी भी व्यक्ति के घर से किया जाता है।

   उदाहरण के लिए- आचार बनाना, पापड़ बनाना आदि।

स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है

1. **निजी क्षेत्र के उद्योग:** ''निजी क्षेत्र के उद्योग'' शब्द का अर्थ उन कंपनियों और निगमों से है जो सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं हैं।

   उदाहरण के लिए- रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्पाइसजेट आदि।

2. **सरकारी क्षेत्र के उद्योग (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम):** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के स्वामित्व में और सरकार द्वारा संचालित होते हैं।

   उदाहरण- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड **(BHEL)**, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन **(IOC)**, आदि

3. **संयुक्त क्षेत्र के उद्योग:** इस तरह के उद्योग व्यक्तियों, व्यष्टियों के समूह और राज्य के स्वामित्व में तथा उनके द्वारा संचालित होते हैं।

   उदाहरण: मारुति उद्योग लिमिटेड इत्यादि।

4. **सहकारी क्षेत्र के उद्योग:** ये वे उद्योग हैं जिन्हें कच्चे माल के मालिकों अथवा आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों या दोनों के द्वारा संचालित किया जाता है। वे आनुपातिक आधार पर संसाधनों तथा लाभ या हानि को साझा करते हैं।

   उदाहरण: अमूल सहकारी क्षेत्र का है।

औद्योगिक क्षेत्र की संरचना

औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्रों से गठित होता है-

- खनन तथा उत्खनन
- विनिर्माण
- बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएँ
- निर्माण
- उपरोक्त में से, विनिर्माण क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद हेतु प्रमुख योगदानकर्ता है।
- चालू वित्त वर्ष 2021-22 में, प्रमुख रूप से कोविड-19 महामारी से उबरने के कारण, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी उप-क्षेत्रों ने महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास दर दर्ज की।

महत्वपूर्ण तथ्य

- 2020 में, मिजोरम खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित तथ्य और आंकड़े

- भारतीय रेल के लिए पूंजीगत व्यय 2009-14 के दौरान औसत वार्षिक 45,980 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 155,181 करोड़ रुपये हो गया और यह 2021-22 के लिए 215,058 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि के तौर पर बढ़ाकर बजट में रखा गया है जोकि 2014 के स्तर की तुलना में पाँच गुना की वृद्धि रखता है।
- प्रति दिन सड़क निर्माण की सीमा 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रति दिन से बढ़कर 2020-21 में 36.5 किलोमीटर प्रति दिन हो गई- 30.4% की वृद्धि। यह 30.4% की वृद्धि है।
- महामारी (आरबीआई अध्ययन) के बावजूद 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में बड़े निगमों का शुद्ध लाभ बिक्री अनुपात 10.6% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना की शुरूआत ने भौतिक और डिजिटल दोनों बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया, साथ ही लेन-देन की लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी में सुधार के उपायों के साथ, वसूली की गति का समर्थन किया।

भारत में औद्योगिक नीतियाँ

- औद्योगिक नीति सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए नियमों, विनियमों और गतिविधि के क्षेत्रों के आरक्षण की रूपरेखा प्रदान करना चाहती है।
- इसका उद्देश्य एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को कम करना और कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को रोकना है।

औद्योगिक नीति के उद्देश्य:

1. उत्पादकता में सतत वृद्धि हासिल करना।
2. अर्थव्यवस्था में लाभकारी रोजगार बढ़ाना।
3. मानव संसाधनों और जनसांख्यिकीय लाभांश का इष्टतम उपयोग प्राप्त करना।
4. औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करना।
5. वैश्विक क्षेत्र में भारत को एक प्रमुख भागीदार और खिलाड़ी के रूप में बदलना।

1948 का औद्योगिक नीति संकल्प (IPR-1948):

- पहली पंचवर्षीय योजना **(FYP)** 1951-56 इस चरण के दौरान शुरू हुई, यह कुछ संशोधनों के साथ हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी।
- इस पहली **FYP** में कृषि में आत्मनिर्भरता के विचार को बढ़ावा दिया गया था और एक अन्य प्रमुख उद्देश्य देश के उद्योग, कृषि विकास, और लोगों के लिए कम लागत वाली स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए नींव प्रदान करना था।
- नए उद्योग स्थापित करने के बजाय वर्तमान उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया गया।
- इस अवधि के दौरान कतिपय नए उद्योगों का उदय हुआ जैसे कि समाचार-पत्रों के लिए कागज, पावरलूम, दवा, पेंट, परिवहन तथा उपकरण।
- सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, चित्तरंजन लोकोमोटिव, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जैसे कुछ उद्योग स्थापित हुए थे।
- इस नीति के अंतर्गत, समाज को समाजवादी पैटर्न पर लाते हुए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली आरंभ की गई। आईपीआर-1948 की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं-
  - इसने कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्राथमिकता का दर्जा देकर उनको सुरक्षित रखने पर जोर दिया।
  - सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों के लिए श्रमिकों को उचित वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने पर बल दिया गया।
  - सड़क, रेलवे, बिजली और सिंचाई के विकास पर विशेष जोर दिया गया।

उद्योगों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

1. केंद्र सरकार के एकमात्र एकाधिकार वाले उद्योग: तीन उद्योग- हथियार और गोला-बारूद, परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन।
2. मिश्रित क्षेत्र, अर्थात सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों (मूल/प्रमुख उद्योग) के अंतर्गत: यहाँ छह उद्योग हैं - कोयला, लोहा और इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, खनिज तेल और टेलीग्राफ तथा टेलीफोन।
3. नियंत्रित निजी क्षेत्र: सरकार ने इन उद्योगों को मजबूत विनियमन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किया। इन 18 उद्योगों में शामिल हैं- रसायन, चीनी, ऑटोमोबाइल, सूती और ऊनी कपड़ा, सीमेंट, कागज, नमक, उर्वरक, ट्रैक्टर, बिजली आदि।
4. निजी क्षेत्र के उद्योग: उपरोक्त तीन श्रेणियों में सम्मिलित न होने वाले उद्योगों को इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951

- 1951 के उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम ने सरकार को लाइसेंसिंग के माध्यम से औद्योगिक विकास के ढांचे को विनियमित करने का अधिकार दिया।
- इस प्रकार, व्यावसायिक उपक्रमों को उत्पादन को आरंभ करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता हो गई थी। यह भारत में ''लाइसेंस राज'' का आगमन था।
- इस अधिनियम के माध्यम से, सरकार ने तीन प्रमुख नियंत्रण अपने पास रखे: लाइसेंसिंग, स्वीकृत उत्पादन के आधार पर उपक्रमों को कच्चे माल का आवंटन और कीमतों पर नियंत्रण।

1956 का औद्योगिक नीति संकल्प (आईपीआर-1956)

- यह नीति पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस मॉडल को 'भारत का आर्थिक संविधान' या ''राज्य पूंजीवाद की बाइबिल'' भी माना जाता था। आईपीआर-1956 की विशेषताएं निम्नलिखित थीं:
- भारी उद्योगों पर विशेष बल।
- देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता।
- औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल, जिससे विश्वविद्यालयों में आईटीआई की स्थापना और व्यवसाय प्रबंधन पाठ्यक्रम को आरंभ करने का प्रस्ताव दिया गया है।
- देश के विकास में विदेशी पूंजी के महत्व को पहचानना।
- निजी क्षेत्र और औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति।

औद्योगिक लाइसेंस

- औद्योगिक लाइसेंसिंग सरकारी संगठन द्वारा जारी एक प्राधिकरण है जो संस्था या संगठन को उद्योग शुरू करने या कुछ कार्य शुरू करने की अनुमति देता है।
  - **लाइसेंसिंग के मुख्य उद्देश्य हैं: -**
    1. उद्योगों में निवेश को योजनागत प्राथमिकताओं के अनुसार निर्देशित करना।
    2. संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक इकाइयों की अवस्थिति को विनियमित करना।
- औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति ने 18 उद्योगों के सिवाय बाकी सभी उद्योगों को दी जाने वाली औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया, जिसे 1999 में घटाकर 6 उद्योगों के लिए कर दिया गया।

- आईपीआर-1948 के अंतर्गत उद्योगों के चौगुना वर्गीकरण को अब तीन गुना वर्गीकरण में परिवर्तित कर दिया गया था:
  - अनुसूची ए (सख्ती से केंद्र सरकार के अधीन): 17 उद्योग।
  - अनुसूची बी (निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिए खुला): 12 उद्योग।
  - अनुसूची सी (निजी क्षेत्र के लिए खुला लेकिन लाइसेंसिंग और विनियमन के अधीन): अन्य सभी उद्योग।

क्या आप जानते हैं?

- भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस औद्योगिक नीति का उपयोग ''आधुनिक भारत के मंदिर'' के रूप में संदर्भित करके सार्वजनिक उपक्रमों के महत्व पर जोर देने के लिए किया था।

1969 का औद्योगिक नीति का वक्तव्य

- इसका उद्देश्य 1956 की औद्योगिक नीति की कमियों को दूर करना था।
- विशेषज्ञों और उद्योगपतियों का मानना था कि लाइसेंस देने का उद्देश्य उसके विपरीत उद्देश्य पूरा करना था। श्लाइसेंसिंग नीतिश के पीछे मुख्य उद्देश्य समाजवादी और राष्ट्रवादी भावना थी ताकि -
  1. संसाधनों का दोहन सबके विकास के लिए किया जा सकता है।
  2. लाइसेंस शुदा उद्योगों से खरीदे गए माल हेतु मूल्य-नियंत्रण।
  4. आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को परखना।
  5. निवेश को वांछित दिशा में ले जाना।
- 1969 की औद्योगिक नीति ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम प्रस्तुत किया। दत्त समिति द्वारा इस अधिनियम की अनुषंशा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि अर्थव्यवस्था का संचालन कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता के लिए न हो। एमआरटीपी अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थीं -
  1. इसका उद्देश्य फर्मों के व्यापार और वाणिज्यिक प्रथाओं की जाँच और विनियमन करना और आर्थिक शक्ति के एकाधिकार और एकाग्रता की जाँच करना था।
  2. 25 करोड़ रुपये की संपत्ति वाली फर्में (जो बाद में 1980 में बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये और 1985 में 100 करोड़ रुपये कर दी गई) या इससे अधिक, विस्तार, ग्रीनफील्ड उद्यम और अन्य फर्मों के अधिग्रहण से पहले भारत सरकार से अनुमति लेने के लिए बाध्य थीं।
  3. व्यापार के निषिद्ध और प्रतिबंधित प्रथाओं के निवारण के लिए सरकार ने डत्ज्च आयोग की स्थापना की।

1973 की औद्योगिक नीति का वक्तव्य

- छह प्रमुख उद्योगों की पहचान की गई - लोहा और इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, तेल रिफाइनरी और बिजली। उन्हें आधारभूत संरचना-उद्योग भी कहा जाता था।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर जोर दिया गया और इसे संयुक्त क्षेत्र कहा गया जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी की अनुमति थी।
- विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 अधि नियमित किया गया था।
- भारत ने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सीमित निवेश की भी अनुमति दी।
- इस नीति ने कुछ क्षेत्रों को आरक्षित सूची में डाल दिया जिसमें केवल एमएसएमई स्थापित किए जा सकते थे।
- कुछ उद्योगों को एक आरक्षित सूची के अंतर्गत रखा गया था जिसमें केवल एमएसएमई ही उद्योग स्थापित कर सकते थे।

1977 की औद्योगिक नीति का वक्तव्य:

- 1977 में अर्थव्यवस्था के गांधीवादी-समाजवादी विचारों की ओर झुकाव के साथ जनता सरकार द्वारा आरंभ, इसने 1956 की 20 वर्षीय औद्योगिक नीति की आलोचना की और छोटे पैमाने वाले तथा छोटे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया। इस नई नीति के मुख्य तत्व थे:

1. ''छोटी इकाई'' को एक लाख रुपये तक की मशीनरी और उपकरणों में निवेश वाली इकाई के रूप में परिभाषित किया गया था और यह 50,000 से कम आबादी वाले कस्बों या गांवों में स्थित हुई (1971 की जनगणना के अनुसार)।
2. यह नीति औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संपर्क का भी प्रावधान करती है। बिजली उत्पादन और पारेषण क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
3. ग्रामोद्योग, खादी और ग्रामोद्योगों के पुनरुत्थान आदि पर भी बल दिया गया।
4. इसने लघु उद्योगों के विकास पर बल दिया।
5. इस नीति में पहली बार एक ष्छोटी इकाईष् को मशीनरी और उपकरण में 1 लाख रुपये तक के निवेश वाली इकाई के रूप में और 50,000 से कम आबादी वाले कस्बों या गांवों में स्थित होने के तौर पर (1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या) परिभाषित किया गया है।
6. औद्योगिक नीति 1977 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। यह सार्वजनिक क्षेत्र का उत्तरदायित्व थी कि वह सहायक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करे और अपनी प्रबंधकीय तथा तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराकर लघु उद्योग क्षेत्र के विकास में योगदान दे।
7. नीति का मुख्य उद्देश्य गरीबों को रोजगार प्रदान करना और कुछ लोगों के हाथों में धन के संकेन्द्रण में कमी लाना था।
8. इस नीति ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) पर प्रतिबंध लगाए।

1980 की औद्योगिक नीति का वक्तव्य

- देश में आर्थिक बुनियादी ढाँचे के स्तंभों को ऊपर उठाने का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र को इसकी अधिक विश्वसनीयता, बड़े निवेश की आवश्यकता और परियोजनाओं की लंबी अवधि के कारण सौंपा गया था।
- बड़ी संख्या में उद्योगों को लाइसेंसिंग से छूट प्रदान की गई।
- क्षेत्र के विकास में सुधार के लिए लघु उद्योगों को परिभाषित करने के लिए निवेश सीमा (''एमआरटीपी सीमा'') को बढ़ाया गया था।
- घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इसने तेजी से प्रतिस्पर्धी निर्यात-आधारित उद्योग की नींव रखी और यहां तक कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया।
- औद्योगिक नीति संकल्प, 1985 एवं 1986
- विदेशी निवेश के प्रवेश के लिए अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को खोलने के साथ विदेशी निवेश से प्रतिबंध हटा दिए गए थे।
- अभी भी विदेशी निवेश का प्रमुख क्षेत्र प्रौद्योगिकी हस्तांतरण बना हुआ है, तथापि, विदेशी कंपनियां, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियां, भारतीय कंपनियों में 49 प्रतिशत तक भागीदारी रख सकती हैं, शेष 51 प्रतिशत शेयर भारतीय भागीदार के पास हो सकते हैं।
- देश में बड़ी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एमआरटीपी की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग की प्रक्रिया (अब केवल 64 उद्योगों के लिए बनी हुई है) को और सरल बनाया गया।
- टेलीकम्युनिकेशन, कम्प्यूटरीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे उदीयमान उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी आधुनिकीकरण और अधिकतम लाभ पर अधिक ध्यान दिया गया।
- विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के प्रावधानों में ढील दी गई और विदेशी मुद्रा के उपयोग की अनुमति दी गई ताकि आवश्यक प्रौद्योगिकी को भारतीय उद्योगों में आत्मसात किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त किया जा सके।
- उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की खोज की गई।

1991 से पूर्व की अधिकांश नीतियों की प्रमुख विशेषतायें

1. उच्च आयात शुल्क और अन्य आयात प्रतिबंधों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से स्थानीय उद्योगों का संरक्षण।
2. आयातित वस्तुओं के उत्पादन और स्वदेशी रूप से प्रोत्साहित करके आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना।
3. बड़ी निजी कंपनियों को एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं **(MRTP)** अधिनियम के माध्यम से अत्यधिक विनियमित किया जाता था और MRTP कंपनियों के रूप में जाना जाता था और इसी तरह विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम **(FERA)** के माध्यम से विनियमित किया जाता था और FERA कंपनियों के रूप में जाना जाता था।

4. औद्योगिक क्षेत्र अत्यधिक विनियमित, नौकरशाही और सरकार द्वारा सख्त लाइसेंसिंग प्रणाली के अधीन था।
5. 1956 की नीति ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अठारह क्षेत्रों को आरक्षित करके सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में तेजी से वृद्धि की। कुछ क्षेत्रों में, निजी क्षेत्र को अनुमति थी लेकिन लाइसेंस और पंजीकरण की आवश्यकता के अधीन। तथापि, सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर इन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र भी स्थापित किया जा सकता है।
6. तेल, बिजली, भारी उपकरण, दूरसंचार आदि के सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण क्षेत्र विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्से में थे।
7. सरकार द्वारा यह माना जाता था कि जैसे-जैसे किसी कंपनी का आकार बढ़ता है वह एकाधिकारवादी और शोषणकारी प्रवृत्ति का सहारा ले सकती है। इस प्रकार एक लाइसेंस और व्यवसाय शुरू करने के बाद भी, निजी क्षेत्र को क्षमता विस्तार, विविधीकरण और ऐसे अन्य व्यावसायिक निर्णयों के लिए सरकार से अनुमोदन लेना पड़ता था।
8. 1991 से पहले की नीतियों में सरकार द्वारा नियंत्रित स्टील, सीमेंट और अन्य बुनियादी वस्तुओं की कीमतों के साथ औद्योगिक वस्तुओं के लिए मूल्य विनियमन था।
9. सभी नीतियों में अर्थव्यवस्था के मिश्रित अर्थव्यवस्था चरित्र पर जोर दिया गया था जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व है लेकिन वास्तव में यह सार्वजनिक क्षेत्र की ओर बहुत अधिक झुका हुआ था।

नवीन औद्योगिक नीति (एनआईपी) 1991

- इस नीति का उद्देश्य चार दशकों में विकसित हुए देश के औद्योगिक ढांचे के मुद्दों और कमजोरियों को ठीक करना था।
- इस नीति से पहले नियमन पर जोर था। नई नीति ने नियमन से विकास पर जोर दिया।
- औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य बाजार की ताकतों को सुविधाएं प्रदान करना और दक्षता बढ़ाना है।
- ये उपाय विभिन्न उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता और क्षमताओं में सुधार के लिए किए गए थे। विशिष्ट क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा को 40% से बढ़ाकर 51% कर दिया गया था।

नई औद्योगिक नीति, 1991 की आवश्यकता:

- भारत को 1991 में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण सहित एक नई औद्योगिक नीति को निम्नलिखित कारणों से लागू करने के लिए विवश किया गया था:
  1. बढ़े हुए राजकोषीय घाटे के कारण: 1981-1982 में 5% की तुलना में 1991 में सकल घरेलू उत्पाद का 8.5% हो गया। इसने सरकार को इस कमी को पूरा करने के लिए ब्याज-युक्त सार्वजनिक उधार लेने का नेतृत्व किया।
  2. भुगतान संतुलन संकट: भुगतान संतुलन में घाटा तब होता है जब विदेशी भुगतान विदेशी प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं। यह 1980-81 में 2214 करोड़ रुपये से 1990-91 में 17367 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। इसने सरकार को इस घाटे को कवर करने के लिए बाहर से पैसा उधार लेने के लिए मजबूर किया।
  3. 1990-1991 का खाड़ी संकट और ईरान-इराक युद्ध। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक बाजार में पेट्रोल की कीमतों में आकस्मिक वृद्धि हुई। खाड़ी देशों को निर्यात में आकस्मिक गिरावट के बावजूद, आयात लागत में काफी वृद्धि हुई है। यह भुगतान संतुलन की स्थिति को और अधिक गंभीर बना देता है।
  4. विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट: 1990-1991 में विदेशी मुद्रा भंडार 2400 करोड़ के स्तर तक गिर गया (केवल 3 सप्ताह का आयात कवर)। स्थिति की गंभीरता के कारण, चंद्रशेखर की सरकार को अपने सोने के भंडार को ब्याज और अंतरराष्ट्रीय ऋण का भुगतान करने के लिए गिरवी रखने पर मजबूर होना पड़ा।
  5. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जब महंगाई दर 6.7% से बढ़कर 16.7% हो गई, तो स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई।
  6. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का खराब प्रदर्शन: 1951 से 1991 तक, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत बढ़ावा दिया और विस्तारित किया, फिर भी परिणाम नगण्य थे। इसलिए, इसे सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में ले जाना आवश्यक था।

नई औद्योगिक नीति, 1991 का उद्देश्य:

- 1991 की नई औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य दक्षता में वृद्धि करना और बाजार के खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना था और एलपीजी के सुधारों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी -
- एल - 51% तक विदेशी निवेश के उदारीकरण ने विदेशी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए बाजार तैयार किया (सरकारी नियंत्रण में कमी)।
- पी - निजीकरण के माध्यम से उद्योगों की बढ़ती प्रतिस्पधर्ात्मकता (निजी क्षेत्र की भूमिका और कार्यक्षेत्र में वृद्धि)।
- जी - वैश्वीकरण अनुमति देता है कि विदेशी कंपनियां भारत में आ सकती (भारत और शेष विश्व के बीच आर्थिक एकीकरण)

यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रमुख सुधार लाने पर केंद्रित थी:

1. औद्योगिक डी-लाइसेंसिंग: एनआईपी 1991 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से 18 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसिंग (जो आईपीआर 1956 के अंतर्गत अनुसूची बी और अनुसूची सी में प्रदान किया गया था) का उन्मूलन था। इस कदम ने निजी क्षेत्र द्वारा उद्योगों के लिए सुचारू स्थापना की सुविधा प्रदान की।

वर्तमान में, केवल 5 उद्योगों को अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता है:

1. मादक पेय का आसवन और किण्वन।
2. तम्बाकू के सिगार और सिगरेट तथा अन्य निर्मित तम्बाकू विकल्प।
3. सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण।
4. माचिस, बारूद आदि सहित औद्योगिक विस्फोटक।
5. विशिष्ट खतरनाक रसायन जैसे हाइड्रोसायनिक एसिड, फॉस्जीन, आइसोसायनेट्स आदि।

2. **सार्वजनिक क्षेत्र का अपरक्षण:** इस नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या में भारी कमी की। केंद्र सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 (1956 की नीति के अनुसार) से घटाकर सिर्फ 8 कर दी गई, अर्थात हथियार और गोला-बारूद; परमाणु ऊर्जा; कोयला; खनिज तेल; लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, सोना, क्रोम अयस्क, जिप्सम, सल्फर और हीरे का खनन; तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, मोलिब्डेनम और वोल्फ्राम का खनन; परमाणु खनिज; रेलवे परिवहन।

वर्तमान समय में, केवल 2 क्षेत्र ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं:

1. परमाणु ऊर्जा (विशेष विखंडनीय सामग्रियों और पदार्थों का उत्पादन, पृथक्करण या संवर्धन और सुविधाओं का संचालन)
2. रेलवे संचालन (निम्नलिखित के निर्माण, संचालन और रखरखाव के अलावा- पीपीपी के माध्यम से उपनगरीय कॉरिडोर परियोजनाएं; हाई-स्पीड ट्रेन परियोजना; समर्पित माल लाइनें; रोलिंग स्टॉक सहित ट्रेन सेट, लोकोमोटिव/कोच निर्माण और रखरखाव सुविधायें; रेलवे विद्युतीकरण; सिग्नलिंग सिस्टम; फ्रेट टर्मिनल; यात्री टर्मिनल; मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम; आदि।)

3. विदेशी निवेश को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में बढ़ावा दिया गया। **FDI** को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की भी स्थापना की गई थी।
4. विदेशी प्रौद्योगिकी समझौते की अनुमति: विदेशी समकक्षों के साथ प्रौद्योगिकी समझौते करने के लिए स्वचालित अनुमोदन (निर्दिष्ट मापदंडों के भीतर) वाले उद्योग।
5. एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन: ताकि एक निश्चित निर्दिष्ट सीमा से अधिक संपत्ति वाली फर्मों को अब लाइसेंस-रहित उद्योगों में निवेश करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न रहे।
6. सुरक्षा में कमी: पहले लघु उद्योगों (एसएसआई) को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई थी।
7. इसने सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने और कमजोर इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद करने पर भी ध्यान केंद्रित किया।
8. अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी गतिविधियों में गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर 100% इक्विटी निवेश की अनुमति दी गई थी।
9. एक छोटी इकाई के मानदंड को पाँच लाख रुपये से कम की निवेश सीमा वाली इकाई में बदल दिया गया।
10. श्रम के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने इस नीति में एक राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष (एनआरएफ) की स्थापना की घोषणा की।

1991 की नई औद्योगिक नीति के लाभ

(*i*) नई नीति औद्योगिक क्षेत्र को अनावश्यक नियंत्रण और विनियमन से मुक्त करती है।

(*ii*) नई नीति औद्योगिक विकास को गति प्रदान करती है।

(*iii*) नई नीति से औद्योगिक उत्पादन में तेजी आती है।

(*iv*) नई नीति घरेलू उद्योगों को विश्व बाजार पर कब्जा करने का अवसर प्रदान करती है।

(*v*) माइक्रोसॉफ्ट आदि जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश

(*vi*) घरेलू और विदेशी निवेश में वृद्धि

(*vii*) निर्यात और संबंधित गतिविधियों में वृद्धि।

(*viii*) एमएसएमई के मुद्दों का समाधान करने के लिए 2006 में एक अलग मंत्रालय की स्थापना, एक नया अधिनियम और एक अलग मंत्रालय स्थापित किया गया था।

1991 की नई औद्योगिक नीति के अवगुण

(*i*) नई नीति ने पूंजी आधारित उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए बड़े अवसर खोले। यह लघु उद्योगों के विकास की उपेक्षा करती है।

(*ii*) नई नीति ने धनी वर्ग के लिए एक बाजार तैयार किया।

(*iii*) 51% तक के विदेशी निवेश के उदारीकरण ने विदेशी निगमों और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए बाजार तैयार किया।

(*iv*) नई नीति ने औद्योगिक क्षेत्रों में निजीकरण की नीति को प्रोत्साहित किया।

(*v*) अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे एनआईपी (नई औद्योगिक नीति) में उपेक्षित किया गया है, वह है श्रम बल में वृद्धि के साथ रोजगार का सृजन।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. ''औद्योगिक विकास दर सुधार के बाद की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के समग्र विकास में पिछड़ गई है'', इसका कारण बताएं। औद्योगिक नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तन औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017)

2. भारतीयों के स्वामित्व वाली कंपनियों पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। क्या वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संतोषजनक रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? विचार-विमर्श करें। (2013)

3. ''औद्योगिक विकास दर सुधार के बाद की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के समग्र विकास में पीछे रह गई है'' कारण बताएं। औद्योगिक नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तन औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं (2017)।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- भारत सरकार (जीओआई), या कई राज्यों या क्षेत्रीय सरकारों में से एक, या दोनों के स्वामित्व वाली कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) कहा जाता है।
- पीएसयू कहलाने के लिए एक कंपनी के स्टॉक को सरकार द्वारा बहुसंख्यक स्वामित्व (> 51%) वाला होना चाहिए।
- एसयू को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  1. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)
  2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)
  3. राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यम (एसएलपीई)
- सीपीएसई के लिए, किसी विशेष सीपीएसई में केंद्र सरकार या अन्य सीपीएसई की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है। उन्हें भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। सीपीएसई 4 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं - कृषि, खनन और अन्वेषण, विनिर्माण और सेवाएं।
- सीपीएसई को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, उन्हें आगे वर्गीकृत किया गया है:
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई):
  - मिनिरत्न (श्रेणी **I** और **II**)
  - नवरत्न
  - महारत्न
- उपरोक्त तीनों में से महारत्न सर्वोच्च श्रेणी होती है। उपरोक्त तीन पदों को भारी उद्यम और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

नवरत्न की नीति:

- ये वे सीपीएसई हैं जिन्हें 1997 में भारत सरकार द्वारा सबसे प्रतिष्ठित सीपीएसई के रूप में पहचाना गया और उन्हें नवरत्न का खिताब दिया गया, जिससे उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिली।

सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने के मानदंड:

- सीपीएसई के पास अनुसूची 'ए' सूची के साथ 'मिनीरत्न श्रेणी-I' का दर्जा होना चाहिए।
- इसके पास पिछले 5 वर्षों में कम से कम तीन ''उत्कृष्ट'' या ''बहुत अच्छे'' समझौता ज्ञापन (एमओयू) होने चाहिए।
- इसे पिछले 3 वर्षों के दौरान अपने प्रदर्शन के आधार पर 60 (100 में से) का समग्र स्कोर प्राप्त करना होगा। स्कोर 6 मापदंडों पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं:
  1. निवल लाभ से निवल संपत्ति (अधिकतम: 25)
  2. जनशक्ति लागत से उत्पादन या सेवाओं की लागत (अधिकतम: 15)
  3. नियोजित पूंजी के प्रतिशत के रूप में सकल मार्जिन (अधिकतम: 15)
  4. टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में सकल लाभ (अधिकतम: 15)
  5. प्रति शेयर आय (अधिकतम: 10)
  6. नेट वर्थ से शुद्ध लाभ के आधार पर अंतर-क्षेत्रीय तुलना (अधिकतम: 20)
- सीपीएसई के बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

नवरत्न सीपीएसई की वित्तीय स्वायत्तता:

- नवरत्न का दर्जा सीपीएसई को एक ही परियोजना में अपने निवल मूल्य का 15 प्रतिशत तक निवेश करने का अधिकार देता है, लेकिन सरकार की स्वीकृति के बगैर यह 1,000 करोड़ रुपए की पूर्ण सीमा तक सीमित है।
- सभी परियोजनाओं में इस तरह के निवेश की समग्र सीमा एक साथ उस सीपीएसई के निवल मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मार्च 2022 तक, निम्नलिखित 14 सीपीएसई ने नवरत्न का दर्जा हासिल कर लिया है:

1. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल)
2. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)
3. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल)
4. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)
5. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)
6. नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)
7. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
8. एनएमडीसी लिमिटेड
9. एनएलसी इंडिया लिमिटेड
10. ऑयल इंडिया लिमिटेड
11. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड।
13. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड।
14. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

मिनिरत्न की नीति:

- सरकार ने मिनीरत्न नामक एक और श्रेणी बनाई। मिनिरत्न को दो श्रेणियों **I** और **II** में बांटा गया है।
- श्रेणी-**I** मिनीरत्न
- ऐसे सीपीएसई ने पिछले 3 वर्षों में लगातार मुनाफा कमाया हो, इन 3 वर्षों में से कम से कम एक में 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक का पूर्व-कर लाभ अर्जित किया हो, और सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए।
- उनके पास सरकार की मंजूरी के बिना रु. 300 करोड़ या उनके निवल मूल्य के बराबर, जो भी कम हो, पूंजीगत व्यय करने की वित्तीय स्वायत्तता है।

श्रेणी-द्वितीय-मिनीरत्न

- इन्हें पिछले 3 वर्षों में लगातार मुनाफा कमाना चाहिए था और इनका शुद्ध मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।
- उनके पास सरकार की मंजूरी के बिना 150 करोड़ रुपए या अपनी निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, पूंजीगत व्यय करने की वित्तीय स्वायत्तता है।
- मिनीरत्न की दोनों श्रेणियां भारत में संयुक्त उद्यमों में प्रवेश कर सकती हैं और कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों के अंतर्गत सहायक कंपनियां बना सकती हैं।
- मार्च 2022 तक, भारत में 61 श्रेणी-**I** मिनीरत्न सीपीएसई और 12 श्रेणी-**II** मिनीरत्न सीपीएसई हैं।

महारत्नों की नीति:

- इन तीनों में से महारत्न भारत सरकार द्वारा 2010 में शुरू की गई नवीनतम श्रेणी है।

सीपीएसई को महारत्न का दर्जा देने का मानदंड:

- निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले सीपीएसई महारत्न का दर्जा देने के लिए पात्र हैं:
  - नवरत्न का दर्जा होना।
  - सेबी के नियमों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध।
  - पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार।
  - रुपये से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति। पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़।
  - पिछले 3 वर्षों के दौरान कर के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ रु. 5,000 करोड़ से अधिक।
  - कंपनी के पास एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए।

महारत्न सीपीएसई की वित्तीय स्वायत्तता:

- महारत्न का दर्जा सीपीएसई को एक ही परियोजना में अपनी निवल संपत्ति का 15 प्रतिशत तक निवेश करने का अधिकार देता है, लेकिन यह सरकार की मंजूरी के बिना 5,000 करोड़ रुपये की पूर्ण सीमा तक सीमित है, जबकि नवरत्नों के लिए 1,000 करोड़ रुपये सीमित है।
- सभी परियोजनाओं में इस तरह के निवेश की समग्र सीमा एक साथ उस सीपीएसई के निवल मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मार्च 2022 तक, निम्नलिखित 10 सीपीएसई को प्रतिष्ठित महारत्न का दर्जा दिया गया है:

1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल)
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)
3. कोल इंडिया लिमिटेड
4. गेल (इंडिया) लिमिटेड
5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
6. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड **(IOCL)**
7. एनटीपीसी लिमिटेड
8. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) लिमिटेड
9. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- उपरोक्त 10 महारत्नों में से, एचपीसीएल और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2019 में महारत्न का दर्जा पाने वाले नवीनतम हैं।

सीपीएसई का प्रदर्शन:

- पीएसयू के प्रदर्शन को न केवल मुनाफे के रूप में उनकी कमाई से, बल्कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में उनके द्वारा की गई कुल वृद्धि से भी आंका जाना चाहिए।
- स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है - शुरुआत में 1951 में केवल पांच सीपीएसई थे। मार्च 2021 तक, लगभग 366 सीपीएसई हैं जिनमें से 256 परिचालन में हैं। हाल ही में एयर इंडिया का विनिवेश पूरा हुआ है। एलआईसी आईपीओ जारी करने की प्रक्रिया भी चल रही है।
- 256 चालू सीपीएसई में से केवल 171 ने 2019-20 के दौरान लाभ दिखाया।
- सीपीएसई का समग्र शुद्ध लाभ रु. 2018-19 में 1.43 लाख करोड़ रु. वित्त वर्ष 2019-20 में 93,295 करोड़।
- आत्म निर्भर भारत मिशन के अंतर्गत, सीपीएसई की भागीदारी का युक्तिकरण भारत सरकार द्वारा इस तरीके से प्रस्तावित किया गया है कि सीपीएसई की उपस्थिति केवल रणनीतिक क्षेत्रों में होनी चाहिए, जो अब चार व्यापक बास्केट, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और खनिज तथा वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत हैं। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई का केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण करने की योजना है।

भारत - 22

- भारत 22 एक ईटीएफ है जो 22 शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करेगा, जिसे सरकार विनिवेश करने की योजना बना रही है। ईटीएफ इकाइयां फंड के टुकड़े का प्रतिनिधित्व करती हैं, जारी की गई इकाइयां एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होती हैं ताकि कोई भी उद्धृत मूल्य पर खरीद या बिक्री कर सके। .
- भारत-22 ईटीएफ बुनियादी सामग्री, ऊर्जा, वित्त, एफएमसीजी, उद्योग और उपयोगिताओं जैसे छह क्षेत्रों तक फैला होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, खनिकों, निर्माण कंपनियों और ऊर्जा की बड़ी कंपनियों के अलावा, ईटीएफ में कुछ शामिल होंगे एसयूयूटीआई (स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया) में सरकार की हिस्सेदारी।
- भारत 22 ईटीएफ का प्रबंधन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी द्वारा किया जाएगा, जबकि एशिया इंडेक्स सूचकांक प्रदाता होगा। सूचकांक को सालाना पुनर्संतुलित किया जाएगा।

विनिवेश

- विनिवेश सार्वजनिक उद्यमों के इक्विटी शेयरों को निजी क्षेत्र को बेचने का एक कार्य है या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण को सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी का हिस्सा जनता को बेचकर विनिवेश के रूप में जाना जाता है।

विनिवेश के प्रकार:

1. अल्पअंश-विनिवेश

- विनिवेश का ऐसा प्रकार जहां सरकार कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी, ज्यादातर 51% से अधिक, रखती है, और यह सुनिश्चित करती है कि प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास रहे। संस्थानों का अल्पसंख्यक विनिवेश 90 के दशक की शुरुआत और मध्य में शुरू हुआ। उनमें से कुछ एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड, सीएमसी लिमिटेड, आदि।
- बिक्री प्रस्ताव द्वारा अल्पसंख्यक विनिवेश के उदाहरण ों में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड आदि के हालिया मुद्दे शामिल हैं।
- सरकार यह नीति भी लाई कि वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2018-19 के लिए सभी विनिवेश केवल सार्वजनिक प्रस्तावों के माध्यम से अल्पसंख्यक विनिवेश के माध्यम से होंगे।
- अल्पअंश विनिवेश के प्रकार- किसी पीएसयू में अल्पअंश हिस्सेदारी का विनिवेश निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है-
- आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ): यह पहली बार जनता के लिए गैर-सूचीबद्ध पीएसयू द्वारा शेयरों की पेशकश है। यह एक नए स्टॉक निर्गमन में एक निजी इकाई के शेयरों की पेशकश को संदर्भित करता है और एक निगम को सार्वजनिक निवेशकों से पूंजी जुटाने की अनुमति देता है।
- अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ): इसे आगे की सार्वजनिक पेशकश के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह एक सूचीबद्ध पीएसयू द्वारा शेयरों की पेशकश है। एक अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) एक कंपनी द्वारा निवेशकों को शेयर जारी करना है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यह प्रारंभिक परीक्षा सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के बाद कंपनी द्वारा पेश किए गए अतिरिक्त शेयरों को जारी करना है। उन्हें द्वितीयक प्रसाद भी कहा जाता है।
- बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस): यह तब होता है जब स्टॉक एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म पर पीएसयू के शेयरों की नीलामी की जाती है। अल्पसंख्यक विनिवेश के इस तरीके का सरकार द्वारा 2012 से बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता रहा है।

- संस्थागत नियोजन कार्यक्रम (आईपीपी): इसमें केवल चुनिंदा वित्तीय संस्थान शामिल हैं जिन्हें भाग लेने की अनुमति है और सरकार की हिस्सेदारी केवल ऐसे संस्थानों को दी जाती है। उदाहरण के लिए, म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन फंड जैसे एलआईसी इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम में शामिल हैं।
- क्रॉस-होल्डिंग-विनिवेश की इस पद्धति में, एक सूचीबद्ध पीएसयू दूसरे सूचीबद्ध पीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी लेता है। इसका परिणाम दोहरी गणना में हो सकता है, जहां मूल्य निर्धारित करते समय प्रत्येक कंपनी की इक्विटी को दो बार गिना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप दो कंपनियों के गलत मूल्य का अनुमान लगाने में।
- सीपीएसई विनिमय व्यापार निधि (ईटीएफ): विनिवेश के इस तरीके के माध्यम से, सरकार एक ही पेशकश के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। यह सरकार को उन पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाती है जो इसका हिस्सा हैं एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड ईटीएफ बास्केट।

2. बहुसंख्य विनिवेश

- विनिवेश जहां सरकार, विनिवेश के बाद, कंपनी में अल्पांश हिस्सेदारी रखती है, और पूरी तरह से अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेच देती है। आम तौर पर, अधिकांश विनिवेशों में हमेशा रणनीतिक साझेदार शामिल होते हैं।
- ये भागीदार स्वयं अन्य सीपीएसई हो सकते हैं, जैसे बीआरपीएल से आईओसी, और केआरएल से बीपीसीएल। बहुसंख्यक विनिवेश में रणनीतिक साझेदार निजी संस्थाएं भी हो सकती हैं जैसे कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को मॉडर्न फूड्स की बिक्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस) को सीएमसी।
- बहुसंख्यक विनिवेश उदाहरणों के मामले में, हिस्सेदारी को बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से, अलग से या किसी सामरिक भागीदार को बिक्री के संयोजन में भी उतारा जा सकता है।
- बहुसंख्य विनिवेश के प्रकार-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बहुसंख्य हिस्सेदारी का विनिवेश निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है-
- सामरिक बिक्री: इसमें सरकारी शेयरधारिता के बड़े हिस्से की बिक्री शामिल है जो प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ पीएसयू में 50 प्रतिशत या अधिक हो सकती है।
- निजीकरण: यह रणनीतिक बिक्री का एक प्रकार है जिसमें सरकार एक निजी संस्था को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचती है।
- पूर्ण निजीकरण: यह बहुसंख्यक विनिवेश का प्रकार है जहां कंपनी का 100% नियंत्रण एक खरीदार को दिया जाता है। उदाहरणों में आईटीडीसी की 18 होटल संपत्तियां और एचसीएल की 3 होटल संपत्तियां शामिल हैं। विनिवेश निजीकरण से अलग है क्योंकि यह हो सकता है या निजीकरण में परिणाम नहीं हो सकता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है: - यदि सरकार 26% शेयरों को रणनीतिक खरीदार को बेचते समय वोटिंग शक्तियों को बरकरार रखती है, तो उसने विनिवेश किया होगा, लेकिन निजीकरण नहीं किया होगा क्योंकि 26% के साथ वह अभी भी कर सकती है यह महत्वपूर्ण निर्णयों को रोकता है जिसके लिए आम तौर पर एक विशेष संकल्प (तीन-चौथाई बहुमत) की आवश्यकता होती है।

विनिवेश नीति का उद्देश्य:

- बीमार और दिवालिया हो रहे पीएसयू पर वित्तीय बोझ कम करना।
- निजी स्वामित्व और सरकारी संपत्ति के बंटवारे को प्रोत्साहित करें।
- बाजार अनुशासन, प्रतिस्पर्धा और नए उद्यम की शुरूआत में सुधार करता है।
- आवश्यक सेवाओं का अराजनीतिकरण।
- प्रतिस्पर्धी बनने के लिए, सार्वजनिक उद्यमों को अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना चाहिए।
- कार्यबल युक्तिकरण और एक पुन: प्रशिक्षण
- अनुसंधान एवं विकास विशेषज्ञता और ताकत बढ़ाना।
- विविधीकरण और विस्तार रणनीतियों का विकास करना।

भारत में विनिवेश नीति का महत्व:

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल मिला, जिससे वे सरकार के लिए एक संपत्ति के बजाय एक दायित्व बन गए।
- कम पीएसयू रिटर्न ने देश की कुल राष्ट्रीय बचत और जीडीपी को भी नुकसान पहुंचाया। विनिवेश नीति सरकार को ऐसी कंपनियों को खत्म करने की पेशकश करती है और आवश्यक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
- परिणामस्वरूप, सरकार गैर-आवश्यक क्षेत्रों से दूर हो गई है, विशेष रूप से वे जिनमें निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है।

- तेजी से प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के कारण विनिवेश महत्वपूर्ण है, जो कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए आर्थिक रूप से कार्य करना और निजी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव बना देता है।
- विनिवेश ने राजकोषीय घाटे को कम करने में देश की मदद की।
- विनिवेश ने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम बनाया।
- इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ा है, जो उपभोक्ता खर्च को बढ़ाता है और देश के समग्र उत्पादन को बढ़ाता है।
- विनिवेश ने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम बनाया।
- इसने सरकार को अपना ऋण कम करने में सक्षम बनाया (केंद्र के राजस्व का लगभग 40% सार्वजनिक ऋण और ब्याज चुकाने में चला जाता है)।
- विनिवेश नीति की मदद से सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित कई सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की।

विनिवेश नीति की आलोचना:

- विनिवेश केवल सरकार के लिए धन जुटाने का एक साधन बन गया है। पीएसयू सुधारों पर थोड़ा जोर है।
- सरकार के प्रमुख स्वामित्व के बरकरार रहने से, सार्वजनिक कंपनियां पहले की तरह ही अक्षम और अप्रभावी संस्कृति के साथ काम करती रहेंगी।
- विनिवेश के बाद, लाभदायक कंपनियों में सरकार के शेयर कम हो गए हैं।
- इसके परिणामस्वरूप सरकार की लाभांश आय में कमी आएगी और परिणामस्वरूप सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा।
- समाजवादियों के अनुसार, निजी क्षेत्र संसाधनों के समान वितरण और समावेशी विकास को प्राप्त करने में अक्षम है क्योंकि लाभ अधिकतम करना निजी संस्थाओं का एकमात्र उद्देश्य है।
- गरीब लोग गरीब ही रहेंगे और उनकी सेवा नहीं की जा सकेगी। नतीजतन, सरकार को औद्योगिक क्षेत्र के सभी या कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखना चाहिए।
- रणनीतिक कंपनियों जैसे तेल पीएसयू में विनिवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
- तेल एक रणनीतिक प्राकृतिक संसाधन है, और संभवत: विदेशी नियंत्रण हमारे सामरिक उद्देश्यों के साथ असंगत है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में विनिवेश इसका एक उदाहरण है।
- विनिवेश के परिणामस्वरूप पीएसयू के कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी।
- अगर कंपनी के निदेशकों में कई निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं, तो वे कमाई बढ़ाने के लिए श्रमिकों को कम करने की योजना का समर्थन कर सकते हैं।

वर्तमान विनिवेश नीति (2021-22)

- वर्तमान सरकार ने 2021-22 के लिए 1,75,000 करोड़ रुपये का एक महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है। दो पीएसयू बैंकों और एक बीमा कंपनी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और वित्तीय संस्थानों में शेयरों की बिक्री के माध्यम से, यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। एलआईसी आईपीओ के लिए आवश्यक विधायी संशोधन होंगे, क्योंकि इसे बीमा क्षेत्र में सरकार द्वारा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनके बजट भाषण में चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा। नीति रणनीतिक और गैर-रणनीतिक विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रास्ता तय करेगी। आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड की सामरिक बिक्री वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूरी हो जाएगी।
- सीपीएसई के स्वामित्व वाली भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) बनाया जाएगा, ताकि अप्रयुक्त भूमि को या तो बेचा जा सके या पुन: उपयोग किया जा सके।

निष्कर्ष:

- सरकार की विनिवेश नीति ने इसे वित्तीय घाटे को कम करने, कल्याणकारी प्रणालियों के लिए धन जुटाने, और बुनियादी ढांचा की परियोजनाओं, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने सहित कई मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाया है। दूसरी ओर, सरकार को बिक्री प्रक्रियाओं, कंपनियों के उचित मूल्यांकन, निष्पक्ष और मुक्त नीलामी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी, और लेन-देन के बाद अधिकारियों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होगी क्योंकि कई बार उन्हें जांच-पड़ताल एजेंसियों द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बांड में निवेश कर सकते हैं।
2. 'निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डरिंग मैचिंग' भारतीय रिजर्व बैंक का एक सरकारी प्रतिभूति व्यापार मंच है।
3. 'सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड' को भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1

(*b*) 1 और 2

(*c*) केवल 3

(*d*) 2 और

2. भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? सीपीएसई (2011)

1. सरकार विनिवेश से अर्जित राजस्व का मुख्य रूप से बाहरी ऋण चुकाने के लिए उपयोग करना चाहती है।
2. सरकार अब सीपीएसई के प्रबंधन नियंत्रण को बनाए रखने का इरादा नहीं रखती है

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2

(*c*) 1 और 2 दोनों

(*d*) न तो 1 और न ही 2

विशेष आर्थिक क्षेत्र

- एसईजेड देश का एक ऐसा हिस्सा है जो आमतौर पर शुल्क-मुक्त (राजकोषीय रियायत) है और निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लक्ष्य के साथ इसके अपने व्यवसाय और वाणिज्यिक नियम हैं। एसईजेड का गठन इन क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए भी किया जाता है ताकि व्यापार करना आसान हो।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के उद्देश्य

- एसईजेड अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -
- देश में और अधिक आर्थिक गतिविधि सृजित करने के लिए।
- निर्यात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की संख्या में वृद्धि करना।
- काम के अच्छे अवसर सृजित करने के लिए।
- घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के निवेश को बढ़ाना।
- अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना।

विशेष आर्थिक क्षेत्र को उपलब्ध प्रोत्साहन और सुविधाएं

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए सामान को शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है या घरेलू स्तर पर खरीदा जा सकता है।
2. आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर और अन्य जैसे करों से छूट।
3. विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्रति वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर तक की बाहरी वाणिज्यिक उधारी, बिना किसी परिपक्वता प्रतिबंध के।
4. केंद्र और राज्य स्तर पर स्वीकृतियों के लिए एकल-विंडो निकासी है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लाभ

- वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वृद्धि करते हैं।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करते हैं।
- वे रोजगार सृजन में सहायता करते हैं।
- वे नई नीतियों के साथ प्रयोग करने में मदद करते हैं।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात में वृद्धि करते हैं।
- वे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं।

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र

- 1965 में, कांडला क्षेत्र, गुजरात, एशिया का पहला ईपीजेड (निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र) बन गया। वर्तमान में, 379 विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित हैं, जिनमें से 265 परिचालन में हैं। लगभग 64 प्रतिशत विशेष आर्थिक क्षेत्र पांच राज्यों - तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए चुनौतियां::

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र में अप्रयुक्त भूमि: विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थान की मांग में कमी और महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के कारण।
2. कई मॉडल का अस्तित्व: आर्थिक क्षेत्र के कई मॉडल हैं जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र, तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, फूड पार्क और कपड़ा पार्क जो विभिन्न मॉडलों को एकीकृत करने में चुनौतियां पेश करते हैं।
3. आसियान देशों से प्रतिस्पर्धा: पिछले कुछ वर्षों में, आसियान के कई देशों ने वैश्विक खिलाड़ियों को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव किया है और अपनी कौशल पहल के विकासात्मक सेट पर भी काम किया है। नतीजतन, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र ने विश्व स्तर पर अपने कुछ प्रतिस्पर्धी लाभों को खो दिया है और इसलिए नई नीतियों की आवश्यकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- बाबा कल्याणी आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन जैसे एमएसएमई योजनाओं के साथ जुड़कर विशेष आर्थिक क्षेत्र में एमएसएमई निवेश को बढ़ावा देना और वैकल्पिक क्षेत्रों को सेक्टर-विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश करने की अनुमति देना।
- वित्त तक उनकी पहुंच में सुधार करने और लंबी अवधि के उधार को सक्षम करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र को बुनियादी ढांचा का दर्जा देना।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. एक स्पष्ट स्वीकृति है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (विशेष आर्थिक क्षेत्र) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यात का एक उपकरण हैं। इस क्षमता को स्वीकार करते हुए, विशेष आर्थिक क्षेत्र के संपूर्ण साधन को बढ़ाने की आवश्यकता है। कराधान, शासी कानूनों और प्रशासन के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र की सफलता को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर चर्चा करें। (2015)

उपकरण

- औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक
- आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक
- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण
- क्रय प्रबंधकों की सूची

उद्योगों के प्रदर्शन को मापने के लिए उपकरण

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ, अब एनएसओ) हर महीने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संकलित और प्रकाशित करता है।
- आईआईपी औद्योगिक प्रदर्शन का एक सांख्यिकीय माप है।
- यह एक चुनी हुई आधार अवधि के संबंध में दी गई अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है।
- इस प्रकार **IIP** को 14 मंत्रालयों से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है।
- आईआईपी की गणना करते समय, तीन उप-क्षेत्रों के लिए भारांक हैं:
  1. खनन क्षेत्र के लिए -14.4%
  2. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए- 77.6%
  3. बिजली क्षेत्र के लिए - 8%।
- इस प्रकार, हम पाते हैं कि क्षेत्र-आधारित वर्गीकरण के मामले में आईआईपी की गणना करते समय विनिर्माण क्षेत्र का भार सबसे अधिक होता है। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, आईआईपी के मापन में प्राथमिक वस्तुओं का भार सबसे अधिक होता है

आईआईपी का महत्व:

1. यह समग्र आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है।
2. सूचकांक का उपयोग सरकारी एजेंसियों, वित्त मंत्रालय जैसे विभागों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
3. आईआईपी डेटा का उपयोग प्रत्येक तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन की गणना के लिए किया जाता है।
4. आईआईपी का उपयोग व्यापार विश्लेषकों, वित्तीय विशेषज्ञों और निजी खिलाड़ियों द्वारा कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
5. आईआईपी उत्पादन की भौतिक मात्रा का एकमात्र संकेतक है।
6. सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमानों के प्रक्षेपण के लिए आईआईपी डेटा अत्यंत उपयोगी है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत में, औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक में, आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांकों का संयुक्त भारांक 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उन आठ प्रमुख उद्योगों में से हैं? (2012)

1. सीमेंट
2. उर्वरक
3. प्राकृतिक गैस
4. रिफाइनरी उत्पाद
5. टेक्सटाइल

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1 और 5
(*b*) केवल 2, 3, और 4
(*c*) केवल 1, 2, 3 और 4
(*d*) 1, 2, 3, 4 और 5

आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक

1. आठ प्रमुख उद्योगों के प्रदर्शन को मापता है।
2. इन आठ प्रमुख उद्योगों में आईआईपी में 40.27% भार शामिल है।
3. इसे मासिक औद्योगिक प्रदर्शन का बैरोमीटर माना जाता है।

आठ प्रमुख उद्योग और उनके निर्दिष्ट भार:

1. रिफाइनरी उत्पाद – 28%
2. बिजली --19.9%
3. स्टील – 17.9%
4. कोयला – 10.3%
5. कच्चा तेल --9%
6. प्राकृतिक गैस --6.9%
7. सीमेंट --5.4%
8. उर्वरक – 2.6%

- ऊपर से, हम पाते हैं कि रिफाइनरी उत्पाद इस सूचकांक में सबसे अधिक भार रखते हैं।

आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में वर्तमान रुझान

1. आठ प्रमुख उद्योगों की वृद्धि मई, 2022 में 18.1% से घटकर जून, 2022 में 12.7% हो गई, कच्चे तेल को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई।
2. आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं के वजन का 40.27% शामिल है।
3. कोर सेक्टर के आठ उद्योगों का वेटेज घटते क्रम में रिफाइनरी उत्पादझ बिजलीझ स्टीलझ कोयलाझ कच्चा तेलझ प्राकृतिक गैसझ सीमेंटझ उर्वरक है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक' में, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक भार दिया गया है? (2015)

(*a*) कोयला उत्पादन
(*b*) बिजली उत्पादन
(*c*) उर्वरक उत्पादन
(*d*) इस्पात उत्पादन

क्षमता उपयोग (सीयू)

- अर्थव्यवस्था की मांग और निवेश की संभावनाओं का आकलन करने के लिए यह एक और आर्थिक संकेतक है। सीयू दरें काफी हद तक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण गतिविधियों की गति को ट्रैक करने में सक्षम हैं। आईआईपी-विनिर्माण सूचकांक और क्षमता उपयोग की वृद्धि दर भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिए मांग की स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की व्यापार अपेक्षा सूचकांक: यह विनिर्माण क्षेत्र में मांग की स्थिति की एक झलक देता है, जिसमें मापदंडों का संयोजन होता है, जिसमें समग्र व्यावसायिक स्थिति, उत्पादन, ऑर्डर बुक, कच्चे माल की सूची और तैयार माल, लाभ मार्जिन, रोजगार, निर्यात और क्षमता उपयोग शामिल हैं।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

1. यह पूरे देश में विनिर्माण क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए औद्योगिक सांख्यिकी का सिद्धांत स्रोत है।
2. उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) प्रतिवर्ष (सीएसओ) अब (एनएसओ) द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है।
3. एएसआई के दौरान सूचना संग्रहण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार एकत्र की जाती है।

एएसआई का आच्छादन:

1. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा **2(m)(I)** और **2(m)(ii)** के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखाने (अर्थात वे कारखाने जिनमें बिजली का उपयोग करने वाले 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं और जो बिजली का उपयोग किए बिना 20 या अधिक कार्यरत हैं)
2. 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाई (कारक अधिनियम के तहत अन्य 7 अधिनियमों में से किसी के तहत पंजीकृत)

3. पंजीकृत बीड़ी और सिगरेट निर्माण प्रतिष्ठान और सभी बिजली उपक्रम (केंद्रीय बिजली प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं)
   1. एएसआई कवर नहीं करता है: रक्षा प्रतिष्ठान, तेल की कमी, और वितरण डिपो, विभागीय इकाइयां जैसे रेलवे कार्यशाला, सरकारी टकसाल, स्वच्छता, जल आपूर्ति, गैस भंडारण आदि।
   2. एनएसओ हर 5 साल में असंगठित मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े आंकड़े संकलित करता है.
   3. एएसआई द्वारा उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण संकेतक वार्षिक आधार पर कारखानों की संख्या, उत्पादन, रोजगार, मजदूरी, निवेशित पूंजी, पूंजी निर्माण, इनपुट/आउटपुट और मूल्यवर्धित हैं।
   4. किसी विशेष वित्तीय वर्ष की एएसआई रिपोर्ट को प्रकाशित करने में लगभग 2 वर्ष का समय लगता है।

- **क्रय प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआई)**

1. भारत में पीएमआई सैंडपी ग्लोबल द्वारा प्रकाशित किया जाता है लेकिन इसे मार्किट इकोनॉमिक्स द्वारा संकलित किया जाता है।
2. यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के आर्थिक स्वास्थ्य का सूचक है।
3. दो अलग-अलग पीएमआई प्रकाशित होते हैं- मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई।
4. पीएमआई निजी क्षेत्र की कंपनियों के मासिक सर्वेक्षणों से प्राप्त आर्थिक संकेतकों को दर्शाता है। सूचकांक के लिए गिटार डेटा 400 क्रय प्रबंधकों के एक सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित किया जाता है।
5. पीएमआई 5 प्रमुख संकेतकों पर आधारित है: जैसे नए आदेश, सूची स्तर, उत्पादन, आपूर्तिकर्ता वितरण और रोजगार का माहौल।
6. पीएमआई का उद्देश्य कंपनी के निर्णयकर्ताओं के विश्लेषकों और क्रय प्रबंधकों को वर्तमान व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने उत्पादन में मामूली सुधार दर्ज किया जो मार्च 2022 में 54 से बढ़कर अप्रैल 2022 में 54.7 हो गया।
7. एसएंडपी 500 या स्टैंडर्ड एंड पूअर्स 500 एक अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स है, जिसे बड़े पैमाने पर अमेरिकी इक्विटी का सबसे अच्छा मापक माना जाता है।

पीएमआई का महत्व

- क्रय प्रबंधक का सूचकांक आपूर्तिकर्ताओं को यह जानने की अनुमति देता है कि उसके ग्राहकों के पास कितनी वस्तु-सूची है और परिणामस्वरूप, यह उसके ग्राहकों द्वारा उत्पन्न उत्पादन राशि को प्रभावित कर सकता है।
- आपूर्ति और मांग पर पीएमआई द्वारा प्रदान की गई जानकारी माल के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लगाए गए मूल्यों को प्रभावित कर सकती है।
- पीएमआई का उपयोग किसी कंपनी द्वारा वार्षिक बजट की योजना बनाने, अपनी कंपनी में कर्मचारियों के स्तर के प्रबंधन में किया जा सकता है।
- पीएमआई किसी व्यवसाय की आर्थिक गतिविधि के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है जिसमें जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन और रोजगार शामिल हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. एस एण्ड पी 500 किस्से संबन्धित है? (2008)

(*a*) सुपरकंप्यूटर

(*b*) ई-बिजनेस में एक नई तकनीक

(*c*) पुल निर्माण में एक नई तकनीक

(*d*) बड़ी कंपनियों के शेयरों का एक सूचकांक

भारतीय गुणवत्ता परिषद [क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया]

- भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की स्थापना 1997 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- यह संयुक्त रूप से भारत सरकार और एसोचैम, सीआईआई, फिक्की द्वारा प्रतिनिधित्व भारतीय उद्योग द्वारा स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मान्यता संरचना को स्थापित करना और संचालित करना और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, क्यूसीआई के लिए नोडल मंत्रालय है।
- क्यूसीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार को उद्योग की सिफारिश पर प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया **(QCI)** के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (2017)

1. क्यूसीआई की स्थापना भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी।
2. क्यूसीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधान मंत्री द्वारा सरकार को उद्योग की सिफारिशों पर की जाती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(*a*) सिर्फ 1

(*b*) सिर्फ 2

(*c*) 1 तथा 2 दोनों

(*d*) न तो 1 और न ही 2

एमएसएमई क्षेत्र

- एमएसएमई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं जो सेवा क्षेत्र या वस्तुओं के निर्माण, प्रसंस्करण, उत्पादन और संरक्षण में संलग्न हैं।
- पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वार्षिक टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। हालांकि भारत सरकार ने आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के माध्यम से 2020 में एमएसएमई की परिभाषा में ऊपर की ओर संशोधन किया है (विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों इकाइयों के लिए समान होने के लिए)।

श्रेणी	पुरानी पूंजी सीमा	पुराने टर्नोवर की सीमा	नई पूंजी की सीमा	नए टर्नोवर की सीमा
माइक्रो	25 लाख तक	10 लाख तक	1 करोड़ तक	5 करोड़ तक
लघु	5 करोड़ तक	50 करोड़ तक	2 करोड़ तक	10 करोड़ तक
माध्यम	10 करोड़ तक	5 करोड़ तक	50 करोड़ तक	250 करोड़ तक

एमएसएमई की भूमिका/महत्व:

- 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र की हिस्सेदारी मोटे तौर पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% है।
- यह औद्योगिक उत्पादन में 40% से अधिक का योगदान देता है।
- एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार लगभग 1109.89 लाख श्रमिक एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- कुल निर्यात में इनकी हिस्सेदारी 50% से अधिक है।
- ये 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
- वे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में लगभग 633.8 लाख एमएसएमई इकाइयाँ कार्यरत हैं।
- लगभग 20.37% एमएसएमई महिलाओं द्वारा संचालित हैं
- 51% एमएसएमई प्रकृति में ग्रामीण हैं।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए समितियों/आयोग की सिफारिशें:

1. के वी कामथ समिति

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों की पुन:संरचना के लिए के.वी. कामथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
- समिति का उद्देश्य- समिति का अधिकार कॉर्पोरेट ऋणों की एकमुश्त पुन:संरचना के लिए मापदंडों की सिफारिश करना है। समिति 1,500 करोड़ रुपये और उससे अधिक के कुल ऋण जोखिम वाले सभी खातों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट संकल्प योजना तैयार करेगी।
- **समिति द्वारा की गई सिफारिशें-**
  - उधारकर्ताओं पर प्रभाव की गंभीरता के आधार पर प्रभावित खातों की पुन:संरचना के लिए श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण- बैंक समिति द्वारा अनुशंसित खातों को हल्के, मध्यम और गंभीर में वर्गीकृत कर सकते हैं।
  - कठिनाइयों का सामना कर रहे क्षेत्रों के स्वास्थ्य को मापने के लिए पांच वित्तीय मानदंड- समायोजित मूर्त निवल मूल्य के लिए कुल बाहरी देनदारियां, ब्याज, कर, मूल्यह्रास, और परिशोधन (एबिटडा), ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर), वर्तमान आय से पहले कुल ऋण अनुपात और औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (एडीएससीआर)।
  - ऑटो, विमानन, निर्माण, आतिथ्य, बिजली, रियल एस्टेट और पर्यटन सहित 26 क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- **इन सिफारिशों की प्रयोज्यता:**
  - समिति को ₹1500 करोड़ से अधिक के ऋणों के पुनर्गठन की जांच करनी थी।
  - इस ढांचे के अधीन समाधान केवल उन्हीं कर्जदारों पर लागू होता है जो कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं।
  - केवल वे उधारकर्ता जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया था और 1 मार्च, 2020 को 30 दिनों से कम बकाया राशि वाले फ्रेमवर्क के अंतर्गत पात्र हैं।

2. यू.के.सिन्हा समिति-

- आरबीआई ने एमएसएमई के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए यू.के. सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति नियुक्त की है।
- समिति का उद्देश्य- भारत में, 2016 में विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद से छोटे व्यवसायों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस विघटनकारी कदम के बाद जुलाई 2017 में जीएसटी का जल्दबाजी में कार्यान्वयन किया गया। इन सभी मुद्दों ने एमएसएमई क्षेत्र के सुचारू कामकाज और विकास को बहुत चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
- इस स्थिति को देखते हुए, जनवरी 2019 में, आरबीआई ने एमएसएमई क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए एमएसएमई पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसे एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का अध्ययन करने, कारणों की पहचान करने और दीर्घकालिक समाधान प्रस्तावित करने का काम सौंपा गया था।

समिति की प्रमुख सिफारिशें:

- इसने एमएसएमई के लिए एक ₹5,000 करोड़ की स्ट्रैंडेड एसेट फंड का गठन किया, जो एक क्लस्टर में इकाइयों की मदद करेगा, क्योंकि बाहरी कारकों जैसे प्लास्टिक प्रतिबंध के कारण परिवर्तन हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में ऐसी इकाइयां निष्पादक हो गई थीं।
- आरबीआई को ₹20 लाख तक के गैर-संपार्श्विक ऋण की सीमा बढ़ानी चाहिए।
- इसने वित्त मंत्रालय द्वारा मुद्रा के अंतर्गत स्वीकृत ऋण सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख करने का भी सुझाव दिया।
- जो बैंक एमएसएमई ऋण देने में विशेषज्ञता चाहते हैं, उनके प्राथमिकता क्षेत्र ऋणदाता के अंतर्गत कृषि ऋण के लिए उप-लक्ष्यों को माफ किया जा सकता है, और इसके बजाय एसएमई क्षेत्र को ऋण के लिए लक्ष्य दिया जा सकता है। लक्ष्य सार्वभौमिक बैंकों के लिए शुद्ध बैंक ऋण का 50% और लघु वित्त बैंकों के लिए 80% हो सकते हैं।
- एमएसएमई को निर्बाध तरीके से ऋण पोर्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, आरबीआई को एक वर्ष की लॉक-इन-अवधि के साथ एमएसएमई ऋणों की पोर्टेबिलिटी पर उपाय करने चाहिए।

3. एस.पी. गुप्ता समिति

- 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास और संवर्धन के लिए एक रोडमैप प्रदान करना'।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए चुनौतियाँ:

- ऋण की उच्च लागत के साथ-साथ पर्याप्त और समय पर ऋण की उपलब्धता में कमी।
- सरकारी विभाग और एजेंसियों को आपूर्ति में समस्या।
- भंडारण, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और उत्पाद प्रदर्शन की समस्याएं।
- वैश्विक बाजारों तक पहुंच का अभाव।
- बिजली पानी सड़क आदि सहित अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं।
- श्रम कानूनों की बहुलता और ऐसे कानूनों के अनुपालन से जुड़ी जटिल प्रक्रियाएं।
- एमएसएमई क्षेत्र पर कोविड महामारी का प्रभाव:
- घटता राजस्व: कोविड-19 संकट की अगुवाई में एमएसएमई पहले से ही राजस्व और क्षमता के उपयोग में गिरावट के मामले में संघर्ष कर रहे हैं।
- नकदी की अनुपलब्धता: कुल लॉकडाउन ने मुख्य रूप से नकदी की अनुपलब्धता के कारण एमएसएमई के अस्तित्व का मुद्दा उठाया है जिसके परिणामस्वरूप नौकरी का नुकसान होगा।
- श्रम उपलब्धता की कमी: प्रवासी मजदूरों की वापसी श्रमिकों की उपलब्धता की कमी का मुद्दा पैदा करेगी।
- संपार्श्विक के बदले ऋण: एमएसएमई को ऋण ज्यादातर संपत्ति (संपार्श्विक के रूप में) के बदले दिया जाता है, लेकिन संकट के समय, संपत्ति का मूल्य गिर जाता है और यह नए ऋणों के विस्तार को रोकता है।
- उठाए गए कदम: इस अवधि के दौरान फर्मों के वित्तीय संकट को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपायों की घोषणा की है जैसे सावधि ऋणों पर रोक, और आसान कार्यशील पूंजी वित्तपोषण। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों ने भी व्यवसायों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन खोली है।

एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल:

1. जीएसटी में पंजीकृत सभी एमएसएमई के लिए 2% का ब्याज का परिदान 1 करोड़ तक के वृद्धिशील ऋण पर है।
2. सभी सीपीएसयू को कुल खरीद के 20% के बजाय एमएसएमई से कम से कम 25% खरीदारी अनिवार्य करनी होगी। 25% में से 3% महिला उद्यमियों से खरीद की जानी है।
3. सिडबी द्वारा क्रेडिट की पहुंच में सुधार करने और एमएसएमई को हैंडहोल्डिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया।
4. एमएसएमई संबंध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
5. एमएसएमई समाधान एक विलंबित भुगतान के लिए पोर्टल है। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतानों से संबंधित अपने मुद्दों को सीधे पंजीकृत करने के लिए सशक्त करेगा।
6. डिजिटल एमएसएमई योजना- इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग शामिल है जहां एमएसएमई इंटरनेट का उपयोग आम और साथ ही पूरी तरह से योग्य आईटी-बुनियादी ढांचे तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं।

7. पारंपरिक उद्योगों और कारीगरों को समूहों में संगठित करने और उनकी बाजार क्षमता को बढ़ाकर और उन्हें बेहतर कौशल से लैस करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड की नई योजना **(SFURTI)**।
8. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम: यह गैर-कृषि क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।
9. नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना (एस्पायर): यह नई नौकरियों का सृजन करती है और बेरोजगारी को कम करती है, उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देती है, अभिनव व्यापार समाधान आदि की सुविधा देती है।
10. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) - यह उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ एमएसई की क्षमता निर्माण के लिए क्लस्टर विकास के दृष्टिकोण को अपनाता है।
11. एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) चालू है।

औद्योगिक क्रांति 4-0

- आईआर 4-0 विश्व आर्थिक मंच और भारत की संयुक्त पहल का एक हिस्सा है। अमेरिका, जापान और चीन के बाद भारत ऐसे केंद्र वाला चौथा देश बन गया है।
- वर्धित उत्पादकता: यह उत्पादन बढ़ाने के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में ऑटोमेशन, इंटरकनेक्टिविटी और डेटा एक्सचेंज की वर्तमान प्रवृत्ति को दिया गया नाम है।
- चौथा- श्रेणी में एक -: 18वीं शताब्दी की प्रारंभिक परीक्षा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से यह चौथा औद्योगिक युग है।
- बहुप्रौद्योगिकी का संलयन: चौथी क्रांति के प्रमुख तत्व भौतिक, डिजिटल से लेकर जैविक क्षेत्रों तक की प्रौद्योगिकियों का संलयन हैं।
- साइबर-भौतिक प्रणाली: यह एक जटिल साइबर-भौतिक प्रणाली है जो उत्पादन को डिजिटल तकनीकों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ जोड़ती है।
- तकनीकी युग: चौथी औद्योगिक क्रांति एक शब्द है जो तकनीकी युग का वर्णन करता है।
- भारत में नया केंद्र: भारत के प्रधान मंत्री ने भारत में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र शुरू करके अभिव्यक्ति को एक संस्थागत आकार दिया।

क्रांति	समय-काल	टिप्पणी
प्रथम	18वीं से 19वीं शताब्दी तक	लोहा, कपड़ा उद्योग और भाप के इंजन का विकास
द्वितीय	1870 - 1914	टेलीफोन, बिजली के बल्ब और आंतरिक दहन इंजन जैसी नई चीजों का आविष्कार किया गया।
तृतीय	1980 के दशक से चल रहा	डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए इलेक्ट्रॉनिक और यांत्रिक उपकरणों के साथ प्रौद्योगिकी की उन्नति। पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट।
चतुर्थ	इस वाक्यांश को पहली बार 2016 में उपयोग किया गया था	इसमें रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), 3D प्रिंटिंग आदि जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। यह भौतिक, डिजिटल और जैविक क्षेत्रों को मिलाता है।

औद्योगिक क्रांति 4.0 का प्रभाव:

- उत्पादकता में वृद्धि: औद्योगिक क्रांति 4.0 के कार्यान्वयन से निर्बाध स्वचालन के साथ समग्र अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में वृद्धि होगी
- व्यापक प्रभाव: विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभिक परीक्षा प्रसार के बाद, यह सेवाओं और व्यापार मॉडल में सुधार के लिए जोर देगा।
- आईटी सुरक्षा: विभिन्न प्रणाली तंत्रों में नई समझ और सुरक्षा मानकीकरण से नए उपकरणों का उपयोग करके दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को बेहतर ढंग से सुरक्षित करने में मदद मिलेगी
- मशीन सुरक्षा और काम करने की बेहतर स्थितियाँ: औद्योगिक क्रांति 4.0 विभिन्न उद्योगों में स्वचालन में व्यापक रूप से सुधार करेगी जो विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों के लिए खतरनाक काम को कम करेगा।
- इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, कनेक्टिविटी में सुधार: इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके विकसित किए गए नए टूल्स, कनेक्टिविटी में सुधार को प्रशासनिक और भौतिक प्रणाली में लागू किया जाएगा जो मानव प्रेरित त्रुटियों को कम करने में मदद करेगा।

भारत और औद्योगिक क्रांति 4.0:

- गरीबी उन्मूलन: यह गरीबी उन्मूलन में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
- कम लागत वाली स्वास्थ्य देखभाल: बेहतर और कम लागत वाली स्वास्थ्य देखभाल एआई-संचालित डायग्नोस्टिक्स, व्यक्तिगत उपचार, संभावित महामारियों की शुरुआती पहचान, और इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स आदि के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- किसानों की आय में वृद्धि: किसानों को नवीनतम तकनीकें प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना, वास्तविक समय की सलाह के माध्यम से फसल की उपज में सुधार, कीट हमलों का उन्नत पता लगाना और बुवाई के तरीकों को सूचित करने के लिए फसल की कीमतों की भविष्यवाणी करना।
- शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विशेष रूप से सक्षम लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए किया जा सकता है।
- ईज ऑफ लिविंग: नई क्रांति स्मार्ट तकनीकों का उपयोग करके ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद करेगी।

औद्योगिक क्रांति 4.0 के नकारात्मक पहलू:

- पृथक रोजगार बाजार: इस क्रांति के साथ, यह भी संभव है कि भविष्य में, प्रतिभा, पूंजी से अधिक, उत्पादन के महत्वपूर्ण कारक का प्रतिनिधित्व करेगी। यह कम-कौशल/कम-वेतन और उच्च-कौशल/उच्च-वेतन खंडों में तेजी से अलग किए गए नौकरी बाजार को जन्म देगा, जिससे सामाजिक तनाव में वृद्धि होगी।
- पहचान पर प्रभाव: यह हमारी पहचान और इससे जुड़े सभी मुद्दों को प्रभावित करेगा जैसे कि हमारी निजता की भावना, स्वामित्व की हमारी धारणा, हमारे उपभोग के पैटर्न, हम काम और अवकाश के लिए कितना समय देते हैं, और हम अपने करियर को कैसे विकसित करते हैं, अपने कौशल को विकसित करते हैं, लोगों से मिलें, और रिश्तों को संवारें।
- असमानता में वृद्धि: इससे दुनिया में असमानता बढ़ने की संभावना है क्योंकि मशीनों के प्रसार से बाजार बढ़ते हैं और श्रम बाजार बाधित होते हैं। असमानता चौथी औद्योगिक क्रांति से जुड़ी सबसे बड़ी सामाजिक चिंता का प्रतिनिधित्व करती है।
- धन में बढ़ता अंतर: नवाचार के सबसे बड़े लाभार्थी बौद्धिक और भौतिक पूंजी के प्रदाता, नवप्रवर्तक, शेयरधारक और निवेशक होते हैं, जो पूंजी बनाम श्रम पर निर्भर लोगों के बीच धन के बढ़ते अंतर की व्याख्या करते हैं।
- कम रोजगार: पूरी अर्थव्यवस्था में श्रम के लिए स्वचालन विकल्प के रूप में, मशीनों द्वारा श्रमिकों का शुद्ध विस्थापन पूंजी के प्रतिफल और श्रम के प्रतिफल के बीच के अंतर को बढ़ा सकता है।

आगे की राह

- लैंगिक समानता: लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आवाज और नेतृत्व को मजबूत करना, काम पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करना और वेतन पारदर्शिता नीतियों को लागू करना महत्वपूर्ण है।
- कमजोर समूह को सुरक्षा: जन्म से वृद्धावस्था तक एक गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो जीवन चक्र में लोगों की आवश्यकताओं का समर्थन करती है
- संक्रमण के लिए संस्थागत मदद: संस्थानों, नीतियों और रणनीतियों में निवेश, जो भविष्य में कार्य परिवर्तन के माध्यम से लोगों का समर्थन करेंगे, को बढ़ाया जाना चाहिए।
- मानव हितैषी आर्थिक मॉडल: विकास के वितरण आयाम, घरों और समुदायों की सेवा में किए गए अवैतनिक कार्य का मूल्य और आर्थिक गतिविधि की बाह्यताएं, जैसे कि पर्यावरणीय गिरावट को मानव केंद्रित व्यवसाय और आर्थिक मॉडल के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- नियम और विनियम: श्रमिकों के न्यूनतम अधिकारों की रक्षा के लिए डिजिटल श्रम प्लेटफार्मों की स्थापना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली की आवश्यकता है
- श्रम गारंटी: सभी देशों को एक सार्वभौमिक श्रम गारंटी के लिए प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है, यह मौलिक श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा, एक पर्याप्त जीवित मजदूरी, काम के घंटे की सीमा और सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल।
- एकमुश्त सीखने की धारणा को बदलना: आजीवन सीखने के लिए एक सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना महत्वपूर्ण है जो लोगों को कौशल हासिल करने और कौशल को फिर से विकसित करने में सक्षम बनाता है।

स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ)

- उद्योग भारत 4.0 भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार की उद्योग 4.0 पहल है, जो भारतीय पूंजीगत सामान क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के अंतर्गत है। इस पहल का उद्देश्य प्रदर्शन केंद्रों के माध्यम से भारतीय विनिर्माण उद्योग के बीच उद्योग 4.0 के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

औद्योगिक गलियारा

- भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं का विकास कर रही है जिसका उद्देश्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
  - औद्योगिक गलियारों में विश्व स्तरीय अवसंरचना शामिल है जैसे:
  - उच्च गति का परिवहन नेटवर्क - रेल और सड़क
  - आधुनिक हवाई अड्डे
  - विशेष आर्थिक क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र
  - लॉजिस्टिक पार्क/ट्रांसशिपमेंट हब
  - नॉलेज पार्क औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित हैं
  - टाउनशिप/रियल एस्टेट जैसी पूरक अवसंरचना
- नीतिगत ढांचे को सक्षम करने के साथ-साथ अन्य शहरी अवसंरचना
- ये औद्योगिक कॉरिडोर एक सुनियोजित और संसाधन-कुशल औद्योगिक आधार के विकास की सुविधा प्रदान करेंगे, जो विश्व स्तरीय टिकाऊ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी, जो पहचान किए गए क्षेत्रों में नवाचार, निर्माण, नौकरी सृजन और संसाधन सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण लाभ लाएगी।

क्रमांक.	औद्योगिक गलियारा	प्रदेश
1	दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी)	• उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। • अमेरिकी 100 बिलियन डॉलर की परियोजना को भारत सरकार, जापानी ऋण, जापानी फर्मों द्वारा निवेश और भारतीय कंपनियों द्वारा जारी जापान डिपॉजिटरी रसीदों के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है।
2	अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा **(AKIC)**	• पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल।
3	चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी)	• आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल • इसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।
4	पूर्वी तट का आर्थिक गलियारा (ईसीईसी) विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर **(VCIC)** के साथ फेज-1	• पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु • देश में पहला तटीय आर्थिक गलियारा। • सितंबर 2016 में, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने ढांचागत विकास के लिए 631 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण और अनुदान को मंजूरी दी।
5	बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा (बीएमआईसी)	• कर्नाटक, महाराष्ट्र • इसे ब्रिटेन (यूके) की मदद से विकसित किया जा रहा है।

भारत में औद्योगिक गलियारों का महत्व:

1. औद्योगिक गलियारे समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अग्रणी उद्योग और बुनियादी ढांचे के बीच प्रभावी एकीकरण प्रदान करते हैं।
2. औद्योगिक गलियारा उच्च गति परिवहन जैसे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे प्रदान करता है।
3. एक विशेष स्थान पर उद्योगों की एकाग्रता को रोकें जो पर्यावरण को अपनी वहन क्षमता से परे शोषण करते हैं और पर्यावरणीय गिरावट का कारण बनते हैं।
4. इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी।
5. लोगों को अपने घरों के नजदीक रोजगार के अवसर मिलेंगे और उन्हें दूर-दराज के स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे परिवार एक संस्था के रूप में संरक्षित रहेगा। इससे देश में सामाजिक एकता भी बढ़ेगी।
6. इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक टाउनशिप, शैक्षणिक संस्थान, सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, अस्पताल स्थापित हो सकते हैं जो रोजगार पैदा करेंगे और जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे।
7. इससे घरेलू और विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
8. यह बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को काटने के लिए आवश्यक आवश्यक रसद अवसंरचना प्रदान करेगा।

औद्योगिक गलियारों से जुड़ी चुनौतियाँ:

- भूमि अधिग्रहण की समस्या- कठोर भूमि अधिग्रहण अधि नियम के कारण औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण एक अत्यंत कठिन कार्य है।
- कुछ क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी की कमी- चूंकि भारत के पास कुछ क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी की कमी है, इसलिए विदेशी खिलाड़ियों को आवश्यक तकनीकी जानकारी लाने और सहायक स्थापित करने में भारतीय निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एफडीआई कैप और उस क्षेत्र में सहायक उद्योग को बढ़ाना विवेकपूर्ण होगा।
- भारत की कराधान व्यवस्था में स्पष्टता का अभाव। इस प्रकार इसे स्थायी प्रतिष्ठानों के रूप में और अन्यथा भारत में कार्यरत विदेशी फर्मों की कर देनदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता का अभाव- एक स्थिर विनिमय दर होना आवश्यक है ताकि भारत में निवेश करने वाले विदेशी खिलाड़ी मुद्रा जोखिमों से बच सकें।
- लाइसेंसों का मनमाना रद्दीकरण: भारत द्वारा द्विपक्षीय निवेश संधियों में जो बाद में एंट्रिक्स-देवास सौदे के मामले में भ्रम पैदा कर सकता है।
- उच्च स्तर के मानव विस्थापन और उपजाऊ कृषि भूमि के विनाश का डर।
- मानव विकास, आर्थिक भलाई और जीवन स्तर के मामले में ग्रामीण-शहरी अंतर के बढ़ने का डर।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की हाल की नीतिगत पहल क्या है/हैं? (2012)

1. राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना
2. 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' का लाभ प्रदान करना
3. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष की स्थापना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1
(*b*) केवल 2 और 3
(*c*) केवल 1 और 3
(*d*) 1, 2 और 3

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है? औद्योगिक गलियारों की पहचान करते हुए उनकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। (2018)

राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड)

- यह राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है।
- इसने विश्व स्तर की विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ विकसित भूमि के बड़े क्षेत्रों की परिकल्पना की।
- इसे जोनिंग के आधार पर अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और भूमि उपयोग के साथ एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाना है।
  - कम और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी
  - आवश्यक सामाजिक अवसंरचना
  - कौशल विकास सुविधाएं
  - प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जाने वाले व्यक्तियों को एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना।

प्रस्तावित एनआईएमजेड की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- राज्य सरकार 5000 हेक्टेयर उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगी।
- विनिर्माण इकाइयों के स्थान के लिए कुल क्षेत्र का कम से कम 30% उपयोग किया जाना है।
- एनआईएमजेड के मामलों के निर्वहन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया जाएगा।
- केंद्र सरकार परियोजना लागत के 20% से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।
- केंद्र सरकार समयबद्ध तरीके से रेल, सड़क, हवाई अड्डे और दूरसंचार सहित एनआईएमजेड के बाहरी भौतिक बुनियादी ढांचे के लिंकेज में सुधार करेगी।
- अब तक 3 एनआईएमजेड को अंतिम मंजूरी दी जा चुकी है - पहला प्रकाशम आंध्र प्रदेश में दूसरा संगारेड्डी तेलंगाना में और तीसरा कलिंग नगर ओडिशा में।
- इसके अलावा, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के साथ-साथ निवेश कारणों को भी एनआईएमजेड के रूप में घोषित किया गया है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में, भारत का पहला 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' में स्थापित करने का प्रस्ताव था (2016)

(*a*) आंध्र प्रदेश
(*b*) गुजरात
(*c*) महाराष्ट्र
(*d*) उत्तर प्रदेश

स्टील उद्योग

- वैश्विक और घरेलू कारणों से हाल के दिनों में भारतीय इस्पात उद्योग कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है।
- चीन के बाद भारत दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक इस्पात उत्पादन में इसका योगदान चीन के 53.8 प्रतिशत के हिस्से की तुलना में 6 प्रतिशत है।
- दूसरी ओर, चीन (48.8 प्रतिशत) और अमेरीका (5.8 प्रतिशत) के बाद भारत दुनिया में धातु का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता (5.7 प्रतिशत) है।
- वैश्विक मंदी और दुनिया के कई देशों की संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के कारण 2015 से स्टील की वैश्विक मांग में गिरावट आ रही है।
- इसने प्रमुख वैश्विक इस्पात उत्पादकों को भारतीय बाजार में इस्पात उत्पादों को 'धक्का' देने के लिए प्रेरित किया है, इस प्रकार दो प्रमुख चिंताएं सामने आई हैं: -
  - **(i)** इस्पात आयात में वृद्धि
  - **(ii)** घरेलू इस्पात उद्योग के हितों पर गहरा प्रभाव पड़ा।
- उच्च उधारी, कम उत्पादकता के साथ उच्च कच्चे माल की लागत के कारण भारत में इस्पात उद्योग तुलनात्मक रूप से नुकसानदेह स्थिति में है।
- बढ़ते इस्पात आयात को रोकने और घरेलू उत्पादन को टिकाऊ बनाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए:
  - (i) कुछ प्राथमिक लौह और इस्पात उत्पादों पर सीमा शुल्क में 5 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई।
  - (ii) चीन, मलेशिया और दक्षिण कोरिया (180 अमेरिकी डॉलर से लेकर 316 डॉलर प्रति टन तक) से औद्योगिक ग्रेड के स्टील आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया। इसी तरह के उपाय दुनिया भर के 40 अन्य देशों द्वारा किए गए थे।
  - (iii) कॉयल में गैर-मिश्र धातु और अन्य मिश्र धातु इस्पात के हॉट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर 20% का अनंतिम सुरक्षा सीमा शुल्क लगाया गया।
  - (iv) छह महीने की अवधि के लिए कई स्टील उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य लगाया गया।
  - (v) चयनित स्टील के लिए लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क को घटाकर 10% (30 प्रतिशत से) कर दिया गया।
- सरकार के कथन के अनुसार, कस्टम ड्यूटी में किसी भी तरह की वृद्धि से डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर असर पड़ेगा क्योंकि स्टील का उपयोग विभिन्न उद्योगों में मुख्य इनपुट के रूप में किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय इस्पात उद्योग को उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ अपनी उधारी और कच्चे माल की लागत में कटौती करके अधिक प्रतिस्पर्धी होने की आवश्यकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (2020)

1. भारत का व्यापारिक निर्यात इसके व्यापारिक आयात से कम है।
2. हाल के वर्षों में भारत के लोहे और इस्पात, रसायन, उर्वरक और मशीनरी के आयात में कमी आई है।
3. भारत का सेवाओं का निर्यात इसके सेवाओं के आयात से अधिक है।
4. भारत का समग्र व्यापार/चालू खाता घाटे से ग्रस्त है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1 और 2

(*b*) केवल 2 और 4

(*c*) केवल 3

(*d*) केवल 1, 3 और 4

एल्यूमीनियम उद्योग

- हालांकि भारत वैश्विक एल्युमीनियम उद्योग में एक प्रमुख भागीदार रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- भारत दुनिया में एल्यूमीनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक (चीन के बाद) और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता (चीन के बाद) है।
- आज, भारत लगभग 4.5 मीट्रिक टन (चीन- 22 मीट्रिक टन) का उत्पादन करता है और 3.8 मीट्रिक टन (चीन- 23 मीट्रिक टन, अमेरीका- 5.5 मीट्रिक टन) की खपत करता है।

भारतीय एल्युमीनियम उद्योग के सामने निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं:

(i) 2011 और 2015 के बीच विश्व एल्युमीनियम की कीमतों में 41 प्रतिशत की गिरावट आई है। भारत में इस अवधि के दौरान, कुल मांग (बिक्री और आयात) के अनुपात के रूप में आयात लगभग 40 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया है।

(ii) चीन में विशाल क्षमता का निर्माण किया गया है और विश्व विकास धीमा हो गया है।

(iii) भारत के लिए उत्पादन की लागत वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय कीमतों से अधिक है। भारत में एल्युमीनियम के उत्पादन की लागत धीरे-धीरे बढ़ रही है जबकि वैश्विक लागत स्थिर बनी हुई है।

(iv) 2015-16 से भारतीय क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन इसके उपयोग में सुधार नहीं हुआ है- 2013-14 तक उपयोग लगभग 100 प्रतिशत था और 2018 के अंत तक 50 प्रतिशत तक गिर गया। वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण ऐसा हुआ है।

(v) भारतीय एल्युमीनियम उद्योग को तब तक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जब तक कि विश्व स्तर पर कीमतें नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि कम समय में उत्पादन लागत को कम करना लगभग असंभव है।

- वैश्विक एल्युमीनियम की कीमतें, अन्य धातु की कीमतों की तरह, चक्रीय हैं और यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि वे कब ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेंगी। लेकिन जब विश्व उद्योगों में वृद्धि में सुधार होगा तो प्रवृत्ति बदलने की उम्मीद है। भारत एल्युमीनियम के आयात को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी से बच रहा है क्योंकि इससे बिजली, परिवहन और निर्माण जैसे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है।

परिधान तथा जूते के क्षेत्र

- जनसांख्यिकीय लाभांश के शिखर पर बैठे भारत को औपचारिक, उत्पादक और निवेश के अनुकूल होने की जरूरत है, जो विकास, निर्यात और व्यापक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली नौकरियां पैदा करता है। इस मामले में दो क्षेत्र- परिधान और चमड़ा और जूते, वर्तमान में प्रमुख रूप से उपयुक्त उम्मीदवार दिखते हैं।
- विकास और निर्यात: परिधान निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि 20 प्रतिशत से अधिक थी, कुछ 50 प्रतिशत के करीब; और चमड़े और जूतों का औसत 25 प्रतिशत से अधिक रहा। हालाँकि, भारत ने पूर्वी एशियाई प्रतिस्पर्धियों के सापेक्ष इस क्षेत्र में कमतर प्रदर्शन किया है। भारतीय अंडरपरफॉर्मेंस, विशेष रूप से चमड़ा क्षेत्र में चिह्नित किया गया है।
- महिला सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन: ये उद्योग उच्च संख्या में रोजगार सृजित करते हैं, विशेष रूप से महिलाओं के लिए- परिधान क्षेत्र सबसे अधिक श्रम प्रधान क्षेत्र है जिसके बाद फुटवियर का स्थान आता है। विश्व बैंक के रोजगार लोच के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में तेजी से निर्यात वृद्धि हर साल लगभग 5 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार सृजित कर सकती है।
- एक ऐतिहासिक अवसर: परिधानों के मामले में चीन द्वारा खाली की गई जगह पर बांग्लादेश और वियतनाम तेजी से कब्जा कर रहे हैं; चमड़े और जूतों के मामले में वियतनाम और इंडोनेशिया। अवसर की खिड़की कम हो रही है और भारत को इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है।

इस क्षेत्र के सामने मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

(i) लॉजिस्टिक्स: लॉजिस्टिक्स पर, भारत अनेक तरीकों से प्रतिस्पर्द्धाओं के सापेक्ष विकलांग है। माल को कारखाने से गंतव्य तक पहुंचाने में लगने वाला खर्च और समय अधिक होता है।

- श्रम विनियम: श्रम लागत भारत के लिए एक लाभ है लेकिन यह भी इसके पक्ष में काम नहीं कर रहा है।
- ये समस्याएं सर्वविदित हैं-
  - न्यूनतम ओवरटाइम वेतन पर विनियम (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अनिवार्य करता है
  - सामान्य दरों की दोगुनी दर पर ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान);
  - अंशकालिक काम में लचीलेपन की कमी;
  - चीन, बांग्लादेश और वियतनाम की फर्मों की तुलना में भारत में परिधान और चमड़े की फर्मों का आकार छोटा है (अनुमानित रूप से भारत में 78 प्रतिशत फर्मों में 50 से कम कर्मचारी काम करते हैं)। जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं है।

(ii) कर और शुल्क नीतियाँ: कर और शुल्क नीतियां विकृतियां पैदा करती हैं और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को कम करती हैं। भारत तैयार उत्पाद की तुलना में कच्चे माल पर अधिक शुल्क लगाता है और यह निर्यात पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

(iv) निर्यात बाजारों में भेदभाव: परिधान और चमड़े और जूते के लिए भारत के प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों को दो प्रमुख आयातक बाजारों, अर्थात् अमेरीका और यूरोपीय संघ (यूरोपीय संघ) में शून्य या कम से कम शुल्क के माध्यम से बेहतर बाजार पहुंच प्राप्त है। :

- बांग्लादेश का निर्यात ज्यादातर शुल्क मुक्त (पूर्व में एक कम विकसित देश होने के नाते) यूरोपीय संघ में प्रवेश करता है, जबकि परिधानों के भारतीय निर्यात पर औसत शुल्क 9.1 प्रतिशत है।
- यूरोपीय संघ-वियतनाम एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) के प्रभाव में आने के बाद वियतनाम भी शून्य शुल्क को आकर्षित कर सकता है।
- अमेरिका में, भारत को 11.4 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ता है, जबकि इथियोपिया जैसे देशों को अमेरिका, यूरोपीय संघ और कनाडा में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त है और यह परिधान और चमड़ा क्षेत्र में नए प्रतियोगी के रूप में उभर रहा है।

- जापान में काफी अतिरिक्त नुकसान के साथ, भारतीय चमड़े के निर्यात को चमड़े के सामान और गैर-चमड़े के जूते के निर्यात में भागीदार देश के बाजारों में उच्च शुल्क का भी सामना करना पड़ता है।

(v) चमड़ा और जूते-चप्पल क्षेत्रों में विशिष्ट चुनौती: इस क्षेत्र में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और अन्य छोटे जानवरों जैसे कई जानवरों की कच्ची खाल और खाल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, मवेशियों की बड़ी आबादी होने के बावजूद, वैश्विक मवेशियों की आबादी में भारत की हिस्सेदारी और मवेशियों की खाल का निर्यात कम और घट रहा है। इसके कारण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के कम उपयोग के कारण संभावित तुलनात्मक लाभ का नुकसान हुआ।

औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित एफडीआई के नीतिगत उपाय

- स्वचालित मार्ग के अधीन 100% एफडीआई की अनुमति है:
  - विनिर्माण,
  - तेल और गैस
  - ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे
  - निर्माण
  - रेलवे अवसंरचना, आदि।
- अन्य क्षेत्रों में, स्वचालित मार्ग के तहत एक निश्चित सीमा तक, मान लीजिए 26% या 49% तक थ्रू की अनुमति है।
- वित्त वर्ष 21-22 में भारत ने 84,835 मिलियन अमरीकी डालर का उच्चतम वार्षिक एफडीआई प्रवाह प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष के 2.87 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक था।
- पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 (21.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई प्रवाह 76% बढ़ा है।
- शीर्ष 5 एफडीआई सोर्सिंग राष्ट्र: सिंगापुर: 27.01%, अमेरीका: 17.94%, मॉरीशस: 15.98%, नीदरलैंड: 7.86%, स्विट्जरलैंड: 7.31%।
- उच्चतम एफडीआई प्राप्त करने वाले शीर्ष क्षेत्र: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर: 24.60%, सेवा क्षेत्र (वित्त, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्त/व्यवसाय, आउटसोर्सिंग, अनुसंधान एवं विकास, कूरियर, तकनीक। परीक्षण और विश्लेषण, अन्य): 12.13%, ऑटोमोबाइल उद्योग: 11.89%, व्यापार: 7.72%, निर्माण (इन्फ्रास्ट्रक्चर) गतिविधियाँ: 5.52%।
- भारत के शीर्ष गंतव्य राज्य: कर्नाटक: 37.55%, महाराष्ट्र: 26.26%, दिल्ली: 13.93%, तमिलनाडु: 5.10%, हरियाणा: 4.76%।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र: जिन मामलों में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के रणनीतिक विनिवेश के लिए श्सैद्धांतिकश अनुमोदन प्रदान किया है, उन मामलों में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है।
- दूरसंचार क्षेत्र: स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति।
- एफडीआई प्रस्तावों के प्रसंस्करण को आसान बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन।
- 'एफडीआई निगरानी प्रकोष्ठ' आवेदक/निवेशक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेगा, एफडीआई प्रस्तावों की पहचान करने और बाधाओं, यदि कोई हो, की दृष्टि से तेजी लाने के लिए।
- प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अग्रेषित विलंबित प्रस्तावों और प्रस्तावों पर उपयुक्त निर्णय लेने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी)।
- भूमि साझा करने वाले देश में पड़ी निवेश की कोई इकाई या लाभार्थी स्वामी केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकता है। भारत में किसी इकाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी मौजूदा या भविष्य के एफडीआई के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए भी सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

व्यापार करने में आसानी

- व्यापार करने में आसानी (ईओडीबी) सूचकांक विश्व बैंक समूह द्वारा स्थापित एक रैंकिंग प्रणाली है। ईओडीबी इंडेक्स में, 'उच्च रैंकिंग' (एक कम संख्यात्मक मान) व्यवसायों के लिए बेहतर, आमतौर पर सरल, नियमों और संपत्ति अधिकारों की मजबूत सुरक्षा का संकेत देती है।
- व्यापार करने में आसानी क्यों महत्वपूर्ण है?
  - व्यवसाय करने में आसानी उद्यमिता, नवाचार और धन सृजन की कुंजी है।
  - भारत हाल के वर्षों में विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, लेकिन ऐसी श्रेणियां हैं जहां यह पीछे है जैसे कि- व्यवसाय शुरू करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, करों का भुगतान करना और अनुबंध लागू करना।
- व्यवसाय करने में आसानी के संकेतकों की रैंकिंग: व्यवसाय शुरू करना; निर्माण अनुमति के साथ लेनदेन; बिजली प्राप्त करना; संपत्ति का पंजीकरण; क्रेडिट प्राप्त करना; अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा करना, करों का भुगतान करना; सीमा पार व्यापार; अनुबंधों को लागू करना और दिवालियापन का समाधान करना।

- भारत का प्रदर्शन: विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय करने में आसानी में भारत की रैंक 2014 में 142 से सुधर कर 2019 में 63 हो गई है।

रैंकिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी?

- कई देशों ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बाजार अनुकूल नीतियों का संकेत देने के लिए बेहतर रैंकिंग प्रदर्शित की है।
- भारत सरकार ने आधिकारिक श्रम निरीक्षण प्रणालियों को समाप्त करके और नियोक्ताओं को स्व-नियमन रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति देकर श्रम विनियमों को कमजोर करने के लिए सूचकांक को हथियार बनाया।

भारत में "व्यापार करने में आसानी" में सुधार के लिए अब तक उठाए गए कदम:

- पुराने कानूनों और प्रक्रियाओं को कम करना
- डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिक-राज्य इंटरफेस को न्यूनतम करना।
- स्थानीय निकायों तक उप-राष्ट्रीय स्तर पर नौकरशाही विवेक को कम करना।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग।
- राज्यों पर दबाव बनाना: उदाहरण के लिए, राज्यों द्वारा अतिरिक्त उधारी को राज्य स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने से जोड़ा गया था।
- विभिन्न कानूनों के अंतर्गत व्यवसायों द्वारा पंजीकरण और लाइसेंस को नवीनीकृत करने की आवश्यकता को समाप्त करना
- कम्प्यूटरीकृत केंद्रीय और यादृच्छिक निरीक्षण प्रणाली की स्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाद के वर्षों में एक ही निरीक्षक किसी इकाई को नहीं सौंपा गया है।
- निरीक्षणों से पहले व्यवसायों को पूर्व सूचना दी जानी थी, और रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर अपलोड की जानी थी।

टिप्पणी

- अपने 2018 और 2020 संस्करणों (क्रमश: 2017 और 2019 में प्रकाशित) में 'डेटा विसंगतियों' और बैंक कर्मचारियों से जुड़ी 'नैतिक समस्याओं' की जांच के बाद, विश्व बैंक ने घोषणा की कि वह 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' प्रकाशित करना बंद कर देगा।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स' का उप-सूचकांक नहीं है? (2019)

(*a*) कानून और व्यवस्था का रखरखाव

(*b*) करों का भुगतान

(*c*) संपत्ति का पंजीकरण

(*d*) निर्माण परमिट से निपटना

व्यापार करने में आसानी 2-0

- अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग कार्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार के संकल्प को व्यक्त किया।
- उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाल के वर्षों में, 25,000 से अधिक अनुपालन आवश्यकताओं को कम कर दिया गया और 1,486 केंद्रीय कानूनों को निरस्त कर दिया गया।
- व्यापार करने में आसानी 2.0 सुनिश्चित करने के लिए बजट में निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया गया है:
- विश्वास-आधारित शासन और प्रबंधन एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां कर्मचारी सही निर्णय लेने के लिए अपनी विशेषज्ञ क्षमता का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं और अपनी विशेषज्ञता का अधिकतम प्रभाव के लिए उपयोग करते हैं, न कि रिपोर्टिंग और नियंत्रण प्रणाली द्वारा भारित होने के बजाय
- आईटी पुलों के माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तरीय प्रणालियों का एकीकरण
- परिवेश पोर्टल के दायरे का विस्तार
- भूमि के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या का अभिलेख।
- कंपनियों के स्वैच्छिक समापन की सुविधा के लिए सी-पेस की स्थापना
- आद्योपांत ऑनलाइन ई-बिल प्रणाली और सरकारी खरीद में जमानत बांड का उपयोग।
- एवीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स
- पीएलआई योजना के तहत 5जी को समर्थन
- उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास को खोलना

श्रम कानून सुधार : श्रम संहिता

- भारत में श्रम विनियमों में अपनी पसंद के काम का अधिकार, भेदभाव के खिलाफ अधिकार, बाल श्रम का निषेध, काम की न्यायोचित और मानवीय स्थितियां, सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी की सुरक्षा, शिकायतों का निवारण, ट्रेड यूनियनों को संगठित करने और बनाने का अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी और प्रबंधन में भागीदारी।

श्रम से संबंधित विभिन्न प्रावधान: संवैधानिक प्रावधान

- भारत के संविधान के अंतर्गत, श्रम समवर्ती सूची में है। इस प्रकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को केंद्र के लिए आरक्षित कुछ मामलों के अधीन कानून बनाने का अधिकार है।
  - अनुच्छेद 16: यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर के अधिकार की बात करता है।
  - अनुच्छेद 39(सी): यह निर्दिष्ट करता है कि आर्थिक व्यवस्था का परिणाम धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण में नहीं होना चाहिए जिससे पूरे समाज को नुकसान हो।

न्यायिक प्रावधान-

- रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'भले ही श्समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, यह एक लक्ष्य है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39 (सी) के माध्यम से प्राप्त किया जाना है।
- विधायी प्रावधान: हाल ही में सरकार ने 4 श्रम संहिताओं के समेकित सेट बनाए। ये श्रम संहिताएं हैं:-

1. मजदूरी संहिता, 2019- यह संहिता मजदूरी, ओवरटाइम, बोनस, न्यूनतम मजदूरी आदि के भुगतान से संबंधित मौजूदा श्रम कानूनों को सरल बनाने पर केंद्रित है। संहिता की धारा 3 (1) यह प्रावधान करती है कि कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान कार्य के संबंध में कर्मचारी के लिंग के आधार पर वेतन भुगतान में कोई भेदभाव नहीं होगा।
2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 - औद्योगिक संबंध संहिता 2020 औद्योगिक कंपनी में ट्रेड यूनियनों या वार्ता परिषदों पर बातचीत के लिए एक नई अवधारणा प्रदान करती है। वर्णित प्रावधान के अनुसार: औद्योगिक कंपनी में एकल संघ के मामले में, नियोक्ता उस संघ को श्रमिकों के एकमात्र सौदेबाजी संघ के रूप में मान्यता देता है।
3. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन और समेकन करना है, जिसका व्यापक लक्ष्य सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना है, भले ही वे संगठित या असंगठित क्षेत्र से संबंधित हों।
4. व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी स्थिति संहिता, 2020- व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यकारी स्थिति संहिता, 2020 किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी स्थिति को विनियमित करने वाले कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक संहिता है। यह अधिनियम 13 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह लेता है।

श्रम संहिताओं के लाभ/महत्व क्या हैं?

- असंगठित श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और समय पर मजदूरी के भुगतान के अधिकार का सार्वभौमीकरण।
- पेश की गई राष्ट्रीय फ्लोर वेज की अवधारणा न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता को कम करेगी।
- सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र- इससे औपचारिकता को बढ़ावा मिलेगा।
- व्यवसायजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संहिता 10 से कम श्रमिकों की सीमा के साथ खतरनाक प्रकृति के काम में लगे प्रतिष्ठानों पर भी लागू होती है।
- प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी लाभों की सुवाह्यता..
- गिग श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना।
- सभी व्यवसायों को महिलाओं के लिए खोल दिया गया है और सुरक्षा उपायों के साथ रात में काम करने की अनुमति दी गई है।
- असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष का प्रावधान
- जटिल कानूनों का समेकन और सरलीकरण।
- संहिताएँ एकल लाइसेंस तंत्र प्रदान करती हैं। यह लाइसेंसिंग तंत्र में ठोस सुधार लाकर उद्योगों को बढ़ावा देगा।
- औद्योगिक विवादों से निपटने वाले पुराने कानूनों को सरल बनाना और अधिनिर्णय प्रक्रिया को नया रूप देना, जो विवादों के शीघ्र समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- इन सुधारों से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भारत में व्यापार करने में आसानी होगी।

श्रम संहिता से संबंधित मुद्दे:

- चूंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र और राज्यों दोनों को कानून और नियम बनाने पड़ते हैं और इससे उनके कार्यान्वयन में अवांछित विलंब होता है क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

- यह 300 से कम श्रमिकों वाले छोटे प्रतिष्ठानों में श्रमिकों के श्रम अधिकारों को कम करेगा और कंपनियों को श्रमिकों के लिए मनमानी सेवा शर्तों को लागू करने में सक्षम करेगा।
- यह आरोप लगाया गया है कि नए श्रम कोड अनौपचारिक श्रमिकों की आय क्षमता और क्रय शक्ति में वृद्धि करके मुद्रास्फीति या भुखमरी को और बढ़ा सकते हैं।
- मसौदा नियम अनिवार्य करते हैं कि सभी श्रमिकों (आधार कार्ड के साथ) को किसी भी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए श्रम सुविधा पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है। इससे कई श्रमिकों का आधार-संचालित बहिष्करण होगा।
- कोड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के श्रमिकों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे, जो प्रवासी श्रमिकों, स्व-नियोजित श्रमिकों, गृह-आधारित श्रमिकों और अन्य कमजोर समूहों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रूप से हैं।
- संहिता सामाजिक सुरक्षा को एक अधिकार के रूप में महत्व नहीं देती है।

आगे की राह

- इन नए नियमों को लागू करने के लिए, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन कानूनों को तैयार करना और अधि सूचित करना होगा, जो अभी तक नहीं किया गया है।
- प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। श्रम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बढ़ी हुई जनशक्ति, बेहतर बुनियादी ढांचा आवश्यक है।
- श्रम प्रशासन के लिए अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए जो श्रम प्रशासन के क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगा।
- 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का मार्ग कई बाधाओं से घिरा हुआ है, जिनमें से एक विभिन्न श्रमिक मुद्दे हैं। सरकार इन श्रम सुधारों को लागू करने की कोशिश कर रही है।

औद्योगिक क्षेत्र के वर्तमान मुद्दे

- कुशल बुनियादी ढाँचे और जनशक्ति की कमी: वैश्विक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए परिवहन जैसी उच्च तकनीक वाली बुनियादी ढाँचे के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होती है।
- दूरसंचार संचार सुविधाएं मुख्य रूप से दिल्ली मुंबई आदि जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित हैं
- अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं।
- रेल परिवहन पर अत्यधिक बोझ है जबकि सड़क परिवहन में अनेक प्रकार की समस्याएँ हैं।
- मध्यम और बड़े पैमाने के औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की तुलना में एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट सुविधा तक पहुंच का अभाव है और कार्यशील पूंजी की क्रेडिट लागत अधिक है। इस विसंगति को दूर करना होगा।
- परिवहन उपकरण, मशीनरी (विद्युत और गैर-विद्युत), लोहा और इस्पात, कागज, रसायन और उर्वरक, प्लास्टिक सामग्री आदि के लिए विदेशी आयात पर भारत की निर्भरता।
- उद्योगों का अनुचित स्थान आधार, कई उदाहरणों में, उद्योग लागत प्रभावी बिंदुओं के संदर्भ के बिना स्थापित किए गए थे लेकिन राजनीति से प्रेरित हैं।
- विकास के समाजवादी पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नुकसान।
- लालफीताशाही और तनावपूर्ण श्रम-प्रबंधन संबंधों की विशेषता अप्रभावी नीति कार्यान्वयन, अधिकांश पीएसयू घाटे में चल रहे हैं। हर साल सरकार को इस नुकसान की भरपाई करने और कर्मचारियों को वेतन देने के दायित्वों को पूरा करने के लिए भारी खर्च करना पड़ता है।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए योजनाएँ तथा पहल

- उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन (पीएलआई) - ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, सौर मॉड्यूल, धातु और खनन, कपड़ा और परिधान, सफेद सामान, ड्रोन, और जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्नत रसायन शास्त्र सेल बैटरी आदि।
- पीएम गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान - पीएम गति शक्ति योजना में 16 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियोजित और शुरू की गई ढांचागत पहलों को एकजुट करने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल की परिकल्पना की गई है। गतिशक्ति का लक्ष्य लॉजिस्टिक लागत में कटौती, कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि और टर्नअराउंड समय को कम करना है।
- भारतमाला परियोजना - भारतमाला परियोजना उत्तर पूर्व भारत में संयोजकता में सुधार के लिए भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है।

- आत्मनिर्भर भारत अभियान - भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए। आत्म निर्भर भारत मूल रूप से भारत में महामारी कोविड-19 के समय तैयार किया गया शब्द है। यह वास्तव में हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि है कि स्थानीय स्तर पर सभी अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन शुरू करके भारत और भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना है।

आगे का रास्ता

- सार्वजनिक निवेश को बढ़ाना और पीपीपी परियोजनाओं का निर्माण करना जिससे औद्योगिक क्षेत्र की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
- ढांचागत बाधाओं को दूर करने से मध्यम से दीर्घावधि में औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन बढ़ेगा।
- भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का इष्टतम उपयोग इसकी पूर्ण विनिर्माण क्षमता प्राप्त कर सकता है क्योंकि यह अपने जनसांख्यिकीय लाभांश से लाभान्वित होना चाहता है।
- औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को मजबूत करने की जरूरत है।
- मध्यम से दीर्घ अवधि में, दोहरे अंकों में उत्पादन वृद्धि को बनाए रखने और कोर सेक्टर की कमजोरियों को कम करने के लिए, बहुआयामी सुधारों के एक और दौर को शुरू करने के लिए एक प्रभावी औद्योगिक नीति ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है।

❖ ❖ ❖

30 सेवा क्षेत्र

- सेवा क्षेत्र, जो उपभोक्ताओं को संचार से लेकर परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा और पर्यटन तक सभी सेवाएं प्रदान करने से संबंधित है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे गतिशील क्षेत्र बन गया है।
- **मोटे तौर पर सेवा क्षेत्र में शामिल हैं:** बीमा, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं और वित्तीय सेवाएं, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, भंडारण और प्रसारण सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं।

सेवा क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र

संघ सूची	• दूरसंचार, डाक, प्रसारण, वित्तीय सेवाएं (बीमा और बैंकिंग सहित), राष्ट्रीय राजमार्ग, खनन सेवाएं।
राज्य सूची	• स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित सेवाएं, रियल एस्टेट सेवाएं, खुदरा, कृषि से संबंधित सेवाएं, शिकार और वानिकी
समवर्ती सूची	• व्यावसायिक सेवाएं, शिक्षा, मुद्रण और प्रकाशन, विद्युत

सेवा क्षेत्र का महत्व

- एक अग्रिम अनुमान के अनुसार, सेवा क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन यानी जीवीए में 53% हिस्सा है। इसलिए यह सकल मूल्य संवर्धन यानी जीवीए का एक प्रमुख हिस्सा है।
- 12 राज्यों में उनकी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का प्रमुख योगदान है । इन राज्यों में सेवा क्षेत्र राज्यों के कुल सकल मूल्य संवर्धन में 50% से अधिक का योगदान देता है।
- सेवा क्षेत्र ज्यादातर संगठित क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्रदान करता है।
- सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के कल्याण के लिए सरकार को कम प्रयास करने की जरूरत है ।
- सेवा क्षेत्र कुल विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह का लगभग 54% है।
- भारत में अधिकांश स्टार्ट-अप सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं।
- सेवा क्षेत्र के निर्यात में भारत की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। यह वाणिज्यिक सेवाओं में शीर्ष दस व्यापारिक देशों में आता है। वित्त वर्ष 2021 में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कुल जीवीए का 54% था।
- सेवा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है और इसकी श्रम उत्पादकता सबसे अधिक है।

सेवा क्षेत्र की उच्च वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक

- **मांग की उच्च आय लोच:** यह देखा गया है कि सेवाओं के लिए मांग की आय लोच एक से अधिक है। इसलिए, आय में वृद्धि के साथ, वस्तुओं की मांग की तुलना में सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ती है।
- **संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन:** अर्थव्यवस्था में तकनीकी और संरचनात्मक परिवर्तनों ने इसे आउटसोर्सिंग के लिए एक आकर्षक साधन बना दिया है, इस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है।
- **आईटी क्रांति:** आईटी क्रांति के आगमन के साथ, उचित दर पर लंबी दूरी तक सेवाएं प्रदान करना संभव हो गया है। इस प्रकार, दुनिया भर में सेवा व्यापार में वृद्धि हुई है, जिसका लाभ भारत को भी मिल रहा है।
- **1991 के आर्थिक सुधार:** 1991 के आर्थिक सुधारों ने विनिर्माण उद्योग की मांग में वृद्धि की, जिससे सेवा क्षेत्र को भी लाभ हुआ। वित्तीय सेवाओं के उदारीकरण ने वित्तीय सेवाओं के विकास को बढ़ावा दिया। अवसंरचना के कुछ क्षेत्रों में सुधारों ने भी सेवाओं के उच्च विकास में योगदान दिया।

चैंपियन सेवा क्षेत्र

- चैंपियन सेवा क्षेत्र उन **12 चिन्हित क्षेत्रों को संदर्भित करता है** जहां सरकार उनके विकास को बढ़ावा देने और उनकी क्षमता का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है।

- इनमें सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, चिकित्सा मूल्य यात्रा, परिवहन और उपस्कर सेवाएं, लेखा और वित्त सेवाएं, दृश्य श्रव्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, पर्यावरण सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ और शिक्षा सेवाएँ शामिल हैं। ।
- चौंपियन क्षेत्रों की क्षेत्रीय कार्य योजनाओं के लिए पहल का समर्थन करने के लिए 5000 करोड़ रुपये के एक समर्पित कोष की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
- उद्देश्य: इस पहल से भारत के सेवा क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है जिससे भारत में नौकरियों के अधिक अवसर पैदा होंगे, उच्च जीडीपी में योगदान बढ़ेगा और वैश्विक बाजारों में सेवाओं का निर्यात होगा।

पृष्ठभूमि

- सचिवों के समूह ने प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिशों में दस चौंपियन क्षेत्रों की पहचान की थी, जिसमें सात (7) विनिर्माण-संबंधित क्षेत्र और तीन (3) सेवा क्षेत्र शामिल थे, ताकि उनके विकास को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी क्षमता का उपयोग किया जा सके।
- बाद में यह निर्णय लिया गया कि 'मेक इन इंडिया' के लिए नोडल विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), विनिर्माण क्षेत्र में चैंपियन क्षेत्रों के लिए पहल की अगुवाई करेगा और वाणिज्य विभाग सेवाओं में चौंपियन क्षेत्र के लिए प्रस्तावित पहल का समन्वय करेगा।
- तदनुसार, वाणिज्य विभाग ने व्यापक हितधारक परामर्श के साथ कई सेवा क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक क्षेत्रीय सुधार योजनाओं के मसौदे की तैयारी और बाद में कार्य योजना का समन्वय किया।

चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना

- यह वाणिज्य विभाग की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। चौम्पियन सेवा क्षेत्र योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-
- घरेलू विनियामक सुधार, कौशल विकास, डेटा संरक्षण व्यवस्था आदि सहित क्षेत्रीय और क्रॉस-कटिंग मुद्दे।
- वैश्विक बाजार में भारत के सेवा क्षेत्र को अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति खोने से रोकने के लिए नई पहल।
- चैंपियन सेवा क्षेत्रों की बढ़ी हुई उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता घरेलू सेवा क्षेत्रों द्वारा योगदान किए गए सकल मूल्य संवर्धित सेवाओं को बढ़ाएगी।
- यह भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देगा।
- कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सृजन।
- चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना **(CSSS)** के तहत 3-5 वर्षों (2019-20 से 2023-24) के लिए कुल 3369.75 करोड़ रुपये की राशि को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, तीन स्तरीय निगरानी तंत्र है, अर्थात्-
  1. संबंधित मंत्रालय/विभाग,
  2. वाणिज्य विभाग और
  3. कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति।

सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति (आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22):

- बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ बीमा क्षेत्र का देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 7% का योगदान है।
- 2021 में, भारत की जीवन बीमा पहुंच लगभग 3% थी, जबकि गैर-जीवन बीमा पहुंच 1% थी। उद्योग के लिए समग्र पैठ 4% से अधिक थी।
- भारत में बीमा घनत्व 2001 में 11.5 डॉलर से बढ़कर 2021 में 59 डॉलर हो गया ।
- बीमा उद्योग एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा, इसके बाद
- खुदरा ऋण और सेवा क्षेत्र रहे।
- भारत के सेवा निर्यात ने 254.4 बिलियन अमरीकी डालर का नया रिकॉर्ड बनाया।
- मार्च 2022 में सेवाओं का निर्यात 26.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- भारत का सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विकास का इंजन बना हुआ है और वित्त वर्ष 22 में मौजूदा कीमतों पर भारत के सकल मूल्य संवर्धन में 53% का योगदान देता है (अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जनवरी 2022 तक)।

पर्यटन क्षेत्र:

- भारत विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, विश्व स्तरीय पर्यटक आकर्षण और विशेष यात्रा सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें इको-टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म आदि शामिल हैं।
- भारत का पर्यटन क्षेत्र एक महत्वपूर्ण आर्थिक गुणक है और तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि देश तेजी से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रयास कर रहा है।
- 2020-21 में, भारत ने विदेशी पर्यटकों के आगमन की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई।
- जनवरी से जून 2020 की अवधि के लिए छात्र पर्यटन से भारत की विदेशी मुद्रा आय 6.96 बिलियन डॉलर तथा विदेशी पर्यटकों के आगमन से 2.74 मिलियन डॉलर रही (आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22)।
- 2021 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत 54 वें स्थान पर है।
- शीर्ष 5 देश जिनके नागरिकों ने 2019 में भारत का दौरा किया (घटते क्रम में) बांग्लादेश, अमरीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा हैं।
- घरेलू पर्यटकों की अधिकतम संख्या को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्य (घटते क्रम में) उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु , आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।
- विदेशी पर्यटकों की अधिकतम संख्या को आकर्षित करने वाले शीर्ष 5 राज्य (घटते क्रम में) तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल हैं।

यात्रा और पर्यटन सूचकांक

- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी विश्व यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक।
- यह द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित होता है।
- यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट और सूचकांक 140 अर्थव्यवस्थाओं की यात्रा और पर्यटन (टी एंड टी) प्रतिस्पर्धात्मकता को मापता है।
- 140 अर्थव्यवस्थाओं को चार उप-सूचकांकों में स्थान दिया गया है:
  - अनुकूल वातावरण,
  - यात्रा और पर्यटन नीति और अनुकूल परिस्थितियां,
  - अवसंरचना
  - प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन
- 2021 में भारत यात्रा और पर्यटन सूचकांक में 54 वें स्थान पर है।

विश्व पर्यटन दिवस

- 1980 से27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- 1970 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) की सांविधियों को अपनाया गया था, जिन्हें वैश्विक पर्यटन में मील का पत्थर माना जाता है।
- यूएनडब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो दुनिया में जिम्मेदार, संधारणीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
- विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम 'रिथिंकिंग टूरिज्म' है।

विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद

- विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) यात्रा और पर्यटन उद्योग के लिए एक मंच है।
- यह 1990 में स्थापित एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन है।
- इसका मुख्यालय लंदन (यूके) में स्थित है
- विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद के अनुसार 2022 में यात्रा और पर्यटन 8.6 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन

- यूएनडब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करती है।
- इसकी स्थापना 1974 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में स्थित है।
- 1975 में भारत इसका सदस्य बना।
- भारत में यूएनडब्ल्यूटीओ के साथ काम करने वाली नोडल एजेंसी पर्यटन मंत्रालय है।
- यूएनडब्ल्यूटीओ हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस समारोह का नेतृत्व करता है।

धर्मशाला घोषणा पत्र 2022

- हाल ही में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में 'धर्मशाला घोषणापत्र 2022' जारी किया गया।

क्या आप जानते हैं?

- भारत की सुंदरता की सराहना करने और पर्यटन के महत्व और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन सेवाएं

- भारत में आईटी-बीपीएम उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 8% है। यह उद्योग निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो 39 लाख लोगों को रोजगार देता है।
- भारत में 1.23 बिलियन मोबाइल फोन और 7,705 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। भारत में डेटा की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे सस्ती है।
- अनुमान है कि भारत में 500 मिलियन से अधिक लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं, और उनमें से तीन-चौथाई ऑनलाइन हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा ऐप्स डाउनलोड करने वालों में भारतीय भी हैं।
- भारत में दुनिया में टेलीफोन कनेक्शन की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।
- भारत 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब है।
- आईटी हार्डवेयर का उत्पादन 4 वर्षों में 3 ट्रिलियन रुपये मूल्य तक पहुंचने का अनुमान है और अगले 5 वर्षों में घरेलू मूल्य संवर्धन वर्तमान 5-10 प्रतिशत से बढ़कर 20-25 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अप्रैल 2021 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह के लगभग 24% हिस्से के साथ शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभरा है।

संयोजन

- सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (आईटी-बीपीएम) क्षेत्र के चार उप-क्षेत्र इस प्रकार हैं:
  1. आईटी सेवाएं (51.1%)
  2. सॉफ्टवेयर उत्पाद और इंजीनियरिंग सेवाएं (20.8%)
  3. व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (19.8%)
  4. हार्डवेयर (8.3%)

हाल के रुझान

- नेस्कॉम के अनंतिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 के दौरान आईटी-बीपीएम राजस्व (ई-कॉमर्स को छोड़कर) 2.26% की वृद्धि के साथ 1.38 लाख कर्मचारियों को जोड़कर 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- 2018 में भारत के आईटी-बीपीएम उद्योग में 34% से अधिक महिला कार्य बल था।
- नेस्कॉम के अध्ययन के अनुसार, भारत स्टार्ट-अप के लिए चीन और अमरीका के ठीक पीछे तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरा है।

भारत बीपीओ प्रोत्साहन योजना:

- यह योजना 2014 में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य देश में बीपीओ के संचालन क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है।
- भारत का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक स्वायत्त एजेंसी योजना की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है।
- इस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति और एंजेल टैक्स से संबंधित मुद्दों को हल करने जैसी विभिन्न नीतियों को पेश किया गया है।

संचार क्षेत्र

- संचार सेवा को संदेशों के प्रसारण के रूप में परिभाषित किया गया है, विशेष रूप से उपग्रह संचार और मोबाइल प्रौद्योगिकी के सूचना विकास को भेजने और प्राप्त करने के कारण इस क्षेत्र को प्रमुखता मिली है।

दूरसंचार क्षेत्र:

- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है।
- 31 अक्टूबर 2020 तक देश में कुल ग्राहक आधार 1151.81 मिलियन था। वायरलेस बाजार में कुल ग्राहक आधार का 98.29% हिस्सा था।
- कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या 44.95% थी।
- इंटरनेट ग्राहकों के मामले में भी भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है।
- दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है।
- 2021 में भारत में दूरसंचार क्षेत्र में लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह देखा गया।
- भारत में दूरसंचार उद्योग जुलाई 2022 तक 1.17 बिलियन के ग्राहक आधार के साथ दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत में कुल टेली-घनत्व 85.11% है, जिसमें से, ग्रामीण बाजार का टेली-घनत्व, जो काफी हद तक अप्रयुक्त है, 58.37% है, जबकि शहरी बाजार का टेली-घनत्व 134.78% है।
- आयकर के बाद दूरसंचार सरकार के लिए दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जक है।
- उदाहरण के लिए, दूरसंचार क्षेत्र में निवेश में प्रत्येक 10% की वृद्धि से भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 3.2% की वृद्धि होती है।

उपस्कर क्षेत्र

- अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं के उपभोग की माँगों के लिए भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता होती है।
- **उपस्कर क्षेत्र की संरचना**- इसमें दो क्षेत्र शामिल हैं।
- **परिवहन**- यह इलाके, व्यापार के तरीके, कच्चे माल आदि पर निर्भर करता है।
- **वेयरहाउसिंग**- उपस्कर नोड्स के रूप में कार्य करना। ई-कॉमर्स उद्योग का एक बड़ा हिस्सा वेयरहाउस मॉडल पर कार्य कर रहा है।

क्षेत्र के सामने चुनौतियां

1. बड़ा असंगठित क्षेत्र
2. एक कम विकसित सामग्री हैंडलिंग अवसंरचना
3. ईंधन की उच्च लागत
4. माल की निर्बाध आवाजाही की कमी।

हाल में की गई पहलें

- उपस्कर क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा दिया गया है
- मल्टीमॉडल उपस्कर पार्क के निर्माण को मिली मंजूरी
- पूरे देश में निर्बाध आवाजाही के लिए जीएसटी शासन के तहत ई-बे बिल का कार्यान्वयन।
- फास्टट्रैक और आरएफआईडी के साथ ई-वे बिल को भी एकीकृत किया गया है।
- सरकार ने राष्ट्रीय उपस्कर उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया।
- यह पुरस्कार समेकन प्रक्रिया मानकीकरण तकनीकी उन्नयन डिजिटल परिवर्तन और टिकाऊ प्रथाओं सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करेगा।
- केंद्र सरकार ने उपस्कर लागत को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और निष्पादन के उद्देश्य से मल्टीमॉडल संपर्क योजना के लिए गति शक्ति योजना या राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया है।

बंदरगाह और शिपिंग सेवाएं

- जनवरी 2021 तक भारतीय कंपनियों के स्वामित्व वाले जहाजों की कुल संख्या 1453 है, जिसमें लगभग 40% की वृद्धि हुई है जैसा कि यह 2010 में 1040 थी।
- प्रारंभ में भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह थे हालांकि पोर्ट ब्लेयर जिसे 2010 में एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया था, हाल ही में उस स्थिति से हटा दिया गया है। इस प्रकार मार्च 2021 तक भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जिनमें से पारादीप, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कांडला (दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट उच्चतम कार्गो क्षमता वाले बंदरगाह हैं।
- फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन महाराष्ट्र में 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना को मंजूरी दी।
- क्षेत्र में दक्षता अक्सर जहाजों के टीएटी (टर्न अराउंड टाइम) द्वारा इंगित की जाती है, जो 2010-11 से 2019-20 में 2.6 2 दिन लगभग आधी हो गई है। औसत टीएटी विश्व स्तर पर 0.97 दिन है।

टीएटी क्या है?

- यह वह समय है जो एक जहाज के आगमन और उसके प्रस्थान के बीच लगता है, जिसे टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) कहा जाता है, जहाज के टर्नअराउंड टाइम का उपयोग पोर्ट संचालन की दक्षता को मापने के लिए किया जाता है।
- सबसे अधिक टर्न अराउंड टाइम कोलकाता बंदरगाह का 3.09 दिन है जबकि कोचीन का टर्न अराउंड टाइम सबसे कम 1.66 दिन है। टीएटी को कम किया जाए तो बेहतर रहेगा।

सेवा क्षेत्र में वर्तमान चुनौतियां

1. **महामारी का प्रभाव:** भारत के सेवा क्षेत्र विशेष रूप से पर्यटन, विमानन और आतिथ्य जैसे उप-क्षेत्रों को **COVID** के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ा झटका लगा।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान, सेवा क्षेत्र में लगभग 16 प्रतिशत की कमी आई। यह गिरावट सभी उप-क्षेत्रों विशेष रूप से 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं' में तीव्र संकुचन के कारण हुई।
2. **विमुद्रीकरण का प्रभाव :** अन्य क्षेत्रों की तरह ही विमुद्रीकरण ने सेवा क्षेत्र को अस्थायी रूप से प्रभावित किया।
3. **सेवाओं में रोजगार:** रोजगार सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्र की हिस्सेदारी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया है और आवश्यक नौकरियों की संख्या या गुणवत्ता उत्पन्न नहीं कर पाया है।
4. **नीति का अभाव:** समावेशी विकास के लिए कोई नीति नहीं है, और कई, असंगठित शासी निकाय क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
5. कई नियम पुराने हो चुके हैं, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध और बाधाएं हैं। घरेलू विनियम और सेवा व्यापार प्रतिबंध भी हैं।
6. **बाजार पहुंच बाधाएं:** भारत के व्यापारिक साझेदार देशों में बाजार तक पहुंचने में कई बाधाएं हैं। उनमें से कुछ प्रमुख सेवाओं के लिए पेशेवरों के लिए विभिन्न देशों में वीजा मुद्दे शामिल हैं; पेशेवर सेवा आपूर्तिकर्ताओं का लाइसेंस।

सरकार की पहलें

1. **संरचनात्मक सुधार:** वर्ष 2020-21 कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए गए।

   अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया गया, आईटी-बीपीओ क्षेत्र से दूरसंचार संबंधी नियमों को हटा दिया गया और ई-कॉमर्स के लिए उपभोक्ता संरक्षण नियमों को प्रस्तुत किया गया।

2. **स्वास्थ्य क्षेत्र:** अक्टूबर 2021 में, भारत के प्रधानमंत्री ने नागरिकों के बीच किफायती स्वास्थ्य उपचार की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 157 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी। भारत सरकार ने प्राथमिक स्तर पर कैंसर, मधुमेह आदि बीमारियों का सस्ता इलाज और जांच कराने के लिए 1,50,000 आयुष्मान स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए हैं।

3. **प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना:** अक्टूबर 2021 में, सरकार ने भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की। यह दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के आयात के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा।

4. **महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप:** केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, दो साल की लंबी फैलोशिप की कल्पना युवा, गतिशील व्यक्तियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए और जमीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाने में योगदान करने के लिए की गई थी।

5. **पीएमकेवीवाई 3.0:** कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने जनवरी 2021 में अपनी प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई 3.0 के तीसरे चरण की शुरुआत की। पीएमकेवीवाई 3.0 को पीएमकेवीवाई 1.0 और पीएमकेवीवाई 2.0 से मिली सीख को शामिल करके राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और जिलों में अधिक जिम्मेदारी और समर्थन के साथ अधिक विकेंद्रीकृत संरचना में लागू किया जाएगा।

6. **राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान:** भारत सरकार ने 2022 तक सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान शुरू किया है।

7. **भारतनेट परियोजना:** दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भारतनेट परियोजना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (पीपीपी) को लागू करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ प्री-बिड मीटिंग शुरू कर दी है।

8. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** सितंबर 2021 में, सेवाओं में एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) के अवसरों पर चर्चा करने के लिए भारत और इंग्लैंड 11वें आर्थिक और वित्तीय संवाद (ईएफडी) में शामिल हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया 5ळ दूरसंचार नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर-सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यापक आधार सहयोग पर सहमत हुए।

आगे की राह

- **सहायक बुनियादी ढाँचा:** बड़े पैमाने पर निरंतर निवेश की क्षमता और आवश्यकता को देखते हुए भारत को सेवा उद्योग के विकास पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। निवेश की आमतौर पर लंबी अवधि होती है। हालाँकि, एक बार बुनियादी ढांचा तैयार हो जाने के बाद, शेष अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव कई महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।
- **घरेलू नियमों में सुधार:** ये घरेलू उत्पादन और सेवाओं के निर्यात दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, घरेलू विनियमों को प्रतिबंधात्मक व्यापार बाधाओं के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए या उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- **कौशल विकास:** सेवा क्षेत्र में अकुशल/अर्धकुशल रोजगार और कुशल और गुणवत्तापूर्ण रोजगार दोनों को बढ़ाने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। कौशल भारत पहल को सेवा क्षेत्र के रोजगार के लिए और अधिक जोड़ा जा सकता है।
- **आईटी से आगे बढ़ने पर ध्यान:** बोझ केवल आईटी क्षेत्र पर नहीं हो सकता है, जो वर्तमान में कुल सेवा निर्यात का लगभग 55 प्रतिशत योगदान देता है। स्पष्ट रूप से, अन्य क्षेत्रों को तालिका में घातीय वृद्धि लानी होगी।
- **ट्रिपल इंटरनेशनल का आगमन और भारत को इसमें शामिल होने के लिए तैयार करना:** सरकार को बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एक क्रैश कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है।
- सरकार विनिर्माण क्षेत्र में ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष कराधान सहित **आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करती है।** सेवा क्षेत्रों के लिए, विशेष रूप से होटल, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों के निर्माण में विदेशी मुद्रा को आकर्षित करने वाले क्षेत्रों पर जोर देने के साथ एक ही खाका शुरू किया जाना चाहिए।

- **प्रोत्साहन सेवा क्षेत्र:** उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी एक समान योजना के साथ एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रिया है जो कैपेक्स निवेश को सुनिश्चित करती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है और रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसे आतिथ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में कैपेक्स की पर्याप्त गुंजाइश वाली सेवाओं के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. आम तौर पर देश कृषि से उद्योग और फिर बाद में सेवाओं क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं, लेकिन भारत सीधे कृषि से सेवाओं क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है। देश में उद्योग की तुलना में सेवाओं की भारी वृद्धि के क्या कारण हैं? क्या मजबूत औद्योगिक आधार के बिना भारत एक विकसित देश बन सकता है? (2014)

❖ ❖ ❖

31 भारत में आर्थिक सुधार

- आर्थिक सुधारों के संबंध में आम धारणा यह है कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत जहाँ सरकार की भूमिका में कमी आती है वहीं निजी क्षेत्र की भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। यह एक अर्थव्यवस्था के भीतर एक विकास रणनीति से दूसरी में एक नीतिगत बदलाव को दर्शाता है।

विकास रणनीतियों के विभिन्न प्रकार

योजना मॉडल

- इस मॉडल में, सरकार आंशिक रूप से या पूरी तरह से केंद्रीकृत तरीके से अर्थव्यवस्था का स्वामित्व और निर्देशन कर सकती है।
- राज्य विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और निजी क्षेत्र की भूमिका सरकार द्वारा तय की जाती है।
- इस मॉडल के तहत अर्थव्यवस्था एक 'कमांड अर्थव्यवस्था' हो सकती है क्योंकि यह पूर्णत: सरकार के अधीन होती है। उदाहरण के लिए, पूर्व सोवियत संघ, 1980 के दशक तक का चीन और वर्तमान में उत्तर कोरिया कमांड अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं।
- इस मॉडल के तहत तेजी से विकास और सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करना संभव है।
- लेकिन यह मॉडल नवाचार और धन सृजन को प्रेरित नहीं करता है; जिसके बिना विकास अस्थिर हो सकता है।
- स्वतंत्र भारत की आर्थिक वृद्धि सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरित थी क्योंकि:
  - औपनिवेशिक शासन ने हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया था और निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य थी ।
    - दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक "पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इन्डिया" (Poverty and Un & British Rule in India)" में "धन की निकासी" शब्दावली का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है भारत से इंग्लैंड में आय का वह बहिर्वाह जिसके बदले भारत को वांछित रिटर्न नहीं मिला।
    - बाद में आरसी दत्ता और अन्य इतिहासकारों ने "आर्थिक निष्कासन" शब्द का इस्तेमाल किया।
  - यू.एस.एस.आर. ने नियोजन **(planning)** मॉडल के साथ प्रयोग किया और सफलता प्राप्त की। हमारे नेता भी इससे प्रभावित हुए।
  - इसने राज्य को अधिक न्यायसंगत और सतत तरीके से धन का पुनर्वितरण करने का एक तरीका प्रदान किया।
  - पूंजीवाद के साथ बुरे अनुभव और नेताओं के समाजवाद के प्रति झुकाव ने नियोजन मॉडल को अपनाने हेतु प्रेरित किया।

वाशिंगटन आम सहमति

- विकास की अवधि के बाद, योजना मॉडल ने ठहराव के संकेत दिखाना शुरू कर दिया। साथ ही इसकी कमजोरियां भी उजागर होने लगीं।
- 1980 के दशक के अंत तक (तब यू.एस.एस.आर. का पतन भी हो चुका था); विकास की एक नई रणनीति उभरी। यह एक पुराने विचार के पुनरुद्धार पर आधारित था।
- वाशिंगटन आम सहमति ने **बाजार के नेतृत्व वाली शक्तियों की अधिक भूमिका और सरकार की कम भूमिका** को बढ़ावा दिया।
- नियोजित अर्थव्यवस्था मॉडल का पालन करने वाली सरकारों (ज्यादातर विकासशील और समाजवादी देश) को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों को बेचने का आग्रह या सुझाव दिया गया था।
- ऐसे उपाय सुझाए गए जो बाजार में मांग को बढ़ावा दे सकते हैं।
- इस आम सहमति का मोटे तौर पर तात्पर्य ष्आर्थिक सुधारष से था ।
- "आर्थिक सुधार" शब्द विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलने और एक सख्त विनियमित अर्थव्यवस्था से दूर जाने के उपायों को निहित करता है। (उदाहरण के लिए बजाज स्कूटर एक सीमा तक ही वाहनों का उत्पादन कर सकता था; भले ही मांग कितनी भी अधिक हो)।
- आई.एम.एफ. और विश्व बैंक से प्रभावित होकर सुधारों को लागू करने के लिए सरकार की घरेलू स्तर पर भारी आलोचना की गई थी।

- राज्य के हस्तक्षेप का मामला 1929 की महामंदी के बाद देखा गया था। इसने संकटों को कम करने में मदद की। वाशिंगटन सहमति ने एक विपरीत विकल्प प्रदान किया, यानी **राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप।**

मिश्रित अर्थव्यवस्था

- 1990 के दशक के मध्य तक, वाशिंगटन आम सहमति और नियोजित मॉडल को दो चरम सीमाओं के रूप में पहचाना गया था और यह पूरी तरह से स्वीकार किया गया था लेकिन यह दोनों ही अंतिम रणनीतियां नही थीं।
- इस मॉडल का एक अच्छा उदाहरण पूर्वी एशियाई देश (मलेशिया, सिंगापुर आदि) हैं। वे सरकारी हस्तक्षेप और निजी उद्यमी एवं बाजार की भूमिका का सही संतुलन बनाने में सफल रहे।
- पूर्वी एशियाई देशों ने गरीबी को कम करते हुए, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में वृद्धि और अन्य सामाजिक मानदंडों को बेहतर करते हुए आर्थिक रूप से विकास किया।
- इसमें **बाजार अर्थव्यवस्था के साथ-साथ राज्य के नेतृत्व वाली नियोजित अर्थव्यवस्था दोनों** देखी जाती हैं। यहां, अर्थव्यवस्था में राज्य की महत्वपूर्ण उपस्थिति है।
- यहां **बाजार की दक्षता और राज्य का कल्याण साथ-साथ काम** करता है।
- निजी क्षेत्र बाहरी और विदेशों से निवेश को आकर्षित कर सकता है जबकि राज्य धन का समान वितरण और सतत विकास सुनिश्चित कर सकता है।
- सरकार उन क्षेत्रों पर हावी है जो निजी क्षेत्र के लिए बहुत अधिक पूंजी गहन हैं या जिनका बेहद रणनीतिक महत्त्व है (रेलवे, रक्षा, परमाणु ऊर्जा आदि)।

आर्थिक सुधार लोकप्रिय हुए

- तकनीकी रूप से, उपरोक्त मॉडलों में से एक से दूसरे को अपनाने वाली अर्थव्यवस्था को ष्आर्थिक सुधारष कहा जाएगा। लेकिन ज्यादातर मामलों में ष्बाजार अर्थव्यवस्थाष की ओर नीतिगत बदलाव को आर्थिक सुधार कहा जाता है।
- चीन, रूस और पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देश ष्संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएंष थे जिन्हें एक नियोजन मॉडल को बाजार के नेतृत्व वाले मॉडल से बदलना पड़ा। उन्हें बाजार की शक्तियों और राज्य के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की जरूरत थी।
- भारत में, जब 1980 के दशक की शुरुआत में सुधार शुरू हुए; यह उदारीकरण, निजीकरण और विनियमन आदि के आसपास केंद्रित था । लेकिन विश्व व्यापार संगठन के तस्वीर में आने के साथ (1990 के दशक) फोकस भी वैश्वीकरण पर स्थानांतरित हो गया।
- इसके अलावा, **मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अन्य दो मॉडलों की तुलना में अधिक आकर्षक** हो गया।
- भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने एक रणनीति के रूप में योजना मॉडल के साथ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल का पालन किया।
- दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तरह भारत को भी दो ताकतों यानी बाजार और राज्य के बीच एक अनूठा संतुलन स्थापित करना था।

भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता

राजकोषीय और भुगतान संतुलन संकट की प्रतिक्रिया में; भारत ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। उन्होंने पूरे परिदृश्य और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को बदलने की मांग की।

- **सार्वजनिक क्षेत्र अक्षम था:** स्वतंत्रता के बाद पहले 40 वर्षों के लिए उनकी एक प्रमुख भूमिका थी। लेकिन अक्षम प्रबंधन के कारण; सार्वजनिक क्षेत्र को भारी नुकसान हो रहा था।
- **विदेशी मुद्रा संकट:** महत्वपूर्ण आयात (ईंधन, उर्वरक आदि) और ऋण के भुगतान के लिए रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहे थे । एक समय पर वे केवल 15 दिनों के लिए शेष रह गए थे।
- **आयात निर्यात में असंतुलन:** निर्यात की तुलना में आयात बहुत तेज दर से बढ़ा; जिसने विनिमय दरों (रुपया बनाम डॉलर आदि) को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इसने रुपये को तुलनात्मक रूप से कमजोर बना दिया।
- **सरकारी ऋण:** खर्च करने के लिए, सरकार ने आई.एम.एफ., निजी वित्तीय संस्थानों और बैंकों से पैसा उधार लिया। ऋण समय के साथ बढ़ते गए और अस्थिर हो गए।
- **मुद्रास्फीति:** मुद्रास्फीति में वृद्धि सुसंगत थी और इसे नियंत्रित करने का दबाव बढ़ रहा था।
- **तैयारी:** यदि ये सुधार किए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था खुले बाजार मॉडल से लाभ उठाने के लिए तैयार थी।
  - निजी क्षेत्र एक भूमिका निभाने के लिए काफी बड़ा था।
  - हम नवीनतम प्रौद्योगिकी, सर्वोत्तम प्रथाओं, उच्च निर्यात, पूंजी प्रवाह से लाभान्वित हो सकते हैं और कॉर्पोरेट विदेशों से धन जुटा सकते हैं।
- **अस्थिरता:** भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी और खाड़ी संकट ने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया।
- आई.एम.एफ. और विश्व बैंक की शर्तें: भारत ने इस शर्त के तहत ऋण लिया कि आवश्यक सुधार लाए जाएंगे।

सुधारों की प्रकृति

- 1980 के दशक और 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में घोषित सुधार वाशिंगटन आम सहमति से प्रभावित थे और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था।
- यह उदार सिद्धांतों पर आधारित था और इसमें निर्यात बढ़ाने के लिए भारी बाहरी उधार के साथ सीमित गैर-विनियमन और आंशिक उदारीकरण शामिल था।
- हालांकि विकास दर बढ़ी, लेकिन विदेशी ऋण भी बढ़े। इन ऋणों का उपयोग महंगे आयात के लिए किया गया था जिसे उद्योग जगत समय पर चुकाने में विफल रहा। इस प्रकार इसने 1991 के भुगतान संकट के संतुलन में योगदान दिया।
- इसके बाद जो सुधार हुए, वे उद्योग, व्यापार, निवेश और कृषि क्षेत्र में थे। ये 1980 के दशक के सुधारों की तुलना में व्यापक और गहरे थे।

क्या सुधार स्वैच्छिक थे या अनिवार्य?

- अन्य देशों के विपरीत भारत के सुधार अनिवार्य थे। भुगतान संतुलन संकट के बाद, भारत ने विस्तारित निधि सुविधा (EFF) के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया।
- यह ऋण कुछ शर्तों के साथ दिया गया था जिसने सुधारों को दिशा दी थी। यानी सुधारों की योजना सरकार द्वारा नहीं बनाई गई थी और न ही जनता द्वारा मांगी गई थी।
- पीवी नरसिम्हा राव की सरकार (मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में) ने इसे अलोकप्रिय सुधार लाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। अन्यथा, इन सुधारों पर कोई राजनीतिक सहमति नहीं थी।

उस समय इन सुधारों से संबंधित आशंकाएं क्या थीं?

- बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लागत में कटौती के कारण बेरोजगारी में वृद्धि।
- सामाजिक क्षेत्र पर खर्च में कमी और गरीबी में वृद्धि।
- सीमा शुल्क में कमी के कारण आयात स्थानीय बाजारों को नष्ट कर देगा।
- कृषि की उपेक्षा की जाएगी और इस प्रकार खाद्य असुरक्षा का खतरा होगा।
- नई प्रौद्योगिकी आने पर श्रम क्षेत्र को नए कौशल की आवश्यकता होगी।

भारत समय पर अपने ऋण चुकाने में कामयाब रहा। सुधारों का लक्ष्य **अल्पावधि में भुगतान संतुलन की स्थिति को स्थिर करना और इसी तरह के किसी भी संकट से बचने के लिए लंबी अवधि में व्यापक आर्थिक और संरचनात्मक परिवर्तन लाना** था।

ये सुधार मूल रूप से दो श्रेणियों के अंतर्गत किये गए थे

1. **मैक्रोइकॉनॉमिक या वृहत स्थिरीकरण उपाय:**
   - वे सभी नीतियां और उपाय जिन्होंने अर्थव्यवस्था में कुल मांग (घरेलू और बाहरी दोनों) में सुधार किया।
   - जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने वाले उपाय जिससे लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा धन होगा।
   - ऐसे उपाय जो गुणात्मक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं।
2. **संरचनात्मक सुधार उपाय:**
   - वे सभी उपाय जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति में सुधार करते हैं।
   - ऐसे उपाय जो लोगों की आर्थिक गतिविधियों और आय को बढ़ाते हैं।
   - ऐसे उपाय जो लोगों के बीच आय और धन वितरण में सुधार करते हैं।
   - कुछ उपाय धनी-वर्ग के पक्ष में दिख सकते हैं (उपाय जो आपूर्ति बढ़ाते हैं); लेकिन जरूरी नहीं कि वे गरीब विरोधी हों।
   - आय बढ़ाने और इसे पुनर्वितरित करने में समय लगता है। इससे राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है (उदाहरण के लिए भारत के मामले में)।

आर्थिक सुधारों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव	नकारात्मक प्रभाव
• इसने लाइसेंस-परमिट राज (लालफीताशाही) को समाप्त कर दिया और निजी क्षेत्र को आर्थिक अवसर दिए और विकास दर को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। • उदारीकरण ने भारतीयों को वैश्विक व्यापार में स्वतंत्र रूप से संलग्न होने की अनुमति दी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र हैं।	• नई आर्थिक नीति गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, बुनियादी ढांचे की कमी आदि बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। • सेवाओं के नेतृत्व में संवृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई लेकिन आवश्यक रोजगार सृजन नहीं हो सका।

- दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि दर 6.3% प्रति वर्ष (1980-81 से 1991-92) से बढ़कर 18% प्रति वर्ष (1992-93 से 2002-03) हो गई।
- बंदरगाहों और नागरिक उड्डयन में निजी कंपनियों को अनुमति दी गई थी। दोनों नाटकीय रूप से बढ़े और उनके साथ हवाई अड्डे और संबद्ध व्यवसाय में भी वृद्धि हुई।
- सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई और परिणाम बहुत अनुकूल रहे। तृतीयक क्षेत्र भारत में विकास का चालक बन गया।
- उद्योगों को नीतिगत सुधारों से बहुत लाभ हुआ और अब केवल मुट्ठी भर लोगों को लाइसेंस देने की आवश्यकता है।
- सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धा बढ़ी क्योंकि राज्यों ने अधिक से अधिक निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा।
- 1980-91 से 1992-2000 के बीच जी.डी.पी. विकास दर 5.6% से बढ़कर 6.4% हो गई।
- विदेशी मुद्रा भंडार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि हुई।
- घरेलू स्तर पर अधिक उत्पादन ने रोजगार के अवसर दिए और कम महंगे उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सस्ते श्रम का उपयोग किया।

- सभी क्षेत्रों में वृद्धि नहीं हुई। यदि दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि हुई है तो कृषि विकास दर में गिरावट आई है। यह 1991-2016 के बीच 1% पर स्थिर रहा है ।
- श्रम सुधारों की कमी का मतलब था कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र अनुबंधित श्रम को प्राथमिकता देते थे और इस प्रकार औपचारिक क्षेत्र की नौकरियां नहीं बढ़ीं।
- विभिन्न राज्यों के विकास के बीच क्षेत्रीय असमानता थी। पूर्वी राज्य कृषि प्रधान बने रहे और उन्हें ज्यादा एफ.डी. आई. नहीं मिला, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्य फलते-फूलते रहे।

आर्थिक सुधार के संदर्भ में राज्य की भूमिका को पुनः परिभाषित करना

- नई आर्थिक नीति (NEP) को अपनाने से राज्य और बाजार के बीच संबंध की प्रकृति पर बहस शुरू हो गई।
- NEP भारत के लिए सरकार के नियंत्रण को बनाए रखने का एक तरीका था, जबकि बाजार की शक्तियों को अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका की अनुमति दी गई थी।
- इसके अलावा, सरकार और बाजार इस तरह से नियंत्रण और संतुलन प्रदान कर सकते हैं कि एक, दूसरे की विफलताओं में सुधार कर सकता है।
- राज्य को बेहतर पारदर्शिता और अधिक जवाबदेही लाने के लिए नीतियां तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो सुशासन के मूल स्तंभ हैं।

भारत बनाम चीन: एक तुलनात्मक अध्ययन

- सुधारों से पहले चीन भी भारत की तरह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था। **1978 में, देंग जियाओपिंग की "ओपन डोर पॉलिसी" के तहत** इसने अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों और निवेश के लिए खोल दिया।
- इसमें पहले से ही कम कुशल कार्यबल की असीम मात्रा थी जो विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग किये जाने के लिए तैयार थी। जब से इसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला है तब से इसने दो अंकों की औसत वृद्धि दर हासिल की है।
- चीन के आर्थिक विकास को FDI के बहुत बड़े प्रवाह से लाभ हुआ। चीनी राज्य ऐसी व्यवस्था कर सकता है जो भारत जैसे शोर-शराबे वाले लोकतंत्र में बहुत मुश्किल हो सकती है।
- **भारत ने चीन से एक दशक से अधिक समय के बाद (1991 में)** सुधारों को आगे बढ़ाया और वह भी चरणों में। 1990 के दशक की राजनीतिक उथल-पुथल के कारण; गठबंधन सरकारों के कारण सुधार सुचारू नहीं रहे हैं।
- भारत ने चीन जैसे सस्ते उत्पादों के बजाय उच्च कुशल विनिर्माण और सेवाओं के निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया।
- लेकिन फिर भी भारत 2-3% जीडीपी विकास दर की रेंज से 5-8% विकास दर वाली रेंज में आ गया, जो एक प्रमुख मील का पत्थर है।
- **भारत और चीन दोनों ने रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर** निकाला है। लेकिन चीन ने इसे भारत की तुलना में अधिक तेजी से और बड़ी संख्या में किया। (1978 से 800 मिलियन)

- **आज, चीनी सकल घरेलू उत्पाद** लगभग 18.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है जबकि भारत का 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- भारत ने कम उपयोग वाले विनिर्माण क्षेत्र का दोहन करके 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है।
- **प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में;** भारत चीन से पीछे है। (2000 USD बनाम 10000 USD)
- भारत की औसत आबादी अब भी 30 वर्ष से कम आयु की है और इसे 3 और दशकों तक बूढ़ा नहीं माना जाएगा। जबकि चीन की औसत उम्र पहले से ही 40 के आसपास है।
- **जैसे-जैसे भारत में मध्यम वर्ग** में वृद्धि होगी वैसे वैसे क्रय शक्ति और घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है।

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधार

- भारत में सुधारों की प्रक्रिया में तीन प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल थीं- उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।

उदारीकरण

- इसकी उत्पत्ति उदारवाद के विचार में हुई है और एडम स्मिथ के लेखन के प्रकाशित होने के बाद यह लोकप्रिय हो गया।
- यह एक लाइसेज फेयर दृष्टिकोण की सिफारिश करता है यानी बाजार की शक्तियों को उनके साथ हस्तक्षेप किए बिना अपने बल पर कार्य करने के लिए छोड़ने की नीति।
- यदि कोई अर्थव्यवस्था बाजार-समर्थक और पूंजीवाद-समर्थक झुकाव के रास्ते पर है; हम कहते हैं कि यह उदारीकरण की प्रक्रिया में है।
- यह 1970 के दशक के मध्य में यूरोप और अमेरिका में और 1980 के दशक के मध्य में चीन में (ओपन डोर पॉलिसी) लोकप्रिय हो गया।
- चीन में उदारवाद (व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रणाली) के कुछ लक्षणों का अभाव है, लेकिन फिर भी इसे उदार अर्थव्यवस्था माना जाता था।
- भारत के मामले में यह राज्य/नियोजित या कमांड मॉडल के घटते प्रभाव और पूंजीवादी और बाजार अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।
- भारत आर्थिक सुधार करने वाली अन्य सभी अर्थव्यवस्थाओं की तरह राज्य और बाजार के बीच एक अनूठा संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2020)

1. प्रति श्रमिक श्रमिक उत्पादकता (2004-05 की कीमतों पर) शहरी क्षेत्रों में बढ़ी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह घटी।
2. कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत हिस्सा लगातार बढ़ा।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में, गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई।
4. ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर घटी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1 और 2

(*b*) केवल 3 और 4

(*c*) केवल 3

(*d*) 1, 2 और 4

निजीकरण

- 1980 और 1990 के दशक में; कई अर्थव्यवस्थाओं ने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका में कमी देखी। राज्य की परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- यह सार्वजनिक सेवाओं में गैर-विनियमन, निजीकरण और बाजार सुधारों के माध्यम से किया गया था।
- **गैर -राष्ट्रीयकरण (Denationalization):** निजीकरण का एक प्रकार जहाँ निजी क्षेत्र को राज्य के स्वामित्व का 100% हस्तांतरण होता है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में मार्गरेट थैचर सरकार के अधीन ब्रिटेन में ऐसा हुआ था।
  - यह निजीकरण का शुद्धतम अर्थ है; लेकिन यह केवल मुट्ठी भर पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में हुआ।
- **विनिवेश:** एक निजीकरण जहां राज्य से निजी क्षेत्र में शेयरों का हस्तांतरण हमेशा 100% से कम होता है।
  - यदि 49% तक शेयरों की बिक्री की जाती है; स्वामित्व सरकार के पास रहता है।
  - यदि यह 51% या उससे अधिक है; फिर स्वामित्व निजी उद्यमी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। दोनों को विनिवेश कहा जाता है।
  - यह गैर-राष्ट्रीयकरण का एक रूप भी है और सबसे संभावित घटना है जो तब होती है जब कोई देश निजीकरण को लागू करता है।

- **अपने व्यापक अर्थों में**, निजीकरण को उन सभी नीतियों के रूप में समझा जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र या बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार को बढ़ावा देते हैं।
  - उदाहरण: **गैर–लाइसेंसीकरण,** उद्योगों का आरक्षण रद्द करना, भारत में एफडीआई की अनुमति और सब्सिडी में कटौती ये सभी निजीकरण के उदाहरण हैं।

गैर-लाइसेंसीकरण

- भारत में आर्थिक सुधारों से पहले उद्योगों को एक नया कारखाना स्थापित करने या यहां तक कि मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था।
  - यह दत्त आयोग की सिफारिश पर एकाधिकारवादी और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के कारण था।
  - एमआरटीपी अधिनियम कुछ लोगों के हाथों में धन संकेन्द्रण से बचने के लिए लाया गया था।
  - इस अधिनियम को 2009 में निरस्त कर दिया गया था और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 (2009 से प्रभावी) के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया था।
- 1991 में इन सुधारों ने लाइसेंस-परमिट राज को एक बार में खत्म कर दिया जो देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अक्षमता का कारण बन गया था। (लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारी रिश्वत का भुगतान करना पड़ता था)।
- इसे इतना सफल सुधार नहीं माना जाता है क्योंकि इसने भारत को एक प्रमुख विनिर्माण नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था में नहीं बदला जैसा कि उम्मीद की गई थी।
- 1991 में, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 16% था और यह 2016 में भी समान था (नई जीडीपी श्रृंखला के अनुसार)।

आरक्षण रद्द करना

- इससे पहले, प्रमुख उद्योग और पूंजीगत वस्तुएं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थीं। आरक्षण हटाने से निजी क्षेत्र के लिए भी कई उद्योग खुल गए।
- 1991 की नई औद्योगिक नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए केवल परमाणु ऊर्जा, खनन और रेलवे को आरक्षित किया।
- बाद में, इन क्षेत्रों को भी कुछ निजी निवेश के लिए खोल दिया गया।

वैश्वीकरण

- सामान्य तौर पर, इसका अर्थ राष्ट्रों के बीच आर्थिक एकीकरण में वृद्धि है। 1800-1930 के बीच महामंदी और दो विश्व युद्धों से छिन्न-भिन्न विश्व वैश्वीकृत हो गया।
- ओईसीडी के हाथों 1980 के दशक में इस अवधारणा को फिर से प्रमुखता मिली।
- टैरिफ और व्यापार चर्चाओं पर सामान्य समझौते का उरुग्वे दौर 1994 में GATT की जगह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के जन्म के साथ समाप्त हुआ। इस सुधार को विकासशील देशों द्वारा आगे बढ़ाया गया था।
- **ओईसीडी ने वैश्वीकरण की आधिकारिक परिभाषा दी**- "अलग-अलग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की दुनिया से एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव जिसमें उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है और वित्तीय पूंजी स्वतंत्र रूप से और तुरंत राष्ट्रों के बीच प्रवाहित होती है"।
- विश्व व्यापार संगठन के लिए इसका अर्थ है- "वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और श्रम शक्ति का अप्रतिबंधित सीमा पार आवागमन।
- कई राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए; इसका मतलब एक ऐसी स्थिति है जब हमारे जीवन को उन घटनाओं द्वारा तेजी से आकार दिया जाता है जो हमसे बहुत दूरी पर होती हैं जिनके बारे में हम निर्णय नहीं ले सकते हैं।
- विभिन्न कारणों से वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में लोग हैं। कुछ लोगों के लिए, यह राज्य के अधिकार को कम करता है जबकि दूसरों के लिए यह ऐसा नहीं करता है।
- भारत ने 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ वैश्वीकरण की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की और इसकी गति तब बढ़ी जब भारत ॅज्ञ का संस्थापक सदस्य बन गया।
- भारत के लिए, इसका मतलब कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देना है; और IMF और विश्व बैंक जैसे निकाय इस विचार को साझा करते हैं क्योंकि वैश्वीकरण गरीबों के जीवन स्तर को बढ़ाए बिना हासिल नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उदारीकरण ने बाजार सुधारों की ओर जाने की दिशा दिखाई; निजीकरण ने "वैश्वीकरण" नामक अंतिम लक्ष्य की ओर मार्ग (सभी उपाय) दिखाया।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की कमी को केसे जन्म दिया है? क्या बढ़ी हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? (2016)

आर्थिक सुधारों की पीढ़ियां

प्रारंभ में (1991) घोषित किए गए सुधार, सुधारों की "पीढ़ियों" के नाम पर नहीं किए गए थे। लेकिन आने वाले वर्षों में उन्हें

सुधारों की एक पीढ़ी के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। अब तक सुधारों की कुल तीन पीढ़ियों की घोषणा की गई है।

पहली पीढ़ी के सुधार

ये 1991-2000 के बीच घोषित सुधार थे। उन्होंने निजी क्षेत्र को दी गई एक प्रमुख भूमिका के साथ एक कमांड प्रकार की अर्थव्यवस्था को बाजार के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित कर दिया। मोटे तौर पर, इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सुधार:** इनमें ज्यादातर वे नीतिगत निर्णय शामिल थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया।
  - उद्योगों का आरक्षण रद्द करना और लाइसेंस मुक्त करना।
  - एमआरटीपी सीमा को समाप्त करना।
  - चरणबद्ध उत्पादन अनिवार्य नहीं है।
  - ऋण को शेयर में बदलने की कोई बाध्यता नहीं।
  - उद्योग स्थापना के लिए पर्यावरण कानूनों का सरलीकरण आदि।
- **सार्वजनिक क्षेत्र** के सुधार: इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक कुशल और लाभदायक बनाने के लिए उठाए गए कदम शामिल थे। इसमें कॉर्पोरेट संरचना को बदलना, टोकन (थोड़ा) विनिवेश लाना आदि शामिल था।
- **बाहरी क्षेत्र में सुधार:**
  - कई वस्तुओं पर आयात की मात्रा की सीमा समाप्त करना।
  - फ्लोटिंग विनिमय दर या प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली को अपनाना। (आरबीआई इसमें बदलाव कर सकता है लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकता है)।
  - पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता.
  - आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता।
  - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के विदेशी निवेश की अनुमति है।
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का स्थान लिया।
- **वित्तीय क्षेत्र में सुधार:** बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, बीमा, पूंजी बाजार आदि जैसे क्षेत्रों में कई बदलाव लाए गए।
- **कर सुधार:** ये ऐसे सुधार थे जिन्होंने कर संरचना को सरल बनाया, कर आधार को व्यापक बनाया (यानी कितने लोग कर का भुगतान करते हैं), कर अवसंरचना का आधुनिकीकरण (आप कर का भुगतान केसे करते हैं), कर चोरी की जांच आदि।

दूसरी पीढ़ी के सुधार

यह देखा गया कि पहली पीढ़ी के सुधार वांछित गति से अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। दूसरी पीढ़ी के सुधारों की घोषणा 2000-2001 में की गई थी और पहली पीढ़ी के सुधारों की तुलना में अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति और सावधानीपूर्वक प्रबन्धन की आवश्यकता थी।

- **कारक बाजार सुधार: इसमें प्रशासित मूल्य तंत्र (APM)** को समाप्त करना शामिल था और इसे सुधारों की रीढ़ माना जाता है।
  - APM के तहत भारत सरकार पेट्रोलियम, उर्वरकों, दवाओं आदि जैसी वस्तुओं की कीमतें तय करती है।
  - इसने निर्माताओं की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और यह बाजार के सिद्धांतों के खिलाफ था।
  - इसने नए लोगों को उद्योग में प्रवेश करने से भी रोका और इस प्रकार विनिर्माण और व्यवसाय के विस्तार में बाधा उत्पन्न की।
  - इन सुधारों ने बाद में पेट्रोल, डीजल और स्नेहक (2014) में ।च्ड को समाप्त कर दिया।
  - यूरिया को छोड़कर चीनी और उर्वरकों को भी प्रशासनिक मूल्य तंत्र से बाहर लाया गया है।
  - इसने निजी निवेश के लिए कई क्षेत्रों को खोल दिया और अब लाभांश का भुगतान कर रहा है। यह अभी भी भारत में पूरा नहीं हुआ है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार:** इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देना, पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक मुक्त पहुंच, ग्रीनफील्ड उद्यमों को लेने की अनुमति, रणनीतिक विनिवेश आदि शामिल हैं।
- **सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों में सुधार:** इसमें वे सभी उपाय शामिल हैं जो सरकार को नियंत्रण के बजाय सुविधा प्रदान करने की अनुमति देते हैं। इसमें प्रशासनिक सुधार, व्यापार करने में आसानी आदि भी शामिल हैं।
- **कानूनी क्षेत्र में सुधार:** इसमें पुराने और विरोधाभासी कानूनों या कानूनों से छुटकारा पाना शामिल है जो अतिव्यापी थे और साइबर कानूनों जैसे नए कानूनों को ला रहे थे। इसके अलावा, कंपनी कानूनों, श्रम कानूनों, साइबर कानून, आईपीसी, सीआरपीसी आदि में संशोधन करना।
- **अन्य महत्वपूर्ण सुधार:** बुनियादी ढांचा क्षेत्र (दूरसंचार, बिजली, सड़क आदि), कृषि और संबद्ध क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा आदि में सुधार भी दूसरी पीढ़ी के सुधारों के तहत हैं।
  - **सुधार प्रक्रिया में राज्यों की अधिक भूमिका:** राज्य सुधार शुरू करते हैं और केंद्र सुविधा प्रदान करते हैं।

- **राजकोषीय समेकन:** राजकोषीय समेकन और बजट प्रबंधन अधिनियम राजकोषीय समेकन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए लाया गया था। राज्य भी राजकोषीय विवेक के लिए इसका पालन करते हैं।
  - एफआरबीएम अधिनियम सरकार के राजस्व और व्यय के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिए है।
  - यह न्यूनतम राजकोषीय और राजस्व घाटे का लक्ष्य निर्धारित करता है।
- **राज्यों को अधिक कर-हस्तांतरण:** योजना आयोग और वित्त आयोग जैसी संस्थाओं ने राज्यों को एकत्र किए गए करों में से अधिक धन देने का समर्थन शुरू कर दिया।
  - 2007-08 में पहली बार राज्यों का शुद्ध राजस्व अधिशेष संग्रह था।
  - केंद्रीय नीतियों ने भी राजकोषीय लाभ के मामले में राज्यों का पक्ष लेना शुरू कर दिया।
- **सामाजिक क्षेत्र पर फोकस:** लगभग हर बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए फंडिंग बढ़ी है। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के बेहतर प्रदर्शन पर भी ज्यादा फोकस किया गया है।

दूसरी पीढ़ी के सुधार मिश्रित परिणाम दिखा रहे हैं और अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।

तीसरी पीढ़ी के सुधार

- 2002 में 10 वीं पंचवर्षीय योजना की घोषणा के समय, इसका ध्यान पंचायती राज संस्थानों को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने पर था ताकि विकास का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सके।
- समावेशी वृद्धि और विकास सरकार के लिए केंद्रीय फोकस बन गया।

चौथी पीढ़ी के सुधार

- एक आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा गया शब्द है।
- इसमें आर्थिक विकास को नए सूचना युग और सूचना प्रौद्योगिकी में विकास के साथ जोड़ना शामिल होगा।
- दोनों से एक-दूसरे के पूरक होने की उम्मीद है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम पहले से ही देख रहे हैं। जैसे डिजिटल इंडिया, यूपीआई भुगतान, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म आदि।

भारत में आर्थिक सुधारों की समीक्षा

- **क्रमिक:** भारत के सुधारों को वृद्धिशील और क्रमिक के रूप में चिन्हित किया गया है। एक के बाद एक सुधार लाए गए। नीतियों में कुछ बदलाव हुए हैं लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है।
  - **"स्टॉप-एंड-गो" प्रकार के सुधारों** (अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि) में ऐसे सुधारों को लाने की आवश्यकताओं के साथ सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान की जाती है और फिर दोनों को एक साथ निष्पादित किया जाता है।
  - सतत सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था जो अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
- **आम सहमति की कमी:** अलग-अलग समय पर केंद्र और राज्यों में शासन करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के कारण, उनके बीच हमेशा आम सहमति की कमी रही है जिसने सुधारों को लाने की गति को बाधित किया है।
- **आर्थिक परिणाम पर स्थिरता:** नीति निर्माण प्रक्रिया की अत्यधिक विविध, बहुलवादी, सहभागी और लोकतांत्रिक प्रकृति के कारण; सुधार इस तरह से किए गए थे जो आर्थिक परिणाम पर स्थिरता को प्राथमिकता देते थे।
- **देरी:** पहली पीढ़ी के सुधार उतने शक्तिशाली नहीं हो सकते थे जितने वे हो सकते थे क्योंकि दूसरी पीढ़ी के सुधार लगभग एक दशक बाद आए थे।
- **गैर-समावेशी:** लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचे और गैर-समावेशी रहे। इसने सुधार प्रक्रिया के लिए समर्थन को कमजोर बना दिया और जनता का मोहभंग कर दिया।
- **मानव दृष्टिकोण:** सुधारों ने दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के विपरीत एक मानवीय स्पर्श प्रदर्शित किया। इसने धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से जनता के बीच आम सहमति बनाई क्योंकि इसके लाभ दिखाई देने लगे।

आर्थिक सुधारों का अधूरा एजेंडा

- भारत में सुधारों को कई अर्थशास्त्रियों द्वारा **"आंशिक सुधार मॉडल"** कहा गया है। इसने कम रिटर्न प्रदान किया है और गंभीर सुधारों के एक और दौर की आवश्यकता है।
- राज्य, निजी क्षेत्र और बाजार के बीच सही संतुलन की जरूरत है।
- किसी भी सफल सुधार के लिए; राज्य को निम्नलिखित मुख्य कार्यों को सक्षम रूप से करना चाहिए:
  - मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता
  - स्मार्ट विनियमन
  - बाजार की विफलताओं का सुधार
  - कुशल आय वितरण
  - सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति

- **पांच प्रमुख क्षेत्र हैं जहां अभी भी क्रांतिकारी सुधारों की आवश्यकता है:**
  1. राज्य का स्वामित्व
  2. रोजगार सृजन
  3. गहरा राजकोषीय समायोजन
  4. शिक्षा की गुणवत्ता
  5. राज्य की क्षमता

राज्य का स्वामित्व

- राज्य ने निजी कंपनियों को अनुमति दी है लेकिन प्रतिस्पर्धा क्षेत्र अभी भी बराबरी पर नही आया है। लगातार कमजोर प्रदर्शन करने वाले सार्वजानिक उपक्रम को बंद करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन उन्हें सरकारी समर्थन द्वारा जीवित रखा जाता है।
- 2015-16 में 244 गैर-वित्तीय केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में से एक तिहाई को घाटा हुआ। 1000 राज्य सार्वजानिक उपक्रम में से दो-तिहाई घाटे में हैं।
- केंद्र और राज्य दोनों के सार्वजनिक उपक्रम का कुल नुकसान जीडीपी का लगभग 1 प्रतिशत है।
- विनिवेश से उतने फायदे नहीं होते, जितने कि पूर्ण निजीकरण के होते हैं। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रम का निजीकरण किया जाना चाहिए।
- **कुप्रबंधन** के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की **स्थिति** खराब है। यह सरकार द्वारा बैंक बोर्डों **को** शक्तिविहीन करने के कारण है।

रोजगार सृजन

- समस्या का सार यह है कि बेहतर आय प्रदान करने **वाली** अच्छी नौकरियों की कमी है ।
- इनमें से ज्यादातर नौकरियां संगठित क्षेत्र में हैं, जबकि अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं।
- इसका समाधान तेज विकास, बुनियादी ढांचे और ऋण बाधाओं को दूर करने, भूमि अधिग्रहण, कौशल प्रशिक्षण और व्यापार करने में आसानी में निहित है।
- निर्यात संवर्धन नीति पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- हमारे श्रम कानून दुनिया में सबसे प्रतिगामी हैं। वे संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के छोटे समूह की रक्षा करते हैं और असंगठित क्षेत्र को नुकसान पहुंचाते हैं।
- व्यापार संघों को उदार आश्वासन देना होगा और व्यापार विस्तार और विनिर्माण नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव लाना होगा।

गहरे राजकोषीय समायोजन

- बाहरी और घरेलू क्षेत्र में उदारीकरण और जीएसटी एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जीएसटी में कर की दरों और छूटों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।
- **खाद्य, ईंधन और उर्वरकों पर बाजार विकृत मूल्य नियंत्रण** अभी भी है।
- यदि व्यर्थ कर छूट समाप्त कर दी जाती है, **अनर्जक** पीएसई को बेचा जाता है, कृषि आय को एक स्तर से ऊपर कर दिया जाता है और कुछ बुरी तरह से लक्षित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाता है तो जीडीपी से लगभग 10% राजकोषीय स्थान मुक्त हो सकता है।

प्राथमिक शिक्षा

- यद्यपि नामांकन में सुधार हुआ है, शिक्षा की गुणवत्ता खराब रही है और अभी भी घट रही है।
- 2016 की प्रथम रिपोर्ट के अनुसार, कक्षा 5 के केवल 50% छात्र ही स्थानीय भाषा में एक साधारण कहानी पढ़ सकते थे। और केवल एक चौथाई तीन अंकों की संख्या को एक अंक के साथ विभाजित **करने में सक्षम** है।
- गुणात्मक अध्ययन की तुलना में पाठ्यक्रम को **समाप्त** करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षक अनुपस्थिति व्याप्त है और एक शिक्षक को बर्खास्त करना लगभग असंभव है।
- राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, अगर हम वेतन को शामिल करते हैं तो निजी स्कूल सरकारी स्कूलों की तुलना में सस्ते हैं।

राज्य की क्षमता

- कुछ मूल्यवान चीजें हैं जो केवल राज्य ही कर सकता है। राज्य की क्षमता घट रही है जबकि नागरिकों की मांग बढ़ रही है।
- राज्य के कार्यों को पूरा करने की कमजोर क्षमता है और भ्रष्टाचार व्याप्त है।
- पिछले एक दशक में आईएएस के पदों में 10% की कमी आई है, 25% पुलिस पद खाली हैं और भारत में जी 20 देशों में प्रति व्यक्ति न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है।
- गुणात्मक मोर्चे पर भी स्थिति खराब है। सरकार के भीतर मानव संसाधन प्रबंधन बहुत खराब है। चयन, प्रशिक्षण और पदोन्नति की असंतोषजनक प्रक्रिया देखी जाती है।

इस प्रकार सुधार अभी खत्म नहीं हुए हैं। वे लगभग सभी क्षेत्रों में और जितनी जल्दी हो सके आवश्यक हैं।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अपनी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जाएगा? (2019)

(*a*) जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात।

(*b*) इसके भवनों, अन्य अवसंरचनाओं और मशीनों का भंडार।

(*c*) कामकाजी आयु वर्ग में जनसंख्या का आकार।

(*d*) समाज में परस्पर विश्वास और सद्भाव का स्तर।

परिवर्तनकारी सुधार आर्थिक विकास पर केंद्रित

- 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण में **"वृद्धिशील** सुधारों" के बजाय **"परिवर्तनकारी सुधारों"** पर जोर दिया गया। इनमें से कुछ सुधार इस प्रकार हैं:
  - मुद्रास्फीति का लक्ष्य और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत मौद्रिक नीति समिति का गठन।
  - सार्वजनिक उपक्रम के रणनीतिक विनिवेश का विस्तार करना।
  - उच्च मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण।
  - आधार कार्ड को कई अन्य पहचान पत्रों से जोड़ना।
  - व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए दिवालियापन कानून और अन्य उपाय लागू करना।
- इन सुधारों का उद्देश्य जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना है और ऐसा करने में ये काफी सफल रहे हैं।
- जैसे नकद हस्तांतरण की बजाय डिजिटल लेनदेन को प्राथमिकता देना, ष्शून्य बैलेंस बचत खातेष् और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आदि को महत्व देना। ये सुधारों के स्टॉप-एंड-गो आयाम के उदाहरण हैं।

❖ ❖ ❖

32 भारत में भूमि सुधार

परिचय

- व्यवहारिक अर्थ में, **विशेष कार्यक्रमों और** कार्यवाहियों की एक विस्तृत श्रृंखला को "भूमि सुधार" के रूप में संदर्भित किया जाता है। वे बड़े पैमाने पर सामुदायिक लाभ के लिए **भूमि के शासन और उपयोग में सुधार** के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और** भूमि धारण प्रणाली में वर्तमान असमानताओं को समाप्त करने हेतु भूमि सुधारों की आवश्यकता है।
- पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए बाधाओं को दूर करके और कृषि प्रणाली के भीतर सामाजिक अन्याय और शोषण को समाप्त करके ग्रामीण समाज के सभी **वर्गों के लिए समानता प्राप्त करने और अवसर प्रदान करने की मांग की गई** थी।

भारत में भूमि संरचना

- **स्वतंत्रता पूर्व भूमि संरचना:**
  - भूमि किसी भी राष्ट्र में सभी आर्थिक गतिविधियों की नींव है।
  - भारत में, **कई जनजातियों ने निजी स्वामित्व के लिए सीमा निर्धारित नहीं करने का विकल्प चुना** क्योंकि उनका मानना था प्रकृति के कई अन्य आशीर्वादों की भांति भूमि भी सभी के द्वारा साझा की जानी चाहिए।
  - हालांकि, ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के तहत, भारत के भूमि स्वामित्व प्रतिरूप में जमींदारी, रैयतवाड़ी या महलवारी की तरह एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया।
  - भूमि का स्वामित्व अमीर जमींदार वर्ग के अंतर्गत जाने के कारण वे तेजी से शक्तिशाली और अमीर हो गये, वहीं वास्तविक भूमि जोतदार किसान, भूमिहीन हो गए और गरीबी में रहने लगे।
- **स्वतंत्रता पश्चात भूमि संरचना:**
  - स्वतंत्रता के बाद, **भारत ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ समाजवादी विचारों को अपनाया** क्योंकि भूमि एक व्यक्ति के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। इसलिए, भूमि सुधारों को सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
  - भारतीय संविधान ने भूमि सुधारों को राज्य सूची का एक विषय बनाया और इसलिए भूमि सुधारों को लागू करने के लिए कानून विकसित करना राज्यों की जिम्मेदारी बन गई। नतीजतन, **1950 के दशक के दौरान, सभी राज्य सरकारों द्वारा जमींदारी प्रथा को खत्म करने, सीलिंग या ऊपरी सीमा नियम के प्रवर्तन के माध्यम से भूमि वितरित करने, काश्तकारों की रक्षा करने और भूमि जोत को समेकित करने के घोषित लक्ष्यों के साथ कानून पारित किया गया था।**

नोट: कई राज्यों द्वारा पारित जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के साथ संघर्ष में थे, जिसे गोलकनाथ मामले में इंगित किया गया था और इसलिए संसद ने अधिनियम को निरस्त करके उस खंड को हटाने का कदम उठाया, जिसने विभिन्न राज्यों को भूमि सीलिंग अधिनियम पारित करने की अनुमति दी।

जे.सी. कुमारप्पा समिति

- भूमि मुद्दे के परीक्षण के लिए आजादी के तुरंत बाद जे.सी. कुमारप्पन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।
- कुमारप्पा समिति की रिपोर्ट में व्यापक कृषि सुधार उपायों का सुझाव दिया गया है, जिसमें बिचौलियों को समाप्त करना, किरायेदारी कानूनों में सुधार, भूमि के आकार की सीमा और भूमि जोत का समेकन शामिल है।

भूमि सुधार के उद्देश्य

बिचौलियों का उन्मूलन	• **ऐसा इसलिए किया जाना था ताकि भूमि के प्रबंधन और संचालन के साथ भूमि के स्वामित्व की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सके। मालिक को खुद जमीन का संचालन और प्रबंधन करना चाहिए।**

भूमि सीलिंग	• कार्यरत कृषकों की भूमि की आवश्यकताओं को पूरा करना। • स्वामित्व और भूमि के उपयोग में कृषि आय में असमानता को कम करना। • ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना। • भूमि असमानताओं को कम करना और कृषि रोजगार पैदा करना।
होल्डिंग्स का समेकन	• अधिक कुशल प्रबंधन के लिए। • बाड़ लगाने और बैरिकेडिंग पर अधिक खर्च किए बिना भूमि का प्रभावी प्रबंधन।
सहकारी संयुक्त खेती को प्रोत्साहन	• छोटी-छोटी जोतों द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों को दूर करना। • बड़े वित्तीय संसाधनों का निवेश किया जा सकता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है।
काश्तकारी का निपटान और विनियमन	• **काश्तकारों** के अधिभोग के अधिकारों की पुष्टि करने के लिए, उनकी किराए की भूमि का कब्जा सुरक्षित करने के लिए और पट्टे की भूमि पर किराए के विनियमन के लिए।

भूमि सुधारों के चरण

पहला चरण	• **जमींदारी का उन्मूलन** • **किरायेदारी कानून (कार्यकाल की सुरक्षा, किराए में कमी, किरायेदारों को स्वामित्व अधिकार)** • **भूमि-सीमा कानून** • **उपरोक्त कानूनों को 9 वीं अनुसूची में रखना ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके** • **1953 में राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम।** • **अतिरिक्त भूमि को स्वैच्छिक रूप से छोड़ने और पुनर्वितरण को प्रोत्साहित करने के लिए भूदान और ग्रामदान आंदोलन** • **सहकारिता**
दूसरा चरण	• हरित क्रांति (तकनीकी सुधार) • संपत्ति का अधिकार [A. 19(1)(f)] को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था
तीसरा चरण	• मॉडल (कृषि) भूमि पट्टे अधिनियम, 2016 • रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण अधिनियम • मॉडल किरायेदारी अधिनियम 2021

भूमि सुधारों की जरूरत

- **समानता लाने के लिए:** वर्तमान में, भारत में **कुछ ही जमींदार** देश की अधिकांश भूमि के मालिक हैं। भूमि का पुनर्वितरण समाज का एक समाजवादी मॉडल बनाएगा और इस तरह के प्रयास भूमि के स्वामित्व में असमानताओं को कम करेंगे और सामाजिक आर्थिक समानता लाएंगे।
- **काश्तकारी को वैध बनाना:** भूमि की **सीमा (सीलिंग)** की रक्षा करना और सीमांत और छोटे किसानों को वितरण के लिए अधिशेष भूमि को अलग करना। यह ग्राम पंचायतों को प्रत्येक किरायेदारी का रिकॉर्ड रखने के लिए सशक्त बनाएगा।
- **महिलाओं का सशक्तीकरण:** आमतौर पर पुरुषों के वर्चस्व वाली संस्कृति में महिलाओं का **सशक्तीकरण**। भूमि सुधारों से पता चलेगा कि लिंग से परे सभी को संपत्ति का अधिकार दिया जा सकता है।
- **किसानों के विकास के लिए:** यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर ग्रामीण गरीबी को कम करेगा। यह किसानों को उन ऋणों को निपटाने में मदद करेगा जो उच्च करों और अनौपचारिक ऋण तंत्र का परिणाम थे।
- **अन्य:**
  - बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण को रोककर जनजाति का संरक्षण;
  - बेदखल होने के निरंतर खतरे को दूर करने के लिए;
  - भूमि का आकार और दक्षता विपरीत रूप से संबंधित हैं; भूमि जितनी छोटी होगी, उत्पादकता और दक्षता उतनी ही अधिक होगी;
  - शेयर-क्रॉपिंग स्वमित्वयुक्त-खेती की तुलना में कम प्रभावी है।

भारत में भूमि सुधारों की सफलता

- कृषि समाज में प्रचलित शोषक भूमि **पट्टेदारी** प्रणालियों को समाप्त कर दिया।

- अधिशेष भूमि को भूमिहीनों और समाज के कमजोर वर्गों के बीच वितरित किया गया।
- भूमि **काश्तकारी** कानूनों के माध्यम से **काश्तकारों** को **पट्टेदारी** की सुरक्षा प्रदान की।
- कुछ मामलों में, **काश्तकारों** को **मालिकाना हक भी दिया जाता है।**
- 25-33% की सीमा में निश्चित किराया।
- **जमींदारी के उन्मूलन, काश्तकारी कानून और सीलिंग कानून के** संचयी प्रभाव ने किसानों को कृषि प्रथाओं में निवेश करने और सुधार करने के लिए प्रेरित किया।
- उन्होंने **गरीबी हटाने पर एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला।**
- निचली जातियां अपने अधिकारों के बारे में अधिक **संगठित और मुखर** हो गई हैं।
- **कृषि अर्थव्यवस्था**, ग्रामीण सामाजिक संरचना और ग्रामीण शक्ति संरचना में मौलिक परिवर्तन लाए।
- **भूमि सुधार** भारतीय समाज को **समतामूलक समाज** की ओर ले **गए**।
- **भारतीय राजनीति के लोकतंत्रीकरण** में वृद्धि और समाज के प्रमुख वर्गों के प्रभाव में कमी।

भारत में भूमि सुधारों की विफलताओं के कारण

- रैयतवाड़ी के तहत अनुपस्थित **भूमि-मालिकों** की जगह किराया प्राप्त करने वालों को **बाहर** कर दिया गया था।
- **मध्यस्थों को हटने के लिए भारी मुआवजा दिया गया।**
- **जमींदारों ने कानून की खामियों का इस्तेमाल किया** और रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर जमीन हस्तांतरित की।
- प्राप्त की गई भूमि की एक बड़ी मात्रा **अवितरित और खेती रहित** बनी हुई है क्योंकि मुकदमेबाजी ने कार्यान्वयन को धीमा कर दिया है।
- किसान **पैतृक भूमि से भावनात्मक रूप से जुड़े होते** हैं क्योंकि भूमि को दादा से पिता से बेटे और फिर पोते को हस्तांतरित किया जाता है।
- अच्छी गुणवत्ता वाली भूमि वाले किसानों **को खराब गुणवत्ता वाली भूमि मिलने का डर था।**
- **बोझिल प्रक्रिया** और कार्यान्वयन अधिकारी धीमे और भ्रष्ट थे।
- समेकन की लागत किसानों से वसूल की गई थी जिसका संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था
- छोटे किसानों को **खराब गुणवत्ता वाली भूमि** मिली और वे मुकदमेबाजी से नहीं लड़ सके।
- भारत में **काश्तकारी** कानून **एक समान नहीं** है और राज्यों में अलग-अलग है
- कई जमींदारों **ने व्यक्तिगत खेती का दावा किया** क्योंकि उन्हें डर था कि **काश्तकार** उनकी जमीन ले सकते हैं।

भूमि सुधारों के फायदे

- शोषक **पट्टेदारी** प्रणाली का उन्मूलन जो भारतीय कृषि में व्यापक रूप से प्रचलित था।
- अधिशेष भूमि को भूमिहीनों और समाज के कमजोर वर्गों के बीच वितरित किया गया था।
- काश्तकारों को कार्यकाल/पट्टेदारी की सुरक्षा प्रदान की।
- काश्तकारों को अक्सर भूमि पर मालिकाना हक दिया जाता था।
- किराया लगभग 25-33% की सीमा में तय किया गया था जो अपेक्षाकृत बेहतर था।
- हिंसा का उपयोग बहुत कम किया गया था - उदाहरण के लिए भूदान और ग्रामदान आंदोलन
- **बिचौलियों के उन्मूलन और किसानों को मालिकाना हक दिए जाने के परिणामस्वरूप**, कृषि में निवेश अधिक आम हो गया।
- भूमि सुधारों ने गरीबी पर **एक आघात किया।**
- निचली जातियों और वर्गों को अधिक अधिकार मिले और वे खुद को संगठित करने में सक्षम बन पाए।

भूमि सुधारों की कमियां

- **भूमि सीलिंग कानूनों में कमियां:** राज्यों ने **मौजूदा जोत पर बहुत अधिक सीमा** निर्धारित की क्योंकि आजादी के बाद 70% से अधिक भारतीय भूमि 5 एकड़ से छोटी थी। चूंकि यह सीमा आम तौर पर पारिवारिक जोत के बजाय व्यक्तिगत जोतों पर लागू होती थी, इसलिए जमींदार अपनी जोत (कृषि भूमि) को परिवार के सदस्यों के नामों में विभाजित कर सकते हैं या **बेनामी हस्तांतरण** का उपयोग केवल सीलिंग के आसपास पहुंचने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि जमींदार के परिवार का आकार पांच से अधिक था, तो कई राज्यों में सीलिंग बढ़ाई जा सकती थी।
- **कानूनी संदेह के क्षेत्र:** भूमि सुधारों को लागू करने के लिए भारत **द्वारा पारित कानून में कई अंतर्निहित खामियां** हैं। इनमें दूसरों के बीच व्यक्तिगत खेती की अपर्याप्त परिभाषाएं शामिल हैं। प्रत्येक राज्य के पास भूमि सुधार को नियंत्रित करने वाले कानूनों का अपना समुच्चय है। इसने भूमि सुधारों को भेदभावपूर्ण बना दिया है और उनके कार्यान्वयन की दर

को धीमा कर दिया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर इन कानूनों का एक साथ निर्बाध कार्यान्वयन संभव नहीं था।

- **राजनीतिक कौशल की कमी:** भूमि सुधार **नीतियों को** लागू करने के लिए बहुत अधिक राजनीतिक साहस, प्रतिबद्धता और इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय तंत्र में इसकी कमी है। नीति और कानून के साथ-साथ कानून और इसके कार्यान्वयन के बीच पर्याप्त अंतराल स्पष्ट रूप से राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है।
- **प्रशासनिक बाधाएं:** भारत में भूमि पुनर्वितरण नीतियों का निष्पादन भी प्रशासनिक बाधाओं से बाधित है। नौकरशाही ने तटस्थ रवैया अपनाकर **इसका सुरक्षित तरीके से अनुपालन करने** का लगातार प्रयास किया। उदाहरण के लिए: कुछ मामलों में, राजनेताओं और अधिकारियों ने अधिशेष भूमि को जब्त करने के लिए मिलकर काम किया।
- **सरकारी कार्यक्रमों में गैर-भागीदारी:** सरकारी कार्यक्रमों में सार्वजनिक भागीदारी की कमी ने भारत के भूमि सुधारों को बहुत दूर तक आगे बढ़ने से रोक दिया। अपनी अशिक्षा और गरीबी के कारण, भारत के सीमांत और छोटे किसान, काश्तकार और भूमिहीन कृषि मजदूर भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में बहुत कम रुचि दिखाते हैं। उन सभी ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन को धीमा करने में अपनी भूमिका निभाई है।
- **भूमि से लगाव:** अपनी भूमि के प्रति अपने मजबूत लगाव के कारण, किसान समाज की भलाई के लिए अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। किसानों में आम तौर पर सहकारी और प्रेमपूर्ण भावना की कमी होती है और वे जाति-आधारित विभाजन से प्रभावित हो जाते हैं।
- **पूंजी की कमी:** सहकारी कृषि समितियां पूंजी घाटे के मुद्दे के कारण कृषि की बढ़ती मांगों को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, इन समाजों के लिए पर्याप्त **ऋण विकल्प उपलब्ध** नहीं हैं।

भूमि सुधारों में बाधाएं

- **सामाजिक सांस्कृतिक कारक:** भूमि से जुड़ी पारंपरिक भावनाएं, अज्ञानता ने समेकन और पुनर्वितरण में बाधा डाली। जातिगत पदानुक्रमों ने भी इस प्रक्रिया को बाधित किया और सामुदायिक खेती विफल हो गई। इसलिए, समेकन को बड़े पैमाने पर हर राज्य द्वारा छोड़ दिया गया था।
- **कानूनी कारक:** काश्तकारी कानूनों के मामले में, **प्रमाणित करने का बोझ काश्तकार के ऊपर** है। संपन्न किसानों द्वारा खामियों का लाभ उठाया गया। अक्सर भूमि मालिक को जबरन बेदखल कर दिया जाता था और धोखे से 'स्वेच्छा से आत्मसमर्पण' के रूप में दिखाया जाता था।
- **राजनीतिक प्रशासनिक कारक:** नौकरशाही प्रतिबद्ध नहीं थी और संपन्न किसानों के साथ मिली हुई थी।
- **सफलता-विफलता द्विभाजन का मिश्रण:** कृषि संरचना पूरे भारत में बहुत भिन्न होती है, और भूमि सुधारों की प्रगति भी राज्यों में असमान रही है। पश्चिम बंगाल में, पुनर्वितरण कार्य काफी सफलतापूर्वक किया गया था, हरियाणा और पंजाब में समेकन कार्य काफी प्रभावी ढंग से किया गया था, कर्नाटक में भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण प्रभावी ढंग से लागू किया गया था।

आगे की राह

- **कानूनी तरीकों को सरल बनाया जाना चाहिए:** उन उपायों के त्वरित और व्यवस्थित कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए भूमि सुधार से संबंधित कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। मामलों के तेजी से और सबसे अधिक लागत प्रभावी समाधान के लिए, विशेष अदालतों की स्थापना की आवश्यकता हो सकती है।
- **एक उचित हस्तक्षेप प्राधिकरण के साथ विनियमित पट्टे:**
  - **काश्तकारी** को वैध बनाने से छोटे और सीमांत **काश्तकारों** को **संस्थागत ऋण** के दायरे में लाने में भी मदद मिलेगी।
  - यह भी उम्मीद की जाती है कि लीज बाजार खोलने से **कृषि में बहुत जरूरी निजी निवेश आकर्षित** होगा।
  - ऊपरी सीमा को सीमित करके और उस सीमा तक भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति देकर संभावित खामियों को रोकना संभव हो सकता है। सीलिंग को केवल उन लोगों को अनुमति देने के लिए एक सीमा के रूप में भी काम करना चाहिए जिनके पास ऐसी सीमा से नीचे भूमि का स्वामित्व है।
  - इसी तरह, **काश्तकार के साथ-साथ मालिक को अपने हितों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए।**
- **भूमि सुधार कानून:** भूमि सुधार कानूनों को अनुल्लंघनीय बनाना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में राज कृष्ण समिति ने सिफारिश की है कि भूमि सुधार कानूनों को मजबूत करने और चुनौती से मुक्त बनाने के लिए उन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
- **कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन:** सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए कि यदि सफलता प्राप्त की जानी है तो भूमि सुधार पहल प्रभावी ढंग से और कुशलता से की जाए। इस उद्देश्य के लिए एक समयबद्ध सॉफ्टवेयर बनाया जाना चाहिए।
- **कानूनों को लोकप्रिय बनाना:** भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण आबादी के बीच

ऐसे कानूनों का व्यापक प्रचार होना चाहिए। इन कानूनों को ब्लॉक विकास अधिकारियों द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिए और कई भाषाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए। भूमि सुधार नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में गरीब किसानों को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता इस तरह के प्रचार द्वारा बढ़ाई जाएगी।

- **राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना:** यह महत्वपूर्ण है ताकि भूमि सुधार कानून राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में काम कर सकें। भूमि सुधारों को लागू करते समय राजनीतिक प्रभाव को कम से कम रखा जाना चाहिए।
- **कुशल प्रशासनिक मशीनरी:** भूमि सुधारों के कार्यान्वयन को गति देने के लिए, सरकार की प्रशासनिक मशीनरी में सुधार की आवश्यकता है। भूमि सुधारों से संबंधित कानूनों को सुचारू रूप से और जल्दी से लागू करने के लिए, विभाग के अधिकारियों को उन कानूनों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करना होगा
- **भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण:** अद्यतन भूमि रिकॉर्ड, स्वचालित हस्तांतरण, **लिखित और नक्शे आधारित** रिकॉर्ड एकीकरण, राजस्व और पंजीकरण अन्त: जुडाव की एक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए और वर्तमान विलेख पंजीकरण व अनुमानित हकदारी प्रणाली को हकदारी गारंटी सहित निर्णायक हकदारी प्रणाली के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

केस स्टडी: अतीत में भूमि सुधार प्रभावी ढंग से केसे किए गए थे

- **जमींदारों जैसे बिचौलियों को हटाना सभी सुधारों में** सबसे प्रभावी सुधार था।
- कृषि संबंधी चिंताओं ने **स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक लामबंदी** की नींव के रूप में भी काम किया। इस राजनीतिक ज्ञान और शिक्षा के कारण कृषि के विकास की प्रगति के लिए भूमि सुधारों को स्वीकार करना आसान बना दिया गया था।
- कई बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कानून और संवैधानिक संशोधन पारित किए। सभी राजनीतिक **दृष्टिकोणों से इन सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया और उनके प्रति उत्साह भी व्यक्त किया गया।**
- किसान **सभाओं और किसान संघों** की सहायता से किसान अपनी मांगों को संगठित करने और आवाज देने में सक्षम थे।
- **भारत में एक नए युग की शुरुआत करने की इच्छा,** जिसमें समृद्धि, विकास और धन को समान रूप से साझा किया जाना था, स्वतंत्रता संग्राम की भावना और स्वतंत्रता की उपलब्धि से उत्पन्न हुआ था।
- भूमि सुधारों को **न्यायिक समर्थन और संवैधानिक खंडों की उदार व्याख्याओं से मदद मिली।** अगर संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया गया होता और नौवीं अनुसूची ने भूमि सुधार कानूनों को अपवाद नहीं बनाया होता तो भूमि-जोतों को मान्यता देना कठिन होता।

महिलाएं और भूमि अधिकार

- **भारत में पुरुषों और महिलाओं को संविधान के तहत समान अधिकार दिए गए हैं।** अक्सर, महिलाओं को विरासत के माध्यम से भूमि तक पहुंच प्राप्त होती है, और विरासत परंपराओं द्वारा शासित होती है, जो क्षेत्रों और राज्यों में भिन्न होती हैं।
- **विभिन्न धार्मिक कानूनों के उत्तराधिकार अधिनियम,** जो संपत्ति और विरासत के लिए महिलाओं के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं, वर्तमान संपत्ति अधिकार प्रणालियों में से हैं।
- **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन), 2005** ने महिलाओं के भूमि अधिकारों में सुधार की संभावना बढ़ा दी है और यह देश के अधिकांश क्षेत्रों और लोगों पर लागू होता है।
- विशिष्ट स्वदेशी समुदाय नियमों के अनुसार, **पांचवीं और छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों** में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों और विरासत के बारे में अलग-अलग प्रथागत जनजातीय कानून हैं।

सरकारी प्रयास

- सभी के लिए एक सुरक्षित और निष्पक्ष भूमि पट्टेदारी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों ने हाल के वर्षों में कई प्रगतिशील परिवर्तन लागू किए हैं।
- **उनमें से कुछ हैं:**
  - वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन (अनिवार्य संयुक्त हकदारी के प्रावधान);
  - अन्य बातों के अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन, पर्याप्त योगदान दे रहा है;
  - भूमि अनुदान कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किए गए संपत्ति अधिकारों के वितरण को प्राथमिकता देना। 1985 की एक नीति में राज्यों को भूमि और घरों सहित संपत्ति के हस्तांतरण में पति और पत्नी को संयुक्त हकदारी देने का निर्देश दिया गया था।
  - हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे विभिन्न राज्यों में, महिलाओं के नाम पर पंजीकृत भूमि के लिए स्टांप शुल्क में कमी ने महिलाओं के संपत्ति के स्वामित्व अधिकारों का समर्थन किया है।

महिलाओं के भूमि अधिकारों के लाभ

- **लैंगिक दृष्टि से समानता आधारित पट्टेदारी महत्वपूर्ण है:** पट्टेदारी की सुरक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में महिलाओं के लैंगिक दृष्टि से समानता आधारित पट्टेदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हर जगह उनकी आजीविका, आवास और कुछ महिलाओं के लिए अपमानजनक विवाह छोड़ने के तरीके के रूप में है।
- **महिलाओं के भूमि अधिकार महत्वपूर्ण हैं और इस बात के ठोस सबूत हैं कि भूमि का स्वामित्व भुखमरी, अभाव और भेद्यता से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है:** NSS डेटा (50 वें दौर) के आधार पर 2001 में FAO/RAP अध्ययन हुआ था जो स्पष्ट रूप से भूमि के स्वामित्व और भुखमरी और गरीबी के बीच संबंध स्थापित करता है। भारत में यह अनुमान लगाया गया है कि केवल 12.7% भूमि जोत महिलाओं के नाम पर है, यहां तक कि 77% महिलाएं अपनी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में कृषि पर **निर्भर** करती हैं।
- **सतत विकास लक्ष्य के लिंग-संवेदनशील कार्यान्वयन के लिए भूमि पर महिला अधिकार आवश्यक है:** SDG ने लक्ष्य 1 (हर जगह गरीबी और इसके रूपों को समाप्त करना) और लक्ष्य 5 (लिंग समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना) के तहत भूमि पहुंच और भेदभाव से संबंधित संकेतकों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है।
- **कृषि कार्य करने वाली केवल 31 प्रतिशत महिलाओं को केवल नकद में भुगतान किया जाता है और अन्य 17 प्रतिशत को नकद और अन्य तरह से भुगतान प्राप्त** होता है: न्यायसंगत भूमि पट्टेदारी महिलाओं को उचित और समान मजदूरी की मांग करने और उसे प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आंकड़ों से पता चलता है कि रोजगार के संबंध में, महिलाओं को दोगुना नुकसान हुआ है। न केवल पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नौकरी पाने की संभावना बहुत कम है, बल्कि जब वे नौकरी करती हैं तो पुरुषों की तुलना में नकद आय कमाने की उनकी संभावना केवल 74 प्रतिशत होती है।
- **भूमि अधिकार कानूनी हैं और न केवल महिलाओं के बीच सुरक्षा की भावना प्रदान करते हैं और यह उन्हें अपनी मांगों को उठाने का आत्मविश्वास देते हैं:** ओडिशा राज्य में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के बीच किए गए अध्ययनों में, महिलाओं ने व्यक्त किया है कि भूमि और संपत्ति के अधिकारों की कमी के कारण उनके पास सुरक्षा जाल नहीं है, इसलिए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इस चक्र से बाहर निकलने के लिए कोई कदम उठाने में असमर्थ हैं। भूमि तक पहुंच महिलाओं की भागीदारी में भी मदद करती है जिसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी लचीलापन बढ़ता है और जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाता है।

धर्म, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक रीति-रिवाजों और जनजातीय स्थिति सहित भारत में भूमि के स्वामित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों और स्तरों को पहचानना महत्वपूर्ण है। महिलाओं को अपनी भूमि तक पहुंच, नियंत्रण और स्वामित्व प्राप्त करने के लिए, हमें प्रतिगामी सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों, वर्तमान में मौजूद कानूनी और नीतिगत ढांचे में अंतराल, महिलाओं के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने वाली मौजूदा नीतियों के सुस्त या गैर-मौजूद कार्यान्वयन और अंत में, महिलाओं के भूमि अधिकारों पर डेटा अंतराल को संबोधित करना होगा। ये सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वे असमानता को कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

मॉडल किरायेदारी अधिनियम 2021

- कानून **किरायेदारों और भूमि मालिकों दोनों के दायित्वों** पर भी चर्चा करता है। एक किरायेदार के परिसर में सभी आवश्यक आपूर्ति होनी चाहिए, और न तो भू-स्वामी और न ही संपत्ति प्रबंधन उन तक पहुंच से इनकार कर सकता है।
- यदि किरायेदारी का नवीनीकरण नहीं किया गया है, तो समाप्त हुए किरायेदारी समझौते के समान नियमों और परिस्थितियों के तहत किरायेदारी को महीने-दर-महीने के आधार पर नवीनीकृत माना जाएगा।
- वर्तमान अधिनियम **भावी प्रभाव से लागू है और इसका वर्तमान कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**
- **सुरक्षा जमा:** अधिनियम ने किरायेदार की अग्रिम सुरक्षा जमा को आवासों के लिए दो महीने के किराए और अन्य प्रकार की संपत्तियों के लिए छह महीने के किराए तक सीमित कर दिया है।
- सभी **नए पट्टे लिखित में होने चाहिए।** समझौते को उपयुक्त जिले के "किराया प्राधिकरण" को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- यदि छह महीने की विस्तारित किरायेदारी की अवधि समाप्त हो जाती है या आदेश या नोटिस द्वारा किरायेदारी समाप्त कर दी जाती है, तो किरायेदार डिफॉल्ट रूप से पहले **दो महीनों के लिए मासिक किराए का दोगुना** और उसके बाद मासिक शुल्क का **चार गुना भुगतान** करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- यदि किरायेदार को प्रवेश के **समय से कम से कम चौबीस घंटे पहले इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से लिखित सूचना या अधिसूचना मिली है,** तो भूस्वामी या संपत्ति प्रबंधन परिसर तक पहुंच सकता है।

अधिनियम का महत्व

- विवादों और अन्य प्रासंगिक मुद्दों का समाधान;
- देश के किराये के आवास कानूनों का संशोधन;
- सभी आय स्तरों के लिए किराये के आवास की उपलब्धता, **घर-विहीन होने के** संकट को कम करना;
- आवास बाजार का संस्थागतकरण; और गंभीर आवास की कमी से बचने के लिए किराये के आवास में निजी निवेश में वृद्धि हुई।

नोट: केवल चार राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम ने अब तक मॉडल टेनेंसी एक्ट में संशोधन किया है।

नीति आयोग एक्शन एजेंडा: कृषि भूमि नीति - पट्टे और रिकॉर्ड

- **भूमि विशुद्ध रूप से राज्य का विषय होने** के नाते, भूमि अधिग्रहण से संबंधित होने के अलावा, भूमि पट्टे के लिए मौजूदा राज्य-स्तरीय किरायेदारी कानूनों में संशोधन करने या उन्हें एक नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है।
- हाल ही में नीति आयोग ने एक मॉडल लैंड लीजिंग लॉ तैयार किया है। इसके बाद, मध्य प्रदेश ने भूमि को पट्टे पर देने से जुड़ा एक नया कानून पेश किया है, जिसमें नीति आयोग भूमि पट्टे के कानून की सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।
  - **उत्तर प्रदेश ने** नीति आयोग मॉडल कानून की प्रमुख विशेषताओं को अपनाते हुए संशोधन का रास्ता अपनाया है, जो अपने मौजूदा कानून में नहीं था।
  - **राजस्थान** में भूमि पट्टे पर देने का कानून है जो नीति आयोग के मॉडल कानून से पहले का है और इससे परे है।
- स्वामित्व रिकॉर्ड को अपडेट करने और उन्हें डिजिटाइज करने के लिए, **2008 में राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम** के रूप में जानी जाने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भूमि सर्वेक्षण, सर्वेक्षण और निपटान रिकॉर्ड को अद्यतन करने के आधार पर वास्तविक समय के भूमि रिकॉर्ड की एक पारदर्शी और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है।
- **उच्च-रिजॉल्यूशन उपग्रह इमेजरी और जमीनी वास्तविकता डेटा संग्रह का उपयोग किया जाना है।** इसमें भूमि अभिलेखों और पंजीकरण के कम्प्यूटरीकरण, रिकार्ड रूमों के आधुनिकीकरण और अभिलेख प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है।

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) 2008 का उद्देश्य भूमि अभिलेखों के प्रबंधन का आधुनिकीकरण करना, भूमि/संपत्ति विवादों के दायरे को कम करना, भूमि अभिलेख अनुरक्षण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और अंततः देश में अचल संपत्तियों के लिए गारंटीकृत निर्णायक स्वामित्व की ओर बढ़ने की सुविधा प्रदान करना है।

- मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और हस्तांतरण और पंजीकरण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण
- मानचित्रों का डिजिटलीकरण और स्थानिक और पाठ्य रिकॉर्ड जैसे **सभी डेटा प्रकारों को एकीकृत करना**
- **सर्वेक्षण** और **पुनर्सर्वेक्षण** और निपटान रिकॉर्ड **अपडेट** करना
- **कोर जीआईएस का विकास और क्षमता निर्माण**
- DLRMP का उद्देश्य प्रकल्पित हकदारी से निर्णायक और राज्य-गारंटीकृत हकदारी की ओर बढ़ने का है।
- NLRMP अब नरेंद्र मोदी शासन की प्रमुख डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है।

भूमि डिजिटलीकरण की आवश्यकता

- भूमि डिजिटलीकरण **स्पष्ट भूमि हकदारी सुनिश्चित करेगा, जिससे गरीबों के लिए औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से उधार लेना आसान हो जाएगा।** शहरी क्षेत्रों में, इससे **अचल संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता आएगी।**
- यह प्रतिष्ठित डोमेन के दुरुपयोग के बजाय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए **वाणिज्यिक भूमि अधिग्रहण को आसान** बनाएगा।
- यह **उन लोगों के मुद्दों को हल करेगा जो संघर्ष, बेदखली** और उनकी भूमि पर अतिक्रमण के **प्रति सुभेद्य** हैं।
- यह **धोखाधड़ी वाले संपत्ति सौदों के दायरे को** काफी कम कर देगा।
- **रिकॉर्ड तक मुफ्त पहुंच** नागरिक और सरकारी अधिकारियों के बीच इंटरफेस को कम करेगी, जिससे किराया मांगने और उत्पीड़न को कम किया जा सकेगा।

भारत में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में चुनौतियां

- **विभागों में कई दस्तावेजों की आवश्यकता:** भारत में भूमि स्वामित्व विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए कई दस्तावेजों के माध्यम से स्थापित किया जाता है, जिससे उन तक पहुंचना बोझिल हो जाता है, इस प्रकार डिजिटलीकरण प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, बिक्री विलेख पंजीकरण विभाग में संग्रहीत किए जाते हैं, नक्शे सर्वेक्षण विभाग में संग्रहीत

किए जाते हैं, और संपत्ति कर प्राप्तियां राजस्व विभाग के पास होती हैं।

- **कुछ राज्यों में भूमि रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण में खराब प्रगति:** जबकि कर्नाटक और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने भूमि रिकॉर्ड का 100% कंप्यूटरीकरण पूरा कर लिया है, कई अन्य अभी भी कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं।
- **भूमि संघर्ष डिजिटलीकरण को प्रभावित** करते हैं: सैकड़ों कानूनों और **हकदारी के स्पष्ट प्रमाणों** की कमी का मतलब है कि भूमि और संपत्ति से संबंधित मामले भारतीय अदालतों में सभी नागरिक मामलों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बनाते हैं, जो भूमि सुधारों के आधुनिकीकरण को और प्रभावित करते हैं।
- **भूमि स्वामित्व और भूस्वामियों की पहचान संबंधी मुद्दे:** यह सर्वविदित है कि भारत में भूमि रिकॉर्ड अस्पष्ट हैं और स्वामित्व की गारंटी नहीं देते हैं। भारत में पंजीकृत बिक्री विलेख की एक प्रणाली मौजूद है, जिसका अर्थ है कि लेनदेन पंजीकृत हो जाता है, न कि भूमि की हकदारी।
- **कैडस्ट्रल मानचित्र बनाने में देरी:** मानचित्र भूमि रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण घटक बनाते हैं क्योंकि वे संपत्ति की सीमाओं पर डेटा और स्वामित्व की सटीक सीमाओं पर विवरण प्रदान करते हैं। हालांकि, सभी केडस्ट्रल मानचित्र नहीं बनाए गए हैं और यहां तक कि डीआईएलआरएमपी जैसी योजनाओं में सभी भौगोलिक क्षेत्रों के लिए स्थानिक डेटा भी सत्यापित नहीं किया गया है।
- **पंजीकृत बिक्री विलेख की प्रणाली:** केवल लेनदेन के पंजीकरण की अनुमति है, न कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 और पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार हकदारी।
- **डेटा विसंगतियां:** चूंकि भूमि प्रलेखन डेटा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा बनाए रखा जाता है, इसलिए उन्हें अक्सर अपडेट नहीं किया जाता है।
- **संपत्ति पंजीकरण की उच्च लागत:** लोग स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से बचने के लिए पंजीकरण से बचते हैं।
- **पंजीकरण अधिनियम, 1908:** अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान नहीं है जैसे कि सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण और एक वर्ष से कम समय के लिए पट्टे पर भूमि का लेनदेन।
- **जागरूकता की कमी:** अधिकांश लोग डिजिटल रूप से अशिक्षित हैं और वे भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के बारे में जागरूक नहीं हैं।
- **मानव संसाधन की कमी:** वास्तविक और सम्पूर्ण आंकड़े को डाटा केंद्र में डालने के लिए तकनीकी और सक्षम मानव संसाधन की कमी
- **साइबर सुरक्षा:** साइबर खतरों के **प्रति सुभेद्यता**, इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क का मुद्दा।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की दिशा में सरकार के प्रयास

- **स्वामित्व योजना:** भारत में भूमि डिजिटलीकरण के प्रयासों को गांवों के सर्वेक्षण और बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण के शुभारंभ के बाद केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिला।
- **डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):** भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। कार्यक्रम का लक्ष्य भूमि और संपत्ति विवादों के दायरे को सुव्यवस्थित और कम करना था, जिससे भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव के भीतर पारदर्शिता में सुधार हो सके।
- राजस्थान विधानमंडल ने **अप्रैल 2016 में राजस्थान शहरी भूमि (हकदारी प्रमाणन) अधिनियम पारित किया।** यह कानून सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार राजस्थान में भूमि के स्वामित्व के लिए गारंटर है, और दोषपूर्ण हकदारी के मुद्दों के मामले में मुआवजा प्रदान करेगी।
- **कर्नाटक "भूमि परियोजना"** के तहत भूमि रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने वाला भारत का प्राथमिक राज्य था।
- **मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा** भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में सबसे सरल प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्य हैं, जो दिल्ली स्थित थिंक-टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) द्वारा तैयार किए गए वार्षिक भूमि रिकॉर्ड सूचकांक के अनुरूप है।

भूमि सुधार और कृषि उत्पादकता

- **बिचौलियों का उन्मूलन:** जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। "लैंड टू टिलर्स" कार्यक्रम जिसने भूमि पर किसानों के अधिकारों को मान्यता दी, ने कृषि में और निवेश को प्रोत्साहित किया।
- **किरायेदारी सुधार:** उन्होंने किरायेदारों के अधिभोग अधिकारों और विनियमित किराए की पुष्टि की जो लगाए जा सकते थे। इसने भी किसानों को कृषि उपज में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।
- **भूमि होल्डिंग्स का पुनर्गठन:** भूमि सीलिंग अधिनियमों को एक व्यक्ति की भूमि की मात्रा को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसे सीमित सफलता मिली क्योंकि केवल 2% भूमि को इसके द्वारा पुनर्गठित किया गया था।
- **भूदान और सर्वोदय क्षण का प्रोत्साहन:** उन्होंने लोगों की चेतना से लोगों के कल्याण के लिए भूमि दान करने की अपील की।

- **भूमि होल्डिंग का समेकन:** यह दक्षता में सुधार के लिए पेश किया गया था। यह पंजाब, हरियाणा में सफल रहा लेकिन दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में विफल रहा।
- **सामूहिक संयुक्त खेती:** इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं के लाभों का लाभ उठाने के लिए ग्राम समुदायों के तहत व्यक्तिगत भूमि जोत को सामूहीकरण करना था। यह असफल रहा क्योंकि लोग अपनी भूमि को अलग नहीं करना चाहते थे।
- **राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम:** 2008 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को अपडेटेड और डिजिटल बनाना था। इसने भूमि धारकों के स्वामित्व में स्पष्टता लाई है और पारदर्शिता का संचार किया है।

भूमि सुधार केवल पुनर्वितरण के साधन नहीं थे बल्कि सामाजिक परिवर्तन के साधन थे। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाया और उन्हें उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जहाँ हम कभी अनाज आयातक हुआ करते थे वहीं आज भारत कृषि वस्तुओं के अग्रणी वैश्विक उत्पादक (साथ ही निर्यातक) में से एक बन गया है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. देश के कुछ हिस्सों में भूमि सुधारों ने सीमांत और छोटे किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारने में केसे मदद की? (2021)
2. कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उन कारकों की पहचान करें जो भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए जिम्मेदार थे। (2016)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधारों, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित करें। भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के डिजाइन और कार्यान्वयन में कठिनाइयों पर चर्चा करें। (2013)

❖ ❖ ❖

33 भारत में मानव विकास

मानव विकास का अर्थ

- मानव विकास को लोगों की स्वतंत्रता और संभावनाओं को बढ़ाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव विकास लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है बजाय यह उम्मीद करने के कि बढ़ी हुई आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप सभी के लिए खुशी बढ़ेगी। इसमें स्वस्थ भौतिक वातावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक कई विकल्प शामिल हैं। इस प्रकार मानव प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लोगों के पसंद को बढ़ाना है।

लोगों की पसंद में निम्नलिखित तत्व शामिल हो सकते हैं-

- स्वस्थ और दीर्घ जीवन व्यतीत करना।
- शिक्षित होना।
- राजनीतिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों की गारंटी, और जीवन के सभ्य स्तर के लिए आत्म-सम्मान जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुंच प्रदानकरना।

मानव विकास के आयाम

1. **उत्पादकता:** यह मानव श्रम की उत्पादकता को दर्शाता है। हमारा ध्यान उत्पादकता बढ़ाने के लिए मानव श्रम की क्षमता बढ़ाने पर होना चाहिए। इस प्रकार उनके ज्ञान में सुधार करने और श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास होने चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी।
2. **समानता:** यह सुनिश्चित करती है कि सभी लोगों के पास संसाधनों तक पहुँचने का समान अवसर है। लोगों को उनके लिंग, जातीयता, आय, सामाजिक स्थिति, या भारत के मामले में, जाति के बावजूद अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए। जैसे भारत बिना किसीधर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के सार्वजनिक रोजगार तक पहुंच प्रदान करता है।
3. **स्थिरता:** स्थिरता में आर्थिक विकास, पर्यावरण देखभाल और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन सुनिश्चित करते हुए, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना शामिल है।

   उदाहरण के लिए शून्य-अपशिष्ट आंदोलन एक जीवन शैली है जो लोगों को सभी प्रकार के संसाधनों को चक्रीय तरीके से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जैसे प्राकृतिक दुनिया में होता है
4. **सशक्तिकरण:** सशक्तिकरण का अर्थ है लोगों के पास शक्ति और अपने स्वयं के जीवन पर नियंत्रण होना। लोगों को वह समर्थन मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है जो उनके लिए सही होता है। सशक्तिकरण का अर्थ है कि लोग समान नागरिक हैं। वे अपने समुदायों में सम्मानित और आत्मविश्वासयुक्त हैं

   लोगों को सशक्त बनाने के लिए, सुशासन और जन- केंद्रित नीतियां आवश्यक हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित आबादी का सशक्तिकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

   जैसे कंपनी के निर्णयों में कर्मचारियों को शामिल करना, प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करना आदि।

मानव विकास हेतु दृष्टिकोण

1. बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) इस रणनीति की वकालत करने वाला पहला संगठन था। विकास के लिए एक बुनियादी जरूरत (बीएन) दृष्टिकोण वह है जो सभी लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता देता है । मूलभूत आवश्यकता को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है: उनमें हमेशा पोषण के कुछ मानकों की पूर्ति, (भोजन और पानी), और स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं के सार्वभौमिक प्रावधान शामिल हैं।
2. आय दृष्टिकोण- यह मानव विकास का सबसे पुराना दृष्टिकोण है। आय को मानव विकास से जुड़ा हुआ माना जाता है। मूल आधार यह है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी आय में परिलक्षित होती है। किसी की आय जितनी अधिक होगी, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा।

3. क्षमता दृष्टिकोण- यह दृष्टिकोण प्रो अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ है। क्षमता दृष्टिकोण एक सैद्धांतिक ढांचा है जिसमें दो मानक दावे शामिल हैं: पहला, यह दावा कि कल्याण प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राथमिक नैतिक महत्व है और, दूसरा, कि भलाई को लोगों की क्षमताओं और कामकाज के संदर्भ में समझा जाना चाहिए।
4. कल्याणकारी दृष्टिकोण- यह दृष्टिकोण मनुष्य को सभी विकास गतिविधियों के लाभार्थियों या लक्ष्यों के रूप में देखता है। दृष्टिकोण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक माध्यमिक और सुविधाओं पर उच्च सरकारी व्यय के लिए तर्क देता है।

यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट

- यह रिपोर्ट 1990 से जारी की जाती है।
- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित की गई है।
- इस रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य अवसरों, पसंद और स्वतंत्रता के विस्तार की दिशा में योगदान देना है।
- **इस साल की रिपोर्ट का विषय:** अनसर्टेन टाइम, अनसेटल्ड लाइव्स: स्लीपिंग अवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन।
- मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत की रैंक 2020 में 130वें से फिसलकर 2022 में 132वें स्थान पर आ गई है, जो कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एचडीआई रैंकिंग में वैश्विक गिरावट के अनुरूप है।

मानव विकास को मापना

1. मानव विकास सूचकांक

- यह एक सांख्यिकीय उपकरण है जिसका उपयोग देश के सामाजिक और आर्थिक आयामों में समग्र उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है।
- यह 1990 के दशक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम **(UNDP)** द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
- महबूब उल हक के साथ मिलकर अमर्त्य सेन ने इस सूचकांकको विकसित किया था।
- मानव विकास रिपोर्ट में शामिल अन्य सूचकांक असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (आईएचडीआई) लिंग विकास सूचकांक (जीडीआई), लिंग असमानता सूचकांक (जीआईआई) और बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) हैं।
- एचडीआईमानव विकास के तीन बुनियादी आयामों में किसी देश की औसत सफलता को मापता है:
  1. स्वस्थ और लंबा जीवन- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा।
  2. ज्ञान तक पहुंच- अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष
  3. जीवन-यापन का उच्च स्तर- प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (क्रय शक्ति समानता में)।
- एचडीआईसूचकांक मान 0 और 1 के बीच होता है।
- सूचकांक में देशों को मूल्य और रैंकिंग के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है-
  1. **बहुत उच्च**- 0.80 और उससे अधिक के एचडीआई के लिए।
  2. **उच्च**- 0.70 से 0.79 तक।
  3. **मध्यम**- 0.550 से 0.699 तक
  4. **कम** - 0.550 से नीचे।
- **2021 में मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में** 191 देशों में भारत **132वें स्थान पर है।**

एचडीआई के मूल्यांकन की आलोचना:

- एचडीआई **के घटकों के बीच सौदेबाजी:** एचडीआईअपने घटकों के बीच सौदेबाजी को निहित रूप से मानता है जब ये मापन हमेशा समान नहीं हो सकते हैं। जीवन प्रत्याशा और जीएनआई प्रति व्यक्ति के विभिन्न संयोजनों के माध्यम से देश समान एचडीआई प्राप्त कर सकते हैं।
- **एचडीआई हाल की नीतियों के परिवर्तनों को दर्शाने में सुस्त है:** संयुक्त राष्ट्र स्वयं भी स्वीकार करता है कि एचडीआई मानव विकास का एक व्यापक उपाय नहीं है। एचडीआई दीर्घावधि (जैसे जीवन प्रत्याशा) में परिवर्तनों को दर्शाता है और यह देश के नागरिकों के जीवन में हाल के नीतिगत परिवर्तनों और सुधारों को दर्शाने में धीमा है।

गुण	अवगुण
• इसके आर्थिक और सामाजिक दोनोंसूचकांक हैं और इसलिए यह बहुआयामी है।	• इसमें लैंगिक मुद्दे और भेदभाव शामिल नहीं हैं।
• यह विकास के अंतिम उद्देश्य पर केंद्रित है और विकास के अर्थ को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।	• इसमें आय असमानता, राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता शामिल नहीं है। • इसमें पर्यावरण सूचकांकशामिल नहीं हैं।

मानव विकास के संबंध में भारत के लिए चुनौतियां:

- **कम सकल नामांकन अनुपात:** भारत में स्कूलबीच में छोड़ने वालों की बड़ी संख्या आर्थिक और सामाजिक कल्याण में बाधा डालती है और एक गैर-नवोन्मेषी वातावरण बनाती है। एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल बीच में छोड़ने वालों की बड़ी संख्या का कारण न केवल आर्थिक तंगी और घरेलू या आर्थिक कार्यों में बच्चों का नियोजन है, बल्कि शिक्षा में उनकी रुचि की बढ़ती कमी भी है।
- **अच्छी शिक्षा बुनियादी ढांचे का अभाव:** काफी हद तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अच्छी बुनियादी सुविधाओं जैसे अच्छी कक्षा, बेहतर पानी और स्वच्छता सुविधाओं, सीखने हेतु डिजिटल सुविधाओं और खेल सुविधाओं आदि से निर्धारित होती है।
- **लैंगिक असमानता:** महिलाओं के विकास में गतिशीलता की कमी और कई लैंगिक रूढ़ियों के प्रसार के कारण पारंपरिक रूप से महिलाओं को विकास से अलग कर दिया गया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार पुरुषों में 57.75% की तुलना में भारतीय महिलाओं के बीच श्रम बल भागीदारी दर सिर्फ 23.15% है।
- **अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं** - सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच गुणवत्ता में काफी अंतर है और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में निवेश एक समान नहीं है क्योंकि यह राज्य का विषय है। यह भारत की निम्न और मध्यम आय आबादी को स्वास्थ्य पर खर्च करने और उनके विकास की गतिशीलता को रोकने और उन्हें गरीबी के जाल में फंसने के लिए मजबूर करता है।
- **कुपोषण** - गरीबी, असमानता, अनुचित बाल देखभाल और खाद्य सुरक्षा के कारण भारत में **कुपोषण की गंभीर समस्या है।** भारत में कुपोषण की वजह से मानव विकास में सुधार और बाल मृत्यु दर में और कमी के कारण सालाना लगभग 10 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं।वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव**- अधिकांश भारतीय कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा तक कोई पहुंच नहीं है। भारत की लगभग 88% श्रम शक्ति दैनिक मजदूरों के रूप में बिना अनुबंध वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और गिग कामगारों के रूप में कार्यरत है।

आगे किए जाने वाले कार्य

- प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से समकेन्द्रीययोजना में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को हल करना आवश्यक है।
- जैसा कि अमर्त्य सेन ने सुझाव दिया है कि विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की नीति को 3 आर पर ध्यान देना चाहिए-
  - रीच- हासिल करने के कारण तक पहुंच।
  - रेंज- तरीकों और साधनों का उपयोग किया जाए।
  - कारण- प्राथमिकता का पालन करना चाहिए।
- समाज के सीमांत वर्गों को शामिल करने और सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रित प्रयास होने चाहिए जो वर्तमान में अपने विकल्पों का विस्तार करने और जीवन स्तर सुधारने के लिए स्वतंत्र नहीं थे।
- सार्वभौमिक शिक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली देश में कई मुद्दों को हल करने और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए एक व्यापक प्रयास हो सकती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

1. लगातार उच्च विकासदर के बावजूद, भारत में अभी भी मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर है। उन मुद्दों की जांच करें जो संतुलित और समावेशी विकास को कठिन बनाते हैं। (2016)

1. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई)

- यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा जारी किया जाता है।
- यह सूचकांक एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्रोत है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में सघन बहुआयामी गरीबी को मापता है।
- इसे पहली बार 2010 में ओपीएचआई **और यूएनडीपीद्वारा जारी किया गया था।**
- यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों में अभाव की निगरानी करता है और इसमें शिक्षा, जीवन स्तर गरीबी की सघनता के साथ-साथ घटना दोनों शामिल हैं।
- एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब माना जाता है यदि वह भारित संकेतकों (दस संकेतकों में से) के एक तिहाई या अधिक (अर्थात् 33% या अधिक) से वंचित है। जो लोग भारित संकेतकों के एक आधे या अधिक से वंचित हैं, **उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीबी में रहने वाले माना जाता है।**

- **2022 की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:**
  - 22.8 करोड़ के साथ भारत में दुनिया भर में सबसे अधिक गरीब लोगरहते हैं।
  - इनमें से लगभग दो तिहाई लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिसमें कम से कम एक व्यक्ति कुपोषण से पीड़ित है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित बहु-आयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किसे कवर करता है? (2012)

1. घरेलू स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं का अभाव
2. राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति समानता
3. राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटा और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की सीमा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2 और 3

(*c*) केवल 1 और 3

(*d*) 1, 2 और 3

2. असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक

- यह यूएनडीपी द्वारा 2010 से प्रकाशित किया जाता है।
- यह असमानता को चौथा आयाम मानता है।
- यह न केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और आय पर किसी देश की औसत उपलब्धियों पर विचार करता है बल्कि यह भी देखता है कि असमानता के स्तर के अनुसार प्रत्येक आयाम के औसत मूल्य में छूट देकर उन उपलब्धियों को अपने नागरिकों के बीच कैसे वितरित किया जाता है।

3. वास्तविक प्रगति सूचकांक

- वास्तविक प्रगति सूचकांक(जीपीआई) हरित अर्थशास्त्र और कल्याण अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जिसे आर्थिक विकास केमापक के रूप में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिस्थापनमापक के रूप में सुझाया गया है।
- सकल घरेलू उत्पाद के विपरीत इसके समर्थकों द्वारा यह दावा किया जाता है कि वे गैर-आर्थिक विकास को अधिक भरोसेमंद रूप से अलग करते हैं - सकल घरेलू उत्पाद के लगभग सभी समर्थक स्वीकार करेंगे कि कुछ आर्थिक विकास बहुत हानिकारक है।
- जीपीआई अपनी कार्यप्रणाली के लिए तीन सरल अंतर्निहित सिद्धांतों का उपयोग करता है:
  1. आय असमानता का लेखा जोखा,
  2. इसमें गैर-बाजार लाभ शामिल हैं जो सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं हैं।
  3. यह पर्यावरणीय क्षरण, मानव स्वास्थ्य प्रभाव और अवकाश के समय की हानि जैसे मापदंडों की पहचान और कटौती करता है।

4. सामाजिक प्रगति सूचकांक

- इसे सोशल प्रोग्रेस इंपीरेटिव नाम के एनजीओ ने प्रकाशित किया है।
- यह स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, व्यक्तिगत सुरक्षा, अवसर तक पहुंच, सहिष्णुता, समावेशन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद जैसे कल्याण के संकेतकों पर देशों का मूल्यांकन करता है।
- यह किसी भी आर्थिक मापदंड को ध्यान में नहीं रखता है और इसलिए यह इस विचार की वकालत करता है कि:
  - आर्थिक दृष्टि से प्रगति को मापना वास्तविक चीजों की व्यापक तस्वीर पर विचार करने में विफल रहता है जो वास्तविक लोगों के लिए मायने रखती है;
  - आर्थिक और सामाजिक प्रगति के बीच कोई संबंध नहीं है।
- सामाजिक प्रगति सूचकांक 51 विभिन्न संकेतकों पर 149 देशों के सामाजिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
- कुछ सबसे प्रमुख संकेतक निम्नलिखित हैं-
  1. स्वास्थ्य
  2. व्यक्तिगत अधिकार
  3. समावेशिता
  4. शिक्षा
  5. पोषण
  6. आश्रय
  7. सुरक्षा
  8. व्यक्तिगत स्वतंत्रता
  9. स्वच्छता

5. सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक

- **सकल राष्ट्रीय खुशहाली शब्द 1970 के दशक में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक द्वारा गढ़ा गया है।**
- जीएचआई की अवधारणा का तात्पर्य है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मानव कल्याण के गैर-आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए।

- सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक 9 क्षेत्रों के तहत वर्गीकृत 33 संकेतकों से विकसित एक एकल संख्या सूचकांक है।
- सकल राष्ट्रीय खुशहालीकी अवधारणा को इसके चार स्तंभों द्वारा समझाया जा सकता है-
  1. सुशासन
  2. सतत सामाजिक आर्थिक विकास।
  3. सांस्कृतिक संरक्षण।
  4. पर्यावरण संरक्षण।

6. विश्व खुशहाली रिपोर्ट

- विश्व खुशहालीरिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है।
- यह रिपोर्ट 146 देशों की तुलना करती है और रैंक करती है कि उनके नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं।
- रैंकिंग पुलिंग (गैलप वर्ल्ड पोल डेटा के आधार पर) पर आधारित है जो 6 प्रमुख मदों को ध्यान में रखती है-
  1. जीडीपी प्रति व्यक्ति (क्रय शक्ति समानता के मामले में)
  2. सामाजिक सहयोग
  3. जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा।
  4. जीवन के चुनाव करने की स्वतंत्रता।
  5. उदारता
  6. भ्रष्टाचार की धारणा।
- 2020 की रिपोर्ट ने पहली बार दुनिया भर के शहरों को उनके व्यक्तिपरक कल्याण के आधार पर स्थान दिया और इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे सामाजिक शहरी और प्राकृतिक वातावरण खुशहाली को प्रभावित करते हैं।

विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022

- यह रिपोर्ट विश्व खुशहाली रिपोर्ट की 10वीं वर्षगांठ है।
- इसने कोविड-19 के दूरगामी प्रभावों के वर्तमान कल्याण और व्यापक विश्लेषण पर रिपोर्ट दी।
- विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक 2021 में 139 से सुधर कर 136 हो गई।
- फिनलैंड लगातार पांचवें साल सबसे खुशहाल देश बना।
- अफगानिस्तान को क्रमशः लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना के बाद सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया था।

क्या आप जानते हैं?

- **अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस**- यह हर साल 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है। यूएन ने माना कि खुशहाली की खोज एक मौलिक लक्ष्य है। 2022 की थीम है- 'बिल्ड बैक हैप्पियर', जो कोविड 19 महामारी से विश्व के उबरने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- **दिल्ली का खुशहाली पाठ्यक्रम**- शिक्षा क्षेत्र में2018 में शुरू किया गया यह पाठ्यक्रम दिल्ली सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। सीखने के प्रतिफल चार श्रेणियों में फैले हुए हैं-
  1. दिमागदार और चौकन्ना बनना
  2. महत्वपूर्ण सोच और प्रतिक्रिया का विकास करना
  3. सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकास करना।
  4. एक आत्मविश्वासी और सुखद व्यक्तित्व का विकास करना।
- **मध्य प्रदेश** 2016 में खुशहाली विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। विभाग भूटान की तर्ज पर खुशहाली के बारे में ज्ञान संसाधन केंद्र के रूप में काम करता है।
- **आंध्र प्रदेश खुशहाली विभाग वाला दूसरा राज्य बन गया है ।**

7. ओईसीडी का बेहतर जीवन सूचकांक

- यह सूचकांक सभी देशों के कल्याण की तुलना करता है।
- इसे 2011 में बनाया गया था।
- सूचकांक और उपकरण ओईसीडी बेहतर जीवन पहल के हिस्से के रूप में विकसित किए गए थे।
- यह सूचकांक उन 11 विषयों पर आधारित है जिन्हें ओईसीडी ने भौतिक जीवन स्थितियों और जीवन की गुणवत्ता के क्षेत्रों में आवश्यक के रूप में चिन्हित किया है।
- 11 विषयों में आवास, आय, रोजगार, समुदाय, शिक्षा, पर्यावरण, नागरिक जुड़ाव, स्वास्थ्य, जीवन संतुष्टि, सुरक्षा और कार्य-जीवन संतुलन शामिल हैं।

8. लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई)

- यह लैंगिक असमानता के निर्धारण के लिए एक नया सूचकांक है जिसे यूएनडीपी द्वारा 2010 की एचडीआई रिपोर्ट में बनाया गया था।
- यह सूचकांक एक समग्र मूल्यांकन है जो लैंगिक असमानता के कारण एक राष्ट्र में उपलब्धि के नुकसान को दर्शाता है और ऐसा करने के लिए तीन आयामों का उपयोग करता है।

1. प्रजनन स्वास्थ्य- मातृ मृत्यु दर।
2. सशक्तिकरण-राजनीतिक भागीदारी
3. श्रम बाजार की भागीदारी- आर्थिक गतिविधि को मापता है।

- 2022 मेंभारत 122वें स्थान पर है।

9. लैंगिक विकास सूचकांक(जीडीआई)

- यूएनडीपी अपनी मानव विकास रिपोर्ट के एक भाग के रूप में जीडीआई की गणना करता है।
- जीडीआई महिला से पुरुष एचडीआई मूल्यों का अनुपात है।
- भारत विश्व औसत से भी काफी पीछे है।

10. वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक

- यह विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- यह उप मापकों के साथ चार प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता की दिशा में देशों की प्रगति पर बेंचमार्क करता है-
  1. आर्थिक भागीदारी और अवसर - श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिशत, समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्जित आय।
  2. शैक्षिक उपलब्धि - प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में साक्षरता दर और नामांकन दर।
  3. स्वास्थ्य और उत्तरजीविता- जन्म के समय लिंगानुपात और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा।
  4. राजनीतिक अधिकारिता -संसद और मंत्री पदों पर महिलाओं का प्रतिशत।
- चार उप-सूचकांकों के साथ-साथ समग्र सूचकांक पर जीजीजी सूचकांक 0 और 1 के बीच स्कोर प्रदान करता है, जहां 1 पूर्ण लैंगिकसमानता दिखाता है और 0 पूर्ण असमानता दिखाता है।
- यह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सूचकांक है, जो 2006 में अपनी स्थापना के बाद से समय के साथ इन अंतरालों को खत्म करने की दिशा में प्रगति की निगरानी करता है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्लूईएफ) ने वर्ष 2022 के लिए अपने वैश्विकलैंगिक असमानता सूचकांक में 146 देशों में से भारत को 135 वें स्थान पर रखा।

- भारत का समग्र स्कोर 0.625 (2021 में) से सुधर कर 0.629 हो गया है, जो 2006 के बाद से इसका सातवां उच्चतम स्कोर है।

विश्व आर्थिक मंच

- विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह 1971 में एक गैर-लाभकारी न्यास के रूप में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

प्रमुख रिपोर्ट:

- ऊर्जा संक्रमण सूचकांक।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट।
- वैश्विक आईटी रिपोर्ट
- डब्लूईएफ, इनसीड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है।
- वैश्विकलैंगिक असमानता रिपोर्ट
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट
- वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट।

मानव पूंजी परियोजना

- मानव पूंजी परियोजना अधिक इक्विटी और आर्थिक विकास के लिए मानव शक्ति में अधिक और बेहतर निवेश को गति देने का एक वैश्विक प्रयास है।
- अक्टूबर 2022 तक, सभी आय स्तरों पर 86 देश अपने मानव पूंजी परिणामों को बदलने के लिए सामरिक दृष्टिकोण पर विश्व बैंक समूह के साथ काम कर रहे हैं।
- एचसीपी कार्यक्रम जागरूकता बढ़ाने और मानव पूंजी के निर्माण के लिए हस्तक्षेप की मांग बढ़ाने के लिए वकालत, माप और विश्लेषणात्मक कार्य का एक कार्यक्रम है।
- **एचसीपी के तीन घटक हैं-**
  1. मानव पूंजी मापन जिसे मानव पूंजी सूचकांक (एचसीआई) कहा जाता है
  2. नीति कार्रवाई को सूचित करने के लिए मापन और अनुसंधान का कार्यक्रम
  3. मानव पूंजी में निवेश में तेजी लाने के लिए देश की रणनीतियों के समर्थन का कार्यक्रम।

मानव पूंजी सूचकांक

- यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है
- एचसीआई विभिन्न देशों में मानव पूंजी के महत्वपूर्ण पहलुओं की तुलना करता है।
- **भारत** एचसीआई **2020 में 180 देशों में से 116वें स्थान पर है।**

- एचसीआई पांच प्रमुख क्षेत्रों को मापता है-
  1. 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर
  2. गुणवत्ता-समायोजित स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष
  3. स्वास्थ्य पर्यावरण जैसा संकेत दिया गया है
  4. 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग की दर
  5. वयस्कों के जीवित रहने की दर।
- इन मापदंडों को इसलिए चुना गया क्योंकि अध्ययनों से पता चलता है कि वे जनसंख्या की उत्पादकता से निकटता से जुड़े हुए हैं।
- **मानव पूंजी सूचकांक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  1. नीतिगत कार्यों को सूचित करने के लिए विकास पर मापन और अनुसंधान
  2. मानव पूंजी में निवेश के लिए राजनीतिक प्रोत्साहन तैयार करना।
  3. देश द्वारा मानव पूंजी में निवेश में तेजी लाने के लिए रणनीतियों के लिए समर्थन कार्यक्रम।
- एचसीआई 0 और 1 के बीच की एक संख्या है जो वर्तमान परिस्थितियों में अब पैदा हुए बच्चे की 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपेक्षित उत्पादकता को दर्शाता है।

लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक

- सूचकांक मापता है कि कैसे सामाजिक मान्यताएं राजनीति, कार्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बाधित करती हैं, और इसमें 75 देशों के आंकड़े शामिल हैं, जो दुनिया की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी को कवर करते हैं।
- सूचकांक को उन अदृश्य बाधाओं के बारे में पता चला जिनका सामना महिलाओं को समानता हासिल करने में करना पड़ता है - संभावित रूप से तथाकथित ष्बंधनोंष को तोड़ने के लिए एक रास्ता बनाना।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा पहला लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक वर्ष 2020 में जारी किया गया था।

2020 की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं-

- लगभग 90% लोग, पुरुष और महिला दोनों, महिलाओं के प्रति पक्षपाती हैं।
- लगभग 50% का मानना है कि पुरुष बेहतर राजनेता बन सकते हैं।
- 40% से अधिक का मानना है कि पुरुष बेहतर बिजनेस एक्जीक्यूटिव होते हैं।
- 28% का मानना है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी को पीटना जायज है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विकासात्मक क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं को खत्म करने के साथ-साथ राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करने में ठोस प्रगति के बावजूद, शक्ति का अंतराल अभी भी मौजूद है।
- जबकि पुरुष और महिलाएं के मत का मूल्य समान है, **दुनिया भर में केवल 24 प्रतिशत संसदीय सीटों पर महिलाएं काबिज हैं और 193 सदस्य देशों में से केवल 10 देशों में महिला प्रमुख हैं।**
- महिलाओं को समान काम करने वाले पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है और उनके वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति होने की संभावना बहुत कम होती है।

बीजिंग+25

- बीजिंग घोषणापत्र और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन महिलाओं के अधिकारों की उन्नति के लिए एक खाका है। 2020 घोषणापत्र की 25वीं वर्षगांठ (बीजिंग+25) को चिह्नित करता है। 1995 में चौथे विश्व महिला सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणापत्र को अपनाया गया था।

मानव पूंजी बनाम मानव विकास

मानव पूंजी	मानव विकास
• मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने का साधन मानती है।	• मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य अपने आप में साध्य है।
• मानव पूंजी मनुष्य को प्राप्ति के साधन के रूप में मानती है; प्राप्ति उत्पादकता में वृद्धि है।	• मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं क्योंकि जब लोगों में पढ़ने और लिखने की क्षमता होगी और एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता होगी, तभी वे अन्य विकल्प चुनने में सक्षम होंगे जो उनके लिए मूल्यवान हैं।
• यह तुलनात्मक रूप से एक संकीर्ण अवधारणा है।	• यह तुलनात्मक रूप से एक व्यापक अवधारणा है।

मानव पूंजी सूचकांक [एचसीआई] - महामारी प्रभाव

- महामारी मानव पूंजी विकास में एक दशक की प्रगति को खतरे में डालती है, जिसमें स्वास्थ्य, उत्तरजीविता दर, स्कूल नामांकन और विकास अवरूद्धता में कमी शामिल है।

- एक अरब से अधिक युवाओं को स्कूल छोड़ना पड़ा है और उनकी शिक्षा का आधा साल बरबाद हो सकता है।
- इसने महिलाओं और बच्चों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर रुकावटें पैदा की हैं, कई बच्चे महत्वपूर्ण टीकाकरण से वंचित हैं।
- कोविड-19 का प्रभाव, विशेष रूप से विकासशील देशों पर गंभीर रूप से पड़ा है और औपचारिक और अनौपचारिक बाजार का पतन हुआ है, साथ ही सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क भी बहुत सीमित है और रोजगार में 12 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है।

भारत केंद्रित चिंताएँ:

- एचसीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का स्कोर अपने क्षेत्र और आय वर्ग के औसत से कम है।
- नतीजतन, चाहे वह स्वास्थ्य मद जैसे विकास की अवरूद्धता और वेस्टिंग या स्कूलों में नामांकन और शैक्षणिक उपलब्धियों की गुणवत्ता हो, भारत अधिकांश देशों से पीछे है।
- रिपोर्ट बताती है कि भारत की जनसंख्या की उत्पादकता उसकी क्षमता का केवल 44 प्रतिशत है।
- नीतिगत दृष्टिकोण से, इसका मतलब है कि लंबे समय में भारत की आय का 56 प्रतिशत हमेशा की तरह खर्च होगा।
- इस प्रकार भारत की मानव पूंजी ठीक से विकसित नहीं हुई है, यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की कई रिपोर्टों और सर्वेक्षणों का पुनरीक्षण किया गया है।

इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया

- भारत सरकार ने संक्षेप में एचसीआई के निष्कर्षों को पूरी तरह से 'अनदेखा' किया है और सरकार की आपत्तियाँ कई स्तरों पर थीं।
- सरकार का तर्क है कि एचसीआई ने हाल के दिनों में समग्र शिक्षा अभियान (शिक्षा के लिए) से लेकर आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य के लिए) तक किए गए प्रयासों पर विचार नहीं किया।
- सरकारी अधिकारियों ने तर्क दिया कि डिजिटल युग में मानव पूंजी की स्थिति को मापने के लिए एचसीआई ने औद्योगिक युग के मापक का उपयोग किया।
- कुछ पद्धतिगत अशुद्धियों और आंकड़ों के अंतर के बारे में भी काफी आपत्तियां थी।

जनसांख्यिकीय लाभांश

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के अनुसार, जनसांख्यिकीय लाभांश आर्थिक विकास क्षमता है जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकता है, मुख्य रूप से जब जनसंख्या का कामकाजी आयु वाली आबादी (15 से 64) का हिस्सा गैर कामकाजी आयु वर्ग के हिस्से (14 और उससे कम, और 65 और अधिक)की तुलना में बड़ा होता है।
- **उदाहरण के लिए:** बीसवीं शताब्दी के अंत में एशिया में जनसांख्यिकीय लाभांश देखा गया। सकल घरेलू उत्पाद सात गुना बढ़ गया, एक आर्थिक उछाल जिसे **''एशियाई आर्थिक चमत्कार''** के रूप में वर्णित किया गया।

भारत में स्थिति:

- भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। भारत में, कुल जनसंख्या का लगभग 66 प्रतिशत भाग (808 मिलियन से अधिक) 35 वर्ष से कम आयु का है।
- 2020 में, अमेरिका और चीन में 37 और जापान में 49 की तुलना में भारत में जनसंख्या की औसत आयु 28 वर्ष थी।
- जापान ने 1964 से 2004 तक जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाया।
- 2018 के बाद से, भारत की कामकाजी उम्र की आबादी (15 से 64 साल की उम्र के बीच के लोग) इसकी निर्भर आबादी से बड़ी हो गई है। कामकाजी उम्र की आबादी में यह उछाल वर्ष 2055 तक रहने वाला है।
- यह परिवर्तन काफी हद तक कुल प्रजनन दर (टीएफआर, जो प्रति महिला जन्म की संख्या है) में कमी के कारण होता है, जब जीवन प्रत्याशा में वृद्धि स्थिर हो जाती है।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) द्वारा भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश पर किए गए अध्ययन से दो दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं।
- भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर 2005-06 से 2055-56 तक पाँच दशकों के लिए उपलब्ध है, जो दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक है।
- यह जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर जनसंख्या मापदंडों के अलग-अलग व्यवहार के कारण उपलब्ध है।
- घटती प्रजनन क्षमता (वर्तमान में 2.0) के साथ, बढ़ती औसत आयु (2036 तक 36 वर्ष होने की उम्मीद), एक गिरती निर्भरता अनुपात (आने वाले दशकों में 65% से 54% तक कम होने की उम्मीद है, काम करने की उम्र के रूप में 15-59 वर्ष जनसंख्या), भारत जनसांख्यिकीय संक्रमणकाल में है। यह तेजी से आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ने का अवसर प्रदान करता है।

जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ:

- **बेहतर आर्थिक विकास:** उच्च कामकाजी उम्र की आबादी और कम आश्रित आबादी के कारण आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। जनसांख्यिकीय लाभांश उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में समग्र विकास में ने ऐतिहासिक रूप से 15% तक का योगदान दिया है।
- **भविष्य में उत्पादक श्रम बल** जनसंख्या में बच्चों की कम संख्या प्रति बच्चे उच्च निवेश को सक्षम बनाता है। इसलिए, भविष्य में श्रम बल की उत्पादकता बेहतर हो सकती है और इस प्रकार आय में वृद्धि हो सकती है।
- **महिला अधिकारिता:** प्रति परिवार बच्चों की कम संख्या आम तौर पर महिलाओं को औपचारिक कार्यबल में प्रवेश करने की अधिक स्वतंत्रता देती है, यह भी विकास का एक नया स्रोत हो सकता है।
- **बचत दर में वृद्धि**, क्योंकि कामकाजी उम्र भी बचत की प्रमुख अवधि होती है। यह अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए बचत को निवेश की ओर ले जाने में सक्षम करेगा और इस प्रकार एक अच्छे चक्र का निर्माण करेगा।
- **नए वर्ग का उदय:** यदि जनसांख्यिकीय क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, तो एक मध्यम वर्गीय समाज की ओर बड़े पैमाने पर बदलाव होगा, अर्थात आकांक्षी वर्ग का उदय होगा।
- **तेजी से औद्योगीकरण और शहरीकरण:** रोजगार चाहने वाली आबादी की अधिक संख्या के कारण जो उच्च आर्थिक गतिविधियों होंगी।
- **नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा:** एक बड़ी युवा आबादी भी उद्यमिता और नवाचार का एक स्रोत हो सकती है, क्योंकि युवाओं को कम जोखिम-प्रतिकूल और नई संभावनाओं को तलाशने के रूप में जाना जाता है। इसलिए, तकनीकी युग में, जब स्टार्ट-अप उद्यम आर्थिक विकास और रोजगार के लिए एक उत्प्रेरक हैं, इतने सारे युवाओं का होना एक बहुत बड़ा लाभ है।

जनसांख्यिकीय लाभांश से संबंधित चुनौतियाँ:

- **बढ़ती बेरोजगारी:** जनसांख्यिकीय लाभांश को पूरी तरह से तभी महसूस किया जा सकता है जब भारत इस कामकाजी उम्र की आबादी के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम हो। हालाँकि, बाहरी और आंतरिक कारकों के कारण, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है जिससे युवाओं की क्षमता अनुपयोगी हो गई है।
- **कौशल की कमी:** भविष्य में पैदा होने वाले अधिकांश रोजगार में अत्यधिक कुशलता की आवश्यकता होगी और भारतीय कार्यबल में कौशल की कमी एक बड़ी चुनौती है। कम मानव पूंजी आधार और कौशल की कमी के कारण भारत अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो सकता है।
- **निम्न मानव विकास मानदंड:** भारत यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में से 130वें स्थान पर है, जो चिंताजनक है। इसलिए, भारतीय कार्यबल को सक्षम और कुशल बनाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के मापदंडों में काफी सुधार करने की आवश्यकता है।
- **अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक प्रकृति** भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण के लाभों को प्राप्त करने में एक और बाधा है।
- **क्षेत्रीय रूप से असंतुलित जनसांख्यिकीय परिवर्तन:** कार्य-आयु अनुपात में वृद्धि भारत के कुछ सबसे गरीब राज्यों में केंद्रित होने की संभावना है। पांच राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों कुल प्रजनन दर में प्रतिस्थापन-स्तर से नीचे (2.1) है, उत्तर प्रदेश और बिहार के आंकड़े क्रमशः 2.35 और 3 के उच्च स्तर पर हैं। पहले से ही, अधिकांश पूर्वी राज्यों में आजीविका की कमी के कारण बड़े पैमाने पर श्रमिकों का पलायन हुआ है - पहले पंजाब में खेती की ओर, और अब शहरी नौकरी केन्द्रों (दिल्ली/एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, आदि) की ओर।

उपरोक्त चुनौतियों को दूर करने के उपाय:

- **रोजगार सृजन:** कार्यबल में युवा लोगों को जोड़ने के लिए राष्ट्र को प्रति वर्ष दस मिलियन रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है। व्यवसायों के हितों और उद्यमिता को बढ़ावा देने से बड़ी श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
- युवा आबादी की **रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास।** भारत की श्रम शक्ति को आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए सही कौशल के साथ सशक्त दबनाने की आवश्यकता है। सरकार ने 2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों को स्किलिंग या अप-स्किलिंग करने के समग्र लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम **(NSDC)** की स्थापना की गई है।
- **राष्ट्रीय ट्रांसफर खाते (NTA) के आकलन को अद्यतन करना:** भारत का प्रति व्यक्ति खपत पैटर्न अन्य एशियाई देशों की तुलना में काफी कम है। भारत में एक बच्चा 20 से 64 वर्ष की आयु के वयस्क द्वारा खपत का लगभग 60% उपभोग

करता है, जबकि चीन में एक बच्चा एक प्रमुख आयु वयस्क की खपत का लगभग 85% उपभोग करता है। 2011-12 से शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश पर हुई प्रगति को पकड़ने के लिए भारत के एनटीए डेटा को अद्यतन करने की आवश्यकता है। राज्य-विशिष्ट एनटीए की गणना हर साल की जानी चाहिए और युवाओं में निवेश के लिए राज्यों के आकलन करने की आवश्यकता है।

- **बच्चों और किशोरों में अधिक निवेश करना:** भारत निजी और सार्वजनिक मानव पूंजी व्यय के मामले में एशिया में पिछड़े स्थान पर है। इसे बच्चों और किशोरों में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से बचपन के दौरान पोषण और सीखने में। यह देखते हुए कि भारत का कार्यबल कम उम्र में शुरू होता है, दक्षिण कोरिया की तरह माध्यमिक शिक्षा से सार्वभौमिक कौशल और उद्यमिता में परिवर्तन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **स्वास्थ्य निवेश:** भारत के आर्थिक विकास के साथ स्वास्थ्य व्यय में गति नहीं आई है। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1% पर स्थिर बना हुआ है। साक्ष्य बताते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य बेहतर आर्थिक उत्पादन की सुविधा देता है। इसलिए, जनसांख्यिकीय लाभांश के दौरान स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का मसौदा तैयार करना महत्वपूर्ण है।
- **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना:** नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार भारत में परिवार नियोजन की अपूरित मांग 9.4% है, जो चीन में 3.3% और दक्षिण कोरिया में 6.6% की तुलना में अधिक है। जिसे कम करने की जरूरत है।
- **शिक्षा में लैंगिक असमानता को कम करना शिक्षा** लैंगिक असमानता को कम करने में सहायक है। शिक्षा में लैंगिक असमानता एक बड़ी चिंता का विषय है। भारत में, लड़कियों की तुलना में लड़कों के माध्यमिक और तृतीयक विद्यालय में नामांकित होने की संभावना अधिक होती है। फिलीपींस, चीन और थाईलैंड में इसके विपरीत है।
- **महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना:** 2019 तक, 20.3% महिलाएँ कार्यरत थीं या काम की तलाश कर रही थीं, यह 2003-04 में 34.1% था। 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी के लिए उपयुक्त नए कौशल और अवसरों की तत्काल आवश्यकता है।
- **राज्यों के बीच विविधता को संबोधित करना:** दक्षिणी राज्य, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण में उन्नत हैं, में पहले से ही वृद्ध लोगों का प्रतिशत अधिक है। हालाँकि, पूर्वी राज्यों को भारत के कार्यबल का भंडार माना जाता है। प्रवासन पर राजनीति को प्रबंधित करना होगा ताकि राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण पर एक साथ काम किया जा सके।
- **शहरीकरण:** आने वाले वर्षों में बड़ी युवा और कामकाजी आबादी अपने और अन्य राज्यों के शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाएगी, जिससे शहरी आबादी में तेजी से और बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी। इन पलायन करने वाले लोगों को शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक कैसे पहुंच प्राप्त हो सकती है, यह शहरी नीति योजना का फोकस होना चाहिए।
- **संघीय सहयोग:** जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए शासन सुधारों के लिए एक नया संघीय दृष्टिकोण राज्यों के बीच नीति समन्वय के लिए प्रवासन, उम्र बढ़ने, कौशल, महिला कार्यबल भागीदारी और शहरीकरण जैसे विभिन्न उभरती हुई जनसंख्या के मुद्दों पर लागू करने की आवश्यकता होगी। रणनीतिक योजना, निवेश, निगरानी और पाठ्यक्रम सुधार के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय इस शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए।

केंद्रीय बजट 2022: सर्व समावेशी कल्याण केन्द्रित

- **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF):** यह उच्च शिक्षण संस्थानों और कौशल विकास संस्थानों में पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के साथ उद्योग की आवश्यकताओं को संरेखित करना चाहता है ताकि बेरोजगारी और कुशल श्रम की अनुपलब्धता के बीच के संघर्ष को आसानी से हल किया जा सके।
- **ई-विद्या का विस्तार:** महामारी के समय में ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठाने के लिए, सरकार ने ई-विद्या को 200 चौनलों तक बढ़ाने की योजना बनाई है ताकि क्षेत्रीय भाषाओं में भी शिक्षा की सुविधा मिल सके। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों के लिए लाभकारी होगा।
- **डिजिटल विश्वविद्यालय:** यह देश भर के छात्रों को अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से एक व्यक्तिगत शिक्षा अनुभव के माध्यम से विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेगा।

- **शिक्षा और कौशल विकास:** जनसांख्यिकीय लाभांश के दोहन के लिए बजट में विभिन्न योजनाएं रखी गई हैं।
- **कौशल विकास और आजीविका के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (डीईएसएच-स्टैक) ई-पोर्टल:** इसका दोहरा उद्देश्य नागरिकों को कुशल बनाना और उन्हें रोजगार खोजने में मदद करना है।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना:** महामारी के दौर में स्वास्थ्य अवसंरचना के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है। स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं को लेकर आई है:
- **राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम लोगों की मानसिक समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने में मदद करेगा। इसमें तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले **IIIT-Bangalore** के साथ **NIMHANS** कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र:** यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए डिजिटल पहचान प्रदान करने के अलावा डॉक्टरों और अस्पतालों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- **अन्य सामाजिक अवसंरचना:** सरकार पीएम आवास योजना और हर घर, नल से जल योजनाओं के माध्यम से क्रमश: सभी को बेहतर आवास सुविधाएं और पीने योग्य पेयजल प्रदान करना चाहती है। **8.7 करोड़ घरों** में पेयजल की सीधी आपूर्ति शुरू की जा चुकी है। साथ ही, सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अगले वर्ष लगभग **80 लाख घर बनाने की योजना बनाई है।**

❖ ❖ ❖

34 ब्रेटन वुड्स संस्थान

- **द्वितीय विश्व युद्ध** के बाद दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र अधिक **सजातीय वैश्विक वित्तीय व्यवस्था** के निर्माण के लिये उत्सुक थे एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के आगमन के साथ एक नई और अधिक स्थिर विश्व व्यवस्था के प्रति आशान्वित थे।
- **एक नई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली** पर समझौते तक पहुँचने के लिये, **संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और 42 अन्य** (कुल 44 देशों) देशों के प्रतिनिधि जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में एकत्रित हुए।
- **विश्व बैंक (अपने पहले समूह संगठन IBRD के साथ) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसे सामूहिक रूप से 'ब्रेटनवुड्स जुड़वाँ' के रूप में जाना जाता है, बैठक में स्थापित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** की स्थापना वर्ष **1944 में** हुई थी और 27 दिसंबर, 1945 को इस समझौते के अनुच्छेद प्रभाव में आए।
- इसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में विनिमय दरों को नियंत्रित करना, सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार **(SDR)** प्रदान करना, दुनिया भर के सदस्य देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा देनदारियों को खरीदना है और यह भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

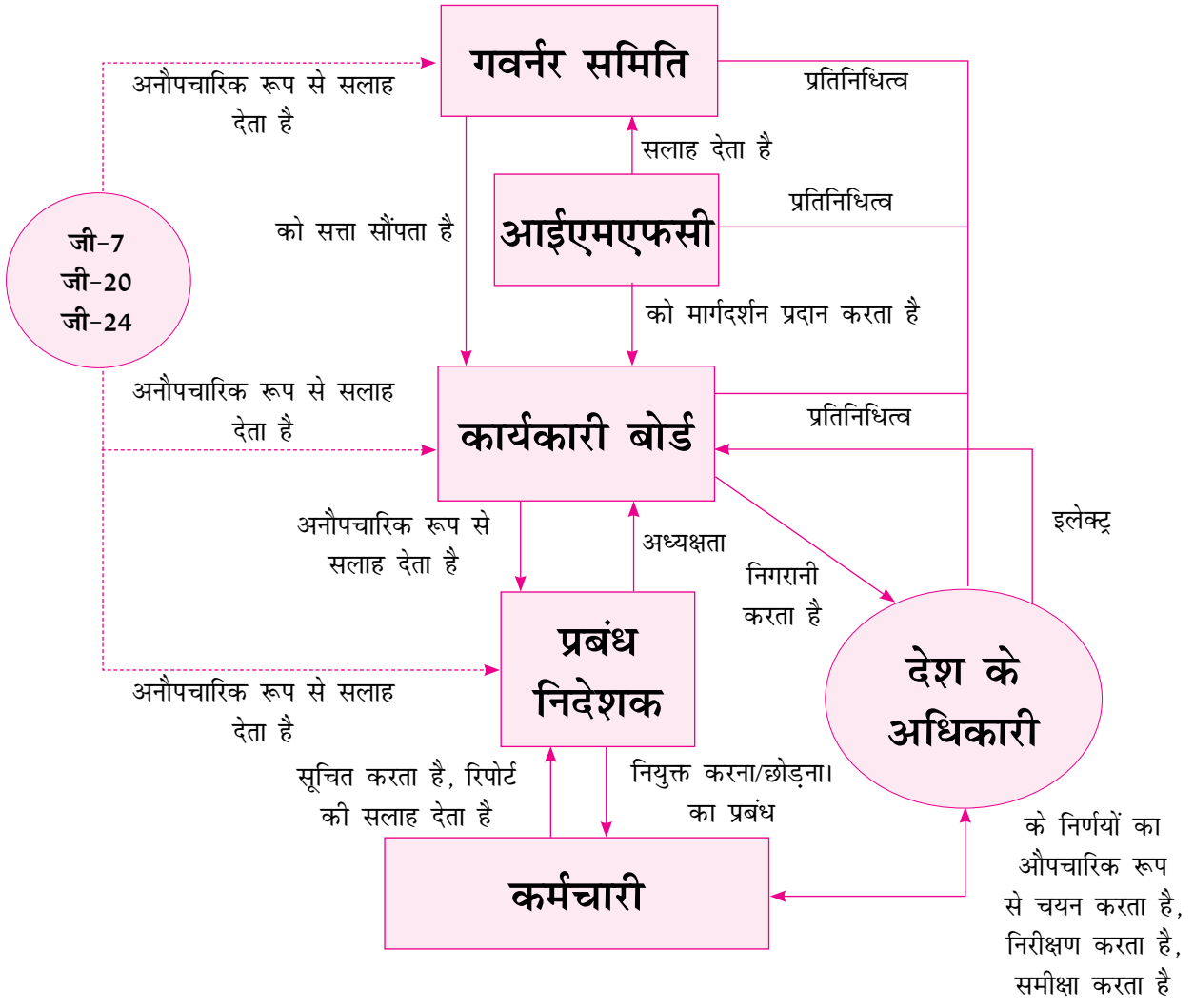
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य उद्देश्य नीचे सूचीबद्ध हैं

- अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना।
- विनिमय दर स्थिरता और व्यवस्थित विनिमय व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना।
- एक बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली के निर्माण और विदेशी मुद्रा प्रतिबंधों को हटाने में सहायता करना।
- एक संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करना।
- अपने भुगतान संतुलन **(BoP)** में असंतुलन को दूर करने के लिये अल्पकालिक वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति करके सदस्य देशों का समर्थन करना।
- निरंतर आर्थिक विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से उच्च रोजगार को बढ़ावा देना।
- दुनिया भर में गरीबी को कम करना।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य:
- **वित्तीय सहायता:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को भुगतान संतुलन के मुद्दों का सामना करने के लिये विदेशी भंडार को फिर से भरने, मुद्राओं को स्थिर करने और आर्थिक विकास के लिये माहौल में सुधार करने के लिये ऋण प्रदान करता है। सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पर्यवेक्षण किये जाने वाले संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम शुरू करने चाहिये।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निगरानी:** यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर नजर रखता है और अपने 190 सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संभावित स्थिरता जोखिमों की पहचान करता है और इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आवश्यक नीतिगत समायोजन पर दिशा-निर्देश प्रदान करता है, जो विश्व स्तर पर और अलग-अलग देशों से संबंधित होते हैं।
- **क्षमता विकास:** यह केंद्रीय बैंकों, वित्त विभागों, कर अधिकारियों और अन्य वित्तीय संस्थानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह राष्ट्रों को राजस्व संग्रह बढ़ाने, उनके बैंकिंग बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करने, मजबूत कानूनी ढाँचे का निर्माण करने, शासन को मजबूत करने और समष्टि अर्थशास्त्र एवं वित्तीय डेटा की रिपोर्टिंग में सुधार करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त यह सतत विकास लक्ष्य की ओर बढ़ने में देशों की सहायता करता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संगठनात्मक संरचना

- **संयुक्त राष्ट्र (UN),** आईएमएफ **(IMF)** का मूल संगठन, आईएमएफ **(IMF)** के प्रशासन और उचित कामकाज की देखरेख के लिये जिम्मेदार है।
- **प्रबंध निदेशक आईएमएफ (IMF)** का प्रमुख होता है, जिसे **कार्यकारी बोर्ड द्वारा 5 वर्षों के कार्यकाल के लिये चुना जाता है।**
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में **बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मंत्रिस्तरीय समितियां और कार्यकारी बोर्ड** शामिल होते हैं।

Stylized view of IMF governance



बोर्ड ऑफ गवर्नर्स

- प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व **एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर** द्वारा किया जाता है। दो गवर्नर्स को प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा चुना जाता है।
- यह **कार्यकारी बोर्ड के कार्यकारी निदेशकों** को चुनने या नियुक्त करने का प्रभारी है।
- **यह बढ़े हुए कोटा, सदस्यों को विशेष आहरण अधिकार** के आवंटन को मंजूरी प्रदान करता है।
- यह नए सदस्यों के प्रवेश और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सदस्यों की **अनिवार्य वापसी के लिये जिम्मेदार** है।
- यह समझौते के अनुच्छेद और उपनियमों में संशोधन कर सकता है।
- दो मंत्रिस्तरीय समितियाँ, **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (IMFC) और विकास समिति,** बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देती हैं।
- अपने संबंधित संगठनों के काम पर चर्चा करने के लिये **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक वार्षिक बैठकों के दौरान वर्ष में एक बार मिलते हैं।

मंत्रिस्तरीय समितियाँ:

- दो मंत्रिस्तरीय समितियाँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (IMFC):	• **IMFC**, 24 सदस्यों से बनी होती है, जिन्हें सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिये 190 गवर्नरों के एक पैनल से चुना जाता है। • यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली के प्रबंधन के मुद्दों से संबंधित होती है। • यह समझौते के अनुच्छेदों में संशोधन के लिये कार्यकारी बोर्ड के प्रस्तावों और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले आम चिंता के किसी भी अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करती है। • विश्व बैंक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ IMFC की बैठकों में पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लेती हैं।
विकास समिति:	• विकास समिति एक संयुक्त समिति है, जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 25 सदस्यों से बनी है। • इसका काम विकासशील और उभरते बाजार देशों में आर्थिक विकास से संबंधित मामलों पर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देना है। • यह महत्त्वपूर्ण विकास मुद्दों पर अंतर-सरकारी सहमति प्राप्त करने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।

कार्यकारी बोर्ड

- इसके **24 सदस्य** हैं जो सभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा चुने जाते हैं।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के **दिन-प्रतिदिन के संचालन** का प्रबंधन करता है और समझौते के अनुच्छेद द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा इसे दी गई शक्तियों को क्रियान्वित करता है।
- इसमें सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के वार्षिक आकलन से लेकर वैश्विक आर्थिक नीति संबंधी चिंताओं तक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संचालन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
- बोर्ड अक्सर सर्वसम्मति से अपने फैसले करता है, लेकिन कभी-कभी औपचारिक मतदान भी आयोजित किये जाते हैं।
- प्रत्येक सदस्य का मत उसके मूल मतों (सभी सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित) और कोटा-आधारित मतों के बराबर होते हैं। **एक सदस्य की मतदान शक्ति उसके कोटे से निर्धारित होती है।**

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंधन

- **IMF** के प्रबंध निदेशक कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष और **IMF** स्टाफ के प्रमुख दोनों के रूप में कार्य करते हैं।
- कार्यकारी बोर्ड मतदान द्वारा या आम सहमति से प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का विकल्प चुन सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता

- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समझौते के अनुच्छेदों** और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा **निर्धारित शर्तों** के अनुसार, कोई अन्य राज्य, चाहे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो या नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन सकता है।
- **IMF** की सदस्यता प्राप्त करने के लिये किसी देश के पास **IBRD की सदस्यता अवश्य होनी चाहिये।**
- **कोटा अंशदान:** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने पर, प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक मौद्रिक योगदान देता है ,जिसे कोटा अंशदान के रूप में जाना जाता है। यह राशि देश के धन और आर्थिक प्रदर्शन (कोटा फॉर्मूला) द्वारा निर्धारित की जाती है।
- **कोटा फॉर्मूला:**
  - सकल घरेलू उत्पाद (50%) का भारित औसत [च्च्च् विनिमय दरों (40% अधिभार) और बाजार विनिमय दरों (60%) के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद का मिश्रण प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिये उपयोग किया जाता है]।
  - अर्थव्यवस्था का खुलापन (30%)
  - आर्थिक परिवर्तनशीलता (15%)
  - अंतर्राष्ट्रीय भंडार (5%)।
- **सदस्यों का कोटा** (वह राशि जो वे संस्था में योगदान करते हैं) सीधे उनकी मतदान शक्ति से संबंधित है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपनी मुद्रा के विनिमय मूल्य का निर्धारण करने के लिये अपने स्वयं के तंत्र का चयन करने की अनुमति देता है। एकमात्र शर्त यह है कि सदस्य देश अपनी मुद्रा की कीमतों का आधार स्वर्ण से तय न करते हों (जो अत्यधिक कठोर साबित हुआ है), और यह कि सदस्य सटीक रूप से प्रकट करता है कि यह मुद्रा के मूल्य को अन्य सदस्यों के लिये कैसे निर्धारित करता है।

विशेष आहरणअधिकार (SDRS):

- **SDR** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिये बनाई गई **अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति** हैं।
- 'ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम' की समाप्ति के बाद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक प्रकार के **''डिपॉजिट बैंक''** में बदल गया, जहाँ सदस्य उन्हें दिये गए कोटा के अनुपात में मुद्राएँ जमा करेंगे (उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार, खुलेपन के स्तर के आधार पर) आदि।)
- उन्हें अपनी जमा राशि के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मामूली ब्याज दर प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त **IMF** इस नकदी को **भुगतान संतुलन संकट** का सामना कर रहे सदस्य को उधार देगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस प्रणाली को संचालन में लाने के लिये **SDR**-एक कृत्रिम मुद्रा और लेखा इकाई-सदस्यों को उनकी जमा राशि के आधार पर आवंटित करेगा।
- **SDR की कीमत शुरू में सोने की मात्रा के अनुपात में** तय की गई थी, लेकिन अब **SDR** के मुद्रा मूल्य की गणना बाजार विनिमय दरों पर **यू.एस. डॉलर में मुद्राओं की एक SDR टोकरी के मूल्यों को जोड़कर की जाती है।**
- **SDR के करेंसी बास्केट में शामिल हैं:** अमेरिकी डॉलर (वेटेज 41.73), यूरो (30.93), चीनी रॅन्मिन्बी '2015 में जोड़ा गया (10.92), जापानी येन (8.33), पाउंड स्टर्लिंग (8.09)।
- **SDR को ''पेपर गोल्ड''** के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें कोई वास्तविक गोल्ड शामिल नहीं होता है; यह केवल एक लेखा इकाई या कृत्रिम मुद्रा है।
- सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में **उनकी सापेक्ष हिस्सेदारी के अनुपात में SDR आवंटित किये जाते हैं।**
- **SDR** अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्यों द्वारा धारित मुद्राओं पर किये गए दावे हैं, जिनके लिये इसका विनिमय किया जा सकता है।
- **SDR का सदस्यों के बीच कारोबार किया जा सकता है,** सदस्यों की मुद्राओं में परिवर्तित किया जा सकता है और भुगतान लेनदेन या संकट के उनके संतुलन को हल करने के लिये उपयोग किया जा सकता है।
- यदि **BoP** का मुद्दा इतना गंभीर है कि किसी देश का संपूर्ण **SDR** कोटा समाप्त हो जाता है, तो देश **IMF** से अतिरिक्त **SDR** उधार ले सकता है (और इसे आयात बिल के भुगतान के लिये डॉलर या अन्य मुद्राओं में परिवर्तित कर सकता है), लेकिन सदस्य को अंततः इसकी आवश्यकता होगी इस ऋण को ब्याज सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को चुका दें।
- **SDR** में कोटा व्यक्त (वर्णित) किया जाता है।
- उन अवधियों को छोड़कर जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अवकाश पर है या जब यह व्यापार के लिये बंद है, SDR मुद्रा मूल्य को हर पाँच वर्ष में संशोधित किया जाता है और वैल्यूएशन बास्केट की समीक्षा के बाद हर पाँच वर्ष में बदल दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधारों की स्थिति:

- **कोटा सुधार:**
  - भारत का कुल कोटा वर्ष **2010 में कोटा की चौदहवीं सामान्य समीक्षा के हिस्से के रूप में SDR 5821.5 मिलियन से बढ़ाकर 13,114.4 मिलियन SDR** कर दिया गया था।
  - इस वृद्धि के साथ **भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 2.75% (2.44% से)** हो जाएगी, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में **आठवाँ सबसे बड़ा कोटा रखने वाला देश बन जाएगा।**
  - **डायनेमिक इमर्जिंग मार्केट और डायनेमिक नेशंस (EMDCs)** में बदलाव के साथ सुधारों के परिणामस्वरूप सदस्य देशों के कोटा शेयरों का एक महत्त्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन होगा और सबसे गरीब सदस्य के वोटिंग शेयर की रक्षा करते हुए भी 6% से अधिक दोनों देशों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा।
  - वर्तमान कोटा प्रणाली किसी भी सुधार को लागू करना लगभग असंभव बना देती है क्योंकि उन्हें पास होने के लिये कुल **वोट के 85% से अधिक की आवश्यकता होती है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के पास लगभग 17% का मतदान हिस्सा है,** जिससे विकसित देशों के समर्थन के बिना कोटा में सुधार करना मुश्किल हो जाता है। 85% वोट 85% देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि 85% मतदान शक्ति वाले देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - **अमेरिकी कांग्रेस के विरोध के कारण,** चूँकि यह अपने हिस्से को प्रभावित कर रहा था, **2010 के कोटा सुधार जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित थे, 2016 तक लागू नहीं किए जा रहे थे।**

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कोटा लगभग **SDR 238.5 बिलियन (लगभग +329 बिलियन) से बढ़ाकर संयुक्त SDR 477 बिलियन (लगभग $659 बिलियन)** कर दिया गया। इसने **विकासशील देशों के लिये कोटा शेयर में 6% की वृद्धि** करते हुए विकसित या अधिक प्रतिनिधित्व वाले देशों के समान प्रतिशत को कम कर दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक के प्रभुत्व का मुकाबला करने और दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिये, जहाँ ब्रिक्स देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 1/5 और वैश्विक आबादी का 2/5 हिस्सा रखते हैं, ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स बैंक नामक एक संगठन नई स्थापना की।

- **अधिक प्रतिनिधि कार्यकारी बोर्ड:** वर्ष 2010 के सुधारों के हिस्से के रूप में एक सर्व-निर्वाचित कार्यकारी बोर्ड बनाने के लिये समझौते के अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, जो एक अधिक प्रतिनिधि कार्यकारी बोर्ड के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है।
- कोष के संसाधनों के उचित आकार और संरचना का मूल्यांकन करने और शासन सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अवसर **15वीं सामान्य कोटा समीक्षा** द्वारा प्रदान किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट

- **वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक**
- **वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट**

भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- **भारत IMF का संस्थापक सदस्य है।**
- **IMF** के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में **भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री** पदेन गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं। **RBI** के गवर्नर **IMF** के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं।
- पैसे के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विनियमन के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निस्संदेह बढ़ गया है। इस अर्थ में, भारत को इन उपयोगी परिणामों से लाभ हुआ है।
- **SDR 13,114.4 मिलियन (2010 में कोटा सुधारों के माध्यम से SDR 5821.5 मिलियन से अधिक)** के कोटा के साथ, भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में **2.76% (2.44% से वृद्धि)** हिस्सेदारी है। भारत के पास अब **IMF** में आठवाँ सबसे बड़ा कोटा रखने की स्थिति है।
- विभाजन के बाद भारत ने विशेष रूप से डॉलर और अन्य कठोर मुद्राओं का उपयोग करने वाले देशों के साथ महत्त्वपूर्ण भुगतान संतुलन घाटे का अनुभव किया। **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही वह संस्था थी, जिसने भारत को संकट से उबारा था।**
- **1965-1971 के भारत-पाक संघर्ष** द्वारा लाई गई वित्तीय चुनौतियों से निपटने में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण प्राप्त हुआ।
- **31 मार्च, 1971 तक** भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 817.5 करोड़,रुपये की विदेशी मुद्रा खरीदी और वह पैसा पूरी तरह से चुकाया जा चुका है।
- वर्ष 1970 के बाद से, विशेष आहरण अधिकार की स्थापना ने उस सहायता की मात्रा को बढ़ा दिया है जो भारत **IMF** के अन्य सदस्यों के साथ, इससे प्राप्त कर सकता है (1969 में बनाए गए **SDR**)।
- खाद्य, ईंधन और उर्वरक सहित इसके आयात की कीमतों में तेज वृद्धि के परिणामस्वरूप भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के लिये मजबूर होना पड़ा।
- भारत को चालू खाते के भुगतान संतुलन में लगातार घाटे से उत्पन्न विदेशी मुद्रा संकट को दूर करने में मदद करने के लिये वर्ष 1981 में लगभग 5,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा ऋण प्राप्त हुआ।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पेशेवरों की विशेषज्ञता** का उपयोग किया। स्वतंत्र आकलन और सलाह से भारत को लाभ हुआ है।
- चूँकि **अक्टूबर 1973** में शुरू हुई तेल की कीमतों में वृद्धि ने भारत के भुगतान संतुलन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस उद्देश्य के लिये एक विशेष कोष बनाकर तेल की सुविधा प्रदान करना शुरू कर दिया है।
- **IMF** की मदद से भारत **BoP** संकट से सफलतापूर्वक उबर सकता है।
- **IMF के निदेशक मंडल में भारत का विशिष्ट स्थान है।** भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नीतियों के विकास में सम्मानजनक तरीके से योगदान दिया था। नतीजतन, भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक सराहा जाता है।
- **1993 से, भारत ने IMF से वित्तीय सहायता नहीं ली है।**
- **31 मई, 2000 को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त अपने सभी ऋणों को चुका दिया।**
- **SDR 13,114.4 मिलियन** (2010 में कोटा सुधारों के माध्यम से **SDR** 5821.5 मिलियन से अधिक) के वर्तमान कोटा के साथ, भारत **2.76% (2.44% से बढ़कर)** के शेयरहोल्डिंग प्रतिशत के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 8वाँ सबसे बड़ा कोटा धारक है।

- हालाँकि भारत अपने निर्वाचन क्षेत्र जैसे बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के साथ-साथ वोटिंग शेयर के मामले में **कार्यकारी बोर्ड के 24 निर्वाचन क्षेत्रों में से 17 वें स्थान पर है।**

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आलोचना

- **वोटिंग पावर में असमानता:** असहमति का एक बिंदु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का शासन है। कई वर्षों से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह सुनिश्चित किया है कि एक यूरोपीय **IMF** की कमान संभालेंगे और एक अमेरिकी विश्व बैंक की कमान संभालेगा। स्थिति विकासशील देशों के लिये बहुत कम उम्मीद की पेशकश करती है, जो कि वर्ष 2015 में मामूली समायोजन के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की तरह मतदान शक्ति की कमी को दर्शाती है।
- **ऋण पर सशर्तता:** ऋण से जुड़ी शर्तें अत्यधिक कठोर हैं और प्राप्तकर्ता देशों की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं। ष्सशर्तताष् अधिक कठिन परिस्थितियों को संदर्भित करता है, अक्सर ऋण को एक नीति उपकरण में परिवर्तित कर देती है।
- **सख्त नीति कार्यान्वयन:** नीतियों को उचित क्रम में लागू करने के बजाय एक साथ लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मांग करता है कि जिन राष्ट्रों ने इसे पैसा उधार दिया है, वे तुरंत सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण करें। यह मुक्त बाजार संबंधी एक अंध विश्वास की ओर ले जाता है जो निजीकरण के लिये जमीन तैयार करने की आवश्यकता की अवहेलना करता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का महत्त्व

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष **वित्तीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है।**
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा, रोजगार को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति का समर्थन करके **यह वैश्विक गरीबी उन्मूलन में भी योगदान देता है।**
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ने **कई देशों को तरलता संकट से बचने में मदद की है,** जिसमें वर्ष 1982 में मेक्सिको, 1991 में भारत और हाल ही में ग्रीस और साइप्रस शामिल हैं।
- **अंतिम उपाय के ऋणदाता के अस्तित्व से निवेशकों** का विश्वास काफी बढ़ गया है। वर्तमान वित्तीय संकट के आलोक में यह महत्त्वपूर्ण है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक सिद्धांतों के समर्थक **जेएम कीन्स** ने कहा, **''अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गोल्ड स्टैंडर्ड के बिल्कुल विपरीत है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की बेहतर प्रणाली का एक प्रयास है।''**
- किसी भी देश को आंतरिक संघर्ष, प्राकृतिक आपदा, अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आदि सहित कई कारणों से महत्त्वपूर्ण आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में किसी देश को उबरने के लिये तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्य रूप से उस **आपात स्थिति में सहयोग प्रदान करता है।**
- वित्तीय आपातकाल के मामले में, **IMF** ने अपने सदस्य देशों की मदद के लिये कई नीतियाँ लागू की हैं। **रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI) और रैपिड क्रेडिट सुविधा (RCF)** सहित **IMF** द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ आपातकालीन क्रेडिट सुविधाएँ हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण रहा है। IMF** ने अक्सर भारत को वित्तीय सहायता प्रदान की है और कुछ नीतियों पर निर्णय लेते समय देश के नेताओं को **उचित सलाह** भी प्रदान की है।

निष्कर्ष

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य राष्ट्रों को मार्गदर्शन प्रदान करता है और **जीवन स्तर को बढ़ाने, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने और आर्थिक संकटों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने वाले** उपायों की वकालत करता है। अत: हालाँकि कुछ सुधारों की आवश्यकता है पर **IMF** विश्व आर्थिक प्रगति और स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण संस्था है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. ''रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट'' और ''रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी'' निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऋण देने के प्रावधानों से संबंधित हैं: (2021)

(*a*) एशियाई विकास बैंक

(*b*) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(*c*) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल

(*d*) विश्व बैंक

2. ''वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट'' _____ (2016) द्वारा तैयार की जाती है

(*a*) यूरोपीय केंद्रीय बैंक

(*b*) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

(*c*) पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक

(*d*) आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन।

3. हाल ही में, निम्नलिखित में से किस मुद्रा को **IMF** के **SDR** बास्केट में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है? (2016)

(*a*) रूबल

(*b*) रैंड

(*c*) भारतीय रुपया

(*d*) रॅन्मिन्बी

4. अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति **(IMFC)** के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

1. **IMFC** वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले चिंता के मामलों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपने कार्य की दिशा में सलाह देता है।
2. विश्व बैंक **IMFC** की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2

(*c*) 1 और 2 दोनों

(*d*) न तो 1 और न ही 2

विश्व बैंक और विश्व बैंक समूह

- विश्व बैंक समूह के पाँच अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से दो **पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD)** और **अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) को सामूहिक रूप से विश्व बैंक कहा जाता है।**
- **ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (1944) में** इसकी स्थापना **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ की गई थी।**
- **189 देशों** और उसके पाँच घटक संस्थानों की वैश्विक साझेदारी, विश्व बैंक समूह गरीबी उन्मूलन और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।

विश्व बैंक समूह के पाँच विकास संस्थान हैं:

1. पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक **(IBRD)**
2. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ **(IDA)**
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम **(IFC)**
4. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी **(MIGA)**
5. निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र **(ICSID).**

विश्व बैंक का एक संक्षिप्त इतिहास

- **ब्रेटन वुड्स सम्मेलन,** जिसे **संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन** के रूप में भी जाना जाता है, **वर्ष 1944** में आयोजित किया गया था और वर्ष 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष **(IMF)** और पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक **(IBRD)** की स्थापना हुई।
- **IBRD** का मुख्य उद्देश्य **द्वितीय विश्व युद्ध से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये ऋण प्रदान करना था।**
- बुनियादी ढाँचे, विद्युत ग्रिड, राजमार्गों और पारगमन, बांधों और अन्य परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ धीरे-धीरे **पुनर्निर्माण से विकास पर जोर दिया गया।**
- विश्व बैंक को उस समय **विश्व बैंक समूह** के रूप में जाना जाने लगा जब **IDA**, **IFC** और **ICSID** जैसे अधिक संस्थान स्थापित किये गए।
- विश्व बैंक समूह **(WBG)** दुनिया भर के विकासशील देशों के लिये वित्तीय सहायता और ज्ञान के सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक है।
- इसके सभी पाँच संस्थान **गरीबी को दूर करने, साझा समृद्धि को सुविधाजनक बनाने और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के लिये समर्पित रूप से काम करते हैं।**
- **भारत IBRD, IFC और IDA के संस्थापक देशों में से एक है।**

सदस्यता:

- विश्व बैंक समूह में शामिल होने से पहले, किसी देश के पास **IMF की पूर्व सदस्यता** होनी चाहिये।
- **IDA**, **IFC**, या **MIGA** की सदस्यता पाने के लिये देशों को पहले **IBRD** में शामिल होना होगा।
- **ICSID** में शामिल होने के लिये उपरोक्त प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

1. देश को **IBRD** का सदस्य होना चाहिये।
2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय **(ICJ)** की संविधि के लिये एक हस्ताक्षरकर्ता।
3. परिषद के दो-तिहाई सदस्यों के वोट के बाद **ICSID** प्रशासनिक परिषद आमंत्रण।

विश्व बैंक द्वारा जारी महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट

- वर्ल्ड डवलपमेंट रिपोर्ट
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स
- प्रेषण और प्रवासन रिपोर्ट
- वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट
- अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी
- विश्व विकास संकेतक
- ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स
- इंडिया डवलपमेंट अपडेट
- यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स
- सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक

पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD)

- पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक **(IBRD)** स्वयं को एक **वैश्विक विकास सहकारी संस्था** के रूप में प्रस्तुत करता है।
- यह विश्व का **सबसे बड़ा विकास बैंक है।**
- **189 देश** इसके सदस्य हैं।
- ऋण, गारंटी, सलाहकार सेवाएँ और जोखिम प्रबंधन उपकरण प्रदान करके यह साख योग्य **मध्य-आय और निम्न-आय वाले देशों की सहायता करता है।**
- **IBRD** प्रत्येक वर्ष **अपनी इक्विटी पर रिटर्न** के साथ-साथ ऋण देने पर होने वाले **मामूली लाभ मार्जिन** से राजस्व उत्पन्न करता है। यह प्क। को धन का वार्षिक हस्तांतरण प्रदान करता है, सबसे गरीब देशों के लिये कोष, साथ ही साथ विश्व बैंक की परिचालन लागत को कवर करता है और बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिये भंडार में जाता है।
- मध्य-आय वाले देश **IBRD** के पोर्टफोलियो का 60% से अधिक हिस्सा बनाते हैं।
- **IBRD** विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का वित्तपोषण करता है और परियोजना के विकास के दौरान **ज्ञान, विशेषज्ञता और तकनीकी सहायता** प्रदान करता है।
- **IBRD** निजी व्यवसायों के साथ सहयोग नहीं करता है; यह केवल संप्रभु सरकारों के साथ व्यापार करता है।
- इसके अतिरिक्त यह सरकारों को संस्थानों और नीतियों को मजबूत करने, सेवा प्रदान करने की बाधाओं को दूर करने और अपने देशों में निवेश के माहौल को बढ़ाने में मदद करता है।
- इसका अधिकांश धन वैश्विक वित्तीय बाजारों से आता है।

भारत इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एँड डेवलपमेंट और भारत

- **भारत** इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एँड डेवलपमेंट **(IBRD) का संस्थापक सदस्य है।**
- **पहली परियोजना के रूप में भारतीय रेलवे** के साथ इसने वर्ष **1949** में भारत को ऋण देना शुरू किया।
- 1960 के दशक से **IBRD** भारत के लिये दीर्घकालिक सहायता का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत रहा है।
- भारत एक **मिश्रित देश** है, जिसका अर्थ है कि यह निम्न-मध्यम आय से मध्यम-आय की स्थिति में परिवर्तित हो रहा है।
- भारत **IDA** और **IBRD** दोनों से ऋण के लिये पात्र है और विश्व बैंक (**IBRD** + **IDA**) से सबसे बड़ा कर्जदार है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)

- **IDA विश्व बैंक समूह के संस्थानों में से एक है,** जो दुनिया के **सबसे गरीब देशों को सहायता प्रदान करता है। IDA**, जो 173 शेयरधारक राष्ट्रों द्वारा शासित है, जीवन की स्थिति को बढ़ाने, **आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और असमानता को कम करने वाली पहल के लिये अनुदान और ऋण** (''क्रेडिट'' के रूप में संदर्भित) की पेशकश करके गरीबी को कम करने का प्रयास करता है।
- **IDA** का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सबसे गरीब देशों को अनुदान और कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना है।
- **IDA दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों के लिये सहायता** के सबसे बड़े प्रदाताओं में से एक है, जिनमें से 39 अफ्रीका में हैं। यह इन देशों की बुनियादी सामाजिक सेवाओं के लिये धन का सबसे बड़ा दाता भी है।
- **IDA** के कार्यों में **ढाँचागत प्रगति, संस्थागत सुधार, स्वच्छ जल और स्वच्छता, कारोबारी माहौल में सुधार, कृषि और प्राथमिक शिक्षा** शामिल हैं।
- यह विकासशील देशों को **सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, सबसे खराब क्रेडिट रेटिंग, सबसे कम सकल राष्ट्रीय आय (GNI)** के साथ ऋण प्रदान करता है।
- **IDA** अत्यंत **रियायती शर्तों** पर ऋण प्रदान करता है। इसका मतलब है कि **IDA** क्रेडिट में शून्य या बहुत कम ब्याज दर और 30 से 38 वर्ष की चुकौती शर्तें हैं, जिसमें 5 वर्ष से 10 वर्ष की छूट अवधि शामिल है। इसके अतिरिक्त **IDA** ऋण के कारण वित्तीय संकट के जोखिम वाले देशों को अनुदान प्रदान करता है।
- **IDA के रियायती ऋण कार्यक्रमों (वित्तीय वर्ष 2019) से उधार लेने के लिये किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) $1,145** से अधिक नहीं हो सकती है।

- समानता, आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उच्च आय और बेहतर जीवन स्थितियों को बढ़ावा देने के लिये प्व। विभिन्न प्रकार की विकासात्मक परियोजनाओं का समर्थन करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ **(IDA)** पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक **(IBRD)** के कार्यों को पूरा करने के उदेश्य से कार्य करता है।
- **बहुपक्षीय ऋण राहत पहल (MDRI) और अत्यधिक ऋणग्रस्त गरीब देश (HIPC) पहल के** माध्यम से, **IDA** भी ऋण राहत के पर्याप्त स्तर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)

- **वाशिंगटन, डीसी** में स्थित **अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)** की **स्थापना 1956 में विश्व बैंक के सहयोगी के रूप में की गई थी,** लेकिन यह सदस्य देशों में **निजी क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ स्थापित एक अलग कानूनी इकाई थी, जो बाद में उन देशों के आर्थिक विकास में सहायता करेगी।**
- **IFC विश्व बैंक पर आधारित संस्था** है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विकास संगठन है जो विशेष रूप से विकासशील देशों में निजी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह **WBG** के **वाणिज्यिक क्षेत्र विंग के** रूप में कार्य करता है।
- यह वाणिज्यिक और लाभकारी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करके **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है** जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और विकास को आगे बढ़ाना है।
- परियोजनाओं को **तीसरे पक्ष के संसाधनों को जुटाने में** भी मदद मिलती है।
- **IFC** निजी क्षेत्र के साथ **उद्यमिता को प्रोत्साहित करने** और **स्थायी व्यवसायों के विकास के लिये कार्य** करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम **(IFC)** निवेश, परिसंपत्ति प्रबंधन और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है।
- यह व्यवसायों और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये धन उधार देता है।
- **IFC** उद्यमों और निजी परियोजनाओं के लिये **सात से बारह वर्ष के बीच की परिपक्वता अवधि** वाले ऋण प्रदान करता है। यह उधारकर्ताओं की मुद्रा और नकदी प्रवाह की जरूरतों को पूरा करने के लिये अलग से प्रत्येक ऋण के लिये एक उपयुक्त पुनर्भुगतान अनुसूची और अनुग्रह अवधि चुनता है। यदि किसी परियोजना को इसके लायक समझा जाता है, तो वह लंबी अवधि के ऋण या विस्तारित अनुग्रह अवधि के साथ ऋण प्रदान कर सकती है।
- यह **अपने सभी निवेशों के लिये समान ब्याज दर निर्धारित करने की नीति का पालन नहीं करता है।** प्रत्येक स्थिति में ब्याज दर पर सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के आलोक में चर्चा की जाएगी, जैसे कि इसमें शामिल जोखिम, लाभ भागीदारी के अधिकार आदि।
- **IFC** के उधार संचालन के लिये आवश्यक लगभग **सभी धन दुनिया के वित्तीय बाजारों पर ऋण दायित्वों के मुद्दे के माध्यम से जुटाए जाते हैं।**
- वर्ष 1989 में शुरू में रेटिंग प्राप्त होने के बाद **IFC** ने स्टैंडर्ड एँड पूअर्स और मूडीज से लगातार **ट्रिपल-ए रेटिंग** हासिल की है।
- **IFC** कंपनियों को **अधिक पर्यावरण के अनुकूल** प्रथाओं की ओर प्रोत्साहित करने के लिये भी कार्य करता है, खासकर जब **सुशासन स्थापित करने, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन का** सक्रिय रूप से मुकाबला करने की बात आती है।

आईएफसी (IFC) और भारत

- **भारत अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के संस्थापक सदस्यों में से एक है।**
- हाल के वर्षों में, **IFC** ने लाभप्रदता में वृद्धि की है और भारत में महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रभाव वाली परियोजनाओं में निवेश किया है।
- यह **(LIS) निम्न आय वाले राज्य** और **भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों** में अपनी कार्यप्रणाली का विस्तार कर रहा है।
- यह भारत में निवेश के माहौल में सुधार के माध्यम से सभी के लिये निजी क्षेत्र की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना है।
- माइक्रोफाइनेंस उद्योग की स्थिरता से जुड़ी वित्तीय सेवाओं और परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके **वित्तीय समावेशन** को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि **माइक्रोक्रेडिट ब्यूरो की स्थापना, जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम और आचार संहिता।**
- **स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा** (सौर और बायोमास) के विकास में संलग्न होने के साथ-साथ **कृषि व्यवसाय** सहित महत्त्वपूर्ण उप क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
- जलवायु परिवर्तन शमन परियोजनाओं और सामाजिक सेवाओं (स्वास्थ्य और शिक्षा) पर जोर देने के साथ **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs)** की स्थापना

बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)

- **वर्ष 1985 में MIGA अभिसमय,** जिसने इसके मुख्य मिशन को परिभाषित किया, **IBRD** के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को प्रस्तुत किया गया और वर्ष 1988 में विश्व बैंक समूह के नवीनतम सदस्य के रूप में **MIGA** की स्थापना की गई।

- **निवेश गारंटी,** जैसा कि नाम से पता चलता है, **MIGA** एक ऐसा संगठन है जो विकासशील देशों में किये गए निजी क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के निवेशों के लिये गारंटी के रूप में बीमा प्रदान करता है।
- **MIGA की सदस्यता सभी IBRD सदस्यों के लिये खुली है।**
- **भारत** वर्ष 1994 में **MIGA** का एक आधिकारिक सदस्य बन गया।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गरीबी कम करने और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिये, **MIGA** विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये काम करता है।
- विकासशील देशों में **अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये** विश्व बैंक समूह का एक सदस्य, **MIGA** राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋण वृद्धि के रूप में निवेशकों और उधारदाताओं को गारंटी प्रदान करता है।
- यह विशेष रूप से संवेदनशील और संघर्ष प्रभावित देशों पर विशेष ध्यान रखता है।
- **MIGA** विकासशील देशों में उधारदाताओं और निवेशकों को **राजनीतिक जोखिम बीमा** प्रदान करता है, जो अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देता है और गरीबी के स्तर को कम करता है। ऐसा बीमा किसी देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करता है।
- **राजनीतिक जोखिम बीमा के उत्पादों में शामिल हैं:**
  - संघर्ष, आतंकवाद और अस्थिरता से होने वाले नुकसान के लिये कवरेज।
  - सरकारी स्वामित्व के मुद्दे को शामिल किया गया।
  - अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में सुरक्षा।
  - यदि आप कानूनी रूप से अपनी स्थानीय मुद्रा को भौतिक नकदी में बदलने में असमर्थ हैं तो आपकी सुरक्षा की जाएगी।
- जब सरकारें अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ होती हैं, तो उपभोक्ताओं को **'क्रेडिट एन्हांसमेंट'** एक प्रकार के बीमा द्वारा सुरक्षित किया जाता है।
- एजेंसी निवेश को गैर-वाणिज्यिक खतरों से बचाने की गारंटी देती है।

निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)

- **ICSID** को वर्ष 1966 में राज्यों और अन्य राज्यों के नागरिकों के बीच **निवेश विवादों के निपटान पर कन्वेंशन (ICSID कन्वेंशन) के परिणामस्वरूप बनाया गया था।**
- विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने **अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने** के उद्देश्य को बढ़ाने के लिये बहुराष्ट्रीय **ICSID** कन्वेंशन बनाया।
- अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निवेश संधियाँ, साथ ही कई निवेश कानून और अनुबंध, **ICSID** को निवेशक-राज्य विवादों के समाधान के लिये एक मंच के रूप में मान्यता देते हैं।
- कई द्विपक्षीय निवेश संधियाँ **(BITs)** हैं, और उनमें से कई में ऐसे प्रावधान हैं जो वर्तमान और भविष्य के निवेश विवादों को **ICSID** को संदर्भित करते हैं।
- **ICSID** तथ्य-खोज, मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से विवादों के समाधान की सुविधा प्रदान करता है।
- विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से प्रत्येक मामले को एक समर्पित **ICSID** टीम दी जाती है जो पेशेवर मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- इसके अतिरिक्त यह एक **प्रशासनिक रजिस्टर** के रूप में कार्य करता है और निवेश संधियों एवं मुक्त व्यापार समझौतों के अनुसार राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानूनों के बारे में जानकारी भी प्रसारित करता है।
- **भारत ICSID का सदस्य नहीं है।**

विश्व बैंक समूह की सदस्यता

- **IBRD** समझौते के अनुच्छेदों के अनुसार, बैंक का सदस्य बनने के लिये **किसी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में शामिल होना चाहिये।**
- **IBRD सदस्यता IDA, IFC और MIGA** की सदस्यता के लिये एक पूर्व शर्त है।
- **IBRD के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की संविधि के पक्ष ICSID** प्रशासनिक परिषद के निमंत्रण पर **ICSID** में शामिल होने के पात्र होते हैं, जो इसके सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से तय होता है।

विश्व बैंक समूह और भारत

- **भारत ब्रेटन वुड्स समझौते के मूल 44 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था,** जिसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष **(IMF)** और पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक **(IBRD)** की स्थापना की।
- इसके अतिरिक्त, **यह वर्ष 1960 में IDA के साथ-साथ वर्ष 1956 में IFC का संस्थापक सदस्य** था। भारत अंततः **जनवरी 1994 में MIGA** में शामिल हो गया।
- **भारत ICSID का सदस्य नहीं है।** भारत ने जोर देकर कहा कि **ICSID** कन्वेंशन अनुचित है और **इसकी मध्यस्थता के नियम विकसित देशों के पक्ष में हैं।**

- **विश्व बैंक के अध्यक्ष ICSID के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।** मध्यस्थों को अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। असंतोषजनक होने पर पीड़ित पक्ष एक पैनल के लिये मध्यस्थता पुरस्कार की अपील कर सकता है, जिसे प्लैब्स द्वारा भी गठित किया जाएगा। भले ही फैसला जनहित के खिलाफ हो, भारतीय न्यायालयों के पास इसकी जाँच करने का कोई अधिकार नहीं है।
- **IFC ने वर्ष 1959** में भारत में अपना पहला निवेश किया, इसके बाद वर्ष **1961 में IDA** और **IBRD ने वर्ष 1949 में** भारतीय रेलवे (एक राजमार्ग निर्माण परियोजना) के लिये ऋण के साथ भारत को धन देना शुरू किया।
- **IBRD** ने 1950 के दशक में विश्व बैंक के उधार के भारत के एकमात्र स्रोत के रूप में कार्य किया।
- दशक के अंत तक भारत के बढ़ते कर्ज के मुद्दों ने सॉफ्ट लोन के लिये विश्व बैंक **(WB)** समूह के सहयोगी **IDA** की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 1960 के दशक के अंत तक, भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्त के सबसे बड़े स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम में भारी कमी कर दी थी। **विश्व बैंक तब से आधिकारिक दीर्घकालिक वित्तपोषण का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत बन गया है।**
- 1960 और 1970 के दशक में भारत को **IDA** द्वारा प्रदान किये गए सभी ऋणों का **दो-पाँचवाँ हिस्सा** प्राप्त हुआ, जो बदले में उस देश के सभी **WB** ऋणों का लगभग **तीन-चौथाई** था।
- जबकि डब्लूबी **(WB)** ने 1980 के दशक में नीतिगत सुधारों और अधिक आर्थिक उदारीकरण पर जोर देने के लिये अपना ध्यान बदल दिया, इसने भारत के खराब प्रबंधन वाले सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को उधार देना जारी रखा और भारत की बंद अर्थव्यवस्था की आलोचना में दब गई।
- **1991 के भुगतान संकट के संतुलन के बाद** ऋण पोर्टफोलियो में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। भारत तत्काल बाद में संरचनात्मक समायोजन वित्तपोषण प्राप्त करने वाले विश्व बैंक के अंतिम महत्त्वपूर्ण उधारकर्ताओं में से एक था, जिसने वित्त, कराधान और निवेश और व्यापार शासन के क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों का समर्थन किया।
- **$25-30 बिलियन की प्रतिबद्धता योजना** को भारत के लिये अधिकृत किया गया है और 2019-22 के लिये विश्व बैंक समूह **(WBG)** द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- विश्व बैंक और भारत सरकार ने **जुलाई 2020 में MSMEs के लिये आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के लिये 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर** के समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- नवंबर 2021 में भारत और विश्व बैंक द्वारा **मेघालय स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना** के लिये **40 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते** पर हस्ताक्षर किये गए थे।

भारत में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ

- स्किल इंडिया मिशन
- हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना
- स्वच्छ भारत मिशन
- समेकित बाल विकास सेवाएँ **(ICDS)**
- सर्व शिक्षा अभियान **(SSA)**
- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना
- **MSME** ग्रोथ इनोवेशन एंड इंक्लूसिव फाइनेंस प्रोजेक्ट
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना

विश्व बैंक के भीतर सुधारों की आवश्यकता

- कुछ आलोचकों ने तर्क दिया है कि विश्व बैंक अपने ''संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम'' **(SAP)** की आड़ में वास्तव में विश्व पूंजीवाद के हितों की सेवा करता है और अभी भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का वर्चस्व है। **SAP** ''मुक्त बाजार'' आर्थिक सुधारों का एक पैकेज है, जिसे विश्व बैंक ने इससे ऋण प्राप्त करने के लिये एक पूर्व शर्त बना दिया है।
- यह तर्क दिया जाता है कि **SAP** नीतियों ने स्थानीय और विश्व स्तर **पर अमीर और गरीब दोनों के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है।**
- दुनिया की **बढ़ती नई आर्थिक शक्तियों, विशेष रूप से भारत और चीन** साथ ही कुछ अन्य एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों को उचित स्थान और भूमिका देना महत्त्वपूर्ण है।
- **नेतृत्व के उत्तराधिकार पर बहस को** बहुपक्षीय संगठन के लक्ष्यों, भविष्य में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका, **समावेशी बहुपक्षवाद** को मजबूत करने की आवश्यकता और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ एवं विकासशील राष्ट्र स्थिति को मजबूत करने के लिये उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के अवसर के रूप में काम करना चाहिये।
- यदि विश्व बैंक नई वैश्विक व्यवस्था को समायोजित करने में असमर्थ है तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ अपने मार्ग का विकल्प चुन सकती हैं। उदाहरण के लिये, चीन ने एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक **(AIIB)** की स्थापना की।

- वर्तमान वैश्विक व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और विश्व बैंक के भीतर उभरती शक्तियों और विकासशील देशों को एक सार्थक आवाज प्रदान करने के लिये महत्त्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है।

विश्व बैंक समूह का महत्त्व

- **गरीबी में कमी:**
  - इसका उद्देश्य **आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिये गरीबी को कम करना है।** यह एक परिणाम के रूप में दीर्घकालिक विकास हासिल करना चाहता है।
  - पिछले कुछ वर्षों में **गरीबी में काफी कमी आई है। औसत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ी है।**
  - विश्व बैंक **''स्वास्थ्य के लिये वित्त पोषण का सबसे बड़ा बाहरी स्रोत'' और ''शिक्षा के लिये बाहरी वित्तपोषण का दुनिया का सबसे बड़ा एकल योगदानकर्ता'' है।**
- **सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई**
  - विश्व बैंक ने कई ''उत्पाद'' विकसित किये जिनका उपयोग भ्रष्टाचार से निपटने और **निवेश संहिता, वानिकी संहिता और खनन संहिता** सहित सुशासन को बढ़ावा देने के लिये किया जा सकता है।
  - इसका उद्देश्य ऐसे माहौल को बढ़ावा देना है जो निवेश के लिये अनुकूल हो।
- **कर्ज में राहत**
  - ऋण राहत एक और वैश्विक मुद्दा है, जिसे बैंक संबोधित कर रहा है।
  - **भारी ऋणग्रस्त गरीब देश (HIPC) पहल विश्व बैंक और IMF द्वारा** वर्ष 1996 में दुनिया के सबसे गरीब और सबसे ऋणी देशों को ऋण राहत देने के लिये शुरू की गई थी। यह सुनिश्चित करता है कि ऋण राहत के माध्यम से बचाए गए धन का उन पहलों में निवेश किया जाए जो गरीबी को कम करने के लिये पाए गए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा का समर्थन करने वाले।
  - 'एन्हांस्ड **HIPC** इनिशिएटिव' के तहत जिन राष्ट्रों ने अपनी पूर्णता सीमा प्राप्त कर ली है, उन्हें **IDA**, **IMF** और **AfDF** से पूर्ण ऋण रद्दीकरण मिलेगा।
  - **बहुपक्षीय ऋण राहत (MDRI) पहल** की स्थापना **G8 नेताओं** द्वारा वर्ष 2005 में ग्लेनेगल्स में अपने शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- **गरीबों को शामिल करना**
  - गरीबों को विकास के केंद्र में रखना विश्व बैंक की सभी पहलों का एक प्रमुख घटक है।
  - पूंजी परियोजनाओं के वित्तपोषण में **निम्न और मध्यम आय वाले देशों की** सरकारों की सहायता के लिये विश्व बैंक ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
  - अविकसित सदस्य देशों में रोजगार के अवसरों और आर्थिक संभावनाओं का विस्तार करना।
  - यह ब्याज मुक्त वित्तपोषण और कम ब्याज दरों के साथ ऋण दोनों प्रदान करने की योजना बना रहा है।
- **सबसे बड़ी विकास-संबंधी अनुसंधान सुविधाएँ**
  - बैंक दुनिया के सबसे बड़े विकास अनुसंधान संस्थानों में से एक है। इसके विशेषज्ञ विभाग हैं जो पर्यावरण, न्याय, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण से संबंधित मुद्दों पर अन्य देशों को सलाह देने के लिये इस जानकारी का उपयोग करते हैं।
- **स्थिरीकरण सहायता:**
  - संघर्षरत देशों में विश्व बैंक के महत्त्व को कम करना असंभव है। यह युद्धग्रस्त आबादी की सहायता करने, शांतिपूर्ण विकास को फिर से शुरू करने और हिंसक संघर्ष को फिर से बढ़ने से रोकने के लिये वैश्विक स्तर पर किये गए प्रयासों का समर्थन करता है।
- **भारत के विकास को वित्त प्रदान करना**
  - विश्व बैंक वर्तमान में 28 अरब डॉलर से अधिक की कुल 127 चल रही परियोजनाओं के माध्यम से भारत का समर्थन करता है।
- **सामाजिक विकास को बढ़ावा**
  - इसका उद्देश्य निवेश के माध्यम से समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को आगे बढ़ाना है।
  - इसके अतिरिक्त यह **व्यक्तिगत अधिकारों** की रक्षा करने और **न्यायिक और कानूनी संस्थानों के विकास** को सुनिश्चित करने के लिये काम करता है।
  - यह शिक्षा को बढ़ावा देकर अपने सदस्य देशों की सरकारों को मजबूत करने की इच्छा रखता है।

विश्व बैंक की आलोचना

- यह कहा गया है कि यह **अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों द्वारा अपने हितों को आगे बढ़ाने वाले आर्थिक नियमों को लागू करने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है।**

- आलोचकों का तर्क है कि मुक्त बाजार सुधार रणनीतियाँ, जिन्हें बैंक अक्सर वास्तविकता में बढ़ावा देता है, **यदि अनुचित तरीके से, जल्दबाजी में (शॉक थेरेपी), गलत क्रम में, या अत्यंत संवेदनशील, अप्रतिस्पर्द्धी अर्थव्यवस्थाओं में लागू की जाती हैं, तो अक्सर आर्थिक विकास के लिये विनाशकारी होती हैं।**
- विश्व बैंक अपने **घोषित और वास्तविक लक्ष्यों के बीच विसंगति के रूप में** देखने वाले आलोचकों के निशाने पर आ गया है। आलोचकों का तर्क है कि विभिन्न अफ्रीकी राष्ट्र जो अनिवार्य रूप से विश्व बैंक के ''स्वामित्व'' में हैं, संस्था द्वारा उत्पन्न किये गए नकारात्मक प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं। **कई अफ्रीकी राष्ट्र जिन्हें विशेष रूप से विश्व बैंक से संबंधित हैं, में राष्ट्रीय ऋण का उच्च स्तर है।**
- इसका श्रेय उन आर्थिक सिद्धांतों को दिया जा सकता है जो अविश्वसनीय रूप से अविकसित क्षेत्र में प्रचलित थे। इस तथ्य के बावजूद कि दुनिया के सबसे गरीब लोगों को जल और स्वच्छता की आवश्यकता होती है, ये सेवाएँ बड़े पैमाने पर लाभ-संचालित पश्चिमी निगमों द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- आलोचकों का दावा है कि क्योंकि विश्व बैंक इन व्यवसायों को बढ़ावा देता है, यह अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाए रखता है। आजादी के बाद कई अफ्रीकी देशों पर तानाशाहों का शासन था। इन भ्रष्ट तानाशाहों ने अपने-अपने देशों में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक ऋण जमा करना शुरू करने के लिये विश्व बैंक द्वारा दिये गए धन का उपयोग किया।

निष्कर्ष

- विश्व बैंक समूह ने अवसर बढ़ाने और गरीबों को बहुत आवश्यक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिये अनगिनत पहलों का समर्थन किया है क्योंकि विकासशील देश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन पहलों में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को बढ़ाना, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना और शासन और संस्थानों को मजबूत करना शामिल है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स' में भारत की रैंकिंग कभी-कभी समाचारों में देखी जाती है। निम्नलिखित में से किसने उस रैंकिंग की घोषणा की है? (2016)

(*a*) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन **(OECD)**

(*b*) विश्व आर्थिक मंच

(*c*) विश्व बैंक

(*d*) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

2. निम्नलिखित में से कौन सा समय-समय पर श्ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टसश रिपोर्ट जारी करता है? (2015)

(*a*) एशियाई विकास बैंक

(*b*) पुनर्निर्माण और विकास के लिये यूरोपीय बैंक

(*c*) यूएस फेडरल रिजर्व बैंक

(*d*) विश्व बैंक



35 विश्व व्यापार संगठन

विश्व व्यापार संगठन के विकास का परिचय और समयरेखा

- **शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT), जिसे 1947 में स्थापित किया गया था, ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की नींव के रूप में कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप विश्व व्यापार संगठन (WTO) का गठन हुआ।**
- शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते **(GATT)** की नींव ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, 1944 में रखी गई थी जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष **(IMF)** और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (ITO), जिसे प्रतिनिधियों ने व्यवस्था के तीसरे चरण के रूप में माना, प्रतिनिधियों द्वारा किया गया एक अन्य प्रस्ताव था।**
- विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा मंच है जहां सदस्य राष्ट्र व्यापार रियायतों के आदान-प्रदान के लिए लगातार बातचीत करते हैं, जबकि आईटीओ व्यापार को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया था।
- **हवाना चार्टर, आईटीओ के लिए एक प्रस्तावित चार्टर, जिसमें व्यापार, निवेश, सेवाओं, व्यापार प्रथाओं और रोजगार नीतियों को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियम होंगे, को 1948 में हवाना, क्यूबा में व्यापार और रोजगार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।**
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने कभी भी हवाना चार्टर को मंजूरी नहीं दी, इसलिए यह कभी भी लागू नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप आईटीओ कभी लागू नहीं हो पाया।**
- **जीएटीटी, जिसे 1 जनवरी, 1948 को स्थापित किया गया था, और 1947 में जिनेवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जिसका उद्देश्य धीरे-धीरे आयात कोटा के उपयोग को समाप्त करना और व्यापार शुल्कों को कम करना था। जीएटीटी, जो एक इकाई नहीं है, ने 1948 से 1995 तक एकमात्र बहुपक्षीय साधन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पर्यवेक्षण किया।**
- संरचनात्मक मुद्दों के बावजूद, जीएटीटी ने वास्तविक वैश्विक समझौते के रूप में कार्य किया जिसने वार्ता के आठ दौर प्रायोजित किए।
- **उरुग्वे दौर, जो 1987 और 1994 से हुआ, जिसके परिणामस्वरूप माराकेश समझौता हुआ, जिसने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना की।**
- **विश्व व्यापार संगठन जीएटीटी के सिद्धांतों को शामिल करता है और उन्हें प्रभाव में लाने और उन्हें मजबूत करने के लिए एक दीर्घकालिक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।**
- **WTO के सभी सदस्य 1994 के GATT, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करने के लिए बाध्य हैं। यह केवल माल के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है।**
- नोट: **WTO** संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी नहीं है

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

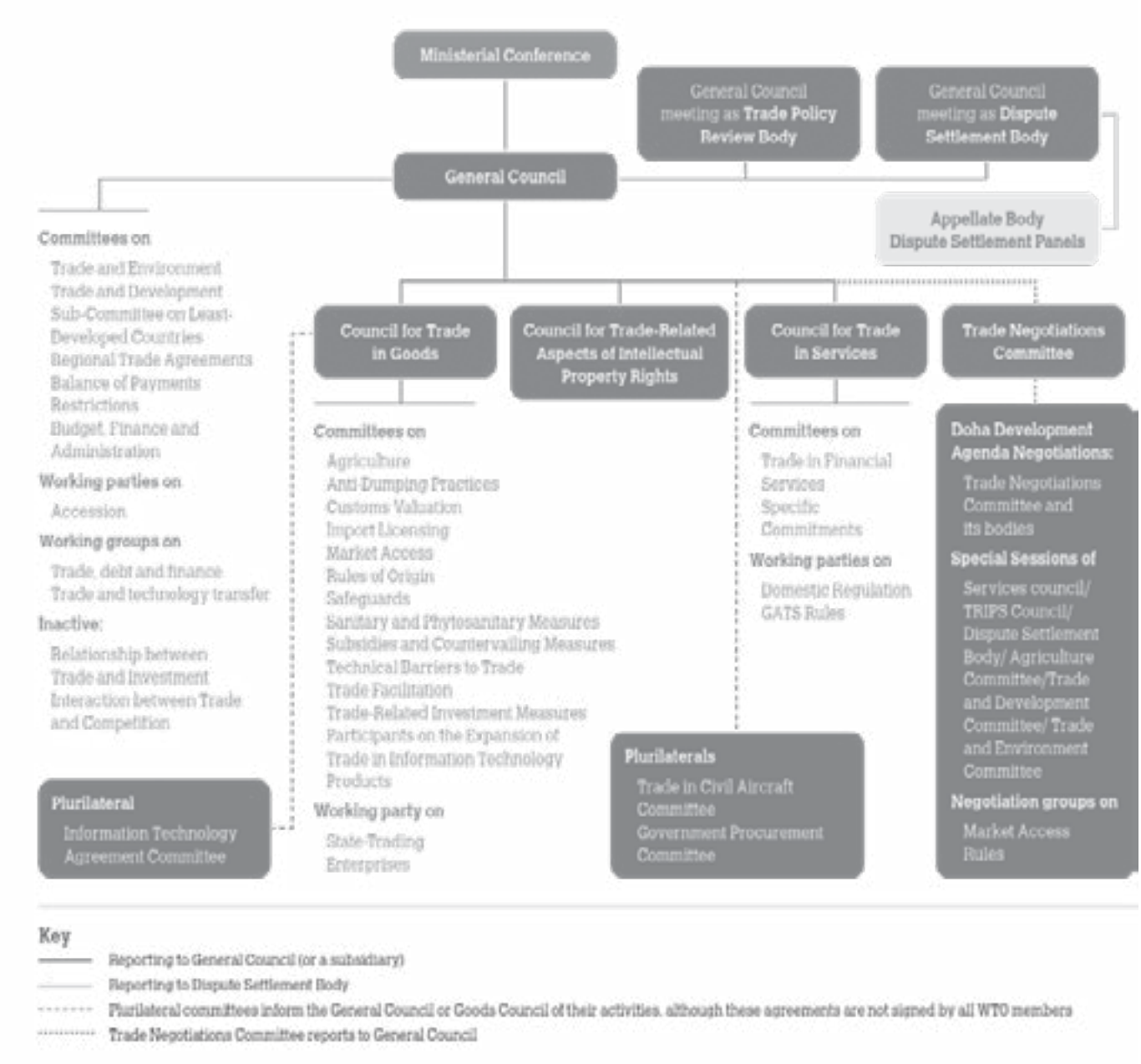
- विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य ''सभी की भलाई के लिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना'' है।
- **विश्व व्यापार संगठन के छह मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:**
  1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को स्थापित करना और उन्हें लागू करना।
  2. आगे के व्यापार उदारीकरण की चर्चा और पर्यवेक्षण के लिए एक मंच प्रदान करना।
  3. व्यापारिक विवादों का समाधान करना।
  4. निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना।
  5. वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय करना।
  6. विकासशील राष्ट्रों को विश्व व्यापार प्रणाली का पूरा लाभ प्राप्त करने में सहायता करना।

विश्व व्यापार संगठन की कार्यप्रणाली

- विश्व व्यापार संगठन का प्राथमिक लक्ष्य सुचारू, मुक्त, निष्पक्ष और पूर्वानुमेय व्यापार को बढ़ावा देना है। यह इसके द्वारा किया जाता है:
  - विश्व व्यापार संगठन के व्यापार समझौतों का प्रशासन
  - मंच व्यापार वार्ता का आयोजन
  - व्यापार विवाद का समाधान
  - राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी
  - विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देना
  - अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग।

विश्व व्यापार संगठन की शासी संरचना

- विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण, मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, जिसे कम से कम हर दो साल में मिलना चाहिए।
- समान सदस्यता वाले तीन निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों के बीच दैनिक संचालन करते हैं; केवल संदर्भ की शर्तें हैं जिसके तहत प्रत्येक इकाई की स्थापना की गई थी।
  1. सामान्य परिषद
  2. विवाद निपटान निकाय
  3. व्यापार नीति समीक्षा निकाय



1. **सामान्य परिषद**

- विश्व व्यापार संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, सामान्य परिषद, जिनेवा में स्थित है और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है।
- इसे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की ओर से कार्य करने का अधि कार है, जो हर दो साल में मिलता है और सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों (अक्सर राजदूतों या उनके समकक्ष) द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।
- सामान्य परिषद की बैठक सामान्य परिषद, विवाद निपटान निकाय और व्यापार नीति समीक्षा निकाय के नाम से भी होती है।

2. **व्यापार नीति समीक्षा निकाय (TPRB)**

- विश्व व्यापार संगठन सामान्य परिषद **TPRB** के रूप में **TPRM** के तहत सदस्यों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करने और व्यापार नीति के विकास पर महानिदेशक की नियमित रिपोर्टों को ध्यान में रखने के लिए मिलती है।
- इस प्रकार, विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य व्यापार नीति समीक्षा निकाय **(TPRB)** में शामिल हो सकते हैं।

3. **विवाद निपटान निकाय**

- विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच मुद्दों को हल करने के लिए, सामान्य परिषद विवाद निपटान निकाय **(DSB)** के रूप में मिलती है।
- इस तरह के विवादों को उरुग्वे राउंड फाइनल एक्ट में किसी भी समझौते से संबंधित होना चाहिए जो कि विवादों के निपटान **(DSU)** को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं पर समझ के अधीन है।
- **डीएसबी (DSB) को अधिकार है**
  - विवाद निवारण पैनल स्थापित करें
  - विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें
  - पैनल, अपीलीय निकाय और मध्यस्थता रिपोर्ट को अपनाना
  - उन रिपोर्टों की सिफारिशों और निर्णयों को कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है, इस पर कड़ी नजर रखें
  - यदि उन सिफारिशों और नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो रियायतों को निलंबित करने के लिए आगे बढ़ें।

विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत

- **गैर-भेदभाव: इसमें दो प्रमुख घटक होते हैं:**
  1. **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) नियम: MFN** नियम यह कहता है कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को अन्य सदस्य देशों के साथ सभी व्यापारों के लिए समान शर्तों को लागू करना चाहिए, अर्थात, उन्हें अन्य सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को सबसे अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करनी चाहिए जिसके तहत वे किसी विशेष उत्पाद प्रकार में व्यापार की अनुमति देते हैं।
  2. **राष्ट्रीय उपचारात्मक नीति:** गैर-शुल्क व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय उपचार तैयार किया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि आयातित वस्तुओं को घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के समान माना जाना चाहिए (कम से कम उनके बाजार में पहुंचने के बाद) (उदाहरण के लिए तकनीकी मानक, सुरक्षा मानक और अन्य आयातित वस्तुओं के खिलाफ भेदभाव)।
- **पारस्परिकता:**
  - यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच में सुधार की इच्छा और एमएफएन विनियमन द्वारा लाए गए संभावित फ्री-राइडिंग के दायरे को सीमित करने की इच्छा दोनों को दर्शाता है।
  - एक संबंधित बिंदु यह है कि किसी देश को वार्ता में शामिल होने के लिए, एकतरफा उदारीकरण के लाभों से अधिक लाभ होना चाहिए; पारस्परिक रियायतों का उद्देश्य यह गारंटी देना है कि ये संभावित लाभ प्राप्त होंगे।
- बाध्यकारी और लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएं: रियायतों की एक अनुसूची (सूची), एक कानूनी दस्तावेज, बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के दौरान और परिग्रहण पर डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा किए गए शुल्क दायित्वों की एक सूची है।
- **पारदर्शिता**
  - विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को अपने व्यापार नियमों का खुलासा करना चाहिए, उन संस्थानों को रखना चाहिए जो व्यापार को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा की अनुमति देते हैं, अन्य सदस्यों से सूचना अनुरोधों का जवाब देते हैं, और उनकी व्यापार नीतियों में परिवर्तन के विश्व व्यापार संगठन को सूचित करते हैं।
  - व्यापार नीति समीक्षा तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली आवधिक देश-विशिष्ट रिपोर्ट (व्यापार नीति समीक्षा) इन आंतरिक पारदर्शिता आवश्यकताओं (टीपीआरएम) को बढ़ाती और आसान बनाती है।
- **सुरक्षा मूल्य**
  - सरकारों को कुछ शर्तों के तहत व्यापार प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।

- विश्व व्यापार संगठन के समझौते इसके सदस्यों को न केवल पर्यावरण बल्कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के साथ मुद्दे और चुनौतियाँ

- **संस्थागत समस्याएं:** अमेरिका द्वारा नियुक्तियों को अवरुद्ध करने के परिणामस्वरूप, अपीलीय निकाय के पास अपीलों पर सुनवाई करने के लिए निर्णायकों की आवश्यक संख्या यानी कोरम (7 में से 3) नहीं रह गया है, और दिसंबर 2019 से परिचालन अनिवार्य रूप से निलंबित कर दिया गया है। अमेरिका में, एक धारणा है कि विश्व व्यापार संगठन ने चीन की चढ़ाई को रोकने में विफल रहने और अमेरिका पर कई व्यापार विवादों में गलत काम करने का नियमित आरोप लगाकर देश के सर्वोत्तम हित में काम नहीं किया है।विवाद निपटान कार्य में विश्व व्यापार संगठन का संकट इसके वार्ता कार्य के टूटने से निकटता से जुड़ा हुआ है।
- **पारदर्शिता का अभाव:** विश्व व्यापार संगठन वार्ता कठिनाइयों का सामना करती है क्योंकि इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि संगठन के अंदर एक विकसित या विकासशील देश के रूप में क्या योग्यता है। वर्तमान में, सदस्य खुद को ''विशेष और अलग व्यवहार'' प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों के रूप में घोषित कर सकते हैं - एक अभ्यास जिसे विवादास्पद माना जाता है।
- **ई-कॉमर्स और डिजिटल व्यापार:** विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने 1998 में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से जुड़े सभी व्यापार संबंधी मामलों की जांच के लिए एक डब्ल्यूटीओ ई-कॉमर्स अधिस्थगन की स्थापना की, यह अनुमान लगाने के बाद कि ई-कॉमर्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, ऑनलाइन ट्रेडिंग को विनियमित करने वाले कानूनों का होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कोविड-19 महामारी ने ई-कॉमर्स में बदलाव को गति दी। क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की तुलना में कम अंतरराष्ट्रीय नियमों द्वारा नियंत्रित होता है।
- **विकास एवं कृषि:** कृषि पर समझौता (1995 में लागू हुआ) का उद्देश्य अत्यधिक व्यापार बाधाओं और अनुदान को कम करना है जो कृषि व्यापार में बाधा डालते हैं। खाद्य सुरक्षा और विकास के लिए भारत जैसे विकासशील देशों की आवश्यकताओं के बारे में चिंता, हालांकि, कृषि पर समझौते को रोक रही है।
- **चीन में राजकीय पूंजीवाद:** चीन की राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां मुक्त बाजार अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। डब्ल्यूटीओ की नियम पुस्तिका बौद्धिक संपदा, राज्य के स्वामित्व वाले व्यवसायों और औद्योगिक अनुदान के संबंध में चीन के मुद्दों को हल करने के लिए अपर्याप्त है, जो इस मुद्दे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस वजह से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड युद्ध चल रहा है।
- **खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक भंडारण:** 2015 की नैरोबी मंत्रिस्तरीय बैठक में एक स्पष्ट जनादेश के बावजूद, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग का अभी भी कोई समाधान नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रों ने सहमति व्यक्त की है कि यदि वे सीमा (तथाकथित 'शांति खंड') को पार करते हैं तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, एक दीर्घकालिक समाधान की तलाश की जानी चाहिए, जैसे कि एमएसपी से मिलने वाली बजटीय सहायता को व्यापार-विकृत के रूप में वर्गीकृत नहीं करना।
- **कोविड-19 के लिए** बौद्धिक संपदा अधिकार **(TRIPS) की छूट पर असहमति:** कोविड-19 से संबंधित औषधीय उत्पादों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (ज्त्प्ै) समझौते के व्यापार-संबंधित पहलुओं को छोड़ने की आवश्यकता अभी भी डब्लूटीओ सदस्य देशों के बीच विवाद का विषय है।
- **अतार्किक मछली पकड़ने की अनुदान के प्रावधान का विनियमन:** मछली पकड़ने को अतार्किक अनुदान दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप चीन जैसे देशों द्वारा समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है, जो दुनिया का शीर्ष मछुआरा और निर्यातक है।
- **बहुपक्षीय व्यापार करारों के कारण वैश्विक शासन का विखंडन:** विश्व व्यापार संगठन के गतिरोध के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी **(RCEP)** और ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप **(CPTPP)** के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते जैसे मेगा बहुपक्षीय व्यापार समझौते सामने आए हैं।
- **नए उभरते मुद्दों का सामना करने की अपर्याप्त क्षमता:** विश्व व्यापार संगठन की तकनीकी क्षमता वर्तमान में इक्कीसवीं सदी में इसकी सामरिक प्रासंगिकता को खतरा पैदा करने वाले प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। संगठन ने न तो अनुकूलन किया है, न ही प्रतिक्रिया दी है, न ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वितरित किया है।

- **मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा:** एमएफएन स्थिति वाला देश अपने व्यापारिक भागीदार द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वोत्तम व्यापार स्थितियों से लाभान्वित होता है। तदनुसार, राष्ट्र को सबसे कम शुल्क, सबसे कम व्यापार बाधाओं और उच्चतम आयात कोटा से लाभ होता है।विश्व व्यापार संगठन के प्रत्येक सदस्य के पास एमएफएन का दर्जा होता है, जो उन्हें अन्य सदस्यों के समान व्यापार लाभ का अधिकार देता है। हालांकि, विकासशील देशों को इससे छूट दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन और भारत (विकासशील देशों) पर इस प्रावधान का उपयोग करने का आरोप लगाया है, हालांकि आईएमएफ द्वारा वैश्विक स्तर पर क्रमशः दूसरी और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में रैंक किया गया है।
- **आम सहमति का अभाव:** 2013 का व्यापार सुविधा समझौता एकमात्र ऐसा नया समझौता है जिसे विश्व व्यापार संगठन ने अपने 25 से अधिक वर्षों के अस्तित्व में पेश किया है जो इसके सभी सदस्यों **(TFA)** पर लागू होता है। यह उपलब्धि संभव होने का एकमात्र कारण यह था कि विकासशील राष्ट्रों को उनकी प्रतिबद्धताओं के संबंध में कुछ छूट दी गई थी। इस तरह के बहुलवादी समझौतों के लिए लंबी बातचीत की आवश्यकता होती है, जिससे प्रक्रिया बोझिल और थकाऊ हो जाती है।
- **बढ़ता हुआ संरक्षणवाद:** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ग्रेट लॉकडाउन के प्रभाव ने व्यापार में एक महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न किया। संरक्षणवादी उपायों का दुनिया भर में रोजगार, आर्थिक विकास, क्रय शक्ति आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और वैश्विक व्यापार व्यवस्था के महत्व में कमी आई। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अपनी संरक्षणवादी नीतियों के साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच अविश्वास को बढ़ावा दिया है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार विवाद स्थिति को और खराब कर रहे हैं।
- **अविनियमन:** विश्व व्यापार संगठन के नियमों द्वारा राष्ट्रीय संप्रभुता को हटा दिया गया है, जिसका श्रम और पर्यावरण संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसे अमेरिकी डॉल्फिन-सुरक्षित लेबलिंग, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों और अन्य मुद्दों पर अपने रुख के लिए आलोचना मिलती है। इसके अतिरिक्त, अनुचित श्रम प्रथाओं, श्रम अधिकारों के उल्लंघन (चीन), मजदूरी, आदि की रक्षा करते हुए निर्यात की लागत में कटौती करने के लिए इसकी आलोचना की जाती है।
- **आयात प्रतियोगिता:** आयात और विदेशी कंपनियों पर बढ़ती निर्भरता के कारण, डब्ल्यूटीओ के नेतृत्व वाली शुल्क कटौती का घरेलू नौकरियों और मजदूरी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के लिए, चीन के 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद से अमेरिका ने 3 मिलियन से अधिक नौकरियों को खो दिया है।
- **दोहा दौर की असफलता:** एजेंडे के मुख्य घटक कृषि उत्पादों में व्यापार का उदारीकरण, सेवा उद्योग में व्यापार प्रतिबंधों को कम करना और गैर-कृषि सामान हैं। कृषि अनुदान और प्रस्तावित ''विशेष सुरक्षा तंत्र'' के बारे में असहमति, जिसमें विकासशील देशों को अपने किसानों की रक्षा के लिए अस्थायी रूप से शुल्क बढ़ाने की अनुमति देने का आह्वान किया गया था, 2008 में इन वार्ताओं की विफलता का कारण बना। खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और व्यापार असंतुलन जैसी अन्य वैश्विक व्यापार संबंधी समस्याओं पर विश्व व्यापार संगठन ने बहुत कम ध्यान दिया है।
- **शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT)/WTO की परिचालन मान्यता:** बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य के माध्यम से आपूर्ति और मांग की शर्तों के जवाब में निजी क्षेत्र के संचालकों द्वारा महत्वपूर्ण अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन किया जाता है - व्यावसायिक गतिविधियों में लगे राज्य उद्यमों के संचालन में हस्तक्षेप और विकृत किया जा रहा है।

विश्व व्यापार संगठन और अनुदान व्यवस्था

- विश्व व्यापार संगठन की शब्दावली के अनुसार, सामान्य अनुदान ''बक्से'' द्वारा दर्शायी जाती है जो ट्रैफिक लाइट के अनुसार रंगीन होती हैं: ग्रीन (अधिकृत), एम्बर (धीमा - यानी, कम करने की आवश्यकता है), और लाल (अनुमति नहीं) (निषिद्ध)।
- हमेशा की तरह, कृषि में चीजें अधिक जटिल होती हैं। हालांकि एम्बर बॉक्स में कटौती प्रतिबद्धता स्तर से अधिक घरेलू समर्थन प्रतिबंधित है, कृषि समझौते में कोई लाल बॉक्स नहीं है। इसके बजाय, अनुदान के लिए एक ब्लू बॉक्स है जो उत्पादन-सीमित कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है।

विश्व व्यापार संगठन की अनुदान का वर्गीकरण

- **निर्यात अनुदान:** जब कोई किसान या निर्यातक किसी विदेशी बाजार में कृषि माल बेचता है तो वह विदेशी मुद्रा सृजित करके अपने और देश के लिए धन बनाता है। इसलिए, जब तक वे घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं, तब तक कृषि निर्यात को आम तौर पर समर्थन मिलता है। निर्यात अनुदान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दी गई वित्तीय सहायता है। उदाहरण के लिए- चीन जैसे देश किसानों को निर्यात वित्तपोषण प्रदान करते हैं।

- **अनाज प्रोत्साहन के लिए अनुदान:** पूर्व- ब्रेक्सिट के मामले में, यूके का नया कृषि बिल 2020 तक कृषि व्यवसाय को समर्थन देने के लिए अनुदान सुनिश्चित करता है।
- **संरचनात्मक समायोजन अनुदान:** कृषि में सिंचाई को प्रोत्साहित करना। उदाहरणों में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल है।
- **क्षेत्रीय विकास अनुदान:** क्षेत्रीय विकास के लिए अनुदान का उद्देश्य सभी प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के कल्याण और जीवन के स्तर में सुधार करना और बेहतर राष्ट्रीय प्रदर्शन और समावेशी, लचीला समाजों में उनके योगदान को बढ़ाना है।
- **अनुसंधान एवं विकास अनुदान:** नवाचार का समर्थन करने के लिए जनता के लिए अनुसंधान और विकास के लिए सब्सिडी वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। नवीन परियोजनाएँ बनाने वाली कंपनियाँ इसके लिए अनुरोध कर सकती हैं।
- **आयातित सामानों के ऊपर घरेलू उपयोग पर निर्भर सब्सिडी:** उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, गारंटीशुदा रिटर्न प्रदान करने के लिए किसानों से खरीदारी की मांग की जाती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करती है।

कृषि पर समझौता (AOA)

- यह जीएटीटी के उरुग्वे दौर में बातचीत की गई थी और 1995 में विश्व व्यापार संगठन के निर्माण के साथ पूरा हुआ था।
- विश्व व्यापार संगठन एओए के माध्यम से एक निष्पक्ष और बाजार संचालित व्यवस्था के साथ कृषि व्यापार में सुधार करना चाहता है।
- एओए की सब्सिडी व्यवस्था में तीन प्रकार की सब्सिडी ''गैर-विकृत'' या ''न्यूनतम विकृत'' सब्सिडी (''ग्रीन बॉक्स'' और ''ब्लू बॉक्स'' सब्सिडी) से लेकर ''पर्याप्त रूप से विकृत'' सब्सिडी (''एम्बर बॉक्स'' सब्सिडी) तक शामिल हैं।

ग्रीन बॉक्स	• सब्सिडी जो या तो न्यूनतम विकृति है या व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं है, ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आती है। एक उदाहरण के रूप में, अवसंरचना, खाद्य सुरक्षा, रोग प्रबंधन, और अनुसंधान से संबंधित सभी सरकारी सेवाओं पर विचार करें। इसके अतिरिक्त, सभी किसान सब्सिडी जो सीधे तौर पर दुनिया भर में व्यापार को प्रभावित नहीं करती हैं, ग्रीन बॉक्स में आती हैं। • **क्षेत्रीय विकास और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है।** • इसलिए, ''ग्रीन बॉक्स'' सब्सिडी की अनुमति बिना किसी सीमा के दी जाती है, जब तक कि वे प्रत्येक नीति के लिए आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
एम्बर बॉक्स	• कुछ अपवादों के साथ, एम्बर बॉक्स में वे सभी घरेलू सब्सिडी या समर्थन शामिल हैं जिनमें व्यापार और उत्पादन को बिगाड़ने की क्षमता है। इस श्रेणी में मूल्य समर्थन उपायों को शामिल किया गया है। • विकसित देशों के लिए 5% कृषि उत्पादन और अविकसित देशों के लिए 10% तक सब्सिडी स्वीकार करने का प्रावधान अंबर बॉक्स का अपवाद है।
ब्लू बॉक्स	• ब्लू बॉक्स में सभी एम्बर बॉक्स सब्सिडी शामिल हैं जो उत्पादन को प्रतिबंधित करने की क्षमता रखती हैं। इसे बिना किसी प्रतिबंध के उठाया जा सकता है जब तक कि सब्सिडी उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रमों से जुड़ी हो। • फिलहाल ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च किए जाने वाले पैसे की कोई सीमा नहीं है।

बाजार तक पहुंच

- विश्व व्यापार संगठन में, माल के लिए बाजार पहुंच शर्तों, शुल्क और गैर-शुल्क उपायों को संदर्भित करता है, जो सदस्य अपने बाजारों में विशेष वस्तुओं के प्रवेश के लिए सहमत हुए हैं।
- मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विशेष देशों द्वारा निर्धारित शुल्क (जैसे सीमा शुल्क) को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह अनिवार्य है कि गैर-शुल्क बाधाओं को समाप्त कर दिया जाए और शुल्क शुल्कों के साथ प्रतिस्थापित किया जाए।
- विश्व व्यापार संगठन सदस्य नियमित विश्व व्यापार संगठन कार्य कार्यक्रम और नवंबर 2001 में दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शुरू की गई बातचीत के माध्यम से बाजार पहुंच में लगातार सुधार करना चाहते हैं।

घरेलू अनुदान

- संक्षेप में, यह घरेलू सब्सिडी को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो मुक्त व्यापार और उचित मूल्य निर्धारण को प्रतिबंधित करता है।

- यह इस धारणा पर आधारित है कि सभी प्रकार की सब्सिडी व्यापार को समान सीमा तक प्रभावित नहीं करती हैं।
- कृषि पर समझौते के अनुसार, सब्सिडी तीन श्रेणियों यानी ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स में आती है।
- विकसित देशों में घरेलू समर्थन नीतियों में 20% और विकासशील देशों में 13.3% की कटौती की जानी चाहिए, जैसा कि समर्थन के कुल समग्र उपाय (कुल **AMS**) द्वारा मापा गया है।
- **डी मिनिमस स्तर: डब्ल्यूटीओ ने घरेलू समर्थन के निम्न न्यूनतम स्तर निर्धारित किए हैं, जो इस तथ्य के बावजूद अनुमत हैं कि वे व्यापार को विकृत करते हैं:**
  - विकसित देशों के लिए उत्पादन मूल्य के 5% तक,
  - विकासशील राष्ट्रों के लिए उत्पादन के मूल्य का 10% तक।

निर्यात सब्सिडी

- निर्यात सब्सिडी कोई और सभी वित्तीय सहायता कार्यक्रम हैं जो कृषि वस्तुओं के निर्यात की लागत को कम करते हैं।
- इससे अन्य देशों को भारी सब्सिडी वाली वस्तुओं की डंपिंग हो सकती है, जिससे उन देशों के स्थानीय कृषि उद्योगों को नुकसान हो सकता है।
- मूल रूप से, यह माना जाता है कि ये वाणिज्य पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे।
- इस समझौते के तहत सदस्य राज्यों को कृषि उत्पादों के लिए निर्यात सब्सिडी को नियोजित करने की अनुमति नहीं है।
- **विकसित देशों को समान किस्तों में (1986-1990 के स्तर से) छह वर्षों की अवधि में अपने निर्यात सब्सिडी खर्च में 36% और उनकी मात्रा में 21% की कटौती करनी चाहिए।**
- विकासशील देशों के लिए दस साल की अवधि में समान वार्षिक किश्तों में क्रमशः 24% और 14% कटौती होती है।

विश्व व्यापार संगठन के तहत 'पीस क्लॉज़'

- घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए भी, किसानों के लिए घरेलू समर्थन के मुद्दे ने विकसित और विकासशील देशों के बीच संघर्ष का कारण बना।
- 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक अस्थायी शांति खंड जोड़ा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी देश को खाद्य सुरक्षा पहलों में भाग लेने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, भले ही सब्सिडी कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौते में निर्धारित सीमा से अधिक हो।
- यह 'पीस क्लॉज़' 2017 तक चार वर्षों के लिए लागू होने की उम्मीद थी, उस समय तक नायक समस्या का स्थायी समाधान खोजने की उम्मीद कर रहे थे।
- **भारत ने पहली बार 2020 में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पीस क्लॉज़ लागू किया क्योंकि यह चावल किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि पर 10% की सीमा से ऊपर चला गया।**
- भारत ने बाद में 2021 में पीस क्लॉज़ का दूसरी बार उपयोग किया, जब चावल किसानों के लिए सब्सिडी 10% की सीमा से 13.7% अधिक थी।
- भारत ने एक बार फिर 2022 में पीस क्लॉज़ का उपयोग किया क्योंकि चावल के लिए सब्सिडी 10% की सीमा से अधिक हो गई।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. ''एग्रीमेंट ऑन एग्रीमेंट'', ''एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनेटिक मेजर्स'' और ''पीस क्लॉज'' शब्द समाचारों में बार-बार दिखाई देते हैं- (2015)

(*a*) खाद्य और कृषि संगठन

(*b*) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन

(*c*) विश्व व्यापार संगठन

(*d*) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा

- मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा एक व्यापारिक भागीदार को दिया जाने वाला एक उपचार है जो यह सुनिश्चित करता है कि दो देशों के बीच व्यापार अन्य व्यापारिक भागीदारों की तुलना में भेदभावपूर्ण नहीं है।
- तथ्य यह है कि एमएफएन शुल्क और व्यापार (जीएटीटी) पर सामान्य समझौते का पहला खंड है, एमएफएन के महत्व को प्रदर्शित करता है।
- एमएफएन, शाब्दिक अर्थ में, अधिमान्य उपचार का अर्थ नहीं करता है। इसके बजाय, यह गैर-भेदभावपूर्ण व्यापार को संदर्भित करता है जो देश को गारंटी देता है कि एमएफएन का दर्जा देने वाले के अन्य व्यापारिक भागीदारों की तुलना में नुकसानदेह स्थिति में नहीं होगा।
- विश्व व्यापार संगठन के एक सदस्य राज्य को विभिन्न व्यापार भागीदारों के बीच अंतर करने से मना किया जाता है। यदि किसी व्यापार भागीदार को विशेष दर्जा दिया जाता है, तो उसे सभी विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- जब किसी देश को एमएफएन का दर्जा दिया जाता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वह व्यापार बाधाओं को कम करेगा और शुल्क में कटौती करेगा।
- इसके अतिरिक्त, इससे वस्तुओं के मुक्त प्रवाह और अधिक वस्तुओं के व्यापार की अनुमति मिलने की उम्मीद है।

एमएफएन का दर्जा हटाना

- **एमएफएन उपचार को किसी भी समय निलंबित किया जा सकता है, और यह स्पष्ट नहीं है कि यदि सदस्य ऐसा करते हैं तो उन्हें विश्व व्यापार संगठन को सूचित करना चाहिए। हालांकि, ऐसा करने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया मौजूद नहीं है।**
- पाकिस्तान में स्थित एक इस्लामिक समूह द्वारा आत्मघाती हमले के बाद 40 पुलिस की मौत हो गई, भारत ने 2019 में पाकिस्तान के एमएफएन का दर्जा रद्द कर दिया। हालांकि भारत को पाकिस्तान द्वारा कभी भी एमएफएन का दर्जा नहीं दिया गया।

एमएफएन स्थिति के लाभ

- एमएफएन का दर्जा विकासशील देशों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
  - यह व्यापारिक वस्तुओं के लिए व्यापक बाजार तक पहुंच प्रदान करता है।
  - अत्यधिक घटे हुए शुल्कों और व्यापार बाधाओं के कारण निर्यात वस्तुओं की कम लागत।
  - व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की ओर ले जाता है
  - नौकरशाही की बाधाओं को कम करता है और सभी प्रकार के आयातों के लिए विभिन्न प्रकार के शुल्क समान रूप से निर्धारित किए जाते हैं।
  - नौकरशाही बाधाओं को कम करता है, और सभी आयात एक ही प्रकार के शुल्क के अधीन होते हैं।
  - अर्थव्यवस्था और निर्यात उद्योग को बढ़ावा देने के दौरान उत्पादों की मांग में वृद्धि करता है।
  - व्यापार संरक्षणवाद ने जो आर्थिक क्षति पैदा की है, उसका निवारण करता है।

एमएफएन स्थिति के नुकसान

- प्रमुख नुकसान यह है कि अन्य सभी व्यापार भागीदार जो डब्ल्यूटीओ सदस्य हैं, उनके साथ राष्ट्र द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
- इसके परिणामस्वरूप मूल्य युद्ध होता है और घरेलू उद्योग कमजोर हो जाता है।
- सस्ते आयात के खिलाफ देश अपने स्वयं के उद्योग की रक्षा करने में असमर्थ है, और इसके परिणामस्वरूप, कुछ घरेलू खिलाड़ियों को महत्वपूर्ण नुकसान उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है या उनकी वृद्धि को रोक दिया जाता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS)

- **ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता है।**
- विश्व व्यापार संगठन द्वारा बनाए गए समझौते के एक भाग के रूप में **TRIPS** 1995 में लागू हुआ।
- यह इस बात के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय सरकारों को कुछ प्रकार की बौद्धिक संपदा (आईपी) को कैसे विनियमित करना चाहिए जब वे अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के नागरिकों पर लागू होती हैं।
- यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में बौद्धिक संपदा कानून के पहले उदाहरण के रूप में कार्य करता है और अभी भी बौद्धिक संपदा पर अब तक का सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।
- यह तकनीकी उन्नति, लोक कल्याण और नवाचार के संदर्भ में आईपी प्रणाली को तैयार करता है।
- ट्रिप्स समझौते को 'बर्न और पेरिस-प्लस' समझौते के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- **TRIPS** परिषद **TRIPS समझौते को कैसे लागू किया जा रहा है, इसकी निगरानी और निगरानी करने का प्रभारी है।**

ट्रिप्स के प्रमुख प्रावधान

- **TRIPS** यह बताता है कि सदस्य राज्यों को मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।
- यह प्रत्येक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य पर लागू होता है।
- इसका उद्देश्य लेखकों और अन्य कॉपीराइट धारकों के साथ-साथ उन लोगों के लिए कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करना है जिनके पास संबंधित अधिकार हैं, जैसे कि कलाकार, साउंड रिकॉर्ड निर्माता और प्रसारण कंपनियां।
- **भौगोलिक संकेत (जीआई), औद्योगिक डिजाइन, एकीकृत सर्किट लेआउट डिजाइन, पेटेंट, नई पौधों की किस्में, ट्रेडमार्क, व्यापार नाम, और अज्ञात या संवेदनशील जानकारी सभी इस समझौते के अंतर्गत आती हैं।**
- इसके अतिरिक्त, यह विवाद समाधान, समाधान और प्रवर्तन की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
- **TRIPS में एक मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) खंड शामिल है।**

भौगोलिक संकेत (GI)

- जीआई एक विशेष भौगोलिक मूल विशेषता के साथ माल पर उपयोग किया जाने वाला टैग है जो उस मूल से प्राप्त प्रतिष्ठा है। एक विशिष्ट स्थान से आने के रूप में एक उत्पाद की पहचान करने वाला एक टैग इसके लिए जीआई होना आवश्यक है।
- एक भौगोलिक संकेत अधिकार एक तीसरे पक्ष को रोकने के लिए संकेत का उपयोग करने के अधिकार के मालिक को सक्षम बनाता है।
- **वस्तु का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में पारित किया गया था, और यह 15 सितंबर, 2003 को लागू हुआ।**
- भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद दार्जिलिंग चाय था, जिसे प्रसिद्ध पेय को 2004 में मान्यता मिली थी।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत ने माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को बाध्य करने के लिए के लिए लागू किया। (2018)

(*a*) ILO (*b*) IMF

(*c*) UNCTAD (*d*) **WTO**

2. निम्नलिखित में से किसने/भौगोलिक संकेत **(GI)** का दर्जा दिया है? (2015)

1. बनारस जरी और साड़ी
2. राजस्थानी दाल-बाटी-चूरमा
3. तिरुपति लड्डू

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें।

(*a*) केवल 1

(*b*) केवल 2 और 3

(*c*) केवल 1 और 3

(*d*) 1, 2 और 3

भारत की व्यापार चिंताएं और विश्व व्यापार संगठन

- **स्टील और एल्युमीनियम पर शुल्क**
  - स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ हाल ही में अमेरिकी सरकार द्वारा कई व्यापारिक भागीदारों के खिलाफ लगाया गया था। टैरिफ एल्यूमीनियम के लिए 10% और स्टील के लिए 25% हैं। भारत मांग करता है कि इसे बाहर निकाला जाए या यह डब्ल्यूटीओ में इस मुद्दे को बढ़ाएगा
- **निर्यात सब्सिडी का मामला**
  - हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को डब्ल्यूटीओ में घसीटा और एसईजेड, एमईआईएस, ईपीसीजी और अन्य कार्यक्रमों के रूप में भारतीय व्यवसायों को पेश किए गए निर्यात सब्सिडी प्रणाली के साथ अपने असंतोष को आवाज दी। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार, एएससीएम द्वारा निर्धारित निर्यात सब्सिडी शासन को नियोजित नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1000 डॉलर से बढ़ गई है।
- **कृषि के लिए अनुदान**
  - सब्सिडी का वर्तमान आवंटन 1986 से 1988 तक मूल्य सूचकांकों पर आधारित है। एम्बर बॉक्स अब न्यूनतम समर्थन मूल्य **(MSP)** अवधारणा को शामिल करता है, जो भारतीय किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ सकता है।
  - हालांकि, बाली शिखर सम्मेलन में अपनाया गया एक 'पीस क्लॉज़' भारत को अब तक अपने पीडीएस कार्यक्रम को जारी रखने में सक्षम बनाता है। हालांकि, अधिक विकसित सदस्य इस मुद्दे के लिए दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं।
- **विशेष और विभेदक उपचार (एसडीटी)**
  - सदस्य राज्यों ने दोहा दौर के दौरान विकासशील देशों की तरजीही उपचार प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की। इसे विशेष और विभेदक उपचार (एसडीटी) के रूप में जाना जाता है।
  - हालांकि, पश्चिमी देश चीन और भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को इस सुरक्षा को देने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे इस प्रावधान के अयोग्य हैं।
- **बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे**
  - ट्रिप्स के माध्यम से दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग के मुद्दे का समाधान किया गया है। हालाँकि, विकसित देश ट्रिप्स + समझौतों के लिए दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि

- भारत जैसी बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था में, भोजन और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है
- विश्व व्यापार संगठन में, भारत सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग सब्सिडी के मुद्दे के दीर्घकालिक समाधान के लिए दृढ़तापूर्वक दबाव बना रहा है।

- **2013 के बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC-9) में, एक अंतरिम समझौता और ''सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग'' पर एक शांति खंड ने उन बहिष्करणों को बनाए रखा, जो विकासशील देशों को कृषि उत्पादों को स्टॉकपाइल कृषि उत्पादों को भोजन की कमी के खिलाफ रखने की अनुमति देता है।**
- **विपणन वर्ष 2018-19 के लिए चावल के लिए शांति खंड का आह्वान पहली बार भारत द्वारा किया गया था। भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए, कैप को ''डी मिनिमस'' कहे जाने वाले खाद्य उत्पादन के मूल्य के 10% पर निर्धारित किया गया है।**
- भारत ने हानिकारक मछली पकड़ने की सब्सिडी को हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत एक व्यापक विवाद समाधान प्रक्रिया के लिए जोर दिया है।
- ट्रिप्स समझौते के तहत, भारत वाइन और स्पिरिट्स के समान सुरक्षा के स्तर के साथ बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय, और अल्फोंसो आम जैसे माल के लिए जीआई टैग प्रदान करने का एक मजबूत प्रस्तावक है।
- विकसित देशों ने श्रम मानकों, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, निवेश नियमों और प्रतिस्पर्धा नीति सहित, डब्ल्यूटीओ समझौते में गैर-व्यापार मुद्दों को आगे बढ़ाया है।
- भारत गैर-अभिभावकों के किसी भी समावेश का विरोध करता है, जिसका उद्देश्य लंबे समय तक संरक्षणवादी नीतियों को लागू करना है, विशेष रूप से विकासशील देशों (गैर-व्यापार मुद्दों के आधार पर, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों और यूरोपीय संघ वस्त्र, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, और इसके आगे) जैसे विशिष्ट सामानों पर आयात प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

निष्कर्ष

- संरक्षणवाद, व्यापार संघर्ष (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच), और ब्रेक्सिट सभी वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदारीकृत आर्थिक प्रणाली को वैश्विक स्तर पर बनाए रखने के लिए विश्व व्यापार संगठन की भविष्य की भूमिका आवश्यक है। भारत और अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाएं जैसे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, और अन्य एक ऐसे समय में विकासशील देशों के हितों की रक्षा करते हुए एक सफल विश्व व्यापार संगठन के लिए एक ठोस नींव रख सकते हैं जब राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकलने की धमकी दे रहे हैं, जिससे यह निष्क्रिय हो रहा है।

❖ ❖ ❖

36 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान

एशियाई विकास बैंक

- एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को मनीला, फिलीपींस में हुई थी।
- यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक विकास, सतत आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में काम करता है।

ADB
Asian Development Bank

- यह एशिया और प्रशांत (यूएनईएससीएपी) और गैर-क्षेत्रीय विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्यों को स्वीकार करता है।
- वर्तमान कुल सदस्य 68 हैं जिनमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 49 शामिल हैं और भारत एडीबी के संस्थापक सदस्यों में से एक था।
- **मासात्सुगु असकावा** जापान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2020 में पदभार ग्रहण किया था।
- **उद्देश्य:** एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और समावेशिता, समृद्धि, लचीलापन, स्थिरता के लिए काम करना।

विशेषताएँ:

- बैंक को विश्व बैंक की तर्ज पर बनाया गया है और एक भारित मतदान पद्धति का उपयोग करता है जहां सदस्यों के पूंजी शेयरों के अनुसार वोट दिए जाते हैं।
- जापान के पास शेयरों का सबसे बड़ा अनुपात (15.66%) है, इसके बाद अमेरिका (15.56%), चीन (6.47%), भारत (6.35%) और ऑस्ट्रेलिया (5.81%) का स्थान है।
- यह इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, लोक प्रशासन, जलवायु परिवर्तन में मदद, वित्तीय क्षेत्र के विकास आदि के क्षेत्रों में ऋण, अनुदान और सूचना साझा करने के रूप में निवेश करता है।

ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्र

- शिक्षा में विकास और वृद्धि।
- आपदा जोखिम प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि पर काम करके पर्यावरण स्थिरता।
- ऋण, निवेश, बांड आदि प्रदान करके वित्तीय क्षेत्र का विकास करना।
- परिवहन, संचार, ऊर्जा, जल आपूर्ति आदि जैसी अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाना।

संगठन का निकाय

- उच्चतम नीति निर्माण निकाय प्रत्येक राज्य के सदस्यों से बना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है और ये सदस्य एक 12 सदस्यीय निकाय का चुनाव करते हैं जिसे निदेशक मंडल कहा जाता है। उनमें से 8 एशिया-प्रशांत से और 4 गैर-क्षेत्रीय सदस्यों से हैं।
- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करता है जो 5 वर्ष की अवधि के लिए निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनता है। जापान के पास सबसे बड़ा हिस्सा है इसलिए राष्ट्रपति जापान से रहे हैं।

एडीबी और भारत विकास

- एडीबी ने **(CARES)** कोविड एक्टिव रिस्पांस एक्सपेंडिचर सपोर्ट के तहत **COVID**-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए भारत को **$**1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी।
- बीएसई एक्सचेंज पर 850 करोड़ रुपये के 20 साल के मसाला बॉन्ड जारी किए।
- एडीबी और भारत सरकार **(GOI)** ने ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार और महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए **$**300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
- एडीबी और भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को मजबूत करने के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
- एशियाई विकास बैंक ने निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।

शासन रिपोर्ट

- एडीबी ने गवर्नेंस: साउंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट जारी की और गुड गवर्नेंस के 4 प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला।

1. **जवाबदेही**
   - सरकार में अधिकारियों को अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह होना चाहिए।
   - सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन और सुधारों के माध्यम से सरकारी क्षमता में वृद्धि करना।
2. **भागीदारी**
   - सरकार को बेहतर कार्यान्वयन कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए काम करना चाहिए।
   - विकेंद्रीकरण, गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से सहभागी विकास प्रक्रियाएं।
3. **भविष्यवाणी**
   - नियमन और निष्पक्ष कामकाज के लिए कानून और नीतियां।
   - सार्वजनिक-निजी विकास के लिए स्थिर रूपरेखा।
4. **पारदर्शिता**
   - आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराना और स्पष्ट नियम जो आसानी से समझ में आते हैं।
   - सूचना की समय पर उपलब्धता और आसान पहुंच से समय की बचत होती है और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है।

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. एशियाई विकास बैंक **(ADB)** के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. एडीबी के 68 सदस्य देश हैं।
2. एडीबी का मुख्यालय टोक्यो में है।
3. जापान बैंक के सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक है।
4. एडीबी में एशिया के बाहर का कोई सदस्य नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(*a*) केवल 2
(*b*) केवल 1 और 3
(*c*) केवल 2, 3 और 4
(*d*) 1, 2, 3 और 4

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो दुनिया की आबादी का 40% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% से अधिक कवर करता है।



- **''शंघाई फाइव''** एससीओ का पूर्ववर्ती था जिसका गठन 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के बीच हुआ था।
- इन राष्ट्रों और उज्बेकिस्तान के सभी नेताओं ने 2001 में शंघाई में गहन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग के साथ एक नया संगठन विकसित करने और बनाने के लिए मुलाकात की, जो 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ।
- इसने स्थायी सदस्यता और पर्यवेक्षक का दर्जा देकर अन्य देशों के लिए अपनी सदस्यता का विस्तार किया। भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया और ईरान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया और बाद में 2017 में भारत और पाकिस्तान को स्थायी सदस्य बनाया गया।
- हाल ही में 2021 में यह घोषणा की गई कि ईरान को भी 2022 में स्थायी सदस्य का दर्जा मिल जाएगा।
- **स्थायी सदस्य:** चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान।
- **पर्यवेक्षक की स्थिति:** मंगोलिया, अफगानिस्तान और बेलारूस।
- **संवाद भागीदार:** श्रीलंका, तुर्की, कंबोडिया, अजरबैजान, नेपाल और आर्मेनिया।

उद्देश्य

- सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास।
- राजनीति में प्रभावी सहयोग और व्यापार, अनुसंधान एवं विकास और संस्कृति को बढ़ावा देना।
- निवेश के माध्यम से संबंधों को बढ़ाना और विभिन्न परियोजनाओं जैसे ऊर्जा, पर्यटन, परिवहन आदि में मदद करना।
- लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखना।

संरचना

- **राज्य परिषद का प्रमुख :** यह निकाय के आंतरिक कामकाज, अन्य संगठनों के साथ बातचीत और अंतरराष्ट्रीय महत्व का फैसला करता है।
- **सरकारी परिषद के प्रमुख:** यह बजट को मंजूरी देता है और संगठन की आर्थिक गतिविधियों को तय करता है।

- **विदेश मामलों के मंत्रियों की परिषद:** दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का ध्यान रखती है।
- **क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS):** आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए गठित।
- **एससीओ सचिवालय:** सूचनात्मक और विश्लेषणात्मक समर्थन के माध्यम से मदद करने के लिए बीजिंग में मुख्यालय।
- **आधिकारिक भाषाएँ:** रूसी और चीनी।

भारत और एससीओ

- भारत ने **COVID** महामारी के बीच 2020 में **SCO** प्रमुखों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत ने तीन स्तंभों - स्टार्ट-अप और इनोवेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पारंपरिक चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित किया। इसने व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया।
- एससीओ शिखर सम्मेलन सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा और भारत अगले साल 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके लिए वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ क्षेत्रों की पहली "पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी" के रूप में चुना गया है।

भारत के लिए एससीओ का महत्व

- **एकीकरण-कनेक्टिविटी-स्थिरता:** भारत की सदस्यता से क्षेत्रीय एकीकरण प्राप्त करने में मदद मिलेगी; सीमाओं के पार कनेक्टिविटी और स्थिरता को बढ़ावा देना।
- **सुरक्षा:** **RATS** के माध्यम से, भारत आतंकवाद-विरोधी, नशीली दवाओं की तस्करी में सुधार कर सकता है और खुफिया जानकारी साझा करने, प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास की सहायता से छोटे हथियारों के प्रसार को रोक सकता है।
- **ऊर्जा:** पर्यावरण की आबादी को कम करने के लिए ऊर्जा की बढ़ती मांग और कुशल प्रौद्योगिकी के उपयोग से क्षेत्रीय सहायता के माध्यम से भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में एससीओ मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए- टीएपीआई (तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत) पाइपलाइन जैसी रुकी हुई पाइपलाइनों के निर्माण पर बातचीत; आईपीआई (ईरान-पाकिस्तान-भारत) पाइपलाइन को एससीओ के माध्यम से बहुत जरूरी धक्का मिल सकता है।
- **व्यापार:** एससीओ मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करता है, जो भारत और अन्य मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार को फलने-फूलने में मदद करने का एक वैकल्पिक मार्ग है।
- **आर्थिक संबंध:** यह मध्य एशिया में निर्यात सेवाओं जैसे आईटी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्त, फार्मास्युटिकल आदि के लिए एक बाजार प्रदान करता है।
- **भू-राजनीतिक संबंध:** मध्य एशिया एक विस्तारित पड़ोस है और मध्य एशिया को जोड़ने के माध्यम से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।
- **विदेशी निवेश:** एससीओ भारत को अपने आर्थिक विकास को बढ़ाने और **भारी विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद कर सकता है।**

भारत के लिए चुनौतियां

- पाकिस्तान और चीन के कारण अपना प्रभाव बढ़ाने में मुश्किलें खड़ी करता है।
- भारत को पश्चिमी देशों यानी यूएसए, यूके, ईयू आदि के साथ बढ़ती साझेदारी के कारण संतुलन बनाए रखने के खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
- रूस और चीन, दो महाशक्तियाँ, भारत की क्षमताओं पर छाया करती हैं।
- **भारत ने फिर से बीआरआई परियोजना का समर्थन करने से इनकार कर दिया है।** अन्य देशों ने **BRI** का समर्थन किया है, इसलिए यह मुश्किल है कि भारत **BRI** पर कब तक अपना पक्ष रख सकता है।
- **द्विपक्षीय विवाद को उठाने** की अनुमति नहीं देता है, लेकिन यह आम जमीन खोजने और **देशों के बीच बातचीत** की स्थिति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

- ओईसीडी, एक अंतर सरकारी संगठन की स्थापना 1961 में दुनिया भर में आर्थिक विकास और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी।



- यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी पर्यवेक्षक है और एक मंच प्रदान करता है जहां सदस्य देश खुद को लोकतांत्रिक बताते हैं, अपनी नीतियों की तुलना करते हैं और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली आम समस्याओं के लिए उन्हें अन्य देशों के साथ समन्वयित करते हैं।
- अधिकांश ओईसीडी सदस्य उच्च एचडीआई (मानव विकास सूचकांक) के साथ उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं।

पार्श्वभूमि

- इसकी स्थापना 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका और कनाडा द्वारा प्रशासित मार्शल

योजना के तहत पेरिस, फ्रांस में **(OEEC)** यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में की गई थी।

- 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय को लॉन्च करने के लिए रोम की संधि में ओईईसी में सुधार के लिए एक विचार तैयार किया गया था।
- 1961 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने 20 संस्थापक सदस्यों के साथ इसका नाम बदलकर **OECD** कर दिया, जो अब 38 सदस्य देशों में विस्तारित हो गया है और भारत अभी तक इसका सदस्य नहीं है।

उद्देश्य

- प्राथमिक उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए काम करना और व्यापार के मुद्दों के समाधान खोजने के लिए देशों के साथ काम करना है।
- अर्थव्यवस्थाओं की स्थिरता के लिए हमेशा काम करने के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास में पर्यावरणीय परिणामों के प्रभावों पर विचार करें।
- समानता, समृद्धि और सभी की भलाई के प्रसार के लिए नीतियों का निर्माण।
- अपने कुशल कामकाज के लिए बाजारों में विश्वास बढ़ाने के लिए।
- अर्थव्यवस्थाओं के विकास का वादा करने वाले राष्ट्रों के साथ सलाह और काम करें।

जिम्मेदारियां

- यह वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की निगरानी करता है और कुशल वित्तीय स्थिरता प्रदान करने, गरीबी से लड़ने और समाज की बेहतरी के लिए इन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करता है।
- सदस्य राज्य के प्रदर्शन की समीक्षा और उसी पर सलाह और पर्यवेक्षण।
- यह **G**-20 देशों को कर सुधारों के लिए प्रोत्साहित करता है और टैक्स हेवन देशों पर नजर रखता है।
- यह दुनिया भर में भ्रष्टाचार और वित्तीय संबंधित अपराधों के उन्मूलन को प्रोत्साहित करता है।

बुनियादी कार्य

- यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए सदस्य राज्यों, नीति निर्माताओं, नागरिकों को एक साथ लाता है।
- बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां बनाना।
- आर्थिक परिणामों में सुधार।
- रोजगार निर्माण।
- अपनी रिपोर्ट के माध्यम से वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण को प्रकाशित और पूर्वानुमान करता है।
- ज्ञान, डेटा विश्लेषण और बेहतर सार्वजनिक नीतियों के लिए इसे साझा करने का हब।

संगठन संरचना

- **ओईसीडी परिषद:** निर्णय लेने वाले निकाय में सदस्य राज्यों के राजदूत शामिल होते हैं और संगठन के आवश्यक कार्यों पर चर्चा करने, इसके बजट और वैश्विक व्यापार पर चर्चा करने के लिए वर्ष में एक बार महासचिव की अध्यक्षता में होते हैं।
- **ओईसीडी** समितियों, समूहों, विशेषज्ञों, संस्थानों, नागरिक समाज, राज्य निकायों आदि के माध्यम से संचालित होता है। यह देशों के विकास में मदद करने के लिए डेटा की समीक्षा, मूल्यांकन और नीतियों पर चर्चा करता है।
- **ओईसीडी सचिवालय:** महासचिव के नेतृत्व में जो डेटा एकत्र और विश्लेषण करता है, नीति-निर्माण में अंतर्दृष्टि, विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करता है।
- **ओईसीडी निर्णय लेने की प्रक्रिया** सर्वसम्मति से मतदान के माध्यम से की जाती है। सदस्य जो अस्वीकृति में मतदान नहीं करना चाहते हैं, वे मतदान से दूर रह सकते हैं।

ओईसीडी रिपोर्ट

- **गोइंग फॉर ग्रोथ:** राष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर देशों की तुलना।
- **ओईसीडी आउटलुक:** नई नीतियों को लागू करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक गाइड बुक।
- **ओईसीडी आर्थिक आउटलुक:** सदस्य और गैर-सदस्य दोनों देशों के लिए।

महत्व

- एशियाई और यूरोपीय देशों को सहायता प्रदान करता है जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं में सुधारों को लागू करते हैं।
- सामाजिक नीतियों के कार्यान्वयन के प्रभावों का विश्लेषण करता है।
- यह पर्यावरणीय मुद्दों के प्रभावों पर विचार करते हुए विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देता है।

भारत और ओईसीडी

- दोनों का सहयोग भारतीय नीति निर्माताओं के लिए शासन, आर्थिक नीति, राजकोषीय संबंधों आदि में विशेषज्ञता और तकनीकी लाभ का उपयोग करने का एक अवसर है।
- भारत ओईसीडी समितियों में भाग लेता है और टैक्स प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर वैश्विक फोरम का सदस्य है।
- भारत को अच्छे प्रयोगशाला अभ्यास (जीएलपी) पर ओईसीडी कार्य समूह के उपाध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया है।
- **ओईसीडी** अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन **(PISA)** के कार्यक्रम का संचालन करता है जिसमें भारत ने 2009 में भाग लिया था।

नवीनतम अपडेट

- हाल ही में 2021 में कोस्टा रिका और 2020 में कोलंबिया ओईसीडी समूह में शामिल हुए। संगठन ने 2021 में अपनी

60 वीं वर्षगांठ भी मनाई और 'द लॉन्ग व्यू: परिदृश्य फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी टू 2060' विश्लेषण जारी किया जिसमें कहा गया है कि 2060 में दुनिया की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2% तक गिर जाएगी।

- भारत, चीन और इंडोनेशिया संयुक्त रूप से 2060 तक दुनिया के आधे से अधिक आर्थिक उत्पादन का प्रतिनिधित्व करेंगे। महत्वपूर्ण **व्यापारिक साझेदार** चीन, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका हैं क्योंकि ये वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ी बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं।
- 2030 के दौरान चीन का उत्पादन हिस्सा लगभग 30% होगा। भारत का हिस्सा भी तेजी से बढ़ेगा और 2030 के मध्य में चीन को पीछे छोड़ देगा।

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका)

- ब्रिक्स पहले बीआरआईसी था जब इसे 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों द्वारा लॉन्च किया गया था।
- यह ब्रिक्स में बदल गया और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रित किया गया, जो सभी पांचों मिलकर दुनिया के 27% से अधिक भूमि द्रव्यमान, दुनिया की आबादी के 425 से अधिक और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% का प्रतिनिधित्व करते हैं।



- यह क्षेत्रीय स्थितियों पर अपने प्रभाव के लिए जाना जाता है और वैश्विक निवेश बाजार और बुनियादी ढांचे की पहल के माध्यम से सुधार में मदद करता है।
- **BRICS** दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और **BRIC** शब्द 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओशनील द्वारा गढ़ा गया था। इसकी अध्यक्षता इसके सदस्यो के बीच वार्षिक आधार पर घुमाई जाती है और संक्षिप्त नाम यानी **B**, **R**, **I**, **C** के अनुसार अध्यक्षता की जाती है।, एस।

14वें शिखर सम्मेलन 2022 के मुख्य बिंदु

- रूस-यूक्रेन संघर्ष ने राज्यों को संकट को हल करने के लिए संचार और राजनयिक समाधान की गारंटी दी।
- समूह ने तटस्थता और निष्पक्षता के साथ मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के आह्वान का समर्थन किया।
- चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने रूस के खिलाफ मतदान करने का फैसला किया और यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने के लिए अपना विरोध जताया।
- समूह ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के संकट पर भी चर्चा की और शासन में सुधार के लिए समावेशी राजनीतिक संरचना की स्थापना के साथ बातचीत के माध्यम से हल किया।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शिक्षा प्रक्रिया और विभिन्न रूपरेखाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करना।
- ई-कॉमर्स गतिविधियों में उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देने और इसके बेहतर कामकाज के लिए एक डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की स्थापना की।
- सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी और निपटने के लिए शासन पर चिंताओं को संबोधित किया।

ब्रिक्स 13वां शिखर सम्मेलन 2021

- इसकी मेजबानी 2021 में भारत द्वारा की गई थी और इसकी थीम **"ब्रिक्स @15: निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए इंट्रा-ब्रिक्स सहयोग"** थी जो समूह के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है। शिखर सम्मेलन में टीकों के बेहतर वितरण, अनुसंधान और विकास, आतंकवाद का मुकाबला करने के नए तरीके और प्रभावी शासन के साथ कार्य करने की कल्पना की गई थी।
- **चर्चा में 3 मुख्य स्तंभ शामिल थे:-**
  1. **राजनीतिक और सुरक्षा चिंताएं:** वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा, आतंकवाद विरोधी प्रयास।
  2. **आर्थिक और वित्तीय चिंताएं:** व्यापार, कृषि, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
  3. **सांस्कृतिक सरोकार:** सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करना।

ब्रिक्स के उद्देश्य

- यह आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बढ़ाने पर केंद्रित है।
- सदस्य देशों के बीच साझेदारी को व्यापक बनाना और उचित साधनों के साथ विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देना।
- प्रगति को बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों के विचारों को समान महत्व दिया जाता है।
- कम से कम प्रतिस्पर्धा के साथ सदस्य देशों की आर्थिक ताकत का प्रयास करना।
- समूह वैश्विक वित्तीय समस्याओं को हल करने में मदद करने और अपने राजनयिक संबंधों को पूरा करने का वादा करता हुआ देखा जाता है।
- व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक **सहयोग बढ़ाना।**
- सांस्कृतिक संबंधों, खेल, शिक्षा, फिल्मों, दोस्ती, आपसी सीखने और सुरक्षा और विविधता का सम्मान करने के माध्यम से **लोगों से लोगों के आदान-प्रदान** को मजबूत करना।

- राजनीतिक और सुरक्षा पहलों को समान रखते हुए नीतियां बनाकर **क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करें।**

ब्रिक्स पहल

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)**
  - एनडीबी उन बहुपक्षीय विकास बैंकों में से एक है, जिनकी स्थापना समूह के सहयोग को मजबूत करने और संसाधनों को जुटाने में मदद करने के लिए की गई थी।
  - यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और संतुलित सतत विकास के माध्यम से क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के लिए काम करता है।
  - इसका गठन 2014 में फोर्टालेजा घोषणा में सभी 5 सदस्यों द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय शंघाई में है।
  - यह प्रत्येक सदस्य को बैंक में समान अंशदान देता है और सभी सदस्यों द्वारा इसके लिए मतदान किए बिना इसे बढ़ा नहीं सकता है।
  - इसमें नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है लेकिन ब्रिक्स सदस्यों की हिस्सेदारी को उनकी मतदान शक्तियों के 55% से कम नहीं किया जा सकता है।
  - एनडीबी के पीछे विचार यह था कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विकास और वित्तीय मदद के लिए धन और संसाधन उपलब्ध कराया जाए।
  - सभी सदस्य समान हिस्सेदारी रखते हैं जो एक देश के प्रभुत्व को दूसरे पर गिराता है और बेहतरी के लिए समान आधार पर काम करता है।
  - स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं, शहरी विकास, कृषि विकास, आर्थिक विकास आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (सीआरए)**
  - ब्रिक्स सदस्यों ने सीआरए की स्थापना के लिए 2014 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। तरलता के दबाव के खिलाफ काम करने के लिए रूपरेखा वैश्विक बाजार में होती है जिसमें मुद्रा की समस्याएं शामिल होती हैं जो विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं।
  - शुरुआत में शुरुआती निवेश 100 अरब डॉलर था।
  - यह उदारीकरण के कारण आर्थिक अस्थिरता को संतुलित करने के लिए काम करता है जो बाजारों में अस्थिर समष्टि आर्थिक परिदृश्यों का कारण बनता है।
  - मुद्रा अदला-बदली के माध्यम से सदस्यों को समर्थन देने के लिए अल्पकालिक ऋण सुविधा प्रदान करना जो भुगतान संतुलन (बीओपी) असंतुलन जैसे वित्तीय संकटों में मदद करता है।
  - यह आईएमएफ और विश्व बैंक के ढांचे पर काम करेगा।
  - करेंसी स्वैपिंग से सदस्य देशों में व्यापार, आर्थिक सहयोग और कंपनियों तक आसान पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- **ब्रिक्स भुगतान प्रणाली:** स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के ढांचे पर एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली का निर्माण करना जो यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण रूस द्वारा स्विफ्ट का उपयोग करने से प्रतिबंधित किए जाने के बाद अब बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
- सदस्यों द्वारा रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सामूहिक रूप से लॉन्च करने के साथ **अंतरिक्ष मिशन।**

विगत वर्षों के प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में खबरों में रहा 'फोर्टालेजा डिक्लेरेशन' का संबंध _____ से है (2015)

(*a*) आसियान

(*b*) बीआरआईसी

(*c*) ओईसीडी

(*d*) विश्व व्यापार संगठन

भारत के लिए महत्व

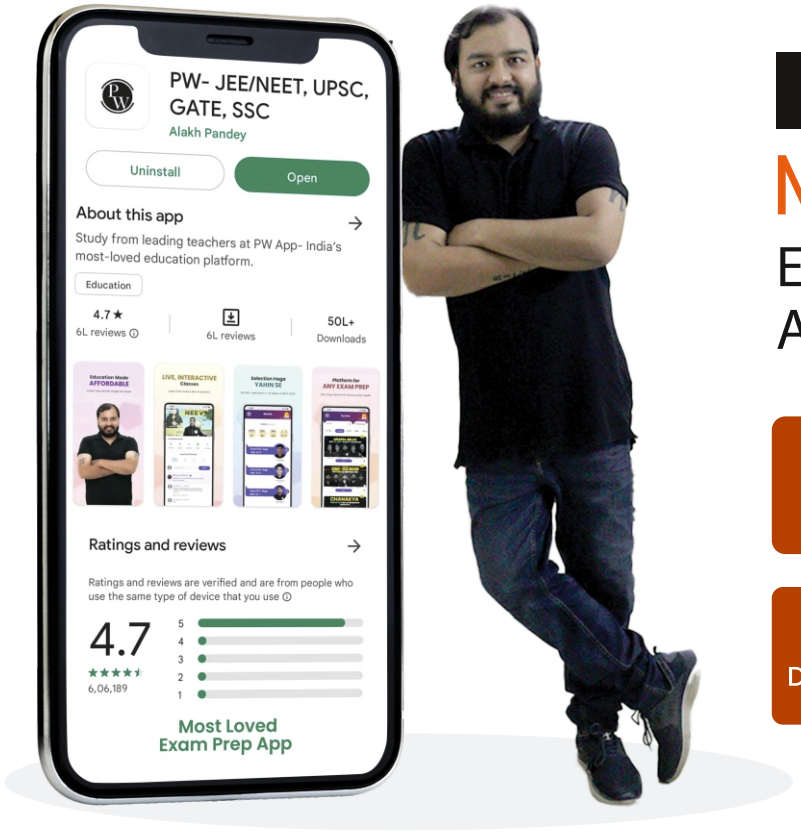
- आर्थिक मुद्दों, प्रौद्योगिकियों और व्यापार पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और सदस्यों की मदद का उपयोग करने के लिए लाभ उठाने के लिए।
- यह वैश्विक शासन में मदद करता है और अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाता है।
- यह वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को मजबूत करता है और इसे एक नेता के रूप में प्रदर्शित करता है।
- यह बुनियादी ढांचे, टिकाऊ परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए देशों से संसाधन प्राप्त करने में मदद करता है।

नवीनतम अपडेट

- ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन आभासी प्रारूप में हुआ, जिसे 2022 में तीसरी बार चीन द्वारा आयोजित किया गया था और इसकी थीम 'गुणवत्ता ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक विकास में मदद' थी।
- इसमें आतंकवाद, आतंक के वित्तपोषण और सीमाओं के पार आतंकवादियों की आवाजाही की निंदा करने की भी बात की गई। चीन ने देशों के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी और अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों की सुरक्षा से समझौता करने के खिलाफ चेतावनी जारी की।

❖ ❖ ❖





INDIA'S MOST LOVED

Educational Channel And Platform

4.8★ Rating	**20M+** Subscribers
8M+ Downloads	**8000**hrs Video Content/Week

If you have any queries or need assistance with admission in PW Classes **here is what you can do**

PW APP
Reach out to us: 07948221232

PW OnlyIAS
Reach out to us: 9920613613

www.pw.live

ISBN 978-81-19013-85-2